

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

आर्थिक विकास के सिद्धान्त
एवं
भारत में आर्थिक नियोजन

आर्थिक विकास के सिद्धान्त एवं भारत में आर्थिक नियोजन

THEORY OF ECONOMIC GROWTH AND
ECONOMIC PLANNING IN INDIA

° P. G. Section

प्राक्ख्यान

डॉ. ओम प्रकाश

सूतपूर्व कुलपति

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

लेखक

प्रो. जी. एल. गुप्ता

सदस्य, समाज विज्ञान मन्त्रालय

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

संशोधक

प्रकाश जैन

•

कॉलेज बुक डिपो, जयपुर

AARTHIK VIKAS KE SIDHANT
EVEM
BHARAT MEN AARTHIK NIYOJAN

All Rights Reserved with the Publishers
Published by P. C. Jain for College Book Depot, Tripolia Bazar, Jaipur
Printed at Hema Printers, Jaipur.

प्राक्कथन

द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त जिस युग का शुभारम्भ इस विश्व में हुआ उसकी दो मुख्य उपलब्धियाँ उल्लेखनीय हैं। एक ओर तो राजनीतिक परतन्त्रता को समाप्त करने का बीड़ा उठाया गया और दूसरी ओर आर्थिक विकास की सम्भावनाओं पर अधिकाधिक प्रकाश डाल कर पिछड़े हुए राष्ट्रों का निराशायुक्त निद्रा से जगाने के अनेक प्रयास किए गए। सम्भवतः पहली उपलब्धि में सफलता की अधिक ब्रह्म देखी जा सकती है क्योंकि भारत तथा विश्व के अनेक उपनिवेशों ने इस युग के अन्तर्गत दासत्व की बंधियों को काट कर स्वतन्त्रता प्राप्त की। साम्राज्यवादी राष्ट्रों को भी प्रायः इस बात का आभास हो गया कि किसी दूसरे राष्ट्र की भूमि पर शासन करना न तो व्यावहारिक ही है और न लाभदायक।

किन्तु आर्थिक क्षेत्र का इतिहास कुछ भिन्न प्रतीत होता है। यद्यपि विकास के सिद्धान्त को आगे बढ़ाने में विश्व के प्रमुख अर्थशास्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है (जिसकी पुष्टि का प्रतीक 1969 से अब तक के अनेक नोबेल प्राइज विजेताओं को माना जा सकता है), किन्तु का विषय यह है कि विकसित राष्ट्रों को आर्थिक क्षेत्र में उपनिवेशवादी नीति का अन्त दिखाने नहीं देता। ऐसा लगता है कि राजनीतिक उपनिवेशवाद की बहुत कुछ प्रतिभा का आर्थिक नीतियों में समावेश हो गया है जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक उपनिवेशवाद ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। यह स्पष्ट है कि इसी प्रवृत्ति का सामना करने के लिए 1973 में खनिज तेल का उत्पादन एवं निर्यात करने वाले देशों (O.P.E.C.) ने मूल्य वृद्धि की कटु नीति अपनाई, और उसी के परिणामस्वरूप 1974 में अन्तर्राष्ट्रीय सघ की महासभा द्वारा नए अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रारूप (New International Economic Order) स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। किन्तु जब मई 1976 में अन्तर्राष्ट्रीय सघ के व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) में इस प्रारूप

को व्यवहार में लाने का प्रश्न उठा तो कुछ शक्तिशाली राष्ट्रों के विरोध के कारण केवल सहमति प्रकट करके सम्मेलन भंग हो गया कि कठिन समस्याओं पर फिर कभी विचार किया जाए।

इस पृष्ठभूमि में श्री जी एल गुप्ता की पुस्तक 'आर्थिक विकास के सिद्धान्त एवं भारत में आर्थिक नियोजन' विशेष महत्त्व रखती है। इस पुस्तक में 'आर्थिक सिद्धान्त' का गहन विश्लेषण किया है और दूसरी ओर 'भारत में आर्थिक नियोजन' का विद्वत्पूर्ण दृश्य प्रस्तुत किया है। नवीनतम आंकड़े उपलब्ध करके सामयिक विषयों पर—जैसे बेटोजगारी, आय की असमानता तथा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) की प्रगति पर रोचक टिप्पणी प्रस्तुत की गई हैं। राजस्थान में आर्थिक नियोजन का विशेष रूप से सर्वेक्षण किया गया है।

प्रकाशक का प्रयास प्रशंसनीय है। मुझे आशा है कि यह पुस्तक भारतीय विश्वविद्यालयों के वाणिज्य तथा अर्थशास्त्र के छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

ओमप्रकाश

प्रकाशकीय

‘प्राथमिक विकास के सिद्धान्त एवं भारत में आर्थिक नियोजन’ अपने सशोधित सस्करण के रूप में आपके सामने है। पूर्व-सस्करण का जो स्वागत हुआ और विभिन्न क्षेत्रों से जो रचनात्मक मुन्नाव प्राप्त हुए, उन्हें सामने रखकर पुस्तक में कितने ही परिवर्तन और सशोधन किए गए हैं। इस सस्करण में अनेक अध्याय तो सर्वथा नए जोड़े गए हैं और उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन पर विषय-सामग्री हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकों में प्रायः उपलब्ध नहीं है। उदाहरणार्थ, विकास के दौरान उत्पादन, उपभोग, रोजगार, विनियोग और व्यापार में सस्चनात्मक परिवर्तन, विवास-दर के विभिन्न तत्त्वों के योगदान के सन्दर्भ में डेनोसन का अध्ययन, योजनाओं में नियोजित तथा वास्तव में प्राप्त वृद्धि एवं विनियोग दरें, योजनाओं में क्षेत्रीय लक्ष्य, वित्तीय घाटन और उपलब्धियाँ, विनियोग-वृद्धि और उत्पादिता, सुधार के उपाय, भारत में गरीबी और असमानता आदि टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर सामग्री हिन्दी पुस्तकों में प्रायः कम उपलब्ध है और जो है वह अधिकांशतः अपर्याप्त है। प्रस्तुत सस्करण में इन विषयों पर प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर व्यवस्थित ठोस जानकारी देने का प्रयास किया गया है। आवश्यकतानुसार गणितीय विधि का प्रयोग किया गया है, लेकिन पुस्तक बोझिल न बने, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। यथासाध्य नवीनतम आँकड़े देकर विषय-सामग्री को अद्यतन बनाया गया है। मार्च, 1977 में काँग्रेस के लगभग 30 वर्षीय एकछत्र शासन के पराभव के उपरान्त बनी जनता सरकार ने देश की अर्थ-व्यवस्था को नया मोड़ देने की जो नीतियाँ अपनाई हैं उनका सविस्तार विवेचन किया गया है। योजना आयोग का जो पुनर्गठन किया गया है और 1 अप्रैल, 1978 से जो नई छठी राष्ट्रीय योजना लागू की गई है उन सब पर आलोचनात्मक प्रकाश डाला गया है। ‘आवर्ती योजना’ (Rolling Plan) कोई सर्वथा नया विचार नहीं है, तथापि भारतीय अर्थ-व्यवस्था में इसका प्रयोग नूतन है और देश निश्चय ही इस

प्रणाली से अधिक लाभान्वित होगा। पुस्तक के परिशिष्ट भी विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। उनसे आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है। पुस्तक में सन् 1978 के प्रथम चरण तक के आँकड़े प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर दिए गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के बुलेटिनों, भारत सरकार की सन् 1977-78 की वार्षिक रिपोर्टों, विभिन्न आर्थिक पत्र-पत्रिकाओं आदि से सभी आवश्यक सहायता ली गई है।

इस संस्करण में हमारा यह प्रयास रहा है कि विद्यार्थियों को आर्थिक विकास के सिद्धान्तों और देश के आर्थिक नियोजन के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पहलुओं का सुगमतापूर्वक किन्तु समुचित ज्ञान प्राप्त हो सके। पुस्तक के अन्त में विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रश्न-पत्र भी दिए गए हैं ताकि विद्यार्थियों को प्रश्न-शैली का बोध हो सके।

जिन आधिकारिक विद्वानों की कृतियों से पुस्तक के प्रणयन में सहायता ली गई है, उसके लिए हृदय से आभारी हैं।

अनुक्रमणिका

भाग-1 आर्थिक विकास के सिद्धान्त (Theory of Economic Growth)

आर्थिक विकास का अर्थ और अवधारणा (The Meaning & Concept of Economic Growth)	...	1
आर्थिक विकास का अर्थ एवं परिभाषा	2
आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक उन्नति	6
आर्थिक विकास की प्रकृति	8
आर्थिक विकास का माप	11
आर्थिक विकास का महत्त्व	13
आर्थिक विकास की प्रमुख बाधाएँ जेकब वाइनर तथा जेराल्ड एम भायर के विचार	15
आर्थिक विकास के मॉडल उनका महत्त्व	24
अर्द्ध-विकसित अर्थ व्यवस्थाओं की विशेषताएँ (Characteristics of Under-developed Economies)	27
अर्द्ध विकसित अर्थ व्यवस्था का आशय और प्रमुख परिभाषाएँ	28
'अर्द्ध विकसित', 'अविकसित', 'निर्वर्ण' और 'पिछड़े हुए' देश	31
अर्द्ध विकसित अर्थ व्यवस्था की विशेषताएँ या लक्षण	..	32
अर्द्ध-विकसित देशों की समस्याएँ	..	48
अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास की सामान्य आवश्यकताएँ	52
पश्चिमी देशों का अर्थशास्त्र पिछड़े देशों के लिए अनुपयुक्त	..	55
पश्चिमी देशों के आर्थिक साम्राज्यवाद के विरुद्ध तीसरी दुनिया की/रणनीति	58
भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर एक दृष्टि	59
आर्थिक विकास के अन्तर्गत संरचनात्मक परिवर्तन उत्पादन, उपभोग, रोजगार, निवेश और व्यापार के संगठन में परिवर्तन (Structural Changes under Development : Changes in the Composition of Production, Consumption, Employment, Investment & Trade)	70
आर्थिक विकास के अन्तर्गत संरचनात्मक परिवर्तन	70
उत्पादन की संरचना, उपयोग व प्रवृत्तियाँ	..	73
उपभोग में संरचनात्मक परिवर्तन	76
व्यापार में संरचनात्मक परिवर्तन	80
विनियोग के स्वरूप में परिवर्तन	84
रोजगार के ढाँचे में परिवर्तन	89

ii अनुक्रमिका

1/4	आर्थिक विकास के प्रमुख तत्त्व एवं डेनिसन का अध्ययन (Major Growth Factors, Denison's Estimate of the Contribution of different Factors to Growth Rate)	92
⊗	आर्थिक विकास के प्रमुख तत्त्व	92
	आर्थिक विकास के कारक और उनकी सापेक्षिक देन	103
	आर्थिक विकास की अवस्थाएँ	105
1965	विकास-दरों के विभिन्न कारकों के योगदान का डेनिसन का मूल्यांकन	108
5	आर्थिक विकास से सम्बन्धित विचारधाराएँ : लेविस, हैरड-डोमर, महालनोबिस तथा अन्य (Approaches to the Theory of Development : Lewis, Harrod-Domar, Mahalanobis and Others)	117
	घायरं लेविस का आर्थिक वृद्धि का सिद्धान्त	118
	हैरड-डोमर मॉडल	129
	महालनोबिस मॉडल	143
⊗	जर्से, रोडन, हर्षमैन, मिन्ट एव लेवेन्स्टीन की विचारधारा	149
6	आर्थिक विकास के लिए नियोजन (Planning for Economic Growth)	171
	नियोजित और अनियोजित अर्थ-व्यवस्था की तुलना	172
	नियोजित अर्थ-व्यवस्था की श्रेष्ठता	173
	नियोजन के लिए निर्धारित की जाने वाली बातें	182
⊗	नियोजन की सफलता की शर्तें	186
7	बचत-दर व विकास-दर को प्रभावित करने वाले तत्त्व (Factors affecting the Saving Rate and the Over-all Growth Rate)	192
	बचत-दर को प्रभावित करने वाले तत्त्व	192
⊗	विकास-दर और उसे प्रभावित करने वाले तत्त्व	195
8	वित्तीय साधनों की गतिशीलता (Mobilisation of Financial Resources)	198
	साधनों के प्रकार	198
	गतिशीलता को निर्धारित करने वाले कारक	199
	साधनों का निर्धारण	201
	योजना के लिए वित्तीय साधनों की गतिशीलता	201
⊗	बचत और विकास : भारत में राष्ट्रीय बचत आन्दोलन	213
9	उपभोग वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए माँग के अनुमान, प्रादा-प्रदा गुणांकों का उपयोग (Demand Projections for Consumption Goods and Intermediate Goods, The Use of Input-Output Co-efficients)	218
	घाय-लोच द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं की माँग के अनुमान	218
	प्रादा-प्रदा तकनीक	220

0	उत्पादन-निर्धारण (Determination of Output Targets)	227
	भारतीय नियोजन में लक्ष्य-निर्धारण	230
1	उत्पादन क्षेत्रों में विनियोगों का आवंटन (Allocation of Investment between Production Sectors)	235
	विनियोग विकल्प की आवश्यकता	236
	अर्द्ध-विकसित देशों की विनियोग सम्बन्धी विशिष्ट समस्याएँ	237
	विनियोग मानदण्ड	238
	अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र	246
	किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए?	246
	कृषि में विनियोग क्यों?	248
	उद्योगों में विनियोग	251
	सेवा-क्षेत्र में विनियोग	253
	तीनों क्षेत्रों में समानान्तर व सन्तुलित विकास की आवश्यकता	254
12	विभिन्न क्षेत्रों में विनियोगों का आवंटन (Allocation of Investment between Different Regions)	257
	विभिन्न क्षेत्रों में विनियोगों का आवंटन	257
	भारतीय नियोजन और सन्तुलित प्रादेशिक विकास	260
13	निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में विनियोगों का आवंटन (Allocation of Investment between Private and Public Sectors)	262
	सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का अर्थ	263
	आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र का महत्त्व	263
	आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्त्व	266
	विनियोगों का आवंटन	269
	भारत में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में विनियोग	270
14	विदेशी विनिमय का आवंटन (Allocation of Foreign Exchange)	281
	विदेशी विनिमय का महत्त्व और आवश्यकता	281
	विदेशी विनिमय का आवंटन	283
	भारतीय नियोजन में विदेशी विनिमय का आवंटन	287
15	मूल्य-नीति और वस्तु-नियन्त्रण (Price Policy and Commodity Control)	290
	मूल्य नीति का महत्त्व	291
	मूल्य नीति का उद्देश्य	292
	मूल्य-नीति और आर्थिक विकास	292
	मूल्य-नीति के दो पहलू	296

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-नीति के सिद्धान्त	299
विभिन्न प्रकार के पदार्थों से सम्बन्धित मूल्य-नीति	300
वस्तु-नियन्त्रण	303
भारतीय नियोजन में मूल्य और मूल्य-नीति	305
भारत सरकार के वित्त मन्त्री के बजट भाषण (28 फरवरी, 1978) के अनुसार स्थिति	313

16 परियोजना मूल्यांकन के मानदण्ड, विशुद्ध वर्तमान मूल्य और प्रतिफल की आन्तरिक दर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत एवं लाभ (Criteria for Project Evaluation, Net Present Value and Internal Rate of Return, Direct and Indirect Costs and Benefits)	305
परियोजना मूल्यांकन के मानदण्ड	315
विशुद्ध वर्तमान मूल्य विधि	320
आन्तरिक प्रतिफल दर	324
आन्तरिक प्रतिफल दर तथा शुद्ध वर्तमान मूल्य मापदण्डों की तुलना	328
परियोजना मूल्यांकन की लायत-लाभ विरलेपसु विधि की आलोचना	330
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लागतें व लाभ	331

भाग-2. भारत में आर्थिक नियोजन (Economic Planning in India)

1 भारतीय नियोजन (Indian Planning)	335
विश्वेश्वरैया योजना	335
राष्ट्रीय आयोजन समिति	336
बम्बई योजना	336
जन योजना	337
गांधीवादी योजना	338
अन्य योजनाएँ	339
स्वतन्त्रता के बाद नियोजन	339
भावर्ती या अनवरत योजना	346
भारत में 1951 से 1978 तक नियोजन : क्या हम समाजवादी समाज का स्वप्न पूरा कर सके?	349
2 योजनाओं में विकास, बचत एवं विनियोग दरें—नियोजित तथा वास्तव में प्राप्त (Growth Rates and Saving (Investment) Rates—Planned and Achieved in the Plans)	361
प्रथम चार पंचवर्षीय योजनाओं में भारत में नियोजित बचत एवं विनियोग की स्थिति	362

प्रथम चार पंचवर्षीय योजनाओं में विकास-दर	368
पाँचवी पंचवर्षीय योजना में विकास की दर और स्वरूप	373
आर्थिक समीक्षा सन् 1976-77 और 1977-78 के अनुसार सकल राष्ट्रीय उत्पाद, वचत और पूंजी-निवेश	381
3 प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाएँ—क्षेत्रीय लक्ष्य, वित्तीय आवटन तथा उपलब्धियाँ	383
(First Three Five Year Plans—Sectoral Targets, Financial Allocation and Achievements)		
योजनाओं में वित्तीय आवटन	383
योजनाओं में क्षेत्रीय लक्ष्य	...	392
प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों का मूल्यांकन	..	398
4 विनियोग-वृद्धि के उपाय और उत्पादकता-सुधार के उपाय	...	403
(Measures to Increase Investment and Measures to Improve Productivity)		
योजना काल में विनियोग-दर	403
विनियोग-वृद्धि के उपाय	405
उत्पादकता-सुधार के उपाय	409
5 भारतीय योजना परिव्यय के आवटन का मूल्यांकन	421
(Criticisms of Plan Allocation in India)		
प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएँ	421
द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएँ	423
तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएँ	424
चतुर्थ योजना में प्राथमिकताएँ	426
पाँचवी योजना में प्राथमिकताएँ	426
जनता पार्टी की सरकार और प्राथमिकताओं तथा नीतियों के पुन निर्धारण की आवश्यकता पर बल नई योजना के दिशा-निर्देशन	427
6 चतुर्थ योजना का मूल्यांकन	431
(Appraisal of the Fourth Plan)		
परिव्यय और निवेश	431
परिव्यय की वित्त व्यवस्था और उपलब्धियाँ	...	432
7 पाँचवी पंचवर्षीय योजना (1974-79)	439
(Fifth Five-Year Plan)		
पाँचवी योजना पर प्रस्ताव	440
आर्थिक स्थिति की समीक्षा	441
कृषि-क्षेत्र	445
भूमिगत जल संचयन का सर्वेक्षण	447

ऊर्जा-क्षेत्र	448
अ-नवीकरणीय संसाधन	448
उत्पादन की सम्भावनाएँ	450
निर्यात और आयात	452
रोजगार और जीवन-स्तर	453
विकास की दर और स्वरूप	455
सन् 1978-79 में उत्पादन का स्तर	456
वित्तीय संसाधन	458
संचित विदेशी मुद्रा के उपयोग के आधार पर ऋण प्राप्त करना		461
दत्त और विनियोजन	462
शोधन सन्तुलन	464
योजना परिव्यय तथा विकास कार्यक्रम	466
कृषि और सिंचाई	470
उद्योग और खनिज	472
शाम तथा लघु उद्योग	473
परिवहन और संचार	475
पर्वतीय तथा जन जाति क्षेत्र, पिछड़े वर्ग, समाज-कल्याण और पुनर्वास	475
शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और पोषाहार	477
आयोजन का मूल्यांकन : क्या हमारा आयोजन हमारी		
आकांक्षाओं को पूरा कर सका?	478
1976-77 की अर्थ-व्यवस्था का सर्वेक्षण : असन्तुलित और		
असन्तोषजनक स्थिति	482
1977-78 की अर्थ-व्यवस्था का सर्वेक्षण	484
8 जनता सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1978 से लागू नई छठी राष्ट्रीय योजना		491
(The New Sixth Plan (1978-83) introduced by the Janta Govt.)		
छठी योजना के प्रारूप की मोटी रूपरेखा	492
छठी योजना के प्रारूप की विस्तृत रूपरेखा	494
सरकारी क्षेत्र परिव्यय	500
सन् 1978-79 की वार्षिक योजना	509
नई योजना (1978-79): एक समीक्षा	514
59 भारत में योजना-निर्माण प्रक्रिया और क्रियान्वयन की प्रशासकीय मशीनरी		518
(The Administrative Machinery for Plan Formulation Process and Implementation in India)		
भारत में योजना-निर्माण की प्रक्रिया	518
भारत में योजना-निर्माण की तकनीक	522
योजना-निर्माण और क्रियान्वयन की प्रशासकीय मशीनरी	526

योजना का क्रियान्वयन	535
भारतीय योजना-निर्माण प्रक्रिया की समीक्षा	537
भारत में गरीबी और असमानता (Poverty and Inequality in India)	542
भारत में गरीबी और विषमता की एक भलक	542
(क) दंडेकर एव नीलकण्ठ रथ का अध्ययन	542
(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का अध्ययन	543
(ग) डॉ. रामाश्रय राय का आर्थिक विषमता पर अध्ययन	547
(घ) भारतीय व्यापार एव उद्योग मण्डलों के महासत्र द्वारा किया गया अध्ययन	550
(च) भारत में गरीबी और असमानता पर श्री चर्मा का अध्ययन	551
(छ) भारत में गरीबी की 1974-75 में स्थिति	553
गरीबी का मापदण्ड और भारत में गरीबी	554
बढ़ती कीमतें और आर्थिक विषमता तथा गरीबी	555
गरीबी और असमानता के मापदण्ड	558
भारत में गरीबी और असमानता के कारण	559
गरीबी एव असमानता को दूर अथवा कम करने के उपाय	563
वाम नीति और गरीबी निवारण	566
गरीबी निवारण और असमानता दूर करने के सरकारी प्रयत्न	568
भारत में बेरोजगारी-समस्या का स्वरूप तथा वैकल्पिक रोजगार नीतियाँ (The Nature of Unemployment Problem and Alternative Employment Policies in India)	570
भारत में बेरोजगारी का स्वरूप और किस्में	570
बेरोजगारी की माप	572
भारत में बेरोजगारी के अनुमान	573
पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान रोजगार-विनियोग अनुपात	576
भारत में ग्रामीण बेरोजगारी	577
शिक्षित बेरोजगारी	581
बेरोजगारी के कारण	583
बेरोजगारी : उपाय और नीति	587
बेरोजगारी के सम्बन्ध में भगवती समिति की सिफारिशें	591
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना और बेरोजगारी	595
जनता सरकार की नई राष्ट्रीय योजना (1978-83) में बेरोजगारी से युद्ध	602
भारत के समृद्ध क्षेत्र में रोजगार (1975-76)	604
राष्ट्रीय रोजगार सेवा (N.E.S.)	...	606

12 राजस्थान में आर्थिक नियोजन का संक्षिप्त सर्वेक्षण (A Brief Survey of Economic Planning in Rajasthan)	608
राजस्थान में प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाएँ	608
राजस्थान की तीन वार्षिक योजनाएँ (1966-69)	613
राजस्थान की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74)	614
राजस्थान की पाँचवी पंचवर्षीय योजना का ग्राह्य एवं 1974-75 की वार्षिक योजना	617
जनता पार्टी की सरकार की वार्षिक योजना (1978-79)	619
राजस्थान राज्य की आर्थिक समीक्षा (1977-78)	628

APPENDIX

1 औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में श्री जार्ज फर्नांडीस का वक्तव्य (25 दिसम्बर, 1977)	639
2 नई आर्थिक नीति किसके हित में?	652
3 जनगणना 1971 : तथ्य एक दृष्टि में	659
4 विभिन्न मद्दों पर प्रति व्यक्ति व्यय (1977-78)	661
5 (क) सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा निवल राष्ट्रीय उत्पाद (ख) वार्षिक विकास दर	662
6 मूल उद्योग के अनुसार निवल राष्ट्रीय उत्पाद के अनुमान प्रतिशत विभाजन	664
7 घरेलू बचत एवं घरेलू पूँजी निर्माण	665
8 सरकारी क्षेत्र में रोजगार	666
9 गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार	667
10 कुल विदेशी सहायता	668
11 1977-78 में विदेशी सहायता	670
12 विदेशी ऋण और व्याज आदि का भुगतान	671
13 विमुद्रीकरण और काले धन का साम्राज्य	672
14 प्राचीन विकास में सहकारी समितियों की भूमिका	674
15 प्रश्न-कोश	678
16 (क) छठी योजना (1978-83) में प्रमुख वस्तुओं के उत्पादन अनुमान	700
(ख) क्षेत्रीय विकास का स्वरूप सन् 1977-78 से 1982-83....	700
(ग) सन् 1978-83 की पंचवर्षीय योजना के लिए संसाधन	70
(घ) सरकारी क्षेत्र परिच्यय	70
17 सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों की एक तस्वीर	70
18 धन्यकोश	7

आर्थिक विकास का अर्थ और अवधारणा

(THE MEANING AND CONCEPT OF
ECONOMIC GROWTH)

“भविष्य में बहुत वर्षों तक अल्पविकसित देशों का विकास अमेरिका और रूस के बीच गहन प्रतियोगिता का क्षेत्र रहेगा। विश्व की समस्याओं में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ऐसे अर्द्ध-विकसित क्षेत्र विशेष रुचि का विषय रहेंगे जो या तो ऐसे सुविशाल प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न हों जिनकी आवश्यकता विश्व-शक्तियों की हो अथवा जो सैतक दृष्टि से सामरिक महत्त्व की स्थिति रखते हों।” — एल डब्लू. शैनन

विकास का अर्थशास्त्र मुख्यतः अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास की समस्याओं का निरूपण करता है। द्वितीय महायुद्ध के बाद आर्थिक विकास विश्व की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या बन गया है और विश्व के पिछड़े देशों के विकास में, मूलतः अपने प्रभाव क्षेत्र की वृद्धि के लिए, विश्व की महाशक्तियों के बीच गहन प्रतियोगिता छिड़ी हुई है। वर्तमान शताब्दी के पाँचवें दशक में और विशेषकर द्वितीय महायुद्ध के बाद ही विकसित देशों तथा अर्थशास्त्रियों ने अल्पविकसित देशों की समस्याओं के विश्लेषण की ओर, उनके आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने की ओर ध्यान देना शुरू किया और आज तो अल्पविकसित देशों में आर्थिक विकास के प्रति वह जागरण पैदा हो चुका है कि विकास एक युग-नारा बन गया।

विकसित राष्ट्र दुनिया के अल्पविकसित देशों की ओर यकायक ही सहानुभूति से उमड़ पड़े हों, यह बात नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि विकसित देश महायुद्ध के बाद खासतौर पर यह महसूस करने लगे हैं कि “किसी एक स्थान की दृढ़ता प्रत्येक दूसरे स्थान की समृद्धि के लिए खतरा है।” एशिया और अफ्रीका में राजनीतिक पुनर्स्थापन की जो लहर फैली उसने भी विकसित देशों को यह महसूस करने के लिए बाध्य किया कि यदि वे अल्पविकसित देशों की आकांक्षाओं की पूर्ति

2 आर्थिक विकास के सिद्धान्त

की दिशा में सहयोगी नहीं हुए तो उनके अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव-क्षेत्र को गहन और व्यापक आघात पहुँचेगा। विश्व की महाशक्तियाँ आर्थिक-राजनीतिक प्रभाव-क्षेत्र के विस्तार में एक दूसरे से पिछड़ जाने के भय से अल्पविकसित देशों को आर्थिक सहयोग देने की दिशा में इस तरह प्रतियोगी हो उठी।

इसमें सन्देह नहीं कि अल्पविकसित देशों में व्याप्त गरीबी को दूर करने में धनिक राष्ट्रों की रुचि कुछ हद तक मानवतावादी उद्देश्यों से भी प्रेरित है, न किन मूल रूप से प्रधानतया प्रेरणा-स्रोत प्रभाव-क्षेत्र के विस्तार की प्रतिस्पर्धा ही है। प्रो० एल. डब्लू. शैनन ने वास्तविकता का सही मूल्यांकन किया है कि "भविष्य में बहुत वर्षों तक अल्पविकसित देशों का विकास अमेरिका और रूस के बीच गहन प्रतियोगिता का क्षेत्र रहेगा। विश्व की समस्याओं में अपनी महत्त्वपूर्ण स्थिति के कारण ऐसे अर्द्ध-विकसित क्षेत्र विशेष रुचि का विषय रहेंगे जो या तो ऐसे सुविशाल प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न हों जिनकी आवश्यकता विश्व शक्तियों को हो अथवा जो सैनिक दृष्टि से सामरिक महत्त्व की स्थिति रखते हों।"¹

आर्थिक विकास का अर्थ एवं परिभाषा

(Meaning and Definition of Economic Growth)

आर्थिक विकास से अभिप्राय विस्तार की उन दर से है जो अर्द्ध विकसित देशों को जीवन-निर्वाह स्तर (Subsistence level) से ऊँचा उठाकर अल्पकाल में ही उच्च जीवन-स्तर प्राप्त कराए। इसके विपरीत पहले से ही विकसित देशों के लिए आर्थिक विकास का आशय वर्तमान वृद्धि की दर को बनाए रखना या उसमें वृद्धि करना है। आर्थिक विकास का अर्थ किसी देश की अर्थ-व्यवस्था के एक नहीं बरन् सभी क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि करना और देश की निर्धनता को दूर करके जनता के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है। आर्थिक विकास द्वारा देश के प्राकृतिक और अन्य साधनों का समुचित उपयोग करके अर्थ-व्यवस्था को उन्नत स्तर पर ले जाया जाता है। आर्थिक विकास के विभिन्न पक्षों पर यद्यपि आज भी काफी असहमति है, तथापि इसको हम ऐसी प्रक्रिया (Process) कह सकते हैं जिसके द्वारा किसी भी देश के साधनों का अधिकाधिक कुशलता के साथ उपयोग किया जाए। आर्थिक विकास की कोई निश्चित और सर्वमान्य परिभाषा देना बड़ा कठिन है। विभिन्न लेखकों ने इसकी परिभाषा भिन्न-भिन्न विकास के माप के आधारों पर की है।

(क) विद्वानों के एक पक्ष ने कुल देश की आय में सुधार को आर्थिक विनास कहा है। प्रो० कुजनेत्स, पाल एल्वर्ट, मेयर एव वाल्डविन, ए जे यगमन आदि इस विचारधारा के प्रतिनिधि हैं।

(ख) विद्वानों का दूसरा पक्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में सुधार को आर्थिक विकास मानता है। इस विचारधारा के समर्थक डॉ हिगिन्स, आर्चेर लेविस, विलियमसन, वाइजर, हॉव निविन्टीन आदि हैं।

(ग) अनेक विद्वान आर्थिक विकास को सर्वांगीण विकास के रूप में लेते हैं। अग्रिम पक्तियों में हम इन तीनों ही पक्षों को लेंगे।

(क) आर्थिक विकास का अर्थ राष्ट्रीय आय में वृद्धि

श्री मेयर और बाल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अर्थ-व्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है।¹

आर्थिक विकास की इस परिभाषा में तीन बातें विचारणीय हैं—

1. प्रक्रिया (Process) — हमारा आशय अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न अंगों में परिवर्तन से है। आर्थिक विकास में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक चर-राशियों (Variables) में परिवर्तन के परिणामस्वरूप होती है। इन परिवर्तन का सम्बन्ध साधनों की माँग और उनकी पूर्ति में परिवर्तन से है। साधनों की पूर्ति में परिवर्तन के अन्तर्गत जनसंख्या में वृद्धि अतिरिक्त साधनों का पता, पूँजी का संचयन, उत्पादन की नवीन विधियों का प्रयोग तथा अन्य सस्यागत परिवर्तन सम्मिलित हैं। साधनों की पूर्ति में परिवर्तन के साथ ही माँग इनकी माँग के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। आरम्भ तथा उसके वितरण के स्वरूप में परिवर्तन, उपभोक्तियों के अधिमान में परिवर्तन अन्य सस्यागत तथा सङ्गठनात्मक परिवर्तन माँग के स्वरूप में परिवर्तन का उदाहरण हैं। इस प्रकार आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप माँग और पूर्ति के स्वरूप में कई परिवर्तन होते हैं। किन्तु ये परिवर्तन आर्थिक विकास के कारण और परिणाम दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की सीमा आर्थिक विकास की गति तथा समय पर निर्भर करती है। आर्थिक विकास के क्षेत्र में हम विकास प्रक्रिया का कारण होना वाली वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि का ही अध्ययन नहीं करते अतः इनके लिए उत्तरदायी इस प्रक्रिया या इन परिवर्तनों का अध्ययन भी करते हैं।

2. वास्तविक राष्ट्रीय आय (Real National Income)—आर्थिक विकास का अर्थ वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है। वास्तविक राष्ट्रीय आय का आशय मूल्य स्तर में हुए परिवर्तनों के लिए समायोजित शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (Net National Product adjusted for Price Changes) से है। इसका अर्थ देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल योग के समायोजित मूल्य से है। मूल्यों में वृद्धि के कारण प्रकट होने वाली राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास नहीं कहलाती है। अर्थ-व्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन वस्तुतः गिरना बचना चाहिए। सर्वप्रथम निश्चित वर्ष में देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का वर्तमान मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। इसके पश्चात् इस राशि को किसी आधार वर्ष के मूल्य स्तर के समुह में समायोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास मापने के लिए कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रयोग न करके शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का प्रयोग किया जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि

4 आर्थिक विकास के सिद्धान्त

में पैदा की जाने वाली समस्त अन्तिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। इसे उत्पन्न करने के लिए जिन साधनों, यन्त्रों आदि का उपयोग किया जाता है उनमें मूल्य ह्रास या घिसावट (Depreciation) होता है जिनका प्रतिस्थापन आवश्यक है। अतः कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से मूल्य ह्रास की राशि निकाल देने के पश्चात् शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बचता है। आर्थिक विकास में मूल्य-स्तर में हुए परिवर्तन के लिए समायोजित इस शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन या वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होनी चाहिए।

3. दीर्घ काल (Long period of time)—आर्थिक विकास का सम्बन्ध दीर्घकाल से है। आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में दीर्घकाल तक वृद्धि हो। आय में होने वाली अस्थायी वृद्धि को आर्थिक विकास नहीं कहा जा सकता। किसी वर्ष विशेष में यथोचित वर्षों के कारण कृषि उत्पादन में विशेष वृद्धि आदि अनुकूल परिस्थितियों के कारण राष्ट्रीय आय में होने वाली अस्थायी वृद्धि आर्थिक विकास नहीं है। इसी प्रकार व्यापार-चक्रों (Trade cycles) के कारण तेजी के काल में हुई राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी आर्थिक विकास नहीं है। आर्थिक विकास पर विचार करते समय पन्द्रह, बीस या पच्चीस वर्षों की अवधि तक राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान देना होता है।

(ख) आर्थिक विकास का अर्थ प्रति-व्यक्ति आय में वृद्धि

उपर्युक्त वरों से स्पष्ट है कि आर्थिक विकास का आशय वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि से है। किन्तु कुछ अर्थशास्त्रियों के मतानुसार आर्थिक विकास को राष्ट्रीय आय की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय के सदर्भ में परिभाषित करना चाहिए। वस्तुतः आर्थिक विकास का परिणाम जनता के जीवन-स्तर में सुधार होना चाहिए। यह सम्भव है कि राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि हो, किन्तु जनता का जीवन-स्तर ऊँचा न उठे। जनसंख्या में वृद्धि की दर अधिक होने के कारण प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर भी नहीं बढ़े या कम हो जाए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होते हुए भी देश विकासोन्मुख नहीं कहा जाएगा। जब प्रति व्यक्ति आय घटने के कारण लोगों का जीवन-स्तर गिर रहा हो तो हम यह नहीं कह सकते कि आर्थिक विकास हो रहा है। अतः आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होनी चाहिए। इस प्रकार का मत कई विकासवादी अर्थ-शास्त्रियों ने प्रकट किया है।

प्रो लेविस के अनुसार "आर्थिक वृद्धि का अभिप्राय प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि से है।"¹

प्रो विलियमसन के अनुसार "आर्थिक विकास या वृद्धि से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी देश या क्षेत्र के लोग उपलब्ध साधनों का प्रति व्यक्ति वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में स्थिर वृद्धि के लिए उपयोग करते हैं।"²

1 W. A. Lewis : The Theory of Economic Growth, p. 10

2 Williamson and Bittrick : Principles and Problems of Economic Development, p. 7.

प्रो वेरन के शब्दों में "आर्थिक विकास या वृद्धि को निश्चित समय में प्रति व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए।"

युकानन और एलिस ने भी इसी प्रकार की परिभाषा देते हुए लिखा है कि "विकास का अर्थ अर्द्ध-विकसित क्षेत्रों की वास्तविक आय की समावनाओं में वृद्धि करना है जिसमें विनियोग का उपयोग उन परिवर्तनों को प्रभावित करने और उन उत्पादक साधनों का उपयोग करने के लिए किया जाता है जो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि का वादा करते हैं।"

(ग) आर्थिक विकास सर्वांगीण विकास के रूप में

अधिकांश आधुनिक अर्थशास्त्री आर्थिक विकास की उपर्युक्त परिभाषाओं को अपूर्ण मानते हैं। वास्तव में उपरोक्त परिभाषाएँ आर्थिक प्रगति को स्पष्ट करती हैं जबकि आर्थिक विकास आर्थिक प्रगति से अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास में उपरोक्त आर्थिक प्रगति के अतिरिक्त कुछ परिवर्तन भी सम्मिलित हैं। आर्थिक विकास का आशय राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से ही नहीं है। यह सभ्य है कि प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि होने पर भी जनता का जीवन स्तर उच्च न हो क्योंकि प्रति व्यक्ति उपभोग कम हो रहा हो। जनता बड़ी हुई आय में से अधिक बचत कर रही हो या सरकार इस बड़ी हुई आय का एक बड़ा भाग स्वयं सैनिक कार्यों पर उपयोग कर रही हो। ऐसी दशा में राष्ट्रीय और व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर भी जनता का जीवन-स्तर उच्च नहीं होगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर भी सभ्य है। अधिकांश जनता निर्धन रह जाए और उसके जीवन-स्तर में कोई सुधार न हो क्योंकि बड़ी हुई आय का अधिकांश भाग विशाल निर्धन वर्ग के पास जाने की अपेक्षा सीमित धनिक वर्ग के पास चला जाए। अतः कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक विकास में धन के अधिक उत्पादन के साथ-साथ उनका न्यायोचित वितरण भी होना चाहिए। इस प्रकार कुछ विचार आर्थिक विकास के साथ कल्याण का भी सम्बन्ध जोड़ते हैं। उनके अनुसार आर्थिक विकास पर विचार करते समय न केवल इस बात पर ही ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए कि कितना उत्पादन किया जा रहा है अपितु इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि किस प्रकार उत्पादन किया जा रहा है। अतः आर्थिक विकास का आशय राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जनता के जीवन-स्तर में सुधार अर्थ-व्यवस्था की संरचना में परिवर्तन, देश का उत्पादन-शक्ति में वृद्धि, देशवासियों की मान्यताओं एवं दृष्टिकोणों में परिवर्तन तथा मानव के सर्वांगीण विकास से है। विकास को परिभाषात्मक एवं गुणात्मक दोनों पक्षों से देखा जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से संयुक्त राष्ट्रसंघ की एक रिपोर्ट में दी गई आर्थिक विकास की यह परिभाषा अत्यन्त उपयुक्त है—"विकास मानव की भौतिक आवश्यकताओं से नहीं अपितु उसके जीवन की सामाजिक दशाओं के सुधार से भी सम्बन्धित है अतः विकास न केवल आर्थिक वृद्धि ही है, किन्तु आर्थिक वृद्धि और सामाजिक, सांस्कृतिक, सम्वागत तथा आर्थिक परिवर्तनों का योग है।"

किन्तु वस्तुतः उपरोक्त परिवर्तनों को माप सकता अत्यन्त असम्भव है और जैसा कि श्री मेयर और बाल्डविन ने बतलाया है, "विक्रम की अनुकूलतम दर की व्याख्या करने के लिए हमें आय के वितरण, उत्पादन की संरचना, पसंदगिर्या, वास्तविक लागते (Real costs) एवं वास्तविक आय में वृद्धि से सम्बन्धित अन्य विविध परिवर्तनों के बारे में मूल्य-निर्णय (Value Judgments) देने होंगे।"

अतः मूल्य निर्णय से बचने एवं सरलता के लिए अधिकांश अर्थशास्त्री आर्थिक विकास का तात्पर्य जनसंख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वास्तविक आय में वृद्धि से लेते हैं।

अन्य परिभाषाएँ

श्री पाल एलबर्ट के अनुसार, 'यह (आर्थिक विकास) इसके सबसे बड़े उद्देश्य के द्वारा सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है जो वास्तविक आय में विस्तार के लिए एक देश के द्वारा अपने समस्त उत्पादन साधनों का शोषण है।'

प्रो ए जे यंगसन के अनुसार, "आर्थिक प्रगति का अर्थ आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की शक्ति में वृद्धि है।" उन्होंने वास्तविक राष्ट्रीय आय को आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की शक्ति का सूचकांक माना है।

प्रो डी ब्राइटसिंह के मत में, "आर्थिक वृद्धि का अर्थ एक देश के समाज के अविचलित स्थिति से आर्थिक उपलब्धि के उच्च स्तर में परिवर्तित होने से है।"

श्री साइमन कुजेनेस के शब्दों में, "आर्थिक विकास को मापने के लिए हम उसे या तो सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय में वृद्धि के रूप में या स्थिर कीमतों पर सम्पूर्ण जनसंख्या के उत्पादन के रूप में अथवा प्रति व्यक्ति उत्पादन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं।"

आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक उन्नति (Economic Development, Economic Growth and Economic Progress)

आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक उन्नति एवं दीर्घकालीन परिवर्तन (Secular Change) आदि बहुधा एक ही अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। किन्तु, शुम्पीटर, श्रीमती उन्गुल्ला ट्विंस आदि अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास (Economic Development) और आर्थिक वृद्धि (Economic Growth) में अन्तर किया है।

आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि

दोनों में अन्तर करने वाले अर्थशास्त्रियों का सामान्य मत है कि आर्थिक विकास का सम्बन्ध अर्द्ध-विकसित देशों की समस्याओं से है जबकि आर्थिक वृद्धि का सम्बन्ध विकसित देशों की समस्याओं से है। आर्थिक विकास का प्रयोग विकासशील देशों के लिए किया जाता है जहाँ पर अप्रयुक्त या अशोषित साधनों के शोषण की पर्याप्त सम्भावनाएँ होती हैं। इसके विपरीत आर्थिक वृद्धि का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के लिए किया जाता है जहाँ अधिकांश साधन विकसित होते हैं।

गुम्पीटर के अनुसार विकास स्थिर स्थिति (Static situation) से असतत् (Discontinuous) और स्वाभाविक (Spontaneous) परिवर्तन है जो पूर्व स्थित साम्य की स्थिति को भंग कर देता है (Displaces the equilibrium state previously existing) जबकि आर्थिक वृद्धि जनसंख्या और बचत की दर में सामान्य वृद्धि के द्वारा आने वाला क्रमिक और स्थिर परिवर्तन (A gradual and static change) है।¹ 'एवरीमेन्स डिक्मनेरी ऑफ इनागॉमिज्म' ने इन दोनों के भेद को और भी स्पष्ट रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है।

"सामान्य रूप से आर्थिक विज्ञान का आशय केवल आर्थिक वृद्धि में ही है। अधिक विशिष्टता के साथ इनका उपयोग वृद्धिमान अर्थ-व्यवस्था (Growing economy) परिमाणात्मक (Quantitative) मापों (जैसे प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि की दर आदि) का नहीं बल्कि आर्थिक सामाजिक तथा अन्य परिवर्तन का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनके कारण वृद्धि हानी है। अतः वृद्धि मापनीय (Measurable) और वस्तुगत (Objective) है। यह श्रम शक्ति, पूंजी व्यापार तथा उपभोग की मात्रा के प्रसार का वर्णन करती है और आर्थिक विकास नाम का प्रयोग आर्थिक वृद्धि अन्तर्निहित निर्धारकों (Underlying determinants) जैसे उत्पादन-तकनीक, सामाजिक दृष्टिकोण और संस्थागत परिवर्तन आदि का वर्णन करने के लिए हो सकता है। इस प्रकार के परिवर्तन आर्थिक वृद्धि को जन्म देने हैं।"

प्रो० वोन ने आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि के अन्तर को स्पष्ट करते हुए लिखा है 'विकास किसी भी प्रकार निर्देशक, नियन्त्रण और निर्देश चाहता है तथा उस अन्तर्ग्रस्त करता है ताकि विस्तार की शक्तियों को कायम रखा जा सके। यह बात लगभग सभी अविदित देशों पर लागू होती है। दूसरी ओर, आर्थिक वृद्धि की स्वभावित (Spontaneous nature of growth) मुक्त अर्थ-व्यवस्था (Free enterprise economics) का लक्षण है।'²

मंडलिन ने दोनों के भेद का बहुत ही सरल शब्दों में व्यक्त किया है। तदनुसार "आय-स्तरों को उँचा करना साधारणतया अमीर देशों में आर्थिक वृद्धि कहलाता है और गरीब देशों में आर्थिक विकास।"³

आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति

आर्थिक वृद्धि (Economic Growth) तथा आर्थिक प्रगति (Economic Development) में भी अन्तर किया जाता है। श्री एन० एम० बरेरी के अनुसार आर्थिक प्रगति का अर्थ प्रति व्यक्ति उपज (Per capita Product) में वृद्धि से है जबकि आर्थिक वृद्धि का आशय जनसंख्या और कुल वास्तविक आय दोनों में वृद्धि से है। उनके अनुसार आर्थिक वृद्धि के तीन रूप हो सकते हैं। प्रथम प्रगतिशील

1 Schumpeter The Theory of Economic Development, pp 63-66

2 Alfred Borna Studies in Economic Development, p 7

3 M. Ad. Lison Economic Progress and Policy in Developing Countries 1973

(Progressive) वृद्धि, जो तब होती है जबकि कुल आय में वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि की अपेक्षा अनुपात से अधिक होती है। द्वितीय अधोगमी वृद्धि (Regressive growth), जब जनसंख्या में वृद्धि कुल आय में वृद्धि की अपेक्षा अधिक अनुपात में होती है। तृतीय स्थिर आर्थिक वृद्धि (Stationary growth), जब दोनों में एक ही दर से वृद्धि होती है।

इतना सब होते हुए भी आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक प्रगति आदि शब्दों को अविभाज्य अर्थशास्त्री पर्यायवाची शब्द के रूप में ही प्रयुक्त करते हैं। प्रो० पाल ए० वेरन का कथन है कि, 'विकास' और 'वृद्धि' की धारणा ही कुछ ऐसे परिवर्तन का संकेत देती है जो समाप्त हुए पुराने कुछ की अपेक्षा नया है। प्रो० विलियम आर्थर लेविस ने 'वृद्धि' शब्द का उपयोग किया है किन्तु परिवर्तन के लिए यदा-कदा 'विकास' और 'प्रगति' शब्द का भी उपयोग करना उन्होंने वांछनीय मन्था है।

आर्थिक विकास की प्रकृति (Nature of Economic Growth)

आर्थिक विकास के अर्थ को विभिन्न रूप से समझ लेने के उपरान्त इसकी प्रकृति बहुत कुछ स्वतः स्पष्ट हो जाती है। हम यह जानते हैं कि प्रत्येक अर्थ-व्यवस्था जन्म (Birth), विकास (Growth) पतन (Decay) और मृत्यु (Death) की प्रक्रियाओं से गुजरती है। आर्थिक विकास इसका कोई अपवाद नहीं है। अविनाशित अथवा अद्वैत-विकसित अर्थ-व्यवस्था शनै-शनै विकास की ओर अग्रसर होती है और पूर्ण विकास की अवस्था प्राप्त करने के बाद क्रमशः पतन की ओर बढ़ती है। हाँ, आज के वैज्ञानिक युग में इस पतन की क्रिया पर अकुशल लगाना अवश्य बहुत कुछ संभव हो गया है। आज वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के कारण किसी भी राष्ट्र को पुराने होने की सजा देना भ्रूणशूल है पर ऐसे देशों को बूढ़ निकालना असम्भव नहीं है जिनकी अर्थ-व्यवस्थाएँ पुरानी हो गई हैं और अपनी अवनत अवस्था के कारण न केवल अपने देश के लिए बरन् अन्य देशों के लिए भी समस्या बनी हुई है। किन्तु इतना सब कुछ होते हुए भी यह सुनिश्चित है कि आर्थिक विकास की ओर बढ़ते रहना एक सतन् प्रक्रिया है, जो समाप्त नहीं होती। आर्थिक विकास की प्रकृति गतिशील है जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक प्रगति के अध्ययन के आधार पर दीर्घकालीन अवस्था में आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण करके महत्वपूर्ण और मूल्यवान निष्कर्ष प्राप्त करना है। आर्थिक विकास के सम्बन्ध में आर्थिक उतार चढ़ावों का अध्ययन अल्पकाल में नहीं किया जा सकता। आर्थिक विकास दीर्घकाल की देन है। आर्थिक विकास में एक देश की अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना होता है और इसके लिए आर्थिक शक्तियों में आवश्यकतानुसार फेर-बदल करते रहना पड़ता है और इन सब का अध्ययन करना पड़ता है। आर्थिक विकास की प्रकृति को समझने के लिए हमें स्थिर (Static) और गतिशील (Dynamic)—इन दो आर्थिक स्थितियों को समझ लेना चाहिए।

भौतिक-शास्त्र में स्थिर अथवा स्थिति (Static) दशा वह होती है जिसमें गति तो होती है, किन्तु परिवर्तन नहीं अथवा दूसरे शब्दों में गति का पूर्ण अभाव नहीं होता, किन्तु फिर भी गति की दर समान रहती है। यह गति एकरस रहती है अर्थात् इसमें सामयिक रूप से अचानक भटके नहीं लगते। इसमें अनिश्चितता का अभाव रहता है। कहने का अर्थ यह है कि स्थिरावस्था कोई प्रकल्पिता की अवस्था नहीं है परन्तु यह अर्थ-व्यवस्था का एक ऐसा रूप है जिसमें कार्य बिना किसी बाधा के समान गति और सरल रूप में चलता रहता है। जब अर्थशास्त्र में प्रयुक्त की गई आर्थिक मानाएँ समान होती हैं तो इसे स्थिरता की अवस्था कहा जाएगा। अर्थ-व्यवस्था इन स्थिर मानाओं की सहायता से ही प्रगति के पथ पर बढ़ती रहती है। मार्शल के कथनानुसार, 'किसी कार्यशील किन्तु अपरिवर्तित पणाली को स्थिर अवस्था का नाम दिया जाता है।'

प्रो मैकफाई ने माना था कि स्थिर अवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादन, उपभोग विनिमय तथा वितरण को नियंत्रित करते वाले साधन स्थिर होने हैं अथवा स्थिर मान लिए जाते हैं। जनसंख्या उम्र अथवा मात्रा की दृष्टि से बढ़ती ही नहीं है और यदि बढ़ती है तो उत्पादन की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है। प्रो स्टियलर (Sugler), प्रो क्लार्क (Clark) तथा प्रो टिम्बर्गन (Timbergan) आदि ने भी स्थिर अर्थशास्त्र का अर्थ स्थिर अर्थ-व्यवस्था से लिया है। क्लार्क का कहना है कि 'वह अर्थ व्यवस्था स्थिर है जिसमें जनसंख्या, पूँजी, उत्पादन प्रणाली मनुष्य की प्रावश्यकता और वैयक्तिक इच्छाओं के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता।' स्टियलर महोदय का मत था कि "स्थिर अर्थ-व्यवस्था में रवि, साधन एवं तकनीकी—इन तीनों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता।" प्रो जे के मेहता ने स्थिरता का अर्थ बताते हुए इसे ऐसी स्थिति माना है जो निश्चित समय के बाद भी उसी रूप में बनी रहती है। यदि निश्चित समय के बाद उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाए तो वह गत्यात्मक स्थिति कहलाएगी।

स्थिर अर्थशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है। इसके कई लाभ हैं। यदि इसकी सहायता न ली जाए तो परिवर्तनशील अर्थ-व्यवस्था का अध्ययन करना अत्यन्त जटिल बन जाए। आर्थिक परिवर्तनों की प्रकृति स्वमेव ही जटिलतापूर्ण होती है। गतिशील अर्थ व्यवस्था का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने में किए झोटी से झोटी स्थिर अवस्थाओं में विभाजित कर लिया जाता है। निरन्तर होने वाले परिवर्तन पर्याप्त अनिश्चितता ला देते हैं और इसलिए गतिशीलता का अध्ययन जटिल बन जाता है। इस सम्बन्ध में यह कहना उपयुक्त है कि गतिशील अर्थशास्त्र स्थिर अर्थशास्त्र पर समानार टिका है इसलिए स्थिर अर्थशास्त्र के कानून गतिशील अर्थशास्त्र पर भी लागू होने चाहिए।

स्थिर अर्थशास्त्र के विपरीत गतिशील अर्थशास्त्र परिवर्तन से सम्बन्ध रखता है। दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन स्थिर अर्थशास्त्र में नहीं किया जा सकता। गतिशील अर्थशास्त्र अर्थ-व्यवस्था में निरन्तर होने वाले परिवर्तनों,

इन परिवर्तनों की प्रक्रियाओं और परिवर्तन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारणों का अध्ययन करता है। गतिशील अर्थशास्त्र को अनेक प्रकार से परिभाषित किया गया है। रिचार्ड लिप्से (Richard Lipsay) के कथनानुसार इसमें व्यवस्था की प्रणालियाँ, वैयक्तिक बाजारों प्रथवा सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था की असंतुलित दशाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थ-व्यवस्था में प्रायः परिवर्तन होते रहते हैं। इनके फलस्वरूप असंतुलन उत्पन्न होता है। इस असंतुलन का अध्ययन गतिशील अर्थशास्त्र करता है। जे बी क्लार्क (J B Clarke) के मतानुसार गतिशील अर्थ-व्यवस्था में जनसंख्या, पूँजी, उत्पादन की प्रणालियाँ और औद्योगिक संगठन का रूप बदलता रहता है। इसमें उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं में वृद्धि होती रहती है। गतिशील विश्लेषण में इन समस्त परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है।

प्रो० विलियम आर्थर लेविस् ने 'वृद्धि' शब्द का उपयोग 1941 में अपने पुस्तक 'परिवर्तन' में किया है। हैरोड (Harod) यह मानते थे कि गतिशील अर्थशास्त्र अर्थ-व्यवस्था में निरन्तर होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण है। उनके शब्दों में "गतिशील अर्थशास्त्र विशेष रूप से निरन्तर होने वाले परिवर्तनों के प्रभावों और निश्चित किए जाने वाले मूल्यों में परिवर्तन की दरी में सम्बन्ध रखता है।"

जीवन की विभिन्न समस्याएँ गतिशील अर्थशास्त्र के अध्ययन को आवश्यक बना देती हैं क्योंकि स्थिर विश्लेषण उनके सम्बन्ध में अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होता। एक सन्तुलन बिन्दु से लेकर दूसरे सन्तुलन बिन्दु तक जो परिवर्तन हुए उनका अध्ययन स्थिर अर्थशास्त्र में नहीं कहा जा सकता। वे केवल गतिशील अर्थशास्त्र के अध्ययन द्वारा ही जाने आ सकते हैं।

वास्तव में गतिशील और स्थिर विश्लेषण दोनों की ही अपनी-अपनी सीमाएँ हैं और इन सीमाओं में रहते हुए वे अपने कार्य सम्पन्न करते हैं तथापि वास्तविकता तो यह है कि इनमें कोई भी विश्लेषण अपने आप में पूर्ण नहीं है। प्रत्येक दूसरे के बिना अधूरा है। यहाँ तक कि वह जिन कार्यों को सम्पन्न कर सकता है उन्हें भी दूसरे की सहायता के बिना सन्तोषजनक रूप से नहीं कर पाएगा। इनमें गतिशील अर्थशास्त्र अपेक्षाकृत एक नई शाखा है और इसका विकास अभी भी वृद्धित स्तर को प्राप्त नहीं कर सका है। यद्यपि अनेक विचारकों ने इसके विकास में अपना योगदान किया है, किन्तु अभी तक इसका कोई अत्यन्त सामान्य सिद्धान्त आविष्कृत नहीं हो सका है।

विकास का अर्थशास्त्र (Economics of Growth) एक गतिशील अथवा प्रावैगिक (Dynamic) अर्थशास्त्र है। आर्थिक विकास का एक चमक चक्र होता है जिसमें सदैव परिवर्तन चलते रहते हैं। एक देश की अर्थ-व्यवस्था में अनेक घटक होते हैं जिनमें समय-समय पर परिवर्तन होते ही रहते हैं और इन परिवर्तनों से आर्थिक विकास की गति तथा दिशा का भान होता है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए गतिशील अर्थ-शास्त्र का ही महारा लेना पड़ता है और इसीलिए यह कहना समीचीन है कि आर्थिक विकास की प्रकृति गतिशील है। इसका अध्ययन स्तर यथा स्मैतिक न होकर मूलतः गतिशील या प्रावैगिक होता है।

आर्थिक विकास का माप (Measurement of Economic Growth)

आर्थिक विकास का सम्बन्ध दीर्घकालीन परिवर्तनों से होता है, अतः इसकी कोई सही या निश्चित माप देना बड़ा कठिन है। आर्थिक विकास के माप के सम्बन्ध में प्राचीन और आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अपने-अपने विचार प्रकट किए हैं।

(क) प्राचीन अर्थशास्त्रियों के विचार

प्राचीन अर्थशास्त्रियों में वाणिज्यवादियों का विचार था कि देश में सोना-चाँदी के ढाँप में वृद्धि होना ही आर्थिक विकास का माप है। इसी दृष्टिकोण के आधार पर उन्होंने देश के आर्थिक विकास के लिए नियामक बढाने के सिद्धान्तों पर जोर दिया और ऐसे उपायों को पक्ष दिया जिन्हें नियमित में वृद्धि सम्भव हो। बाद में एडम स्मिथ ने विचार प्रकट किया कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होने से देश का आर्थिक विकास होता है। अतः इसी विचार के आधार पर उसने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में सरकार द्वारा स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए ताकि लोग अधिकाधिक उत्पादन कर सकें और अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर सकें जिससे लोक-कल्याण में अधिकाधिक वृद्धि हो। एडम स्मिथ के समकालीन अर्थशास्त्रियों ने भी कुछ इसी प्रकार के विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि यदि देश में उत्पादन को माना तीव्र होगी तो स्वतः ही आर्थिक विकास की गति बढेगी, अन्यथा आर्थिक विकास सम्भव नहीं हो सकेगा। इन सब अर्थशास्त्रियों के विपरीत कार्ल मार्क्स ने सहकारिता के सिद्धान्त का उल्लेख किया। उसने कहा कि पूंजीवाद को समाप्त करके साम्यवाद या समाजवाद पर चलने में ही कुशल है और तभी देश में लोक-कल्याण व आर्थिक विकास लाया जा सकता है। जे एम मिल ने स्वतन्त्र व्यापार की नीति के कुपरिणामों को दिखाकर, यह विचार प्रकट किया कि लोक-कल्याण और आर्थिक विकास के लिए सहकारिता के सिद्धान्त को महत्व देना चाहिए। उसने कहा कि सहकारिता ही आर्थिक विकास का माप है और जिस देश में जितनी अधिक सहकारिता का चलन होगा, वह देश उतना ही अधिक लोक-कल्याण और आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होगा।

(ख) आधुनिक विचारधारा

आधुनिक अर्थशास्त्र ने उत्पादन के साथ-साथ वितरण को भी आर्थिक विकास का माप माना। उन्होंने आर्थिक विकास के माप के लिए किसी एक तत्व पर नहीं बल्कि सभी आवश्यक तत्वों पर बल दिया और कहा कि इन तत्वों के सामूहिक प्रयासों के फलस्वरूप ही किसी राष्ट्र का आर्थिक विकास सम्भव हो सकता है। यदि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचारों का विश्लेषण करें तो आर्थिक विकास के मुख्य मापदण्ड ये ठहरते हैं—

1. राष्ट्रीय आय—आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास की दृष्टि से सकल राष्ट्रीय उत्पादन को न केवल शुद्ध उत्पादन को ही लिया है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन आर्थिक विकास का माप इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें मशीनों व

12 आर्थिक विकास के सिद्धान्त

उपकरणों पर होने वाली घिसाई या ह्रास की राशि को घटाने की व्यवस्था नहीं की जाती, जबकि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में ऐसा किया जाता है। इस शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की मात्रा में वृद्धि आर्थिक विकास का सूचक होती है, पर शर्त यह है कि यह वृद्धि दीर्घकालीन और निरन्तर होनी चाहिए।

2. आय का वितरण—आधुनिक विचारधारा के अनुसार आर्थिक विकास का दूसरा माप-दण्ड आय का वितरण है। राष्ट्रीय आय तो बढ़ रही हो, किन्तु उसका न्यायोचित ढंग से वितरण न हो तो उसे विकास की अवस्था नहीं कहा जा सकता। आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय आय का इस ढंग से वितरण हो कि सबको पर्याप्त आय प्राप्त हो सके। यदि बड़ी हुई राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग केवल गिने-चुने व्यक्तियों की ही शक्ति में हो तो इस स्थिति को आर्थिक विकास का सूचक नहीं माना जा सकता। इस बात की पूरी सम्भावना है कि राष्ट्रीय आय बढ़ने पर भी देश में दरिद्रता व्याप्त हो। उदाहरणार्थ भारत में नियोजन के प्रथम 15 वर्षों में राष्ट्रीय आय 9,530 करोड़ रुपये से बढ़ कर 20,010 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक पहुँच गई और इस तरह प्रति व्यक्ति आय 266 रुपये से बढ़ कर 421 रु. वार्षिक हो गई, लेकिन फिर भी अमीर अधिक अमीर और गरीब अधिक गरीब होते गए, क्योंकि बड़ी हुई राष्ट्रीय आय का न्यायोचित ढंग से वितरण नहीं हो पाया। यही स्थिति आज भी विद्यमान है।

3. गरीब जनता को अधिक लाभ—जब तक देश की गरीब जनता की आय में वृद्धि होकर उसे अधिकाधिक लाभ प्राप्त नहीं होगा तब तक उस देश की आर्थिक व्यवस्था विकसित नहीं कही जा सकती। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो और गरीब जनता को अधिकाधिक लाभ मिले।

4. सामान्य एवं वास्तविक विकास दर—आर्थिक विकास का चौथा मापक सामान्य और वास्तविक विकास की दर है। सामान्य विकास की दर वह है जिस पर प्रति वर्ष विकास सामान्यतः हुआ करता है। यह दर अनुमान पर आधारित होती है। वास्तविक दर वह है जो वास्तव में होती है। जिस देश की अर्थ-व्यवस्था में सामान्य दर और वास्तविक दर समान होनी है वहाँ आर्थिक विकास की स्थिति पाई जाती है। यदि सामान्य विकास दर वास्तविक विकास दर से कम होती है तो वह अर्थ-व्यवस्था अर्द्ध-विकसित मानी जानी चाहिए। इसी प्रकार यदि सामान्य विकास दर वास्तविक दर से अधिक होती है तो उस अर्थ-व्यवस्था को अधिक विकासशील स्थिति में माना जाना चाहिए।

5. प्रति व्यक्ति आय—राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ ही प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना भी आवश्यक है। यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि न हो तो आर्थिक विकास की स्थिति नहीं मानी जाएगी। यह सम्भव है कि राष्ट्रीय आय बढ़ने पर भी जनता की निर्धनता बढ़ती जाए। उदाहरणार्थ राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या की मात्रा में भी तेजी से वृद्धि हो रही है तो प्रति व्यक्ति आय समान रह

सकती है या कम हो सकती है और तब ऐसे राष्ट्र को आर्थिक विकास की दृष्टि में नहीं रखा जा सकता।

इस प्रकार निष्कर्ष यही निकलता है कि एक देश में आर्थिक विकास का कोई एक निश्चित माप नहीं हो सकता। प्रो. डी. आइ. सिन्हा ने लिखा है—“एक देश द्वारा प्राप्त की गई आर्थिक सम्पत्ति के स्तर का माप उस देश द्वारा प्राप्त की गई उत्पादक सम्पत्ति की मात्रा से लगाया जा सकता है। अर्थ-व्यवस्था के विकसित होने पर नए उत्पादक साधनों को खोज लिया जाता है विद्यमान साधनों का अधिक उपयोग सम्भव होता है तथा उपलब्ध राष्ट्रीय एवं मानवीय सम्पत्ति का उपयोग किया जाता है। एक देश में जितने अधिक साधन होते हैं उतनी ही अच्छी उसकी आर्थिक स्थिति होती है।”

आर्थिक विकास का महत्त्व

(Importance of Economic Growth)

पूर्व विवरण से आर्थिक विकास का महत्त्व स्वतः स्पष्ट है। आधुनिक युग में आर्थिक विकास ही एकमात्र वह है जिसके द्वारा मानव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। आर्थिक विकास के अभाव में किसी भी देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना और निर्धनता व बेरोजगारी को मिटाने के लिए आर्थिक विकास ही एकमात्र और सर्वोत्तम उपाय है। आज के भौतिकवादी युग का नारा ही आर्थिक विकास का है।

आर्थिक विकास का महत्त्व प्रत्येक क्षेत्रों में प्रकट है। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ने से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है जिससे वचत क्षमता का विकास होता है। वचत बढ़ने से पूंजी निर्माण बढ़ना है और फलस्वरूप विनियोग दर में पूर्वागामी अधिक वृद्धि हो जाती है।

आर्थिक विकास के फलस्वरूप देशों में नए नए उद्योगों का जन्म और विकास होता है। नए उद्योगों के पनपने से जनता को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। परिणामस्वरूप बेरोजगारी मिटने लगती है। इनके अतिरिक्त श्रमिकों के समुचित प्रशिक्षण, विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन, श्रम-गतिशीलता आदि को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता है। उत्पादन के विभिन्न साधनों का समुचित उपयोग होने से उत्पादन में वृद्धि होती है और राष्ट्रीय आय अधिकतम होने की सम्भावना बढ़ जाती है।

आर्थिक विकास के कारण पूंजी निर्माण और विनियोजन दर में वृद्धि होने लगती है जिससे पूंजी की गतिशीलता बढ़ जाती है और फिर भविष्य में पूंजी निर्माण और भी अधिक होने लगता है। आर्थिक विकास से देश में औद्योगीकरण प्रोत्साहित होता है। फलतः जनता की आय में वृद्धि होती है और उसकी कर दान क्षमता बढ़ जाती है। आर्थिक विकास के कारण नए-नए उद्योगों की स्थापना होने से व्यक्ति का चुनाव क्षेत्र भी अधिक व्यापक हो जाता है। उसे मन चाहे क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर मिलता है।

14 आर्थिक विकास के सिद्धान्त

आर्थिक विकास के फलस्वरूप जब व्यक्ति को रोज के अनुकूल कार्य मिलता है तो उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है जिससे देश में कुल उत्पादन प्रोत्साहित होता है। साथ ही जनता को अधिकारिक सेवाएँ और पदार्थ उपलब्ध होने लगते हैं। इसके अतिरिक्त नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से उनका मनोवैज्ञानिक भूकान मानवता की ओर आधिक होने लगता है। जब नागरिक भूखे और गये नहीं रहते तो वे अधिक दवानु और सहृदयी बन जाते हैं। आर्थिक विकास के कारण देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का कुशलता और मितव्ययितापूर्वक विरोहन सम्भव हो जाता है। छपि पर भी अन्ध प्रभाव पड़ता है। निष्क्रिय मूल्य पर छपि होने लगती है। नवीन वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग के कारण प्रति हेक्टर उत्पादन बढ़ती है।

आर्थिक विकास के कारण मनुष्य प्राकृतिक प्रकोण पर विजय प्राप्त करने में सफल होता है। तकनीकी साधनों के बल पर अल्प धर्म से ही पर्याप्त साध सामग्री और उत्पादन की अन्य वस्तुएँ प्राप्त की जाना सम्भव हो जाता है जिससे अकाल और अभाव आदि के कष्ट बहुत कम हो जाते हैं। सामाजिक सेवाओं और मनोरंजन के साधनों में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। फलस्वरूप मृत्यु-दर घटकर लोगों की औसत आयु बढ़ जाती है। आर्थिक विकास का महत्त्व सामरिक क्षेत्र में भी प्रबल होता है। औद्योगिक दृष्टि से सम्पन्न देश अपनी सामरिक व प्रतिरक्षा शक्ति को भली प्रकार सुदृढ़ बना सकता है। आर्थिक विकास के कारण देश में इस प्रकार के साधन जुटाना सम्भव हो जाता है जिनसे सामाजिक व्यवस्था को सुचारु रूप से विकसित किया जा सके।

इस प्रकार प्रकट है कि आर्थिक विकास के फलस्वरूप एक देश के सम्पूर्ण जीवन में विकास होने लगता है। आर्थिक विकास इस अर्थ में सर्वांगण विकास की कुंजी है।

आर्थिक विकास के बोध— इस अन्तर्गत कोई भी वस्तु, सिद्धान्त या विचार सर्वथा दोषमुक्त नहीं माना जा सकता और आर्थिक विकास भी इसका कोई अर्थवाद नहीं है। जहाँ आर्थिक विकास एक राष्ट्र की सर्वांगण उन्नति के लिए आवश्यक है वहाँ इसके कुछ दोष भी हैं जिनसे बचासम्भव करने रहता चाहिए। आर्थिक विकास में विशाल पैमाने पर उत्पादन की जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है और उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत शक्ति पर ध्यान नहीं दिया जाता। आर्थिक विकास के कारण मनुष्य का जीवन मजबूती हो जाता है। विभिन्न प्रकार के कारण वह अर्थ एक ही किया दोहरता है और इस प्रकार नीरमता का स्थावररूप पनपता है। पूँजी और धर्म के भगवें भी सामाजिक-आर्थिक जीवन को अक्षिप्त किए रहते हैं। पूँजीपति उद्योगों से अधिकारिक लाभ कमाने के लिए श्रमिकों का शोषण करने लगते हैं। फलस्वरूप पूँजीपतियों और श्रमिकों में विवाद उठ खड़े होते हैं जो ताला-बन्दी, हड़ताल और हिंसा का रूप ले लेते हैं। इन भगवों के कारण नवीन-कर्मों तो देश की सम्पूर्ण आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाती है।

आर्थिक विकास में एकाधिकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलना है। भौतिकवाद इतना छा जाना है कि मानवीय मूल्यों का हानि होने लगता है और नास्तिक मनोवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। आर्थिक विकास व्यक्तिवादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देता है जिससे समुक्त और ध्यापक परिवार प्रथा समाप्त होने लगती है। व्यक्ति धीरे-धीरे इनका न्यायी बन जाता है कि उसे अपने परिवार और गांव की चिन्ता नहीं रहती। ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है।

आर्थिक विकास के फलस्वरूप उद्योगों के केंद्रीकरण का भय बढ़ जाता है। महत्त्वपूर्ण उद्योग पूंजीपतियों के हाथों में केन्द्रित हो जाते हैं जिनसे प्राप्त होने वाले लाभ का अधिकांश भाग वे खुद ही हड़प जाते हैं। आर्थिक केंद्रीकरण की इन प्रवृत्तियों के कारण समाज में आर्थिक कल्याण की वृद्धि नहीं हो पाती और गरीब वस्तियों, बीमारियों आदि के दोष देश में घर कर जाते हैं।

आर्थिक विकास देश में धन के असमान वितरण के लिए भी बहुत कुछ उत्तरदायी होता है। पूंजीपति और उद्योगपति उद्योगिक क्षेत्र में छा जाते हैं। वे लाभ का बहुत बड़ा भाग स्वयं हड़प जाते हैं जबकि श्रमिकों को बहुत कम भाग मिल पाता है। फलस्वरूप आर्थिक विषमताएँ पूर्वापेक्षा बढ़ जाती हैं। इसके अतिरिक्त देश के कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। मशीनों के उपयोग के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले पैमाने के लाभ प्राप्त करने का लालच बना रहता है। लघु और कुटीर उद्योगों की ओर पूंजीपतियों की रुचि नहीं जाती। इससे अतिरिक्त इन उद्योगों की वस्तुएँ भी मँडगी होती हैं जो प्रतिस्पर्द्धा में टिक नहीं पाती।

निष्कर्षतः आर्थिक विकास के अर्थ और दुरे दोनों ही पहलू हैं। कुल मिलाकर अर्थे पहलू ही अधिक सबल और ग्राह्य है। आर्थिक विकास के अभाव में कोई देश व समाज जिन बुराइयों और अभिशापों से ग्रस्त रहता है, उगती तुलना में आर्थिक विकास की अवस्था में भाई जाने वाली बुराइयाँ बहुत कम गम्भीर और पीडाकारक हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास की बुराइयाँ ऐसी नहीं हैं जिनका कोई समाधान न हो सके। प्रयत्न करने पर इसकी अनेक बुराइयों को बहुत कम किया जा सकता है।

आर्थिक विकास की प्रमुख बाधाएँ : जेकब वाइनर तथा जेराल्ड एम० मायर के विचार

राजीव के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में जेकब वाइनर ने वर्षों पूर्व आर्थिक विकास पर एक भाषण दिया था जिसमें अग्रगण्य बानों के साथ उन्होंने आर्थिक विकास की कुछ प्रमुख बाधाओं का उल्लेख किया था। इसी प्रकार जेराल्ड एम० मायर ने वर्षों पूर्व अपने एन लेख में सीमित आर्थिक विकास की समस्या पर प्रकाश डाला था। इन विद्वानों द्वारा आर्थिक विकास की जिन बाधाओं और समस्याओं की प्रस्तुत किया गया वे बहुत कुछ अभी भी उतनी ही सत्य हैं जितने पहले थे। इन दोनों अर्थशास्त्रियों के विचारों का सारांश हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

जेकब वाइजर के विचार

जेकब वाइजर ने 'अल्प विकास' के सर्वाधिक सामान्य मापदण्डों पर विचार व्यक्त करने के उपरान्त आर्थिक विकास की कुछ प्रमुख बाधाओं को प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने 'आर्थिक विकास' शब्द का प्रयोग केवल आर्थिक प्रगति के अर्थ में ही नहीं किया है परन्तु ऐसी आर्थिक प्रगति के अर्थ में भी किया है जिसके साथ या तो प्रति व्यक्ति स्तर को बढ़ाना या वर्तमान उच्च आय स्तर को स्थापित रखना सम्बन्धित है। जेकब वाइजर ने आर्थिक विकास की जिन बाधाओं को विनाया है वे न केवल एक दूसरे से प्रभावित है वरन् एक दूसरे को प्रतिव्याप्त भी करती हैं—

(क) निम्न उत्पादित फलन—प्रथम प्रकार की बाधाओं में 'निम्न उत्पादित फलन' है। इनके लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गुरात्मक तत्व है, जो प्राकृतिक हो अथवा मानवीय, यथा—

(i) प्रतिकूल प्राकृतिक वातावरण आर्थिक विकास के मार्ग में बहुत बड़ा बाधक बन सकता है, किन्तु स्विट्जरलैण्ड का उदाहरण यह सिद्ध करता है कि प्रतिकूल प्राकृतिक वातावरण 'एक पातक पाषाण' नहीं हो सकता और मानवीय साधनों के उत्तम गुणों द्वारा इस पर काबू पाया जा सकता है।

(ii) आर्थिक जनसंख्या का 'गुण' भी बहुत महत्व रखता है। इसमें शैक्षणिक तथा रूपक मजदूर, उद्यमकर्त्ताओं तथा संगठकों का वरिष्ठ वर्ग तथा कुशल इन्जीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ आदि सब सम्मिलित हैं। वर्तमान परिदृश्यतियों में उच्च श्रेणी उत्पादित के लिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि साधारण जनता साक्षर, स्वस्थ, सुपोषित, सशक्त परिधर्मी हो। वाइजर ने लिखा है, "मुझे विश्वास है कि बहुत से देशों में यदि यह अर्थ कर ली जाए तो तेज आर्थिक विकास के लिए अन्य सब आवश्यकताएँ अपने आप और आसानी से पूरी हो जाएँगी। मुझे यह भी विश्वास है कि जहाँ यह अर्थ पूरी नहीं की गई और जहाँ इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस सीमा तक बौगिश नहीं की जाती जहाँ तक राष्ट्रीय साधन इसे सम्भव बनाते हैं, वहाँ व्यापक मरीजी और मन्द आर्थिक विकास के कारण स्पष्ट करने के लिए अन्य कारण ढूँढने की आवश्यकता नहीं। यद्यपि यह निश्चित है कि ये अन्य कारण भी वहाँ विद्यमान होंगे।" नई शिक्षा के प्रति जनसाधारण में पर्याप्त उत्साह की कमी तो पायी ही जाती है लेकिन वास्तविक कठिनाई तो "इस शिक्षा तथा इसे प्रदान करने में योग्य शिक्षकों की कमी" है। इस कमी को दूर किया जा सकता है—यदि शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्य को सीखने के लिए चुने हुए देशवासी विदेश भेजे जाएँ। "राष्ट्रीय लक्ष्य केवल कुछ आय में वृद्धि करना नहीं प्रत्युत प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना है, उसका मुख्य उद्देश्य अपने लोगों की समृद्धि है, सनस्र तत्कार की समृद्धि नहीं।"

(ख) पूँजी की दुर्लभता— इस बाधा पर वाइनर का विचार है कि—“पूँजी की दुर्लभता निरपेक्ष हो सकती है अथवा लाभदायक निवेश के अपसरों की दृष्टि से केवल सापेक्ष हो सकती है। प्रथम विश्वयुद्ध के मोड़ी दौर पहले तब समुक्तराज्य अमेरिका व्याज की उच्च दर वाला और ऋण लेने वाला देश था। परन्तु सम्भवत तब भी उसकी प्रति औद्योगिक-अर्थिक पूँजी कुछ ऐसे देशों से अधिक थी, जिनसे वह ऋण लेता था। प्रस्तुत उद्देश्यों की दृष्टि से देश के अन्दर विद्यमान प्रति व्यक्ति पूँजी की अपेक्षा देश में प्रयोग हो रही प्रति व्यक्ति पूँजी अधिक महत्त्व रखती है, क्योंकि जब पूँजी का प्रयोग करने वाला पूँजी देने वाला क्षेत्र एक ही नहीं होता, तो ऐसी पूँजी, पूँजी देने वाले देश की अपेक्षा पूँजी लेने वाले देश के आर्थिक विकास को प्रायः और कदाचित् सदा ही, अधिक प्रोत्साहित करती है। कनाडा इसका एक उचित उदाहरण है। परन्तु किसी देश की आर्थिक प्रगति पर लार्भाज और व्याज के अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों और वसूलियों के प्रभाव को भुलाया नहीं जा सकता।”

“किसी गरीब देश में आन्तरिक पूँजी संचय की गति धीमी होगा जरूरी है। आय ही बचतों का साधन है, और जहाँ प्रति व्यक्ति आय कम होगी, वहाँ प्रति व्यक्ति स्वैच्छिक बचत की वार्षिक दर भी कम होगी। परन्तु, इस विचार पर सामान्य सहमति पाई जाती है कि किसी किसी निश्चित समय पर एक निश्चित जनसंख्या में कम आय वाले वर्गों की अपेक्षा अधिक आय वाले वर्गों की आय में वार्षिक बचत की प्रतिशतता अधिक होती है, इसलिए आय का वितरण जितना अधिक असम होगा, कुल आय में से होनी वाली बचत की प्रतिशतता उतनी ही अधिक होगी। यह भी सत्य हो सकता है कि समय अनुसार जैसे-जैसे औसत आय बढ़ती जाती है, राष्ट्रीय आय में होने वाली वार्षिक बचत की प्रतिशतता भी जैसे-वैसे ही बढ़ती जाती है। परन्तु इसकी पुष्टि करने वाले आनुभविक तथ्यों का अभाव है और इस पर सन्देह होने के कुछ सैद्धान्तिक कारण हैं, परन्तु जो बात अधिक विश्वास से कही जा सकती है, यह है कि समय के साथ-साथ जैसे-जैसे औसत आय बढ़ती जाती है, वैसे वैसे प्रति व्यक्ति वार्षिक बचत की कुल मात्रा भी बढ़ती जाएगी। यह भी ध्यान में रहना चाहिए, कि प्रति व्यक्ति आय तथा धन की मात्रा जितनी अधिक होगी, उतनी ही लोगो की साक्ष अधिक होगी, और परिणामस्वरूप यदि वे चाहें तो विदेशों से प्रति व्यक्ति अधिक ऋण लेने में समर्थ होंगे। सम्पत्तिवान् व्यक्ति को अधिक और आसानी से ऋण मिल जाता है।”

वाइनर ने यहाँ सामान्य प्रवृत्तियों की ही बात की है, “और हो सकता है कि विशेष देशों तथा विशेष अवसरों पर ये प्रवृत्तियाँ सांत्वानिक अथवा विशेष अन्य कारणों से विफल हो जाएँ।”

(ग) विदेश व्यापार की परिस्थितियों से सम्बद्ध बाधाएँ—वाइनर के अनुसार तीसरे प्रकार की बाधाएँ विदेश व्यापार की परिस्थितियों से सम्बद्ध हैं। “कहा जाता है कि इन परिस्थितियों का गरीब देशों पर और उन देशों पर विशेष रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिनके निर्यात मुख्यतः मूल उत्पादन होते हैं और

जिनके आयात मुख्यतः विकसित उद्योगों वाले देशों में बने पदार्थ होते हैं।" जेकब वाइनर का विचार है कि यद्यपि पण्य-व्यापारिक स्थिति में कोई प्रतिकूल परिवर्तन अपने-आप में सदा एक अलाभकारी तत्व होता है, तथापि यह आवश्यक नहीं कि इसके कारण विदेशी व्यापार से प्राप्त होने वाला भौतिक लाभो अथवा इसकी लाभदायकता में भी प्रतिकूल परिवर्तन आए। व्यापार की मात्रा में वृद्धि अथवा निर्यातों की कीमतों की अपेक्षा उनकी वास्तविक लागतों में अधिक कमी जैसे अन्य तत्व व्यापारिक स्थिति के प्रतिकूल परिवर्तन के कारण होने वाली हानि को, न केवल पूरा कर सकते हैं, अपितु उसे लाभो में भी परिवर्तित कर सकते हैं।"

वाइनर ने आगे लिखा है—“किसी देश की व्यापारिक शर्तें इस बात पर निर्भर करती हैं कि निर्यात बाजार में वह अपने पदार्थों की विश्व माँग के मुकाबले में कितनी मात्रा प्रस्तुत करता है। किसी देश की जनसंख्या में जितनी अधिक वृद्धि होगी, शेष परिस्थितियों के समान रहने पर, उसके प्रमुख निर्यातों की वह मात्रा भी, जो वह विदेशों को बेचने के लिए प्रस्तुत करेगा, उतनी ही अधिक होगी, बशर्तें कि ये पदार्थ देशीय उपभोग के भी, प्रमुख पदार्थ नहीं, और इस कारण उसकी व्यापारिक स्थिति उतनी ही अधिक खराब होने की प्रवृत्ति रखेगी। परन्तु यह प्रवृत्ति सब देशों पर लागू होती है, चाहे वे कृषि प्रधान हों अथवा उद्योग प्रधान, और ऐसी स्थिति में दोनों प्रकार के देशों के लिए जनसंख्या की वृद्धि की दर को घटाना ही उचित उपाय होगा। किसी कृषि प्रधान देश में मण्डी की अनुकूल परिस्थितियाँ होने पर, जनसंख्या की तीव्रगति से वृद्धि, जिसके साथ-साथ उसके कृषि पदार्थों के लिए माँग सानुपात न बढ़े, अपने-आप ऐसी शक्तियों को क्रियान्वित करेगी जिनसे देश के उद्योगीकरण की प्रवृत्ति बढ जाएगी, क्योंकि इससे कृषि उत्पादन के लाभ कम हो जाएँगे।”

वाइनर की दृष्टि में “किसी अल्पविकसित देश को विदेशी व्यापार के क्षेत्र में उपलब्ध अवसर उसकी आर्थिक प्रगति की दर निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है।”

“सामान्यतः किसी भी व्यक्तिगत देश के वश में यह निर्णय नहीं है, कि विदेशी बाजारों में उसके निर्यातों का क्या होगा। न ही वे शर्तें उसके वश में होती हैं जिनके अनुसार वह अपने आयात प्राप्त कर सकता है। जिन बात पर उसका पूरा नियन्त्रण होता है, वह यह है कि कृत्रिम रोकों द्वारा वह उस सीमा का निर्धारण कर सकता है, जहाँ तक आयातों के प्रवेश को रोका जा सकता है। परन्तु कोई ऐसा अल्पविकसित देश नहीं है, जिसके विदेशी व्यापार के बन्धनों को हटाने अथवा कम करने के लिए बहुत दौब न लगाने पड़ते हों।”

(घ) जनसंख्या-वृद्धि की तीव्र गति से सम्बद्ध बाधाएँ—वाइनर के अनुसार आर्थिक विकास की चौथी और अन्तिम प्रकार की बाधाएँ जनसंख्या की वृद्धि की तीव्र गति से सम्बद्ध है। “उच्च स्तर की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने तथा व्यापक मरीची को हटा कर आर्थिक समृद्धि के मार्ग में यह एक बहुत बड़ी बाधा है। सभी

गरीब देशों के ऊपर जनसंख्या की वृद्धि डरावने वाले वादलों की तरह मँडराती है। यह आर्थिक समृद्धि के लिए जेप सब वारकों के योगदान को विभ्रल कर सकती है। तकनीकी ज्ञान की प्रगति, नए प्राकृतिक साधनों की खोज, विदेशों से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता, तथा विदेशी व्यापार के प्रतिबन्धों के निवारण के फलस्वरूप मुलभ होने वाले आर्थिक प्रगति के अवसर, चाहे कितने भी क्यों न हों उन सबका प्रमुख परिणाम केवल ऐसे बच्चों की संख्या में वृद्धि मात्र हो सकता है जो एक अत्यायु और दुखी जीवन बिताने को बचे रहते हैं। जनसंख्या की वृद्धि आर्थिक प्रगति को कम कर सकती है, और कुछ परिस्थितियों में यह आर्थिक बर्तमान में भागीदारों की संख्या बढ़ाकर इस आर्थिक बर्तमान को बड़ा भी सकती है। यह तभी हो सकता है जब जनसंख्या की वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का परिणाम हो। जो बढ़िया पौष्टिकता, बढ़िया शिक्षा, बढ़िया सफाई सुविधाओं द्वारा अधिकाधिक बच्चों को एक स्वस्थ तथा क्रियाशील बचक जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। यह बहुत ही हानिकारक होगा, यदि जनसंख्या की वृद्धि मुख्यतः आधुनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य की तकनीकों के प्रयोग का परिणाम हो, जिनके कारण बाद की आयु अवस्थाओं में स्वास्थ्य रक्षाओं के सुधार तथा उत्पादन रोजगार के अवसरों के विस्तार की दर की अपेक्षा शिशु मृत्यु दर अधिक तीव्र गति से घटती है।”

“सबसे निराशाजनक विषय यह है कि जनसंख्यावृद्धि की समस्या के कोई सरल तथा निश्चित उपचार उपलब्ध नहीं हैं, और सन्तति विरोध का उपाय, जो बहुत से समान-बैज्ञानिकों की दृष्टि से एक मात्र प्रभावशाली उपाय है, समन्वय और प्रभावी ढंग से प्रयुक्त होने के लिए काफी उच्च स्तर की शिक्षा और आय की मांग करता है।

जेराल्ड एम मायर के विचार

जेराल्ड एम मायर की मान्यता है कि ‘किसी देश का सामाजिक तथा राजनीतिक परिवेष्ट विकास के अनुकूल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ आर्थिक तथा सामाजिक प्रवृत्तियाँ अन्य प्रवृत्तियों की अपेक्षा विकास के लिए अधिक अनुकूल होती हैं, और विकास सम्बन्धी साहित्य भी इन समस्या के राजनीतिक तथा सामाजिक पक्षों पर प्रायः जोर देता है।’ मायर ने ‘विकास में सम्भावित बाधाओं’ को अपने लेख में निम्न प्रकार चिनाया है—

(अ) विकास सम्बन्धी सामाजिक तथा राजनीतिक अपेक्षताओं का अभाव—
‘आर्थिक प्रगति नहीं होगी जब तक वातावरण अनुकूल न हो। देश की जनता में गति की अपेक्षा होनी चाहिए, और उनकी सामाजिक, आर्थिक, कानूनी तथा राजनीतिक तत्वाएँ इसके अनुकूल होनी चाहिए।’ जेराल्ड मायर का विचार है कि ‘छ क्षत्रों के अर्थविकास के लिए वहाँ “विकास सम्बन्धी तथा राजनीतिक अपेक्षताओं का अभाव” उत्तरदायी है। अर्थ-समानता समस्याओं का प्रतिबन्धपूर्ण

स्वभाव, शक्तिहीन शासन, सामाजिक विधान का अभाव, प्रोत्साहनों का अभाव, अपर्याप्त शिक्षा और कमजोर स्वास्थ्य, ये सब इस बात के साक्षी हैं। वस्तुतः यह बहुत-कुछ सत्य है कि कोई देश आर्थिक रूप से इसलिए पिछड़ा रहता है क्योंकि वह राजनीतिक, सामाजिक तथा भौतिक रूप से पिछड़ा होता है। इस समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से आगे बढ़कर यदि शुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से सोचा जाए तो अल्प विकास को समस्या का एक सर्वसाधारण उत्तर साधनों का अभाव तथा जनसंख्यातिरेक है। यदि किसी देश में प्रयोग करने योग्य प्राकृतिक साधन नहीं होंगे तो विकास की सम्भावना स्वाभाविक तौर पर नहीं होगी। प्रति व्यक्ति साधनों की वर्तमान अल्पमात्रा या तो साधनों की समाप्ति का परिणाम होती है या जनसंख्या की वृद्धि में ऐसी तीव्र गति है जिसके कारण उपलब्ध साधनों पर जनसंख्यातिरेक का दबाव पड़ रहा है। “किसी पिछड़े हुए देश में स्थिरता सिद्धान्त के विपरीत जनसंख्या की वृद्धि ऐसे अथवा नवीन कार्यों को प्रोत्साहित नहीं करती जिनसे पूंजी प्रयोग का विस्तार हो। इसकी जगह, यह पूंजी संचय को दर कम करती है, निस्सारक उद्योगों में लागतों को बढ़ा देती है, छिपी हुई बेरोजगारी की मात्रा को बढ़ा देती है, और एक बड़ी सीमा तक यह पूंजी निवेश की दिशा को इस प्रकार बदल देती है कि यह ऐसे बच्चों के पालन-पोषण में खर्च हो जाती है, जो उत्पादक अवस्था को प्राप्त होने से पहले ही मर जाते हैं। मक्षेप में, साधन पूंजी-निर्माण में नहीं प्रत्युत् जनसंख्या-निर्माण में खप जाते हैं।”

(ब) बाजार सम्बन्धी अपूर्णताएँ—अल्पविकास की समस्या का उत्तर जनसंख्यातिरेक ही नहीं है, अन्य बाधाएँ भी विशेष महत्वपूर्ण हैं, और इनमें एक है बाजार सम्बन्धी अपूर्णताएँ। जेराल्ड मायर का कथन है कि—

“यदि हम अल्पविकसित देश के सम्बन्ध में उत्पादन-सीमा सम्भावना वक्र या ह्युपान्तरण वक्र की सकल्पना कर सकते हों, तो हम यह कह सकते हैं कि वास्तविक उत्पादन-सीमा उस अधिकतम सम्भव सीमा के बहुत अन्दर रही है, जहाँ साधनों के इष्टतम विनियोजन द्वारा पहुँचा जा सकता था। जिन उत्पादन फलनों का वास्तव में प्रयोग किया गया है वे बहुत ही ‘घटिया’ अथवा ‘कूट’ उत्पादन फलन रहे हैं। बहुत-सी मण्डियों सम्बन्धी अपूर्णताओं को ऐसी सूची में रखा जा सकता है जिनके कारण साधनों का इष्टतम विनियोजन नहीं हो सका है और इस कारण वास्तविक उत्पादन-सीमा बढ़कर अधिकतम सम्भव सीमा से मिल नहीं पायी है। जिन अपूर्णताओं का अधिकतम बार उदाहरण दिया जाता है, वे हैं अपूर्ण ज्ञान, अपूर्ण गतिशीलता, साधनों की अपूर्ण विशिष्टता तथा साधनों की अपूर्ण विभाज्यता। सम्भाव्य साधनों का अज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान की अनभिज्ञता अपूर्ण ज्ञान की दो अभिव्यक्तियाँ थीं। विश्व बाजार को तो छोड़ ही दीजिए, देशीय बाजार की परिस्थितियों का अज्ञान इसका एक अन्य उदाहरण है। रूढ़ि तथा पद के बन्धनों के कारण देशीय श्रम भौगोलिक तथा व्यावसायिक दोनों दृष्टियों से गतिहीन रहता है। इस गतिहीनता को दूर करने के लिए उच्चतर आर्थिक प्रतिफल भी प्रभावी नहीं होते।”

“अल्प विकसित अर्थ-व्यवस्था की अपूर्णताओं को भुठनाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें आवश्यकता से अधिक महत्व मिल जाएगा यदि हम केवल यह कहें कि विकास की समस्या केवल यह है कि “साधनों के इष्टतम विनियोजन द्वारा वास्तविक उत्पादन सीमा को बढ़ाकर अधिकतम सम्भव सीमा के साथ मिला देने के लिए इन बाधाओं को दूर किया जाए।” मायर का खिलना है कि—“इस बात पर प्रबल सन्देह हो सकते हैं कि क्या साधनों के इष्टतम विनियोजन की उपलब्धि, जहाँ तक यह सीमान्त शक्तों की पूर्ति पर निर्भर है, एक प्रत्यविकसित देश के लिए कोई विशेष सम्बन्ध रखती है। उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि प्राप्त करने के लिए ‘सीमान्त शक्तों की अपेक्षा’ कुल शक्तों की पूर्ति अधिक आवश्यक है। ‘अर्थ-व्यवस्था की उत्पादन-कुशलता’ बढ़ाने की अपेक्षा यह बात अधिक महत्व रखती है कि क्या उत्पादन सामर्थ्य का निर्माण करना चाहिए अथवा इनका नाश करना चाहिए—क्या किसी पदार्थ का उत्पादन अथवा उपभोग आरम्भ या त्याग करके कुल उत्पादन बढ़ाया नहीं जा सकता? किसी नए पदार्थ के उत्पादन अथवा रैकवे के आरम्भ करने की क्रिया को, जो प्रदेश की कुल उत्पादन मरचना को बदल सकती है, सीमान्त समजन का नाम नहीं दिया जा सकता। सीमान्त परिवर्तनों के समत बनने से पहले कई केवल एक बार होने वाले सरचनात्मक परिवर्तन तथा एवं विस्तृत सीमा पर एक ही समय पर विनिरित होन वाले, और एकदम अधिक मात्रा में किए जाने वाले निवेश का होना आवश्यक है ताकि निवेशों का प्रयोग कुल सामर्थ्य तक हा सके।”

“इसलिए पिछड़े हुए देशों में निम्न उत्पादन का वास्तविक कारण सीमान्त शक्तों की अपूर्ति को बजाय इन बड़े-बड़े परिवर्तनों का अभाव बताया जा सकता है। वास्तविक निम्न उत्पादन सीमा को आगे बढ़ाकर उच्चतम सीमा के साथ मिलाने के लिए सीमान्त समजन का सहारा लेना मृगतृप्णा सिद्ध होगी। यदि निराधार रूप में यह मान भी लिया जाए कि इस मनोरथ में सफलता प्राप्त की जा सकती है, तो भी इससे उत्पादन में इतनी वृद्धि नहीं हा सकती जितनी कि कुल शक्तों की पूर्ति से उत्पन्न होने वाले बड़े-बड़े परिवर्तनों से सम्भव हो सकती है। जहाँ तक उत्पादन में वृद्धि का सम्बन्ध है न केवल तेज निवेश के लिए, अपितु जनसंख्या वृद्धि की अपेक्षा उत्पादन वृद्धि को अधिक करने के लिए और इस प्रकार प्रति व्यक्ति पूँजी बढ़ाने के लिए भी निवल पूँजी निर्माण की आधारभूत शक्त के मुकाबले में सीमान्त समजनो का महत्व गौण रहा है।”

‘किन्तु कुल शक्तों के उपयुक्त महत्व पर जोर देने, तथा इस दृष्टिकोण के महत्त्व को कि सीमान्त परिवर्तनों से विकास किया जा सकता है, न्यूनतम बताने का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि बाजार सम्बन्धी अपूर्णताओं तथा बाधाओं का नितान्त कोई महत्त्व नहीं रहा है। इसके विपरीत, उनका बहुत महत्त्व है, न केवल इनीलिए कि उनके कारण सीमान्त समजन सीमित रहा है, प्रत्युत् इस कारण भी कि ये कुछ शक्तों की पूर्ति के मार्ग में बाधा बन कर खड़ी रही हैं और इस प्रकार

अल्पविकसित अर्थ-व्यवस्था के निर्यात क्षेत्रों में होने वाले विकास की शेष अर्थ-व्यवस्था में सब और फैलने से रोकती रही हैं।”

(स) 'कुचक्र'—अल्प विकास के एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार “एक पिछड़ी अर्थ-व्यवस्था इसलिए पिछड़ी रहती है, क्योंकि इसका कुल उत्पादन इतना कम होता है, और आरक्षण भण्डार इतने नगण्य होते हैं कि उपभोग सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् पूँजी सचय के लिए बहुत ही कम भाग शेष रह पाता है। इसके फलस्वरूप उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि नहीं हो सकती। अपनी चरम सीमा पर ऐसी अर्थ-व्यवस्था एक निर्वाह अर्थ-व्यवस्था ही रह पाती है।” अनेक प्रकार की परिस्थितियों के संयोग के कारण पूँजी सचय परिसीमित रह सकता है, यथा-सम्भाव्य साधनों का पर्याप्त ज्ञान न होना, साधनों का ज्ञान ही भी तो आवश्यक सहयोगी साधनों की कमी, जैसे पूँजी तथा उद्यमकर्त्ताओं का अभाव, औद्योगिक तकनीकों के ज्ञान का अभाव, प्रशासन तथा संगठन सम्बन्धी कौशल का अभाव आदि। उत्पादन अथवा प्रधान अथवा भू-प्रधान होने से अल्प-विकास की स्थितियों को बल देता है। सीमित पूँजी, गोदामों की मुविधा का अभाव, अपर्याप्त नवदी आरक्षण, मीमित बाजार आदि अन्य अनेक छोटे मोटे कारण पिछड़ी अर्थ-व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते हैं। सरकार की राजकोषीय तथा मांड्रिक नीतियाँ यदि समुचित रूप से परिष्कृत नहीं होती तो भी बचत की बचतों द्वारा आन्तरिक विकास सम्भव नहीं हो पाता। मायर के विचारानुसार “जहाँ तक विकास का सम्बन्ध है, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विपरीत परिणाम सम्भव हो सकते हैं—कुछ अवस्थाओं में इनके कारण विकास को प्रोत्साहन मिल सकता है और अन्य अवस्थाओं में इनसे विकास सीमित रह सकता है।”

(द) विदेशी निवेश के प्रभाव—विदेशी ऋणों की आवश्यकता से यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि विकास की समस्या केवल एक वित्तीय समस्या है जिसे केवल विदेशी निवेश उपलब्ध होने पर ही सुलभता जा सकता है। कई देशों ने, जिन्होंने प्रथम महायुद्ध के पूर्व काल में भारी मात्रा में ब्रिटिश पूँजी अन्तर्वाह की मात्रा और विकास की मात्रा में कोई स्पष्ट पारस्परिक सम्बन्ध नहीं था। विकास को निश्चित बनाने के लिए केवल विदेशी पूँजी की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। विदेशी निवेश के प्रभाव इन बातों पर महत्त्वपूर्ण होते हैं—विदेशी निवेश की दिशा, इसके साथ आने वाले आर्थिक संगठन का प्रभाव तथा इसके आय-प्रभाव। हो सकता है कि विदेशी निवेशकर्त्ता अल्पविकसित देश के देशीय बाजार के अवसरों से आकर्षित न हुआ हो वरन् वह इसके नियंत्रण उद्योगों से अधिक लाभों की प्रत्याशा तथा विदेशी मुद्रा कमाने की सम्भावनाओं से आकर्षित हुआ हो।

जेराल्ड मायर ने विदेशी निवेश के एक परम्परागत सिद्धान्त को अल्पविकसित अर्थ-व्यवस्था के प्रसंग में अमान्य ठहराया है। उनका लिखना है कि—“विदेशी निवेश के परम्परागत सिद्धान्त के अनुसार, जब पूँजी उन क्षेत्रों से जहाँ इसकी सापेक्ष बहुलता होती है और इसका मीमान्त उत्पादन होता है, ऐसे क्षेत्रों की ओर प्रवाहित

होती है जहाँ यह सापेक्ष दुर्लभ होती है और इसका सीमान्त उत्पादन सापेक्ष अधिक होता है, तो इस प्रवाह से विश्व-अर्थव्यवस्था में साधनों का इष्टतम वितरण सम्भव होता है, और इसके परिणामस्वरूप समुक्त राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। परन्तु यह निष्कर्ष एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण की स्वीकृति अर्थात् इस अन्तर्निहित पूर्व-धारणा पर आधारित है कि व्यक्तिगत सीमान्त निवल उत्पादन तथा समाष्टित सीमान्त निवल उत्पादन बराबर होते हैं, और यह इस बात पर भी आधारित है कि अन्य बातें स्थिर रहे। विशेषतः व्यापार स्थिति में कोई परिवर्तन न हो। यदि इस समस्या पर केवल अल्पविकसित देश के दृष्टिकोण से विचार किया जाए, अथवा यह स्वीकार किया जाए, कि समाष्टित तथा व्यक्तिगत प्रतिफलों में अन्तर हो सकता है (विशेषकर बाहरी आर्थिक व्यवस्थाओं के प्रसंग में), अथवा अन्य बातें स्थिर रहे की बातें हटा दी जाए, तो परम्परागत निष्कर्ष का खण्डन हो सकता है। जहाँ एक विकास का सम्बन्ध है, हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि एक अल्प विकसित देश के लिए विदेशी निवेश के बिल्कुल न होने की जगह इसका कुछ भाग में होना अच्छा है, परन्तु व्यक्तिगत लाभ की प्रत्याशाओं द्वारा निदेशित निवेश आवश्यक रूप से उत्तम दिशा में नहीं होता।"

तथापि, विदेशी ऋणों का एक बड़ा परिणाम यह हुआ है कि इनके कारण ऋणकर्ता देशों के निर्यातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह वृद्धि दीर्घकालीन दृष्टि से प्रभावपूर्ण है। तुलनात्मक लाभों के आधारभूत अन्तर का निरन्तर बने रहना और उन्नत देशों की कच्चे पदार्थों के लिए निरपेक्ष माँग का बराबर विद्यमान रहना ही इस बात के मुख्य कारण रहे हैं कि पिछड़े देशों के निर्यातों में वृद्धि हुई है। अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति अधिक होने के साथ ही विदेशी-मुख्य आय-स्वखन भी अधिक पाया जाता है जिसके कारण 'गुणक-विपाक' लीए हो जाता है। इसी प्रकार एक उन्नत देश की तुलना में अल्प-विकसित देश में 'स्वराज-विपाक' होते हैं।

यह भी कहा जा सकता है कि दीर्घकाल में पिछड़े देश में आय का वितरण मुनाफो तथा अधिशेषों के अनुकूल होने की प्रवृत्ति रखता है क्योंकि जब भी कार्य-स्तर बढ़ता है, प्रायः एक बड़ी सख्या में विचोलिए व्यापारी पैदा हो जाते हैं, जो चिरकालिक स्फीति की परिस्थितियों का लाभ उठा लेते हैं, भूमि की माँग बढ़ जाती है और सौदा करने की योग्यता न रखने वाले अकुशल मजदूरों की अधिकता होने के कारण नकद मजदूरी समुदाय नहीं बढ़ पाती है। यह माना जा सकता है कि व्यापारियों और जमींदारों की सीमान्त-आयात-प्रवृत्ति अन्य वर्गों की अपेक्षा अधिक होती है, अतः इस कारण भी कुल समुदाय की सीमान्त-आयात-प्रवृत्ति आम के बढ़ने के साथ-साथ बढ़ती जाती है। इन सब तत्वों के मिलने से प्रायः ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि निर्यातों के विस्तार से होने वाली आय वास्तव में आयातों पर व्यय हो जाती है, और निर्यातों की ऊर्ध्वमुख्य उपलब्धि का देशीय बाजार के लिए होने वाले उत्पादन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता।

प्रकट है कि अप्रपूरणताओं, कुचक्र तथा विदेशीयमूल आय रखलत के कारण उत्पन्न होने वाली बाधाओं ने इतिहास में विकास को परिसीमित बनाया है। पिछले कुछ अर्से से ये बाधाएँ धीरे-धीरे खण्डित हो रही हैं और पिछड़ी अर्थ-व्यवस्थाएँ पूर्वपिक्षा अधिक तीव्र गति से विकासोन्मुख हैं।

आर्थिक विकास के मॉडल : उनका महत्त्व (Models of Economic Development and Growth : Their Importance)

अर्थशास्त्र में मॉडल प्रस्तुत करने का रिवाज 1939 के बाद, जबकि प्रो० हरोड की पुस्तक (Towards Dynamic Economics) प्रकाशित हुई, चला और आज तो 'मॉडल-युग' की बात की जाती है। अधिकांश विकास-मॉडल विकसित देशों के सन्दर्भ में हैं, पर विकासशील देश भी मॉडल बनाने में पिछड़े नहीं रहना चाहते। भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ आम जनता के सामने ही सरल रूप में प्रस्तुत की जाती हैं, किन्तु योजना आयोग मॉडल बनाकर काम करता है अर्थात् अपनी योजनाओं के लक्ष्य और नीतियों के सम्भावित परिणामों को गणित सूत्रों में जाँच लेता है। प्रो० जे० के० मेहता ने ठीक ही लिखा है—“आज हम सभी मॉडल बनाने वाले होते जा रहे हैं।” (We are all becoming model builders to-day) प्रो० हेवरलर ने मॉडलों के प्रचलन के महत्त्व और उसकी व्यापकता को इन शब्दों में दर्शाया है, “एक देश और यहाँ तक कि सम्पूर्ण विश्व के बारे में पूर्णतः गणित की भाषा में व्यक्त मॉडल (जिनमें अचल राशियों को स्पष्ट सख्या दे दी जाती है) अर्थशास्त्रियों द्वारा उसी तरह प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिस तरह मोटरों के कारखानों से मोटरें निकल रही हैं।”

'सिद्धान्त' और 'मॉडल' में अन्तर है। 'सिद्धान्त' को भाषा में सरल रूप में व्यक्त किया जाता है और उन्हे वर्णनात्मक प्रस्तुत करके विश्लेषित किया जा सकता है जबकि 'मॉडल' में कतिपय चल-राशियों अथवा आर्थिक परिवर्तनों के परिणाम जाँचे जाते हैं। राजनीतिज्ञ नियोजन के लक्ष्य प्रस्तुत कर देते हैं और तब अर्थशास्त्री मॉडल बना कर यह दखते हैं कि उन लक्ष्यों को कम-से-कम व्यय पर किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। मॉडल हमें यह बतलाता है कि कौनसी शर्तों को पूरा करने पर और क्या-क्या करने पर कौन से परिणाम सम्भावित हैं।

'मॉडल' को अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है—

किन्डलबेर्गर के अनुसार, “एक आर्थिक मॉडल विभिन्न परिवर्तनशील आर्थिक तत्वों और घटकों के बीच सहसम्बन्धों (Relationships among Economic Variables) की व्याख्या करता है। इसका उद्देश्य प्रमुख तत्वों (Critical Variables) में कारण और परिणाम सम्बन्ध बताना है। मॉडल के अध्ययन से अर्थव्यवस्था की गति का अध्ययन किया जा सकता है। बहुधा इस बात को सरलता और शीघ्रता से समझने के लिए हम बहुत-सी जटिलताओं को निकाल देने हैं अर्थात् कुछ मूल मान्यताओं के आधार पर अध्ययन करते हैं। मॉडल गण

(Prose) में, या रेखा गणितीय रूप में या अंक गणित की भाषा में (In geometric form, or in mathematics) व्यक्त किए जा सकते हैं। मॉडल की विशेषता यह होती है कि हम प्राथमिक तत्वों और घटकों के सहसम्बन्धों को सांख्यिकी द्वारा माप सकते हैं।”

प्रो० जे० के० मेहता के अनुसार “मॉडल बनाने से पूर्व हम कुछ ऐसी मान्यताएँ लेते हैं जिनके आधार पर अर्थ-व्यवस्था चलती है। फिर हम उन मान्यताओं पर आधारित सह-सम्बन्धों को गणित के सूत्रों में ढाल देते हैं। तब इन सह-सम्बन्धों के आधार पर एक साथ समीकरण बनाए और हल किए जाते हैं। तत्पश्चात् इन गणित के सह-सम्बन्धों के समीकरणों से प्राथमिक सम्बन्धों का निष्कर्ष रूपी विश्लेषण हो जाता है।”

प्रो० मीयर ने लिखा है, “एक प्राथमिक मॉडल किसी भी प्राथमिक इकाई (चाहे वह एक घर हो, या एक उद्योग हो, या राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था हो) का संचालित करने वाले संगठित सह-सम्बन्धों को बतलाना है। हम अपने प्राथमिक सम्बन्धों का वर्णन प्रायः करते ही रहते हैं, लेकिन जब हम इन सम्बन्धों को गणित के शब्दों में व्यक्त करते हैं तो वे स्पष्ट या सुव्यक्त मॉडल (Explicit Model) होते हैं, अन्यथा शब्दों के माध्यम से विश्लेषण को हम उल्लिखित मॉडल (Implicit Model) कहते हैं।”

प्राथमिक मॉडल हम अपने प्राथमिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के रास्ते बतलाते हैं। गुनार मिरडल ने शब्दों में ‘मॉडल द्वारा उन चीजों को सुव्यक्त रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है जो प्रायः अस्पष्ट और परस्पर विरोधी रहती हैं। मॉडल से हमारे विन्तन में निष्कार आता है और हम बहुत सी उबली तथा धुंधली बातों में बच जाते हैं।”

मॉडलों की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भरता करती है कि हम जिन मान्यताओं को लेकर चले हैं वे कहीं तक वास्तविकता हैं। यदि हमारी मान्यताएँ अवास्तविक अथवा मनमानी हैं तो मॉडल भलत होंगे। मॉडल विभिन्न मान्यताओं के आधार पर कई प्राथमिक राशियों को स्थिर मान लेते हैं ताकि चल राशियाँ, जो समीकरण में शामिल की जानी हैं, कम से कम रहे। मॉडल बनाने से पूर्व हम जो मान्यताएँ मानते हैं, वे प्रायः इस प्रकार की होती हैं—(1) देश में पूँजी की कमी नहीं है, (2) देश में श्रम-शक्ति, साधन और तकनीक तथा पूँजी वृद्धिमान मात्रा में उपलब्ध है, (3) श्रम पूर्ण स्थिर है, (4) उत्पादन और उत्पादकता बढ़ रही है, (5) लाभ-दर स्थिर है, (6) दीर्घकालीन पूँजी निपज अनुपात स्थिर है, (7) राज्य की मौद्रिक तथा राजकोपीय नीतियाँ तटस्थ हैं, (8) गैर प्राथमिक तत्त्व विकास में बाधक नहीं हैं, (9) वास्तविक मजदूरी उत्पादकता-वृद्धि के साथ बढ़ रही है, आदि।

विकास मॉडलों से हमें पता चलता है कि विभिन्न विकास घटकों के बीच क्या सह-सम्बन्ध हैं, अथवा क्या सह-सम्बन्ध होने चाहिए। उनसे हमें यह भी ज्ञात होता है कि विकास-लक्ष्यों को प्राप्त करने का सुगम मार्ग क्या है। यदि हम मॉडल

के घटकों के सह-सम्बन्धों के परिवर्तन की मात्रा का अनुमान लगा सके तो हम आवश्यक सुधार भी कर सकते हैं।

मॉडल विभिन्न प्रकार के होते हैं—यथा—अल्पकालीन और दीर्घकालीन मॉडल, वृहद प्राचैतिक आर्थिक विकास (Macro-dynamic Economic Growth Models), विश्लेषणात्मक, गणितीय तथा ऐकोनोमेट्रिक मॉडल (Descriptive, Mathematical and Econometric Models), लाइनियर तथा नॉन-लाइनियर मॉडल (Linear and Non-linear Models), बन्द एव खुले मॉडल (Closed and Open Models) आदि। नियोजन एव विकास में तीन प्रकार के मॉडल मुख्य रूप से बनाए जाते हैं—समष्टि मॉडल (Aggregate Models), क्षेत्रीय मॉडल (Sector Models) एवं अन्तर-उद्योग मॉडल (Inter-Industry Models)। समष्टि या एकाग्र मॉडल सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था के लिए एक ही होते हैं। इनमें उत्पादन, उपभोग और विनियोजन को एकाग्र इकाई के रूप में लिया जाता है और सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दरों का अनुमान लगाया जाता है। इन वृद्धि दरों को प्रभावित करने वाले तत्वों और विकास के सम्भावित पथों को अंका जाता है। क्षेत्रीय मॉडल अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में बनाए जाते हैं, उदाहरणार्थ उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों—कृषि, उद्योग, यातायात आदि के बारे में। क्षेत्रीय मॉडल समष्टि अथवा एकाग्र मॉडलों के सघु रूप होते हैं और इन्हीं के जोड़ से समष्टि मॉडल बनाए जाते हैं। अन्तर-उद्योग मॉडलों से अर्थ-व्यवस्था से अन्तर-क्षेत्रीय प्रभावों का अध्ययन किया जाता है।

विकास मॉडलों की अपनी सीमाएँ हैं। अत्यधिक साहसी अथवा काल्पनिक मान्यताओं पर आधारित मॉडल प्रायः गलत परिणाम देते हैं।

अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की विशेषताएँ

(CHARACTERISTICS OF UNDER-DEVELOPED ECONOMIES)

‘एक अर्द्ध-विकसित देश अफ्रीका के जिर्जाफ की तरह है जिसका बर्णन करना कठिन है, किन्तु जब हम उसे देखते हैं तो समझ जाते हैं।’

—सिंगर

आधुनिक आर्थिक साहित्य में विश्व की अर्थ-व्यवस्थाओं को विकसित और अर्द्ध विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में वर्गीकरण करने का चलन-सा हो गया है। पूर्व प्रचलित शब्द अर्थात् ‘पिछड़े हुए’ (Backward) और ‘उन्नत’ (Advanced) के स्थान पर अर्द्ध-विकसित एवं विकसित शब्दों का प्रयोग श्रेष्ठ समझा जाने लगा है। ‘पिछड़े हुए’ शब्द की अपेक्षा ‘अर्द्ध विकसित’ शब्द वास्तव में अच्छे भी हैं, क्योंकि इसमें विकास की सम्भावना पर बल दिया गया है।

अर्थ व्यवस्था का विकास एक अत्यन्त जटिल प्रक्रिया है। यह अनेक प्रकार के भौतिक और मानवीय घटना के अन्तर्सम्बन्धों एवं व्यवहारों का परिणाम होता है। इसीलिए विकसित या अल्प-विकसित अथवा अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं का अन्तर स्पष्ट करना और उनके लक्षणों को सर्वमान्य रूप में ढूँढ पाना बहुत कठिन है।

विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं अथवा देशों के ज्ञान और परिभाषा के सम्बन्ध में प्रायः इतनी कठिनाई पैदा नहीं होती जितनी अर्द्ध-विकसित या अल्प विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में। विकास के अर्थ-शास्त्र में अर्द्ध-विकसित व्यवस्था की कोई ऐसी परिभाषा देना जिसमें इसके सब आवश्यक तत्त्व शामिल किए गए हों, अत्यन्त कठिन है। एच डब्लू सिंगर (H W Singer) का मत है कि अर्द्ध-विकसित देश की परिभाषा का कोई भी प्रयास समय और श्रम का अपव्यय है क्योंकि “एक अर्द्ध विकसित देश अफ्रीका के जिर्जाफ की भाँति है जिसका बर्णन करना कठिन है, लेकिन जब हम उसे देखते हैं तो समझ जाते हैं।”

वस्तुतः अर्द्ध-विकसित अवस्था एक तुलनात्मक व्यवस्था है। विभिन्न देशों में उपस्थित विभिन्न समस्याओं और दशाओं के अनुसार विभिन्न अवसरों पर यह भिन्न अर्थों को सूचित करता है। अधिक जनसंख्या वाले कई देश जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर के कारण अपने-आपको अर्द्ध-विकसित कहते हैं। कम जनसंख्या और साधनों के विकास की विशाल सम्भावनाओं वाले देश पूँजी की स्वल्पता को अर्द्ध-विकास का निर्णायक तत्त्व मानते हैं। परन्तु देश चाहे उनमें विदेशी शासन के अन्तर्गत पर्याप्त आर्थिक विकास हुआ हो, जब तक विदेशी शासन में रहेंगे अपने आपको अर्द्ध-विकसित कहेंगे। इसी प्रकार किसी देश में सामन्तवादी व्यवस्था की उपस्थिति 'अर्द्ध-विकसित' होने का पर्याप्त प्रमाण माना जाएगा चाहे इस प्रकार के कुछ समाजों में लोगों को स्वीकृत न्यूनतम जीवन-स्तर उपलब्ध हो। वास्तव में विश्व के मान-चित्र में एक प्रतिनिधि अर्द्ध-विकसित देश को ढूँढना कठिन कार्य है तथा यह इसलिए और भी कठिन है कि अर्द्ध-विकसित विश्व विभिन्न प्रकार के देशों का समूह है जिसमें स्वयं में विभिन्नताएँ पायी जाती हैं।

अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्था का आशय और प्रमुख परिभाषाएँ (Meaning and Definitions of Under-developed Economy)

कोई देश अर्द्ध-विकसित है या विकसित है इसका निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि हम विकसित देश किसे मानते हैं या विकास का आधार किसे मानते हैं। प्रो. एस. हरवर्ट फ्रैकेल ने कहा है कि "एक देश आर्थिक दृष्टि से विकसित है या अर्द्ध-विकसित है यह उस विशिष्ट मापदंड पर निर्भर करेगा जिसे व्यक्ति द्वारा विकास का आधार माना गया है। इस आधार की अनुपस्थिति या कम उपस्थिति अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था की सूचक होगी।" यही कारण है कि अर्द्ध-विकसित देशों की विभिन्न आधारों पर व्याख्या की जाती है। पाल हॉफ मैन ने एक अर्द्ध-विकसित देश का निम्न शब्दों में चित्रण किया है, —

"अत्येक व्यक्ति जब किसी अर्द्ध-विकसित देश को देखता है तो उसे जान जाता है। यह एक ऐसा देश होता है जिसमें निर्धनता होती है, नगरों में भिखारी होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जन-जीवन निर्वाह भर कर लेते हैं। यह एक ऐसा देश होता है जिसमें स्वयं के कारखाने नहीं होते हैं और बहुधा शक्ति और प्रकाश की अपर्याप्त पूर्ति होती है। इसमें बहुधा अपर्याप्त सड़कें, रेलें, सरकारी सेवाएँ और पिछड़े हुए संचार साधन होते हैं। इसमें थोड़े ही अस्पताल और उच्च शिक्षण संस्थाएँ होती हैं। इसके अधिकांश लोग बिल और पढ़ नहीं सकते हैं। सामान्य जनता निर्धन होने पर भी इसमें कुछ व्यक्ति धनी होते हैं और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। इसकी बैंकिंग प्रणाली अविकसित होती है छोटे-छोटे ऋण, ऋणदाताओं के द्वारा प्राप्त करने होते हैं जो शोषण करते हैं। अर्द्ध-विकसित देश का एक प्रमुख लक्षण यह होता है कि बहुधा इसके सब निर्यातों में कच्चा माल, कच्चे खनिज, फल या कुछ रेशों का उत्पादन होते हैं जिनमें कुछ विलासितापूर्ण दस्तकारियाँ होती

है। बहुधा निर्यात किए जाने वाले इन पदार्थों का उत्पादन या उत्खनन विदेशी कम्पनियों के हाथों में होता है।”

अर्द्ध-विकसित देश अथवा अर्द्ध विकसित अर्थ-व्यवस्था का चिन्तन कुछ अन्य प्रमुख विद्वानों ने इस प्रकार किया है -

श्री पी टी बाबर एव वी एस यामे के मतानुसार, “अर्द्ध-विकसित देश शब्द बहुधा मोटे रूप से उन देशों या प्रदेशों की ओर सन्देह करते हैं जिनकी वास्तविक आय एव प्रति व्यक्ति पूँजी का स्तर उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के स्तर से नीचा होता है।”¹

इसी प्रकार की परिभाषा संयुक्त राष्ट्र सभ के एक प्रकाशन में भी दी गई है जो इस प्रकार है—

“एक अर्द्ध-विकसित देश वह है जिसकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी यूरोपीय देशों की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की तुलना में कम हो।”²

उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की प्रति व्यक्ति आय से कम होती है उन्हें अर्द्ध विकसित कहते हैं। ये परिभाषाएँ अर्द्ध-विकसित देश का एक अच्छा आधार प्रस्तुत करती हैं, किन्तु प्रति व्यक्ति आय ही किसी देश के विकसित और अविकसित होने का उचित मापदण्ड नहीं है। प्रति व्यक्ति आय विश्व में सबसे ज्यादा रखने वाला कुर्वत केवल इसी आधार पर विकसित नहीं कहा जा सकता है।

प्रो जे आर हिक्स के मतानुसार, “एक अर्द्ध-विकसित देश वह है जिसमें तकनीकी और भौतिक सीमाएँ व्यवहार में उत्पत्ति और वचन के वास्तविक स्तर के बराबर नीची होती हैं जिसके कारण श्रम की प्रति इकाई (प्रति कार्य-शील व्यक्ति) पुरस्कार उससे कम होता है जो ज्ञात तकनीकी ज्ञान का ज्ञात साधनों पर उपयोग करने पर होता।”³

इस परिभाषा में मुख्यतः तकनीकी तत्त्वों पर ही अधिक जोर दिया गया है और इसमें प्राकृतिक साधन, जनसंख्या आदि आर्थिक तथा अन्य अनार्थिक तत्त्वों पर जोर नहीं दिया गया है।

भारतीय योजना आयोग के अनुसार, “एक अर्द्ध-विकसित देश वह है जिसमें एक ओर अधिन या कम अंश में अप्रयुक्त मानव शक्ति और दूसरी ओर अज्ञोपित प्राकृतिक साधनों का सह-अस्तित्व हो।”⁴

1 *Baner and Yame* - Economics of Under developed Countries p 3

2 *United Nations Measures for the Economic Development of Under-developed Countries*, p 3

3 *J R Hicks* - Contribution to the Theory of Trade Cycles

4 *India's First Five Year Plan*

यह परिभाषा इस आधार पर अधिक अच्छी है कि इसमें अशोषित साधनों को अर्द्ध-विकास का संकेत माना गया है जो अर्द्ध-विकसित देश का एक प्रमुख लक्षण होता है, किन्तु इसमें इस बात का स्पष्टीकरण नहीं मिलता कि ऐसा क्यों हुआ है। इसके अतिरिक्त यदि ये साधन पूँजी, साहस आदि की कमी के कारण अशोषित हैं तब तो ठीक है किन्तु यदि आर्थिक मंदी आदि के कारण मानवीय या अन्य साधन अप्रयुक्त रहते हैं तो यह अनिवार्य रूप से अर्द्ध-विकसित देश की पहचान नहीं है।

प्रो जेकब वाइनर के मतानुसार, "एक अर्द्ध-विकसित देश वह है जिसमें अधिक पूँजी या अधिक श्रम-शक्ति या अधिक उपलब्ध साधनों या इनमें से सभी के उपयोग की अधिक सम्भावनाएँ होती हैं जिसमें इसकी वर्तमान जनसंख्या का उच्च जीवन-स्तर पर निर्वाह किया जा सके या यदि इस देश की प्रति व्यक्ति आय का स्तर पहले से ही ऊँचा हो तो जीवन स्तर को नीचा किए बिना ही अधिक जनसंख्या का निर्वाह किया जा सके।"¹

उपरोक्त परिभाषा का सार यह है कि अर्द्ध-विकसित देश वह होता है जहाँ आर्थिक विकास की अन्य सम्भावनाएँ समाप्त नहीं हुईं हो और जहाँ पर वर्तमान जनसंख्या के जीवन स्तर को उच्च करने या वर्तमान जीवन स्तर पर अधिक जनसंख्या का निर्वाह किए जाने की गुंजाइश हो। इस परिभाषा की एक अच्छी बात यह है कि इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि ऐसे देशों में साधनों का उपयोग करके जीवन स्तर को उच्च बनाया जा सकता है, किन्तु यह परिभाषा प्राकृतिक साधनों के पूँजी द्वारा प्रतिस्थापना को कम महत्त्व देती है जैसा कि जापान, हॉलैण्ड और स्विट्जरलैण्ड में हुआ है। डॉ. आस्करलेनो के शब्दों में, "एक अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था वह है जिसमें उपलब्ध पूँजीगत वस्तुओं का स्टॉक उत्पादन की आधुनिक तकनीक के आधार पर कुल उपलब्ध श्रम-शक्ति को नियोजित करने के लिए अपर्याप्त होता है।"

प्रो० नर्कसे ने भी उन देशों को अर्द्ध-विकसित देश बतलाया है जो प्रगतिशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या और प्राकृतिक साधनों के सम्बन्ध में कम पूँजी से सम्पन्न होते हैं।

डॉ० लेंगे और नर्कसे ने पूँजी की कमी पर ही जोर दिया है अतः ये परिभाषाएँ एकांगी होने के साथ-साथ विकास की सम्भावनाओं तथा सामाजिक और राजनीतिक दशाओं के महत्त्व के बारे में कुछ नहीं बताती हैं जैसा कि स्वयं प्रो० नर्कसे ने लिखा है—

"आर्थिक विकास का मानव व्यवहार, सामाजिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दशाओं और ऐतिहासिक आकस्मिकताओं से गहरा सम्बन्ध है। पूँजी आवश्यक है, किन्तु यह प्रगति की पर्याप्त शर्त नहीं है।" अतः अर्द्ध-विकसित देशों की परिभाषा में वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री यूजीन स्टेनले ने अर्द्ध-विकसित देश की व्याख्या करते हुए बतलाया है कि "यह एक ऐसा देश होता है जिसमें जन-खरिदता व्याप्त होती है, जो किसी अस्थाई दुर्भाग्य का परिणाम नहीं होकर स्थाई होती है, जिसमें उत्पादन तकनीक पुरानी और सामाजिक समूह अनुपयुक्त होता है, जिसका अर्थ यह है कि देश की निर्धनता पूर्णरूप से प्राकृतिक साधनों की कमी के कारण नहीं होती है और इसे अन्य देशों में परीक्षित उपायों द्वारा कम किया जा सकता है।"¹

श्री स्टेनले की उपरोक्त परिभाषा में अर्द्ध-विकसित देश के कुछ लक्षणों की ओर संकेत किया गया है, किन्तु अर्द्ध-विकास की परिभाषा इन तीन लक्षणों के आधार पर पर्याप्त नहीं हो जाती। इस परिभाषा में सामाजिक दशाशा पर भी आर्थिक विकास की निर्भरता स्वीकार की गई है।

वस्तुतः प्रति व्यक्ति उत्पादन एक ओर प्राकृतिक साधनों और दूसरी ओर मानव व्यवहार पर निर्भर करता है। लगभग समान प्राकृतिक साधन होते हुए भी कई देशों की आर्थिक प्रगति में अन्तर प्रतीत होता है। इसका एक प्रमुख कारण मानव व्यवहार का अन्तर है। श्री अल्फ्रेड बोने के अनुसार मानव व्यवहार विशेष रूप से जन-रुचि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। श्री डब्ल्यू० ए० सेबिंग ने भी इसी बात पर बल देते हुए लिखा है कि "जन उत्साह योजना के लिए स्निग्धता देने वाला तैल और आर्थिक विकास का पेट्रोल।" अतः अर्द्ध-विकसित देशों की परिभाषा में इस तत्व को भी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में डॉ० डी० एस० नाग की परिभाषा उचित जान पड़ती है जो इस प्रकार है —

"एक अर्द्ध-विकसित देश या प्रदेश यह होता है जिसमें इसकी वर्तमान जनसंख्या को उच्च जीवन-स्तर पर निर्वाह करने या यदि जनसंख्या बढ़ रही हो तो जनसंख्या वृद्धि की दर से अधिक गति से जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए अधिक पूँजी, या अधिक श्रम शक्ति या अधिक उपलब्ध या सम्भाव्य प्राकृतिक साधनों या उनके समुक्त उपयोग के लिए पर्याप्त सम्भावनाएँ हो और इसके लिए जनता में उत्साह हो।"

अर्द्ध-विकसित, अविश्वसित, निर्धन और पिछड़े हुए देश
(‘Under-developed’, ‘Undeveloped’, ‘Poor’ and ‘Backward’ Countries)

कभी-कभी इन सभी शब्दों को पर्यायवाची शब्द माना जाता है और अर्द्ध-विकसित देशों को अविश्वसित, निर्धन और पिछड़े हुए आदि शब्दों से संबोधित किया जाता है। किन्तु आवश्यक इन शब्दों में भेद किया जाता है और अर्द्ध-विकसित शब्द ही अधिक उपयुक्त माना जाने लगा है। अधिकांश साम्राज्यवादी देशों के लेखकों ने अपने उपनिवेशों के बारे में लिखते हुए 'गरीब' या 'पिछड़े हुए' शब्दों का प्रयोग किया है। बहुधा इन शब्दों से और जिस प्रकार इनका प्रयोग किया गया है यह निष्कर्ष

निकलता है कि ईश्वर ने विश्व को धनी और गरीब दो भागों में विभाजित किया है, एक गरीब देश इसलिए गरीब है क्योंकि इसके प्राकृतिक साधन कम हैं और उसे आर्थिक स्थिरता के उसी निम्न स्तर पर रहना है किन्तु अब यह नहीं माना जाता है कि इन निर्धन देशों के प्राकृतिक साधन भी कम हैं और यही इनकी निर्धनता का मुख्य कारण है। इसके अतिरिक्त 'निर्धनता' केवल देश की प्रति व्यक्ति निम्न आय को ही इंगित करती है, अर्द्ध-विकसित देश की अन्य विशेषताओं को नहीं। इसीलिए 'निर्धन' एवं 'पिछड़े हुए' शब्दों का प्रयोग अलोकप्रिय हो गया है। इसी प्रकार 'Undeveloped' शब्द भी अर्द्ध-विकसित देश का समानार्थक माना जाता है, किन्तु दोनों में भी यह स्पष्ट अन्तर किया जाता है कि अर्द्धविकसित देश वह होता है जिसमें विकास की सम्भावनाएँ नहीं होती। इसके विपरीत अर्द्ध-विकसित देश वह होता है जिसमें विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ हो। अन्टाकंटिक, आर्कटिक और सहारा के प्रदेश अर्द्धविकसित कहला सकते हैं क्योंकि वर्तमान तकनीकी ज्ञान एवं अन्य कारणों से इन प्रदेशों के विकास की सम्भावनाएँ सीमित हैं किन्तु भारत, पाकिस्तान, कोलम्बिया, युगांडा आदि अर्द्ध-विकसित देश कहलाएँगे क्योंकि इन देशों में विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं। इसी प्रकार अर्द्धविकसित शब्द स्थैतिक स्थिति का द्योतक है। वस्तुतः किसी देश के बारे में यह धारणा बना लेना कठिन है कि उस देश में निरपेक्ष रूप में साधनों की स्वल्पता है क्योंकि साधनों की उपयोगिता तकनीकी ज्ञान के स्तर, माँग की दशाएँ और नई खोजों पर निर्भर करती है। वस्तुतः इन देशों के प्राकृतिक साधन, तकनीकी ज्ञान और उपकरण के इन साधनों पर उपयोग नहीं किए जाने के कारण अधिकांश में अर्द्धविकसित देशों में होते हैं पर इनके विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ होती हैं। सयुक्त राष्ट्रसंघ की एक विशेष राय के अनुसार, "सब देश, चाहे उनके प्राकृतिक साधन कैसे ही हों, वर्तमान में अपने इन साधनों से अधिक अच्छे उपयोग के द्वारा अपनी आय को बड़ी मात्रा में बढ़ा सकने की स्थिति में है।"

अतः 'अर्द्धविकसित' शब्द के स्थान पर 'अर्द्ध-विकसित' शब्द का उपयोग किया जाने लगा है। ये अर्द्ध-विकसित देश आजकल आर्थिक विकास का प्रयत्न कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप इन्हें 'विकासशील' (Developing) देश भी कहते हैं, किन्तु सामान्यतया इन सब शब्दों को लगभग समान अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है।

अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था की विशेषताएँ या लक्षण (Characteristics of Under-developed Economies)

अर्द्ध-विकसित विश्व विभिन्न प्रकार के देशों का समूह है। इन देशों की अर्थ-व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के अन्तर पाए जाते हैं। किन्तु इतना सब होते भी इन अर्द्ध-विकसित देशों में एक आधारभूत समानता पायी जाती है। यद्यपि किसी एक देश को प्रतिनिधि अर्द्ध-विकसित देश की संज्ञा देना कठिन है, किन्तु फिर भी कुछ ऐसे सामान्य लक्षणों को बताना सम्भव है जो कई अर्द्ध-विकसित देशों में आमतौर से पाए जाते हैं। यद्यपि ये सामान्य लक्षण सब अर्द्ध-विकसित देशों में समान अंशों में नहीं पाए जाते और न केवल ये ही अर्द्ध-विकसित देशों के लक्षण होते हैं, किन्तु ये

सब मिलकर एक ग्रह-विकसित अर्थ-व्यवस्था को बनाने में समर्थ हैं। ग्रह-विकसित देशों के इन लक्षणों को मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में विभाजित करके अध्ययन किया जा सकता है—

- (अ) आर्थिक लक्षण
- (ब) जनसंख्या सम्बन्धी लक्षण
- (स) सामाजिक विशेषताएँ
- (द) तकनीकी विशेषताएँ
- (इ) राजनीतिक विशेषताएँ

(अ) आर्थिक लक्षण

(Economic Characteristics)

आर्थिक लक्षणों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं—

1. **ग्रह-विकसित प्राकृतिक साधन (Under-developed Natural Resources)** — ग्रह-विकसित देशों का एक प्रमुख लक्षण इनके साधनों का ग्रह-विकसित होना है। इन देशों में यद्यपि वे साधन पर्याप्त मात्रा में होते हैं, किन्तु पूँजी और तकनीकी ज्ञान के अभाव तथा अन्य कारणों से इन साधनों का देश के विकास के लिए पर्याप्त और उचित विदोहन नहीं किया गया होता है। उदाहरणार्थ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं दीप समूहों में बहुत बड़ी मात्रा में भूमि ससाधन अप्रयुक्त पड़े हुए हैं। श्री केलोग (Kelog) के अनुसार, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका तथा न्यूग्विना, पेडागास्कर, बोनियो आदि द्वीपों की कम से कम 20% अप्रयुक्त भूमि कृषि योग्य है जिसका कृषि कार्यों में उपयोग करके विरव की कृषि भूमि में एक बिलियन एकड़ अतिरिक्त भूमि की वृद्धि की जा सकती है। प्रो० बोन द्वारा हाल ही में किए गए मध्यपूर्व के आठ देशों के सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि इन देशों के कुल 118 बिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से केवल एक तिहाई से भी कम भूमि में कृषि की जाती थी और 85 बिलियन एकड़ कृषि योग्य भूमि बेकार पड़ी हुई थी। श्री गालिन मज़ार्क ने बताया है कि विश्व की वर्तमान कृषि योग्य भूमि से उपभोग और कृषि के डेमण्ड्स के अनुसार 12,000 बिलियन व्यक्तियों का निर्वाह किया जा सकता है जबकि वर्तमान में केवल 2,300 बिलियन लोगों का ही निर्वाह किया जा रहा है। स्पष्टतः भूमि के ये अप्रयुक्त साधन अधिकांश में ग्रह-विकसित देशों में ही हैं।

इसी प्रकार ग्रह-विकसित देशों में खनिज एवं शक्ति के साधनों की सम्पत्तता है, किन्तु यहाँ इनका विकास नहीं किया गया है। अफ्रीका में विश्व की संचालित जल-शक्ति के 44% साधन हैं, किन्तु यह महाद्वीप केवल 0.1% जल साधनों का ही उपयोग कर रहा है। श्री बोयटिन्सकी और बोयटिन्सकी के अनुसार एशिया, मध्य-अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका भी अपने जल-विद्युत् साधनों के क्रमशः केवल 13%, 5% और 3% भाग का ही उपयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार अफ्रीका में ताँबा, टिन और सोने के तथा एशिया में पेट्रोल, लोहा, टिन और वाकसाइट

के अपार भंडार हैं, किन्तु इनका भी पूरा विदोहन नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार बर्मा, थाइलैंड, इण्डोचीन तथा अफ्रीका, एशिया और लेटिन अमेरिकी देशों की वन सम्पत्ति का उपयोग नहीं किया गया है या साम्राज्यवादी शासकों द्वारा शासक देशों के हित के कारण दुरुपयोग किया गया है।

भारत में भी उसके खनिज सम्पत्ति, जल-साधन, भूमि-साधन और वन-साधन पर्याप्त मात्रा में हैं, किन्तु उनका पर्याप्त विकास और उचित विदोहन नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ भारत में विश्व में उपलब्ध लोहे का लगभग 25% अर्थात् 2,160 करोड़ टन लौह भण्डार होने का अनुमान है, किन्तु यहाँ लोहे का वार्षिक खनन लगभग 170 करोड़ टन से कुछ ही अधिक है। इसी प्रकार सन् 1951 तक देश में सिंचाई के लिए उपलब्ध जल का केवल 17% और कुल जल-प्रवाह का केवल 56% ही उपयोग में लाया जा रहा था तथा 31 मार्च, 1970 तक भी सिंचाई के लिए उपलब्ध जल का केवल 39% ही उपयोग में था। आंकड़ों में लें तो विभिन्न एजेंसियों द्वारा मोटे तौर पर लगाए गए अनुमानित आँकड़ों के अनुसार भारत की जल-क्षमता भूमि के ऊपर 1,67,300 करोड़ घन मीटर से लेकर 1,88,100 करोड़ मीटर है और भूमिगत जल-क्षमता 42,400 करोड़ घन मीटर के लगभग है।

सिंचाई आयोग ने सन् 1972 में उपयोग में लाए जाने वाले जल का अनुमान 87,000 करोड़ घन मीटर लगाया था। सन् 1950-51 में लगभग 17,250 करोड़ घन मीटर जल का उपयोग किया गया था जो मार्च, 1975 से बढ़कर 34,300 करोड़ घन मीटर के लगभग हो गया था। भारत में अब नदियों के पानी को सिंचाई की नहरों में डालने की सारी सम्भावनाएँ प्रायः समाप्त हो चुकी हैं। इसलिए भविष्य में सिंचाई का विकास करने की योजनाओं का उद्देश्य बरसात के अतिरिक्त जल को बाँध बना कर संचित करना है जिससे सूखे के दिनों उसका उपयोग किया जा सके, तथा छोटी सिंचाई कार्यक्रमों के अन्तर्गत भूमिगत जल के उपयोग का विकास करना है।¹

2. कृषि की प्रधानता और उसकी निम्न उत्पादकता (Importance of Agriculture and its Low Productivity)—अर्द्ध-विकसित देशों में कृषि की प्रधानता होती है। उन्नत देशों में जितने लोग कृषि करते हैं, अर्द्ध-विकसित देशों में उससे प्रायः चार गुना अधिक लोग कृषि में लगे होते हैं। साधारणतया 65 से 85% तक लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि और उससे सम्बन्धित उद्योगों पर आश्रित रहते हैं। हम भारत को ही लें तो यहाँ लगभग 70% लोग आज भी कृषि पर आश्रित हैं। अर्द्ध-विकसित देशों में राष्ट्रीय आय का लगभग आधा या इससे भी अधिक भाग कृषि से प्राप्त होता है। प्रमुख उत्पादन खाद्य-सामग्री और कच्चा माल रहता है। कृषि में इतना अधिक सकेन्द्रण वस्तुतः पिछड़ेपन और दरिद्रता का चिह्न है। प्रमुख व्यवसाय के रूप में भी कृषि अधिकतर अनुत्पादक है क्योंकि कृषि पुराने ढंग से और उत्पादन के अप्रचलित और पिछड़े हुए तरीकों से की जाती है जिससे

पैदावार अनिश्चित रूप से कम रहती है और किसान प्रायः गुजारे के स्तर पर जीवित रहते हैं। कृषि पर अत्यधिक भार होने से भूमि के पट्टे, उप-विभाजन, उपखण्डन, अनाधिक जोत, भूमिहीन ग्रामीण आदि की समस्याएँ उपस्थित रहती हैं। कृषि-साख की कमी रहने से कृषक प्रायः ऋण-ग्रस्त होते हैं। अर्द्ध-विकसित देशों में कृषि को 'मानसून का जुधा' कहा जाता है। अम्बरिट, हट्ट एव किन्टर के शब्दों में—“इन देशों में कृषि का मानसून पर अत्यधिक निर्भर होने से आज के राजकुमार कल के भिलारी और आज के भिलारी कल के राजकुमार बन जाते हैं।”

अर्द्ध-विकसित देशों में भूमि की उत्पादकता अत्यन्त कम रहने अर्थात् कृषि का लाभदायक व्यवसाय न बन पाने का अनुमान हम कतिपय विकसित देशों के मुकाबले भारत की स्थिति की तुलना द्वारा सरलता से लगा सकते हैं—

विभिन्न देशों में भूमि उत्पादित, 1966-67

फसल	देश	प्रति हेक्टर भूमि उत्पादित (00 किलोग्राम)
चावल (धान)	जापान	50 90
	अमेरिका	48 90
	सोवियत संघ	28 70
	भारत	12 90
कपास	सोवियत संघ	8 30
	अरब गणराज्य	5 90
	अमेरिका	5 40
	भारत	1 10
गेहूँ	इंग्लैण्ड	38 40
	फ्रांस	28 30
	इटली	22 00
	भारत	8 90

यदि कुल राष्ट्रीय आय में कृषि से प्राप्त आय का प्रतिशत ले तो स्थिति निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है—

देश	वर्ष	कुल राष्ट्रीय आय में कृषि से प्राप्त आय का प्रतिशत
1 कनाडा	1960	7 0
2 अमेरिका	1960	4 0
3. इंग्लैण्ड	1960	4 0
4 भारत	1964	47 0

कृषि उत्पादन की मात्रा कम होने का एक बड़ा दुष्प्रभाव यह होता है कि बहा मात्रा में छिपी बेरोजगारी बनी रहती है।

3. औद्योगीकरण का अभाव (Lack of Industrialisation)—इन अर्द्ध-विकसित देशों का एक प्रमुख लक्षण यह है कि इनमें आधुनिक ढंग के बड़े पैमाने के उद्योगों का अभाव रहता है। यद्यपि इन देशों में उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग तो यत्र-तत्र स्थापित होने लगते हैं, किन्तु आधारभूत उद्योगों जैसे मशीन, यन्त्र, इस्पात आदि उद्योगों का लगभग अभाव रहता है और शेष उद्योगों के लिए भी ये मशीन आदि के लिए आयात पर निर्भर होते हैं। विकसित देशों में जबकि आधुनिक उद्योगों की बड़े पैमाने पर स्थापना होनी है वहाँ ये देश मुख्यतः प्राथमिक उत्पादन में ही लगे रहते हैं। कुछ अर्द्ध-विकसित देशों में इन प्राथमिक व्यवसायों का उदाहरण खान खोदना है। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व विश्व में दिन उत्पादन में महत्त्व के क्रम में मलाया, इण्डोनेशिया, बोनेविया, श्याम और चीन थे और ये सभी देश अर्द्ध-विकसित हैं। एशिया और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों में विश्व के 58% टंगस्टन और 44% ताँबे का उत्पादन होता है। एशिया और अफ्रीका में विश्व का 72% मैंगनीज और 61% क्रोमाइट का उत्पादन होता है। एशिया महाद्वीप से : के पेट्रोल का एक-तिहाई भाग और दक्षिणी अमेरिका से 16% प्राप्त होता है। इस प्रकार इन अर्द्ध-विकसित देशों में प्राथमिक व्यवसायों में ही अधिकांश जनसंख्या नियोजित रहती है और औद्योगिक उत्पादन का अभाव रहता है। अग्रकृत तालिका से आर्थिक विकास और औद्योगीकरण का घनात्मक सह-सम्बन्ध स्पष्ट होता है—

राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान¹

प्रति व्यक्ति आय वर्ग	कुल राष्ट्रीय घन का प्रतिशत			
	प्राथमिक उत्पादन	उद्योग	सेवाएँ	कुल
125 डॉलर से कम आय वाले देश	47	19	33	100
125 से 249 डॉलर आय वाले देश	40	25	35	100
250 से 374 डॉलर आय वाले देश	30	26	45	100
375 या अधिक डॉलर आय वाले देश	27	28	46	100
अधिक आय वाले विकसित देश	13	49	30	100

आधुनिक युग में किसी देश के औद्योगीकरण में शक्ति के साधनों का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान होता है और प्रति व्यक्ति विद्युत शक्ति के उपयोग से भी किसी देश के औद्योगिक विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। अर्द्ध-विकसित देशों में प्रति व्यक्ति विद्युत शक्ति का उपभोग बहुत कम होता है जो इन देशों में औद्योगीकरण के अभाव का प्रतीक है।

4. प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर (Low level of Per Capita Income)—अर्द्ध-विकसित अथवा विकासमान देशों का एक प्रमुख लक्षण इनकी निम्न अथवा सामान्य दरिद्रता है जो प्रति व्यक्ति आय के निम्न स्तर में झलकती है। इस दृष्टि से विकसित और अर्द्ध-विकसित देशों में जमीन-दासमान का अन्तर

है। विकसित देशों में जहाँ समृद्धि इठलाती है वहाँ अर्द्ध विकसित देशों में निष्पन्नता का गम नूतन होता है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के आँकड़ों के अनुसार सातवें दशक के शुरु में विकसित पूँजीवादी राज्यों में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय 1,037 डॉलर और नवोदित स्वाधीन देशों में 83 डॉलर थी। इन आँकड़ों की तुलना करने से प्रकट होता है कि भूतपूर्व उपनिवेश और अर्द्ध-उपनिवेश अपने आर्थिक विकास में 12 गुना (1,037 / 83) पीछे हैं। 1964 में जेनेवा में वाणिज्य तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ के सम्मेलन में भाग लेते हुए कीनिया के प्रतिनिधि, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जे० जी० कियानो ने सत्र में कहा था कि "सैद्धान्तिक रिपोर्टों और अर्थशास्त्र-सम्बन्धी पाठ्यपुस्तकों में विकासमान देशों में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 30 डॉलर, 60 डॉलर, यहाँ तक कि 100 डॉलर बताई जाती है, परन्तु विकासमान देशों के लाचरी लोग वस्तुतः जिन विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं वे इन आँकड़ों से प्रकट नहीं होती। उनमें बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कोई आय नहीं है। वे नहीं जानते कि कल उन्हें खाना नसीब होगा या नहीं, अथवा रात में वे कहाँ सोएँगे। पाठ्यपुस्तकों में उद्धृत प्रति व्यक्ति आय में उनका कोई हिस्सा नहीं होता है।"² वक्ता न यथार्थ का बिलकुल सच्चा चित्र प्रस्तुत किया है, जिससे वास्तविक विषमता की ओर ध्यान आकृष्ट होता है और जिस पर औसत आय सम्बन्धी आँकड़े आवरण डालते हैं।³ विश्व बैंक के 1968 के एक सर्वेक्षण के अनुसार उस समय भारत का GNP 100 डॉलर था।

निम्न जीवन-स्तर और निम्न जीवन-आयु-स्तर (Low Standard of Living and Low Level of Life-age)—आर्थिक विषमता की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करने वाले अन्य आँकड़ों को ले तो भी पूँजीवादी दुनिया के अति विकसित औद्योगिक राज्यों से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के पिछड़े देशों की भिन्नता स्पष्ट प्रकट होती है। यह पता चलता है कि अर्द्ध विकसित अथवा नवोदित स्वाधीन देशों में मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता भी भली प्रकार पूरी नहीं हो पाती। "एक मनुष्य की दैनिक आहार आवश्यकता 2,500 से 4,000 कैलोरी तक होती है, जो इस पर निर्भर करता है कि वह किस तरह काम करता है। औषध आवश्यकता 3,000 कैलोरी निश्चित की जा सकती है। आगे दी गई तालिका पर विचार करते समय इसे ध्यान में रखना होगा। ध्यान देखेंगे की भूतपूर्व उपनिवेशों तथा अर्द्ध-उपनिवेशों से सम्बन्धित आँकड़े हमेशा ही औसत आँकड़ों से और कई अवस्थाओं में

1. यू० ए० व अन्य तीसरी दुनिया, पृष्ठ 112

2. Proceeding of the United Nations Conference on Trade and Development, Geneva March 23—June 16 1964, Vol II, Policy Statements, p 251.
(‘तीसरी दुनिया’ से उद्धृत)

3. यू० ए० व अन्य तीसरी दुनिया, पृष्ठ 112

तो 2,200 कैलोरी की न्यूनतम सीमा से भी कम हैं, जो अपर्याप्त पोषण अर्थात् भुखमरी के द्योतक हैं।”

“इन आंकड़ों से केवल एक ही निचोड़ निकाला जा सकता है, वह यह कि भूतपूर्व उपनिवेशों और अर्द्ध-उपनिवेशों के निवासी अपौष्टिक भोजन ग्रहण करते हैं जिसका परिणाम उनके बीच व्याप्त भुपोषण तथा जँची भृत्यु-दर है। बेरीबेरी, सूखे का रोग, स्कर्वी, पिल्लेरा, क्वाशिओर्कोर आदि अनेक रोग सीधे अपौष्टिक भोजन तथा पौष्टिकता की कमी के फलस्वरूप होते हैं। मिमाल के लिए, मध्य पूर्व में पाँच साल तक के बच्चों में से एक तिहाई इन्ही रोगों के शिकार होकर मरते हैं। अफ्रीका में 6 महीने से 6 साल तक की उम्र के 96% बच्चों को प्रोटीन की कमी से पैदा होने वाली क्वाशिओर्कोर नामक बीमारी हो जाती है।”

सारांश रूप में प्रति व्यक्ति निम्न आय लोगों के निम्न जीवन स्तर की सूचक है। अर्द्ध-विकसित देशों में खाद्य पदार्थ उपभोग की प्रमुख वस्तु है जिस पर लोगों की आय का 65 से 70% तक खर्च होता है जबकि उन्नत देशों में लगभग 20%। अर्द्ध-विकसित देशों की अधिकांश जनसंख्या के भोजन में मांस, अण्डा, मछली, दूध, मक्खन आदि पोषक खाद्य पदार्थ बिल्कुल नहीं होते। लोग बड़ी अस्वास्थ्यप्रद परिस्थितियों में रहते हैं और समुचित चिकित्सा सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं होती। वास्तव में निर्धनता अर्द्ध-विकसित देशों का एक ऐसा रोग है जो उन्हें विभिन्न संकटों में उलझाए रखता है। प्रो० कॅरनक्रास ने ठीक ही लिखा है कि अर्द्ध-विकसित देश विश्व अर्थ-व्यवस्था की गद्दी बस्तियाँ हैं। प्रति व्यक्ति आय कम होने से ही अन्ततोगत्वा लोगों की कार्य-क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

खाद्य-खपत और जीवन-अवधि के दो महत्वपूर्ण सूचकों को लेकर विकसित पूँजीवादी राज्यों और पिछड़े देशों के बीच जो भारी अन्तर है, उसे सोवियत संघ की विज्ञान अकादमी के सदस्य यू० जूकोव एव उनके सहलेखकों ने आगे धी गई दो तालिकाओं के आंकड़ों से बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है—

सातवें दशक में कुछ देशों में खाद्य-खपत

(देश में उत्पादित + आयातित खाद्य-पदार्थ : प्रति दिन प्रति व्यक्ति)

कैलोरी	देश	प्रोटीन (ग्राम)
3,510	न्यूजीलैण्ड	109
3,270	ग्रेट ब्रिटेन	89
3,140	ऑस्ट्रेलिया	90
3,100	संयुक्त राज्य अमेरिका	92
3,100	कनाडा	94
3,000	जर्मन सहायक गणराज्य	80

श्रीमत आवश्यकता— 3,000 कैलोरी		श्रीमत आवश्यकता— 80 ग्राम	
	2,690	श्रीजीत	65
	2,620	सदुक्त अरब गणराज्य	77
निम्नतम निरापद— 2,500 कैलोरी			
	2,490	बेनिगुएला	66
	2,330	सीरिया	78
2,200 कैलोरी— इससे नीचे			
अवर्पाप्त पोषण को कैलोरी स्थिति आता है	देश	प्रोटीन (ग्राम)	
	2,100	सीरिया	53
	2,050	पेरू	51
	2,040	भारत	53
	1,980	पाकिस्तान	44
	1,830	फिलिपाइन	43

सातवें दशक में विकसित पूँजीवादी राज्यों और नवोदित स्वाधीन राज्यों में तुलनात्मक (प्रति एक हजार आबादी के हिसाब से)

विकसित पूँजीवादी राज्य	
पश्चिमी यूरोप	78—12.5
उत्तरी अमेरिका	77—8.4
जापान	7.3
ऑस्ट्रेलिया	8.6
स्वाधीनता प्राप्त उपनिवेश और अर्द्ध-उपनिवेश—	
एशिया	19—24
अफ्रीका	25.6—33.3
लैटिन अमेरिका	6.7—17.0

सातवें दशक में

कुछ इलाकों में श्रीमत जीवन-अवधि

उत्तरी अमेरिका	70-73
ऑस्ट्रेलिया	70-73
पश्चिमी यूरोप	68-70
लैटिन अमेरिका	50-55
एशिया	40-50
अफ्रीका	30-40

नोट : कुछ अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों में श्रीमत जीवन-आयु उसी स्तर पर है, जिस पर प्राचीन रोम के समय में थी—30 वर्ष 1¹

5. पूँजी की कमी (Deficiency of Capital)—अर्द्ध-विकसित देशों की अर्थ-व्यवस्थाएँ पूँजी में निर्धन (Capital Poor) और कम बचत और विनियोग करने वाली (Low Saving and Low Investing) होती है। देश के साधनों के उचित उपयोग नहीं होने और साधनों के अर्द्धविकसित होने के कारण पर्याप्त मात्रा में उत्पादन के साधनों का सृजन नहीं हो पाता और साथ ही इसी कारण वहाँ की पूँजी की मात्रा वर्तमान तकनीकी ज्ञान के स्तर पर साधनों के उपयोग और आर्थिक विकास की आवश्यकताओं से बहुत कम होती है। किन्तु इन देशों में न केवल पूँजी की ही कमी होती है अपितु पूँजी निर्माण की दर (Rate of Capital Formation) भी बहुत निम्न होती है। इन अर्द्ध-विकसित देशों में आय का स्तर बहुत नीचा होता है अतः बचत की मात्रा भी कम होती है। स्वाभाविक रूप से बचत की मात्रा कम होने का परिणाम कम विनियोग और कम पूँजी निर्माण होता है। इन अर्द्ध-विकसित देशों में उपभोग की प्रवृत्ति (Propensity to Consume) अधिक होती है और आर्थिक विकास के प्रयत्नों के फलस्वरूप आय में जो वृद्धि होती है उसका अधिकांश भाग उपभोग पर व्यय कर दिया जाता है। बड़ी हुई आय में से बचत की मात्रा नहीं बढ़ने का एक कारण जैसा कि श्री नर्कसे ने बतलाया है प्रदर्शनात्मक प्रभाव (Demonstration effect) है जिसके अनुसार व्यक्ति अपने आस-पास के जीवन-स्तर को अपनाने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही इन देशों में जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है। इन सब कारणों से उत्पादन के लिए उपलब्ध घरेलू बचतें बहुत कम होती हैं। डॉ. थ्रोन की गणना के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की 90% जनसंख्या के पास व्यय के ऊपर आय का कोई आधिक्य नहीं होता।

इस प्रकार अर्द्ध-विकसित देशों में बचत की दर कम होती है जिससे विनियोग के लिए पूँजी प्राप्त नहीं होती। जो कुछ थोड़ी बहुत बचत होती है वह उच्च आय वाले वर्गों में होती है जो इन्हें विदेशी प्रतिभूतियों में विनियोजित करना चाहते हैं जिनमें जोखिम कम होता है। अर्द्ध-विकसित देशों की विनियोग की आवश्यकताओं की इस कमी को विदेशी पूँजी के द्वारा पूरा करने का प्रयास किया जाता है, किन्तु इन देशों की साख, भुगतान की योग्यता और राजनीतिक स्थिति इस दृष्टि से बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं होती। अतः अर्द्ध-विकसित देशों में पूँजी निर्माण की दर 5-6% होता है। इसके विपरीत विकसित देशों में कुल राष्ट्रीय आय के 15 से 20% तक कुल विनियोग होता है। श्री कालिन ब्लाक के कुछ वर्षों पूर्व के एक अध्ययन के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोप के देशों में पूँजी निर्माण की दर 15 से 18%, स्वेडन में 17%, नार्वे में 25% थी जबकि यह भारत में केवल 6% थी।

6. निर्यातों पर निर्भरता और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रतिकूलता—अर्द्ध-विकसित देशों का एक प्रमुख लक्षण निर्यातों पर उनकी अत्यधिक निर्भरता है। अधिकांश पिछड़े देशों से कच्चा माल भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है।

यू० जूकोव के अनुसार, "अधिकांश देश विश्व-मण्डलों में अपनी कृषि उपज बेचते हैं और औद्योगिक माल खरीदते हैं।" सोवियत संघ की विज्ञान अकादमी के सदस्य यू० जूकोव और उनके सह-नेतृत्वों ने अग्रिम तालिका में 24 देशों के नाम सम्मिलित किए हैं जो उपनिवेश अथवा अर्द्ध उपनिवेश रह चुके हैं पर आज स्वाधीन हैं अर्थात् जो अर्द्ध विकसित देशों की पंक्तियों में हैं। इनमें से प्रत्येक के सामने ऐसी वस्तु का उत्पादन सम्बन्धी आँकड़ा प्रस्तुत किया गया है, जिसका उसकी अर्थ-व्यवस्था में विशेष महत्त्व है। देश के निर्यात तथा राष्ट्रीय आय में भी उसका हिस्सा दिखाया गया है। इन आँकड़ों से यह पुष्टि होती है कि इन देशों का आर्थिक ढाँचा अधिकांशतः एक ही फसल पैदा करने वाला एकांगी है। साथ ही इन आँकड़ों से तीसरी दुनिया के अर्द्ध-विकसित देशों तथा औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध विकसित पूँजीवाद देशों के बीच वर्तमान सम्बन्धों के आर्थिक ढाँचे के एक पहलू पर भी प्रकाश पड़ता है और हमें पता चलता है कि दोनों को पृथक करने वाली आर्थिक खाई चौड़ी होती जा रही है।

विकासमान देशों की अर्थ-व्यवस्था और निर्यात का एकांगी विशेषीकरण¹

देश	मुख्य पैदावार और निर्यात	निर्यात से प्राप्त, प्रतिशत में	
		कुल निर्यात से हुई प्राप्ति का भाग	कुल राष्ट्रीय आय का भाग
क्यूब	खनिज तेल	99	97
इराक	खनिज तेल	99	40
सेनेगल	मूंगफली	92	—
बेनेगुएला	खनिज तेल	91	55
सऊदी अरब	खनिज तेल	90	83
नाइजीरिया	मूंगफली	87	—
ईरान	खनिज तेल	85	33
कोलम्बिया	काफी	74	29
बर्मा	चावल	74	26
इंडो	काफी	77	25
साइप्रस	काफी	73	—
थाइलैंड	काफी	73	25
मिस्र	कपास	70	18
पनामा	केला	67	12
शीलोन	चाय	66	41
घाना	कोकोया	66	40
थिली	ताम्बा	63	20
मलाया	रबर	62	40
साइबेरिया	रबर	62	—
ब्राजील	काफी	62	12
पाकिस्तान	जूट	58	9
लूइसियाना	कॉन	58	9
बोलीविया	टीन	57	29
इक्वेडोर	केला	56	25

1 यू० जूकोव एवं अन्य तीसरी दुनिया, पृष्ठ 120-121

जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सवाल है, गैर-समाजवादी दुनिया के विदेश व्यापार में विकासमान देशों का हिस्सा 1953 के 28% प्रतिशान से गिरकर 1966 में 21% रह गया था। इस बीच इनका कर्ज बढ़ता जा रहा है और उनकी स्वर्ण तथा मुद्रानिधि कम होती जा रही है।

यू० जूकोव ने अपने अध्ययन में आगे लिखा है—“1964 में जेनेवा में हुए वाणिज्य एवं विकास सम्बन्धी सयुक्त राष्ट्र सभ के सम्मेलन ने 1970 के पूर्वानुमान सहित कुछ दस्तावेज प्रचारित की थी। अन्य बातों के साथ-साथ उनमें यह चेतावनी भी दी गई थी कि 1970 तक विकासमान देशों के निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की अपेक्षा 9 अरब से 13 अरब डॉलर कम होगा। इसके अलावा उन्हें ऋण को निबटाने, कर्ज का ब्याज चुकाने तथा विदेशी कम्पनियों को प्राप्त होने वाले मुनाफे तथा लाभांश की रकम को अदा करने के लिए करीब 8 अरब डॉलर की और जरूरत पड़ेगी। इस हिसाब को लगाने वालों ने सुझाव दिया था कि तीसरी दुनिया के बकाए में जो भारी कमी है, उसकी पूर्ति अथवा नूतन विदेशी पूंजी-निवेश और सरकारी ऋणों से की जा सकती है। यह आशा प्रकट करते हुए वे स्पष्टतः काफी आशावादी थे, क्योंकि उनके अनुसार इन साधनों से होने वाली प्राप्ति 12 अरब डॉलर तक पहुँच सकती है। यदि उनका तखमीना ठीक साबित हो, तो भी 5 अरब से 9 अरब डॉलर तक की कमी बनी रहेगी। परन्तु इससे भी अधिक निराशाजनक पूर्वानुमान लगाया गया है, सयुक्त राष्ट्र सभ के कुछ विशेषज्ञों के मतानुसार 1975 तक विकासमान देशों को केवल अपने आयात के मुगतान के लिए शायद दसियों अरब डॉलर की कमी का सामना करना पड़ सकता है।”¹

निर्यातों पर निर्भरता सामान्यतः हानिकारक नहीं है, लेकिन इसके कुप्रभाव उस समय प्रकट होते हैं जबकि अर्द्ध-विकसित देश एक, दो या कम वस्तुओं का ही निर्यात करते हैं। अर्द्ध-विकसित देशों की निर्यातों पर मुख्य रूप से एक दो पदार्थों पर निर्भरता से इनकी अर्थ-व्यवस्था एकांगी हो जाती है और देश का सन्तुलित आर्थिक विकास नहीं हो पाता। विदेशी माँग की कमी होने पर देश की आर्थिक स्थिति विषम हो जाती है। इन अर्द्ध-विकसित देशों में विदेशी व्यापार की निर्भरता का एक कुप्रभाव यह हुआ है कि इन उपनिवेशों में विदेशी पूंजी की मात्रा में वृद्धि हुई है जिसने इन देशों के हित के लिए ही नहीं, अपितु विदेशी हितों के लिए भी कार्य किया है।

7. बेरोजगारी और अर्द्ध-बेरोजगारी (Unemployment and Under-employment)—कई अर्द्ध-विकसित देश बहु-जनसंख्या वाले हैं और जनसंख्या वृद्धि की दर भी इनमें अपेक्षाकृत अधिक होती है। दूसरी ओर, इनके साधन अर्द्धविकसित एवं अपर्याप्त होते हैं। परिणामस्वरूप इन देशों में बहुत से व्यक्तियों को उपयुक्त कार्य नहीं मिल पाता और वे बेरोजगार तथा अर्द्ध-बेरोजगार होते हैं। बाबर

एव यामे के अनुसार, "शुक्राक्षय धमिको का व्यापक बेरोजगारी और अर्द्ध-बेरोजगारी पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्थाओं की एक उल्लेखनीय विशेषता होती है। कई व्यक्ति अनियोजित या अर्द्ध-नियोजित केवल इसलिए नहीं होने कि वे कार्य करना पसन्द नहीं करते, बल्कि इसलिए कि उन्हें कार्य में लगाने के लिए आवश्यक सहयोगी उत्पादन के साधन अपर्याप्त होते हैं।" इन देशों में भूमि पर जनसंख्या का भार अधिक होने के कारण जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी होनी है वहाँ छिपी हुई बेरोजगारी (*Disguised Employment*) भी होती है, इसका अर्थ है, भूमि पर आवश्यकता से अधिक आदमों कार्यरत रहते हैं।

यद्यपि विकसित देशों में भी बेरोजगारी होती है, किन्तु उसकी प्रकृति भिन्न होती है। यहाँ चक्रीय (*Cyclical*) बेरोजगारी होती है क्योंकि प्रभावपूर्ण माँग की कमी होती है, किन्तु अर्द्ध-विकसित देशों में बेरोजगारी का स्वरूप सरचनात्मक होता है क्योंकि देश की श्रम शक्ति के पूर्ण उपयोग के लिए पूँजी आदि साधनों का अभाव होना है किन्तु बाजार और यामे का मत है—“छिपी हुई बेरोजगारी और अर्द्ध-बेरोजगारी सब अर्द्ध-विकसित देशों का सामान्य लक्षण नहीं है।” उदाहरणार्थ, मकीका और मैटिन अमेरिका के कई अर्द्ध विकसित देश अधिक जनसंख्या या बेरोजगारी की समस्याओं से ग्रस्त नहीं हैं।

8. आर्थिक कुचक्रों की उपस्थिति (*Presence of Vicious Circles*)— अर्द्ध-विकसित देशों में आर्थिक कुचक्रों के प्रभाव के कारण एक देश निर्धन है क्योंकि यह निर्धन है (A country is poor because it is poor) वाली श्री नर्कसे की उक्ति चरितार्थ होती है। इन देशों में अर्द्ध-विकसित साधनों, पूँजी का अभाव, बाजार की अपूर्णताएँ, तकनीकी ज्ञान का निम्न स्तर होने के कारण अर्थ-व्यवस्था की उत्पादकता (*Productivity*) कम होती है। कम उत्पादकता के कारण आय का स्तर नीचा होता है। जिससे बचत दर और परिवारस्वरूप विनियोग दर कम होती है। फलस्वरूप उत्पादकता भी कम होती है और दती प्रचार यह चक्र चलना रहता है।

9. बाजार की अपूर्णताएँ (*Imperfections of the Market*)— डॉ डी एस नाग के अनुसार, “आर्थिक गत्यात्मकता में साधनों के अनुकूलतम आवंटन और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में अधिकतम उत्पादक क्रमता प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है.....किन्तु स्थिर अर्थ-व्यवस्था में कई बाजार की अपूर्णताएँ इसे ‘उत्पादन सीमा’ (*Production Frontier*) की ओर बढ़ने से रोकती हैं।” निर्धन देश इस दृष्टिकोण से स्थिर अर्थ-व्यवस्था वाले होते हैं। जाति, धर्म, स्वभाव, प्रवृत्तियों की भिन्नता, निर्धनता, अनिष्ठा, यातायात के साधनों का अभाव आदि श्रम की गतिशीलता में बाधा पहुँचाते हैं। इसी प्रकार पूँजी की गतिशीलता भी कम होती है। अर्द्ध विकसित देशों में साधनों की दृढ़ गतिहीनता के अतिरिक्त एकाधिकारिक प्रवृत्तियाँ, देश-विदेश के बाजारों का ज्ञान नहीं होना, बेलोच आर्थिक ढाँचा, विशिष्टीकरण का अभाव, पिछड़ी हुई समाज व्यवस्था आदि के कारण भायनों का सतुलित और उचित

आवंटन नहीं हो पाता है। अर्थ-व्यवस्था गतिहीन होती है जिससे इसके विभिन्न क्षेत्र के मूल्य आय के प्रति संवेदनशील नहीं होते। इस प्रकार साधनों का असन्तुलित संयोग, अर्द्ध-विकसित देशों के अर्द्ध-विकास का कारण होता है।

10. आर्थिक विषमता (Economic Disparities)—अर्द्ध-विकसित देशों में व्यापक रूप में धन और आय की विषमता तथा उन्नति के अवसरों की असमानता पायी जाती है। देश की अधिकांश सम्पत्ति, आय और उत्पात्ति के साधनों पर एक छोटे से समृद्ध वर्ग का अधिकार होता है जबकि देश के बहुत बड़े निर्धन वर्ग को आय का थोड़ा सा भाग प्राप्त होता है। इसी प्रकार भ्रष्टाचार के अवसर भी योग्यता की अपेक्षा जाति और आर्थिक क्षमता पर निर्भर करते हैं। धनिक वर्ग में बचत क्षमता अधिक होती है जिसके द्वारा और अधिक धन कमाने के साधन इनके हाथ में आते जाते हैं। निर्धन वर्ग को लाभ पहुँचाने वाले कार्यों जैसे, सामाजिक सुरक्षा, समाज सेवाओं, श्रम-सघो, प्रगतिशील करारोपण आदि संस्थाएँ अधिक विकसित नहीं होती हैं। परिणामस्वरूप, इन निर्धन देशों में धनी देशों की अपेक्षा व्यापक आर्थिक विषमता पायी जाती है। प्रो. साइमन कुजनेट्स के अग्रार्कित अनुमान इस तथ्य के परिचायक है—

देश	सम्पूर्ण आय का जनसंख्या के 20% धनिक वर्ग को प्राप्त होने वाला प्रतिशत	सम्पूर्ण आय का जनसंख्या के 70% निर्धन वर्ग को प्राप्त होने वाला प्रतिशत
विकसित देश		
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	44	34
ब्रिटेन	45	35
अर्द्ध-विकसित देश		
भारत	55	28
शीलका	50	30

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विकसित देशों की अपेक्षा अर्द्ध-विकसित देशों में आर्थिक असमानता अधिक है। प्रो. महालनोबीस रिपोर्ट के अनुसार सन् 1955-56 में देश के 50% लोगों के पास देश की कुल आय का 20% भाग था और इसमें भी सर्वोच्च वर्ग के 1% व्यक्तियों को 11% आय प्राप्त होती थी। इसके विपरीत सबसे निम्न वर्ग के 25% लोगों को समस्त आय का केवल 10% भाग प्राप्त होता था।

(व) जनसंख्या सम्बन्धी लक्षण

(Demographic Characteristics)

समस्त अर्द्ध-विकसित देशों में जनसंख्या सम्बन्धी विशेषताएँ समान नहीं पायी जातीं। ये देश जनसंख्या के घनत्व, आयु संरचना और जनसंख्या में परिवर्तन की दर में भी भिन्नता रखते हैं। बाबर एवं याने के अनुसार भारत और पाकिस्तान में सन् 1800 के पश्चात् जनसंख्या वृद्धि की दर कई पश्चिमी देशों की जनसंख्या वृद्धि

की दरों से भिन्न नहीं रही है। इसके अतिरिक्त अधिक जनसंख्या वाले देशों की जनसंख्या वृद्धि की दर ही सर्वाधिक हो, ऐसी बात नहीं है। फिर भी अर्द्ध-विकसित देशों की जनसंख्या सम्बन्धी निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं—

1. जनसंख्या की अधिकता (Over Population)—कई अर्द्ध-विकसित देशों की जनसंख्या अधिक होती है। यद्यपि इन अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए भी निरपेक्ष (Absolute) रूप में अधिक आबादी वाले देश कहना उचित नहीं है, क्योंकि जनसंख्या की अधिकता या न्यूनता (Over population or under population) को उस देश के प्राकृतिक साधनों के सम्बन्ध में देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी अर्द्ध विकसित देश जनसंख्या की समस्या से ग्रसित नहीं हैं। लेटिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कम जनसंख्या (Under-Population) वाले देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप भी तकनीकी ज्ञान के वर्तमान स्तर पर कम जनसंख्या वाला क्षेत्र ही कहा जा सकता है। इसी प्रकार भारत आदि कुछ देशों में अधिक जनसंख्या हो सकती है, किन्तु समस्त अर्द्ध-विकसित देश अधिक जनसंख्या के भार से ग्रस्त नहीं हैं।

2. जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर (High rate of population growth)—अर्द्ध विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर भी अधिक है। इनके क्षेत्र के 17 देशों में से 8 देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर 2% और 3% के मध्य है और कुछ देशों की इससे भी अधिक है। लेटिन अमेरिका में भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति पायी जाती है। इसके विपरीत विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर कम है। अर्द्ध-विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि की उच्च दरों का कारण जन्म-दर का ऊँचा होना और मृत्यु दर का कम होना है।

3. जीवनावधि की अल्पता (Low life Longevity)—जीवनावधि का आशय देशवासियों की औसत आयु है। अर्द्ध विकसित देशों में आयु की कमी के कारण जीवन-स्तर नीचा होता है और निर्धनता तथा आर्थिक विषमताओं की अधिकता के कारण औसत आयु कम होती है। वस्तुतः प्रति व्यक्ति आय और जीवनावधि में सकारात्मक सह-सम्बन्ध होता है, यही कारण है कि जहाँ विकसित देशों में लोग अधिक समय तक जीवित रहते हैं, वहाँ अर्द्ध-विकसित देशों में औसत आयु बहुत कम होती है। अर्द्ध-विकसित देशों में जीवनावधि कम होने का परिणाम है—घनी देशों की अपेक्षा इन देशों में अधिक व्यक्ति छोटी आयु में मर जाते हैं एवं इस प्रकार कार्य करने की अवधि भी कम ही होती है।

4. आयु वितरण (Age distribution)—अर्द्ध विकसित देशों की जनसंख्या में कम उम्र वाले लोगों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है और इनमें बालकों की संख्या अधिक होती है। एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिकी देशों में जो अर्द्ध-विकसित क्षेत्र हैं 15 वर्ष से कम आयु वाली संख्या कुल जनसंख्या का 40% है जबकि समुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड आदि में यह अनुपात केवल 23 से 25% तक है। इस प्रकार इन देशों में अनुत्पादक उपभोक्ताओं का भाग अधिक होता है।

5. सक्रिय जनसंख्या का भाग कम होना (Less active population)—
 अर्द्ध-विकसित देशों की जनसंख्या में बालकों का अनुपात अधिक होने के कारण सक्रिय जनसंख्या का भाग कम होता है। यहाँ कार्य में करने वाले आर्थिकों का भाग अधिक होता है। बालकों और अनुत्पादक व्यक्तियों का अनुपात अधिक होने के कारण उनके जन्म, पालन-पोषण आदि पर अधिक व्यय होता है और अर्थ-व्यवस्था पर बोझ बढ़ जाता है। भारत में सन् 1961 में 14 वर्ष तक का आयु-वर्ग जनसंख्या का 41% था, जबकि जर्मनी में 21% और फ्रांस में 24.7 प्रतिशत था।

6. ग्रामीण क्षेत्र की प्रधानता (Pre-dominance of Rural Sector)—
 अर्द्ध-विकसित देशों में ग्रामीण क्षेत्र की प्रधानता रहती है। इन देशों की अधिकांश जनता ग्रामों में निवास करती है और ग्रामीण व्यवसायों जैसे कृषि, वन, मत्स्य पालन आदि से जीविका निर्वाह करती है। आर्थिक विकास के साथ-साथ इस स्थिति में परिवर्तन होता है। प्रति-व्यक्ति आय की वृद्धि के अनुपात में खाद्यान्नों की माँग में वृद्धि नहीं होती और दूसरी ओर कृषि में पूँजी के अधिक उपयोग के कारण गहन और विस्तृत दोनों प्रकार की कृषि-प्रणालियों द्वारा कृषि-उत्पादन बढ़ता है। परिणामस्वरूप, कृषि एवं ग्रामीण व्यवसायों में जनसंख्या का अनुपात कम होता जाता है और दूसरी ओर औद्योगीकरण के कारण बड़े-बड़े नगरीय विकास होता है और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ता जाता है।

(स) सामाजिक विशेषताएँ (Social Characteristics)

अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में आर्थिक विकास की दृष्टि से पाए जाने वाली मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. अर्द्ध-विकसित मानव पूँजी (Under-developed human capital)—
 आर्थिक विकास में मानव पूँजी का निर्धारक महत्त्व है। विकसित मानवीय पूँजी अर्थात् स्वस्थ, शिक्षित, कुशल एवं नैतिकता सम्पन्न देशवासी आर्थिक विकास में बहुत सहायक होते हैं, किन्तु दुर्भाग्यवश अर्द्ध-विकसित देशों में यह मानव पूँजी भी अर्द्ध-विकसित ही होती है। देश में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का तथा कुशल श्रमिकों का अभाव होता है। स्वास्थ्य का स्तर भी प्रायः नीचा होता है। लोगों में विवेकपूर्ण विचारधारा का भी अभाव होता है। इसके अतिरिक्त वनाभाव के कारण लोगों के विकास के लिए अधिक पूँजी लगाना सम्भव नहीं होता। उदाहरणार्थ, भारत में जहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान पर प्रति व्यक्ति लगभग 15 पैसे वार्षिक व्यय किया जाता है वहीं अमेरिका और रूस में यह व्यय-राशि क्रमशः लगभग 154 रुपये और 110 रुपये है।

2. अन्य सामाजिक विशेषताएँ—अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्थाएँ अनेक सामाजिक दोषों से ग्रस्त होती हैं। प्रायः समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित होता है और पं वर्ग अपने-अपने हितों पर ध्यान देते हैं और अन्वेषण करते हैं तथा नवीन प्रयत्नों को सरलता से एवं प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करने को तैयार नहीं होते। समाज में गृहों का

प्रयोग लोकप्रियता के लिए होता है। स्त्रियों के प्रतिरिक्त पुरुष भी गहने पहिनना पसन्द करते हैं। रीति रिवाज बहुत महँगे होते हैं जिन्हें निभाने में आय का बड़ा अंश व्यय करना पड़ता है। फलस्वरूप बचन की मात्रा कम हो जाती है और पूँजी का निर्माण नहीं हो पाता। स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा गौण स्थान प्राप्त होना है। उनकी जाति पर तरह-तरह के अकुण होते हैं। आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े रहने के कारण स्त्रियाँ समाज के उत्थान में सहायक नहीं हो पाती। सामाजिक स्तर (Status) का भी विशेष महत्त्व होता है। मजदूरी आदि के निर्धारण में सविदा की अपेक्षा परम्पराओं का प्रभाव अधिक पड़ता है। इन सब बातों का मिला कर यह प्रभाव होता है कि अर्द्ध विकसित देश की अर्थ-व्यवस्था तेजी से आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर नहीं हो पाती।

(द) तकनीकी विशेषताएँ

(Technological Characteristics)

अर्द्ध विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन की प्राचीन परम्परागत विधि का उपयोग किया जाता है। फलस्वरूप प्रति व्यक्ति उत्पादन विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा बहुत कम रहता है। तकनीकी और सामान्य दोनों ही प्रकार की शिक्षा का अभाव होने के कारण अर्द्ध विकसित देशों में विकसित देशों की अपेक्षा उत्पादन में बहुत अधिक पिछड़ापन रहता है। परिवहन और संचार साधनों का अभाव भी अर्थ-व्यवस्था को पीछे धकेलता रहता है। प्राविधिक ज्ञान के अभाव के कारण अकुशल श्रमिकों की संख्या अधिक होती है और इसलिए आर्थिक विकास के लिए प्रयत्नशील अर्द्ध विकसित देशों को तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए विकसित देशों का मुँह देखना पड़ता है। वास्तव में, प्राविधिक प्रगति और आर्थिक विकास एक दूसरे के कारण और परिणाम हैं। अर्द्ध विकसित देशों में जहाँ तकनीकी प्रगति के कारण द्रुत आर्थिक विकास नहीं हो पाता वहाँ अपर्याप्त आर्थिक साधनों के कारण तकनीकी प्रगति के लिए अधिक प्रयास करना भी सम्भव नहीं हो पाता।

(इ) राजनीतिक विशेषताएँ

(Political Features)

राजनीतिक क्षेत्र में अर्द्ध विकसित राष्ट्रों की स्थिति प्रायः बड़ी दयनीय होती है। ये राष्ट्र राजनीतिक दृष्टि से प्रायः कमजोर होते हैं और उन पर अन्य देशों के दबाव अथवा आक्रमण का सदैव भय बना रहता है। समुचित साधन उपलब्ध न होने के कारण देश की रक्षायें प्राधुनिक षट्त्रास्त्रों में सुसज्जित सैनिक शक्ति का अभाव भी बहुत कष्टप्रद होता है। जनता गरीब होने के कारण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही लगी रहती है और राजनीतिक अधिकारों के प्रति विशेष सजग नहीं होती। अधिवाश व्यक्तियों में यथार्थ रूप में राजनीतिक अधिकारों के बारे में अज्ञानता ही पायी जाती है। अर्द्ध विकसित देशों में प्रथम तो मध्यम वर्ग का अभाव पाया जाता है और यदि यह वर्ग होता भी है तो सामान्यतः बहुत निर्बल होता है। प्रायः विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में मध्यम वर्ग के इस अभाव की समस्या नहीं होती।

आर्थिक विकास की दृष्टि से यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि अधिकांशतः मध्यम वर्ग से ही साहसी, कुशल प्रशासक और योग्य व्यक्ति प्राप्त होते हैं।

(ई) अन्य विशेषताएँ

(Other Characteristics)

अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की अन्य उल्लेखनीय विशेषताओं में हम योग्य प्रशासन के अभाव, उत्पत्ति के साधनों में असमानता, स्थिर व्यावसायिक ढाँचे, दीर्घपूर्ण प्राशुल्किक व मौद्रिक संगठन आदि को ले सकते हैं। इन देशों में जो प्रशासनिक यन्त्र होता है वह प्रायः कुशल और योग्य नहीं होता। अधिकारीगण व्यक्तिगत स्वार्थों को ऊँचा स्थान देते हैं। ईमानदार अधिकाइयों के अभाव में आर्थिक विकास के साधनों का दुरुपयोग होता है और राष्ट्र की प्रगति अवरुद्ध होती है।

उत्पत्ति के साधनों में असमानता होने से आशानुकूल उत्पादन सम्भव नहीं होता। विकासशील अर्थ-व्यवस्थाओं के विपरीत अर्द्ध-विकसित देशों में उत्पत्ति के साधनों में वाँछित गतिशीलता नहीं पायी जाती। फलस्वरूप राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था में अधिकतम उत्पादन सम्भव नहीं हो पाता। अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं का व्यावसायिक ढाँचा प्रायः स्थिर रहता है। इस कारण भी उत्पत्ति के साधनों में गतिशीलता नहीं पायी जाती। परिणामतः न तो उद्योगों में विशिष्टीकरण ही हो पाता है और न देश आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर होता है।

ऐसी अर्थ-व्यवस्थाओं में प्राशुल्किक और मौद्रिक संगठन प्रायः दीर्घपूर्ण होता है। राजस्व प्रायः अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से प्राप्त होता है जिनकी प्रकृति अग्रगामी (Regressive) होती है। आय के साधन के रूप में प्रत्यक्ष करों का महत्त्व कम होता है। प्रगतिशील कर प्रायः नहीं पाए जाते। कर-संग्रह-विधि मितव्ययी नहीं होती और कर अपवचन भी बहुत कम होता है। मुद्रा बाजार प्रायः अविकसित होते हैं। सरकारी मौद्रिक नीति परिस्थितिवश प्रायः इतनी दुर्बल होती है कि देश की अर्थ-व्यवस्था को समुचित ढंग से नियन्त्रित नहीं कर पाती।

निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि प्रायः उपरोक्त सभी विशेषताएँ अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में न्यूनधिक मात्रा में पायी जाती हैं। विश्व के समस्त अर्द्ध-विकसित देशों की सम्मिलित ढंग से एक प्रकार की विशेषताएँ बतलाना बहुत कठिन है क्योंकि विभिन्न देशों की आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक और कृषि सम्बन्धी अवस्थाएँ व प्रवृत्तियाँ भिन्न-भिन्न हैं। यद्यपि इन देशों में विकास की पद्धतियाँ, गतियाँ, जनसंख्या की विशेषताएँ और आन्तरिक परिस्थितियाँ भी भिन्न-भिन्न हैं तथापि इन भिन्नताओं के बावजूद अधिकांश परिस्थितियों में एक बड़ी मात्रा तक उनकी विशेषताओं में एकता व समानता पायी जाती है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं को, विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं से भिन्न करके, भली प्रकार पहचान पाते हैं।

अर्द्ध-विकसित देशों की समस्याएँ

(Problems of Under-Developed Countries)

अर्द्ध-विकसित देशों की समस्याएँ अग्रलिखित वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं—

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| (1) अधिक समस्याएँ, | (4) राजनीतिक समस्याएँ, |
| (2) सामाजिक समस्याएँ, | (5) अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ । |
| (3) प्रशासनिक समस्याएँ, | |

आर्थिक समस्याएँ

अर्द्ध-विकसित देश अनेक आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त हैं, जैसे—

- (1) बचत एवं पूंजी निर्माण की समस्या, (2) निर्यन्ता का विप्लव कुचक्र, (3) उपभोग और घरेलू बाजार की अपर्याप्तता, (4) समुचित आर्थिक रचना का न होना, (5) कृषि एवं भूमि से सम्बन्धित बाधाएँ तथा (6) बेरोजगारी ।

अर्द्ध विकसित देशों में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है, अतः बचत नहीं हो पाती । बचत न होने से पूंजी का वांछित निर्माण नहीं होता, फलस्वरूप आर्थिक विकास के निया-कलाप गति नहीं पाते । प्रति व्यक्ति आय कम होने से देश में उपभोग की मात्रा कम होती है, परिणामतः घरेलू बाजार का क्षेत्र सीमित रहता है, अन्ततः देश की अर्थ-व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । आय कम होने से बचत और पूंजी निर्माण को आयत पहुँचता है और माँग व उपभोग के कम होने से पूंजी विनियोग के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह पाता । लघु पैमाने पर उत्पादन काय होने से बड़े उत्पादन की बचत सम्भव नहीं हो पाती । समुचित आर्थिक रचना का अभाव इन समस्याओं को और भी विषम बना देता है । आर्थिक संरचना में रेलों, सबको परिवहन के अन्य साधनों, चिकित्सालयों, स्कूलों, बिजली पानी, पुलों, आदि को सम्मिलित किया जाता है । यदि इन साधनों की समुचित व्यवस्था नहीं होती तो आर्थिक विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है । कृषि एवं भूमि से सम्बन्धित विभिन्न समस्याएँ अर्द्ध विकसित देशों में प्रस्तुत किए रहती हैं । प्रायः यह देखा गया है कि अर्द्ध विकसित देश कृषि पर अधिक दबाव, कृषिजोतों के उप विभाजन व उप-खण्डन, कृषि ऋण, अधिक लगान, सिंचाई साधनों के अभाव, कृषि विपणन की असुविधा, प्रति इकाई कम उपज, सुख सुविधाओं की कमी आदि विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त रहती हैं । आर्थिक विकास प्रवृद्ध होने से देश में बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो जाती है । अर्द्ध विकसित देशों में बेरोजगारी के अतिरिक्त अर्द्ध-बेरोजगारी (Under-employment) अथवा अदृश्य बेरोजगारी (Disguised un employment) की समस्या भी विशेष रूप से गम्भीर होती है ।

सामाजिक समस्याएँ

अर्द्ध-विकसित देश विभिन्न सामाजिक समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं । आर्थिक विकास की दृष्टि से इन देशों की मूलभूत सामाजिक समस्याएँ निम्नलिखित होती हैं—(1) जनसंख्या में वृद्धि और जनसंख्या का निम्न गुण-स्तर होना, (2) सामाजिक और सत्यागत बाधाएँ व रुढ़ियाँ, एवं (3) कुशल साहसियों का अभाव ।

अर्द्ध विकसित देशों की प्रमुख सामाजिक-आर्थिक समस्या जनसंख्या की तीव्र वृद्धि है । एक घोर तो आय और पूंजी का अभाव होता है तथा दूसरी ओर जनसंख्या की तीव्र वृद्धि आर्थिक विपन्नता के प्रयत्नों को विफल बनाती ² । इन देशों

की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि जनसंख्या-वृद्धि के भार को वहन कर सकें एवं रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध करा सकें। सामाजिक और संस्थागत रुढ़ियाँ व कुरीतियाँ भी देश को आगे बढ़ने से रोकती हैं। इनके कारण जनता नवीन परिवर्तनों और परिस्थितियों को अपनाने से यथानुभव वचना चाहती है, फलस्वरूप देश में तकनीकी और वैज्ञानिक क्रान्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाता। अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में साहसी वर्ग का भी अभाव पाया जाता है जबकि यही वर्ग मूलतः उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को जुटाने और सक्रियता देने का उत्तरदायित्व वहन करता है। अव्यवस्थित सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक ढाँचे के कारण अर्द्ध-विकसित देशों में आर्थिक वतावरण ऐसा नहीं होता जो साहसी वर्ग को आगे लाए, परिणामतः देश की प्रगति धीरे-धीरे होती है।

राजनीतिक समस्याएँ

अर्द्ध-विकसित देशों की प्रमुख राजनीतिक समस्याओं में हम राजनीतिक अस्थिरता, नियोजन के प्रति उदासीनता, श्रमिकों के शोषण व बन्धन आदि को ले सकते हैं। राजनीतिक जागरूकता का अभाव होने से प्रायः दीर्घजीवी राजनीतिक दल या दल नहीं पनप पाते और शासन-सत्ता में स्थायित्व नहीं आ पाता। यह राजनीतिक अस्थिरता एक ओर तो आर्थिक विकास के लिए हट और स्थाई नीतियों को अवरुद्ध करती है, दूसरी ओर राष्ट्रीय प्रतिरक्षा को निर्बल बनाती है। अशिक्षित और रुढ़िवादी जनता नियोजन के महत्त्व को स्वीकार नहीं करती। राजनीतिक दृष्टि से अस्थिर सरकारें जनता में नियोजन कार्यक्रमों के प्रति विश्वास पैदा नहीं कर पाती, फलस्वरूप देश को नियोजन के लाभ नहीं मिल पाते। अर्द्ध-विकसित देश विभिन्न श्रमिक समस्याओं से भी ग्रस्त रहते हैं। प्रायः स्थायी श्रमिक वर्ग की कमी बनी रहती है। रुढ़िवादिता और सामाजिक बन्धनों के कारण श्रम की गतिशीलता नहीं पायी जाती। राजनीतिक जागरूकता के अभाव के कारण श्रमिकों में श्रम-सर्वो जैसी संस्थाएँ समुचित ढंग से नहीं पनप पाती। जब देश का श्रमिक वर्ग ही अकुशल, अजागरूक और अशिक्षित हो तो देश के आर्थिक विकास को स्वभावन गति नहीं मिल सकती।

प्रशासनिक समस्याएँ

अर्द्ध-विकसित देश प्रशासनिक दृष्टि से बहुत अकुशल, अवैज्ञानिक और पिछड़े हुए होते हैं। देश की गरीबी और अशिक्षा जनता में चारित्रिक स्तर को ऊँचा नहीं उठने देती, फलस्वरूप कुशल और ईमानदार प्रशासनिक अधिकारियों की सदा कमी बनी रहती है और राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा निजा हितों को अधिक महत्त्व दिया जाना है। भ्रष्टाचार का दाना देश के आर्थिक विकास का गला घोंटता रहता है। इसके अतिरिक्त प्राथमिकता की समस्या भी बनी रहती है। अर्द्ध-विकसित देश सभी क्षेत्रों में पिछड़े होते हैं और इन सभी क्षेत्रों का समुचित रूप से विकास करना आवश्यक होता है, लेकिन पूँजी और उत्पत्ति के आवश्यक साधनों के अभाव के कारण विकास नहीं हो पाता कि सभी क्षेत्रों का समुचित विकास किया जा सके।

फलस्वरूप प्राथमिकता की समस्या निरन्तर विद्यमान रहती है। देश के सन्तुलित विकास के लिए विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता का तम देना पड़ता है।

अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ

'गरीब की जोरू सब की भाभी' वाली कहावत अर्थ-विकसित देशों पर पूरी तरह लागू होती है। ये देश आर्थिक, सामाजिक और राजनीति दृष्टि से तो परेशान ही हैं, लेकिन विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ भी इन्हें दबाए रहती हैं। विकसित राष्ट्र इस प्रकार की प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियाँ पैदा कर देते हैं जिनका अविकसित देश प्रायः समुचित ढंग से सामना नहीं कर पाते और उन्हें अनेक रूपों में विकसित राष्ट्रों का आश्रय स्वीकार करना पड़ता है।

अन्य समस्याएँ

उपर्युक्त समस्याओं के अतिरिक्त अर्थ-विकसित देशों और भी अनेक समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। अर्थ-विकसित देशों में आर्थिक विकास के साथ-साथ मूल्य भी बढ़ते हैं। यदि यह बढ़ोत्तरी मौद्रिक धाय की अपेक्षा कम होती है तब तो कोई समस्या पैदा नहीं होती, किन्तु यदि यह वृद्धि मौद्रिक धाय की अपेक्षा अधिक हो जाती है तो समाज-मुद्रा स्फीति के संकट में फँसने लगता है। दूसरी गम्भीर समस्या विदेशी मुद्रा का होता है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक अनेक साधनों को विदेशों से आयात करना होता है जिसके लिए वांछित विदेशी मुद्रा नहीं मिल पाती। विदेशी मुद्रा के अभाव में आवश्यक साधनों के आयात को रोकने से आर्थिक विकास की गति अवरुद्ध होने का खतरा रहता है, इसीलिए अर्थ-विकसित देशों को सहायता व ऋण के लिए विकसित राष्ट्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह निर्भरता पूँजी व मानविक ज्ञान दोनों क्षेत्रों में होती है।

अर्थ-विकसित देशों की इन विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न उपायों के अतिरिक्त एक प्रभावशाली और अनुशासित राजकोषीय नीति का महत्त्व सर्वांगपरि है। राजकोषीय नीति का अर्थ विकसित अर्थ-व्यवस्था में सबसे महत्त्वपूर्ण यह होना चाहिए कि वह पूँजी-निर्माण और पूँजी की गति को बढ़ाने में सहायक बने ताकि यहाँ स्थाई वृद्धि की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिले। इस उद्देश्य की पूर्ति में प्रभावशाली कर-नीति, सार्वजनिक व्यय-नीति, सार्वजनिक ऋण-नीति और हीनार्थ प्रवृत्ति की नीति, बड़ी सहायक हो सकती है जिन्हें आवश्यकतानुसार प्रयुक्त किया जाना चाहिए। प्रभावशाली राजकोषीय नीति अर्थ-व्यवस्था की उन्नति में निर्णायक योगदान कर सकती है।

अर्थ-विकसित देशों की एक कठिन समस्या विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित है। इन राष्ट्रों को कृषि, यन्त्रों, साधनों, सिंचाई साधनों, खाद, बीज आदि की पूर्ति के लिए बहुत कुछ विदेशों पर निर्भर करना पड़ता है। इन साधनों की उपलब्धि तभी सम्भव है जब या तो निर्यात किया जाए अथवा मुग्तान हेतु पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाए। विदेशी मुद्रा के अभाव में आर्थिक विकास अवरुद्ध न हो, इसके लिए अर्थ-विकसित राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों से समय-समय पर पूँजी व तकनीकी

ज्ञान दोनों रूपों में सहायता मांगनी पड़ती है। कभी-कभी यह सहायता श्रमों के रूप में भी मिलनी है। आयात नियन्त्रण व निर्यात प्रोत्साहन के द्वारा भी विदेशी विनिमय की समस्या को हल करने का प्रयास किया जाता है। कभी-कभी अबमूल्यन का सहारा भी लिया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ विदेशी मुद्रा सम्बन्धी सहायता विभिन्न शर्तों पर प्रदान करती हैं।

अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास की सामान्य आवश्यकताएँ (General Requisites for Development of Under-developed Countries)

अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए केवल समस्याओं को दूर करना ही काफी नहीं है और न ही पूँजी-निर्माण अथवा नवीन खोजों से ही समस्या का पूर्ण समाधान सम्भव है बल्कि आर्थिक विकास के लिए निम्नलिखित सामान्य आवश्यकताओं का होना भी आवश्यक है—

1. स्वदेशी-शक्तियाँ (Indegenious Forces)—अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास की प्रक्रिया स्वदेशी शक्तियों पर आधारित होनी चाहिए। बाह्य शक्तियाँ केवल स्वदेशी शक्तियों को प्रोत्साहन दे सकती हैं, किन्तु उनका प्रतिस्थापन (Substitute) नहीं बन सकती। यदि केवल विदेशी सहायता के बल पर ही किसी योजना को प्रारम्भ किया गया और लोगों की विकास-सम्बन्धी चेतना को जागरूक न बनाया गया तो आर्थिक विकास क्षणिक होगा। विदेशी सहायता पर पूर्ण रूप से निर्भरता के परिणामस्वरूप देश के प्राकृतिक साधनों का उपयोग भले ही हो जाए, लेकिन श्रमिकों की कार्यकुशलता नहीं बढ़ सकेगी। अतः आर्थिक विकास के लिए विदेशी सहायता को केवल सीमान्त रूप में ही हितकर मानते हुए अन्तिम रूप से उसे स्वदेशी शक्तियों पर ही आधारित करना चाहिए। विदेशी सहायता अल्पकालीन रूप में ही हितकारी सिद्ध हो सकती है, स्थायी रूप से नहीं। मेथर और बाल्डविन के अनुसार “यदि विकास की प्रक्रिया संचयी और दीर्घकालीन (Cumulative and long-lasting) हो तो विकास की शक्तियाँ विकासशील राष्ट्र के अन्तर्गत ही होनी चाहिए।”

2. पूँजी-संचय में वृद्धि (Increase in Capital Accumulation)—अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के लिए वास्तविक पूँजी का संचय अत्यावश्यक है। पूँजी-संचय मुख्यतः तीन बातों पर निर्भर करता है—(i) वास्तविक वचतों की मात्रा में वृद्धि हो, (ii) देश में पर्याप्त मात्रा में वित्त एवं साधन सुविधाएँ हो, तथा (iii) पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विनियोग कार्य हों। अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में पूँजी-निर्माण आन्तरिक और बाह्य दोनों ही साधनों द्वारा किया जा सकता है। परेलू साधनों में वृद्धि तभी सम्भव है जबकि वचत की मात्रा में वृद्धि, श्रम-शक्ति और प्राकृतिक साधनों का उपयोग, उपभोग पर रोक, गतिशीलता एवं उचित निर्देशन आदि हो। परेलू पूँजी का निर्माण सम्भव न होने पर बाह्य साधनों से अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय साधनों से पूँजी-निर्माण किया जा सकता है। इन साधनों में प्रत्यक्ष

वास्तविक विनियोग, विदेशी अनुदान, सहायता व ऋण आदि सम्मिलित हैं। पूँजी-सचय की वृद्धि के साथ ही यह भी आवश्यक है कि उसके उपभोग या विनियोग करने की समुचित व्यवस्था हो। इसके अतिरिक्त प्राविधिक और सगठन सम्बन्धी विकास भी उच्च स्तर का होना चाहिए।

3. बाजार-पूर्णता (Perfectness of the Market)—बाजार की अपूर्णताओं को दूर करने के लिए सामाजिक एवं आर्थिक सगठनों के वैकल्पिक स्वरूपों का होना आवश्यक है। अधिक उत्पादन के लिए वर्तमान साधनों का अधिकतम उपयोग किया जाना जरूरी है। यह आवश्यक है कि बाजार में एकाधिकारी प्रवृत्तियों को दूर या कम कर पूँजी और साख का पूर्ण रूप से विस्तार करने, उत्पादन की सीमाओं को पर्याप्त रूप से बढ़ाने, उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करने, कृषि पर निरंतरता को कम करने, जरूरतमन्द लोगों को साख-मुविद्याएँ समय पर उपलब्ध कराने आदि के लिए प्रभावशाली और सफल प्रयत्न करना आवश्यक है। मेयर और बाल्डविन के अनुसार “देश की राष्ट्रीय आय को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए नवीन आवश्यकताओं, नवीन विचारधाराओं, उत्पत्ति के नए ढंगों और नई सस्थाओं की आवश्यकता है। आधुनिक आर्थिक विकास में धार्मिक रफावटे आदि होने से या तो प्रगति कम गति से होगी या उसके स्वभाव को ही बदलना होगा।”

4. पूँजी सचय की शक्ति (Capital Absorption)—अर्थ-विकसित राष्ट्रों में पूँजी-निर्माण की मन्द गति, प्राविधिक ज्ञान की कमी, कुशल श्रमिकों के अभाव आदि के कारण पूँजी सोखने या विनियोग करने की शक्ति प्रायः सीमित होती है। इन देशों में एक बार विकास आरम्भ हो जाने पर पूँजी सोखने या विनियोग करने की शक्ति बढ़ने लगती है, यद्यपि प्रारम्भ में मुद्रास्फीति (Inflation) का भय सदा बना रहता है। इसके अतिरिक्त यदि इन राष्ट्रों में पूँजी-सचय उनकी सोखने की शक्ति से अधिक हो जाता है तो वहाँ भुगतान-सन्तुलन सम्बन्धी कठिनाइयाँ उठ खड़ी होती हैं अर्थात् अर्थ-विकसित देशों में पूँजी-निर्माण की मात्रा के अनुरूप ही पूँजी-विनियोग करने की शक्ति बढ़नी चाहिए।

5. मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आवश्यकताएँ (Sociological and Psychological Requirements)—अर्थ-विकसित देशों में आर्थिक विकास के लिए मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं का भी महत्त्व है। राष्ट्र की विनियोग-नीति पर सामाजिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक-धार्मिक-आर्थिक मूल्यों और प्रेरणाओं का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। देश के नागरिकों द्वारा नवीन विचारों और विवेक का आश्रय लेने पर तथा धार्मिक और रुढ़िगत अन्धविश्वासों और परम्पराओं से उन्मुक्त रहने पर वहाँ आर्थिक विकास तीव्र गति से होना सम्भव है। अर्थ-विकसित देश आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर हो, इसके लिए आवश्यक है कि देशवासियों में भौतिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने वाली सामाजिक परिस्थितियाँ पैदा की जाएँ और यह भावना जाग्रत की जाए कि मनुष्य प्रकृति का स्वामी है। यह भी उपयोगी है कि समुक्त परिवार-प्रथा के स्थान पर एकाकी परिवार प्रथा को स्थान दिया जाए।

अर्द्ध-विकसित देशों के निवासियों में प्रायः साहस की भारी कमी रहती है। इसकी पूर्ति मुख्यतः तीन बातों पर निर्भर करती है—योग्यता, प्रेरक शक्ति एवं सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण। योग्यता में दूरदर्शिता, बाजार-श्रवसरो को पहचानने की क्षमता, कार्य की वैकल्पिक सम्भावनाओं को पहचानने का विवेक, व्यक्तिगत योग्यता आदि बातें सम्मिलित रहती हैं। प्रेरक शक्ति में मौद्रिक लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि को सम्मिलित किया जाता है जिससे कि व्यक्ति को प्रेरणा प्राप्त हो। आर्थिक व सामाजिक वातावरण में आन्तरिक शान्ति, सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता आदि बातें सम्मिलित की जाती हैं। आर्थिक विकास में नेतृत्व का भी बहुत महत्त्व है। बारबारा वार्ड का यह कथन बिलकुल ठीक है कि “आर्थिक विकास की प्रभावशाली नीति के लिए यह विचारधारा आवश्यक है कि अपेक्षित पूँजी व संचालन के लिए योग्यता एवं कुशल व्यक्ति हो। भ्रष्टाचार और स्वार्थ से उत्पत्ति नहीं हो सकती।”

6. विनियोग का आधार (Investment Criteria)—अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए विनियोग का सर्वोत्तम आवंटन करना कठिन कार्य है। इसके लिए कोई निश्चित मापदण्ड निर्धारित करना भी सुगम नहीं है क्योंकि उद्योगों का उत्पादन विभिन्न ढंगों से प्रभावित होता है। फिर भी अर्थशास्त्रियों ने विनियोग का आधार निर्धारित करने के लिए कुछ बातें आवश्यक ठहराई हैं। प्रो मौरिस डॉब (Maurice Dobb) के अनुसार अर्द्ध-विकसित देशों को अपनी विनियोग नीति (Investment Policy) के सम्बन्ध में निर्णयित बातों का ध्यान रखना चाहिए—

- (i) विनियोग राशि का कुल आय से अनुपात,
 - (ii) विनियोग की जाने वाली राशि का विभिन्न क्षेत्रों में वितरण, एवं
 - (iii) उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली तकनीक का चुनाव।
- इनके अतिरिक्त अनेक अर्थ-शास्त्रियों ने विनियोग के अन्य मापदण्ड भी बताए हैं जैसे—

- (i) न्यूनतम पूँजी-उत्पादन-अनुपात (Minimum Capital Output Ratio),
- (ii) अधिकतम रोजगार, एवं
- (iii) अधिकतम बचत की जाने वाली राशि की मात्रा जिसका पुनः विनियोजन किया जा सके।

व्यावहारिक रूप में उपर्युक्त मापदण्डों का उपयोग नहीं किया जाता था क्योंकि इनका क्रियान्वयन अत्यन्त कठिन है तथा ये मापदण्ड प्रायः परस्पर सगत (Consistent) नहीं होते। यद्यपि विनियोग के लिए प्रस्तावित साधनों के सर्वोत्तम आवंटन ‘सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त’ (Marginal Productivity Theory) द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन इस सिद्धान्त के व्यावहारिक क्रियान्वयन में भी अनेक बाधाएँ उपस्थित हो जाती हैं जिनके कारण यह मापदण्ड भी प्रायः अव्यावहारिक बन जाता है तथापि इसके द्वारा विविध योजनाओं को चुनने या रद्द करने के औचित्य को तो जाँचा ही जा सकता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय को अधिकतम करने के लिए

कम-पूंजी उत्पादन-अनुपात (Low capital output ratio) की नीति अपनाता श्रेयस्कर है, किन्तु जब ध्येय भविष्य में प्रति व्यक्ति उपज को अधिकतम करना हो तो पूंजी प्रधान-तकनीक को अपनाता अधिक अच्छा है। प्रो हार्वेल्तिरेस्टिन की मान्यता है कि विकसित देशों की नीति निर्माताओं को चाहिए कि वे विविध उद्योगों में सीमान्त प्रति व्यक्ति पुनर्विनिवेशन अंश (Marginal per Capita re-investment Quotient) की चिन्ता करें, न कि पूंजी की सीमान्त उत्पादकता बराबर करने की।

पश्चिमी देशों का अर्थशास्त्र पिछड़े देशों के लिए अनुपयुक्त

पश्चिमी देशों का अर्थशास्त्र नवोदित और पिछड़े देशों के शासकों को सम्मोहित किए जा रहा है। यह एक विशेष मनोवृत्ति की उपज है। औपचारिक रूप से साम्राज्यों का अन्त भले ही हो गया हो, लेकिन आर्थिक साम्राज्य अब भी कायम है, और वे पुरानी तर्क पद्धति को ही नए तरीके से पोषित करते हैं। यद्यपि तीसरी दुनिया के देशों ने अक्टाट, संयुक्तराष्ट्र राष, निर्गुट देश सम्मेलन आदि अर्थों से सामूहिक स्वर से इस तर्क पद्धति का विरोध करना शुरू कर दिया है। स्वीडन के विख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर गुनार मिडेल ने अपने 'एशियन ड्रामा' में सकलित तर्कों के आधार पर पश्चिम के असन्तुलित अर्थशास्त्र का मायाजाल ध्वस्त करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई और उसमें जो कमो रह गई उसे उन्होंने अपनी पुस्तक 'द चैलेन्ज ऑफ वर्ल्ड पावरटी' में पूरा कर दिया है। इस पुस्तक में गुनार मिडेल ने यद्यपि इस बात का विवेचन विस्तार से नहीं किया है कि अल्प विकसित देशों के विकास को सम्भव बनाने और तीव्र करने के लिए विकसित तथा अतिकसित देशों को क्या प्रमुख नीतियाँ अपनानी चाहिए, तथापि उन्होंने पश्चिमी देशों के दृष्टिकोण की कमियों को बताते हुए नीति-निर्धारकों के लिए सोचने विचारने की यथेष्ट सामग्री प्रस्तुत की है।

गुनार मिडेल ने प्रथम अध्याय में ही पश्चिमी देशों के दृष्टिकोण की कमियाँ बताते हुए कहा है कि "उन देशों में अनुसंधान भी प्रायः राजनयिक होता है और अनुसंधान का समारम्भ विश्लेषणात्मक पूर्वसंकल्पनाओं अथवा मान्यताओं के आधार पर होता है।" उनकी मान्यता है कि विकसित देशों में गुट आर्थिक दृष्टि से किया गया विश्लेषण अल्प विकसित देशों पर इसलिए लागू नहीं होना क्योंकि उनकी संकल्पनाएँ, नमूने और सिद्धान्त विकसित देशों के यथार्थ के अनुरूप होते हैं।

इस अनुसंधान में दुनियादी कमी है कि यह दृष्टिकोण प्रवृत्तियों और सस्थाओं से प्रेरित होता है। विकसित देशों में ये या तो इस दृष्टि से सगत बन गए हैं कि वे विकास के उत्साह का मार्ग प्रशस्त करते हैं अथवा तीव्रता से और बिना किसी व्यवधान के व्यवस्थित होकर विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं, लेकिन यह मान्यता कम विकसित देशों के बारे में सही नहीं हो सकती। इनकी प्रवृत्तियाँ अथवा रुझान सस्थाएँ ऐसी हैं कि वे बाजारों के सन्दर्भ में विश्लेषण को अव्यावहारिक बना देती हैं।

विकसित तथा अतिकसित देशों के वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में उनका

निष्कर्ष है कि "इस समय वह कार्य जिस रूप में हो रहा है, साधारणतया उनमें अल्पविकसित देशों की उन परिस्थितियों को छिपाने का प्रयास किया जाता है जो ग्रामूल और दूरगामी सुधारों की आवश्यकता को सर्वाधिक प्रमाणित करते हैं। इसने अर्थशास्त्र के एक प्राचीन पूर्वाग्रह का भी अनुसरण किया है। यह कार्य सीधे ढंग से यह मानकर किया गया है कि समानतावादी सुधार आर्थिक विकास के विपरीत हैं जबकि स्थिति यह है कि ये सुधार आर्थिक विकास को प्रेरणा देते हैं और इसकी गति तीव्र बनाते हैं।"

एक अन्य प्रसंग में पश्चिम के व्यापारियों के बारे में उनका विचार है कि "जन समुदाय की प्रायः यन्त्रवत् निष्क्रियता और अल्प-विकसित देशों में सुधारों के प्रयास का अभाव पश्चिम के उन व्यापारिक हितों को अच्छा लगता है जो अल्प विकसित देशों में अपनी पूंजी लगाना और अपने उद्योग चालू रखना चाहते हैं। सत्ताहृद समूह इन कम्पनियों के स्वाभाविक सहयोगी होते हैं। यह उपनिवेशी नीति को उसी रूप में जारी रखने का प्रमाण है और इससे इस आरोप का भौचित्य सिद्ध होता है जो पश्चिम के व्यापारियों पर उन्हें 'नव-पूँजीवादी' कहकर लगाया जाता है।"

भूमि-सुधार और खेती—अल्प-विकसित देशों में भूमि की उत्पादिकता का प्रश्न भूमि-वितरण, खेती के तरीकों, सामाजिक विपमता आदि अनेक परिस्थितियों से सम्बद्ध होता है, जिसका कोई उचित समाधान नहीं है। काफी ध्यानहीन और विश्लेषण के पश्चात् अध्येता गुन्नार मिडेल आग्रह करते हैं कि "विकासशील देशों में नई कृषि विधियाँ तथा टेक्नोलॉजी ऐसी हो, जिसमें श्रम का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता हो, यह इस कारण भी जरूरी है कि खेती में लगी श्रम-शक्ति का इस समय कम उपयोग हो रहा है और अधिकांश अल्प-विकसित देशों में आगामा अनेक दशकों तक कृषि में लगी श्रम-शक्ति में निरन्तर तेजी से वृद्धि होती रहेगी।" लेकिन किसी नई व्यवस्था के लिए जरूरी है कि खेतिहर का भूमि से लगाव हो। "बटाई पर खेत करने की व्यापक प्रणाली न तो टेक्नोलॉजी सम्बन्धी परिवर्तन के उपयोग की दृष्टि से लाभदायक है और न ही श्रम और धन के रूप में विनियोग की दृष्टि से।" गुन्नार मिडेल की दृष्टि में यह एक ऐसा बुनियादी कार्य है जिसे किए बिना जो कुछ भी किया जाएगा उसका साथ केवल ऊँचे स्तर के लोग उठाते रहेंगे और असमानता में वृद्धि होती रहेगी।

मिडेल की दृष्टि में, अल्प-विकसित देशों में अनाज की पूर्ति बढ़ाने के लिए उनका दाम उचित स्तर से ऊँचा बनाए रखने का तर्क भी, अमीर किसानों के ही हित में होगा, क्योंकि बटाईदार या छोटा किसान मुश्किल से जरूरत भर का अनाज पैदा करता है—यदि कटाई के समय उसे कर्ज की अदायगी या अन्य आवश्यकताओं के लिए गल्ला बेचना पड़ा तो बाद में अपना पेट भरने के लिए महुँमें दामों में खरीदना पड़ता है।

यही स्थिति उन्नत बीज, उर्वरक आदि के कारण उपजें, 'अतिशय तकनीकी आशावाद के सन्दर्भ में पायी जाती है.....' नए बीजों के उपलब्ध होने की बात का

इस्तेमाल कन्के बडे पैमाने पर भू-स्वामित्व और दस्तकारी प्रणाली के सुधारों की बात को पीछे डाल दिया गया है। इन सुधारों के अभाव में नए बीज का उपलब्ध होना उन ग्रन्थ प्रतिक्रियावादी शक्तियों से गठजोड़ करेगा जो इस समय अल्प विकसित देशों में आमोण जनसख्या और असमानता बढाने में सहायक बन रही है।

शिक्षा—वर्तमान शिक्षा प्रणाली ने, जो उपनिवेशकालीन प्रणाली का मात्र विस्तार है, समाज में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया है, और न ही वह कर सकती है, क्योंकि इस प्रणाली में प्रशासकों, अध्यापकों, विद्याविधों और सर्वाधिक शक्तिशाली उच्च वर्ग के परिवारों के शक्तिशाली स्वार्थ निहित हैं। यदि दक्षिण पूर्वी एशिया में साक्षरता और प्रौढ शिक्षा के सन्दर्भ में यह वाक्य वास्तविकता है—“जब बच्को को शिक्षा देने के प्रयासों को एक घोर उठा कर रख दिया गया तो साक्षरता के लक्ष्य को प्राईमरी स्कूलों में बच्चों की भर्ती की सख्या में तेजी से वृद्धि के कार्यक्रम में बदल दिया गया।”

नरम राज्य—ग्रन्थ पश्चिमी लेखकों की तरह मिडल का भी यह मन है कि विभिन्न सीमाओं तक सभी अल्प विकसित देश ‘नरम राज्य’ हैं, लेकिन उनकी यह भी मान्यता है कि विकसित देशों में भा नरम राज्य के लक्षण पाए जाते हैं—अमेरिका के लोग, अल्पविकसित देशों के लोगों के समान, लेकिन उत्तर पश्चिम यूरोप के देशों के लोग विपरीत, अपने कानूनों में ऐसे आदर्शों को ध्यान देते हैं, जिन्हें समुक्त राज्य अमेरिका में कभी भी प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं किया गया। यद्यपि समुक्तराज्य अमेरिका में प्रशासन कभी भी बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं रहा तथापि इस देश ने बहुत तेजी से आर्थिक उन्नति की। यह उन अनेक परिस्थितियों के कारण सम्भव हुआ, जो आज गरीबी से प्रस्त अल्पविकसित देशों से बहुत भिन्न थी। विचारशील देशों में होता यह है कि राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसे कानून नहीं बनने देती जो लोगों के ऊपर अधिक उत्तरदायित्व डालते हों। जब कभी वातून बन जात है तो उनका पालन नहीं होता और इन्हें लागू करना भी आसान नहीं होता। इसका मूल कारण यह है कि स्वाधीनता के प्रारम्भिक दौर में सत्ताशुद्ध राजनीतिक दृष्टि से विभिन्न लोगों ने ये नए कानूनी अधिकार (व्यक्त गताधिकार आदि) लोगों को दिए, लेकिन वे लोग इन अधिकारों को वास्तविकता के आधार पर स्थापित करने के लिए उत्सुक नहीं थे। इस कार्य से बच निकलना भी आसान था, क्योंकि नीचे से कोई दबाव नहीं था। ऐसी स्थिति में यदि सरकार बदलती है और सत्त सरकार (जैसे पाकिस्तान में जब अय्यूब की तानाशाही आई) बागडोर सभालती है तो भी वह नरम ही रहती है, क्योंकि (1) वह उपयोगी सांस्थानिक परिवर्तन नहीं करा पाती और (2) सरकार में परिवर्तन समाज के सर्वोच्च वर्ग के लोगों के आपसी झगड़ों के परिणामस्वरूप होते हैं ये परिवर्तन कहीं भी गरीब जन समुदाय द्वारा अपने उत्पीड़न के विरुद्ध विद्रोह के परिणामस्वरूप नहीं आए।¹

पश्चिमी देशों के आर्थिक साम्राज्यवाद के विरुद्ध तीसरी दुनिया की रणनीति

तीसरी दुनिया के राष्ट्र, जो पश्चात्त आर्थिक साम्राज्यवाद के दीर्घकाल तक शिकार रहे हैं और आज भी हैं, अब एक नए अर्थतन्त्र और नए समाज की रचना के लिए प्रयत्नशील हैं। पश्चिम के आर्थिक साम्राज्यवाद के प्रति उनकी रणनीति बदल रही है जो पिछले कुछ अर्ध-सहस्र वर्षों में सम्पन्न हुए विभिन्न सम्मेलनों में प्रकट हुई है।

तीसरी दुनिया के देश, जिन्हें औद्योगिक जुम्मा उतार फेंकने के बाद प्राणा थी कि संयुक्तराष्ट्र संधि के माध्यम से या सीधे पश्चिमी देशों की आर्थिक सहायता (अनुदान और मुख्यतः ऋण) उनकी औद्योगिकी और उनसे व्यापारिक लेनदेन, नया अर्थतन्त्र और नए समाज की रचना का मौका देगा, समझ गए हैं कि उन्नत देशों के सामन्तीतन्त्र को उनसे सहानुभूति नहीं है। यही नहीं, उन्होंने यह भी महसूस कर लिया है कि सभी क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर पश्चिमी देशों के विश्व जेहाद (धर्म-युद्ध) छेड़ा जाना चाहिए। इसका स्वर दिल्ली में "एशिया और प्रशान्त क्षेत्र के लिए आर्थिक-सामाजिक आयोग के वार्षिक अधिवेशन (26 फरवरी से 7 मार्च, 1975) में ही सुनाई पड़ा।" लीमा में संयुक्तराष्ट्र उद्योग विकास सगठन के दूसरे सम्मेलन और हवाना में तटस्थ देशों के सम्मेलन में भी यही स्वर मुखर हुआ है। इसका लक्ष्य औद्योगिक देशों से अधिक साधन और सुविधाएँ प्राप्त करना तो है ही, साथ ही विकासशील देशों को एकता के सूत्र में बाँधना, तीसरी दुनिया के साधनों का उपयोग करना और आपसी लेनदेन बढ़ाना, तार्किक स्वावलम्बन के मार्ग पर बढ़ा जा सके। तेल उत्पादक देशों द्वारा मूल्य बढ़ाने से उसे एक नई शक्ति मिली है—विश्व के उत्पादन में विकासशील देशों के वर्तमान 7% योग को सन् 2000 तक बढ़ाकर 25 फीसदी करने का नारा हाल के अल्जीरस सम्मेलन में ही दिया गया था—मगर उतना नहीं जितना होना चाहिए था, क्योंकि तेल उत्पादक देशों में पश्चिम से जुड़ने का मोह पैदा हो गया है।¹

"लीमा में भारत के तत्कालीन उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्री श्री टी. ए. पं ने संयुक्तराष्ट्र उद्योग विकास सगठन के दूसरे सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय सामन्ती अर्थतन्त्र की खासी बलिवा उपेडी। श्री पं ने कहा कि विकासशील देशों के प्रयत्नों के बावजूद विकसित और विकासशील देशों में औद्योगिक अन्तर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अमीर देश पूँजी निवेश की मात्रा बढ़ाने में समर्थ हैं। यही नहीं, वे अन्य उन्नत देशों से ही व्यापार करना पसन्द करते हैं। उन्होंने अपने बाजार और लाभ सुरक्षित रखने के लिए तरह-तरह के प्रतिबन्ध ईजाद कर रखे हैं। घनिक देशों की मुनाफालोरी और शोषण की प्रवृत्ति का उदाहरण देते हुए भारतीय उद्योग मन्त्री ने बताया कि विकासशील देशों को दिवश किया जाता है कि वे बिना धुला

कपडा (Gray-cloth) निर्यात करें। यह कपडा घनिक देशों में रासायनिक तथा अन्य विधियों द्वारा साफ होकर ऊँचे दामों में विक्रता है। इसी प्रकार, उन्होंने पूछा, क्या चजह है कि हमारी चाय सिर्फ पेटियों में ही खरीदी जाती है? क्या इसलिए कि फिर उसे आकर्षक डिब्बों में भरकर मुनाफा कमाया जा सके? विकासशील देशों को कच्चा माल मुहैया करने वाला क्षेत्र ही माना जाता है। विकासशील देश जो जिसे निर्यात करते हैं उसका भाव भी विकसित देशों के ग्राहक इस तरह नियन्त्रित करते हैं कि तीसरी दुनिया के देशों की आगदनी में उतनी बढ़ोतरी नहीं होनी जितनी कि आयात करने वाले मूल्य के—मशीन, उर्वरक आदि के—भाव में हो जानी है। श्री प ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पश्चिमी देशों के माल—इस्पात, तैयार माल, मशीन आदि सबके मूल्य तेल का भाव बढ़ने के पहले से चढ़ने लगे थे।”

“आयात-निर्यात, सहायता, धर्म वृत्त औद्योगिकी आदि के अलावा विकासशील देशों की लीमा में जोशिश यह रही कि इस उद्योग के संगठन को समुक्त राष्ट्र का स्थायी और स्वतन्त्र संगठन बना दिया जाए। लेकिन पश्चिमी देश इसके पक्ष में नहीं थे। ब्रितानी प्रतिनिधि ने स्पष्ट शब्दों में कहा—हमें सन्देह है कि इससे धाय लोगों को कोई लाभ नहीं होगा। स्विट्जरलैण्ड के प्रतिनिधि ने औद्योगिक उत्पादन का लक्ष्य 25% निर्धारित करने का विरोध किया—यह व्यावहारिक नहीं है।”

भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर एक दृष्टि

अंग्रेजों के जाने के वक्त भारत की जो आर्थिक स्थिति थी उसके मुकाबले ब्रिटेनी शासन उखड़ने के समय की स्थिति एक अर्थ में बदतर है—विदेशी शासकों ने निहित स्वार्थों पर आधारित जो सामती डाँचा भारत पर थोपा था, वहीं आज अपने बदले हुए स्वरूप में दस गुनी शक्ति के साथ भारत पर हावी है। उस सम्पन्न वर्ग की अर्थ रचना अलग है जो अपनी अनिर्दिष्ट आगदनी रेबीजरेटर, स्क्रूटर, मोटर, बूलर, मधुर संगीत सुनने के महँगे उपादान (रिकार्ड प्लेयर, टेप रिकार्डर, एल पी रिकार्ड आदि), कीमती घड़ी, कृत्रिम रेशे के महँगे कपडों आदि पर खर्च करता है। इसके नीचे है साधारण किसान, खेतिहर मजदूर, साधारण मजदूर तथा रोज़गार की तलाश में शिक्षित या अशिक्षित युवक, जिसकी न्य शक्ति हर साल कम होती जाती है। जब दाम घटते हैं तो सबसे पहले कृषि जन्य पदार्थों के क्योंकि अधिकाँश साधारण किसान, अपनी फसल बेचने को मजबूर होते हैं। ज़रूरी शक्ति के अभाव का सीधा परिणाम है—मुखमरी और उपभोग्य वस्तुओं की माँग में कमी। मल्ला मौजूद होता है लेकिन बिकना नहीं, मोटा कपडा भी वह नहीं खरीद पाता जिसके लिए वह बनता है। तब मन्दी के नाम सरकार से रियायतों की माँग की जाती है जो सम्पन्न उत्पादक वर्ग को ही मिलती है। महँगाई भत्ता और वोनस भी संगठित श्रमिक वर्गों या सरकारी कर्मचारियों के लिए ही होता है—यह सब देने देने के वाव उपेक्षित वर्गों के लिए कुछ नहीं बचता, या इतना कम बचता है कि मूल समस्या जहाँ की तहाँ जमी रहती है।

देश की आर्थिक स्थिति का और आसकर आगावकाल के दौरान, कंग्रेस

सरकार की उपलब्धियों के दावों का विश्लेषण श्री बाबूलाल वर्मा ने फरवरी, 1977 में उस समय किया था जब वह बरेली जेल में थे। कालवाचक क्रिया पदों में यथा आवश्यक हेरफेर के साथ प्रकाशित यह आलेख¹ आर्थिक चुनौतियों की पृष्ठभूमि को उजागर करता है। श्री वर्मा बाद में उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय विकास उपमन्त्री बने। भारत एक विकासशील (Developing) देश है जो "अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था की सीमाओं और समस्याओं से अभी भी ग्रस्त है।"

"कॉन्सेस सरकार का दावा रहा है कि आपात्काल में देश का आर्थिक विकास हुआ है। कारखानों में रिकार्ड तोड़ उत्पादन हुआ और मुद्रा-स्थिति पर काबू पा लिया गया, विदेशी मुद्रा का भण्डार भर गया था और कीमती से काफ़ी कुछ कमी हो गई।"

आपात्काल में मजदूरों ने जी तोड़ कर काम किया, कोई हड़ताल या तालाबन्दी नहीं हुई, जिसके कारण सरकारी क्षेत्र के कारखानों में काफी उत्पादन बढ़ा। इन कारखानों ने अपनी क्षमता का अच्छा उपयोग किया। सरकार ने इन कारखानों में काफी पूंजी लगाई। सरकारी उद्योगों में इस्पात, कोयला, भारी उद्योग-अल्यूमिनियम आदि का सर्वाधिक उत्पादन हुआ।

लेकिन इसके दूसरे पहलू को भी देखना होगा। कोयले का 120 करोड़ टन का भण्डार जमा हो गया, उसी तरह इस्पात का भी भण्डार जमा हो गया, क्योंकि देश में न तो इस्पात की मांग थी न कोयले की। देश में न तो खपत होने के कारण सरकार को विदेशी बाजारों की खोज करनी पड़ी। इस्पात का घाटे में निर्यात किया जाने लगा। इस्पात उत्पादन का लगभग मूल्य 6000 रु प्रति टन है और विदेशों को 1180 रु प्रति टन के भाव से निर्यात किया गया, जिसका परिणाम था उद्योग में भारी घाटा। सन् 1975 में इस्पात उद्योग को 1.50 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। इस तरह की उत्पादन वृद्धि से उद्योगों की प्रगति सम्भव नहीं। आज इस्पात उद्योग की स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि जितना अधिक उत्पादन उतना ही अधिक घाटा। इस उद्योग में सरकार की अरबों रुपये की पूंजी लगी हुई है। अकेले बोकारो इस्पात कारखाने में अभी तक लगभग 25 अरब की पूंजी लगाई जा चुकी है, लेकिन प्लान्ट अभी तक अधूरा है। इतनी बड़ी लागत के उद्योग चलाने से और बराबर घाटे में रहने से देश के आर्थिक विकास में इसका क्या योगदान हो सकता है? हम निर्यात घाटे को राजकीय अनुदान से पूरा कर रहे हैं।

आपात्काल में निजी क्षेत्र के कारखानों के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई अपितु बहुत से कारखानों का उत्पादन गिर गया। सन् 1976 में चीनी का उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा 560 लाख टन कम हुआ। चाय, कपड़ा, जूट, शक्कर, इंजीनियरी आदि अनेक उद्योग बीमार हो गए, यानी इन उद्योगों को घाटे पर चलना पड़ा, केवल जूट, कपड़ा और शक्कर उद्योगों के इलाज के लिए 13.40 अरब रुपये

चाहिए तभी ये उद्योग लाभ कमाने में सक्षम हो सकेंगे। अनेक उपभोक्ता वस्तुएँ पैदा करने वाले कारखानों का उत्पादन इस दौरान गिरा है। इस उद्योग नीति का परिणाम सामने आया, असमानता। गरीब की गरीबी और अमीर की अमीरी बढ़ गई। जनता की आय में वृद्धि न होने के कारण उसकी क्रय शक्ति दिन-प्रतिदिन गिरती गई, जिसके कारण बाजार गिर रहे हैं और माँग न होने के कारण इस्पात, कोयला, कपड़ा, कार, टेलीविजन वातानुकूल यन्त्र, रासायनिक खाद, सीमेंट आदि के उद्योग लडखडाने लगे। सन् 1976-77 में भरपूर रियायतों के बाव भी परिणाम अनुकूल नहीं निकले।

उद्योग किसके?—उद्योग नीति का एक दूसरा पहलू भी है जो चीकाने वाला है। देश में सरकारी या निजी क्षेत्र में जितने भी कारखाने हैं और इनमें जितनी भी पूँजी लगी हुई है उसका 95 प्रतिशत हिस्सा विदेशी ऋण या सहायता से प्राप्त हुआ है, इसे तत्कालीन वित्त मंत्री श्री सी सुब्रह्मण्यम् ने 31-12-76 को स्वयं स्वीकार किया था। रिजर्व बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि कुल उद्योगों के उत्पादन का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा 20-22 बड़े परानों के कब्जे में है। इस उद्योग नीति पर गर्व नहीं किया जा सकता। देश का सारा आर्थिक ताना-बाना विदेशी आर्थिक ऋण पर निर्भर करता है और यह निर्भरता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। परिवार नियोजन, गाँवों में विद्युतीकरण, शहरो, कस्बों की जनपूर्ति, मत्त निकासी की योजनाएँ, बड़े-बड़े योजना कार्य सभी विदेशी सहायता पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार कहती रही है कि देश आत्म-निर्भर हो गया। उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के बहुत बड़े हिस्से पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का कब्जा है, जैसे टायरो में मैसर्स लीड, गुडरिपर, डनलप, फायरस्टोन, दर्वाशक एस्ट्रो, एनासिन, क्रोसिन, एनलजोन आदि, मजनों में कालगेट, बिनाका, मेकनी-नै, सिगनल आदि, सौन्दर्य प्रसाधन—पौण्ड्स, जानसन, कालगेट आदि। पेय पदार्थों में फ्रैण्टा, कोका-कोला (जनता सरकार ने कोका-कोला बनाने का लाइसेंस नया नहीं किया) आदि, सिगरेटों में विल्स, कैप्सटन, सीजर, शकले, रेड एण्ड ह्वाइट, साबुनों में रेक्तोना, लक्स आदि-आदि। इसी तरह नेस्कैफे, लिपटन, बोनबीटा, पैरी आदि पर विदेशी हितों का स्वामित्व है। इस्पात, कोयला, इजीनियरिंग का सामान, स्टेनलेस स्टील, रासायनिक खाद, जूट, कार, सूती कपड़ा एसबरी, टायर आदि उद्योग मशी के शिकार हो गए।

इण्डियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स के (पिछले) अध्यक्ष श्री अरणावल्स ने कहा था कि इस समय मशी का प्रभाव वर्ष 1967-68 से अधिक है। मशी नौगों की क्रय शक्ति गिरने से आनी है। सन् 1976-77 में औद्योगिक प्रगति की गति तेजी के स्थान पर मद रही, यह भोटा लेला जोखा औद्योगीकरण एवं उत्पादन वृद्धि का है। भारी उद्योगों की भरमार का जो परिणाम होना चाहिए था नहीं हुआ।

आपातकाल और कीमते

कांग्रेस सरकार का दावा रहा है कि आपातकाल में कीमतें तेजी से गिरीं।

आपातकाल की घोषणा 25 जून, 1975 को की गई थी। सितम्बर, 1974 को मूल्य सूचकांक 330.2 था जो वृद्धि का सर्वोच्च शिखर था। अक्टूबर, 1974 से कीमतें तेजी से गिरना शुरू हुईं और जून, 1975 को मूल्य सूचकांक 310.2 पर आ गया, यानी 5.7 प्रतिशत कीमतें अक्टूबर, 1974 से जून, 1975 के बीच गिरी। मूल्य सूचक अंक गिरते-गिरते मार्च, 1976 तक 282.9 पर आ गया। मार्च, 1976 में पुनः मूल्य-वृद्धि तेजी से हुई। नवम्बर, 1976 तक (9 मास में) कीमतों में 13 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई और फरवरी, 1977 में मूल्य सूचक अंक गत सर्वोच्च बिन्दु से केवल 5 प्वाइंट ही कम रह गया। इसलिए यह कहना ही गलत है कि आपातकाल में कीमतें गिरीं।

अक्टूबर, 1974 से मार्च, 1976 तक यानी 18 मास में खाद्य वस्तुओं—कच्चा माल और उद्योग उत्पादन की कीमतें किस तरह गिरीं, यह देखना भी आवश्यक है। इन 18 ही महीनों में इन तीनों के सम्मिलित मूल्य 13.3 प्रतिशत गिरे। इसमें खाद्य पदार्थों के दाम 21.7 प्रतिशत और कच्चे माल के दाम 31.3 प्रतिशत गिरे। लेकिन औद्योगिक उत्पादन के दाम केवल 2.8 प्रतिशत गिरे, यानी खाद्य पदार्थ एवं कच्चे माल के मूल्य में ही भारी गिरावट आई, औद्योगिक उत्पादन के दामों में नहीं। ऐसा क्यों? कृषि पर आधारित उत्पादन के ही दामों में गिरावट से किसान लड़खड़ा गया और उद्योगपति और घनी हो गया। जब कच्चे माल के दाम 31.3 प्रतिशत गिरे तब औद्योगिक उत्पादन के दाम केवल 2.8 प्रतिशत ही क्यों गिरे? क्या इसे समाजवादी व्यवस्था कहेंगे? आपातकाल में मार्च, 1975 से नवम्बर, 1976 तक 13 प्रतिशत दामों की वृद्धि का दोषी कौन था?

मुद्रा-स्फीति—कांग्रेस सरकार कहती थी कि आपातकाल में मुद्रा-स्फीति पर काबू पा लिया गया है। वास्तविकता यह है कि अक्टूबर, 1974 से जून, 1975 के बीच मुद्रा-स्फीति पर काबू पा लिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कीमतें गिरी थीं। परन्तु आपातकाल में मार्च से ही मुद्रा स्फीति पुनः सिर उठाने लगी। तत्कालीन प्रधान मंत्री (इन्दिरा गांधी), वित्त मंत्री सुब्रह्मण्यम तथा रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इसे स्वीकार किया था और रोकथाम के लिए बैंक ऋणों पर कठोर पाबंदी लगाई थी। इसलिए यह कहना गलत है कि मुद्रा स्फीति पर आपातकाल में काबू पा लिया गया था।

विदेशी मुद्रा भण्डार—आपातकाल की उपलब्धियों में विदेशी मुद्रा भण्डार, जो कि 30 अरब रुपये तक पहुँच गया, एक उपलब्धि बताया गया। दिसम्बर, 1976 तक विदेशी आयात-निर्यात व्यापार ने भारत को 40 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, जो पिछले सभी वर्षों से कम रहा क्योंकि इस दौरान देश ने गल्ला, रासायनिक खाद तथा कच्चे तेल का आयात कम किया। हमारे निर्यात का भविष्य अच्छा नहीं है। कपड़ा, कोयला, दवाइयाँ, इस्पात, रेल परिवहन आदि का निर्यात हम घाटे पर कर रहे हैं और घाटे की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिए जा रहे हैं। विश्व के निर्यात व्यापार में भारत का हिस्सा नहीं, 1976 में गिरकर 5.4 प्रतिशत रह गया।

30 अरब विदेशी मुद्रा का भण्डार भारत द्वारा किसी उत्पादन के निर्यात के माध्यम से अस्तित्व में नहीं आया, अपितु विदेशों में जो भारतीय रहते हैं उन्होंने अपनी वचत का धन, गौण्ड, स्टैलिंग और डॉलर के रूप में भारत में रह रहे घन सम्पत्तियों को भेजा है, जो अमानत के रूप में सरकार के पास जमा है और जिसकी अदायगी सरकार को रुपयों के रूप में उन लोगों को करनी होगी जिनके लिए धनराशि विदेशों से भेजी गई है। तस्करी पर कड़ी रोक एवं विदेशी सहायता के कारण 30 अरब की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। जहाँ यह विदेशी मुद्रा भुम है वही खतरे का कारण भी बन रही है तथा मुद्रा स्फीति का खतरा इससे अधिक बढ़ गया है।

कृषि उत्पादन—इन दो वर्षों में कृषि उत्पादन थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसे सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस के सरकारी सूत्रों का कथन रहा है कि सन् 1976 की खरीफ का उत्पादन सन् 1975 की अपेक्षा गिरा है। खेती मौसम पर पूरी तौर से निर्भर है। हम अभी केवल 29 प्रतिशत जमीन के सिद्ध जोहन के नीचे हैं, सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं और केवल 2 पाणी का उपयोग कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 75-76 में 11 80 करोड़ टन गन्ना पैदा हुआ। सरकार ने 1 70 करोड़ टन का भण्डार सरकारी खरीद द्वारा जमा किया, जिसमें सरकार का 30 अरब रुपया बैंक से ऋण लेकर खर्च करना पड़ा। गौदाम के अभाव में कितना गल्ला सड़ा या खराब हुआ इसके आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध नहीं थे। यह सुरक्षित भण्डार देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए चिन्ना का कारण बन गया है। गल्ला बिक न सकने के कारण इतनी बड़ी पूंजी जाम हो गई। फिर एक के बाद दूसरी फसल तैयार हो गई। सरकार इस गल्ले को कितने दिन रोक सकेगी, यह स्पष्ट नहीं। आगामी फसल के गल्ले की खरीद के लिए रुपये के अभाव में कांग्रेस की केन्द्र सरकार ने राज्यों को लिखा है कि किसानों को गल्ले की कीमत में बदले बाण्ड दिए जाएँ। (ऐसा नहीं हो पाया वरना निश्चिन्त ही कृषि उत्पादन को भारी क्षति पहुँचती और किसानों को सोचना पड़ता कि वे खेती करे अथवा नहीं)। भारत को केवल खाने के लिए हर साल 13 करोड़ टन गल्ला चाहिए। सुरक्षित भण्डार का गल्ला बिका क्यों नहीं? क्या लाखों लोग भूख से पीड़ित नहीं हैं? गल्ले की किस्म खराब, ष ऊर्ध्व शक्ति कम होने के कारण ही सुरक्षित भण्डार का गल्ला नहीं बिक सका।

सन् 1960 से 1975 तक यानी 15 वर्षों का कृषि विकास बहुत ही असन्तोषजनक रहा और हमें विदेशों से आयोजित गल्ले पर निर्भर रहना पड़ा। सन् 1973-74 में 43 41 लाख टन गल्ले का आयात किया गया जबकि सन् 1975-76 में हमने 1 03 अरब रुपये का गल्ला आयात किया। आयातकाल के (1976-77) स्वर्ण युग में 1 अरब 41 करोड़ 81 लाख रुपये का 81 लाख टन गेहूँ व 60 लाख टन चावल आयात किया गया।

केन्द्रीय सांख्यिकी संघटन ने अपने श्वेतपत्र में कहा था कि कृषि उत्पादन को अगर जनसंख्या में बाँटे तो उत्पादन वृद्धि मात्र 1 8 प्रतिशत ही थी और इसी प्रकार कृषि और उद्योग की सम्मिलित विकास दर जनसंख्या में बाँटने पर मात्र 1 3 प्रतिशत (सन् 1961-62 की कीमतों पर) रही।

पिछले दिनों तत्कालीन प्रधानमन्त्री (श्रीमती गांधी) ने भी स्वीकार किया था कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और हम कृषि प्रधान देश बनाना चाहते हैं। हमें देश के आर्थिक विकास के लिए प्राथमिकता देकर कृषि का ही विकास करना होगा, अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि के विकास को ही प्रधानता देनी होगी। देश के 32 करोड़ क्षेत्रफल में से 16 करोड़ क्षेत्रफल में खेती होती है। यह खेती बैलो द्वारा ही सम्भव है, क्योंकि 76 प्रतिशत किसान छोटी जोत वाले हैं जो ट्रैक्टर का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। 12.5 एकड़ से ऊपर की जोत वाले किसान केवल 4 प्रतिशत हैं। वही ट्रैक्टर का उपयोग करने में समर्थ हैं। फिर भी उन्हें बैलों की जरूरत है। भारतवर्ष की सम्पूर्ण खेती की जुताई के लिए साढ़े सात करोड़ बैलों की जरूरत है। सन् 1947 में भारत में साढ़े सात करोड़ बैल थे। सन् 1971 की जनगणना के अनुसार बैलों की संख्या काफी घट गई। बैलों के क्षम इनने अधिक है कि वे छोटे किसानों की खरीद के बाहर हैं, फिर खेती कैसे होगी? दूध का उत्पादन भी खाद्य की पूर्ति में बहुत अंश में सहायक होता है। भारत में दूध का औसत उत्पादन बहुत कम है। 4 व्यक्ति पीछे प्रतिदिन 1 छटाक (गत वर्षों में हुई श्वेत वाग्नि से पूर्व यह इससे भी कम 9 व्यक्तियों के पीछे 1 छटाक दैनिक था)। स्वीडन में 5 कि.ग्रा. दूध प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का औसत आता है जिसे वह पाउडर बनाकर भारत तथा अन्य देशों में भेजता है। भारत उसके बदले में गोमांस निर्यात करता है। भारत ने अमेरिका, कनाडा, स्वीडन आदि देशों से गोमांस सप्लाई का 25 वर्ष का ठेका किया है। इससे 3 अरब रुपये की विदेशी मुद्रा प्रति वर्ष कमाई जाती है जबकि बैलों के अभाव में उत्पादन न होने के कारण अरबों रुपये का गन्ना भारतवर्ष को विदेशों से मँगाना पड़ता है। रासायनिक उर्वरकों का अन्धाधुन्ध उपयोग गत वर्षों में किसानों ने शुरू किया। परन्तु कम्पोस्ट खाद व गोबर की देशी खाद के अभाव में खेती की उर्वरा शक्ति क्षीण होने लगी और अब किसान रासायनिक उर्वरक प्रयोग करने में भय खाने लगा है। पशुओं के अभाव के कारण गोबर की खाद का घोर अभाव है इसी कारण गत वर्ष से उर्वरक की उठान बहुत कम हो गई है।

रोजगार—जून, 1975 में 87,95,445 शिक्षित नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज थे। आपात्काल में यह संख्या 92,54,550 हो गई। इस समय 20 लाख डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बेरोजगार हैं। देश की सम्पूर्ण बेरोजगारी करोड़ों में है। विश्व के किसी भी देश में बेरोजगारी की इतनी विस्फोटक स्थिति नहीं है। सरकार की उद्योग नीति के रोजगार बहुत न होने के कारण बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकार ने सन् 1976-77 में नए कारखाने लगाने वालों को लागत मूल्यों पर 25 प्रतिशत अनुदान देना तय किया। इसका अर्थ यह हुआ कि जो उद्योगपति जितनी लागत का उद्योग लगाएगा उसे उतना ही अनुदान मिलेगा, अर्थात् उस उद्योग में कितनी रोजगार मिलेगी वह बात अनुदान में महत्वपूर्ण नहीं होगी। चाहिए यह था कि अधिक रोजगार और कम पूंजी के आधार पर चलने वाले उद्योगों को अधिक अनुदान मिलता। संविधान में परिवर्तन करके समाजवाद लिख देने मात्र

से समानता नहीं आ सकती, उसके लिए उद्योग नीति का तदनु रूप परिवर्तन आवश्यक है।

आपातकाल में 300 बड़े उद्योग और 40 हजार छोटे उद्योग बन्द हो गए। इनमें काम करने वाले मजदूरों की छुट्टी कर दी गई। 43 हजार बेरोजगार हो गए। मजदूरों के वेतन में कटौती कर दी गई। महँगाई भत्ते को समाप्त कर दिया गया और बोनस काट दिया गया।

हम कितने कर्जदार—हमने ऊपर प्रगति का लेखा-जोखा देखा। इस प्रगति के लिए हमें कितनी कीमत चुकानी पड़ी, इसे भी जरा देखे। हमारी सरकारी और निजी उद्योगों की कुल लागत पूँजी का 95 प्रतिशत विदेशी कर्ज का है। कर्ज लेने में हम यहाँ तक बढ़ चुके हैं कि मलेशिया का मात्र 60 लाख रुपये का ऋण हमने भूमि विकास एवं उच्च शिक्षा के लिए स्वीकार किया। 13 अरब डॉलर (1 डॉलर = 8 रुपया) कर्ज हमारे ऊपर है। हम कर्ज लेकर कर्ज का व्याज चुका रहे हैं। मोवियत सघ का हम पर 4 19 अरब रुपया कर्ज है। रूस ने रुबल का मूल्य बढ़ा दिया है (8 22 रु के स्थान पर 8 50 रु), जिसके कारण भारत 15 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि का बेनदार होगा। इसी प्रकार करीब 60 अरब रु अमेरिकी ऋण भारत पर है जिसका कई अरब रुपया व्याज के रूप में भारत को प्रतिवर्ष चुकाना पड़ता है। देश की कौनसी योजना है जो विदेशी सहायता से मुक्त है? विदेशी कर्ज के अतिरिक्त देशी कर्ज भी हमारे ऊपर कम नहीं है। भारत का हर शिशु 583 रुपया का कर्ज लिए हुए जन्म लेता है। 30 अरब 66 करोड़ रुपया प्रान्तों पर बाजार और प्रोविडेंट फण्ड का है। राज्यों एवं केन्द्रों के सन् 1976-77 के बजटों के घाटे को पूरा करने के लिए विदेशी ऋणों पर हम आज भी निर्भर हैं।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 69 हजार 300 करोड़ रुपये की बनी है। उत्तर प्रदेश को 24 अरब 45 करोड़ रुपया मिलेगा, जबकि महाराष्ट्र को 23 अरब 24 करोड़ रुपया। कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश के लिए अधिकतम धनराशि का प्रावधान पाँचवीं योजना में किया गया है जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी महाराष्ट्र से दुगुनी है और प्रति व्यक्ति आय 690 रु है जबकि महाराष्ट्र में 1334 रु। प्रचार तन्त्र के द्वारा इन पहलुओं पर पर्दा डालने का प्रयास किया गया है, क्योंकि प्रचार की रफ्तार आपातकाल में तेज रही है।

कर भार—देश की गरीब जनता पर करो का भार प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। ब्रितानी शासनकाल में उत्तर प्रदेश में भू-राजस्व से 21 करोड़ रुपये की आय थी जो अब बढ़कर 42 करोड़ हो गई है। इनमें भूमि विकास कर जोड़ दे तो 66 करोड़ रुपये तक होने की सम्भावना है।

सन् 1971-72 से 1975 तक के वर्षों में कर वृद्धि—सन् 1971-72 में 2 6 प्रतिशत, सन् 1972-73 में 16 5 प्रतिशत, 1973-74 में 12 5 प्रतिशत, 1974-75 में 20 9 प्रतिशत तथा 1975-76 में 11 1 प्रतिशत हुईं। करो के बढ़ने के साथ-साथ गरीबी बढ़ती जा रही है।

गरीबी कितनी हटी?—सन् 1971 के संसदीय चुनाव के अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री (श्रीमती गांधी) ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आइए, देखें गरीबी कितनी हटी? या कितनी बढ़ी? सन् 1966 के पूर्व गरीबी से नीचे के स्तर पर जीने वाले मजदूरों की संख्या 40 प्रतिशत थी, जो सन् 1975 के आते-आते 66 प्रतिशत हो गई। दूसरे शब्दों में, श्रीमती इन्दिरा के कार्यकाल में 26 प्रतिशत की वृद्धि उन लोगों की संख्या में हुई जिनका जीवन स्तर गरीबी की सीमा रेखा से नीचे है और जिन्हें दो जून भर पेट भोजन भी नहीं जुट पाता। गरीबी की सीमा रेखा से नीचे उन्हें रखा जाता है जिनकी प्रति माह आय 15 रुपया तथा 18 रुपया तक होती है। भारत की बढ़ती गरीबी के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ के महानिदेशक ने लिखा है कि हिन्दुस्तान को 66.9 प्रतिशत जनसंख्या गम्भीर रूप से गरीब है। यह गरीबी बराबर बढ़ती जा रही है। भारत विश्व के 16 गम्भीरतम गरीब देशों में एक है। विवश होकर लिखना पड़ता है कि तेज आर्थिक प्रगति किस के पास चली गई? राष्ट्रीय आय का क्या हुआ? इसका लाभ मिला देश के केवल 22 बड़े घराने को। क्या यही कांग्रेस का समाजवाद है?

तेल का धनी कुवैत एक रेगिस्तानी देश है जिसे पीने का पानी भी बाहर से मँगाना पड़ता है। उसकी आबादी केवल साठे सात लाख है। दुनिया में जितने अरबपति हैं उसके 60 प्रतिशत कुवैत में हैं। अन्य साधनों के लिए सर्वथा दूसरे देशों पर निर्भर इस छोटे से देश की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 12,050 डॉलर है। चिकित्सा व शिक्षा निशुल्क है। प्राथमिक कक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक 400 डॉलर से लेकर 1300 डॉलर छात्रवृत्ति हर छात्र को वार्षिक मिलती है। यहाँ कोई कर नहीं है फिर भी गत वर्ष 500 करोड़ रुपया अनिश्चित बच गया, जिसे भारत को दिया गया। कुवैत, मारिगस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा आदि में 3 से 5 व्यक्तियों के पीछे 1 मीटरकार है, जबकि भारत में 60 व्यक्तियों के पीछे 1 ताइकिल घाती है। ऑस्ट्रेलिया की 1 करोड़ 30 लाख लुब्ध आबादी में 40 वारें हैं जबकि भारत की 60 करोड़ आबादी में केवल 20 लाख है।

समान परिस्थितियों वाला चीन सन् 1948 में भारत के बाद स्वाधीन हुआ आज उसकी आबादी 78 करोड़ है। परन्तु उसकी राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति 270 डॉलर प्रति वर्ष है, जबकि भारत की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति 120 डॉलर वार्षिक है। चीन ने गत वर्ष 22 करोड़ टन गल्ला पैदा किया, जबकि भारत में 11.80 करोड़ टन गल्ला पैदा करने का दावा किया गया है। भारत में अरबों रुपये की लागत से खड़े किए विगालकाय इस्पात कारखानों में वर्तमान उत्पादन 22 लाख टन को रिकार्ड उत्पादन बनाया गया है, जबकि चीन में छोटे-छोटे सयनों द्वारा ही 2 करोड़ टन इस्पात का उत्पादन किया गया। अग्रजित तात्कालिकों से स्पष्ट है कि भारत विश्व में कहीं खड़ा है—

देश	डॉलर
1 कुवैत	12,050
2. युनाइटेड अरब	11,630
3. अमेरिका	6,200
4 यूवा	6 040
5 स्विटजरलैण्ड	6 010
6 स्वीडन	6,900
7. कैनडा	5,450
8 पश्चिमी जर्मनी	5 320
9 डेनमार्क	5 210
10 न्यू जर्मनी	3,000
11 चेकोस्लोवाकिया	2,870
12 डोलैण्ड	2,090
13 फ्रान्स	
14 चीन	260
15. भारत	120

भारत में प्रति व्यक्ति आय (सन् 1973-74)

राज्य	रुपये
1 पंजाब	1385
2 महाराष्ट्र	1334
3 गुजरात	1034
4 पश्चिमी बंगाल	910
5 हिमाचल प्रदेश	902
6 तमिलनाडु	870
7. भागध	808
8 केरल	785
9 राजस्थान	769
10 मध्य प्रदेश	720
11 कर्नाटक	708
12 कर्नाटक	704
13 उत्तरप्रदेश	698
14. मणिपुर	609
15 बिहार	604
16 असम	601

गरीबी की सीमा रेखा से नीचे ? (सन् 1970)

राज्य	जनसंख्या का प्रतिशत
1 पंजाब	15 30
2. हिमाचल प्रदेश	12 26
3 गोआ दमन दीव	16 52
4. असम	16 63

5. केरल	51.13
6. आन्ध्र	46.94
7. कर्नाटक	43.55
8. उत्तरप्रदेश	37.43
9. बिहार	46.48
10. पश्चिमी बंगाल	44.67
11. हरियाणा	24.95
12. तमिलनाडु	59.23
13. उड़ीसा	56.58

सन् 1947 में स्वाधीनता के बाद भारत 5 अरब पाउण्ड का धनी था। यह धनराशि ब्रितानी सरकार के पास कर्ज के रूप में थी जिसे उसने बाद में भारत सरकार को अदा किया। पर विगत वर्षों के कांग्रेस शासन में भारत मिश्रकारी बन गया। अरबों रुपये की देशी व विदेशी सहायता तथा ऋण कहाँ गए? गरीबी मिटी नहीं, वस्तु बढ़ती गई तथा अमीर और अमीर हो गए देश की सम्पदा वैभव आर्थिक विकास चढ़ बड़े हाथों में केन्द्रित हो गया, जो आज भी सत्ता पर हावी है और उन्हीं के हित में सरकारी योजनाएँ व नीतियाँ बनती हैं। वे सत्तारूढ़ दल को प्रत्येक चुनाव में भारी धनराशि प्रदान करते हैं। आज देश में 9 ऐसे बड़े उद्योग धराने हैं जिनकी पूँजी 48 अरब 93 करोड़ रुपये है। उनका 100 कम्पनियाँ कार्यरत हैं।

उद्योग धराने	उद्योग हज्जा	पूँजी (करोड़ रु.)	प्रतिशत
1. टाटा	10	783.4	100
2. बिहला	11	569.5	12
3. मफललान	5	175.2	3.6
4. ए. सी. सी.	2	149.7	3.6
5. आई. सी. सी.	2	100.6	2.6
6. मोदी	2	284.7	6.0
7. विदेशी नियन्त्रण	19	906.1	18.5
8. स्वतन्त्र कम्पनियाँ	25	815.2	16.7
9. अन्य	24	1323.7	26.0
योग	100	4893.1	100

इसके अतिरिक्त सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में 102 अन्य बड़े उद्योग धराने तथा कम्पनियाँ हैं जिनकी पूँजी 1 अरब 15 करोड़ से अधिक है। सन् 1974-75 में इनकी कुल पूँजी 2223.4 करोड़ रुपये थी जो आज दूने से ऊपर पहुँच गई है। देश की सत्ता कुछ हाथों में केन्द्रित होने के साथ-साथ आर्थिक सत्ता भी देश के कुछ बड़े पूँजीपतियों के हाथ में केन्द्रित हो गई है। विगत 30 वर्षों के सत्ता कांग्रेस के शासन की गरीबी को यही भेट है। सारा विदेशी ऋण तथा बैंकों में जमा जनता का धन इन्हीं बड़े लोगों के हाथों में सिमट कर रह गया और गरीब जनता के हाथों तक पहुँचाने के लिए न तो सत्ता का विवेकीकरण किया गया और न ही आर्थिक सत्ता का।

विदेशी एन बैंको के ऋणों पर चलने वाली इन व्यापारियों, सस्थानों और उद्योगों द्वारा उत्पादित उपभोक्ता वस्तुओं का नमूना भी देखिए—

भारत में 8 करोड़ 20 लाख टन कोयला निकाला जाता है। खनिज तेल 71 लाख 98 हजार टन है। खनिज लोहे का उत्पादन 3 करोड़ 40 लाख टन, बनस्पति धी का 4 लाख 49 हजार टन, सिगरेट 6600 करोड़ प्रदद जबकि कपड़ा 780 करोड़ मीटर बनता है अर्थात् कपड़े का औसत प्रति व्यक्ति 12 मीटर है। एक गरीब आदमी 10 मीटर की दो पोतियों के अलावा एक बनियान भी नहीं पहन सकता है। जूते 5 करोड़ 40 लाख जोड़े बनते हैं। जिसमें दो करोड़ जूतों का निर्यात किया जाता है कुछ बड़े लोग प्रति वर्ष 3-4 जोड़े जूते प्रयोग करते हैं। इसे भी छोड़ दें तो भी देश में 58 करोड़ गरीब लोगों के पैर में जूते नहीं हैं। वे अपनी जिंदगी नंगे पैर ही काट रहे हैं। विजली के दख 13 करोड़ 30 लाख बनत हैं। भारत में इस समय 30 लाख पखे हैं। रेडियो लाइसेंसों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख है। 1 लाख 40 हजार टेलिविजन है जबकि सन् 1966 में केवल 200 थे। भारत में मोटरो की संख्या 20 लाख 8 हजार है जबकि देश में साइकिलें इस समय केवल 1 करोड़ 25 लाख 77 हजार हैं।

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि देश का सारा आर्थिक विकास केवल 3 लाख व्यक्तियों के लिए किया गया है। यही है आर्थिक विकास का लेला-जोखा, जिस पर कांग्रेस सरकार गरीबी हटाने का दावा करती थी।”

आर्थिक विकास के अन्तर्गत संरचनात्मक परिवर्तन : उत्पादन, उपभोग, रोजगार, निवेश और व्यापार के संगठन में परिवर्तन

(STRUCTURAL CHANGES UNDER DEVELOPMENT :
CHANGES IN THE COMPOSITION OF
PRODUCTION, CONSUMPTION, EMPLOYMENT,
INVESTMENT AND TRADE)

आर्थिक विकास के अन्तर्गत संरचनात्मक परिवर्तन (Structural Changes under Development)

किसी देश के औद्योगिक उत्पादन में दीर्घकालीन और मत्तवृद्धि को प्रायः आर्थिक विकास कहा जाता है। पैरीक्लीज युग का यूनान, अगॉस्टकालीन रोम, मध्ययुगीन फ्रांस, आधुनिक अमेरिका और भारत तथा मिस्र के कुछ युग इस परिभाषा की परिधि में आते हैं।¹ संरचनात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करते हुए साइमन कुजनेट्स ने लिखा है—“आधुनिक युग में, मुख्य संरचनात्मक परिवर्तनों का लक्ष्य कृषि मद्यों के स्थान पर औद्योगिक मद्यों का उत्पादन (औद्योगीकरण की प्रक्रिया), ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण (शहरीकरण की प्रक्रिया); लोगों की सापेक्ष आर्थिक स्थिति में परिवर्तन (रोजगार की स्थिति तथा आय-स्तर आदि के द्वारा) और मांग के अनुरूप वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण रहा है।”²

एक अन्य स्थल पर साइमन कुजनेट्स ने लिखा है—“आधुनिक आर्थिक विकास सारभूत रूप में औद्योगिक व्यवस्था को लागू करना अर्थात् आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के बढ़ते हुए प्रयोग पर आधारित उत्पादन की एक व्यवस्था को लागू करना है, किन्तु इसका अर्थ संरचनात्मक परिवर्तनों से ही है, क्योंकि महत्त्व की दृष्टि से नए उद्योग

1. *Simon Kuznets : Six Lectures on Economic Growth*, p. 13.
2. *Simon Kuznets : Modern Economic Growth*, p. 1.

स्थान लेते हैं और विकसित होते हैं जबकि पुराने उद्योग नुस्त होते जाते हैं—यह प्रक्रिया बदले में समाज की उस क्षमता की माँग करती है जो ऐसे परिवर्तनों को ग्रहण कर सके। एक समाज को इतना समर्थ और योग्य होना चाहिए कि वह प्रति व्यक्ति उत्पादन में अभिवृद्धि करने वाले उत्तरोत्तर नव-प्रवर्तनों को ग्रहण कर सके और स्वयं को उनके अनुकूल ढाल सके। इस प्रकार प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक रूप से सम्मिलित है और ये परिवर्तन प्राविधिक नव-प्रवर्तनों तथा समाज की बड़ती हुई माँगों और परिवर्तनों के अनुकूल समाज के ढलने की क्षमताओं के फलस्वरूप होते जाते हैं।¹

नियमित आर्थिक विकास के दो मूल खोन हैं—(1) प्राविधिक ज्ञान (Technology) एवं (2) सामाजिक परिवर्तन (Social Change)। इन दोनों की अन्त क्रिया का परिणाम ही आर्थिक विकास होना है। इस सम्बन्ध में साइमन कुजनेट्स के मतानुसार, “किसी भी युग में आर्थिक वृद्धि अर्थ-व्यवस्था में मात्र प्राविधिक ज्ञान अथवा सामाजिक परिवर्तनों के कारण ही नहीं होती बल्कि यह कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप होने वाले कतिपय सरचनात्मक परिवर्तनों के कारण होती है।”² पुराने उद्योगों का नवीनीकरण होने लगता है तथा नए उद्योग अस्तित्व में आते हैं। आय के वितरण की स्थिति परिवर्तित होने लगती है। उत्पादन, उपभोग, रोजगार, विनिर्माण, ध्यादार आदि के ढाँचे में क्रान्तिकारी परिवर्तन होने लगते हैं।

सरचनात्मक परिवर्तनों को निम्नलिखित कुछ मुख्य शोषकों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है जैसे—

- (1) औद्योगिक ढाँचे में परिवर्तन,
- (2) औद्योगिक क्षेत्र के आन्तरिक ढाँचे में परिवर्तन,
- (3) आय के वितरण में परिवर्तन, एवं
- (4) जनसंख्या के विकास की प्रवृत्तियाँ।

1. औद्योगिक ढाँचे में मुख्यतः दो परिवर्तन होते हैं। प्रथम, उत्पादन में कृषि क्षेत्र का अंश कम हो जाता है तथा द्वितीय, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का उत्पादन प्रतिशत अधिक हो जाता है। कुजनेट्स के अनुसार, सामान्यतः विकास के पूर्व की स्थिति में कृषि क्षेत्र के उत्पादन में औसतन योग लगभग 50% था, और कुछ देशों में तो यह अनुपात बी-तिहाई से भी अधिक था। विकास की एक लम्बी अवधि के पश्चात् कृषि-उत्पादन का भाग घटकर 20% और कुछ देशों में 10%से भी कम हो गया। ऑस्ट्रेलिया की स्थिति इस दृष्टि से अपवाद रही। उद्योग का अंश जो विकास से पूर्ण इन देशों में कुल उत्पादन का 20 से 30% था, वह बी हुई अवधि में बढ़कर 40 से 50% हो गया।³

1 Simon Kuznets Six Lectures on Economic Growth, p 15

2 Simon Kuznets Modern Economic Growth p 13

3 Ibid, p. 47, Tab 31.

2 औद्योगिक क्षेत्र के आन्तरिक ढाँचे के परिवर्तन तकनीकी (Technology) तथा अन्तिम माँग (Final Demand) से सम्बन्धित होते हैं। इन परिवर्तनों के अन्तर्गत निम्नांकित परिणाम आते हैं—

- (i) उत्पादन वस्तुओं का अनुपात अधिक हो जाता है।
- (ii) खाद्य और वस्तुओं के उपभोग में कमी होती है, किन्तु वागज, धातु तथा रासायनिक पदार्थों का उपभोग बढ़ जाता है।
- (iii) उत्पादक इकाइयों का आकार बढ़ जाता है।
- (iv) शहरीकरण की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है।
- (v) निजी व्यवसाय में रहने की प्रवृत्ति के स्थान पर वेतनभोगी व्यवसायों के प्रति आकर्षण बढ़ता है।
- (vi) श्वेत-पोपी व्यवसायों के प्रति लोग अधिकाधिक आकर्षित होते हैं।

3 सरचनात्मक-परिवर्तन आय के वितरण से सम्बन्धित होते हैं। इन परिवर्तनों के अन्तर्गत परिवारों की आय का राष्ट्रीय आय में प्रतिशत घट जाता है। प्रसंगान्तर अध्ययन के अनुसार यह 90% से घटकर लगभग 75% रह जाता है। सरकार की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है और निगमों का महत्व भी बढ़ जाता है। सरकारी अनुदानों की राशि और हस्तान्तरण आय (Transfer incomes) के भाग में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त सम्पत्ति से प्राप्त आय (Property Income) का भाग 20-40% से घटकर केवल 20% या इससे भी कम हो जाता है। निजी व्यवसाय में सलग्न व्यक्तियों के स्थान पर वेतन भोगियों की संख्या बढ़ने लगती है। व्यक्तिगत आय की विषमताएँ कम हो जाती हैं। उत्पादन-साधनों को मिलने वाली आय और व्यक्तिगत आय के वितरण (Distribution of the Factorial and Personal Income) में परिवर्तन आने लगता है।

4 अर्थ-व्यवस्थाओं में कुछ सरचनात्मक परिवर्तन जनसंख्या के ढाँचे से सम्बन्धित होते हैं। आर्थिक वृद्धि की स्थिति में जनसंख्या भी तीव्र गति से बढ़ती है। पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों में जहाँ पूँजी प्रचुर और श्रम दुर्लभ था, वहाँ जनसंख्या की वृद्धि का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योग रहा है। किन्तु ऐसे अल्प-विकसित देशों में जहाँ पूँजी दुर्लभ और श्रम प्रचुर होता है, जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव विपरीत होता है। आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप प्रायः शैशवकालीन मृत्यु-दर कम हो जाती है। शैशवकालीन मृत्यु-दर में कमी के कारण उत्पादक आयु का अनुत्पादक आयु में अनुपात बढ़ जाता है। श्रमिकों में स्त्रियों का अनुपात कम हो जाता है, किन्तु सेवा क्षेत्र में शिक्षित स्त्रियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि होती है।

प्रायः पूर्व विकास की स्थिति में कुल जनसंख्या का अधिकतम अनुपात 15 वर्ष की आयु तक होना है। भारत में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से भी अधिक भाग 18 वर्ष की आयु में कम वाला है। आर्थिक विकास के कारण मृत्यु-दर में कमी आती है, परिणामस्वरूप उत्पादकीय वर्ग का अनुपात बदल जाता है।

आर्थिक विकास की प्रक्रिया विदेशी व्यापार के अनुपातों को भी प्रभावित

करती है। विदेशी व्यापार के अंशतः अनुपात विकसित देशों में लगभग 31% तथा अविकसित देशों में 20% से भी कम रहे हैं। अविकसित देशों के लिए विदेशी व्यापार का अत्यधिक महत्त्व होते भी उत्पादन की आधुनिक तकनीकी के अभाव में, विकसित देशों की प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाते। आर्थिक विकास की गति के साथ-साथ एक ओर जहाँ उत्पादन में पूँजी-निर्माण का अनुपात बढ़ने लगता है तथा कुछ उपभोग व्यय में भोजन तथा आवास सम्बन्धी व्यय का अनुपात घटने लगता है, वहीं दूसरी ओर विदेशी व्यापार की मात्रा, स्वरूप तथा दिशा में भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं।

आर्थिक विकास के कारण न केवल आर्थिक ढाँचे में ही परिवर्तन होते हैं, वरन् गैर-आर्थिक ढाँचे में भी अनेक ऐसे क्रान्तिकारी परिवर्तन होते हैं जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से देश की आर्थिक संरचना को प्रभावित करते हैं। प्रायः अ विकसित देशों में राजनीतिक अस्थिरता, राष्ट्रीय हित के विषयों पर भी राजनीतिक दलों में मतभेद का अभाव, प्रभावहीन सरकार आदि इन देशों के आर्थिक विकास तथा आर्थिक स्थायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। सांस्कृतिक मूल्यों के अन्तर्गत एकता, महोत्सव तथा सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति आदि ये मूल्य लिए जाते हैं जो प्रत्यक्ष रूप में श्रम विभाजन व बाजार सम्बन्धों को प्रभावित करते हैं तथा अप्रत्यक्ष रूप से उस राजनीतिक संगठन को प्रभावित करते हैं जो देश के आर्थिक विकास से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने व नीति निर्धारण की शक्ति रखते हैं।

संक्षेप में, आर्थिक विकास के कारण सभी प्रकार के आर्थिक कार्यों (Economic Functions) की संरचना में परिवर्तन आते हैं। उत्पादन-कार्यों (Production Functions) में तकनीकी भूमिका प्रमुख हो जाती है। बचत के अन्तर्गत विकास की स्थिति में व्यक्तिगत बचत (Personal Savings) का अनुपात कम हो जाता है। सरकारी बचत का अनुपात प्रायः बहुत कम होता है। अ विकसित देशों में व्यक्तिगत बचत का अनुपात बहुत अधिक होता है। बचत की यह स्थिति आर्थिक संगठन की ओर सचेत करती है अर्थात् अ विकसित देशों में असंगठित क्षेत्रों में बचतें प्राप्त होती हैं जबकि विकसित देशों में संगठित क्षेत्र का कुल बचतों में अनुपात सर्वाधिक होता है। विदेशी व्यापार की स्थिति में भी अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन होते हैं।

उत्पादन की संरचना, उपयोग व प्रवृत्तियाँ (Structure, Use & Trends of Output)

कृषि, उद्योग आदि क्षेत्र मिलकर राष्ट्रीय उत्पादन करते हैं। उत्पादन का उपभोग तीन मदों पर होता है—(i) उपभोग, (ii) पूँजी-निर्माण, तथा (iii) निर्यात।

(i) उपभोग दो प्रकार के हैं—(a) निजी उपभोग, एवं (b) सरकारी उपभोग। निजी उपभोग की मद में भूमि व आवासीय भवनों के सभी प्रकार के उपभोग-पदार्थों के कस सम्मिलित हैं। यह तीनों उपभोगों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।

विकसित देशों में उत्पादन का लगभग 64% निजी उपभोग पर व्यय होता है। सरकारी उपभोग के अन्तर्गत वस्तुओं व सेवाओं की खरीद आती है। इसमें से उन वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा को घटा दिया जाता है जिसे पुनः बिक्री की जाती है। राजकीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व निगमों द्वारा क्रय को सरकारी उपभोग में सम्मिलित नहीं किया जाता, किन्तु सुरक्षा व्यय को इस मद के अन्तर्गत लिया जाता है। "इस प्रकार परिभाषित सरकारी व्यय राष्ट्रीय उत्पादन के लगभग 14% से कुछ अधिक भाग के लिए उत्तरदायी रहा है।"¹

(ii) पूंजी-निर्माण वस्तुओं के उस मूल्य को प्रकट करता है, जिससे देश के पूंजी-संचय में वृद्धि होती है। विशुद्ध पूंजी-निर्माण में पूंजी के उपभोग व ह्रास पर विचार भी किया जाता है। कुजनेट्स के अनुसार कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 20 से 25% भाग सकल पूंजी-निर्माण हेतु काम आता है। विशुद्ध पूंजी-निर्माण में राष्ट्रीय उत्पादन का 15% भाग होना है। देश की वचत राष्ट्रीय पूंजी-निर्माण को प्रकट करती है तथा देश के पूंजी-संचय में होने वाली वृद्धि घरेलू पूंजी-निर्माण कहलाती है। अधिकांश देशों में सकल पूंजी-निर्माण में यह अनुपात 10 से 20%

बढ़ गया। विकास में वृद्धि के साथ-साथ यह अनुपात 10 से 20% तक बढ़ जाता है। किन्तु इंग्लैण्ड एवं अमेरिका में 19वीं शताब्दी के मध्य से यह अनुपात स्थिर चला आ रहा है। उल्लेखनीय है कि एक शताब्दी की दीर्घ अवधि के उपरान्त भी कुल वचतों का अनुपात इन दो देशों में स्थिर बना रहा जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई।

इस प्रकार राष्ट्रीय उत्पादन में पूंजी-निर्माण का भाग या तो स्थिर रहा अथवा कुछ बढ़ा किन्तु सरकारी उपभोग व्यय के अनुपात में वृद्धि के साथ, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में निजी उपभोग व्यय के अनुपात में निश्चित रूप से गिरावट आई। विश्व युद्ध से पूर्व यह अनुपात 80 प्रतिशत था जो युद्ध से दो दशक बाद की अवधि में गिरकर 60% रह गया। अर्थात् कुल राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि-दर की अपेक्षा कुल घरेलू उपभोग की वृद्धि-दर बहुत कम रही।

इस सन्दर्भ में सोवियत रूस के आँकड़े अधिक दिलचस्प हैं, क्योंकि स्वतन्त्र बाजार वाले देशों की भाँति वहाँ भी विकास के परिणामस्वरूप घरेलू उपभोग का अनुपात कम तथा सरकारी उपभोग व कुल पूंजी का राष्ट्रीय उत्पादन में अनुपात अधिक हुआ, किन्तु इन परिणामों की प्राप्ति रूस ने स्वतन्त्र उद्यम वाली अर्थ-व्यवस्थाओं की तुलना में केवल ½ अवधि में ही कर ली।

देश की स्थायी सम्पत्ति में पूंजी-निर्माण की वृद्धि के रूप को देखते हुए दो महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं—प्रथम, स्थायी सम्पत्ति में वृद्धि, तथा द्वितीय, वस्तुओं की संचित मात्रा में कमी। इस कमी की पृष्ठभूमि में यातायात व संचार के साधनों में सुधार, कृषि-क्षेत्र के अंश में कमी तथा माँग में अल्पकालीन परिवर्तनों की

पूर्ति के लिए वस्तुओं की संचित-मात्र के स्थान पर बढ़ी हुई उत्पादन-क्षमता का प्रयोग है। इसके अतिरिक्त रसायी सम्पत्ति व कुल पूंजी-निर्माण में भवन-निर्माण के अनुपात में गिरावट आती है, किन्तु उत्पादक साज-सामान (Producer's Equipment) के अनुपात में वृद्धि होती है। उत्पादन-वृद्धि का कारण विकास के परिणामस्वरूप जनसंख्या की वृद्धि-दर में कमी तथा औद्योगिक सयनों का विस्तार होगा है।

कुजनेट्स ने कुछ देशों की पूंजी-प्रदा अनुपातों (Capital Output Ratios) की गणना की है। इनके अनुसार, "इटली के राष्ट्रीय उत्पादन की दर में, पूंजी-प्रदा अनुपातों में कमी के कारण, पर्याप्त वृद्धि प्रदर्शित की। नार्वे में पूंजी-प्रदा अनुपातों में गिरावट बहुत कम रही। किन्तु इंग्लैंड, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि देशों में सकल सीमान्त पूंजी-प्रदा अनुपातों (Gross Incremental Capital-output Ratios) में वृद्धि प्रदर्शित की—प्रारम्भिक अवधि में वृद्धि 3 व 4 5 के मध्य थी तथा वर्तमान अवधि में 4 व 6 के बीच रही।"¹

सीमान्त पूंजी-प्रदा अनुपातों में इस वृद्धि का कारण न तो सकल घरेलू पूंजी-निर्माण की संरचना में परिवर्तन रहे हैं, और न ही कृषि, खान व निर्माण आदि उद्योगों द्वारा पूंजी-निर्माण में उत्पन्न संरचनात्मक परिवर्तन। श्रम-साधन में हुए परिवर्तनों के कारण भी इन अनुपातों में होने वाली वृद्धि प्रमाणित नहीं होती। यह स्थिति इस सिद्धान्त को असत्य प्रमाणित करती है कि जब श्रम-शक्ति में वृद्धि की दर घटती है तब पूंजी-प्रदा अनुपात बढ़ते हैं। इन अनुपातों में वृद्धि के कारण तथा विभिन्न देशों में पाए जाने वाले इन अनुपातों के स्तर में अंतर उन अनेक अवस्थाओं में अन्तर्निहित हैं जो गौतिक पूंजी की मांग को प्रभावित करती हैं तथा जिनके कारण उत्पादन की एक ही मात्रा श्रम व पूंजी के विभिन्न संयोगों द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

इंग्लैंड व अमेरिका के अतिरिक्त अधिकांश देशों में पूंजी-निर्माण का उत्पादन अधिक हुआ। "यदि पूंजी-निर्माण का भाग अधिक होता है तो सीमान्त पूंजी-प्रदा अनुपात उसी स्थिति में स्थिर रहते हैं जब राष्ट्रीय उत्पादन में सांख्यिक वृद्धि होती है।"² इस स्थिति को कुजनेट्स ने एक उदाहरण द्वारा प्रस्तुत किया है। मान लीजिए कुल घरेलू उत्पादन = \$ 1000, सकल घरेलू पूंजी-निर्माण = \$ 150, वास्तविक वृद्धि-दर = 50 प्रतिशत तथा सीमान्त सकल पूंजी-प्रदा अनुपात = 3.0 है। यदि कुल उत्पादन में पूंजी-निर्माण का अनुपात $\frac{150}{1000}$ से बढ़कर $\frac{210}{1000}$ (40% की वृद्धि) हो जाता है, तब सीमान्त पूंजी-प्रदा अनुपात उसी स्थिति में 3.0 रहेगा जब उत्पादन की वृद्धि दर 5 से बढ़कर 7 (अथवा 40% की वृद्धि) हो जाती है।

1. Ibid, p. 122.

2 Ibid, p. 123

उत्पादन की संरचना में जनसंख्या का वृद्धि-दरों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। "यदि जनसंख्या घटती हुई दर से बढ़ती है, जैसाकि अनेक विकसित देशों में होना है, तो कुल उत्पादन में स्थिर दर से भी वृद्धि होने पर, प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। पूंजी-निर्माण के भाग में निरन्तर वृद्धि होती रहने की स्थिति में यदि पूंजी-प्रदा अनुपात को स्थिर रखना है और कुल उत्पादन की वृद्धि में तीव्र से तीव्रतर गति बनाए रखनी है तो प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि की दर कुल उत्पादन की वृद्धि-दर से भी कहीं अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार, प्रति व्यक्ति उत्पादन की उतरोत्तर बढ़ती हुई दरों के कारण अधिक बचत होती है। अधिक बचत के परिणामस्वरूप पूंजी-निर्माण का भाग भी बढ़ता है—जिसका आशय यह है कि यदि सीमान्त पूंजी-प्रदा अनुपात को बढ़ती हुई स्थिति में रखना है तो कुल उत्पादन व प्रति व्यक्ति उत्पादन की वृद्धि-दर और भी अधिक तीव्र की जानी चाहिए।"¹

उपभोग में संरचनात्मक परिवर्तन (Structural Changes in the Composition of Consumption)

उपभोग की संरचना की विवेचना व्यक्तिगत बचत व उपभोग्य आय (Disposable Income) के अनुपातों की दीर्घकालीन प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। व्यक्तिगत करो (आयकर आदि) के मुग्तान के पश्चात् जो आय परिवारों के पास शेष रहती है, उसे उपभोग्य आय कहते हैं। यह वह आय होती है जिसे लोग अपनी रचि के अनुसार खर्च कर सकते हैं अथवा बचा सकते हैं। इस आय का वह भाग जिसे वे वस्तुओं व सेवाओं पर व्यय नहीं करते, व्यक्तिगत बचत की श्रेणी में आता है।

विगत वर्षों में, विशुद्ध बचत का लगभग 48 से 49% भाग परिवारों से प्राप्त हुआ है। विशुद्ध बचत कुल बचतों का 60 प्रतिशत व कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 23 प्रतिशत रही। इस प्रकार परिवारों की विशुद्ध बचत का भाग कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 6.7 प्रतिशत रहा। उपभोग्य आय कुल उत्पादन का 70.3 प्रतिशत रही। अतः विशुद्ध बचत, उपभोग्य आय का औसतन $\frac{6.7}{70.3}$ अथवा 9.5% रही।²

कुजनेट्स के अध्ययनानुसार गत एक शताब्दी की अवधि में प्रति व्यक्ति उपभोग्य आय की वृद्धि-दर अवधि के अन्त में अपने प्रारम्भिक मूल्य का 4.5 गुना हो गई। उपभोग्य आय में इतनी अधिक वृद्धि के बावजूद, बचत का अनुपात बहुत कम रहा, क्योंकि उपभोग्य आय का बड़ा भाग उपभोग व्यय के रूप में काम आया। उपभोग प्रवृत्ति के अधिक रहने के मुख्यतः दो कारण हैं—आधुनिक आर्थिक उत्पादन के शहरी ढाँचे के कारण जीवन-लागत में अनिश्चित वृद्धि तथा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए मानव पर अधिकाधिक विनियोजन।³

1. Ibid. p 124
2. Ibid. p 125.
3. Ibid. p. 128, Table 5.2.

सारणी 5 2 में कुबनेट्स में उपभोग के ढाँचे में परिवर्तनों की पाँच श्रेणियों में प्रस्तुत किया है—भोजन, वस्त्र, आवास तथा अन्य। इन मद्दों में सरकार द्वारा प्रदत्त शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाएँ सम्मिलित नहीं हैं।

उपभोग (वर्तमान मूल्यों पर)
(Current Prices)

	भोजन	वस्त्र व तन्हाऊ	वस्त्र	आवास	अन्य
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
इंग्लैण्ड					
1880-99	34.2	13.8	—	10.7	41.3
1950-1959	31.3	14.1	11.7	12.8	30.1
इटली					
1861-80	52.0	17.2	—	5.8	25.0
1950-1959	46.6	10.7	11.5	5.2	26.0
नार्वे					
1865-1875	45.2	7.0	10.9	19.8	17.1
1950-59	30.3	8.1	16.7	10.1	34.7
कनाडा					
1870-1890	32.2	5.7	16.9	26.7	18.5
1950-59	23.7	8.3	10.2	21.2	34.6

निष्कर्षतः कुल उपभोग में भोजन-व्यय का भाग कम हुआ, वस्त्रों के व्यय का भाग अधिक हुआ। आवासीय भवनों पर किए गए व्यय की स्थिति स्पष्ट नहीं है। 'अन्य' मद्दों के अन्तर्गत घर के फर्नीचर व साज-सामान, वाहन, चिकित्सा-सुविधा मनोरंजन आदि को जो भार दिया गया है, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जैसे-जैसे प्रति व्यक्ति उपभोग-वस्तुओं के त्रय में वृद्धि होती है, उक्त वस्तुओं के भाग में वृद्धि होगी।

वस्त्र वाली मद्द में पाए जाने वाले अन्तर और भी अधिक उल्लेखनीय हैं। जर्मनी, नार्वे व स्वीडन में वस्त्रों की मद्द वाले भाग में पर्याप्त वृद्धि होनी है, किन्तु इंग्लैण्ड में वस्त्रों का अनुपात वर्तमान कीमतों पर स्थिर रहता है, स्थिर कीमतों पर यह अनुपात गिरता है।

कुल उपभोग में आवासीय व्यय के अनुपात में उक्त पदों की अपेक्षा अधिक अन्तर पाए गए हैं। किन्तु कुबनेट्स द्वारा प्रस्तुत अनुमानों के अनुसार नार्वे, स्वीडन व इंग्लैण्ड में आवासीय भवनों के अनुपात में गिरावट रही। अमेरिका व कनाडा में इस पद की प्रवृत्ति स्थिरता की रही—विशेषकर द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व की अवधि में प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व जर्मनी में इस मद्द में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। उक्त निष्कर्षों से दो तथ्य स्पष्ट होते हैं। प्रथम, आधुनिक आर्थिक वृद्धि के दौरान, उपभोग वस्तुओं

की श्रय के स्तर व ढाँचे का यदि विश्लेषण किया जाता है तो उपभोग प्रवृत्ति की सीमा का अधिक खूना निश्चित है, किन्तु दूसरी ओर उपभोग की मरों के उपवर्गों की प्रवृत्तियों में स्वाभाविक अनुमानों के विपरीत अनेक असंगतियाँ सम्भव हैं। भोजन की किसी विशेष मद पर व्यय की प्रवृत्ति गिरने के स्थान पर बढ़ने की हो सकती है और इसी प्रकार वस्त्रों के किसी मद पर व्यय की प्रवृत्ति बढ़ने के स्थान पर घटने की हो सकती है।

उपभोग की उक्त समस्त मदों के निष्कर्षों के कारण को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है—(1) आधुनिक अर्थ-व्यवस्था के बदलते हुए उत्पादन-ढाँचे में परिवर्तनों के कारण जीवन की अवस्थाएँ भिन्न हो गई हैं; जिन्होंने उपभोग की संरचना व स्तर में अनेक बड़े परिवर्तन ला दिए हैं, (2) प्रायोगिक परिवर्तन (Technological Changes) विशेषकर उपभोग-वस्तुओं के क्षेत्र में तथा (3) क्रियाशील जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण व आय-वितरण के विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन। इन तत्त्वों के कारण उपभोग प्रवृत्ति प्रभावित होती है तथा कुल उपभोग में अनेक उपवर्गों का अनुपात परिवर्तित होता रहता है। यद्यपि ये तत्त्व परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, किन्तु पृथक् रूप से इनका विश्लेषण श्रेष्ठ हो सकता है।

रहन-महन की अवस्थाओं में परिवर्तनों के अन्तर्गत सबसे प्रमुख प्रवृत्ति शहरीकरण की है। श्रम-विभाजन व विशिष्टीकरण की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, परिवारों की क्रियाएँ बाजारोन्मुख (Shifts from non-market activities to market activities) होने लगती हैं।

यह क्रिया पूंजी-निर्माण के अनुपात में उपभोग वस्तुओं के उत्पादन को निश्चित रूप से बढ़ाती हो, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि अतीत में भी विशिष्टीकरण व श्रम-विभाजन की स्थिति से पूर्व पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन सापेक्ष रूप से इतना अधिक होता रहा है जितना कि उपभोग्य वस्तुओं का। किन्तु इस परिवर्तन का प्रभाव उपभोग्य वस्तुओं के ऋय के ढाँचे की प्रवृत्तियों पर अवश्य होता है।

द्वितीय, शहरीकरण से जीवन-लागत बढ़ जाती है। जीवन-लागत की इस वृद्धि का उपभोग्य वस्तुओं के ऋय पर प्रभाव पड़ता है। बचत व पूंजी-निर्माण भी प्रभावित होते हैं। इस स्थिति का विभिन्न उपभोग्य वस्तुओं पर भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ, शहरी आवादी की खरीदों का शहरों में उत्पादित उन वस्तुओं की अपेक्षा जिनका ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग होता है, कृषि-पदार्थों पर कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है।

शहरी जीवन 'प्रदर्शनकारी प्रभाव' (Demonstration Effect) से प्रभावित होता है। प्रदर्शनकारी प्रभाव के कारण उपभोग का स्तर बढ़ जाता है। नए उपभोग्य पदार्थों के प्रति आकर्षण में वृद्धि होती है। इसके परिणामस्वरूप सापेक्ष रूप से बचत व पूंजी-निर्माण की अपेक्षा उपभोग-व्यय की प्रवृत्तियाँ अधिक स्पष्ट रूप से प्रभावित होती हैं।

उपभोग के ढाँचे को प्रभावित करने वाले अन्य परिवर्तन प्रायोगिक परिवर्तन (Technological Changes) हैं। ये परिवर्तन ही आधुनिक आर्थिक वृद्धि के मूल

धोत हैं। इन परिवर्तनों के कारण नई प्रकार की उपभोग वस्तुएँ अस्तित्व में आती हैं और पुरानी वस्तुओं में अनेक सुधार होते हैं। खाद्य पदार्थों के अन्तर्गत भी रेफ्रिजरेशन, कॅनिंग (Refrigeration and Canning) आदि नवीन प्रक्रियाओं के कारण भोजन की कुल मांग और विभिन्न वर्गों में इसके वितरण पर प्रभाव पड़ना है। मानव निर्मित वस्तु, विद्युत् प्रसाधन, रेडियो, टेलीविजन, मोटरगाडियाँ हवाई यातायात आदि नई उपभोग वस्तुओं का बढ़ता हुआ उपभोग इसी प्रकार के परिवर्तनों के कारण होता है। यद्यपि तकनीकी परिवर्तनों के पूंजीयन वस्तुओं व उपभोग वस्तुओं पर सापेक्ष प्रभाव की माप कठिन है, तथापि आज के विकसित देशों में अनेक प्रकार के नए से नए उपभोग-पदार्थों के बढ़ते हुए उपभोग में प्रायोगिक परिवर्तनों का प्रभाव उपभोग की संरचना पर स्पष्टतः परिलक्षित होता है।

प्रायोगिक प्रगति के कारण उपभोक्ता अधिमानों में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन आते हैं। उदाहरणार्थ, पोषण तत्वों के सम्बन्ध में अधिक ज्ञान-वृद्धि के कारण भोजन की वस्तुओं के प्रति उपभोक्ताओं की रुचि में अन्तर आ जाता है। यह निर्विवाद मंत्र है कि प्रायोगिक प्रगति के परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय का स्तर काफी अधिक बढ़ा है तथा समाज के विभिन्न वर्गों में उपभोग्य वस्तुओं के वितरण की स्थिति में मौलिक भिन्नता आ गई है।

उपभोग प्रभावित करने वाले तीसरे प्रकार के परिवर्तन आय वितरण से सम्बन्धित होते हैं। जब श्रियाशाला श्रमिक निजी व्यवसाय से हटकर सेवा-क्षेत्र के प्रति आकर्षित होते हैं तब वेतनभोगी श्रमिकों का कुल श्रम शक्ति में अनुपात अधिक हो जाता है। परिणामस्वरूप, उपभोग्य वस्तुओं का वितरण व बचतें प्रभावित होती हैं। अप्रशिक्षित व्यवसायों से हटकर श्रमिकों का श्वेतपोशी व्यवसायों की ओर उन्मुख होना भी उपभोग के ढाँचे में बड़ा परिवर्तन लाता है। निजी व्यवसायियों की अपेक्षा श्वेतपोशी व्यवसायों में कार्यरत वेतनभोगी-वर्ग जीवन का न्यूनतम स्तर अधिक ऊँचा रहता है। उनकी इस प्रवृत्ति का उपभोग की संरचना पर विशेष प्रभाव हाना है।

“आय वितरण सम्बन्धी परिवर्तनों के कारण व्यक्तियों का जीवन-स्तर इस प्रकार प्रभावित होता है कि उपभोग व्यय का उन वस्तुओं पर अनुपात बढ़ जाता है जिनकी आय लोच इकाई से कम होती है तथा जिन वस्तुओं की आय लोच इकाई में अधिक होती है, उन पर उपभोग व्यय का अनुपात कम हो जाता है। इसी कारण भोजन की मद का व्यय आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप कम हो जाता है क्योंकि विकसित देशों में इस मद की आय लोच सामान्यतः 5 तथा निर्धन देशों में 7 पायी जाती है। दूसरी ओर वस्त्रों के मद की आय लोच इकाई से अधिक प्रायः 17 के लगभग होती है। कुछ देशों में मीटर आदि ओटोमोबाइल की आय लोच 18 तथा शराब आदि मादक पदार्थों के लिए आय लोच 194 पायी जाती है। अतः आय में वृद्धि के कारण इकाई से अधिक आय लोच वाली वस्तुओं—वस्त्र, ओटोमोबाइल,

भादक पदार्थ आदि पर उपभोग व्यय का अनुपात आय में वृद्धि से अधिक हो जाता है।¹

उपभोग की संरचना में परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी उक्त तत्त्वों के अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी हैं, जिनमें प्रमुख जीवन के मूल्यों से सम्बन्धित होते हैं। यदि राज का व्यक्ति वर्तमान में उपभोग को अधिक महत्त्व देता है, भौतिक आवश्यकताओं की दृष्टि के प्रति अधिक व्यग्र रहता है अपेक्षाकृत भविष्य के लिए बचत की राशि में वृद्धि करने के, तो ऐसी स्थिति में उपभोग का अनुपात, उपभोग आय में, बचत व पूंजी-निर्माण को अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ जाता है।

सामान्यतः उपभोग के लिए राष्ट्रीय आय का 85 से 100 प्रतिशत उपयोग किया जाता है। अतः पूंजी निर्माण में राष्ट्रीय आय का भाग प्रायः शून्य से 15 प्रतिशत तक रहता है। अल्पकाल में अथवा किसी व्यापार चक्रीय अवधि के कालान्तर में उपभोग व पूंजी-निर्माण में राष्ट्रीय आय के अनुपात उक्त अनुपातों की तुलना में कुछ कम अथवा अधिक हो सकते हैं। किन्तु हम उपभोग के विश्लेषण को दीर्घकाल से सम्बन्धित रखते हुए यह मान्यता लेकर चलते हैं कि दीर्घकाल में राष्ट्रीय आय का उपभोग पर अनुपात 82 से 98 प्रतिशत की सीमाओं में रहता है। विकसित देशों में यह प्रतिशत यदि 82 तथा अर्द्ध-विकसित देशों में 98 रहता है तो अर्द्ध-विकसित क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय जो विकसित क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय का लगभग 17वाँ भाग होती है, उपभोग पर इस प्रकार व्यय होती है कि अर्द्ध-विकसित क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति उपभोग का स्तर विकसित क्षेत्रों की अपेक्षा 1/13 रहता है।²

व्यापार में संरचनात्मक परिवर्तन

(Structural Changes in the Composition of Trade)

आर्थिक विकास के कारण उपभोग व उत्पादन की संरचना में होने वाले परिवर्तन आय के स्तर पर निर्भर करते हैं। किन्तु विकास की अवस्था विदेशी व्यापार की संरचना के लिए सापेक्ष रूप से कम उत्तरदायी है। विदेशी व्यापार के अनुपात (Foreign Trade Proportions) मुख्यतः देश के आकार द्वारा निर्धारित होते हैं। देश के आकार व विदेशी व्यापार के अनुपातों में विपरीत सम्बन्ध होता है। छोटे देश के विदेशी व्यापार-अनुपात प्रायः बड़े तथा बड़े देश के व्यापार-अनुपात छोटे होते हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं—(i) प्राकृतिक साधनों की विविधता क्षेत्रफल के आकार पर निर्भर करती है। इसीलिए छोटे आकार वाले देश के आर्थिक ढाँचे में कम विविधता पायी जाती है। (ii) छोटे देश आधुनिक स्तर के औद्योगिक संयंत्र के अनुकूलतम पैमाने (Optimum Scale of Plant) के संचालन की क्षमता नहीं रखते हैं। अतः विदेशी बाजारों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ छोटे राष्ट्र कृषि व प्राकृतिक ससाधनों की दृष्टि से एक विशेष लाभ की स्थिति में

1. Ibid. p. 135.

2. Simon Kuznet : Economic Growth and Structure, p. 149.

हो सकते हैं। अरब राष्ट्रों का उदाहरण लिया जा सकता है। तेल के क्षेत्र में इन्हें विशेष लाभ प्राप्त है। इस विशेष स्थिति के कारण विश्व के सभी बाजार इन छोटे राष्ट्रों को अपने व्यापार के लिए उपलब्ध होते हैं। अतः विशेष लाभ की स्थिति वाला छोटा देश अपने साधनों को एक बड़े अनुपात में एक अथवा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में केन्द्रित कर सकता है। दूसरी ओर, एक बड़ा राष्ट्र तुलनात्मक लाभ की दृष्टि से अपने साधनों को अनेक क्षेत्रों में लगाने की स्थिति में होता है।

व्यापार की संरचना से सम्बन्धित दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य माँग ढाँचा (Structure of Demand) अथवा उपभोग व पूँजी-निर्माण में वस्तुओं का प्रवाह है। दोनों प्रकार के देशों में माँग के ढाँचे में विविधता पायी जाती है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय का स्तर बढ़ा हुआ होने पर एक छोटे देश में भी उन वस्तुओं की माँग होगी, जिनका वहाँ उत्पादन नहीं होता है।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि घरेलू उत्पादन के केन्द्रित ढाँचे व अन्तिम माँग के विविधतापूर्ण ढाँचे में अन्तर की सीमा बड़े राष्ट्रों की अपेक्षा छोटे राष्ट्रों में अधिक होगी। घरेलू उत्पादन के केन्द्रित ढाँचे व अन्तिम माँग के विविधतापूर्ण ढाँचे की यह विषमता (D disparity) विदेशी व्यापार के कारण ही सम्भव हो सकी है।

एक देश की विविधतापूर्ण माँग की पूर्ति आयातों द्वारा की जा सकती है। छोटे राष्ट्रों के बाजारों में बड़े राष्ट्रों की अपेक्षा विदेशी प्रतियोगिता अधिक होती है। प्रत्येक देश के विदेशी व्यापार-अनुपात की गणना वस्तुओं के निर्यात व आयातों के योग को राष्ट्रीय आय तथा आयातों के योग से विभाजित करके की गई है।

यह अनुपात चरम स्थितियों में शून्य व इकाई हो सकता है। यह अनुपात शून्य तब होता है जब किसी देश में आयात निर्यात शून्य होते हैं तथा यह अनुपात इकाई तब होता है जब देश में घरेलू उत्पादन बिलकुल नहीं होता है तथा सम्पूर्ण माँग की पूर्ति केवल आयातों से की जाती है व आयातों का भुगतान पुनः निर्यातों (Re-exports) से किया जाता है। यदि आयात घरेलू उत्पादन के बराबर होते हैं और निर्यात व आयात परस्पर समान होते हैं तब भी यह अनुपात 1 होता है। आयातों के बराबर निर्यातों के होने पर, 2 अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि आयात राष्ट्रीय उत्पादन के दसवें भाग से कुछ अधिक होते हैं तथा 4 अनुपात का अर्थ यह होता है कि राष्ट्रीय उत्पादन में आयातों का भाग 25 है।

समान बाजार वाले विभिन्न देशों को यदि विभिन्न समूहों में रखा जाए तब भी देश के आकार व विदेशी व्यापार अनुपात में विपरीत सम्बन्ध मिलेगा। प्रति व्यक्ति आय की अपेक्षा प्रस्तुत स्थिति में देश का आकार विदेशी व्यापार के अनुपात को प्रभावित करने वाला अधिक महत्वपूर्ण तत्त्व है। जनसंख्या के आकार की अपेक्षा करते हुए प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जब देशों को विभिन्न समूहों में रखा जाता है, तब आय के पैमाने पर नीचे की ओर आने पर विदेशी व्यापार के अनुपात में कोई क्रमिक परिवर्तन नहीं पाया जाता है।

Relation Between Foreign Commodity Trade, Size of Country and Level of Income per Capita (1938-39 and 1950-54)

Groups of Countries		1	2	3	4	5	6
		Number of Countries	1938-39 Average Population (Millions) or Average Income per Capita (\$)	Average Foreign Trade Ratio	Number of Countries	1950-54 Average Population (Million) or Average Income per Capita (\$)	Average Foreign Trade Ratio
A. Countries Arrayed in Descending Order of Population Size							
1.	I	10	135.4	0.17	10	103.9	0.21
2.	II	10	16.2	0.24	10	22.0	0.24
3.	III	10	7.3	0.31	10	10.4	0.41
4.	IV	10	3.7	0.38	10	5.3	0.41
5.	V	12	1.5	0.38	10	2.7	0.41
6.	VI				7	0.8	0.41
B. Countries Arrayed in Descending Order of Income per Capita							
7.	I	10	429	0.29	10	1,021	0.35
8.	II	10	214	0.32	10	514	0.41
9.	III	10	106	0.19	10	291	0.40
10.	IV	10	66	0.36	10	200	0.24
11.	V	12	40	3.24	10	115	0.38
12.	VI				7	67	0.26

छोटे देशों के विदेशी व्यापार की दो महत्वपूर्ण विशेषताएँ होती हैं। प्रथम, इन देशों के निर्यात एक ग्रथवा दो वस्तुओं से केन्द्रित रहते हैं। तेल, कॉफी, टिन आदि कुछ इसी प्रकार की मदे हैं जिनकी निर्यात भाँग विश्व में बहुत अधिक पायी जाती है। निर्यातों का यह केन्द्रीकरण बड़े अविकसित देशों में पाया जाता है, जिनमें निम्न-स्तरीय उत्पादन तकनीकी प्रयोग में ली जाती है। निम्न-स्तरीय तकनीकी के कारण ऐसे देशों में कुछ ही वस्तुओं में तुलनात्मक लाभ की स्थिति पायी जाती है। द्वितीय, छोटे देशों के आयात व निर्यातों का सीधा सम्बन्ध किसी एक बड़े राष्ट्र से होता है, किन्तु बड़े आकार वाले देशों का आयात-निर्यात व्यापार अनेक देशों के साथ होता है।

विदेशी व्यापार बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। इन देशों में घरेलू उत्पादन कुछ ही क्षेत्रों में केन्द्रित रहता है। अतः घरेलू उत्पादन का क्षेत्र सीमित होने के कारण अन्तिम भाँग के एक बड़े भाग की पूर्ति विदेशी व्यापार द्वारा ही सम्भव है किन्तु छोटे देशों के व्यापार की भी सीमाएँ होती हैं। इन सभी सीमाओं को विदेशी व्यापार द्वारा दूर कर पाना सम्भव नहीं है। सरकारी हस्तक्षेप व अन्तर्राष्ट्रीय सघर्षों के कारण विदेशी व्यापार में अवरोध उपस्थित हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ आवश्यक वस्तुओं के निर्यात का अर्थ बहुत बड़ी लागत चुकाना होता है।

जनसंख्या के आकार में कमी के साथ-साथ एक विशेष विन्दु तक ही विदेशी व्यापार का अग्रत अनुपात बढ़ता है। उस विन्दु के पश्चात् अनुपात का घटना एक जाता है। उदाहरणार्थ, जर्त सारणी में 1938-1939 के वर्ष में समूह IV में यह अनुपात 38 तक पहुँचता है आगे वाले समूह में जनसंख्या में 1.5 मिलियन की कमी होने पर भी यह अनुपात 38 ही बना रहता है। सन् 1950-54 में अनुपात की उच्चतम सीमा सम्बन्धी तथ्य की अधिक पुष्टि होती है। समूह III में 10.5 मिलियन जनसंख्या की स्थिति में भी यह अनुपात 41 वा अधिकतम स्तर प्राप्त कर लेता है और इस स्तर के बाद एक मिलियन से कम वाले समूह में भी इस अनुपात में कोई वृद्धि नहीं होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समय विशेष में वर्तमान राजनीतिक सस्थागत व आर्थिक परिस्थितियों में कुल उत्पादन के उस भाग की जो व्यापार के लिए उपलब्ध होना है, एक उच्चतम सीमा होती है।

विदेशी व्यापार पर बड़े देशों की तुलना में छोटे देशों की निर्भरता अधिक होती है। "विदेशी व्यापार का प्रति व्यक्ति आय के स्तर के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। अतः बड़े देश अपेक्षाकृत कहीं छोटे विदेशी व्यापार के अनुपातों से 'आर्थिक वृद्धि' करने की स्थिति में होते हैं। आर्थिक वृद्धि की त्रिया व राष्ट्रीय उत्पादन की एक महत्वपूर्ण विधा (विदेशी व्यापार) में छोटे व बड़े देशों की स्थिति में अन्तर पाया जाता है अर्थात् विभिन्न घरेलू व विदेशी क्षेत्रों के योगदानों के अनुपातों की दृष्टि से छोटे व बड़े देशों की स्थिति भिन्न होती है।"¹

विदेशी व्यापार के क्षेत्र में अ विकसित देशों की राष्ट्रीय आय व निर्यातों का अनुपात प्रायः 10% होता है जबकि समृद्ध अथवा विकसित देशों के लिए प्रायः 20 से 25% पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अ विकसित देश मुख्यतः कच्चे माल के निर्यातक होते हैं, जबकि विकसित देश निर्मित वस्तुओं के निर्यातक होते हैं।

GATT के अनुसार अल्प-विकसित देश निर्मित वस्तुओं के कुल उपभोग का केवल एक-तिहाई भाग का ही आयात करते हैं और यह अनुपात उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है।¹

आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति (Under-development) विदेशी व्यापार के अनुपातों पर दो विपरीत तरीकों से प्रभाव डालती है। प्रथम, यह स्थिति कुल उत्पादन के आकार को सीमित करती है, परिणामतः विदेशी व्यापार के अनुपात में वृद्धि होती है तथा आर्थिक हीनता की स्थिति निम्नस्तरीय तकनीकी को प्रकट करती है।

विनियोग के स्वरूप में परिवर्तन

(Changes in the Composition of Investment)

अ विकसित देशों की मुख्य समस्या उत्पादकता में कमी होना है और यही इनकी दरिद्रता के लिए उत्तरदायी है। उत्पादकता में वृद्धि पूंजी-संचय की वृद्धि पर तथा पूंजी-संचय की वृद्धि विनियोग की मात्रा पर निर्भर करती है अर्थात् आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के प्रारम्भ तथा इनकी गति को तीव्र करने के लिए अधिक से अधिक विनियोगों की आवश्यकता है। किन्तु विनियोग नीति किस प्रकार की होगी चाहिए, इस सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण हैं—(i) क्रमिक विकास का दृष्टिकोण (Gradual Approach) तथा (ii) विनियोग की विशाल योजना का दृष्टिकोण (Big Push Approach)। प्रथम दृष्टिकोण के अनुसार विनियोगों का प्रयोग प्रारम्भ में कृषि विकास, सामाजिक ऊपरी पूंजी-निर्माण (Social Overhead Capital) तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए होना चाहिए। फिर जैसे-जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, शन-शन क्रमिक रूप से भी उद्योगों में विनियोग किया जाना चाहिए। लेटिन अमेरिका, अफ्रीका के पूर्वी भाग तथा दक्षिणी एशिया के कुछ भागों में यही नीति अपनाई गई है।

दूसरा दृष्टिकोण विनियोग की विशाल योजना का समर्थन करता है। यह विचार इस मान्यता पर आधारित है जब तक सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों में विशाल पैमाने पर परिवर्तन नहीं होते तब तक विकास प्रक्रिया स्वतः संचालित व सचयी गति प्राप्त नहीं कर सकती। इस मत के समर्थकों में लिबिन्स्टीन (Leibenstein) व नैलसन (Nelson) उल्लेखनीय हैं। लिबिन्स्टीन का 'आवश्यक न्यूनतम प्रयास का विचार' (Critical Minimum Effort Thesis) तथा नैलसन का 'निम्नस्तरीय सतुलन जाल' (The low level Equilibrium Trap) का सिद्धान्त इस दृष्टिकोण की श्रेणी में आते हैं। इन सिद्धान्तों के अनुसार

1. International Trade 1951, GATT, 1900 Kuznets-MEG, p 202.

भारी विनियोगों की आवश्यकता होती है ताकि उत्पादन में वृद्धि की दर जनसंख्या की विकास-दर से अधिक हो सके।

विनियोग बचत पर निर्भर करते हैं, किन्तु अर्द्ध-विकसित देशों में बचत-दर बहुत कम है। इन देशों में बचत-दर जहाँ 4 व 5% के बीच है, वहाँ विकसित देशों में यह दर 15% व इससे भी अधिक है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए बचत की निरन्तर बढ़ती हुई दर आवश्यक होती है और विनियोग के स्तर को 5% बढ़ाकर राष्ट्रीय आय 15 से 18% तक करना आवश्यक हो जाता।

“1870-1913 की अवधि में ब्रिटेन के जो तथ्य उपलब्ध हैं, वे यह प्रमाणित करते हैं कि इस अवधि में वहाँ विनियोग की औसत दर 10 प्रतिशत थी तथा समृद्ध वर्षों में यह 15 प्रतिशत भी रही। अमेरिका में 1867-1913 का अवधि में शुद्ध विनियोग दर 13 से 16 प्रतिशत रही, जबकि कुल विनियोग 21 से 24 प्रतिशत के मध्य रहा। जापान में 1900-1901 में 12 प्रतिशत तथा आगे की दशकियों में इसके 17 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है।¹ इसके विपरीत भारत में पूँजी-निर्माण की दर बहुत कम है, परिणामस्वरूप विनियोग-दर गण्ड विकास दर प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त है अर्द्ध-विकसित देशों में पूँजी-निर्माण की निम्न दर निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत की गई है—

कुल राष्ट्रीय उत्पादन में पूँजी-निर्माण का अनुपात²

विकसित देश	वर्ष	कुल पूँजी-निर्माण	अर्द्ध-विकसित देश	वर्ष	कुल पूँजी निर्माण
नार्वे	1949	29%	बर्मा	1960	17%
ऑस्ट्रेलिया	1960	24%	पुर्तगाल	1959	17%
नीदरलैंड	1960	24%	थैलैण्ड	1960	13%
कनाडा	1960	23%	बायरलैंड	1959	13%
स्विट्जरलैंड	1959	23%	चिली	1959	11%
स्वीडन	1960	22%	फ़िलीपाइन्स	1959	8%
ब्रिटेन	1960	16%	भारत	1959	8%
अमेरिका	1960	16%			

इसके अतिरिक्त सादमन कुवनेट्ट ने भी विकसित व अर्द्धविकसित देशों में पूँजी-निर्माण की औसत-दर के अन्तर को अप्रतिबिम्बित प्रकार से प्रस्तुत किया है।

1. Planning Commission The First Five Year Plan, p 13.
2. U N Statistical Year Book, 1961.

प्रति व्यक्ति आय स्तर व पूँजी निर्माण की दर¹

देशों का समूह	कुल उत्पादन में कुल पूँजी-निर्माण की दर
1	21.3%
2	23.3%
3	17.2%
4	15.7%
5	18.2%
6	13.3%
7	17.1%

प्रथम व द्वितीय समूह की औसत पूँजी-निर्माण-दर 22.2% तथा तृतीय, चतुर्थ व पंचम समूहों की औसत दर 16.3% तथा 5, 6 और 7 में इसका औसत 16.2% है। इस प्रकार धनी देशों में निम्न आय वाले देशों की अपेक्षा पूँजी-निर्माण की दर काफी कम है। अतः स्पष्ट है कि अधिक पूँजी-निर्माण वाले देशों में प्रति व्यक्ति पूँजी का उपभोग-दर कम आय वाले देशों की अपेक्षा बहुत कम है। इस विषयता को निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत किया गया है—

कुछ उद्योगों में प्रतिव्यक्ति नियोजित पूँजी²

उद्योग	अमेरिका	मैक्सिको	भारत
श्रद्ध और बेकारी उद्योग	5.0	1.7	3.5
बस्त्र उद्योग	8.7	2.1	1.8
इस्पात उद्योग	32.1	10.8	5.7
धीनी उद्योग	26.8	8.2	2.6
कागज, लुदी व कागज के सामान से सम्बन्धित उद्योग	10.2	8.9	6.6

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया के अन्तर्गत सर्वाधिक महत्व विनियोगों को दिया जाता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री केज के अनुसार तेजगार का स्तर प्रभावपूर्ण माँग (Effective Demand) पर निर्भर करता है। प्रभावपूर्ण माँग के दो अनुभाग होते हैं—(i) उपभोग माँग, व (ii) विनियोग माँग। प्रत्येकाल में उपभोग के प्रति अधिमानों में परिवर्तन लाना कठिन होता है। विनियोगों का वर्गीकरण निजी विनियोग, सार्वजनिक विनियोग व वित्तीय विनियोगों के रूप में किया जा सकता है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों व परिवारों द्वारा किए गए ऐसे व्यय जो पूँजी संचय में वृद्धि करते हैं, निजी विनियोग कहलाते हैं। राजकीय प्रतिष्ठानों द्वारा पूँजी-निर्माण के लिए व्यय सार्वजनिक विनियोग की श्रेणी में आता है। एक व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठान जब अन्य व्यक्ति या प्रतिष्ठान से केवल परिसम्पत्ति का

1. *Simon Kuznets : Six Lectures on Economic Growth*, pp. 72 & 73.
2. *Tinbergen : The Design of Development*, 1958, p. 73.

अन्य-विनियम करता है, जिससे किसी नई परिमम्पत्ति का निर्माण नहीं होता है, वित्तीय विनियोग कहलाता है।

विकासोन्मुख देशों में जहाँ विकास दर को अधिक से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य होता है, विनियोग का स्वरूप निर्धारित करने से पूर्व विनियोग नीति के लक्ष्य निश्चित करना अनिवार्य है। इन देशों में विनियोग के लक्ष्य रोजगार को अधिकतम करना, निर्यातों को अधिकतम करना, अनुचित विकास, आय व पूँजी का न्यायोचित वितरण आदि हो सकते हैं। यदि अल्पकाल में अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य रखा जाता है तो कृषि तथा उपभोग वस्तुओं के उद्योगों में विनियोग किया जाता है, क्योंकि इन उद्योगों की परिपक्वता अवधि (Gestation Period) कम होती है। यदि उत्पादन में दीर्घकालीन एवं सतत् वृद्धि आवश्यक समझी जाती है तो पूँजीगत वस्तुओं के उद्योगों (Capital Goods Industries) में विनियोग वांछनीय होता है। अर्थात् विनियोगों की संरचना का निर्धारण आर्थिक विकास के लक्ष्यों पर निर्भर करता है। अतः सभी अविकसित देशों के लिए समान विनियोग नीति समभव नहीं है।

सामान्यतः आर्थिक विकास के दौरान ऐसे उद्योगों में विनियोगों को प्राथमिकता दी जाती है, जिनमें (i) वर्तमान उत्पादन व विनियोग का अनुपात (Ratio of Current Output to Investment), (ii) श्रम व विनियोग का अनुपात (Ratio of Labour to Investment), तथा (iii) निर्यात वस्तुओं व विनियोग का अनुपात (Ratio of Export Goods to Investment) अधिकतम होना समभव हो।

पूँजी के उचित विनिरण तथा आय की विपमताओं को दूर करने की दृष्टि से कृषि व लघु उद्योगों में विनियोग आवश्यक होता है। विकासोन्मुख देशों में आय की विपमताएँ बहुत अधिक पायी जाती हैं, अतः विकास के दौरान प्रायः कृषि व लघु उद्योगों में विनियोग की मात्रा बढ़ाने पर बल दिया जाता है, किन्तु दीर्घकालिक व स्थायी विकास की दृष्टि से भारी उद्योगों में विनियोग भी आवश्यक होता है। अतः आर्थिक विकास के दौरान इन दोनों लक्ष्यों में सतुलन (Balance) रखा जाना है।

आर्थिक विकास की दीर्घकालीन अवधि में सरकारी प्रतिष्ठानों में विनियोग का अनुपात बढ़ता जाता है तथा निजी विनियोग के अनुपात में कमी की प्रवृत्ति प्रारम्भ हो जाती है। अल्प-विकसित देशों में विकास के लिए अर्द्ध-संरचना (Infra-structure) जैसे रेलों, सड़कों, महारों, शक्ति परियोजनाओं तथा अन्य प्रकार की आधिकार और सामाजिक ऊपरी पूँजी (Economic and Social Overheads) आवश्यक होती है। निजी विनियोगों द्वारा इन कार्यों के लिए पूँजी-संचय समभव नहीं होता है। यद्यपि निजी विनियोगों की तुलना में सार्वजनिक विनियोग दर प्रायः कम होती है, तथापि सार्वजनिक क्षेत्र का आर्थिक विकास के साथ-साथ अधिक से अधिक विस्तार किया जाता है, क्योंकि सार्वजनिक विनियोगों का मुख्य उद्देश्य प्रतिकूल की दर की अधिकता न होकर, सामाजिक उत्पादकता (Social Productivity) को

अधिक से अधिक बढ़ाना एवं निजी विनियोगों के आकर्षण के लिए बाह्य बचत (External Economies) को उत्पन्न करना होता है।

इटली में राजकीय प्रतिष्ठानों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। अधिकांश उद्योग सरकारी क्षेत्र में आते हैं। इनमें से अनेक उद्योगों में लाभ-दर काफी ऊँची है। किन्तु बी. लुव्ज के अनुसार, "रोजगार के स्तर को बनाए रखने के लिए अनेक हानिकारक उद्योगों में भी विनियोग किया गया है।"¹ सार्वजनिक विनियोग व निजी विनियोग का अनुपात लगभग 60 : 40 है।

विनियोग के क्षेत्र में सरकार की दूसरी भूमिका अनुदान, सहायता आदि देने की होती है। सरकारी अनुदान व सहायता के माध्यम से नए स्थानों पर उद्योग विकसित करने के प्रयत्न होते हैं। इंग्लैण्ड व फ्रांस में लन्दन व पैरिस से कारखानों को अन्यत्र स्थापित करने में सरकारी अनुदानों का प्रयोग किया है। नार्वे ने जनसंख्या का उत्तर से स्थानान्तरण रोकने का प्रयत्न किया है।

सरकार निजी क्षेत्र के विनियोगों पर भी अपना नियन्त्रण रखती है। अब प्रश्न उठता है कि विनियोग नियोजन (Investment Planning) में सरकार की बढ़ती हुई भूमिका आवश्यक है अथवा अहितकर। सभी देशों के लिए इस प्रश्न का एक उत्तर संभव नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर निजी व्यवसाय के प्रतिस्पर्द्धा, सरकारी अधिकारी तथा व्यापारियों की सापेक्ष कुशलता व योग्यता पर निर्भर करता है। पेरिस की नियोजन पद्धति में सरकार व निजी व्यवसाय की दोहरे सहयोग से विनियोग निर्णयों में पर्याप्त सुधार हुए हैं। परिणामतः फ्रांस, विनियोगों से, विकास की बढ़ती हुई दर प्राप्त करने में समर्थ रहा है।

पूंजी-प्रदा अनुपात (Capital Out-put Ratio)

किसी भी देश के लिए पूंजी की आवश्यकता के अनुमान पूंजी-प्रदा अनुपात (Capital Out-put Ratio) की धारणा पर निर्भर करते हैं। अर्थ-व्यवस्था के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पूंजी-प्रदा अनुपात भिन्न होता है। अर्द्ध-विकसित देशों के कृषि क्षेत्र में यह अनुपात कम होता है। तथा औद्योगिक क्षेत्र में अधिक रहता है। सार्वजनिक कल्याण के उद्योगों (Public Utilities) में यह अनुपात और भी अधिक होता है। अतः विनियोग की तरचना में पूंजी-प्रदा अनुपात की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

तकनीकी (Technology)

विनियोगों पर तकनीकी स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। अर्द्ध-विकसित देशों में तकनीकी स्तर निम्न होने के कारण पूंजी की उत्पादकता कम होती है और इसलिए पूंजी-प्रदा अनुपात अधिक रहता है। किन्तु जब कोई नई तकनीकी किसी अर्द्ध-विकसित देश में प्रयोग में ली जाती है तो आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होते हैं। यदि अधिक पिछड़े हुए देशों में पूंजी का विनियोजन शिक्षा, प्रशिक्षण आदि पर

किया जाता है तो विकसित देशों की अपेक्षा कहीं अधिक तेजी से विकास की बढ़ती हुई दरों को प्राप्त किया जा सकता है।¹

सक्षेप में, विनियोग की संरचना बचत-दर, आर्थिक लक्ष्य, पूँजी-प्रदा अनुपात, तकनीकी आदि के स्तर पर निर्भर करती है। सभी अर्द्ध-विकसित देशों के लिए कोई एक विनियोग नीति उपयुक्त नहीं हो सकती।

रोजगार के ढाँचे में परिवर्तन (Structural Changes in Employment)

आर्थिक विकास की प्रक्रिया के दौरान रोजगार की दिशा, स्तर व संरचना के परिवर्तनों को मुख्यतः निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

- (1) कार्यारम्भ की आयु व कार्य मुक्ति की आयु में परिवर्तन,
- (2) त्रिवाशील श्रम शक्ति का व्यावसायिक वितरण,
- (3) कार्यशील श्रम शक्ति में स्त्री व पुरुष का अनुपात,
- (4) कुशल व अकुशल श्रम के अनुपात,
- (5) निजी व्यवसाय कर्ता व कर्मचारी वर्ग का अनुपात

सामान्यतः, आर्थिक विकास के कारण विकसित देशों में कार्यारम्भ करने की आयु में जहाँ एक ओर उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वहाँ साथ ही कार्य-मुक्ति की आयु में कमी की गई है।

साइमन कुजनेट्स के अध्ययन के अनुसार प्रारम्भ में कर्मचारियों का कुल राष्ट्रीय आय में जो अनुपात 40 प्रतिशत था, वह बढ़कर वर्तमान वर्षों में 60 और 71 प्रतिशत हो गया है। इस प्रवृत्ति का मुख्य कारण श्रम शक्ति में कर्मचारी वर्ग की संख्या में वृद्धि रहा है। साहसी व निजी उद्यमकर्तारों का प्रतिशत 35 से घटकर केवल 20 रह गया। दूसरी ओर कर्मचारियों का प्रतिशत 65 से बढ़कर 80 हो गया। इस प्रवृत्ति के लिए औद्योगिक ढाँचे के परिवर्तन उत्तरदायी हैं।

आज भी अर्द्ध विकसित देशों के ऋषि में लगी कुल श्रम-शक्ति में उद्यमियों का अनुपात, उद्योग व सेवा क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत अधिक है। यह अनुपात क्रमशः 66, 31 और 35 प्रतिशत है जबकि विकसित देशों में यह अनुपात क्रमशः 61, 11 व 17 प्रतिशत पाया जाता है। आर्थिक विकास के कारण ऋषि में श्रम का अनुपात कम होने लगता है, परिणामस्वरूप, साहसियों व निजी उद्यमकर्तारों का कुल श्रम-शक्ति में अनुपात भी बहुत कम रह जाता है। उद्योग व सेवा क्षेत्र के आकार में वृद्धि तथा इनके असंगठित से संगठित स्वरूप में परिवर्तन के कारण भी साहसियों व निजी व्यवसायियों की कुल श्रम शक्ति का अनुपात गिर जाता है।

छोटे किसान, व्यवसायी, आदि का अपने निजी व्यवसायों से हट कर कर्मचारी वर्ग की ओर आकर्षित होना, देश के आर्थिक जीवन व योजना के आधार में एक मूलभूत परिवर्तन उत्पन्न करता है। व्यावसायिक स्तर में इस अन्तर का कई

दिशाओं में प्रभाव होता है—परिवार व बच्चों के प्रति सुख में परिवर्तन, उपभोग के स्तर में भिन्नता, बचत करने की अपेक्षा शिक्षा व प्रशिक्षण में विनियोजन की प्रवृत्ति आदि ।

कुवनेट्म ने कर्मचारियों के व्यावसायिक ढाँचे में परिवर्तन निम्नलिखित सारणी द्वारा स्पष्ट किए हैं—

कर्मचारियों का व्यावहारिक ढाँचा (1900-1960)

	व्यावसायिक समूहों का अनुपात (%)		स्त्रियों का व्यावसायिक अनुपात (%)	
	1900	1960	1900	1960
1. कुल श्रम-शक्ति में कर्मचारियों का अनुपात (%)	74.9	93.0	22.7	34.3
2. व्यावसायी तकनीकियन	5.7	12.2	35.2	38.1
3. प्रबन्धक व अधिकारी	0.8	5.8	16.4	36.4
4. दफ्तरी बाबू	4.0	16.0	24.2	67.6
5. दिवसीय बहिर्जर्ता	6.0	8.0	17.4	36.4
6. श्वेतपोशी कर्मचारी	16.6	42.0	24.5	45.6
7. कापटर्मन, फोरमैन आदि	14.1	15.4	2.5	2.9
8. कारीगर एवं ऐसे ही श्रम श्रेणियाँ	17.1	15.4	34.0	28.1
9. घेत व घानों के अतिरिक्त श्रमिक	16.6	5.9	3.8	3.5
10. घेत पर काम करने वाले श्रमिक तथा फोरमैन	23.6	2.6	13.6	17.3
11. Manual Workers	71.4	45.4	14.0	15.7
12. भूल्य वर्ग	4.8	9.6	34.3	52.4
13. धरेलू श्रमिक	7.3	3.0	96.6	96.4

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि—

- (1) शारीरिक श्रम का अनुपात सन् 1900 की तुलना में सन् 1960 में बहुत अधिक गिरा है । श्वेतपोशी बाबूओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है, परन्तु अकुशल श्रम के स्थान पर कुशल श्रम का अनुपात अधिक हुआ है ।
- (2) ये परिवर्तन सेवा क्षेत्र में श्रम-शक्ति के अनुपात में वृद्धि तथा कृषि-क्षेत्र में गिरावट को प्रदर्शित करते हैं ।
- (3) व्यावसायिकी (Professionals), तकनीकी कर्मचारी, प्रबन्धक, अधिकारी, बाबू आदि की माँग में वृद्धि हुई है ।
- (4) अधिक कुशलता की माँग में वृद्धि हुई है तथा अकुशल श्रम के प्रवर्तन कम हुए हैं ।

सामान्यतः लोगों का भुकाव मजदूरी के कार्यों से हटकर वेतनभोगी व्यवसायों की ओर अधिक रहा है । औद्योगिक क्षेत्र में इन दोनों प्रकार के श्रमिकों के अनुपात

में भारी अन्तर पाया जाता है—कृषि में वेतनभोगी कर्मचारियों का अनुपात 4 से 13 प्रतिशत, उद्योग में 11 से 18 प्रतिशत तथा सर्वाधिक सेवा-क्षेत्र में 42 से 83 प्रतिशत रहा है।

60 वर्ष की अध्ययन अवधि में स्त्रियों का अनुपात 23 से 34% तक बढ़ा है। इसका कारण, आर्थिक विकास के कारण स्थिरचित्त कार्यों की सुविधाओं में वृद्धि होना है।

अधिक जनसंख्या वाले देशों में आर्थिक विकास से पूर्व की स्थिति में गुप्त बेरोजगारी (Disguised Un-employment) की स्थिति पायी जाती है। तकनीकी व उत्पादन-साधनों के दिए हुए होने पर, कृषि में श्रम की सीमान्त उत्पादकता का शून्य पाया जाना गुप्त बेरोजगारी की स्थिति को प्रकट करना है। बेरोजगारी की यह स्थिति प्रायः उस स्थिति में पायी जाती है, जब रोजगार के विकल्प कम होने के कारण अधिकांश श्रम कृषि में लगा हुआ होता है। आर्थिक विकास के कारण उद्योग व सेवा क्षेत्रों का विस्तार होता है। बैकल्पिक रोजगारों के अवसरों में वृद्धि होती है, परिणामतः गुप्त बेरोजगारी विलुप्त होने लगती है। विकसित देशों में गुप्त बेरोजगारी नहीं पायी जाती।



आर्थिक विकास के प्रमुख तत्त्व एवं डेनिसन का अध्ययन

(MAJOR GROWTH FACTORS, DENISON'S
ESTIMATE OF THE CONTRIBUTION OF
DIFFERENT FACTORS TO GROWTH RATE)

आर्थिक विकास के प्रमुख तत्त्व (Major Growth Factors)

विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के आधार के रूप में विभिन्न तत्त्वों का उल्लेख किया है। इस प्रकार के तत्त्व जो विकास का प्रारम्भ करते हैं 'प्राथमिक तत्त्व' या 'प्रधान चालक' (Prime-mover) या 'उपक्रम' (Initiator) कहलाते हैं। जब विकास की गति प्रारम्भ हो जाती है तो कई अन्य ऐसे तत्त्व जो इस विकास को तीव्रता प्रदान करते हैं, 'गौण तत्त्व' या 'प्रभावक' या 'पूरक तत्त्व' कहलाते हैं। उक्त तत्त्वों का वर्गीकरण आर्थिक और अर्थान्य तत्त्वों (Economic and Non-economic Factors) के रूप में भी किया जाता है। विभिन्न राष्ट्रों के आर्थिक विकास में भिन्न-भिन्न तत्त्व महत्वपूर्ण रहे हैं। आर्थिक विकास के मुख्य कारक या घटक निम्नलिखित हैं—

1. प्राकृतिक साधन (Natural Resources)
2. मानवीय साधन (Human Resources)
3. पूंजी (Capital)
4. तकनीकी ज्ञान (Technical Knowledge)
5. साहसी एवं नव प्रवर्तन (Entrepreneur and Innovation)
6. संगठन (Organisation)
7. राज्य की नीति (State Policy)
8. संस्थाएँ (Institutions)
9. अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ (International Circumstances)

1. प्राकृतिक साधन (Natural Resources)— प्राकृतिक साधनों का आशय उन भौतिक साधनों से है जो प्रकृतिप्रदत्त हैं। एक देश में उपलब्ध भूमि, पानी, सनिज सम्पदा, वन, बर्फा, जलवायु आदि उस देश के प्राकृतिक साधन कहलाते हैं। किसी भी देश के आर्थिक विकास में इन प्राकृतिक साधनों का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। किसी देश के प्राकृतिक साधन जितने अधिक होंगे वहाँ उतना ही आर्थिक विकास अधिक होगा। एक अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन की मात्रा अत्यधिक सीमा तक इसकी मिट्टी और उसका स्थानीय वन संपदा—कोयला, लोहा, खनिज तेल एव अन्य कई पदार्थों पर निर्भर करता है। जैसाकि रिचार्ड टी गिल ने लिखा है, “जनसंख्या एवं श्रम की पूर्ति के समान प्राकृतिक साधन भी एक देश के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। उर्वर भूमि और जल के अभाव के कारण कृषि का विकास नहीं हो पाएगा। लोहा, कोयला आदि खनिज संपदा के अभाव में औद्योगीकरण द्रुतगति नहीं ले पाएगा। प्रतिकूल जलवायु आदि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आर्थिक क्रियाओं के विस्तार में बाधा पहुँचेगी। अतः प्राकृतिक साधनों का आर्थिक विकास को सीमित करने या प्रोत्साहित करने में निर्णायक महत्त्व होना है। आर्थिक विकास के उच्च स्तर पर पहुँचे हुए अमेरिका, कनाडा आदि देश प्राकृतिक साधनों में भी सम्पन्न हैं।”

आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक साधनों का बहुता ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उनका सुविचारित उपयोग देश की आर्थिक प्रगति के लिए होना चाहिए। इन साधनों का विद्वहन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे देश को अधिकतम लाभ प्राप्त हो और देश की आर्थिक स्थिरता में सहायता मिल सके। इनका देश को आवश्यकताओं के लिए इस प्रकार योजनाबद्ध उपयोग होना चाहिए जिनसे इनका न्यूनतम अपव्यय हो और भविष्य के लिए भी अधिक समय तक उपयोग में आते रहे। तभी दीर्घकालीन आर्थिक विकास में सहायता मिल पाएगी। यदि इनके वर्तमान को ध्यान में रखकर ही उपयोग किया गया तो यद्यपि वर्तमान काल में आर्थिक प्रगति कुछ अधिक सम्भव है किन्तु इनके शीघ्र समाप्त हो जाने या कम प्रभावपूर्ण रह जाने के कारण भावी आर्थिक विकास कुठिन हो जाएगा। आर्थिक विकास के लिए न केवल वर्तमान साधनों अपितु सम्भावित (Potential) साधनों का भी महत्त्व है। अतः नए प्राकृतिक साधनों की खोज तथा वर्तमान प्राकृतिक साधनों के नए-नए उपयोग भी खोजे जाने चाहिए। अमेरिका, कनाडा आदि विकसित देशों में उनका विकास प्रारम्भ होने के पूर्व भी सम्पन्न प्राकृतिक साधन थे, किन्तु उनका उचित विकास और विद्वहन (Exploitation) नहीं किया गया था। इस प्रकार किसी देश के प्राकृतिक साधनों की अविज्ञान और उनका उचित उपयोग आर्थिक विकास में बहुत सहायक होते हैं। प्राकृतिक साधनों की अपर्याप्तता में भी अन्य तत्वों द्वारा द्रुत आर्थिक विकास किया जा सकता है स्विट्जरलैण्ड और जापान प्राकृतिक साधनों में अपेक्षाकृत कम सम्पन्न हैं, किन्तु फिर भी विकास के अन्य तत्वों के द्वारा इन्होंने अपनी अर्थ-व्यवस्थाओं को अत्यधिक विकसित किया है।

2. मानवीय साधन (Human Resources)—मानवीय साधन का आशय उस देश में निवास करने वाली जनसंख्या से है। यद्यपि केवल कार्यशील जनसंख्या (Working Population) ही, जो कुल जनसंख्या का एक भाग होती है, आर्थिक विकास को प्रत्यक्ष रूप से अधिक प्रभाविन करती है, किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से समस्त जनसंख्या का ही आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः देश की जनसंख्या, उसका आकार (Size), कार्यक्षमता (Efficiency), संरचना (Composition), वृद्धि दर (Growth rate), विभिन्न व्यवसायों में वर्गीकरण आदि उस देश के आर्थिक विकास पर गहरा प्रभाव डालते हैं। आर्थिक विकास का आशय उत्पादन में वृद्धि है और श्रम या जनशक्ति (Man-Power) उत्पादन का एक प्रमुख, सक्रिय (Active) और अत्यावश्यक (Indispensable) साधन है। अतः देश का आर्थिक विकास उस देश के मानवीय साधनों पर ही बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि किसी देश में विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप जनसंख्या है, यदि उस देश के निवासी स्वस्थ, परिश्रमी, शिक्षित, कुशल, उच्च चरित्र और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण वाले हैं तो अन्य बातें समान होने पर उस देश का आर्थिक विकास भी अधिक होगा। जैसा कि श्री रिचार्ड टी गिल का कथन है, "आर्थिक विकास एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है" अन्तिम रूप से यह एक मानवीय उपक्रम है एवं अन्य मानवीय उपक्रमों के समान इसका परिणाम अन्तिम रूप से इसको संचालित करने वाले मनुष्यों की कुशलता, गुण और प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है।"

किन्तु जनसंख्या और आर्थिक विकास का सम्बन्ध दिलचस्प और जटिल है। मनुष्य आर्थिक क्रियाओं का साधन और साध्य दोनों ही है। साथ ही जनसंख्या में वृद्धि जहाँ एक ओर उत्पादन के आधारभूत साधन श्रम की पूर्ति में वृद्धि करके उत्पादन वृद्धि में सहायक होती है दूसरी ओर यह उन व्यक्तियों की संख्या में भी वृद्धि कर देती है जिनमें उत्पादन का वितरण होता है। इस प्रकार आर्थिक विकास में बाधक सिद्ध होती है। किन्तु ऐसा केवल उन अर्द्ध-विकसित देशों के बारे में ही कहा जा सकता है जहाँ जनसंख्या और श्रम-शक्ति का बाहुल्य है। शेष अर्द्ध-विकसित देशों में जहाँ जनसंख्या की अधिकता नहीं है जैसे लैटिन अमेरिकी देशों में तथा अन्य विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि अब भी आर्थिक विकास में सहायक है। वस्तुतः इतिहास के प्राचीन काल से आधुनिक समय तक जनसंख्या में वृद्धि विश्व में उत्पादन वृद्धि का एक बड़ा साधन (Major source) रहा है।

अतः बढ़ती हुई जनसंख्या विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों के विकास में सहायक होती है क्योंकि इससे उत्पादन और आर्थिक क्रियाओं के विस्तार के लिए आवश्यक धन प्राप्त होना है। इसके अतिरिक्त बुद्धिमान जनसंख्या से वस्तुओं और सेवाओं की माँग में वृद्धि होती है, बाजार का विस्तार होता है और उत्पादन में वृद्धि होती है, किन्तु अर्द्ध-विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के भोजन, वस्त्र, आवास एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु देश के बहुत से साधन प्रयुक्त हो

जाते हैं और विकास की गति धीमी हो जाती है। इस प्रकार इन अर्द्ध-विकसित देशों में अतिरिक्त मानव शक्ति (Surplus Man Power) विकास में बाधक बन जाती है। किन्तु कुछ लोगों के मतानुसार इन अर्द्ध-विकसित देशों में इस अप्रयुक्त अतिरिक्त अर्द्ध-नियोजित और अनियोजित (Un-employed) मानव शक्ति में ही पूंजी निर्माण की सम्भावनाएँ छिपी हुई हैं। डॉ० बी०स के अनुसार, छिपी हुई बचत की सम्भावनाएँ (Concealed saving potential) हैं। प्रो ए बी माउन्टजोय के अनुसार, "कुछ परिस्थितियों में अनेक अर्द्ध विकसित देशों में पायी जाने वाली अपार श्रम-शक्ति एक महान् आर्थिक सम्पत्ति है जिसका पूरा पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। मानव-शक्ति पूंजी का उपयोग करने के साथ-साथ पूंजी-निर्माण (कार्य द्वारा) भी करती है।" इस प्रकार विकास के प्रयत्नों में सलग्न अर्द्ध-विकसित देशों में भी अधिक जनसंख्या विकास में सहायक बन सकती है। यदि उसका उचित नियोजन द्वारा उपयोग (Proper Planning) किया जाए। अत स्पष्ट है कि आर्थिक विकास में विकसित मानवीय साधन एक महत्वपूर्ण कारक है। आर्थिक विकास के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव, प्रेरणा समूहन आदि द्वारा मानवीय साधनों का विकास किया जाना चाहिए। डॉ० वी क आर वी राव के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया में मानवीय साधन (Human Factor) की कुशलता मानव सम्बन्धी चार तत्त्वों—(अ) शारीरिक (Physical), (ब) मानसिक (Mental), (स) मनोवैज्ञानिक (Psychological) और (द) संगठनात्मक (Organizational) पर निर्भर करती है।

3. पूंजी (Capital)—वास्तव में पूंजी आधुनिक आर्थिक विकास की कुंजी है। एक देश की पूंजी उत्पादित या मानव-कृत उत्पादन के साधनों जैसे भवन, कारखाने, मशीनें यन्त्र-उपकरण, रेलें आदि होती है। इन पूंजीगत वस्तुओं के अभाव में आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। जिस देश के पास पूंजीगत साधनों (Capital Goods) की अपर्याप्तता होगी वह देश अमेकाकृत अधिक विकसित नहीं हो पाएगा। अत आर्थिक विकास की मुख्य समस्या इन पूंजीगत वस्तुओं में वृद्धि या पूंजी के संचय अथवा पूंजी-निर्माण (Capital formation) की है। आर्थिक विकास हेतु साधनों में वृद्धि आवश्यक है और यह वृद्धि पूंजी संचय से ही हो सकती है। पूंजी-संचय (Capital accumulation) यन्त्र, औजार, भवन आदि में वृद्धि करने की प्रक्रिया है। यदि पूंजीगत वस्तुओं की मात्रा वर्ष के आरम्भ की अपेक्षा अन्त में अधिक है तो देश में पूंजी संचय हुआ है और इस अन्तर के बराबर देश में पूंजी की वृद्धि हुई। इसे विनियोग भी कहते हैं। इस प्रकार पूंजीगत वस्तुओं की वृद्धि का माध्यम है कि देश में पहले से अधिक कारखाने, बाँध, नहरें, रेलें, सड़कें, यन्त्र, उपकरण, कच्चा माल, ईंधन, इन्वेंट्रीज (Inventories) आदि हैं जिसका परिणाम अधिक उत्पादन और आर्थिक विकास के रूप में प्रकट होता है। प्रो नरसिं के शब्दों में—“आर्थिक विकास की प्रक्रिया 11 अर्थ भविष्य में उपयोग की वस्तुओं का विस्तार करने के लिए वर्तमान समय में समाज के उपलब्ध साधनों के कुछ भाग को

पूँजीगत वस्तुओं के बोध में वृद्धि के लिए लगाना है।" आर्थिक विकास का आशय उत्पादन में वृद्धि है और इसके लिए कृषि के क्षेत्र में उर्वरक, यन्त्र और औपधियों की पूर्ति और सिंचाई योजनाओं का निर्माण, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के लिए विभिन्न कारखानों की स्थापना और समग्र उत्पादन में वृद्धि के लिए विद्युत् एवं शक्ति तथा यातायात एवं संचार साधनों का विकास करना आवश्यक है और इसके लिए पूँजी आवश्यक है। रिचर्ड टी गिल के अनुसार "पूँजी-सचय वर्तमान युग में निर्धन देशों को धनवान बनाने और औद्योगिक युग का प्रारम्भ करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है।"

अतः पूँजी-निर्माण के लिए वर्तमान उपभोग को कम करके बचत में वृद्धि करना आवश्यक है। तत्पश्चात् बैंक, बीमा कम्पनियों आदि वित्तीय संस्थाओं के द्वारा इस बचत को एकत्र करके विनियोगकर्ताओं के पास पहुँचाया जाता है। इसके बाद पूँजी-निर्माण के लिए आवश्यक है कि इस बचत को विनियोग करके नई पूँजीगत वस्तुओं का निर्माण किया जाए। अर्द्ध-विकसित देशों में पूँजी की अत्यन्त कमी रहती है और पूँजी का यह अभाव उसके विकास में प्रमुख बाधक तत्त्व बन जाता है। अतः आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि इनमें पूँजी-निर्माण की दर बढ़ाई जाए। इसके लिए यह जरूरी है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जाए, बड़ी हुई आय में से अधिक बचत की जाए एवं उसे विनियोजित किया जाए जैसा कि प्रो फाल अलवर्ट ने लिखा है, "आर्थिक विकास की उच्चतम दरें आम तौर से उन्हीं देशों में पायी गई हैं जहाँ उत्पादन के विनियोग के लिए प्राबल अनुपात अपेक्षाकृत ऊँचा रहा है।" किन्तु यदि घरेलू पूँजी निर्माण आवश्यकता से कम हो तो विदेशी पूँजी के द्वारा भी आर्थिक विकास में योग दिया जा सकता है। भारत जैसे अर्द्ध-विकसित देश अपनी बचत (Saving) और निवेश (Investment) की मात्रा बढ़ाकर तथा निजी पूँजी (Domestic Capital) की कमी को विदेशी पूँजी (Foreign Capital) से पूरी करके आर्थिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं।

4. तकनीकी ज्ञान (Technical Knowledge)—विभिन्न देशों के आर्थिक विकास में तकनीकी ज्ञान भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। तकनीकी ज्ञान का अभाव एक अर्द्ध-विकसित देश के मार्ग में बड़ी बाधा उपस्थित करती है और तकनीकी ज्ञान का विस्तार और उत्पादन की नई-नई प्रविधियों की खोज उत्पादन की मात्रा में वृद्धि गुणों में श्रेष्ठता और मूल्यों में न्यूनता के द्वारा आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष सहायता करती है। डब्ल्यू ए एल्टिस के अनुसार, "तकनीकी ज्ञान की प्रगति को ऐसे नवीन ज्ञान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसके कारण या तो वर्तमान वस्तुएँ कम लागत पर पैदा की जा सकें या नई वस्तुओं का उत्पादन हो सके।" इस प्रकार तकनीकी ज्ञान के द्वारा वस्तुओं का मूल्य कम किया जा सकता है, उनके गुणों में विस्तार किया जा सकता है, विभिन्न प्रकार की नई वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है, पदार्थों के विभिन्न उपयोग किए जा सकते हैं, नवीन साधनों का पता लगाया जा सकता है। इसके कारण माँग में वृद्धि, बाजार में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि

और अन्ततः आर्थिक विकास होता है। उत्पादन की तकनीक में सुधार करके या नवीन प्रतिनिधियों का उपयोग करके ही अर्द्ध-विकसित देश अपने कृषि व्यवसाय का विकास कर सकते हैं। भारत में 3/4 जनसंख्या कृषि पर निर्भर होते हुए भी खाद्यान्नों की कमी और कृषि की दशा शोचनीय है। इसका मुख्य कारण कृषि की परम्परागत विधियों का अनुसरण करना है। ऐसे देशों के आर्थिक विकास के लिए कृषि का विकास अत्यन्त आवश्यक है और वह उपलब्ध तकनीकी ज्ञान के पूर्ण उपयोग और उसमें वृद्धि करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार अर्द्ध-विकसित देशों में खनिज व्यवसाय, मत्स्य पालन, उद्योग-धन्धा आदि में भी परम्परागत तरीकों का ही उपयोग किए जाने के कारण ये पिछड़ी हुई अवस्था में रहते हैं। इनके विकास के लिए अध्ययन, अनुसंधान द्वारा तकनीकी ज्ञान में वृद्धि तथा उत्पादन में उपयोग आवश्यक है।

केवल अर्द्ध-विकसित देशों के लिए ही तकनीकी ज्ञान का महत्त्व नहीं है, बल्कि विकसित देशों के विकास में भी इसका उपयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इन देशों में नवीन प्रतिनिधियों के सहारे अपने प्राकृतिक साधनों का पर्याप्त विदोहन करके तथा श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ा कर द्रुत आर्थिक विकास किया है। इन विकसित देशों की भावी आर्थिक वृद्धि के लिए भी तकनीकी ज्ञान का विशेष महत्त्व है। डब्ल्यू ए एल्टिस के मतानुसार, "इसकी (पूरे रोजगार वाले देश की) वृद्धि दर अनुनिवादी रूप से तकनीकी प्रगति और जनसंख्या में वृद्धि पर निर्भर करती है। कोई भी नीति जिससे तकनीकी प्रगति होती है, वृद्धि की दर को बढ़ाती है।" इसी प्रकार रिचर्ड टी गिज का मत है—“आर्थिक विकास अपने लिए महत्त्वपूर्ण पौष्टिकता नवीन विचारों, आविष्कारों, विधियों और तकनीकों के स्रोतों से प्राप्त करता है जिसके अभाव में चाहे अन्य साधन कितने ही पक्ष में हों, आधुनिक विकास अनिवार्य रूप से असम्भव था।”

आर्थिक विकास की प्रक्रिया में तकनीकी ज्ञान के विकास और उपयोग का जहाँ इतना अधिक महत्त्व है वहाँ दूसरी ओर ये देश इस क्षेत्र में अत्यन्त पिछड़े हुए हैं। यही नहीं, ये देश ज्ञान, विज्ञान और तकनीक के विकास के लिए अध्ययन, अनुसंधान आदि पर अधिक धन व्यय नहीं कर पाते, किन्तु इनके समक्ष विकसित देशों द्वारा अपनाए गए तकनीकी ज्ञान का कोण होता है जिसे अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार प्रयुक्त करके ये देश अपने यहाँ आर्थिक विकास कर सकते हैं। वस्तुतः भारत जैसे अर्द्ध-विकसित देश, विकसित देशों में अर्जित तकनीक और प्रतिनिधियों में अपनी परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करके उत्पादन में वृद्धि करने में सक्षम हैं।

डब्ल्यू ए एल्टिस के अनुसार तकनीकी ज्ञान में वृद्धि दो प्रकार की होती है। जिस तकनीकी प्रगति का नई पूँजी के अभाव में विदोहन नहीं किया जा सकता उसे 'Embodied' तकनीकी प्रगति कहते हैं तथा दूसरी प्रकार की 'Disembodied' तकनीकी प्रगति कहलाती है जिसका बिना नवीन पूँजी के ही विदोहन किया जा सकता है।

अतः आर्थिक विकास में तकनीकी ज्ञान एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। एल्टिस के अनुसार "तकनीकी प्रगति सम्भवतः आर्थिक विकास को सम्भव बनाने वाला महत्वपूर्ण साधन है।"

5. साहसी एवं नव-प्रवर्तन (Entrepreneur and Innovation)—नए आविष्कार और तकनीकी ज्ञान आर्थिक विकास में, उपयोगी नहीं हो सकते जब तक कि इनका आर्थिक रूप से विदोहन नहीं किया जाए या उत्पादन में उपयोग नहीं किया जाए। रिचार्ड टी. गिल के अनुसार "तकनीकी ज्ञान आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावपूर्ण तभी होता है जबकि इसका नव-प्रवर्तन के रूप में प्रयोग किया जाए जिम्की पहल समाज के साहसी या उद्यमरुत्ता करते हैं।" श्री याले ब्राजन के मतानुसार, "न तो आविष्कार की योग्यता और न केवल आविष्कारक ही आर्थिक विधि का उत्पादन करते हैं या उत विधि को कम मितव्ययतापूर्ण विधियों के स्थान पर प्रयुक्त करने को तैयार करते हैं।" किसी आविष्कार या उत्पादन की नवीन तकनीक की खोज के पश्चात् भी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो दूरदर्शी होता है, जिसमें आत्म-विश्वास होता है और जो इसे उत्पादन में प्रयुक्त करता है जिससे उत्पादन में वृद्धि या इसकी लागत में कमी होती है। तत्पश्चात् यह तकनीकी ज्ञान या आविष्कार उपयोगी सिद्ध होता है। ऐसे व्यक्तियों को 'साहसी' और उत्पादन में उसके नवीन विधियों के प्रयोग को 'नव-प्रवर्तन' कहते हैं। गुम्पीटर के अनुसार, "नव-प्रवर्तन का अर्थ किसी भी सृजनात्मक परिवर्तन (Creative Change) से है।" इसका सम्बन्ध आर्थिक क्रियाओं के किसी भी पहलू से हो सकता है। उत्पादन में इसके उपयोग का परिणाम आर्थिक विकास होता है। इस प्रकार आर्थिक विकास में नव-प्रवर्तन और उद्यमी एक महत्वपूर्ण घटक प्रमाणित होते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गुम्पीटर का विश्वास था कि साधनों की वृद्धि से भी बड़ कर ये ही वे घटक हैं जो आर्थिक विकास की कुञ्जी हैं क्योंकि आर्थिक विकास वर्तमान साधनों की नवीन विधियों से प्रयुक्त करने में निहित है। प्रो याले ब्राजन के अनुसार भी "आर्थिक विकास उद्यम या साहस के साथ इस प्रकार सम्बद्ध है कि उद्यमी को उन व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है जो 'नवीन उपयोगों' का सृजन करते हैं।" के ई. बोल्डिंग के अनुसार, "आर्थिक प्रगति की समस्याओं में से एक व्यक्तियों को 'नव-प्रवर्तक' बनने को प्रोत्साहन देने की है।"

क्लेरेन्स डानहोफ ने उद्यमियों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया है—

1. नव-प्रवर्तक उद्यमी (Innovating Entrepreneurs) जो आकर्षक सम्भावनाओं और प्रयोगों को सर्वप्रथम कार्य रूप में परिणत करते हैं।

2. अनुकरण करने वाले उद्यमी (Imitative Entrepreneurs) जो सफल नव-प्रवर्तकों को ग्रहण करने को प्रस्तुत रहते हैं।

3. 'फैबियन' उद्यमी (Fabian Entrepreneurs) बड़ी सावधानी से उस समय ही नव-प्रवर्तन को ग्रहण करते हैं जब यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा नहीं करने पर उन्हें हानि होगी।

4 ड्रोन उद्यमी (Drone Entrepreneurs) जो अन्य समान उत्पादको की अपेक्षा अपनी श्रम कम होने पर भी उत्पादन में परिवर्तन नहीं करते।

अत स्पष्ट है कि विभिन्न देशों के आर्थिक विकास में उद्यमी और नव-प्रवर्तन महत्वपूर्ण साधन हैं, किन्तु अर्द्ध-विकसित देशों में इन उद्यमियों की कमी रहती है। इन देशों में विभिन्न उत्पादन क्रियाओं को अपनाए जाने के विस्तृत क्षेत्र रहते हैं जिनके विदोहन हेतु उद्यमियों की आवश्यकता होती है। स्वदेश में योग्य साहसियों की कमी रहती है जिनकी पूर्ति विदेशों से उद्यम का आयात करके की जाती है। प्रजातान्त्रिक पद्धति वाले देशों में अधिकांश निजी उद्यमी होते हैं जबकि समाजवादी देशों में समस्त आर्थिक क्रियाएँ सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं। श्रम स्वतन्त्र श्रम-व्यवस्थाओं में भी ये आर्थिक क्रियाएँ सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं क्योंकि निजी उद्यमियों में वैश्वीय आर्थिक विकास की आशा नहीं की जा सकती, अतः सरकार आर्थिक क्रियाओं में उद्यमी के रूप में सम्मिलित हो रही है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा देश के आर्थिक विकास में निजी उद्यमियों के साथ-साथ सरकार ने भी कोई उद्योग व्यवसाय स्थापित किए हैं। विदेशी उपकरणों का भी लाभ उठाया जा रहा है।

6 संगठन (Organisation)—आर्थिक विकास का एक प्रमुख तत्व उचित व्यवस्था या संगठन है। वैश्वीय गति से आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक एवं अन्य क्रियाएँ उचित ढंग से संगठित की जाएँ। उत्पादन वृद्धि के लिए उत्पादन के साधनों में वृद्धि आवश्यक है, किन्तु यदि समाज बिना उत्पादन की तकनीक और संगठन में परिवर्तन किए केवल उत्पादन के साधनों में वृद्धि करने पर ही पूर्णतः निर्भर रहता तो पिछले दो सौ वर्षों में हुए आर्थिक विकास का होना कठिन था। जिस किसी भी देश में आर्थिक विकास हुआ है उसका यह एक प्रमुख लक्षण रहा है कि कुल उत्पादन वृद्धि उससे अधिक तीव्र गति से हुई है जो उत्पादन के साधनों में हुई है अर्थात् इसका श्रेय उत्पादन के साधनों के उचित संगठन को है। बजर भूमि को तृपि योग्य बनाना उसमें पिकाई की व्यवस्था करना, अग्नि खाद, बीज एवं यन्त्रों का उपयोग करना, देश के खनिज, वन, जल एवं शक्ति के साधनों तथा मानव शक्ति का उचित उपयोग और विनास करना, उद्योगों का उचित पैमाने तक विस्तार करना, विशिष्टीकरण आदि आर्थिक संगठन से सम्बन्धित ऐसे प्रश्न हैं जिनमें सुधार से आर्थिक विकास की गति मिलती है। प्रो पी आर पी डॉय के कथनानुसार "आर्थिक विकास की समस्या मुख्यतः वित्तीय समस्या नहीं है बल्कि आर्थिक संगठन व व्यवस्था की समस्या है।"

इस प्रकार आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में उत्पादन के साधनों के उपयोग के तरीकों में परिवर्तन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार का एक परिवर्तन या संगठन से सम्बन्धित एक तत्व उत्पादन के पैमाने और विशिष्टीकरण में वृद्धि है। प्रो रिचार्ड टी गिल ने तो उत्पादन के पैमाने और विशिष्टीकरण वृद्धि को आर्थिक विकास का प्राकृतिक, मानवीय साधन और पूँजी के सचय

के समान एक अलग ही कारक माना है। वस्तुतः बड़े पैमाने पर उत्पादन (Large Scale Production), श्रम विभाजन (Division of Labour) और विशिष्टीकरण (Specialization) आर्थिक विकास में अत्यन्त सहायक है। बड़े पैमाने के उत्पादन से आन्तरिक और बाह्य मित्तव्ययिताएँ प्राप्त होती हैं जिससे बड़ी मात्रा में सस्ती वस्तुओं का उत्पादन होता है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक कुल विशाल सागरी का निर्माण भी विस्तृत पैमाने के उत्पादन पर ही सम्भव है। श्रम-विभाजन उत्पादकता में वृद्धि करता है। अर्थशास्त्र के जनक स्वयं एडम स्मिथ के अनुसार, "श्रम की उत्पादक शक्तियों में सर्वाधिक सुधार श्रम-विभाजन के प्रभावों के परिणामस्वरूप हुआ प्रतीत होता है।" जैसा कि रिचार्ड टी. गिल ने बतलाया है, "अर्थव्यवस्था को व्यक्तिगत कुशलता या विशेष प्रादेशिक या भौगोलिक लाभों का उपयोग करने के योग्य बना कर, वृद्धिमान विशेषज्ञता का विकास करके, उत्पादन का अप्रमाणीकरण और यन्त्रीकरण को सुविधाजनक बना कर, उद्योगों के समूहों में इस प्रकार के परिवर्तन आर्थिक विकास में शक्तिशाली योगदान देते हैं।"

अर्द्ध-विकसित देशों में आर्थिक विकास के लिए अनुकूल आर्थिक सगठन नहीं होता। उत्पादन छोटे पैमाने पर बहुधा कुटीर और लघु उद्योगों के द्वारा होता है। श्रम-विभाजन और विशिष्टीकरण का अभाव होता है क्योंकि बाजारों का विस्तार सीमित होता है और बहुधा उत्पादन जीवन-निर्वाह के लिए किया जाता है विनियम के लिए नहीं। व्यावसायिक सगठन के विभिन्न विकसित रूपों जैसे समुक्त पूँजी कम्पनी सहकारिता आदि का प्रभावपूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। अतः ऐसे अर्द्ध-विकसित देशों के आर्थिक सगठन में उचित परिवर्तन अपेक्षित है। भारत में भी इस ओर प्रयास किया जा रहा है। विस्तृत पैमाने पर उत्पादन, श्रम-विभाजन, विशिष्टीकरण आदि बढ़ रहे हैं। लघु उद्योगों का भी पुनर्गठन किया जा रहा है। समुक्त-पूँजी कम्पनियाँ, सार्वजनिक निगम (Public Corporations) और सहकारिता का क्षेत्र विस्तृत हो रहा है।

7. राज्य की नीति (State Policy) — विभिन्न देशों के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण तत्व उपयुक्त सरकारी नीति है। आर्थिक विकास के लिए सर्व-प्रथम आवश्यकता राजनीतिक स्थिरता, आन्तरिक और बाह्य सुरक्षा तथा शान्ति है। बिना स्थिर सरकार के आर्थिक विकास असम्भव है। इसके साथ ही आर्थिक विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि सरकार आर्थिक विकास के उपयुक्त नीति अपनाए। यद्यपि प्राचीन काल में राज्य का क्षेत्र सीमित था, किन्तु आधुनिक सरकारें ऐसे बहुत से आर्थिक कार्य सम्पन्न करती हैं जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि किसी देश की सरकार ऐसी है जो आर्थिक विकास में रुचि नहीं रखती और उसके लिए प्रयत्न नहीं करती तो उस देश के आर्थिक विकास की कोई सम्भावना नहीं है। इसके विपरीत यदि किसी देश की सरकार आर्थिक विकास के लिए रुचि रखती है और प्रयत्न करती है तो अन्य बातें समान रहने पर भी उस देश के आर्थिक विकास की गति अधिक होगी है। प्रो डब्ल्यू. ए. लेविस का

कथन है कि कोई भी देश बुद्धिमान सरकार से सक्रिय प्रोत्साहन के अभाव में आर्थिक विकास नहीं कर सता है।

अर्द्ध विकसित देशों में पूँजी, कुशल श्रम, तकनीकी ज्ञान का अभाव रहता है। इन देशों में विकास के लिए यातायात और सन्देशवहन के साधन, शक्ति के साधन, नवीन तकनीक आदि का विकास करना होता है तथा इस प्रकार की कर नीति, मूल्य नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, विदेशी व्यापार नीति, औद्योगिक नीति, श्रम नीति, अल्पानादी होती है जिससे विकास के लिए आवश्यक वित्तीय साधन उपलब्ध हो सके, लोग पूँजी की बचत और विनियोजन को प्रोत्साहन दें, देश में आवश्यक उद्योगों की स्थापना हो सके, विकास के लिए आवश्यक देशी और विदेशी कच्चा माल, पत्र-उपकरण उपलब्ध हो सके, विदेशों से आवश्यक साज-सज्जा मगाने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके, कुशल जनशक्ति का सृजन हो सके। यही नहीं अर्द्ध-विकसित देशों में विनियोजन के कुछ ऐसे क्षेत्र होने हैं जहाँ निजी उद्यमी पूँजी विनियोजन नहीं करते या जो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ऐसे क्षेत्रों में सरकार को स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उद्यमी का कार्य करना पड़ता है। आर्थिक विकास का आशय देश के वर्तमान और सम्भाव्य साधनों का इस प्रकार उपयोग करना है जिससे अधिकतम उत्पादन हो और अधिकतम लाभ हो। यही कारण है कि आज विश्व के लगभग अर्द्ध-विकसित देशों में आर्थिक विकास का कार्य सरकार द्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से संचालित किया जाता है जिसमें सरकार का उत्तरदायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। नियोजित अर्थव्यवस्था वाले देशों में सरकारी क्षेत्र (Public Sector) का विस्तार होता जाता है। अर्द्ध-विकसित देशों के आर्थिक विकास में सरकारी नीति का महत्त्व भारत के उदाहरण से पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है जिसने सरकार द्वारा निमित्त पञ्चवर्षीय योजनाओं के द्वारा पर्याप्त आर्थिक विकास किया है।

8. संस्थाएँ (Institutions)—आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण भी आवश्यक है। इसके लिए न केवल आर्थिक संस्थाएँ ही अपितु राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और धार्मिक वातावरण, मान्यताएँ एवं संस्थाएँ इस प्रकार की होनी चाहिए जो विकास को प्रोत्साहित करें। राष्ट्रसंघ की समिति रिपोर्ट के अनुसार, “उपयुक्त वातावरण की अनुपस्थिति में आर्थिक प्रगति असम्भव है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि मनुष्यों में प्रगति की इच्छा हो और उनकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एवं वैज्ञानिक संस्थाएँ इस इच्छा को क्रियान्वित करने में सहायक हों।” प्रोफेसर पॉल अलवर्ट के मतानुसार, “किसी भी आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य शर्त इसकी सम्यता में लोच होने के साथ-साथ इसके समाज और अर्थ-व्यवस्था की संरचना परिवर्तन की सम्भावनाओं के लिए खुली हो।” आर्थिक विकास के लिए अन्ततमक प्रेरणा एक ऐसी सम्यता है जो अपने मूल्यों (Values) में भाँतिव समृद्धि को उच्च प्राथमिकता देती है।” इसी प्रकार के विचार हरमन फाइनर न भी प्रकट किए हैं, “वर्तमान सन्दर्भ में ‘वातावरण’ का क्या आशय हो सकता है? इसका अर्थ जीवन निर्वाह स्तर में उन्नतता की इच्छा की उपस्थिति है जो अन्य मूल्यों की अपेक्षा उच्च प्राथमिकता रखती है।”

इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्थिक विकास में जनता के जीवन स्तर को उच्च बनाने की इच्छा एक चालक शक्ति (Motive Power) है जो उस देश की संस्थाओं पर निर्भर रहती है। जहाँ भारत जैसी जमींदारी या जागीरदारी प्रथा प्रचलित होगी, जिसके कारण कृषकों के परिश्रम द्वारा उत्पन्न कमाई का उपयोग शोषण द्वारा जमींदार और जागीरदार लोग करते हों, वहाँ कृषकों की अधिक परिश्रम की प्रेरणा समाप्त होगी और कृषि का द्रुत आर्थिक विकास नहीं हो सकेगा। इसके विपरीत जहाँ लोगों को अपने प्रयत्नों का पूरा प्रतिफल मिलने की व्यवस्था होगी, वहाँ लोगों को अधिक परिश्रम की प्रेरणा मिलेगी और आर्थिक विकास होगा।

अर्द्ध-विकसित देशों में कई संस्वांग ऐसे होते हैं जो आर्थिक विकास में बाधक होते हैं। भू-धारण की प्रतिगामी प्रणालियाँ, सयुक्त-परिवार प्रथा, जाति-प्रथा, उत्तराधिकार के नियम, स्त्रियों की स्थिति, भूमि का मोह, सविदा (Contract) की अपेक्षा स्तर (Status) पर निर्भरता, अधविश्वास, परम्परागत रुढ़िग्रन्थता, सामाजिक अपव्यय, परिवर्तन के प्रति असहिष्णुता, आध्यात्मिक दृष्टिकोण कुछ धार्मिक भावनाएँ आदि आर्थिक विकास को हतोत्साहित करते हैं। ये संस्थाएँ आर्थिक विकास के लिए 'आवश्यक परिवर्तन' को कठिन बनाकर आर्थिक विकास में बाधा उपस्थित करती हैं। अतः अर्द्ध-विकसित देशों में उन धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं में इस प्रकार परिवर्तन करना चाहिए और नवीन संस्थाओं का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे आर्थिक विकास में सहायता मिले। इन देशों की सामाजिक संस्थाओं में विकास के लिए आन्तिकारी परिवर्तनों की आवश्यकता है जो वैधानिक तरीके से या शिक्षा का प्रचार करके या उच्च जीवन की इच्छा जाग्रत करके की जानी

५।

सक्षेप में किसी देश के आर्थिक विकास में उन संस्थाओं का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान होता है जो देशवासियों में मितोपयोग की इच्छा, भौतिक समृद्धि की आकांक्षा, आर्थिक लाभ के अवसरों को प्राप्त करने की अभिलाषा जाग्रत करती हो।

9. अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ—आर्थिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण निर्धारक तत्त्व अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ हैं। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय परम्पर-निर्भरता के युग में दूसरे देशों के सहयोग के बिना आर्थिक विकास की बात ही क्या, कोई भी देश जीवित नहीं रह सकता। यदि कोई देश दीर्घकालीन युद्ध में सलग्न है तो उसका आर्थिक विकास असम्भव है। अर्द्ध-विकसित देशों के आर्थिक विकास में तो अनुकूल बाह्य परिस्थितियों का भी महत्त्व होता है। इन देशों में पूँजी का अभाव होता है जिसे विदेशों से अनुदान, ऋण एवं प्रत्यक्ष विनियोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार का हो सकता है। इन देशों में तकनीकी ज्ञान का भी अभाव होना है जिसे विकसित देशों में देशवासियों के प्रशिक्षण या विदेशियों की सहायता द्वारा पूरा किया जाता है। आर्थिक विकास के लिए कृषि और औद्योगिक विकास आवश्यक है। कृषि के विकास के लिए उर्वरक, औषधियाँ, मशीनपकरण तथा विशाल सिंचाई योजनाओं के लिए आवश्यक सामग्री विदेशों से प्राप्त

करनी होती है। औद्योगीकरण के लिए कच्चे माल, मशीनो आदि का भारी मात्रा में आयात करना पड़ता है जिसका भुगतान निर्यातों में वृद्धि द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के द्वारा करना होता है। यह कार्य तभी अच्छी प्रकार से सम्पन्न हो सकता है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण सद्भावनापूर्ण हो, सम्बन्धित देश का विदेशों से अधिकार्थिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हो और वे उस देश के आर्थिक विकास में पर्याप्त सहायता देते हों। यदि एक देश दीर्घकालीन युद्ध में सलग्न हो तो उसके आर्थिक विकास की सम्भावनाएँ अल्पन्त क्षीण होती हैं। अतः अनुकूल बाह्य परिस्थिति, आर्थिक विकास का एक प्रभावशाली तत्त्व है।

आर्थिक विकास के कारक और उनकी सापेक्षिक देन (Relative Contribution of Growth Factors)

सब कारक परस्पर सम्बन्धित होते हैं और एक की वृद्धि से दूसरे का विकास होता है। उदाहरणार्थ, यदि प्राकृतिक साधन अधिक होंगे तो उत्पादन अधिक होगा। पूँजी का निर्माण अधिक होगा जिसकी विनियोजित करके आय में वृद्धि की जा सकेगी। आय में इस वृद्धि के कारण मानवीय साधनों का विकास होगा, अध्ययन एवं अनुसंधान पर अधिक धन व्यय करके तकनीकी ज्ञान का विकास किया जा सकेगा और सरकार भी आर्थिक विकास के उत्तरदायित्व को अच्छी प्रकार निर्वहण कर सकेगी। इसी प्रकार यदि देश में स्थिर सरकार है जो आर्थिक विकास के अनुरूप नीतियों को अपनाती है तो देश के प्राकृतिक साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जा सकेगा। देश में विकास के लिए आवश्यक संस्थाओं का सृजन किया जाएगा जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी और पूँजी-निर्माण की गति बढ़ेगी। इसी प्रकार देश में विकसित जनशक्ति होगी तो अपनी योग्यता और परिश्रम से प्राकृतिक साधनों का अच्छा विवोहन कर सकेगी। यदि पूँजी की पर्याप्तता होगी तभी प्राकृतिक साधनों और नवीन तकनीकी ज्ञान का उचित उपयोग किया जा सकेगा। यदि सगठन या व्यवस्था अच्छी होगी तो उत्पादन के साधनों-धन, पूँजी, प्राकृतिक साधनों का उचित और लाभप्रद उपयोग किया जा सकेगा और उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी। इसी प्रकार यदि देश में स्थिर, ईमानदार और विकास-नीतियों को अपनाने वाली सरकार होगी और प्राकृतिक साधनों के विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ होंगी तो विदेशों से अधिकार्थिक सहायता उपलब्ध हो सकेगी।

यह आर्थिक विकास के उपरोक्त समस्त कारक परस्पर सम्बन्धित हैं और समान रूप से आवश्यक हैं। एक के अभाव में अन्य का महत्त्व कम हो सकता है। उदाहरणार्थ, यदि देश में प्राकृतिक साधनों का अभाव है तो अन्य घटक कितने ही मजबूत हों, आर्थिक विकास सीमित ही होगा। जापान, स्विट्जरलैण्ड आदि देशों के प्रतिरिक्त समस्त विकसित देशों में प्राकृतिक साधनों का आर्थिक विकास में अत्यधिक योगदान रहा है। भूतकाल में आर्थिक विकास में प्राकृतिक साधनों की देन कितनी महत्त्वपूर्ण रही है, इसके बारे में प्रो रिचार्ड टी गिल ने लिखा है, "पश्चिमी सभ्यता का अधिकांश इतिहास भूमि और साधनों के अधिग्रहण के सन्दर्भ में लिखा जा

सकता है। इसके अनिश्चित आधुनिक विश्व के सर्वोच्च जीवन-स्तर वाले देश कनाडा और अमेरिका में आर्थिक विकास की प्रक्रिया तथा नवीन साधनों की खोज और उपयोग दोनों साय-साय होते रहे।" इस प्रकार भूतकाल में प्राकृतिक साधनों की देन महत्त्वपूर्ण रही है, किन्तु इनका भविष्य में क्या महत्त्व रहेगा, यह अनिश्चित है, क्योंकि अब समस्त विश्व के दृष्टिकोण से साधनों में घनी अद्भुत क्षेत्र कम ही हैं, यद्यपि मानव में 'नवीन साधनों' के सृजन की क्षमता को भी नजर-अन्दाज नहीं किया जा सकता।

इसी प्रकार, आर्थिक विकास में पूंजी की देन भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। पूंजी के बिना प्राकृतिक साधनों का विदोहन नहीं किया जा सकता, वर्तमान युगीन विशालकाम कारखानों की स्थापना नहीं हो सकती, श्रम की उत्पादकता नहीं बढ़ाई जा सकती। सच तो यह है कि आर्थिक विकास में पूंजी का योगदान भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। प्रो डब्ल्यू ए लेविस ने पूंजी-निर्माण को आर्थिक विकास की एक केन्द्रीय समस्या बतलाते हुए लिखा है, "यह एक केन्द्रीय समस्या है क्योंकि आर्थिक विकास का केन्द्रीय तथ्य (ज्ञान और कुशलता को सम्मिलित करते हुए) तीव्रता के पूंजी संचय है।" कुछ अर्थशास्त्री आर्थिक विकास का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व तकनीकी ज्ञान को मानते हैं। वस्तुतः तकनीकी ज्ञान की इतनी अधिक प्रगति के बिना आर्थिक विकास इस सीमा तक असम्भव होता है। इसी प्रकार कुछ अर्थशास्त्री नव-प्रवर्तन (Innovation) और उद्यम (Enterprise) को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारक स्वीकार करते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री शुम्पीटर के अनुसार उद्यमी और उनकी नव-प्रवर्तन की क्रियाओं को ही आर्थिक विकास का श्रेय है। किन्तु आर्थिक विकास में उत्पादन के साधनों की उच्चिन् व्यवस्था, अनुकूल वातावरण, विकास की इच्छा को प्रेरित करने वाली सामाजिक सस्थाओं का भी कम महत्त्व नहीं रहा है। इनके अभाव में भौतिक, मानवीय और वित्तीय साधनों की पर्याप्तता होने पर भी उनका सदुपयोग या दुरुपयोग नहीं होने पर आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार कुछ लोग राज्य की उचित नीति को आर्थिक विकास का मुख्य घटक बतलाते हैं। सोवियत रूस और अन्य समाजवादी देशों की उच्च आर्थिक प्रगति का बहुत बड़ा श्रेय वहाँ की विकास के लिए प्रयत्नशील सरकारों को ही है। किन्तु वस्तुतः इन सब में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटक किसी देश की कुशल, विवेकपूर्ण दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प वाली जन-शक्ति ही है। उत्पादन के अन्य कारकों जैसे प्राकृतिक साधन, वित्तीय साधन, तकनीकी ज्ञान, संगठन, वातावरण, संस्थान, सरकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण का निर्माण और विकास मनुष्यों के द्वारा ही किया जाता है। डॉ. वी. के. आर. वी. राव ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि आर्थिक विकास सम्बन्धी अध्ययन से पता चलता है कि पूंजी संचय आर्थिक विकास की मात्रा और गति को निर्धारित करने वाले कारकों में से केवल एक है। नव-प्रवर्तन, प्रविधि और ज्ञान आदि भी उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं जितने यन्त्र और उपस्कर। किन्तु ये सब मानवीय तत्त्व से बहुत अधिक सम्बन्धित हैं और आर्थिक विकास के लिए अपना कार्य मानवीय प्रयत्नों की गहनता और गुणों पर इनके प्रभाव द्वारा ही करते हैं।

इस प्रकार यद्यपि कई विचारकों ने आर्थिक विकास के लिए भिन्न-भिन्न कारकों का महत्त्व दिया है किन्तु वे सभी आवश्यक और महत्त्वपूर्ण हैं। विकसित देशों के आर्थिक विकास का श्रेय किसी तत्व को नहीं दिया जा सकता यद्यपि भिन्न-भिन्न देशों में विभिन्न कारकों का कुछ अधिक महत्त्व हो सकता है। अमेरिका के आर्थिक विकास में न केवल भौगोलिक दशाओं, किन्तु सामाजिक, राजनीतिक सभी परिस्थितियों ने योग दिया है। सोवियत रूस के आर्थिक विकास में सरकार का योगदान सराहनीय है। डॉ. मोल्स ने इंग्लैंड की औद्योगिक क्रान्ति का श्रेय वहाँ के लोगों की साहस भावना को दिया है। जापान आदि में प्राकृतिक साधनों का योगदान कम रहा है। अतः आर्थिक विकास में किस कारक का अधिक महत्त्व है यह विभिन्न देशों की परिस्थितियों, विकास की अवस्था और विकास की विचारधाराओं पर निर्भर करता है। ये सब कारक परस्पर सम्बन्धित हैं और उनके महत्त्व में विभिन्न परिस्थितियों के सन्दर्भ में अन्तर हो जाता है। अन्त में हम वी. शेपर्ड से सहमत हैं जिनके अनुसार किसी एक कारक के नहीं अपितु विभिन्न महत्त्वपूर्ण कारकों को उचित अनुपात में मिलाने से आर्थिक विकास होता है। इस सम्बन्ध में जोसेफ एल. फिशर का यह कथन उल्लेखनीय है कि “आर्थिक विकास के लिए किसी एक विशेष तत्व को पृथक् करना और इसे ऐसे आर्थिक विकास का प्रथम या प्राथमिक कारण बताना न तो ठीक ही है और न ही विशेष सहायक है। प्राकृतिक साधन, कुशल श्रम, मशीनें और उपकरण, वैज्ञानिक एवं प्रबन्धात्मक साधन एवं आर्थिक स्थानीयकरण सभी महत्त्वपूर्ण हैं। यदि उन्हें आर्थिक समृद्धि प्राप्त करनी है तो धैर्य और राष्ट्रों को इन कारकों को प्रभावपूर्ण ढंग से मिलाना चाहिए।”

आर्थिक विकास की अवस्थाएँ (Stages of Economic Growth)

विश्व के विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की गति और प्रक्रिया में पर्याप्त अन्तर रहा है। अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के ऐतिहासिक क्रम को विभिन्न अवस्थाओं में विभक्त करने का प्रयत्न किया। इस सम्बन्ध में प्रो. रोस्टो का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आर्थिक विकास की अवस्थाओं को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—

- (1) परम्परागत समाज की स्थिति (Stage of Traditional Society),
- (2) स्वयं-स्फूर्त-विकास से पूर्व की स्थिति (Stage of Pre-condition of take-off),
- (3) स्वयं-स्फूर्त की स्थिति (Stage of take-off),
- (4) परिपक्वता की स्थिति (Stage of Maturity), एवं
- (5) उच्च-स्तरीय उपभोगों की अवस्था (Stage of Mass-consumption)

1. परम्परागत समाज की स्थिति—प्रो. रोस्टो के अनुसार, “परम्परागत समाज से आशय एक ऐसे समाज से है जिसका ढाँचा समिति उत्पादन कार्यों के अन्तर्गत विज्ञान, प्रविधि एवं भौतिक विश्व की न्यूटन के पूर्व की स्थिति के आधार

पर विकसित हुआ है।" परम्परागत समाज में साधारणतः कृषि और उद्योगों में परम्परागत तरीकों से कार्य किया जाता है। यन्त्रों, विशेषकर शक्ति-चालित यन्त्रों का सामान्यतः उपयोग नहीं किया जाता। उद्योग अत्यन्त अविकसित अवस्था में पाए जाते हैं और सीमित उत्पादन होने के कारण विनिमय व्यवस्था भी सीमित रहती है। परम्परागत समाज में राजनीतिक सत्ता प्रायः भू-स्वामियों के हाथ में केन्द्रित होती है। अपनी भूमि की उपज के बल पर ही यह वर्ग आर्थिक शक्ति हथिया कर समाज के अन्य वर्गों पर शासन करने लगता है। कहीं-कहीं उद्योग और कृषि में नवीन पद्धतियाँ दिखाई देती हैं, किन्तु मूलतः सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था अविकसित स्थिति में पायी जाती है।

2. स्वयं-स्फूर्त-विकास से पूर्व की स्थिति—रोस्टो ने इसे विकास की दूसरी अवस्था माना है। यह अवस्था वस्तुतः स्वयं-स्फूर्त-अवस्था (Stage of Take-off) की भूमिका (Prelude) मात्र है। इससे एक ऐसे समाज का बोध होता है जिसमें परिवर्तन होने प्रारम्भ हो जाते हैं और समाज-परम्परागत स्थिति से निकलकर द्वितीय अवस्था की ओर अग्रसर होने लगता है। समाज को इतनी सुविधाएँ मिलना शुरू हो जाती हैं कि वह आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों को अपना सके, नवीन तकनीकों का उपयोग कर सके तथा इनके आधार पर अपने विकास की गति में तेजी ला सके। सारांश में, जब परम्परागत समाज में पुराने मूल्यों के स्वान पर नवीन वातावरण को प्रस्थापित करने के प्रयास होने लगते हैं तभी 'स्वयं-स्फूर्त विकास से पूर्व की स्थिति' उत्पन्न होती है। इस अवस्था में बैंकों, बीमा कम्पनियों, व्यावसायिक संस्थाओं आदि विभिन्न आर्थिक संस्थाओं का आविर्भाव होता है और सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था या इसके एक बड़े भाग में चेतना जाग्रत हो जाती है। परम्परागत समाज की सभी अथवा अधिकांश परिस्थितियों में मूलाधार परिवर्तन होने लगते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में वाष्प अथवा किसी सीमा तक विद्युत् शक्ति का उपयोग होता है तथा बृहत् स्तर पर उत्पादन होने के कारण विनिमय का क्षेत्र भी विस्तृत हो जाता है। परिवहन को सुगम बनाने के लिए सामाजिक ऊपरी लागतों (Social overheads) का निर्माण होने लगता है, कृषि में प्रविधिक क्रान्ति (Technological Revolution) आने लगती है तथा अधिक कुशल उत्पादक और प्राकृतिक साधनों के विक्रय से वित्त प्राप्त करके आयात में वृद्धि की जाने लगती है और जहाँ तक सम्भव हो पूँजी का आयात प्रोत्साहित होता है। इस अवस्था में जो भी परिवर्तन प्रारम्भ होते हैं उनमें विदेशी पूँजी और प्रविधि का योगदान मुख्य रहता है। फिर भी इस अवस्था में आर्थिक विकास का एक सामान्य त्रम नहीं बन पाता। इसके पश्चात् अर्थ-व्यवस्था स्वयं-स्फूर्त (Take-off) की ओर अग्रसर हो जाती है।

3. स्वयं-स्फूर्त अवस्था—आर्थिक विकास की तृतीय अवस्था को रोस्टो ने स्वयं-स्फूर्त-अवस्था (Stage of Take-off) की संज्ञा दी है। इस अवस्था को परिभाषित करना कठिन है, रोस्टो के अनुसार स्वयं-स्फूर्त एक ऐसी अवस्था जिसमें विनियोग की दर बढ़ती है और वास्तविक रूप से प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि हो

जाती है तथा इस प्रारम्भिक परिवर्तन से उत्पादन-तकनीकी में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आ जाते हैं और आय का प्रवाह इस तरह होने लगता है कि विनियोगों द्वारा प्रति व्यक्ति उत्पादन की प्रवृत्ति बढ़ती रहती है।

स्वय-स्फूर्त-अवस्था में आर्थिक विकास कुछ सीमित क्षेत्रों में तीव्र गति से होने लगता है और आधुनिक औद्योगिक-तकनीकी का प्रयोग होता है। विकास सामान्य एवं नियमित गति से होने लगता है तथा प्रविधि अथवा पूंजी के लिए देश पर निर्भर नहीं रहता। विकास मार्ग में आने वाली प्राचीन रुढ़ियाँ एवं बाधाएँ समाप्त हो जाती हैं तथा शक्तियाँ अधिक शक्तिशाली होकर विकास में सहयोग प्रदान करती हैं। नई प्रविधियों के माध्यम से उद्योगों और कृषि में उत्पादन वृद्धि का क्रम स्वयमेव चलता रहता है। औद्योगिक विकास की गति कृषि की अपेक्षा सामान्यतः अधिक तीव्र रहती है। देश की अर्थ-व्यवस्था बिना किसी बाहरी सहायता के विकास कर सकती है और उत्पादन को अधिकतम सीमा तक पहुँचाना सम्भव हो जाता है। विनियोग और बचत का राष्ट्रीय आय में अनुपात 10 प्रतिशत या इससे अधिक रहता है। कल्याणकारी उद्योगों का तीव्र गति से विकास होता है और ऐसे सस्वागत ढाँचे का निर्माण होने लगता है जो धनखू साधनों से विकास के लिए पूंजी एकत्रित करने की क्षमता रखता हो। रोस्टो के अनुसार, विकास की इस अवस्था में शिक्षा तथा प्रविधिक प्रशिक्षण के साथ-साथ रेलों, सड़कों और संचार वाहन के साधनों का भी विकास हो जाता है। प्रो रोस्टो न कुछ प्रमुख देशों की स्वय-स्फूर्त-अवस्था की अवधियाँ भी दी हैं—

स्वय-स्फूर्त अवस्था

देश	स्वय स्फूर्त अवस्था की अवधि	देश	स्वय-स्फूर्त अवस्था की अवधि
ब्रिटन	1783—1812	रूस	1870—1914
फ्रांस	1830—1860	जपान	1896—1914
बेल्जियम	1833—1860	जर्मनी	1935
स. अ. अमेरिका	1843—1860	चीन	1937
जर्मनी	1850—1873	भारत	1952
स्वीडन	1868—1890	चीन	1952
जापान	1878—1900		

प्रो रोस्टो के अनुसार स्वय-स्फूर्त-अवस्था की अनेक आवश्यक शर्तों में मुख्य ये हैं—राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से अधिक वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, मूल्यों में स्वायत्त, यातायात एवं शक्ति के साधनों का विस्तार, मानवीय साधनों का उपयोग, सहकारी संस्थापन, पूंजीगत एवं आधारभूत उद्योगों की स्थापना, कृषि-क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि, कुशल प्रबन्धक और साहसी वर्ग का उदय, सरकारी क्षेत्र में व्यवसाय आदि।

4. परिपक्वता की स्थिति—चौथी अवस्था में अर्थ-व्यवस्था परिपक्वता की ओर उन्मुख होती है। रोस्टो के शब्दों में, "आर्थिक परिपक्वता को परिभाषित करने

की विविध पद्धतियाँ हैं, किन्तु इस उद्देश्य के लिए इसे काल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जब समाज अपने अधिकांश साधनों में आधुनिक तकनीकी को प्रभावपूर्ण ढंग से अपनाए हुए है।" परिपक्वता की स्थिति में विनियोग और वचत की दर 20 प्रतिशत तक पहुँच जाती है। विभिन्न नए उद्योगों की स्थापना हो जाती है और देश की अन्य देशों पर सामान्य निर्भरता समाप्त हो जाती है। आधुनिक प्रविधियों के इच्छित उपयोग द्वारा राष्ट्रीय आय की वृद्धि का क्रम जारी रहता है। जनसंख्या की वृद्धि की अपेक्षा आय वृद्धि की दर अधिक हो जाती है। स्वयं-स्फूर्त-अवस्था के प्रमुख क्षेत्रों की सहायताय नवीन क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलने लगता है। रोस्टो के अनुसार साधारणतः स्वयं-स्फूर्त-अवस्था से परिपक्वता की स्थिति में पहुँचने में किसी देश को 60 वर्ष लग जाते हैं। परिपक्वता के लिए सभी राष्ट्रों में एक ही समान नियम, विशेषता और प्रकृति का होना जरूरी नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, जापान, रूस आदि देशों ने विभिन्न ढंगों से परिपक्वता की अवस्था को प्राप्त किया है।

5. उच्च स्तरीय उपभोग की अवस्था—विकास की अन्तिम अवस्था उच्च स्तरीय उपभोग की अवस्था है। प्रथम तीन अवस्थाओं में जिन वस्तुओं के उपभोग को विलासिता माना जाता है, वही वस्तुएँ विकास की इस अन्तिम अवस्था में सामान्य बन जाती हैं और सर्व-साधारण जनता उनका उपयोग करने की स्थिति में आ जाती है। उच्च स्तरीय अथवा अधिक उपयोग की अवस्था (Stage of Mass Consumption) में औद्योगिक विकास अपनी चरम सीमा पर होने लगता है। अब समाज में रहने वाले पूर्ति की अपेक्षा माँग को अधिक महत्त्व देने लगते हैं। उत्पादन की समस्या से ध्यान हटा कर उपभोग की समस्या और कल्याण की ओर उन्मुख हो जाते हैं। उपभोग में वृद्धि, शक्ति-प्राप्ति के प्रयास, कल्याणकारी राष्ट्र की स्थापना के प्रयास, आदि के द्वारा प्रत्येक राष्ट्र इस अवस्था में आर्थिक कल्याण में वृद्धि करने में जुट जाता है। इससे पूर्व की अवस्थाओं में उत्पादन की वृद्धि को उपयोग की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता दी जाती है पर इस अवस्था में उपभोग की वस्तुओं की प्राप्ति साधारण मूल्यों पर होने लगती है। आर्थिक अवस्था के परिपक्व स्तर के बाद वास्तविक आय में सीमान्त हास का उपयोगिता नियम लागू हो जाता है और अर्थ-व्यवस्था को इस स्थिति से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अर्थशास्त्रियों ने विकास दर का अनेक विधियों से विश्लेषण किया है। एडवर्ड डेनिसन ने जिस विधि से इटली, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, नार्वे, बेल्जियम, इंग्लैंड, संयुक्तराज्य अमेरिका आदि 9 पश्चिमी देशों की विकास दरों का विश्लेषण किया है, उसमें उत्पादन कारकों के परिवर्तनों के योगदान, स्थिर उत्पादन के प्रति इकाई साधन के परिवर्तनों के योगदान का पृथक्-पृथक् विवेचन किया गया है। श्रम पूँजी, भूमि तथा इनके परिवर्तनों की माप के लिए सर्वप्रथम इन साधनों को असम्भव अनुभागों (Components) में विभक्त किया है, साधन के प्रत्येक अनुभाग की विकास-दर में अंशदान की गणना की है तथा इसके पश्चात् सभी अनुभागों के अंशों के योग से प्रत्येक साधन की विकास-दर पर होने वाले प्रभाव को पृथक् से ज्ञात किया गया

है। अतः प्रत्येक साधन की विकास-दर को उस साधन के राष्ट्रीय आय के प्रतिफल से गुणा किया गया है। यह गुणनफल राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर में उस साधन के अंश को प्रकट करता है। इस प्रकार सभी साधनों के सम्मिलित योगदान की कुल साधनों की विकास-दर (Growth rate of total factor input) की परिभाषा दी है।

इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम डेनिसन ने सन् 1909 से 1957 की अवधि में अमेरिका के अन्तिम विकास के विश्लेषण के लिए किया। प्रस्तुत अध्ययन में जिन 9 पश्चिमी देशों की आर्थिक प्रगति का अध्ययन किया गया है उनकी विकास दरें सन् 1950-1962 की अवधि में निम्नांकित प्रकार से रही—

(प्रतिशत बिन्दुओं में)

पश्चिमी जर्मनी	7.3
इटली	6.0
फ्रांस	4.9
नीदरलैंड्स	4.7
डेनमार्क	3.5
नार्वे	3.5
संयुक्तराज्य अमेरिका	3.3
बेल्जियम	3.2
यू.के.	2.3

किसी साधन का प्रति इकाई उत्पादन में क्या योगदान रहता है, इसे देखने के लिए उत्पादन के प्रत्येक स्रोत के लिए एक भिन्न तबानीकी आवश्यक समझी गई। इस सन्दर्भ में डेनिसन ने प्रत्येक स्रोत के योगदान का निम्न तत्वों के आधार पर विवेचन करने का प्रयास किया है—

- (1) साधन आवंटन में महत्वपूर्ण परिवर्तन
- (2) पैमाने की बचतें
- (3) पूंजी-संचय का प्रारम्भिक वर्षों में सन्तुलन

इसके अतिरिक्त प्रयुक्त साधनों (Employed Resources) पर माँग के दबाव का जिन अवधियों में उत्पादन पर विशेषकर कृषि-उत्पादन पर प्रभाव रहा है, उन अवधियों के अन्तर को दृष्टि में रखते हुए साधन का प्रति इकाई उत्पादन की विकास दर पर जो प्रभाव हुआ है उसको भी विवेचित करने का प्रयत्न किया गया है।

उक्त स्रोतों के अतिरिक्त भी विकास-दर को प्रभावित करने वाले कुछ स्रोत भेष रह जाते हैं—जैसे ज्ञान में प्रगति (Advances in Knowledge), औद्योगिक प्रगति (Technological Progress), मनुष्य किस सीमा तक कठिन परिश्रम करते हैं, विलास दर में अक्षतिपूर्ण क्षतियाँ (Non-compensating Errors in Growth rates) आदि को डेनिसन ने अवशिष्ट स्रोतों (Residuals) की संज्ञा दी है। संक्षेप में जिन स्रोतों का पूर्व से स्पष्ट रूप से विवेचन व वर्गीकरण सम्भव नहीं हो सका उन स्रोतों को डेनिसन ने अवशिष्ट स्रोतों की श्रेणी में लिया है।

श्रम के योगदान की माप के लिए निम्नलिखित तत्त्वों का अध्ययन किया है—

- (1) रोजगार में परिवर्तन,
- (2) रोजगार में लगे हुए काम के वार्षिक घण्टों में परिवर्तन,
- (3) आयु व लिंग के आधार पर वर्गीकृत श्रमिकों में मानव घण्टों (Man hours) का वितरण,
- (4) प्रत्येक श्रमिक की शिक्षा के स्तर के अनुसार प्रदत्त भारों (Weight) के आधार पर मानव घण्टों की संरचना में परिवर्तन ।

सन् 1950-62 की अवधि में रोजगार में वृद्धि की दृष्टि से जर्मनी का प्रथम तथा अमेरिका का द्वितीय स्थान रहा । रोजगार की संरचना में स्थिर मानते हुए भी, रोजगार की मात्रा में निरपेक्ष वृद्धि के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों की विकास दर उनके सामने दिए हुए प्रतिशत बिन्दुओं से प्रभावित हुई—

जर्मनी	1.5
संयुक्तराज्य अमेरिका	.9
नीदरलैण्ड, डेनमार्क, यू.के., इटली व बेल्जियम	.8 से 4 तक
फ्रांस व नार्वे	.1

पूरे समय काम करने वाले मजदूरों व वेतनभोगी गैर-कृषि श्रमिकों द्वारा किए गए काम के वार्षिक घण्टों में गिरावट की प्रवृत्ति उक्त अवधि में प्रायः नगण्य रही । संयुक्तराज्य अमेरिका व फ्रांस की स्थिति में तो इस सन्दर्भ में कोई अन्तर नहीं आया, किन्तु जर्मनी में गिरावट का प्रतिशत 93 रहा । कुछ अन्य देशों में स्थिति मध्यवर्ती रही । संयुक्तराज्य अमेरिका में रोजगार की मात्रा में वृद्धि का मूल कारण स्त्रियों व विद्यार्थियों द्वारा अपने अवकाश के समय कार्य करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति रही है । स्त्रियों व छात्रों द्वारा सप्ताह में केवल कुछ घण्टों का काम करने के कारण अमेरिका में श्रमिकों के घण्टों का औसत गिर गया । इटली में इनके विपरीत रोजगार के अवसरों में वृद्धि के कारण (Involuntary Part-time Employment) कम हो गया । अन्यत्र आधे समय रोजगार (Part-time Employment) की स्थिति में बहुत कम परिवर्तन हुए ।

डेनिसन ने काम के पूरे घण्टों में जिस वर्ष परिवर्तन हुए हैं उनके काम पर पड़ने वाले शुद्ध प्रभाव का अनुमान भी लगाया है । आंशिक उत्पादकता की क्षति की मान्यता लेते हुए अर्द्ध-कालीन रोजगार के महत्त्व में परिवर्तनों पर भी विचार किया है । इन सबके परिणामस्वरूप अमेरिका की विकास दर में 2 की कमी आई और शेष 8 में से 5 देशों में कमी का यही स्तर रहा । जर्मनी में सर्वाधिक कमी आई । फ्रांस में कमी की स्थिति नगण्य रही किन्तु इटली में कुछ घनात्मक रही ।

श्रम औसत कुशलता पर आयु तथा लिंग की संरचना में परिवर्तनों का क्या प्रभाव होता है, इनकी माप प्रति घण्टा प्राप्त आय भारों (Hourly earning rates) के आधार पर की गई । स्त्रियों के काम के घण्टों के अनुपात में अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप संयुक्तराज्य अमेरिका में उक्त परिवर्तन का प्रभाव सर्वाधिक प्रतिकूल

रहा। इससे वहाँ की विकास दर में 1% की कमी आई, किन्तु अनेक देशों जैसे फ्रांस व इटली में लगभग 1% की वृद्धि हुई।

शिक्षा में विस्तार के कारण श्रमिकों की कुशलता में औद्योगिक वृद्धि के प्रतिफल विभिन्न देशों में इस प्रकार रहे—

संयुक्तराज्य अमेरिका	·5
बेल्जियम	·4
इटली	·3
फ्रांस व यू के	·2
नीदरलैण्ड, डेनमार्क व जर्मनी	·1

श्रम के उक्त चारों अनुभागों के सम्मिलित परिणामस्वरूप संयुक्तराज्य अमेरिका की विकास दर में 1 1% की वृद्धि हुई। जर्मनी में वृद्धि की मात्रा इससे भी अधिक रही।

इस अध्ययन में पूँजी को चार वर्गों में विभाजित किया गया है। विकास दर में आवासीय भवनों के योगदान की माप राष्ट्रीय खाते में आवासीय सेवाओं के शुद्ध मूल्य को देखकर प्रत्यक्ष रूप से की जा सकती है। इस मद के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में विकास दर की वृद्धि 25% तथा जर्मनी में 14% रही। अन्तर्राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों के योगदान को भी प्रत्यक्षतः मापा जा सकता है। अमेरिका में इसका योगदान 05% तथा नीदरलैण्ड में इससे कुछ अधिक रहा। गैर-आवासीय निर्माण इक्विपमेंट व वस्तु सूचियों के समूहों का अमेरिका में योगदान 5% रहा और बेल्जियम को छोड़कर यूरोप के अन्य देशों में इस मद का विकास दर में योग कम रहा, किन्तु जर्मनी में सर्वाधिक वृद्धि इस खेत से 1 4% की हुई।

सभी प्रकार की पूँजी में सन् 1950-62 की अवधि में विकास दर में अमेरिका में 8%की वृद्धि हुई तथा यूरोप के सभी देशों में वृद्धि का यही स्तर रहा। नीदरलैण्ड व डेनमार्क में यद्यपि अमेरिका की तुलना में पूँजी के कारण विकास दर में कुछ अधिक वृद्धि हुई, किन्तु बेल्जियम व यू के में वृद्धि स्तर बहुत ही कम रहा।

उत्पादन कारकों के विकास दर में योगदान की दृष्टि से तथा यह मानते हुए कि सभी देशों में पैमाने का स्थिर प्रतिफल नियम (Constant Returns to Scale) प्रत्याशील है। सन् 1950-62 की अवधि में विभिन्न देशों में विकास-दर की स्थिति निम्न प्रकार रही—

जर्मनी	2·8
डेनमार्क	1 6
संयुक्त राज्य अमेरिका	2 0
फ्रांस व बेल्जियम	1 2
नीदरलैण्ड	1·9
यू के	1·1
नाबें	1·0

इस अवधि में राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन साधनों की वृद्धि दर में इतनी कम अनुसूचितता देखी गई कि साधनों के आवंटन की दृष्टि से इसके समाधान के लिए तीन पहलुओं का विश्लेषण किया गया है—(1) कृषि का संकुचन (Contraction of Agriculture), (2) गैर-कृषि निजी व्यवसाय का संकुचन (The contraction of non-farm self-employment), और (3) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिबन्धों की कमी (The reduction of barriers to International Trade)।

सन् 1950 में, सभी देशों में साधनों का एक बड़ा अनुपात, विशेषकर मानव-श्रम कृषि में लगा हुआ था। सन् 1950-62 की अवधि में उक्त सभी 9 देशों में कृषिगत रोजगार का प्रतिशत 30 से 47 तक कम हो गया। कृषि में लगे हुए मानव श्रम की सभी देशों में भारी कमी हुई, किन्तु कृषिगत रोजगार के महत्त्व और गैर-कृषि रोजगार पर इसके प्रभाव में इन देशों में भारी असमानता रही। सन् 1950 में यू. के. में कुल रोजगार में कृषिगत रोजगार का प्रतिशत 5 था, बेल्जियम में 11, अमेरिका में 12, जर्मनी, डेनमार्क व फ्रांस में 25 से 29 तथा इटली में 43% था।

प्रति इकाई (Input) से सामान्यतः कृषि में गैर-कृषि उद्योगों की तुलना में राष्ट्रीय उत्पादन बहुत कम होता है। इसके अतिरिक्त एक दो हुई अवधि में गैर-कृषि क्षेत्र की आय को साधनों में वृद्धि के अनुपात में बढ़ाया जा सकता है जबकि कृषि पहले से ही साधनों के भार से इतनी अधिक दबी हुई होनी है कि कृषि क्षेत्र से यदि श्रम की सम्पूर्ण मात्रा को हटा भी दिया जाता है तो कृषि उत्पादन पर कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो सकता।

सन् 1950-62 में कृषि-क्षेत्र से गैर-कृषि-क्षेत्र के उद्योगों में साधनों का स्थानान्तरण करने के परिणामस्वरूप विलास दर में वृद्धि की स्थिति इस प्रकार रही—

यू. के.	1 से कुछ कम
संयुक्तराज्य अमेरिका	2
बेल्जियम	7
फ्रांस	8
जर्मनी	10
इटली	10

गैर-कृषि निजी व्यवसाय (Non-farm self-employment) में श्रम की अधिक मात्रा के लगे रहने का प्रभाव भी कृषि की भाँति श्रम की सीमान्त उत्पादनता का बहुत कम होने के रूप में होता। गैर-कृषि व्यवसायों पर स्वामित्व के अधिकार रखने वाले, बिना किसी पारिश्रमिक के कार्य करने वाले श्रमिक भिन्न-भिन्न देशों में गैर-कृषि रोजगार के भिन्न-भिन्न अनुपातों को दर्शाते हैं। 9 में से 5 देशों में यह अनुपात सन् 1950-1962 की अवधि में कम हुआ है। श्रमिकों की एक बड़ी संख्या को इन क्षेत्रों से हटा कर वेतन व मजदूरी के रूप में पारिश्रमिक देने वाले रोजगारों में

लगाया गया। इन हटाए गए व्यक्तियों का कार्य या तो शेष श्रमिकों द्वारा कर लिया गया और इस प्रकार उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं हुआ अथवा हटाए गए श्रमिकों की सख्या के अनुपात से बहुत कम अनुपात में नए श्रमिक लगा कर उनके हिस्से के कार्य को करवा लिया गया। इस परिवर्तन के लाभों की स्थिति निम्न प्रकार रही—

अमेरिका व इंग्लैण्ड में	-04
इटली, फ्रांस, जापान, व नीदरलैंड्स में	·22 से ·26 तक

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबन्धों को हटाने से लाभ इस प्रकार रहे—

अमेरिका	·0
इंग्लैण्ड	·2
बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जापान और इटली	·15 या ·16

साधन आवंटनों के इन तीन पहलुओं के योग से सन् 1950-1962 की अवधि में विकास दरों पर जो सयुक्त प्रभाव हुआ, उसकी स्थिति निम्न प्रकार रही—

यू.के.	1
अमेरिका	·3
बेल्जियम	·5
नीदरलैंड्स	6
जापान	·9
फ्रांस	10
जर्मनी	10
इटली	1·4

ये अन्तर सापेक्ष रूप से बहुत अधिक हैं।

सन् 1950-1962 की अवधि में साधनों (Inputs) व साधन आवंटनों की विकास दरों में सम्मिलित योगदान के आधार पर अध्ययनरत 9 देशों को एक श्रेणी क्रम (Ranking) दिया जाना सम्भव हो सका। किन्तु माँग के दबाव व मौसम के परिवर्तनों के कारण साधनों का प्रति द्वादश उत्पादन पर जो प्रभाव हुआ, उसकी परस्पर तुलना सम्भव नहीं हो सकती थी। इस तथ्य का विवेचन अवशिष्ट साधनों (Residuals) के सन्दर्भ में किया गया। अवशिष्ट साधनों के योगदान को डेनिसन ने विकास दर की कुल वृद्धि में से स्पष्ट रूप से अनुमानित साधनों के योगदान को घटाकर प्राप्त किया। अमेरिका में अवशिष्ट (Residuals) का योगदान सन् 1950-55 व 1955-62 की अवधियों में 76 रहा तथा कुछ मामूली समायोजनों के बाद सन् 1920 से आगे तक की अवधि के परिणाम भी यही रहे हैं। अवशिष्टों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अमेरिका में शिक्षा में वृद्धि (Advances in Knowledge) की रही है। सन् 1955-1962 की अवधि में 7 अन्य देशों में अवशिष्ट साधनों का प्रभाव 75 से 97 के मध्य रहा। अमेरिका के अतिरिक्त ये

साधनों का योगदान 1.50 तथा इटली में 1.30 रहा। इस प्रकार फ्रांस में इस स्रोत की वृद्धि अमेरिका से भी अधिक रही। फ्रांस में इन साधनों के अन्तर्गत तकनीकी प्रगति, प्रबन्ध कुशलता में सुधार, गैर-कृषि मजदूरी व वेतन वाले रोजगार से प्रतिरिक्त श्रम को हटाना, साधनों के आवंटन में सुधार, प्रोत्साहन देने की कुछ श्रेष्ठ विधियाँ, अधिक कड़ा परिक्षम करने की प्रवृत्ति और इसी प्रकार के कुछ अन्य साधन अपनाए गए।

सन् 1950-1955 की अवधि में जर्मनी में अधिक तथा इटली में कुछ कम प्रगति में विकास दरों में जो भारी वृद्धि हुई उसका मुख्य कारण युद्धकालीन विध्वंसों (Distortions) की पुनर्रचना था।

सामान्य निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि विकास दर की दृष्टि से देशों श्रेणीकरण (सन् 1950-1962 की अवधि में) कुल मिलाकर साधनों में परिवर्तनों, श्रेष्ठ साधन आवंटन, तकनीकी सुधार तथा युद्धकालीन विध्वंसों की पुनर्रचना आदि द्वारा निर्धारित हुआ है।

विकास दर में अन्तर में वृद्धि का मूल कारण पैमाने की बचत (Economies of Scale) भी रही है। कुछ सीमा तक यह इसलिए भी होता है, क्योंकि पैमाने की बचत के लाभ बाजारों के आकार के विस्तार पर निर्भर करते हैं, इसलिए जहाँ एक ओर विकास दर में अन्य कारणों से वृद्धि होती है, यह वृद्धि पैमाने की बचतों व बाजारों के विस्तार के कारण कहीं अधिक बढ़ जाती है।

यूरोपीयन कीमतों के स्थान पर यदि अमेरिकी कीमतों के भावों के आधार पर उपभोग की दरों को पुनः मूल्यांकित किया जाए तो यूरोपीय देशों की विकास दर और अधिक कम होगी। सन् 1950-1962 में कुल मिलाकर इस कमी की सीमा बेल्जियम, नार्वे और यू. के. में 1, डेनमार्क व नीदरलैण्ड्स में 2, फ्रांस में 5, इटली में 6 तथा जर्मनी में 9 रही। विकास दर में उक्त कमी इसलिए भी होती है कि विभिन्न वस्तुओं का यूरोप में उपभोग अमेरिका की तुलना में कम रहता है, जबकि यूरोप की कीमतें अमेरिका की कीमतों की तुलना में अधिक ऊँची रही हैं तथा वस्तु की आय लोच भी अधिक है।

यूरोप के देशों में प्रति इकाई उपभोग में वृद्धि ऊँची आय लोच वाली वस्तुओं में केन्द्रित रही है तथा जिन वस्तुओं की कीमतें अमेरिका की तुलना में अधिक थी, प्रति इकाई उपभोग में जितनी अधिक वृद्धि हुई, विकास दरों का अन्तर उतना ही अधिक बढ़ता गया। इन निष्कर्षों का परीक्षण उपभोग कीमतों के भावों के आधार पर किया जा सकता है। डेनिसन की यह मान्यता है कि सर्वाधिक उत्तरदायी तत्व पैमाने की बचतें हैं। विकसित देशों में जैसे ही प्रति इकाई उपभोग में वृद्धि हुई, वृद्धि का केन्द्र वे वस्तुएँ अधिक रही, जिनका उत्पादन कम मात्रा में हुआ और विशेषकर वे वस्तुएँ जिनकी प्रति इकाई लागत अमेरिका की तुलना में अधिक ऊँची रही। अमेरिका में बड़े पैमाने के उत्पादन की तकनीकी उपलब्ध थी और इसलिए जैसे ही बाजारों का विस्तार हुआ, इस तकनीकी का अपनाना सम्भव हो सका।

विकास दर के स्रोतों के अतिरिक्त डेनिसन ने रोजगार में लगे हुए प्रति व्यक्ति के अनुसार राष्ट्रीय आय के स्तर सम्बन्धी अन्तरो के स्रोतों का भी पृथक् से अध्ययन करने का प्रयास किया है। अमेरिका की कीमतों के माप करने पर रोजगार में लगे हुए प्रति व्यक्ति के अनुसार यूरोप के देशों की राष्ट्रीय आय, इटली को छोड़कर सन् 1960 में अमेरिका की आय की लगभग 58 से 65% थी। इटली में यह 40% थी।

विकास के स्रोतों व आय के अन्तरो की तुलना के आधार पर डेनिसन दो प्रकार के निष्कर्ष (Observation) प्रस्तुत करते हैं।

डेनिसन की प्रथम प्रत्यालोचना (Comment) का सम्बन्ध साधनों के आवंटन से है। अमेरिका की तुलना में फ्रांस व जर्मनी में गैर-कृषि रोजगार की वृद्धि द्वारा तथा कृषिगत निजी स्वामित्व वाले रोजगार की कमी द्वारा राष्ट्रीय आय वृद्धि की अधिक सम्भावना (Potentiality) थी। यह तथ्य इस निष्कर्ष की पुष्टि करता है कि साधनों की प्रति इकाई से उत्पादन की मात्रा में फ्रांस व जर्मनी में अधिक वृद्धि क्यो हुई। फ्रांस व जर्मनी इस स्रोत का तेजी से विदीहन (Exploitation) कर रहे हैं, किन्तु राष्ट्रीय आय के अन्तर को अमेरिका की तुलना में विशेष कम नहीं कर पाएगा।

साधनों का पुनर्वाटन भी इसकी बड़े अंशों में पुष्टि करते हैं कि ब्रिटेन की विकास दर से फ्रांस व जर्मनी की विकास दर अधिक क्यो रही? किन्तु प्रति श्रमिक राष्ट्रीय आय का स्तर सन् 1960 में इंग्लैंड में भी उतना ही ऊँचा था जितना कि फ्रांस व जर्मनी में। इसका कारण इंग्लैंड में साधनों के आवंटन में असमत्तियों को कम किया जाना माना जाता है। गैर कृषि उद्योगों में इंग्लैंड का प्रति व्यक्ति उत्पादन इटली से भी कम था। साधनों के आवंटन में सुधार एक ओर इंग्लैंड, फ्रांस एवं जर्मनी में आय के अन्तर का मार्ग खोल रहा है तथा दूसरी ओर यू के व इटली में इस अन्तर को समाप्त कर रहा है।

कृषि व निजी व्यवसाय की प्रवृत्ति इटली की आय के स्तर को बहुत अधिक गिरा रही है। इटली में यूरोप के अन्य देशों की तुलना में आय के कम होने का यही मुख्य कारण है। शिक्षा व पूँजी की कमी के कारण भी अन्तर में वृद्धि होती है।

डेनिसन की दूसरी प्रत्यालोचना (Comment) का सम्बन्ध अवशिष्ट साधनों की उत्पादकता (Residual Productivity) से है। डेनिसन का निष्कर्ष है कि यदि शक्ति श्रमिक, मात्रा व कुशलता में, भूमि व पूँजी के अनुपात में, बाजारों के आकारों में, साधनों के पलत आवंटन की लागतों में, साधनों पर माँग के दबाव आदि में कोई अन्तर नहीं होते तो यूरोप के देशों में अवशिष्ट उत्पादकता सन् 1960 में इटली के अतिरिक्त अमेरिका से 28% कम होती। किसी भी प्रकार के सुधार किए जाएँ या अन्तर उत्पन्न किए जाएँ, यूरोप की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के स्तर पर तब तक नहीं पहुँच सकती जब तक कि इस अवशिष्ट उत्पादकता के अन्तर को कम नहीं किया जाता। डेनिसन के अनुसार, सन् 1962 तक फ्रांस के अतिरिक्त किसी भी देश में यह अन्तर नहीं आ सका।

सन् 1925 में इटली के अतिरिक्त अमेरिका का राष्ट्रीय आय का स्तर इतना ऊपर पहुँच चुका था जितना कि यूरोप के देशों का सन् 1960 में था। सन् 1960 में अवशिष्ट उत्पादकता (*Residual Productivity*) यूरोप के देशों में सन् 1925 के अमेरिका से भी कम थी। अमेरिका की विकास दर में इन 35 वर्षों में अधिक बढ़ते रहने का कारण शिक्षा, तकनीकी व विज्ञान की प्रगति रहा है।

निष्कर्ष यह है कि महाद्वितीय देश (*Continental Countries*) अमेरिका की तुलना में विकास की अधिक दर प्राप्त करने में इसलिए असफल रहे कि उनका मुख्य लक्ष्य सन् 1950 से 'आर्थिक विकास' न होकर केवल 'आर्थिक वृद्धि' रहा। श्रम-आत्मकता के स्थान पर परिमाण-आत्मकता पर उनका ध्यान केन्द्रित रहा। अमेरिका में स्त्रियों को रोजगार में अधिक लगाया गया, श्रम शक्ति में शिक्षण-प्रशिक्षण में वृद्धि की गई। शक्ति, अन्वेषण व विकास कार्यक्रमों की ओर अधिक ध्यान लगाया गया। कृषि व्यवसाय को कम किया गया तथा लघु स्तरीय गैर-कृषि निजी व्यवसायों को निरुत्साहित करने की नीति अपनाई गई। पूँजी के संचय को भी सापेक्ष रूप से इतना नहीं बढ़ाया गया जितना कि यूरोप के अधिकांश देशों में हुआ। केवल जर्मनी ही ऐसा देश रहा जो अमेरिका की अपेक्षा विकास की अधिक दर प्राप्त कर सका।¹



1. "Sources of Post-war Growth in Nine Western Countries," *American Economic Review*, May 1967, pp. 325 to 332.

आर्थिक विकास से सम्बन्धित विचारधाराएँ : लेविस, हैरड-डोमर, महालनोबिस तथा अन्य

(APPROACHES TO THE THEORY OF
DEVELOPMENT : LEWIS, HARROD-DOMAR,
MAHALNOBIS AND OTHERS)

“आर्थिक विकास का सभी देशों के लिए सभी परिस्थितियों में सर्वमान्य कोई प्रामाणिक सूत्र नहीं है, अतः आर्थिक विकास का एक सामान्य सिद्धान्त बताना अति कठिन है।”
— प्रो. फ्रीडमेन

आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कम आय वाली आर्थिक व्यवस्था का अधिक आय वाली व्यवस्था में रूपान्तरण होता है। यदि आर्थिक विकास को इस रूप में परिभाषित करें तो स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा होती है कि यह रूपान्तरण किस प्रकार और किन परिस्थितियों में होता है। आर्थिक विकास के सिद्धान्त इस जिज्ञासा को बहुत कुछ शान्त करने में सहायक होते हैं। उनसे पता चलता है कि अर्द्ध-विकसित देश किस प्रकार दूषित चक्रों (Vicious Circles) को तोड़कर सतत विकास की शक्तियों का सृजन कर सकता है। आर्थिक विकास के सिद्धान्तों से ज्ञात होता है कि विश्व के कुछ राष्ट्र विकसित और दूसरे राष्ट्र अर्धविकसित क्यों रह गए।

आर्थिक विकास का विचार नया नहीं है। समय-समय पर अर्थशास्त्री आर्थिक विकास के कारको और सिद्धान्तों पर विचार प्रकट करते रहे हैं। कीन्स के ‘सामान्य सिद्धान्त’ के प्रकाशन के बाद आर्थिक विकास के आधुनिक मॉडलों (Models) का निर्माण किया जाने लगा। आर्थिक विकास से सम्बन्धित निम्नलिखित तीन विचारधाराएँ हैं—

- (1) लेविस का आर्थिक विकास का सिद्धान्त,
- (2) हैरड-डोमर मॉडल;
- (3) महालनोबिस मॉडल।

आर्थर लेविस का आर्थिक वृद्धि का सिद्धान्त (W. Arther Lewis' Theory of Economic Growth)

पृष्ठभूमि (Background)

'आर्थिक वृद्धि' के सिद्धान्त की रचना में आर्थर लेविस ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों (Classical Economists) की परम्परा का ही अनुसरण किया है। स्मिथ से लेकर मार्क्स तक सभी अर्थशास्त्रियों ने इसी अभिमत की पुष्टि की है कि अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 'निर्वाह-मजदूरी पर धर्म की असीमित पूर्ति उपलब्ध है।' इन अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वृद्धि का कारण पूँजी संचय (Capital Accumulation) में खोजने का प्रयत्न किया है। इसकी व्याख्या उन्होंने आय-वितरण के विश्लेषण के रूप में की है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के मॉडलों में 'आय-वृद्धि' (Income-growth) व 'आय-वितरण' (Income-distribution) का विवेचन एक साथ हुआ है। लेविस भी इन अर्थशास्त्रियों की भाँति आर्थिक वृद्धि के अपने मॉडल में यही मान्यता लेकर चलते हैं कि "अर्द्ध-विकसित देशों में निर्वाह-मजदूरी पर असीमित मात्रा में धर्म उपलब्ध है।" लेविस ने अपने मॉडल में दो क्षेत्र लिए हैं—(1) पूँजीवादी क्षेत्र (Capitalist Sector) व (2) निर्वाह-क्षेत्र (Subsistence Sector)।

परिकल्पना (Hypothesis)

मॉडल में यह परिकल्पना की गई है कि आर्थिक वृद्धि पूँजी संचय का फलन है और पूँजी संचय तब होता है जब धर्म को निर्वाह-क्षेत्र से स्थानान्तरित करके पूँजीवादी क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है। पूँजीवादी क्षेत्र पुनः उत्पादित होने वाली पूँजी (Reproducible Capital) का प्रयोग करता है, जबकि निर्वाह-क्षेत्र में इस प्रकार की पूँजी प्रयुक्त नहीं होनी तथा इस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रदा (Per Capita Output) पूँजीवादी क्षेत्र की अपेक्षा कम होता है।

मॉडल की सैद्धान्तिक संरचना (Theoretical Framework of the Model)


लेविस के मॉडल का मुख्य केन्द्र-बिन्दु इस तथ्य की विवेचना करना है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के मूल सैद्धान्तिक ढाँचे में रहते हुए, वितरण, संचय व विकास से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान किस प्रकार सम्भव है। इन समस्याओं का विवेचन बन्द एवं खुली दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में किया गया है।

(i) बन्द अर्थ-व्यवस्था (Closed Economy)—बन्द अर्थ-व्यवस्था से सम्बन्धित मॉडल का प्रारम्भ लेविस इस मान्यता से करते हैं कि निर्वाह-मजदूरी पर श्रम की पूर्ति पूर्णतः लोचदार (Infinitely Elastic) होती है। वे इस कथन को विश्व के सभी भागों में क्रियाशील मानकर नहीं चलते हैं। इस मान्यता की क्रियाशीलता को लेविस केवल उन देशों से ही सम्बद्ध करते हैं जो बनी आवादी वाले हैं तथा जहाँ पूँजी व प्राकृतिक साधनों की तुलना में जनसंख्या इतनी अधिक है कि उनकी अर्थ-व्यवस्थाओं में अधिकांश "श्रम की सीमान्त उत्पादकता नगण्य, शून्य या ऋणात्मक पायी जाती है।" कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस स्थिति को गुप्त बेरोजगारी (Disguised Unemployment) की सजा दी है तथा मूलतः कृषि-क्षेत्र को गुप्त बेरोजगारी के प्रति उत्तरदायी पाया है।

(ii) श्रम की सीमान्त-उत्पादकता शून्य है या नगण्य—लेविस अपने मॉडल में इसे विशेष महत्वपूर्ण न मानते हुए, इस तथ्य पर अधिष्ठा बल देते हैं कि अर्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में श्रम का प्रति इकाई मूल्य निर्वाह मजदूरी के स्तर पर होता है। अतः जब तक इस मूल्य पर श्रम-पूर्ति माँग से अधिक बनी रहती है, तब तक श्रम-पूर्ति को असीमित कहा जाना है। श्रम-पूर्ति की इस स्थिति में मजदूरी के वर्तमान स्तर पर निर्वाह क्षेत्र से श्रम को पूँजीवादी क्षेत्र में स्थानान्तरित करते हुए एक बड़ी सीमा तक नए उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं तथा पुराने उद्योगों का विस्तार किया जा सकता है। श्रम की न्यूनता रोजगार के नए स्रोतों के निर्माण में किसी अवरोध (Constraint) का कार्य नहीं करती। कृषि, प्राकृतिक श्रम, छोटे-मोटे व्यापारी घरेलू सेवक, गृह-सेविताएँ, जनसंख्या-वृद्धि आदि वे स्रोत हैं जिनसे निर्वाह मजदूरी पर श्रम, पूँजीवादी क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जा सकता है। किन्तु यह स्थिति अकुशल श्रम के लिए ही लागू होती है। जहाँ तक कुशल श्रम का प्रश्न है, समय विशेष पर किसी विशेष प्रकार के कुशल श्रम की पूँजीवादी क्षेत्र में कमी सम्भव है। कुशल श्रम के अन्तर्गत वस्तुकार, विद्युत कार्यकर्ता (Electricians), वेल्डर्स (Welders) जीव विशेषज्ञ (Biologists), प्रशासक (Administrators), आदि आते हैं। लेविस के मतानुसार, कुशल श्रम का अभाव केवल आंशिक बाधा (Quasi-bottlenecks) है। प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करके अकुशल श्रम की इस बाधा को दूर किया जा सकता है। विकास या विस्तार के मार्ग में वास्तविक बाधाएँ (Real bottlenecks) पूँजी और प्राकृतिक साधनों का अभाव है। अतः लेविस के अनुसार जब तक पूँजी व प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं, आवश्यक कुशलताएँ (Necessary Skills) कुछ समयान्तर (Time-lag) से प्राप्त की जा सकती हैं।

(iii) यदि श्रम असमीमित पूति में उपलब्ध है और पूँजी दुर्लभ है तो पूँजी का श्रम के साथ उस बिन्दु तक प्रयोग किया जाना चाहिए जहाँ श्रम की सीमान्त उत्पादकता मजदूरी के वर्तमान स्तर के समान रहती है। इसे चित्र 1 में दर्शाया गया है¹—

चित्र-1



श्रम की मात्रा


उक्त चित्र में द्वितीयक अक्ष पर श्रम की मात्रा तथा लम्बवत् अक्ष पर सीमान्त उत्पादकता की माप की गई है। पूँजी की मात्रा स्थिर (Fixed) है। OW = वर्तमान मजदूरी; OM = पूँजीवादी क्षेत्र में प्रयुक्त श्रम, MR = निर्वाह क्षेत्र में प्रयुक्त श्रम, OR = कुल श्रम, $OWPM$ = पूँजीवादी क्षेत्रों में श्रमिकों की मजदूरी, WNP = पूँजीवादियों का अतिरेक (Capitalists Surplus) प्रकट करते हैं। यदि पूँजीवादी क्षेत्र से बाहर श्रम की सीमान्त उपयोगिता शून्य हो तो श्रम की OR मात्रा को रोजगार में रखा जाना चाहिए था, किन्तु पूँजीवादी क्षेत्र में श्रम की OM मात्रा को रोजगार देने पर ही लाभ कमाया जा सकता है। श्रम की इस मात्रा से पूँजीपति $OWPM$ के बराबर मजदूरी देकर $ONPM$ के बराबर आय अर्जित करते हैं, अतः दोनों का अन्तर $(ONPM - OWPM) = WNP$ पूँजीपतियों का अतिरेक दर्शाता है। M से आगे की श्रम-मात्रा निर्वाह-मजदूरी प्राप्त करती है।

(iv) पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्थाओं में पूँजीपतियों को कुछ विशेष प्रकार के विनियोगों का अधिक अनुभव होता है—विशेषकर व्यापार व कृषि सम्बन्धी विनियोगों का तथा निर्माण-उद्योगों का अनुभव कम अथवा नगण्य होता है। परिणामतः ये अर्थ-व्यवस्थाएँ इस अर्थ में असन्तुलित (Lopsided) रहती हैं कि कुछ क्षेत्रों में अनुकूलतम से अधिक (More than optimum) तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में अनुकूलतम से बहुत कम (Much less than optimum) विनियोग किया जाता है।

कुछ कार्यों के लिए वित्तीय संस्थाएँ (Financial Institutions) अत्यधिक विकसित होती हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बच रहते हैं जिनको वित्तीय संस्थाओं का सहयोग नहीं मिल पाता है। व्यापार हेतु पूँजी सस्ती मिल सकती है, किन्तु गृह-निर्माण अथवा कृषि के लिए नहीं।

(v) लेविस के अनुसार निर्वाह-मजदूरी की तुलना में पूँजीवादी-मजदूरी 30 प्रतिशत या अधिक होती है। इस अन्तर के प्रभाव को चित्र-2 में प्रदर्शित किया गया है¹—

चित्र-2



OS = निर्वाह क्षेत्र की प्रति इकाई आय।

OW = पूँजीवादी क्षेत्र की प्रति इकाई आय (वास्तविक)।

समुद्र से उपमा लेते हुए यह कहा जा सकता है कि पूँजीपति-श्रम व निर्वाह-श्रम के मध्य प्रतिस्पर्धा की सीमान्त रेखा अब किनारे के रूप में नहीं अपितु एक शिखर के रूप में प्रतीत होती है।²


उपरोक्त अन्तर पर पूँजी निर्माण निरमर करता है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व इस तत्त्व का है कि पूँजीवादी अतिरेक का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। यदि इसका उपयोग नई पूँजी की उत्पत्ति के लिए होता है तो इसका परिणाम पूँजीवादी क्षेत्र का विस्तार होता है। निर्वाह क्षेत्र से हट कर अधिक सख्या में श्रमिक पूँजीवादी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। इससे पूँजीवादी अतिरेक में और वृद्धि होती है तथा अतिरेक की अधिकता पूँजी निर्माण की मात्रा

1 Ibid, p 41

2 "To borrow an analogy from the sea, the frontier of competition between capitalist and subsistence labour now appears not as a beach but as a cliff" —Ibid, p 412

को अधिक से अधिकतर करती जाती है। जब तक अतिरिक्त श्रम पूँजीवादी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक यह श्रम क्रियाशील रहता है। इस स्थिति को चित्र-3 में दर्शाया गया है¹—

चित्र-3



चित्र-2 के समान OS = निर्वाह-मजदूरी और OIV = पूँजीवादी-मजदूरी। WN_1Q_1 = प्रारम्भिक अतिरेक (Initial Surplus)। चूँकि इसका कुछ भाग पुनः विनियोजित कर दिया जाता है, जिससे स्थायी पूँजी की मात्रा में वृद्धि होती है और इसलिए उसकी सीमान्त उत्पादकता N_2Q_2 स्तर तक बढ़ जाती है। इस दूसरी स्थिति में अतिरेक व पूँजीवादी रोजगार दोनों अधिक हो जाते हैं। यह क्रम N_2Q_2 से N_3Q_3 तक तथा N_3Q_3 से N_4Q_4 तक और इसी प्रकार उस समय तक चलता रहता है, जब तक कि अतिरिक्त श्रम की स्थिति रहती है।

(vi) लेविस के मॉडल में पूँजी, प्रौद्योगिक प्रगति तथा उत्पादकता के सम्बन्धों की विवेचना की गई है। पूँजीवादी क्षेत्र के बाहर तकनीकी ज्ञान की प्रगति से मजदूरी का स्तर बढ़ता है, परिणामस्वरूप पूँजीवादी अतिरेक की मात्रा घटती है। किन्तु लेविस की यह मान्यता है कि पूँजीवादी क्षेत्र में ज्ञान-वृद्धि व पूँजी एक ही दिशा में इस प्रकार कार्य करते हैं कि मजदूरी में कोई वृद्धि नहीं होती है, बल्कि राष्ट्रीय आय में लाभों का अनुपात अधिक हो जाता है। नए तकनीकी ज्ञान के व्यावहारिक उपयोग के लिए नया विनियोग आवश्यक है। नया तकनीकी ज्ञान चाहे पूँजी को बचाने वाला हो, चाहे श्रम को, इससे उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित स्थिति में कोई अन्तर नहीं आता है। लेविस के मॉडल में 'तकनीकी ज्ञान की वृद्धि और उत्पादक-पूँजी में वृद्धि' एक ही तत्त्व के रूप में माने गए हैं।

पूँजी-निर्माण (Capital Formation)

लेविस ने पूँजी-निर्माण के दो स्रोतों का विवेचन किया है—

- (1) लाभों द्वारा पूँजी-निर्माण, और
- (2) मुद्रा पूर्ति में वृद्धि द्वारा पूँजी-निर्माण ।

बचत की बड़ी राशि लाभों से प्राप्त होती है । यदि किसी अर्थ-व्यवस्था में राष्ट्रीय आय में बचत का अनुपात बढ रहा है तो हम उस अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि वहाँ राष्ट्रीय आय में लाभों का अंश वृद्धि पर है । समान आय वाले दो देशों में से जिस देश में लगानों की तुलना में लाभों का राष्ट्रीय आय में अंश अधिक होता है, वहाँ अपेक्षाकृत वितरण की विषमताएँ कम पायी जाएँगी तथा बचत भी माना अधिक होगी । आय की असमानता यदि लगान की तुलना में लाभों का अंश अधिक होने के कारण होती है तो यह स्थिति पूँजी-निर्माण के अधिक अनुकूल मानी जाती है ।

नव-प्रतिष्ठापित मॉडल (Non-classical Model) में पूँजी-निर्माण केवल उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन क्षेत्र से साधनों के स्थानान्तरण द्वारा ही सम्भव है किन्तु लेविस के मॉडल में भूमि व पूँजी को वैकल्पिक उपभोगों में से हटाए बिना ही श्रम द्वारा पूँजी-निर्माण सम्भव है तथा उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा को बिना कम किए ही पूँजी-निर्माण किया जा सकता है ।

यदि किसी अर्थ-व्यवस्था में पूँजी का अभाव है, किन्तु कुछ साधन अप्रयुक्त अवस्था में हैं, जिनके प्रयोग से पूँजी-निर्माण किया जा सकता है तो यह अत्यन्त वांछनीय है कि उनके प्रयोग के लिए अतिरिक्त मुद्रा का निर्माण भी आवश्यक हो तो किया जाना चाहिए । अतिरिक्त मुद्रा से किसी प्रकार की अन्य दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है । जिस प्रकार लाभों द्वारा पूँजी-निर्माण से उत्पादन व रोजगार में वृद्धि होती है, उसी प्रकार सास द्वारा वित्तीयकरण से भी रोजगार व उत्पादन के स्तर बढ़ते हैं । लाभों द्वारा निर्मित पूँजी व साख द्वारा निर्मित पूँजी का अन्तर उत्पादन पर प्रभाव के रूप में परिलक्षित नहीं होता किन्तु कीमतों व आय-वितरण पर इस अन्तर का तत्काज प्रभाव होता है ।

लेविस के मॉडल में, अतिरिक्त श्रम से पूँजी-निर्माण की स्थिति में, विशेषकर जब श्रम का भुगतान अतिरिक्त मुद्रा से किया जाता है, मूल्य बढ जाते हैं, किन्तु उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन स्थिर रहता है । रोजगार में कर्मस्त एवं अन्निकों के बीच उपभोग वस्तुओं का पुन वितरण (Redistribution) अवश्य होता है, किन्तु इस प्रक्रिया का अर्थ 'बलपूर्वक बचत' (Forced Saving) के रूप में नहीं लगाया जाना चाहिए । लेविस के मॉडल में नव-प्रतिष्ठापित मॉडल की भाँति 'बलपूर्वक बचत' की स्थिति न होकर बलपूर्वक उपभोग वस्तुओं के पुन-वितरण की स्थिति अवश्य विद्यमान है (There is a forced redistribution of consumption, but not forced saving) । जैसे ही विनियोग वस्तुओं के कारण उत्पादन बढने लगता है, उपभोग स्तर भी ऊँचा होने लगता है । लेविस के अनुसार मूल्यों में प्रसार

की स्थिति केवल अल्पावधि के लिए रहती है जब तक कि प्रारम्भिक अवस्था में आम तो बढ़ती है, किन्तु उपभोग-वस्तुओं का उत्पादन नहीं बढ़ता, किन्तु थोड़े समय बाद ज्यों ही पूँजीगत वस्तुएँ उपभोग-वस्तुओं का उत्पादन प्रारम्भ कर देती हैं, मूल्य गिरने प्रारम्भ हो जाते हैं। लेविस का तो मत इस सम्बन्ध में यह है कि, "पूँजी निर्माण के लिए मुद्रा-प्रसार स्वयं विनाशक होता है और इससे यह भी आशा की जा सकती है कि मूल्य चढ़कर उस स्तर से भी नीचे गिर सकते हैं जहाँ से उन्होंने गिरना शुरू किया था।" इस प्रकार ज्यों-ज्यों पूँजी-निर्माण होता है, उत्पादन और रोजगार में निरन्तर वृद्धि होती रहती है। परिणामस्वरूप लाभ बढ़ते हैं, जिन्हें विनियोजित करके पुनः पूँजी-निर्माण को बढ़ाया जा सकता है और आर्थिक विकास का यह क्रम जारी रहता है। किन्तु विकास की यह प्रक्रिया बन्द अर्थ-व्यवस्था में अनिश्चित काल तक नहीं चल सकती। निम्नलिखित परिस्थितियों में यह प्रक्रिया रुक जाती है—

- (i) जब पूँजी-निर्माण के परिणामस्वरूप अतिरिक्त श्रम शेष नहीं रहता।
- (ii) पूँजीवादी विस्तार की तीव्र गति के कारण निर्वाह क्षेत्र की जनसंख्या इतनी कम हो जाती है कि पूँजीवादी व निर्वाह दोनों क्षेत्रों में श्रम की सीमान्त उत्पादकता बढ़कर मजदूरी का स्तर ऊँचा कर देती है।
- (iii) निर्वाह क्षेत्र की अपेक्षा पूँजीवादी क्षेत्र का तीव्र विस्तार, कृषिगत पदार्थों के मूल्यों में इतनी अधिक वृद्धि कर देता है कि व्यापार की शर्तें (Terms of Trade) पूँजीवादी क्षेत्र के प्रतिकूल हो जाती हैं, परिणामस्वरूप, श्रमिकों को अधिक मजदूरी देनी पड़ती है।
- (iv) निर्वाह क्षेत्र में उत्पादन की नई तकनीकी के अपनाए जाने में पूँजीवादी क्षेत्र में भी वास्तविक मजदूरी बढ़ जाती है।
- (v) पूँजीवादी क्षेत्र में यदि श्रम-आन्दोलन ऊँची मजदूरी प्राप्त करने में सफल हो जाता है।

उपरोक्त परिस्थितियों में पूँजीवादी अतिरेक पर विपरीत प्रभाव होता है। यदि अन्य देशों में अतिरिक्त श्रम की स्थिति विद्यमान हो तो पूँजीवादी अपने अतिरेक को विपरीत प्रभाव से निम्नलिखित किसी एक विधि से बचा सकते हैं—

जब देश में श्रम की असीमित पूर्ति की स्थिति समाप्त हो जाती है तो पूँजीवादी असीमित श्रम वाले अन्य देशों से सम्बन्ध बनाते हैं। वे श्रमिकों का बड़े पैमाने पर आवास करते हैं या पूँजी का निर्यात करने लगते हैं—

(i) श्रमिकों का बड़े पैमाने पर आवास (Mass Immigration)—
सैद्धान्तिक दृष्टि से यह सम्भव है कि कुशल श्रमिकों का आवास (Immigration) देश के अनुकूल श्रमिकों की माँग को घटा सकता है, किन्तु व्यवहार में अत्यन्त कठिन है। अधिक सम्भावना इस बात की है कि इस प्रकार के आवास से नए विनियोगों और नए उद्योगों को सम्भावनाएँ बढ़कर पूर्ति की तुलना में सभी प्रकार के श्रम की माँग में वृद्धि कर सकती है।

(ii) पूँजी का निर्यात करना (Exporting Capital)—दूसरा उपाय ऐसे देशों को पूँजी का निर्यात करना है जहाँ जीवन निर्वाह मजदूरी के स्तर पर पर्याप्त मात्रा में श्रम शक्ति उपलब्ध हो। इससे पूँजी निर्यातक देश में श्रम की माँग कम हो जाती है और मजदूरी की दर गिरने लगती है यद्यपि इसके परिणामस्वरूप मजदूरी का जीवन स्तर और इस प्रकार वास्तविक मजदूरी बढ़ भी सकती है।

लेविस के विकास-प्रारूप का सारांश

‘असीमित श्रम-पूर्ति द्वारा आर्थिक विकास’ पर लेविस के लेख का सारांश इस प्रकार है¹—

“1 बहुत सी अर्थ-व्यवस्थाओं में निर्वाह मजदूरी पर असीमित मात्रा में श्रम उपलब्ध होता है। यह सस्थापित मॉडल था। यदि इन अर्थ-व्यवस्थाओं पर नव-सस्थापित मॉडल (जिसमें केन्द्रीय गॉडल भी सम्मिलित है) लागू किया जाए, तो उसके परिणामस्वरूप हमें बलत निष्कर्ष प्राप्त होंगे।

2 आर्थिक विकास की प्रगति के साथ-साथ श्रमिक मुख्यतः निर्वाहमूलक कृषि, अनियमित मजदूरी, छोटे व्यापार, घरेलू सेवा गृहिणियों तथा लड़कियों, तथा जनसंख्या की वृद्धि आदि साधनों से प्राप्त होते हैं। यदि देश के प्राकृतिक साधनों की तुलना में उसकी जनसंख्या अत्यधिक हो तो इन सब क्षेत्रों में तो नहीं किन्तु इनमें से अधिकांश में श्रम की सीमांत उत्पादित अत्यन्त कम अथवा शून्य अथवा ऋणात्मक भी होती है।

3 वह निर्वाह मजदूरी, जिस पर विनियोग के लिए देशी श्रम उपलब्ध होता है, निर्वाह के लिए कम से कम आवश्यक आय से सम्बद्ध प्रचलित मत द्वारा निर्धारित होती है, अथवा वह निर्वाहमूलक कृषि में प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन से कुछ अधिक हो सकती है।

4 ऐसी अर्थ-व्यवस्था में पूँजी-निर्माण के साथ-साथ पूँजीवादी क्षेत्र में रोजगार बढ़ता है।

5 पूँजी-निर्माण तथा तकनीकी प्रगति के परिणामस्वरूप मजदूरी नहीं बढ़ती प्रत्युत राष्ट्रीय आय में लाभो का भाग बढ़ता है।

6 किसी प्रविक्षित अर्थ-व्यवस्था में राष्ट्रीय आय की अपेक्षा बहुत कम होने का यह कारण नहीं होता कि उसकी जनता गरीब होती है, प्रत्युत यह कारण होता है कि राष्ट्रीय आय की तुलना में पूँजीपतियों के लाभ कम होते हैं। ज्यों-ज्यों पूँजीवादी क्षेत्र का विस्तार होता है, त्यो-त्यो खानों में सापेक्षत अधिक वृद्धि होती है, और अधिकाधिक अनुपात में राष्ट्रीय आय का पुनर्निवेश होता है।

7 न केवल लाभो अपितु उपार निर्माण के आधार पर पूँजी का निर्माण होता है। प्रस्तुत मॉडल के मुद्रा-स्फीति द्वारा किए जाने वाले पूँजी निर्माण की असल लागत शून्य होती है, और इस पूँजी की उतनी ही उपयोगिता होती है

जितनी अधिक उचित मानी जाने वाली विधि (अर्थात् लाभों के आधार पर) निमित्त पूँजी की।

8. युद्ध के लिए साधनों को प्राप्त करने के उद्देश्य से होने वाली स्फीति-संचयी होती है परन्तु उत्पादक पूँजी के निर्माण के उद्देश्य से की जाने वाली स्फीति स्वतः समाप्त होती है। पूँजी-निर्माण के साथ-साथ कीमतों में वृद्धि होती है, परन्तु ज्योंही इसका उत्पादन बाजार में आने लगता है, त्योंही कीमतें फिर गिरने लगती हैं।

9. पूँजीवादी क्षेत्र का इस प्रकार अनिश्चित काल तक विस्तार नहीं हो सकता, क्योंकि यह सम्भव है कि जनसंख्या की वृद्धि की तुलना में पूँजी संचय की गति अधिक तेज हो जाए। जब देशी श्रम खत्म हो जाता है, तो मजदूरी निर्वाह-स्तर से अधिक होने लगती है।

10. परन्तु इस देश के अतिरिक्त कुछ अन्य देशों में अब भी देशी श्रम उपलब्ध हो सकता है, परिणामतः ज्योंही यहाँ मजदूरी बढ़ने लगती है, त्योंही बहुत बड़ी मात्रा में होने वाले आप्रवास तथा पूँजी के निर्यात के कारण मजदूरी में वृद्धि की प्रवृत्ति कम हो जाती है।

11. अनुशल मजदूरों के सामूहिक आप्रवास के परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि भी सम्भव है, किन्तु इसके कारण सभी देशों में मजदूरी के सबसे अधिक गरीब देशों के निर्वाह-स्तर के समान होने की प्रवृत्ति होती है।

12. पूँजी के निर्यात के कारण देश में पूँजी निर्माण की गति कम हो जाती है और परिणामतः मजदूरी कम रहती है। यदि पूँजी के निर्यात के कारण श्रमिकों द्वारा आयात किए जाने वाले पदार्थ सस्ते हो जाएँ, अथवा प्रतियोगी देशों में मजदूरी लागतें बढ़ जाएँ, तो इस प्रवृत्ति का प्रतिकार हो जाता है। परन्तु, यदि पूँजी के निर्यात के परिणामस्वरूप आयात किए जाने वाले पदार्थों की लागत में वृद्धि हो अथवा प्रतियोगी देशों में लागतें कम हों, तो यह प्रवृत्ति अधिक प्रबल हो जाती है।

13. यदि विदेशी पूँजी के आयात के परिणामस्वरूप उन पदार्थों के उद्योगों में उत्पादितता न बढ़े, जिनका पूँजी आयात करने वाले अपने उपभोग के लिए उत्पादन करते हों, तो इसके कारण देशी श्रम वाले देशों में श्रमल मजदूरी नहीं बढ़ेगी।

14. उष्ण कटिबन्ध देशों के जीवन-स्तर की दृष्टि से उनके वाणिज्यिक पदार्थों के इतने सस्ते होने का यह प्रमुख कारण है कि इन देशों में खाद्य का प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत कम है। निर्यात उद्योगों में उत्पादितता की वृद्धि का प्रायः सारा लाभ देशी उपभोक्ताओं को प्राप्त होता है, परन्तु निर्वाहमूलक खाद्य उत्पादन में उत्पादितता की वृद्धि के परिणामस्वरूप वाणिज्यिक पदार्थ स्वाभाविकतः अधिक महंगे हो जाएँगे।

15 तुलनात्मक लागतो का सिद्धान्त वेशी श्रम वाले देशों में वैसे ही लागू होता है। परन्तु, यदि अन्य देशों के सन्दर्भ में यह सिद्धान्त मुक्त व्यापार का समर्थन करने वाले तर्कों का एक उचित आधार है, तो वेशी श्रम वाले देशों के सन्दर्भ में यह सरक्षण का समर्थन करने वाले तर्कों का समान रूप से उचित आधार है।”

आलोचनात्मक समीक्षा

लेविस-मॉडल की समालोचना करने पर हमें इसमें बहुत सी कमियाँ दिखाई देती हैं, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं—

1. प्रो लेविस के सिद्धान्त का आधार अर्द्ध-विकसित देशों में असीमित मात्रा में श्रम की पूर्ति है, किन्तु दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों में ऐसी परिस्थितियाँ उपस्थित नहीं हैं अतः इस सिद्धान्त का क्षेत्र सीमित है।

2. लेविस के सिद्धान्त का आधार अर्द्ध-विकसित देशों में उपलब्ध पर्याप्त अकुशल श्रम शक्ति है। उनके विचारों से कुशल श्रमिकों का अभाव एक अस्थायी अवरोध उपस्थित करता है जिसे श्रमिकों के प्रशिक्षण आदि के द्वारा दूर किया जा सकता है। किन्तु वस्तुतः पर्याप्त मात्रा में श्रम शक्ति के उचित प्रशिक्षण आदि में काफी समय लगता है और इस प्रकार कुशल श्रम शक्ति की कमी एक बड़ी कठिनाई उपस्थित करती है।

3. शुल्ट तथा लेवेन्स्टीन यह नहीं मानते कि कम विकसित देशों में श्रम की सीमान्त उत्पादकता शून्य होती है। यदि ऐसा होता तो मजदूरी की दरें भी लगभग शून्य पर आ जाती। इसी कारण यह ज्ञात करना बड़ा कठिन है कि कितने लोग आवश्यकता से अधिक (Surplus) हैं।

4. लेविस-मॉडल को कार्यान्वित करने में एक मुख्य कठिनाई यह है कि 'अतिरिक्त या आवश्यकता से अधिक (Surplus) जनसंख्या' को शहरो में आसानी से नहीं ले जाया सकता। कम विकसित देशों में श्रम-शक्ति इतनी गतिशील नहीं होती जितनी विकसित देशों में होती है। जातीय और धार्मिक बन्धन, पारिवारिक मोह आदि के कारण व्यावसायिक गतिशीलता बहुत कम रहती है। भाषा, जनाभाव, आवासीय समस्या, गिराशा, उत्साहहीनता, र्यान-विशेष से लगाव आदि के कारण भौगोलिक गतिशीलता बहुत कम पायी जाती है। कुशलता की कमी, प्रशिक्षण की कमी, अवसरों की असमानता आदि के कारण क्षैतिज (Horizontal) और लंबी (Vertical) गतिशीलता भी कम रहती है।

5. आज के युग में अर्द्ध विकसित अथवा कम-विकसित देशों में 'जीवन निर्वाह' योग्य मजदूरी हर समय देते रहना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त 'सम्पूर्ण विकास क्रिया-काल' में श्रम जीवन-निर्वाह योग्य मजदूरी पर ही कार्य करने को कठिनाई से ही तैयार होना है। वह बढ़ती हुई महँगाई का मुआवजा माँगता है लाभ में घपना हिस्सा चाहता है। 'न्यूनतम मजदूरी' से लेकर 'श्रम-कल्याण' के विविध महत्वपूर्ण नियम मजदूरों को सरक्षण देते हैं। अतः लेविस मॉडल के अनुसार केवल 'जीवन निर्वाह' के बराबर मजदूरी देते रहकर पूँजी निर्माण द्वारा विकास

करना सम्भव प्रतीत नहीं होता। संक्षेप में, लेविस के सिद्धान्त के अनुसार पूँजीपति वर्ग द्वारा लाभों को विनियोजित करते रहने से पूँजी संचय होता है। इसका आशय है कि यहाँ 'विनियोग गुणक' (Investment multiplier) क्रियाशील रहता है, किन्तु अर्द्ध-विकसित देशों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता।

6. अर्द्ध-विकसित देशों के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रम की माँग इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती, जितनी तेजी से कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त या सरप्लस श्रमिकों को काम देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, अर्द्ध-विकसित देशों में कृषि क्षेत्र में लगे व्यक्तियों को कृषि जो आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है वह औद्योगिक क्षेत्र में उसे नहीं मिल पाती और फलस्वरूप कृषि क्षेत्र से श्रमिकों के निकलने की प्रवृत्ति लोचदार नहीं रहती।

7. लेविस के विकास के इस द्वैध अर्थ-व्यवस्था वाले प्रारूप (Dual Economy Model) में कुल माँग (Aggregate Demand) की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस सिद्धान्त में यह माना गया है कि पूँजीवादी क्षेत्र में जो कुछ उत्पादन किया जाता है उसका या तो इसी क्षेत्र में उपभोग कर लिया जाता है या निर्यात कर दिया जाता है। किन्तु इससे निर्वाह क्षेत्र को धेँचे जाने की सम्भावना है और यदि ऐसा होता है तो विकास की प्रक्रिया पहले ही रुक सकती है।

8. कुजनेट्स की मान्यता है कि अर्द्ध-विकसित देशों में धन की असमानताएँ पहले से ही अधिक होती हैं, और यदि लेविस-मॉडल को अपनाया गया तो ये असमानताएँ और अधिक बढ़ जाएँगी। पायर एवं बाल्डविन का मत है कि धन की असमानताएँ बढ़ने से ही उत्पादक विनियोजन में वृद्धि नहीं हो जाती, क्योंकि अर्द्ध-विकसित देशों में बचतकर्ता प्रायः जमींदार और पूँजीपति होते हैं जो अपने धन को भूमि के सट्टे, सोने-चाँदी के संचय आदि में लगा देते हैं।

9. एस. जे. पटेल तथा यू. एन. शोर के सन् 1960 के सर्वेक्षण के अनुसार लेविस की यह धारणा ठीक नहीं है कि अर्द्ध-विकसित देशों में केवल सम्पन्न या धनी व्यक्ति ही बचत करते हैं। सर्वेक्षण यह बताता है कि जहाँ जापान, कांगो, बर्मा आदि देशों में कम आय वाले भी बचत करने के प्रति उत्साही हैं, वहाँ चिली, प्यूरटोरिको जैसे कम-विकसित देशों में अधिक आय वाले भी कम बचत करते पाए गए हैं।

10. जूलियो एच. जी. थोलीवर के अनुसार लेविस का यह दावा अमान्य है कि अर्द्ध-विकसित देशों में मुद्रा-स्फीति स्वयं नष्ट हो जाएगी। इन देशों में विभिन्न संरचनात्मक जटिलताओं के कारण उत्पादन उतनी आसानी से नहीं बढ़ता जितनी आसानी और तेजी से इन देशों में मुद्रा स्फीति फैल सकती है। इन अर्थ-व्यवस्थाओं में कृषि उपज बेरोचदार रहती है। इसके अतिरिक्त अर्द्ध-विकसित देशों में राज्य की कर-व्यवस्था भी इतनी परिपक्व नहीं होती कि बड़ी हुई आय को करों द्वारा कम या सन्तुलित किया जा सके।

इन विभिन्न दोषों के बावजूद भी लेविस के इस विकास-आरूप की यह विशेषता है कि इसमें विकास प्रक्रिया को स्पष्ट रूप में समझाया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि पूँजी की कमी और श्रमिकों की बहुलता वाले अर्द्ध-विकसित देशों में पूँजी-संचय किस प्रकार होता है। इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त के सदस्य में किए गए 'साख-प्रसार' (Credit Inflation) जनसंख्या वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रीय तथा तकनीकी प्रगति सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन भी वास्तविकता लिए हुए है।

हैरड-डोमर मॉडल (The Harrod-Domar Model)

हैरड और डोमर ने पूँजी-संचय (Capital Accumulation) को आर्थिक वृद्धि के अपने मॉडल में निर्णायक चल (Crucial Variable) के रूप में लिया है। पूँजी-संचय को वे विनियोग का फलन मानते हैं तथा विनियोग की दो भूमिकाओं की विवेचना करते हैं—(1) विनियोग आय का निर्माण करता है, और (2) यह उत्पादन क्षमता (Productive Capacity) में वृद्धि करता है। इन मॉडलों में प्रमुख परिकल्पना यह है कि प्रारम्भ में आय का सतुलित स्तर यदि पूर्ण रोजगार के बिन्दु पर है तो प्रतिवर्ष सतुलन के इस स्थायित्व को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि विनियोग द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त क्रय-शक्ति की मात्रा इतनी होनी चाहिए जो विनियोग द्वारा बढ़ाए गए उत्पादन को खपाने (Absorb) के लिए पर्याप्त हो। यदि वास्तविक आय बढ़ती नहीं है, बल्कि स्थिर रहती है तो इस स्थिति के निम्नलिखित प्रभाव होंगे—

- (1) नई पूँजी अप्रयुक्त रहेगी।
- (2) नई पूँजी का उपयोग पूर्व उत्पादित पूँजी की लागत पर होगा।
- (3) नई पूँजी का श्रम के लिए प्रतिस्थापन किया जाएगा।

इस प्रकार, यदि पूँजी-संचय के साथ आय में वृद्धि नहीं होती है तो इसका परिणाम यह होगा कि श्रम और पूँजी दोनों ही अप्रयुक्त (Unemployed) रहेंगे। अतः विनियोग वस्तुओं की अधिकता व बेरोजगार श्रम की स्थिति से अर्थव्यवस्था को मुक्त रखने के लिए आय में स्थायी व निरन्तर वृद्धि आवश्यक है। दूसरे शब्दों में जिस समस्या का इन मॉडलों में अध्ययन किया गया है, वह यह है कि क्या कोई ऐसी स्थायी निरन्तर विकास-दर सम्भव है जो दोहरा पूर्ण रोजगार मूल्यदर्शक (The double full employment criterion) को पूर्णतः करती है अर्थात्, जिसके कारण पूँजी व श्रम के लिए पूर्ण रोजगार की स्थिति कायम रहती है। हैरड व डोमर के मॉडल समान निष्कर्षों पर पहुँचते हैं, अतः इनका मॉडल संयुक्त रूप में आधारभूत हैरड डोमर मॉडल (Basic Harrod-Domar Model) के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल का सामान्य लक्ष्य, पूर्ण क्षमता सम्बन्धी स्टॉक की शर्त (Full Capacity Stock Condition) तथा बचत/विनियोग सम्बन्धी बहाव की शर्त (Flow Condition of Saving/Investment) के साथ वस्तु-बाजार (Product Market) में सतुलन रखना तथा इसके साथ श्रम-बाजार के सन्तुलन को सम्बद्ध करना है।

मान्यताएँ (Assumptions)

हैरड-डोमर मॉडल की निम्नलिखित मान्यताएँ हैं—

1. केवल एक प्रकार की वस्तु का उत्पादन होता है अर्थात् कुल आय अथवा उत्पादन एक समरूप प्रकृति अथवा प्राकृति का होता है (Total income is a homogeneous magnitude) ।
2. पूँजी के स्टॉक तथा आय में एक निश्चित तकनीकी सम्बन्ध (a fixed technological relationship) होता है ।
3. आय में बचत का अनुपात स्थिर रहता है अर्थात् बचत की औसत प्रवृत्ति व सीमान्त प्रवृत्ति परस्पर समान होती है अर्थात् $APS = MPS$ पूँजी गुणांक (Capital Coefficient) स्थिर रहता है ।
4. विनियोग तथा उत्पादन क्षमता की उत्पत्ति के मध्य कोई विशेष समयान्तर (Significant time-lag) नहीं होता है ।
5. राष्ट्रीय उत्पादन के केवल दो ही उपयोग होते हैं—
 - (i) उपभोग (Consumption)
 - (ii) विनियोग (Investment)
6. केवल एक ही उत्पादन-कारक पर विचार होता है अर्थात् केवल पूँजी का ही विवेचन किया जाता है ।
7. पूँजी का ह्रास नहीं होता है अर्थात् पूँजी के स्टॉक की जीवनावधि अनन्त होती है ।
8. श्रम शक्ति में एक स्थिर दर (Constant rate) से वृद्धि होती है तथा इस वढी हुई श्रम शक्ति के लिए वस्तु-बाजार में पूर्ण माँग रहती है ।
9. पूँजी व श्रम दोनों में पूर्ण रोजगार की स्थिति रहनी है ।
10. विदेशी व्यापार नहीं होता है और न ही किसी प्रकार का राजकीय हस्तक्षेप होता है ।
11. हैरड मॉडल में 'बचत व विनियोग' वास्तविक अथवा 'एक्सपोस्ट' (Expost) के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं ।

हैरड डोमर मॉडल को पूर्णतः समझने के लिए हैरड व डोमर के मॉडलों का पृथक्-पृथक् विवेचन आवश्यक है ।

हैरड-मॉडल (The Harrod Model)

हैरड मॉडल प्रतिष्ठापित सत्य $S = I$ (बचत = विनियोग) के साथ प्रारम्भ होता है । इसे हैरड निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं—

$$GC = S$$

उपरोक्त समीकरण इस तथ्य को प्रतिपादित करता है कि "विकास दर त्वरक और बचत की सीमान्त प्रवृत्ति का अनुपात होती है, अथवा वास्तविक बचत विनियोगों के बराबर होगी ।" अतः

एक्सपोस्ट (Expost) अर्थ मे वास्तविक विनियोग आवश्यक रूप से प्राप्त वचत (Realized Savings) के बराबर होता है : इस प्रकार

$$SY_t = C(Y_t - Y_{t-1}) \quad (1)$$

प्राप्त विकास दर (Realized rate of growth) को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

$$G = Y_t - Y_{t-1} \quad (2)$$

समीकरण (1) के दोनो पक्षो को $C Y_t$ से विभाजित करते हुए—

$$\frac{S}{C} = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_t}$$

और इससे हम निम्न Identity प्राप्त कर लेते हैं—

$$G = \frac{S}{C} \quad \text{or} \quad GC = S$$

हेरड की यह मान्यता है कि एक्सपोस्ट वचतें (Expost Saving) सदैव एक्सएन्टे पूर्ण रोजगार के स्तर (Exante full employment level) के बराबर होगी। किन्तु विनियोजित की जाने वाली राशि स्वयं मे इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि प्राप्त विकास दर के कारण न तो पूँजी का अर्वाञ्छित सचय (Unintended accumulation) ही हो और न ही पूँजी के वर्तमान स्टॉक मे ही किसी प्रकार की कमी आए। यदि अर्वाञ्छित सचय होता है तो वास्तविक आय अपेक्षाकृत कम होगी और वचत वांछित स्तर से नीचे गिर जाएँगी, क्योंकि उत्पादन मे वृद्धि द्वारा समस्त वर्तमान विनियोग राशि का उपयोग नहीं हो सकेगा। पूँजी के अर्वाञ्छित ह्रास की स्थिति मे, वचत वांछित स्तर से अधिक होगी और उत्पादक यह अनुभव करने लगेंगे कि उत्पादन मे वृद्धि के अनुपात मे, उन्होंने पर्याप्त विनियोजन नहीं किया है। किन्तु यदि हम यह मानते हैं कि $S_t = S_t^e$ तो उत्पादको द्वारा किया जाने वाला विनियोजन उत्पादन मे वृद्धि की दृष्टि से उचित प्रमाणित होगा। इस वाञ्छित्य के कारण वे त्वरक C_r के अनुरूप विनियोजन करना चाहेगे, जो विनियोग की गत समानुपाती दर C (Past Proportional rate C) के बराबर होगा, क्योंकि वे वास्तव मे प्राप्त विकास दर के बराबर भावी विकास दर को जारी रखना चाहते हैं। इसलिए भावी वास्तविक विकास दर आवश्यक विकास दर के रूप में जारी रहेगी। इस प्रकार, जब तक $C_r = C$, तब तक प्राप्त विकास दर (G) वांछित विकास दर (G^w or Warranted Growth Rate) के बराबर होगी। इन सम्पूर्ण व्यवस्था को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है, $C_r = C$, तब $G = G^w$ तथा सभी अपेक्षाएँ इसमे पूरी होती ह। अब

$$G = \frac{S}{C} = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_t} \quad \text{और} \quad G^w = \frac{S}{C_r} = \frac{Y_{t+1} - Y_t}{Y_{t+1}}$$

जब $G = G^0$, तब $G_{t+1} = G_t$

$G = G^0$ होने पर, व्यवस्था इस प्रकार के विकास पथ से वंच जाती है जिससे उत्पादन में परिवर्तन की वास्तविक दर के फलन के रूप में विनियोग सदैव उत्पादन के वर्तमान स्तर पर प्राप्त वचनों के बराबर होगा।

संतुलन की आवश्यकताओं को पुनः निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है—

$$\frac{\Delta Y}{Y} \cdot \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{S}{Y}$$

जो $GC = S$ अथवा $\frac{\Delta K}{Y} = \frac{S}{Y}$ है।

अब चूंकि $\frac{\Delta K}{\Delta Y}$ वह पूंजी-स्टॉक है, जो उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि के लिए आवश्यक है, अन्य शब्दों में वांछित विनियोग की यह वह राशि है, जो वर्तमान वचत के बराबर होनी चाहिए। इसलिए इसे हम निम्न प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं—

$$\frac{\Delta K}{Y} = \frac{I}{Y} = \frac{S}{Y}$$

संतुलन मार्ग की सन्तुष्टि के लिए आवश्यक शर्तों से सम्बन्धित विभिन्न विधियों (Approaches) को निम्नलिखित सारणी में स्पष्ट किया गया है।

सारणी-1. सन्तुलन-शर्तें (Equilibrium Conditions) 1

शर्त (Condition)	संरचनात्मक प्राचल (Structural Parameters)		वांछित विकास दर (Required Growth Rate)			
	$\frac{S}{Y}$	$\frac{\Delta K}{\Delta Y}$	$\frac{\Delta Y}{Y}$	$\frac{S}{Y}$	$\frac{\Delta K}{\Delta Y}$	$\frac{\Delta Y}{Y}$
(1) $\frac{S}{Y} = \frac{\Delta Y}{Y}$, $\frac{\Delta K}{Y} = \frac{\Delta K}{Y}$, $S = I$	4	0.05	0.20			
(2) $\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{S}{Y}$, $G = \frac{S}{C}$	0.20	4				0.05
(3) $\frac{\Delta K}{Y} = \frac{S}{Y}$, $C = \frac{S}{G}$	0.20		0.05			4

सारणी-1, पैल 1 में, विकास दर या आय वृद्धि $= 0.05$ प्रति अवधि और सीमान्त पूँजी-प्रदा अनुपात $= 4$ होने पर, इस विकास दर को बनाए रखने के लिए, बचत और विनियोग आवश्यक होंगे $= 20\%$ [$I = 4(0.05) = 0.20 = S$] यदि इस राशि से कम या अधिक बचत रहती है तो तदनु रूप ही आय में वृद्धि की दर 5% से अधिक अथवा कम रहेगी, परिणामस्वरूप, विनियोगों का परिवर्तन अनिवार्य होगा और इस परिवर्तन के कारण विकास दर भी बदल जाएगी।

पैल 2 के अनुसार, यदि संरचनात्मक प्राचल (Structural Parameters) अर्थात् बचत $\left(\frac{S}{Y}\right)$ और सीमान्त पूँजी-प्रदा अनुपात $\left(\frac{\Delta K}{\Delta Y}\right)$ दिए हुए होते हैं तो विकास दर ज्ञात हो जाती है ($i.e. G = \frac{S}{\Delta K} = 0.05$)। इस विकास दर का स्थायी बने रहना प्राचलों के स्थायित्व (Stability) पर निर्भर करता है।

पैल 3 के अनुसार, यदि कोई भी दो चल (Variables) दिए हुए होते हैं, तो आवश्यक तीसरा चल ज्ञात किया जा सकता है। जैसे $\frac{S}{Y}$ अथवा I (विनियोग) $= 20$ तथा विकास दर $\left(\frac{\Delta Y}{Y} \text{ or } G\right) = 0.05$ दिए हुए हैं। इनकी सहायता से तीसरा चल-सीमान्त पूँजी प्रदा-अनुपात $\left(\frac{\Delta K}{\Delta G}\right)$ इस प्रकार ज्ञात किया गया है—


$$\frac{20}{0.05} = 4$$

उपरोक्त सन्तुलन पथ की पूर्ण रोजगार-पथ के रूप में विवेचना इसलिए नहीं की गई है क्योंकि यह मान्यता आवश्यक नहीं है कि केवल पूर्ण रोजगार की अवस्थाओं के अन्तर्गत ही स्थायी व निरन्तर विकास दर की विशेषताओं (Properties) का स्वतः संचालन सम्भव होना है। उदाहरणार्थ, हिक्स की EE रेखा (Hicksian EE line) पूर्ण रोजगार से पूर्व-स्थिति में भी स्थायी विकास (Steady growth) को दर्शाती है। पूर्ण रोजगार की मान्यता के लिए, प्रारम्भिक शर्त (Initial condition) के रूप में यह मान कर चलना आवश्यक है कि $G =$ पूर्ण रोजगार के है, अथवा हैरड की शब्दावली में यह कहा जाना चाहिए कि $G = G_n$ G_n का आशय स्वाभाविक विकास दर (Natural Growth Rate) से है। यह वह दर (Rate of advance) है जिसकी अधिकतम सीमा जनसंख्या की वृद्धि और तकनीकी सुधारों पर आधारित होती है। इसे एक अन्तिम उच्चतम विकास दर (Ceiling Growth Rate) के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जो G के अधिकतम औसत मूल्य की सीमा निर्धारित करती है। $G = G_n = G_n$ सन्तुलन मार्ग के निर्धारण के लिए ह्रास को न केवल स्वतन्त्र रूप से निर्धारित S और C चलों के ही संयोग को लेना चाहिए बल्कि साथ ही यह भी निश्चित कर लेना

चाहिए कि विकास की यह दर तथा वह दर जिससे श्रम-शक्ति में वृद्धि होती है, परस्पर बराबर हैं। श्रम-शक्ति की वृद्धि दर अधिकांशतः उत्पादन की वृद्धि से स्वतन्त्र होती है। इसका निर्धारण डेमोग्राफिक शक्तियों द्वारा होता है।

ज्यामितीय विश्लेषण द्वारा इस स्थिति को और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है।

चित्र 4



मॉडल का ज्यामितीय विश्लेषण¹

(Geometric Analysis of the Model)

चित्र-4 में Y_0 से Y_1 तक उत्पादन में परिवर्तन (ΔY) प्रेरित (Induced) विनियोग की Y_1 पर वास्तविक राशि $= I_1 = S_1 (Y_1)$ होगी। विनियोग की इस राशि से उत्पादित आय $= Y_2$ होगी। पुनः उत्पादन में परिवर्तन i.e. $Y_2 - Y_1 = \Delta Y_2$ से प्रेरित विनियोग की राशि $I_2 = S_2 (Y_2)$ होगी। टूटी हुई विनियोग रेखा (Dashed Investment Line) नया Y -अक्ष के समानान्तर दोस रेखा का कटाव बिन्दु (Intersection Point) उस आवश्यक विनियोग को प्रदर्शित करता है जो आय वृद्धि के कारण किया जा रहा है (i. e., it indicates the required investment that is forthcoming)। "अदि हम विनियोग गुणांक (Investment coefficient) में किसी परिवर्तन के न होने को मान्यता सेते है तो बचत का अनुपात जितना अधिक होगा, उतनी ही अधिक वृद्धि-दर उत्पादन अथवा आय में होनी चाहिए जिससे सन्तुलन के लिए पर्याप्त विनियोग प्रेरित हो सके।"²

1. *H Fishin: A Geometric Analysis of Recent Growth Models*, AER. 42, Sept., 1952, pp 594-595

2. "The greater the proportion of savings, the greater must the rate of increase in output be to induce sufficient investment to maintain Equilibrium, if we assume no change in the investment coefficient".

—ibid, p. 261.

सारणी-2 में उन विभिन्न विकास-दरों को दर्शाया गया है जो S और C (S =वचत की सीमान्त प्रवृत्ति और C =पूर्वी प्रदा अनुपात) के विभिन्न संयोगों (Different Combinations) पर आवश्यक होते हैं।

सारणी-2. भिन्न शर्तों के अन्तर्गत आवश्यक विकास दर¹
(Required Growth Rate under Different Combinations)

S	C			
	$\frac{1}{2}$	1	4	10
0	0	0	0	0
0.10	0.20	0.10	0.025	0.01
0.20	0.40	0.20	0.05	0.02

यदि $S=10$ और $C=4$ हो तो $G=20$ होगी, किन्तु $S=20$ होने पर G ($G=20$) को स्थिर रखने के लिए C को $\frac{1}{2}$ से बढ़ाकर 1 किया जाना आवश्यक होगा। परन्तु यदि हमको सारणी का विश्लेषण उत्पादन में आवश्यक वृद्धि दर के रूप में करना है, तो वचत का अनुपात—10 के दिए हुए होने पर, पूर्वी-प्रदा-अनुपात में $\frac{1}{2}$ की कमी, अर्थात् 1 से $\frac{1}{2}$ होने की स्थिति में, सन्तुलन कायम रखने के लिए विकास-दर में 100 प्रतिशत वृद्धि आवश्यक होती है। अर्थात् किसी भी हुई औसत वचत प्रवृत्ति (APS) का त्वरक गुणांक (Acceleration Coefficient) जितना कम होगा, उतना ही अधिक पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाए रखने के लिए पर्याप्त विनियोग को प्रेरित करने के उद्देश्य से विकास-दर को ऊँचा रखना होगा। इसके अतिरिक्त, जैसा कि सारणी में प्रदर्शित किया गया है, जितना ऊँचा गुणांक (C) होगा, उत्पादन में वृद्धि-दर उतनी कम होगी—जब $C=\frac{1}{2}$, तब $G=40$ है और जब $C=10$ है तब $G=0.2$ है। उदाहरणार्थ, विनियोग फलन जितना अधिक लेटा हुआ (Flatter) है उतना ही अन्तर Y के स्तरों में पाया जाता है, यद्यपि कि, $S=1$ हो।

डोमर मॉडल (The Domar Model)

हैरड के मॉडल को सरलता से डोमर के मॉडल में परिवर्तित किया जा सकता है। दोनों के ही मॉडल यह प्रतिपादित करते हैं कि पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए, पूर्ण रोजगार के स्तर वाली आय से प्राप्त वांछित वचत की राशि वांछित विनियोगों के बराबर होनी चाहिए। डोमर मॉडल का मूल प्रश्न यह है कि बढ़ते हुए पूर्वी सचय से प्रतिकूलित बढ़ती हुई उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए किस दर से अर्थव्यवस्था का विकास किया जाना चाहिए? इसके विपरीत हैरड मॉडल में अन्तर्निहित प्रश्न इस प्रकार है कि अर्थव्यवस्था में किस दर

1 Paul A. Samuelson 'Dynamic Process Analysis', Survey of Contemporary Economics, H S Ellis (Ed), AEA-Series, p 362

से वृद्धि होनी चाहिए कि विनियोजक विनियोजन की अपनी वर्तमान दर को जारी रखने में औचित्य का अनुभव करें। डोमर जहाँ बदलती हुई उत्पादन-क्षमता के तकनीकी प्रभाव से सम्बन्ध रखते हैं, वहाँ हैरड अपने को मूलतः विनियोग निर्णयो पर केन्द्रित रखते हैं।

मॉडल की विवेचना (Interpretation of Model)

उक्त मॉडल में—

σ = उत्पादन क्षमता में वृद्धि + नए विनियोग की राशि। सामान्यतः σ का मूल्य विनियोग के मूल्य से भिन्न होगा, क्योंकि नई उत्पादन-क्षमता के एक अंश के लिए वर्तमान सुविधाएँ (Existing facilities) उत्तरदायी होती हैं। इस प्रकार—

$I\sigma$ = अर्थव्यवस्था की 'उत्पादन सम्भावना' (Productive Potential)

I में परिवर्तन से गुणाक द्वारा कुल माँग (Aggregate demand) में परिवर्तन होता है, जिसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है—

$$\Delta Y = \frac{I}{S} \cdot \Delta I,$$

जहाँ $\frac{I}{S}$ = गुणाक, ΔI = विनियोग परिवर्तन, ΔY = माँग में वृद्धि, S = बचत की सीमान्त प्रवृत्ति या MPS । विनियोग में परिवर्तन तथा साथ ही, उत्पादन-क्षमता में भी वृद्धि उत्पन्न करता है, जिसे $I\sigma$ से दर्शाया जाता है। व्यवस्था में उत्पादन-क्षमता में न आधिक्य की स्थिति रहे और न न्यूनता की, इसके लिए कुल माँग व कुल पूर्ति की सापेक्ष वृद्धि दरें, स्थिर रहनी चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि—

$$\Delta I \cdot \frac{I}{S} = \sigma I$$

उपरोक्त समीकरण के दोनो पक्षों को S से गुणा करते हुए और I से विभाजित करने पर प्राप्त परिणाम होगा—

$$\frac{\Delta I}{I} = \sigma S$$

इस समीकरण से स्पष्ट है कि पूर्ण क्षमता के उपयोग का संतुलन मार्ग अभी बना रह सकता है, जबकि विनियोग में सापेक्ष परिवर्तन की दर विनियोग की उत्पादकता दर के बराबर रहती है। यदि यह दर कम है अर्थात् जब $\frac{\Delta Y}{Y} < \sigma S$ परिणाम अतिरिक्त क्षमता की उत्पत्ति होगा। आय का वर्तमान पर्याप्त स्तर कल और भी अधिक आय के स्तर की आवश्यकता पैदा करेगा। अर्थव्यवस्था के निर्वाच्य गति से चलते रहने के लिए विनियोग-दर का तीव्र गति से निरंतर बढ़ते रहना आवश्यक होगा।

मॉडल का गणितीय उदाहरण¹

(Numerical Example of the Model)

यदि हम यह मानते हैं कि $S=0.25$ और $\sigma=0.10$ तो \$ 10 के नए विनियोग से \$ 1 के बराबर नई उत्पादन क्षमता का निर्माण होता है। निम्नलिखित सारणी में $t=1$ अवधि से सतुलन की स्थिति प्रारम्भ करते हुए, हम देखते हैं कि यदि विनियोग में $\sigma S=2.5\%$ की वांछित दर से वृद्धि होती है तो प्रत्येक अवधि में उत्पादन-क्षमता की वृद्धि को पूर्ण उपयोग में रखने के लिए, आय में जो परिवर्तन होता है, वह पर्याप्त होगा। दूसरी अवधि में पूँजी का स्टॉक $400(0.025)=\$10$ से बढ़ता है, जिसके कारण उत्पादन-क्षमता में $10(0.10)=1$ की वृद्धि होती है। $t=2$ अवधि में 2.5% की दर से विनियोग बढ़कर 10.25 हो जाता है। इस विनियोग से वास्तविक माँग में जो वृद्धि होगी, वह बड़ी हुई क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए आवश्यक है, किन्तु इस प्रक्रिया के क्रम में $t=3$ अवधि में पूँजी का स्टॉक बढ़कर 420.25 हो जाता है तथा उत्पादन क्षमता 1.025 से बढ़ जाती है। इस बड़ी हुई उत्पादन-क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए विनियोग 2.5% की दर से बढ़कर 10.506 हो जाएगा। इस प्रकार जब तक विनियोग में वांछित दर से वृद्धि जारी रहती है, पूर्ण क्षमता वाला पथ सतुलित बना रहता है (The full capacity path is maintained as long as investment keeps rising at the required rate)

सारणी के पैनेल B में विनियोग स्थिर रहता है। इस स्थिति में हम यह देखने हैं कि प्रत्येक अवधि में उत्पादन क्षमता (Output Capacity) और वास्तविक माँग (Actual Demand) का अन्तर बढ़ता जाता है। यह स्थिति डोमर के मूल वृष्टिकोण को इन शब्दों में स्पष्ट करती है, 'जब प्रत्येक अवधि में विनियोग और आय स्थिर रहते हैं, तब क्षमता निरन्तर बढ़ती जाती है। इस क्रम में एक ऐसा बिन्दु आ पहुँचिगा जिस पर साहसियों की अपेक्षित प्रत्याशाओं (Anticipations) के पूरा न होने पर विनियोग में गिरावट की प्रवृत्ति प्रारम्भ होने लगती है। इस प्रकार विकास त्रय की समाप्ति विनियोगों में गिरावट लाने के लिए पर्याप्त है (Thus a cessation of growth is sufficient to cause a decline)।'


पैनेल C के अनुसार विनियोग में वृद्धि की धीमी दर से उत्पादन क्षमता में अतिरिक्त की स्थिति उत्पन्न होती है, पूँति और माँग में अन्तर स्पष्ट होता जाता है, क्योंकि विनियोग में 2.5% के स्थान पर केवल 1% से ही वृद्धि होती है।

डोमर-मॉडल की स्थितियाँ (The Domar Model Conditions)¹

<i>t</i>	पूँजी का स्टॉक (Capital Stock)	क्षमता-उत्पादन (Capacity Output) पूर्ति (Supply)	माँग (Demand)	उपभोग (Consumption)	विनियोग (Investment)
पैनल A					
1	400	40	40	30	10
2	410	41	41	30.75	10.25
3	420.25	42.025	42.025	31.518	10.506
पैनल B					
1	400	40	40	30	10
2	410	41	40	30	10
3	420	42	40	30	10
पैनल C					
1	400	40	40	40	10
2	410	41	40.4	30.3	10.1
3	420.1	42.01	40.08	30.6	10.2

डोमर-मॉडल के संतुलन-मार्ग को निम्न चित्र द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है—

चित्र—5



चित्र-5 में I_0 और S_0 का कटाव बिन्दु (Intersection point) ग्राम का पूर्ण-क्षमता स्तर (Full-capacity level of income) प्रदर्शित करता है। इसके

1. H. Pilsin : op. cit., quoted from Stanley Bober, op. cit., p. 267.

अतिरिक्त, टूटी हुई लम्बवत् रेखा (The vertical dashed line) I_0 विनियोग के परिणामस्वरूप S_0P_0 मात्रा से बढ़ी हुई उत्पादन-क्षमता को प्रदर्शित करती है। उत्पादन क्षमता में इस वृद्धि के कारण आय में भी इसी दर से वृद्धि आवश्यक हो जाती है। जब विनियोग I_0 से घटकर I_1 हो जाता है तब जिस दर से आय बढ़ती है, उससे $I_1 S_1$ पर नया सतुलन स्थापित हो जाता है। इस नए सतुलन पर आय वृद्धि की सीमा S_2P_2 हो जाती है तथा विनियोग राशि में भी वांछित परिवर्तन आवश्यक हो जाता है।

उक्त धिक्चन से स्पष्ट है कि—

1 क्षमता गुणांक (Capacity coefficient) जितना कम होता है अथवा क्षमता रेखा (Capacity Line) का ढाल जितना अधिक (Steeper) होता है, विनियोग मात्रा में उतना ही कम परिवर्तन आवश्यक होता है।

2 किसी दिए हुए क्षमता गुणांक पर, बचत रेखा जितनी ढालू होगी जितनी अथवा जितनी अधिक बचत की सीमान्त प्रवृत्ति होगी, विनियोग राशि उतनी ही अधिक सतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होगी।

3 जिस प्रकार हैरड मॉडल में जब एक बार अर्थव्यवस्था सतुलन के मार्ग से हट जाती है, तब बचन, फलन और विनियोग फलन में परिवर्तन के मध्य नीति-विकल्प (Policy Choices) रहते हैं, किन्तु डोमर मॉडल हमको σ तत्त्व के रूप में विनियोग के लिए तकनीकी आधार के प्रति सतर्क करता है।

दोनों मॉडल में परस्पर सम्बन्ध

(Relation between two Models)

डोमर मॉडल में

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \Delta I \left(\frac{I}{S} \right) = \text{Demand (माँग)}$$

$$\frac{\Delta I}{I} = \sigma I = \text{Supply (पूर्ति)}$$

$$\text{और } -\frac{\Delta Y}{Y} = \sigma I = G_r \text{ (Required Growth Rate)}$$

इस प्रकार के सतुलन-मार्ग में $S=I$ होता है। यदि I से S अधिक या कम होता है तो इसके परिणामस्वरूप आवश्यक स्तर से कम अथवा अधिक उत्पादन-क्षमता की स्थिति उत्पन्न होनी है अथवा विनियोग-दर बहुत अधिक अथवा बहुत कम रहती है। डोमर साहसियों को कोई ऐसा व्यवहार करने का गुभाप प्रस्तुत नहीं करते हैं, जो उनके लिए विनियोग की मात्रा के उचित परिवर्तन की निश्चयात्मकता का आधार बनता हो। वे केवल उस राशि का उल्लेख करते हैं, जिससे विनियोग की मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए।

हैरड मॉडल में—

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \Delta I \left(\frac{I}{S} \right) = \text{Demand (माँग)}$$

$$\frac{\Delta I}{I} = \frac{S}{C} = \text{Supply (पूर्ति)}$$

$$\text{और } \frac{\Delta Y}{Y} = \frac{S}{C_r} = G_w \text{ (Warranted Rate of Growth)}$$

इस प्रकार के संतुलन में $S=I=C_r$ । यदि $I \geq S$ है तो साहसी अपने गत विनियोग निर्यातों पर असंतुष्ट होते हैं इसलिए विनियोग को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं। हैरड साहसियों के लिए इस प्रकार के आचरण भ्रमवा कार्य करने की प्रेरणा प्रस्तुत करते हैं, जिसके करने पर विकास की उचित दर जारी रहती है और विकास की दर के फलस्वरूप विनियोग में उचित परिवर्तन स्वतः प्रेरित होता है, जबकि डोमर मॉडल में विनियोग की उचित राशि एक बाह्य चल या तत्त्व (Exogeneous Variable or Element) के रूप में प्रयुक्त होती है।

दोनों के संतुलन भागों को परस्पर सम्बन्धित करते हुए हम यह पाते हैं कि डोमर-मॉडल की निरन्तर बढ़ती हुई उत्पादन-क्षमता, प्रेरित विनियोग की उचित राशि का परिणाम होती है, अर्थात्

$$\frac{\Delta I}{I} = \sigma I = \frac{S}{G_r}$$

और विकास की वह दर भी जो क्षमता को बहन करती है, साहसियों के गत निर्यातों के औचित्य को प्रमाणित करती है, अर्थात्

$$G_r = G_w = G.$$

मॉडल की अर्द्ध-विकसित व्यावहारिकता (Applicability of the Models for UDCs)

प्रथम, मॉडल में 'अस्थायित्व' (Instability) की समस्या वास्तव में अर्द्ध-विकसित देशों की नहीं बल्कि विकसित देशों की समस्या है। अर्द्ध-विकसित देशों की समस्या स्वयं 'आर्थिक वृद्धि' (Growth) है।

द्वितीय, इस मॉडल में 'सैक्यूलर स्टेगनेशन' (Secular Stagnation) की विवेचना की गई है, जो कम आय वाले देशों की विशेषताओं के अन्तर्गत नहीं आता है।

इसके अतिरिक्त ये प्रयुक्त चल अर्थव्यवस्था के समष्टि स्वरूप को दर्शाते हैं। समूहों (Aggregates) के आधार पर निर्मित मॉडल क्षेत्रों के मध्य अन्त-सम्बन्धों को प्रदर्शित नहीं कर सकता है इसलिए अर्द्ध-विकसित देशों की अर्थ-व्यवस्थाओं में विकासजन्य-संरचनात्मक परिवर्तनों को प्रस्तुत करने में अनुपयुक्त होता है।

अधिक्रीकृत ये मॉडल मान्यताओं एवं Abstractions पर आधारित हैं, इसलिए यथार्थता से दूर हैं।

उत्पादन फलन को स्थिर माना गया है, इसलिए उत्पादन-कारकों में परस्पर प्रतिस्वागान के लिए इन मॉडलों में कोई स्थान नहीं है।

यद्यपि अर्द्ध विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए इन मॉडलों की व्यावहारिकता बहुत कम है, तथापि कुल मिलाकर आय, विनियोग और बचन के लक्ष्यों के सम्बन्ध में एक उचित जानकारी प्रदान करने में बड़े उपयोगी हैं। साथ ही इन लक्ष्यों की पारस्परिक अनुकूलता (Consistency) के परीक्षण हेतु भी ये मॉडल उपयुक्त समझे जाते हैं। कम आय वाले देश मुद्रा-प्रसार के प्रति बड़े Susceptible होते हैं, इस तथ्य की विवेचना भी इन मॉडलों में की गई है। इन देशों में विनियोग-दर में अल्प वृद्धि के परिणाम अथवा प्रभाव अत्यधिक तीव्र होते हैं, क्योंकि प्रारम्भिक विनियोग दर एवं विकास-दर बहुत निम्न होती है। इस तथ्य का प्रतिपादन भी इन मॉडलों में समुचित रूप से किया गया है। इस प्रकार, मूलतः विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं से सम्बन्धित होते हुए भी हैरड-डोमर मॉडल की अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए उपयोगिता है।

हिक्स द्वारा हैरड-मॉडल की समालोचना
(Hicks's Comments on Harrod

Type Macro Dynamics)

प्रो हिक्स के शब्दों में, "किसी ऐसी अर्थ-व्यवस्था की क्रियाओं को, जिसमें सम्पूर्ण विनियोजन प्रेरित विनियोजन होता है, समझना एक दिलचस्प स्थिति है।" प्रो हिक्स ने हैरड-डोमर मॉडलों की निम्नलिखित समालोचनाएँ प्रस्तुत की हैं—

1 पूँजी की समरूपता (Homogeneity of Capital) की मान्यता अनावश्यक है। यदि हम इसे मान भी लें तब भी $K_t = K_t^*$ (K_t —पूँजी का प्रारम्भिक स्टॉक और K_t^* —पूँजी का वांछित स्टॉक) स्टॉक सन्तुलन की पर्याप्त शर्त न होकर, केवल एक आवश्यक शर्त है, क्योंकि योग (Aggregates) समान हो सकते हैं, किन्तु कुछ पूँजियों के वास्तविक स्टॉक का कुछ अथवा सभी उद्योगों में वांछित स्तर से अधिक तथा कुछ अन्य उद्योगों में वांछित स्तर से कम होना सम्भव है।

2 प्रति अवधि में बचन गुराँक (S) को स्थिर मानना भी तर्क-युक्त नहीं है। मॉडल के बीजगणितीय स्वरूप में यह अन्तर्निहित है कि अवधि के प्रारम्भ व अन्त में पूँजी प्रदा अनुपात वही रहना है, किन्तु सामान्यतः वांछित पूँजी-उत्पादन पर पाथिन रहना आवश्यक नहीं है।

3 हैरड की G_w (Warranted Rate of Growth) सन्तुलन-मार्ग के निर्धारण के लिए पर्याप्त नहीं है। $GC = S$ केवल एक बहाव-शर्त (Flow Condition) है, क्योंकि हैरड मॉडल में पूँजी का कोई ऐसा भाग नहीं है जो स्वतः निर्धारित होना हो, इसलिए एक निर्णायक सन्तुलन-पथ के लिए कुछ अधिक सरलीकरण (Simplification) की आवश्यकता है।

4 हैरड मॉडल को अधिक अर्थयुक्त बनाने हेतु यह शर्त आवश्यक है कि $C^0 > S$ ($C^0 =$ पूंजी-प्रदा अनुपात और $S =$ बचत गुणांक) यदि विचाराधीन अवधि केवल एक माह है, C^0 काफी बड़ा होना चाहिए, किन्तु यदि अवधि दीर्घ हो तो यह शर्त $C^0 > S$ बहुत कम सन्तुष्ट हो सकेगी। परन्तु यह स्पष्ट है कि $C^0 > S$ की शर्त मॉडल में आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण विचार है, क्योंकि 'हैरड मॉडल की अस्थायित्वता (Instability) सम्बन्धी केन्द्रीय स्थिति' इसी पर निर्भर करती है।

5 आय के साथ-साथ बचत में वृद्धि की प्रवृत्ति को प्रकट करने का अन्य विकल्प उपभोग विलम्बनो (Consumption Lags) के माध्यम द्वारा हो सकता है। अतः यदि हम इस मान्यता को छोड़ दें कि बाँझित पूंजीगत अवधि के उत्पादन पर निर्भर करती है तब भी 'अस्थायित्वता' (Instability) के प्रमाण पर कोई गहरा प्रभाव नहीं होगा।

6 हैरड ने G_n (Natural Growth Rate) की परिकल्पना विकास की ऐसी उच्च-दर के रूप में की है, जिसकी अधिकतम सीमा निर्धारण श्रम-पूर्ति की उच्चतम सीमा (Ceiling) करती है। हैरड के अनुसार, श्रम-पूर्ति की इस सीमा के उपरान्त उत्पादन का विस्तार आगे नहीं हो सकेगा, बल्कि उत्पादन में कमी की प्रवृत्ति पैदा होगी, किन्तु यह आवश्यक नहीं है। वास्तव में, श्रम-पूर्ति की अधिकतम सीमा के आ जाने के पश्चात्, पूंजी-प्रदा अनुपात बढ़ने लगेगा और श्रम के रोजगार में वृद्धि न होने की स्थिति में भी उत्पादन का विस्तार जारी रह सकता है। श्रम-पूर्ति के स्थिर रहते हुए पूंजी की मात्रा में वृद्धि द्वारा उत्पादन का विस्तार किए जाने की सम्भावना पर नव-प्रतिष्ठापित अर्थ-शास्त्रियों (Neo-classical Economists) द्वारा विचार किया गया है। इस सम्बन्ध में कालडोर (Kaldor) का नाम उल्लेखनीय है।

जॉन रॉबिनसन द्वारा समालोचना¹

(A Comment by John Robinson)

1 जॉन रॉबिनसन का $G = \frac{S}{V}$ के सम्बन्ध में मत है कि पूंजी से प्राप्त लाभ (n) S और V को प्रभावित करता है। अतः विभिन्न लाभ-दरों की स्थिति में विकास-दर कोई एक न होकर अनेक हो सकती हैं।

एक विकास-दर के स्थान पर विभिन्न लाभ-दरों के अनुरूप अनेक विकास-दरों की सम्भावना का उत्तर देते हुए हैरड ने कहा है कि यद्यपि एक गतिशील सन्तुलन की अवस्था में (In a State of Dynamic Equilibrium) एक से अधिक लाभ-दरों की सम्भावना को अस्वीकारा नहीं जा सकता है, तथापि हैरड इसे एक असामान्य स्थिति मानते हैं।

1 John Robinson: "Harrod After Twenty One Years". September 1970, Vol. LXXX, p. 731

2 जॉन राँविंसन के अनुसार पूरी अवधि के दौरान स्थिर रहने वाली विकास-दर अर्थात् $G = \frac{I}{K}$ होती है। हैरड के अनुसार इसका तात्पर्य है कि सीमान्त पूँजी प्रदा अनुपात, अर्थ व्यवस्था में औसत पूँजी-प्रदा अनुपात के समान होता है किन्तु हैरड इस मान्यता को अतगत मानते हुए, राँविंसन की विकास-दर $e G = \frac{I}{K}$ की अवधारणा को अस्वीकार करते हैं।

3 तीसरी आलोचना है कि हैरड मॉडल में यह मान्यता ली गई है कि 'सम्पूर्ण शुद्ध लाभ परिवारों में वितरित होना है।' किन्तु इस आलोचना का उत्तर देते हुए हैरड का मत है कि अपने मॉडल में उन्होंने इस प्रकार की मान्यता की कभी भी किसी प्रकार से कल्पना नहीं की है।

निष्कर्ष (Conclusion)

हैरड डोमर मॉडल के विश्लेषण का सारांश निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

- 1 स्थायी व निरन्तर विकास की समस्या में विनियोजन की भूमिका केन्द्रीय होती है।
2. बड़ी हुई उत्पादन क्षमता के परिणामस्वरूप अधिक उत्पादन अथवा अधिक बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह स्थिति आय के व्यवहार पर निर्भर करती है।
3. आय के व्यवहार के लिए ऐसी शर्तों की कल्पना की जा सकती है, जिनके अन्तर्गत पूर्ण रोजगार की स्थिति को कायम रखा जाना सम्भव है।
- 4 डोमर के अनुसार, सन्तुलन-विकास-दर गुणक के आकार तथा नए विनियोग की उत्पादकता पर निर्भर करती है। यह बचत की प्रवृत्ति गुणा त्वरक के विलोम के बराबर होनी है। अत यदि पूर्ण रोजगार को बनाए रखना है तो सचय व्याज-दर से आय में वृद्धि होना आवश्यक है।
- 5 व्यापार चक्रों को स्थायी आर्थिक वृद्धि के मार्ग में एक विचलन के रूप में विचार गया है।

महालनोबिस मॉडल (The Mahalanobis Model)

महालनोबिस मॉडल विकास-नियोजन (Development-planning) का एक चार क्षेत्रीय अर्थसमिति मॉडल (A Four Sector Econometric Model) है। मॉडल का निर्माण अर्थसमिति की सहाय-प्रणाली (Operational-System) द्वारा किया गया है। मॉडल में कुछ सीमा-शर्तों (Boundary-Conditions) तथा संरचनात्मक प्राचल (Structural Parameters) व साध ही कुछ साधन-चलो (Instrument-Variables) एवं लक्ष्य-चलो (Target-Variables) के एक समूह का प्रयोग किया गया है। भारतीय अर्थ-व्यवस्था को चार क्षेत्रों में विभाजित किया

जा सकता है—(1) विनियोग वस्तु क्षेत्र (The Investment Goods Sector), (2) फैक्ट्री उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र (The Factory Consumer Goods Sector), (3) लघु-इकाई उत्पादन क्षेत्र अथवा घरेलू उद्योग क्षेत्र (Small Unit Production Sector or House-hold Industries' Sector), तथा (4) सेवा-उत्पादन क्षेत्र (The Sector Producing Services)। इन क्षेत्रों के लिए क्रमशः K, C_1, C_2, C_3 चिह्न (Symbols) को प्रयोग में लिया गया है। आय-निर्माण (Income Formation), रोजगार-वृद्धि (Employment Generation) तथा बचत व विनियोग की विधि (The Pattern of Saving and Investment) की दृष्टि से इन क्षेत्रों में परस्पर संरचनात्मक सम्बन्धों (Structural Relations) को देखा गया है। महालनोबिस के इस चार क्षेत्रीय अर्थमिति मॉडल का निर्माण सन् 1955 में हुआ। इससे पूर्व सन् 1952 में महालनोबिस ने एक क्षेत्रीय मॉडल तथा सन् 1953 में पूंजीगत वस्तु क्षेत्र तथा उपभोग वस्तु क्षेत्र वाले द्विक्षेत्रीय मॉडल की संरचना की थी।

परिकल्पना (Hypothesis)

प्रस्तुत मॉडल में देश में अनुमानित 5,600 करोड़ की धनराशि से द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में 5% वार्षिक विकास-दर (5% Annual Growth Rate) व 11 मिलियन व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार की उपलब्धि की परिकल्पना की गई है। अनुमानित धन-राशि को अर्थव्यवस्था के चारों क्षेत्रों में इस प्रकार वितरित करने का प्रयाग किया गया है कि प्रत्येक क्षेत्र में जन्य राष्ट्रीय आय को वार्षिक वृद्धि तथा रोजगार वृद्धि का योग क्रमशः 5% तथा 11 मिलियन अतिरिक्त व्यक्ति हो सके। इसीलिए इस मॉडल को आर्थिक विकास के मॉडल के स्थान पर प्रायः वितरण मॉडल (Allocation Model) की संज्ञा दी जाती है।

मॉडल का प्रारूप (Structure of the Model)

मॉडल में लिए गए चारों क्षेत्रों—विनियोग वस्तु क्षेत्र, फैक्ट्री उत्पादित उपभोग वस्तु क्षेत्र, लघु या गृह उद्योगों द्वारा उत्पादित उपभोग वस्तु क्षेत्र, तथा सेवा उत्पादन क्षेत्र, के लिए चार उत्पादन-पूंजी अनुपात (Output Capital Ratios) अथवा उत्पादकता गुणांक (Productivity Coefficient) लिए गए हैं, जिनको β 's (बीटाज़) प्रकट करते हैं, पूंजी श्रम अनुपातों (Capital Labour Ratios) के लिए θ 's (थीटाज़), वितरण प्राचल (Allocation Parameters) के लिए λ 's (लैम्ब्डाज़) का प्रयोग किया गया है, जो कुछ विनियोग का प्रत्येक क्षेत्र में अनुपात प्रदर्शित करते हैं। मॉडल में विभिन्न आर्थिक मानांशों (Economic Magnitudes) के समाघात हेतु युगपद समीकरण प्रणाली (System of Simultaneous Equations) अपनाई गई है। सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए कुल आय तथा कुल रोजगार के रूप में लक्ष्य चलों की मान्यता लेते हुए, दिए हुए उत्पादकता गुणांकों और पूंजी श्रम अनुपातों तथा कुल विनियोग की मात्रा की सहायता से युगपद समीकरणों द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में जनित रोजगार व आय के अनुभागी (Components) को ज्ञात किया गया है।

मॉडल में निम्नलिखित तत्त्व अज्ञात (Unknown) हैं—

K	C_1	C_2	C_3
γ_k	γ_1	γ_2	γ_3
N_k	N_1	N_2	N_3
λ_k	λ_1	λ_2	λ_3

जिसमें γ 's (सामाज) = क्षेत्रों में जनित आय-वृद्धि,

N 's = रोजगार वृद्धि,

और λ 's (लेम्बदाज) = वितरण प्राचलो (Allocation Parameters)

के लिए प्रयुक्त हुए हैं—

मॉडल के आंकड़ों (Datas) के लिए निम्न चिह्न प्रयोग में लिए गए हैं—

I			
β_k	β_1	β_2	β_3
θ_k	θ_1	θ_2	θ_3

जिसमें β 's = उत्पादन पूंजी अनुपात, I = कुल विनियोग

θ 's = पूंजी धम अनुपात

मॉडल के समीकरण (Equations of the Model)

मॉडल में 11 समीकरण तथा 12वाँ अज्ञात तत्त्व है। समीकरण निम्न प्रकार हैं—

$$(1) \gamma_k + \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 = \gamma \quad (\text{प्रथम कल्पित स्थिरांक—First Arbitrary Constant})$$

$$(2) N_k + N_1 + N_2 + N_3 = N \quad (\text{द्वितीय कल्पित स्थिरांक - Second Arbitrary Constant})$$

$$(3) \gamma_k I + \lambda_1 I + \lambda_2 I + \lambda_3 I = I \quad (\text{तृतीय स्थिरांक—Third Constant})$$

$$(4) \gamma_k = I \lambda_k \beta_k$$

$$(5) \gamma_1 = I \lambda_1 \beta_1$$

$$(6) \gamma_2 = I \lambda_2 \beta_2$$

$$(7) \gamma_3 = I \lambda_3 \beta_3$$

$$(8) N_k = \frac{I \lambda_k}{\theta_k}$$

$$(9) N_1 = \frac{I \lambda_1}{\theta_1}$$

$$(10) N_2 = \frac{I \lambda_2}{\theta_2}$$

$$(11) N_3 = \frac{I \lambda_3}{\theta_3}$$

11 समीकरण तथा 12वाँ अज्ञात तत्त्व होने के कारण, समीकरणों की इस व्यवस्था में एक घण की स्वतन्त्रता (One Degree of Freedom) है। महालनोबिस ने इस स्वतन्त्रता का उपयोग निम्न समीकरण में किया है—

$$(12) \lambda K + \frac{1}{3} \text{ or } \cdot 33.$$

युगपद समीकरणों की उपरोक्त व्यवस्था में

$$\begin{bmatrix} Y \\ N \\ I \end{bmatrix} = \begin{cases} \text{काल्पनिक स्थिरांक, मॉडल की सीमा-दशाओं के प्रतीक हैं।} \\ \text{ये कुल मिलाकर लक्ष्य (Overall Targets) को भी प्रकट} \\ \text{करते हैं।} \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} \theta's \\ \beta's \end{bmatrix} = \begin{cases} \text{प्रायोगिकी द्वारा दिए हुए संरचनात्मक प्राचल (Techno-} \\ \text{logically given Structural Parameters), जिनको} \\ \text{योजनावधि में अपरिवर्तनशील (Unchanged) माना गया है।} \end{cases}$$

$\lambda's$ = वितरण प्राचल (Allocation Parameters), जिनको वास्तविक नियोजन प्राचल (Actual Planning Parameter) माना जा सकता है। ये प्राचल व्यवस्था में दिए हुए नहीं होते, किन्तु व्यवस्था की प्रक्रिया में से स्वयं उभर कर प्रकट होते हैं तथा ये नियोजकों द्वारा की गई अपेक्षाओं की स्थिति को दिखाते हैं।

$$\begin{bmatrix} Y's \\ N's \end{bmatrix} = \begin{cases} \text{प्रमुख क्षेत्रीय लक्ष्य-चल (Vital Sectoral Target-vari-} \\ \text{ables) तथा मॉडल के हल के रूप में निर्धारित होते हैं।} \end{cases}$$

उपर्युक्त युगपद समीकरण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि वितरण प्राचलों को क्या मूल्य दिए जाने चाहिए अथवा विनियोजन के लिए उपलब्ध ससाधनों को अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न चार क्षेत्रों में किस प्रकार वितरित किया जाना चाहिए कि क्षेत्रों में जनित आय व रोजगार-वृद्धि का कुल योग निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कुल आय तथा कुल रोजगार की पूर्ति कर सके। महालनोबिस के समक्ष द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में वार्षिक विकास-दर का तथा 11 मिलियन व्यक्तियों के लिए रोजगार की उपलब्धि का प्रश्न था, जिसके समाधान हेतु उन्होंने देश के साधनों का अनुमान 5,600 करोड़ रुपये प्रथम बार लगाया इसके पश्चात् सांख्यिकी विधियों से $\beta's$ और $\theta's$ का मूल्य निर्धारित करते हुए, समीकरणों के हल द्वारा, अर्थ-व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के लिए विनियोग का वितरण निश्चित किया।

मॉडल का संख्यात्मक हल

(Numerical Solution of the Model)

प्रो महालनोबिस ने अपने मॉडल का निम्नलिखित संख्यात्मक हल प्रस्तुत किया है—

क्षेत्र (Sectors)	प्राचल (Parameters)	
	$\beta's$	$\theta's$
K	$\beta K = \cdot 20$	$\theta K = 20,000$ रु.
C_1	$\beta_1 = \cdot 35$	$\theta_1 = 8,750$
C_2	$\beta_2 = 1 \cdot 25$	$\theta_2 = ,500$
C_3	$\beta_3 = 45$	$\theta_3 = 3,750$

β 's व θ 's को तकनीकी की स्थिति (State of Technology) निर्धारित करती है। मॉडल में विनियोग वस्तु क्षेत्र के लिए वितरण प्राचल अनुपात (λK) दिया हुआ होता है तथा शेष तीन क्षेत्रों के अनुपात λ_1 , λ_2 , व λ_3 उपरोक्त युग्मद समीकरणों के हल द्वारा प्राप्त होते हैं।

चूंकि $\lambda K = \frac{1}{3}$ or 33 और $I = 5,600$ करोड़ रु दिया हुआ है, यह दिए गए आँकड़ों के आधार पर क्षेत्र (K) में विनियोजन की मात्रा का निर्धारण निम्न प्रकार किया गया है—

$$\lambda K I = 33 \times 5600 = \frac{33}{100} \times 5600 = 1850 \text{ करोड़ रु}$$

इस विनियोजन के परिणामस्वरूप आय में वृद्धि निम्न प्रकार होगी—

$$YK = I \lambda K \beta K \\ = \frac{1850 \times 20}{100}$$

i.e. 370 करोड़ रु, जबकि क्षेत्र K में रोजगार वृद्धि निम्न प्रकार होगी—

$$NK = \lambda K I / \theta K \\ = \frac{1,850}{20000} = 9 \text{ मिलियन या 9 लाख}$$

इसी प्रकार, योजनावधि के 5 वर्षों में अन्य क्षेत्रों की आय-वृद्धि तथा रोजगार-वृद्धि की ज्ञान किया जा सकता है। सभी क्षेत्रों के सञ्चयात्मक हलों को निम्नलिखित सारणी में प्रदर्शित किया गया है—

क्षेत्र (Sectors)	विनियोजन (I) (करोड़ रु)	आय वृद्धि ΔY	रोजगार वृद्धि (माथों में) ΔN
K	1850	370	90
C ₁	980	340	110
C ₂	1180	1470	470
C ₃	1600	720	430
	5610	2900	1100

आलोचनात्मक मूल्यांकन (A Critical Appraisal)

विकास-विनियोजन का महालनोबिस मॉडल 'आर्थिक वृद्धि' का एक स्पष्ट व सुनियोजित (Clear and well arranged) ऐसा मॉडल है, जिसमें एक अर्द्ध-विकसित देश की विकास-नीति के आवश्यक तत्व अन्तर्निहित है। मॉडल की संरचना में भारतीय सांख्यिकी संस्थान (Indian Statistical Institute) द्वारा किए गए सांख्यिकी अन्वेषणों (Statistical Investigations) के निष्कर्षों का लाभ उठाया गया है। मॉडल का मौलिक स्वरूप अर्थमिति की संरचना प्रणाली पर आधारित है। इस मॉडल का उपयोग भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया। इस प्रकार मॉडल का व्यावहारिक स्वरूप (Operational Character) होते हुए भी, इनमें धनक बचियाँ हैं। ये बचियाँ संक्षेप में अग्रलिखित हैं—

1. अधिक सुनिश्चित नहीं (Not so Deterministic)—यह मॉडल अधिक सुनिश्चित नहीं है। किसी मॉडल की पूर्णता समीकरणों तथा अज्ञातों (Unknowns) की संख्याओं की समानता पर निर्भर करती है, किन्तु प्रस्तुत मॉडल में 11 समीकरण और 12वाँ अज्ञात है। परिणामस्वरूप, समीकरण-व्यवस्था के एक अज्ञात को काल्पनिक मूल्य दिया गया है (i. e. $\lambda K = \frac{1}{3}$ Assumed)। काल्पनिक मूल्य देने की स्वतन्त्रता की इस स्थिति में स्पष्ट है कि विभिन्न काल्पनिक मूल्यों के आधार पर भिन्न-भिन्न हल सम्भव होंगे। यह कमी मॉडल की पूर्णता अथवा सुनिश्चितता को कम करती है किन्तु साथ ही यह विशेषता नियोजकों को अपनी निजी अवधारणाओं के प्रयोग की स्वतन्त्रता प्रदान करती है (This, however, introduces the element of choice into the model)।

2. कल्पित मूल्य के लिए केवल λK ही क्यो चुना गया, अन्य अज्ञात तत्त्व क्यो नहीं लिए गए? इस प्रश्न का मॉडल में कोई उत्तर नहीं है।

3. एक प्रश्न की स्वतन्त्रता वाले मॉडल में अनुकूलतम हल (Optimum Solution) के लिए पूर्वनिर्धारित सामाजिक-कल्याण-फलन (A Predetermined Social Function) का होना आवश्यक है, किन्तु दुर्भाग्यवश हमारे नियोजकों के समक्ष, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय, इस प्रकार का कोई निश्चित कल्याण-फलन (Welfare Function) नहीं था।

4. मॉडल में माँग-फलन की उपेक्षा की गई है। नियोजकों की यह मान्यता है कि एक नियोजित अर्थव्यवस्था में जो कुछ उत्पादित किया जाता है, उसका उपभोग, उपभोक्ताओं के माँग-अधिमानों (Demand Preferences) तथा विभिन्न मूल्यों के बावजूद निश्चित है। इस प्रकार की मान्यता ने मॉडल को से (Say) के नियम 'Supply has its own demand' जैसा यांत्रिक स्वरूप (Mechanistic Type) प्रदान कर दिया है।

5. एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था के विकास-नियोजन के दौरान बाजार तत्त्व, मनोवैज्ञानिक वातावरण, लोक-उत्साह, विशिष्ट दबाव बिन्दु (Specific Pressure Points) आदि से सम्बन्धित जो महत्त्वपूर्ण परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, उनकी महालनोबिस ने अपने मॉडल में, गणितीय सरलता के लिए, उपेक्षा की है।

6. मॉडल में, विनियोजन के एकल-समरूप-कोष (Single Homogeneous Fund) का संकेत है, जिसका समरूप विनियोजन-वस्तुओं के लिए ही उपयोग किया जा सकता है, किन्तु विनियोजन-वस्तुएँ प्रायः विजातीय (Heterogeneous) होती हैं, जिनके लिए विनियोजन-व्यूह (Investment Matrix) के प्रयोग की आवश्यकता है। इसलिए जहाँ व्यवस्था समरूप (Homogeneous) नहीं होती है, वहाँ इस मॉडल का प्रयोग, खुली अर्थव्यवस्था (Open Economy) में सम्भव नहीं है।

7. कृषिगत पदार्थों तथा ध्रम की पूर्ति भी पूर्णतः बेलोच नहीं होती है। इनकी पूर्ति को मॉडल में पूर्णतः बेलोच माना गया है।

8 मॉडल में उत्पादन-तकनीकियों को स्थिर मानना भी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि विकास प्रक्रिया के क्रम में उत्पादन-तकनीकियाँ, प्रायः परिवर्तित होती रहती हैं।

9 सरचनात्मक प्राचलियों को कालान्तरिक मूल्य प्रदान किए गए हैं।

10 विनियोजन में निजी क्षेत्र व सार्वजनिक-क्षेत्रों के अनुपातों के सम्बन्ध में मॉडल शान्त है।

सारांश—कुछ सरचनात्मक सम्बन्धों के समूह को लेकर सकाय-प्रणाली द्वारा किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक ढाँचे का इन प्रकार विश्लेषण करना कि नियोजन प्रक्रिया के दौरान उपरन्ध कुछ विनियोग-राशि का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठतम वितरण किया जा सके, मॉडल की मुख्य विशेषता है। किन्तु अन्य अर्थमिति मॉडलों के समान ही इस मॉडल की भी अनेक अभावहारिक व काल्पनिक मान्यताओं के कारण व्यावहारिक उपयोगिता बहुत कम हो गई है। प्रस्तुत मॉडल में आँकड़ों से सम्बन्धित चलो (Data Variables; e. β 's and θ 's) के लिए अनेक अभावहारिक मान्यताएँ ली गई हैं।

किंतु फिर भी भारतीय परिस्थितियों में, साहसपूर्ण द्वितीय पंचवर्षीय योजना (Bold Second Five Year Plan) के निर्माण में एक सरचनात्मक आधार विकसित करने हेतु महालनोबिस मॉडल में रचनात्मक भूमिका सम्पादित की है। अपनी यान्त्रिक विधियों के बावजूद, अत्यधिक भ्रामक स्थिति वाले समय में, यह मॉडल भारतीय नियोजन को एक साकार दिशा देने में समर्थ हो सका है।

कुछ अन्य दृष्टिकोण

(Some Other Approaches)

आर्थिक विकास के सम्बन्ध में निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण का अध्ययन भी उपयोगी है—

- (1) नर्कसे (Nurkse)
- (2) रोडन (Rodan)
- (3) हर्षमन (Hirschman)
- (4) म्यन्ट (Mynt)
- (5) लेबेन्स्टीन (Leibenstein)

नर्कसे का दृष्टिकोण (Approach of Nurkse)

प्रो रेणना नर्कसे ने अपनी पुस्तक *Problems of Capital Formation in Under-developed Countries* में अर्द्ध-विकसित देशों में पूँजी के महत्त्व, पूँजी निर्माण, सन्तुलित विकास आदि से सम्बन्धित विषयों पर छिरी हुई बेरोजगारी और उसके द्वारा पूँजी निर्माण के सम्बन्ध में विचार प्रकट किए हैं।

प्रो नर्कसे के विकास सम्बन्धी विचारों का सारांश यह है कि अर्द्ध-विकसित अथवा अल्प विकसित देश आर्थिक विषमता से ग्रस्त हैं, इस विषमता को दूर करने के लिए सन्तुलित विकास (Balanced Growth) आवश्यक है और यह सन्तुलित विकास तभी सम्भव है जब प्रतिरिक्त जन शक्ति का प्रयोग करके पूँजी प्राप्त की

जाए। प्रो. नर्कसे के अनुसार "अर्द्ध-विकसित देशों में पूँजी की मात्रा बहुत कम होती है।" ये देश अपनी राष्ट्रीय आय का 5 से 8% तक ही बचा पाते हैं। इसके विपरीत विकसित देशों में बचत की मात्रा कुल राष्ट्रीय आय की 10 से 30% तक होती है। अर्द्ध-विकसित देशों में इस शोचनीय स्थिति का मुख्य कारण है बचत की पूर्ति की भी कमी रहती है और बचत की माँग की भी कमी रहती है। बचत की पूर्ति की कमी इसलिए रहती है क्योंकि प्रायः उसकी माँग कम होती है। इस प्रकार माँग इसलिए कम होती है क्योंकि उसकी पूर्ति कम होती है। यह आर्थिक विपमता वा चक्र (Vicious circle) निरन्तर चलता रहता है जो अर्द्ध-विकसित देशों को आर्थिक विकास की ओर अग्रसर नहीं होने देता। प्रो. नर्कसे के अनुसार, "आर्थिक दुष्चक्र की प्रक्रिया में कम पूँजी के कारण विनियोजन कम होता है। फलस्वरूप उत्पादकता कम होनी है। कम उत्पादकता के कारण लाभ कम होता है, परिणामस्वरूप, उत्पादन कम होता है। उपरोक्त उत्पादन से रोजगार के अवसर कम रहते हैं और इसीलिए आय कम होती है। परिणामतः बचत कम होती है और पूँजी-निर्माण भी कम होता है।"

प्रो. नर्कसे ने अर्द्ध-विकसित देशों की इस आर्थिक विपमता को दूर करने के लिए सन्तुलित विकास पर बहुत बल दिया है। उनका सबसे अधिक आग्रह कृषि-क्षेत्रों की अतिरिक्त जन-शक्ति (Surplus Man-power) को अन्य पूँजीयत परिचयोजनाओं में नियोजित करके प्रभावपूर्ण बचत (Effective Saving) और पूँजी निर्माण की अभिवृद्धि पर है। नर्कसे के कथनानुसार "कृषि करने की तकनीक को अपरिवर्तित रखते हुए भी कृषि उत्पादन में कमी किए बिना, कृषि में नियोजित जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि क्षेत्र से हटाया जा सकता है।" ".....वहाँ समान कृषि उत्पादन बिना तकनीक में परिवर्तन किए हुए कम श्रम-शक्ति से भी प्राप्त किया जा सकता है।" किन्तु नर्कसे को यह मान्यता है कि इस अनउत्पादक श्रम-शक्ति को उत्पादक श्रम-शक्ति में बदलने की समस्त प्रक्रिया की वित्त-व्यवस्था स्वयं इसमें से ही की जानी चाहिए। ऐसा होने पर ही देश में बचत और पूँजी-निर्माण की मात्रा में वृद्धि हो सकेगी। इसलिए नर्कसे ने ग्रामीण छिपी हुई बेरोजगारी (Disguised Unemployment) को छिपी हुई बचत की सम्भावनाएँ (Disguised Saving Potential) माना है। इस प्रकार उन्होंने अर्द्ध-विकसित देशों की अप्रयुक्त जन-शक्ति के उपयोग द्वारा पूँजी-निर्माण पर बल देकर इन देशों के आर्थिक विकास पर जोर दिया है।

सन्तुलित विकास का विचार (Concept of Balanced Growth)

प्रो. नर्कसे ने आर्थिक विकास के लिए सन्तुलित विकास पद्धति का प्रतिपादन किया है। उनके मतानुसार, "अर्द्ध-विकसित देशों में निर्धनता का विपला चक्र (Vicious circle) व्याप्त रहता है जो आर्थिक विकास की अवरोध करता है। यदि इस दूषित चक्र को किसी प्रकार दूर कर दिया जाए, तो देश का आर्थिक विकास

सम्भव हो सकेगा। निर्धन देशों में निर्धनता का यह चक्र माँग और पूर्ति दोनों ओर से त्रिधाशील रहता है। पूर्ति पहलू से विचार करें तो वास्तविक आय की कमी के कारण बचाने की क्षमता कम होती है। आय की कमी का कारण निम्न उत्पादकता और निम्न उत्पादकता का कारण पूँजी की स्वल्पता होती है। पूँजी की कमी बचत के नीचे स्तर का परिणाम होती है। यदि माँग पहलू से विचार करें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि आय की कमी के कारण ऋण की क्षमता भी सीमित होती है। इससे माँग कम होती है। परिणामस्वरूप, उत्पादकों में विनियोग करने का कम उत्साह होता है। अर्थव्यवस्था की उत्पादकता विनियोजित पूँजी पर निर्भर करती है। विनियोगों की कमी के कारण उत्पादन और आय का स्तर कम होता है। पुनः वही चक्र प्रारम्भ होता है। इस प्रकार इन दूषित चक्रों के कारण, अर्द्ध विकसित देशों के विकास में बाधाएँ उपस्थित होती हैं।

आर्थिक विकास के लिए इस विपरीत चक्र को दूर करना आवश्यक है। विनियोग सम्बन्धी व्यक्तिगत निर्णयों द्वारा सीमित क्षेत्रों में अल्प मात्रा में किए गए विनियोग से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। प्रो नर्से के मतानुसार, 'विपरीत चक्रों को दूर करने के लिए विभिन्न उद्योग विस्तृत रूप से एक साथ प्रारम्भ किए जाने चाहिए जो एक दूसरे के लिए विस्तृत बाजारों की स्थापना करेंगे और एक दूसरे के पूरक होंगे।' उनके अनुसार समस्या का हल इस बात में निहित है कि "व्यापक क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों में एक साथ पूँजी लगाई जाए और बहुत से उद्योगों को एक साथ विकसित किया जाए ताकि सभी एक दूसरे के ग्राहक बन सकें और सभी का माल बिक सके।" प्रो नर्से रोजन्स्टेन रोडन (Rosenstein Rodan) के जूते के प्रसिद्ध कारखाने का उदाहरण देकर सन्तुलित विकास की आवश्यकता पर बल देते हैं। मानलो एक जूत का कारखाना स्थापित किया जाता है। इससे इसमें काम करने वाले श्रमिकों, पूँजीपतियों और नियोक्तों को आय प्राप्त होगी किन्तु वे समस्त आय जूतों को खरीदने के लिए ही तो नहीं व्यय करेंगे। वे अन्य वस्तुएँ भी खरीदेंगे। इसी प्रकार साथ ही इस उद्योग के श्रमिक ही सारे जूते नहीं खरीद सकते। दूसरे उद्योगों के श्रमिक ही तो अतिरिक्त जूते खरीदेंगे। यदि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों या उद्योगों का विकास नहीं किया जाएगा तो यह कारखाना असफल हो जाएगा। अतः यह बठिनाई एक साथ ही अनेक पूर्व उद्योगों की स्थापना करने से हल हो सकती है। जो एक दूसरे के ग्राहक बन जाते हैं। इस सम्बन्ध में प्रो नर्से ने लिखा है कि "अधिकांश उद्योग जो जन-उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं इस अर्थ में पूरक होते हैं कि वे एक दूसरे के लिए बाजार की व्यवस्था करके परस्पर सहायता देते हैं।" उनके अनुसार शारीरिक विज्ञान के लिए सन्तुलित आहार (Balanced diet) जिस प्रकार आवश्यक है उसी प्रकार अर्थव्यवस्था के लिए सन्तुलित विकास (Balanced Growth) पद्धति आवश्यक है।

प्रो नर्से ने सन्तुलित विकास की धारणा का अक्षर में भी से (J B Say) के इस कथन से प्राप्त किया है कि पूर्ति अपनी माँग स्वयं बना लेती है (Supply

creates its own demand)। उन्होंने इस नियम सम्बन्धी जे. एस. मिल की व्याख्या को उद्धृत किया है कि "प्रत्येक प्रकार की उत्पादन वृद्धि यदि निजी हित द्वारा निर्देशित अनुपात में सब प्रकार की उत्पत्ति में गलत गणना के बिना विभाजित की जाए तो न केवल स्वयं अपनी माँग का निर्माण कर लेती है, बल्कि उसे अपने साथ रखती है।" लेकिन किसी व्यक्तिगत उद्यमी द्वारा किसी विशिष्ट उद्योग में बड़ी मात्रा में लगाई गई पूँजी बाजार के छोटे आकार के कारण लाभहीन हो सकती है। किन्तु विभिन्न उद्योगों में व्यापक क्षेत्र में एक साथ सुव्यवस्थित रूप से पूँजी विनियोग से बाजारों के आकार का विस्तार होता है और इससे आर्थिक कुशलता के सामान्य स्तर में सुधार होता है। अतः विभिन्न उद्योग विस्तृत रूप से एक साथ आरम्भ किए जाने चाहिए और विभिन्न प्रकार के उद्योगों में पूँजी विनियोग की लहर (a wave of capital investments in a number of different industries) उठनी चाहिए। ऐसे होने पर उद्योग एक-दूसरे के पूरक होंगे, जिससे विस्तृत बाजारों की स्थापना होगी और तीव्रता से आर्थिक विकास होगा। इसे ही नर्कसे ने 'सन्तुलित विकास' का नाम दिया है। अतः 'सन्तुलित विकास' का आशय उत्पादन-क्रियाओं में विभिन्न प्रकार के सन्तुलन से है। यह सन्तुलन दो प्रकार का हो सकता है—प्रथम सम्मुखी (Forward) एवं द्वितीय विमुखी (Backward)। सम्मुखी सन्तुलन के अनुसार कृषि-उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ उन उद्योगों में भी विस्तार आवश्यक है जो इसके अनिरीकृत उत्पादन को चाहेंगे। विमुखी सन्तुलन के अनुसार यदि किसी उद्योग का विस्तार करना है तो इस उद्योग के संचालन के लिए आवश्यक कच्चा माल, ईंधन, मन्त्रोपकरण आदि से सम्बन्धित उद्योगों का भी विकास किया जाना चाहिए।

सन्तुलित विकास के प्रभाव—सन्तुलित विनियोग से आर्थिक विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही सन्तुलित विकास के कारण बाह्य मितव्ययिताओं (External economies) में वृद्धि होती है। मितव्ययिताएँ दो प्रकार की होती हैं, प्रथम, क्षैतिजीय मितव्ययिताएँ (Horizontal economies) एवं द्वितीय, उद्घ्रीय मितव्ययिताएँ (Vertical economies)। विस्तृत आकार-प्रकार वाले विभिन्न उद्योगों में बड़े पैमाने पर पूँजी विनियोग से उद्योगों का उद्घ्रीय और क्षैतिगीय एकीकरण सम्भव होता है और इससे भी दोनों प्रकार की मितव्ययिताओं का निर्माण होता है। श्रम के अधिक अच्छे विभाजन, पूँजी, कच्चे माल और तकनीकी कुशलता का सामूहिक प्रयोग, बाजारों का विस्तार तथा आर्थिक और सामाजिक ऊपरी पूँजी (Economic and Social overhead capital) का अधिक अच्छा और सामूहिक उपयोग आदि के कारण भी उत्पादक इकाइयों को लाभ होता है।

सन्तुलन के क्षेत्र—प्रो. नर्कसे द्वारा प्रतिपादित, सन्तुलित विकास का यह सिद्धान्त विकास प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सन्तुलन की आवश्यकता पर बल देता है। कृषि और उद्योगों के विकास में समुचित सन्तुलन रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था के घरेलू

क्षेत्र (Domestic Sector) और विदेशी क्षेत्र (Foreign Sector) में भी सन्तुलन स्थापित किया जाना चाहिए। विकास को वित्त-श्रव्यवस्था में निर्यात-आय (Export earnings) महत्वपूर्ण है। अतः घरेलू क्षेत्र के साथ-साथ निर्यात क्षेत्र में पूंजी-विनियोग किया जाना चाहिए। प्रो नर्कसे के अनुसार "सन्तुलित विकास अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अच्छा आधार है।" उनके विचार से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए यातायात सुविधाओं में सुधार, उनकी लागत में कमी, तटकर बाधाओं की समाप्ति और मुक्त व्यापार क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए। इससे विकसित देश परस्पर एक-दूसरे के लिए बाजारों का कार्य करेंगे और उनका विकास होगा। वृष्टि और उद्योगों घरेलू और निर्यात क्षेत्रों के सन्तुलित विकास के समान ही भौतिक-पूँजी और मालवीय पूँजी में साथ-साथ विनियोग किया जाना चाहिए। दोनों के सन्तुलित विकास के प्रयत्न किए जाने चाहिए क्योंकि 'भौतिक पूँजी' में विनियोग तब तक व्यर्थ रहेगा जब तक कि उसके संचालन के लिए जनता शिक्षित और स्वस्थ न हो। इसी प्रकार, प्रत्यक्ष उत्पादन क्रियाओं और आर्थिक तथा सामाजिक ऊपरी सुविधाओं में भी सन्तुलित विनियोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार, नर्कसे ने तीव्र आर्थिक विकास हेतु सन्तुलित विकास की शैली का प्रतिपादन किया है जिसके अनुसार "अर्थ-श्रव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में तथा एक उद्योग का विकास करने के लिए उससे सम्बन्धित अन्य उद्योगों में एक साथ विनियोग किया जाना चाहिए।" कुछ क्षेत्रों या उद्योगों पर ही ध्यान देने से अन्य उद्योग 'अल्प विकसित सन्तुलन' से प्रस्त रहेंगे और विकास में बाधाएँ उत्पन्न होगी। प्रो ए डब्ल्यू लेविस के अनुसार, "विकास कार्यक्रमों में अर्थ-श्रव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास होना चाहिए ताकि उद्योग और कृषि के मध्य तथा घरेलू उपभोग के लिए उत्पादन और निर्यात के लिए उत्पादन में उचित सन्तुलन रखा जा सके।"

सरकार एवं सन्तुलित विकास- अर्द्ध-विकसित देशों में निर्जा उपक्रम के द्वारा व्यापक क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं में पूँजी विनियोग की सहर का एक साथ संचार किया जाता दुष्कर कार्य है। इसलिए सन्तुलित विकास में राज्य द्वारा विकास प्रक्रिया के आयोजन, निर्देशन एवं समन्वय के लिए पर्याप्त स्थान है। सरकार से यह आशा की जाती है कि वह उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ विनियोजन का आश्वासन दे। अतः सन्तुलित विकास के लिए केन्द्रीय नियोजन आवश्यक होना चाहिए। किन्तु नर्कसे के अनुसार, "सन्तुलित विकास के लिए केन्द्रीय आर्थिक नियोजन अनिषार्य नहीं है। सरकारी नियोजन के पक्ष में कई महत्वपूर्ण कारण हैं, लेकिन सन्तुलित विकास इनमें से कोई कारण नहीं है।"

नर्कसे को यह भी मान्यता है कि निजी उपक्रम द्वारा भी वांछनीय प्रभाव कुछ प्रेरणाओं और प्रोत्साहन से प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने बतलाया है कि सामान्य मूल्य प्रेरणाओं द्वारा अल्प मात्र में सन्तुलित विकास किया जा सकता है किन्तु बढती हुई जनसंख्या की बढती हुई आवश्यकताओं के साथ सन्तुलित विकास का नीचा स्तर भी सह-विन्तार को प्राप्त कर लेता है। प्रारम्भिक विनियोग के मौद्रिक एवं अन्य

प्रभावों के द्वारा विभिन्न उद्योगों में पूंजी-विनियोग की नई लहर दौड़ाई जा सकती है। इस प्रकार प्रो नर्कसे का सन्तुलित-विकास का सिद्धान्त निजी उपक्रम वाली अर्थ-व्यवस्था में लागू होता है। उनके सिद्धान्त में बाजार विस्तार, बाध्य मितव्ययिताओं और मूल्य प्रेरणाओं द्वारा ही संतुलित विकास पर बल दिया गया है। उनके मतानुसार, "आवश्यक विनियोग के लिए सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का उपयोग प्रधानतः प्रशामकीय कुशलता का प्रश्न है।"

नर्कसे के विचारों की आलोचना—नर्कसे के सन्तुलित विकास के विचारों की हर्षमैन, सिंगर, कुरिहारा आदि ने निम्न आधारों पर आलोचनाएँ की हैं—

1 सन्तुलित विकास के अन्तर्गत बहुत-सी उत्पादन इकाइयों या अनेक उद्योगों का एक साथ विकास करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी, तकनीकी ज्ञान, प्रबन्ध कुशलता आदि की आवश्यकता होगी। अर्द्ध-विकसित देशों में एक साथ प्रयोग के लिए इन साधनों का अभाव होना है। ऐसी स्थिति में, इन उत्पादन इकाइयों की स्थापना से, इनकी मोट्रिक और वास्तविक लागत में वृद्धि होगी और उनका मितव्ययतापूर्वक संचालन कठिन हो जाएगा।

2 प्रो किन्डल बर्जर के अनुसार, नर्कसे के विकास प्रारूप (Model) में नए उद्योगों की स्थापना की अपेक्षा वर्तमान उद्योगों में लागत कम करने की सम्भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया गया है।

3 नर्कसे ने विभिन्न उद्योगों को परिपूरक माना है, किन्तु हंस सिंगर (Hans Singer) के अनुसार ये परिपूरक न होकर प्रतिस्पर्द्धी होते हैं। जैंग किंजे मार्कस फ्लेमिंग (J. Marcus Flemming) ने लिखा है—“जहाँ सन्तुलित विकास के सिद्धान्त में यह माना जाता है कि उद्योगों के मध्य अधिकांश सम्बन्ध परिपूरक हैं साधनों की पूर्ति की सीमाएँ प्रवृत्त करती हैं कि यह सम्बन्ध अधिकतर प्रतिस्पर्द्धात्मक है।”

हर्षमैन (Hirschman) के अनुसार “सन्तुलित विकास का सिद्धान्त विकास सिद्धान्त के रूप में असफल है।” विकास का आशय, एक प्रकार की अर्थ-व्यवस्था से अन्य प्रकार की और उन्नत अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया से है, किन्तु ‘सन्तुलित विकास’ का आशय एक पूर्णरूप से नई और स्वयं सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था की ऊपर से स्थापना से है। हर्षमैन के मतानुसार, “यह विकास नहीं है, यह तो किसी पुरानी वस्तु पर नई वस्तु की कलम लगाना भी नहीं है। यह तो आर्थिक विकास का पूर्णरूप से द्वैध तरीका है।”

4 अर्द्ध-विकसित देशों में उत्पादन के साधन अनुपात में नहीं होते। कुछ देशों में श्रम अत्यधिक है तथा पूंजी एवं साहसी कुशलता की कमी है। कुछ देशों में श्रम और पूंजी दोनों की कमी है किन्तु अन्य साधन पर्याप्त मात्रा में हैं। सन्तुलित विकास की धारणा को व्यावहारिक रूप देने में ऐसी स्थिति बड़ी बाधक है।

5. सन्तुलित विकास का सिद्धान्त इस मान्यता के आधार पर चलता है कि अर्द्ध-विकसित देश बहुत ही प्रारम्भिक स्थिति से विकास आरम्भ करते हैं। किन्तु

वस्तुतः ऐसा नहीं होता। वास्तव में प्रत्येक अर्द्ध विकसित राष्ट्र एक ऐसी अवस्था से विकास की शुरुआत करता है, जहाँ पूर्व-विनियोग या पूर्व-विकास की छाया विद्यमान रहती है। ऐसी स्थिति में विनियोग के कुछ ऐसे वांछित कार्यक्रम होते हैं, जो स्वयं सन्तुलित नहीं होते, किन्तु जो वर्तमान असन्तुलन के पूरक के रूप में असन्तुलित विनियोग का स्वरूप ग्रहण करते हैं।

6 कुरिहारा के अनुसार, "सन्तुलित विकास निजी उपक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए वांछनीय नहीं है किन्तु जहाँ तक अर्द्ध-विकसित देशों का सम्बन्ध है, यह स्वयं इसके लिए ही वांछनीय है। नकंसे की अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था के सीमित बाजार और निम्न वास्तविक आय द्वारा निजी व्यक्तियों की विनियोग की प्रेरणा को बाधा पहुँचाने की शिकायत अनावश्यक होगी यदि क्षमता-विस्तारक और आय-उत्पादक प्रकृति के स्वशासी सार्वजनिक विनियोग को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने दी जाएगी।"

7 सन्तुलित विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विनियोग के लिए बड़ी मात्रा में साधन होने चाहिए। किन्तु अर्द्ध विकसित देशों के साधन सीमित होते हैं यदि इन थोड़े से साधनों को ही विभिन्न और अधिक क्षेत्रों में फैलाया जाएगा, तो उनमें वांछनीय गति नहीं आ पाएगी और सम्भव है कि किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं हो पाए तथा साधनों का अपव्यय हो। अतः सन्तुलित विकास का सिद्धान्त इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है—“एक सौ पुष्प भी उस भूमि पर उग सकते हैं जहाँ पोषक तत्वों के अभाव में एक पौधा भी मुर्झा सकता है।” डॉ. हंस सिंगर के अनुसार, “सन्तुलित विकास की नीति को अपनाने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है उनकी मात्रा इतनी अधिक होती है कि उनको जुटाने वाले देश वास्तव में अर्द्ध विकसित नहीं हो सकते।” इसीलिए उन्होंने इन देशों के लिए ‘Think Big’ को तो उचित बतलाया है, किन्तु ‘Act Big’ के सुझाव को अयुद्धिमतापूर्ण बतलाया है।

8 सन्तुलित विकास के लिए केन्द्रीय नियोजन, निर्देशन आदि आवश्यक हैं, जिसका अर्द्ध विकसित देशों के विकास में पर्याप्त महत्व है। नकंसे ने सन्तुलित विकास के लिए इस बात को पूर्णरूप से नहीं स्वीकारा है।

9 नकंसे का सन्तुलित विकास का सिद्धान्त वस्तुतः विकसित देशों के *स्लॉप एक्वालिब्रियम (Slump Equilibrium)* की स्थिति की ही व्याख्या करता है, किन्तु अर्द्ध-विकसित देशों में अर्द्ध-विकास साम्य की स्थिति होती है और यह उसकी व्याख्या नहीं करता है।

वस्तुतः सन्तुलित विकास का सिद्धान्त कीन्स के व्यापार चक्र के सिद्धान्त का ही परिवर्तित रूप है। कीन्स के इस सिद्धान्त के अनुसार, “एक साथ बहुमुखी विनियोग से आर्थिक क्रियाओं में सन्तुलित पुनरुत्थान (Balanced Recovery) लाया जा सकता है क्योंकि यहाँ उद्योग, मशीनें, प्रबन्धक, श्रमिक तथा उपभोग की आदतें आदि सब कुछ प्रभावपूर्ण माँग को कमी के कारण अस्थायी रूप से स्थगित

कार्यों को पुन संचालित करने की प्रतीक्षा में विद्यमान होते हैं।" किन्तु अर्द्ध-विकसित देशों में समस्या माँग की कमी नहीं, साधनों के अभाव की होती है, जिसके कारण व्यापक विनियोग दुष्कर होता है।

10 विभिन्न देशों के आर्थिक विकास का इतिहास भी यही स्पष्ट करता है कि इनमें आर्थिक विकास का स्वरूप असन्तुलित ही रहा है। इंग्लैण्ड में सर्वप्रथम, वस्त्र-उद्योग, अमेरिका में रेलों और जापान में लोहा एव इस्पात उद्योगों का विकास हुआ, जिससे अन्य उद्योगों के विकास को बल मिला। जे. आर. टी. हेग के अनुसार, "सन्तुलित विकास अन्तिम परिणाम था, जो नवीन क्रियाओं के नवीन उत्थान, पतन तथा परिवर्तनीय साधनों के संयोग द्वारा उत्पादित तथा घोषित हुआ। यह एक ऐसी घटना नहीं है जो परस्पर पोषक क्षेत्रों (Mutually Supporting Sectors) के एक साथ बहुमुखी विस्तार के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हो।"

रोजेन्स्टीन रोडान की विचारधाराएँ

(Approach of Roseinstein Rodan)

रोजेन्स्टीन रोडान ने भी सन्तुलित विकास का समर्थन किया है, परन्तु वे चाहते हैं कि यह सन्तुलित विकास-पद्धति 'बड़े धक्के' (Big Push) के रूप में अपनाई जाए। 'बड़े धक्के के सिद्धान्त' (Theory of Big Push) के अनुसार स्थिर अर्थ-व्यवस्था (Stagnant Economy) की प्रारम्भिक जड़ता को समाप्त करने के लिए और इसे उत्पादन तथा आय के उच्च स्तरों की ओर बढ़ने के लिए न्यूनतम प्रयत्न या 'बड़े धक्के' (Big Push) की आवश्यकता है। यह बड़ा धक्का तब होता है, जब एक साथ ही विभिन्न प्रकार की कोई पूरक परियोजनाओं को प्रारम्भ किया जाए।

रोडान के मतानुसार, "अर्द्ध-विकसित अथवा अल्प-विकसित देशों में आर्थिक व सामाजिक ऊपरी सुविधाओं (Social and Economic overheads) की नितान्त कमी होती है जिनकी पूर्ति करने की न तो निजी साहसियों में क्षमता होती है और न ही इच्छा।" अतः राज्य को चाहिए कि वह इन ऊपरी सुविधाओं (Social and Economic overheads) अर्थात् यातायात, संचार, शक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक, ट्रेनिंग आदि में अधिक मात्रा में धन लगाए और इस प्रकार निजी विनियोजकों तथा औद्योगीकरण के इच्छुक लोगों को उद्योग खोलने की प्रेरणाएँ और सुविधाएँ प्रदान करे। प्रो. रोडान के अनुसार, अर्द्ध-विकसित देशों में धीरे-धीरे विकास करने की पद्धति अपनानी ठीक नहीं है। इन देशों में वास्तविक विकास तो केवल 'बड़े धक्के' (Big Push) से ही सम्भव है क्योंकि तभी हम 'उत्पादन की बाह्य मितव्ययता' अथवा उत्पात्ति वृद्धि के नियम के लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

"यदि विकास की किसी भी आयोजना में सफल होना है तो इसके लिए एक न्यूनतम मात्रा में विनियोजन आवश्यक होगा। किसी देश को स्वयं स्फूर्त विकास की स्थिति में पहुँचने के लिए प्रयत्न करना भूमि से हवाई जहाज के उठने के समान है। हवाई जहाज को नभ में उड़ान के लिए एक निश्चित गति पकड़ना आवश्यक है। धीरे-धीरे बढ़ने से काम नहीं चल सकता। इसी प्रकार विकास कार्यक्रम को

सफल बनाने और अर्थ-व्यवस्था को स्वयं स्फूर्त दशा में पहुँचाने के लिए बड़े धक्के के रूप से एक निश्चित मात्रा में समस्त क्षेत्रों में विनियोजन अनिवार्य है।”

“विकास की बाधाओं को लगने के लिए बड़ा धक्का ही आवश्यक है। एक निश्चित न्यूनतम मात्रा से कम मात्रा में उत्साह और कार्य से काम नहीं चल सकता। छोटे-छोटे और यवा-कवा किए जाने वाले प्रयत्नों से विकास सम्भव नहीं हो सकता। विकास का वातावरण तभी उत्पन्न होता है जब एक न्यूनतम मात्रा का विनियोजन एक न्यूनतम गति से किया जाए।”

प्रो. रोडान के ‘बड़े धक्के के सिद्धान्त’ के पक्ष में प्रमुख तर्क अर्द्ध-विकसित देशों में बाह्य मितव्ययताओं के अभाव पर आधारित है। बाह्य मितव्ययताओं का प्रागप्य उन लाभों से है जो समस्त अर्थ-व्यवस्था या कुछ क्रियाओं या उपक्रमों को मिलते हैं किन्तु जो विनियोक्ता इकाइयों को प्रत्यक्ष रूप में कोई प्रत्याय (Returns) नहीं देते हैं। पूँजी की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाह्य मितव्ययताएँ यातायात, शक्ति आदि के रूप में सामाजिक ऊपरी सुविधाएँ (Social overhead facilities) हैं, जो अन्य क्षेत्रों में भी विनियोग के अवसर बढ़ाते हैं। रोजेन्स्टीन रोडान ने निम्नलिखित तीन प्रकार से बाह्य मितव्ययताओं और अविभाज्यताओं (Indivisibilities) में भेद किया है—

(i) उत्पादन-कार्य में विशेष रूप से सामाजिक ऊपरी पूँजी की पूँति में अविभाज्यता (Indivisibility of production function, specially in the supply of social overhead capital)

(ii) माँग की अविभाज्यता या माँग की पूरक प्रकृति (Indivisibility of demand or the complementary character of demand)

(iii) बचत की पूँति में अविभाज्यता (Indivisibility in the supply of savings)

सामाजिक ऊपरी पूँजी की पूँति की अविभाज्यता स्वाभाविक है, क्योंकि इसका न्यूनतम प्रकार आवश्यक रूप से ही बड़ा (necessarily large minimum size) होता है। उदाहरणार्थ, आधी रेल लाइन निर्माण से कोई लाभ नहीं होगा, अतः पूरी रेल लाइन के निर्माण के लिए आवश्यक मात्रा में विनियोग करना अनिवार्य है। साथ ही, इस प्रकार का विनियोग प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं के पूर्व होना चाहिए। निर्यात के लिए कृषि क्षेत्र के विकास के लिए विनियोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि खेतों से बन्दरगाहों पर कृषि-उपज को पहुँचाने के लिए सड़क का निर्माण नहीं कर दिया जाता। रोजेन्स्टीन रोडान का माँग की अविभाज्यता का विचार इस तथ्य पर आधारित है कि एकाकी विनियोग परियोजना को बाजार की कमी की भारी जोखिम को उठाना पड़ सकता है। इसके विपरीत, यदि कोई पूरक परियोजनाओं को एक साथ प्रारम्भ किया जाता है तो वे एक दूसरे के लिए बाजार प्रस्तुत कर देते हैं और उनके असफल होने की सम्भावना नहीं रहती है। रोजेन्स्टीन रोडान इस बात को एक जूते के कारखाने के उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते

हैं। मानलो कि एक स्थितिक और बन्द अर्थ-व्यवस्था में एक जूतों का कारखाना स्थापित किया जाता है जिसमें 100 श्रमिकों को जो पहले अर्थ-नियोजित थे, काम पर लगाया जाता है। उनको दी जाने वाली मजदूरी उनकी आय होगी किन्तु इसका बहुत थोड़ा भाग ही जूतों को खरीदने में व्यय किया जाएगा। ऐसी अर्थ-व्यवस्था में क्योंकि अतिरिक्त अर्थ-शक्ति का कोई साधन नहीं है और निर्यात की भी कोई सम्भावना नहीं है, बाकी बचे हुए जूतों की बिक्री नहीं हो पाएगी और कारखाना असफल हो जाएगा। किन्तु स्थिति उस समय एकदम भिन्न और अधिक अच्छी होगी यदि एक नहीं अपितु 10,000 पहले के अर्थ-नियोजित श्रमिकों को काम पर लगाने वाले 100 कृषि और औद्योगिक उपक्रम स्थापित किए जाएँ जिनमें अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्र की तुलना में उत्पादकता के उच्च स्तर पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ उत्पन्न की जाएँ। ऐसी स्थिति में उत्पन्न की गई अतिरिक्त आय अतिरिक्त उत्पादन को खरीदने के काम में लाई जा सकेगी और कुल विनियोगों की सफलता सुनिश्चित हो जाएगी।

'बड़े धक्के के सिद्धान्त' के सन्दर्भ में तीसरी अर्थात् 'बचत की पूर्ति' की अविभाज्यता की धारणा का उद्देश्य इस बात से होता है कि विशाल न्यूनतम विनियोग कार्यक्रमों की वित्त-व्यवस्था के लिए उँची न्यूनतम बचत अनिवार्य है। रोजेन्स्टीन रोडान के मतानुसार "आय के नीचे स्तर वाली अर्थ-विकसित अवस्थाओं में बचत की उँची दरों को प्राप्त करने का एक मात्र तरीका विनियोगों में वृद्धि ही है जिसे इन देशों में यहाँ के अविक्सित और अप्रयुक्त जन-शक्ति तथा अन्य साधनों को गतिशील बना कर ही प्राप्त किया जा सकता है।"

इस प्रकार उपरोक्त अविभाज्यताओं का पूरा लाभ उठाने और वाह्य-मितव्ययताओं से लाभान्वित होने के लिए विशाल मात्रा में विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी विनियोग करना चाहिए, अर्थात् अर्थ-व्यवस्था को 'बड़ा धक्का' विकास की ओर लगाना चाहिए। प्रो नर्कसे ने भी रोजेन्स्टीन रोडान की उपरोक्त अविभाज्यताओं के आधार पर ही संतुलित विकास की पद्धति का समर्थन किया है। बड़े धक्के के सिद्धान्त में संस्थागत परिवर्तन पर भी जोर दिया गया है। किन्तु इस सिद्धान्त को भी पूर्ण नहीं माना गया है। अर्थ-विकसित देशों के औद्योगीकरण और आर्थिक विकास के कार्यक्रम में 'बड़ा धक्का' (Big push) लगाना बड़ा कठिन है क्योंकि, इन देशों के साधन अल्प होते हैं। इसके अतिरिक्त संतुलित विकास के सिद्धान्त के विरुद्ध जो आलोचनाएँ की जाती हैं वे सामान्यतया इस सिद्धान्त पर भी लागू होती हैं।

हर्षमैन की विचारधारा (Approach of Hirschman)

असंतुलित विकास की शैली—नर्कसे की संतुलित विकास की शैली के विपरीत, ए. ओ. हर्षमैन (A. O. Hirschman) ने आर्थिक विकास के लिए असंतुलित विकास की शैली को अपनाने का सुझाव दिया है। हर्षमैन के 'असंतुलित विकास के सिद्धान्त' के अनुसार "अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विनियोजन नहीं

करके कुछ ऐसे चुने हुए क्षेत्रों में सीमित साधनों का उपयोग किया जाता है जिससे उसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है और धीरे-धीरे सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में क्रिया-प्रतिक्रिया द्वारा श्रृंखलाबद्ध विधि द्वारा आर्थिक विकास होता है अर्द्ध-विकसित देशों में साधनों का अभाव रहता है और यह सम्भव नहीं होता कि बहुमुखी विन्यास के लिए सभी क्षेत्रों में विशाल मात्रा में इन साधनों का विनियोजन कर सके। इसके अतिरिक्त, इन सीमित साधनों को सभी क्षेत्रों में फैला दिया जाए तो उनका उतना प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। अतः हर्षमैन ने यह मत व्यक्त किया है कि अर्थ-व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों या उद्योगों में विनियोजन करने से, विनियोग के नए अवसर उत्पन्न होंगे और इससे आगे आर्थिक विकास का पथ प्रशस्त होगा। उन्होंने लिखा है कि "विकास इसी प्रकार आगे बढ़ा है जिसके अनुसार आर्थिक वृद्धि अर्थ-व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों में, एक उद्योग से दूसरे उद्योग में और एक फर्म से दूसरी फर्म में पहुँचाई गई है।" वह विकास को असंतुलनों की एक श्रृंखला (Chain of dis-equilibrium) मानते हैं, जिन्हें समाप्त करने की अपेक्षा बनाए रखा जाना चाहिए। हर्षमैन के मतानुसार पूर्व-निर्धारित योजना के अनुसार अर्थ-व्यवस्था में जानबूझ कर असंतुलन उत्पन्न करना, अर्द्ध-विकसित देशों में आर्थिक विकास को प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है।

हर्षमैन के अनुसार विश्व के किसी भी देश में असंतुलित विकास नहीं हुआ है। आधुनिक विकसित देश भी विकास के वर्तमान स्तर पर संतुलित विकास शैली द्वारा नहीं पहुँचे हैं। संयुक्तराज्य अमेरिका की सन् 1950 की अर्थ-व्यवस्था की, सन् 1850 की अर्थ-व्यवस्था से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि उसके कई क्षेत्र विकसित हुए हैं, किन्तु पूरे शताब्दी में सभी क्षेत्र एक ही दर से विकसित नहीं हुए हैं। अतः अर्द्ध-विकसित देशों के विकास के लिए भी असंतुलित विकास की पद्धति उपयोगी है। हर्षमैन की यह भी मान्यता है कि "यदि अर्थ-व्यवस्था को आगे बढ़ते रहना है तो विकास की नीति का उद्देश्य तनाव (Tension), व्यनुपात (Disproportions) और असाम्य बनाए रखें। आदर्श स्थिति वह है, जबकि एक असाम्य विकास के प्रयत्नों के लिए प्रेरित करे जिससे पुनः इसी प्रकार का असाम्य उत्पन्न हो और इसी प्रकार चलता रहे।"

उनके अनुसार नई परियोजनाएँ पूर्व-निर्धारित परियोजनाओं द्वारा सृजित बाह्य मितव्ययताओं को हस्तगत (Appropriate) कर लेती हैं और वाद वाली परियोजनाओं के उपयोग के लिए कुछ बाह्य मितव्ययताओं का स्वयं भी सृजन करती हैं। किन्तु कुछ परियोजनाएँ ऐसी होती हैं, जो स्वयं सृजित मितव्ययताओं से अधिक शोषण करती हैं। इस प्रकार की परियोजनाओं में लगवाई गई पूँजी को 'प्रेरित विनियोग' (Induced investment) कहा जाता है, क्योंकि उनसे बाह्य मितव्ययताओं को कुल मिलाकर कोई लाभ नहीं होता है। इसके विपरीत कुछ परियोजनाएँ ऐसी होती हैं जो उपयोग में लाई गई बाह्य मितव्ययताओं से अधिक मितव्ययताओं का सृजन करती हैं। अर्थ-व्यवस्था के दृष्टिकोण से दूसरे प्रकार की

परियोजनाओं में निजी लाभदायकता (Private profitability) की अपेक्षा अधिक सामाजिक वांछनीय (Social desirability) होनी है। अतः विकास-नीति का उद्देश्य प्रथम प्रकार के विनियोगों को रोकना और दूसरे प्रकार के विनियोगों को प्रोत्साहन देना है। इस प्रकार, विकास की आदर्श संरचना एक ऐसा अनुक्रम (Sequence) है, जो साम्य से दूर ले जाता है और इस अनुक्रम में प्रत्येक प्रयत्न पूर्व असाम्य से प्रेरित होता है और जो अपने बारे में नया असंतुलन उत्पन्न करता है। इसके लिए पुनः प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। पॉल एलपर्ट (Paul Alpert) के अनुसार 'अ' उद्योग का विस्तार ऐसी मितव्ययताओं को जन्म देता है, जो 'अ' के लिए बाह्य होती है लेकिन जो 'ब' उद्योग को लाभ पहुँचाती है। अतः 'ब' उद्योग अधिक लाभ में रहता है और इसका विस्तार होता है। 'ब' उद्योग का विस्तार भी अपने साथ मितव्ययताएँ लाता है जिसमें उद्योग 'अ' 'स' और 'द' शामिल होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कदम पर एक उद्योग, दूसरे उद्योगों के पूर्वविस्तार द्वारा सृजित बाह्य मितव्ययताओं का लाभ उठाता है और साथ ही दूसरे उद्योगों के लाभ के लिए बाह्य मितव्ययताओं का सृजन करता है। ऐसा बहुधा हुआ है कि रेलवे निर्माण ने विदेशी बाजारों तक पहुँच (Accessibility) उत्पादन करके निर्यात के लिए कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया है। सस्ते घरेलू कपास की उपलब्धि ने सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना में योग दिया है। रेल, वस्त्र उद्योग, निर्यात के लिए कृषि के विकास ने भरमभस्त करने वालों और अन्त में, मशीनी यन्त्रों के निर्माण के लिए भाँग तैयार की है। इसके विस्तार से धीरे-धीरे स्वदेश में इस्पात उद्योगों को जन्म मिला है और यह क्रम निरन्तर चलता रहता है। एक उद्योग द्वारा प्रस्तुत बाह्य मितव्ययताओं के द्वारा दूसरे उद्योगों की स्थापना का क्रम कई अर्द्ध-विकसित देशों में चला है। भारत और ब्राजील का नाम इस दृष्टि से उल्लेखनीय है।

असंतुलन की विधि—हर्षमैन के विचारानुसार अर्द्ध-विकसित देशों में बुनियादी कमी ससाधनों की होती है। पूँजी का भी उतना अभाव नहीं होता, जितना कि उन उद्यमियों का, जो जोखिम सम्बन्धी निर्णय लेकर इन ससाधनों का उपयोग करते हैं। इस समस्या के समाधान हेतु अधिकाधिक उद्यमियों को विनियोग के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कुछ सीमा तक पूर्ण विकास के द्वारा ऐसी परिस्थितियों का सृजन किया जाना चाहिए जिससे नवीन विनियोग लाभदायक और उचित प्रतीत होता हो और वे उसके लिए विवश हो जाएँ। हर्षमैन ने विनियोग के लिए अर्थ-व्यवस्था को निर्मूलखित दो भागों में विभाजित किया है और उनमें से किसी एक के भी द्वारा असंतुलन उत्पन्न किया जा सकता है। ये दो क्षेत्र सामाजिक ऊपरी पूँजी (Social Overhead Capital : S. O. C.) और प्रत्यक्ष उत्पादन क्रियाएँ (Directly Productive Activities) हैं।

सामाजिक ऊपरी पूँजी द्वारा असंतुलन (Unbalancing with S. O. C.)—सामाजिक ऊपरी पूँजी के अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार, पानी, विद्युत,

प्रकाश तथा सिंचाई आदि जनोपयोगी सेवाएँ प्राप्ती हैं। इनमें विनियोग करने से इनका विकास होगा जिससे प्रत्यक्ष उत्पादन क्रियाओं में भी निजी विनियोग को प्रोत्साहन मिलेगा। उदाहरणार्थ, सस्ती बिजली से लघु और कुटीर उद्योगों का विकास होगा। सिंचाई की सुविधाओं से कृषि उद्योग का उचित विकास होगा। सामाजिक ऊपरी पूँजी में किए गए विनियोग कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के आदानों (Inputs) को सस्ता करके इसकी प्रत्यक्ष सहायता करेंगे। जब तक पर्याप्त विनियोगों द्वारा सामाजिक पूँजी सम्बन्धी सस्ती और श्रेष्ठ सेवाओं की उपलब्धि नहीं होगी, प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में निजी विनियोग को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। सस्ते यातायात के साधनों और सस्ती विद्युत् शक्ति की पर्याप्त उपलब्धि से ही विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित हो सकेंगे। अतः सामाजिक ऊपरी पूँजी में विनियोग द्वारा एक बार अर्थ-व्यवस्था को असन्तुलित किया जाए ताकि, उसके सद्भावों के कारण बाद में प्रत्यक्ष उत्पादक-क्रियाओं में भी विनियोग अधिकाधिक हो और अर्थ-व्यवस्था का विकास हो। जैसा कि प्रो. हर्षमैन ने लिखा है—“सामाजिक ऊपरी पूँजी में विनियोगों का समर्थन अन्तिम उत्पादन पर इसके प्रत्यक्ष लाभों के कारण नहीं किया जाता, अपितु, इसलिए किया जाता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं को आने की इजाजत देते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं (DAP) में विनियोग की पूर्व आवश्यकता है।”

प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं द्वारा असन्तुलन (Unbalancing with DPA)—अर्थ-व्यवस्था में प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं (DPA) के द्वारा भी असन्तुलन उत्पन्न किया जा सकता है और उसके द्वारा अर्थ-व्यवस्था के विकास का भी प्रयत्न किया जा सकता है। यदि प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में प्रारम्भिक विनियोग बढ़ाया जाएगा तो सामाजिक ऊपरी पूँजी (SOC) पर दबाव पड़ेगा तथा उसकी कमी अनुभव की जाने लगेगी। पर्याप्त सामाजिक ऊपरी पूँजी-निर्माण के अभाव में यदि प्रत्यक्ष-उत्पादक-क्रियाएँ प्रारम्भ की गईं तो उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। इन सब कारणों से स्वाभाविक रूप से सामाजिक ऊपरी पूँजी (SOC) का भी विस्तार होगा। इसी प्रकार प्रत्यक्ष उत्पादक-क्रियाओं के प्रारम्भ से होने वाली दाय में वृद्धि और राजनीतिक दबाव से भी सामाजिक ऊपरी पूँजी पर विनियोग को प्रोत्साहन मिलेगा।

विकास का पथ (Path to Development)—सामाजिक ऊपरी पूँजी (SOC) से प्रत्यक्ष उत्पादन-क्रिया (SOC to DPA) के प्रथम अनुक्रम (Sequence) को हर्षमैन ने सा ऊ पू की अतिरिक्त क्षमता द्वारा विकास (Development via excess capacity of SOC) और प्र उ क्रि में सा. ऊ पू (From DPA to SOC) के द्वितीय अनुक्रम को सा ऊ पू की स्थलता द्वारा विकास (Development via shortage of SOC) कहा है। प्रथम प्रकार के विकास पथ में विनियोग अनुक्रम लाभ की आशाओं से और द्वितीय प्रकार के राजनीतिक दबावों में होता है, क्योंकि सा ऊ पू. और प्र उ क्रि दोनों का ही एक साथ विस्तार नहीं किया जा सकता। अतः विकास के लिए किसी एक पथ को चुनना पड़ता है। दोनों

मार्गों में से किस मार्ग का अनुसरण किया जाए ? इस सम्बन्ध में हर्षमैन सा. ऊ. पू. की स्वल्पता (Development via shortage of SOC) को पसन्द करते हैं।¹

अगली और पिछली शृंखलाएँ (Forward and Backward Linkage)— आर्थिक विकास के लिए असतुलन का महत्व समझ लेने के पश्चात् अगली समस्या इस बात को ज्ञात करने की है कि किस प्रकार का असतुलन विकास के लिए अधिक प्रभावशाली है। अर्थ-व्यवस्था के कुछ क्षेत्र इतने महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होते हैं कि उनके विकसित होने पर अन्य क्षेत्र स्वयमेव प्रगति करने लग जाते हैं। उदाहरणार्थ, इस्पात कारखानों की स्थापना से पिछली शृंखला के प्रभाव (Backward linkage effects) के कारण, लोहा, कोयला, अन्य धातु-निर्माण-उद्योग, सीमेन्ट आदि की माँग बढ़ने के कारण इन उद्योगों का विकास होता है। इसी प्रकार आगे की शृंखलाओं के प्रभाव (Forward linkage effects) के कारण मशीन निर्माण उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, यन्त्र-उद्योग तथा सेवाओं को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार इस्पात उद्योग की स्थापना से अर्थ-व्यवस्था को एक गति मिलती है। उत्पादन की पूर्व और बाद वाली अवस्थाओं में विनियोग बढ़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। अतः विकास-प्रक्रिया का उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं को ज्ञात करना है जिनका अधिकाधिक शृंखला-सम्बन्ध प्रभाव हो। पिछली और अगली शृंखलाओं का प्रभाव आदान-प्रदान (Input-output) सारणियों द्वारा मापा जा सकता है यद्यपि इनके बारे में अर्द्ध-विकसित देशों में विश्वसनीय जानकारी नहीं होती है। ऐसी परियोजनाएँ जिनका शृंखला प्रभाव अधिक हो, विभिन्न देशों और विभिन्न समयों में भिन्न-भिन्न होती हैं। लोहा और इस्पात उद्योग इसी प्रकार की एक परियोजना है। हर्षमैन के अनुसार "सर्वोच्च शृंखला प्रभाव वाला लोहा उद्योग तथा इस्पात है (The industry with the highest combined linkage score is iron and steel)" किन्तु अधिकतम शृंखला प्रभाव वाले लोहे और इस्पात उद्योग से ही औद्योगिक विकास का प्रारम्भ नहीं हो सकता है क्योंकि अर्द्ध विकसित देशों में अन्तर्निर्भरता और शृंखला प्रभावों की कमी होती है। इन देशों में कृषि प्रादि प्राथमिक उत्पादन उद्योग होते हैं जिनके दोनों प्रकार के प्रभाव निर्बल होते हैं परिणामस्वरूप, रोजगार या कुल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि के रूप में अर्थ-व्यवस्था पर इनके विकास के प्रभाव बहुत कम होने हैं।

इसीलिए हर्षमैन 'अन्तिम उद्योग पहले' (Last industries first) की धारणा का समर्थन करते हैं। इन उद्योगों को 'Import Inclave Industries' भी कहते हैं, जो पिछली शृंखला के व्यापक और गम्भीर प्रभाव उत्पन्न करते हैं। वस्तुतः पिछली शृंखलाओं के प्रभाव जो कई अन्तिम अवस्था वाले उद्योगों (Last stage Industries) के संयुक्त परिणाम होने हैं, अधिक महत्व वाले होते हैं। पिछली शृंखलाएँ माँग में वृद्धि के कारण उत्पन्न होती हैं। प्रारम्भ में 'Import Inclave Industries' में

विदेशों से किसी वस्तु के हिस्से मंगाकर देश में उनको सम्मिलित (Assemble) करने के रूप में अन्तिम उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए। पिछली श्रृंखलाओं के द्वारा बाढ़ में इनकी माँग में वृद्धि होने पर इन हिस्सों के उद्योग भी स्वदेश में ही स्थापित किए जाने चाहिए और इन आयात प्रतिस्थापन करने वाले उद्योगों को सरक्षण या अनुदान (Subsidy) आदि के रूप में सहायता दी जानी चाहिए।

संक्षेप में, प्रो हर्षमैन की आर्थिक विकास की असंतुलित रैली को उन्ही के शब्दों में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है—“आर्थिक विकास असमान वृद्धि के मार्ग का अनुसरण करता है कि दबावों, प्रेरणाओं और अनिवार्यताओं के परिणामस्वरूप असंतुलन की स्थापना की जाती है कि आर्थिक विकास का कुशलता-पूर्ण मार्ग अव्यवस्थित होता है और कठिनाइयों और कुशलताओं, सुविधाओं, सेवाओं और उत्पादों की कमियों तथा कठिनाइयों से युक्त होता है, कि औद्योगिक विकास अधिकांश में पिछली श्रृंखलाओं के द्वारा आगे बढ़ेगा अर्थात् यह अपना मार्ग अन्तिम स्पर्श (Last touches) से मध्यवर्ती और आधारभूत उद्योगों की ओर लेगा।”

हर्षमैन के दृष्टिकोण का मूल्यांकन (Critical Appraisal of Hirschman's Approach)—हर्षमैन द्वारा प्रतिपादित असंतुलित विकास का सिद्धान्त अर्द्ध-विकसित देशों में आर्थिक विकास को गति में तीव्रता लाने का एक उपयोगी उपाय है। विकास के लिए प्रेरणाओं और उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं आदि का इन सिद्धान्त में उचित रूप से विवेचन किया गया है। पिछली और अगली श्रृंखलाओं के प्रभावों और अन्तिम अवस्था उद्योग (Import Inclave Industries) का विवेचन भी उपादेय है। अर्द्ध-विकसित देशों के लिए अल्पधिक बाँछनीय नियंत्रण सवर्द्धन और आयात प्रतिस्थापन तथा प्रारम्भिक अवस्थाओं में उद्योगों को संरक्षण और सहायता पर भी इन सिद्धान्त में उचित बल दिया गया है। हर्षमैन के इस सिद्धान्त में न तो रूस जैसी पूर्ण केन्द्रीकृत-नियोजन-वृद्धि का समर्थन किया गया है न ही पूर्णरूप से निजी उपक्रम द्वारा विकास की सम्भ्यता को अस्वीकार माना गया है। सामाजिक ऊपरी पंजी के विकास में वह सांबन्धिक उत्तरदायित्व पर बल देता है क्योंकि, निजी-उपक्रम द्वारा इनका बाँछित विकास असम्भव है और इसके अभाव में प्रत्यक्ष उत्पादन निराएँ प्रोत्साहित नहीं हो सकती। इस प्रकार, हर्षमैन मिश्रित अर्द्ध-व्यवस्था के एक से अधिक होते हैं। जो अर्द्ध-विकसित देशों के अर्थ में एक पूर्ण उपयुक्त विचार है।

मालोचना—हर्षमैन के सिद्धान्त की निम्नलिखित मालोचनाएँ की गई हैं—

1. पॉल स्ट्रीटन (Paul Streeten) ने हर्षमैन के उक्त सिद्धान्त की मालोचना करते हुए लिखा है कि “महत्वपूर्ण प्रश्न असंतुलन उत्पन्न करने का नहीं है बल्कि विकास को गति देने के लिए असंतुलन का अनुकूलतम अंश क्या हो, किन्तु और कहाँ असंतुलन पैदा किया जाए, महत्वपूर्ण बिन्दु (Growing Points) क्या हैं?” इस प्रकार इस सिद्धान्त में असंतुलन की संरचना, विशा और समय पर पर्याप्त ध्यान केन्द्रित नहीं हुआ है।

2 पॉल स्ट्रीटन के अनुसार इस सिद्धान्त में विस्तार की प्रेरणाओं पर ही ध्यान दिया गया है तथा असंतुलन द्वारा उत्पन्न अवरोधों की अवहेलना की गई है।

3 असंतुलित विकास के सिद्धान्त के अनुसार अर्थ-व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में ही विनियोग किया जाता है। इससे प्रारम्भिक अवस्था में जब तक परिपूरक उद्योगों का विकास नहीं हो, साधन अप्रयुक्त और निष्क्रिय रहते हैं। इस प्रकार आधिक्य क्षमता (Excess Capacity) के कारण एक ओर काफी अपव्यय होता है जबकि दूसरी ओर साधनों के अभाव में उद्योग स्थापित नहीं होते।

4 इस सिद्धान्त के अनुसार, एक क्षेत्र में विनियोगों को केन्द्रित किया जाता है, जिससे अर्थ-व्यवस्था में असंतुलन दबाव और तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हें दूर करने के लिए दूसरे क्षेत्रों में विनियोग किया जाता है और इस प्रकार आर्थिक विकास होता है। किन्तु अर्द्ध-विकसित देशों में ये दबाव और तनाव आर्थिक विकास को अवरुद्ध करने की सीमा तक गम्भीर हो सकते हैं।

5 कुछ आलोचकों के अनुसार तकनीकी अविभाज्यताओं, गणना और अनुमान की त्रुटियों एवं माँग तथा पूर्ति की सारणियों के धेलोच स्वभाव के कारण, अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में स्वाभाविक रूप से ही असंतुलन उत्पन्न होते रहते हैं। अतः अर्थशास्त्रियों द्वारा नीति के रूप में यह बताया जाना आवश्यक नहीं है।

6 इस सिद्धान्त का समाजवादी अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए सीमित महत्त्व है क्योंकि वहाँ विनियोग सम्बन्धी निश्चय, बाजार-तन्त्र और प्रेरणाओं द्वारा नहीं अपितु राज्य द्वारा किए जाते हैं।

7 असंतुलित विकास के लिए आवश्यक प्रेरणा तान्त्रिकता (Inducement mechanism) का उपयोग वही व्यावहारिक हो सकता है, जहाँ साधनों में आन्तरिक सोच और गतिशीलता हो, किन्तु अर्द्ध-विकसित देशों में साधनों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानान्तरण कठिन होता है।

8 असंतुलित विकास के सिद्धान्त के विरुद्ध सबसे बड़ा तर्क यह प्रस्तुत किया जाता है कि इससे अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा प्रसारक प्रवृत्तियों को जन्म मिलता है। इस सिद्धान्त के अनुसार, अर्थ-व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में विनियोग किया जाता है जिससे आय में वृद्धि होती है। परिणामस्वरूप, उपभोक्ता वस्तुओं की माँग और मूल्य अपेक्षाकृत बढ़ जाते हैं। अर्द्ध-विकसित देशों में इन्हे रोकने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय उपाय भी प्रभावपूर्ण नहीं हो पाते। इस प्रकार, मुद्रा प्रसारक प्रवृत्तियाँ विकसित होने लगती हैं।

9. हर्पमैन द्वारा उल्लिखित 'शृंखला प्रभाव' (Linkage effects) भी अर्द्ध-विकसित देशों में इतने सक्रिय और प्रभावपूर्ण नहीं सिद्ध होते।

उपरोक्त सीमाओं के होते हुए भी असंतुलित विकास की तकनीक अर्द्ध-विकसित देशों के द्रुत विकास के लिए अत्यन्त उपयोगी है और कई अर्द्ध-विकसित देशों ने विकास के लिए इस युक्ति को अपनाया है। सोवियत रूस ने इस पद्धति को अपना कर अपना द्रुत विकास किया है। भारतीय योजनाओं में भी विशेष रूप से

दूसरी योजना में इस शैली को अपनाया गया है। योजना में विशेष तप से भारी और आधारभूत उद्योगों के विकास को पर्याप्त महत्त्व दिया गया है। सार्वजनिक विनियोगों में उद्योगों का भाग प्रथम योजना में केवल 5% से भी कम था। किन्तु द्वितीय योजना में यह अनुपात बढ़ कर 19% और तृतीय योजना में 24.2% हो गया था।

प्रो. मिन्ट की विचारधारा (Approach of Prof. Myint)

प्रो मिन्ट (Myint) के अनुसार विदेशी उद्योगियों द्वारा उपनिवेशों में अपनाई गई दुर्भाग्यपूर्ण नीतियों ने इन देशों में विकास की प्रक्रिया के प्रारम्भ को रोक रखा है। इन देशों में संचालित खनन और वाणज (Mining and Plantation ventures) व्यवसायों में इनके प्रबन्धकों का यह दृष्टिकोण था कि स्थानीय श्रमिकों में विकास क्षमता नहीं है। अतः न्यून आय वाले देशों के श्रमिकों में प्रचलित आय के स्तर के लगभग बराबर ही मजदूरी दी गई। मजदूरी की यह न्यून दरें जहाँ पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों को आकर्षित नहीं कर सकी, वहाँ पर श्रमिकों का भारत, चीन आदि कम आय वाले देशों से आयात किया। इस सन्दर्भ में प्रो मिन्ट ने एल सी नोब्ल्स (L C Knowles) के इस कथन का उद्धरण दिया है कि ब्रिटिश उपनिवेशों की तीन मातृभूमियाँ थी—ब्रिटेन, भारत और चीन। इस प्रकार इन उपनिवेशों में मजदूरी बहुत कम दी गई। प्रो मिन्ट ने सुझाव दिया है कि यदि नियाजकों ने इन्हें ऊँची मजदूरी दी होती और स्थानीय श्रमिकों की उत्पादकता में उस स्तर तक वृद्धि के लिए प्रयत्न किए होते जिस स्तर में इस मजदूरी नीति को लाभदायक बनाया होता, तो सम्भवतः उन्होंने विकास की गतिविधियों को प्रेरणा दी होती।

प्रो मिन्ट के विचारानुसार यदि गाँधी में नई और आकर्षक प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएँ बिक्री के लिए पहुँचाई जाती हैं और अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा का प्रचलन किया जाता है तो निर्वाह अर्थ व्यवस्था (Subsistence Economy) को भी विकास की उत्तेजना मिलती है। नई उपभोक्ता वस्तुओं के परिचय द्वारा विकास की उत्तेजना का विचार मिन्ट के पूर्व भी बतलाया गया था। ये विचार नई आवश्यकताओं के मानव व्यवहार पर प्रभाव के साधारण मनोविज्ञान पर आधारित हैं।

लेबेन्स्टीन की विचारधारा (Leibenstein's Approach)

प्रो हार्वे लेबेन्स्टीन ने अपनी पुस्तक 'Critical Minimum Effort Thesis' में आर्थिक विकास से सम्बन्धित बहुत महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए हैं। अपने इस ग्रन्थ में लेबेन्स्टीन ने भारत, चीन, इण्डोनेशिया आदि उन अर्द्ध-विकसित या अल्प-विकसित देशों की समस्याओं का अध्ययन किया है, जिनमें जनसंख्या का घनत्व अधिक है। यद्यपि उनका तथ्य इन देशों की समस्याओं को समझना है, उनका समाधान प्रस्तुत करना नहीं तथापि उन्होंने समस्याओं के समाधानार्थ कुछ महत्वपूर्ण उपाय अवश्य सुझाए हैं। लेबेन्स्टीन ने अपनी पुस्तक में यह अध्ययन किया है कि

अर्द्ध-विकसित देशों के पिछड़ेपन से किस प्रकार मुक्ति पायी जा सकती है। उन्होंने अपने ग्रन्थ में विकास के समस्त घटकों और नीतियों को अपनी अध्ययन सामग्री नहीं बनाया है वरन् उनका मुख्य लक्ष्य उनके 'न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न' (Critical Minimum Effort) के बाद या मत (Thesis) को नमस्कार रहा है।


लेवेन्स्टीन के मतानुसार दीर्घकालीन स्थायी और स्वयं स्फूर्त विकास के लिए यह आवश्यक है कि अर्थ-व्यवस्था में जो विनियोजन किया जाए वह इतनी मात्रा में हो, जिससे पर्याप्त स्फूर्ति मिल सके। लेवेन्स्टीन के अनुसार मात्र इसी उपाय से अर्द्ध-विकसित देश अपने आर्थिक दुष्पन्न से मुक्ति पा सकते हैं।

लेवेन्स्टीन के कथनानुसार अर्द्ध-विकसित या अल्प-विकसित देशों में पाए जाने वाले दुष्पन्न उन्हें प्रति व्यक्ति आय के निम्न साम्य की स्थिति में रखते हैं। यद्यपि ऐसे देशों में श्रम और पूँजी की मात्रा में परिवर्तन होते हैं, किन्तु उनके प्रभाव के कारण प्रति व्यक्ति आय के स्तर में नगण्य परिवर्तन होते हैं। इस स्थिति से निकलने के लिए कुछ 'न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न' (Critical Minimum Efforts) की आवश्यकता है, जो प्रति व्यक्ति आय को ऐसे स्तर तक बढ़ा दे जहाँ से सतत् विकास-प्रक्रिया जारी रह सके। उन्होंने बताया है कि पिछड़ेपन से हम निरन्तर दीर्घकालीन विकास की आशा कर सके, यह आवश्यक (यद्यपि सदा पर्याप्त नहीं) शर्त है कि किसी बिन्दु पर या कुछ ऋचि में अर्थ-व्यवस्था को विकास के लिए ऐसी उत्तेजना (Stimulus) मिले जो निश्चित न्यूनतम आवश्यक प्रयत्नों से अधिक हो। लेवेन्स्टीन के मतानुसार प्रत्येक अर्थ-व्यवस्था में दो प्रकार की शक्तियाँ क्रियाशील रहती हैं। एक ओर कुछ 'उत्तेजक' (Stimulants) तत्त्व होते हैं जिनका प्रभाव प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने वाला होता है। दूसरी ओर कुछ पीछे धकेलने वाले (Shocks) तत्त्व होते हैं, जो प्रति व्यक्ति आय को घटाने का प्रभाव रखते हैं। अर्द्ध-विकसित देशों में प्रथम प्रकार के तत्त्व कम और द्वितीय प्रकार के तत्त्व अधिक प्रभावशील होने हैं। अतः आय घटाने वाले तत्त्वों से कहीं अधिक आय में वृद्धि करने वाले तत्त्वों को उत्तेजित करने पर ही अर्थ-व्यवस्था विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगी और ऐसा तभी सम्भव होगा, जबकि न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न (Critical Minimum Efforts) किए जाएँगे।

प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या-वृद्धि का सम्बन्ध—लेवेन्स्टीन का सिद्धान्त इस अनुभव पर आधारित है कि जनसंख्या वृद्धि की दर प्रति व्यक्ति आय के स्तर का फलन (Function) है और यह विकास की विभिन्न अवस्थाओं से सम्बन्धित है। आय के जीवन निर्वाह साम्य स्तर (Subsistence level of income level) पर जन्म और मृत्यु दरें अधिकतम होती हैं। आय के इस स्तर से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर मृत्यु-दरें गिरना प्रारम्भ होती है, यद्यपि प्रारम्भ में जन्म दरें कम नहीं होती हैं परिणामस्वरूप, जनसंख्या वृद्धि की दर बढ़ जाती है। इस प्रकार, प्रारम्भ में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जनसंख्या-वृद्धि की दर को बढ़ाती है किन्तु ऐसा एक सीमा तक ही होता है और उसके पश्चात् प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से

जन्म-दर गिरने लगती है, क्योंकि ड्यूमोंट (Dumont) की 'Social Capillarity' की धारणा के अनुसार, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ-साथ बच्चों की संख्या में वृद्धि द्वारा माता-पिताओं की आय में वृद्धि करने की इच्छा कम होती जाती है। इसके अतिरिक्त विशिष्टीकरण सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता तथा नौकरी व्यवस्था आदि में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि आदि कारणों से बड़े परिवार का पालन-पोषण कठिन और व्ययसाध्य हो जाता है। अतः आय की वृद्धि के साथ पहले जन्म-दरें स्थिर होती हैं तत्पश्चात् गिरना प्रारम्भ कर देती हैं। इस प्रकार ज्यो-ज्यो अर्थ-व्यवस्था विकसत की ओर बढ़ती जाती है जनसंख्या वृद्धि की दर त्यों-त्यों कम होती जाती है। जापान और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों में इस प्रकार के उदाहरण देखे जा सकते हैं। लेवेन्स्टीन के मतानुसार, जीव विज्ञान की दृष्टि से जनसंख्या की अधिकतम वृद्धि की दर 3% से 4% के बीच में होती है। जनसंख्या की इस उंची वृद्धि की दर पर काबू पाने और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करके जनसंख्या वृद्धि की दर को घटाने के लिए न्यूनतम आवश्यक प्रयत्नों की आवश्यकता है। इसे निम्न चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है—

चित्र-6



उपरोक्त चित्र में N और P वक्र आय में वृद्धि-दर और जनसंख्या वृद्धि-दर को निर्माण करने वाली प्रति व्यक्ति आय के स्तर को प्रदर्शित करते हैं। a बिन्दु पर जो कि निर्वाह साम्य का बिन्दु है आय-वृद्धि और जनसंख्या-वृद्धि की दर समान है। यदि प्रति व्यक्ति आय में थोड़ी वृद्धि होती है, मान लो यह OY_b हो जाती है, तो जनसंख्या-वृद्धि की दर और आय-वृद्धि की दर दोनों बढ़ती हैं, किन्तु आय-वृद्धि की प्रवृत्ति जनसंख्या वृद्धि तेजी से होगी है। प्रति व्यक्ति आय के उससे भी उच्च स्तर OY_c पर जनसंख्या वृद्धि की दर 2% है जबकि आय-वृद्धि की दर केवल 1% है। चित्र में Y_d जनसंख्या वृद्धि की दर Y_c आय वृद्धि की दर से अधिक है। इस

समस्या के समाधान के लिए प्रति व्यक्ति आय की दर इतनी बढ़ानी चाहिए, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर जनसंख्या वृद्धि की दर को पीछे छोड़ दे। ऐसा प्रति व्यक्ति आय के स्तर के Y_c से अधिक होने पर ही हो सकता है। यहाँ से जनसंख्या-वृद्धि की दर गिरना शुरू हो जाती है अतः निरन्तर आर्थिक विकास की स्थिति को लाने के लिए Y_c न्यूनतम आवश्यक प्रति व्यक्ति आय का स्तर है और इसे प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न किए जाने चाहिए।

प्रति व्यक्ति आय का स्तर आय में वृद्धि करने वाला तत्त्व है और इसके द्वारा प्रेरित जनसंख्या में वृद्धि, आय घटाने वाला तत्त्व है। अतः निरन्तर आर्थिक विकास की स्थिति में अर्थव्यवस्था को पहुँचाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रारम्भिक पूँजी-निवेश ही निश्चित न्यूनतम स्तर से अधिक हो जो स्वयं उद्भूत या प्रेरित आय घटाने वाली शक्तियों पर काबू पाने योग्य प्रति व्यक्ति आय का उच्च-स्तर प्रदान करे।

अर्द्ध-विकसित देशों में जनसंख्या-वृद्धि के अतिरिक्त भी उत्पादन साधनों की अविभाज्यता के कारण होने वाली आन्तरिक अमितव्ययताएँ, बाह्य-परस्पर निर्भरता के कारण होने वाली बाह्य अमितव्ययताएँ, सांस्कृतिक, सामाजिक और सत्यागत बाधाओं की उपस्थिति तथा उन्हें दूर करने की आवश्यकता भी इन देशों में बड़ी मात्रा में आवश्यक न्यूनतम प्रयत्नों की अनिवार्यता सिद्ध करती है। किन्तु अर्द्ध-विकसित देशों में आय केवल जीवन-निर्वाह स्तर योग्य होती है और इसका समस्त ध्यय प्रचलित उपभोग के लिए ही होता है। बहुत थोड़ी राशि ही मानव और भौतिक पूँजी-निर्माण के लिए व्यय की जा सकती है। अतः सतत् आर्थिक विकास का पथ प्रशस्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न (Critical Minimum Efforts) आय के जीवन-निर्वाह से अधिक ऊँचे स्तर पर होने चाहिए।

विकास-अभिकर्ता (Growth Agents)—लेवेन्स्टीन ने अपने सिद्धान्त को इस तर्क पर आधारित किया है कि अर्थव्यवस्था में विकास के लिए उपयुक्त कुछ आर्थिक दशाएँ उपस्थित रहती हैं जो आय-वृद्धि की शक्तियों को आय में कमी करने वाली शक्तियों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ाती हैं। 'विकास अभिकर्ता (Growth Agents) इन दशाओं को जन्म देते हैं। 'विकास-अभिकर्ता' वे होते हैं, जो विकास में योग देने वाली क्रियाओं (Growth Contributing Activities) को संचालित करते हैं। उद्यमी (Entrepreneur), विनियोजक (Investor), बचत करने वाले (Saver) एवं नव-प्रवर्तक (Innovator) आदि उल्लेखनीय 'विकास अभिकर्ता' हैं। विकास साधकों का इस विकास में योगदान देने वाली क्रियाओं के कारण पूँजी और बचत की दर, श्रम-शक्ति की कुशलता, ज्ञान और जोखिम की मात्रा में वृद्धि होती है। लेवेन्स्टीन के अनुसार 'विकास साधनों का विस्तार होगा या नहीं' यह इन क्रियाओं के सम्भावित और वास्तविक परिणाम तथा सम्भावनाओं, क्रियाओं और परिणामों की अन्त क्रिया द्वारा उत्पन्न आगे विस्तार (Expansion) और संकुचन (Contraction) के लिए प्रेरणाओं पर निर्भर करते हैं। ये प्रेरणाएँ दो प्रकार की होती हैं—

(i) शून्य-राशि प्रेरणाएँ (Zero-sum Incentives)— इनसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं होती है, इनका केवल वितरणात्मक प्रभाव होता है ।

(ii) धनात्मक राशि-प्रेरणाएँ (Positive-sum Incentives)— जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती हैं वेवल दूसरे प्रकार की प्रेरणाओं द्वारा ही आर्थिक विकास हो सकता है । किन्तु अर्द्ध-विकसित देशों में प्रथम प्रकार की क्रियाओं में ही व्यक्ति सलग रहते हैं और दूसरे प्रकार की क्रियाएँ मूलतः मात्रा में संचालित की जाती हैं । जो कुछ इस प्रकार की क्रियाएँ की जाती हैं वे अर्थव्यवस्था में विशुद्ध विकास की अनुपस्थिति के कारण प्रभावहीन ही रहती हैं । इसके अनिश्चित प्रति व्यक्ति आय पर विपरीत प्रभाव डालने वाली निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ भी क्रियाशील रहती हैं—

(i) सम्भावित वृद्धिमान आर्थिक अवसरों में कटौती और रोक द्वारा वर्तमान आर्थिक रियायतों (Privileges) को बनाए रखने वाली (Zero sum Activities) शून्य राशि प्रेरणाएँ ।

(ii) परिवर्तन के प्रतिरोध में की गई संगठित और असंगठित श्रम द्वारा की जाने वाली अनुदार कायबाहिया ।

(iii) नवीन ज्ञान और विचारों का अवरोध ।

(iv) निजी और सार्वजनिक सत्याओं द्वारा अनुत्पादक प्रकृति के व्यय में वृद्धि ।

(v) जनसंख्या-वृद्धि के परिणामस्वरूप होने वाली श्रम शक्ति में वृद्धि जिसके कारण प्रति व्यक्ति उपलब्ध पूँजी की मात्रा कम हो जाती है ।

आर्थिक प्रगति पर विपरीत प्रभाव डालने वाले उपरोक्त तत्वों को प्रभावहीन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न (Sufficiently large critical minimum efforts) किए जाने चाहिए, जो धनात्मक-राशि क्रियाओं को उत्तेजित करें । ऐसा होने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी जिसके कारण बचत और निविद्योग की मात्रा बढ़ेगी । परिणामस्वरूप, विकास-प्रभिकर्ताओं (Growth Agents) का विस्तार होगा, विकास में उनका योगदान बढ़ेगा, विकास में बाधक तत्वों की प्रभावहीनता बढ़ेगी, सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता को बढ़ाने वाले सामाजिक वातावरण का निर्माण होगा, विशिष्टीकरण बढ़ेगा और द्वितीयात्मक और तृतीयात्मक उद्योगों का विस्तार होगा । इन सबके कारण सामाजिक वातावरण में ऐसे परिवर्तनों का मार्ग साफ होगा जिससे जन्म-दर और जनसंख्या वृद्धि की दरें गिर जाएँगी । प्रो लेवेन्स्टीन ने अर्द्ध-विकसित देशों के लिए इस न्यूनतम आवश्यक प्रयत्नों की मात्रा का भी अनुमान लगाया है ।

समीक्षा—प्रो लेवेन्स्टीन ने अपनी पुस्तक के प्राक्कथन में लिखा है कि उनका उद्देश्य स्पष्टीकरण और व्याख्या करना है, न कि कोई नुस्खा बताना है । किन्तु उनके इस सिद्धान्त ने कई अर्थशास्त्रियों और नियोजकों को आकर्षित किया है और यह अर्द्ध-विकसित देशों के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने का एक उपाय माना जाने लगा है । इसका एक कारण तो यह है कि उतना यह विचार अर्थशास्त्र-विकसित देशों द्वारा अपनाई गई जनतांत्रिक नियोजन (Democratic Planning)

पद्धति से मेल खाता है। इसके साथ ही यह रोजेन्स्टीन रोडान (Rosenstein Rodan) के 'बड़े धक्के' (Big Push) के सिद्धान्त की अपेक्षा वास्तविकता के अधिक निकट है, क्योंकि, अर्द्ध-विकसित देशों के औद्योगीकरण के लिए एक बार ही 'बड़ा धक्का' देना कठिन होता है, जबकि लेवेन्स्टीन के 'न्यूनतम आवश्यक प्रयत्नों' को छोटे प्रयत्नों के रूप में टुकड़ों-टुकड़ों में विभाजित करके प्रयोग में लाया जा सकता है।

किन्तु यह सिद्धान्त भी आलोचना मुक्त नहीं रहा जा सकता। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर एक बिन्दु तक जनसंख्या-वृद्धि की दर बढ़ती जाती है और उसके पश्चात् उसमें गिरावट आने लगती है। किन्तु वस्तुतः यह प्रथम प्रक्रिया, अर्थात्, जनसंख्या-वृद्धि की दर बढ़ाने का कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं, अपितु चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि के कारण घटने वाली मृत्यु-दर है। उदाहरणार्थ, भारत में 1911-21 में मृत्यु-दर 48.6 प्रति हजार से घट कर 1959-61 में 22.8 प्रति हजार रह जाने के कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं, अपितु रोगों पर नियन्त्रण और चिकित्सा व जन-स्वास्थ्य का अधिक ज्ञान और इन सुविधाओं में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार इस बिन्दु के पश्चात् जन्म-दर में कमी का श्रेय न्यूनतम आवश्यक स्तर पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को नहीं है। अर्द्ध-विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जन्म-दर को नहीं घटा सकती है। जापान एवं अन्य प्रगतिशील देशों में जिनके आधार पर लेवेन्स्टीन ने अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया है, यह सत्य हो सकता है। किन्तु अर्द्ध-विकसित देशों में जन्म-दर को घटाने के लिए लोगों के दृष्टिकोण, समझ, सामाजिक संस्थाओं आदि में परिवर्तन और शिक्षा प्रचार की आवश्यकता है। वस्तुतः जन्म-दर में कमी करने के लिए प्रति व्यक्ति आय में न्यूनतम आवश्यक स्तर से अधिक वृद्धि होने तक कोई भी अर्द्ध-विकसित देश प्रतीक्षा नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या की स्थिति विस्फोटक दशा ग्रहण कर सकती है।

6

आर्थिक विकास के लिए नियोजन

(PLANNING FOR ECONOMIC GROWTH)

“आयोजन का अर्थ केवल कार्य-सूची बना लेने से नहीं होता और न ही यह एक राजनीतिक आदर्शवाद है। आयोजन एक बुद्धिमतापूर्ण, विवेकपूर्ण तथा वैज्ञानिक पद्धति है जिसके अनुसार हम अपने आर्थिक व सामाजिक उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं व प्राप्त कर सकते हैं।” —जवाहरलाल नेहरू

नियोजित अर्थ-व्यवस्था आधुनिक काल की एक नवीन प्रवृत्ति है। 19वीं शताब्दी में पूंजीवाद, व्यक्तिवाद और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का बोलबाला रहा तथा अधिकांश देश स्वतन्त्र व्यापार-नीति और आर्थिक स्वतन्त्रता के समर्थक रहे। लेकिन पिछली अर्द्ध-शताब्दी में रूस की क्रान्ति, सन् 1929-32 की विश्व-व्यापी आर्थिक-मन्दी, दो भीषण महायुद्धों व उपनिवेशवाद की समाप्ति, लोक-वित्त, तकनीकी प्रगति, एवं सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रवृत्तियाँ आदि के कारण आर्थिक नियोजन का महत्त्व स्थापित हो चुका है और आज प्रत्येक देश में किसी न किसी अंश में नियोजन का मार्ग अपनाया जा रहा है। संसार के लगभग सभी देश अपने आर्थिक विकास और उन्नति के लिए आर्थिक नियोजन में जुटे हुए हैं।

आर्थिक नियोजन इतना महत्त्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध हुआ है कि अमेरिका, ब्रिटेन आदि स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था वाले देश भी व्यापक अर्थ में नियोजन का सहारा लेने लग रहे हैं। अर्द्ध-विकसित देशों में तो नियोजन अत्यधिक लाभदायक है ही क्योंकि इसके द्वारा अधि-निर्माण की प्रक्रिया को गति देकर द्रुत आर्थिक विकास किया जाना सम्भव है। अर्द्ध-विकसित देशों की मूल समस्या कीमत् स्थायित्व के माध्यम से आर्थिक वृद्धि करना है। आर्थिक वृद्धि की उच्च-दर, आर्थिक नियोजन पर निर्भर करती है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में ही एक अभीष्ट सीमा तक पूर्ण रोजगार, समृद्धता, स्थायित्व, आत्म-निर्भरता आदि आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति सम्भव है। अनियोजित अथवा निजी उद्यम वाली स्वचालित अर्थ-व्यवस्था में संतुलन की स्थिति तो सम्भव है, किन्तु आर्थिक विकास की उच्च-दर के लिए स्वचालित अर्थ-व्यवस्था के

निम्न स्तरीय सन्तुलन को नष्ट करना आवश्यक है। कीम्स के अर्थशास्त्र में स्पष्ट सकेत मिलता है कि स्वत. प्राप्त पूर्ण रोजगार जैसी कोई स्थिति नहीं होती है (There is no automatic full employment)। 'पैरेटो उत्तमावस्था' (Pareto-optimality) का सिद्धान्त भी यह स्पष्ट करता है कि सम्पत्ति व आय का वितरण इस सिद्धान्त की मुख्य शर्तों के अन्तर्गत नहीं आता अर्थात् विकास, समानता, स्थायित्व, आत्म-निर्भरता, पूर्ण रोजगार आदि आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक नियोजन आवश्यक है। इसीलिए अर्द्ध-विकसित देशों में आर्थिक वृद्धि की उच्च-दर प्राप्त करने के लिए नियोजन का मार्ग अपनाया जाता है।

निर्भोजित और अनियोजित अर्थ-व्यवस्था की तुलना (Comparison of Planned and Un-planned Economies)

जो देश आर्थिक विकास तथा अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आर्थिक नियोजन की पद्धति को अपनाते हैं, उस देश की अर्थ-व्यवस्था को नियोजित अर्थ-व्यवस्था (Planned Economy) कहते हैं। 'नियोजित अर्थ-व्यवस्था' में केन्द्रीय नियोजन सत्ता द्वारा सचेत रूप से निर्धारित आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है जिन पर सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियन्त्रण होता है। अनियोजित अर्थ-व्यवस्था के विपरीत अनियोजित अर्थ-व्यवस्था वह होती है जो आर्थिक नियोजन को नहीं अपनाती है। नियोजित और अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में होने वाले निम्नलिखित प्रमुख अन्तर हैं—

नियोजित अर्थ-व्यवस्था (Planned Economy)

1. इसमें समस्त अर्थ-व्यवस्था को एक इकाई मान कर सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र के लिए योजना बनाई जाती है।
2. आर्थिक क्रियाओं के निर्देशन के लिए केन्द्रीय नियोजन अधिकारी होता है।
3. सावजनिक हित सर्वोपरि होता है।
4. आर्थिक क्रियाओं पर राज्य-नियन्त्रण होता है।
5. उत्पादन राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है।
6. मूल्य-तान्त्रिकता महत्वहीन होती है।
7. यह निर्भरित अर्थ-व्यवस्था होती है।

अनियोजित अर्थ-व्यवस्था (Un-planned Economy)

1. इसमें व्यक्तिगत माँग के अनुसार व्यक्तिगत उत्पादन इकाई के लिए योजना बनाई जाती है।
2. इसमें ऐसा नहीं होता है।
3. निजी लाभ अधिक महत्वपूर्ण होता है।
4. आर्थिक क्रियाएँ राज्य-नियन्त्रण और हस्तक्षेप से मुक्त होती हैं।
5. उत्पादन माँग के अनुसार किया जाता है।
6. मूल्य-तान्त्रिकता महत्वपूर्ण होती है।
7. यह स्वतन्त्र प्रतियोगिता पर आधारित होती है।

नियोजित अर्थ व्यवस्था
(Planned Economy)

- 8 इसमें समस्त राष्ट्र के दृष्टिकोण से उद्देश्य निश्चित होते हैं।
- 9 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक निश्चित अर्थव्यवस्था होती है।
- 10 यह समाजवाद के अधिक निकट है।
11. यह एक विवेकपूर्ण अर्थ व्यवस्था है।

अनियोजित अर्थ व्यवस्था
(Un planned Economy)

- 8 बहुधा समस्त राष्ट्र के दृष्टिकोण से उद्देश्य निश्चित नहीं किए जाते।
- 9 इसमें कोई निश्चित अर्थव्यवस्था नहीं होती।
- 10 यह पूंजीवाद से सम्बन्धित है।
- 11 यह आकस्मिक अर्थ-व्यवस्था है।

नियोजित अर्थ-व्यवस्था की श्रेष्ठता
(Superiority of Planned Economy)

नियोजित अर्थ-व्यवस्था की उपयोगिता का आभास हमें पूर्वोक्त विवरण में मिल चुका है। आज विश्व के लगभग सभी देश किसी न किसी रूप में आर्थिक नियोजन को अपनाए हुए हैं और इसका कारण नियोजन से होने वाले अतिशय लाभ ही हैं। ये लाभ इतने महत्वपूर्ण हैं कि कोई भी आधुनिक राष्ट्र इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। अधिकांश अर्द्ध-विकसित देशों ने द्रुत आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन की तकनीक अपनाकर अपने यहाँ नियोजित अर्थ व्यवस्था स्थापित करके उन्ने सुन्दर फलें देखी हैं और हम भी आर्थिक विकास की ओर तेजी से बढ़ने लगे हैं। कई देशों में पूर्ण रूप से नियोजित अर्थ-व्यवस्था (Planned Economies) है। आर्थिक नियोजन के सहारे ही सोवियत रूस ने इतनी आश्चर्यजनक प्रगति की है कि प्रो एस ई हेरिस के इस मत से कोई मतभेद नहीं हो सकता कि "विश्व के अन्य किसी भी देश ने इतनी द्रुतगति से एक पिछड़े हुए कृषि-प्रधान देश से अत्यधिक औद्योगिक, शक्ति-सम्पन्न देश में परिवर्तित होने का अनुभव नहीं किया है।" लेकिन अनेक व्यक्ति आर्थिक नियोजन के मार्ग के कटु आलोचक हैं। प्रो हेयक (Prof Hayek) नियोजन को दासता का मार्ग मानते हैं। हमारे लिए इन विरोधी विचारों का मूल्यांकन करने के लिए यह उपयुक्त होगा कि हम आर्थिक नियोजन के पक्ष और विपक्ष, दोनों पहलुओं को देख लें।

नियोजन के पक्ष में तर्क (Arguments for Planning)

आर्थिक नियोजन की श्रेष्ठता के पक्ष में निम्नलिखित प्रमुख तर्क दिए जाते हैं—

1. तीव्र आर्थिक विकास सम्भव—आर्थिक नियोजन की पद्धति को अपनाकर ही तीव्र आर्थिक विकास किया जा सकता है। जैसे तो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि पश्चिमी देश आर्थिक नियोजन के बिना ही आर्थिक प्रगति के उच्च-स्तर पर पहुँच गए हैं। किन्तु इनमें इन्हे पर्याप्त समय लगा है और इनकी प्रगति अपेक्षाकृत धीमी भी रही है, जबकि, रूस, चीन आदि देशों ने नियोजन का सहारा लेकर अत्यल्प

समय में ही द्रुत आर्थिक विकास किया है। आधुनिक अर्द्ध-विकसित देशों के लिए भी तेजी से आर्थिक विकास उनके जीवन-भरण का प्रश्न बन गया है। अतः उनके लिए नियोजन-पद्धति अपनाना अधिक वांछनीय है। आर्थिक नियोजन से इन देशों का द्रुत आर्थिक विकास तो होगा ही, साथ ही, ऐसा इन देशों को अर्थ-व्यवस्था के ममस्त क्षेत्रों में होगा। आर्थिक नियोजन में कृषि, उद्योग, शक्ति, मिर्चाई, यातायात, संचार, सेवाओं आदि सभी क्षेत्रों में विवेकपूर्ण और मनुलित कार्यक्रम मंचानित किए जाते हैं। अतः नियोजन पद्धति अपनाने पर इन देशों में उत्पादन, राष्ट्रीय-आय आदि में वृद्धि होगी जिससे देशवासियों का जीवन-स्तर उच्च होगा और जनता की गुंथी एवं परिपूर्ण जीवन बिता पाने की आकांक्षाएँ मूर्त रूप ग्रहण कर पाएँगी।

2. निर्णयों एवं कार्यों में समन्वय—अनियोजित अर्थ-व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह है कि इनमें असह्य उद्योगपति, व्यापारी, उत्पादक आदि अलग-अलग आर्थिक और उत्पादक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं और उनके निर्णयों एवं कार्यों में समन्वय करने की कोई व्यवस्था नहीं होती। वे अपनी इच्छानुसार मनमाने निर्णयों के अनुसार उत्पादन करते हैं और उनमें कोई ताल-मेल नहीं होता। प्रो. लर्नर (Prof Lerner) के अनुसार, ऐसी अर्थ-व्यवस्था उम मोटर के समान है जो चालक-रहित है जिन्नु जिसके सद यानों इसके स्टियरिंग व्हील के पास इसे अपनी इच्छानुसार घुमाने के लिए पहुँचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके विपरीत नियोजित अर्थ-व्यवस्था में एक केन्द्रीय नियोजन अधिकारी की देख-रेख में देश की आवश्यकताओं और साधनों के अनुसार उत्पादन सम्बन्धी निर्णय किए जाते हैं जिन्हें पूर्ण करने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम बनाया जाता है। इसमें अर्थ-व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं होती।

3. दूरदर्शितापूर्ण अर्थ-व्यवस्था—एक नियोजित अर्थ-व्यवस्था, अनियोजित अर्थ-व्यवस्था की अपेक्षा अधिक दूरदर्शितापूर्ण होती है। इसीलिए, इसे 'खुले रूप नेत्र वाली अर्थ-व्यवस्था' (An economy with open eyes) कहते हैं। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में नियोजन-गता अर्थ-व्यवस्था में बहुत ही धीरे-धीरे होने वाले और सूक्ष्म परिवर्तनों पर भी विचार कर लेनी है, जिनके बारे में अनियोजित अर्थ-व्यवस्था के व्यक्तिगत उत्पादक को विल्कुल जानकारी भी नहीं हो पानी। एक केन्द्रीय अधिकारी इस बात का पता लगा सकता है कि कच्चे माल का तेजी से शोषण तो नहीं हो रहा है, साधनों का प्रपच्य तो नहीं हो रहा है मानवीय शक्ति का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है या जनसंख्या नेत्री से तो नहीं बढ़ रही है। यदि ऐसा हो तो इनकी रोकथाम के लिए तुरन्त कदम उठाए जा सकते हैं। इस प्रकार, नियोजित अर्थ-व्यवस्था में साधनों का भी दूरदर्शितापूर्ण उपयोग होता है।

4. व्यापार-चक्र से मुक्ति—व्यापार-चक्र अनियोजित अर्थ-व्यवस्थाओं की सबसे बड़ी दुर्बलता है। इन अर्थ-व्यवस्थाओं में आर्थिक तेजी और मदी के चक्र नियमित रूप में आते रहते हैं, जिनके लिए पूँजीवाद की कुछ विशेषताएँ जैसे स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा, लाभ-उद्देश्य (Profit Motive) एवं अनियन्त्रित निजी-उपक्रम आदि उत्तरदायी हैं। व्यापार-चक्र अर्थ-व्यवस्था में अस्थिरता और अनिश्चिन्ता पैदा करके

भारी आर्थिक बुराईयों को जन्म देते हैं। नियोजन रहित अर्थ व्यवस्था में व्यक्तिगत उत्पादक, अपनी इच्छानुसार उत्पादन करते हैं और इससे उत्पादन कभी माँग से कम और अधिक होने की सब सम्भावनाएँ रहती हैं। यही कारण है कि अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में समय-समय पर आर्थिक उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, जबकि नियोजित अर्थ-व्यवस्था में प्रायः ऐसा नहीं होता। सन् 1930 की विश्वव्यापी मंदी से अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका आदि बहुत बुरी तरह प्रस्त थे।

5. उत्पत्ति के साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग—अर्द्ध विकसित देशों में उत्पत्ति के साधनों की बड़ी कमी होती है। इसलिए देश के अधिकतम लाभ और सामाजिक कल्याण की दृष्टि से इन सीमित साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। किन्तु अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में आवश्यक और अनावश्यक पदार्थों के उत्पादन के बीच साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, क्योंकि व्यक्तिगत उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जो उसे अधिकाधिक लाभ दे, न कि उन वस्तुओं का, जो सामाजिक दृष्टि से आवश्यक हैं। यदि अनाज के उत्पादन की अपेक्षा मादक पदार्थों के उत्पादन में विनियोगों से उसे अधिक लाभ होगा तो वह अनाज के स्थान पर इन मादक पदार्थों का ही उत्पादन करेगा। इस प्रकार, अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में साधन अनावश्यक कार्यों में भी लगा दिए जाते हैं जबकि, आवश्यक परियोजनाएँ साधनों के अभाव में शुरू नहीं हो पाती। किन्तु नियोजित अर्थ-व्यवस्था में सामाजिक आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए साधनों का विवेकपूर्ण आवंटन होता है।

6. प्रतिस्पर्धाजनित दोषों से मुक्ति—प्रतिस्पर्धा के कारण, जो अनियोजित पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था की एक प्रमुख सस्या है बहुमूल्य साधनों का अपव्यय होता है। सम्भावित ग्राहकों का आकर्षित करने और अपनी बिनी बढा कर लाभ कमाने के लिए विभिन्न प्रतिस्पर्धी फर्मों विज्ञापन, विन्ध्य-शला आदि पर विपुल धन-राशि व्यय करती हैं। कभी कभी गलाघोट प्रतिस्पर्धा (Cut-throat Competition) के कारण कई फर्म बरबाद हो जाती हैं। प्रतिस्पर्धा के कारण प्रतिस्पर्धी फर्मों में कर्मचारियों और औद्योगिक उपकरणों का दुहारा भी होता है। प्रो डबिन (Durbin) के अनुसार 'प्रतिस्पर्धा की सस्या आर्थिक जीवन को बुद्धिमत्तापूर्ण दशा में नहीं ले जाती है।' नियोजित अर्थ-व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा को अत्यन्त सीमित कर दिया जाना है। अतः यहाँ इन दोषों से मुक्ति मिल जाती है।

7. आर्थिक समानता की स्थापना—अनियोजित अर्थ-व्यवस्था की कुछ सस्याओं जैसे निजी-सम्पत्ति, उत्तराधिकार और मूल्य-प्रक्रिया आदि के कारण इसमें भारी आर्थिक विषमता पायी जाती है जिसे किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता है। इन सस्याओं के कारण आय की विषमता, धन की विषमता और अवसरों की विषमता उत्पन्न होती है, जिससे एक ओर समाज के कतिपय व्यक्तियों के पास समाज का धन केन्द्रित हो जाता है तो दूसरी ओर अधिकांश जनता की बुनियादी आवश्यकताएँ भी पूरी नहीं हो पाती हैं। प्रो डबिन के अनुसार, "अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में सामाजिक समानता नहीं हो सकती है।" ऐसी स्थिति में सामाजिक

कटुता उत्पन्न होती है और वर्ग-संघर्ष बढ़ता है। यही नहीं, ऐसी स्थिति में, समाज कुछ योग्य व्यक्तियों की सेवा से भी वंचित हो जाता है। किन्तु नियोजित अर्थ-व्यवस्थाओं में, अनियोजित अर्थ-व्यवस्थाओं की अपेक्षा बहुत कम आर्थिक समानता की ओर बढ़ना है इसलिए इन देशों के लिए नियोजित अर्थ-व्यवस्था उपयुक्त है।

8. शोषण की समाप्ति—अनियोजित पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्थाओं में एक अन्य बुराई सामाजिक परोपजीविका (Social Parasitism) की पायी जाती है। अनेक व्यक्ति बिना श्रम किए ही अर्जाजित आय (Unearned Income) के द्वारा जीविका निर्वाह करते हैं। कई व्यक्तियों को उत्तराधिकार में भारी सम्पत्ति मिल जाती है। कई व्यक्ति लगान, व्याज-लाभ के रूप में भारी मात्रा में आय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वे बिना श्रम किए ही इस प्रकार की आय प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में इस प्रकार के शोषण और परोपजीविका को समाप्त किया जाता है। अनियोजित अर्थ-व्यवस्था विशाल जनसमुदाय को आय और रोजगार की सुरक्षा प्रदान करने में भी असफल रहती है। किन्तु नियोजित अर्थ-व्यवस्था में कार्य और आवश्यकता के अनुसार पारिश्रमिक दिए जाने की व्यवस्था की जाती है और जनता की अधिक सामाजिक सुरक्षा (Social Security) का प्रबन्ध किया जाता है।

9. कृत्रिम अभावों के सृजन का भय नहीं—अनियोजित अर्थ-व्यवस्थाओं में वस्तुओं के कृत्रिम अभावों का सृजन किया जाता है ताकि उपभोक्ताओं से ऊँचे मूल्य लेकर अधिकारिक लाभ कमाया जा सके। इसके साथ ही एकाधिकार और आर्थिक सघनता के द्वारा भी मूल्य-वृद्धि करके उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। किन्तु नियोजित अर्थ-व्यवस्थाओं में उत्पादन के साधनों, व्यवसाय आदि पर बहुधा सरकारी स्वामित्व रहता है या उद्योगपतियों, व्यापारियों आदि पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। अतः इस प्रकार शोषण सम्भव नहीं है।

10. अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में सामाजिक लागतों की बचत—संचालन के परिणामस्वरूप उद्योगों के निजी-उपक्रम द्वारा समाज को कुछ हानिकारक परिणाम भुगताने पड़ते हैं जिन्हें सामाजिक लागतें (Social Costs or Un-compensated Disservices) कहा जाता है। ये लागतें औद्योगिक बीमारियों, चक्रीय बेकारी, औद्योगिक बेकारी, गन्दी वस्तुओं का निर्माण, धुआँपूर्ण वातावरण आदि के रूप में होती हैं। इनका भार निजी उद्योगपतियों को नहीं अपितु समाज को उठाना पड़ता है। निजी-उपक्रमियों द्वारा लागू की गई तकनीकी प्रगति से भी कुछ स्थितियों में मशीनों और श्रमिकों की अप्रयुक्तता बढ़ती है किन्तु नियोजित अर्थ-व्यवस्था में इस प्रकार की समस्याओं से बचना सम्भव है क्योंकि इन समस्याओं के समाधानों की पूर्ण व्यवस्था कर ली जाती है।

11. जन-कल्याण के ध्येय की प्रमुखता—अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में आर्थिक क्रियाएँ और उत्पादन-कार्य निजी-उद्योगपतियों द्वारा निजी लाभ के लिए किया जाता है। वहाँ सामाजिक-कल्याण पर ध्यान नहीं दिया जाता। यही कारण है कि अनियोजित पूंजीवादी व्यवस्था में वस्तुओं के गुणों में गिरावट, खराब वस्तुओं की

मिलावट और मूल्य-वृद्धि द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। कम मजदूरी देकर या अधिक समय काम करा करके श्रमिकों का भी शोषण किया जाता है। इस प्रकार अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में निजी लाभ को प्रमुखता दी जाती है। इसके विपरीत, नियोजित अर्थ व्यवस्था में एक व्यक्ति के लाभ के लिए नए प्रयुक्त अधिकाधिक जनता के अधिकतम कल्याण के लिए आर्थिक नियमों संचालित की जाती है।

12. जनता का विशेष रूप से श्रमिक वर्ग को सहयोग मिलना—नियोजित अर्थ-व्यवस्था में सरकार को जनता का अधिनाधिक सहयोग उपलब्ध होता है क्योंकि उनका विश्वास होता है कि नियोजन के लाभ एक व्यक्ति या एक वर्ग को नहीं अपितु समस्त जनता को मिलने वाले हैं। ऐसी व्यवस्था में श्रमिकों का भी अधिकाधिक सहयोग मिलता है क्योंकि उनके हितों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। इसके विपरीत, अनियोजित अर्थ व्यवस्था में निजी उत्पादकों को श्रमिकों का पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाता है और उनके सहयोग के अभाव में उत्पादन में अधिक प्रगति नहीं की जा सकती है। अम-सघो द्वारा अपनाई जाने वाली 'धीरे चलो' (Go slow) नीति का उत्पादन और आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

13. पूंजी-निर्माण की ऊँची दर—नियोजित अर्थ-व्यवस्था में एक विवेकपूर्ण योजना के अनुसार काम किया जाता है। साथ ही इसमें वर्तमान के साथ भावी प्रगति भी ध्यान दिया जाता है। इसलिए उपभोग को कम करके वचत विनियोग और पूंजी-निर्माण की दर तेजी से बढ़ाई जा सकती है। सार्वजनिक उपक्रमों का विस्तार होता है और उसके लाभों का भी पुनर्विनियोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, सोवियत रूस में विगत कुछ वर्षों में पूंजी संचय की दर सब पूंजीवादी अनियोजित अर्थ व्यवस्था वाले देशों से अधिक रही है। अर्द्ध-विकसित देशों की एक बड़ी समस्या पूंजी का अभाव है, जिसका आर्थिक विकास में बहुत महत्व है। अतः ये देश नियोजित पद्धति द्वारा पूंजी निर्माण दर में तेजी से वृद्धि करके ही तेजी से आर्थिक विकास कर सकते हैं।

14 अधिकतम तकनीकी कुशलता (Maximum Technical Efficiency)—अधिकतम तकनीकी कुशलता के सिद्धान्त के अनुसार एक नियोजित अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन साधनों को संगठित करके कई प्रकार की मितव्ययताएँ प्राप्त की जा सकती है। एफ़ ज़्वेनिग (F Zwenig) के अनुसार नियोजित अर्थ व्यवस्था में उत्पादक साधनों के संगठन के पैमाने में विस्तार, निजी-स्वत्वों और इच्छाओं पर ध्यान दिए बिना उनके पुनर्ग्रहण की सम्भावनाएँ, एक ओर यत्न और श्रम के विशिष्टीकरण के नए अवसर प्रदान करेगी वहीं दूसरी ओर ससाधन का केंद्रीकरण करेगी। परिणामस्वरूप उद्योगों का अधिक लाभदायक स्थानों में हस्तान्तरण, उत्पादन को अच्छे संगठित कारखानों या आवटन और औद्योगिक इकाइयों का विलीनीकरण या परस्पर अधिक सहयोग सम्भव होगा। इसके अतिरिक्त अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में ससाधनों का पूर्ण उपयोग सम्भव नहीं होता। ऐसी स्थिति में विशाल

मात्रा में प्राकृतिक और मानवीय साधन अप्रयुक्त रहते हैं। अर्द्ध-विकसित देशों में पूँजी की अपेक्षा प्राकृतिक और मानवीय साधन ही अधिक रहते हैं और ये देश एक निश्चित योजनानुसार इनका दुरुपयोग करके तेजी से आर्थिक विकास कर सकते हैं।

15. राष्ट्रीय संकट के समय सर्वाधिक उपयुक्त व्यवस्था—अनियोजित अर्थ-व्यवस्था युद्ध या संकटकालीन स्थिति में सर्वथा अयोग्य होती है। ऐसे संकटों से मुक्ति के लिए अर्थ-व्यवस्था पर विभिन्न प्रकार के नियन्त्रण लगाए जाते हैं। यहाँ तक कि पूँजीवाद का गढ़ कहलाने वाले संयुक्तराज्य अमेरिका ने भी द्वितीय महायुद्ध में विजय पाने के लिए बड़ी सीमा तक आर्थिक नियोजन को अपनाया था। इस प्रकार ऐसे समय अनियोजित अर्थ-व्यवस्था भी नियोजित अर्थ-व्यवस्थाओं में परिवर्तित हो जाती है।

नियोजित व्यवस्था के विपक्ष में तर्क

(Arguments against Planned Economy)

नियोजित अर्थ-व्यवस्था में कमियाँ भी हैं जिनके कारण कुछ लोगो ने इसके विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। नियोजित अर्थ-व्यवस्था के विरुद्ध निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं—

1. अस्त-व्यस्त (Muddled) अर्थ-व्यवस्था—नियोजित अर्थ-व्यवस्था में बाजार और मूल्य तान्त्रिकता (Market and Price Mechanism) पर आधारित स्वयं संचालकता (Automaticity) समाप्त हो जाती है। अतः आर्थिक क्रियाओं में विवेकशीलता नहीं रहती, क्योंकि योजना अधिकारी द्वारा किए गए मनमाने निर्णयों के आधार पर उत्पादन का कार्यक्रम बनाया जाता है। इसीलिए नियोजित अर्थ-व्यवस्था को अंधेरे में छलाँग (Leap in the dark) कहा जाता है। किन्तु इसका घाणय यह नहीं है कि नियोजित अर्थ-व्यवस्था से मूल्य प्रक्रिया बिल्कुल समाप्त हो जाती है। उदाहरणार्थ, सोवियत रूस में नियोजन सत्ता द्वारा निर्धारित कीमतों (Assigned Prices) की नीति को अपनाया जाता है। वहाँ न केवल पदार्थों के मूल्य अपितु, उत्पादन के साधनों की कीमतें भी नियोजन सत्ता द्वारा निर्धारित की जाती हैं।¹

2. अकुशलता में वृद्धि—पूर्णरूप से नियोजित अर्थ-व्यवस्था में समस्त उत्पादन कार्य सरकार द्वारा किया जाता है और उत्पादन में सलग्न अधिकांश कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हो जाते हैं। सरकारी कर्मचारी स्वाभाविक रूप से ही निजी-कर्मचारियों की अपेक्षा कम रुचि लेते हैं। उनकी कार्य दशाएँ (Service Conditions) वेतन, ग्रेड, उन्नति के अवसर आदि पूर्व-निर्धारित होते हैं, अतः उनमें अधिक कुशलता से कार्य करने की प्रेरणा तथा पहल की भावना समाप्त हो जाती है। पूर्ण नियोजित अर्थ-व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है तथा सतर्कता, कुशलता, मितव्ययता, नव-प्रवर्तन आदि प्रतिस्पर्धाजनित लाभों से समाज वंचित रह जाता है।

1. M. L. Seth : Theory and Practice of Economic Planning p. 39.

3. तानाशाही और लाल फीताशाही का भय—आलोचकों का यह कथन है कि नियोजित अर्थ-व्यवस्था में तानाशाही और लाल फीताशाही का पोषण होता है। समस्त देशवासी केवल मजदूर बन जाते हैं तथा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ही सब निर्णय लिए जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता और सरकार ही सर्वशक्तिमान बन जाती है। बहुधा यह कहा जाता है कि तानाशाही के बिना नियोजन असम्भव है किन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है। विगत कुछ वर्षों में सोवियत रूस में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री ख्रुश्चेव ने सरकारी मशीनरी के विकेन्द्रीकरण की योजना बनाई थी। इसके अतिरिक्त जनतान्त्रिक नियोजन (Democratic Planning) में तो यह समस्या उदय ही नहीं होती। प्रो लास्की और श्रीमती बारबरा ऊटन के अनुसार नियोजन से मानवीय स्वातन्त्रता बढ़ती है।

4. भ्रष्टाचार और अनियमितताएँ—आलोचकों का मत है कि नियोजित व्यवस्था में राज्य कर्मचारियों में भ्रष्टाचार बढ़ता है। सरकारी कर्मचारियों के पास घ्यापक अधिकार होते हैं और वे इसका उपयोग अपने हित के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार की शका निराधार नहीं है, पर साथ ही यह भी है कि नियोजित अर्थ-व्यवस्था में निजी सम्पत्ति और उत्तराधिकार जैसी सत्ताओं की समाप्ति पर सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार स्वयमेव समाप्त हो जाने की प्रबल सम्भावना रहती है।

5. विशाल मानव-शक्ति की आवश्यकता—प्रायः यह भी कहा जाता है कि योजनाओं के निर्माण और न्यायन्ययन के लिए बड़ी मात्रा में जनशक्ति की आवश्यकता पड़ती है। प्रो लेविस (A W Lewis) ने इस सन्दर्भ में कहा है कि नियोजन की सफलता के लिए पर्याप्त मात्रा में कुशल, योग्य और अनुभव प्राप्त अधिकारियों की आवश्यकता होती है और अर्द्ध-विकसित देशों में इतनी बड़ी मात्रा में कुशल व्यक्तियों का मिलना असम्भव होता है।¹ किन्तु क्या स्वतन्त्र और अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में विशाल जनशक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहाँ भी मध्यस्थ, विज्ञापक, वितरक, सेल्समैन आदि के रूप में काफी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।

6. उपभोक्ता की सांभौमिकता का अन्त—आलोचकों के अनुसार नियोजित अर्थ-व्यवस्था में उपभोक्ता अपनी प्रभुसत्ता को खो देता है। अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट् समझा जाता है क्योंकि, उसकी दृष्ट्याओं और माँगों के अनुसार ही उत्पादन किया जाता है, किन्तु नियोजित अर्थ-व्यवस्था में उपभोक्ता को उम्मी अस्तु का अशोभन करना पड़ता है, जो राज्य उते देता है। इसके उत्तर में नियोजन के समर्थकों का कहना है कि क्या अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में उपभोक्ता वस्तुतः सम्राट् होता है? क्या मुदाविहीन उपभोक्ता को जो कुछ भी खरीदने योग्य न हो, सम्राट् बताना हास्यास्पद नहीं है उपभोक्ता को पसन्द की नियोजित अर्थ-व्यवस्था में अचहेलना नहीं की जा सकती। सोवियत-संघ में भी राज्य उपभोक्तों द्वारा उत्पादन योजनाओं को दनाते समय उपभोक्ताओं की पसन्दगियों पर ध्यान दिया जाता

है। मौरिस डॉव के अनुसार वहाँ उपभोक्ताओं के अधिमानों को जानने के लिए प्रदर्शनियों आदि में जनता के चयन (Choice) को अंकित किया जाता है।

7. श्रमियों के व्यवसाय चुनने की स्वतन्त्रता की समाप्ति—नियोजित अर्थ-व्यवस्था में श्रमिकों को स्वेच्छा से व्यवसाय चुनने की स्वतन्त्रता नहीं रहती और उन्हें विभिन्न कार्यों में आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार लगाया जाता है। नियोजकों के मतानुसार अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में भी श्रमिकों को इच्छानुसार व्यवसाय चुनने की सुविधा और सामर्थ्य कहीं होती है। वहाँ भी जनता द्वारा अपनाए जाने वाले व्यवसाय, अभिभावकों की सम्पत्ति, हैसियत, सामाजिक प्रभाव और सिफारिश पर निर्भर करते हैं। इसके अतिरिक्त नियोजित अर्थ-व्यवस्था में भी श्रमिकों को उनकी योग्यता, इच्छा, भुक्ताव के अनुसार ही कार्य देने का अधिकाधिक प्रयत्न किया जाता है। श्रीमती बारबरा उटन के अनुसार, नियोजन के बिना रोजगार का स्वतन्त्रतापूर्वक चयन नहीं हो सकता, जबकि नियोजन में ऐसा सम्भव है।

8. सक्रमणकाल में अव्यवस्था की संभावना—प्रायः यह भी कहा जाता है कि अनियोजित से नियोजित अर्थ-व्यवस्था में सक्रमणकाल में पर्याप्त मात्रा में अव्यवस्था और गड़बड़ी हो जाती है जिससे उत्पादन और राष्ट्रीय आय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है; किन्तु ऐसा किसी आधारभूत परिवर्तन के समय होता है। अतः देश के दीर्घकालीन और द्रुत आर्थिक विकास के लिए इस प्रकार की अस्थायी गड़बड़ी बहन करनी ही पड़ती है।

9. अत्यधिक शोषणीयता—नियोजन के विरुद्ध एक तर्क यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियोजित अर्थ-व्यवस्थाएँ गुप्त रूप से संचालित की जाती हैं और इनमें शोषणीयता को बहुत अधिक महत्त्व दिया जाता है जिससे जनता का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है। किन्तु यह तर्क भी निराधार है। साम्यवादी रूस में भी नियोजन नीचे से प्रारम्भ किया जाता है जिसके निर्माण में कारखानों के श्रमिकों और सामूहिक कृषकों का हाथ होता है। इसके अतिरिक्त योजनाएँ सदा ही विचार-विमर्श, वाद-विवाद आदि के लिए जनता के समक्ष रखी जाती हैं और उन पर सुझाव आमन्त्रित किए जाते हैं। जनसामान्यिक नियोजन में तो नियोजन के सभी स्तरों पर जनता को सम्बन्धित किया जाता है और उसे अधिकाधिक जानकारी दी जाती है।

10. राजनीतिक कारणों से अस्थिरता का भय—नियोजित अर्थ-व्यवस्था राजनीतिक कारणों से भी अस्थिर होती है। जो राजनीतिक दल इसे चाहता है, इसके सत्ता में अलग होते ही नियोजन का त्याग किए जाने की सम्भावना हो सकती है, क्योंकि नई सरकार नियोजन के पक्ष में न हो। इस परिवर्तन के कारण अर्थ-व्यवस्था को हानि उठानी पड़ती है। प्रो. जेक्स (Jewkes) के अनुसार राजनीतिक अस्थिरता के ऐसे वातावरण में दीर्घकालीन औद्योगिक परियोजनाएँ नहीं पनप सकती हैं। किन्तु आर्थिक नियोजन एक अच्छी चीज है और कोई भी अच्छी चीज को हर राजनीतिक दल मानता है। हाँ, नियोजन को लागू किए जाने के तरीके में अन्तर हो सकता है।

11. सर्वत्र किसी न किसी प्रकार के आर्थिक संकट की उपस्थिति—आलोचकों के अनुसार नियोजित अर्थ-व्यवस्था में सर्वत्र किसी न किसी प्रकार का संकट विद्यमान रहता है, किन्तु अनियोजित अर्थ-व्यवस्था कौनसी आर्थिक प्रवृत्ति के संकटों से मुक्त रहती है। इसमें सर्वत्र मुद्र-स्फीति, मुद्रा-समुच्चय, बलाही, व्यापार-वक्र, पदार्थों का अभाव, वग-सर्वत्र आदि संकट बने ही रहते हैं। बरा यह एक तथ्य नहीं है कि अमेरिका की अर्थ व्यवस्था में युद्धोत्तर-काल में अनेक व्यापारिक उतार-चढ़ाव आए। यह भी एक तथ्य है कि यहाँ इस प्रकार के संकटों से अर्थ-व्यवस्था को बचाने के लिए अत्यधिक व्ययसाध्य संगठन का निर्माण किया गया है। वस्तुतः नियोजित की अपेक्षा अनियोजित अर्थ व्यवस्था अधिक संकट-ग्रस्त रहती है।

12. बहुवर्षीय नियोजन अनुचित है—इन परिस्थितियों के सन्दर्भ में परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। साथ ही, भविष्य भी अनिश्चित होता है। किन्तु योजना बहुधा बहुवर्षीय उदाहरणों पर पाँच या सात, इसी प्रकार कई वर्षों के लिए बनाई जाती है। इन बीच परिस्थितियाँ और आवश्यकताएँ बदल जाती हैं। परिणामस्वरूप, नियोजन न केवल निरर्थक अपितु, हानिप्रद भी हो सकता है, किन्तु इस आलोचना में कोई सार नहीं है, क्योंकि बहुधा योजनाएँ लचीली होती हैं और उनमें परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन कर लिया जाता है।

13. अन्तर्राष्ट्रीय संधर्ष की सभावना—व्यक्तिगत राष्ट्रीय द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय नियोजन से अन्तर्राष्ट्रीय वैमनस्य और संधर्ष उत्पन्न हो सकता है। प्रो. रॉबिन्स (Prof Robins) के अनुसार राष्ट्रीय नियोजन का विश्व अर्थ व्यवस्था पर बहुत गम्भीर अस्तव्यस्त प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः अधिकांश देशों द्वारा राष्ट्रीय नियोजन अपना देने से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में संकुचन, अमिच्छी की अन्तर्राष्ट्रीय गतिशीलता में बाधाएँ, पूँजी के विमुक्त प्रवाह पर अवरोध बढ़ते हैं जिससे अन्त में, राष्ट्रीय में पारस्परिक तनाव और वैमनस्य का वातावरण पनपता है, किन्तु वस्तुतः यह धारणा निराधार है। अन्तर्राष्ट्रीय-संधर्ष राष्ट्रीय नियोजन से नहीं, उद्योग-राज्य से उत्पन्न होता है जो अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में भी हो सकता है। वस्तुतः में नियोजन के परिणामस्वरूप पारस्परिक सहयोग बढ़ता है। अन्तर्देशीय योजनाएँ प्रस्तुत करने और नियोजन पद्धति को अपनाने के कारण ही भारत को विकसित देशों, विश्व बैंक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय-संस्थाओं से सहायता प्राप्त हुई है।

नियोजित अर्थ-व्यवस्था के पक्ष और विपक्ष में उक्त तर्कों पर विचार करने पर ज्ञात होता है कि नियोजन का पक्ष प्रबल है और जो कुछ तर्क इसके विरुद्ध प्रस्तुत किए गए हैं, वे अधिक शक्य नहीं हैं। अनियोजित अर्थ-व्यवस्था के पक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले तर्क जैसे अर्थ-व्यवस्था की स्वयं संचालनता, उपभोक्ता की मार्गभौतिकता और बाजार-चालितता का मुक्त कायदाहन आदि बानें भी सीमित मात्रा में ही सही हैं। अनियोजित अर्थ व्यवस्था में असमानता, अस्थिरता, असुरक्षा और एकाधिकार आदि कई बुराइयाँ होती हैं जिन्हें केवल उपचार से ही दूर नहीं किया जा सकता है। अतः इन बुराइयों की जड़ अनियोजित अर्थ-व्यवस्था की ही संस्थापना कर नियोजित अर्थ-व्यवस्था की स्थापना ही श्रेयस्कर है।

नियोजन के लिए निर्धारित की जाने वाली बातें (Tasks of Planning)

अब प्रश्न उठता है कि किस प्रकार के नियोजन में अधिकतम आर्थिक वृद्धि सम्भव है—केन्द्रित नियोजन में अथवा विकेन्द्रित नियोजन में ? यह एक विवादास्पद प्रश्न है। केन्द्रित नियोजन (Centralised Planning) में, समस्त आर्थिक निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए जाते हैं, जबकि विकेन्द्रित नियोजन में, निर्णय लेने की सत्ता व्यक्तिगत इकाइयों में निहित होती है। पूर्ण केन्द्रित नियोजन अथवा पूर्ण विकेन्द्रित नियोजन अग्रगण्य स्थितियाँ हैं। वास्तव में, आर्थिक नियोजन राज्य व निजी उद्यम दोनों का संयुक्त फलन है। किसी देश से सम्बन्धित आर्थिक निर्णयों में सरकार व निजी उद्यम का पृथक्-पृथक् तथा दोनों का संयुक्त अनुपात कितना रहता है ? यह राजनीति का प्रश्न है तथा प्रत्येक देश में इस सम्बन्ध में भिन्नता पायी जाती है। इसी प्रकार उत्पादन के कुछ साधनों का स्वामित्व सरकार तथा कुछ का निजी उद्यम के हाथों में पाया जाता है। आर्थिक नियोजन किसी भी प्रकार का हो, सभी में निम्नलिखित पाँच बातें निर्धारित की जाती हैं—

- (1) वृद्धि के लक्ष्यों का निर्धारण (Fixing of the Growth Targets)
- (2) अन्तिम माँग व अन्त-उद्योग माँग का निर्धारण (Determination of Final and Inter-industry Demand)
- (3) विनियोग लक्ष्यों का निर्धारण (Determination of Investment Targets)
- (4) योजना के लिए साधनों का सग्रह (Mobilisation of Resources for the Plan)
- (5) परियोजनाओं का चुनाव (Project Selection)

1. वृद्धि के लक्ष्यों का निर्धारण (Fixing of the Growth Targets) -

आय-वृद्धि, रोजगार-वृद्धि, उत्पादन-वृद्धि आदि लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आर्थिक आयोजन किया जाता है। किसी देश की आर्थिक योजना के आय, रोजगार, उत्पादन आदि से सम्बन्धित उद्देश्यों को एक सुनिश्चित व अर्थ-युक्त दिशा प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि इन उद्देश्यों को सख्यात्मक लक्ष्यों (Quantified Targets) में परिवर्तित किया जाए। योजना के उद्देश्य जब सख्यात्मक रूप में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, तब वे योजना के लक्ष्य कहे जाते हैं (Targets are quantified objectives)।

एक योजना के अन्तर्गत लक्ष्यों का निर्धारण, उत्पादन, विनियोग, रोजगार, निर्यात, आयात आदि से सम्बन्धित हो सकता है। योजना के लक्ष्य पूरे देश के स्तर पर क्षेत्रानुसार या विशेष औद्योगिक इकाइयों अथवा परियोजनाओं के लिए निर्धारित जा सकते हैं। लक्ष्यों का निर्धारण, उत्पादन अथवा उत्पादन कारकों की मौलिक काइयों के या मूल्य-इकाइयों के रूप में किया जाता है। लक्ष्यों का निर्धारण कच्चे तेल की मात्रा, श्रम-शक्ति, प्रतिक्षरण सुविधाएँ, धरेलू तथा विदेशी मुद्रा में उपलब्ध

वित्तीय शोष व अन्य साधनों की मात्रा को निश्चित करने में सहायक होते हैं। निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार ही इन साधनों का अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रावदन किया जाता है।

कुछ योजनाएँ कतिपय सामूहिक लक्ष्यों (Aggregative Targets) तक सीमित होती हैं, जबकि कुछ अन्य योजनाओं के अन्तर्गत लक्ष्यों की एक लम्बी सूची तैयार की जाती है। उदाहरणार्थ, यूगोस्लाविया की पंचवर्षीय योजनाओं में लगभग 600 वस्तु-समूहों से सम्बन्धित लक्ष्यों को असामान्य रूप से विस्तृत विवरण के साथ निर्धारित किया गया है। किन्तु लक्ष्यों की संख्या अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में निर्धारित विस्तृत व्यापारिक लक्ष्यों को प्राप्त करना अनेक कठिनाइयों से पूर्ण होता है। सेबिस के मतानुसार "लक्ष्यों की एक लम्बी सूची बनाना और इसे प्रकाशित करना अधिक से अधिक अच्छे रूप में मात्र एक अनुमान या भावी परिकल्पना (Forecast or a Projection) ही सकता है तथा अपने निकृष्टतम रूप में केवल एक गणितीय परम्परा-मात्र रह जाता है जिसका कोई व्यावहारिक महत्त्व नहीं होता है।"¹

2. अन्तिम माँग व अन्तःउद्योग माँग का निर्धारण (Determination of Final and Inter-industry Demand)—वृद्धि के लक्ष्यों को निर्धारित करने के बाद विचार दर निश्चित की जाती है। विकास-दर के निर्धारण के पश्चात् सेवाओं की माँग में वृद्धि व वस्तुओं की माँग में वृद्धि को पृथक् रूप से ज्ञात किया जाता है तथा राष्ट्रीय विकास-दर को क्षेत्रीय विकास-दरों में विभक्त किया जाता है। इस कार्य में दो तकनीकी प्रक्रियाएँ की जाती हैं—

- (1) अन्तिम उत्पादन का निर्धारण
- (2) अन्तःक्षेत्रीय माँग का निर्धारण

उपभोक्ताओं द्वारा अन्तिम माँग व अन्तः क्षेत्रीय माँग का योग वस्तु की कुल माँग को प्रकट करता है। अतः कुल माँग के भावी अनुमानों के लिए उपभोक्ता की माँग तथा अन्तः क्षेत्रीय माँग के अनुमान लगाना आवश्यक है। कुल माँग के अनुमान माँग की धार-लोच की महापता के लक्षण जा सकते हैं। मान लीजिए भोजन व वस्त्र की धार-लोच—ऊर्ध्व 6 व 15 दी हुई है। इस स्थिति में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 10% होती है तो भोजन की माँग में वृद्धि $6 \times 10 = 6\%$ तथा इसी प्रकार वस्त्र की माँग में $15 \times 10 = 15\%$ वृद्धि होगी। जब इस तरह प्रति व्यक्ति धार में वृद्धि तथा धार की लोचें दी हुई हो तो प्रत्येक व्यक्ति की माँग को ज्ञात किया जा सकता है। तब वस्तुओं की माँग का योगजल कुल माँग होती है। कुल माँग को ज्ञात करने की इस विधि में दो बड़े दोष हैं—(1) यह कीमत के परिवर्तनों पर विचार नहीं करती है। (2) इसमें धार की लोच को योजनावधि के लिए स्थिर माना जाता है।

अन्तःउद्योग मांग के अनुमानों के लिए आदा-प्रदा प्रणाली (Input-output System) अपनाई जाती है। इस प्रणाली में आदा-प्रदा के अनुपात स्थिर माने जाते हैं। आदा-प्रदा के इन अनुपातों को तकनीकी-गुणांक (Technical Coefficients) कहा जाता है। मैट्रिक्स की भाषा में इन गुणांकों को AY में प्रवट किया जाता है। इन तकनीकी-गुणांकों के आधार पर अन्तःउद्योग मांग की समझना की जाती है। तकनीकी गुणांकों के प्रयोग का एक बड़ा दोष यह है कि इन गुणांकों को स्थिर माना जाता है। यह एक दोषपूर्ण मान्यता है क्योंकि साधन बदलते हैं, तकनीकी बदलती है अतः गुणांकों का परिवर्तित होना स्वाभाविक है।

3. विनियोग लक्ष्यों का निर्धारण (Determination of Investment Targets)—मांग-निर्धारण के पश्चात् हमारा प्रश्न भौतिक लक्ष्यों को विनियोग लक्ष्यों में परिवर्तित करने का है। इस कार्य के लिए पूंजी-गुणांक अथवा पूंजी-उत्पादन अनुपातों की आवश्यकता होती है। इन अनुपातों के योग द्वारा हम कुल विनियोग-राशि का अनुमान लगा सकते हैं। पूंजी उत्पादन अनुपात, पूंजी की वह इकाई है जिनकी उत्पादन की एक इकाई उत्पन्न करने के लिए आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, यदि 8 लाख रुपये की पूंजी-विनियोग से 2 लाख रु. का माल तैयार होता है या 2 लाख रु. का माल तैयार करने के लिए 8 लाख रु. की पूंजी विनियोजित करनी पड़ती है तो पूंजी-उत्पादन अनुपात इस स्थिति में 4:1 होगा।

जब कृषि, उद्योग, सेवा आदि क्षेत्रों के भौतिक लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं तथा इन क्षेत्रों के लिए पूंजी-उत्पादन अनुपात निश्चित हो जाते हैं तब सरलता से प्रत्येक क्षेत्र के लिए आवश्यक विनियोग की मात्रा निकाली जा सकती है। प्रो. महालनोबिस ने अपने चार क्षेत्रीय विकास मॉडलों में इसी प्रकार वित्तीय आवंटन करने का प्रयास किया है। प्रो. महालनोबिस मॉडल के आधार पर ही भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विनियोग की राशि निर्धारित की गई थी।

4. योजना के लिए साधनों का सग्रह (Mobilisation of Resources for the Plan)—कुल विनियोग राशि का अनुमान लगाने के पश्चात् यह देखा जाता है कि विनियोगों की वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार सम्भव हो सकेगी। यह योजना का भाग कहा जाता है। आर्थिक नियोजन द्वारा विकास करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और बड़ी मात्रा में परियोजनाएँ प्रारम्भ की जाती हैं। इन कार्यक्रमों को संचालित करने और परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए बड़ी मात्रा में साधनों की आवश्यकता होती है। विकास की इन विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के संचालन के लिए आवश्यक साधनों की व्यवस्था एवं उनकी गतिशीलता आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण समस्या है। डॉ. राज के अनुसार, "एक योजना नहीं के बराबर है यदि इसमें निर्धारित विकास का कार्यक्रम साधनों के एकत्रित करने के कार्यक्रम पर आधारित और संचालित नहीं किया हो।"

आर्थिक विकास के लिए राजकीय, मानवीय और वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है। इन साधनों का अनुगमन और उनको गतिशील बनाना मुख्यतः निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है—(i) राजवित्त की मशीनरी, (ii) उद्देश्यों की प्रकृति, (iii) योजनावधि, (iv) धर्म और पूंजी की स्थिति, (v) शिक्षा एवं राष्ट्रीय चेतना, (vi) अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, (vii) मूल्यस्तर और जनता की आर्थिक दशा, (viii) विदेशी विनिमय कोष, (ix) सरकार की आर्थिक स्थिति, एवं (x) आर्थिक विषमता को मात्रा।

5. परियोजनाओं का चुनाव (Project Selection)—वित्तीय व्यवस्था के पश्चात् विनियोग-परियोजनाओं (Investment Projects) का चुनाव किया जाता है। विनियोग परियोजनाएँ विनियोगों के उत्पादन से जोड़ने वाली श्रृंखला का कार्य करती हैं। विन्तु परियोजना-चुनाव एक तकनीकी कार्य है जिसमें परियोजना के लिए स्थान का चुनाव, तकनीकी का चुनाव, बाजारों का चुनाव आदि तकनीकी निर्णय सम्मिलित हैं। परियोजनाओं का चुनाव योजना-निर्माण का पाँचवाँ बड़ा कार्य है।

प्रायः किसी योजना की मूलभूत कमजोरी परियोजनाओं के चयन को लेकर होती है। ठोस व लाभदायक परियोजनाओं के अभाव में योजना असफल रहती है। पाकिस्तान योजना आयोग के अधिकारी डॉ. महदूब-उल-हक के अनुसार "पहली और दूसरी योजनाओं की कमजोरी यह रहती है कि आयोजन का निर्माण गहराई में नहीं है। एक ओर जहाँ विभिन्न क्षेत्रों में ताल-मेल रखते हुए एक समष्टि योजना (Aggregative Plan) का प्राक्षर निर्मित करने में पूरे प्रयत्न किए गए किन्तु दूसरी ओर योजना के विभिन्न क्षेत्रों के प्राक्षरों को सुविचारित व सुनियोजित परियोजनाओं से परिपूरित करने के प्रयत्न नहीं हुए।"

ग्वाटेमाला ने सन् 1960 में एक सार्वजनिक विनियोग कार्यक्रम का उद्घाटन किया, विन्तु एक वर्ष बाद ही अमेरिकी राज्यों के संगठन ने यह प्रतिवेदित किया कि "विभिन्न मन्त्रालयों के लिए पूर्ण विकसित परियोजनाओं को पर्याप्त सहायता में प्राप्त करना कठिन हो रहा है।"

परियोजनाओं का चयन करने की अनेक विधियाँ हैं। सामान्यतः परियोजनाओं का चयन वर्तमान मूल्य-विधि अथवा लागत-लाभ विप्लेपण विधि द्वारा किया जाता है।

6. योजना की क्रियान्विति—योजना के क्रियान्वयन का यह कार्य सरकारी विभागों, सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यक्रमों का संचालन सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा तथा निजी क्षेत्र के कार्यक्रम निजी उपक्रमियों द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। सरकार भी इन्हें निर्धारित नियमानुसार सहायता देती है। इस प्रकार योजना की सफलता बहुत कुछ इसी व्यवस्था पर निर्भर होती है। अनेक देशों में योजना-निर्माण पर अधिक एवं क्रियान्वयन पर कम ध्यान दिया जाता है। अतः योजना की सफलता के लिए इस स्तर पर कोई निष्क्रियता एवं शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए।

योजना की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि समय-समय पर उसके संचालन और उसकी प्रगति का मूल्यांकन किया जाता रहे। अतः समय-समय पर इस बात का लेखा-जोखा लिया जाता है कि योजना में लक्ष्यों के अनुपात में कितनी प्रगति हुई और उसमें कमियाँ कहाँ और क्यों हैं? इसके लिए उत्पादन की प्रत्येक शाखा की तांत्रिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से समालोचना की जानी चाहिए। भारत में योजना के मूल्यांकन का कार्यक्रम 'मूल्यांकन संगठन' (Programme Evaluation Organisation) द्वारा किया जाता है।

नियोजन की सफलता की शर्तें (Conditions for Success of Planning)

आर्थिक विकास के लिए आधुनिक युग में नियोजन कई अर्द्ध-विकसित देशों में अपनाया जा रहा है। किन्तु नियोजन कोई ऐसी प्रणाली नहीं है जिसके द्वारा स्वयंभेव ही आर्थिक विकास हो जाए। योजनाओं की सफलताओं के लिए कुछ शर्तों का होना आवश्यक है। सफलता की ये शर्तें विभिन्न देशों और परिस्थितियों के अनुसार भिन्न-भिन्न होती हैं। किन्तु सामान्य रूप से ये शर्तें सर्वत्र आवश्यक हैं—

1. पर्याप्त एवं सही आंकड़े और सूचनाएँ—नियोजकों को योजना-निर्माण और क्रियान्वयन के लिए सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का, वर्तमान परिस्थितियों का तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए। वर्तमान स्थिति क्या है और इसमें कितना सुधार किया जाना चाहिए? यह सुधार किस प्रकार किया जा सकता है और इसके लिए कौन-से साधनों की कितनी मात्रा में आवश्यकता है। इन सब बातों का निर्णय विश्वसनीय और पर्याप्त आंकड़ों के आधार पर ही किया जा सकता है अतः नियोजन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन, उपभोग, आय, व्यय, वचत, विनियोग, उपलब्ध कच्चे माल, शक्ति के साधनों की मात्रा, बाजार की माँग, आयात-निर्यात, मूल्य-स्तर, जनसंख्या आदि के बारे में विश्वसनीय और पर्याप्त आंकड़ों का संकलन किया जाए। असत्य तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर बनाई गई योजनाएँ असफल हो सकती हैं। अतः सांख्यिकीय स्थिति ऐसी होनी चाहिए जो नियमित रूप से निरन्तर सूचना प्रदान करती रहे ताकि परिस्थितियों में परिवर्तन आने पर योजनाओं में भी यथासमय समायोजन किया जा सके।

2. सुनिश्चित और स्पष्ट उद्देश्यों का होना—नियोजन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसके सुनिश्चित और सुस्पष्ट उद्देश्य निश्चित किए जाएँ जो देश की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। परिस्थितियों के अनुरूप उद्देश्यों और लक्ष्यों का निर्धारण नहीं करने से पूर्ण रूप से वे परिपूर्ण नहीं हो पाते। इसी प्रकार, यदि लक्ष्य सुनिश्चित और स्पष्ट नहीं हुए तो बाँझनीय दिशा में तत्परता के साथ प्रयत्न नहीं किए जाएँगे। परिणामस्वरूप लक्ष्यों की पूर्ति अशुभरी होगी तथा नियोजन असफल हो जाएगा। अतः परिस्थितियों के उपयुक्त तथा सुनिश्चित उद्देश्य होने चाहिए। साथ ही परिस्थितियों में परिवर्तन की गुंजाइश होनी चाहिए।

3. नियोजन माँग विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए—प्राथमिक विकास की प्रक्रिया में विभिन्न उत्पादक इकाइयों का विस्तार होता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। अतः विकास उत्पादन की विभिन्न शाखाओं में विनियोग, कच्चे माल का उपयोग और रोजगार की मात्रा में वृद्धि होती है जिससे उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ मौद्रिक आय बढ़ती है। किन्तु ऐसी स्थिति में आय उपार्जित करने वाले विभिन्न वर्गों के आय-वितरण की प्रकृति में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि इस प्रक्रिया के विभिन्न क्षेत्र या उत्पादक इकाइयों का विकास विभिन्न मात्रा में हो सकता है। यहाँ तक कि कुट्ट के समुच्चय की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अतः इस विकास प्रक्रिया की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार की उत्पादित की गई इन वस्तुओं और सेवाओं की माँग और पूर्ति के मध्य सन्तुलन रखा जाए।

4. प्राथमिकताओं का निर्धारण (Fixing of Priorities)—प्राथमिक नियोजन को अपनाते वाले कार्यक्रम और आवश्यकताएँ अनन्त होते हैं किन्तु भौतिक और वित्तीय साधन अपेक्षाकृत सीमित होते हैं अतः वैज्ञानिक नियोजन की एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि इन विभिन्न कार्यक्रमों में देश की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार प्राथमिकताएँ निर्धारित कर ली जाएँ। नियोजन का मुख्य उद्देश्य उत्पादन में अधिकतम वृद्धि करना है, इस हेतु देश की साधन स्थिति, आवश्यकताएँ और विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण उद्योगों के विकास को प्राथमिकता और महत्त्व दिया जाना चाहिए। योजना में ऐसी परियोजनाओं को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनसे राष्ट्रीय-कल्याण में अधिकतम योग प्राप्त हो सके। योजना में यह निश्चय कर लिया जाना चाहिए कि विभिन्न क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए जैसी उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी जाए अथवा कृषि को। इन विभिन्न क्षेत्रों (Sectors) में से भी यह निर्णय किया जाना चाहिए कि इनके किस पहलू पर अधिक बल दिया जाए और किन परियोजनाओं पर पहले ध्यान दिया जाए। इस प्रकार साधनों, विदेशी विनिमय की उपलब्धि, राष्ट्रीय महत्त्व के सन्दर्भ में विवेकपूर्ण निर्णय के आधार पर प्राथमिकताएँ निर्धारित की जानी चाहिए और साधनों का आवंटन भी इसी के अनुसार किया जाना चाहिए। प्राथमिकताओं का निर्धारण जितना उपयुक्त होगा, योजना की सफलता उतनी ही अधिक होगी।

5. साधनों की उपलब्धि (Availability of Resources)—योजना में धनसम्बन्धिता के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। इनकी सफलता पर ही योजना की सफलता निर्भर होती है। योजना के इन कार्यक्रमों और विभिन्न परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में भौतिक (Physical) और वित्तीय (Financial) साधनों की आवश्यकता होती है। योजना की सफलता के लिए बड़ी मात्रा में भौतिक साधन जैसे कच्चा माल, मशीनें, यन्त्र, औजार, रसायन, इस्पात, सोमेट, तकनीकी जानकारी आदि की आवश्यकता होती है जिसे

देश और विदेश से उपलब्ध किया जाना चाहिए। इसी प्रकार वित्तीय साधनों की आवश्यकतानुसार उपलब्धि भी बहुत महत्वपूर्ण है जो आन्तरिक या बाह्य स्रोतों से प्राप्त की जानी चाहिए। वित्तीय साधनों की व्यवस्था बड़ा दुष्कर कार्य होता है क्योंकि इसमें सफलता कई बातों पर निर्भर करती है जैसे राष्ट्रीय आय की मात्रा, पूंजी-उत्पादन का अनुपात (Capital-output ratio), आन्तरिक बचत और विनियोग-दर, मुग्तान-सन्तुलन की मात्रा, जनता की कर-देय क्षमता, सरकार की कर एकत्रीकरण की क्षमता, योजनाओं में जनता का विश्वास, सरकार की आर्थिक स्थिति, घाटे की वित्त-व्यवस्था की सीमा, विदेशी सहायता आदि। अतः योजनाओं की सफलता इन भौतिक और वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर अधिक निर्भर करती है। कई बार साधनों के अभाव में योजना के कार्यक्रमों में कटौती करनी पड़ती है।

6. विभिन्न क्षेत्रों में सन्तुलन बनाए रखना (Maintaining Balance Between Different Sectors)—योजना की सफलता के लिए आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों और उद्योगों का सन्तुलित विकास किया जाएगा। अर्थ-व्यवस्था में एक उद्योग और यहाँ तक कि उत्पादक की एक इकाई भी माँग और पूर्ति के द्वारा अन्य से परस्पर सम्बन्धित होती है। अतः उद्योग का विकास तब तक असम्भव है जब तक कि अन्य के उत्पादन में भी वृद्धि न हो। एक उद्योग का द्रुतगति से विकास करने और अन्य उद्योगों की अवहेलना करने से अर्थव्यवस्था में कई प्रकार की जटिलताएँ और अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। अतः नियोजन की सफलता के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, यातायात, विद्युत्, सामाजिक सेवाओं आदि का सन्तुलित विकास किया जाना चाहिए। इसी प्रकार देश के समस्त प्रदेशों या भागों का भी सन्तुलित विकास किया जाना चाहिए। वास्तव में नियोजन की सफलता इसी बात में निहित है।

7. उचित आर्थिक संगठन (Suitable Economic Organisation)—उचित आर्थिक संगठन की उपस्थिति में ही नियोजन सफल हो सकता है। अतः नियोजन की सफलता के लिए उचित आर्थिक ही नहीं, अपितु सामाजिक संगठन का भी निर्माण किया जाना चाहिए। अर्द्ध-विकसित देशों में इस दृष्टि से वर्तमान सामाजिक आर्थिक संगठन और संरचना के पुनर्गठन की आवश्यकता है। उपर्युक्त बातों के अभाव में आर्थिक प्रगति असम्भव है। इसलिए, विकासार्थ नियोजन की सफलता के लिए वर्तमान आर्थिक संगठन में इस प्रकार परिवर्तन करना चाहिए और नवीन आर्थिक संस्थाओं का सृजन करना चाहिए जिससे योजनाएँ सफल और आर्थिक विकास की तीव्रता से हो सकें। इस सम्बन्ध में अर्थ-व्यवस्था पर सरकारी नियन्त्रण में वृद्धि, सहायता का विकास, भूमि-सुधार कार्यक्रमों की क्रियान्विति, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, विदेशी व्यापार का पुनर्गठन आदि कदम अधिकांश अर्द्ध-विकसित देशों के लिए आवश्यक हैं।

8. योजना के नियन्त्रण की उचित व्यवस्था (Proper Machinery for Plan Implementation)—योजना निर्माण से भी अधिक महत्वपूर्ण क्रियान्वयन

की अवस्था है। अतः इसको क्रियान्वित करने और निर्धारित कार्यक्रमों पर पूर्णरूप से अमल कराने के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में कुशल संगठनों का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। योजना की सफलता उन व्यक्तियों पर निर्भर करती है जो इसे कार्यक्रम में परिणत करने में सक्षम होने हैं। अतः यह कार्य ऐसे व्यक्तियों को सुपुर्न किया जाना चाहिए जो योजना के उद्देश्यों को समझते हों, उनमें आस्था रखते हों और जिनमें योजना के कार्यक्रमों को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक कुशलता, अनुभव, ईमानदारी और कर्तव्यपरामर्शता हो। योजना के संचालन का मुख्य कार्य सरकार का होता है और इसके लिए 'दृढ़, सशक्त और भ्रष्टाचार रहित प्रशासन' की आवश्यकता है। अर्द्ध-विकसित देशों में बहुधा निर्बल सरकार होती है, आन्तरिक प्रशान्ति होती है और कभी-कभी विदेशी सरकार उनकी योजनाओं में हस्तक्षेप करती है और उनमें अपनी इच्छानुसार परिवर्तन पर बल देती है। नियोजन की सफलता के लिए इन परिस्थितियों की समाप्ति आवश्यक है। नियोजन की सफलता के लिए यह भी वांछनीय है कि वहाँ की केन्द्रीय सरकार राज्य-सरकारों की प्रोत्साहक शक्तिशाली हों और उसे विशेष प्रतिकार मिले हो तबिनसे वह अपनी राजनीतिक इच्छाओं में भी योजनाओं को लागू करने में सफल हो सके।

9. जनता का सहयोग (Public Co-operation Forthcoming) —

योजनाओं की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसे पूरा जन-समर्थन और जन-सहयोग मिले। प्रजातान्त्रिक नियोजन में तो इसका विशेष महत्त्व है, क्योंकि वहाँ सरकार को भी शक्ति जनता द्वारा प्राप्त होती है। प्रो. आर्थर लेविस के अनुसार, "जन-उत्साह आर्थिक विकास के लिए स्निग्धता प्रदान करने वाला तेल और पेट्रोल दोनों ही हैं। यह एक ऐसी गतिमान शक्ति है जो लगभग समस्त बातों को सम्भव बनाती है।" योजनाओं में जनता द्वारा अधिकाधिक सहयोग तब प्राप्त होता है जब वह योजनाओं में अपने आपको भागीदार (Participant) समझे। यह यह समझे कि "यह योजना हमारी है, हमारे लिए है, हमारे द्वारा है तथा इनसे जनता को ही समान रूप से लाभ मिलने वाला है।" साथ ही, उन्हें यह भी विश्वास होना चाहिए कि योजनाएँ उपयुक्त हैं और योजनाओं में धन का दुरुस्योग नहीं किया जा रहा है। ऐसा तभी हो सकता है, जबकि योजना-निर्माण और क्रियान्वयन में जनता का सहयोग हो। भारतीय योजनाओं में जन-प्रतिनिधि सस्यारों के रूप में विशिष्ट स्तरों पर आम जनताओं, न्यायसभ-समितिधियों, जिला-परिषदों तथा राज्य और केन्द्रीय विधान मण्डलों को सम्बन्धित किया जाता है। जनता का समर्थन और लोक-सहयोग प्राप्त करने का एक तरीका यह भी है कि योजनाओं का अधिकाधिक प्रचार दिया जाए, जिससे जनता 'योजनाओं की सिद्धि में अपनी समृद्धि' समझे।

10. उच्च राष्ट्रीय चरित्र (High National Character) — राष्ट्रीय चरित्र

की उच्चता लगभग सभी बातों को सम्भव बनाती है। योजना की सफलता के लिए भी यह तत्त्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यदि देश में परिश्रमशील, कर्तव्य-परायण, ईमानदार और राष्ट्रीयता की भावना से युक्त उच्च चरित्र वाले व्यक्ति होंगे तो

योजनाओं की सफलता की अधिक सम्भावनाएँ होंगी किन्तु, अधिकांश अर्द्ध-विकसित देशों में उच्च राष्ट्रीय चरित्र का अभाव होता है। वहाँ स्वदेश से अधिक स्व-उदर को समझा जाता है। ऐसी स्थिति में योजनाओं में अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है। वस्तुतः निर्धनता के दयनीय निम्न-स्तर पर उच्च-नैतिकता की बात करना व्यावहारिकता की अपेक्षा करना है, किन्तु इस मध्यावधि में भी शिक्षा, प्रचार आदि के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है।

11. राजनीतिक एवं प्राकृतिक अनुकूलता (Favourable Political and Natural Conditions)—आर्थिक विकास के लिए अपनाए गए नियोजन के लिए राजनीतिक परिस्थितियों का अनुकूल होना आवश्यक है। विदेशों से विशेष रूप से विकसित देशों से अच्छे सम्बन्ध होने पर अधिक विदेशी सहायता और सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। अर्द्ध-विकसित देशों के लिए इसका बहुत महत्त्व है। किन्तु यदि किसी देश को अन्य देशों के आक्रमण का मुकाबला करना पड़ रहा हो या इस प्रकार की आशंका हो तो उसके साधन आर्थिक विकास की अपेक्षा सुरक्षा प्रयत्नों पर व्यय किए जाते हैं। परिणामस्वरूप, आर्थिक नियोजन की सफलता सीमित हो जाती है। तृतीय योजना की सफलता पर भारत पर चीनी और पाकिस्तानी आक्रमणों का विपरीत प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार बाढ़, भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि प्राकृतिक प्रकोप भी अच्छी से अच्छी योजनाओं को असफल बना देते हैं। अर्द्ध-विकसित देशों में तो इन प्राकृतिक प्रकोपों का विशेष कुपरिणाम होता है, क्योंकि ऐसी अधिकांश अर्थ-व्यवस्थाओं में प्रकृति का प्रभाव अधिक होता है। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना की कम सफलता का एक प्रमुख कारण सूखा, बाढ़ और मौसम की खराबी रही है। गत वर्षों में अर्थ-व्यवस्था में सुधार के जो लक्ष्य प्रकट हुए हैं, उसका बड़ा श्रेय भी प्रकृति की अनुकम्पा को ही है।

अन्य शर्तें—नियोजन की सफलता के लिए अपर्याप्त शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य शर्तों का होना भी आवश्यक है—

1. योजना के प्रभावशाली क्रियान्वयन की व्यवस्था और इसके लिए सरकारी व निजी दोनों ही क्षेत्रों में कुशल संगठन का निर्माण।

2. योजना-पूर्ति के समस्त साधनों का उचित मूल्यांकन किया जाए और उत्पादन के लक्ष्यों का निर्धारण उचित व सन्तुलित ढंग से हो।

3. दीर्घकालीन और अल्पकालीन नियम यथासम्भव साथ-साथ चलें, अर्थात्, दीर्घकालीन योजना के साथ-साथ वार्षिक योजना भी बनाई जाए, ताकि योजना के विभिन्न वर्षों में साधनों का समान उपयोग हो और समान रूप से प्रगति की जा सके।

4. योजना की उपलब्धियों का मध्यावधि मूल्यांकन किया जाए, ताकि कमियों का पता लगाकर उन्हें दूर किया जा सके।

5. विकेंद्रित नियोजन किया जाए अर्थात् योजनाएँ स्थानीय स्तर पर बनाई जाएँ और राज्य-स्तर व केन्द्रीय-स्तर पर उनका समन्वय किया जाए।

6 योजना के उद्देश्यो, लक्ष्यो, प्राथमिकताओ, साधनो आदि का जनता मे पर्याप्त प्रचार और दिनापन किया जाए तथा लोगो मे योजना के प्रति चेतना, जागृति व रुचि उत्पन्न की जाए ।

7 नियोजन राष्ट्र के लिए हो, न कि किसी वर्ग विशेष या दल विशेष के लिए ।

उपरोक्त आवश्यकताओ (अपेक्षाओ) के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि जनसंख्या-वृद्धि पर उचित नियन्त्रण रखा जाए । जनसंख्या का विस्फोट अच्छे से अच्छे नियोजन को असफल बना सकता है । पुनश्च यह भी जरूरी है कि नियोजन को एक निरन्तर होने वाली प्रक्रिया के रूप मे ग्रहण किया जाए । एक योजना की सफलता दूसरी एव दूसरी योजना की सफलता तीसरी योजना की सफलता के लिए सीढ़ी तैयार करती है और इस प्रकार उन सीढ़ियो का सिलखिला निरन्तर चलता रहता है नयेकि आर्थिक विकास की कोई सीमा नहीं होती ।



योजनाओं की सफलता की अधिक सम्भावनाएँ होंगी किन्तु, अधिकांश अर्द्ध-विकसित देशों में उच्च राष्ट्रीय चरित्र का अभाव होता है। वहाँ स्वदेश से अधिक स्व-उदर को समझा जाता है। ऐसी स्थिति में योजनाओं में अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है। वस्तुतः निर्धनता के दयनीय निम्न-स्तर पर उच्च-नैतिकता की बात करना व्यावहारिकता की अपेक्षा करना है, किन्तु इस मध्यावधि में भी शिक्षा, प्रचार आदि के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है।

11. राजनीतिक एवं प्राकृतिक अनुकूलता (Favourable Political and Natural Conditions)—आर्थिक विकास के लिए अपनाए गए नियोजन के लिए राजनीतिक परिस्थितियों का अनुकूल होना आवश्यक है। विदेशों से विशेष रूप से विकसित देशों से अच्छे सम्बन्ध होने पर अधिक विदेशी सहायता और सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। अर्द्ध-विकसित देशों के लिए इसका बहुत महत्त्व है। किन्तु यदि किसी देश को अन्य देशों के आक्रमण का मुकाबला करना पड़ रहा हो या इस प्रकार की आशंका हो तो उसके साधन आर्थिक विकास की अपेक्षा सुरक्षा प्रयत्नों पर व्यय किए जाते हैं। परिणामस्वरूप, आर्थिक नियोजन की सफलता सदाय हो जाती है। तृतीय योजना की सफलता पर भारत पर चीनी और पाकिस्तानी आक्रमणों का विपरीत प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार बाढ़, भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि प्राकृतिक प्रकोप भी अच्छी से अच्छी योजनाओं को असफल बना देते हैं। अर्द्ध-विकसित देशों में तो इन प्राकृतिक प्रकोपों का विशेष कुपरिणाम होता है, क्योंकि ऐसी अधिकांश अर्थ-व्यवस्थाओं में प्रकृति का प्रभाव अधिक होता है। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना की कम सफलता का एक प्रमुख कारण सूखा, बाढ़ और मौसम की तरावी रही है। गत वर्षों में अर्थ-व्यवस्था में सुधार के जो लक्षण प्रकट हुए हैं, उसका बड़ा श्रेय भी प्रकृति की अनुकम्पा को ही है।

अन्य शर्तें—नियोजन की सफलता के लिए अपर्याप्त शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य शर्तों का होना भी आवश्यक है—

1. योजना के प्रभावशाली क्रियान्वयन की व्यवस्था और इसके लिए सरकारी व निजी दोनों ही क्षेत्रों में कुशल संगठन का निर्माण।

2. योजना-पूर्ति के समस्त साधनों का उचित मूल्यांकन किया जाए और उत्पादन के लक्ष्यों का निर्धारण उचित व सन्तुलित ढंग से हो।

3. दीर्घकालीन और अल्पकालीन नियम यथासम्भव साथ-साथ चलें, अर्थात्, दीर्घकालीन योजना के साथ-साथ वार्षिक योजना भी बनाई जाए, ताकि योजना के विभिन्न वर्षों में साधनों का समान उपयोग हो और समान रूप से प्रगति की जा सके।

4. योजना की उपलब्धियों का मध्यावधि मूल्यांकन किया जाए, ताकि कमियों का पता लगाकर उन्हें दूर किया जा सके।

5. विकेंद्रित नियोजन किया जाए अर्थात् योजनाएँ स्थानीय स्तर पर बनाई जाएँ और राज्य-स्तर व केन्द्रीय-स्तर पर उनका समन्वय किया जाए।

6 योजना के उद्देश्यो, लक्ष्यो, प्राथमिकताओ, साधनो आदि का जनता मे पर्याप्त प्रचार और विज्ञापन किया जाए तथा लोगो मे योजना के प्रति चेतना, जागृति व रुचि उत्पन्न की जाए ।

7 नियोजन राष्ट्र के लिए हो, न कि किसी वर्ग विशेष या दल विशेष के लिए ।

उपरोक्त आवश्यकताओ (अपेक्षाओ) के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि जनसंख्या-वृद्धि पर उचित नियन्त्रण रखा जाए । जनसंख्या का विस्फोट अच्छे से अच्छे नियोजन को असफल बना सकता है । पुनश्च यह भी जरूरी है कि नियोजन को एक निरन्तर होने वाली प्रक्रिया के रूप मे ग्रहण किया जाए । एक योजना की सफलता दूसरी एव दूसरी योजना की सफलता तीसरी योजना की सफलता के लिए सीढ़ी तैयार करती है और इस प्रकार उन सीढियो का सिलसिला निरन्तर चलता रहता है क्योंकि आर्थिक विकास की कोई सीमा नहीं होती ।

बचत-दर एवं विकास-दर को प्रभावित करने वाले तत्त्व

(FACTORS AFFECTING THE SAVING RATE
AND THE OVERALL GROWTH RATE)

आर्थिक विकास पूंजी-निर्माण-दर पर निर्भर करता है। पूंजी-निर्माण-दर विनियोग-दर द्वारा निर्धारित होती है तथा विनियोग-दर घरेलू बचत और विदेशी सहायता पर निर्भर करती है। विदेशी ऋण देश की अर्थ-व्यवस्था में व्याज व मूलधन के मुग्तान के रूप में भार स्वरूप समझे जाते हैं। अतः घरेलू बचत ही पूंजी-निर्माण का मुख्य स्रोत होती है। बचत में वृद्धि आन्तरिक व बाह्य स्रोतों द्वारा की जा सकती है। आन्तरिक स्रोतों के अन्तर्गत बचत में वृद्धि ऐच्छिक रूप से उपभोग में कटौती द्वारा की जा सकती है तथा अनिवार्य रूप से बचत में वृद्धि अतिरिक्त करों तथा सरकार के लिए ऋण देकर की जाती है। अर्द्ध-बेरोजगार श्रम को उत्पादन में लगाकर तथा मुद्रा-स्फीति के माध्यम द्वारा भी बचत में वृद्धि सम्भव है। बाह्य स्रोतों के अन्तर्गत, आर्थिक विकास की वित्तीय व्यवस्था विदेशी पूंजी के विनियोग, उपभोग वस्तुओं के आयातों में कटौती तथा देश की व्यापार-शर्तों में सुधार द्वारा की जा सकती है।

बचत-दर को प्रभावित करने वाले तत्त्व

1. घरेलू बचत (Domestic Savings)—घरेलू बचत, उत्पादन में वृद्धि अथवा उपभोग में कटौती या दोनों प्रकार से, बढ़ाई जा सकती है। अर्द्ध-विकसित देश में, देश की जनसंख्या का अधिकांश भाग, निर्वाह-स्तर पर जीवनयापन करता है। इसलिए ऐच्छिक बचत की मात्रा बहुत कम होती है। किन्तु इन देशों में उच्च आय वाले भूस्वामियों, व्यापारियों तथा व्यवसायियों का एक छोटा वर्ग भी होता है, जो प्रदर्शनकारी उपभोग (Conspicuous Consumption) पर एक बड़ी राशि व्यय करता है। इस प्रकार के उपभोग को प्रतिबन्धित करके बचत में वृद्धि की जा सकती है।

इन देशों में मजदूरी व वेतनभोगी वर्ग के व्यक्तियों की प्रवृत्ति वचत करने की अपेक्षा व्यय करने की अधिक होती है। यह वर्ग भी प्रदर्शन प्रभाव (Demonstration Effect) से प्रभावित होता है, फनस्वरूप इस वर्ग की वचत और भी कम हो जाती है।

भूस्वामियों की लगान-आय इन देशों में उत्तरोत्तर वृद्धि द्वारा हो सकती है किन्तु समाज का यह वर्ग अपनी वचत को उत्पादक-विनियोगों के रूप में प्रयुक्त नहीं करता है। विकसित देशों में लगान भी उत्पादक-विनियोगों के लिए वचत का एक स्रोत है।

इस अर्थव्यवस्था में वितरित व अवितरित दोनों प्रकार के लाभ, वचत के महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। "यदि लाभों को वचतों का मुख्य स्रोत माना जाता है तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय में, जिसमें वचत-दर 5 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत हो जाती है, लाभों के अनुपात में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि परिवर्तित होनी चाहिए।"¹

वचत आय-स्तर पर निर्भर करती है। आय के निम्न स्तरों पर वचतें प्रायः नगण्य होती हैं। जैसे-जैसे आय बढ़ती है, वचत-दर में भी वृद्धि होती है। किन्तु प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से वचन में वृद्धि आवश्यक नहीं है। वचन आय के वितरण पर निर्भर करती है। लाभ-अर्जित करने वाले साहसियों के वर्ग के उदय के कारण वचत-दर में वृद्धि होती है। यह वर्ग अपने लाभों का पुनः विनियोजन करता है। नेविस के अनुसार, "राष्ट्रीय आय में वचत का अनुपात केवल आय की अनमानता का ही फलन नहीं है, बल्कि अधिक मूढम रूप में यह राष्ट्रीय आय में लाभों के अनुपात का फलन है।"²

2. करारोपण (Taxation)—अर्थव्यवस्था में अनिवार्य वचत की उत्पत्ति के लिए करों का प्रयोग किया जा सकता है। यदि कर लाभों पर लगाए जाते हैं तो वचत-दर कम होती है तथा विनियोगों पर इनका विपरीत प्रभाव होता है। यद्यपि लोगों की वचत को कर कम करते हैं, किन्तु सरकार के विनियोग व्यय में वृद्धि करते हैं, तो ऐसे करों से पूंजी-निर्माण दर कम नहीं होती है। "जब सरकार लाभों पर भारी दर से कर लगाती है, परिणामस्वरूप, निजी वचन-दर कम होती है, तब कुल वचन-दर को गिराने से रोकने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि सरकारी वचत में वृद्धि की जाए।"³

3. सरकार को अनिवार्य ऋण देना (Compulsory Lending to Government)—करों का एक विकल्प सरकार को अनिवार्य ऋण देने की योजना है। एक निश्चित राशि से अधिक उपार्जित करने वाले व्यक्तियों से सरकार उनकी आय का एक भाग, अनिवार्य रूप से ऋण के रूप में ले सकती है। वचन-दर में

1 W A Lewis Theory of Economic Growth, p 233

2 W A Lewis . Ibid, p 227.

3 W A Lewis Ibid, p 242.

वृद्धि का एक साधन यह भी है, किन्तु इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि सरकारी प्रतिभूतियाँ इस प्रकार की हों जो सम्भावित बचत-कर्त्ताओं (Potential Savers) को आकर्षित कर सकें।

4. उपभोग आयातों पर प्रतिबन्ध (Restriction of Consumption Imports)—आयातित-वस्तुओं के उपभोग में कटौती द्वारा भी बचत-दर को बढ़ाया जा सकता है। उपभोग-वस्तुओं के आयातों में कटौती द्वारा विदेशी विनिमय की बचत होगी, पूंजीगत-वस्तुओं के आयात पर व्यय किया जा सकता है। उपभोग-वस्तुओं के स्थान पर, पूंजीगत-वस्तुओं के आयातों से आर्थिक विकास-दर बढ़ती है। एक ओर जहाँ आयातित उपभोग-वस्तुओं में कटौती की जाती है, वहाँ दूसरी ओर उपभोग वस्तुओं का घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ने दिया जाना चाहिए, अन्यथा बचत-दर में इस तत्त्व से वृद्धि नहीं हो पाएगी।

5. मुद्रा-स्फीति (Inflation)—मुद्रा-स्फीति भी एक महत्त्वपूर्ण तरब है। जब मूल्यों में वृद्धि होती है, तब लोग उपभोग में कटौती करते हैं। परिणामस्वरूप, उपभोग-वस्तुओं का उत्पादन कम होता है। अतः उपभोग-वस्तुओं के क्षेत्र से साधन-मुक्त होकर पूंजीगत-वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार की बचत अनैच्छिक बचते (Forced Savings) कहलाती हैं।

6. गुप्त-बेरोजगारी को समाप्त करना (To Remove Disguised Unemployment)—अतिरिक्त-श्रम को निर्वाह-क्षेत्र से पूंजीवादी-क्षेत्र में स्थानान्तरित करके पूंजी-निर्माण किया जा सकता है। जिन श्रमिकों की सीमान्त-उत्पादकता कृषि में शून्य है, उनको कृषि से हटाकर पूंजी-परियोजनाओं पर लगाया जा सकता है। इस प्रकार सम्पूर्ण निर्वाह-कोष (Subsistence Fund) को पूंजीगत परियोजनाओं में प्रयुक्त किया जा सकता है। परन्तु इस प्रक्रिया में कुछ बाधाएँ आती हैं। प्रथम, गैर-कृषि-क्षेत्र में स्थानान्तरित श्रमिक पूर्वापेक्षा भोजन की अधिक मात्रा की माँग करते हैं। द्वितीय, कृषि-क्षेत्र में बचे हुए श्रमिक भी भोजन के उपभोग में वृद्धि करना चाहते हैं। तृतीय, कृषि-क्षेत्र से पूंजीगत परियोजनाओं तक भोजन सामग्री ले जाने की यातायात लागत भी निर्वाह कोष को कम करती है। यदि निर्वाह कोष के इन छिद्रों (Leakages) की पूर्ति गैर-कृषि-क्षेत्र से साधनों के संग्रह द्वारा की जा सकती है तो वह व्यवस्था पूंजी-निर्माण का एक श्रेष्ठ स्रोत हो सकती है।

7. विदेशी ऋण (Foreign Borrowing)—विदेशी ऋण दो विधियाँ द्वारा पूंजी-निर्माण करते हैं—(1) विदेशी ऋणों का प्रयोग पूंजीगत सामग्री के आयात के लिए किया जा सकता है, (2) जिस सीमा तक विदेशी ऋणों की सहायता से एक देश अपने आयातों की वृद्धि करता है, उस सीमा तक आयात स्थानापन्नों का उत्पादन तथा देश के निर्यात घटाए जा सकते हैं। इन उद्योगों के उत्पादन में गिरावट के कारण जो साधन-मुक्त होते हैं, उनको पूंजीगत-वस्तुओं के क्षेत्र में लगाया जा सकता है। इस प्रकार विदेशी ऋण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पूंजी-निर्माण की दर को बढ़ाने में सहायक होते हैं।

8. विदेशी व्यापार (Foreign Trade)—विदेशी व्यापार भी पूंजी-निर्माण की दर को बढ़ाने में सहायक होता है। यदि निर्यातों के मूल्यों में वृद्धि होती है तो देश की आयात-क्षमता में भी वृद्धि होती है। यदि आयात-क्षमता में वृद्धि को पूंजीगत-वस्तुओं के आयात हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो इससे पूंजी-निर्माण की दर में वृद्धि होती है।

अतः पूंजी-निर्माण को तथा फलतः बचत-दर को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्त्व निम्नलिखित हो सकते हैं—

(1) उत्पादन में वृद्धि अथवा उपयोग में कटौती, (2) प्रदर्शन प्रभाव, (3) लगान-आय में वृद्धि, (4) लाभों में वृद्धि, (5) करारोपण, (6) सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य ऋण, (7) उपभोग आयातों पर प्रतिबन्ध, (8) मुद्रा-स्फीति, (9) गुप्त बेरोजगारी की समाप्ति, (10) विदेशी ऋण तथा (11) विदेशी व्यापार।

विकास-दर और उसे प्रभावित करने वाले तत्त्व

देश की विकास-दर के निर्धारक-तत्त्वों में बचत भी महत्वपूर्ण है। विकास-दर के अन्य निर्धारक-तत्त्वों की विवेचना से पूर्व विकास-दर का सामान्य अर्थ समझना आवश्यक है। सामान्यतः विकास-दर को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जाता है—

$$\text{विकास-दर} = \frac{\text{बचत}}{\text{पूंजी गुणांक}}$$

पूंजी-गुणांक अथवा पूंजी-प्रदा अनुपात का आशय पूंजी का उस मात्रा से है, जो उत्पादन की एक इकाई के लिए आवश्यक होती है। पूंजी-उत्पादन अनुपात दो प्रकार के होते हैं—(क) औसत पूंजी प्रदा अनुपात, और (ख) सीमान्त पूंजी-प्रदा अनुपात। औसत पूंजी प्रदा अनुपात का अर्थ देश के कुल पूंजी-सचय तथा वार्षिक उत्पादन के अनुपात से लगाया जाता है। सीमान्त पूंजी-प्रदा अनुपात से आशय पूंजी-सचय में वृद्धि तथा उत्पादन में वार्षिक वृद्धि के अनुपात से है।

(क) औसत पूंजी-प्रदा अनुपात के निर्धारक तत्त्व (**Factors Determining the Average Capital Output Ratio**)—किसी अर्थव्यवस्था में औसत पूंजी-प्रदा अनुपात विभिन्न तत्त्वों पर निर्भर करता है, जो उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। ये मुख्य तत्त्व निम्नलिखित हैं—

1. तकनीकी सुधार (**Technological Improvements**)—तकनीकी सुधारों द्वारा पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि होती है। इससे पूंजी-प्रदा अनुपात घटता है।

2. श्रम-उत्पादकता (**Labour Productivity**)—यदि श्रम-उत्पादकता में वृद्धि होती है, तो पूंजी की पूर्व-मात्रा से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। इस स्थिति में पूंजी-प्रदा अनुपात घटता है।

3. विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्ष महत्त्व में परिवर्तन (Shift in the Relative Importance of Different Sectors)—श्रीसत पूंजी-प्रदा अनुपात, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के पूंजी-प्रदा अनुपातों पर निर्भर करता है। यदि किसी देश में औद्योगिक विकास पर अधिक बल दिया जाता है तो औद्योगिक क्षेत्र के सापेक्ष महत्त्व में वृद्धि होगी, परिणामस्वरूप पूंजी-प्रदा अनुपात बढ़ जाएगा।

4. विनियोग का ढंग (Pattern of Investment)—यदि विनियोग-योजना में सार्वजनिक-उपयोग तथा पूंजीगत-वस्तुओं के औद्योगिक विकास पर बल है तो श्रीसत पूंजी-प्रदा अनुपात अधिक होगा। इसके विपरीत, यदि घरेलू उद्योगों तथा कृषि विकास को अधिक महत्त्व दिया जाता है तो पूंजी-प्रदा अनुपात घटेगा।

5. तकनीकी का चुनाव (Choice of Technique)—श्रम-गहन तकनीकी में पूंजी-प्रदा अनुपात कम तथा पूंजी-गहन तकनीकी में यह अनुपात अधिक होता है।

(ख) सीमान्त पूंजी-प्रदा अनुपात (Marginal Capital Output Ratio)—कुछ अर्थशास्त्रियों के मतानुसार अर्द्ध-विकसित देशों में यह अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। अर्थ-शास्त्री विपरीत मत रखते हैं। इस अनुपात के अधिक होने के कारण निम्नलिखित कारण हैं—

1. पूंजी का दुरुपयोग (Waste of Capital)—अर्द्ध-विकसित देशों में श्रम अकुशल होता है, इसलिए मशीनों का उपयोग कुशलता से नहीं होता है। परिणामस्वरूप उत्पादन कम होता है। इस कारण विकसित अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यह अनुपात अधिक पाया जाता है।

2. तकनीकी (Technology)—अर्द्ध-विकसित देशों में पूंजी उत्पादकता कम होती है। इसका कारण निम्नस्तरीय तकनीकी है। इस कारण उत्पादन की एक इकाई के लिए अधिक पूंजी आवश्यक होती है। इस स्थिति में यह अनुपात बढ़ जाता है।

3. सामाजिक ऊपरी पूंजी (Social Overhead Capital)—अर्द्ध-विकसित देशों में सामाजिक ऊपरी पूंजी के लिए बड़े विनियोग किए जाते हैं। ये विनियोग पूंजी-गहन होते हैं, परिणामस्वरूप पूंजी-प्रदा अनुपात अधिक रहता है। विकसित देशों में भी निर्माण-उद्योगों की अपेक्षा सार्वजनिक उपयोग के उद्योगों में यह अनुपात अधिक होता है। अर्द्ध-विकसित देशों में यह अनुपात और भी अधिक ऊँचा रहता है।

यदि भारी उद्योगों में विनियोग किया जाता है तो पूंजी-प्रदा अनुपात अधिक होगा।

निम्नलिखित अवस्थाओं में पूंजी-प्रदा अनुपात अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्थाओं में नीचा रहता है—

(1) यदि देश की विकास नीति ऐसी है कि कृषि व लघु उद्योगों पर अधिक बल दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में सीमान्त पूंजी-प्रदा अनुपात कम रहेगा।

(ii) आर्थिक विकास को प्रारम्भिक अवस्थाओं में पूँजी की अल्प राशि के विनियोजन से भी अप्रयुक्त उत्पादन-क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सकता है। परिणामस्वरूप उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होती है। उत्पादन में इस प्रकार की वृद्धि से पूँजी-प्रदा अनुपात कम रहेगा।

(iii) निम्नस्तरीय तकनीकों के कारण अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्रायः पूँजी-प्रदा अनुपात अधिक रहता है। किन्तु कभी-कभी जब नई तकनीकी प्रयोग में आती है तो आश्चर्यजनक लाभ परिलक्षित होते हैं। इसीलिए अधिक पिछड़े हुए देशों में पूँजीविनियोजित की जाती है। साथ ही, शिक्षा व प्रशिक्षण पर आवश्यक व्यय किया जाता है, ताकि विकसित देशों की अपेक्षा अर्द्ध-विकसित देशों में अधिक ऊँची विकास दरें प्राप्त की जा सकें। इस मत की पुष्टि में अर्थशास्त्रियों द्वारा सोवियत रूस व जापान के उदाहरण दिए जाते हैं।¹

(iv) जब पूँजी का प्रयोग नए प्राकृतिक साधनों के विदोहन (Exploitation) हेतु किया जाता है तो उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होती है, परिणामस्वरूप, पूँजी-प्रदा अनुपात कम रहता है।

अतः स्पष्ट है कि विकास-दर के दो मूल घटक होते हैं—(1) बचत तथा (2) पूँजी-मुर्गांक। इन घटकों को जो तत्त्व प्रभावित करते हैं, उनसे विकास-दर प्रभावित होती है। बचत व पूँजी मुर्गांक को प्रभावित करने वाले तत्त्वों को ही विकास-दर के निर्धारक तत्त्व कहा जाता है।



आर्थिक-नियोजन द्वारा विकास करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और विशाल मात्रा में परियोजनाएँ प्रारम्भ की जाती हैं। इन कार्यक्रमों को संचालित करने एवं परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए बड़ी मात्रा में साधनों की आवश्यकता होती है। विकास की इन विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के संचालन के लिए आवश्यक साधनों की व्यवस्था एवं उनकी गतिमयता आर्थिक-नियोजन की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या है। इन साधनों के विकास के लिए विकास-पर गतिमयता पर ही निर्भर करती है। यदि ते साधन आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में होंगे तो विकास की अधिक सम्भावना होगी। इसी प्रकार, इन्हें जितना अधिक योजनाओं के लिए गतिशील बनाया जा सकेगा, विकास की गति उतनी ही तीव्र होगी। साधनों की उपलब्धि और उनको गतिशील बनाने की क्षमता की तुलना में यदि विकास के कार्यक्रम और गति अधिक रखी गई, तो ऐसी योजना की सफलता सदिग्ध रहेगी। डॉ. राज के अनुसार "एक योजना नहीं के बराबर है, यदि इसमें निर्धारित विकास का कार्यक्रम साधनों के एकत्रित करने के कार्यक्रम पर आधारित और समन्वित नहीं किया गया हो।"

साधनों के प्रकार (Types of Resources)

आर्थिक-विकास के लिए मुख्य रूप से भौतिक साधन, मानवीय साधन और वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है। 'भौतिक साधन' देश में स्थित प्राकृतिक साधनों पर निर्भर करते हैं। एक देश प्राकृतिक साधनों में जितना सम्पन्न होगा, भौतिक साधनों की उतनी ही प्रचुरता होगी। यद्यपि अधिकांश अर्द्ध-विकसित देश प्राकृतिक साधनों में सम्पन्न हैं, तथापि उनका उचित विदोहन नहीं किया गया है और उनके विकास की व्यापक सम्भावनाएँ हैं।

इसी प्रकार, अधिकांश अर्द्ध-विकसित देशों में मानवीय साधन भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। अतः योजनाओं का विस्तार, उनकी सफलता और विकास का

गति उनके लिए उपलब्ध वित्तीय साधनों, उनकी गतिमयता, उनके उचित आवंटन तथा उपयोग पर निर्भर करती है।

'वित्तीय साधनों' का महत्त्व देश के आर्थिक विकास में बहुत है। आर्थिक योजना के लिए वित्तीय साधन और उनको एकत्रित करने का तरीका योजना सिद्धि हेतु प्रमुख स्थान रखता है। वित्त एक देश के ससाधनों को गतिशील बनाता है, चाहे वे भौतिक साधन हों या वित्तीय अथवा आन्तरिक साधन हों या बाह्य।

गतिशीलता को निर्धारित करने वाले कारक (Factors Determining Mobilisation)

साधनों का अनुमान और उनको गतिशील बनाना मुख्यतः निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है¹।

(i) राज-वित्त की यन्त्र-प्रणाली (Machinery of Public Finance)—यदि देश की अर्थ-व्यवस्था सुसंगठित हो, जिसमें विकास हेतु उपयुक्त और कुशल राजकोषीय नीति को अपनाया गया हो, तो आन्तरिक साधनों को अधिक सफलतापूर्वक गतिशील बनाया जा सकता है। इसके विपरीत यदि सार्वजनिक वित्त की यन्त्र-प्रणाली अकुशल होगी तो अपेक्षाकृत कम साधन जुटाए जा सकेंगे।

(ii) उद्देश्यों की प्रकृति (Nature of Objectives)—उद्देश्य की प्रकृति पर भी साधनों की गतिशीलता निर्भर करती है। यदि योजना का उद्देश्य युद्ध लड़ना है, तो बाह्य साधन कम प्राप्त हो सकेंगे। किन्तु यदि इसका उद्देश्य द्रुत गति से आर्थिक विकास करना हो तो विदेशी साधन भी अधिक गतिशील हो सकेंगे। यदि योजना के लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी होंगे, तो कुल एकत्रित साधन अधिक होंगे और जनता पर भार भी अधिक होगा।

(iii) योजना की अवधि (Period of Plan)—यदि योजना एक वर्षीय है तो कम मात्रा में कोषों की आवश्यकता होगी और इससे देश के आन्तरिक साधनों पर अधिक दबाव नहीं पड़ेगा। किन्तु यदि योजनाओं की अवधि लम्बी होगी तो बड़ी मात्रा में साधनों को गतिशील बनाने की आवश्यकता होगी।

(iv) श्रम और पूँजी की स्थिति (Situation with regard to Labour and Capital)—यदि देश में श्रम-शक्ति की बहुलता है तो साधनों को गतिशील बनाने में श्रम-प्रधान तरीके (Labour intensive) उपयुक्त होंगे। इसके विपरीत यदि देश में पूँजी की विपुलता है और अतिरिक्त श्रम-शक्ति नहीं है तो साधनों को गतिशील बनाने में अधिक पूँजी-गहन (Capital intensive) तकनीकों को अपनाई जाएगी।

(v) शिक्षा एवं राष्ट्रीय चेतना (Education and National Consciousness)—वित्तीय साधनों को योजना की वित्त-व्यवस्था के लिए गतिशील बनाने में देशवासियों की शिक्षा और राष्ट्रीय भावना का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि

देशवासी शिक्षित हैं, उनमें राष्ट्रीय भावना है और वे अपने उत्तरदायित्व को समझने वाले हैं तो योजना के लिए अधिक वित्त जुटाया जा सकेगा। अल्प-वचत, बाजार ऋण यहाँ तक कि करो से भी अधिक साधन एकत्रित किए जा सकेंगे।

(vi) अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति (International Situation)—यदि अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण शान्ति और सहयोगपूर्ण है और विश्व में तनाव कम है, तो बाह्य साधनों से अधिक वित्त उपलब्ध हो सकेगा। इसके अतिरिक्त, यदि योजना को अपनाने वाले देश के अन्य धनी देशों से अच्छे सम्बन्ध हैं या वह युद्ध, सुरक्षा अथवा आक्रमण के लिए नहीं, अपितु आर्थिक विकास के लिए नियोजन को अपना रहा है तो इन विकसित देशों से तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सस्याओं में अधिक मात्रा में योजनाओं के संचालन के लिए वित्त उपलब्ध हो सकेगा। ऐसी स्थिति में, योजनाओं की वित्त-व्यवस्था में बाह्य साधनों का महत्त्व बढ़ जाएगा।

(vii) मूल्य-स्तर और जनता की आर्थिक स्थिति (Price level and Economic condition of the people)—यदि मूल्य बढ़ रहे होंगे और इसके कारण जीवन स्तर-व्यय बढ़ रहा होगा तो लोगों के पास बचत कम होगी। साथ ही, जनता भी सरकार के इस साधन को गतिशील बनाने के कार्यक्रम में अधिक सहयोग नहीं करेगी। परिणामस्वरूप आन्तरिक साधन कम जुटाए जा सकेंगे।

(viii) विदेशी विनिमय कोष (Foreign Exchange Reserves)—यदि एक देश के पास पर्याप्त विदेशी विनिमय कोष है तो साधनों को गतिमय बनाना सुगम होगा। ऐसी स्थिति में, 'हीनार्थ प्रबन्धन' भी वित्त का एक स्रोत बन सकता है और उसमें अन्य स्रोतों पर कम भार होगा। राजस्व, बाजार, बचत आदि वित्त के कम महत्त्वपूर्ण साधन हो जाएंगे। इसके विपरीत, यदि विदेशी विनिमय कोष छोटा है तो 'हीनार्थ प्रबन्धन' (Deficit Financing) भी कम होगा और वित्त के अन्य स्रोतों पर भार बढ़ जाएगा।

(ix) सरकार की आर्थिक नीति (Economic policy of the Government)—यदि देश की अर्थ-व्यवस्था सोवियत रूस की तरह पूर्णतः केन्द्रित हो तो साधनों को अधिक मात्रा में सरलतापूर्वक गतिशील बनाया जा सकेगा। किन्तु यदि देश में जनतान्त्रिक शासन प्रणाली और निर्हेतुक्षेपपूर्ण अर्थ-व्यवस्था हो तो अपेक्षाकृत कम मात्रा में साधन गतिशील बनाए जा सकेंगे।

(x) आर्थिक विषमता की मात्रा (Degree of Economic Inequality)—यदि देश में आर्थिक विषमता तथा आय की असमानता कम होगी और उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व का विस्तार हो रहा होगा ऐसी स्थिति में सार्वजनिक उपक्रमों की आय के रूप में साधनों की अधिक वृद्धि होगी। वितरण की न्यायोचित प्रणाली और उत्पादन के सामूहिक स्वामित्व से राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी और विकास को गतिशील बनाने के लिए साधन अधिक उपलब्ध हो सकेंगे। किन्तु यदि समाज में आर्थिक विषमता है और उत्पादन निजी-क्षेत्र में ही संचालित किया जाता है तो योजनाओं की वित्त-व्यवस्था के मुख्य साधन कर, ऋण, बचत आदि होंगे।

- (iii) विकास के कारण बढ़ने वाली आय का भी अधिकांश भाग बटती हुई दर से विनियोजित किया जाना चाहिए ।
- (iv) आय और बचत का विनियोगों में हस्तान्तरण ऐच्छिक होना चाहिए ।
- (v) विनियोग वृद्धि की इस प्रक्रिया का परिणाम उपभोग स्तर में कमी नहीं होना चाहिए ।

आन्तरिक वित्त के साधन—आन्तरिक वित्त के निम्नलिखित प्रमुख साधन हैं—

- (i) चालू राजस्व से बचत (Surplus from Current Revenues)
- (ii) सार्वजनिक उपक्रमों में लाभ (Profit from Public Enterprises)
- (iii) जनता से ऋण (Public Borrowing)
- (iv) हीनार्य प्रबन्धन (Deficit Financing)
- (v) प्राविधिक जमा-निधि (Provident Fund etc)

(i) चालू राजस्व से बचत (Surplus from Current Revenues)—

योजनाओं की वित्त-प्रवस्था का चालू राजस्व से बचत सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है । चालू राजस्व से अधिक बचत हो इस हेतु करो का लगाना और पुराने करो की दर में वृद्धि करना होता है । करारोपण, आन्तरिक साधनों में एक प्रमुख है, क्योंकि इससे कुछ बचत में वृद्धि होती है । यह एक प्रकार की विवशतापूर्ण बचत है । कर व्यवस्था इस प्रकार से समकाल की जानी चाहिए जिससे न्यूनतम सामाजिक त्वाप से अधिकतम कर राशि एकत्रित की जा सके । इसके लिए अधिकाधिक जनसंख्या को कर परिधि में लाया जाए । करो की चोरी रोकੀ जाए और प्रगतिशील करारोपण लागू किया जाए जिससे प्राप्त कर-राशि का अधिकांश भाग उन व्यक्तियों पर पड़े जो इस बोझ को वहन करने में सक्षम हों, साथ ही इससे आर्थिक विषमता कम हो । किन्तु साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि करो के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े तथा बचत, विनियोग और कार्य करने की इच्छा हतोत्साहित न हो । विकासार्थ, अपनाने गए नियोजन के प्रारम्भिक काल में मुद्रा प्रसारिक प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि इस समय भारी मात्रा में पूँजी विनियोग होता है । ऐसा उस समय अधिक होता है जबकि लम्बे समय में फल देने वाली योजनाएँ होनी हैं । करो द्वारा जनता से अतिरिक्त नए शक्ति लेकर मुद्रा प्रसारिक प्रवृत्तियों का दमन करने में भी सहायता मिलती है और इन प्रवृत्तियों का दमन योजनाओं की सफलता के लिए अतिआवश्यक है । अतः कर-नीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिससे कम से कम कुपरिणाम हो और अधिक से अधिक वित्तीय-साधन गतिशील बनाए जा सकें ।

अधिकांश अर्द्ध-विकसित देशों में जनता की आय अति न्यून होने के कारण वित्त-व्यवस्था के साधन के रूप में करारोपण का महत्व विकसित देशों की अपेक्षा कम होता है । वहाँ जीवन-स्तर उच्च बनाने की आवश्यकता होती है और इसलिए किसी भी सीमा तक कर बढ़ाते जाना वांछनीय नहीं होता है । अर्द्ध-विकसित देशों

में करदान क्षमता (Taxable Capacity) कम होती है और राष्ट्रीय आय का अन्य भाग ही कर-संग्रह में प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, गत वर्ष पूर्व भारत में कुल करो से प्राप्त आय, कुल राष्ट्रीय-आय की केवल 9% ही थी जबकि यह इंग्लैण्ड, संयुक्तराज्य अमेरिका, जापान, न्यूजीलैण्ड, कनाडा और रूस में क्रमशः 35%, 23%, 23%, 27%, 19% और 20% थी।

भारतीय विकास योजनाओं में विकास के हेतु विशाल कार्यक्रम सम्मिलित किए गए और समस्त स्रोतों से वित्तीय साधनों को गतिशील बनाने का प्रयत्न किया गया। कर-साधनों का पूर्ण उपयोग किया गया। करो की दर में वृद्धि की गई और नवीन कर लगाए गए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में देश के अपने साधनों (Mainly through own resources) से 740 करोड़ रु. की वित्त-व्यवस्था का अनुमान लगाया गया जबकि वास्तविक प्राप्ति 725 करोड़ रु. (कुल वित्त-व्यवस्था का 38.4 प्रतिशत) हुई। इसमें कराधान की योजना पूर्व-दरों पर चालू राजस्व से बचत 382 करोड़ रु. थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देश के अपने साधनों से वास्तविक प्राप्ति 1,230 करोड़ रु. (कुल वित्त-व्यवस्था का 26.3 प्रतिशत) हुई जिसमें कराधान की योजना पूर्व-दरों पर चालू-राजस्व से बचत 11 करोड़ रु. थी। तृतीय योजना में देश के अपने साधनों से 2,908 करोड़ रु. (कुल वित्त-व्यवस्था का 33.9 प्रतिशत) प्राप्त हुए जिसमें कराधान की योजना पूर्व-दरों पर चालू राजस्व से बचत (—) 419 करोड़ रु. की थी। चतुर्थ योजना में अन्तिम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार देश के अपने साधनों से 5,475 करोड़ रु. (कुल वित्त-व्यवस्था का 33.9 प्रतिशत) प्राप्त हुए जिसमें कराधान की योजना-पूर्व दरों पर चालू राजस्व से बचत (—) 236 करोड़ रु. थी।¹ पाँचवी योजना के प्रारूप में सरकारी क्षेत्र में देशीय बचत 15,075 करोड़ रु. और गैर-सरकारी क्षेत्र में देशीय बचत 30,055 करोड़ रु. अनुमानित की गई² जो बाद में सशोधित पाँचवी योजना (सितम्बर, 1976) में क्रमशः 15,028 और 42,029 करोड़ रु. अनुमानित की गई।³

(ii) सार्वजनिक उपक्रमों से लाभ (Profit from Public Enterprises) — पूर्ण नियोजित अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन का लगभग समस्त कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन रहता है। किन्तु अन्य प्रकार की नियोजित अर्थ-व्यवस्थाओं में भी सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन उत्पादक इकाइयों की संख्या में वृद्धि होती रहती है और सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार होता है। इस कारण, वित्तीय साधनों में राजस्व का भाग घटकर, सार्वजनिक उपक्रमों के लाभों का भाग बढ़ता जाता है। उदाहरणार्थ, सोवियत रूस में जनता आय का केवल लगभग 13% भाग ही कर के रूप में देती है। सरकारी आय का प्रमुख साधन सार्वजनिक उद्योगों का आधिक्य ही होता है।

1. इण्डिया 1976, पृष्ठ 173.
2. योजना, 22 दिसम्बर, 1973, पृष्ठ 7.
3. पाँचवी पंचवर्षीय योजना 1974-79, पृष्ठ 40.

सार्वजनिक उपक्रम केवल अपने लाभ-आधिक्य के द्वारा ही योजनाओं की वित्त-व्यवस्था के लिए धन उपलब्ध नहीं कराते, अपितु इन उपक्रमों में कई प्रकार के कोष होते हैं जिनसे सरकारें समय-समय पर अपने वित्तीय उत्तरदायित्वों का निर्वाह करती हैं।

सार्वजनिक उपक्रमों का लाभ मुख्यतः उन देशों में एक बड़ा वित्तीय साधन के रूप में प्रकट होता है जहाँ पूर्णरूप से नियोजित अर्थ-व्यवस्था हो और समस्त उत्पादन-कार्य सरकार द्वारा ही किया जाता हो, किन्तु अधिकांश अर्द्ध-विकसित देशों में इस प्रकार की पूर्ण नियोजित अर्थ-व्यवस्था और सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार नहीं होता है, वहाँ उत्पादन-क्षेत्र में निजी-उद्यम भी क्रियाशील रहता है। इसलिए, वहाँ सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या और स्वाभावतः उनके लाभ की मात्रा भी न्यून होती है। इन देशों में जो कुछ सार्वजनिक उपक्रम हैं वे हाल ही स्थापित किए गए हैं और उन्होंने अभी पर्याप्त मात्रा में लाभ कमाना आरम्भ नहीं किया है। अनुभव अभाव के कारण इनकी सफलता का स्तर बहुत नीचा है। इन सब कारणों से इन देशों में नियोजन हेतु, वित्तीय साधनों को गतिशील बनाने में स्रोत से अधिक अपेक्षा नहीं की जा सकती। साथ ही, यह प्रश्न भी विवादास्पद हुआ है कि इन सार्वजनिक उपक्रमों को लाभ के उद्देश्य (Profit Motive) पर संचालित किया जाए या इन्हें लाभ का साधन नहीं बनाया जाए। यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि निजी-उपक्रम में मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए जाने चाहिए जिससे कर सहित उत्पादन लागत निकलने के पश्चात् इतना लाभ प्राप्त हो जिसमें पूंजी और उपक्रम इस ओर आकर्षित हो सकें। किन्तु सरकारी उपक्रमों के समस्त व्यावसायिक और आर्थिक दृष्टिकोण की अपेक्षा जन कल्याण का ध्येय प्रमुख होता है। इसी कारण बहुधा सार्वजनिक उपक्रमों की स्थिति एकाधिकारिक होते हुए भी इनके मूल्य कम हो सकते हैं। किन्तु अब यह माना जाने लगा है कि सार्वजनिक उपक्रम लाभ नीति के भागधार पर संचालित किए जाने चाहिए जिससे सरकार को आत्म निर्भर बनने में मदद मिलेगी। उसके पास योजनाओं की वित्त व्यवस्था के लिए सुगमतापूर्वक साधन उपलब्ध हो सकेंगे और साथ ही मुद्रा-प्रसारित प्रवृत्तियों को रोकने में भी सहायता मिलेगी।

भारत में योजनावद्ध आर्थिक विकास का मार्ग अपनाते के बाद सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार निरन्तर होना गया। गत 25 वर्षों में औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों का केन्द्रीय सरकार का निवेश 29 करोड़ रुपये से बढ़कर अब 6,000 करोड़ रुपये से भी अधिक हो गया है। जहाँ 25 वर्ष पहले अर्थात् प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू होते समय केवल पाँच उपक्रम थे, वहाँ आज देश के चारों कोनों में ऐसे लगभग 200 उपक्रम चल रहे हैं। देश की योजनाओं से सार्वजनिक क्षेत्र से निरन्तर बढ़ती हुई मात्रा में वित्त उपलब्ध होने की आशा की गई है। पर रेलों के योगदान के अतिरिक्त अन्य उद्योगों से वित्त की उपलब्धि का चित्र अधिकांशतः निराशाजनक ही रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में रेलों से 115 करोड़ रुपये और द्वितीय योजना में 167 करोड़ रुपये, तृतीय योजना में केवल 62 करोड़ रुपये रहा। तृतीय योजना

मे स्थिति तेजी से बिगड़ी, जहाँ प्रारम्भिक अनुमान 265 करोड़ रुपये की प्राप्ति का था, वहाँ अन्तिम उपलब्ध अनुमान (—) 165 करोड़ रुपये का रहा। संशोधित पाँचवी योजना (सितम्बर, 1976) में योजना के प्रथम तीन वर्षों में विकास कार्यक्रम में रेलवे का अंशदान (—) 1005 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया। अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्रथम और द्वितीय योजना में उपलब्ध नगण्य रही जबकि, तृतीय योजना में वास्तविक प्राप्ति 373 करोड़ रुपये की रही। चौथी योजना में अन्तिम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार यह प्राप्ति 1,300 करोड़ रुपये की रही। प्रारम्भिक अनुमान 1,764 करोड़ रुपये था। संशोधित पाँचवी योजना में प्रथम तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार के गैर-विभागीय उद्यमों + डाक व तार + राज्य सरकार व उद्यमों का अंशदान क्रमशः 1615, + 181 तथा (—) 167 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया। भारत में सार्वजनिक उपक्रम अपेक्षित पूर्ति-स्तर से अभी बहुत दूर हैं और इस स्थिति के लिए इन उद्योगों की निम्न कार्यकुशलता, इन उद्योगों में श्रमिक अशान्ति, अमितव्ययितापूर्ण योजनाओं का निर्माण आदि तत्त्व उत्तरदायी हैं। भारतीय योजनाओं के लिए इन स्रोत से अधिक वित्तीय साधन अधिक गतिशील बनाए जाएँ, इसके लिए आवश्यक है कि इनकी कुशलता का स्तर ऊँचा हो, ये अपने पैरों पर खड़े हो और योजनाओं के लिए दुर्बल साधन जुटाने की दृष्टि से इन्हे उचित लाभ प्राप्त हो। यह उत्साहवर्धक बात है कि पिछले कुछ समय से सरकार सार्वजनिक उपक्रमों के प्रति विशेष रूप से जागरूक हो गई है। केन्द्रीय सरकार के वारिग्यिक उपक्रमों द्वारा अधिक लाभ कमाया जाने लगा है। आर्थिक समीक्षा 1975-76 के अनुसार, 1974-75 में कुल 121 चालू उपक्रमों के प्रवर्तन सम्बन्धी परिणामों से कुल मिलाकर 312 करोड़ रुपये के कर की अदायगी से पूर्व निवल लाभ हुआ है। यह लाभ 1973-74 में 114 चालू उपक्रमों द्वारा प्राप्त 149 करोड़ रुपये के लाभ की रकम से दुगुनी रकम से भी अधिक था। लाभ कमाने वाले उपक्रमों की संख्या 82 थी। उन्होंने कुल मिलाकर 451 करोड़ रुपये का वास्तविक लाभ कमाया, घाटे में चलने वाले उपक्रमों की संख्या 39 थी और उनको हुए कुल घाटे की रकम 139 करोड़ रुपये थी। आर्थिक समीक्षा 1976-77 के अनुसार, "1975-76 के उपलब्ध अन्तिम आँकड़ों के अनुसार इस वर्ष (1975-76) केन्द्रीय वारिग्यिक उपक्रमों को 305 करोड़ रुपये का लाभ हुआ जो पिछले वर्ष के स्तर से 2 प्रतिशत कम था।"

(iii) जनता से ऋण (Public Borrowings)—करो से प्राप्त आय और सार्वजनिक उपक्रमों के आधिक्य से आर्थिक विकास के लिए बनाई गई योजनाओं के संचालन के लिए आवश्यक राशि प्राप्त नहीं होने पर जनता से ऋण प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार, योजनाओं की वित्त-व्यवस्था में जनता से प्राप्त ऋणों की भी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है, किन्तु योजनाओं की वित्त-व्यवस्था हेतु ऋणों का उपयोग अत्यन्त सोच-विचार करके करना चाहिए, क्योंकि इनकी प्राप्ति के साथ ही इनकी व्याज सहित अदायगी का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही अर्द्ध-विकसित देशों में आय और जीवन-स्तर की निम्नता के कारण इस साधन द्वारा योजनाओं के लिए

साधनों का निर्धारण (Determination of Resources)

एक देश के द्वारा बनाई जाने वाली योजना के कार्यक्रमों के निर्धारण हेतु साधनों का अनुमान लगाना पड़ता है। अनुमानित साधनों पर ही योजना का आकार और कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। इसलिए उपलब्ध या गतिशील बनाए जा सकने वाले साधनों की मात्रा का अनुमान लगाना आवश्यक होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि देश और उसके बाहर ऐसे क्रियाशील घटकों पर विचार किया जाए जो योजनाओं की वित्त-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले हों। सर्वप्रथम विदेशी सहायता और बाह्य साधनों का अनुमान लगाया जा सकता है। यद्यपि सोवियत रूस ने अपनी योजना को आन्तरिक साधनों से ही संचालित किया था, किन्तु ऐसी स्थिति में देशवासियों को भारी त्याग करना पड़ता है और कष्ट उठाना पड़ता है। आधुनिक अर्द्ध-विकसित देशों के लिए अपने देशवासियों से इस मात्रा में भारी त्याग और कष्टों का वहन कराना वांछनीय नहीं है साथ ही इतना आसान भी नहीं है। अतः इन देशों की योजनाओं की वित्त-व्यवस्था में बाह्य साधनों का पर्याप्त महत्त्व है। इन्हें यथासम्भव आन्तरिक साधनों को अधिकतम मात्रा में गतिशील बनाना चाहिए। किन्तु ऐसा जनता पर बिना विशेष कष्ट दिए हुए होना चाहिए और इन आन्तरिक साधनों की कमी की पूर्ति बाह्य साधनों द्वारा की जानी चाहिए। यद्यपि किसी देश को विकास के लिए बाह्य साधनों पर ही पूर्णरूप से निर्भर नहीं होना चाहिए किन्तु अर्द्ध-विकसित देश बिना बाह्य साधनों के वांछित दर से प्रगति भी नहीं कर सकते। अतः दोनों स्रोतों का ही उचित उपयोग किया जाना चाहिए। कोलम्बो योजना में भी इस विचार को स्वीकार किया गया है कि इन देशों को विशाल मात्रा में विदेशी विनियोगों के रूप में प्रारम्भिक उत्तेजक (Initial Stimulus) की आवश्यकता है। कई देशों की योजनाओं में लगभग 50% तक वित्तीय साधनों के लिए बाह्य स्रोतों पर निर्भरता रखी गई है।

योजना के लिए वित्तीय साधनों की गतिशीलता (Mobilisation of Financial Resources)

वित्तीय साधनों की गतिशीलता का तात्पर्य, योजना की वित्तव्यवस्था के लिए इनके एकत्रीकरण से है। योजनाओं की वित्त-व्यवस्था बनाने के प्रमुख रूप से निम्नलिखित दो स्रोत हैं—

(अ) बाह्य साधन (External Resources) तथा

(ब) आन्तरिक साधन (Internal Resources)

बाह्य साधन (External Resources)

अर्द्ध-विकसित देशों में न केवल पूँजी की उपलब्ध मात्रा ही कम होती है अपितु चालू वचत दर भी निम्न स्तर पर होती है। एक अनुमान के अनुसार जेटिन अमेरिका, मध्य-पूर्व अफ्रीका, दक्षिण-मध्य एशिया और सुदूर-पूर्व के निर्धन देशों की

घरेलू बचत दर 5% से भी कम रही है। ऐसी स्थिति में ये देश स्वयं स्फूर्त अर्थ-व्यवस्था में पहुँचने और द्रुत आर्थिक विकास हेतु आवश्यक बड़ी मात्रा में विनियोग नहीं कर सकते हैं। वांछनीय विनियोग और उपलब्ध बचत के मध्य के इस अन्तर को पूरा करने के लिए विदेशी सहायता अपेक्षित है। बाह्य साधनों का योजना की वित्त व्यवस्था में इसलिए भी महत्त्व है क्योंकि इन देशों की जनता निर्धन होनी है और अधिक करारोपण द्वारा अधिक धन-संग्रह भी नहीं किया जा सकता है। निर्वनता और कम आय के कारण ऋणों द्वारा भी अधिक अर्थ-संग्रह नहीं किया जा सकता। हीनार्थ प्रचण्डन (Deficit financing) का भी समीचीन मात्रा में आश्रय नहीं लिया जा सकता है क्योंकि इससे मुद्रा प्रसारित प्रवृत्तियों को जन्म मिलता है। इसीलिए योजनाओं की आवश्यकताओं और आन्तरिक साधनों में जो अन्तर रह जाता है उसकी पूर्ति हेतु बाह्य साधनों का सहारा लेना पड़ता है। पहले यह धारणा थी कि केवल परियोजनाओं की विदेशी विनियम की आवश्यकताओं तक ही बाह्य सहायता सीमित रहनी चाहिए किन्तु अब यह माना जाने लगा है कि न केवल विदेशी-विनियम की आवश्यकता के समान अपितु, घरेलू आवश्यकताओं के लिए भी विदेशी सहायता आवश्यक है।

इन प्रकार योजनाओं की वित्तीय आवश्यकताएँ और आन्तरिक साधनों का अन्तर विदेशी सहायता की मात्रा का निर्धारण करता है। जितनी विदेशी सहायता इस अन्तर के बराबर होगी उतना ही देश का द्रुत आर्थिक विकास होगा। किन्तु अथक प्रयत्नों के बावजूद भी बाह्य साधनों से इतना वित्त उपलब्ध हो जाए यह आवश्यक नहीं है क्योंकि बाह्य सहायता की उपलब्धता कई आर्थिक और सामाजिक बातों पर निर्भर करती है जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं—

(i) विदेशी व्यापार की स्थिति, (ii) विदेशी विनियम का अर्थ, (iii) घरेलू और विदेशी वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन, (iv) बाह्य विश्व में स्थायित्व की मात्रा, (v) स्वदेश और विदेशों में मुद्रा-प्रसार या मुद्रा-संकुचन की मात्रा, (vi) विनियोगों के अनुत्पादक रहने की अवधि, (vii) विनियोगों की उत्पादकता अर्थात् पूँजी-उत्पाद अनुपात, (viii) आन्तरिक स्थायित्व, (ix) अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण, (x) विकसित देशों द्वारा सहायता की इच्छा, (xi) उचित योजना निर्माण। विशुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से विदेशी सहायता का मापदण्ड सहायता प्राप्त करने वाले देश के चलने की साख, का उद्देश्य और चुकाने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए किन्तु आधुनिक विश्व में विदेशी सहायता में राजनीतिक दृष्टिकोण को ही प्रगुभता दी जाती है। इस सम्बन्ध श्री यूजीन आर ब्लैक (Eugene R. Black) (भूतपूर्व प्रच्यप्त विश्व-बैंक) ने लिखा है कि "विदेशी सहायता कभी-कभी केवल कूटनीतिक सैनिक मित्रों को रूप के लिए ही दी जाती है।" ऐसी स्थिति में तटस्थता की नीति में विश्वास करने वाले और गुटबन्दी से दूर रहने वाले अर्द्ध-विकसित देश, विदेशी सहायता प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव करते हैं, किन्तु इनके बावजूद भी इन अर्द्ध-विकसित देशों को अपनी योजनाओं की वित्त-व्यवस्था हेतु बाह्य साधनों से पर्याप्त सहायता मिलती रही है।

बाह्य साधनों के रूप (Forms of External Resources)—बाह्य साधन प्रमुख रूप से निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं—

(i) **निजी पूँजी (Private Capital)**—बाह्य साधन विदेशों में स्थित निजी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध होते हैं। निजी पूँजी को मुख्यतः प्रत्यक्ष विनियोग द्वारा ही गतिशील बनाया जा सकता है, किन्तु आजकल नियोजित अर्थ-व्यवस्था में इसके लिए सीमित क्षेत्र होता जा रहा है क्योंकि नियोजित अर्थ-व्यवस्था में निजी उपक्रम के लिए सीमित क्षेत्र होता है। साथ ही विदेशी विनियोगकर्ता को सरकार अधिक लाभ नहीं देने देती। बहुधा इन देशों की सरकारों द्वारा विदेशी पूँजी पर अनेक नियन्त्रण और ऐनी शर्तें लगाई जाती हैं, जिन्हें विदेशी विनियोगकर्ता स्वीकार नहीं करते। इसके अतिरिक्त इन अर्द्ध-विकसित देशों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थायित्व का अभाव रहता है। अनेक बार सरकारें बदलती रहती हैं, जिनकी इन विदेशी विनियोगों के बारे में विरोधी नीति हो सकती है। राष्ट्रीयकरण तथा विनियमन द्वारा भविष्य में इस विदेशी पूँजी और इस पर लाभ के स्वदेश में हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध का भय भी विकसित देशों से, अर्द्ध-विकसित देशों में निजी-पूँजी-प्रवाह में कमी लाता है।

भारत में निजी-पूँजी विदेशी निजी अभिकरणों (Private Agencies) द्वारा विनियोग और भारतीय कम्पनियों द्वारा विश्व बैंक से लिए गए ऋणों के रूप में पर्याप्त मात्रा में विदेशी निजी पूँजी का आर्थिक विकास में योगदान रहा है किन्तु गत वर्षों में विश्व बैंक के ऋणों का महत्त्व बढ गया है। भारत की कुल निजी पूँजी में से विदेशियों द्वारा नियन्त्रित उपक्रमों या प्रत्यक्ष विदेशी विनियोगों का भाग अधिक है। सन् 1957 में वह भाग 90% था जिसमें विगत वर्षों में निरन्तर कमी होनी रही है।

(ii) **सार्वजनिक विदेशी विनियोग (Public Foreign Investment)**—अर्द्ध-विकसित देशों की योजना विनियोगों का बहुत महत्त्व है। विदेशी सरकारों द्वारा दिए गए ऋण, अनुदान या प्रत्यक्ष विनियोगों द्वारा इन पिछड़े हुए देशों में अनेक महत्त्वपूर्ण परियोजनाएँ प्रारम्भ और पूरा की गई हैं। विकसित देशों की सरकारें, अर्द्ध-विकसित देशों के आर्थिक विकास में उनके उत्तरदायित्व को पूर्णपेक्षा अधिक समझने लगी हैं, इसीलिए ये इन विकासशील देशों को अधिक सहायता देने लगी हैं। किन्तु सार्वजनिक विदेशी विनियोगों द्वारा सहायक देश की सरकारें सहायता के इच्छुक देश को राजनीतिक रूप से प्रभावित करना चाहती हैं और अपनी शर्तें सहायता के साथ लगा देती हैं। भारत में सरकारी क्षेत्र के बौजारों में स्थापित होने वाले चीथे इस्पात कारखाने में अमेरिका ने सहायता देना इसलिए स्वीकार नहीं किया था क्योंकि यह सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा था। इसी प्रकार अन्य शर्तें भी जोड़ दी जाती हैं और स्वतन्त्र तथा तटस्थ नीति को अपनाते वाले या स्वाभिमानी राष्ट्र इस प्रकार की विदेशी वित्तीय सहायता आवश्यकतानुसार प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते हैं। फिर भी विकसित देशों की सरकारों से कई

अर्द्ध-विकसित देशों की योजनाओं के लिए वहाँ की सरकारें पर्याप्त राशि प्राप्त करने में सफल रही हैं।

भारत ने द्रुत औद्योगीकरण और योजना संचालन के लिए विदेशी सरकारों द्वारा ऋण, अनुदान और प्रत्यक्ष विनियोग के रूप में पर्याप्त धनराशि प्राप्त की है। भारत अपनी विशेष स्थिति और असतन्त्रतावादी नीति के फलस्वरूप विश्व के पूँजीवादी और साम्यवादी दोनों ही खेमों द्वारा प्रभूत सहायता प्राप्त करने में सफल रहा है, यद्यपि पिछले कुछ वर्षों से पूँजीवादी देशों से—विशेषकर अमेरिका से भारत को वित्तीय सहायता बहुत कम अथवा प्रतिबन्धित है। भारत सरकार के प्रकाशन के अनुसार, भारत पर कुल ऋण विदेशी ऋण 1974-75 (संशोधित) के अंत में 6419.26 करोड़ रु और 1975-76 (बजट) में 7031.95 करोड़ रु. या 1¹ भारतीय योजनाओं की वित्त-व्यवस्था के लिए बाह्य साधनों को कितना गतिशील बनाया गया है इसका अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में विदेशी ऋण की राशि 189 करोड़ रु (कुल वित्त व्यवस्था का 9.6%), द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 1049 करोड़ रु (कुल वित्त व्यवस्था का 22.5%) और तृतीय पंचवर्षीय योजना में 2423 करोड़ रु (कुल वित्त व्यवस्था का 28.2%) थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विदेशी सहायता की राशि अन्तिम अनुमानों के अनुसार 2087 करोड़ रु (कुल वित्त व्यवस्था का 12.9 प्रतिशत) थी।² पाँचवी योजना के आरंभ में कुल विदेशी सहायता की धनराशि 2443 करोड़ रु (निवल) अनुमानित की गई जो सितम्बर, 1976 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा संशोधित पाँचवी योजना में बढ़कर 5834 करोड़ रु. (निवल) अनुमानित की गई।³ यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि मार्च, 1977 में ऐतिहासिक सत्ता-परिवर्तन के बाद जनता पार्टी की सरकार ने पहली अप्रैल, 1978 से नई राष्ट्रीय योजना चालू की है और पाँचवी आयोजना समय से एक वर्ष पूर्व 31 मार्च, 1978 को ही समाप्त कर दी गई है।

आन्तरिक साधन (Internal Resources)

कई कारणों से विदेशी सहायता की प्राप्ति अनिश्चित रहती है। अतः विकासार्थ-नियोजन को अपनाते वाले प्रत्येक देश को उसके आन्तरिक साधनों को अधिकतम सीमा तक गतिशील बनाना चाहिए। वस्तुतः योजनाओं की वित्त व्यवस्था का यही प्रमुख साधन है। देश के आन्तरिक साधनों को गतिशील बनाने समय निम्नलिखित नीति अपनानी चाहिए—

(i) देश में बचत मात्रा में वृद्धि के पूरे प्रयत्न किए जाने चाहिए।

(ii) चालू आय में से सारी बचत का विकास कार्यक्रमों की वित्त-व्यवस्था के लिए उपयोग करना चाहिए।

1. दृष्टिगत, 1976, पृष्ठ 155.

2. वही, पृष्ठ 173.

3. वही, पंचवर्षीय योजना, 1974-79, पृष्ठ 32.

पूँजी-संचय की बहुत अधिक सम्भावना नहीं होती, क्योंकि निर्धनता के कारण बचत का अवसर कम होता है और बड़ी हुई आय में भी उपभोग की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण बचत कम होती है। धनिक वर्ग भी प्रतिष्ठा सम्बन्धी उपभोग पर काफी व्यय करता है। साथ ही, आय तथा अवसर की समानता में वृद्धि करने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। इससे विकासार्थ पर्याप्त बचत उपलब्ध नहीं होती है। प्रो लेविस के अनुसार, "विकास सम्बन्धी विनियोजन के लिए उन्हीं अर्थ-व्यवस्थाओं में ऐच्छिक बचत उपलब्ध होती है जहाँ उद्यमियों का राष्ट्रीय आय में अधिक भाग होता है और धन तथा आय की समानता के प्रयत्नों से यह भाग घटता जाता है। इन सभी कारणों से पिछड़े हुए देशों में जनता से प्राप्त ऋण या ऐच्छिक बचत आर्थिक नियोजन हेतु वित्त प्रदान करने में अधिक सहायक नहीं होती है।" किन्तु जनता को अधिकाधिक मात्रा में बचत करने को प्रोत्साहित करके इस साधन को, विशेष रूप से, अल्प बचतों की गतिशील बनाया जाना चाहिए। मुद्रा-प्रसारिक मूल्यों में वृद्धि को रोकने की दृष्टि से यह उपभोग को प्रतिबन्धित करने का भी अच्छा उपाय है। इसीलिए, बैंक, जीवन-बीमा विभाग, डाक-विभाग, सहकारी संस्थाओं का विस्तार करके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बचत की प्राप्ति को बढ़ाना चाहिए और इस बचत को ऋणों के रूप में प्राप्त कर लेना चाहिए। ये सार्वजनिक ऋण दो प्रकार के होते हैं प्रथम, अल्प-बचत (Small Savings) और द्वितीय, बाजार-ऋण (Market Loans)। विकासार्थ नियोजन की वित्त-व्यवस्था हेतु इन दोनों ही साधनों को गतिशील बनाया जाना चाहिए।

भारत में योजनाओं के साधनों की गतिशील बनाने में सार्वजनिक ऋण के साधन का भी उपयोग किया गया है। देश के भीतर और विदेशों से लिए गए सार्वजनिक ऋणों की राशियाँ इस प्रकार हैं—

भारत सरकार का सार्वजनिक ऋण¹

(करोड़ रु में)

विवरण	1950-51	1960-61	1965-66	1974-75 (संगोषित)	1975-76 (बजट)
1. देश के भीतर ऋण					
(क) स्थाई ऋण					
(1) बालू ऋण	1,438 46	2,555 72	3,417 28	6,434 96	6,759 81
(2) प्रतिभूति बाण्ड	—	—	—	83 80	83-80
(3) इनामी बाण्ड	—	+15 63	11-35	1 04	0 94
(4) 15 वर्षीय बचत-पत्र—		3 45	3-78	1-40	1 00
(5) अदायगी के दौरान के ऋण	6 49	22 73	33 72	54 19	54 19
योग—स्थानीय ऋण	1,444 95	2,597 53	3,466 13	6 575 39	6,899-74

विवरण	1950-51	1960-61	1965-66	1974-75 (संशोधित)	1975-76 (बजट)
-------	---------	---------	---------	----------------------	------------------

(ख) चल ऋण

(1) सरकारी

दृष्टियाँ	358 02	1,106 29	1,611 82	4,709 43	5,165-51
-----------	--------	----------	----------	----------	----------

(2) विज्ञेय चल ऋण	212 60	274-18	340 70	733 36	732-36
-------------------	--------	--------	--------	--------	--------

(3) कोष जमा प्राप्तिर्षा

एव अन्य चल ऋण	6-73	—	—	—	—
---------------	------	---	---	---	---

योग-चल-ऋण	577 35	1,380 47	1,952 52	5 442 79	5,897 87
-----------	--------	----------	----------	----------	----------

योग—देश के भीतर ऋण	2,022 30	3,978 00	5,418 65	1,2018 18	1 2797 61
--------------------	----------	----------	----------	-----------	-----------

2. विदेशी ऋण	32- 0	760-96	2,590-62	6 419 26	7,031-95
--------------	-------	--------	----------	----------	----------

योग-सार्वजनिक ऋण	2 054 33	4,738 96	8,009 27	1,8437 44	1,9829 56
------------------	----------	----------	----------	-----------	-----------

(iv) हीनार्थ-प्रवन्धन (Deficit Financing)—योजना की वित्त-व्यवस्था के लिए जब उपरोक्त स्रोतों से पर्याप्त साधन गतिशील नहीं बनाए जा सकें तो सरकारें 'हीनार्थ-प्रवन्धन' का सहारा लेती हैं। सरकार के बजट में जब व्यय की जाने वाली राशि, आन्तरिक ऋण तथा विदेशी सहायता से प्राप्त राशि से कम हो जाती है, तो इस अन्तर की पूर्ति मुद्रा विस्तार करके अर्थात् नोट छाप कर की जाती है। इसे 'हीनार्थ-प्रवन्धन' या 'घाटे की अर्थ-व्यवस्था' कहते हैं। जब सरकार के बजट में घाटा होने पर वह केन्द्रीय बैंक के अधिकारियों से ऋण ले जो इसकी पूर्ति चलन में वृद्धि अर्थात् पत्र-मुद्रा छाप करके करे तो यह 'हीनार्थ-प्रवन्धन' कहलाता है। डॉ. वी. के. आर. वी. राव के अनुसार, "जब सरकार जान-बूझ कर किसी उद्देश्य से अपनी आय से अधिक व्यय करे जिससे देश में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाए, तो उसे 'घाटे की अर्थ-व्यवस्था' कहना चाहिए।" भूतकाल में 'हीनार्थ-प्रवन्धन' का उपयोग गुड-काल में वित्तीय साधन जुटाने या मन्दी-काल में इसके उपचार-स्वरूप किया जाता था किन्तु आधुनिक युग में विकासार्थ नियोजन की वित्त-व्यवस्था हेतु इस प्रकार की निर्मित मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। विकास के लिए प्रयत्नशील राष्ट्रों की वित्तीय आवश्यकताएँ अधिक होती हैं। इन देशों में आन्तरिक बचत, कर, आय और विदेशी सहायता से प्राप्त साधन बढ़ाएँ एक ओर कम पड़ जाते हैं और घाटे की पूर्ति हीनार्थ-प्रवन्धन द्वारा की जाती है। इससे जहाँ मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है वहाँ दूसरी ओर साधनों की पूँजीगत वस्तुओं में लगाया जाता है जिससे सामान्यतः मूल्य-वृद्धि होती है और जनता अनुपात से कम उपभोग कर पाती है। घाटे की अर्थ-व्यवस्था बढ़ाएँ अल्पकाल में मुद्रा-प्रसारक प्रवृत्तियों को जन्म देती है। अतः साधन का सहारा एक निश्चित सीमा तक ही लिया जाना चाहिए; अन्यथा इससे मूल्य-वृद्धि होगी, जिससे योजनाओं की वित्त-व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। परिणामस्वरूप, मुद्रा स्फीति तब होनी है, जबकि हीनार्थ-प्रवन्धन द्वारा उत्पादन और बचतों में तीव्र वृद्धि हो। साथ ही, इसके लिए विभिन्न प्रकार के नियन्त्रण लगाए जाएँ। इसीलिए

भारतीय योजना-आयोग ने यह मत व्यक्त किया है कि "नियन्त्रणों के बारे में दृढ़ और स्पष्ट नीति के अभाव में, और साथ ही, समय की एक निश्चित अवधि में उस नीति के जारी रहने के आश्वासन बिना न केवल हीनार्थ-प्रबन्धन का क्षेत्र ही सीमित हो जाता है, अपितु तापेक्षिक रूप से बजट के अल्प घाटे से भी मुद्रा-प्रसारित दबावों के उत्पन्न होने का निरन्तर खतरा बना रहता है।"

कुछ अर्थ-शास्त्रियों के अनुसार हीनार्थ-प्रबन्धन या उसमें निहित साख विस्तार नीति तथा नियोजन परस्पर सम्बन्धित हैं। जब कभी मुद्रा या साख का विस्तार होता है तो इसके लिए न केवल मुद्रा-चलन, मूल्य-भ्रमदूरी आदि पर ही केन्द्रीय नियन्त्रण होता है, बल्कि अन्य कई पहलुओं जैसे-उपभोग-उत्पादन, प्रतिभूति-बाजार, बैंक-बैलेन्स आदि पर भी नियन्त्रण रखा जाता है। इसकी सफलता के लिए नियोजन पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं। इसी प्रकार नियोजन में कुछ सीमा तक मुद्रा और साख विस्तार का अवलम्बन अनिवार्य-सा है क्योंकि विकास की विभिन्न परियोजनाओं की वित्त-व्यवस्था अकेले अन्य साधनों से नहीं हो पाती, इसके लिए कुशल प्रशासनिक यन्त्र प्रणाली, विशेषज्ञों और ईमानदार व्यक्तियों द्वारा नियोजन तथा उचित नियोजन और नियन्त्रण आवश्यक हैं। यदि चलन यन्त्र की विस्तारवादी युक्ति को बुद्धिमता, कुशलता तथा सीमाओं में और आर्थिक पशुपन को दूर करने या सर्वांगीण विस्तारवादी प्रयत्न-व्यवस्था की आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संचालित किया जाए, न कि अनुत्पादक सैनिक या सामाजिक ध्येय पर नष्ट किया जाए तो परिणाम लाभदायक होंगे अन्यथा इसके हानिकारक परिणाम हो सकते हैं।

भारतीय विकास योजनाओं में वित्त-व्यवस्था के लिए हीनार्थ-प्रबन्धन के साधनों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में हीनार्थ-प्रबन्धन से प्राप्त वास्तविक वित्त व्यवस्था क्रमशः 333 करोड़ रुपये, 954 करोड़ रुपये, और 1,133 करोड़ रुपये की रही। चतुर्थ योजना में हीनार्थ-प्रबन्धन की वित्त राशि अन्तिम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, 2,060 करोड़ रुपये रही। चतुर्थ योजना में प्रारम्भ में 850 करोड़ रुपये की हीनार्थ-प्रबन्धन-राशि अनुमानित की गई थी, लेकिन यह 2,060 करोड़ रुपये तक इसलिए बढ़ी, क्योंकि बंगलादेश के स्वतन्त्रता-समय में भारत को सैन्य योगदान देना पड़ा। सन् 1971 में भारत-पाक युद्ध हुआ, 1971-72 और 1972-73 में कृषि-उत्पादन निराशाजनक रहा, तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में भारी वृद्धि हो गई। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में बजट घाटा 295 करोड़ रुपये का रहा, 1975-76 का सशोधित अनुमान 490 करोड़ रुपये रहा, जबकि बजट अनुमान 247 करोड़ रुपये का ही था, और 1976-77 के बजट में कुल घाटा 425 करोड़ रुपया (सशोधित अनुमान) का रहा। मार्च, 1977 के ऐतिहासिक सत्ता-परिवर्तन के बाद जनता पार्टी की सरकार के नए वित्तमन्त्री श्री एच० एम० पटेल ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें 84 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान लगाया गया। यह अनुमान वित्तमन्त्री ने भारतीय रिजर्व बैंक से लिए जाने वाले 800 करोड़ रुपये के उपार को हिसाब में शामिल करते हुए यह मानकर

लगाया था कि धर्य के दौरान विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में धनराशियाँ निकाली जाएँगी। लेकिन प्रारक्षित निधि में धनराशि निकाल देने की देश की क्षमता के बारे में वित्तमन्त्री का अनुमान सच नहीं निकला। चूँकि वित्त मन्त्री ने राष्ट्र से यह वायदा किया था कि भारतीय रिजर्व बैंक से उसी हालत में इस ऋण का इस्तेमाल किया जाएगा जबकि प्रारक्षित निधि से धनराशियाँ निकाल ली जाएँगी, अतः 1978-79 का बजट पेश करते समय उन्होंने अपने भाषण में बताया कि वे अब उधार नहीं लेना चाहते और पिछले वर्ष अर्थात् 1977-78 में कुल घाटा 975 करोड़ रुपये का रहेगा। वित्तमन्त्री महोदय ने अपने भाषण में कहा कि यह एक बड़ी रकम दिखाई पड़ेगी लेकिन सत्र से पहले मैं इस बात को स्पष्ट कर दूँ कि इस राशि में से 414 करोड़ रुपये की रकम प्रत्यक्ष रूप से उस अतिरिक्त महायत्ना की छोटक है जो मुझे विश्वास होकर राज्यों को उनका घाटा पूरा करने के लिए देनी पड़ी थी। दूसरे, 190 करोड़ रुपये की एक बड़ी रकम उर्वरकों का आयात करने के लिए खर्च की गयी है। वित्तमन्त्री ने आगे कहा—“हालाकि यह घाटा देखने में बड़ा मालूम होता है परन्तु सरकार की पूर्ति-व्यवस्था तथा ऋण-नियन्त्रण की दूरदर्शितापूर्वक नीतियों के कारण इसके सभी प्रकार के प्रतिकूल प्रभावों को काबू में रखा जा सका है और हमने इस वर्ष (1977-78) को बिना किसी मुद्रा-स्फीति के पूरा कर दिया है।”¹ सारांश रूप में, 1977-78 के बजट (सशोधित) में कुल घाटा 975 करोड़ रुपये का दिखाया गया है। वित्त मन्त्री श्री पटेल ने 28 फरवरी, 1978 को सदन में 1978-79 का बजट पेश किया जिसमें कुल घाटा 1050 करोड़ रुपये का अनुमानित किया गया।²

एक विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था में हीनार्थ-प्रबन्धन के साधन का समयपूर्वक आश्रय लिया जाना चाहिए। मुद्रा-पूर्ति उत्पादन-वृद्धि के अनुसार समायोजित होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश भारत में ऐसा सम्भव नहीं हो सका है और हीनार्थ-प्रबन्धन के फलस्वरूप मूल्यों में भारी वृद्धि हुई। विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था में हीनार्थ-प्रबन्धन का अपना महत्त्व है किन्तु इसका आश्रय सीमित मात्रा में उचित नियन्त्रणों के साथ लिया जाना चाहिए। देश में व्याप्त मुद्रा-प्रसारित-प्रवृत्तियों को दबाने के लिए हीनार्थ-प्रबन्धन को न्यूनतम रखने के प्रयास अभी तक अधिकांशतः असफल ही रहे हैं। भारत में, गत वर्षों के हीनार्थ-प्रबन्धन के दुष्परिणामों को देखते हुए अब इस व्यवस्था का आगामी वर्षों में कोई क्षेत्र नहीं है, लेकिन यह भी स्वीकार करना होगा कि हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था में योजना के लिए साधनों की प्रत्याप्ति की दृष्टि से और अर्थव्यवस्था को सक्रिय बनाने के लिए अभी हीनार्थ-प्रबन्धन के साधन से तुरन्त बच निकलना सम्भव नहीं है। यदि घाटे के वित्त-प्रबन्धन में अचानक ही भारी कटौती कर दी गई तो आशंका है कि अर्थव्यवस्था में कुल माँग के घट जाने से निष्क्रियता की स्थिति (Recessionary Situation) पैदा हो जाएगी।

1. वित्त मन्त्री का बजट (1978-79) भाषण, भाग 'क', पृष्ठ 9-10.

2. वही, भाग 'ख', पृष्ठ 30.

यदि सरकार बहुत सावधानी और समय के साथ उपयुक्त समय पर, उपयुक्त मात्रा में हीनार्य-प्रवन्धन का आश्रय कुछ समय तक लेती रहे तो माधनों की गतिशील बनाने की दृष्टि से यह उपाय कारगर सिद्ध हो सकता है। यौद्धि उद्देश्यों को आघात न लगे और जनता मूल्य-वृद्धि से परेशान न हो, इसीलिए ऐसे समुचित प्रशासनिक और आर्थिक कदम उठाने होंगे जिससे कुनिम मूल्य-वृद्धि न हो सके और स्कीतिजनक दबाव कम हो जाए। निष्कर्षतः "जितना शीघ्र घाटे की धर्य-व्यवस्था और मूल्य वृद्धि चक्र रोका जाएगा, उतना ही हमारे स्वस्थ-आर्थिक-विकास के लिए कल्याणकारी होगा।"

बचत और विकास भारत में राष्ट्रीय बचत आन्दोलन

बचत से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का कल्याण होता है। बचत पूंजी निर्माण का सर्वोत्तम साधन है, जिससे देश प्रगति के पथ पर तीव्रता से बढ़ता है और जन-साधारण का जीवन-स्तर ऊँचा उठता है। बचत द्वारा हम विकासशील धर्य व्यवस्था से उत्पन्न महँगाई पर अकुश लगा सकते हैं। बचत भी एक लक्ष है, जिसे सरकार व्यापारी तथा अन्य कोई व्यक्ति करता है। बचत की धन-राशि किसी कार्य विशेष के लिए व्यय की जाती है। व्यक्ति और व्यापारी समुदाय जो बचाते हैं, वही सरकार की बचत है। सरकार के बचत विभागों द्वारा बचाई गई रकम भी इसी श्रेणी में आती है। भारत में सरकार ने बचत प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के प्रचुर प्रयास किए हैं, इरी कारण देश में राष्ट्रीय बचत आन्दोलन सफलता के साथ आगे बढ़ा है।

एक अध्ययन के अनुसार भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में बचत दर 8.6% थी, जो द्वितीय योजना में बढ़कर 9.9% हो गई। त्रितीय योजना में यह घटकर 8% रह गई और चतुर्थ योजना में बढ़कर फिर 10% हो गई। इस समय बचत दर 11% है। गत 20 वर्षों में औसत व्यक्तिगत और सरकारी बचत 13.6% थी।¹ वस्तुतः चतुर्थ योजना में राष्ट्रीय बचत जुटाने के कार्य को उल्लेखनीय सफलता मिली। चतुर्थ योजना के दौरान राष्ट्रीय बचत में 1,385 करोड़ रुपये जुटाए गए जबकि लक्ष्य केवल 1,000 करोड़ रुपये के एकत्रित करने का था। राष्ट्रीय बचत की दिशा में यह बात अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है कि कुल बचत में व्यक्तिगत बचत का योग, जो 1972-73 में 49% था, 1973-74 में 56% और 1974-75 में 62% हो गया।²

अल्प बचत करने वालों के लिए योजनाएँ

भारत सरकार ने अल्प बचत योजनाएँ प्रमुख रूप से अल्प बचत करने वाले लोगों—जैसे छोटे किसानों, कारखाना मजदूरों, सामान्य परिवारों की गृहणियों और ऐसे ही अन्य लोगों के लिए बनाई है। राष्ट्रीय बचत संगठन, जो विभिन्न बचत योजनाओं का संचालन करता है, ग्राम आदमी की बचत का संचय करता है और

1 योजना 7 व 22 दिसम्बर, 1975, पृष्ठ 26

2 भारत सरकार राष्ट्रीय बचत, नवम्बर 1975

उन्हें 1,16,800 डाकघरों के माध्यम से, जिनमें 90% देहाती क्षेत्रों में है, इकट्ठा करता है।

ये बचत योजनाएँ समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों की आवश्यकताएँ पूरी करती हैं। इनमें प्रथम डाकघर बचत योजना है, जो सन् 1834 में सरकारी बचत बैंक के रूप में शुरू हुई थी। इन वर्षों के दौरान बचत बैंक की जमा में निरन्तर वृद्धि होती है और इस समय बचत बैंक में जमा-राशि 1,274 करोड़ रु. है तथापि वास्तव में वह जनता का बैंक है, क्योंकि यहाँ 5 रु. तक की अल्प-राशि से बैंक खाता खोला जा सकता है और बाद में 1 रु. तक की राशि नकद जमा कराई जा सकती है।

परम्परा से ही डाकघर-बचत बैंक का व्याज, आयकर से मुक्त है। कर-दाताओं को अल्प बचत में धन लगाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देने के लिए अधिक व्याज देने वाली (10.25% प्रति वर्ष) कर-योग्य सिक्युरिटीयें हैं। इन सभी बचत योजनाओं पर वार्षिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली दरों पर व्याज दिया जाता है। लेकिन इन पर कुछ अनिश्चित रियायतें दी जाती हैं। जैसे—कर मुक्त व्याज, अधिक कर से मुक्ति, आय-कर से मुक्ति और सामाजिक सुरक्षा।

इस समय डाकघर बचत बैंक के अतिरिक्त अल्प बचत करने वालों के लिए दस और योजनाएँ हैं। इनमें से उन लोगों के लिए है जो एक साथ राशि जमा करना चाहते हैं, और 1,2,3,4,5 और 7 वर्ष बाद उसकी वापसी चाहते हैं। दो योजनाएँ मासिक बचत करने वालों के लिए हैं, जो प्रत्येक महीने नियत राशि जमा करते हैं और निश्चित अवधि के पश्चात् आकर्षक व्याज राशि वापस पाते हैं। इनके अतिरिक्त एक लोक-भविष्य निधि-योजना भी है। यह योजना स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के माध्यम से चलाई जाती है। यह योजना अपना स्वतन्त्र कारोबार करने वाले लोगों, जैसे—डाक्टरों, वकीलों और छोटे व्यापारियों के लिए है सन् 1975 के अन्त से वार्षिकी बचत पत्रों की एक अन्य योजना शुरू की गई है। यह योजना उन लोगों के लिए है, जो इस समय एक मुश्त राशि जमा कराना चाहते हैं और कुछ वर्षों के पश्चात् मासिक मुग्तान चाहते हैं।

बचत-वृद्धि

योजना आयोग ने यह अनुभव करके कि अल्प बचत द्वारा काफी साधन जुटाए जा सकते हैं, प्रथम योजना में अल्प बचत के लिए 255 करोड़ रु. का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अल्प बचत संचित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए—जैसे नए बचत-पत्रों की बिक्री, राज्यवार लक्ष्य निर्धारित करना, एजेन्सी सिस्टम की पुनः शुरूआत आदि। प्रथम योजनावधि में कुल मिलाकर 242 करोड़ रु. अल्प बचत में एकत्र किए गए, जबकि लक्ष्य 225 करोड़ रु. का था। यह राशि अल्प बचत में प्रथम योजनावधि में जमा कुल राशि में से इसी अवधि में निकाली गई राशि घटाकर निकलती है। द्वितीय योजना में अल्प बचत में 400 करोड़ रु., तृतीय योजना में 575 करोड़ रु. और चतुर्थ योजना में 1,385 करोड़ रु. एकत्र किए गए जबकि

द्वितीय योजना में 500 करोड़ रु, तृतीय में 600 करोड़ रु और चतुर्थ योजना में 1,000 करोड़ रु एकत्र करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

अल्प बचत में 31 मार्च, 1975 को कुल मिलाकर लगभग 3,600 करोड़ रु जमा थे। यह राशि वर्तमान सरकारी (भारत सरकार के) बाजार ऋण में, 6435 करोड़ रु के आधे से अधिक है और भारत सरकार के भविष्य निधि खाते में जमा 1,291 करोड़ रु की लगभग तीन गुनी है।

कुछ नई योजनाएँ

अल्प बचत आन्दोलन एक सामाजिक-आर्थिक विचारधारा है। इस आन्दोलन ने सर्वथा जनता का समर्थन पाने पर जोर दिया गया है और इसके लिए जनता को हमेशा यह समझाने का प्रयत्न किया गया है कि निजी और राष्ट्रीय दोनों दृष्टिकोण से बचत से क्या लाभ है, इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बचत संगठन से अनेक नई योजनाएँ आरम्भ की हैं और अल्प बचत में पूंजी लगाने वालों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया है। प्रमुख योजनाओं के नाम निम्नलिखित हैं—वेतन द्वारा बचत योजना, महिला प्रधान बचत योजना, सचयिका, ग्रामीण डाकघरा के ब्रांच पोस्टमास्टर एव यूनिट ट्रस्ट। राष्ट्रीय बचत योजनाओं को अधिक आकर्षक बनाने और सामाजिक सुरक्षा के साथ सम्बद्ध करने हेतु दो नई योजनाएँ शुरू की गई हैं। प्रथम सरभित बचत योजना इसका अधीन पाँचवर्षीय आवर्ती जमा खाते में जमा की गई 20 रुपये प्रति महीने तक की राशि सरभित है। यदि इस खाते में पैसा जमा कराने वाला व्यक्ति दो वर्ष तक बिना पैसा निकाले अपनी जमा देता रहता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को तुरन्त ही खाते का कुल परिपक्व मूल्य दे दिया जाएगा। दूसरी योजना उन खातेदारों के लिए है, जो अपने बचत-बैंक खाते में कम से कम छ महीने तक 200 रुपये लगातार जमा रखते हैं। यह डा योजना है।

राज्य सरकारों के सहयोग से किसानों से सम्पर्क स्थापित करने हेतु विशेष अभियान चलाए गए हैं। किसानों के पास फसल के दौरान अतिरिक्त पैसा होता है और अभियान द्वारा उन्हें अपना यह पैसा आकर्षक अल्प बचत योजनाओं में लगाने के लिए तैयार करने का प्रयत्न किया जाता है। गन्ना कपास आदि का विक्रय करने वाली सरकारी समितियों के साथ यह व्यवस्था की गई है कि वे किसानों को दी जाने वाली राशि में से अल्प बचत के लिए उनके हिस्से की राशि काट लें। राष्ट्रीय बचत संगठन इस बात का भी प्रयत्न करता है कि कारखाना मजदूर अपने वेतन की राशि अथवा बकाया वेतन की राशि का कुछ हिस्सा अल्प बचत में लगाएँ।

अल्प बचत योजनाओं के अधीन जमा की गई राशि का अधिकांश हिस्सा राज्य सरकारी की विकास योजनाओं को लागू करने के लिए दीर्घावधि ऋण के रूप में दिया जाता है। राज्यों को अल्प बचत में अधिक धन जुटाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिये जाते हैं।

राष्ट्रीय उत्पाद, बचत और पूंजी निर्माण¹ (1975-76 के अनुमान)

केन्द्रीय सांख्यिकीय समूह ने "1960-61 से लेकर 1974-75 तक राष्ट्रीय लेखा आंकड़े" पर विस्तृत वार्षिक श्वेत पत्र के साथ सन् 1975-76 की राष्ट्रीय आय के मोटे अनुमान प्रकाशित किए हैं।

इन अनुमानों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में 1975-76 के दौरान राष्ट्रीय आय में 8.8% की वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सन् 1974-75 के दौरान राष्ट्रीय आय में 0.2 प्रतिशत की वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में 1.7 प्रतिशत की कमी हुई थी।

सन् 1960-61 के मूल्यों के अनुसार 1975-76 में शुद्ध राष्ट्रीय आय 21,952 करोड़ रुपये और प्रति व्यक्ति आय 366 रुपये आंकी गई है। 1974-75 में ये आंकड़े क्रमशः 20,183 करोड़ रुपये और 343 रुपये के थे।

सन् 1975-76 के दौरान राष्ट्रीय आय में हुई इस आकर्षक वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होना है जो 1974-75 के 998.3 लाख टन के उत्पादन से बढ़कर 1975-76 में 1208.3 लाख टन हो गया। इससे कृषि क्षेत्र के उत्पादन में 13.2 प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि हुई। इस वर्ष अन्य कई क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि हुई है जिनमें बैंकिंग और बीमा (13.2 प्रतिशत), विद्युत गैस और जल वितरण (13.1 प्रतिशत), रेलें (11.9 प्रतिशत), खनन और खदान (10.2 प्रतिशत) उल्लेखनीय हैं।

चालू मूल्यों के अनुसार 1975-76 की राष्ट्रीय आय 60,293 करोड़ रुपये और प्रति व्यक्ति आय 1,005 रुपये होती है। सन् 1974-75 में ये आंकड़े क्रमशः 58,137 करोड़ रुपये और 989 रुपये के थे।

सन् 1975-76 के लिए उपयोग व्यय, घरेलू बचत और पूंजी निर्माण के मोटे अनुमान भी तैयार किए गए हैं। इनकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं :—
उपयोग व्यय

चालू मूल्यों पर सन् 1975-76 में 56,580 करोड़ रुपये के निजी उपभोग व्यय का अनुमान लगाया गया है जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन के 78.9% के बराबर है। सन् 1974-75 में उपभोग व्यय 53,777 करोड़ रुपये रहा। उपभोग व्यय का ढांचा पिछले तीन वर्षों से लगभग एक-सा ही रहा है। खाद्य वस्तुओं पर कुल व्यय का दो तिहाई खर्च किया गया।

बचत व पूंजी निर्माण

1975-76 के दौरान 10,013 करोड़ रुपये की घरेलू बचत और 11,058 करोड़ रुपये की घरेलू पूंजी का निर्माण हुआ। पिछले वर्ष की तुलना में 1975-76 में इसका स्तर काफी ऊंचा रहा। सन् 1974-75 में ये आंकड़े क्रमशः 8,500 और

1. भारत सरकार की विज्ञप्ति, दिनांक 14 फरवरी 1977.

8,576 करोड़ रुपये के थे। राष्ट्रीय आय के अनुपात में सन् 1975-76 में बचत 14.7 प्रतिशत और पूंजी निर्माण 16.2 प्रतिशत रहा जो सन् 1974-75 में क्रमशः 13.1 प्रतिशत और 14.7 प्रतिशत रहा था।

सन् 1974-75 और 1975-76 में घरेलू बचत की वृद्धि मुख्यतः वित्तीय व भौतिक परिसम्पत्तियों की बचत के कारण हुई। दूसरी तरफ निजी नियमित क्षेत्र की बचत में बहुत तेजी से कमी आई है। यह 1974-75 में 843 करोड़ रुपये की जो 1975-76 में घटकर 520 करोड़ रुपये रह गयी। इस बचत में रुई, पटसन, चीनी और जहाजरानी उद्योग का प्रमुख योगदान रहा। सार्वजनिक क्षेत्र ने पिछले वर्षों में बचत में लगभग समान योगदान दिया है।

निजी नियमित क्षेत्र के पूंजी निर्माण में भी काफी कमी आई है। यह 1974-75 में 2,065 करोड़ रुपये थी जो 1975-76 में घटकर 1,194 करोड़ रुपये रह गई। सन् 1975-76 में पूंजी निर्माण की ऊँची दर का मुख्य कारण सार्वजनिक क्षेत्र में अनाज का विशाल भंडार होना था।

राष्ट्रीय लेखा आँकड़े (सन् 1974-75)

सन् "1960-61 से लेकर 1974-75 तक राष्ट्रीय लेखा आँकड़े" के श्वेत-पत्र द्वारा सदा की तरह राष्ट्रीय आय, उपयोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण, उद्योगों द्वारा आय में योगदान, सार्वजनिक क्षेत्र का लेखा और राष्ट्र का सामूहिक लेखा प्रकाशित किया गया है। श्वेत पत्र में पहली बार अब तक की सारी तालिकाएँ प्रकाशित की गयीं जिससे एक वर्ष पीछे के आँकड़े भी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके।

3/11

9

उपभोग-वस्तुओं और मध्यवर्ती- वस्तुओं के लिए माँग के अनुमान, आदा-प्रदा गुणांकों का उपयोग

(DEMAND PROJECTIONS FOR CONSUMPTION
GOODS AND INTERMEDIATE GOODS, THE USE
OF INPUT-OUTPUT CO-EFFICIENTS)

किसी भी देश की आर्थिक विकास योजना के लिए उस देश के साधनों तथा उपभोक्ता-वस्तुओं की वर्तमान तथा भावी स्थिति की जानकारी आवश्यक है। इसीलिए योजना-निर्माण से पूर्व साधनों तथा उपभोक्ता-वस्तुओं की माँग की संगणना की जाती है। उपभोक्ता-वस्तुओं की माँग को 'अन्तिम माँग' (Final Demand) तथा साधनों की माँग को 'व्युत्पन्न-माँग' (Derived Demand) कहा जाता है। जो वस्तुएँ अन्य वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त होती हैं उनको मध्यवर्ती वस्तुएँ (Intermediate Goods) तथा जिनका अन्तिम प्रयोग (Final use) उत्पादन के लिए न होकर उपभोग के रूप में होता है, उनको उपभोक्ता वस्तुएँ (Consumer Goods) कहा जाता है।

मध्यवर्ती वस्तुओं से सम्बन्धित मध्यवर्ती माँग को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—(1) प्रारम्भिक आदान (Primary input) अथवा श्रम की माँग, तथा (2) अन्तिम उत्पादन में प्रयुक्त वस्तुओं की माँग। उपभोक्ता वस्तुओं की माँग का अनुमान आय-लोच के आधार पर लगाया जाता है तथा श्रम की माँग व मध्यवर्ती वस्तुओं की माँग संगणना आदा-प्रदा तकनीकी (Input-Output Technique) द्वारा की जाती है।

आय-लोच द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं की माँग के अनुमान
(Demand Projections of Consumer Goods)

आय-लोच की सहायता से कुल माँग के अनुमान अग्रवर्ति प्रकार से लगाए जाते हैं—

मान लीजिए भोजन और वस्त्र की आय-लोच क्रमशः 6 व 1.5 दी हुई है। यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि-दर 10% हो तो, आय-लोच के आधार पर भोजन की माँग में $6 \times 10 = 6\%$ तथा वस्त्र की माँग में, $1.5 \times 10 = 15\%$ वृद्धि होगी। इस प्रकार, प्रति व्यक्ति आय-वृद्धि तथा आय-लोच दी हुई हो तो, प्रत्येक वस्तु की माँग को आँका जा सकता है तथा सब वस्तुओं के माँग के योग द्वारा कुल माँग की सगणना की जा सकती है।

मॉर्पेर लेविस ने एक दस वर्षीय कल्पित आर्थिक योजना का उदाहरण लेते हुए माँग के अनुमानों की समष्टि सगणना (Macro Exercise) प्रस्तुत की है— इन्होंने माँग के अनुमानों के लिए मुख्यतः तीन तत्त्वों का उल्लेख किया है— (1) जनसंख्या, (2) उपभोग व्यय में प्रति व्यक्ति वृद्धि का तत्त्व, तथा (3) उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन का तत्त्व। उनके अनुसार सर्वप्रथम माँग के अनुमानों के लिए प्रारम्भिक वर्ष (Year 0) के उपभोग को जनसंख्या वाले वृद्धि तत्त्व से गुणा करना चाहिए और इसके पश्चात् गुणनफल को प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि वाले तत्त्व से और अन्त में उपभोक्ता की रुचि में होने वाले परिवर्तन सम्बन्धी तत्त्व से गुणा करना चाहिए। इसे निम्नलिखित सारणी द्वारा स्पष्ट किया गया है¹—

वस्तु	Year 0	आय-लोच	Year 10
खाद्य वस्तुएँ	200	5	266
पक्षुओं से प्राप्त वस्त्र	100	1.2	144
स्थानीय निर्मित वस्तुएँ	30	1.1	43
निर्माण प्रक्रिया के अन्तर्गत वस्तुएँ	70	1.2	101
अन्य निर्मित वस्तुएँ	48	1.5	71

(a) जनसंख्या वृद्धि-दर 2.3% प्रति वर्ष है। इसीलिए पूरे 10 वर्ष के लिए जनसंख्या तत्त्व 1.256 है।

इसे निम्न सूत्र द्वारा निकाला गया है—

$$P_{10} = P_0 (1 + r)^{10} \text{ अथवा } P_{10} = P_0 (1 + 0.023)^{10}$$

$$P_{10} = P_0 \times 1.256$$

(b) उपभोग-व्यय में प्रति व्यक्ति वृद्धि 11.9% होती है। उस तत्त्व में प्रत्येक वस्तु की आय-लोच का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(c) रुचि में परिवर्तन तीसरा गुणाक तत्त्व है जो जनसंख्या वृद्धि अथवा माँग प्रवृत्ति से प्रभावित नहीं होता। केवल रुचि में परिवर्तन के कारण नई वस्तुएँ, पुरानी वस्तुओं का स्थान लेने लगती हैं।

उक्त तीनों गुणाक तत्त्वों का प्रयोग करते हुए 10वें वर्ष में खाद्य-सामग्रियों की माँग होगी, जबकि प्रारम्भिक माँग 200 है—

$$(200) (1.256) (1 + 0.119 \times 5) = 266$$

इसी प्रकार उक्त सारणी में प्रदर्शित अन्य वस्तुओं की माँग को निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है—

पशुओं द्वारा प्राप्त वस्तुओं की माँग—

$$(100) (1.256) (1.0 + .119 \times 1.2) = 144$$

स्थानीय निर्मित वस्तुओं की माँग—

$$(30) (1.256) (1.0 + .119 \times 1.1) = 43$$

निर्माण प्रक्रिया के अन्तर्गत वस्तुओं की माँग—

$$(70) (1.256) (1.0 + .119 \times 1.2) = 101$$

अन्य निर्मित वस्तुओं की माँग—

$$(48) (1.256) (1.0 + .119 \times 1.5) = 71$$

मध्यवर्ती वस्तुओं (Intermediate Goods) तथा भ्रम की माँग व कुल उत्पादन की संगणना व आदा-प्रदा तकनीकी के आधार पर की जाती है।

आदा-प्रदा तकनीकी (Input-Output Technique)

आदा-प्रदा तकनीकी उत्पादन का एक रेखीय स्थायी गुणांक मॉडल (A Linear Fixed Coefficient Model) है। इस मॉडल के प्रवर्तक प्रो. लियनटिफ़ थे।

इस्पात उद्योग का उत्पादन अनेक उद्योगों में आदा (Input) के रूप में प्रयुक्त होता है। इसलिए उत्पादन का सही स्तर तभी मालूम हो सकेगा, जबकि सभी n उद्योगों के लिए आवश्यक आदा (Inputs) की आवश्यक मात्राएँ ज्ञात हों। अनेक अन्य औद्योगिक उत्पादन भी स्वयं इस्पात उद्योग के लिए आदा के रूप में प्रयुक्त होगा। परिणामतः अन्य वस्तु के उत्पादन के उचित स्तर आंशिक रूप से इस्पात उद्योग की आदा सम्बन्धी आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा। अन्तः उद्योग निर्भरता की दृष्टि से n उद्योगों के उत्पादन का उचित स्तर वह होता है जो प्रत्येक-व्यवस्था की समस्त आदा आवश्यकताओं (Input Requirements) के अनुकूल (Consistent) हो।

अतः स्पष्ट है कि उत्पादन-नियोजन में आदा-प्रदा विश्लेषण का प्रमुख स्थान है। किसी भी देश के आर्थिक विकास की योजना अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के कार्यक्रमों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है।

यदि विशिष्ट रूप से देखा जाए तो इस पद्धति को सामान्य सन्तुलन विश्लेषण का प्रकार नहीं कहा जा सकता। यद्यपि इस मॉडल में विभिन्न उद्योगों की पारस्परिक अन्तःनिर्भरता पर बल दिया जाता है तथापि तकनीकी भाषा में उत्पादन के सही स्तर वे होते हैं जो बाजार-सन्तुलन की शर्तों को पूरा करने की अपेक्षा तकनीकी आदा-प्रदा सम्बन्धों को सन्तुष्ट करते हैं।

आदा-प्रदा मॉडल का ढाँचा¹

इस प्रणाली में सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में n उद्योगों की कल्पना की जाती है। प्रत्येक उत्पादक इकाई एक ही वस्तु का उत्पादन करती है। उस वस्तु के उत्पादक की j^{th} इकाई के लिए आदा की एक निश्चित मात्रा प्रयोग में आती है, जिसे ' a_{ij} ' द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। चूँकि मॉडल एक रेखीय है इसलिए j^{th} उत्पादन की x_j मात्रा के लिए i^{th} आदा की $a_{ij} x_j$ मात्रा आवश्यक होगी।

इस मॉडल में उत्पादन के स्थिर गुणांक होते हैं इसलिए आदाओं के मध्य कोई प्रतिस्थापन नहीं होता अतः x_j उत्पादन के लिए सर्वत्र $a_{ij} x_j$ मात्रा i^{th} आदा की मात्रा आवश्यक होगी तथा k^{th} आदा की $a_{kj} x_j$ मात्रा आवश्यक होगी। इस प्रकार के मॉडल को ही आदा-प्रदा मॉडल कहते हैं। ' a_{ij} ' को आदा-गुणांक (Input Coefficient) कहते हैं तथा ' a_{ij} ' मैट्रिक्स (Matrix) को आदा-मैट्रिक्स कहते हैं। आदा-प्रदा के निम्नलिखित दो मॉडल होते हैं—

- (1) बन्द मॉडल (Closed Model)
- (2) खुला मॉडल (Open Model)

यदि आदा-प्रदा के मॉडल में आदा वस्तुओं का समूह पूर्ण प्रणाली में केवल एक बार ही प्रकट होता है तथा जिसे अन्य ऐसी वस्तुओं के समूह से जाना जाता है, जो अन्तिम उत्पादन के रूप में भी एक ही बार प्रकट होते हैं और वर्तमान उत्पादन के अतिरिक्त आदाओं का कोई अन्य स्रोत नहीं होता और अन्तिम उत्पादन का भी आदाओं के अतिरिक्त कोई अन्य उपयोग नहीं होता, तो इन विशेषताओं वाले मॉडल को बन्द मॉडल (Closed Model) कहते हैं।

खुला मॉडल (Open Model) सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था का मॉडल होता है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं—

(i) n वस्तुओं का उत्पादन-क्षेत्र जहाँ एक ओर अन्तिम वस्तुओं के उत्पादन को प्रकट करता है, साथ ही उत्पादन क्षेत्र के लिए आवश्यक आदाओं का भी प्रतीक होता है (Production Sector of n output which are also inputs within the Sector)।

(ii) एक ऐसा अतिरिक्त आदा जो किसी भी उत्पादन-क्रिया जिसका उत्पादन-क्षेत्र से सम्बन्ध होता है, प्रयोग में नहीं लिया जाता।

(iii) अन्तिम वस्तुओं की माँग आदाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् भी बनी रहती है।

उत्पादन-क्षेत्र $n \times n$ आदा-मैट्रिक्स का होता है। मैट्रिक्स की यह प्रणाली अर्द्ध-धनात्मक (Semi-positive) होती है तथा जिसका विघटन (Decomposition) सम्भव नहीं माना जाता है। ऐसी मैट्रिक्स के लिए A का प्रयोग किया जाएगा। X को भौतिक उत्पादन का वेक्टर (Vector) मानने पर AX आदा की

आवश्यकताओं का वैक्टर (Vector) होगा तथा $X - AX = (I - A)X$ शुद्ध उत्पादन का वैक्टर कहलाएगा अर्थात् यह वैक्टर वस्तुओं की उन मात्राओं को प्रकट करेगा जो उत्पादन-क्षेत्र के बाहर विक्रय हेतु उपलब्ध होती हैं। यह वैक्टर Value added की मात्रा को प्रकट करता है।

मान्यताएँ (Assumptions)

इस मॉडल की निम्नलिखित प्रमुख मान्यताएँ हैं—

- (1) प्रत्येक उद्योग एक समरूप (Homogeneous) वस्तु का उत्पादन करता है।
- (2) आदा अनुपात (Input Ratio) स्थिर रहता है।
- (3) पैमाने के स्थिर प्रतिफल त्रियाशील रहते हैं।
- (4) यह उत्पादन-फलन एकरेखीय (Linear) है।
- (5) उत्पादित वस्तुओं का संयोग स्थिर (Fixed Product Mix) रहता है।

तथ्य की आदा (Inputs) एक निश्चित अनुपात में प्रयुक्त होते हैं, यह निम्नलिखित समीकरण द्वारा स्पष्ट होता है—

$$\frac{a_{ij}}{a_{ki}} = \frac{X_{ij}}{X_{ki}}$$

उक्त समीकरण में आदा-प्रदा अनुपातों को रखने से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होता है—

$$X_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} X_j + F_i \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

जो एकरेखीय समीकरणों के मॉडल को प्रकट करता है जिसमें स्थिर गुणांक होते हैं तथा जो n उत्पादन प्रभावों के साथ एक द्वारे से सम्बन्धित होते हैं एवं अन्तिम माँग से भी सम्बन्धित होते हैं (F_1, \dots, F_n)।

एक n उद्योग वाली अर्थ-व्यवस्था के लिए आदा गुणांकों को A मैट्रिक्स के रूप में $A = [a_{ij}]$ निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है—

Output (अन्तिम उत्पादन)

		I	II	III	\overline{N}
आदा (input)	I	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{1n}
	II	a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{2n}
	III	a_{31}	a_{32}	a_{33}	a_{3n}
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
	N	a_{n1}	a_{n2}	a_{n3}	a_{nn}

यदि कोई उद्योग अपने द्वारा उत्पादित वस्तु को आदा के रूप में प्रयुक्त नहीं करता है, तो मैट्रिक्स के मुख्य कारण (Diagonal) पर आने वाले सभी तत्व (Elements) शून्य होते हैं।

आदा प्रदा गुणांकों के उपयो ।

(Uses of Input-Output Coefficient)

इन गुणांकों की सहायता से, यदि अन्तिम माँग का वेक्टर (Vector) दिया हुआ हो तो प्रत्येक क्षेत्र का कुल उत्पादन और कुल मूल्य-वृद्धि ज्ञात की जा सकती है ।

कुल उत्पादन की सगराना

(Calculation of Gross Output)

आदा-प्रदा तकनीकी के आधार पर कुल उत्पादन की सगराना को निम्न प्रकार उदाहरण द्वारा समझाया गया है—दो उत्पादन क्षेत्र दिए हुए हैं—

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$$

दिया हुआ माँग वेक्टर $D = \begin{bmatrix} 60 \\ 40 \end{bmatrix}$ है । उक्त सूचनाओं से कुल उत्पादन निम्न प्रकार मैट्रिक्स इनवर्स (Inverse) करके ज्ञात किया गया है—

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (I - A) = \begin{bmatrix} 8 & -4 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$$

Co-factor Matrix

$$\begin{aligned} & 8(5) - (-4)(-1) \\ & -(-1)(-4) + 5(8) \\ & \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Adj A = Transpose of Co-Factor Matrix—

$$\text{Adj } A = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 8 \end{bmatrix}$$

Inverse of Matrix

$$\frac{\text{Adj}}{D} = \frac{1}{36} \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\text{अथवा} \begin{bmatrix} \frac{50}{36} & \frac{40}{36} \\ \frac{10}{36} & \frac{80}{36} \end{bmatrix}$$

$$\therefore \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{50}{36} & \frac{40}{36} \\ \frac{10}{36} & \frac{80}{36} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 60 \\ 40 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{50 \times 60}{36} & \frac{40 \times 40}{36} \\ \frac{10 \times 60}{36} & \frac{80 \times 40}{36} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{250}{3} + \frac{400}{9} = \frac{1150}{9} \\ \frac{50}{3} + \frac{800}{9} = \frac{950}{9} \end{bmatrix}$$

इस प्रकार, X_1 का कुल उत्पादन $= \frac{1150}{9}$ तथा X_2 का कुल उत्पादन $\frac{950}{9}$ होगा, X_1 कृषि-क्षेत्र का उत्पादन प्रकट करता है तथा X_2 गैर-कृषि-क्षेत्र का उत्पादन प्रकट करता है।

मध्यवर्ती वस्तुओं की संगणना (Calculation of Intermediate Goods)

मध्यवर्ती वस्तुओं की संगणना निम्न प्रकार की जाती है—

$$\begin{bmatrix} a_{11} X_1 \\ a_{21} X_2 \end{bmatrix} = \text{क्षेत्र I की मध्यवर्ती वस्तुएँ।}$$

$$\begin{bmatrix} a_{12} X_2 \\ a_{22} X_2 \end{bmatrix} = \text{क्षेत्र II की मध्यवर्ती वस्तुएँ।}$$

$$\text{अथवा } 2 \times \frac{1150}{9} = \frac{2300}{9}$$

$$1 \times \frac{1150}{9} = \frac{1150}{9}$$

$$\frac{2300}{9} + \frac{1150}{9} = \frac{3450}{9}$$

= क्षेत्र I की मध्यवर्ती वस्तुओं का कुल मूल्य

$$4 \times \frac{950}{9} = \frac{3800}{9}$$

$$5 \times \frac{950}{9} = \frac{4750}{9}$$

$$\frac{3800}{9} + \frac{4750}{9} = \frac{8550}{9}$$

= क्षेत्र II की मध्यवर्ती वस्तुओं का कुल मूल्य।

मध्यवर्ती वस्तुओं की संगणना करने के पश्चात् अर्ध-व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र की शुद्ध मूल्य-वृद्धि (Value added) ज्ञात की जा सकती है। इस वृद्धि को ज्ञात करने के लिए कृषि-क्षेत्र कुल उत्पादन में से मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य घटा दिया जाता है। उपरोक्त उदाहरण के क्षेत्र I व II की मूल्य-वृद्धि निम्नलिखित प्रकार निकाली जा सकती है—

$$\therefore \text{क्षेत्र I का कुल उत्पादन} = \frac{1150}{9}$$

$$\therefore \text{I को मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य} = \frac{345}{9}$$

$$\therefore \text{क्षेत्र I की शुद्ध मूल्य-वृद्धि} = \frac{1150}{9} - \frac{345}{9} = \frac{805}{9}$$

$$\text{इसी प्रकार, क्षेत्र II की शुद्ध मूल्य-वृद्धि} = \frac{950}{9} - \frac{855}{9} = \frac{95}{9}$$

ज्ञात की जा सकती है।

प्राथमिक आदा (Primary Input) या श्रम की मात्रा ज्ञात करना खुले मॉडल वाले क्षेत्र में आदा-गुणों के प्रत्येक खाने में तत्त्वों (Elements) का योग एक से लागत (Partial Input Cost) प्रदर्शित करता है, जिसमें प्राथमिक आदा (Primary Input) का मूल्य शामिल नहीं होता। अतः यदि योग एक से अधिक या एक के बराबर होता है, तो आर्थिक दृष्टि से उत्पादन लाभदायक नहीं माना जाता है। इस तथ्य को निम्न प्रकार प्रकट किया जा सकता है—

$$\sum_{i=1}^n a_i < 1 \quad (j=1, 2, \dots, n)$$

चूँकि आदा की एक रुपये लागत उत्पादन के समस्त साधनों के भुगतान करने में समाप्त हो जानी चाहिए, इसलिए कालम का योग एक रुपये से जितना कम होता है, वह प्राथमिक आदा के मूल्य को प्रकट करता है।¹ वस्तु की एक इकाई के उत्पादन में लगने वाला प्राथमिक आदा का मूल्य निम्न प्रकार प्रकट किया जा सकता है—

$$1 - \sum_{i=1}^n a_{ij}$$

निम्नलिखित उदाहरण द्वारा इसे ज्ञात किया जा सकता है—

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 4 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}^4$$

इस मैट्रिक्स से उक्त विधि के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र का कुल उत्पादन ज्ञात किया जा सकता है, जो निम्नलिखित है, X_1 अथवा क्षेत्र I का कुल उत्पादन = 24 84, X_2 अथवा क्षेत्र II का कुल उत्पादन = 20 68 तथा क्षेत्र III का कुल उत्पादन = 18 36 होगा। इसके पश्चात् मैट्रिक्स के कॉलमों का योग किया जाता है तथा योग को एक में से घटाकर प्राथमिक आदा का गुणांक ज्ञात कर लिया जाता है। इन गुणांकों से क्षेत्रीय उत्पादन को जब गुणा किया जाता है तो प्राथमिक आदा का मूल्य ज्ञात हो जाता है। उक्त मैट्रिक्स के अनुसार प्राथमिक आदा के गुणांक होने—

$$1 - \sum_{i=1}^n a_{ij} = 3 \cdot 3 \cdot 4$$

[प्रथम कॉलम का योग $\cdot 2 + \cdot 4 + 1 = 7$ जिसे एक में से घटाने पर $\cdot 3$ शेष रहता है। इसी प्रकार, कॉलम दो व कॉलम तीन के अंक $\cdot 3$ व $\cdot 4$ निकाले गए हैं।]

क्षेत्र I $\Rightarrow 3 \times 2484 = 7452$ का प्राथमिक आदा-मूल्य,

क्षेत्र II $\Rightarrow 3 \times 2068 = 6204$ का प्राथमिक आदा-मूल्य,

क्षेत्र III $\Rightarrow \cdot 4 \times 1836 = 7344$ का प्राथमिक आदा-मूल्य,

कुल प्राथमिक आदा-मूल्य $= 7452 + 6204 + 7344 = 21000$ होगा।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उत्पादन-योजना में इस मॉडल का बहुत महत्त्व है। इसकी सहायता से अर्थ-व्यवस्था के प्रत्येक उत्पादन-क्षेत्र का कुल उत्पादन, कुल मूल्य-वृद्धि व प्राथमिक आदा का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। इसके अनिश्चित मध्यवर्ती-वस्तुओं के मूल्य भी ज्ञात किए जा सकते हैं।

अर्द्ध-विकसित देशों में विकासार्थ नियोजन की सफलता के लिए कुछ पूर्व आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त विश्वसनीय और पर्याप्त आंकड़ों के आधार पर उचित उत्पादन-लक्ष्यों का निर्धारण है। लक्ष्य निर्धारित करने का कार्य बहुत कुछ देश की आधारभूत नीतियों पर आधारित होता है। सर्वप्रथम, नियोजन-सम्बन्धी व्यापक नीतियाँ निर्धारित कर ली जाती हैं। इन व्यापक नीतियों के अनुरूप नियोजन के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। ये उद्देश्य, देश विशेष की परिस्थितियों, आवश्यकताओं विचारधाराओं, साधनों आदि को दृष्टि में रखते हुए सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संरचना के सन्दर्भ में निश्चित किए जाते हैं। विकास योजना के लिए निर्धारित इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाता है और विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादन-लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

लक्ष्य-निर्धारण का महत्व—आर्थिक नियोजन का लक्ष्य ही हुई अर्थात् म देश के साधनों का अनुकूलतम उपयोग करके अधिकाधिक उत्पादन वृद्धि करना और देशवासियों के जीवन-स्तर को उच्च बनाया है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में सर्वतोमूर्ति विकास की आवश्यकता होती है, किन्तु किसी भी देश के साधन विवेक रूप से अर्द्ध-विकसित देशों के सीमित होते हैं। अतः इन साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। इनके अभाव में अधिकतम उत्पादन और अधिकतम सामाजिक लाभ सम्भव न होगा। वस्तुतः, साधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही आर्थिक नियोजन कहते हैं। अतः यह आवश्यक है कि उन कार्यक्रमों को पहले पूरा किया जाए जो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं या जो अन्य प्रकार से आवश्यक हैं या जिनमें प्रागे द्रुत आर्थिक विकास करने में बहुत योगदान मिल सकता है। इसीलिए आर्थिक नियोजन में पहले प्राथमिकताओं (Priorities) का निर्धारण कर दिया जाता है तदनुसार इन प्राथमिकताओं के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन लक्ष्य (Targets of Output) निर्धारित किए जाते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने पर ही

उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। यही कारण है कि योजनाओं में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन-लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ही, नियोजन में प्रयत्न किए जाते हैं और नियोजन की सफलता भी इन लक्ष्यों की पूर्ति से ही आँकी जाती है। नियोजन के लक्ष्य व्यापक और विपयगत होते हैं। इन लक्ष्यों की पूर्ति के आधार पर नियोजन की सफलता का मूल्यांकन भी पूर्ण नहीं हो सकता। किन्तु नियोजन के लक्ष्य भौतिक रूप में निर्धारित किए जाते हैं जिसके पूर्ण होने या न होने का अपेक्षाकृत सही मूल्यांकन किया जा सकता है।

लक्ष्य-निर्धारण की विधि—अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए लक्ष्य-निर्धारण का कार्य विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों से लिए गए विशेषज्ञों के कार्यशील समूहों (Working Groups) द्वारा किया जाता है। लक्ष्य-निर्धारण, सामग्र नियोजन के व्यापक उद्देश्यों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक साधनों की उपलब्धि को भी ध्यान में रखा जाता है। लक्ष्यों के निर्धारण में इन कार्यशील दलों का योजना आयोग के द्वारा समय-समय पर पथ-प्रदर्शन और निर्देशन भी मिलता रहता है। लक्ष्य-निर्धारण में संगठित जनमत (Organised Public Opinion) पर भी ध्यान दिया जाता है और उसे भी इसमें भागीदार और उत्तरदायी बनाया जाता है। निर्धारित लक्ष्यों पर आधारित योजना को, असंगति (Inconsistency) से बचाने के लिए योजना आयोग, विभिन्न प्रकार से जाँच करता है। इनके पश्चात् ही योजना को अपनाया जाता है। असंगति होने पर अर्थ-व्यवस्थाओं में अन्त-क्षेत्रीय असन्तुलन (Inter-Sectoral Imbalances) उत्पन्न हो सकते हैं। उत्पादन के ये लक्ष्य सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था, अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र, प्रत्येक उद्योग, प्रत्येक परियोजना एवं उत्पादन इकाई के लिए निश्चित किए जा सकते हैं।

विभिन्न विशेषणों पर आधारित— लक्ष्य-निर्धारण में माथात्मक दृष्टिकोण से विभिन्न लक्ष्य सम्मिलित होते हैं, उदाहरणार्थ, इतने अधिक मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन, उर्वरक, इंधन, सीमेंट आदि का उत्पादन अमुक मात्रा में क्लोवाट विजल की नवीन क्षमता का सृजन, इतनी अधिक मील लम्बी रेलवे लाइनों और सड़कों का निर्माण, इतनी अधिक प्रशिक्षण और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, राष्ट्रीय आय में अमुक मात्रा में वृद्धि आदि। ओ के घोष के अनुसार—“इस प्रकार के लक्ष्य न केवल सरकारी उपक्रमों के लिए ही निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है, बल्कि कम से कम बड़ी निजी फर्मों के लिए भी निर्धारित किए जाने चाहिए, ताकि वापस दाले पदार्थ वांछित उद्देश्यों के लिए ही उपयोग में लाए जा सकें।”¹

टॉल्सू ए लेविस के अनुसार, निजी-क्षेत्र के लिए लक्ष्य-निर्धारण में “बाजा और मूल्यों का उन्ही हिसाब और सांख्यिकीय तकनीकों से विश्लेषण किया जाना चाहिए, जिनको इस उद्देश्य से निजी फर्म अपनाती है। इसके अतिरिक्त यह

कही अर्थ-व्यवस्था को समग्र रूप से लाभ या हानि, निजी फर्मों की अपेक्षा अधिक या कम होने की सम्भावना हो, वहाँ आवश्यक समायोजन किया जाना चाहिए।" प्रत्येक उद्योग के सम्बन्ध में अलग-अलग ऐसा किया जाना चाहिए और जाँच की जानी चाहिए कि प्रत्येक उद्योग के लिए लगाए गए अनुमान परस्पर और समग्र अर्थ-व्यवस्था के लिए लगाए अनुमान से संगत तो हैं। प्रत्येक उद्योग अन्य घरेलू उद्योगों से कुछ क्रय करता है। वह कुछ आयातित वस्तुएँ भी क्रय करता है। यह अन्य उद्योगों को अपनी वस्तुएँ बेचता भी है। इसके उत्पादन (Products) उपभोक्ताओं को बेचे भी जाते हैं और कुछ का निर्यात भी किया जा सकता है। यह उद्योग बचत भी करता है, कर भी चुकाता है और विनियोग भी करता है। प्रत्येक उद्योग के लिए निर्धारित उत्पत्ति का योग कुल निर्धारित उत्पत्ति के बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार की स्थिति प्रत्येक उद्योग के विनियोग, इसके उत्पादन का उपभोग, निर्यात और इसी प्रकार कई बातों के लिए होना चाहिए। आर्थर लेनिस के अनुसार, "लक्ष्यों की संगति की जाँच का एकमात्र तरीका प्रत्येक उद्योग के लिए और सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए 'Set of Inter-locking tables' का निर्माण करना है। इसके लिए राष्ट्रीय आय और आदा-प्रदा (Input-Output) विधियों को काम में लाया जाता है।"

लक्ष्य-निर्धारण में ध्यान देने योग्य बातें— योजना के विभिन्न लक्ष्य इस प्रकार से निर्धारित किए जाने चाहिए ताकि राष्ट्र के लिए उपलब्ध सभी साधनों का सर्वोत्तम उपयोग सम्भव हो सके। योजना के लिए ये लक्ष्य निश्चित व्यापक उद्देश्यों और प्राथमिकताओं के अनुसार निर्धारित किए जाने चाहिए। वे परस्पर सम्बन्धित और सन्तुलित होने चाहिए। विभिन्न अनुपातों की गणना की जानी चाहिए एवं इन अनुपातों की राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की विभिन्न शाखाओं में बनाए रहना चाहिए। इन्हें 'समष्टि आर्थिक' (Macro-Economic) अनुपात कहते हैं। अर्थ-व्यवस्था की इन विभिन्न शाखाओं में भी प्रत्येक पहलू के अधिक विस्तृत अनुपातों को बनाए रखना चाहिए। इन्हें व्यक्ति-आर्थिक (Micro-Economic) अनुपात कहते हैं। योजना के लक्ष्य समस्त अर्थ-व्यवस्था को एक इकाई मान कर निर्धारित किए जाने चाहिए। उत्पादन-लक्ष्य, न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को, अपितु भावी और सम्भावित आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए।

अर्थ-व्यवस्था में सन्तुलन बनाए रखने के लिए आड़ी सन्तुलन-प्रणाली (Cross-wise balances) द्वारा कुल उत्पादन-लक्ष्यो तथा कुल उपलब्ध साधनों जैसे जनशक्ति, सनिज पदार्थ, यातायात, शक्ति आदि के बीच सन्तुलन स्थापित किया जाना चाहिए। एक सन्तुलन उत्पादन-लक्ष्यो तथा उपलब्ध जनशक्ति के मध्य होना चाहिए। उपलब्ध श्रम-शक्ति को नियोजित करने से जितना उत्पादन किया जा सकता है, यदि उत्पादन-लक्ष्य इससे कम निर्धारित किए जाएँगे, तो जनशक्ति का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सकेगा और बेरोजगारी फैलेगी। इसी प्रकार, यदि किसी वस्तु के उत्पादन-लक्ष्य बहुत कम या अधिक निर्धारित किए गए, तो उस वस्तु के

उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल आदि का या तो पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा या उनकी कमी पड़ जाएगी। उत्पादन-लक्ष्यों के निर्धारण में स्थानीयकरण सन्तुलन (Location Balance) और वित्तीय सन्तुलन (Financial Balance) भी स्थापित किए जाने चाहिए। वित्तीय साधनों की अपेक्षा भौतिक लक्ष्य अधिक ऊँचे निर्धारित किए गए तो वित्तीय साधनों के अभाव में अप्रयुक्त भौतिक साधन एकत्रित हो जाएंगे और अर्थ-व्यवस्था में बाधाएँ उपस्थित हो जाएँगी। इसके विपरीत, यदि उत्पादन-लक्ष्यों की अपेक्षाकृत वित्तीय साधनों को अधिक गतिशील बनाया गया तो मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियों को जन्म मिलेगा। इसके अतिरिक्त, अधोगामी-सन्तुलन (Backward Balances) भी स्थापित किया जाना चाहिए। इस प्रकार का सन्तुलन अन्तिम उत्पादनो (Finished Products) तथा इस वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक विभिन्न वस्तुओं (Components) के मध्य सम्बन्धों को प्रकट करता है। यदि नियोजन की अवधि में कुछ प्रतिशत से ट्रैक्टरों का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य निश्चित करते हैं, तो ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए आवश्यक आदा (Input) जैसे, लोहा एवं इस्पात, ईंधन, शक्ति एवं अन्य पदार्थों का उत्पादन भी बढ़ाना होगा।

साथ ही, योजना के लक्ष्य यथार्थवादी होने चाहिए। वे इतने कम भी नहीं होने चाहिए जिनकी प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाए और जिनके लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़े। यदि ऐसा होगा तो राष्ट्रीय शक्तियाँ विकासोन्मुख नहीं हो पाएँगी। इसके अतिरिक्त लक्ष्य नीचे रखने से देश का आर्थिक-विकास तीव्रता से नहीं हो पाएगा और जनता का जीवन-स्तर ऊँचा नहीं हो पाएगा। इसलिए आर्थिक नियोजन के लक्ष्य बहुत अधिक नीचे नहीं रखने चाहिए, अपितु, ये कम महत्वाकांक्षी होने चाहिए। ऐसा होने पर ही देश के साधन और शक्तियाँ विकास के लिए प्रेरित होंगी तथा द्रुत आर्थिक विकास होगा। देश को स्वयं-स्फूर्त अर्थ-व्यवस्था में पहुँचाने के लिए न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न (Critical Minimum Efforts) करने होंगे। इसीलिए, उत्पादन लक्ष्य ऊँचे रखे जाने चाहिए किन्तु वे इतने ऊँचे भी नहीं होने चाहिए, जो प्राप्त होने में कठिन हो या जिन्हें प्राप्त करने में जनता को बहुत त्याग करना पड़े अथवा कठिनाइयाँ उठानी पड़े। ये लक्ष्य न बहुत नीचे और न बहुत ऊँचे होने चाहिए। इनके निर्धारण में व्यावहारिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। निर्धारित किए गए लक्ष्य बेनोच नहीं होने चाहिए और इनमें परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार, परिवर्तन किए जाने की गुंजाइश होनी चाहिए।

भारतीय नियोजन में लक्ष्य-निर्धारण

भारत में अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य-निर्धारण का कार्य विभिन्न कार्यशील समूहों द्वारा किया जाता है। इन कार्यशील समूहों (Working Groups) के सदस्य विभिन्न मंत्रालयों और विशिष्ट सप्टनों से लिए गए विशेषज्ञ होते हैं। ये दल योजना आयोग द्वारा भेजे गए सुझावों, निर्देशों आदि के अनुसार लक्ष्य-निर्धारित करते हैं। इस कार्य में संगठित जनमत पर भी ध्यान दिया जाता है। लक्ष्यों को

अन्तिम रूप से स्वीकार करने के पूर्व इनकी सगति (Consistency) की विभिन्न प्रकार से जाँच की जाती है।

कृषि-क्षेत्र में लक्ष्य-निर्धारण—कृषि-क्षेत्र के लिए उत्पादन वृद्धि के लक्ष्य निर्धारित करते समय मुख्यतः दो बातों का ध्यान रखा जाता है—

- (i) योजनावधि में भोजन, औद्योगिक कच्चे माल और निर्यातों के लिए अनुमानित आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।
- (ii) जिन्हे प्राप्त करना व्यावहारिक रूप से सम्भव हो।

कृषि क्षेत्र में लक्ष्य-निर्धारण के कुछ प्रमुख तत्त्व हैं, जैसे—प्रशासनिक, तकनीकी तथा समुदाय स्तर पर संगठन, साख, विभेग रूप से मध्यम और दीर्घकालीन तथा उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यन्त्र आदि के लिए विदेशी विनिमय आदि पर विचार किया जाता है। इन तत्त्वों की उपलब्धि के अनुसार ही कृषि-क्षेत्र में लक्ष्य-निर्धारित किए जाते हैं और इन तत्त्वों की कमी ही लक्ष्यों की सीमाएँ निर्धारित करती है। कृषि-क्षेत्र के ये लक्ष्य कृषि सम्बन्धी विभिन्न कार्यों जैसे सिंचित क्षेत्रफल, भूमि को कृषि योग्य बनाना, भूमि में भू-संरक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना, सुधरे हुए बीजों का उपयोग, खाद और उर्वरकों का उत्पादन एवं उपयोग, सुधरे हुए यन्त्रों और उपकरणों का उपयोग आदि के बारे में निर्धारित किए जाते हैं। कृषि के इन आदानों के अतिरिक्त कृषि-क्षेत्र के उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य भी निर्धारित किए जाते हैं। उदाहरणार्थ, अमुक मात्रा में गेहूँ, चावल, मक्का, बपास, जूट, तिलहन, लाद्यान, दालें आदि का उत्पादन किया जावेगा। समस्त देश के बारे में इन लक्ष्यों को स्थानीय, प्रादेशिक और राज्य योजनाओं के लक्ष्यों के आधार पर निश्चित किया जाता है।

औद्योगिक-क्षेत्र में लक्ष्य-निर्धारण—उद्योगों से सम्बन्धित लक्ष्य-निर्धारण में सर्वप्रथम धर्म-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों से उद्योगों के अनुपात पर विचार किया जाता है। साथ ही, आधारभूत वस्तुओं, जैसे इस्पात सीमेन्ट, कोयला, रसायन आदि की माँग का अनुमान लगाया जाता है। प्रत्येक स्थिति में वर्तमान स्थिति पर विचार किया जाता है। इसमें देश में उत्पादन, आयात, पूँजीगत लागत, कच्चे माल की उपलब्धि, विदेशी-विनिमय की आवश्यकता आदि पर विचार किया जाता है। आधारभूत उद्योगों के बारे में ही नहीं अपितु, अन्य उद्योगों के बारे में भी इसी प्रकार की बातों को ध्यान में रख कर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। निजी-क्षेत्र में संचालित उद्योगों के लिए योजना आयोग मुख्य उत्पादक इकाइयों, उद्योग के प्रतिनिधियों या प्रतिनिधि सस्याओं से विचार-विमर्श करता है। इस प्रकार, व्यक्तिगत उद्योग और अन्य सभी उद्योगों के अस्थायी लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं। तत्पश्चात् इनमें पारस्परिक सम्बन्ध (Mutual Inter-relationship) और मुख्य उद्योगों के आदा-प्रदा (Input-output) के आधार पर समायोजन कर लिया जाता है। कई छोटे उपभोक्ता उद्योगों के लिए इन प्रकार के विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते,

अपितु अधिकांश उद्योगों के बारे में उत्पादन या स्थापित क्षमता के स्तर के बारे में योजना में जानकारी दे दी जाती है।

शक्ति एवं यातायात—शक्ति एवं यातायात के लक्ष्यों को कृषि और उद्योगों के विकास तथा उत्पादन के अनुमानों के आधार पर निश्चित किया जाता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि कृषि और उद्योगों का कितना विकास होगा और इनके लिए तथा उपभोग आदि के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता होगी। साथ ही, कृषि-उपज मण्डियों, उपभोक्ताओं तथा बन्दरगाहों तक पहुँचाने के लिए कृषि आदानों (Agricultural inputs) को कृषको तक पहुँचाने के लिए तथा उद्योगों के लिए कच्चे माल को कारखानों में पहुँचाने, कारखानों से निर्मित माल बाजारों, उपभोक्ताओं तथा बन्दरगाहों तक पहुँचाने के लिए किस माना में यातायात के साधनों की आवश्यकता होगी। इन अनुमानों के अनुसार योजना में यातायात के साधनों के विकास के लक्ष्य-निर्धारित किए जाते हैं। शक्ति और यातायात के साधन सम्बन्धी लक्ष्यों को निर्धारित करने में एक कठिनाई यह होती है कि इन सुविधाओं की व्यवस्था इनकी आवश्यकता के पूर्व ही की जानी चाहिए, क्योंकि इनको भी पूरे होने में समय लगता है। किन्तु कृषि और उद्योगों के लक्ष्य योजना प्रक्रिया में बहुत ब्राद में अन्तिम रूप ग्रहण करते हैं। अतः कृषि और उद्योगों के विकास की दीर्घकालीन योजना पूर्व ही तैयार होनी चाहिए जिसके आधार पर शक्ति और यातायात के लक्ष्य समय पर निर्धारित किए जा सकें। भारत में इस प्रकार के दीर्घकालीन नियोजन के कारण ही भूतकाल में शक्ति और यातायात के लक्ष्य उनकी माँग से पिछड़ गए हैं। इस कमी की पूर्ति के लिए भारतीय नियोजन में प्रयास किए गए हैं।

शिक्षा-क्षेत्र में लक्ष्य-निर्धारण—तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के प्रशिक्षण में अधिक समय लगता है। किसी अभियन्ता या चिकित्सक या कृषि विशेषज्ञ आदि को तैयार करने में कई वर्ष लग जाते हैं। अतः आगे आने वाली योजना के लिए वर्तमान योजना के प्रारम्भ में ही लक्ष्यों को निश्चित कर लिया जाता है। आगामी योजना में कितने कुशल श्रमिकों या तकनीकी कर्मचारियों अथवा विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ेगी। इन अनुमानों के अनुसार व्यक्तियों को तैयार करने के लिए वर्तमान योजना में लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं। इसलिए भारत में योजना-आयोग कई वर्षों से जन-शक्ति के दीर्घकालीन प्रशिक्षण के कार्यक्रम बनाता रहा है। मानव-शक्ति पर अध्ययन अनुसंधान के लिए व्यावहारिक जन-शक्ति अनुसंधान संस्थान की दिल्ली में स्थापना की गई है। विभिन्न प्रकार की जन-शक्ति की आवश्यकताओं के अनुमान लगाए जाते हैं और तदनुसार प्रशिक्षण, शिक्षा आदि के कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं।

सामान्य शिक्षा-सम्बन्धी लक्ष्य-निर्धारण में भारतीय संविधान और उसमें वर्णित नीति-निर्देशक तत्त्वों (Directives of State Policy) तथा उसमें समय-समय पर हुए संशोधनों को ध्यान में रखा जाता रहा है। इस सम्बन्ध में योजनाओं में लक्ष्यों का निर्धारण 6 से 11 वर्ष की आयु के समस्त बालकों को नि:शुल्क और

प्रतिवार्य शिक्षा की व्यवस्था तृतीय योजना के अन्त तक और 14 वर्ष तक की आयु के समस्त बालको को प्रतिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था चौथी या पाँचवी योजना के अन्त तक करने के ध्येय और व्यापक निर्देशो के आधार पर किया जाता रहा है। इस व्यापक लक्ष्य के अनुरूप प्रत्येक योजना में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय खोलने का अध्यापको को नियुक्त करने और शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों को प्रविष्ट कराने के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक कल्याण के लक्ष्य निर्धारण, इन सुविधाओं के लक्ष्य दीर्घकालीन दृष्टिकोण से विकसित की जाने वाली सुविधाओं पर विचार-विनिमय के पश्चात् निर्धारित किए जाते हैं। भारत इन क्षेत्रों में बहुत पिछड़ा है और इन सुविधाओं में तेजी से वृद्धि की आवश्यकता है। किन्तु इन कार्यक्रमों को उनकी आवश्यकताओं की अपेक्षा बहुत कम राशि आवंटित की जाती है। परिणाम-स्वरूप इनके लक्ष्य कम ही निर्धारित होते रहे हैं।

अन्तिम लक्ष्य-निर्धारण—इस प्रकार, अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के अलग-अलग उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं जिन्हें मिलाकर समग्र योजना का निर्माण किया जाता है। इन लक्ष्यों के आधार पर सम्पूर्ण योजना के लिए स्थिर और स्थिर पूंजी तथा विदेशी विनिमय आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है। तत्पश्चात् इस बात पर विचार किया जाता है कि आन्तरिक और बाह्य स्रोतों से ये किस मात्रा में साधनों को गतिशील बनाना सम्भव है और कितने पूंजीगत साधन और विदेशी विनिमय योजना के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। इनकी उपलब्धि के सन्दर्भ में रागस्त योजना या कितनी विशेष क्षेत्र के लक्ष्यों के कम करने या बढ़ाने की पुँजाइस पर विचार किया जाता है। लक्ष्यों को अन्तिम रूप देने में रोजगार-वृद्धि के अवसरों और आधारभूत कच्चे माल की उपलब्धि पर भी विचार किया जाता है। इन सब बातों पर पर विचार करने के पश्चात् योजना के लक्ष्य-निर्धारण को अन्तिम रूप दिया जाता है।

लक्ष्य-निर्धारण-प्रक्रिया को कमियाँ—भारतीय योजनाओं के लिए लक्ष्य-निर्धारण-प्रक्रिया में कई कमियाँ हैं। कई अर्थ-शास्त्रियों ने लक्ष्य-निर्धारण में और विभिन्न वित्तीय-मणनाओं की दृगरी योजनाओं की तकनीक और आधारों की आलोचना की है। योजना आयोग ने बड़े-बड़े लक्ष्यों के बारे में तो विचार किया किन्तु विनियोग व्यय के प्राकृतिक विश्लेषण पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। इन लक्ष्यों का निर्धारण कई ढलत और अपूर्ण मान्यताओं के आधार पर किया गया। लक्ष्य-निर्धारण में यथार्थ पूंजी-उत्पादन अनुपात का उपयोग नहीं किया गया। एम एल सेठ (M L Seth) ने भारत में लक्ष्य-निर्धारण प्रक्रिया में निम्नलिखित कमियाँ बताई हैं -

(1) योजना के अन्तिम वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में बहुत ध्यान दिया जाता है किन्तु इन लक्ष्यों को योजनावधि के सभी वर्षों के लिए विभाजित नहीं किया जाता।

(ii) अर्थ-व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों जैसे-उद्योग, शक्ति, सिंचाई, यातायात आदि की परियोजनाओं में जहाँ भारी मात्रा में विनियोग हो और जिनके पूर्ण होने की अवधि अधिक लम्बी हो।

इन परियोजनाओं के आर्थिक, तकनीकी, वित्तीय और अन्य परिणामों पर पूरा विचार नहीं किया जाता। इसी कारण, परियोजना की प्रारम्भिक अवस्थाओं में पर्याप्त प्रशिक्षित व्यक्ति और आवश्यक सगठन उपलब्ध नहीं हो पाते।

(iii) किसी परियोजना के निर्माण की स्थिति में बाध में जाकर अप्रत्याशित तत्वों के कारण विभिन्न परिवर्तन और समायोजन करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए योजना उससे प्राप्त होने वाले लाभों, लागत अनुमानों और वित्तीय-साधनों के दृष्टिकोण से लचीली होनी चाहिए। भारतीय नियोजन के लक्ष्य-निर्धारण में इस ओर अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता है।

मार्च, 1977 के ऐतिहासिक सत्ता-परिवर्तन के बाद जनता पार्टी की सरकार सम्पूर्ण नियोजन को नई दिशा देने को प्रयत्नशील है। पाँचवी योजना जो 31 मार्च, 1979 को समाप्त होनी थी, अवधि से एक वर्ष पूर्व ही 31 मार्च, 1978 को समाप्त कर दी गई है और 1 अप्रैल, 1978 से नई राष्ट्रीय योजना चालू कर दी गई है। योजना आयोग, वित्त मंत्री के फरवरी, 1978 के बजट भाषण के अनुसार, "परिवर्तित प्राथमिकताओं के अनुसार विकास की नई नीति तैयार कर रहा है।" भारतीय नियोजन पर पुस्तक के द्वितीय भाग में विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

उत्पादन-क्षेत्रों में विनियोगों का आवंटन

(ALLOCATION OF INVESTMENT BETWEEN
PRODUCTION SECTORS)

आर्थिक विकास और योजना-कार्यक्रमों की सफलता के लिए भारी मात्रा में पूँजी का विनियोग आवश्यक होना है। अधिक बचत का सृजन करके इन्हे बाजार तान्त्रिकता तथा वित्तीय-सस्याओं द्वारा यतिशील बना कर, उत्पादक आदेशों में रूपान्तरित करके विनियोगों की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। अर्थ-व्यवस्था में विनियोगों को यह माना उपलब्ध बचत की मात्रा और अर्थ-व्यवस्था की पूँजी-शोषण-क्षमता (Absorptive Capacity) पर निर्भर करती है। पूँजी-शोषण-क्षमता का आशय समाज और व्यक्तियों में उपलब्ध पूँजीयत आदेशों के उपभोग करने की योग्यता से है।

आर्थिक विकास के लिए विशाल मात्रा में पूँजी का विनियोजन ही पर्याप्त नहीं है अपितु पूँजी का विनियोग सुविचारित और युक्ति युक्त होना चाहिए। अर्थ-विकसित देशों में विनियोजित किए जाने वाले साधनों की अत्यन्त स्वल्पता होती है। साथ ही उनकी माँग और उपयोगों में वृद्धि भी होती रहती है। अतः इन विनियोजित किए जाने वाले साधनों के विभिन्न वैकल्पिक उपयोगों में से चयन करना पड़ता है। अतः यह समस्या पैदा होती है कि विभिन्न क्षेत्रों में अर्थात् कृषि उद्योग या सेवाओं में, निजी या सार्वजनिक उद्योगों में, पूँजीगत या उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में और देश के विभिन्न क्षेत्रों में से किस में अधिक मात्रा में विनियोग किया जाए और इन सभी क्षेत्रों के सभी भागों में किस प्रकार विनियोगों का आवंटन किया जाए। सामान्यतः इन विभिन्न क्षेत्रों और उनके भागों में विनियोग के लिए वास्तविक साधनों का प्रवाह आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तत्त्वों से प्रभावित होता है। किन्तु यह आर्थिक विकास में तीव्रता लाने के लिए केवल विनियोगों की अधिकता के साधन-मात्र उन्का विवेकपूर्ण आवंटन भी आवश्यक है।

विनियोग विकल्प की आवश्यकता (Need for Investment Choice)

सैद्धान्तिक रूप से आदर्श अवस्था में पूर्ण और स्वतन्त्र प्रतियोगिता होती है और उत्पादन के साधनों एवं विनियोगों के विभिन्न उपयोगों में अनुकूलतम वितरण की आशा की जाती है। यहाँ मजदूरी और ब्याज दरें माँग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती हैं और प्रत्येक साधन का उपयोग सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त के अनुसार उस बिन्दु तक किया जाता है, जिस पर इसकी सीमान्त उत्पत्ति उसके लिए चुकाई जाने वाली कीमत के बराबर होती है। श्रम, पूँजी आदि किसी साधन की पूर्ति में वृद्धि होने पर इसका मूल्य घटने लगेगा और इससे इस साधन के अधिक प्रयुक्त किए जाने को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके विपरीत किसी साधन की पूर्ति में कमी आने पर उसके मूल्य में वृद्धि होती है और उसका उपयोग हतोत्साहित होता है। इस प्रकार स्वतन्त्र उपक्रम अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-प्रक्रिया और बाजार-तान्त्रिकता के द्वारा न केवल साधनों का पूर्ण नियोजन ही जाता है, अपितु उनका सर्वाधिक प्रभावपूर्ण और अनुकूलतम उपयोग भी होता है।

किन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाता है। एक तो स्वयं पूर्ण प्रतियोगिता का होना असम्भव है और दूसरे उत्पादन में बाह्य मितव्ययताओं का प्रादुर्भाव और उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन के साथ लागतों का बढ़ना या घटना साधनों के आदर्श वितरण में बाधाएँ उपस्थित कर देते हैं। इस प्रकार स्वतन्त्र उपक्रम में साधनों और विनियोगों का अनुकूलतम आवंटन सदिग्ध होता है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन की आधुनिक तकनीकी दशाएँ किसी भी दीर्घकालीन उत्पादन-प्रक्रिया में सीमान्त उत्पादन और लागत के समायोजन को कठिन बना देती हैं, क्योंकि जब एक बार उत्पादन की किसी तकनीक को ग्रहण कर लिया जाता है, तो तदनुरूप साधनों के अनुपात को भी स्वीकार करना पड़ता है। निजी उद्यमियों का विनियोग सम्बन्धी निर्णय तकनीकी ज्ञान का स्तर, श्रम पूर्ति, मजदूरी, ब्याज और मूल्य-स्तर, उपयोग के लिए उपलब्ध कोणों की मात्रा और पूँजी और श्रम के तकनीकी सम्बन्ध आदि के ज्ञात या अज्ञात सूचनाओं के अनुसार निर्णय लेने पड़ते हैं।

अनियन्त्रित मुक्त उपक्रम प्रणाली में विनियोग के आवंटन में अन्य कमियाँ भी होती हैं। निजी उद्यमियों का उद्देश्य निजी-लाभ को अधिकतम करना होता है। इसके अग्रे वे सामाजिक-कल्याण की उपेक्षा कर जाते हैं। साथ ही उनकी दूरदर्शिता की शक्ति भी सीमित होती है। विनियोग की किसी विशेष परियोजना की अर्थ-व्यवस्था पर और किसी विशेष नए उद्योगों की स्थापना या पुराने उद्योगों के विस्तार का, अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों या आय के वितरण और उसकी संरचना, उत्पादन के साधनों की पूर्ति और लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को विचारने की चिन्ता निजी उद्यमकर्त्ता नहीं करते और न ही वे इस कार्य के लिए सक्षम होते हैं। परिणामस्वरूप अर्थ-व्यवस्था में होने वाले समग्र प्रभावों का ज्ञान एक ऐसे अभिकरण द्वारा ही हो सकता है जिसे अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के व्यवहार और प्रतिक्रिया

का विस्तृत और पर्याप्त ज्ञान हो। निजी-उद्यमियों द्वारा लिए गए विनियोजन सम्बन्धी उपरोक्त कमियों के कारण ही सरकार द्वारा विनियोग कार्यक्रमों में भागीदार बनने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। निजी-उपक्रम-व्यवस्था में साधनों का अनुकूलतम आवंटन नहीं हो पाता है। आवश्यक कार्यों के लिए पूँजी उपलब्ध नहीं हो पाती, जबकि सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टि से अत्यावश्यक परियोजनाओं पर बहुत अधिक साधन विनियोजित किए जाते हैं। अतः सरकार को प्रत्यक्ष विनियोग द्वारा या निजी उद्यमियों द्वारा किए जा रहे विनियोगों को नियन्त्रित करके विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों और प्रदेशों में विनियोगों का अनुकूलतम आवंटन करना चाहिए। वस्तुतः सरकार विनियोगों के आवंटन और तकनीक सम्बन्धी समस्याओं के बारे में दीर्घकालीन और अच्छी जानकारी रखने और उन्हें हल करने की स्थिति में होती है। उसके साधन भी अपरिमित होते हैं। वह देश के उपलब्ध और सम्भावित साधनों और विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं सम्बन्धी सूचनाओं से भी सम्पन्न होते हैं। सरकार निजी उपक्रमियों की अपेक्षा विनियोगों की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम-स्वरूप, विभिन्न क्षेत्रों और समूची अर्थ व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का अधिक अच्छा अनुमान लगा सकती है। अतः राज्य आर्थिक क्रियाओं में भाग लेकर और विनियोग नीति द्वारा वित्तीय साधनों का उपयुक्त वितरण करने में समर्थ हो सकती है। विशेषतः वह यातायात के साधनों, सिंचाई और विद्युत योजनाओं द्वारा बड़ी मात्रा में बाह्य मितव्ययताओं का सृजन करके आर्थिक विकास को तीव्रगति प्रदान कर सकती है। वह निजी उद्यमियों द्वारा उपेक्षित क्षेत्रों में स्वयं पूँजी विनियोजन कर सकती है। इस प्रकार एक उद्योग या क्षेत्र का विस्तार दूसरे उद्योग या क्षेत्र में होता है।

अर्द्ध-विकसित देशों की विनियोजन सम्बन्धी विशिष्ट समस्याएँ (Special Investment Problems in Underdeveloped Countries)

अर्द्ध-विकसित देशों की विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं के कारण इन देशों में विनियोगों के आवंटन की समस्या, विकसित देशों की अपेक्षा अधिक जटिल होती है। साधनों की अपर्याप्त उपलब्धि और साधनों के तकनीकी प्रतिस्थापन के सीमित अवसर उचित विनियोग नीति अपना देने में बाधाएँ उपस्थित करते हैं। प्रो किंडलबर्जर (Prof. Kindleberger) के अनुसार, अर्द्ध-विकसित देशों में 'राजन्य स्तर पर संरचनात्मक असाम्य' (Structural disequilibrium at the factor level) होता है। यहाँ पूँजी स्वल्पता और श्रम-शक्ति की बहुलता होती है। परिणामस्वरूप ये देश पर्याप्त मात्रा में बेरोजगारी और अर्द्ध-बेरोजगारी से ग्रस्त रहते हैं। श्रम की सीमान्त-उत्पादकता शून्य या शून्य के लगभग होती है, किन्तु मजदूरों की वास्तविक दर उससे भिन्न होती है जो श्रम की माँग और पूर्ति की शक्तियों के निर्धारण द्वारा होती है। इसका प्रमुख कारण इन देशों की अर्थ-व्यवस्था में सगठित और असगठित दो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की उपस्थिति है। सगठित क्षेत्र में

श्रम-संगठनों, सामाजिक सुरक्षा-सन्निधियों और सरकार की श्रम-व्याख्यावादी नीति के कारण मजदूरी की दर असंगठित क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होती हैं। अतः उत्पादन की तकनीक अधिक पूंजी गहन होती है और ऐसी परियोजनाओं में पूंजी विनियोजित की जाती है, किन्तु दूसरी ओर पूंजी का अभाव अपनी स्वयं की कठिनाइयों उपस्थित करती है। पूंजी के अभाव के अतिरिक्त सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियाँ भी उत्पादन की आधुनिक और कुशल प्रणालियों के ग्रहण करने में बाधाएँ उपस्थित करता है। उदाहरणार्थ, छोटे खेतों को बड़ी कृषि सम्पत्तियों में परिवर्तित करने के कृषि विनियोग कार्यक्रम (Agricultural Investment Programme) का ऐसे देश में विरोध किया जाना है, जहाँ अधिक भूमि का स्वामित्व सामाजिक सम्मान का होता है। डी. ब्राइटसिंह (D. Bright Singh) के अनुसार, "आवश्यक पूंजी उपलब्ध होने पर भी भारी उद्योगों में पूंजी विनियोग दृढ़ औद्योगिक आधार का निर्माण करने और आर्थिक विकास को गति देने में तभी सफल हो सकता है जबकि समाज आर्थिक-विस्तार के उपयुक्त सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करे।" अतः इन अर्द्ध-विकसित देशों में विनियोग कार्यक्रम का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो विकास कार्यक्रम और परियोजनाएँ अपनाई जाएँ, वे यथासम्भव वर्तमान सामाजिक और आर्थिक सस्याओं और मूल्यों में कम से कम हस्तक्षेप करे। साथ ही इन सस्याओं और मूल्यों में भी जन-जन परिवर्तन किया जाना चाहिए। अर्द्ध-विकसित देशों द्वारा इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि वे विकसित देशों का अनुकरण करके ही विनियोग के लिए परियोजनाओं का चयन नहीं करें अपितु देश की साधन-पूर्ति (Factor supply) की स्थिति के अनुसार उन्हें समायोजित भी करे।

अधिकांश अर्द्ध-विकसित देशों में कृषि की प्रधानता होती है। कृषि यहाँ के अधिकांश व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करती है, राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग उत्पन्न करती है और विदेशी विनिमय के अर्जन में भी कृषि का महत्त्व होता है। किन्तु कृषि व्यवसाय अत्यन्त पिछड़ी अवस्था में होना है। अतः यहाँ कृषि विकास कार्यक्रमों पर विशाल पूंजी विनियोजन की आवश्यकता होती है, किन्तु इन देशों में औद्योगिक विकास की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती क्योंकि कृषि के विकास के लिए औद्योगिक विकास आवश्यक है। अतः औद्योगिक परियोजनाओं पर भी भारी मात्रा में पूंजी-विनियोग आवश्यक होता है। अतः अर्द्ध-विकसित देशों में उद्योग, कृषि सेवाओं आदि में उचित विनियोग नीति अपनाने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अर्द्ध-विकसित देशों में मार्बजनिक् क्षेत्र के विस्तार को बहुत समर्थन मिलता है।

विनियोग मानदण्ड (Investment Criteria)

आर्थिक विकास के लिए नियोजन हेतु वित्तीय साधनों को गतिशील बनाना जितना महत्त्वपूर्ण है, उतना ही विनियोग की प्रकृति का निर्धारण करना है। इन देशों को न केवल विनियोग-दर के बारे में ही निर्णय करना पड़ता है, अपितु विनियोग

सरचना के बारे में भी उचित निर्णय करना पड़ता है। सरकार का यह कर्तव्य होता है कि इस प्रकार के विनियोग कार्यक्रम अपनाए, जो समाज और राष्ट्र के लिए सर्वाधिक लाभप्रद हों। अतः विभिन्न क्षेत्रों, परियोजनाओं, उद्योगों और प्रदेशों में विनियोग-कार्यक्रम को निर्धारित करते समय अत्यधिक सोच-विचार की आवश्यकता है। गत वर्षों में, अर्थशास्त्रियों द्वारा द्रुत आर्थिक विकास के उद्देश्य से विनियोगों पर विचार करने के लिए कई मानदण्ड प्रस्तुत किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं—

1 समान सीमान्त-उत्पादकता का मानदण्ड

(Criteria of Equal Marginal Productivity)

इस सिद्धान्त के अनुसार विनियोग और उत्पादन के साधनों का सर्वोत्तम आवंटन तब होता है कि जब विभिन्न उपयोगों में इसके परिणामस्वरूप सीमान्त विनियोग सर्वाधिक लाभप्रद नहीं होंगे, क्योंकि उनको एक क्षेत्र में स्थानांतरित करके कुल लाभ में वृद्धि करने की गुंजायश रहेगी। अतः विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों और प्रदेशों में विनियोगों का इस प्रकार वितरण किया जाना चाहिए जिससे उनकी सीमान्त-उत्पादकता समान हो। अर्द्ध-विकसित देशों में काम की बहुलता और पूंजी की सीमितता होती है। अतः विनियोग नीति इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें, कम मात्रा में पूंजी से ही अधिक मात्रा में श्रम को नियोजित किया जा सके। अन्य शब्दों में विनियोग नीति देश में उपलब्ध श्रम और पूंजीगत साधनों का पूर्ण उपयोग करने में समर्थ होनी चाहिए। यदि देश में पूंजी का अभाव और श्रम की बहुलता है, जैसा कि अर्द्ध-विकसित देशों के बारे में सत्य है, तो यह देश निम्न पूंजी श्रम अनुपात वाली परियोजनाओं को अपनाकर अधिक तुलनात्मक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार, विनियोग कार्यक्रमों को निर्धारित करते समय हेक्सनर-ओह्लिन (Hicksner Ohlin) के 'तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त' (Doctrine of Comparative Cost) पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यद्यपि पूंजी की सीमित उपलब्धता की स्थिति में श्रम-शक्ति के पूर्ण उपयोग से श्रम की प्रत्येक इकाई की सीमान्त उत्पादकता में कमी आती है तथापि अधिक श्रमिकों के नियोजित हो जाने के कारण कुल उत्पाद में वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार विनियोग अधिकतम लाभप्रद हो जाते हैं। यह सिद्धान्त साधन उपलब्धता (Factor Endowment) पर आधारित है, जिसमें श्रम और पूंजी आदि उपलब्ध साधनों के पूर्ण उपयोग पर बल दिया गया है। अतः अर्द्ध-विकसित देशों में जहाँ पूंजी का अभाव और श्रम की बहुलता है, श्रम-प्रधान और पूंजी-विरल-विनियोगों को अपनाना चाहिए। सीमान्त-उत्पादकता को समान करने का सिद्धान्त केवल स्थैतिक दशाओं के अन्तर्गत अल्पकाल में ही विनियोगों का कुशल आवंटन करने में सक्षम होता है। मॉरिस डॉब (Maurice Dobb) के अनुसार ससाधन स्थिति के अनुसार, पूंजी-विरल परियोजनाओं को अपनाना एक प्रकार से प्रगति या परिवर्तन की आकांक्षा के बिना वर्तमान निम्न दशा को ही स्वीकार करना है। जबकि द्रुत आर्थिक विकास के लिए उत्पादन के समूह, सरचना और तकनीकों में परिवर्तन आवश्यक है। इसी प्रकार

इन देशों में पूँजी-गहन परियोजनाओं से सर्वथा बचा नहीं जा सकता । यहाँ पर्याप्त मात्रा में जल, खनिज आदि प्राकृतिक साधन असीमित है जिसको विकसित करने के लिए प्रारम्भ में भारी विनियोगों की आवश्यकता होती है । इस्पात कारखाने, तेल-शोधक शालाएँ, यातायात, संचार, बन्दरगाह आदि आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक होते हैं और इन सभी में बड़ी मात्रा में पूँजी-विनियोग की आवश्यकता होती है ।

2. सामाजिक सीमान्त उत्पादकता का मानदण्ड

(Criteria of Social Marginal Productivity)

विनियोगों का एक महत्वपूर्ण मापदण्ड सामाजिक 'सीमान्त उत्पादकता' है जो एक प्रकार से, 'समान सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त' का सजीवित रूप है । इस सिद्धान्त का प्रतिपादन सन् 1951 में ए. ई. काहन (A E Kahn) ने किया जिसे बाद में हॉलिस बी. चैनेरी (Hollis B Chanery) ने विकसित किया । इस सिद्धान्त के अनुसार, यदि विनियोगों द्वारा आर्थिक विकास को गति देना है, तो पूँजी ऐसे कार्यक्रमों में विनियोजित की जानी चाहिए, जो सर्वाधिक उत्पादक हों अर्थात् जिनकी सीमान्त सामाजिक उत्पादकता सर्वाधिक हो । सीमान्त सामाजिक उत्पादकता सिद्धान्त के अनुसार, विनियोग की अतिरिक्त इकाई के लाभ का अनुमान इस आधार पर नहीं लगाया जाता है कि इससे निजी-उत्पादक को क्या मिलता है किन्तु इस बात से लगाया जाता है कि इस सीमान्त इकाई का राष्ट्रीय उत्पादन में कितना योगदान रहा है । इसके लिए न केवल आर्थिक, अपितु सामाजिक लागतों और सामाजिक लाभों पर भी ध्यान दिया जाता है । ए. ई. काहन (A E Kahn) के अनुसार, "सीमित साधनों से अधिकतम धाय प्राप्त करने का उपयुक्त मापदण्ड 'सीमान्त सामाजिक उत्पादकता' है जिसमें सीमान्त इकाई के राष्ट्रीय उत्पत्ति के कुल योगदान पर ध्यान दिया जाना चाहिए, न कि केवल इस योगदान (या इसकी लागतों) के उस भाग पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए जो निजी विनियोगकर्ता को प्राप्त हो ।" इस सिद्धान्त के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में विनियोगों की सीमान्त सामाजिक उत्पादनता समान होनी चाहिए । भारत जैसे अर्द्ध-विकसित देशों के सन्दर्भ में विकानार्थ योजना में किए जाने वाली सीमान्त सामाजिक उत्पादकता की उच्चता वाले विनियोग निम्नलिखित हैं—

(i) जो सर्वाधिक उत्पादकता वाले उपयोगों में लगाए जाए, ताकि विनियोगों से प्रचलित उत्पादन का अनुपात अधिकतम हो या पूँजी-उत्पादन अनुपात न्यूनतम हो । अन्य शब्दों में पूँजी उन क्षेत्रों, उद्योगों, परियोजनाओं और प्रदेशों में विनियोजित की जानी चाहिए, जिनमें लगी हुई पूँजी से अपेक्षाकृत अधिक उत्पत्ति हो ।

(ii) जिनमें श्रम-विनियोग अनुपात (Labour-Investment Ratio) अधिकतम हो अर्थात् जो पूँजी से श्रम के अनुपात में वृद्धि करे । अन्य शब्दों में, पूँजी ऐसे क्षेत्रों, उद्योगों, परियोजनाओं और भौगोलिक क्षेत्रों में विनियोजित

की जानी चाहिए, जिनमें लगी हुई पूंजी से अधिक श्रमिकों को नियोजित किया जा सके।

(III) जो ऐसी परियोजनाओं में लगाए जाएँ, जो व्यक्तियों की बुनियादी आवश्यकताओं की वस्तुओं का उत्पादन करें और बाह्य गतिव्ययताओं में वृद्धि करें।

(IV) जो पूंजी के अनुपात में निर्यात पदार्थों में वृद्धि करें, अर्थात् जो निर्यात संवर्द्धन या आयात प्रतिस्थापन में योगदान दें।

(V) जो अधिकतर घरेलू कच्चा-माल तथा अन्य साधनों का अधिकाधिक उपयोग करें।

(VI) जो शीघ्र फलदायी हों, ताकि मुद्रा-प्रसार, विरोधी शक्ति के रूप में कार्य कर सकें।

सीमान्त सामाजिक उत्पादकता के मानदण्ड की श्रेष्ठता इस बात में निहित है कि इसमें किसी विनियोग कार्यक्रम की राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले समग्र प्रभावों पर ध्यान दिया जाता है। अतः यह सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त की अपेक्षा अधिक अच्छा है कि इसकी अपनी भी सीमाएँ हैं। आर्थिक विकास के दौरान न केवल सामाजिक आर्थिक तत्त्वों, अपितु जनसंख्या की मात्रा, गुण, स्वभाव और उत्पादन तकनीक आदि में भी परिवर्तन आता है। अतः इस मानदण्ड का उपयोग एक अर्थ-व्यवस्था की सम्पूर्ण गत्यात्मक परिस्थितियों के सन्दर्भ में करना चाहिए। कुछ सामाजिक उद्देश्य परस्पर विरोधी हो सकते हैं। अतः विभिन्न उद्देश्यों में से कुछ का चयन करना एक कठिन कार्य होता है। इसमें नैतिक निर्णयों की भी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार विनियोगों की दिशा और उनके अन्तिम परिणामों के बारे में भी विचारों में अन्तर हो सकता है। उदाहरणार्थ, किसी विशिष्ट परियोजना में पूंजी का विनियोग करने से राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि हो, किन्तु उससे आय वितरण असमान हो। इसी प्रकार, कुछ परियोजनाओं में विनियोग से राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति उपभोग निकट भविष्य में ही बढ़ सकता है, जबकि किन्हीं अन्य परियोजनाओं से ऐसा दीर्घकालीन में हो सकता है। अतः सामाजिक उद्देश्यों के निर्धारित किए बिना विनियोगों की दिशा, राशियाँ और प्रगति के बारे में निष्पक्ष लेना बहुत कठिन है।

इसके अतिरिक्त, सीमान्त सामाजिक उत्पादकता की यह धारणा अवास्तविक है। यह निजी लाभ से मानदण्ड की अपेक्षा कम निश्चित है। बाजार मूल्य, सामाजिक मूल्यों (Social Values) को ठीक प्रकार से प्रकट नहीं करते। अतः विनियोगों में निहित सामाजिक लाभों और सामाजिक लागतों का सक्षयात्मक माप असम्भव है। मानदण्ड की सबसे बड़ी कमी यह है कि, इसमें विनियोगों के एक बार के प्रभावों पर ही ध्यान दिया जाता है। वस्तुतः हमें किसी विनियोग से प्राप्त तत्काल लाभों पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, अपितु भावी लाभों एवं पूंजी सचय पर भी विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त विनियोगों के अप्रत्यक्ष प्रभाव जैसी भावी भवत, उपभोग संरचना, जनसंख्या वृद्धि आदि पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

3. तीव्र विकास विनियोग मानदण्ड

(Criteria of Investment to Accelerate Growth)

गेलेंसन और लीवेन्स्टीन (Galenson and Liebenstein) ने अर्द्ध-विकसित देशों में विनियोग के मापदण्ड के लिए सीमान्त प्रति व्यक्ति पुनर्विनियोग लब्धि (Marginal per Capital Investment Quotient) की धारणा का समर्थन किया है। किसी अर्थ-व्यवस्था के उत्पादन की पुनर्विनियोग क्षमता एक और प्रति श्रमिक उपलब्ध पूंजी से प्रति श्रमिक उत्पादन की मात्रा और दूसरी ओर जनसंख्या का उपयोग और पूंजीगत साधनों के प्रतिस्थापन आदि का अन्तर है। प्रति श्रमिक पूंजी से इस आधिक्य का अनुपात पुनर्विनियोग लब्धि (Re-investment Quotient) कहलाता है। उचित विनियोग नीति वह होनी है, जिसके द्वारा साधन उपभोगों की अपेक्षा अधिक अनुपात में पूंजी कार्यों की ओर बढें। देश की पूंजी में इस दृष्टि से मानव-पूंजी को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। लीवेन्स्टीन के अनुसार, पूंजीगत-पदार्थों और मानव-पूंजी के रूप में कुल पूंजी-निर्माण प्रतिवर्ष सामान्य पुनर्विनियोग और जनसंख्या के आकार में वृद्धि पर निर्भर करता है। यदि पुनर्विनियोग वर्ष प्रति वर्ष बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय में लाभो का भाग बढ़ाना पड़ेगा। पुनर्विनियोग लब्धि मानदण्ड के अनुसार, दीर्घकालीन पूंजीगत वस्तुओं (Long-lived Capital Goods) में पूंजी विनियोजित की जागी चाहिए। अर्द्ध-विकसित देशों को यदि सफलतापूर्वक तेजी से विकास करना है तो उत्पादन में वृद्धि के लिए विकास-प्रक्रिया के प्रारम्भ में ही बड़े पैमाने पर प्रयत्नों की आवश्यकता है, जिसे लीवेन्स्टीन ने न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न कहा है। अन्य शब्दों में विनियोग आवंटन (Investment Allocation) इस प्रकार का होना चाहिए जिससे विकास-प्रक्रिया की प्रारम्भिक अवस्था में ही तेजी से पूंजी निर्माण हो।

पुनर्विनियोग लब्धि में उक्त मानदण्ड की भी आलोचनाएँ की गई हैं। इस सिद्धान्त की यह मान्यता कि लाभो की अधिकता के कारण पुनर्विनियोग भी अधिक होगा, उचित नहीं मानी गई है। ए. के. सेन (A. K. Sen) के मतानुसार पूंजी की प्रति इकाई पर ऊँची दर से पुनर्विनियोग योग्य आधिक्य देने वाले विनियोगों से ही विकास दर में तेजी नहीं लाई जा सकती। यह आधिक्य अधिक हो सकता है किन्तु इस उत्पादन-कार्य में लगे व्यक्तियों की उपभोग की प्रवृत्ति में वृद्धि हो जाए तो पुनर्विनियोग योग्य आधिक्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके प्रतिरिक्त, इस मानदण्ड में सामाजिक कल्याण के आदर्शों की अपेक्षा की गई है। पूंजी-गहन विनियोगों और तकनीकों के अपनाते में श्रमिकों का विस्थापन (Displacement) होगा। साथ ही इस मानदण्ड में वर्तमान की अपेक्षा भविष्य पर अधिक ध्यान दिया गया है।

4. विशिष्ट समस्याओं को नियन्त्रित करने का मानदण्ड

(Investment criteria which aim at controlling specific problems)

इस मानदण्ड का उद्देश्य विकास-प्रक्रिया में उत्पन्न विशिष्ट समस्याओं को नियन्त्रित करके स्थायित्व के साथ आर्थिक विकास करना है। विकास की प्रारम्भिक

अवस्थाओं में भुगतान सन्तुलन की प्रतिकूलता और मुद्रा प्रसारिक दबावों के कारण विकास में अस्वायत्त आ सकता है। अर्द्ध-विन्यस्त देशों को बड़ी मात्रा में पूँजीगत सामग्री और कच्चा माल आदि मँगाना पड़ता है। औद्योगीकरण और विनियोगों के कारण मौद्रिक आय बढ़ती है जिससे उपभोग वस्तुओं का आयात भी बढ़ जाता है। इससे विदेशी मुद्रा की कमी एक बड़ी कठिनाई बन जाती है। इस प्रकार लोगों की मौद्रिक आय बढ़ने के कारण वस्तुओं की माँग बढ़ जाती है और मुद्रा प्रसारिक प्रवृत्तियाँ जन्म लेने लगती हैं। अतः ऐसे क्षेत्रों में विनियोग विद्या जाना चाहिए जिससे निर्यात वृद्धि और आयात-प्रतिस्थापन द्वारा देश की विदेशी विनिमय सम्बन्धी स्थिति सुदृढ़ हो और मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियों का भी प्रादुर्भाव नहीं हो सके। जे जे पोलक (J J Polak) के भुगतान सन्तुलन पर पढ़ने वाले प्रभावों के दृष्टिकोण से विनियोगों को निम्नलिखित तीन प्रकार से विभाजित किया है—

- (i) ऐसे विनियोग, जो निर्यात वृद्धि करने या आयात-प्रतिस्थापन करने वाली वस्तुएँ उत्पन्न करें। परिणामस्वरूप निर्यात आधिक्य उत्पन्न होगा।
- (ii) ऐसे विनियोग, जो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करें जो पहले देश में ही बेचने वाली वस्तुओं या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का प्रतिस्थापन करें। इस स्थिति में भुगतान सन्तुलन की स्थिति में विनियोगों का प्रभाव तटस्थ होगा।
- (iii) ऐसे विनियोग जिनके कारण जो स्वदेश में ही बेची जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में माँग से भी अधिक वृद्धि हो। वहाँ भुगतान सन्तुलन पर विपरीत प्रभाव होगा।

अतः विनियोगों के परिणामस्वरूप किसी भुगतान सन्तुलन की स्थिति पर पढ़ने वाले बुरे प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए उपरोक्त वर्णित प्रथम श्रेणी के उत्पादक कार्यों पर विनियोगों को केन्द्रित करना चाहिए और तृतीय श्रेणी को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। द्वितीय श्रेणी के विनियोगों को बड़ी सावधानी के पश्चात् भुगतान सन्तुलन की स्थिति पर उनके विपरीत प्रभावों और अर्थ-व्यवस्था पर उनके लाभों की पारस्परिक तुलना के पश्चात् चुनना चाहिए।

किन्तु पोलक (Polak) के उपरोक्त मत की भी सीमाएँ हैं। ए. ई. काहन (A E Kahn) के अनुसार कुछ विनियोगों से मौद्रिक आय में वृद्धि हुए बिना ही वास्तविक आय में वृद्धि हो और जिसे आयातों पर व्यय किया जाए। वहाँ तक कि विनियोगों के परिणामस्वरूप वास्तविक आय में वृद्धि के साथ-साथ जब मौद्रिक आय में वृद्धि हो तो ऐसी स्थिति में आयातों का बढ़ना अनिवार्य नहीं है। वस्तुतः अर्द्ध-विन्यस्त देशों में बड़ी मात्रा में आयातों के लिए इन देशों के उत्पादन की ग्रहणमुखी प्रवृत्ति ही बहुत सीमा तक उत्तरदायी है और ज्यों-ज्यों अर्थ-व्यवस्था का विकास होता रहता है तथा विभिन्न उद्योगों की स्थापना होती है। त्यों-त्यों देश के घरेलू उपभोग के लिए वस्तुओं की पूर्ति बढ़ जाती है और आयात की प्रवृत्ति (Propensity to

Import) कम होने लग जाती है। साथ ही निर्यातमुख उद्योगों में विनियोगों को केन्द्रित करना ही आर्थिक विकास की गारण्टी नहीं है। उदाहरणार्थ, भारत एवं अन्य उपनिवेशों में प्रथम युद्ध के पूर्व बागानों और निस्तारक (Extractive) उद्योगों में बड़ी मात्रा में पूंजी विनियोजित की गई थी, जिनसे निर्यात-पदार्थों का उत्पादन होता था, किन्तु फिर भी इन विनियोगों का देश में आय और रोजगार बढ़ाने तथा आर्थिक विकास को गति देने में योगदान अत्यल्प था। वास्तव में किसी भी विनियोग कार्यक्रम के भुगतान सन्तुलन पर पड़ने वाले प्रभावों का बिना समस्त विकास कार्यक्रम पर विचार किए हुए विल्कुल अलग से कोई अनुमान लगाया जाना सम्भव नहीं है।

जिस प्रकार आर्थिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में भुगतान सन्तुलन की विपक्षता की समस्या उत्पन्न होती है उसी प्रकार मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियों की समस्या भी बहुधा सामने आ खड़ी होती है जो आन्तरिक असाम्य का संकेत है। आर्थिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में बड़ी-बड़ी परियोजनाओं पर विशाल राशि व्यय की जाती है। बहुधा ये परियोजनाएँ दीर्घकाल में ही फल देने लगती हैं, अर्थात् इनका 'Gestation Period' अधिक होता है। इन कारणों से मौद्रिक आय बहुत बढ़ जाती है, किन्तु उस अनुपात में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन नहीं बढ़ पाता। परिणामस्वरूप मूल्य बढ़ने लग जाते हैं। कुछ देश बड़ी मात्रा में प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात करते हैं और इन देशों में कभी-कभी आर्थिक स्थिरता आयातक देश में आने वाली तेजी और मन्दी के कारण इन पदार्थों के उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न हो जाती है। अतः विभिन्न क्षेत्रों में विनियोगों का आवंटन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे उपरोक्त दोनों प्रकार की आर्थिक स्थिरता या तो उत्पन्न ही नहीं हो या शीघ्र ही समाप्त हो जाए। यदि मुद्रा प्रसारिक प्रवृत्तियों का जन्म सामाजिक ऊपरी लागतों (Social Overheads Costs—SOC) में अत्यधिक विनियोग के कारण हुआ है तो कृषि उद्योग आदि प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं (Direct Productive Activities—DPA) में अधिक विनियोग किया जाना चाहिए। यदि यह विशाल पूंजी-गहन-परियोजनाओं में भारी पूंजी-विनियोग के कारण हुआ है तो ऐसे उपभोक्ता उद्योगों और कम पूंजी-गहन-परियोजनाओं में विनियोगों का आवंटन किया जाना चाहिए, जो शीघ्र फलदायी हों। इसी प्रकार विदेशी व्यापार के कारण उत्पन्न होने वाली आन्तरिक स्थिरता को दूर करने के लिए उत्पादन का विविधीकरण करना चाहिए, अर्थात् विनियोगों को थोड़े से निर्यात के लिए उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में ही केन्द्रित नहीं करना चाहिए, अपितु कई विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में लगाकर अर्थ-व्यवस्था को लोचपूर्ण बनाना चाहिए। कृषि-व्यवस्था में अस्थिरता निवारण हेतु सिंचाई की व्यवस्था और मिश्रित खेती की जानी चाहिए।

5. काल-श्रेणी का मानदण्ड

(The Time Factor Criteria)

किसी विनियोग कार्यक्रम पर विचार करते समय न केवल विनियोग की कुल राशि पर ही विचार करना चाहिए अपितु इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि

उक्त परियोजना से कितने समय पश्चात् प्रतिफल मिलने लगेंगा। इस विषय पर विचार करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अर्द्ध-विकसित देश सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों से विनियोगों के फलों से लाभान्वित होने के लिए दीर्घकाल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। अतः विनियोग निर्धारण में काल श्रेणी का भी बहुत महत्व है। इसलिए ए के सेन ने काल श्रेणी का मानदण्ड प्रस्तुत किया है। इस दण्ड में एक निश्चित अवधि में उत्पादन अधिक प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। यदि पूँजी और उत्पादन के अनुपात और बचत दर समान बनी रहे, तो पूँजी-प्रधान और श्रम-प्रधान तकनीकों के मार्गों की रेखा खींची जा सकती है और यह ज्ञात किया जा सकता है कि दोनों में से किससे अधिक प्रतिफल प्राप्त होगा।

6 अन्य विचारणीय बातें

(i) अन्य वितरण—विभिन्न विकास कार्यक्रमों का धन के वितरण पर भी भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता है। अतः नवीन विनियोग इस प्रकार के होने चाहिए जो धन और धन की असमानता को बढ़ाने की अपेक्षा कम करें। आर्थिक समानता और उत्पादकता के उद्देश्यों में लाभदायक समन्वय की आवश्यकता है।¹

(ii) मात्रा के साथ मूल्य और माँग पर भी ध्यान—विनियोग कार्यक्रम निर्धारित करते समय इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि उत्पादित वस्तु का मूल्य क्या है? केवल भौतिक मात्रा में अधिक उत्पत्ति करने वाला विनियोग अच्छा नहीं कहलाया जा सकता, यदि उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का न कोई मूल्य हो और न माँग ही हो। उदाहरणार्थ, अपेक्षाकृत कम पूँजी से जूतों की अधिक मात्रा उत्पादित की जा सकती है, किन्तु यदि इन जूतों की माँग और इनके लिए बाजार नहीं है, तो ऐसे विनियोग और उत्पादन से अर्थ-व्यवस्था लाभान्वित नहीं होगी।

(iii) विदेशी-विनिमय—भारत जैसे विकासशील देशों के लिए विदेशी विनिमय की भारी समस्या है। विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं और क्षेत्रों में पूँजी विनियोग विदेशी-विनिमय की स्थिति को भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। एक कारखाना दूसरे की अपेक्षा अधिक निर्यात की वस्तुएँ तैयार करने वाला हो सकता है। इसी प्रकार एक उद्योग दूसरे उद्योग की अपेक्षा आयातित वस्तुओं का अधिक उपयोग करने वाला हो सकता है। अतः ऐसे कार्यक्रमों, क्षेत्रों, उद्योगों और परियोजनाओं में पूँजी विनियोजित की जानी चाहिए, जो निर्यात की क्षमता में वृद्धि करें और आयात की आवश्यकता को कम करें।

(iv) सन्तुलित विकास—इसके अतिरिक्त विनियोगों द्वारा अर्थ-व्यवस्था के सन्तुलित विकास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पूँजी-विनियोग के परिणाम-स्वरूप कृषि, उद्योग, यातायात तथा सन्देश-वाहन, सिंचाई, विद्युत और सामाजिक सेवाओं का समानान्तर विकास किया जाना आवश्यक है। ये सब एक दूसरे के पूरक हैं।

विनियोग के आवंटन में न केवल अर्थ-व्यवस्था के कृषि, उद्योग आदि विभिन्न क्षेत्रों के सन्तुलित विकास को ध्यान में रखा जाना चाहिए, अपितु देश के भौगोलिक क्षेत्रों के सन्तुलित विकास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पिछड़े हुए प्रदेशों में अपेक्षाकृत अधिक विनियोग किए जाने चाहिए।

अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र (Sectors of Economy)

अर्थ-व्यवस्था को निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है—

(क) कृषि-क्षेत्र (Agricultural Sector) — अर्थ-व्यवस्था के इस क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि और तत्सम्बन्धी कार्यक्रम, जैसे सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य-पालन, बागान, सामुदायिक विकास, बनारोपण, सहकारिता, भू-संरक्षण आदि कार्यक्रम सम्मिलित हैं। कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत, उन्नत और अर्द्ध-खाद, बीज, यन्त्र और बीजारो की व्यवस्था, कीट और रोगनाशक औषधियों की उपलब्धता, उचित-दर पर पर्याप्त मात्रा में साख सुविधाओं की उपलब्धि आदि कार्यक्रम सम्मिलित किए जाते हैं। मुख्यतः अर्द्ध-विकसित देश कृषि प्रधान होते हैं अतः उनकी अर्थ-व्यवस्था में कृषि-क्षेत्र का बहुत महत्त्व है।

(ख) उद्योग-क्षेत्र (Industrial Sector) — इस क्षेत्र के अन्तर्गत निर्माण-उद्योग (Manufacturing Industries) तथा खनिज-व्यवसाय आते हैं। अर्धविकसित देशों में, उद्योग-धन्धे कम विकसित होते हैं तथा वहाँ आर्थिक विकास को तीव्रगति देने और अर्थ-व्यवस्था का विविधीकरण करने के लिए तेजी से औद्योगीकरण की आवश्यकता होती है। अतः नियोजन में इस क्षेत्र को भी पर्याप्त मात्रा में विनियोग का आवंटन किए जाने की आवश्यकता है।

(ग) सेवा-क्षेत्र (Service Sector) — सेवा-क्षेत्र के अन्तर्गत व्यवसाय प्रमुख रूप से, यातायात एवं सन्देश वहन के साधन आते हैं, इसके अतिरिक्त, वित्तीय संस्थाएँ, प्रशासनिक सेवाएँ, शिक्षा, चिकित्सा, श्रमिक और पिछड़े वर्गों का कल्याण आदि कार्यक्रम भी इसी क्षेत्र में सम्मिलित किए जा सकते हैं। विकासार्थ नियोजन के परिणामस्वरूप, कृषि और उद्योगों की प्रगति के लिए यातायात और अन्य सामाजिक ऊपरी पूंजी तथा जन-शक्ति के विकास के लिए सेवा-क्षेत्र पर ध्यान दिया जाना भी अत्यावश्यक है।

किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए ?

(Problem of Priority)

इस सम्बन्ध में विभिन्न विचार प्रस्तुत किए गए हैं। विचार का मुख्य विषय यह है कि विनियोग कार्यक्रमों में कृषि को प्राथमिकता दी जाए या उद्योगों को। नियोजित आर्थिक विकास विनियोग कार्यक्रमों में कुछ लोग कृषि को महत्त्व अधिक देने का प्रावह करते हैं तो कुछ विचारक औद्योगीकरण के लिए अधिक मात्रा में विनियोगों को आवंटित किए जाने पर बल देते हैं। कृषि-क्षेत्र में विशाल मात्रा में विनियोजन का समर्थन करने वाले इंग्लैंड आदि विकसित देशों का उदाहरण देते

हुए कहते हैं कि औद्योगीकरण के लिए कृषि का विकास एक आवश्यक शर्त है। यहाँ तक कि ब्रिटेन में भी 18-वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में हुई कृषि की उल्लेखनीय प्रगति ने ही वहाँ होने वाली औद्योगिक क्रांति के लिए आधार तैयार किया। क्रिस्ट-विकसित देशों में तो, जिनकी अर्थ-व्यवस्था प्रमुख रूप से कृषि-प्रधान है, जब तक इनके कृषि आदि प्राथमिक क्षेत्रों को विकसित नहीं किया जाता, तब तक इनकी आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती। प्रोफेसर थियोडोर शुल्ज (Prof Theodore Schultz) के अनुसार "उच्च खाद्य बहाव वाली अर्थ-व्यवस्था में जहाँ समाज की अधिकांश आय का खाद्य पदार्थ प्रतिनिधित्व करते हैं, कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में नई और अधिक अच्छी उत्पादन सम्भावनाओं की बहुत थोड़ी गुंजाइश होती है, क्योंकि खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए आवश्यक उत्पादक प्रयत्न ही कुल का बहुत बड़ा भाग होते हैं।"

इसके विपरीत दूसरे समुदाय के विचारकों का दृढ़ मत है कि अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में कृषि उत्पादकता बहुत कम होती है। साथ ही, जनसंख्या का भारी दबाव होता है। अतः इन देशों की मुख्य समस्या आय में तेजी से वृद्धि करने और बढ़ती हुई जनसंख्या को गैर-कृषि-क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने की है। अतः इन देशों में कृषि पर ही विनियोगों को केन्द्रित करने से कार्य नहीं चलेगा। यह बुद्धिमत्तापूर्ण भी नहीं होगा। अतः इन परिस्थितियों में कृषि की अपेक्षा उद्योगों में विनियोगों को अधिक केन्द्रित करने की आवश्यकता है। अप्रैल 1957 में टोकियो में हुई आर्थिक विकास की अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस (International Conference on Economic Growth) में प्रो कुरिहारा (Prof Kurihara) ने अर्द्ध-विकसित देशों में विकास के लिए कृषि आधारित विक्रम की नीति को निम्नलिखित कारणों से अनुपयुक्त बतलाया—

- (i) उद्योगों की अपेक्षा कृषि की सीमान्त-उत्पादकता कम होती है। अतः इन देशों के सीमित साधनों को कृषि पर विनियोजित करना अमितव्ययितापूर्ण होगा।
- (ii) कृषि-क्षेत्र में उद्योगों की अपेक्षा बचत की प्रवृत्ति (Propensity to Save) कम होती है क्योंकि घनिक कृषकों में प्रदर्शन उपभोग (Conspicuous Consumption) की प्रवृत्ति होती है।
- (iii) बहुधा व्यापार की शर्तें कृषि पदार्थों के प्रतिरूप ही रहती हैं, अतः कृषि के विकास का महत्त्व देने और औद्योगिक विकास की अपेक्षा करने से इन देशों की भुगतान सन्तुलन की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

अतः प्रो कुरिहारा के मतानुसार कृषि और औद्योगिक उत्पादन में समुचित वृद्धि एक विलम्बिता है जिसे केवल पर्याप्त वास्तविक पूँजी वाली उन्नत अर्थ-व्यवस्था ही सुगमनापूर्वक अपना सकती है। किन्तु जिसे पूँजी वाले देश कठिनाई से ही सह सकते हैं। एक अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था के लिए उहाँ सीमित बचत होती है और पूँजी की प्रयुक्त करने वाली विभिन्न पश्चिमी देशों जिन्हें प्राप्त करने के लिए परस्पर

प्रतिस्पर्धा करती है, यह उपयुक्त होगा कि वे अपने प्रयत्नों को औद्योगिक क्षेत्र के द्रुत विकास के लिए ही केन्द्रित करें और कृषि-क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा एवं प्रभावों द्वारा ही विकसित होने दें।¹

इसी प्रकार, कुछ विचारक सामाजिक ऊपरी पूंजी (SOC) के रूप में यातायात एवं संचार, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी आदि जनोपयोगी सेवाओं को महत्त्व देते हैं। उनका विश्वास है कि इन कार्यक्रमों में पूंजी का विनियोग किया जाए जिससे कृषि घोर उद्योग आदि प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं के लिए आधार का निर्माण हो और ये तेजी से विकसित हो सकें।

कृषि में विनियोग क्यों ?

(Why Investment in Agriculture ?)

अधिकांश अर्द्ध-विकसित देश कृषि-प्रधान हैं और उनकी अर्थ-व्यवस्था में कृषि का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन देशों में कृषि, देशवासियों के रोजगार, राष्ट्रीय आय के उत्पादन, जनता की खाद्य सामग्री की आवश्यकताओं की पूर्ति, उद्योगों के लिए कच्चा माल, निर्यातों द्वारा विदेशी-विनिमय के अर्जन आदि का एक मुख्य साधन है। अतः देश के आर्थिक विकास के किसी भी कार्यक्रम में इस क्षेत्र के विकास की तनिक भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वास्तव में इन देशों में योजनाओं की मिद्धि बहुत बड़ी मात्रा में कृषि-क्षेत्र में विनियोगों के केन्द्रित करने पर ही निर्भर है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

1. कृषि विकास से औद्योगिक विकास के लिए साधन उपलब्ध होना—कृषि विकास न केवल स्वयं अपने लिए, अपितु औद्योगिक विकास के लिए भी आवश्यक होता है। आज के प्रमुख उद्योग, विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में समृद्ध और विकासमान कृषि में ही निर्माणी उद्योगों के विकास के लिए आधारशिला प्रस्तुत की थी। कृषि-विकास से इसकी उत्पादकता और कुल उत्पादन में वृद्धि होती है; जिससे कृषि क्षेत्र में आय में वृद्धि होती है। इससे इस क्षेत्र में बचत की सम्भावनाएँ बढ़ती हैं, जिसकी ऐच्छिक या बाधित रूप से कर या कृषि पदार्थों के अनिवार्य भुगतान आदि के द्वारा एकत्रित करके गैर-कृषि-क्षेत्रों में विकास के साधन जुटाए जा सकते हैं। जापान ने अपने आर्थिक विकास में इस पद्धति का बड़ा उपयोग किया। सन् 1885 से 1915 तक की द्रुत आर्थिक विकास की अवधि में कृषकों की उत्पादकता अच्छी कृषि पद्धतियों के कारण दुगुनी से भी अधिक हो गई। कृषक जनसंख्या की इस बढ़ी हुई आय का अधिकांश भाग भूमि पर भारी कर लगाकर ले लिया गया और इसका उपयोग गैर-कृषि-क्षेत्रों में प्रमुख रूप से उद्योगों के विकास में विनियोजित किया गया। वहाँ कृषि-क्षेत्र से इतनी अधिक आय प्राप्त की गई कि उस समय वहाँ की केन्द्रीय सरकार की कुल कर आय का 93.3% भाग भूमि पर करारोपण द्वारा प्राप्त किया जाता था। सोवियत रूस ने कृषि की उत्पादकता को

तेजी से बढ़ाया और कृषि क्षेत्र के आधिव्यय को द्रुत औद्योगीकरण की वित्त व्यवस्था करने के उपयोग में लिया। इसी प्रकार चीन में 1953 और 1957 के बीच कृषि से प्राप्त कर आय का 40% से भी अधिक भाग गैर-कृषि-क्षेत्रों में विकास के लिए प्रयुक्त किया गया। गोल्लडकोस्ट, बर्मा, युगांडा आदि भी कृषि आय के बहुत बड़े भाग को अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों की वित्त-व्यवस्था के लिए उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र का विकास बचत में वृद्धि करके विनियोजित किए जाने वाले कोषों में वृद्धि करता है, जिनका उद्योग आदि अन्य क्षेत्रों में उपयोग करके समग्र आर्थिक विकास की गति को तीव्र किया जा सकता है।

2. वृद्धिमान जनसंख्या को भोजन की उपलब्धि—अर्द्ध-विकसित देशों में वृद्धिमान जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराने और उनके भोजन तथा उपभोग स्तर को ऊँचा उठाने के लिए भी कृषि-कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर संचालित किया जाना आवश्यक है। कई अर्द्ध-विकसित देशों में जनसंख्या अधिक है और इसमें तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त भारत जैसे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या की तो बात ही क्या, वर्तमान जनसंख्या के लिए भी खाद्यान्न उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं? एक अनुमान के अनुसार एशिया और अफ्रीका के निर्धन देशों की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए ही इन देशों में खाद्यान्न उत्पादन को 1.5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत जैसे देश में तो यह जनसंख्या वृद्धि-दर 2.5% वार्षिक है, अतः इस दृष्टि से ही खाद्यान्नो के उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। साथ ही इन देशों में गुण और मात्रा दोनों ही दृष्टिकोणों से भोजन का स्तर निम्न है, जिसका इनकी कार्यक्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। श्रीलंका, भारत और फिलीपीन्स में भोजन का वास्तविक उपभोग न्यूनतम आवश्यकता से भी 12 से 18% कम है। आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप ज्यों-ज्यों इन देशों की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, त्यों-त्यों प्रति व्यक्ति भोजन पर व्यय में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप, शहरी जनसंख्या में वृद्धि होगी तथा गैर-कृषि-व्यवसायों में नियोजित व्यक्तियों के अनुपात में वृद्धि होगी। उद्योग-बन्धों और अन्य व्यवसायों में लगे इन व्यक्तियों के खिलाने के लिए भी खाद्यान्नो की आवश्यकता होगी। इन सब कारणों से देश में खाद्यान्नो के उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता है जिसे कृषि के विकास द्वारा ही पूरा किया जा सकता है, अन्यथा भारत की तरह करोड़ों रुपयों का अन्न विदेशों से आयात करना पड़ेगा और दुर्लभ विदेशी-मुद्रा को ध्वंस करना होगा।

3. औद्योगीकरण के लिए कच्चे माल की उपलब्धि—किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक कच्चे माल के उत्पादन में भी वृद्धि हो। बहुत से उद्योगों में कृषि-जन्य कच्चे माल का ही उपयोग किया जाता है। कई अन्य उपभोक्ता उद्योगों के लिए वन्य उपज की आवश्यकता होती है। अतः जब तक पर्याप्त मात्रा में अच्छे किरम के सस्ते कच्चे माल की उपलब्धि नहीं

हो सकती, तब तक औद्योगिक विकास नहीं हो सकता और न इन उद्योगों की प्रतिस्पर्धा शक्ति बढ़ सकती है। अतः उद्योगों के लिए औद्योगिक कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि के लिए भी कृषि का विकास आवश्यक है।

4. विदेशी विनिमय की समस्या के समाधान में सहायक—यदि आर्थिक विकास कार्यक्रमों में कृषि विकास को महत्व नहीं दिया गया, तो देश में खाद्यान्नों और औद्योगिक कच्चे माल की कमी पड़ सकती है, और इन्हें विदेशों से आयात करने के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ेगी। वैसे भी किसी विकासमान अर्थ-व्यवस्था की विकास की प्रारम्भिक अवस्था में विदेशों से बड़ी मात्रा में मशीनें और अन्य पूंजीगत सामग्री का आयात करना पड़ता है। इसका मुग्तान कृषि-जन्य और अन्य कच्चे माल के निर्यात द्वारा ही किया जा सकता है। अतः कृषि में प्रतिस्पर्धा लागत पर उत्पादन-वृद्धि आवश्यक है। नियोजन में विशाल परियोजनाओं पर बड़ी मात्रा में धनराशि व्यय की जाती है। इससे लोगों की मौद्रिक आय बढ़ जाती है। साथ ही वस्तु और सेवा उत्पादन में धीरे-धीरे वृद्धि नहीं होती। अतः अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा प्रसारक प्रवृत्तियाँ बढ़ने लगती हैं, जिनका दमन वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में वृद्धि से ही किया जा सकता है। इसके लिए भी या तो बहुत सीमा तक कृषि-उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी या विदेशों से आयात करना पड़ेगा जिनके लिए पुनः विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। अतः इस समस्या के समाधान की विधि निर्यात योग्य पदार्थों की उत्पादन वृद्धि है जो अधिकांश अर्द्ध-विकसित देशों में प्राथमिक पदार्थ हैं। यद्यपि आर्थिक विकास के साथ-साथ देश में अन्न निर्यात-योग्य पदार्थों का उत्पादन भी बढ़ जाता है किन्तु जब तक अर्थ-व्यवस्था इस स्थिति में नहीं पहुँचती, तब तक ऐसे देशों की विदेशी-विनिमय स्थिति बहुत अधिक सीमा तक कृषि-पदार्थों के उत्पादन और निर्यात पर ही निर्भर करेगी। अतः इन देशों में निर्यातों द्वारा अधिक विदेशी-मुद्रा का अर्जन करने या अपने कृषि-जन्य पदार्थों के आयात में कमी करने के लिए भी कृषि विकास को महत्व दिया जाना चाहिए।

5. औद्योगिक-क्षेत्र के लिए बाजार प्रस्तुत करना—विकासार्थ नियोजन में कृषि विकास, औद्योगिक-क्षेत्र में उत्पादित-वस्तुओं के लिए बाजार प्रस्तुत करता है। ऐसे औद्योगिक विकास से, जिसमें उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की माँग नहीं हो, कोई लाभ नहीं हो सकता। यदि केवल औद्योगिक विकास की ओर ही ध्यान दिया गया, तो अन्य क्षेत्रों की प्राप्ति में वृद्धि नहीं होगी जिससे औद्योगिक वस्तुओं की माँग नहीं बढ़ पाएगी। किन्तु, यदि पूंजी विनियोजन के परिणामस्वरूप कृषि-उत्पादन में वृद्धि होती है, तो कृषि में सलग्न व्यक्तियों की आय में वृद्धि होगी, जिसको औद्योगिक-वस्तुओं के क्रय पर व्यय किया जाएगा। ऐसा भारत जैसे अर्द्ध-विकसित देश के लिए तो और भी आवश्यक है, जहाँ की अधिकांश जनता कृषि व्यवसाय में सलग्न है।

6. उद्योगों के लिए श्रमिकों की पूर्ति—कृषि-विकास, औद्योगिक-क्षेत्र के लिए आवश्यक श्रम की पूर्ति सम्भव बनाता है। कृषि विकास के कार्यक्रमों से कृषि उत्पादन और कृषक की उत्पादकता में वृद्धि होती है और देश की जनसंख्या के लिए आवश्यक

कृषि उत्पादन हेतु कृषि-व्यवसाय के संचालन के लिए कम व्यक्तियों की ही आवश्यकता रह जाती है, शेष व्यक्तियों में से औद्योगिक क्षेत्र अपने विकास के लिए श्रमिकों को प्राप्त कर सकता है।

7. कम पूँजी से बेरोजगारी की समस्या के समाधान में सहायता—अर्द्ध-विकसित देश व्यापक बेरोजगारी, अर्द्ध-बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या से ग्रस्त हैं, जहाँ जन-शक्ति के एक बहुत बड़े भाग को रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इन देशों की विकास-योजनाओं का उद्देश्य, समस्त देशवासियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना भी है। दूसरी ओर इन देशों में पूँजी की अत्यन्त कमी है। उद्योगों की स्थापना हेतु अपेक्षाकृत अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है, किन्तु कृषि-व्यवसाय में कम पूँजी से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है।

उद्योगों में विनियोग (Investment in Industries)

योजना विनियोग में कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देने का आशय यह नहीं है कि उद्योग एवं सेवाओं को कम महत्त्व दिया जाए। इनका विकास भी कृषि विकास के लिए आवश्यक है। आर्थिक-विकास के किसी भी कार्यक्रम में इनकी प्रगति के लिए पर्याप्त प्रयत्न किए जाने चाहिए। कुछ व्यक्ति आर्थिक विकास का अर्थ औद्योगीकरण से लगाते हैं। आर्थिक विकास प्रक्रिया में औद्योगीकरण का महत्त्व निम्नलिखित कारणों से है—

1. औद्योगिक-विकास से कृषि-पदार्थों की माँग में वृद्धि—औद्योगिक-विकास द्वारा कृषि जन्य एवं अन्य प्राथमिक पदार्थों की माँग बढ़ती है। औद्योगिक-विकास के कारण, अधिक मात्रा में कृषि-जन्य कच्चे माल की आवश्यकता होती है। औद्योगीकरण के कारण औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों की आय बढ़ती है, जिसका एक भाग भोजन पर व्यय किए जाने से भी कृषि-पदार्थों की माँग बढ़ती है। इस प्रकार, औद्योगिक विकास, कृषि विकास को प्रभावित करता है। जिस प्रकार से कृषि क्षेत्र की बटी हुई आय बैंड-कृषि-क्षेत्र के निमित्त माल की खपत बढ़ाने में सहायक होती है उसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में होने वाली आय में वृद्धि कृषि पदार्थों की माँग में वृद्धि करके उसके विकास के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं।

2. संप्रयुक्त जन शक्ति को रोजगार देने हेतु आवश्यक—निर्धन देशों में जनसंख्या की अधिकता और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कृषि पर जनसंख्या का भार अधिक है। वैकल्पिक उद्योगों के अभाव के कारण अधिकांश जनता जीविका-निर्वाह हेतु कृषि का अवलम्बन करती है। किन्तु परम्परागत उत्पादन विधियों और कृषि व्यवसाय के अत्यन्त पिछड़े होने के कारण श्रमिकों की एक बहुत बड़ी संख्या या तो बेरोजगार रहती है या अर्द्ध-बेरोजगारी की शिकार रहती है। कृषि-व्यवसाय में यह घटपट्ट बड़े बेरोजगारी अधिक व्याप्त रहती है। अनेक अनुमानों के अनुसार, कृषि-क्षेत्र की 1 से 1 जनसंख्या कृषि-व्यवसाय की आवश्यकताओं से अधिक होती है।

औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप, देश की इस अप्रयुक्त जन-शक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकेंगे। इससे कृषि पर जनसंख्या का भार भी कम होगा और कृषि-क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उत्पादकता में वृद्धि होगी।

3. अर्थ-व्यवस्था को बहुमुखी बनाने के लिए आवश्यक केवल कृषि या प्राथमिक व्यवसायों पर ही विनियोगों को केन्द्रित करने से अर्थ-व्यवस्था एकाकी हो जाती है। निर्यत देशों में जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि-व्यवसाय में लगा रहता है। निर्यत देशों की कृषि-क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता एकांगी तथा असन्तुलित अर्थ-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करती है। अर्थ-व्यवस्था को बहुमुखी बनाने के लिए इन देशों में द्रुत औद्योगीकरण आवश्यक है। वैसे भी कृषि आदि व्यवसाय प्रकृति पर निर्भर होते हैं, जिनमें इन व्यवसाय में स्थिरता और निश्चितता नहीं आ पाती। अतः अर्थ-व्यवस्था का विविधीकरण आवश्यक है और इसके लिए द्रुत औद्योगीकरण किया जाना चाहिए।

4. कृषि के लिए आवश्यक आदानों (Inputs) की उपलब्धि—कृषि-विकास की योजनाओं में सामाजिक उर्वरक, कीटनाशक औषधियाँ, ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यन्त्र तथा औजार, बिजली के लिए पम्प, रूट आदि की आवश्यकता होती है। अतः इन वस्तुओं का उत्पादन और इनसे सम्बन्धित औद्योगिक विकास आवश्यक है। औद्योगीकरण मुख्यतः कृषि-उद्योग उद्योगों (Agro-industries) से कृषि विकास को प्रत्यक्ष सहायता मिलती है और कृषि-विकास के किसी भी कार्यक्रम में उक्त उद्योगों की कभी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

5. गैर-कृषि पदार्थों की माँग पूर्ति—आर्थिक विकास के कारण जनता की आय में वृद्धि होती है और कृषि पदार्थों के माब-साय विभिन्न प्रकार के गैर-कृषि पदार्थों की माँग में भी वृद्धि होती है। ऐसा नागरिक जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि के कारण भी होता है जो सुख-सुविधा की नई-नई चीजों का उपयोग करना चाहती है। गैर-कृषि पदार्थों की बढ़ती हुई इस माँग की पूर्ति हेतु उद्योगों में भी पूंजी विनियोग की आवश्यकता होती है।

6. उद्योगों में श्रमिकों की सीमान्त-उत्पादकता की अधिकता—कृषि में, उद्योगों की अपेक्षा, श्रम का सीमान्त उत्पादन-मूल्य कम होता है। औद्योगिक विकास से श्रमिकों का कृषि से उद्योगों में हस्तान्तरण होता है, जिसका आशय गैर-कृषि क्षेत्र को अपेक्षा-कृत कम मूल्य पर श्रम-पूर्ति से होता है। इससे अर्थ-व्यवस्था में श्रम ससाधनों के वितरण में कुशलता बढ़ती है और श्रम एवं पूंजी विकास में अच्छा सन्तुलन स्थापित होने की अधिक सम्भावना रहती है।

7. सामाजिक एवं अन्य लाभ—सामाजिक-समाज बहूधा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। औद्योगीकरण से मानवीय कुशलताओं में वृद्धि होती है, जोखिम उठाने की प्रवृत्ति जाग्रत होती है तथा इससे सामाजिक संरचना अधिक प्रगतिशील और गतिशील (Dynamic) होती है। औद्योगीकरण द्वारा नागरिक जनसंख्या का अनुपात बढ़ता है, जो अधिक विवेकपूर्ण व तर्कशील

होती है। इससे व्यक्तिवादी और भौतिकवादी दृष्टिकोण का भी विकास होता है जो आर्थिक विकास के लिए अधिक उपयुक्त है। औद्योगिक विकास में शहरी बाजारों का विस्तार होता है, जिससे यातायात और संचार-साधनों का विकास होता है। साथ ही, इससे कृषि व्यापारीकरण भी होता है और कृषि-क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है।

सेवा-क्षेत्र में विनियोग (Investment in Services)

कृषि और उद्योग आदि की प्रत्यक्ष उत्पादक-क्रियाओं के अतिरिक्त, आर्थिक विकास के लिए सामाजिक ऊपरी पूंजी (SOC) का निर्माण आवश्यक है। इसके अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार तथा पानी, विद्युत प्रकाश आदि जनोपयोगी सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। अर्थ-व्यवस्था के इस सेवा-क्षेत्र में पूंजी-विनियोग करने से इनका विकास होगा, जिससे प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में भी निजी-विनियोग को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, ये सेवाएँ, प्रत्यक्ष रूप से कृषि और औद्योगिक-क्षेत्र के विस्तार के लिए भी अनिवार्य हैं। कृषि उत्पादन को खेतों से मण्डियों, नगरों, बन्दरगाहों और विदेशों तक पहुँचाने के लिए सड़कों, रेलों, बन्दरगाहों, और जहाजरानी का विकास अनिवार्य है। इसी प्रकार, कारखानों और नगरों से कृषि के लिए आवश्यक आदानों जैसे—खाद्य बीज, कृषि-औजार, पीट-नाशक, तकनीकी ज्ञान आदि खेतों तक पहुँचाने के लिए भी यातायात और संचार के साधन आवश्यक हैं। विभिन्न स्थानों से कारखानों तक कच्चे माल, ईंधन आदि को पहुँचाने और उद्योगों के निर्मित माल को बाजारों तक पहुँचा कर, औद्योगिक विकास में सहायता देने के लिए भी यातायात एवं संचार-साधनों का महत्त्व कम नहीं है। वास्तव में यातायात और सन्देशवाहन किसी भी अर्थ-व्यवस्था के स्नायु तन्तु हैं और अर्थ-व्यवस्था रूपी शरीर के सुचारु संचालन के लिए यातायात और सन्देशवाहन के साधनों का विकसित होना अत्यन्त आवश्यक है। इनकी उपेक्षा करने पर कृषि और औद्योगिक विकास में भी निश्चित रूप से अवरोध (Bottle Necks) उपस्थित हो सकते हैं।

इसी प्रकार, गन्ती और पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्धि भी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। सस्ती बिजली द्वारा लघु और कुटीर उद्योगों के विकास में बड़ी सहायता मिल सकती है। सिंचाई के लिए लघु और मध्यम सिंचाई योजनाओं के निगमन में भी बिजली द्वारा बहुत सहायता मिलती है। बिजली द्वारा छोटे-छोटे पम्पिंग सेट और ट्यूब-वेल चलाकर खेतों को सिंचित किया जा सकता है। बड़े उद्योगों के लिए सस्ती और पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्धि बहुत सहायक है। इस प्रकार विद्युत विकास द्वारा कृषि और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। शिक्षा प्रशिक्षण तथा चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास देश की जन-शक्ति के विकास में सहायक होता है। धर्म, कल्याण और पिछड़ी जाति के कल्याण-कार्यक्रम इन वर्गों के विकास के लिए आवश्यक हैं। इन समस्त सेवाओं द्वारा देश की

जन-शक्ति की कार्य-कुशलता बढ़ती है और मानव-पूंजी का निर्माण होता है। देश के आर्थिक विकास के लिए मानवीय-पूंजी निर्माण में साधनों को विनियोजित करना भी आवश्यक है।

इस प्रकार, सामाजिक ऊपरी पूंजी (SOC) और सेवा-क्षेत्र में किए गए विनियोग कृषि, उद्योग, व्यापार, बाणिज्य आदि के आवागमों को सस्ता करके इनकी प्रत्यक्ष सहायता करते हैं। जब तक पर्याप्त विनियोगों द्वारा सस्ती और श्रेष्ठ सेवाओं की उपलब्धि नहीं होगी, तब तक प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में विनियोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और न ही ये लाभप्रद होंगे। अतः अर्थ-व्यवस्था के इस क्षेत्र में भी पर्याप्त मात्रा में विनियोगों को आकर्षित किया जाना चाहिए, जिससे नदप्रभावों के कारण, बाढ़ में, प्रत्यक्ष-उत्पादक-क्रियाओं में विनियोग अधिकाधिक किए जाएंगे और अर्थ-व्यवस्था विकास पथ पर अग्रसर होगी। प्रो हर्षमैन (Prof Hirschmann) के मतानुसार सामाजिक ऊपरी पूंजी (SOC) का निर्माण प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं को आगे बढ़ाने का धामन्त्रण देता है।

तीनों क्षेत्रों में समानान्तर व सन्तुलित विकास की आवश्यकता (Need of Balanced Growth in all the Three Sectors)

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि नियोजन प्रक्रिया में अर्थ-व्यवस्था के इन तीनों क्षेत्रों का अपना-अपना महत्त्व है और इन तीनों के समानान्तर और सन्तुलित विकास की आवश्यकता है। इसके अभाव में एक क्षेत्र का कम विकास, दूसरे क्षेत्र के विस्तार के लिए बाधा बन सकता है। उदाहरणार्थ यदि औद्योगिक उत्पादन का विस्तार हो रहा है, किन्तु कृषि-क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं होती, तो औद्योगिक-क्षेत्र की अतिरिक्त आय प्राथमिक क्षेत्र की सीमित पूर्ति पर दबाव डालेगी और मुद्रा प्रसारिक प्रवृत्तियों का उदय होगा या बाह्य साधनों पर कुप्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार यदि गैर-कृषि-क्षेत्रों में वृद्धि हुए बिना कृषि-उत्पादन में वृद्धि होती है तो कृषि-उत्पादों की मांग पूर्ति की अपेक्षा कम हो जाएगी। परिणामस्वरूप, मूल्य कम होंगे, धाय भी कम होगी और विकास में बाधाएँ पहुँचेगी। अतः सभी क्षेत्रों का समानान्तर और सन्तुलित विकास किया जाना चाहिए।

किन्तु सन्तुलित-विकास का आशय सभी क्षेत्रों में समान-दर से आर्थिक विकास नहीं है। बहुधा आय-वृद्धि के साथ-साथ आय का भाग अधिक अनुपात में, निर्मित-वस्तुओं पर व्यय किया जाता है। साथ ही, औद्योगिक विकास की गति बहुधा धीमी रहती है, उसे तीव्र करने की आवश्यकता है। इसलिए विनियोग कार्यक्रमों में औद्योगिक क्षेत्र का अपेक्षाकृत तीव्रता से विस्तार होना चाहिए, किन्तु, एक क्षेत्र या क्षेत्रों की अपेक्षा करके अन्य क्षेत्र या क्षेत्रों में विनियोगों को केन्द्रित करना बुद्धिमत्तापूर्ण-नीति नहीं है। रोम में हुई विश्व जन-संख्या सम्मेलन (World Population Conference, 1954) के प्रतिवेदन के अनुसार विगत वर्षों में ओशनिया और सेटिन अमेरिका के कम आवासी वाले देशों में पूंजी और साधनों को कृषि-क्षेत्र से उद्योगों को और प्रवृत्त करने से, न केवल कृषि विकास को ही प्रभावित किया, अपितु सामान्य अर्थ-व्यवस्था

में भी वांछनीय दबाव उत्पन्न कर दिए। वस्तुतः अर्द्ध विकसित देशों में कृषि-क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और विनियोग कार्यक्रमों का निर्धारण करते समय अधिकांश राशि कृषि-विकास-कार्यक्रमों हेतु आवंटित की जानी चाहिए। अधिक-
 २० इतिहास के अनुसार औद्योगीकरण और पूंजी-निर्माण के किसी भी कार्यक्रम की सफलता इस बात में निहित है कि उसके साथ शीघ्र फलदायक कृषि-विकास परियोजनाएँ भी साथ-साथ प्रारम्भ की जाएँ। डी एस नाथ के मतानुसार "कृषि-क्षेत्र में विनियोग कृषि उत्पादकता और कृषि पर अत्यन्त उल्लेखनीय प्रभाव पैदा कर सकते हैं। इसे अन्त क्षेत्रों के लिए माँग का गृहण करने और विशाल मात्रा में पूंजी निर्माण में योगदान देने हेतु पहलकर्ता के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।"¹ जहाँ कहीं भी कृषि की उपेक्षा की गई है वहाँ या तो अर्थ व्यवस्थाएँ स्थिर हो गई हैं या उनकी विकास-दरें गिर गई हैं। इंग्लैण्ड और चीन की अपेक्षा फ्रांस की अर्थ-व्यवस्था की मापेक्षिक स्थिरता का कारण, वहाँ कृषि-क्षेत्र की घनी प्रगति है।

अन्य विनियोग कार्यक्रमों में कृषि, उद्योग सेवाओं को यथोचित महत्त्व दिया जाना चाहिए। इन तीनों क्षेत्रों को प्रतिस्पर्द्धी नहीं बल्कि पूरक समझना चाहिए। ये तीनों क्षेत्र एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं और परस्पर निर्भर हैं। साथ ही, एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र को विकास की प्रेरणा देता है।

विनियोग आवंटन सम्बन्धी कुछ नीतियाँ (Some Policies of Allocation of Investment)—समस्त देशों में एक ही परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं रहती। अतः इस सम्बन्ध में कोई सामान्य सिद्धान्त नहीं बनाया जा सकता। अर्द्ध-विकसित देशों का आज के विकसित देशों में अपनाई गई प्राथमिकताओं को भी उसी रूप में नहीं ग्रहण कर लेना चाहिए क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ भिन्न थीं। अतः प्रत्येक देश को अपनी परिस्थिति अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में विनियोगों का आवंटन करना चाहिए। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कुछ नीतियाँ मकेत दिए हुए हैं जिन्हें स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सशोधित करके अर्द्ध-विकसित देश अपना सकते हैं—

(i) किसी एक क्षेत्र के उद्योग अथवा आर्थिक क्रिया को दूसरी से अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए। इस प्रकार, एक क्षेत्र की उपेक्षा करके अन्य क्षेत्र में विनियोगों को केंद्रित नहीं करना चाहिए। प्राथमिकताओं के निर्धारण में सीमान्त सामाजिक उत्पादकता के सिद्धान्त का अनुसरण किया जाना चाहिए।

(ii) विनियोग-आवंटन पर विचार करते समय, स्थानीय परिस्थिति को ध्यान में रखना चाहिए—साधनों की स्थिति, आर्थिक विकास का स्तर, तकनीकी स्तर, सत्यागन षटकोण एवं उन्मी प्रकार के अन्य तत्त्वों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

(iii) अन्य विकसित और अर्द्ध विकसित देशों के अनुभव द्वारा भी लाभ उठाना चाहिए।

(iv) ऐसे देशों में जहाँ अतिरिक्त श्रम-शक्ति और सीमित-पूंजी हो, विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में कृषि, सिंचाई, यातायात एवं अन्य जनोपयोगी सेवाओं पर पूंजी विनियोजन अधिक लाभप्रद रहता है। इन क्षेत्रों में अल्प पूंजी से ही अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है, साथ ही, निर्माण-उद्योगों को भी विकसित किया जाना चाहिए।

(v) विकासमान अर्थ-व्यवस्था में यह सम्भव नहीं होता कि अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्र पूर्ण-संतुलित रूप से समान-दर से प्रगति करें। आर्थिक विकास की अवधि में कहीं आधिक्य और कहीं कमी का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। किन्तु इस सम्बन्ध में अधिकाधिक सूचनाएँ तथा आँकड़े एकत्रित करके सीमित साधनों को उन क्षेत्रों में प्रयुक्त करना चाहिए, जहाँ उनका सर्वोत्तम उपयोग हो।

विभिन्न क्षेत्रों में विनियोगों का आवंटन

(ALLOCATION OF INVESTMENT BETWEEN
DIFFERENT REGIONS)

आर्थिक विकास की दृष्टि से नियोजन को अपनाते वाले, अर्द्ध-विकसित देशों के पास मुख्यतः साधनों तथा पूंजी का अभाव होता है। इसके विपरीत, पूंजी विनियोग के लिए क्षेत्रों, परियोजनाओं और उद्योगों की बहुलता होती है। इनमें से प्रत्येक में पूंजी का समुचित विनियोग करने पर ही आर्थिक विकास का गति दी जा सकती है। अतः इन देशों की प्रमुख समस्या यह होती है कि इन विनियोगों का उचित और विवेकपूर्ण आवंटन किस प्रकार हो, पिछले अध्यायों में हम विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में विनियोगों के आवंटन पर विचार कर चुके हैं। इस अध्याय में हम विशेषतः भौगोलिक क्षेत्रों या प्रदेशों में विनियोगों के आवंटन पर विचार करेंगे।

विभिन्न क्षेत्रों में विनियोगों का आवंटन

(Allocation of Investment Between Different Regions)

विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विनियोगों के आवंटन के सम्बन्ध में कई विकल्प हो सकते हैं। एक विकल्प यह है कि देश के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में अधिक विनियोग किया जाए। अन्य विकल्प यह हो सकता है कि विकास की अधिक संभावना वाले क्षेत्रों में, अधिक राशि विनियोजित की जाए। एक और विकल्प यह हो सकता है कि सब क्षेत्रों में समान रूप से विनियोगों का आवंटन किया जाए।

1. पिछड़े क्षेत्रों में अधिक आवंटन—किसी देश के स्थायित्व और समृद्धि के लिए न केवल द्रुत गति से आर्थिक विकास आवश्यक है अपितु यह भी आवश्यक है कि उस देश के सभी क्षेत्रों का तीव्रता से और सतुलित आर्थिक विकास हो। सभी क्षेत्र और सारी जनता उस विकास और समृद्धि में भागीदार बनें। यह तभी सम्भव है, जबकि देश के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में अधिक पूंजी का विनियोजन किया जाए। अधिकांश विकासशील देश न केवल अर्द्ध-विकसित ही हैं अपितु इनके विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति और समृद्धि में भी भारी अन्तर है। विभिन्न क्षेत्रों की प्रति

व्यक्ति आय में बड़ी विषमता है। उदाहरणार्थ, भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में, अर्थात् 1965-66 में, बिहार राज्य की प्रति-व्यक्ति आय केवल 212.91 रु. थी। इसके विपरीत, पश्चिमी बंगाल की प्रति व्यक्ति आय उक्त वर्ष में 433.43 रु. थी, जो बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय की दुगुनी से भी अधिक थी। असन्तुलित विकास के कारण ही देश के कुछ राज्य अन्य राज्यों से बहुत पिछड़े हुए हैं। विभिन्न क्षेत्रवासियों के जीवन-स्तर में भारी अन्तर है। यह बात कदापि उचित नहीं है। किसी एक क्षेत्र की निर्धनता से अन्य समृद्ध क्षेत्र के लिए भी कभी-कभी खतरा पैदा हो सकता है। फिर आर्थिक-नियोजन का उद्देश्य देश की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तब तक सम्भव नहीं है जब तक इन क्षेत्रों की आय में वृद्धि नहीं हो और यह तभी सम्भव है जबकि इन पिछड़े हुए क्षेत्रों में पर्याप्त पूँजी विनियोजन किया जाए। देश के सभी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए भी इन प्रदेशों में अधिक पूँजी विनियोग और उद्योग-धन्धों की स्थापना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ विकास हेतु आवश्यक सामाजिक और आर्थिक ऊपरी सुविधाओं, रेलों, सड़कों, विद्युत्, सिंचाई की सुविधाओं, शिक्षा तथा चिकित्सा आदि की सुविधाओं का अभाव होता है। इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति देने के लिए तथा कृषि और उद्योगों के विकास हेतु इन आधारभूत सुविधाओं के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता होती है और इनमें भारी पूँजी-विनियोग की आवश्यकता होगी है। इस प्रकार यदि देश के समस्त भागों में प्रति व्यक्ति आय में समान दर से वृद्धि करना चाहें तब भी पिछड़े क्षेत्रों में अधिक विकास कार्यक्रम आरम्भ किए जाने चाहिए। किन्तु आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टि से केवल यही आवश्यक नहीं है कि देश के सभी क्षेत्र समान-दर से विकसित हो अपितु यह भी अनिवार्य है कि पिछड़े क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक गति से विकसित करें। इसके लिए यह आवश्यक है कि देश के इन पिछड़े और निर्धन क्षेत्रों में विनियोगों का अधिकाधिक भाग आवंटित किया जाए। सार्वजनिक-क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना के समय इन सन्तुलित क्षेत्रीय-विकास की विचारधारा को अधिक ध्यान में रखा जाए। सन्तुलित-क्षेत्रीय-विकास के उद्देश्य की प्राप्ति अल्पकाल में नहीं हो सकती। यह एक दीर्घकालीन उद्देश्य है जिसकी पूर्ति करने के लिए पिछड़े हुए क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक ऊपरी लागतों पर बड़े पैमाने पर पूँजी-विनियोग की आवश्यकता है।

2. विकास की सम्भावना वाले क्षेत्रों में विनियोग—वस्तुतः पिछड़े क्षेत्रों में अधिक विनियोग किए जाने का तर्क आर्थिक की अपेक्षा सामाजिक कारणों पर अधिक आधारित है। अतः विकास कार्य अथवा कार्यक्रम वहाँ संचालित किए जाने चाहिए, जहाँ उनकी सफलता की अधिक सम्भावना हो। इन अर्द्ध-विकसित देशों में विनियोग योग्य साधनों का अत्यन्त अभाव होता है। अतः इनका उपयोग उन स्थानों एवं परियोजनाओं में किया जाना उपयुक्त है, जहाँ इनकी उत्पादकता अधिक हो और देश की अधिकतम लाभ हो। प्रत्येक देश में मध्य क्षेत्र द्रुत विकास के लिए

विशेष रूप से समग्र अर्थ-व्यवस्था के दृष्टिकोण से, समान रूप से उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि सब स्थानों और क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियाँ समान नहीं होती। कुछ क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियाँ विकास के अधिक अनुकूल होती हैं तो कुछ क्षेत्रों में विकास में बाधक तत्त्व अधिक प्रबल होते हैं। इसलिए सब क्षेत्रों में समतुलित विकास और विनियोगों के समान आवंटन की नीति वांछनीय नहीं हो सकती। अत्यधिक रेगिस्तानी क्षेत्रों या पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक पूँजी विनियोग करना उत्पादन-वृद्धि की दृष्टि से अधिक लाभप्रद नहीं होगा। इसके विपरीत यदि यही विनियोग विशाल कृषि-क्षेत्रों में कृषि-विकास के व्यापक कार्यक्रमों और महान-कृषि के लिए किए गए, खनिज संपदा में समृद्ध क्षेत्रों में किए गए, किसी विशाल नदी घाटी परियोजना के संचालन के लिए किए गए, तो ऐसा न केवल उस क्षेत्र के लिए अपितु समग्र अर्थ-व्यवस्था के लिए हितकर होगा। प्रत्येक अर्थ-व्यवस्था में कुछ वृद्धिमान बिन्दु (Growing points) होते हैं। उसी प्रकार कुछ क्षेत्रों में विकास की सम्भावनाएँ अधिक होती हैं और विनियोगों द्वारा इन्हीं सम्भावनाओं का विदोहन करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक साधनों में धनी क्षेत्रों में विनियोग आवंटन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

3 सभी क्षेत्रों में समान-रूप से विनियोग आवंटन—विनियोग आवंटन के लिए दण के सभी क्षेत्रों में समान रूप से विनियोगों का आवंटन किया जाना चाहिए, यह सिद्धान्त न्यायपूर्ण है और समानता के सिद्धान्त पर आधारित है किन्तु अधिक व्यावहारिक नहीं है। सब क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियाँ और प्राकृतिक साधन भिन्न-भिन्न होते हैं। इन विभिन्न क्षेत्रों की विकास क्षमताएँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं। जनसंख्या और क्षेत्रफल में अन्तर होता है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताएँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं अतः सब क्षेत्रों के लिए समान विनियोगों की नीति अप्रव्यावहारिक है।

उचित विनियोग-नीति—उचित विनियोग-नीति में उपरोक्त तीनों सिद्धान्तों, मुख्य रूप से प्रथम दो दृष्टिकोणों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। वस्तुतः किसी दीर्घकालीन नियोजन में न केवल समस्त देश के विकास के प्रयत्न किए जाने चाहिए, अपितु पिछड़े हुए क्षेत्रों की भी अन्य क्षेत्रों के समान-स्तर पर लाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से विनियोग-आवंटन में पिछड़े हुए क्षेत्रों को कुछ रियायत दी जानी चाहिए। किन्तु फिर उन प्रदेशों और क्षेत्रों को अधिक राशि आवंटित की जानी चाहिए, जिनमें विकास की सम्भावनाएँ (Growth potential) अधिक हों। विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में इस प्रकार की नीति और भी आवश्यक है, क्योंकि सीमित साधन होने के कारण आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को ऐसे केन्द्रों पर स्थापित किया जाना चाहिए, जहाँ विनियोजन के अनुकूल फल प्राप्त होते हैं। वाद की अवस्थाओं में समतुलित प्रादेशिक विकास की दृष्टि से विनियोगों का आवंटन किए जाने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

भारतीय-नियोजन और संतुलित प्रादेशिक-विकास

भारत के विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक विकास के स्तर में पर्याप्त भिन्नता है। देश के विभिन्न राज्यों में नहीं, अपितु एक राज्यों के अन्दर भी विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति के स्तर में पर्याप्त अन्तर है। भारतीय नियोजन में देश के सन्तुलित विकास के प्रयत्न किए गए हैं। पिछड़े हुए क्षेत्रों को उन्नत करने के लिए विशेष कार्यक्रम अन्नाए गए हैं, किन्तु विकास की दृष्टि से अधिक सूदन क्षेत्रों में विनियोगों की ओर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार, विनियोग-नीति का आधार जहाँ समस्त अर्थ-व्यवस्था और देश की दृष्टि से आर्थिक विकास को गति देने वाले क्षेत्रों में अधिक विनियोग करना रहा है, वहीं सन्तुलित प्रादेशिक विकास की दृष्टि से भी विनियोग कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। देश की प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक प्रगति की दृष्टि से क्षेत्रीय-विपमताओं को कम करने और क्षेत्रीय-संतुलन स्थापित करने की ओर भी, योजना-निर्माताओं का ध्यान गया है। यद्यपि, प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस दिशा में विशेष उपाय प्रयोग में नहीं लाए जा सके, किन्तु द्वितीय एवं तृतीय विकास योजनाओं में क्षेत्रीय-विपमताओं को दूर करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया और इस उद्देश्य से कुछ कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं।

सरकार ने अपनी लाइसेंस आदि नीतियों द्वारा संतुलित-विनियोगों को प्रभावित किया है। मोटरगाड़ियाँ, रसायन-उद्योग, कागज-उद्योग आदि के लिए दिए गए लाइसेंसों से पता चलता है कि इनमें पिछड़े क्षेत्रों का अनुपात बढ़ गया है। सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक-परियोजनाओं के बारे में जो निश्चय किए गए, उनसे स्पष्ट होता है कि वे दूर-दूर हैं एक-उत्से विभिन्न प्रदेशों में औद्योगिक विकास होगा। उड़ीसा में रुस्केला इस्पात कारखाना और उर्वरक कारखाने का विस्तार, असम में नूनमाटी तेलशोधन कारखाना व उर्वरक कारखाना और प्राकृतिक गैस का उपयोग एवं वितरण, केरल में फाट्टो रासायनिक कारखाना, उर्वरक कारखाने की क्षमता का विस्तार तथा एक जहाजी यार्ड का निर्माण, आन्ध्र प्रदेश में रासायनिक अम्ल कारखाना, विशाखापट्टनम् की सूती गोदी, हिन्दुस्तान शिमयाँड का विस्तार, प्राग दूल्स और आन्ध्र पेपर मिल्स का विस्तार, मध्य प्रदेश में नोटो के कागज का कारखाना, बुनियादी ऊष्म सह-कारखाना परियोजना, मेरा पेपर मिल्स का विस्तार, भिलाई इस्पात कारखाना और बिजली के भारी सामान की परियोजना, उत्तर-प्रदेश में कीटाणुनाशक औषधियों का उत्पादन, उर्वरक कारखाना, ऊष्म-सह-कारखाना तथा यन्त्रों के कारखाने का विस्तार, राजस्थान में लौह तथा जस्ते की खानों का विस्तार एवं पॉलिथीन की स्थापना, सूक्ष्म-यन्त्र-कारखाना, पंजाब में मशीनी औजारों का कारखाना, मद्रास में शल्य उपकरणों, निवेली लिग्नाइट उच्च-ताप कार्बनीकरण कारखाना, देलीप्रिन्टर कारखाना और इस्पात डलाई कारखाना, गुजरात में तेल-शोधक कारखाना और जम्मू कश्मीर में सीमेन्ट के कारखानों आदि की स्थापना से पिछड़े क्षेत्रों को विकसित होने का अवसर मिलेगा। विकास योजना में निजी-क्षेत्र में कारखानों की स्थापना पर किया गया पूँजी-विनियोग भी सन्तुलित औद्योगिक विकास

में सहायक होगा। जैसे उत्तर-प्रदेश में एल्यूमीनियम कारखाना, राजस्थान में उर्वरक, नाइलोन, कास्टिक सोडा, पी वी सी आदि के कारखाने, असम में नकली रबर, पोलियथिलीन तथा कार्बन ब्लैक की परियोजनाएँ और कागज की जुगदी तैयार करने का कारखाना तथा केरल में मोटरो के रबर-टायर तैयार करने के कारखाने देश में सन्तुलित औद्योगिक विकास में सहायक होंगे।

इसी प्रकार ग्रामीण कार्यक्रम (Rural Works Programme) के लिए क्षेत्रों का चुनाव करते समय उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, जहाँ जनसंख्या का दबाव अधिक हो और प्राकृतिक साधन कम विकसित हों। तृतीय योजना में तो पिछड़े क्षेत्र में 'औद्योगिक क्षेत्र' (Industrial Development Areas) की स्थापना का भी कार्यक्रम था। चतुर्थ योजना में भी विनियोग आवंटन में पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया।

किन्तु इतना सब होते हुए भी भारतीय नियोजन में 'विकासमान बिन्दुओं' (Growing Points) की उपेक्षा नहीं की गई है। ऐसी परियोजनाओं को, चाहे वे पिछड़े क्षेत्रों में हों या समृद्ध क्षेत्रों में, विनियोगों के आवंटन में प्राथमिकता दी गई है। उल्लेखनीय है कि जनता पार्टी की सरकार सम्पूर्ण नियोजन को एक नई दिशा दे रही है जिसमें ग्रामीण विकास पर अन्य किसी भी समय की अपेक्षा अधिक बल दिया जा रहा है और ऐसे उपाय किए जा रहे हैं कि भारत का सन्तुलित प्रादेशिक विकास अधिक समर्थवादी रूप में हो सके। इसी दिशा में कदम उठाते हुए पाँचवी पञ्चवर्षीय योजना को एक वर्ष पूर्व ही 31 मार्च, 1978 को समाप्त करके 1 अप्रैल, 1978 से नई राष्ट्रीय योजना चालू की गई है। इस पर पुस्तक के द्वितीय भाग में यथास्थान प्रकाश डाला गया है।



निजी और सार्वजनिक-क्षेत्रों में विनियोगों का आवंटन

(ALLOCATION OF INVESTMENT BETWEEN
PRIVATE AND PUBLIC SECTORS)

प्राचीन काल में यह मत व्याप्त था कि राज्य को देश की आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए तथा व्यक्तियों और सस्थाओं को आर्थिक क्रियाओं में पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। तत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी में आर्थिक जगत् में परम्परावादी अर्थशास्त्रियों के निर्हस्तक्षेप के सिद्धान्त को मान्यता मिली हुई थी। न केवल आर्थिक क्षेत्र में किन्तु अन्य क्षेत्रों में भी सरकारी कार्यों को सीमित रखने पर ही बल दिया गया था। लोगों का विश्वास था कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो न्यूनतम शासन करे (The Government is best which governs the least)। इसके साथ ही लोगों का यह भी विचार था कि राज्य आर्थिक क्रियाओं का संचालन सुचारु रूप से मितव्ययितापूर्वक नहीं कर सकता है। अर्थशास्त्र के एडम स्मिथ (Adam Smith) का विश्वास था कि "सम्राट् और व्यापारी से अधिक दो अन्य विरोधी चरित्र नहीं होते" (Not two characters are more inconsistent than those of a sovereign and the trader) किन्तु 19वीं शताब्दी में सरकारी-नियन्त्रण तथा नियमन का मार्ग प्रशस्त होने लगा। 20वीं शताब्दी के आरम्भ में स्वतन्त्र उपक्रम वाली अर्थ-व्यवस्था के दोष स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगे। राज्य हस्तक्षेप-मुक्त-उपक्रम के कारण गलाघोटू प्रतियोगिता (Cut-throat Competition), आर्थिक शोषण, व्यापार-घटक, आर्थिक-संकट एवं अन्य सामाजिक कुरीतियों आदि का प्रादुर्भाव हुआ। स्वतन्त्र उपक्रम पर आधारित अर्थ-व्यवस्था के इन दोषों ने इसकी उपयुक्तता पर से विश्वास उठा दिया। अब यह स्वीकार किया जाने लगा कि आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियमन एवं नियन्त्रण-मात्र ही पर्याप्त नहीं है, अपितु अब सरकार को आर्थिक क्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप से भी भाग लेना चाहिए। इस प्रकार अब सरकारें भी, आर्थिक क्रियाओं को संचालित करने लगीं और सार्वजनिक-क्षेत्र का प्रादुर्भाव हुआ। आज लगभग सभी देशों में किसी न किसी रूप में सार्वजनिक-क्षेत्र पाया जाता है। इस प्रकार, कई देशों में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था (Mixed Economy) का जन्म हुआ है।

सार्वजनिक और निजी-क्षेत्र का अर्थ (Meaning of Public and Private Sector)

निजी-क्षेत्र और निजी-उद्यम पर्यायवाची शब्द हैं। निजी-क्षेत्र का अर्थ उद्यमस्त उत्पादन इकाइयों से होता है जो किसी देश में निजी-व्यक्तियों के स्वामित्व, नियन्त्रण और प्रबन्ध में सरकार के सामान्य नियमों के अनुसार संचालित की जाती है। इस क्षेत्र में सभी प्रकार के निजी-उद्यम जैसे-घरेलू और विदेशी निजी-उद्योग तथा कम्पनी-क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। निजी क्षेत्र में वे सभी व्यापारिक, औद्योगिक और व्यावसायिक कारोबार शामिल होते हैं, जो व्यक्तिगत पहल के परिणाम हैं। इसके विपरीत सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ समस्त राजकीय उपक्रमों से है। राजकीय उपक्रम का अर्थ ऐसी व्यावसायिक सस्था से होता है जिस पर राज्य का स्वामित्व हो अथवा जिसकी प्रबन्ध व्यवस्था राजकीय यन्त्र द्वारा की जाती हो या स्वामित्व और नियन्त्रण दोनों ही राज्य के अधीन हो। सार्वजनिक क्षेत्र में मुख्यतः सरकारी कम्पनियाँ, राजकीय विभागों द्वारा संचालित उद्योग और सार्वजनिक निगम आते हैं। निजी क्षेत्र का अधिकांश भाग छोटे-छोटे असह्य उत्पादकों एवं कतिपय बड़े उद्योग-पतियों से मिलकर बनता है, जो देश में सर्वत्र फैले हुए होते हैं। निजी-क्षेत्र में मुख्यतः एकाकी व्यापारी, साझेदारी संगठन प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कम्पनियाँ आदि के रूप में उत्पादक इकाइयाँ आती हैं।

भारत सरकार ने निजी और सार्वजनिक-क्षेत्र को निम्न प्रकार परिभाषित किया है—

सार्वजनिक-क्षेत्र—समस्त विभागीय-उपक्रम कम्पनियाँ और परियोजनाएँ, जो पूर्ण रूप से सरकार (केन्द्रीय या राज्य) के स्वामित्व और संचालन में हों, समस्त विभागीय उपक्रम, कम्पनियाँ या परियोजनाएँ जिनमें सरकारी पूँजी का विनियोग 51 प्रतिशत या इससे अधिक हो, समस्त विधान द्वारा स्थापित सस्थाएँ और निगम सार्वजनिक क्षेत्र में माने जा सकते हैं।

निजी-क्षेत्र—संस्थापित व्यापार और उद्योग में सलग्न प्राइवेट पार्टियाँ और वे कम्पनियाँ एवं उपक्रम जिसमें सरकारी (केन्द्र अथवा राज्य) विनियोग 51 प्रतिशत से कम है निजी क्षेत्र में मानी जा सकती है।

आर्थिक विकास में निजी-क्षेत्र का महत्त्व (Importance of Private Sector in Economic Development)

1 आर्थिक विकास का आदि स्रोत—विश्व के आर्थिक इतिहास को देखने से ज्ञात होता है कि उसकी इतनी अधिक आर्थिक प्रगति का श्रेय निजी क्षेत्र को है। अमेरिका, जापान, नार्वे, स्वीडन, जर्मनी आदि देशों ने निजी क्षेत्र द्वारा ही इतनी अधिक प्रगति की है। अमेरिका का तो निजी-उद्यम-पद्धति पर गर्व है। अमेरिका अपनी अर्थ-व्यवस्था में निजी उद्यम को प्रधानता देने के लिए चतनचद है। यहाँ, राष्ट्रीय संकट के समय भी सार्वजनिक पहल को दूसरा स्थान दिया जाता है; धस्तुत वह इतनी तीव्र गति में आर्थिक उन्नति करने में निजी-उद्यम के द्वारा ही सफल हुआ है।

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् जर्मनी में भी अर्थ-व्यवस्था के प्रबन्ध में राजसत्ता का प्रयोग कम से कम करने की नीति अपनाई गई है। डॉ. इराहर्ड ने, जिनका दावा है कि युद्धोत्तरकाल में जर्मनी प्रतियोगिता द्वारा समृद्ध होने में सफल हुआ है, सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध आवाज उठाई है। जापान की आर्थिक उन्नति में निजी-क्षेत्र का विशेष योगदान रहा है। फ्रांस, नीदरलैंड, नावें, स्वीडन और ब्रिटेन में भी निजी-क्षेत्र का योग कुल राष्ट्रीय आय में 75 प्रतिशत से 80 प्रतिशत के लगभग है। आधुनिक विश्व में भी सोवियत संघ, पूर्वी-यूरोप के देश, चीन, उत्तरी-कोरिया और वियतनाम आदि साम्यवादी देशों को छोड़कर अन्य देशों में निजी-उपक्रम की प्रधानता है। वहाँ तक कि पूर्वी-यूरोपीय देशों में भी, कृषि कुछ सीमा तक निजी-क्षेत्र के व्यक्तियों के हाथ में ही है।

आधुनिक अर्द्ध-विकसित देशों में भी निजी-उपक्रम का बहुत महत्त्व है। इससे आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। लेबनान और उरुग्वे में स्वतन्त्र बाजार पद्धति के आधार पर अर्थ-व्यवस्था कार्य कर रही है। पाकिस्तान, थाइलैंड, फॉर्मोसा दक्षिणी-कोरिया, मलेषिया, नाइजीरिया, अर्जेंटाइना, ब्राजील, चिली, कोलम्बिया, वेनेजुएला इत्यादि देशों में सामान्यतः मिश्रित अर्थ-व्यवस्था है, जिसमें निजी-क्षेत्र की ओर अधिक झुकाव है। इन देशों की अर्थ-व्यवस्था में राज्य नियन्त्रण बहुधा केवल उन क्षेत्रों पर है, जिनमें निजी उद्यम कार्य करने के लिए या तो तैयार नहीं हैं अथवा उसमें इनकी सामर्थ्य नहीं है, किन्तु मैक्सिको और भारत में सरकारी-क्षेत्र एक विशाल निजी-क्षेत्र के साथ कार्य कर रहा है।

2. जनतान्त्रिक विचारधारा—विश्व के जनतान्त्रिक देश राजनीतिक स्वतन्त्रता के समान आर्थिक स्वतन्त्रता के भी हठ समर्थक हैं। प्रजातान्त्रिक शासन में नागरिकों को कुछ सीमाओं के साथ आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान की जाती है। उन्हें निजी-सम्पत्ति का अधिकार होता है और उत्पादन साधनों को क्रय करने, अपनी सम्पत्ति का इच्छा अनुसार उपयोग करने, विक्रय आदि की स्वतन्त्रता होती है। ऐसी स्थिति में, निजी-उपक्रम का होना स्वाभाविक ही है। निजी-उपक्रम की पूर्ण समाप्ति केवल साम्यवादी देशों में ही हो सकती है। अतः विश्व का जो भी देश जनतान्त्रिक मूल्यों में विश्वास करता है, वहाँ निजी-उपक्रम का आर्थिक विकास में योगदान महत्त्वपूर्ण होता है।

3. सरकार के पास उत्पादन साधनों की सीमितता—यदि ऐसे देश नियोजित अर्थ-व्यवस्था के संचालन हेतु समस्त उत्पात्ति के साधनों को सार्वजनिक-क्षेत्र में लेना चाहे, तो सरकार को उसके उपलब्ध साधनों का बहुत बड़ा भाग दीर्घकाल तक मुआवजे के रूप में देना पड़ेगा। इससे अन्य क्षेत्रों के लिए सरकार के पास साधनों की कमी पड़ेगी और आर्थिक प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, जब निजी-उपक्रमियों को राष्ट्रीयकरण करके क्षतिपूर्ति दी जाती है तो उनके पास अन्य उत्पादन के साधनों को क्रय करने और अन्य उपक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए धन पहुँच जाता है, इस प्रकार निजी-क्षेत्र का अस्तित्व बना रहता है। अर्द्ध-विकसित देशों में वस्तुतः उद्योग, उत्पादन तथा उपक्रम के इतने अधिक क्षेत्र होते हैं कि सरकार अपने

समस्त साधनों से भी इन्हे स्थापित नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में, उचित नीति यही है कि निजी-क्षेत्र के व्यवसायों को कार्य करने दिया जाए और राज्य ऐसे नवीन व्यवसायों को प्रारम्भ एवं विकसित करे, जिनकी देश को अधिक आवश्यकता हो।

4. निजी-उपक्रम की क्षमता का लाभ—निजी उपक्रम प्रणाली में निजी सम्पत्ति (Private Property) और निजी-जाभ की छूट होती है। पूँजीपतियों को लाभ कमाने और उसका उपयोग करने की स्वतन्त्रता होती है, अतः वे अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए वे उत्पादन कार्यों को अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययिता और कुशलतापूर्वक संचालन करते हैं। इसके विपरीत, सार्वजनिक क्षेत्रों की कार्यक्षमता इतनी अधिक नहीं होती, क्योंकि उनका प्रबन्ध आदि ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जिनका हित उनसे बहुत अधिक नहीं बंधा होता। भारत के कई सार्वजनिक उपक्रम भारतीय अर्थ व्यवस्था पर भार बने हुए हैं। वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षा निजी क्षेत्र की कार्यक्षमता अधिक स्पष्ट होती है। लाभ कमाने की छूट के कारण पूँजीपतियों में उत्पादन प्रेरणा उत्पन्न होती है और वे अधिक बचत और विनियोग करने को तत्पर होते हैं। निजी-क्षेत्र का अस्तित्व सामान्य जनता में सरकार के प्रति विश्वास जाग्रत करता है और व्यक्तिगत अर्थ-साधन राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध होते रहने हैं।

5 विदेशी पूँजी और वित्तीय साधनों की प्राप्ति—योजनाओं के लिए निर्धारित विशाल कार्यक्रमों की वित्त-व्यवस्था, केवल आन्तरिक साधनों से ही सम्भव नहीं हो सकती। कुछ अपवादों को छोड़कर प्रत्येक देश के आर्थिक विकास में विदेशी पूँजी और वित्तीय साधनों से पर्याप्त सहायता मिली है। अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों को योजनाओं को पूर्ण करने के लिए विदेशी पूँजी की आवश्यकता है, किन्तु विदेशी पूँजीपति और उद्योगपति उन देशों में ही पूँजी विनियोजित करने को प्रस्तुत होते हैं जहाँ राष्ट्रीयकरण का भय न हो, जहाँ निजी उपक्रम विद्यमान हो और उसको उचित मुविधारण तथा प्रेरणाएँ प्राप्त हो तथा जहाँ सार्वजनिक-क्षेत्र, निजी क्षेत्र के साथ नड़ी प्रतियोगिता न करता हो। अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाएँ भी वित्तीय सहायता देने समय इस बात पर विचार करती हैं कि उनकी सहायता द्वारा स्थापित व्यवसायों से न केवल उस देश के निवासी ही लाभान्वित हो, अपितु अन्य देशों को भी उनसे लाभ मिल सके। इस उद्देश्य पूर्ति हेतु उपक्रमों का स्वतन्त्र संचालन आवश्यक है।

6 कुछ व्यवसायों की प्रकृति निजी-उपक्रम के अनुकूल होना—कुछ व्यवसायों की प्रकृति निजी उपक्रम के अधिक अनुकूल होती है और उनके कुशल संचालन के लिए व्यक्तिगत पहल की आवश्यकता होती है। इस वर्ग में वे व्यवसाय सम्मिलित किए जा सकते हैं, जिनमें उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत रुचि की ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है। ललितवस्तुएँ इसमें उदाहरण हैं। कृषि भी एक ऐसा ही व्यवसाय है, जिसे निजी उपक्रम के लिए पूर्णतया छोड़ा जा सकता है।

7 निजी-क्षेत्र की बुराइयों को दूर किया जाना सम्भव—सार्वजनिक-क्षेत्र के समर्थकों के अनुसार, निजी-क्षेत्र में शोषण तत्त्व की प्रधानता होती है। इनसे अधिक

तथा उपभोक्तानों के शोषण के साथ-साथ पन और आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण होना है और सामाजिक तथा आर्थिक विषमता उत्पन्न होनी है; किन्तु यह तभी सम्भव है, जब इसे निरकुश रूप से कार्य करने का अवसर दिया जाए। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में राज्य निजी-क्षेत्र को उचित नियन्त्रण और नियमन द्वारा कल्याणकारी राष्ट्रीय नीतियों के अनुकूल चलने के लिए बाध्य कर सकता है। इस प्रकार, निजी-क्षेत्र का उपयोग आर्थिक विकास के लिए किया जा सकता है।

आर्थिक विकास में सार्वजनिक-क्षेत्र का महत्त्व (Importance of Public Sector in Economic Development)

वस्तुतः आधुनिक विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है, जहाँ पूर्णरूप में निजी-उद्यम का अस्तित्व हो या जहाँ सार्वजनिक उपक्रम का किसी न किसी रूप में अस्तित्व न हो। निजी-उपक्रम के प्रबल समर्थक संयुक्तराज्य अमेरिका में भी अणु-उत्पादन, रॉकेट-रिसर्च, सुरक्षा-उत्पादन आदि सार्वजनिक-क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। पश्चिमी यूरोप के कई देशों में भी वायुयान-निर्माण-उद्योग और सार्वजनिक उपयोगिताएँ सरकारों के हाथों में ही हैं। आधुनिक अर्द्ध-विकसित देशों में, जिनमें आर्थिक नियोजन को प्रारम्भ करके नियोजित आर्थिक विकास की पद्धति को अपनाया है, स्वयं सरकार वृहत् पैमाने पर पूंजी लगाकर आर्थिक विकास प्रक्रिया को बल पहुँचाने की आवश्यकता है। इन अर्थ-व्यवस्थाओं में सार्वजनिक-क्षेत्र का विस्तार मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है—

1. नियोजित अर्थ-व्यवस्था की देन—नियोजित अर्थ-व्यवस्था का प्रारम्भ, मंत्रयम, रोबिन्सन रंग में हुआ था और वहाँ धीरे-धीरे समस्या अर्थ-व्यवस्था को सार्वजनिक-क्षेत्र के अन्तर्गत ले लिया गया। परन्तु अनेक व्यक्तियों का विचार है कि नियोजित अर्थ-व्यवस्था और उत्पादन साधनों का पूर्णरूप में सरकारी स्वामित्व और मालिकाना समानार्थक है, अर्थात्, नियोजित अर्थ-व्यवस्था में एकमात्र सार्वजनिक-क्षेत्र ही होता है। नियोजन सम्बन्धी यह मन उचित प्रतीत नहीं होगा और प्रजातन्त्रवादी नियोजन में निजी-क्षेत्र का अस्तित्व भी होता है, किन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि नियोजित अर्थ-व्यवस्था में, सार्वजनिक-क्षेत्र का महत्त्व बढ जाता है। नियोजन का अर्थ, देश के साधनों का सामाजिक हित में अधिनाधिक विवेकपूर्ण उपयोग में है और ऐसा निजी-क्षेत्र द्वारा बिलकुल सम्भव नहीं है। अतः नियोजन के इस उद्देश्य पूर्ति हेतु सार्वजनिक-क्षेत्र का विस्तार नितान्त आवश्यक है। वस्तुतः सार्वजनिक-क्षेत्रविहीन नियोजन, की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

2. योजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए—आर्थिक नियोजन में विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु विशाल कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों को सफल करने और परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए विशाल मात्रा में पूंजी-विनियोग की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में पूंजी का प्रबन्ध केवल निजी-क्षेत्र द्वारा नहीं हो सकता। अतः विशाल योजनाओं के विशाल कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए सरकार को आगे आना ही पड़ता है।

3. बड़ी मात्रा में पूंजी वाले उद्योगों की स्थापना—आधुनिक युग में कई उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर संचालित किए जाते हैं और इनमें करोड़ों रुपये की पूंजी की आवश्यकता होती है। लोहा एव इस्पात, खनिज-तेल और तेल-शोधन, हवाई-जहाज, रेलें, मोटरे, विद्युत्-सामग्री, मशीनें आदि के उद्योग इसी प्रकार के होते हैं और नियोजन की सफलता के लिए इनमें से अधिकांश की स्थापना और विकास आवश्यक है। इसी प्रकार, योजनाओं में विशाल नदी-घाटी परियोजनाएँ प्रारम्भ की जाती हैं, जिनमें करोड़ों रुपये की पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है। निजी व्यक्तियों के लिए इतने बड़े उद्योगों और परियोजनाओं को हाथ में लेना असम्भव सा है—विशेष रूप से, भारत जैसे अर्द्ध विकसित देश के लिए जहाँ आर्थिक और वित्तीय संस्थाएँ बहुत अल्प विकसित हैं, इसी कारण, भारत में लोहा और इस्पात उद्योग आदि की स्थापना के लिए सरकार को आगे आना पड़ा और सभी बहुदेशीय नदी-घाटी योजनाएँ केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रारम्भ की गईं। बोकारो जैसी विपुल व्यय साध्य योजना के लिए निजी-क्षेत्र सक्षम नहीं होता। ऐसी परियोजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा विनियोग अनिवार्य सा है।

4. अधिक जोखिम वाली परियोजनाओं का प्रारम्भ—कुछ व्यवसायों में, न केवल अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, अपितु जोखिम भी अधिक होती है। आर्थिक विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में तो यह बात विशेष रूप से लागू होती है। ऐसी स्थिति में, निजी उद्यमी ऐसे क्षेत्रों और उद्योगों में पूंजी नहीं लगाते क्योंकि, देश में पूंजी सीमित होती है और पूंजी विनियोजन के अन्य कई लाभदायक क्षेत्र होते हैं। अतः सरकार के लिए ऐसी परियोजनाओं में पूंजी विनियोजन करना अनिवार्य हो जाता है जिनमें जोखिम अधिक होती है। सड़कें, विशाल नदी-घाटी योजनाएँ, भू-संरक्षण तथा वनारोपण आदि इस प्रकार की योजनाएँ हैं।

5. लोकोपयोगी सेवाओं का संचालन—यातायात एवं सप्लायवाहन के साधन, डाक-तार, विद्युत् तथा गैस आदि का उत्पादन तथा वितरण, पेयजल की पूर्ति आदि कई व्यवसाय एव सेवाएँ अत्यन्त आवश्यक और एकाधिकारिण प्रवृत्ति की होती हैं और उनको निजी क्षेत्र में देने से उपभोक्ताओं का शोषण और निजी लाभ की दृष्टि से इनका संचालन होता है। वस्तुतः ये आवश्यक सेवाएँ हैं और इनका संचालन व्यापक सामाजिक लाभ की दृष्टि से किया जाना चाहिए। वैसे भी निजी-एकाधिकार सरकारी एकाधिकार की अपेक्षा अच्छा नहीं समझा जाता। इन सेवाओं का योजना के लक्ष्यों को पूरा करने की दृष्टि से भी सरकार के नियन्त्रण में होना आवश्यक है। इसीलिए इन व्यवसायों को सरकारी क्षेत्र में चलाना चाहिए और इनके लिए विनियोगों की पर्याप्त राशि आवंटित की जानी चाहिए।

6. राजनीतिक तथा राष्ट्रीयकरण—कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिन्हें राजनीतिक और राष्ट्रीयकरण से, निजी-क्षेत्र के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता। सुरक्षा और सैनिक महत्त्व के उद्योग, सार्वजनिक-क्षेत्र के लिए ही सुरक्षित रखे जाने चाहिए, अन्यथा इनकी गोपनीयता को सुरक्षित रखना कठिन। होगा साथ ही अपेक्षित

कुशलता नहीं आ पाएगी। इसी प्रकार कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिनका अर्थव्यवस्था पर नियन्त्रण रखने की दृष्टि से सार्वजनिक-क्षेत्र में संचालन करना आवश्यक होता है।

7. तकनीकी दृष्टिकोण—अर्द्ध-विकसित देशों में तकनीकी ज्ञान का स्तर नीचा होता है। यह ज्ञान उन्हें विदेशों से प्राप्त करना है। कभी-कभी यह तकनीकी ज्ञान विदेशियों द्वारा उनकी सार्वजनिक-क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने पर ही प्राप्त होता है किन्तु इन विदेशियों की कार्यवाही पर उचित नियन्त्रण आवश्यक है, जो निजी-क्षेत्रों की अपेक्षा उद्योगों के सार्वजनिक-क्षेत्र में होने पर अधिक प्रभावशाली होता है। इसके अतिरिक्त, रूस आदि समाजवादी देशों में उत्थान और औद्योगिक अनुसंधान सरकारी-क्षेत्र में होता है। ऐसे देश बहुधा, तभी अन्य देशों को तकनीकी ज्ञान तथा सहयोग देते हैं, जबकि ये परियोजनाएँ सम्बन्धित देश की सरकार द्वारा चलाई जाएँ। भारतीय योजनाओं में इस्पात, विद्युत-उपकरण, खनिज तेल की खोज और तेल-शोधन सूक्ष्म एवं जटिल उपकरण, भारी मशीन निर्माण, मिग वायुयान निर्माण योजनाओं के सरकारी-क्षेत्र में स्थापित किए जाने के कारण ही रूस, रूमानिया, चैकोस्लोवाकिया आदि देशों से तकनीकी ज्ञान और सहयोग मिल सका।

8. योजना के समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति—कई आधुनिक अर्द्ध-विकसित देशों की योजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य समाजवाद या समाजवादी पद्धति का समाज स्थापित करना है। वे देश में धन और उत्पादन के साधनों के केन्द्रीयकरण को कम करने और आर्थिक विषमता को कम करने को कृत-सकल्प हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति में सार्वजनिक-क्षेत्र का विस्तार अत्यन्त सहायक होता है। उपक्रमों पर किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं होने से उस उपक्रम का लाभ किसी एक व्यक्ति की जेब में नहीं जाकर, सार्वजनिक-हित में प्रयुक्त किया जाता है। इससे व्यक्तिगत एकाधिकार, सम्पत्ति का केन्द्रीयकरण कम होता है और आर्थिक समानता की स्थापना होनी है।

9. योजना के लिए आर्थिक साधनों की प्राप्ति—सार्वजनिक-क्षेत्र में संचालित उपक्रमों का लाभ सरकार को प्राप्त होता है, जिसे सरकार की आर्थिक स्थिति सुधरती है और वह देश के आर्थिक विकास के लिए अधिक धन व्यय कर सकती है। अतः योजना के संचालन के लिए, वित्तीय-साधनों की प्राप्ति की आशा से भी, कई सरकारी उपक्रम स्थापित किए जाते हैं, सार्वजनिक उपक्रमों में श्रमिकों को अधिक वेतन, कार्य की अच्छी दशाएँ, शिक्षा, आवास, चिकित्सा आदि की अधिक सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इन प्रकार इनका उपयोग समाज कल्याण के लिए किया जा सकता है।

10. द्रुत आर्थिक विकास के लिए—नियोजन में द्रुत आर्थिक विकास के लिए भी सार्वजनिक-क्षेत्र का विस्तार आवश्यक है। उदाहरणार्थ सोवियत रूस ने पूर्णरूप से सार्वजनिक-क्षेत्र द्वारा ही गत अर्द्ध-शताब्दि में अभूतपूर्व तथा आश्चर्यजनक आर्थिक प्रगति की है। इसका यह अर्थ नहीं है कि निजी-क्षेत्र आर्थिक विकास के अनुपयुक्त है। इंग्लैंड, अमेरिका, जापान आदि में निजी-क्षेत्र के अन्तर्गत ही आर्थिक विकास की

उच्च दरें प्राप्त की हैं, किन्तु सार्वजनिक-क्षेत्र द्वारा आर्थिक विकास कम समय लेता है।

11. अच्छे प्रशासन के लिए—नियोजित अर्थ-व्यवस्था में अच्छे प्रशासन के लिए साधनों का अच्छा वितरण और उपयोग होना चाहिए। इसके लिए व्यवसायों के अच्छे प्रशासन की भी आवश्यकता है। सरकारी-क्षेत्र के व्यवसाय इस दृष्टि से अच्छे होते हैं। इनसे कर-बसूली, मूल्य-निगम, पूंजीगत और उपभोक्ता-वस्तुओं के वितरण आदि में सुविधा होती है। सरकारी उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी नीतियों को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए भी सार्वजनिक-क्षेत्र का विस्तार आवश्यक है।

विनियोगों का आवंटन

(Allocation of Investment)

अत स्पष्ट है कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की अपनी अपनी उपयोगिताएँ और लाभ हैं। अत आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत दोनों की ही अच्छाइयों का लाभ उठाने के लिए दोनों ही क्षेत्रों से पुन मिश्रित अर्थ-व्यवस्था (Mixed Economy) को अपनाना चाहिए। इससे पूर्णरूप से निजी उपक्रम वाली अर्थ-व्यवस्था और पूर्णरूप से सार्वजनिक उपक्रम वाली अर्थ व्यवस्था दोनों ही प्रतिपक्षों से बचा जाए। जनतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले, अर्द्ध-विकसित देशों के लिए तो यही एकमात्र उपयुक्त मार्ग है। अत इन देशों के नियोजन में निजी और सार्वजनिक-क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाना चाहिए और दोनों क्षेत्रों के लिए ही विनियोगों का आवंटन किया जाना चाहिए। किन्तु अनुपात में इन दोनों क्षेत्रों को स्थान दिया जाए या पूंजी विनियोगों का उत्तरदायित्व सौंपा जाए, इसके बारे में कोई एक सर्वमान्य सिद्धान्त नहीं बनाया जा सकता। विभिन्न देशों की परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं। अत प्रत्येक देश को अपनी परिस्थितियों के अनुसार विनियोगों का निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में वितरण करना चाहिए, किन्तु नियोजित अर्थ-व्यवस्था में सार्वजनिक-क्षेत्र का विस्तार अपेक्षाकृत अधिक गति से होना है। इस सम्बन्ध में भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि "सरकारी-क्षेत्र का विस्तार तीव्रता से होना है। जिन क्षेत्रों में निजी-क्षेत्र प्रवेश करने को तत्पर न हो, राज्य को केवल ऐसे क्षेत्र में विकास कार्य ही शुरू नहीं करना है बल्कि अर्थ-व्यवस्था में पूंजी विनियोग के पैटर्न को रूप देने में, प्रधान भूमिका अदा करती है। विकासशील अर्थ व्यवस्था में, जिसमें विविधता उत्तरोत्तर उत्पन्न होने की गुंजाइश है, लेकिन यह आवश्यक है कि यदि विकास-कार्य अपेक्षित गति से किया जाना है और वृहद् सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति को दिशा में प्रभावशाली ढंग से योग देना है, तो सरकारी क्षेत्र में वृद्धि समग्र रूप में ही नहीं, अपितु निजी-क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होनी चाहिए।"

तृतीय और चतुर्थ योजना में यह तर्क और भी अधिक बल के साथ स्पष्ट रूप में रखा गया और योजना में कहा गया कि "समाजवादी समाज का उद्देश्य रखने वाले देश की अर्थ-व्यवस्था में सरकारी क्षेत्र को उत्तरोत्तर प्रमुख स्थान प्रहण

करना है।" पनुभाई शाह का भारत के सम्बन्ध में यह कथन समस्त अर्द्ध-विकसित देशों के लिए उपयुक्त है कि "हमारे गरीब देश में पूंजीवाद निरर्थक, निष्फल तथा उपयोगिताहीन है। ऐसे देश में जहाँ पिछड़ापन गहरा पहुँच चुका है, जहाँ गरीबी भरी पड़ी हो, जहाँ करोड़ों बच्चों को शिक्षा उपलब्ध नहीं हो, वहाँ समाज का संचालन अधिक हिस्से में शासन के पास ही रहना चाहिए।" भारत में सार्वजनिक-क्षेत्र का महत्त्व निजी-क्षेत्र की अपेक्षा अधिक बतलाने हुए एक बार भूतपूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने लिखा था कि "यदि सार्वजनिक-क्षेत्र की अपेक्षा निजी-क्षेत्र को प्रधानता दी जाती है, तो वह हमारे समाजवादी समाज के विकास के लिए घातक होगा।"¹

इतः नियोजित अर्थ-व्यवस्था में सार्वजनिक-क्षेत्र का निरन्तर विस्तार होना चाहिए। किसी सीमा तक सार्वजनिक-क्षेत्र को विनियोगों का उत्तरदायित्व सौंपा जा सकता है, यह सम्बन्धित देश की आर्थिक परिस्थितियों, आर्थिक औद्योगिक नीति, राजनीतिक विचारधारा (Political Ideology), निजी और सार्वजनिक-क्षेत्र की अब तक की कुशलता और भविष्य के लिए क्षमता आदि बातों पर निर्भर करता है, किन्तु इस सम्बन्ध में सिद्धान्तों की अपेक्षा व्यावहारिकता पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। कृषि, लघु एवं ग्रामीण उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, आन्तरिक व्यापार आदि में पूंजी निजी-क्षेत्र द्वारा विनियोग की स्वतन्त्रता होनी चाहिए, किन्तु जनोपयोगी सेवाएँ, नदी-बाटी योजनाएँ, वित्तीय संस्थाएँ, भारी और आधारभूत उद्योग तथा अन्य देश और अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण उद्योगों में सार्वजनिक-क्षेत्र को ही पूंजी-विनियोग करना चाहिए।

भारत में निजी और सार्वजनिक-क्षेत्रों में विनियोग (Investment in Private & Public Sector in India)

नियोजित विकास के पूर्व

स्वतन्त्रता के पूर्व भारत के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास का इतिहास देश में निजी-क्षेत्र के विकास का इतिहास है। उस समय भारत में सार्वजनिक-क्षेत्र नाम-मान को ही था। उस समय सरकारी क्षेत्र में, रेलें, डाक-तार, आकाशवाणी, पोर्ट-ट्रस्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, ऑर्डिनेन्स फैक्ट्रीज और कृषि विभाग, नमक और कुनेन आदि के कारखाने ही थे। इनके अतिरिक्त, माल व्यवसाय निजी उद्योगपतियों द्वारा संचालित किया जाता था। स्वतन्त्रता के पश्चात्, राष्ट्रीय सरकार ने देश के औद्योगिक आर्थिक विकास की ओर ध्यान देना प्रारम्भ किया और इस संदर्भ में, सार्वजनिक उपक्रमों के महत्त्व को समझा। सन् 1947 से प्रथम योजना के प्रारम्भ होने तक सिन्दरी में रासायनिक उर्वरक कारखाना, चित्तूरजन में रेल के इन्जिन बनाने का कारखाना, बगलौर में यन्त्रोपकरण बनाने का कारखाना एवं दामोदर घाटी विकास निगम आदि सरकारी उपक्रम प्रारम्भ किए गए।

परिणामस्वरूप, सन् 1952 में प्रवाशित प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय केन्द्रीय एवं राज्य-सरकारों का कार्यशील पूंजी सहित कुल स्थिर आदेयों का पुस्तक मूल्य (Book Value of Gross Fixed Assets) सन् 1947-48 के 875 करोड़ रु से बढ़कर 1,272 करोड़ रु. हो गया। इसके अतिरिक्त पोर्ट-ट्रस्ट नगरपालिका में एक अन्य अर्द्ध-सार्वजनिक अभिकरणों की उत्पादक आदेय राशि 1,000 करोड़ रु थी। इसके विपरीत, निजी-क्षेत्र की कुल उत्पादक आदेय राशि कृषि, लघु-स्तरीय उद्योग, यातायात एवं आवास भवनों में अतिरिक्त, सन् 1950 में 1,474 करोड़ रु. अनुमानित की गई थी।¹

नियोजित अर्थ-व्यवस्था में

प्रथम पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्रियाओं के निजी और सार्वजनिक-क्षेत्र विभाजन के मार्ग-प्रदर्शक के रूप में, सन् 1948 की औद्योगिक नीति में कार्य किया, जिसके अनुसार, कुछ उत्पादन-क्षेत्र तो पूर्णरूप से सार्वजनिक-क्षेत्र के लिए ही निर्धारित कर दिए गए थे और कई अन्य क्षेत्रों में भी सरकारी-क्षेत्र का विस्तार की चर्चा की गई थी। अतः उद्योगों में कई परियोजनाएँ सरकारी-क्षेत्र में स्थापित की गईं। साथ ही, अन्य क्षेत्रों में भी जैसे नदी-घाटी-योजनाएँ, कृषि-विकास-कार्यक्रम, यातायात एवं संचार आदि में भी सरकारी-क्षेत्र में कार्यक्रम शुरू किए। परिणाम-स्वरूप योजनावधि में, जहाँ निजी-क्षेत्र ने पर्याप्त प्रगति की, वहाँ सार्वजनिक-क्षेत्र का भी पर्याप्त विस्तार हुआ। इस योजना में अर्थ-व्यवस्था में कुल पूंजी-विनियोग 3,360 करोड़ रु हुआ, जिसमें से 1,560 करोड़ रु अर्थात् 46.4% विनियोग सरकारी-क्षेत्र में हुआ और शेष 1,800 करोड़ रु अर्थात् कुल का 53.6% निजी-क्षेत्र में हुआ। योजना के पूर्व अर्थ-व्यवस्था में सार्वजनिक-क्षेत्र के भाग को देखते हुए पूंजी-विनियोग बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार, इस योजना में सार्वजनिक-क्षेत्र में पूंजी-निर्माण प्रति वर्ष घटता रहा। सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी-निर्माण सन् 1950-51 में 267 करोड़ रु से बढ़कर सन् 1955-56 में 537 करोड़ रु हो गया। इसी अवधि में निजी क्षेत्र में पूंजी-निर्माण 1,067 करोड़ रु से बढ़कर 1,367 करोड़ रु हुआ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना इस योजना में 792 करोड़ रु औद्योगिक विकास हेतु निर्धारित किए गए थे, जिसमें से 179 करोड़ रु सार्वजनिक-क्षेत्र में, उद्योग और खनिज विकास पर व्यय किए जाने थे। इसमें से 94 करोड़ रु का उद्योगों में विनियोग के लिए प्रावधान था। किन्तु वार्षिक विनियोग 55 करोड़ रु ही हुआ। इस अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र में, अनेक बड़े कारखानों का निर्माण या विस्तार हुआ, जैसे—हिन्दुस्तान शिपयार्ड हिन्दुस्तान मशीन टूलिंग फैक्ट्री, बंगलौर, जलपान एवं वायुयान कारखाने, हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स चिनरजन का रेल इंजिन कारखाना, बंगलौर की टेलीफोन फैक्ट्री, कलकत्ता की वेबिन फैक्ट्री आदि। राज्य सरकारों द्वारा

भी सार्वजनिक-क्षेत्र के लिए प्रयत्न किया गया, जिनमें प्रमुख हैं—मंसूर के भद्रावती बसों में इस्पात का निर्माण एवं मध्य-प्रदेश में नेपा नगर में अलखारी कागज का उत्पादन, उत्तर-प्रदेश का मूष्म पत्र कारखाना। इसके अतिरिक्त, बहूदेशीय नदी-घाटी योजनाओं में भी पर्याप्त पूंजी-विनियोग सरकारी-क्षेत्र में किया गया।

इस योजना के पांच वर्षों में निजी-क्षेत्र का विनियोग 1,800 करोड़ रु. हुआ, जबकि सार्वजनिक-क्षेत्र में यह 1,560 करोड़ रु. ही था। इस प्रकार इस योजना में निजी-क्षेत्र में विनियोग कुल मिलाकर सार्वजनिक-क्षेत्र की अपेक्षा अधिक हुआ किन्तु सापेक्ष रूप से कम हुआ। इस योजना में उद्योगों के सम्बन्ध में निजी-क्षेत्र द्वारा 707 करोड़ रु. के कार्यक्रम बनाए गए थे जिनमें से 463 करोड़ रु. उद्योगों के विस्तार, आधुनिकीकरण, प्रतिस्थापन एवं चालू ह्रास पर और 150 करोड़ रु. कार्यशील पूंजी पर विनियोग किए जाने थे। योजनाकाल में निजी-क्षेत्र में इन 463 करोड़ रु. के विरुद्ध 340 करोड़ ही व्यय हुए। इस प्रकार, निजी-क्षेत्र में भी विनियोग पिछड़ गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना—द्वितीय योजनाकाल में दोनों क्षेत्रों का कुल विनियोग 6,800 करोड़ रु. हुआ। सार्वजनिक-क्षेत्र का विनियोजन 3,700 करोड़ रु. और शेष 3,100 करोड़ रु. निजी-क्षेत्र का विनियोजन रहा। अतः स्पष्ट है कि इस योजना में सार्वजनिक-क्षेत्र का विनियोजन, निजी-क्षेत्र के विनियोजन की अपेक्षा अधिक है, जबकि प्रथम योजना में स्थिति ठीक इसके विपरीत थी। इसी प्रकार, इस योजना में सार्वजनिक-क्षेत्र में पूंजी-निर्माण भी निरन्तर बढ़ता ही गया। इस अवधि में सार्वजनिक-क्षेत्र में पूंजी-निर्माण 537 करोड़ रु. से बढ़कर 912 करोड़ रु. हो गया। इसी अवधि में निजी-क्षेत्र में पूंजी-निर्माण 1,367 करोड़ रु. से बढ़कर 1,789 करोड़ रु. हो गया। द्वितीय योजना में सार्वजनिक-क्षेत्र के विस्तार का एक मुख्य कारण सार्वजनिक-क्षेत्र में कई विशाल कारखानों की स्थापना किया जाना था। सार्वजनिक-क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए, इस योजना में 770 करोड़ रु. व्यय किए गए थे, जबकि मूल अनुमान 560 करोड़ रु. का था। इस अवधि में दुर्गापुर, हरकेला एवं भिलाई में विशाल इस्पात कारखानों का निर्माण हुआ, इसके अतिरिक्त खनिज-तेल की खोज के लिए इण्डिया आइल लिमिटेड तेल-शोधन के लिए इण्डियन रिफाइनरीज लिमिटेड और विशुद्ध तेल वितरण के लिए इण्डियन आयल लिमिटेड की स्थापना की गई। अन्य कई कारखाने, जैसे—भोपाल का भारी बिजली का कारखाना, हिन्दुस्तान एटीआयोटिक्स, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, हैवी इन्जीनियरिंग कॉर्पोरेशन, रांची फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन अफ इण्डिया, नेशनल इन्स्ट्रुमेन्ट्स लिमिटेड आदि की स्थापना की गई, जिनके अधीन कई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गईं। उद्योगों से सम्बन्धित इन इकाइयों के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र में कई अन्य व्यावसायिक संस्थाओं का भी निर्माण किया गया, जैसे—सन् 1958 में सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, सन् 1959 में एक्सपोर्ट क्रेडिट एवं गारंटी कॉर्पोरेशन, सन् 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम, सन् 1957 में नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, सन् 1958 में उद्योग पुनर्वित्त निगम एवं

सन् 1956 में राज्य व्यापार निगम आदि। इन सब संस्थाओं में करोड़ों रुपये की पूंजी विनियोजित की गई। इसके अतिरिक्त, रेलों एवं अन्य यातायात साधनों तथा नदी घाटी योजनाओं के विकास के लिए सार्वजनिक-क्षेत्र में प्रायोजन किया गया।

परिणामस्वरूप, द्वितीय योजना में सार्वजनिक-क्षेत्र का पर्याप्त विकास हुआ।

इस योजना में कार्यक्रम, औद्योगिक नीति प्रस्ताव सन् 1956 के अनुसार, बनाए गए थे, जिसमें सार्वजनिक-क्षेत्र की पर्याप्त वृद्धि के लिए व्यवस्था की गई थी, किन्तु फिर भी इस योजना में निजी-क्षेत्र का काफी विस्तार हुआ। इस योजना में निजी-क्षेत्र में कुल पूंजी विनियोग 3,100 करोड़ रु., सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले विनियोग की राशि से 700 करोड़ रु कम है। निजी क्षेत्र द्वारा अर्थ-व्यवस्था में पूंजी निर्माण भी रहा। इस योजना में औद्योगिक विकास के लिए निजी-क्षेत्र को केवल 620 करोड़ रु विनियोजित करना था, किन्तु वास्तविक विनियोजन 850 करोड़ रु का हुआ। इस योजना में निजी-क्षेत्र में इस्पात, सीमेंट, बड़े और मध्यम इन्जीनियरिंग उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ। इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र में औद्योगिक मशीनें, जैसे—सूती वस्त्र उद्योग, शक्कर उद्योग, कागज एवं सीमेंट-उद्योग की मशीनें तैयार करने वाले उद्योग और उपभोक्ता उद्योगों में पूंजी विनियोजित की गई।

यत स्पष्ट है कि इस योजना में सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का विकास हुआ, किन्तु सार्वजनिक-क्षेत्र का अपेक्षाकृत अधिक विकास हुआ। योजनायधि में इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया और जीवन-बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण तथा राजकीय व्यापार निगम आदि संस्थाओं की स्थापना को मूर्त-रूप देने का प्रयत्न किया गया। द्वितीय योजना में सार्वजनिक विनियोगों में वृद्धि का कारण सन् 1956 में सरकार द्वारा औद्योगिक नीति का नवीनीकरण करना और उसमें अर्थ-व्यवस्था एवं उद्योगों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सरकारी-क्षेत्र से संचालित किए जाने की व्यवस्था है। साथ ही, देश के तीव्र औद्योगीकरण की आकांक्षा तथा आर्थिक समानता और घन के विकेन्द्रीकरण पर आधारित समाजवादी समाज की स्थापना की राष्ट्रीय उत्कठा के कारण भी इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला।

तृतीय पंचवर्षीय योजना—इस योजना में आर्थिक क्रियाओं के, सरकार तथा व्यक्तियों में, विभाजन का आधार सन् 1956 की औद्योगिक नीति को ही माना गया। पर्यपि बाद में उत्पादन वृद्धि के दृष्टिकोण से इसमें निजी-क्षेत्र के पक्ष में थोड़ा समर्थन किया गया। परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की राष्ट्रीय सरकारी नीति के कारण इस योजना में भी सार्वजनिक-क्षेत्र के लिए विनियोग राशि अधिक आवंटित की गई। निजी-क्षेत्र में भी विनियोगों की मात्रा में वृद्धि हुई, क्योंकि, उसे भी निर्धारित क्षेत्रों में विकसित होते रहने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिए जाने की नीति को जारी रखा गया। इस योजना में कुल विनियोग 12,767 करोड़ रु हुआ जिसमें से 7,129 करोड़ रु (1,448 करोड़ रु चालू धन सहित) सार्वजनिक-क्षेत्र में और 4,100 करोड़ रु निजी-क्षेत्र में व्यय हुआ। द्वितीय योजना में यह राशि क्रमशः 3,700 और

3,100 करोड़ रु थी अतः स्पष्ट है कि सार्वजनिक-क्षेत्र का कुल विनियोग में भाग 60.6% तक पहुँच गया था।

इन योजना में, द्वितीय योजनाओं में प्रारम्भ किए गए उद्योगों को पूरा किया जाने एवं भिलाई, दुर्गापुर, रुरुकेला आदि कारखानों की स्थापित क्षमता में वृद्धि करने के अतिरिक्त अनेक नए कारखाने स्थापित किए गए जिनमें प्रमुख है—निवेली, ट्राम्बे, मोरसपुर में उर्वरक कारखाने, हीरांगाबाद (मध्य-प्रदेश) में सेक्यूरिटी पेपर मिल, बंगलौर में घड़ी बनाने का कारखाना, दुर्गापुर में खनिज मशीनों का कारखाना, कोयली (गुजरात) में तेल-शोधक कारखाना, ऋषिकेश में औषधियाँ निर्माण करने वाला कारखाना, रानीपुर तथा रामचन्द्रपुर में भारी विजली के सामान बनाने का कारखाना, पिजोर (पंजाब) में मशीनी औजार बनाने का कारखाना आदि। तृतीय योजना में ही भारत पर चीनी आक्रमण हुआ और सरकारी क्षेत्र में प्रतिरक्षा उद्योगों पर विशाल मात्रा में पूँजी लगाई गई। राज्य सरकारों द्वारा भी मैसूर आइरन एण्ड स्टील वर्क्स, आन्ध्र पेपर मिल्स आदि में पूँजी विनियोग किया गया।

सार्वजनिक-क्षेत्र में स्थापित उपरोक्त औद्योगिक परियोजनाओं के अतिरिक्त आर्थिक क्रियाओं के संचालन हेतु अनेक अन्य सस्थाओं का निर्माण किया गया, जैसे—सन् 1962 में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया, सन् 1963 में भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम और राष्ट्रीय वीज निगम, सन् 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास निगम आदि। परिणामस्वरूप, अर्थ-व्यवस्था में सार्वजनिक विनियोगों में वृद्धि हुई।

इस योजना में निजी क्षेत्र में 4,190 करोड़ रु. का विनियोग किया गया। किन्तु समस्त विनियोजित राशि में निजी-क्षेत्र का भाग निरंतर घटता हुआ था, क्योंकि इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के विनियोगों में वृद्धि होती रही। योजनावधि में सरकार ने औद्योगिक नीति की निजी-क्षेत्र के पक्ष में थोड़ा सशोचित किया और उर्वरक उत्पादन में निजी-क्षेत्र का सहयोग लिया गया।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना—आरम्भ में चतुर्थ योजना के लिए 24,882 करोड़ रु का प्रावधान रखा गया जिसमें सार्वजनिक-क्षेत्र के लिए 15,902 करोड़ रु और निजी-क्षेत्र के लिए 8,980 करोड़ रु की व्यवस्था थी। सन् 1971 में योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया गया और सार्वजनिक-क्षेत्र के ध्यय को बढ़ाकर 16,201 करोड़ रु कर दिया गया। योजना का पुन मूल्यांकन किया गया और अब अंतिम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, चतुर्थ योजना में सार्वजनिक-क्षेत्र में कुल व्यय 15,724 करोड़ रु आँका गया है।¹ यदि सार्वजनिक उपक्रमों को ले, तो 31 मार्च, 1974 को केन्द्र सरकार के 122 उपक्रमों में कुल 6,237 करोड़ रु की पूँजी लगी हुई थी। पंचवर्षीय योजनाओं में सरकारी उपक्रमों में पूँजी-निवेश का विस्तार अग्रनिहित सारणी द्वारा स्पष्ट है²—

1. India 1976, p. 172.

2. Ibid. p. 262.

पंचवर्षीय योजनाओं में सरकारी उपक्रमों में पूंजी निवेश

वर्ष	उपक्रमों की संख्या	कुल पूंजी निवेश (करोड़ रु.)	औसत वार्षिक विकास दर (प्रतिशत में)
प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में	5	29	—
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में	21	81	36
तृतीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में	48	953	133
तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में (31 मार्च, 1966)	74	2,415	31
31 मार्च, 1970	91	4,301	10
31 मार्च, 1972	101	5,052	8
31 मार्च 1973	113	5,571	10
1974 (चतुर्थ योजना के अन्त में)	122	6 237	12

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में बचत और विनियोजन¹

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के संशोधित अनुमानों (सितम्बर 1976) में कुल 63,751 करोड़ रुपये के विनियोजन की व्यवस्था की गई। योजना परिवर्ष्य और ससाधनों के अनुसार ही वर्ष 1974-75 के अनुमान उस वर्ष के मूल्यों पर आधारित हैं, जबकि उतारके बाद के वर्षों के अनुमान 1975-76 के मूल्यों पर आधारित हैं। इस विनियोजन के लिए घातृरक बचत से 58,320 करोड़ रुपये उपलब्ध होने का अनुमान लगाया गया और 5431 करोड़ रुपये विदेशी सहायता से प्राप्त होना अनुमानित किया गया। इस प्रकार 91 प्रतिशत विनियोजन घातृरक बचत से उपलब्ध होने का अनुमान लगाया गया जबकि चौथी योजना में इसका अनुमान 84 प्रतिशत लगाया गया था। सरकारी और निजी क्षेत्रों में इस विनियोजन का वितरण इस प्रकार रखा गया—

सरकारी क्षेत्र	36,703 करोड़ रुपये (इन्वेंटरियाँ सम्मिलित हैं)
निजी क्षेत्र	27,048 करोड़ रुपये
जोड़	63,751 करोड़ रुपये

सरकारी क्षेत्र में कुल 39,303 करोड़ रुपये का योजना प्रावधान किया गया। इसमें 5700 करोड़ रुपये वर्तमान विकास व्यय की दृशति से और 33,603 करोड़ रुपये विनियोजन के थे। यदि इस राशि में इन्वेंटरियों में विनियोजित की जाने वाली अनुमानित 3,000 करोड़ रुपये की राशि और सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनी निजी स्थायी परिसम्पत्तियों में विनियोजित की जाने वाली 100 करोड़ रुपये की राशि भी जोड़ दी जाए तो सरकारी विनियोजन की कुल राशि 36,703 करोड़ रुपये होती है। इस प्रकार पाँचवीं योजना के कुल विनियोजन का लगभग 58 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र में होगा और बाकी 42 प्रतिशत निजी क्षेत्र में होना अनुमानित किया गया।

आन्तरिक बचत

उत्पादन क्षेत्रों द्वारा आन्तरिक बचत के अनुमानों का सारांश इस प्रकार है—

उत्पादन क्षेत्रों के अनुसार आन्तरिक बचत

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र (0)	बचत (1)
1. सरकारी क्षेत्र	15,028
(क) केन्द्रीय और राज्य बचत	8,536
(ख) केन्द्रीय और राज्य सेंट-विभागीय उद्यम	6,492
2. वित्तीय संस्थान	1,263
(क) भारतीय रिजर्व बैंक	841
(ख) अन्य	422
3. निजी क्षेत्र	42,039
(क) निजी नियम वित्तोत्तर क्षेत्र	5,373
(ख) सहकारी ऋणोत्तर संस्थान	175
(ग) आन्तरिक क्षेत्र	36,481
4. कुल आन्तरिक बचत	58,320

कुल 58,320 करोड़ रुपये की आन्तरिक बचत में से लगभग 27 प्रतिशत राशि का जो 15,994 करोड़ रुपये होती है, योगदान सरकारी क्षेत्र को करना निश्चित किया गया। सरकारी क्षेत्र में सरकारी प्रशासन, विभागीय और अविभागीय प्रतिष्ठान और सरकारी वित्तीय संस्थान आते हैं। बाकी लगभग 73 प्रतिशत निजी क्षेत्र को करना था जिसमें निगमित उद्यम, सरकारी उद्योग और घरेलू उद्योग आते हैं। आन्तरिक बचत की औसत दर 1973-74 के मूल्यों के अनुसार 1973-74 के कुल राष्ट्रीय उत्पादन के 14.4 प्रतिशत में और 1978-79 में 1975-76 के मूल्यों के अनुसार 15.9 प्रतिशत बढ़ जाने का अनुमान लगाया गया। कुल राष्ट्रीय उत्पादन के आधार पर सीमान्त बचत की दर 1973-74 की आन्तरिक बचत के अनुमान 1975-76 के मूल्यों के अनुसार परिवर्तित कर 26 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया।

पाँचवी योजना की आधारभूत कार्यनीति सरकारी क्षेत्र में उच्च दर पर बचत करने को रखी गई। तदनुसार, सरकारी क्षेत्र में जो बचत 1973-74 में कुल राष्ट्रीय उत्पादन के 2.5 प्रतिशत थी, उसके 1978-79 में बढ़कर कुल राष्ट्रीय उत्पादन के 4.6 प्रतिशत होने की सम्भावना व्यक्त की गई। तदनुसार जो अंकन की दृष्टि से काफी ज्यादा लगभग 40 प्रतिशत अधिक है वह कुल राष्ट्रीय उत्पादन के अनुपात से 1973-74 के 11.9 प्रतिशत में 1978-79 में मामूली घटकर 11.3 प्रतिशत रह जाने की सम्भावना व्यक्त की गई है। क्षेत्रवार बचत के अनुमान इस प्रकार रहे गए हैं :—

मूल क्षेत्र के अनुसार आन्तरिक बचत (1973-74 और 1978-79 में)

क्षेत्र	बचत (करोड़ रुपये)		कुल का प्रतिशत	
	1973-74 के मूल्यों के अनुसार (1973-74 में)	1975-76 के मूल्यों के अनुसार (1978-79 में)	1973-74	1978-79
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
1. सरकारी क्षेत्र	1,473	4,045	2.5	4.6
(1) सरकारी	722	2,704	1.4	3.1
(2) स्वशासी सरकारी उद्यम	651	1,341	1.1	1.5
2. निजी क्षेत्र	6,824	9,868	11.9	11.3
(1) निगमित	821	1,268	1.4	1.4
(2) सहकारी	65	95	0.1	0.1
(3) धरेलू	5,938	8,505	10.4	9.8
3. बौद्ध	8,247	13,913	14.4	15.9

सरकारी बचतें

विभागीय उद्यमों सहित सरकारी प्रशासन क्षेत्र की कुल बचत पाँचवी योजना अवधि में कुल राष्ट्रीय उत्पादन के 1.4 प्रतिशत से बढ़कर 3.1 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया। स्पष्ट रूप से जो सरकारी प्रयोज्य आय 1973-74 में 6241 करोड़ रुपये थी, उसके 1978-79 में बढ़कर 13,297 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया जबकि योजना अवधि में सरकारी बचतें 772 करोड़ रुपये से 2704 करोड़ रुपये होने की सम्भावना व्यक्त की गई।

स्वशासी सरकारी उद्यम

स्वशासी सरकारी उद्यमों की बचतों में सुरक्षित लाभ और उद्यमों का सुरक्षित लाभ शामिल है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद इस प्रकार के प्रतिष्ठानों में सरकारी क्षेत्र में विनियोजन का काफी विस्तार हुआ है। इन उद्यमों से प्राप्त होने वाला लाभ शून्य-शून्य बढ़ रहा है। परन्तु यह आवश्यक है कि ये उद्यम विनियोजन के अनुरूप आन्तरिक बचत में योगदान करें। सभी सम्बद्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद यह आशा व्यक्त की गई है कि इन उद्यमों की बचत जो 1973-74 में 651 करोड़ रुपये अर्थात् कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 1.1 प्रतिशत या 1978-79 में 1,341 करोड़ रुपये अर्थात् कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 1.5 प्रतिशत हो जाएगा।

निजी क्षेत्र में विनियोजन और बचत

इस क्षेत्र की बचत से निजी क्षेत्र में विनियोजन को 27,048 करोड़ रुपये के मसावन उपलब्ध होने की सम्भावना व्यक्त की गई। अनुमानों का ब्यौरा इस प्रकार दिया गया —

निजी क्षेत्र में विनियोजन और बचत अनुमान

(0)	राशि (करोड़ रुपये) (1)
1—निजी बचत	42,326
(1) निगमित	5,373
(2) सहकारी (अग्रोपार)	175
(3) घरेलू	36,481
(4) वित्तीय संस्थान	297
2—अन्य क्षेत्रों की बचत हस्तांतरण	15,278
(1) घरेलू क्षेत्र	15,086
(2) विदेशों से	192
3—कुल संसाधन उपलब्ध (1-2)	27,048

सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र में विनियोजन के लिए धन हस्तांतरित करने से इन संसाधनों में वृद्धि की सम्भावना व्यक्त की गई। इस प्रकार के हस्तांतरणों के लिए सरकारी क्षेत्र के योजना परिव्यय में व्यवस्था की गई।

निजी निगमित बचतें

निजी निगमित बचतें जो सन् 1973-74 में 821 करोड़ रुपये थी उसका सन् 1978-79 में बढ़कर 1,268 करोड़ रुपये हो जाने की सम्भावना व्यक्त की गई अर्थात् 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वृद्धि। सुरक्षित लाभो और ह्रास का अनुमान इस क्षेत्र में कुल मूल्य के जोड़ और कुल निर्धारित विनियोजन में वृद्धि के आधार पर तैयार किया गया।

सुरक्षित लाभो से कुल निजी निगमित बचतों का लगभग 37 प्रतिशत प्राप्त होने की सम्भावना व्यक्त की गई और बाकी 53 प्रतिशत की पूर्ति ह्रास प्रावधान से की जाना तय किया गया। निम्नलिखित सारणी में सन् 1973-74 से 1978-79 तक निजी निगमित बचतों की वृद्धि बताई गई —

(0)	बचत (करोड़ रुपये)		कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत	
	1973-74 (1)	1978-79 (2)	1973-74 (3)	1978-79 (4)
सुरक्षित लाभ	537	467	0.6	0.5
ह्रास	484	801	0.8	0.9
जोड़	821	1268	1.4	1.4

घरेलू बचत

घरेलू क्षेत्र की बचतों में, वित्तीय परिसम्पत्तियों को सकल वृद्धि और वास्तविक परिसम्पत्तियों के निर्माण में लगाया गया प्रत्यक्ष विनियोजन आता है। पाँचवी योजना अवधि में वित्तीय परिसम्पत्तियों के रूप में घरेलू क्षेत्र की सकल बचत 18,835 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया, जैसा कि आगे बताया गया है :—

पाँचवीं योजना अवधि में परिवारों की सकल वित्तीय परिसम्पत्तियों में वृद्धि

(0)	राशि (करोड़ रुपये)
	(1)
1 जमा	12,213
(1) वाणिज्यिक बैंक	10,438
(2) सहकारी संचितियाँ	1,045
(3) बैंक स्तर कम्पनियाँ	680
(4) आवाधिक वित्तीय संस्थान	30
(5) निजी निगमित वित्तीय कम्पनियाँ	20
2 मुद्रा	1,216
3 जीवन बीमा निगम-जीवन निधि	2,186
4 भविष्य निधि	5,062
(1) कर्मचारी भविष्य निधि	2,522
(2) राज्य भविष्य निधि	1,987
(3) अन्य	553
5 निजी निगमित और सहकारी भ्रष्ट पूंजियाँ और यूनियो सहित ऋणपत्र	657
6 सरकारी दायित्व-छोटी बचत, ऋण जमा और विविध मदे	3,746
7 कुल वित्तीय परिसम्पत्तियों में कुल वृद्धि	25,080
8 वित्तीय दायित्वों की वदोत्तरी में कमी(-)	6,245
9 वित्तीय परिसम्पत्तियों में सकल वृद्धि	18,835

कुल वित्तीय परिसम्पत्तियों और दायित्वों के विभिन्न क्षेत्रों में दर्शायी गई अनुमानित वृद्धि अद्यतन रिपोर्टों अन्य उपबन्ध आँकड़ों और पूर्वकाल में कूँती गई प्रवृत्तियों पर आधारित है।

घरेलू क्षेत्र की वास्तविक परिसम्पत्तियों में प्रत्यक्ष रूप से कितना विनियोजन हुआ है इसके अनुमान निर्माण मशीनरी और उपस्कर तथा भण्डारों में परिवर्तन के अन्तर्गत कुल पूँजी निर्माण का पता लगाने के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने जो कार्य-पद्धति तैयार की है उसके आधार पर लगाया जाता है और उसमें से विभिन्न क्षेत्रों सरकारी निगमित सहकारी, विदेशों और घरेलू वित्त-व्यवस्था से होने वाली बचतों को घटा दिया गया है। निर्माण में विनियोजन के अनुसन्धान के क्षेत्र में सामग्री के रूप में निवेश और बड़े हुए मूल्य और विनियोजन के मध्य सम्बन्धों को देखकर लगाए गए हैं। आँकड़ों की कमी और संकल्पनाओं की कमी के कारण, केवल अंशिकों के निवेश से किया जाने वाला कच्चा निर्माण कार्य इस हिसाब में नहीं लिया गया है। मशीनरी और उपस्कर में अनुमानित विनियोजन का सम्भावित स्तर तक

भरपूर उपयोग पर आधारित है। भण्डारों के परिवर्तनों के अनुमान स्थायी विनियोजन इन्वेंटरी आवश्यकताओं के मध्य सम्बन्ध को देखकर तैयार किए गए हैं और अन्य उपलब्ध सूचकों से उनकी प्रति जांच की गई है। पांचवी योजना अवधि में वास्तविक परिसम्पत्तियों में घरेलू बचतों का अनुमान 17,646 करोड़ रुपये लगाया गया है।

विदेशों से प्राप्ति

भुगतान सन्तुलन के चालू लेखा घाटे की पूर्ति के लिए विदेशों से 5,431 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया, जिसका विवरण इस प्रकार है—

(0)	राशि (करोड़ रुपये)	(1)
प्राप्तियाँ		
1. कुल विदेशी सहायता	}	9052
2. वाणिज्यिक ऋण		
देनदारियाँ		
1. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (सकल)	(+)	115
2. ऋण सेबाओं के धारे में अदायगियाँ	(—)	2,465
3. दूसरे देशों को सहायता	(—)	494
4. अन्य	(—)	473
5. संचित धन में परिवर्तन-वृद्धि (—)	(—)	304
सकल देनदारी		5,431

उपरोक्त विवरण के सन्दर्भ में पुनः दोहराना अनुपयुक्त नहीं होगा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना निर्धारित अवधि से एक वर्ष पूर्व ही 31 मार्च, 1978 को समाप्त की जाकर 1 अप्रैल, 1978 से नई राष्ट्रीय योजना लागू कर दी गई है।

विदेशी विनिमय का महत्त्व और आवश्यकता (Importance and Necessity of Foreign Exchange)

आर्थिक नियोजन के लिए विशाल साधनों की आवश्यकता होती है। अर्द्ध-विकसित देश पूंजी, यन्त्रोपकरण, तकनीकी ज्ञान आदि में अभावग्रस्त होते हैं। इसलिए एक निर्धन देश केवल अपने साधनों द्वारा ही आधुनिक रूप में विकसित नहीं हो सकता। अतः उन्हें नियोजन कार्यक्रमों की सफलता के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री विदेशों से आयात करनी पड़ती है। नियोजन की प्रारम्भिक अवस्थाओं में अत्यधिक मात्रा में पूंजीगत पदार्थों, मशीनों, कलपुर्जों, उद्योग और कृषि के लिए आवश्यक उपस्कर, औद्योगिक कच्चा माल, रासायनिक सामग्री और तकनीकी विशेषज्ञों का आयात करना पड़ता है। विद्युत् और सिंचाई की विशाल नदी घाटी योजनाओं के लिए विभिन्न प्रकार के यन्त्र, इस्पात तथा सीमेन्ट आदि का विदेशों से आयात करना पड़ता है। कृषि विकास के लिए उर्वरक, कीटनाशक औषधियाँ और उन्नत यन्त्र आदि का भी विदेशों से आयात करना पड़ता है, क्योंकि अर्द्ध-विकसित देशों में इनका उत्पादन भी कम होता है और कृषि-व्यवसाय पिछड़ा हुआ भी होता है। ये विकासोन्मुख देश जब योजनाएँ अपनाते हैं, तो विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में आयात और सन्देशवाहन के साधनों का भी द्रुत विकास करना चाहते हैं, क्योंकि विकास के लिए यह प्रथम आवश्यकता होती है। इनसे सम्बन्धित सामग्री का भी विदेशों से आयात करना पड़ता है। विभिन्न विकास योजनाओं में औद्योगिक विकास को भी महत्त्व दिया जाता है और इस्पात, भारी रसायन, इंजीनियरिंग, मशीन निर्माण एलिनज-सेल, विद्युत उपकरण आदि उद्योगों के विकास के लिए भारी मात्रा में मशीनरी, कच्चा माल, मध्यवर्ती पदार्थ, ईंधन, रासायन और कलपुर्जों का आयात करना पड़ता है। इन सब परियोजनाओं के निर्माण और कुछ समय तक संचालन के लिए विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों का भी आयात आवश्यक है। परिणामस्वरूप, देश को धाय में वृद्धि होती है। इस बड़ी हुई धाय का बहुत बड़ा भाग आधुनिक जीवन

की नवीन वस्तुओं के उपभोग पर व्यय किया जाता है, जिनकी पूति भी विदेशों से मंगाकर की जाती है। अनेक अर्द्ध-विकसित देश कृषि-प्रधान होते हुए भी कृषि व्यवसाय और उत्पादन-वृद्धियों के अवनत होने के कारण देश की आवश्यकतानुसार खाद्यान्न और उद्योगों के लिए कृषि-जनित कच्चा माल भी उत्पन्न नहीं करते। अतः उन्हें खाद्यान्न और ऐसे कच्चे माल का भी आयात करना पड़ता है। भारतीय योजनाओं में ऐसा ही हुआ। अधिकांश अर्द्ध-विकसित देश अधिक जनसंख्या से ग्रसित होते हैं और इनकी जनसंख्या-वृद्धि की दर भी अधिक होती है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक मात्रा में उपभोग सामग्री और उत्पादक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिसकी पूति के लिए आयातों का आश्रय लेना पड़ता है। कई अर्द्ध-विकसित देशों में आयातों के बढ़ने का यह भी एक कारण है। इस प्रकार, विकासार्थ निरोधन के प्रारम्भिक वर्षों में आयातों के बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। इन देशों को परिपोषक आयात (Maintenance Imports), विकासात्मक आयात (Developmental Imports) और अस्कीतिकारी आयात (Anti-inflationary Imports) करने पड़ते हैं। इन सब आयातों के मुग्तान हेतु विदेशी-विनिमय की आवश्यकता होती है।

निर्यात और विदेशी-विनिमय का अर्थन—स्पष्ट है कि विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था में वृद्धिमान दर से आयात करने पड़ते हैं। विदेशों से इन पदार्थों का आयात करने के लिए इनका मुग्तान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, जिसे ये देश अपनी वस्तुओं का निर्यात करके प्राप्त कर सकते हैं। अधिक मात्रा में वस्तुएँ आयात की जा सकें, इसके लिए यह आवश्यक है कि ये देश अधिकाधिक मात्रा में अपने देश से पदार्थों का निर्यात करके अधिकाधिक विदेशी मुद्रा या विदेशी विनिमय अर्जित करें। इन निर्यातों में दृश्यगत और अदृश्य (Visible and Invisible Exports) दोनों निर्यात सम्मिलित हैं। इस प्रकार, विकासोन्मुख देशों के लिए निर्यातों में वृद्धि करना आवश्यक होता है। किन्तु दुर्भाग्यवश, इन देशों में नियोजन की प्रारम्भिक अवस्थाओं में निर्यात-क्षमता बहुत अधिक नहीं होती है। एक तो स्वयं देश के विकास कार्यक्रमों के लिए वस्तुओं की आवश्यकता होती है। दूसरे, आर्थिक विकास के कारण बढी हुई आय को भी जनता, उपभोग पर ही व्यय करना चाहती है, क्योंकि इन देशों में उपभोग की प्रवृत्ति अधिक होती है। अतः निर्यात-योग्य आधिक्य (Exportable Surplus) कम बच पाता है। योजनावद्ध आर्थिक विकास में जो कुछ उत्पादन किया जाता है, वह उपभोग की बढ़ती हुई आवश्यकता में प्रयुक्त कर लिया जाता है। परिणामस्वरूप, इतनी अतिरिक्त निम्न-स्तरीय उत्पादनता और मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियों के कारण उत्पादन लागत अधिक होती है और विश्व के बाजारों में वे प्रतिस्पर्धा में प्रारम्भिक वर्षों में नहीं टिक पाते; फलस्वरूप, व्यापार प्रतिकूल हो जाता है क्योंकि, एक ओर आयातों में वृद्धि होती है तथा दूसरी ओर उनके मुग्तान के लिए निर्यात अधिक नहीं बढ़ पाते। इस प्रकार विदेशी-विनिमय का संकट पैदा हो जाता है। किन्तु एक पूर्णतः केन्द्रित अर्थ-व्यवस्था में विशेष रूप से सोवियत रूस जैसी

अर्थ व्यवस्था में, विदेशी व्यापार के क्षेत्र में ऐसी कठिनाइयाँ कम पैदा होती हैं, परन्तु भारत जैसी अर्थात्त रूप से नियोजित या मिश्रित अर्थ-व्यवस्था (Mixed Economy) में विदेशी व्यापार में इस प्रकार का भुगतान-असंतुलन उत्पन्न होना सामान्य बात है।

विदेशी-विनिमय के आवंटन की आवश्यकता—स्पष्ट है कि विकासाय नियोजन में विशाल मात्रा में विविध प्रकार की सामग्री का आयात करना पड़ता है किन्तु उसका भुगतान करने के लिए निर्यातों से पर्याप्त मात्रा में आवश्यकतानुसार विदेशी विनिमय उपलब्ध नहीं हो पाता। यद्यपि स्वदेश में ही उत्पादन में वृद्धि करके आयात प्रतिस्थापन के पर्याप्त प्रयत्न किए जाते हैं और निर्यातों में वृद्धि के लिए भी अथक् प्रयास किए जाते हैं, किन्तु विदेशी विनिमय की स्वल्पता ही रहती है इसीलिए, उपलब्ध विदेशी विनिमय के समुचित उपयोग की समस्या उदय होती है। यदि देश के लिए बांछनीय सभी पदार्थों के आयात के लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी विनिमय उपलब्ध हो जाए तो फिर इस प्रकार की समस्या ही उत्पन्न न हो, किन्तु जिस प्रकार से अन्य आर्थिक क्षेत्रों में बैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों से अनन्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चयन (Choice) की समस्या उदय होती है, उसी प्रकार, विभिन्न उद्योगों में इन विदेशी मुद्रा कोषों के सीमित साधनों के उचित और विवेक-पूर्ण आवंटन की समस्या उदय होती है, जिम्मे समुचित समाधान से नियोजन की सफलता का अक्ष बढ जाता है।

विदेशी-विनिमय का आवंटन (Allocation of Foreign Exchange)

अतः यह आवश्यक है कि योजनाओं में आयात-वार्यन्तम, एक सुविचारित योजना व आधार पर संचालित किया जाए जिससे दुर्लभ विदेशी मुद्रा का अधिकतम उपयोग हो सके।

इस सम्बन्ध में तनिक सशोधन के साथ वही सिद्धान्त अपनाया जा सकता है जो देश में विनियोगों के आवंटन (Allocation of Investment) के लिए अपनाया जाता है। इस तर्क में 'सीमान्त-सामाजिक लाभ का सिद्धान्त' (Principle of Marginal Social Benefit) बड़ा सहायक हो सकता है। इस सिद्धान्त के अनुसार विभिन्न उद्योगों में विदेशी मुद्रा का आवंटन इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि इनसे प्राप्त सीमान्त लाभ समान हो। तभी इस विदेशी मुद्रा से देश को अधिकतम साम मिल सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि विदेशी मुद्रा के आवंटन में देश के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्षेत्रों और परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। अर्द्ध-विविध देशों के आयात को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है—

- (अ) सुरक्षा सामग्री का आयात (Import of Defence Equipment)
- (ब) निर्वाह सम्बन्धी आयात (Maintenance Imports)
- (ग) विकासात्मक आयात (Developmental Imports)
- (द) अदृश्य आयात (Invisible Imports)

(अ) सुरक्षा सम्बन्धी आयात (Imports of Defence Equipment)—सुरक्षा, किसी भी देश की सर्वोपरि आवश्यकता होती है। कोई भी देश इस कार्य में उदासीनता नहीं बरत सकता। अतः नियोजन में सुरक्षा सामग्री के आयातों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कई देशों के नियोजन का तो मुख्य उद्देश्य ही देश की रक्षा या आक्रमण (Defence or Offence) के लिए सुरक्षा को बढ़ा करना होता है। वैसे भी इनमें से अधिकांश अर्द्ध-विकसित देश अभी गत कुछ वर्षों से ही स्वतन्त्र हुए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से दुर्बल हैं। इन देशों के पड़ोसियों में सीमा सम्बन्धी झगड़े भी रहते हैं, जिनके कारण, ये देश युद्ध की आशंका से प्रस्त रहते हैं और सुरक्षा के लिए आतुर रहते हैं। यहाँ तकनीकी ज्ञान का भी इतना अधिक विकास नहीं हुआ है, जिससे सारी सुरक्षात्मक सामग्री का उत्पादन वे स्वयं कर सके। अतः इन्हे विदेशों से भारी मात्रा में अस्त्र-शस्त्र, गोला-बारूद तथा सुरक्षा उद्योगों के लिए आवश्यक सामग्री का आयात करना आवश्यक होता है जिनके अभाव में इन देशों की सुरक्षा ही खतरे में पड़ सकती है। अतः इस कार्य के लिए विदेशी-विनिमय के आवंटन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। देश का अस्तित्व देश की सुरक्षा पर निर्भर करता है जो विकासवाद की एक वस्तु है। सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक सामग्री के आयात में उपेक्षा करने के दुष्परिणाम हो सकते हैं। अतः सुरक्षा की दृष्टि से आयात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्णरूप से विदेशी-विनिमय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(ब) निर्वाह-सम्बन्धी आयात (Maintenance Imports)—निर्वाह सम्बन्धी आयात या परिपोषक आयातों में आयात की जाने वाली उन वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं जो अर्थ-व्यवस्था के वर्तमान स्तर पर सुचारु रूप से संचालन के लिए आवश्यक हैं। भारत जैसे अर्द्ध-विकसित देशों के सदर्भ में इसमें निम्नलिखित वर्ग सम्मिलित किए जा सकते हैं—

(i) खाद्यान्न—अधिकांश अर्द्ध-विकसित देश कृषि-प्रधान हैं, किन्तु कृषि की पिछड़ी हुई दशा और जनसंख्या की अधिकता होने के कारण, वहाँ खाद्यान्न का अभाव होता है और इसकी पूर्ति विदेशों से खाद्यान्नों का आयात करने की जाती है। खाद्यान्न किसी भी देश की बुनियादी आवश्यकता है और इसकी पूर्ति चाहे किसी भी स्रोत से हो, आवश्यक रूप से की जानी चाहिए। इन देशों का जीवन-स्तर पहले से ही अत्यन्त न्यूनतम स्तर पर है और उसमें कटौती किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती। अतः यद्यपि इन देशों में खाद्यान्नों के उत्पादन में तुरन्त वृद्धि के प्रयत्न किए जा सकते हैं, जिसकी यहाँ बहुत बड़ी गुंजायश है, किन्तु यदि इसमें तुरन्त इतनी वृद्धि नहीं हो पाए, जिससे देश की खाद्यान्नों की आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो, तो निश्चित रूप से खाद्यान्नों का भी आवश्यक मात्रा में आयात किया जाना चाहिए और उसके लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी-विनिमय आवंटित किया जाना चाहिए। भारत का उदाहरण इस सम्बन्ध में स्पष्ट है।

(ii) औद्योगिक कच्चा माल—इस वर्ग में कच्चा माल, मुख्यतः कृषि-जन्य

कच्चा माल, सम्मिलित किया जा सकता है। अनेक अर्द्ध विकसित देशों में, स्वयं के उद्योगों के लिए, कच्चा माल उत्पन्न नहीं होना है अथवा कम मात्रा में होना है, जिसकी पूर्ति विदेशों से इन पदार्थों का आयात करके की जाती है। उदाहरणार्थ, भारत कृषि-सम्बन्धी कच्चे माल में खालें, खोपरा, रूची रबड़, कच्ची कपास, कच्चा जूट, अर्निमिन तम्बाकू आदि का आयात करता है। इन सभी वस्तुओं के आयात को देश में ही उत्पादन में वृद्धि करके कम किया जाना चाहिए। साथ ही, इस बात के भी प्रयास किए जाने चाहिए कि इन आयातित वस्तुओं के स्थान पर उपयुक्त देशी वस्तुओं का उत्पादन हो। अतः इन वस्तुओं के लिए विदेशी विनिमय कम उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस वर्ग की अधिकांश में उन्हीं वस्तुओं के लिए विदेशी मुद्रा आवंटित की जानी चाहिए, जो निर्यातित वस्तुओं के निर्माण में सहायता दे तथा जिनके स्थान पर देश में उत्पादित वस्तुओं का उपयोग नहीं हो सकता हो।

(iii) खनिज तेल—अधिकांश अर्द्ध विकसित देशों में खनिज तेल का अभाव है। उदाहरणार्थ, भारत में खनिज तेल की आवश्यकता का कुछ भाग ही उत्पन्न होता है। शेष तेल विदेशों से आयात करना पड़ता है। बंसे भी खनिज तेल की आवश्यकता उद्योग धर्मों और यातायात आदि की वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है। सुरक्षा के लिए भी इसका महत्त्व होता है। अतः इस मद के आयात में कटौती करना तब तक संभव नहीं है, जब तक देश में नए खनिज भण्डारों का पता लगाकर उनसे अधिक तेल निकाला जाए या वर्तमान तेल भण्डारों से ही अधिक तेल निकाला जाए और उसके शोधन की उचित व्यवस्था की जा सके, किन्तु तेल की खोज करने और तेल-शोधन संस्थाएँ स्थापित करने के लिए भी विदेशों से मशीनें, अन्य सामग्री एवं तकनीशियन आयात करने पड़ते हैं, जिनके लिए विदेशी मुद्रा चाहिए।

(iv) रासायनिक पदार्थ—प्रत्येक देश को रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, किन्तु अधिकांश अर्द्ध-विकसित देशों में रासायनिक उद्योग अल्पविकसित होते हैं। कृषि-उद्योग आदि की प्रगति हेतु रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। सुरक्षा उद्योगों के लिए भी रासायनिक उद्योग आवश्यक हैं। इसलिए इस मद में कटौती करना अनुचित है। अतः इस मद के लिए भी आवश्यक विदेशी-विनिमय आवंटित किया जाना चाहिए।

(v) निर्मित वस्तुएँ—अर्थ-व्यवस्था में चालू उत्पादन का बनाए रखने के लिए भी कुछ निर्मित पदार्थ विदेशों से आयात करने पड़ते हैं उदाहरणार्थ, भारत में इस वर्ग के प्रतिस्थापन और मरम्मत के लिए मशीनें, कागज, अलुमिनीयम कागज, लोहा एवं इस्पात, अलौह धातु आदि आते हैं। इन वस्तुओं का उत्पादन देश में नहीं होता है तथा ये वस्तुएँ देश के वर्तमान उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। अतः इनके लिए भी पर्याप्त विदेशी विनिमय का आवंटन किया जाना चाहिए।

(स) विकास-सम्बन्धी आयात (Developmental Imports)—आर्थिक नियोजन और विकास की दृष्टि से इस प्रकार के आयात सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं। योजनाओं में कई प्रकार की परियोजनाएँ और विधान नवयंत्रण प्रारम्भ किए जाने

है। प्रत्येक देश की योजनाओं में विशाल नदी घाटी योजनाएँ, इस्पात कारखाने, भारी विद्युत् उपकरण, मशीन निर्माण, इन्जीनियरिंग, रासायनिक-उर्वरक, कृषि-उपकरण तथा विविध प्रकार के कच्चे, मध्यवर्ती और निर्मित माल की आवश्यकता होती है। विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में उक्त पदार्थों का भारी मात्रा में आयात करना पड़ता है। इस स्थिति में इन परियोजनाओं के प्रारम्भ और त्रियान्वयन के लिए विदेशों से विशेषज्ञों का भी आयात करना पड़ता है। अतः इसके लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। अन्य बातें समान रहने पर विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में जितने अधिक इन पदार्थों का आयात सम्भव होगा और परियोजनाएँ पूरी की जाएँगी, उतना ही अधिक तीव्र गति से आर्थिक विकास सम्भव होगा। अनेक बार इन पदार्थों का आयात सम्भव नहीं हो पाने के कारण विकास में बाधाएँ उपस्थित होती हैं। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना, विदेशों से सामग्री आयात करने के लिए विदेशी-विनिमय को कठिनाई के कारण ही भवर में पड़ गई थी। अतः विकास सम्बन्धी आयात भी आवश्यक है और इसके लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा आवंटित की जानी चाहिए।

(द) अन्य कार्य या अदृश्य आयात (Other Works or Invisible Imports)—प्रत्यक्ष रूप से पदार्थों के आयात के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी विदेशी-विनिमय की आवश्यकता होती है। विदेशों से लिए हुए ऋण और उसकी अदायगी के लिए भी विदेशी मुद्रा चाहिए। इस प्रकार का भुगतान प्रत्येक राष्ट्र का नैतिक कर्तव्य है। साथ ही, इन अर्द्ध-विकसित देशों को भविष्य में भी विदेशों से ऋण लेना आवश्यक होता है। इसके लिए, इनकी साख और प्रतिष्ठा तभी बनी रह सकती है, जबकि ये पूंज ऋणों का भुगतान कर दें। अतः अर्द्ध-विकसित देशों को विदेशों से लिए हुए ऋण और ऋण सेवाओं (Debt and Debt Services) के लिए भी विदेशी मुद्रा का प्रावधान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अर्द्ध-विकसित देशों के अनेक व्यक्ति विकसित देशों में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव द्वारा विशेषज्ञता प्राप्त करने जाते हैं, जो वहाँ से लौटकर देश के आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। चूंकि देश में विविध क्षेत्रों में तकनीशियनों और विशेषज्ञों की अत्यन्त दुर्लभता होती है अतः इन व्यक्तियों की, विदेशों में शिक्षा-दीक्षा के लिए भी पर्याप्त विदेशी मुद्रा का आवंटन किया जाना चाहिए, किन्तु इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि ये व्यक्ति उन विकसित देशों से विशेषज्ञ बनकर स्वदेश आएँ और देश हित में ही कार्य करें। कई बार यह होता है कि इनका स्वदेश के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है और ये वहीं बस जाते हैं। इससे देश की दुर्लभ मुद्रा द्वारा विकसित बुद्धि का बहाव (Intellectual drain) होता है, इसे रोका जाना चाहिए। विभिन्न देशों में आर्थिक सहयोग की सम्भावनाओं में वृद्धि तथा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय आदि के लिए कई प्रतिनिधि-मण्डल और अध्ययन दल विदेशों को भेजे जाते हैं। उदाहरणार्थ व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल, उद्योग-प्रतिनिधि-मण्डल, निर्यात-सम्भावना अध्ययन-दल आदि। इनके लिए भी विदेशी मुद्रा आवंटन की जानी चाहिए। किन्तु इसके गठन और इनकी

सख्या सावधानीपूर्वक निर्धारित की जानी चाहिए। इन दलों में न्यूनतम आवश्यक व्यक्तियों को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। साथ ही, सख्या भी कम होनी चाहिए तथा निश्चित लाभ होने की स्थितियों में ही ऐसा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, कई सांस्कृतिक-प्रतिनिधि-मण्डल, सद्भावना-मण्डल, खेनकूद-प्रतिनिधि-मण्डल आदि विदेशों में भेजे जाते हैं। यद्यपि, पारस्परिक सद्भावना और सूझ-बूझ पैदा करने के लिए इतका भी अपना महत्व है, किन्तु इन कार्यों के लिए विदेशी-विनिमय अत्यन्त सीमित माना में ही उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

आवंटन में प्राथमिकता—अत स्पष्ट है कि दुर्लभ विदेशी-विनिमय आवंटन में सर्वोच्च प्राथमिकता सुरक्षा और खाद्यान्नों को दी जानी चाहिए क्योंकि इनके साथ देश की जनता के जीवन मरण का प्रश्न सम्बन्धित होता है। निर्यात और विकास-सम्बन्धी कार्यों हेतु विदेशी मुद्रा, आवश्यक अपरिहार्य आयातों के लिए शक्ति योजनाएँ, उर्वरक, मशीनें आदि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसी परियोजनाओं, जिनके कार्यों में काफी प्रगति हो चुकी हो या पूर्णता के नजदीक हो, सर्वप्रथम, विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विदेशी विनिमय के इस आवंटन में आवश्यकतानुसार केन्द्रित कार्यक्रमों (Core Projects) को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। विशेषतः उन वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी-विनिमय प्रदान किया जाना चाहिए जो ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में सहायक हो, जिनका या तो निर्यात किया जाए या जो आयातित वस्तुओं के स्थान पर काम आकर आयातों में कमी करे। इस विदेशी विनिमय के आवंटन और आयातों की स्वीकृति का केन्द्रित उद्देश्य निर्यातों में वृद्धि तथा आयात-प्रतिस्थापन होना चाहिए। विदेशी मुद्रा का उपयोग अधिकतर उपभोक्ता-उद्योगों के लिए नहीं अपितु पंचीयन-पदार्थों के आयात हेतु किया जाना चाहिए। नियोजन में वैसे ही परियोजनाएँ सम्मिलित की जानी चाहिए जो आवश्यक हों जिनमें विदेशी विनिमय की न्यूनतम आवश्यकता हो और विदेशी-विनिमय उत्पादन अनुपात कम हो। ऐसी परियोजनाओं के लिए ही विदेशी-विनिमय का आवंटन किया जाना चाहिए, जो भूँड़ी प्रतिष्ठा वाली नहीं, अपितु देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हों।

भारतीय नियोजन में विदेशी-विनिमय का आवंटन

(Allocation of Foreign Exchange in Indian Planning)

प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत की विदेशी व्यापार नीति के प्रमुख तत्व, निर्यातों को उच्च-स्तर पर बनाए रखना और उन्हीं वस्तुओं का आयात करना था जो राष्ट्र हित में आवश्यक हो या जो विकास और नियोजन की आवश्यकताओं को पूरी करे तथा देश के पास उपलब्ध विदेशी विनिमय साधनों तक ही भुगतान के अस्तित्व को रखा जाए। अतः इस योजना के प्रारम्भिक वर्षों में आयात से सम्बन्धित प्रारम्भ में नियन्त्रण नीति अपनाई गई, किन्तु बाद में मशीनें एवं अन्य आवश्यक उपभोग-सामग्री के आयात में फिर उदारता बरती गई। वर्ष 1953-54 में खाद्यान्नों के आयात में कमी हुई, कच्चे माल की आवश्यकताओं की

पूर्ति भी स्वदेशी साधनों से करने की चेष्टा की गई। अतः कपास और कच्चे जूट का आयात भी कम किया गया। किन्तु योजना के लिए आवश्यक मशीनों के लिए विदेशी-विनिमय की स्वीकृति देने में अनुदारता नहीं दिखाई गई। वर्ष 1954-55 में औद्योगिक विकास में सहायता करने हेतु अधिक उदार-आयात-नीति अपनाई गई। कच्चे माल, मशीनें तथा उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के लिए भी विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई गई, किन्तु ऐसी वस्तुएँ, जो देश में उत्पादित की जाती थीं, उनके आयात में कटौती की गई। 1955-56 में योजनाओं के लिए आवश्यक मशीनों और लोहे एवं इस्पात के लिए विदेशी-विनिमय अधिक आवंटित किया गया। प्रथम योजनावधि में वार्षिक औद्योगिक आयात 724 करोड़ रु० रहा, जिसमें से उपभोग की औद्योगिक 235 करोड़ रु० तथा कच्चे माल एवं अर्द्ध-निर्मित वस्तुओं का औद्योगिक 364 करोड़ रु० था।¹ पूंजीगत वस्तुओं का औद्योगिक 125 करोड़ रु० प्रति वर्ष रहा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी एवं आघारभूत औद्योगिक विकास पर काफी बल दिया गया। अतः पूंजीगत-वस्तुओं के आयात में वृद्धि हुई। प्रथम योजना के औद्योगिक आयात से द्वितीय योजना में वार्षिक आयात 50% अधिक हो गया। इस योजना में पूंजीगत वस्तुओं, कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओं एवं कल-पुर्जों के आयात के लिए बहुत अधिक विदेशी मुद्रा व्यय की गई। इस योजना में पूंजी वस्तुओं के आयात के लिए प्रतिवर्ष 323 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा व्यय की गई। प्रथम योजनावधि में आयातों के लिए व्यय किए गए कुल विदेशी-विनिमय में पूंजीगत-वस्तुओं पर व्यय का भाग 17% था, जो दूसरी योजनावधि में बढ़कर 30% हो गया। प्रथम एवं द्वितीय योजना में व्यापारिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पदार्थों पर निम्न प्रकार विदेशी-विनिमय व्यय हुआ—

आयातित वस्तुओं की श्रेणी	प्रथम पंचवर्षीय योजना वार्षिक औद्योगिक	द्वितीय पंचवर्षीय योजना वार्षिक औद्योगिक
1. उपभोग वस्तुएँ	235 करोड़ रु०	247 करोड़ रु०
2. कच्चा एवं अर्द्ध-निर्मित माल	364 करोड़ रु०	502 करोड़ रु०
3. पूंजीगत-वस्तुएँ	125 करोड़ रु०	323 करोड़ रु०
योग	724 करोड़ रु०	1,072 करोड़ रु०

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि द्वितीय योजना में विदेशी-विनिमय की अधिक राशि, पूंजीगत-वस्तुओं को आवंटित की गई। द्वितीय योजना में प्रथम योजना की अपेक्षा उपभोग वस्तुओं के आयात में केवल 12 करोड़ रु० की वृद्धि हुई जबकि पूंजीगत-वस्तुओं के आयात में 198 करोड़ रु० की वृद्धि हुई। द्वितीय योजना के दौरान विदेशी-विनिमय की बड़ी कठिनाइयाँ महसूस हुईं, अतः जुलाई, 1957 से आयात में कटौती की बड़ी कठोर नीति को अपनाया गया, जिसके अनुसार

विदेशी-विनिमय अत्यन्त आवश्यक कार्यों के लिए ही उपलब्ध कराया गया। साथ ही, अर्थ व्यवस्था में उत्पादन और रोजगार के स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक आयातों के लिए भी स्वीकृति दी गई।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी विशाल विनियोजन कार्यक्रम जारी रहे एवं भारी और पूंजीगत उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना में आयातों हेतु कुल 5,750 करोड़ रु अनुमान लगाया गया। इसमें से 1,900 करोड़ रु तृतीय योजना की परियोजनाओं के लिए आवश्यक मशीनें एवं साज सज्जा के लिए आवंटित किए गए। शेष 3,650 करोड़ रु आयात प्रतिस्थापन की सम्भावनाओं को ध्यान में रखने के पश्चात् भी आवश्यक कच्चे माल, मध्यवर्ती उत्पादन, प्रतिस्थापन के लिए पूंजीगत वस्तुएं एवं आवश्यक उपभोग वस्तुओं के आयात के लिए आवंटित किए गए। इस प्रकार इस योजना में 1,900 करोड़ रु की विदेशी मुद्रा, विकासात्मक आयातों के लिए और 3,650 करोड़ रु परिपोषक आयातों के लिए आवंटित की गई। विदेशी विनिमय के आवंटन में निर्यात उद्योगों के लिए आवश्यक आयातों को प्राथमिकता दी गई, किन्तु आयातों की वृद्धि के परिणामस्वरूप होने वाले विदेशी सफट से मुक्ति के लिए आयातों के लिए सीमित मात्रा में विदेशी विनिमय उपलब्ध कराने की नीति जारी रही। आयात-निर्यात नीति समिति के अनुरार आयात नियन्त्रण की कार्यवाही औद्योगिक विकास, विदेशी-विनिमय के संरक्षण और निर्यात संवर्द्धन के साधन स्वरूप अपनाई गई।

चतुर्थ योजना इस प्रकार निर्मित की गई, ताकि द्रुत आर्थिक विकास हो। इसलिए, यह योजना गत योजनाओं से भी विशाल बनाई गई। परिणामस्वरूप, अर्थव्यवस्था के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और इस योजना में सम्मिलित की गई नई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मशीनें और उपकरणों की भारी मात्रा में आयात की आवश्यकता अनुभव की गई। विदेशी ऋण सेवाओं के भुगतान के लिए भी इस योजना में अधिक व्यवस्था की गई।

नियोजित अर्थ-व्यवस्था के विपक्ष में एक प्रमुख तर्क यह है कि इसमें स्वतन्त्र और प्रतिस्पर्धापूर्ण मूल्य-प्रक्रिया के अभाव में साधनों का विवेकपूर्ण आवंटन नहीं होता। वस्तुतः पूर्णरूप से नियोजित समाजवादी अर्थ-व्यवस्था के समान मूल्य-प्रक्रिया नहीं होती। वहाँ मूल्य स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था में मूल्यों के प्रमुख कार्य-साधनों के आवंटन तथा माँग और पूर्ति के सन्तुलन का कार्य नहीं करते। स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-पदार्थों और सेवाओं की माँग और पूर्ति में साम्य स्थापित करने का प्रमुख कार्य करते हैं। इस प्रकार, सन्तुलन न केवल पदार्थों और सेवाओं में, बल्कि उत्पादन के साधनों के धारे में भी स्थापित किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी मूल्य पर किसी वस्तु की माँग, उसकी पूर्ति से बढ़ जाती है, तो मूल्यों में वृद्धि होती है, परिणामस्वरूप एक ओर तो माँग कम होने की ओर उन्मुख होती है और दूसरी ओर उस वस्तु के उत्पादन की अधिक प्रेरणा मिलने से उसकी पूर्ति बढ़ती है। इस प्रकार, माँग और पूर्ति में साम्य स्थापित हो जाता है। यह साम्य उस मूल्य पर हो सकता है, जो मूल्य, मूल्य-स्तर से कुछ ऊँचा हो, किन्तु यह निश्चित रूप से उस स्तर से नीचा होता है, जो नए सन्तुलन के पूर्व था। इस प्रकार, एक बार की मूल्य-वृद्धि आगे मूल्य-वृद्धि को रोकती है और ऐसा करने पर ही मूल्य अपने आर्थिक कार्य को सम्पन्न करते हैं। इस प्रकार स्वतन्त्र उपक्रम वाली अर्थ-व्यवस्था में मूल्य एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में इस प्रकार की मूल्य-तांत्रिकता नहीं होती, न ही वहाँ मूल्य साधनों के आवंटन और माँग तथा पूर्ति में सन्तुलन का कार्य करते हैं। वहाँ भी मूल्य-तांत्रिकता का अस्तित्व तो हो सकता है, किन्तु वह पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था के समान 'स्वतन्त्र' और 'प्रतिस्पर्धापूर्ण' नहीं होती। वहाँ मूल्य-निर्धारण, बाजार की शक्तियों के द्वारा नहीं होता, क्योंकि समाजवादी नियोजित व्यवस्था में स्वतन्त्र बाजार भी नहीं होते। अतः वहाँ 'प्रदत्त मूल्य' (Assigned Prices) होते हैं जिनका निर्धारण केन्द्रीय नियोजन अधिकारी द्वारा किया जाता है। पदार्थों के मूल्य ही नहीं, अपितु उत्पादन साधनों के मूल्य भी केन्द्रीय नियोजन सत्ता द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, क्योंकि सरकार ही वहाँ एकमात्र

एकाधिकारी होती है और उत्पादन साधनों का स्वामित्व और नियन्त्रण उसी में ही निहित रहता है। इस प्रकार पूर्ण नियोजित अर्थ-व्यवस्था में अधिक से अधिक जानबूझकर बनाई हुई मूल्य प्रणाली होती है।

मूल्य-नीति का महत्त्व (Importance of Price-Policy)

विकासोन्मुख राष्ट्रों को नियोजित अर्थ-व्यवस्था में उचित मूल्य-नीति अत्यन्त आवश्यक होती है। मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत तो इसका और भी अधिक महत्त्व होता है। इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ स्वतन्त्र बाजार सहित विशाल निजी क्षेत्र भी क्रियाशील रहता है। व्यवस्थाओं में सरकारी नीति पूंजी-विनियोगकर्ताओं और उपभोक्ताओं के व्यवहार पर मूल्यों की घटा-बढ़ी निर्भर करती है। निजी उद्यमियों या पूंजी-विनियोजकों का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। उनकी रुचि सदैव मूल्यों में वृद्धि करने में रहती है। ये वस्तुओं के कृत्रिम अभावों का सृजन करके भी ऐसा करते हैं। दूसरी ओर उपभोक्ताओं का प्रयत्न अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने का रहता है। उक्त दोनों वर्ग इस समस्या से सम्बन्धित आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। ऐसी स्थिति में योजना अधिकारी का बड़ी तत्परता से मूल्यों पर नियन्त्रण करके और तत्सम्बन्धी उचित नीति को अपनाना आवश्यक होता है। मूल्यों की अधिक वृद्धि से न केवल सामान्य जनता को ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है अपितु योजना-लक्ष्य, आय-व्यय सम्बन्धी अनुमान भी गलत मिथ हो जाते हैं और योजना को उष्ण रूप में क्रियान्वित करना असम्भव हो जाता है। इसके विपरीत मूल्यों में अधिक गिरावट भी उचित नहीं कही जा सकती, क्योंकि इससे उत्पादकों की उत्पादन प्रेरणा समाप्त हो जाती है। उत्पादन-वृद्धि के लिए प्रेरणास्त्रुद मूल्य होना भी आवश्यक है। अतः मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में उचित मूल्य-नीति को अपनाया जाना आवश्यक होता है। यही नहीं पूर्ण नियोजित अर्थ-व्यवस्था में भी नियोजन सत्ता द्वारा विभिन्न वर्गों की वस्तुओं के मूल्य, सावधानी और विचारपूर्वक निर्धारित किए जाते हैं।

मूल्य-नीति का उपयोग सरकार द्वारा एक महत्त्वपूर्ण अस्त्र के रूप में किया जाता है। राज्य की मूल्य-नीति द्वारा अर्थ-व्यवस्था के किसी भी क्षेत्र, उद्योग, फर्म या व्यक्तिगत उत्पादक का हित या अहित हो सकता है। यदि देश की मूल्य-नीति में कुछ त्रुटि हो, तो समग्र देश को इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ सकता है। मूल्य-स्तर को घटा-बढ़ा कर आय-वितरण को भी प्रभावित किया जा सकता है, क्योंकि मूल्य-वृद्धि की अवधि में समस्त पदार्थों के मूल्य एक ही अनुपात में नहीं बढ़ते। व्यक्तिगत पदार्थों के मूल्यों में परिवर्तन को प्रभावित करके इन पदार्थों के उत्पादन और उपभोग की मात्रा को भी घटाया-बढ़ाया जा सकता है। सार्वजनिक-क्षेत्र के व्यवसायों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को थोड़ा ऊँचा रख कर आर्थिक विवास हेतु पर्याप्त साधन जुटाए जा सकते हैं। इस प्रकार नियोजित

अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-नीति बहुत महत्वपूर्ण है। डॉ. वी. के. आर. वी. राव¹ के अनुसार 'साम्यवादी देशों में भी आधुनिक चिन्तनधारा से माँग और पूर्ति में बाँझनीय परिवर्तन लाने के लिए विशेषतः सरकार की शक्ति और प्रशासन पर निर्भर रहने की अपेक्षा कम से कम कुछ सीमा तक मूल्य-प्रक्रिया के उपयोग के महत्व का प्रमाण मिलता है। इस प्रकार नियोजित अर्थ-व्यवस्था में भी मूल्यों का घनात्मक योगदान होता है और एक बुद्धिमत्तापूर्ण नीति में व्यक्ति पदार्थों की माँग और पूर्ति में इन परिवर्तनों को लाने के लिए, जो अर्थ-विकास से विकास में हस्तान्तरण के लिए इतने आवश्यक है, मूल्य-प्रक्रिया का उपयोग करना होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के भूतपूर्व गवर्नर एच वी आयगर के अनुसार 17 वर्ष पूर्व आयोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ करने में भारत का मुख्य उद्देश्य था—अधिकांश लोगों के जीवन-स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि करना और उनके लिए जीवनयापन के विविध और अधिक समृद्ध नए मार्ग खोलना। यदि आयोजित वृद्धि का काल जन-साधारण तक पहुँचाना है, तो हमें एक मूल्य-नीति निर्धारित करनी होगी और एक गुणियोजित मूल्य ढाँचा तैयार करना होगा। मूल्य-नीति का सम्बन्ध केवल किसी एक वस्तु ही नहीं, अपितु वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य और सापेक्षिक मूल्यों से भी है।

मूल्य-नीति का उद्देश्य (Aims or Objectives of Price Policy)

विकासशील नियोजित अर्थ-व्यवस्था में, मूल्य-नीति निम्नलिखित उद्देश्यों पर केन्द्रित होनी चाहिए—

- (1) योजना की प्राथमिकताओं एवं तदर्थों के अनुसार मूल्यों में परिवर्तन होने देना।
- (2) न्यून आय वाले उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग वस्तुओं के मूल्यों में अधिक वृद्धि को रोकना।
- (3) मूल्य-स्तर में स्थिरता बनाए रखना।
- (4) मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्तियों पर रोक लगाना और मुद्रा-स्फीति के दोषों को बढ़ने से रोकना।
- (5) उत्पादकों हेतु प्रेरणास्त्रु मूल्यों को बनाए रखना।
- (6) मुद्रा-प्रसार और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में उचित सम्बन्ध बनाए रखना।

मूल्य-नीति और आर्थिक विकास (Price Policy and Economic Development)

मूल्य-वृद्धि आवश्यक—सामान्यतः यह माना जाता है कि आर्थिक विकास की अवधि में मूल्य-वृद्धि न केवल अपरिहार्य है, अपितु अनिवार्य भी है। विकास के

मूल्यों में ऊपर की ओर दबाव तो निहित ही है क्योंकि नियोजन हेतु भारी मात्रा में पूंजी निवेश किया जाता है। इससे तुरन्त मौद्रिक आय बढ़ जाती है, किन्तु उसके अनु रूप वस्तु उत्पादन नहीं बढ़ता, क्योंकि किसी परियोजना के प्रारम्भ करने के एक अवधि पश्चात् ही उससे उत्पादन आरम्भ होता है। अतः मौद्रिक आय की अपेक्षा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन पिछड़ जाना है और मूल्य बढ़ जाते हैं। यह मूल्य-वृद्धि विनियोग मात्रा और परियोजनाओं के उत्पादन आरम्भ करने में लगने वाले समय पर निर्भर करती है। अधिक मूल्यों से उत्पादकों को भी प्रेरणा मिलनी है। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य जन-साधारण का जीवन-स्तर उच्च बनाया है। अतः श्रमिकों के जीवन-स्तर को उच्च बनाने के लिए उनकी मजदूरी और अन्य सुविधाओं में वृद्धि की जाती है। अर्द्ध-विकसित देशों में श्रम-प्रधान तकनीकें अपनाए जाने के कारण लागत में मजदूरी का भाग अधिक होता है। अतः मजदूरी बढ़ जाने से लागतों और मूल्यों का बढ़ जाना स्वाभाविक होता है। इस प्रकार यह माना जाता है कि आर्थिक विकास की दृष्टि से मूल्यों में थोड़ी वृद्धि हितकर ही नहीं, अनिवार्य भी है, क्योंकि अर्द्ध-विकसित देशों के आर्थिक विकास में एक बड़ी बाधा, बचत के अभाव के कारण उपस्थित होती है। विदेशों से पर्याप्त मात्रा में बचत की प्राप्ति नहीं होने पर देश में ही 'बिबरतापूर्वक बचत' (Forced Saving) के द्वारा साधन प्राप्त किए जाते हैं। ऐच्छिक बचत मात्रा, न्यूनतम उपभोग-स्तर और आय में नकारात्मक अन्तर या स्वरूप अन्तर के कारण बहुत थोड़ी होती है। मूल्य-वृद्धि आय वितरण को उच्च आय वाले वर्ग के पक्ष में पुनर्वितरण करके बचत वृद्धि करने में सहायता करती है, क्योंकि इस वर्ग की बचत करने की सीमान्त-प्रवृत्ति (Marginal Propensity to Consume) अधिक होती है। परिणामस्वरूप साधनों को विकास हेतु अधिक गतिशील बनाया जा सकता है।

मूल्य-वृद्धि के पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि यह विनियोग के लिए उचित वातावरण का निर्माण करती है, किन्तु इस सम्बन्ध में यह सब मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि मूल्य-वृद्धि की गति क्या है? यदि मूल्य तीव्रता से बढ़ रहे हों और अनि-मुद्रा-प्रसार का भय हो, तो विनियोजक हतोत्साहित होंगे। कम से कम सामाजिक दृष्टि से वांछनीय परियोजनाएँ तो नहीं अपनाई जाएँगी; हाँ बहुत कम, मूल्य-वृद्धि की, माया, इस दृष्टि से, विनाश के लिए हितकर होगी।

मूल्य-वृद्धि के पक्ष में एक तर्क यह भी है कि मुद्रा-प्रसार उस मौद्रिक आय का सृजन करता है, जो पहले नहीं थी। इससे देश के सुपुत्र ससाधनों, विशेषतः जन-शक्ति को गतिशील बनाने और इन्हीं उत्पादक कार्यों में नियोजित करने में सहायता मिलती है। इससे आर्थिक विकास में तीव्रता आती है।

मूल्य-वृद्धि आवश्यक नहीं—किन्तु अनेक विचारक, विकासशील अर्थ-व्यवस्था में विकास हेतु मूल्य-वृद्धि आवश्यक नहीं मानते। इस मत के समर्थन में अप्रतिबिन्दित तर्क दिए जा सकते हैं—

(1) बचत पर विपरीत प्रभाव—मूल्य-वृद्धि से बचत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। निरन्तर मूल्य-वृद्धि अधिकांश व्यक्तियों की बचत की इच्छा और योग्यता पर विपरीत प्रभाव डालती है। मूल्य-वृद्धि देश की मुद्रा और चलन में जनता के विद्वानों की उम्मीदें देते हैं। देश की अधिकांश बचत करने वाले अपनी बचत को बैंक-जमा, बीमा-पॉलिसियों या सरकारी-प्रतिभूतियों (Government Securities) के रूप में रखते हैं। मूल्य-वृद्धि अथवा मुद्रा-प्रसार के कारण, जब इन लोगों के इस रूप में रखी हुई मुद्रा मूल्य घटता जाता है, तो व्यक्तियों में बचत के स्यात पर व्यय करने की इच्छा बलवती हो उठती है, या फिर वे अपनी बचत को सोना, जमीन-आयदाद या विदेशी-विनिमय क्रय करने में उपयोग में लाते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में पूँजी-निर्माण को घटका लगता है। अधिकांश अपनी बचत को विदेशों में लगाते हैं।

मूल्य-वृद्धि से जिस प्रकार बचाने की इच्छा पर बुरा प्रभाव पड़ता है उसी प्रकार बचाने की क्षमता भी कुप्रभावित होती है। मुद्रा-प्रसार से कृषकों, औद्योगिक श्रमिकों, छोटे व्यापारियों और मध्यवर्ग की वारसविक्र आय में भारी कमी होती है और उनका व्यय आय में अधिक बढ़ जाता है। इसके विपरीत मूल्य-स्थायित्व से बचत माना बढ़ती है। कम से कम वे अत्यात्मक बचत को समाप्त करने या उन्हें बचत करने में तो अवश्य सहायक होती है। यह एक तथ्य है कि मूल्य-वृद्धि के समय में राष्ट्रीय आय में पारिवारिक क्षेत्र की बचत का भाग घट जाता है किन्तु मूल्य-स्थायित्व की स्थितियों में इस अनुपात में तीव्र वृद्धि होती है।

(ii) विकास की दृष्टि से लाभदायक विनियोग नहीं—मुद्रा-प्रसार से सदैव ही लाभ और लाभदायक विनियोगों में वृद्धि हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। चिली के अनुसार वहाँ सन् 1950 और 1957 की अवधि में 10 गुनी मूल्य-वृद्धि हुई, किन्तु स्थिर-पूँजी में विनियोगों की मात्रा गिर गई। बहुधा, मूल्य-वृद्धि विनियोगों को प्रोत्साहित करती है, किन्तु इस समय इस बात की बहुधा सम्भावना होती है कि विनियोजित विदेकपूर्ण एवं दीर्घकालीन दृष्टिकोण से विनिर्माण सम्बन्धी निर्णय नहीं ले पाते; तुरन्त फलदायक और अधिकाधिक लाभदायक परियोजनाएँ ही बहुधा हाथ में ली जाती हैं, जो दीर्घकालीन आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होती। इस प्रकार ये विनियोग आर्थिक विकास की दृष्टि से अधिक लाभप्रद नहीं हो पाते।

(iii) विदेशी-विनिमय पर विपरीत प्रभाव—आर्थिक विकास की गति प्रारम्भ में बहुत कुछ विदेशी-विनिमय-साधनों पर निर्भर करती है। यह विदेशी-विनिमय या तो आयातों की अपेक्षा अधिक निर्यात करके अथवा विदेशी-पूँजी के आयात द्वारा उपलब्ध होता है। मूल्य-वृद्धि में विदेशी-विनिमय के इन दोनों ही स्रोतों पर कुप्रभाव होता है। मूल्य-वृद्धि से देश में वस्तुओं की उत्पादन-लागत बढ़ जाती है और इनसे निर्यात हतोत्साहित होते हैं। इनसे विदेशी-विनिमय का अभाव है और ऐसी स्थिति में विनिर्माण निदग्ध, विदेशी-विनिमय में सट्टे की प्रवृत्ति और विदेशी-विनिमय-दर में गिरावट आती है; परिणामस्वरूप, निजी विदेश-पूँजी भी हतोत्साहित होती है।

(iv) अर्थाधिक विषमता में वृद्धि—निरन्तर मूल्य-वृद्धि से अर्थाधिक विषमता में वृद्धि होती है क्योंकि इस समय लाभों में अधिक वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में, मूल्य-वृद्धि कतिपय व्यक्तियों को ही धनवान बनाती है और अधिकांश को निर्धनता की ओर ले जाती है। अतः अर्थाधिक विकास की वित्त-व्यवस्था करने का मुद्रा प्रसारक पद्धति से सामाजिक तनाव और सघर्ष बढ़ता है। यदि अर्थाधिक विकास का प्राणय आय के न्यूनतम स्तर पर रहने वाले लोगों की सहाय में कमी करना है तो तीव्र मूल्य-वृद्धि ऐसे अर्थाधिक विकास के कदापि अनुकूल नहीं है।

(v) अनेक देशों के उदाहरण—यदि अर्थाधिक विकास का प्राणय राष्ट्रीय आय में वृद्धि से लें तो भी मूल्य-वृद्धि अर्थाधिक विकास में अनिवार्य रूप से सहायक नहीं है। मूल्य-वृद्धि के बिना भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सकती है और अधिक वृद्धि होने पर भी राष्ट्रीय आय में बहुत कम वृद्धि ही सकती है। उदाहरणार्थ भारत की प्रथम योजना में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में 5% की कमी हुई, किन्तु राष्ट्रीय आय 18.4% बढ़ी। इसके विपरीत, द्वितीय योजना में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में 29.3% की वृद्धि हुई, जबकि राष्ट्रीय आय में 21.5% की ही वृद्धि हुई। तृतीय योजना में तो मूल्य 36% बढ़े, किन्तु राष्ट्रीय आय में केवल 14% की ही वृद्धि हुई। अतः मूल्य-वृद्धि अर्थाधिक विकास की कोई आवश्यक शर्त नहीं हो सकती। पश्चिमी जर्मनी, जापान, कनाडा इटली आदि के अनुभवों से भी यही बात सिद्ध होती है। सन् 1953-59 की अवधि में पश्चिमी जर्मनी की राष्ट्रीय आय में 12% वार्षिक-दर से वृद्धि हुई, किन्तु इसी अवधि में मूल्यों में केवल 1% वार्षिक की दर से वृद्धि हुई। जापान में सन् 1950 और 1959 की उक्त अवधि में राष्ट्रीय आय 12.3% वार्षिक की दर से बढ़ी, किन्तु इस समस्त अवधि में मूल्य केवल 2% ही बढ़ पाए। इटली में तो इस अवधि में मूल्य स्तर में 1% की कमी आई, किन्तु फिर भी राष्ट्रीय आय 4% बढ़ गई। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-क्षेत्र की प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, "युद्धोत्तर वर्षों में अल्प विकसित देशों में औद्योगिक रूप से प्रति व्यक्ति उत्पादन में 4% की वृद्धि उस अवधि में हुई। जब उन्होंने अपने यहाँ मॉडिक-स्थायित्व बनाए रखा। इन देशों में मुद्रा-प्रसार के समय उत्पादन में केवल प्रथम अवधि की अपेक्षा आधी ही वृद्धि हुई। तीव्र मुद्रा-प्रसार के समय तो उत्पादन वृद्धि की प्रवृत्ति उससे भी कम रही।"

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि मूल्य-वृद्धि अर्थाधिक विकास के लिए अनिवार्य नहीं है। किन्तु फिर भी अधिकांश लोगों का मन है कि अर्थाधिक विकास की तीव्र गति देने के लिए मूल्यों में अत्यल्प वृद्धि (Gently or Moderately Increasing Prices) लाभदायक है। मूल्यों में 1 या 2% वृद्धि या 'रेंगता हुआ मुद्रा-प्रसार' (Creeping Inflation) अपरिहार्य है। किन्तु, इस बात की सावधानी बरतना

आवश्यक है कि यह 'रिंगना हुआ मुद्रा-प्रसार' (Creeping Inflation) कूदते हुए और लुढ़कते हुए (Gallopung Inflation) मुद्रा-प्रसार में परिवर्तित नहीं हो जाए। इस प्रकार की स्थिति होने पर सब आर्थिक प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। भारत जैसे विकासोन्मुख देशों में इस प्रकार का भय अवश्यम्भावी है, अहाँ उद्योग और मुख्य रूप से भारी तथा आधारभूत उद्योग कृषि की प्रपेशा अधिक तीव्र गति से विकसित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में, खाद्यान्नों, उपभोग्य-वस्तुओं और औद्योगिक कच्चे माल की कमी उत्पन्न होकर, इनके मूल्य तेजी से बढ़ सकते हैं। अन्य कई वस्तुओं और अन्य सेवाओं के मूल्य भी इन वस्तुओं के मूल्यों पर निर्भर करते हैं, अतः मजदूरी और अन्य पदार्थों के मूल्य बढ़ेंगे। इस प्रकार, मजदूरी-मूल्य वृद्धि (Wage-Price Spiral) चक्र चलता रहेगा, योजनाओं के अनुमान गलत हो जाएँगे और विश्वास की आशाएँ धूमिल हो जाएँगी।

इस प्रकार एक ओर यह मत ध्यवत किया जाता है कि मूल्य-प्रक्रिया को उत्पादन-वृद्धि करने और उत्पादन-संरचना को वाँछित दिशा निर्देशन के उपयोग किए जाने के लिए मूल्य-नीति में कुछ लोच होनी चाहिए। दूसरी ओर, आर्थिक विकास में निहित भारी पूँजी-विनियोग के कारण उत्पन्न मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियाँ, मुख्य रूप से, आवश्यक उपभोग वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए मूल्य-स्थायित्व वाँछनीय है। किन्तु, दोनों ही स्थितियों में आधारभूत वाँछनीय बात यह होनी चाहिए कि बुनियादी उपभोग्य वस्तुओं और पूँजीगत-वस्तुओं के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि वाँछनीय है। जो मूल्य-नीति, इस उद्देश्य की पूर्ति करे वही आर्थिक विकास के लिए उचित नीति है। डॉ. बी. के. आर. वी. राव के मतानुसार "जिस सीमा तक मूल्य-वृद्धि उत्पादन-वृद्धि नहीं करे, उस सीमा तक मूल्य-वृद्धि अगुचित है और इसे रोकने के लिए यथासंभव प्रयत्न किए जाने चाहिए। किन्तु जिस सीमा तक मूल्य-वृद्धि उपभोग या अनावश्यक दिशाओं में राशियों के उपयोग में कमी लाती है, यह वाँछनीय है और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मूल्य-वृद्धि, उत्पादन-वृद्धि नहीं करने पर भी उस समय स्वीकार्य है, जबकि यह वाँछनीय श्रियाओं में माँग का पुनः निर्देशन, उत्पादक-शक्तियों का पुनर्वितरण और उत्पादन का नवीनीकरण करे।"

मूल्य-नीति के दो पहलू (Two Aspects of Price Policy)

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि नियोजित अर्थ-व्यवस्था में आर्थिक विकास के लिए सहायक उचित मूल्य-नीति अत्यावश्यक है। डॉ. बी. के. आर. वी. राव के अनुसार इस नीति के बृहत् और सूक्ष्म (Macro and Micro) दोनों पहलू होने चाहिए।

बृहत् पहलू (Macro Aspects)—बृहत् पहलू में, मूल्य-नीति, मौद्रिक नीति और राजकोपीय नीति का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। आर्थिक विकास में भारी विनियोगों के कारण एक ओर तो समाज के सीमित साधनों की माँग बढ़ने से मूल्य-वृद्धि होती

है, दूसरी ओर रोजगार-वृद्धि के परिणामस्वरूप, व्यक्तियों की मौद्रिक आय में वृद्धि होती है जिसका परिणाम अर्थ में वृद्धि के कारण मूल्य वृद्धि होता है। मूल्य-वृद्धि से रोजगार-आय और माँग पुनः बढ़ती है जिसके कारण पुनः मूल्य बढ़ते हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए बुनियादी उपभोक्ता वस्तुओं और आयातभूत विनियोग वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाया जाना आवश्यक है। विनियोग वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि, दीर्घकाल में, अधिक प्रभावशाली होती है, जबकि उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि मूल्य-वृद्धि को रोकने का तात्कालिक उपाय सिद्ध होती है। इसके विपरीत अनावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि या साधनों के अनावश्यक उपभोक्ता और पंजीगत वस्तुओं के निर्माण हेतु उपयोग मुदा-प्रसारक-प्रवृत्तियों को बल देता है, क्योंकि साधन सीमित होते हैं। इस प्रकार, उनका मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिए समुचित उपयोग नहीं हो पाता, किन्तु विकासमान अर्थ-व्यवस्था से ऐसा होना स्वाभाविक ही है। अतः कुछ मौद्रिक और राजकोषीय उपायों की आवश्यकता होती है, जो आय तथा आय के उपयोग को सुप्रभावित करके बाँधित दिशा प्रदान कर सके।

भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट के अनुसार मूल्य-नीति के प्रमुख अंग मौद्रिक और राजकोषीय-यन्त्रणात्मक है। "मौद्रिक नीति द्वारा व्यय और तत्परिणत आय को मूल्य व्यक्तियों के हाथों में जाने से रोकना चाहिए।" इसके द्वारा वस्तुओं के सट्टे के लिए सख्त और उच्च छिावकर रखने की प्रवृत्ति पर कानू पाना चाहिए। इस सत्र में उचित 'व्याज दर की नीति' और 'व्यय-नियन्त्रण' (Selective Credit Control) के द्वारा सहायता ली जानी चाहिए। मौद्रिक-नीति के साथ ही राजकोषीय-नीति का उपयोग भी किया जाना चाहिए। मौद्रिक नीति बैंकों आदि के द्वारा अतिरिक्त ऋण-शक्ति के सृजन को नियमित और नियन्त्रित करती है, तो राजकोषीय नीति में करारोपण (Taxation) इस प्रकार किया जाना चाहिए, जिससे व्यय किए जाने के लिए जन-साधारण के पास, विशेष रूप से ऐसे लोगों के पास जो अप्रव्यय करें, आय कम हो जाए। इस उपभोग को नियमित और सीमित करने तथा व्यय को अधिक प्रभावकारी ढंग से गतिशील बनाने में समर्थ होना चाहिए। इस प्रकार मौद्रिक और राजकोषीय दोनों नीतियों का उद्देश्य जनता के हाथ में कम आय और कम-शक्ति सृजन तथा इस आय में से भी अधिकाधिक बचन की प्रेरणा देना होना चाहिए। प्रो वी के आर वी राव ने वृहत्-नीति (Macro Policy) के कार्य बहन को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि "मूल्यों के सम्बन्ध में वृहत् नीति व्यक्तिगत मूल्यों पर प्रत्यक्ष प्रभाव के रूप में ही नहीं, अपितु अप्रत्यक्ष रूप से आय सृजन और आय के उपयोग इन दो तत्वों पर अपने प्रभाव द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संचालित होनी है, जो मूल्यों में समस्त परिवर्तनों के लिए मौद्रिक संरचना को निर्धारित करते हैं।"¹ इस नीति का सार

अतिरिक्त आय के सृजन और उसके व्यय को प्रतिबन्धित करना है, जिससे माँग कम हो और मूल्य-वृद्धि न हो पाए।

मूक्षम पहलू (Micro Aspects)—मूल्य-नीति के इस पहलू के अन्तर्गत अर्थ-व्यवस्था में आधारभूत विनियोग-वस्तुओं और आवश्यक उपभोक्ता-वस्तुओं के उत्पादन में अतिरिक्त वृद्धि की जाए, ताकि वह अतिरिक्त विनियोजन के परिणामस्वरूप बड़ी हुई आय एवं उपभोग व्यय के अनुरूप हो जाए। इस उद्देश्य से नियोजन अधिकारी को इस प्रकार की नीति अपनानी पड़ेगी, ताकि एक ओर साधनों का उपयोग आर्थिक विकास के लिए आधारभूत विनियोजन वस्तुओं और बुनियादी उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में लगे तथा दूसरी ओर इन वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के उत्पादन में साधनों का उपयोग हतोत्साहित हो अर्थात् प्रथम स्थिति में मूल्य-तान्त्रिकता का उपयोग 'उत्तेजक' (Stimulant) के रूप में और द्वितीय स्थिति में 'अवरोधक' (Deterrent) के रूप में किया जाए। परन्तु इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि ऊँचे मूल्यों के रूप में मूल्य-तान्त्रिकता का अनावश्यक वस्तुओं के उपभोग को हतोत्साहित करने के रूप में उपयोग से साधन इन आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की ओर आकर्षित नहीं होने लगे। इसी प्रकार, ऊँचे मूल्यों के रूप में मूल्य-तान्त्रिकता का आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में 'उत्तेजक' के रूप में उपयोग का परिणाम यह नहीं होना चाहिए कि इससे बाँझ विनियोग वस्तुओं की माँग में कमी की प्रवृत्ति और बुनियादी उपभोक्ता वस्तुओं में मुद्रा-प्रसारिक लागत-प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाए। ऐसा होने पर मूल्य-वृद्धि द्वारा प्रोत्साहन तथा हतोत्साहन के परिणामस्वरूप बाँझनीय उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकेगी। अतः मूक्षम पहलू का इस प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिए ताकि कम से कम अनाँझनीय बातों के साथ अधिकतम बाँझनीय परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

इसके लिए अनावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की जानी चाहिए, किन्तु साथ ही, इस क्षेत्र में ऊँचे कर लगाए जाने चाहिए और साधनों का नियन्त्रित आवंटन किया जाना चाहिए। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि के लिए मूल्य-वृद्धि द्वारा प्रोत्साहन देने की अपेक्षा इनका उत्पादन मार्ग-तान्त्रिक-क्षेत्र में किया जाना चाहिए। जहाँ यह सम्भव नहीं हो वहाँ भी उत्पादन-वृद्धि के लिए ऊँचे मूल्यों की प्रेरणा की अपेक्षा करो में रियायत देना अधिक श्रेयस्कर है। जहाँ कर सम्बन्धी रियायतों से भी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता हो वहाँ विक्रय-अनुदान (Sales Subsidies) दिए जाने चाहिए। आधारभूत उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए इनकी मूल्य-वृद्धि से बचना चाहिए और इसके स्थान पर इनकी उत्पादन-लागत को कम करने के लिए उत्पादन में प्रयुक्त आदानों (Inputs) के मूल्य कम किए जाने चाहिए, किन्तु यदि मूल्यों में वृद्धि से किसी प्रकार बचना सम्भव नहीं हो तो मूल्य नियन्त्रण और विनियोग राज्य को अपने हाथों में लेना चाहिए और जनता को इन आधारभूत उपभोक्ता वस्तुओं की एक न्यूनतम आवश्यक मात्रा स्थिर मूल्यों पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए और

इस हानि की पूर्ति, न्यूनतम आवश्यक मात्रा से अतिरिक्त पूर्ति के मूल्यों में वृद्धि द्वारा की जानी चाहिए।

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-नीति के सिद्धान्त (Principles of Price-Policy in Mixed Economy)

आर्थिक विकास और नियोजन के सन्दर्भ में मूल्य-नीति से सम्बन्धित उपरोक्त सिद्धान्तिक विवेचन के आधार पर डॉ. वी. के. आर. वी. राव ने मूल्य-नीति सम्बन्धी निम्नलिखित सिद्धान्तों का निरूपण किया है—

1. विकासार्थ नियोजन में भारी पूंजी विनियोग के कारण जनता की आय में वृद्धि होती है। आय की इस वृद्धि के अनुरूप ही उत्पादन-वृद्धि होनी चाहिए अन्यथा मूल्य-वृद्धि होगी। इस उत्पादन में वृद्धि का जितना भाग अर्द्ध-निर्मित अवस्था में हो या बिक्रय के लिए उपलब्ध नहीं हो, आन के उती भाग के अनुरूप नकद सग्रह (Cash holdings) में वृद्धि होनी चाहिए। सत्रों में, किसी ऐसे व्यय की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए जिससे या तो उत्पादन में अथवा नकद सग्रह में वृद्धि न हो।

2. अर्थ-व्यवस्था के किसी भी क्षेत्र या समूह की आय में वृद्धि के अनुरूप उस क्षेत्र या समूह के उत्पादन में वृद्धि अथवा अन्य क्षेत्रों या समूह से हस्तान्तरण होना चाहिए अन्यथा मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति प्रारम्भ हो जाएगी।

3. विनियोगों में वृद्धि के अनुरूप ही बचत में वृद्धि करने के प्रयत्न किए जाने चाहिए। यदि यह सम्भव नहीं हो तो विनियोगों में भावी वृद्धि को बचत में सम्भावित वृद्धि तक सीमित कर देना चाहिए।

4. बुनियादी उपभोक्ता-वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकने का प्रयत्न करना चाहिए भले ही सामान्य मूल्य स्तर को रोकने का प्रयत्न आवश्यक नहीं है, क्योंकि मूल्य-स्तर में प्रत्येक वृद्धि मुद्रा प्रसारिक नहीं होती। केवल आधारभूत उपभोक्ता-वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि ही लागत-मुद्रा प्रसार (Cost-inflation) के द्वारा तीव्र मूल्य वृद्धि को जन्म देती है।

5. आर्थिक विकास की अवधि में बुनियादी उपभोक्ता वस्तुओं की माँग की पूर्ण सम्भावना होती है। अतः इन वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के प्रयत्न तभी सफल हो सकते हैं, जबकि इन वस्तुओं के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो। यदि इन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हेतु मूल्य वृद्धि को प्रोत्साहन देना आवश्यक हो तो अल्पकालीन नीति के रूप में इसका अवलम्बन किया जा सकता है। किन्तु इस बीच मूल्य स्थिर रखने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 'मूल्य नियन्त्रण' और 'नियन्त्रित-वितरण' आदि उपायों को भी अपनाया जाना चाहिए।

6. जब तक अर्थ-व्यवस्था स्वयं-स्फूर्त अवस्था में नहीं पहुँच जाए, तब तक विकासशील अर्थ-व्यवस्था में मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रहती है। किन्तु कभी-कभी प्राकृतिक आपदाओं या कमी वाले क्षेत्रों पर कम ध्यान दिए जाने के कारण अन्य कारणों से यह प्रवृत्ति बहुत दृढ़ हो जाती है और मूल्यों में विभिन्न मीसमो,

क्षेत्रों या प्रदेशों में भारी तेजी आ जाती है। इस प्रकार की समस्याओं के निराकरण हेतु 'बफर स्टॉक' (Buffer Stock) का निर्माण किया जाना चाहिए। 'बफर स्टॉक' द्वारा सरकार अल्पकाल में पूर्ति की मांग के अनुरूप समायोजित करने में सफल होती है। इस प्रकार, इनके द्वारा अल्पकालीन और अस्थायी वृद्धियों को रोका जा सकता है।

विभिन्न प्रकार के पदार्थों से सम्बन्धित मूल्य-नीति

कृषि पदार्थ—अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में आर्थिक विकास के लिए उचित कृषि पदार्थ सम्बन्धी नीति का बड़ा महत्त्व होता है। इन पदार्थों के मूल्य मांग और पूर्ति की स्थितियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। अधिकांश अर्द्ध-विकसित देशों में राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि-जन्य उत्पादन का भाग लगभग 50% होता है। अतः देश में सामान्य मूल्य-स्तर पर कृषि पदार्थों के मूल्य परिवर्तनों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। साथ ही, भारत जैसे अर्द्ध-विकसित देशों में उपभोक्तागण अपनी आय का अधिकांश भाग खाद्य-पदार्थों पर व्यय करते हैं जो मुख्यतः कृषि-जन्य होते हैं। जब इन पदार्थों के मूल्यों में अधिक वृद्धि होती है, तो व्यक्तियों में असन्तोष बढ़ता है। मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए संगठित होते हैं। मंहगाई-भत्तों में वृद्धि के लिए दबाव बढ़ जाता है। कई उद्योगों के लिए कच्चा माल भी कृषि द्वारा प्राप्त होता है। इनके मूल्य बढ़ने से इन उद्योगों की लागत बढ़ जाती है और देश-विदेश में इनकी प्रतिस्पर्धा-शक्ति कम हो जाती है। अतः इन विकासशील देशों की योजनाओं की सफलता के साथ कृषि-पदार्थों के मूल्यों में स्थायित्व और तीव्र वृद्धि को रोकना आवश्यक है। साथ ही, मूल्य इतने कम भी नहीं होने चाहिए जिससे उत्पादकों का प्रोत्साहन समाप्त हो जाए। इस दृष्टि से बढ़ा कृषि-पदार्थों के अधिकतम और न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर देने चाहिए। कृषकों को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यकतानुसार 'Price Support' की नीति को अपनाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इन पदार्थों के मूल्यों में अधिक उतार-चढ़ाव नहीं हो। इन सब दृष्टिकोणों से कृषि पदार्थ सम्बन्धी मूल्य-नीति बहुत व्यापक होनी चाहिए जिसमें उत्पादन से लेकर वितरण तक की उचित व्यवस्था सम्मिलित हो। उत्पादन-वृद्धि के प्रयत्न किए जाने चाहिए और इस हेतु भूमि सुधार, प्रकृति पर कृषि की निर्भरता में कमी तथा उर्वरक, यन्त्र, साख आदि आवश्यक आदानों की व्यवस्था की जानी चाहिए। मुख्य कृषि पदार्थों, विशेष रूप से खाद्यान्नों के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य निर्धारित कर देने चाहिए। न्यूनतम मूल्य इस प्रकार के होने चाहिए ताकि कृषकों में अधिक उत्पादन की प्रेरणा बनी रहे और अधिकतम मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए जाने चाहिए जिससे उपभोक्ताओं पर अधिक भार नहीं पड़े। कृषि सम्बन्धी मूल्य-नीति का एक महत्वपूर्ण तत्त्व सरकार द्वारा 'बफर स्टॉक' का विस्तृत पैमाने पर निर्माण है। यदि स्वदेश में उत्पादन कम हो, तो उचित मूल्य पर इन पदार्थों को विदेशों से आयात की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कृषि पदार्थों के उचित वितरण हेतु थोक स्तर पर राज्य व्यापार का विस्तार, खुदरा

बिक्री के लिए स्थान-स्थान पर सहकारी और सरकारी विनरण एजेंसियों की स्थापना की जानी चाहिए। सत्रेप में कृषि पदार्थों की मूल्य नीति से सम्बन्धित निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए —

- (1) मूल्य-नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे उत्पादक और उपभोक्ता दोनों पक्षों को लाभ हो।
- (2) मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- (3) विभिन्न कृषि पदार्थों के मूल्यों में सापेक्ष समानता रहनी चाहिए।
- (4) कृषि पदार्थों और औद्योगिक पदार्थों के मूल्यों में भी समानता रहनी चाहिए।
- (5) कृषि पदार्थों के उत्पादन-वृद्धि के सब सम्भव उपाय किए जाने चाहिए।
- (6) कृषि पदार्थों के वितरण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें राज्य-व्यापार, सहकारी तथा सरकारी एजेंसियों का विस्तार किया जाना चाहिए।

औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य—अनावश्यक उपभोग्य पदार्थ, जो विलासिता और आरामदायक वस्तुओं की श्रेणियों में आते हैं, का मूल्य-निर्धारण बाजार तान्त्रिकता पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो इनमें भी मूल्य वृद्धि की स्वीकृति दी जानी चाहिए, किन्तु साथ ही, ऊँचे कर और साधनों का नियन्त्रित वितरण किया जाना चाहिए। किन्तु औद्योगिक कच्चे माल जैसे सीमेंट, लोहा एवं इस्पात, कोयला, रासायनिक पदार्थ आदि के मूल्यों को नियन्त्रित किया जाना चाहिए। औद्योगिक निमित्त वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का रोकने के लिए मूल्य-नियन्त्रण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। सम्बन्धित मूल्य नीति इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे मुद्रा प्रसारित प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हो। साथ ही, इनका उचित उपयोग और वितरण हो। घरेलू उपयोग को कम करने, निर्यात में वृद्धि करने, उत्पादन और विनियोगों के प्रोत्साहन के लिए औद्योगिक पदार्थों के मूल्यों में तनिक वृद्धि की नीति को स्वीकार किया जा सकता है, किन्तु साथ ही, मूल्य ऐसे होने चाहिए जिनसे उत्पादकों को अत्यधिक लाभ (Excessive Profit) नहीं हो। वस्तुतः औद्योगिक पदार्थों के क्षेत्र में भी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों वर्गों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। कृषि क्षेत्र में न्यूनतम मूल्य अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि कृषकों की मोल भाव करने की शक्ति कम होती है। इसके विपरीत औद्योगिक क्षेत्र में अधिकतम मूल्य अधिक महत्त्वपूर्ण है। फिर भी, न्यूनतम मूल्यों को भी निश्चित करना होगा। निर्यात योग्य पदार्थों के मूल्य, घरेलू उपभोक्तानों के लिए अधिक रखे जा सकते हैं, जिससे उनका आन्तरिक उपभोग कम हो। बिना हानि उठाए उसे विदेशियों को सस्ते मूल्यों पर बेचा जा सके। भारत में चीनी के मूल्य-निर्धारण की नीति इसी प्रकार की रही है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का मूल्य—निजी व्यवसायों द्वारा उत्पादित

वस्तुओं और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य-निर्धारण के लिए धनगार्य गई नीतियाँ भिन्न हो सकती हैं। निजी-उपक्रमों में मूल्य-निर्धारण इस प्रकार होना चाहिए जिससे कर सहित उत्पादन लागत निकालने के पश्चात् इतना लाभ प्राप्त हो ताकि पूंजी तथा उपक्रम आकर्षित हो सकें। किन्तु सरकारी उपक्रमों के समक्ष मूल्य-निर्धारण करते समय व्यावसायिक दृष्टिकोण की अपेक्षा जन-कल्याण का ध्येय प्रमुख होता है। इसीलिए, सार्वजनिक उपक्रमों की स्थिति बहुधा एकाधिकारिक होते हुए भी इनके मूल्य कम हो सकते हैं क्योंकि सरकार का विचार इस रूप में उपभोक्ता को रियायत देना हो सकता है। किन्तु विभिन्न विचारकों में इस बात पर मनक्य नहीं है कि सार्वजनिक उपक्रमों की मूल्य-नीति लाभ के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए अथवा नहीं।

मूल्य-नीति से उपक्रम को लाभ—कुछ विचारकों के मतानुसार सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए जाने चाहिए जिससे उन पर विनियोजित पूंजी पर पर्याप्त लाभ हो सके। इससे जहाँ सरकार को विकास के लिए पर्याप्त धनराशि प्राप्त हो सकेगी, वहाँ मुद्रा प्रसारित प्रवृत्तियों के दमन में भी सहायता मिलेगी। इन उपक्रमों को हानि पर चलाने से मुद्रा प्रसारित प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होनी हैं, क्योंकि इस प्रकार कम मूल्य वसूल करने से जनता के पास व्यय करने के लिए अधिक राशि रह जाती है। साथ ही, राजकोष में कम राशि पहुँचती है, जिनकी पूर्ति जनता से अधिक कर वसूल कर की जाती है। इन उपक्रमों द्वारा उत्पादित वस्तुएँ और सेवाएँ कम मूल्य पर बेचने से इसका कोष सामान्य जनता पर पड़ता है, जबकि उसका लाभ उस वस्तु का उपभोग करने वाले कुछ व्यक्तिओं को ही मिलता है। उपभोक्ताओं को एक वर्ग के रूप में इस प्रकार रियायत देना उपयुक्त नहीं है। अतः इन उपक्रमों द्वारा उत्पादित पदार्थों और सेवाओं में मूल्य इतने होने चाहिए जिससे उन्हें सन्तोषप्रद लाभ मिल सके। इससे देश की विकास योजनाओं के लिए सहज ही साधन उपलब्ध किए जा सकते हैं, यदि किन्हीं कारणों से किसी उद्योग को आर्थिक सहायता देना भी हो तो भी लाभ-हानि का लेखा-जोखा स्पष्ट रूप से दिखाया जाना चाहिए और उपक्रम को दी गई सहायता को अलग दिखाया जाना चाहिए।

लाभ-रहित स्थिति में भी संचालन—उक्त विवरण से स्पष्ट है कि इन उपक्रमों की कुशलता का मापदण्ड इनके द्वारा प्राप्त लाभ है, किन्तु ऐसा अनिवार्य नहीं है। नाभा गोगलदास के मतानुसार "एक सार्वजनिक व्यवसाय हानि पर चलाया जा रहा है, किन्तु वह सस्ती गैस, बिजुत, यातायात या डाक व्यव के रूप में हानि से भी अधिक सामाजिक कल्याण में वृद्धि कर रहा हो।" सार्वजनिक व्यवसायों के लिए यह बाँधनीय है कि वे स्वावलम्बी हो किन्तु व्यापक सामाजिक हितों की दृष्टि से कम मूल्य की नीति अपनाकर उन्हें 'निधोजित हानि' पर भी संचालित किया जाना अनुचित नहीं है। वस्तुतः सरकार का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं अपितु अधिकाधिक सामाजिक कल्याण होता है। अतः सरकार द्वारा उत्पादित ऐसी वस्तुओं और सेवाओं

के मूल्य कम लिए जाने चाहिए जिनका उपयोग मुख्यतः समाज के निर्धन, शोषित और पीड़ित व्यक्ति करें।

किन्तु इसका यह आशय कदापि नहीं है कि सरकारी उपक्रम कुशलतापूर्वक नहीं संचालित किए जाने चाहिए। उपक्रम की कुशलता एक अन्य वस्तु है जिसका मूल्य-निर्धारण से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। उत्पादन लागत से कम मूल्य पर इनकी वस्तुएँ विक्रय किए जाने पर भी उपक्रम को निजी-क्षेत्र की ऐसी ही इकाई की कुशलता के स्तर पर संचालित करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लाभ-रहित स्थिति में संचालन के समर्थक इस तर्क को भी सन्तोषप्रद नहीं मानते कि लाभ-मूल्य-नीति (Profit-Price-Policy) अपनाते से उपभोक्ताओं के पास व्यय के लिए कम राशि बचेगी जिससे धन कम होगा और मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियों का दमन होगा। ऐसा तभी सम्भव है, जबकि वह उद्योग एकाधिकारिक हो और उसकी माँग वेलोच हो।

अतः कभी-कभी यह विचार प्रस्तुत किया जाता है कि सार्वजनिक उपक्रमों की मूल्य-नीति का आशय 'न लाभ, न हानि' (No Profit, No Loss) होना चाहिए। किन्तु नियोजन द्वारा विकाराधीन निर्धन देशों के लिए यह नीति अनुचित है। अर्द्ध-विकसित देशों में वित्तीय साधनों को जुटाने की समस्या होती है और अधिक मूल्य की नीति अपनाकर सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ योजनाओं की वित्त-व्यवस्था का एक बड़ा स्रोत बन सकते हैं। यही कारण है कि नियोजन पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उठी में हुए सेमिनार में डॉ. वी. के. आर. वी. राव ने 'न लाभ, न हानि' की नीति को अस्वीकार करते हुए लाभ-मूल्य नीति का समर्थन किया। आजकल भारत में योजना-आयोग भी इसी नीति पर चल रहा है और उसकी प्रत्येक योजना में सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभों पर उत्तरोत्तर अधिक निभंरता प्रदर्शित की गई है। अन्य अर्द्ध-विकसित देशों के लिए भी यही मूल्य-नीति उचित है।

वस्तु नियन्त्रण (Commodity Control)

नियोजित अर्थ-व्यवस्था में नियन्त्रण निहित है। कई बार नियोजित अर्थ-व्यवस्थाओं में भेद, उनमें व्याप्त नियन्त्रण की प्रकृति और लक्षणों के आधार पर किया जाता है। नियन्त्रण जितने अधिक और कठोर होते हैं वहाँ नियोजन भी उतना ही कठोर होगा है। इसके विपरीत जहाँ नियन्त्रण कम और सरल होते हैं, वहाँ नियोजन अधिक जनतान्त्रिक और कम कठोर होता है। इस प्रकार 'नियन्त्रण' नियोजन की एक प्रमुख विशेषता है। थॉमस विल्सन के अनुसार, "नियोजन और भौतिक नियन्त्रण इतने अधिक सम्बन्धित हैं कि इन्हें लगभग अभिन्न माना जा सकता है।" इस प्रकार, नियोजन में कई प्रकार के नियन्त्रण होते हैं। वस्तु नियोजित अर्थ-व्यवस्था का प्राथम्य ही नियोजन अधिकारी द्वारा निश्चित सामाजिक उद्देश्यों के

निरन्तरित अर्थ-व्यवस्था है। पूर्ण नियोजित अर्थ-व्यवस्था अधिक नियन्त्रित रहनी है, किन्तु मिश्रित जनतान्त्रिक-नियोजन में निरन्तरण अधिक व्यापक नहीं होते। किन्तु फिर भी नियोजित अर्थ-व्यवस्थाओं में वस्तु-नियन्त्रण आवश्यक हो जाता है। इन अर्द्ध-विकासित देशों में नियोजन अर्थात् में उपभोक्ता और पूंजीगत दोनों प्रकार की वस्तुओं की माँग बढ़ती है। विकास कार्यक्रमों के लिए कई परियोजनाएँ संचालित की जाती हैं, जिनके लिए विशाल मात्रा में पूंजीगत वस्तुएँ चाहिए। ये वस्तुएँ स्वदेशी तथा आयातित दोनों प्रकार की हो सकती हैं। जिस प्रकार विकास के लिए यह आवश्यक है कि ये वस्तुएँ उचित मूल्यों पर प्राप्त हों, उसी प्रकार यह भी आवश्यक है कि अच्छी किस्म की, पर्याप्त मात्रा में और समय पर निरन्तर ये वस्तुएँ उपलब्ध हों। आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों, व्यक्तियों आदि में इनका उचित आवंटन हो और अनुकूलतम उपयोग हो, इसके लिए इन वस्तुओं का निरन्तरण आवश्यक है। इसमें इनके निश्चित मूल्यों पर विक्री के साथ साथ विभिन्न फर्मों तथा उद्योगों का कोटा (Quota) भी निर्धारित किया जा सकता है।

नियोजन के अन्तर्गत बहुधा उपभोक्ता वस्तुओं का भी अभाव रहता है। उत्पादन के अधिकांश साधनों का अधिकाधिक भाग विनियोग कार्यक्रमों में लगाया जाता है। अधिकांश उपलब्ध, वित्तीय और भौतिक साधनों का उपयोग पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में लगाया जाता है। सिंचाई, विद्युत्, सीमेंट, इस्पात, मशीन और मशीनी औजार भागी विद्युत् सामग्री, भारी रसायन आदि परियोजनाएँ प्रारम्भ की जाती हैं। इस प्रकार, नियोजित अर्थ-व्यवस्था में साधन पूंजीगत परियोजनाओं में लग जाते हैं और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन की ओर कम ध्यान दिया जाता है। देश के आर्थिक विकास को गति देने और उसे स्वयं-स्फूर्त-व्यवस्था में पहुँचाने के लिए यह आवश्यक भी है, किन्तु इससे उपभोक्ता वस्तुओं की कमी पड़ जाती है। साथ ही, नियोजन के परिणामस्वरूप व्यक्तियों की आय भी बढ़नी है, जिसे उपभोग पर व्यय किया जाता है। इससे उपभोग वस्तुओं की माँग बढ़ जाती है। इन देशों की तीव्रता से बढ़ती हुई जनसंख्या भी इनकी माँग में वृद्धि कर देती है। ऐसी स्थिति में इनमें मूल्य-वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। बहुधा उद्योगपति वर्ग वस्तु की स्वल्पता के कारण परिस्थितियों का नाजायज लाभ उठाकर अधिकाधिक मूल्य लेने का प्रयास करते हैं। इसके लिए कृत्रिम अभावों का सृजन भी किया जाता है। काला बाजार और मुनाफाखोरी को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे निर्धन वर्ग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें इन पदार्थों की आवश्यक न्यूनतम मात्रा भी प्राप्त नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में इन उपभोक्ता वस्तुओं, विशेष रूप से आवश्यक पदार्थों जैसे, साबुन, चीनी, खाद्य-तेल, मिट्टी का तेल, साबुन, वस्त्र आदि का नियन्त्रण तो आवश्यक सा हो जाता है। केवल मूल्य-नियन्त्रण या मूल्य-निर्धारण ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यदि कम मूल्य निश्चित कर दिए गए तो वस्तुएँ छिपा ली जाएँगी और काला बाजार (Black Market) में बेची जाएँगी या वे अच्छी किस्म की नहीं होंगी या फिर उनके उत्पादकों को पर्याप्त प्रेरणा नहीं मिलने के कारण उत्पादन

कम होगा। अतः उचित मूल्य-नीति अपनाई जाने के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि इन वस्तुओं के उत्पादन, उपभोग-विनिमय और वितरण पर पूर्ण नियन्त्रण रखा जाए। उत्पादन-स्तर पर इनके उत्पादन में कोई शिथिलता नहीं बरती जाए और क्षमता का पूरा उपयोग करके अधिकाधिक उत्पादन किया जाए। साथ ही, उसे बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध कराया जाए। इन वस्तुओं की बिक्री भी नियन्त्रित रूप से स्वयं सरकार द्वारा या सहकारी समितियों द्वारा या नियन्त्रित एजेंसियों द्वारा की जाए। जो कुछ उपलब्ध हो उसके उचित वितरण की व्यवस्था की जाए। यदि उचित वितरण व्यवस्था न हो, जैसे कुछ लोगों को कम और कुछ लोगों को अधिक वस्तुएँ मिल सकें तो यह बात अधिक सहन नहीं की जा सकती। इन वस्तुओं के वितरण में राशनिंग (Rationing) की नीति भी अपनाई जा सकती है।

भारतीय नियोजन में मूल्य और मूल्य-नीति (Prices and Price-Policy during Planning in India)

प्रथम पंचवर्षीय योजना—भारतीय नियोजन में प्रारम्भ में ही मूल्य नियमन की ओर ध्यान दिया गया है। प्रथम योजना, द्वितीय विश्वयुद्ध और विभाजन जनित वस्तुओं की कमी को दूर करने और मुद्रा प्रसारिक प्रवृत्तियों को रोकने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी तथा अपने दम उद्देश्य को प्राप्त करने में यह सफल भी हुई। इस योजनावधि में मुद्रा-भूति में भी 13% की वृद्धि हुई और 330 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थ-व्यवस्था की गई किन्तु मानसून की अनुकूलता के परिणामस्वरूप उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। लाघानों का उत्पादन 20% कपास का उत्पादन 45% और हिलहन का उत्पादन 8% बढ़ गया। योजनावधि में कृषि उत्पादन निर्देशांक 1949-50 वर्ष का आधार मानते हुए 96% से बढ़कर 117% हो गया। औद्योगिक उत्पादन में 184 पाइन्ट की वृद्धि हुई। उत्पादन में इस वृद्धि के साथ-साथ सरकार द्वारा दिए गए प्रयत्नों को रियायत-युक्त की समाप्ति के कारण मूल्यों में गिरावट आई। सन् 1952 में थोक मूल्य निर्देशांक में कमी आई और कुछ समय तक मूल्यों में लगभग स्थिरता रही। सन् 1953-54 में बहुत अच्छी फसल हुई जिसके कारण मूल्यों में बहुत गिरावट आई। कुल मिलाकर योजना काल में थोक मूल्यों के निर्देशांक में 20%, खाद्य-पदार्थों के मूल्य निर्देशांक में 26%, निर्मित-पदार्थों के मूल्य निर्देशांक में 36% और औद्योगिक कच्चे माल के मूल्य निर्देशांक में 32% की कमी आई। योजनावधि में मूल्यों की इस गिरावट के संतुलन हेतु राज्य ने अर्थोच्च मूल्य निर्धारित करने और अनेक कार्यवाहियों द्वारा मूल्यों को इस स्तर से नीचे नहीं गिरने देने के लिए प्रयास प्रारम्भ किए ताकि उत्पादकों को मूल्यों के गिरने से हानि न हो।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना—यह योजना प्रथम योजना की अपेक्षा बहुत बड़ी थी। तांत्रिक क्षेत्र में 4,600 करोड़ रुपये व्यय किए गए। निजी क्षेत्र में 3,100 करोड़ रुपये का विनियोग हुआ। योजनावधि में 948 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थ-व्यवस्था की गई जो समस्त योजना व्यय का 20% था। साथ ही इस

अवधि में मुद्रा-पूर्ति 2,216 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,868 करोड़ रुपये हो गई। इस प्रकार मुद्रा-पूर्ति में 29% की वृद्धि हो गई। दुर्भाग्यवश, कृषि-उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकी यद्यपि कई वर्षों में तो विलगत वर्षों की अपेक्षा उत्पादन में कमी आई। उदाहरणार्थ, सन् 1957-58 में खाद्यान्नों का उत्पादन गत वर्ष की अपेक्षा 60 लाख टन कम हुआ। सन् 1959-60 में भी खाद्यान्नों के उत्पादन में इसके पिछले वर्ष की अपेक्षा 40 लाख टन की गिरावट आई। इसी वर्ष जूट, कपास और तिलहन के उत्पादन में क्रमशः 12%, 18% और 12% की गिरावट आई। इस प्रकार योजना अपने उत्पादन लक्ष्यों में काफी पिछड़ गई। परिणामस्वरूप, द्वितीय योजना में मूल्य-वृद्धि होना स्वाभाविक था। जनसंख्या वृद्धि ने भी इसे सहारा दिया। इस योजना में मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होनी रही। योजनावधि में थोक मूल्यों का सामान्य निर्देशांक (General Index of Wholesale Prices) 33% बढ़ गया। इसी प्रकार, खाद्यान्नों, औद्योगिक कच्चे माल, विभिन्न वस्तुओं के मूल्य निर्देशांकों में क्रमशः 48%, 45% तथा 25% की वृद्धि हुई।

योजनावधि में मूल्य-नीति के अन्तर्गत खाद्य तथा अन्य सामग्री में उचित संतुलन बनाए रखने पर ध्यान दिया गया। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रेरणास्त्रध मूल्य-न्तर आवश्यक था और सरकार इस नीति को अपनाती रही। इस योजना में मूल्यों के अत्यधिक उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए खाद्यान्नों के वफर-स्टॉक के निर्माण का आयोजन किया गया। साथ ही, आयात निर्यात कोटे की मात्रा की समय से पूर्व-घोषणा, अग्रिम सौदे पर नियन्त्रण, सार्वजनीक नियन्त्रण एवं अन्य वित्तीय कार्यवाहियों को अपनाया गया। इसके बावजूद भी मूल्य वृद्धि को नहीं रोका जा सका। बस्तुतः योजना के अन्तर्गत उद्योग, खनिज, यातायात, विशुद्ध आदि पर अधिक विनियोजन के साथ-साथ मूल्य-वृद्धि रोकने के लिए कृषि-उत्पादन में वृद्धि आवश्यक है। किन्तु भारत में कृषि-उत्पादन की मात्रा मौसम और मानसून की अनुवृत्तता पर निर्भर करती है, जो अनिश्चित है। अतः मूल्य नीति का आधार कृषिगत पदार्थों के मध्य पर्याप्त मात्रा में बनाए रखना है, ताकि कमी के समय मूल्यों को नियन्त्रित रखा जा सके। द्वितीय योजना में मूल्य नीति की निम्नलिखित बर्णना थी—

(i) मूल्य नीति को प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं किया गया और उसके क्रियान्वयन पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया।

(ii) मूल्य नीति से सम्बन्धित कार्यवाहियों में पारस्परिक समन्वय का अभाव था।

(iii) मूल्य नीति को दीर्घकालीन दृष्टिकोण और आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित नहीं किया गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना—द्वितीय योजना के प्रारम्भ और तृतीय योजना के प्रारम्भ के तात्पराण में पर्याप्त अन्तर था। जहाँ प्रथम योजना में मूल्यों में गिरावट आई थी वहाँ अन्य योजनाओं में मूल्य 35% बढ़ गए थे। इसलिए तृतीय योजना में

मूल्य-नियमन-नीति की ओर विशेष ध्यान दिया गया था। द्वितीय योजना में मूल्य-नियमन के लिए सुदृढ नीति को कोई विशेष महत्त्व नहीं दिया गया, किन्तु इस बात का अवश्य अनुमान लगा लिया गया था कि विकास कार्यक्रमों के लिए विनियोजन की नई माँगों की तुलना में पूर्ति कम ही होगी और इसलिए मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियों की सम्भावना और उनके नियन्त्रण की समस्याएँ उत्पन्न होंगी। इसके बावजूद भी योजना-आयोग ने इन कठिनाइयों के भय से विकास कार्यक्रमों को कम करना उचित नहीं समझा। इस प्रकार द्वितीय योजना-निर्माण में विकास को अधिक महत्त्व दिया गया और मूल्यों की स्थिरता को आधारभूत आवश्यकता नहीं माना गया।

किन्तु तृतीय योजना के समय परिस्थितियाँ भिन्न थीं। देश का विदेशी मुद्रा-कोष भी बहुत कम हो गया था और इसलिए विदेशों से अधिक मात्रा में पदार्थों का आयात करके वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाना भी कठिन था। विदेशी विनिमय की स्थिति में सुधार हेतु निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी करना आवश्यक था। मूल्य-वृद्धि से योजना के कार्यक्रमों पर भी अत्यन्त दुष्प्रभाव पड़ता है। योजना की सफलता संदिग्ध हो जाती है। फिर तृतीय योजना में तो विकास कार्यक्रमों और विनियोजन की राशि द्वितीय योजना की अपेक्षा बहुत अधिक थी। तृतीय योजना में 10,400 करोड़ रुपये के विनियोजन का लक्ष्य था। ऐसी स्थिति में मूल्य-वृद्धि की सभी सम्भावनाएँ थीं। अतः तृतीय योजना में एक सुदृढ मूल्य-नीति की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था और मूल्य-नियमन की आवश्यकता अनुभव की गई थी। किन्तु मूल्य नियमन का आशय मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं होने देने से नहीं है। भारी पूंजी-विनियोजन के कार्यक्रम वाली विकासोन्मुख अर्थ व्यवस्था में थोड़ी-बहुत मूल्य-वृद्धि अप्रत्याशित और हानिकारक नहीं है, किन्तु मूल्यों में अधिक वृद्धि को तथा उससे आने वाले उच्चावचनों को रोकने हेतु उचित मूल्य-नीति आवश्यक थी।

तृतीय योजना में इसी आधार पर मूल्य-नीति बनाई गई थी, जिसमें कर-नीति, मौद्रिक नीति, व्यापारिक-नीति, पदार्थ-वितरण-नीति आदि को समन्वित रूप से गणना के आयोगों में था। कर-व्यवस्था इस प्रकार की करनी थी जिससे उपभोग को योजना के अनुकूल प्रतिबन्धित और सीमित किया जा सके तथा विनियोजन हेतु पर्याप्त साधन जुटाए जा सकें। मौद्रिक-नीति द्वारा साख का नियमन तथा नियन्त्रण, सट्टे की सीमाएँ तथा इस उद्देश्य से पदार्थों का सग्रह इत्यादि द्वारा विदेशों से आवश्यक वस्तुओं का आयात करके दुनियादी वस्तुओं की कमी को दूर करना था। किन्तु इनके लिए दीर्घवालीन आयात को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। कुछ अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं का मूल्य-नियन्त्रण अपनाया जाना था और इनके मूल्यों को एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ने देना था। साथ ही इनके समुचित वितरण के लिए राशनियम पद्धति को भी अपनाया जा सकता था। इस योजना में मध्यस्थों और उनके लाभों को सीमित करने या नगण्य करने के लिए सरकारी या सहकारी संस्थाओं द्वारा इनके वितरण को प्रोत्साहित किए जाने पर अधिक बल दिया गया था। अर्द्ध-विकसित देशों में हाथ-पदार्थों के मूल्यों में स्थिरता

लाना बहुत आवश्यक होता है। अतः इस योजना में भी खाद्यान्नों के मूल्यों में यथोचित स्थिरता लाना आवश्यक था। इसके लिए सरकार द्वारा खाद्यान्नों के सग्रह को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाना था। साथ ही, मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कृषि और औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि का आग्रह था।

इनके बावजूद भी इस योजना में निरन्तर तेजी से मूल्य-वृद्धि हुई। मुख्यतः कृषि-पदार्थों के मूल्य काफी बढ़ गए। योजना के प्रथम दो वर्षों में तो मूल्य-वृद्धि नगण्य थी। सन् 1961-62 में समस्त पदार्थों के मूल्य निर्देशांक में 4.6 पाइंट की गिरावट आई। किन्तु सन् 1962-63 से मूल्य-वृद्धि शुरू हुई और यह वृद्धि योजना के अन्त तक जारी रही। तृतीय योजना के इन पांच वर्षों में साद्य पदार्थों से सम्बन्धित थोक मूल्य निर्देशांक 48.4% बढ़ गया। औद्योगिक कच्चे माल, निर्मित माल और समस्त पदार्थों के थोक मूल्य निर्देशांक में क्रमशः 32.6%, 22.1% और 36.4% की वृद्धि हो गई। परिणामस्वरूप, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक (All India Consumer Price-Index) (आधार वर्ष 1949=100) योजना के प्रारम्भ में 125 से सन् 1965-66 में 174 हो गया। इसी प्रकार तृतीय योजना में भी मूल्यों में बहुत वृद्धि हुई। इस मूल्य-वृद्धि के लिए पदार्थों की माँग और पूर्ति दोनों से सम्बन्धित घटक उत्तरदायी थे। इस योजनावधि में चीनी और पाकिस्तानी आक्रमण के कारण सुरक्षा-व्यय में भारी वृद्धि हुई। सांख्यिक और निजी दोनों क्षेत्रों में वैसे भी पर्याप्त पूँजी विनियोजित की गई। जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही, किन्तु कृषि-उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकी। साथ ही 1,150 करोड़ रुपये के हीनार्थ-प्रबन्धन का सहारा लिया गया। मुद्रा-पूर्ति में भी 51.8% की वृद्धि हुई। योजनावधि में करो द्वारा भी पर्याप्त राशि एकत्रित की गई। विशेषतः प्रत्यक्ष करो का अधिक आश्रय लिया गया। इसी कारण मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई।

योजनावधि में इस वृद्धि को रोकने के लिए प्रयत्न किए गए। खाद्यान्नों के मूल्यों को नियन्त्रित करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया। उचित मूल्य की दूकानों (Fair Price Shops) की संख्या बढ़ाई गई। सरकार ने अनुदान देकर खाद्यान्नों को कम मूल्य पर जनता को उपलब्ध कराने के प्रयास किए। इन उचित मूल्य वाली दूकानों से जनता को वितरित अनाज की मात्रा निरन्तर बढ़ती गई। यह सन् 1962 में 43 लाख से बढ़ कर सन् 1965 में दुगुने से अधिक हो गई। खाद्यान्नों के मद्रहण के अधिक और अच्छे प्रयत्न किए गए। विदेशों से पर्याप्त मात्रा में अन्न का आयात किया गया। बड़े-बड़े नगरों में उचित वितरण के लिए खाद्यान्नों के राशनिंग का सहारा लिया गया। खाद्यान्नों और आवश्यक पदार्थों के मूल्यों को निर्धारित किया गया और उन्हें वसूल किए जाने का आग्रह किया गया। आवश्यक उपभोग वस्तुओं के अधिक मूल्य लेने और उनके अनावश्यक सग्रह को रोकने के प्रयत्न किए गए। रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर साख नीति में इस प्रकार के परिवर्तन किए गए जिनसे बुनियादी उपभोग-वस्तुओं के अनावश्यक सग्रह को रोका जा सके। इसके लिए भारत सुरक्षा नियमों (Defence of India Rules) का सहारा लिया गया और

अनधिकृत सभ्रहकर्ताओं को दण्डित करने का आयोजन किया गया। किन्तु इसके बावजूद भी तृतीय योजना में मूल्य-वृद्धि को रोका नहीं जा सका। निम्नलिखित सारणी में विभिन्न पदार्थों की वार्षिक वृद्धि दरे दी गई है—

मूल्य-निर्देशांशों में वार्षिक वृद्धि दरे (प्रतिशत में)¹

पदार्थ	द्वितीय योजना	तृतीय योजना	1966-67
1 सम्पूर्ण वस्तुएं	7.0	6.4	15.0
2 खाद्यान्न	7.7	8.1	18.4
3 औद्योगिक कच्चा माल	9.4	6.6	20.8
4 निर्मित वस्तुएं	4.9	4.1	9.2

एकवर्षीय योजनाओं में मूल्य—उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि द्वितीय योजना में शुरू हुआ मूल्य-वृद्धि का क्रम तृतीय योजना में भी जारी रहा और प्रथम एकवर्षीय योजना सन् 1966-67 में तो मूल्यों में वृद्धि-दरे सर्वोत्तर रही। केवल इसी वर्ष में समस्त वस्तुओं के मूल्यों में 15% और खाद्यान्नों के मूल्यों में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औद्योगिक कच्चे माल के मूल्यों में भी तेजी से वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण सूखा था। सन् 1967-68 में थोके मूल्यों में 11 प्रतिशत और खाद्य पदार्थों के मूल्यों में 21% की वृद्धि हुई। परन्तु सन् 1968-69 की अवधि में मूल्यों में अपेक्षाकृत स्थिरता आई। कुछ पदार्थों के मूल्यों में गिरावट आई। इसका एक प्रमुख कारण मानसून और मौसम की अनुकूलता के कारण कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होना है।

चौथी और पांचवीं योजनाएँ—चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में स्थायित्व के साथ आर्थिक विकास (Growth with Stability) करने का उद्देश्य रखा गया। योजना से सम्बन्धित 'Approach Paper' में स्थायित्व को निम्नलिखित दो उद्देश्यों से सम्बन्धित किया गया—

- (1) कृषि पदार्थों की भौतिक उपलब्धि में घटने वाले अधिक उच्चावचनों को रोकना।
- (2) मूल्यों में निरन्तर मुद्रा प्रसारित वृद्धि को रोकना।

प्रथम उद्देश्य से सम्बन्धित मुख्य कार्यक्रम कृषि पदार्थों के 'बफर स्टॉक' का निर्माण करना था। अतः चतुर्थ योजना में पर्याप्त बफर स्टॉक का निर्माण करने का निश्चय किया गया। मुख्य रूप से अनाजों के बफर स्टॉक बनाने पर अधिक ध्यान दिए जाने की बात नहीं गई। यह आशा व्यक्त की गई कि सरकार मुख्य कृषि पदार्थों को सापेक्षिक मूल्य-निरन्तरता को स्थिर बनाने और इन्हे इस प्रकार नियमित करने की स्थिति में होगी ताकि योजना के कई उद्देश्यों को पूरा करने में योग मिले।²

1. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन, जून 1967, पृष्ठ 742.

2. Notes on Approach to the Fourth Plan, Growth with Stability

दूसरे उद्देश्य के बारे में यह मत व्यक्त किया गया कि मूल्यों में निरन्तर-मुद्रा प्रसारित वृद्धि को रोकना मुख्य रूप से हीनार्थ प्रवन्धन में संयम पर निर्भर करता है। साथ ही, मूल्यों में सम्भावित वृद्धि को रोकने हेतु अन्य उपाय और नीतियाँ भी अपनाई जाएँगी। 'उचित मूल्य की दूकानें' और 'उपभोक्ता सहकारी भण्डारों' का पर्याप्त मात्रा में विस्तार किया जाएगा और उनकी परिधि में अनेक नई वस्तुएँ भी लाई जाएँगी। इससे आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में स्थायित्व लाया जा सकेगा। इस प्रकार की व्यवस्था, विशेष रूप से मौसमी उतार-चढ़ावों को रोकने और आकस्मिक दबावों (Sudden pressures) का सामना करने के लिए अधिक सहायक होगी। इस और किए गए पूर्व-प्रयत्नों का एकीकरण और विस्तार किए जाने का निश्चय किया गया ताकि पर्याप्त व्यापक और कुशल सार्वजनिक वितरण-प्रणाली (Public system of distribution) को जन्म दिया जा सके। विदेशों से वस्तुओं का आयात और अर्थ-व्यवस्था के मुद्दालन हेतु आवश्यक विदेशी पदार्थों की प्राप्ति सार्वजनिक अभिकरणों द्वारा किए जाने पर भी बल दिया गया।

उक्त योजना में यह माना गया कि मूल्य-स्तर को स्थिर बनाए रखने में कृषि-उत्पादन का महत्त्वपूर्ण भाग होता है। यह कहा गया कि हाल ही के अनुभवों से ज्ञात होता है कि जीवन-स्तर की लागत में निर्देशांक (Cost of Living Index Number) में खाद्यान्नों के मूल्य निर्णायक महत्त्व रखते हैं। अतः रहन-सहन के व्यय को स्थिर बनाए रखने हेतु खाद्यान्नों के मूल्यों को स्थिर रखना आवश्यक है। अतः योजना में खाद्यान्नों के उत्पादन और मुख्य रूप से कृषि-उत्पादन में वृद्धि की अनिवार्यता स्वीकार की गई। चतुर्थ योजना में कृषि-उत्पादन में 5% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया। साथ ही, औद्योगिक उत्पादन में 9% प्रतिवर्ष की वृद्धि तथा अन्य क्षेत्रों में पर्याप्त वृद्धि का लक्ष्य रखा गया।

पाँचवी योजना में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि आर्थिक विकास इस ढंग से हो ताकि मुद्रा-स्थिति न होने पाए, मूल्यों के बड़े हुए स्तर में गिरावट आए, निर्धन व्यक्तियों के लिए उचित मूल्यों पर उपभोग वस्तुएँ प्राप्त हो सकें— इसके लिए पर्याप्त बसुली और उचित वितरण प्रणाली स्थापित की जाए। सरकारी प्रयत्न

सम्पूर्ण नियोजन की अवधि में मुद्रा-प्रसारित प्रवृत्तियों के दमन हेतु सरकारी प्रयत्न दोनों दिशाओं से किए गए हैं। इसमें आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाने और अत्यधिक माँग को संयमित करने के प्रयत्न किए हैं। आवश्यक वस्तुओं की उत्पादन-वृद्धि के लिए सभी उपाय किए गए हैं। कृषकों को उत्पादन हेतु आवश्यक प्रेरणा प्रदान करने हेतु वस्तुओं के न्यूनतम मूल्य निर्धारित किए गए हैं। खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का निर्माण, उसका अधिक अच्छा संग्रहण (Procurement), इनका राजकीय व्यापार और भारी मात्रा में विदेशों से आयात की व्यवस्था की गई है। आन्तरिक विवरण के लिए सम्पूर्ण देश को खाद्यान्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया और गेहूँ, चावल आदि आवश्यक वस्तुओं के स्वतन्त्र रूप से लाने से जाने को

नियन्त्रित किया गया। उपभोग वस्तुओं की उचित वितरण व्यवस्था के लिए 'सहकारी उपभोक्ता भण्डार' 'सुपर बाजार' (Super Market) और पर्याप्त मात्रा में 'उचित मूल्य की दुकानें' स्थापित की गईं। सरकार को कृषि-पदार्थों के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए सन् 1965 में 'कृषि मूल्य आयोग' (Agricultural Price Commission) नियुक्त किया गया। वस्त्र, साबुन, वनस्पति घी, मिट्टी का तेल, खाद्य तेल, ट्यूब, टायर आदि सामान्य उपयोग की वस्तुओं के मूल्यों को नियन्त्रित और नियमित किया गया। सीमेन्ट, इस्पात, कोयला, चीनी आदि के वितरण और मूल्यों के बारे में भी नियन्त्रण की नीति अपनाई गई। उपभोग को सीमित करने के हेतु मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ अपनाई गईं। राजकोषीय नीति में कर-वृद्धि, गैर-विकास व्यय में कटौती, कर-चोरी को रोकना, काले धन का पता लगाना, ऐच्छिक वचत में वृद्धि करना आदि के उपाय अपनाए गए। मौद्रिक-नीति के अन्तर्गत साख निगन्त्रण हेतु खुले बाजार की नीति (Open Market Operations), बैंक-दर (Bank Rate) में वृद्धि, धनतात्मक साख नियन्त्रण (Selective Credit Control) और सुरक्षित कोष की आवश्यकताओं में परिवर्तन आदि के सब उपाय अपनाए गए। इसके बावजूद भी नियोजित विकास अवधि में भारत में मूल्यों में स्थायित्व नहीं लाया जा सका और मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई। सन् 1972-73 और 1973-74 में तो चोकर और फुटकर मूल्यों में भारी वृद्धि हुई जिससे जन-साधारण के लिए जीवन निर्वाह भी कठिन हो गया।

सरकार ने मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिए समुचित और तर्क-संगत मूल्य-नीति को कठोरतापूर्वक लागू करने का निश्चय किया। उत्पादन वृद्धि के लिए वचत-दर अधिक करने और मुद्रा-स्फीति को निष्प्रभावी बनाने के लिए 'हीनार्थ प्रवचन' की व्यवस्था पर अकुश लगाने का निश्चय किया गया। मूल्य-नियन्त्रण के लिए प्रशासकीय मशीनरी को अधिक प्रभावशाली बनाने पर ध्यान दिया गया। खाद्यान्नों के उत्पादन के सम्बन्ध में व्यावहारिक अनुमान लगाने और सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में समग्र-समय पर छायाओं को पहुँचाने की नीति पर अधिक प्रभावी रूप में अमल किया जाने लगा। सन् 1975-76 में मूल्य-नीति इस बात को ध्यान में रख कर बनाई गई कि कृषिगत वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता आ सके। इसी दृष्टि से सन् 1975-76 के बिक्री के मौसम (अप्रैल-माघ) के लिए गेहूँ की बसूली का मूल्यगत वर्ष के स्तर पर अर्थात् 105 रुपये प्रति क्विन्टल रखा गया। 'कृषि-मूल्य-आयोग' ने भी महसूस किया था कि सरकार ने गत वर्ष जो वृद्धि स्वीकार की है, वह उक्त समय में कृषि उत्पादन तागत में हुई वृद्धि की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त है। अधिक बसूली के लिए वारस स्कीम पर अधिक प्रवर्धित रूप में अमल किया गया। मूल्य स्तर को रोकने के उपायों को सुट्ट कर देने के लिए खरीफ के अनाज के मूल्यों के बारे में मूल्य-नीति निर्धारित की गई। 'कृषि मूल्य आयोग' की सिफारिशों ने अनुल्प खरीफ के अनाज की बसूली का मूल्य सन् 1974 के स्तर पर ही रखा गया। आयोग के सुझाव पर विचार किया गया कि चावल की बसूली के सम्बन्ध में दो प्रकार की प्रोत्साहन

बोनस स्कीमों को जारी किया जाए और मिला दिया जाए ताकि लक्ष्य-पूर्ति को सुनिश्चित करने में सहायता मिले। कृषि-मूल्य-आयोग ने अनाज की वसूली के मूल्यों में तो कोई परिवर्तन करने की सिफारिश नहीं की थी, लेकिन अपनी रिपोर्ट में गन्ना, जूट और कपास के न्यूनतम समर्थित मूल्यों में वृद्धि करने का सुझाव दिया था। सरकार ने स्थिति पर पूर्णरूप से विचार करने के पश्चात् गन्ने का मूल्य ज्यों का त्यों रखने का फंसला किया क्योंकि कृषकों के हित को ध्यान में रखते हुए कानूनी न्यूनतम मूल्य महत्त्वहीन था। निर्धारित न्यूनतम मूल्य में वृद्धि करने का सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ता, कि लेवी चीनी की लागत और मूल्य बढ़ाने पड़ते और उपभोक्ता के लिए चीनी का मूल्य बढ़ाना पड़ता। सन् 1974-75 के मौसम में भी लेवी चीनी का अनुपात 70 से घटा कर 65 करके लेवी चीनी की एक समान अखिल भारतीय कीमत बनाए रखी गई थी, जिससे चीनी मिल उद्योग को जो लाभ मिलता है, वह कम न हो। लेवी चीनी का अनुपात घटाने से सरकारी वितरण प्रणाली पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि सन् 1974-75 में 48 लाख मेट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ। कपास और जूट के समर्थित मूल्यों के बारे में सरकार ने 'कृषि मूल्य आयोग' की सिफारिशों मान ली। कपास का उत्पादन अधिक होने पर इसके मूल्य तेजी से नहीं घटे और चालू वर्ष में भी कपास की अच्छी फसल होने पर मूल्यों में गिरावट नहीं आई।

आर्थिक समीक्षा सन् 1976-77 के अनुसार मूल्य-वृद्धि और सरकारी नीति

धोक कीमतों का सूचक अंक, जो 28 सितम्बर, 1974 को समाप्त होने वाले सप्ताह में 183.4 था, कम होकर 20 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले सप्ताह में 162.2 रह गया। इसका हल फिर बदल गया और यह 26 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले सप्ताह में, फिर बढ़कर 181.5 हो गया। इस प्रकार पिछले 18 महीनों में हुई कमी से 26 मार्च, 1977 को समाप्त हुए वर्ष में 11.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। किन्तु ज्यादातर वृद्धि मार्च, 1976 और सितम्बर, 1976 के बीच हुई और बाद के छ महीनों में कीमतें वही तो अवश्य, पर ज्यादा नहीं। कीमतों में वृद्धि मुख्य रूप से कुछ वस्तुओं के उत्पादन में कमी होने के कारण हुई। जैसा कि मुद्रा-उपलब्धि में 17 प्रतिशत की वृद्धि से पता चलता है, कुल माँग और पूर्ति के बीच फिर से काफी असंतुलन पैदा हो गया था, इससे भी कीमतें बढ़ीं।

धोक कीमतों के सूचक अंक में वृद्धि होने के कारण उपभोक्ता कीमत सूचक अंक में भी वृद्धि हुई यद्यपि यह वृद्धि अपेक्षाकृत कम थी। मार्च, 1976 और मार्च, 1977 के बीच सूचक अंक में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सन् 1976-77 में फिर कीमतों में उतार-चढ़ाव से होने वाले उस प्रभाव का पता चलता है जो कृषि उत्पादन में होने वाली घटबट से कीमतों के स्तर पर पड़ सकती है, खास कर उस स्थिति में जबकि अर्थ-व्यवस्था के मौद्रिक साधनों में तेजी से वृद्धि हुई हो। ऐसी परिस्थितियों में कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए

यह आवश्यक है कि कृषि उत्पादन को तेज से तेज रफ्तार से बढ़ाया जाए। किन्तु इस समस्या से केवल तत्काल निपटने के लिए तो विदेशों से अन्न का आयात करने और सरकार के सुरक्षित भण्डार में से अनाज सप्लाई करने के अलावा और कोई तात्कालिक उपाय नहीं हो सकता। अतः सरकार ने देश में अनाज की खरीद और विदेशों से आयात के द्वारा सन् 1976-77 के अन्त तक 18 करोड़ मेट्रिक टन अनाज का सुरक्षित भण्डार बना लिया था। इस विशाल अन्न भण्डार और पर्याप्त मात्रा में संचित विदेशी मुद्रा के कारण कीमतों को स्थिर रखने की क्षमता काफी हद तक प्राप्त हो गई थी। सन् 1976-77 में इस अनुकूल स्थिति का लाभ उठाकर घरेलू उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में खाद्य तेलों और कच्ची रई की विदेशों से मँगवाया गया। किन्तु कीमतों की स्थिति पर इस नीति का असर कुछ सीमित ही रहा क्योंकि विदेश में रई की कीमत ऊँची थी और सन् 1977 के पहले भाग में खाद्य तेलों की कीमतों में भी तेजी से वृद्धि हुई। इसके अलावा, पीपी और खाद्यान्नों की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए सुरक्षित भण्डार में से भी इनकी सप्लाई की गई।

आर्थिक समीक्षा सन् 1977-78 के अनुसार

मूल्य-वृद्धि और सरकारी नीति

धोक कीमतों का सूचक अंक, जो 20 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले सप्ताह में 162.2 तक गिर गया था, बढ़कर 26 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले सप्ताह में 182.1 हो गया। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में सूचक अंक 12% ऊँचा था। तथापि यह वृद्धि सामेक्षिक रूप में बहुत कम थी परन्तु 21 जनवरी, 1978 तक 0.6% से अधिक नहीं उपभोक्ता कीमत सूचक अंक में धोक कीमत सूचक अंक से कुछ अधिक वृद्धि हुई। मार्च, 1977 और दिसम्बर, 1977 के बीच सूचक अंक में 5.8% की वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि में धोक कीमतों के सूचक अंक में 1% से भी कम की वृद्धि हुई। सन् 1977-78 में जो मूल्य वृद्धि-व्यवहार रहा वह सरकारी नीति की सफलता का छोटक है।

भारत सरकार के वित्त मन्त्री के बजट भाषण

(28 फरवरी, 1978) के अनुसार स्थिति

भारत सरकार के वित्त मन्त्री श्री एन. एम. वटेल ने 28 फरवरी, 1978 को अपने बजट भाषण में कहा—

“कार्यभार सम्भालते समय हमें मुद्रा-स्थिति (इन्फ्लेशन) की अत्यन्त विस्फोटक स्थिति विरासत में मिली थी। सन् 1976-77 के दौरान कीमतों में 12% से भी अधिक बढ़ोतरी हुई थी। वह एक ऐसा वर्ष था जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद (ग्रान्ड नेशनल प्रोडक्ट) में 2% से भी कम की वृद्धि हुई थी और मुद्रा उपलब्धि में 20% की बढ़ोतरी हुई थी। इस प्रकार सन् 1977-78 का प्रारम्भ उस समय हुआ था जबकि अर्थ-व्यवस्था में नकदी अत्यधिक मात्रा में मौजूद थी जिससे फिर एक बार मुद्रा-स्थिति का नया दौर शुरू होने का डर था। वर्ष के पहले भाग में,

हमारी सरकार ने जनता को दिए गए अपने वचनों को पूरा करने के लिए अनिवार्य जमा योजना (कम्पल्सरी डिपोजिट स्कीम) को वापस ले लिया और 8.33% के सांविधिक (स्टेट्यूटरी) बोनस को भी बहाल कर दिया। इन कारणों से निस्सन्देह माँग का दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया। इस पृष्ठभूमि में, यह बड़ी खुशी की बात है कि चालू वर्ष के दौरान अर्थ-व्यवस्था का संचालन इस ढंग से किया गया कि जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कीमतें न बढ़ें। सम्मानित सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आज थोक कीमतों का सूचक अंक (इन्डेक्स) उस स्तर से नीचा है जो हमें पिछली सरकार से विरासन में मिला था।

कीमतों में इस प्रकार सापेक्षिक स्थिरता (रिलेटिव स्टेबिलिटी) बनाए रखने में जो सफलता मिली है उसका कारण यह था कि पूर्ति प्रबन्ध और सावजनिक वितरण की सक्रिय नीति तथा मुद्रा और ऋण के सम्बन्ध में प्रतिबन्धात्मक नीति का तत्परता के साथ पालन किया गया। सरकारी भण्डारों से अनाज और चीनी का वितरण उदारतापूर्वक किया गया। देश में खाद्य तेल, कपास और कृत्रिम रेशो को कमी को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में इनका आयात किया गया। अनेक आवश्यक वस्तुओं का निर्यात विनियमित किया गया और उनके शुल्को (एक्सपोर्ट ड्यूटी) में समुचित परिवर्तन किए गए ताकि देश में उनकी उपलब्धता बढ़ाई जा सके। प्रशासनिक और मौद्रिक दोनों प्रकार के कदम उठाए गए ताकि सट्टेबाजी के लिए जमाखोरी न की जा सके और दबा हुआ भण्डार बाजार में आ जाए। इसके साथ ही पर्याप्त उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अनाज भिन्न कई वस्तुओं के सम्बन्ध में एक सक्रिय समर्थन-कार्यक्रम (सपोर्ट प्रोग्राम) अपनाया गया। हम औचित्यपूर्वक यह दावा कर सकते हैं कि आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में एकीकृत मूल्य और वितरण नीति विकसित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है। मुझे इस बात से और भी सन्तोष मिलता है कि कीमतों में सापेक्षिक स्थिरता उस स्थिति में रखी जा सकी जबकि अर्थ-व्यवस्था का तेजी से विस्तार किया जा रहा था।”

परियोजना मूल्यांकन के मानदण्ड; विशुद्ध-वर्तमान मूल्य और प्रतिफल की आन्तरिक-दर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत एवं लाभ

(CRITERIA FOR PROJECT EVALUATION,
NET PRESENT VALUE AND INTERNAL
RATE OF RETURN, DIRECT AND
INDIRECT COST AND BENEFITS)

परियोजना मूल्यांकन के मानदण्ड (Criteria for Project Evaluation)

विनियोजक के समक्ष अनेक विनियोग-विकल्प होते हैं। सर्वाधिक लाभदायक विनियोग सम्बन्धी निर्णय अत्यन्त कठिन होते हैं। विनियोजक के लिए यह निर्णय लेना कि किस परियोजना में पूंजी विनियोग करे, अनेक मानदण्डों पर निर्भर करना है। विनियोग सम्बन्धी निर्णय लेने की अनेक विधियाँ हैं। इन विधियों के अन्तर्गत विनियोग परियोजना के 'लागत प्रवाह' (Cost flows) तथा 'आय प्रवाह' (Income flows) का विचार किया जाता है। इन प्रवाहों के विश्लेषण द्वारा विनियोग निर्णय लिए जाते हैं। प्रवाहों के विश्लेषण की तकनीकी को प्रायः 'लाभ-लागत विश्लेषण विधि' (Cost Benefit Method) कहा जाता है। इस विधि का मुख्य आधार विनियोग के प्रतिफल की आन्तरिक दर को ज्ञात करना होता है। यह दर अनेक विधियों द्वारा ज्ञात की जा सकती है। इसे छः क्लिप्त विनियोग परियोजनाओं के एक उदाहरण द्वारा अप्रतिबिम्बित सारणी में समझाया गया है।

सारणी 1

परियोजना लागत एवं प्रतिफल दर¹
(Project Cost and Rate of Returns)

परियोजना (Project)	शुद्ध अवधि						शुद्ध आय (Net returns Periods)
	0	1	2	3	4	5	
A	-100	100	10	—	—	—	110
B	-100	50	50	10	10	—	120
C	-100	40	30	30	20	—	130
D	-100	28	28	28	28	—	140
E	-100	10	20	30	40	—	150
F	-100	—	—	—	40	—	160

उक्त सारणी के माध्यम से परियोजना मूल्यांकन की निम्न तीन प्रकार की प्रतिफल-दरों की गणना की गई है—

- (1) औसत प्रतिफल-दर (Average rate of return)
- (2) मूल-राशि की प्राप्ति से सम्बन्धित अवधि वाली प्रतिफल-दर (Pay off period rate of return)
- (3) आन्तरिक प्रतिफल-दर (Internal rate of return) ।

(a) प्रत्येक योजना का मूल लागत व्यय 100 रुपये है। (b) प्रत्येक की परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है। (c) प्राप्त लाभों के पुन विनियोग की सम्भावना पर विचार नहीं किया गया है।

1 से 5 तक के कॉलमों में प्रतिवर्ष होने वाले आय-प्रवाहों को प्रदर्शित किया गया है। शून्य अवधि वाले कॉलम में प्रत्येक परियोजना की लागत कम बताई गई है। अन्तिम कॉलम में कुल लाभों में से मूल लागत व्यय को घटाकर विशुद्ध लाभ बताए गए हैं। अन्तिम से पूर्व वाले कॉलम में परियोजना की पूरी 5 वर्ष की अवधि वाले कुल लाभ बताए गए हैं।

(A) औसत प्रतिफल-दर विधि (Average Rate of Return Method)

औसत प्रतिफल-दर निम्नलिखित दो प्रकार की होती है—(a) प्रारम्भिक विनियोग पर कुल औसत प्रतिफल-दर, (b) प्रारम्भिक विनियोग पर शुद्ध औसत प्रतिफल-दर। प्रारम्भिक विनियोग पर कुल औसत प्रतिफल-दर को प्रत्येक परियोजना के कुल लाभों को योजनावधि से विभाजित करके निकाला जाता है। इस प्रकार A, B, C, D, E, F परियोजनाओं के लिए यह दर क्रमशः 22, 24, 26, 28

30, 32 होगी। प्रारम्भिक विनियोग पर शुद्ध औसत प्रतिफल दर अन्तिम कॉलर में दिए गए शुद्ध लाभो को अवधि से विभाजित करके ज्ञात की जाती है। उक्त परियोजनाओं के लिए यह दर क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 व 12 है।

(B) मूल लागत की प्राप्ति वाली प्रतिफल दर (Pay off Period Rate of Return)

मूल लागत की प्राप्ति जिस अवधि में होती है उसकी गणना करते हुए प्रतिफल दर इस प्रकार ज्ञात की जाती है—उन लाभो को जोड़ लिया जाता है, जो मूल लागत के बराबर होते हैं। जिस अवधि तक लाभो का योग मूल लागत के बराबर होता है, उस अवधि के आधार पर प्रतिफल दर का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। उक्त उदाहरण में परियोजना A के लिए केवल एक ही वर्ष में इसका लागत व्यय प्राप्त हो जाता है। अतः इसे 100% के रूप में व्यय किया जाएगा। B परियोजना में चूंकि मूल लागत दो वर्षों में प्राप्त होती है, अतः प्रतिवर्ष औसत प्राप्ति दर 50% होगी। C परियोजना में मूल लागत की प्राप्ति में 3 वर्ष लगते हैं। अतः प्रतिवर्ष की औसत प्राप्ति दर $\frac{100}{3}$ या 33 $\frac{1}{3}$ % होनी है। इस प्रकार, सभी परियोजनाओं के प्रतिशत में औसत दर ज्ञात की जा सकती है, वह क्रमशः 28%, 25%, तथा 22 $\frac{2}{9}$ % होगी।

उक्त विधियों में एक गम्भीर दोष यह है कि इनमें शुद्ध लाभो की प्रत्येक अवधि का विचार नहीं किया जाता। केवल वार्षिक औसत निकाला जाता है। यद्यपि मूल्य राशि की प्राप्ति से सम्बन्धित अवधि वाली प्रतिफल दर (The Pay off Period Rate of Return) में समय का विचार किया जाता है, तथापि उन अवधि को छोड़ दिया जाता है, जिसमें पूरा लागत व्यय की वसूली होने के पश्चात् भी लाभो का मिलना जारी रहता है।

(C) आन्तरिक प्रतिफल दर (Internal Rate of Return)

आन्तरिक प्रतिफल दर वाली विधि इन सभी से श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इसमें उन समस्त वर्षों की गणना में विचार किया जाती है, जिनमें लागत और लाभ होते रहते हैं। आन्तरिक प्रतिफल दर को परिभाषा उस बटौती-दर के रूप में की जाती है, जो लाभ व लागत के प्रवाहों के वर्तमान कटौती मूल्य को शून्य के बराबर कर देती है। आन्तरिक प्रतिफल दर (IRR) विभिन्न परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है—

$$-Y_0 + \frac{Y_1}{(1+r)} + \frac{Y_2}{(1+r)^2} = 0$$

जिसमें $-Y_0$ = मूल्य लागत तथा Y_1 व Y_2 प्रथम व द्वितीय वर्ष के लाभ प्रकट करते हैं। r = आन्तरिक प्रतिफल दर। $\frac{1}{(1+r)} = x$ रखने हुए उक्त समीकरण को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

$$-Y_0 + Y_1x + Y_2x^2 = 0$$

इस समीकरण में परियोजना A के लाभ-लागत राशियों को रखकर इस योजना की आन्तरिक प्रतिफल दर निम्न प्रकार निकाली गई है—

$$-100 + 100x + 10x^2 = 0$$

$$\text{या } 10x^2 + 100x - 100 = 0$$

$$\text{या } x^2 + 10x - 10 = 0$$

$$\therefore x = \frac{-10 + \sqrt{(10)^2 - 4 \times -10}}{2}$$

$x = 0.916$ मान को, $r = \frac{1-x}{x}$ रखने पर आन्तरिक प्रतिफल दर

9.1% या 0.09 आती है। इसी प्रकार अन्य परियोजनाओं की दर ज्ञात की जा सकती है, जो क्रमशः 10.7, 11.8, 12.4, 12.0 व 10.4 है।

उक्त परिणामों को निम्नलिखित सारणी में स्पष्ट किया गया है—

सारणी 2

परियोजना प्रतिफल दर
(प्रतिघट में)

परियोजना	(A) शोधन प्रतिफल दर		(B) मूल राशि की प्राप्ति से सम्बन्धित व्ययि वाली प्रतिघट दर (Pay off period rate of return)	(C) आन्तरिक प्रतिफल दर (IRR)
	(i) विनयाय पर कुल प्रतिफल	(ii) लाभयोग पर शुद्ध प्रतिफल		
A	22	2	100	9.1
B	24	4	50	10.7
C	26	6	33½	11.8
D	28	8	28	12.4
E	30	10	25	12.0
F	32	12	22 $\frac{2}{9}$	10.4

उक्त विधियों के अतिरिक्त, वर्तमान मूल्यों के आधार पर भी विभिन्न परियोजनाओं के तुलनात्मक लाभ देखे जा सकते हैं। परियोजना के वर्तमान मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है—

$$\text{वर्तमान मूल्य} = \frac{R_1}{(1+r)} + \frac{R_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{R_n}{(1+r)^n} + \dots$$

*Quadratic समीकरण के सूत्र $-b \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ के अनुसार x का मूल्य ज्ञात किया गया है।

इस समीकरण में r का अर्थ ब्याज की बाजार-दर से है। R परियोजना से प्राप्त लाभों को प्रकट करते हैं। दी हुई परियोजनाओं के वर्तमान मूल्य 2½%, 8% तथा 15% के आधार पर निकाले गए हैं। इन परियोजनाओं को सारणी 3 में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 3

विभिन्न ब्याज दरों पर परियोजनाओं के वर्तमान मूल्य¹ (Project Present Values at Different Interest Rates)

परियोजना	2½%	8%	15%
A	7.1	1.2	— 5.4
B	14.8	4.5	— 6.4
C	22.4	8.0	— 6.4
D	30.1	11.8	— 6.2
E	37.1	13.6	— 8.7
F	42.3	11.1	— 17.4

सारणी के आधार पर विभिन्न परियोजनाओं को उनके प्रतिफल की अधिकता के क्रम में विभिन्न श्रेणियों में विभक्त कर, यह देखा जा सकता है कि कौनसा विनियोग विकल्प अन्य से कितना अधिक लाभदायक है।

सारणी 4 में इन श्रेणियों को दर्शाया गया है।

सारणी 4

नियोजन की वैकल्पिक विधियों द्वारा परियोजनाओं की प्रदत्त-श्रेणी²

श्रेणी	श्रेष्ठ प्रतिफल- दर	अवधि (Pay off Period)	आंतरिक ब्याज दरों पर वर्तमान मूल्य प्रतिफल-दर			
			9½%	8%	15%	
1	F	A	D	F	E	A
2	E	B	E	E	D	D
3	D	C	C	D	F	B
4	C	D	B	C	C	C
5	B	E	F	B	B	E
6	A	F	A	A	A	F

इन श्रेणियों को ध्यान में रखकर विनियोजक विनियोग-विकल्प का चुनाव करता है। सर्वप्रथम वह प्रथम श्रेणी के विनियोग में अपनी पूंजी लगाता है। उदाहरणार्थ यह श्रेष्ठ प्रतिफल-दर विधि का प्रयोग करता है तो सर्वप्रथम F परियोजना में विनियोग करेगा। Pay off अवधि विधि के अन्तर्गत A परियोजना

1. Ibid, p 161

2. Ibid, p 162

में तथा आन्तरिक प्रतिफल-दर विधि में D परियोजना को विनियोग के लिए चुनेगा। इसी प्रकार, वर्तमान मूल्य विधि में विभिन्न विनियोग विकल्पों के चुनाव किए जा सकते हैं।

परियोजना मूल्यांकन की वर्तमान कटौती-मूल्य-विधि

(The Present Discounted-Value Criteria of Evaluation)

लाभ-लागत विश्लेषण (Benefit-Cost Analysis), परियोजना मूल्यांकन की एक आधुनिक तकनीकी है। सर्वप्रथम इसका विकास व प्रयोग अमेरिका में किया गया। इस विधि द्वारा अनेक विकास परियोजना प्रस्तावों का आर्थिक मूल्यांकन किया गया है। लाभ-लागत विश्लेषण की अनेक विधियाँ हैं, जिनमें मुख्य (1) विशुद्ध वर्तमान मूल्य विधि (Net Present Value Criteria), (2) आन्तरिक प्रतिफल-दर (Internal Rate of Return) आदि हैं।

विशुद्ध वर्तमान-मूल्य-विधि

(Net Present-Value-Criteria)

परियोजना मूल्यांकन की इस विधि में परियोजना के आय प्रवाह (Income Flows), लागत-व्यय (Cost-outlay) तथा व्याज अथवा कटौती-दर का विचार किया जाता है। इन तत्वों के आधार पर किसी भी परियोजना के वर्तमान कटौती मूल्य की गणना निम्नलिखित सूत्र के आधार पर की जा सकती है—

$$PV = -Y_0 + \frac{Y_1}{(1+r)} + \frac{Y_2}{(1+r)^2} + \frac{Y_3}{(1+r)^3} + \dots + \frac{Y_n}{(1+r)^n} + \dots$$

$$\text{अथवा } PV = -Y_0 + \sum_{t=1}^n \frac{Y}{(1+r)^t}$$

सूत्र में :

PV = दी हुई परियोजना का वर्तमान कटौती-मूल्य,

$-Y_0$ = प्रारम्भिक लागत व्यय,

Y_1, Y_2, \dots, Y_n क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा n वर्षों की आय को प्रकट करते हैं

r = व्याज अथवा कटौती-दर।

मान लीजिए किसी परियोजना से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचनाएँ दी हुई हैं—

आय-प्रवाह = —100, 50, 150

कटौती-दर 10% अथवा .1 (मूलराशि के इकाई होने पर)

—100 = प्रारम्भिक लागत व्यय तथा 50 व 150 क्रमशः प्रथम व द्वितीय वर्ष की आय प्रकट करते हैं, अर्थात् $Y_1 = 50$ व $Y_2 = 150$

इन सूचनाओं को उक्त सूत्र में रखते हुए 2 वर्षों की अवधि पर्यन्त परियोजना का वर्तमान शुद्ध कटौती-मूल्य निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है—

$$-100 + \frac{50}{1+.1} + \frac{150}{(1+.1)^2} = 66.5$$

वास्तव में, परिपक्वता का कुल वर्तमान-मूल्य (Gross Present Value)

उक्त उदाहरण में 166.5 होगा, किन्तु इसमें से लागत-व्यय 100 के घटाने पर शेष

मूल्य को 'विशुद्ध वर्तमान मूल्य' (Net Present Value) कहा जाता है। अतः विशुद्ध वर्तमान मूल्य $166.5 - 100 = 66.5$ है।

यदि एक लाभ के स्रोत (Benefit Stream) को $B_0, B_1, B_2, \dots, B_n$ के रूप में प्रकट किया जाता है तथा जिसमें सभी B घनात्मक अथवा शून्य या ऋणात्मक हो सकते हैं। निम्नलिखित सूत्र द्वारा वर्तमान कटौती-मूल्य प्रकट किया जा सकता है—

$$B_0 + \frac{B_1}{(1+r)} + \frac{B_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{B_n}{(1+r)^n}$$

संक्षेप में

$$\sum_{t=0}^n \frac{B_t}{(1+r)^t}$$

जिसमें r कटौती दर को प्रकट करता है।¹

इस अवधि में r का उपयुक्त चुनाव करना विशेष महत्त्व रखता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि व्याज की सही दर वह है जो समाज के समय अधिमान की दर (Rate of Social Time Preference) को दर्शाती है। उदाहरणार्थ यदि कोई समाज वर्तमान वर्ष के 100 रु को दूसरे वर्ष के 106 रु के समान महत्त्व देता है तो उस समाज की समय अधिमान दर 6% प्रति वर्ष होगी।

उक्त विधि के सम्बन्ध में निम्नलिखित तीन उल्लेखनीय प्रस्थापनाओं (Propositions) पर विचार करना आवश्यक है—


1 विशुद्ध वर्तमान-मूल्य अथवा लागत पर वर्तमान मूल्य का अतिरिक्त कटौती दर पर निर्भर करता है। यदि विशुद्ध लाभों का प्रवाह—100, 0, 150 है, तो इनका वर्तमान-मूल्य $r=1$ होने पर 48 से कुछ कम होगा तथा $r=5$ की स्थिति में यह मूल्य— $\frac{100}{3}$ होगा।

2 विनियोग का कौन-सा प्रवाह अधिकतम वर्तमान कटौती-मूल्य उत्पन्न करता है, इस प्रश्न का उत्तर सामान्यतः कटौती दर पर निर्भर करता है। यदि प्रथम प्रवाह—50, 20 और 80 तथा दूसरा प्रवाह—60, 20 तथा 70 हो तो प्रथम प्रवाह के अधिशासी (Dominant) होने की स्थिति में, किसी भी कटौती-दर के, इसका कटौती-मूल्य दूसरे प्रवाह के कटौती मूल्य की अपेक्षा अधिक होगा। यदि दो प्रवाह—100, 0, 180 और—100, 165 और 0 हो तो 1% की कटौती-दर की स्थिति में प्रथम कटौती-मूल्य लगभग 76 तथा दूसरे का 63 होगा। अतः प्रथम प्रवाह को प्रथम श्रेणी (Rank First) तथा दूसरे को द्वितीय श्रेणी (Rank Second) मिलेगी। $r=5$ की स्थिति में प्रथम प्रवाह का कटौती-मूल्य -20 तथा इसकी श्रेणी द्वितीय होगी, जबकि दूसरा प्रवाह वर्तमान-मूल्य के 10 होने के कारण प्रथम श्रेणी प्राप्त करेगा।

उक्त उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि 1% व 5% के मध्य एक निश्चित सामाजिक कटौती-दर होती है, जिस पर दोनों प्रवाहों का वर्तमान कटौती-मूल्य एक दूसरे के बराबर होता है। इस दर को हम r^* से प्रकट कर सकते हैं। r^* को दोनों प्रवाहों के वर्तमान मूल्यों को एक दूसरे के समान समीकरण में रखते हुए सरलता से मालूम किया जा सकता है अर्थात् उक्त प्रवाहों को निम्न प्रकार रखने पर—

$$-100 + \frac{180}{(1+r)^2} = -100 + \frac{165}{(1+r)}$$

चित्र-7



सामान्यतः हम किसी एक विशेष विनियोग प्रवाह का कटौती-दर के अनुरूप वर्तमान-मूल्य निर्धारित करते हैं। उक्त चित्र में X परियोजना का उदाहरण लिया जा सकता है। चित्र में लम्ब अक्ष पर PV, या विनियोग का वर्तमान मूल्य दर्शाया गया है तथा क्षितिजीय अक्ष पर सामाजिक कटौती-दर दिखाई गई है। X प्रवाह का वर्तमान-मूल्य r के आधार का विपरीत होगा अर्थात् जितना अधिक r होगा उतना ही विनियोग प्रवाह का वर्तमान मूल्य कम होगा। इसीलिए X चक्र ऋणात्मक ढाल वाला है। ऋणात्मक ढाल का क्षितिजीय अक्ष को काट कर नीचे की ओर बढ़ना यह प्रकट करता है कि 50% कटौती-दर पर प्रवाह का वर्तमान-मूल्य ऋणात्मक हो जाता है (जैसे—100, 0, 180 का 50% से कटौती-मूल्य = -20) इसी प्रकार का सम्बन्ध Y प्रवाह के लिए स्थापित किया जा सकता है।


यदि दोनों प्रवाहों में से किसी एक प्रवाह की स्थिति अधिशासी (Dominant) होती है, तो प्रत्येक कटौती-दर पर इस प्रवाह की स्थिति सभी अन्य प्रवाहों से ऊँची

* r के लिए समीकरण का हल, इसका मूल्य लगभग 9% प्रकट करेगा।

होगी। अधिशासन की अनुपस्थिति में X और Y एक दूसरे को चित्र के या तो धनात्मक क्वाड्रेंट (Quadrant) अथवा ऋणात्मक क्वाड्रेंट (Quadrant) में काटेंगे। केवल r^* की स्थिति के अतिरिक्त अन्य सभी स्थितियों में दोनों प्रवाहों के वर्तमान मूल्य विभिन्न कटौती दरों के अनुसार भिन्न भिन्न होंगे। r^* पर दोनों के मूल्य समान होते हैं तथा r^* से कम पर X का मूल्य Y से अधिक होता है। अन्त में चित्र r_x व r_y कटौती दरों को देखा जा सकता है, जिन पर दोनों प्रवाहों की कटौती दर शून्य है।

पूर्व वॉलेंट निष्कर्षों के अतिरिक्त इस विधि से किसी परिसम्पत्ति के विकास-पथ के लिए हुए होने की स्थिति में वह अवधि (Optimal gestation period) जिसमें सम्पत्ति का अधिकतम शुद्ध वर्तमान मूल्य प्राप्त किया जा सकता सम्भव है, शात की जा सकती है। यह पथ निम्न चित्र में दर्शाया गया है

चित्र-8



चित्र में कटौती दर द्वारा किसी परिसम्पत्ति की उस अनुकूलतम या इष्टतम परिपक्वता अवधि (Optimal gestation period) का निर्धारण समझाया गया है, जिसमें सम्पत्ति का वर्तमान मूल्य अधिकतम होता है।

तब उसका मूल्य वेड की वृद्धि के अनुपात में बढ़ता जाता है। जदाहरणार्थ, अब टिम्बर का पौधा लगाया जाता है।

G_0G द्वारा विकास पथ प्रकट किया गया है, OG_0 टिम्बर के प्रारम्भिक समय को प्रकट करता है। इसलिए इसे एक ऋणात्मक माना के रूप में चित्र में

प्रदर्शित किया गया है। क्षितिजीय अक्ष से O_0G वक्र पर डाले गए लम्ब किसी समय विशेष पर टिम्बर के मूल्यों को दर्शाते हैं। दो वर्ष की अवधि वाले बिन्दु पर टिम्बर का शुद्ध-मूल्य होता है। विभिन्न लम्बों की ऊँचाइयाँ बैकल्पिक विनियोगों के प्रवाह (Alternative Investment Stream) को प्रकट करती है। यदि $OG_0 = 50$ मानी जाती है, तो 4 वर्ष की अवधि वाला लम्ब टिम्बर के मूल्य को 100 के बराबर प्रकट करेगा। इसी प्रकार चित्र की सहस्रता से विभिन्न विनियोग विकल्पों के आय-प्रवाहों को निम्न प्रकार प्रकट किया जा सकता है—

अवधि	आय-प्रवाह
$t=5$	50,0,0,0,0,112
$t=6$	50,0,0,0,0,120

इसी प्रकार $t=7,8,9$ आदि की स्थिति में विभिन्न विनियोग विकल्पों को प्रकट किया जा सकता है। किन्तु समझना यह है कि इन विनियोग विकल्पों में से नौनसा विकल्प सर्वाधिक लाभदायक होगा। इसे हम सामाजिक कटौती-दर के आधार पर विभिन्न कटौती-वक्रों की रचना करके ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए $r=5\%$ दिया हुआ है। इससे V_1V_1 कटौती वक्र की रचना की गई है। इस वक्र में यदि हम OV_1 पर 80 का माप करते हैं तो $t=1$ के बिन्दु पर लम्ब की ऊँचाई 84, $t=2$ पर 88.2 और इसी प्रकार एक-एक वर्ष से बढ़ती हुई अवधि में 5% की अधिकता से लम्बों की ऊँचाइयाँ अधिक होती चली जाएंगी। इस उदासीन वक्र का प्रत्येक बिन्दु समाज के लिए समान महत्त्व रखेगा, क्योंकि $r=5\%$ होने पर वर्तमान वर्ष के 100 व आगामी वर्ष के 105 में विनियोजक कोई अन्तर नहीं करेगा। समान सन्तोष की अनुभूति करते हुए इन बिन्दुओं के प्रति वह उदासीन रहेगा।

इसी प्रकार लम्ब अक्ष पर अन्य उदासीनता वक्रों की रचना की जा सकती है। चित्र में V_2V_2 व V_3V_3 इसी प्रकार के दो अन्य उदासीन वक्र दिए हुए हैं। इन उदासीन वक्रों में से हमको उच्चतम वक्र का चुनाव करना चाहिए जो विकास-पथ के वक्र को स्पर्श करता है। V_2V_2 चित्र में उच्चतम उदासीन वक्र है। O स्पर्श बिन्दु है, जहाँ $t=6.2$ वर्ष है। निष्कर्षतः शुद्ध लाभों के प्रवाह का 5% की कटौती-दर पर अधिकतम वर्तमान-मूल्य OV_2 ऊँचाई द्वारा प्रकट होगा तथा परिपक्वता अवधि 6.2 वर्ष होगी। विशुद्ध वर्तमान मूल्य OV_2-OG_0 द्वारा प्रकट होगा।

आन्तरिक प्रतिफल-दर (Internal Rate of Return or IRR)

आन्तरिक प्रतिफल दर (The Internal Rate of Return) विनियोग मूल्यरचन की एक श्रेष्ठ विधि है। विनियोजक के समक्ष अनेक विनियोग विकल्प होते हैं। अपनी पूंजी को किस विनियोग में लगाए, यह उसके सामने एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न होता है। उदाहरणार्थ, दो विनियोग हैं—(1) एक ट्रक का (2) एक पनवाड़ी का।

सन्	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
पनवाडी	500	500	500	500	500	500	500
ट्रक	5000	5000	6000	10,000	200	100	20

ट्रक से समान आय प्राप्त नहीं हो रही है, किन्तु पनवाडी से प्राप्त होने वाली आय की राशि सभी वर्षों में समान है। अतः समस्या यह है कि उक्त दोनों विनियोगों से प्राप्त आय की परस्पर तुलना किस प्रकार की जाए। इस प्रश्न का उत्तर आन्तरिक प्रतिफल दर द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिफल की आन्तरिक दर की सहायता से आय-प्रवाह को वर्तमान-मूल्य में परिवर्तित किया जा सकता है। तत्पश्चात् प्रत्येक परियोजना का वर्तमान मूल्य व उसकी लागत का अनुपात = $\frac{Y-C}{C}$ के रूप में निकाला जाता है। जिस परियोजना का उक्त अनुपात अधिक होगा, उसे श्रेष्ठतर समझा जाएगा।

अतः आन्तरिक प्रतिफल दर वह दर होती है, जो विनियोग के आय-प्रवाह व वर्तमान मूल्य को विनियोग की लागतों के वर्तमान मूल्य के ठीक बराबर कर देती है, अर्थात् यदि लाभ-लागत प्रवाहों के वर्तमान-मूल्यों को जोड़ा जाता है, तो योगफल शून्य के बराबर होगा।¹

इस दर को निम्नलिखित सूत्र से जाना जा सकता है—

$$- Y_0 - \frac{Y_1}{(1+r)} - \frac{Y_2}{(1+r)^2} + \frac{Y_3}{(1+r)^3} + \dots + \frac{Y_n}{(1+r)^n} + \dots$$

सक्षेप में

$$- Y_0 \sum_{t=1}^n \frac{Y_t}{(1+r)^t}$$

$\frac{1}{(1+r)^t}$ = x रखते हुए पूरे प्रवाह में r का मान ज्ञात किया जा सकता है। r का मान ही आन्तरिक प्रतिफल दर कहलाती है। इसे कुछ विनियोग परियोजनाओं के उदाहरण लेकर गणितीय रूप में भी अग्रार्कित प्रकार से समझाया जा सकता है—

परियोजना	लागत (रु में) (-Y ₀)	I वर्ष की आय (रु) (Y ₁)	II वर्ष की आय (रु) (Y ₂)
A	10,000	10,000	0
B	10,000	10,000	1100

1 "The internal rate of return is that rate of discount which makes the present value of the entire stream-benefits and costs-exactly equal to zero"

उक्त सूचनाओं को दिए हुए सूत्र में रखने पर
परियोजना A

$$-10,000 + 10,000x = 0$$

$$x = 1$$

x या IRR = 0

परियोजना B

$$-10000 + 10000r + 1100x^2 = 0$$

अथवा $-100 + 100r + 11x^2 = 0$

या $-100 + \sqrt{(1000)^2 + 11 \cdot 1004}$

$$\frac{2 \cdot 11}{2 \cdot 11}$$


$\therefore x = .90$ $\therefore r$ या IRR = .10

संक्षेप में r or IRR = $\frac{1-r}{1}$

इसी प्रकार अन्य परियोजनाओं की प्रतिफल दर ज्ञात की जा सकती है। जिस क्रम में यह दर विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति में अधिक होती, उसी क्रम में निविद्योक्त धनी पूंजी का विनियोग करेगा। उक्त उदाहरण में परियोजना A की अपेक्षा परियोजना B श्रेष्ठ है। धन पूंजी विनियोजन परियोजना B में ही होगा।

आन्तरिक प्रतिफल दर को चित्र द्वारा भी समझाया जा सकता है—

चित्र-9



चित्र में G_0G विकास-पथ दिया हुआ है। इस पर R_0 से एक सीधी रेखा खींची गई है। इस रेखा का विकास पथ के किसी भी बिन्दु पर जो ढाल (Slope) है वही आन्तरिक प्रतिफल दर (IRR) को प्रकट करती है। चूंकि ढाल निर्धारण स्पर्श

बिन्दु से किया जाता है, जो NN' से प्रकट किया गया है। M बिन्दु पर R_0 से डाली गई सीधी रेखा $OR_0 = OG_0$ अर्थात् लाभ-लागत-प्रवाहों के वर्तमान-मूल्यों को परस्पर बराबर प्रकट करती है। OG_0 परियोजना की प्रारम्भिक लागत को प्रकट करता है तथा OR_0 परियोजना के लाभों के प्रवाह के वर्तमान-मूल्य को प्रकट करता है।

चित्र में—

OX पर समय

OY पर आगम (लॉय स्केल)

OP = उच्चतम वर्तमान मूल्य 5% की सामयिक कटौती दर के अनुसार

OQ' = अधिकतम परिणवता अवधि (Optimum Gestation Period) वर्तमान मूल्य वाले मापदण्ड (Present Value Criterion) के अनुसार।

इसी परिणाम को आन्तरिक प्रतिफल दर वाले मापदण्ड द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है लेकिन इससे पूर्व हमें यह देखना है कि इस चित्र में आन्तरिक प्रतिफल दर को किस प्रकार दर्शाया जा सकता है।

हम यह जानने हैं कि आन्तरिक प्रतिफल दर के अन्तर्गत लाभ-प्रवाह के वर्तमान-मूल्य में लागत प्रवाह के वर्तमान-मूल्य को घटाने से शून्य शेष रहता है।

चित्र में हम OG_0 व OR_0 के निरपेक्ष मूल्य समान मानते हैं, तो विकास-वक्र G_0G पर R_0 बिन्दु से खींची गई सीधी रेखा (M बिन्दु पर) का ढाल को आन्तरिक प्रतिफल दर का प्रतीक माना जा सकता है।

ढाल को ज्ञात करने के लिए हम $\tan \theta$ निकालते हैं।

$$\tan \theta = \frac{\text{लम्ब}}{\text{आधार}} = \frac{MK}{R_0K} = \frac{M'M - M'K}{OM'}$$

$$= \frac{\text{कुल आगम (Total Compounded Benefit) — लागत}}{OM' \text{ अवधि}}$$

$\tan \theta$ द्वारा व्यक्त कटौती-दर को हम इसलिए आन्तरिक प्रतिफल दर मानते हैं क्योंकि यह दर $M'M$ भावी लाभों को OR_0 के बराबर वर्तमान-मूल्य में बदल देती है, जो प्रारम्भिक लागत OG_0 के बराबर होता है। उच्चतम सम्भव आन्तरिक प्रतिफल दर (Highest Possible Internal Rate of Return) R_0 से N बिन्दु पर विकास-पथ G_0G पर डाली गई स्पर्श-रेखा (Tangent) से निर्धारित होती है, क्योंकि R_0N की तुलना में किसी भी अन्य विकास-पथ पर डाली गई सीधी रेखा का ढाल अधिक नहीं हो सकता है। यदि उच्चतम प्रतिफल दर वाली अवधि को 'अनुकूलतम विनियोग अवधि' (Optimum Investment Period) के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो यह चित्र में ON' द्वारा प्रकट होता है, जो स्पष्टतः OQ' से कम है। वह वर्तमान-मूल्य मापदण्ड वाली विधि की अनुकूलतम अवधि को दर्शाता है।

IRR व NPV मापदण्डों की तुलना

विनियोग विकल्पों के दोनो मापदण्ड—आन्तरिक प्रतिफल दर (IRR) तथा शुद्ध वर्तमान-मूल्य (NPV) वैज्ञानिक हैं। विनियोग निर्णय से दोनो का ही सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। दोनो विधियों की अपनी कुछ ऐसी निजी विशेषताएँ हैं कि स्पष्टतः यह कह देना कि दोनो में से कौन श्रेष्ठ है, अत्यधिक कठिन है। इन विधियों में दो मूल अन्तर हैं—

1. आन्तरिक प्रतिफल दर वाले मापदण्ड में प्रयुक्त कटौती-दर का पूर्व ज्ञान नहीं होता है। यह दर स्वयं-सम्पत्ति के बलेवर में अन्तर्निहित होती है (This rate is built in the body of the asset itself)। वर्तमान-मूल्य वाले मापदण्ड में कटौती-दर पहले से ज्ञान होती है। प्रायः व्याज की बाजार-दर के अनुसार, इस मापदण्ड में सम्पत्ति का मूल्य ज्ञात किया जाता है।

2. आन्तरिक प्रतिफल-दर, एक ही विनियोग प्रवाह के लिए, एक से अधिक हो सकती है। उदाहरणार्थ,

विनियोग प्रवाह (Investment Stream) = - 100, 350, - 400

IRR की परिभाषा के अनुसार—

$$-100 + \frac{350}{(1+\lambda)} - \frac{400}{(1+\lambda)^2} = 0$$


दो दर प्राप्त होंगी—

$$\lambda_1 = 46\%$$

$$\lambda_2 = 456\%$$

इस स्थिति को बिन्दु में निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है—

चित्र-10



दो आन्तरिक प्रतिफल दरों का उक्त उदाहरण एक विशेष प्रकार का उदाहरण है। n^{th} मूल्य वाले (of n^{th} roots) विनियोग प्रवाह (Investment Stream) की n ही आन्तरिक प्रतिफल दरें सम्भव हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी इस तथ्य को अस्वीकार नहीं कर सकता कि इस दृष्टि से वर्तमान मूल्य मापदण्ड का पक्ष आन्तरिक प्रतिफल दर वाले पक्ष से अपेक्षाकृत अधिक सशक्त प्रतीत होता है।

दोनों मापदण्डों में से किसका चुनाव किया जाए, इसमें कठिनाई यह आती है कि अनेक स्थितियों में दोनों मापदण्ड विनियोग प्रवाहों को समान श्रेणी (Same Ranks) प्रदान करते हैं। इस स्थिति में किस मापदण्ड को श्रेष्ठ समझा जाए, यह समस्या सामने आती है।

इस समस्या के समाधान हेतु अर्थशास्त्री Mc Kean ने यह सुझाव प्रस्तुत किया है कि एक निश्चित बजट सीमा में कुछ विनियोग परियोजनाओं का चुनाव इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि विनियोजित राशि का प्रत्येक परियोजना पर इस प्रकार वितरण हो कि उस विनियोग प्रवाह की आन्तरिक प्रतिफल दर (IRR) वर्तमान मूल्य की कटौती दर से अधिक हो। इस तथ्य को निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 5

परियोजनाएँ	समय			आन्तरिक प्रतिफल दर (IRR)	$PV_r \frac{(B-K)}{K}$ ($r=0.03$) 3% से वर्तमान मूल्य
	t_0	t_1	t_2		
A	-100	110	0	10%	$\frac{7}{100}$
B	-100	0	115	7%	$\frac{8}{100}$
C	-100	106	0	6%	$\frac{3}{100}$
D	-50	52	0	4%	$\frac{1}{100}$
E	-200	2	208	2%	$\frac{-2}{200}$

A, B, C, D व E पाँच परियोजनाएँ दी हुई हैं। प्रत्येक की आन्तरिक प्रतिफल दर घटते हुए क्रम में दिखाई गई है। वर्तमान मूल्य के अनुसार शुद्ध लाभ का अनुपात 3% की कटौती दर के आधार पर दिया हुआ है।

यदि 1000 रुपये का बजट दिया हुआ है और उसमें से केवल 350 रुपये का विनियोजन करना है तो A, B, C व D परियोजनाओं का चुनाव किया जाना

चाहिए, क्योंकि E परियोजना की आन्तरिक प्रतिफल दर केवल 2% है, जो वर्तमान मूल्य की वटौती दर 3% से कम है। यद्यपि दोरी मापदण्डों के आधार पर चारों परियोजनाओं का श्रेणीक्रम (Ranking) समान नहीं रहेगा, तथापि दोनों ही मापदण्डों के अन्तर्गत प्रथम चार विनियोग विकल्प ही अपनाए जा सकते हैं।

यदि 200 रुपये का बजट हो तो IRR व NPV दोनों मापदण्डों के परिणाम A व B परियोजनाओं की समान श्रेणियाँ प्रदान करते हैं। किन्तु यदि बजट केवल 100 रुपये है, तो IRR के अनुसार A का तथा NPV के अनुसार परियोजना B का चुनाव किया जाना उपयुक्त समझा जाएगा।

परियोजना मूल्यांकन की लागत-लाभ विश्लेषण विधि की आलोचना (A Critique of Cost-benefit Analysis)

यदि लागत-लाभ विश्लेषण विधि, परियोजना मूल्यांकन की एक श्रेष्ठ विधि है, तबनि अनेक अर्थशास्त्रियों ने इस विधि की निम्न आलोचनाएँ की हैं—

- (1) परियोजनाओं को उचित प्रमाणित करने की दृष्टि से सरकार लाभों को बढ़ाकर दिखाती है तथा अनेक कठित लागतों की उपेक्षा करती है (Govt. inflates benefits and ignores costs)।
- (2) वास्तव में संगणित शुद्ध लाभ (Calculated net benefits) परियोजना की लाभदायकता को प्रमाणित करते हैं। उनकी संगणना यह ध्यान में रखते हुए की जाती है कि परियोजना के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय उचित है।
- (3) लाभ-लागतों की संगणना से आर्थिक-तत्त्वों की उपेक्षा की जाती है तथा राजनीतिक दृष्टियों को अधिक ध्यान में रखा जाता है।
- (4) आर्थिक कुशलता की उपेक्षा सामाजिक मूल्यों पर अधिक बल दिया जाता है (The value of social goals is stressed more than economic efficiency)।

उक्त आलोचनाओं के बावजूद, परियोजना मूल्यांकन की यह उत्तम विधि है। विनियोग निर्णयों में कुछ अवरोधों का आना स्वाभाविक है। इस प्रकार के अवरोध (Constraints), कुछ भौतिक (Physical), कुछ प्रशासनिक (Administrative), कुछ राजनीतिक (Political), कुछ वैधानिक (Legal) तथा कुछ वित्तीय (Financial) होते हैं। भौतिक अवरोधों के कारण तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त (Technically feasible) विनियोग विकल्पों का चुनाव भी सीमित हो जाता है; वैधानिक अवरोधों के कारण कानून से बिना सन्तुष्टि के उचित विनियोग निर्णय लेने में कठिनाइयाँ आती हैं, प्रशासनिक अवरोध-निर्णयों में विलम्ब के लिए उत्तरदायी होते हैं, राजनीतिक अवरोध, आर्थिक कुशलता की उपेक्षा करते हैं तथा वित्तीय अवरोध व्यय राशि की एक निश्चित सीमा से बाहर निर्णय लेने के गतिरोध उपस्थित करते हैं।

प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लागत व लाभ (Direct and Indirect Cost and Benefits)

सिंचाई, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि परियोजनाओं का मूल्यांकन इन से एक विशेष अवधि में प्राप्त लाभों तथा इन पर व्यय की गई लागतों के आधार पर किया जाता है। किन्तु परियोजना-मूल्यांकन में जो लाभ व लागतें ली जाती हैं, वे सामान्य बाजार मूल्यों के आधार पर नहीं आँकी जाती हैं, उनके अंकन का आधार सामान्य लेखा विधि नहीं होती, अपितु 'छाया-मूल्य' (Shadow Prices) की अवधारणा होती है। सामान्य लेखा-विधि द्वारा बाजार मूल्यों के आधार पर संगणित लाभ व लागत प्रायः प्रत्यक्ष लाभ व लागतों की श्रेणी में लिए जाते हैं। किन्तु, इस प्रकार की संगणना से कोई आर्थिक निष्कर्ष निकालना सम्भव नहीं होगा, क्योंकि लेखांकन लागतों के अतिरिक्त अनेक ऐसी लागतें भी होती हैं, जिनकी प्रविष्टि यद्यपि लेखा-पुस्तकों में नहीं होती, किन्तु उनको गणना में लाए बिना लागत प्रवाह का वर्तमान मूल्य निकालना आर्थिक दृष्टि से अनुपयुक्त समझा जाता है। ठीक इसी प्रकार, लाभों के अन्तर्गत भी परियोजनाओं से प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त लाभों के अतिरिक्त बाह्य बचतें आदि से सम्बन्धित लाभ होते हैं। लाभों के सम्पूर्ण प्रवाह की संगणना में अन्य लाभों की भूमिका अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण होती है। ऐसे लाभों को सामान्यतः 'अप्रत्यक्ष लाभों की सजा दी जाती है। इसकी संगणना 'छाया-मूल्यों' (Shadow Price) के आधार पर की जाती है।

प्रत्यक्ष लाभ (Direct Benefit)—प्रत्यक्ष अथवा प्राथमिक लाभ उन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को प्रकट करते हैं, जिनका परियोजना द्वारा उत्पादन होता है। जो लाभ परियोजना से शीघ्र व प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं, 'प्रत्यक्ष लाभ' कहलाते हैं। उदाहरणार्थ सिंचाई परियोजना में बाढ़-नियन्त्रण, सिंचाई, विद्युत्-उत्पादन, कृषि-उत्पादन में वृद्धि, पेयजल की सुविधा, इन लाभों का स्वरूप प्रायः भौतिक होता है तथा इनकी माप-मुद्रा में लेखा मूल्यों के आधार पर ली जाती है। विशेष अवधि में होने वाले मूल्यों के परिवर्तनों का अवश्य ध्यान रखा जाता है। अतः मूल्य निर्देशकों के आधार पर इन मूल्यों का सकुचिन या प्रसारित (Deflated or Inflated) अवश्य किया जाता है। इसी प्रकार, किसी यातायात परियोजना से कई प्रत्यक्ष लाभ हो सकते हैं, जैसे—यानियों को आने जाने की सुविधा, माल ढोने की सुविधा, व्यापार में वृद्धि, कुछ मात्रा में रोजगार-वृद्धि आदि।

अप्रत्यक्ष लाभ (Indirect Benefit)—तकनीकी परिवर्तन के कारण उत्पन्न बाह्य-प्रभाव 'अप्रत्यक्ष लाभ' होते हैं। बाह्य-प्रभाव परियोजना के उत्पादन अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा इसके उपयोग के परिणाम होते हैं। जो लाभ परियोजना से सीधे प्राप्त नहीं होते, बल्कि जिनकी उत्पत्ति परियोजना के कारण होने वाले आर्थिक कारण विकास से प्राप्त होती है, उनको 'अप्रत्यक्ष लाभ' कहते हैं। उदाहरणार्थ, सिंचाई परियोजना के कारण सड़कों का निर्माण, नई रेलवे लाइनों का विद्यमाना, नए नगरों का विकास, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, नए उद्योगों की स्थापना,

आदि अप्रत्यक्ष लाभ के उदाहरण हैं। इनके अतिरिक्त विनियोग की दर, जनसंख्या वृद्धि दर, धर्म की कुशलता, लोगों के सामाजिक व सांस्कृतिक विकास आदि पर पड़ने वाले परियोजना-प्रभावों को भी अप्रत्यक्ष लाभों की श्रेणी में लिया जा सकता है।

अप्रत्यक्ष लाभ उत्पादन की अग्रिम कड़ियों (Forward Production Linkages) से भी उत्पन्न होते हैं, ये कड़ियाँ उन व्यक्तियों की आय में वृद्धि करती हैं, जो परियोजना के उत्पादन की मध्यवर्ती-प्रक्रियाओं में संलग्न होते हैं। उदाहरणार्थ, किसी सिचाई परियोजना के अन्तर्गत उत्पादित कपास, बाजार में बिक्री हेतु प्रस्तुत होने से पूर्व अनेक मध्यवर्ती प्रक्रियाओं में से गुजरता है। प्रत्येक मध्यवर्ती प्रक्रिया-कर्ता बड़ी हुई व्यावसायिक प्रक्रियाओं से लाभ उठाता है।

'अप्रत्यक्ष लाभ', उत्पादन की पीछे वाली कड़ियों (Backward Production Linkages) के कारण भी प्राप्त होते हैं। इन कड़ियों के कारण उन व्यक्तियों की आय में वृद्धि होती है, जो परियोजना-क्षेत्र में वस्तु और सेवाएँ प्रदान करते हैं। उदाहरणार्थ, परियोजना द्वारा उत्पादित कपास के लिए मशीनरी, खाद तथा अन्य सामग्रियों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की एक शृंखला उत्पन्न होती है। सभी व्यक्ति, जो इस शृंखला के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कार्य करते हैं, परियोजना से अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते हैं।

लागत (Costs)—परियोजना पर होने वाले प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष व्यय, 'लागत' कहलाती है।

प्रत्यक्ष लागत (Direct Costs)—प्रत्यक्ष लागत वह लागत होती है, जो परियोजना के निर्माण व कार्यान्वित करने में उचित रूप से उठाई जाती है। मुख्यतः ये लागतें निम्नलिखित होती हैं—(i) निर्माण-लागतें, (ii) अभियान्त्रिक व प्रशासनिक लागतें, (iii) परियोजना के लिए काम में ली जाने वाली भूमि की अवसर लागत, (iv) परियोजना की क्रियान्विति के लिए सड़कें, रेलवे लाइनों, पाइप लाइनों, बिजुत् सार्वजनिक, पुल निर्माण यदि आवश्यक हों, तो इन पर होने वाली लागतें, (v) परियोजना के संचालन, सुरक्षा एवं पुनर्स्थापन सम्बन्धी लागतें।

अप्रत्यक्ष लागत (Indirect Costs)—जो लागत अप्रत्यक्ष लाभों की प्राप्ति हेतु की जाती है, उसे 'अप्रत्यक्ष लागत' कहा जाता है। उदाहरणार्थ, परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए आवास-सुविधाएँ, अच्छी सड़कें, बच्चों की शिक्षा के लिए पाठशाला, अस्पताल इत्यादि।

भाग-2

भारत में आर्थिक नियोजन

(ECONOMIC PLANNING IN INDIA)

स्वतन्त्रता के बाद भारत में तीव्र गति से आर्थिक विकास करने के लिए नियोजन का मार्ग अपनया गया, किन्तु यह भारत के लिए नया नहीं था। स्वतन्त्रता से पूर्व भी भारत में अनेक योजनाएँ प्रस्तुत की गईं जिनमें 'विश्वेश्वरैया योजना', 'बम्बई योजना', 'जन योजना', 'गांधीवादी योजना', आदि के नाम उल्लेखनीय हैं, तथापि ये योजनाएँ कोरी कामजी रही, वास्तविक नियोजन कार्य राष्ट्रीय सरकार द्वारा ही प्रारम्भ किया जा सका।

विश्वेश्वरैया योजना (Visvesvaraya Plan)

सर एम विश्वेश्वरैया एक विख्यात इंजीनियर थे। उन्होंने आर्थिक नियोजन पर सन् 1934 में 'भारत में नियोजित व्यवस्था' (Planned Economy for India) नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में भारत के आर्थिक विकास के लिए एक दस-वर्षीय आर्थिक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय आय को दस वर्षों की अवधि में दुगुना करना था। 'विश्वेश्वरैया योजना' में उद्योगों को विशेष महत्त्व दिया गया और साथ ही व्यवसायों में सन्तुलन स्थापित करके आर्थिक विकास का प्रोत्साहन देने का उद्यम रखा गया। सन् 1934-35 में भारतीय आर्थिक सभा (Indian Economic Conference) की वार्षिक बैठक में इन प्रस्तावों पर काफी विचार विमर्श किया गया किन्तु परिस्थितियों प्रतिबल होने के कारण इस योजना के आर्थिक कार्यक्रमों की क्रियान्विति के प्रयत्न नहीं हो सके। परन्तु इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि इस योजना ने भारत में आर्थिक नियोजन की सिद्धान्तिक आधारशिला रखी तथा विचारकों को नियोजन की दिशा में चिन्तन के लिए प्रेरित किया।

आर्थिक नियोजन पर प्रारम्भिक साहित्य के रूप में कुछ अन्य कृतियाँ भी प्रकाशित हुईं जिनमें पी एस सोकनायन की 'नियोजन के सिद्धान्त' (Principles of Planning), एन एस गुब्बाराव की 'नियोजन के कुछ पहलु' (Some Aspects

of Planning), और के. एन. सेन की 'आर्थिक पुनर्निर्माण' (Economic Reconstruction) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

राष्ट्रीय आयोजन समिति (National Planning Committee)

भारत में आर्थिक-नियोजन की दिशा में दूसरा कदम राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना करना था। अक्टूबर, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष श्री सुभाषचन्द्र बोस ने दिल्ली में प्रान्तीय उद्योग मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में देश की आर्थिक प्रगति के लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए। इन सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय योजना समिति' का गठन किया गया। प्रो. के. टी. शाह इसके महासचिव मनोनीत किए गए। इस योजना समिति ने विभिन्न आर्थिक विषयों का अध्ययन करके विकास योजनाएँ प्रस्तुत करने के लिए कई उप-समितियाँ नियुक्त कीं। किन्तु द्वितीय विश्व-युद्ध तथा कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के त्याग-पत्रों के बाद की राजनीतिक हलचल के कारण समिति का कार्य रुक गया और सन् 1948 में ही 'भारत में नियोजन' पर समिति के कुछ प्रतिवेदन सामने आ सके। इन प्रतिवेदनो में औद्योगीकरण, सार्वजनिक-क्षेत्र के विस्तार, श्रमिकों के उचित प्रतिफल, निजी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, गृह-उद्योगों के विकास, सहकारिता को प्रोत्साहन, सिंचाई व विद्युत सुविधाओं के विस्तार, वनों की सुरक्षा और भू-संरक्षण आदि से सम्बन्धित आर्थिक सुझाव प्रस्तुत किए गए।

बम्बई योजना (Bombay Plan)

स्वतन्त्रता से पूर्व भारत में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में 'बम्बई योजना' महत्वपूर्ण प्रयत्न थी। सन् 1944 में भारत के अठार प्रमुख उद्योगपतियों-घनश्यामदास बिड़ला, जे. आर. डी. टाटा, जॉन मथाई, ए. डी. श्रोफ, कस्तूरभाई लालभाई, सर आर्देशोर दलाल, सर पुरुषोत्तमदास, ठाकुरदास और सर धीराम ने भारत के आर्थिक विकास की एक योजना प्रस्तुत की। यही योजना 'बम्बई योजना' के नाम से प्रसिद्ध है। यह पन्द्रह-वर्षीय योजना थी। इस योजना का अनुमानित व्यय 10 हजार करोड़ रुपये था। इसका लक्ष्य योजनावधि में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना अर्थात् 65 रुपये से बढ़ाकर 130 रुपये करना और राष्ट्रीय आय को 2200 से बढ़ाकर 6600 करोड़ रुपये करके तिगुना करना था। इस योजना के अन्तर्गत 1944 के अकों पर कृषि-प्रदा (Agriculture Output) में 130 प्रतिशत, औद्योगिक प्रदा (Industrial Output) में 500% और सेवाओं के उत्पादन (Output of Services) में 200% वृद्धि के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।

बम्बई योजना एक प्रकार से उत्पादन योजना थी। योजना के सम्पूर्ण व्यय का 45% भाग उद्योगों के लिए निर्धारित किया गया था। उद्योग-प्रधान होते हुए भी इस योजना में कृषि के विकास पर समुचित ध्यान दिया गया था। कृषि के लिए

1240 करोड़ रुपये के व्यय का आवंटन किया गया। कृषि-उत्पादन में 130% के वृद्धि के लक्ष्य के साथ ही सिंचाई-सुविधाओं में 200% वृद्धि का लक्ष्य भी रखा गया।

कृषि एवं उद्योग के अतिरिक्त इस योजना में यातायात के विकास पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया। इस योजना में 453 करोड़ रुपये के व्यय से 4001 मील लम्बी रेल लाइनों को 6200 मील तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया तथा इसके अतिरिक्त 2,26,000 मील कच्ची सड़कों को पक्का बनाने, मुख्य गाँवों को महत्त्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों से जोड़ने और बन्दरगाहों की सरया में पर्याप्त वृद्धि करने का प्रस्ताव भी था। वातायान की मद पर कुल व्यय 940 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया।

योजना की समीक्षा

इस योजना में निजी क्षेत्र को आवश्यकता से अधिक महत्त्व दिया गया। योजना की वित्त व्यवस्था के अनुमान भी महत्वाकांक्षी थे। ग्रह-उद्योगों के विकास के लिए इस योजना में निश्चित कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया। व्यापार-सन्तुलन से छह सौ करोड़ रुपये, पौंड पावने से 1000 करोड़ रुपये और विदेशी सहायता से 700 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करने के अनुमान भी सदिग्ध थे। इन सब कमियों के बावजूद इस योजना ने राष्ट्रीय आर्थिक पुनर्निर्माण की दिशा में एक सम्बन्धित प्रयास और साहसिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

जन योजना (People's Plan)

'बम्बई योजना के तीन माह बाद ही इण्डियन फेडरेशन ऑफ लेबर की ओर से श्री एम एन राय द्वारा जन-योजना प्रकाशित की गई। यह दस-वर्षीय योजना थी जिसके लिए अनुमानित व्यय की राशि 15000 करोड़ रुपये निर्धारित की गई। जन-योजना का मूल उद्देश्य जनता की तत्कालीन मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। इस योजना के प्रथम पाँच वर्षों में कृषि पर तथा अगले 5 वर्षों में उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए भूमि में 10 करोड़ एकड़ की वृद्धि, सिंचाई के साधनों में 400% की वृद्धि तथा अधिक मात्रा में अच्छे खाद और बीज के उपयोग के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। राजकीय सामूहिक कृषि के विस्तार, भूमि के राष्ट्रीयकरण और राजकीय कृषि-फार्मों की स्थापना के सुभाव भी इस योजना में रखे गए थे। इसके अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन में 600% की वृद्धि का लक्ष्य इस योजना में रखा गया था और निजी उद्योगों में लाभ की दर को 3% तक सीमित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

यातायात के अन्तर्गत इस योजना में सड़कों व रेलों की लम्बाई में क्रमशः 15% एवं 50% की वृद्धि के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। सड़कों की लम्बाई में 4,50,000 मील और रेलमार्गों में 24,000 मील की वृद्धि करने का आयोजन था। जहाजी यातायात के विकास के लिए 155 करोड़ रु निर्धारित किए गए थे।

जन-योजना में ग्रामीण-क्षेत्रों की आय में 300% और औद्योगिक क्षेत्र की आय में 200% वृद्धि का अनुमान किया गया था। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, वित्तीय सहायता पर राज्य का नियन्त्रण, घन व व्यापार का समान वितरण, गृह-निर्माण योजना आदि कार्यक्रम भी इस योजना में सम्मिलित थे।

योजना की समीक्षा

इस योजना में कृषि को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया था। कृषि की तुलना में औद्योगिक विकास की उपेक्षा की गई थी। बुटीर-उद्योगों की ओर इस योजना में यथोचित ध्यान नहीं दिया गया था, किन्तु इस योजना में प्रस्तावित कृषक वर्ग की ऋण-प्रस्तुता तथा लाभ की भावना के निम्नण सम्बन्धी आर्थिक मुद्दाव स्वागत योग्य थे।

गांधीवादी योजना (Gandhian Plan, 1944)

इस योजना के निर्माता वर्षों के गांधीवादी नेता श्रीमन्मारायण अग्रवाल थे। यह योजना एक आदर्शवादी योजना थी, जिसका निर्माण गांधीजी के सिद्धान्तों के आधार पर किया गया था। इस योजना का अनुमानित व्यय 3500 करोड़ रु. निर्धारित किया गया था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ऐसे विवेकित आत्म निर्भर कृषि-समाज की स्थापना करना था जिसमें गृह-उद्योगों के विकास पर बल दिया गया हो।

यह योजना दस-वर्षीय थी। इस योजना के लिए निर्धारित 200 करोड़ रु की आवर्तक राशि (Recurring Amount) को सरकारी उपक्रमों तथा 3500 करोड़ रु की अनावर्तक राशि (Non-Recurring Amount) को आन्तरिक मुद्रा-प्रसार और करारोपण द्वारा प्राप्त किया जाना था।

इस योजना में 175 करोड़ रु के अनावर्तक और 5 करोड़ रु के आवर्तक व्यय से सिंचाई सुविधाओं को दुगुना करने का कार्यक्रम बनाया गया था। योजना का लक्ष्य दस वर्षों में कृषि की आय को दुगुना करना था। योजना में गृह और ग्रामीण उद्योगों को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया था। साथ ही सुरक्षा, उद्योग, जल-विद्युत-शक्ति, मशीन और मशीनरी औजार, रसायन, इन्जीनियरिंग आदि बड़े और आधारभूत उद्योगों के विकास के लिए भी कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। इसके अतिरिक्त रेल यातायात में 25% की वृद्धि, ग्रामीण-क्षेत्रों में 2,00,000 मील लम्बी अतिरिक्त सड़कों का निर्माण तथा बिक्रिस्ता व शिक्षा सुविधाओं में पर्याप्त विकास कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे।

योजना की समीक्षा

इस योजना के दो पक्ष थे - एक ग्रामीण क्षेत्र का विकास ग्रामीण जीवन के अनुसार व दूसरा नगरीय क्षेत्र, जिसका विकास बड़े उद्योगों द्वारा किया जाना था। परन्तु इस प्रकार का समन्वय असम्भव था। योजना में हीनार्थ प्रबन्धन (Deficit Financing) को भी आवश्यकता से अधिक महत्त्व दिया गया किन्तु एक विशेषता यह थी कि इसमें भारतीय आदर्शों को समाविष्ट करने का प्रयत्न किया गया।

अन्य योजनाएँ (Other Plans)

सन् 1944 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने सर आर्देशीर दलाल की अध्यक्षता में योजना विभाग स्थापित किया। इस विभाग ने अल्पकालीन व दीर्घकालीन कई योजनाएँ तैयार की जिनको युद्ध के पश्चात् क्रियान्वित किया जाना था। किन्तु युद्ध की समाप्ति के बाद परिस्थितियाँ बदल गईं, अतः किसी भी योजना पर कार्य नहीं किया जा सका।

सन् 1946 में भारत की अन्तरिम सरकार ने विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं पर विचार करने तथा उनके सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिए एक Planning Advisory Board की स्थापना की जिसके अध्यक्ष श्री के. सी. निधोगी नियुक्त हुए। मण्डल के नियोजन के मुख्य उद्देश्यों के रूप में जनता के जीवन-स्तर को उठाने और पूर्ण रोजगार देने पर बल देने का सुझाव रखा। मण्डल ने एक प्राथमिकता बोर्ड (Priorities Board) तथा एक योजना कमीशन (Planning Commission) की स्थापना के सुझाव भी दिए।

स्वतन्त्रता के बाद नियोजन (Planning after Independence)

सन् 1947 में राजनीतिक स्वतन्त्रता ने आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए मार्ग प्रशस्त किया। कृषि, सिंचाई और खनिज सम्पदा के अनदोषित साधनों और उपलब्ध साधनों का आवंटन करने की जरूरत थी। प्रायोजन के द्वारा सुनिश्चित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के ढाँचे के अन्तर्गत तेज और सन्तुलित विकास सम्भव हो सकता था। नवम्बर, 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने श्री नेहरू की अध्यक्षता में Economic Programme Committee की स्थापना की जिसने 25 जनवरी, 1948 को अपने विस्तृत सुझाव प्रस्तुत किए और यह अनुशंसा दी कि एक स्थायी योजना आयोग की स्थापना की जाए।

भारत सरकार ने देश के साधनों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास का ढाँचा तैयार करने के लिए मार्च, 1950 में योजना आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने मोटे तौर पर भारत में नियोजन के दो उद्देश्य बतलाए—

- 1 उत्पादन में वृद्धि करना और जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना।
- 2 स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक मूल्यों पर आधारित ऐसी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का विकास करना जिसमें राष्ट्रीय जीवन की सभी समस्याओं के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्राप्त हो।

आर्थिक नियोजन के लक्ष्य इस प्रकार रहे गए—

1. राष्ट्रीय आय में अधिकतम वृद्धि करना ताकि प्रति व्यक्ति औसत आय बढ़ सके।
2. तीव्र औद्योगीकरण एवं आधारभूत उद्योगों का तीव्र विकास।
3. अधिकतम रोजगार।

4. आय की असमानताओं में कमी एवं धन का अधिक समान वितरण ।

5. देश में समाजवादी ढंग पर आधारित समाज (Socialistic Pattern of Society) का निर्माण ।

इन सभी लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए देश में पंचवर्षीय योजनाओं का सूत्रपात हुआ । अभी तक तीन पंचवर्षीय योजनाएँ (1951-52 से 1965-66), तीन एकवर्षीय योजनाएँ (1966 से 1969) तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (अप्रैल, 1969 से मार्च, 1974) समाप्त हो चुकी हैं और 1 अप्रैल, 1974 से चालू की गई पंचवर्षीय योजना चार वर्ष में ही 31 मार्च, 1978 को समाप्त की जाकर 1 अप्रैल 1978 से नई राष्ट्रीय योजना चालू की गई है जो आवर्ती योजना (Rolling Plan) है ।

प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाएँ¹
(First Three Five Year Plans)

उद्देश्य (Objectives)—प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-52 से 1955-56) के दो उद्देश्य थे । पहला उद्देश्य युद्ध और देश के विभाजन के कारण उत्पन्न आर्थिक असन्तुलन को ठीक करना था । दूसरा उद्देश्य था, साथ ही साथ सर्वांगीण, सन्तुलित विकास की प्रक्रिया शुरू करना जिससे निश्चित रूप से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो और जीवन-स्तर में सुधार हो । सन् 1951 में देश को 47 लाख टन खाद्यान्न आयात करना पड़ा था और अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रा-स्फोटि का प्रभाव था । इसलिए योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई और बिजली परियोजना सहित कृषि को दी गई और इनके विकास के लिए सरकारी क्षेत्र के 2,069 करोड़ रु. के कुल परिव्यय (जो बाद में बढ़कर 2,356 करोड़ रु कर दिया गया) का 44.6% रखा गया । इस योजना का उद्देश्य निवेश को राष्ट्रीय आय के 5% से बढ़ाकर लगभग 7% करना था ।

दिसम्बर, 1954 में लोरसभा ने घोषित किया कि आर्थिक नीति का व्यापक उद्देश्य 'समाज के समाजवादी ढाँचे' की प्राप्ति होना चाहिए । समाज के समाजवादी ढाँचे के अन्तर्गत प्रगति की रूपरेखा निर्धारित करने की आधारभूत कसौटी निजी मुनाफा नहीं, बल्कि सामाजिक लाभ और आय तथा सम्पत्ति का समान वितरण होना चाहिए । इस बात पर बल दिया गया कि समाजवादी अर्थ-व्यवस्था, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रति कुशल तथा प्रगतिशील दृष्टि अग्रणी और उस स्तर तक क्रमिक प्रगति के लिए सक्षम हो कि आम जनता खुशहाल हो सके ।

द्वितीय योजना (1956-57 से 1960-61) में भारत में समाजवादी समाज की स्थापना की दिशा में विकास-ढाँचे को प्रोत्साहित करने के प्रयत्न किए गए । इस योजना में विशेष बल इस बात पर दिया गया कि आर्थिक विकास के अधिकाधिक लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम साधन-प्राप्त वर्गों को मिलें और आय,

सम्पत्ति और अतिरिक्त शक्ति के चन्द्र हाथों में सिमटने की प्रवृत्ति में लगातार कमी हो। इस योजना के उद्देश्य थे—(1) राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि, (2) आधारभूत और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष बल देते हुए द्रुत औद्योगीकरण, (3) रोजगार के अवसरों में वृद्धि और (4) आय और सम्पत्ति की विषमताओं में कमी तथा आर्थिक शक्ति का और अधिक समान वितरण। इन योजना का उद्देश्य निवेश दर को राष्ट्रीय आय के लगभग 7% से बढ़ा कर सन् 1960-61 तक 11% करना था। योजना में औद्योगीकरण पर विशेष बल दिया गया। लोहे तथा इस्पात और नाइट्रोजन उर्वरकों सहित रसायनों के उत्पादन में वृद्धि और भारी इन्जीनियरी तथा मशीन निर्माण उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। योजना में सरकारी क्षेत्र का कुल परिव्यय 4,800 करोड़ रु था। इसमें से 3,650 करोड़ रु निवेश के लिए था और निजी क्षेत्र का परिव्यय 3,100 करोड़ रु था।

तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-62 से 1965-66) शुरू हुई जिसका मुख्य उद्देश्य स्वयं-सफूर्त विकास की दिशा में निश्चित रूप से बढ़ना था। इस तात्कालिक उद्देश्य थे—(1) राष्ट्रीय आय में 5% वार्षिक से अधिक की वृद्धि करना और साथ ही ऐसा निवेश ढांचा तैयार करना कि यह वृद्धि-दर आगामी योजना अवधियों में बनी रहे, (2) खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और कृषि-उत्पादन बढ़ाना जिससे उद्योग तथा निर्यात की जरूरतें पूरी हो सकें, (3) इस्पात, रसायनों, ईंधन और बिजली जैसे आधारभूत उद्योगों का विस्तार करना और मशीन निर्माण क्षमता स्थापित करना ताकि आगामी लगभग 12 वर्षों में औद्योगीकरण की भावी मांगों को मुख्यतः देश के अपने साधनों से पूरा किया जा सके, (4) देश की जन-शक्ति के साधनों का अधिकतम उपयोग करना और रोजगार के अवसरों का पर्याप्त विस्तार करना, और (5) उत्तरोत्तर अवसरों की समानता में वृद्धि करना और आय तथा सम्पत्ति की विषमताओं को कम करना और आर्थिक शक्ति का और अधिक समान वितरण करना। राष्ट्रीय आय में लगभग 30% वृद्धि कर के सन् 1960-61 में 14,500 करोड़ रु से बढ़ाकर (1960-61 के मूल्यों पर) सन् 1965-66 में 19,000 करोड़ रु करना और प्रति व्यक्ति आय में लगभग 17% वृद्धि कर के 330 रु के बजाय इस अवधि के दौरान लगभग 385 रु कर।।

परिव्यय और निवेश (Out-lay and Investment)—पहली योजना में, सरकारी क्षेत्र में 2,356 करोड़ रु के सशोधित परिव्यय के मुकाबले व्यय 1960 करोड़ रु हुआ। दूसरी योजना में, सरकारी क्षेत्र में 4,800 करोड़ रु की व्यवस्था के मुकाबले वास्तविक खर्च 4,672 करोड़ रु रहा जबकि निजी क्षेत्र में 3,100 करोड़ रु का विनियोग हुआ। तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र के लिए 7,500 करोड़ रु के परिव्यय का प्रावधान था। इसके मुकाबले सरकारी क्षेत्र में वास्तविक खर्च 8,577 करोड़ रु रहा। निजी क्षेत्र में 4,000 करोड़ रु से अधिक का विनियोजन हुआ।

तीन योजनाओं में उपलब्धियाँ (Achievements During the Three Plans)—पन्द्रह वर्षों के आयोजन से, समय-समय पर बाधाओं के बावजूद अर्थ-व्यवस्था में सर्वांगीण प्रगति हुई। आधारभूत सुविधाएँ जैसे सिंचाई, बिजली और परिवहन में काफी विस्तार हुआ और छोटे-बड़े उद्योगों के लिए बहुमूल्य खनिज भण्डार स्थापित किए गए।

पहली योजना में मुख्यतः कृषि उत्पादन में बढोत्तरी से, राष्ट्रीय आय में निर्धारित लक्ष्य 12% से अधिक यानी 18% वृद्धि हुई। दूसरी योजना में राष्ट्रीय आय में 25% के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 20% वृद्धि हुई और तीसरी योजना में राष्ट्रीय आय (सन्निहित) सन् 1960-61 के मूल्यों पर पहले चार वर्षों में 20% बढ़ी और अन्तिम वर्ष में इसमें 5.7 प्रतिशत की कमी आई। जनसंख्या में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि के कारण सन् 1965-66 में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय वही रही जो सन् 1960-61 में थी।

पहली दो योजनाओं में कृषि-उत्पादन लगभग 41 प्रतिशत बढ़ा। तीसरी योजना में कृषि उत्पादन सन्निहित नहीं था। सन् 1965-66 और सन् 1966-67 में सूखा पड़ा और कृषि-उत्पादन तेजी से गिरा। इससे अर्थ-व्यवस्था की विकास-दर में ही कमी नहीं आई, वरन् खाद्यान्नों के आयात पर भी हमारी निर्भरता बढ़ी। तीसरी योजना में देश ने 250 लाख टन खाद्यान्नों का आयात किया। हमने कपास की 39 लाख और पटसन की 15 लाख गाँठें भी आयात करनी पड़ीं।

पहली दो योजनाओं में सगठित निर्माता उद्योगों में शुद्ध उत्पादन लगभग दुगुना हुआ। इसमें सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का योग, जो पहली योजना के शुरू में 1.5 प्रतिशत था, दूसरी योजना के अन्त तक बढ़ कर 8.4 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि अधिकतर इस्पात, चीन्हा, लान, भारी रसायन जैसे आधारभूत उद्योगों में हुई। तीसरी योजना के पहले चार वर्षों में सगठित उद्योग का उत्पादन 8.10 प्रतिशत वार्षिक बढ़ा। लेकिन योजना के अन्तिम वर्ष में भारत-पाकिस्तान युद्ध से हुई गड़बड़ी और विदेशी सहायता में आई बाधाओं के कारण वृद्धि-दर घट कर 5.3 प्रतिशत रह गई। कुल मिलाकर तीसरी योजना में सगठित उद्योगों की वृद्धि-दर 11 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 8.2 प्रतिशत रही। लेकिन इस काल में एक उल्लेखनीय बात उत्पादन-क्षमता में वृद्धि तथा विविधता रही। यह बात प्रमुख रूप से इस्पात और मल्यूमीनियम, मशीनी औजार, औद्योगिक मशीनें, बिजली और परिवहन उपकरण, उबेरको, ओपध, औषधियों और पेट्रोलियम के उत्पादन में हुई। इन सब में औद्योगिक ढाँचे को सुदृढ़ बनाने में योग दिया।

आयोजन के इन वर्षों में स्वास्थ्य और शैक्षणिक सुविधाओं का उल्लेखनीय विस्तार हुआ। सन् 1950-51 में जन्म पर अपेक्षित आयु 35 वर्ष थी जो सन् 1971 में 50 वर्ष हो गई। स्कूलों में प्रवेश की संख्या सन् 1950-51 में 235 लाख थी जो सन् 1965-66 तक बढ़कर 663 लाख हो गई। अनुसूचित जातियों और

अनुसूचित जनजातियों की दशा सुधारने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए गए जिनसे उन्हें अनेक लाभ मिले और उनकी दशा बेहतर हुई।

तीन वार्षिक योजनाएँ (Three Annual Plans)

तीसरी योजना के बाद तीन एक वर्षीय योजनाएँ (1966-69) कार्यान्वित की गईं। भारत पाकिस्तान युद्ध से उत्पन्न स्थिति, दो वर्षों के लगातार भीषण सूखे, मुद्रा अस्थिरता, मूल्यों में वृद्धि और योजना के लिए उपलब्ध साधनों में कमी के कारणों से चौथी योजना को अन्तिम रूप देने में बाधा पड़ी। इस दौरान चौथी योजना के मसविदे को ध्यान में रखते हुए तीन एकवर्षीय योजनाएँ बनाई गईं। इनमें तत्कालीन परिस्थितियों का ध्यान रखा गया। इस अवधि में अर्थ व्यवस्था की स्थिति और योजना के लिए वित्तीय साधनों की कमी से विकास व्यय कम रहा।

वार्षिक योजनाओं में विकास की मुख्य मंशों का व्यय इस प्रकार रहा (करोड़ रु में) कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र 1,166.6, सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण 457.1, बिजली 1,182.2, ग्राम और लघु उद्योग 144.1, उद्योग और खनिज 157.0, परिवहन और संचार 1,239.1, शिक्षा 322.4, वैज्ञानिक अनुसंधान 51.1, स्वास्थ्य 140.1, परिवार नियोजन 75.2, पानी की सफाई और सफाई 100.6, आवास, शहरी और क्षेत्रीय विकास 63.4, पिछड़ी जातियों का कल्याण 68.5, समाज कल्याण 12.1, श्रम-न्याय और कारीगरों का प्रशिक्षण 32.5 और अन्य कार्यक्रम 123.5। तीन वार्षिक योजनाओं का कुल व्यय 6,756.5 करोड़ रुपये रहा।

चौथी पंचवर्षीय योजना (Fourth Five Year Plan)

लक्ष्य—चौथी योजना (1969-74) का लक्ष्य स्थिरतापूर्वक विकास की गति को तेज करना, कृषि के उत्पादन में उतार-चढ़ाव को कम करना तथा विदेशी सहायता की अनिश्चितता के कारण उसके प्रभाव को घटाना था। इसका उद्देश्य ऐसे कार्यक्रमों द्वारा लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा करना था जिसे समानता और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन भी मिले। योजना में विशेषकर रोजगार और शिक्षा की व्यवस्था के जरिए कमजोर और कम सुविधा प्राप्त वर्गों की दशा को सुधारने पर विशेष बल दिया गया। इस योजना में सम्पत्ति, आय और छात्राधिकारिता का अधिकारित लोगों में प्रसार करने और उन्हें चन्द हाथों में एकत्र होने से रोकने में प्रयत्न भी किए गए।

योजना का लक्ष्य शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को जो सन् 1969-70 में 1968-69 के मूल्यों पर 29,071 करोड़ रु था बढ़ाकर सन् 1973-74 में 38,306 करोड़ रु करने का था। इसका अर्थ था कि सन् 1960-61 के मूल्यों पर सन् 1968-69 के 17,351 करोड़ रु के उत्पादन को सन् 1973-74 में 22,862 करोड़ रु कर दिया जाए। विकास की प्रस्तावित औसत वार्षिक चक्रवृद्धि दर 5.6% थी।

परिचय और निवेश—धारम्भ से चौथी योजना के लिए 24,882 करोड़ रु का प्रावधान रखा गया था। इसमें सरकारी क्षेत्र के लिए 15,902 करोड़ रु (इसमें

13,655 करोड़ रु. का निवेश शामिल है) और निजी क्षेत्र में लगाने के लिए 8,980 करोड़ रु. की राशि थी। सन् 1971 में इस योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया गया और सरकारी क्षेत्र के परिव्यय को बढ़ाकर 16,201 करोड़ रु. कर दिया गया।² अब चौथी योजना में सरकारी क्षेत्र का अनुमानित परिव्यय कुल 15,724 करोड़ रु. है।

उत्पत्तियाँ—चौथी योजना के अन्तर्गत वृद्धि की दर का लक्ष्य 5.7 प्रतिशत वार्षिक या किन्तु वृद्धि की प्राप्त दर इस प्रकार रही—सन् 1969-70 में 5.7%, 1970-71 में 4.9 प्रतिशत, 1971-72 में 1.4 प्रतिशत, 1972-73 में (—) 0.9 प्रतिशत तथा 1973-74 में 3.1 प्रतिशत। कृषि तथा उद्योग जैसे अर्थ-व्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों का कार्य योजना के प्रत्येक वर्ष में अलग-अलग स्तर दिखाता रहा। चौथी योजना अवधि में खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य 12 करोड़ 90 लाख टन था। अन्तिम अनुमानों के अनुसार सन् 1973-74 में खाद्यान्न उत्पादन 10 करोड़ 40 लाख टन के लगभग हुआ। उत्पादन में कमी का मुख्य कारण मौसम था। इस योजना में अपनाई गई नई कृषि नीति के कारण नई उत्पादन में नई सफलताएँ मिली। किन्तु चावल उत्पादन में पारम्परिक चावल उगाने वाले क्षेत्रों में कोई विशेष तकनीकी सफलता नहीं मिली है। दालों तथा तिलहनो की उत्पादन दर भी योजना में अपेक्षित वृद्धि दर से कम ही रही। चौथी योजना उस समय बनाई गई थी जब अर्थ-व्यवस्था मन्दी से उभर रही थी तथा औद्योगिक क्षेत्र में काफी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा था। योजना का एक मुख्य उद्देश्य मौजूदा क्षमता का अधिक अच्छा उपयोग करना था। औद्योगिक क्षेत्र में योजना का लक्ष्य वार्षिक वृद्धि-दर को 8% से 10% बढ़ाना था किन्तु योजना के आगामी वर्षों में इस दर की प्राप्ति न हो सकी। इसके पहले चार सालों में उत्पादन दर क्रमशः 7.3%, 3.1%, 3.3% तथा 5.3% थी जबकि सन् 1973-74 में उत्पादन दर का 1% से कम रहा। संचालन की समस्याओं के कारण तथा मुख्य रूपसे माल की कमी, बिजली की कमी तथा माल ढोने में अडचनों के कारण बहुत से उद्योगों में मौजूदा क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना (Fifth Five Year Plan)

पाँचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि सन् 1974-79 थी जो अब सन् 1974-78 ही कर दी गई है और जनता पार्टी की सरकार ने। अप्रैल, 1978 से नई राष्ट्रीय योजना चालू की। पाँचवी पंचवर्षीय योजना के दो मुख्य उद्देश्य रखे गए थे—गरीबी का उन्मूलन और आत्म-निर्भरता। योजना के प्रारूप में कहा गया कि जो 30% लोग इस समय 25 रु. प्रतिमास के न्यूनतम उपभोक्ता स्तर पर हैं, उनका स्तर बढ़ाकर 40.6 प्रतिमास (1973-74 के मूल्यों पर) कर दिया जाए, क्योंकि यह न्यूनतम वांछनीय स्तर है। परिवर्तित परिस्थितियों के प्रकरण में पाँचवी पंचवर्षीय योजना पर पुनर्निर्धार का दौर चला और अक्टूबर, 1976 में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने इसके संशोधित रूप पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।

समोहित योजना को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद् ने अपने प्रस्ताव में कहा कि यह परिषद् स्वावलम्बन और गरीबी का अन्त करने के लक्ष्यो की पुष्टि करती है। इसके अतिरिक्त परिषद् में कृषि, सिंचाई, ऊर्जा और सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर दिए जाने वाले बल का भी समर्थन किया।

योजना के मूल प्रारूप के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में 37,463 करोड़ रुपये के परिवर्ष का अनुमान लगाया गया था जबकि समोहित परिवर्ष 39,303 करोड़ रुपये हाना अनुमानित किया गया। इसमें सामान सूची के लिए निर्धारित राशि सम्मिलित नहीं थी। जहाँ तक अलग अलग मदों की बात है, व्यय का आवंटन इस प्रकार रखा गया—

मद	व्यय राशि
कृषि तथा इसके सम्बन्धित विषय	4,643 50 करोड़ रु
सिंचाई तथा बाढ नियन्त्रण	3,440 18 करोड़ रु
विजली	7,293 90 करोड़ रु
उद्योग तथा खनन	10 200 60 करोड़ रु
परिवहन तथा संचार	6,881 43 करोड़ रु
शिक्षा	1,284 29 करोड़ रु
समाज तथा सामुदायिक सेवाओं पर	4,759 77 करोड़ रु
पहाडी तथा आदिवासी क्षेत्रों पर	450 00 करोड़ रु
अन्य विविध क्षेत्रों पर	333 73 करोड़ रु

पाँचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में जिन विषयों को प्राथमिकता मिली थी, उन्हें अपरिवर्तित रखा गया। योजना की 39,303 24 करोड़ रुपये की राशि में केन्द्र का योगदान 19,954 10 करोड़ रुपये, राज्यों का 18,265 08 करोड़ रुपये, सहाय क्षेत्र का 634 06 करोड़ रुपये रखा गया।

केवल योजना परिवर्ष में ही वृद्धि नहीं हुई बल्कि ग्रामों दो वर्षों के लिए 19,902 करोड़ रुपये के परिवर्ष का अनुमान लगाया गया जबकि योजना के प्रथम तीन वर्षों के लिए 19,401 करोड़ रुपये का अनुमानित परिवर्ष रखा गया था। सिंचाई, बाढ नियन्त्रण, विजली व उद्योग और खनिजों के परिवर्ष में काफी वृद्धि की गई। कृषि, शिक्षा और समाज सेवाओं का परिवर्ष योजना के अन्तिम दो वर्षों के लिए पहले तीन वर्षों की अपेक्षा कहीं अधिक रखा गया।

आर्थिक-समीक्षा¹ के उपरान्त पाँचवी पंचवर्षीय योजना को जनता पार्टी की सरकार ने अवधि से एक वर्ष पूर्व ही 31 मार्च, 1978 को समाप्त कर दिया है।²

सभी पंचवर्षीय योजनाओं—विशेषकर चौथी और पाँचवी के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश मिले कुछ अन्वेषों में डाला गया है।

1 Economic Survey, 1977-78, p 58 (जनता पार्टी की सरकार ने समस्त राष्ट्रीय और राज्य का पुनर्गठन किया है, वर पिछली सरकार द्वारा प्रकाशित अंकनों से न्यूनतम विषय स्वाभाविक है।)

2 वित्तमन्त्री की बजट भाषण 28 फरवरी, 1978

आवर्ती या अनवरत योजना (Rolling Plan)

भारत सरकार के वित्त मंत्री श्री एच. एम. पटेल ने 28 फरवरी 1978 को ससद में अपने बजट भाषण में कहा—“चालू वित्तीय वर्ष (1977-78) की समाप्ति के साथ पाँचवीं आयोजना समाप्त हो रही है और पहली अप्रैल, 1978 से नई राष्ट्रीय योजना चालू हो जाएगी।” पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1974 से लागू की जाकर 31 मार्च, 1979 तक चलनी थी, किन्तु इसे नई सरकार (जनता पार्टी की सरकार) ने अवधि से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर 1978-83 की अवधि के लिए 1 अप्रैल, 1978 से एक नई मध्यावधि योजना शुरू करने का फैसला किया है। यह नई राष्ट्रीय ‘आवर्ती योजना’ (Rolling Plan) है। इसे ‘अनवरत योजना प्रणाली’ भी कहा जाता है।

आयोजन एक सतत् प्रक्रिया है और किसी भी समय अनेकों ऐसी योजनाएँ और कार्यक्रम चालू रहते हैं जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। आवर्ती अथवा अनवरत योजना प्रणाली के अन्तर्गत योजना का मतलब है—अधिक व्यापक और विस्तृत आयोजन। इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हर वर्ष योजना पर तात्कालिक आर्थिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में नए सिरे से विचार कर उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। पाँचवीं योजना की अवधि चार वर्षों में ही खत्म कर योजना का पाँचवाँ वर्ष अब अनवरत या आवर्ती योजना प्रणाली का पहला वर्ष होगा। इस तरह अब छठी योजना लागू करने के बजाय पाँच वर्षों की ऐसी योजना चलेगी जिसकी अवधि का एक वर्ष पूरा होने पर उसके अन्तिम वर्ष में आगे का एक और वर्ष जुड़ जाएगा। परिणामस्वरूप वर्षानुवर्ष उसकी अवधि बढ़ती चली जाएगी और हर वर्ष उसकी अवधि पाँच वर्षों की बनी रहेगी।

आवर्ती योजना की उपयोगिता पर अक्टूबर, 1977 की योजना में अपने एक लेख में प्रकाश डालते हुए श्री एल. पी. श्रीवास्तव ने लिखा है कि—

“इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हर वर्ष योजना पर तात्कालिक आर्थिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में नए सिरे से विचार कर उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन तथा परिवर्द्धन किया जा सकेगा। पुरानी व्यवस्था के अधीन एक बार लक्ष्य तथा वित्तीय साधन पाँच वर्षों के लिए तय कर देने के बाद उनमें बहुत फेर बदल कठिन हो जाता था। कीमतों में भारी वृद्धि हो और योजना के लक्ष्य अवास्तविक हो जाएँ तब भी लक्ष्यों को घटाकर उसे जारी रखा जाता था, हालाँकि घन अधिक खर्च होता था। अब इन मामलों पर हर साल सविस्तार विचार और योजना में स्थिति के अनुरूप फेर-बदल दिया जा सकेगा। विकास की विभिन्न मदों में प्राथमिकताएँ बदली तथा साधनों के उपयोग में लचीलापन तथा व्यवस्था नियम रखी जा सकेगी।

नई प्रणाली का उद्देश्य वार्षिक योजनाओं को व्यावहारिक रूप देना तथा पाँच वर्षों की पृष्ठभूमि में विकास का भावी लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्रभावी तौर पर लागू करना है। इसके लिए सबसे बड़ी जल्दत योजना के कार्यान्वयन में प्रगति

के बारे में लगातार आँकड़े एकत्र करने की होगी। इससे उसका हर वर्ष मूल्यांकन किया जा सकेगा। योजना आयोग इसकी व्यवस्था करने जा रहा है। राज्यों को भी सलाह दी जा रही है कि जानकारी एकत्र करने की मशीनरी को सबल बनाएँ तथा हर स्तर पर योजना के कार्यान्वयन पर नजर रखें। तभी योजना का वार्षिक मूल्यांकन और समीक्षा सम्भव होगी।

अब तक पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया जाता था, और उसके बाद चौथे वर्ष में फिर उस पर विचार किया जाता था। अब वह क्रम हर वर्ष जारी रखा जाएगा तथा हर साल पंच वर्षों की पृष्ठभूमि में उसमें व्यवस्थापन किया जाएगा।

आवर्ती योजना (रोलिंग प्लान) की पद्धति नई नहीं है। सन् 1962 में चीनी आक्रमण के बाद रक्षा की भी पाँच वर्षों की रोलिंग प्लान लागू की गई थी। इसके बाद वेन्द्र ने इस्मात उद्योग के विकास के लिए भी पाँच वर्षों की रोलिंग प्लान पद्धति लागू करने की घोषणा की थी। विकास के कार्यक्रम को लागू करने तथा उसमें तारतम्य बनाए रखने की दृष्टि से यह पद्धति बहुत ही उपयोगी तथा विश्वसनीय है। रक्षा योजना के कार्यान्वयन में इसकी उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है।

अगले वर्ष से ही इस पद्धति को लागू करने का उद्देश्य नई सरकार की नीतियों तथा प्राथमिकताओं को निर्धारित करना है, अन्यथा पाँचवी योजना की समाप्ति के लिए एक वर्ष और रुकना पड़ता। पाँचवी योजना की परिधि में नई प्राथमिकताओं को लागू करना बठिन था। चूँकि अब नई प्राथमिकताओं के अनुसार वित्तीय साधनों का बँटवारा करना होगा, इसलिए पुराने कार्यक्रम में भारी परिवर्तन करना अनिवार्य हो जाएगा।

योजना आयोग ने बताया कि योजना के नए दृष्टिकोण के अनुरूप पूँजी-निवेश की प्राथमिकताएँ बदली जाएँगी। रोजगार सबर्द्धन के लक्ष्यों तथा गरीबी-उन्मूलन की दृष्टि से वित्तीय साधन बड़ी मात्रा में कृषि, सिंचाई तथा लघु उद्योगों पर खर्च किए जाएँगे। इसके लिए अन्य मदों से धन निकाल कर इन पर खर्च करना होगा। साथ ही विन्ही आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक तैयार करने के लिए भी धन उपलब्ध करना होगा। इससे कीमतों में स्थिरता लाई जा सकेगी। इस तरह अगला वर्ष ग्राम-विकास, रोजगार में वृद्धि तथा आवश्यक वस्तुओं की कमी दूर कर कीमतेँ नियंत्रित करने की दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण होगा। इस काम में देर भी नहीं की जा सकती। आर्थिक विकास की गति देना इन उपायों के बिना सम्भव नहीं होगा।”

उल्लेखनीय है कि पिछली पंचवर्षीय योजनाओं की विभिन्न कमियों और कठिनाइयों से परिचित जनता सरकार ने मार्च, 1977 में सत्ता सम्भालने बाद शीघ्र ही योजना आयोग का पुनर्गठन किया और नवगठित आयोग में 10 सितम्बर, 1977 को ही यह घोषणा कर दी कि वर्तमान पंचवर्षीय योजना प्रणाली के स्थान पर सन् 1978-79 में आवर्ती अथवा अनवरत योजना (Rolling Plan) प्रारम्भ की

जाएगी। 6 अक्टूबर, 1977 को योजना मन्त्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की पहली बैठक में आयोग के अध्यक्ष और प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई ने कहा—

“दक्षिण पहले हमारी योजना ठीक नहीं थी, परन्तु यह नहीं कह सकते कि यह असफल रही। वास्तव में भारत में औद्योगीकरण के क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त की है और बिजली, परिवहन और सवार क्षेत्रों में पूंजीय सामान बनाने, सीनेट, कपड़ा, चीनी और अनेक अन्य महत्वपूर्ण सामान तैयार करने में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। भारत इस समय सयन्त्र और मशीनों का निर्यात भी कर सकता है। बेरोजगारी और गरीबी को कम करने के लिए हमारी योजनाएँ असफल नहीं रही हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम अपने विकास लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और निवेश प्राप्तिक्षमताओं को आवश्यकतानुसार तय करें। इसका मतलब यह नहीं है कि उद्योग में और निवेश नहीं किया जाएगा। कृषि विकास, बिजली, परिवहन आदि की आवश्यकताओं को अधिक औद्योगिक निवेश द्वारा ही पूरा किया जाएगा।”

“आयोजन के उद्देश्य, राष्ट्रीय उद्देश्य हैं इसलिए राष्ट्रीय योजनाबद्ध प्रगति के लिए सब दलों को, चाहे वे सत्ता में हो या विपक्ष में, मिलकर कार्य करना चाहिए।

“नई प्राथमिताओं को देखते हुए यह फैसला किया गया कि सन् 1978-83 की अवधि के लिए अग्रे, 1978 से एक नई मध्यवर्धि योजना को शुरू किया जाए। इस योजना को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा ताकि महत्वपूर्ण परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पाँच वर्ष के दौरान लगातार प्रयास किया जाता रहे। एक लम्बी अवधि, लगभग 15 वर्ष के लिए भी एक परिप्रेक्ष्य योजना बनाई जाएगी। अन्तर्गत योजना लागू किए जाने से मध्यवर्धि योजनाएँ और अधिक वास्तविक, लचीली और सायक बनेंगी। तीसरी, चौथी और पाँचवीं पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यक्रम पर निर्धारित लक्ष्यों और अर्थ व्यवस्था के वास्तविक विकास में वृत्त अधिक अन्तर था और मुद्रा-स्थिति भी काफी बड़ी थी।”

जनता सरकार ने भारतीय अर्थ-व्यवस्था के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाया है जिसकी सफलता को कभी भी पर कसा जाना नहीं है। नई सरकार ने जो आवर्ती योजना प्रणाली आरम्भ की है उसका यहाँ प्रारम्भिक परिचय ही दिया गया है, सरकार की योजना पर आगे एक अध्याय में विस्तार से विवेचन है। यहाँ प्राथमिक रूप में, हमें सन् 1978-79 की वार्षिक आयोजना की रूपरेखा भी देख लेनी चाहिए।

1978-79 की वार्षिक आयोजना

28 फरवरी, 1978 के अपने बजट भाषण में केन्द्रीय वित्त मन्त्री श्री एच. एम. पटेल ने कहा कि—

“सन् 1978-79 की वार्षिक आयोजना, जिस रूप में यह तैयार हुई है, विकास की कृषि-प्रधान और रोजगार वृद्ध नई नीति को अपनाते के वर्तमान सरकार के वायदे को प्रतिबिम्बित करती है। वर्ष 1978-79 के लिए केन्द्र, राज्यों और संघ

राज्य क्षेत्रों की वार्षिक आयोजनाओं का कुल परिष्करण सन् 1977-78 के 9960 करोड़ रुपये के मुकाबले, 11649 करोड़ रुपये का होगा। यह 17 प्रतिशत वृद्धि का योग्य है। इस परिष्करण में से कोई 10465 करोड़ रुपये पहले से चनी जा रही योजनाओं पर खर्च होंगे। शेष में से 150 करोड़ रुपये नई विद्युत् परियोजनाओं का श्रीमण्डल करने के लिए रखे गए हैं और 1034 करोड़ रुपये अन्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। उपरोक्त राशि का 80% भाग, यानी 828 करोड़ रुपये वृत्ति सम्पत्तियों और ऐसी अन्य योजनाओं के लिए है जो प्राथमिक क्षेत्रों के विकास में सहायक होगी।

सन् 1978-79 के केन्द्रीय बजट में 7281 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय आयोजना के लिए और राज्यों तथा नए राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं में सहायता देने के लिए रखी गई है। सन् 1977-78 के लिए यह राशि 5790 करोड़ रुपये की थी।

वृद्ध से वरों में ऐसा पहली बार हुआ है जबकि राज्यों और सघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाएँ कुल मिलाकर केन्द्रीय आयोजना से बड़ी होगी। कुल मिलाकर राज्यों की आयोजनाओं के परिष्करण में 19 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जबकि सघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं में 27 प्रतिशत की वृद्धि होगी। दूसरी ओर, केन्द्रीय आयोजना में 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी।”

**भारत में 1951 से 1978 तक नियोजन : क्या हम समाजवादी
समज का स्वप्न पूरा कर सके ?**

**(Planning in India [1951-78] : Could We Realise the
Dream of 'Socialistic Pattern of Society')**

मार्च 1977 में कांग्रेस के लगभग 30 वर्षीय एक छत्र शासन का पराभव हुआ और जनता पार्टी की सरकार प्रतिष्ठित हुई। नई सरकार ने यह अनुभव किया कि जो पंचवर्षीय योजनाएँ अब तक चली हैं वे आशानुरूप परिणाम नहीं दे सकी हैं अतः सम्पूर्ण आयोजन को नए परिष्करण में देखा जाना चाहिए, पूंजी निवेश प्राथमिकताओं में परिवर्तन करने चाहिए और आर्थिक नीतियों को नई प्राथमिकताओं के साथ समन्वित करना चाहिए। जनता सरकार ने अपने नए आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ही योजना आयोग का पुनर्गठन किया और 1 अप्रैल 1978 से आठवीं योजना प्रणाली के समारम्भ की घोषणा की। हमें देखना चाहिए कि पिछली योजनाओं की उपलब्धियाँ किस रूप में इतनी निराशाजनक रही कि नई सरकार को लम्बे अरसे से चले आ रहे सम्पूर्ण नियोजन को एक नई दिशा देनी पड़ी। विद्युत् सरकार (कांग्रेस सरकार) ने भारत में नियोजन का मूल लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना का रखा था और वर्तमान सरकार भी भारत में समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना के लिए ही प्रयत्नशील है, पर जहाँ नई सरकार के प्रयत्नों का मूल्यकिन सभी अविष्य के गम में है वहाँ पिछली सरकार के नियोजन-प्रयासों का मूल्यकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात है।

कॉन्ट्रोल शायन में समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य

नियोजना का अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण है जिसमें व्यक्ति तथा समाज के लिए सुरक्षा, स्वतन्त्रता और प्रबकाश के लिए स्थान हो—जिसमें व्यक्ति को उत्पादक की दृष्टि से, नागरिक की दृष्टि से और उपभोक्ता की दृष्टि से समुचित सम्बन्ध मिले। स्वतन्त्रता के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार के लिए अनिवार्य हो गया कि एक निश्चित जीवन-स्तर, पूर्ण रोजगार, आय का समान वितरण आदि की व्यवस्था करके देशवासियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। यह तभी सम्भव था जब उत्पादन के मुख्य साधनों पर समाज का अधिकार हो, उत्पादन की गति निरन्तर विकासमान हो और राष्ट्रीय प्राय का उचित वितरण हो। अतः देश की भावी नीति को और देश के आर्थिक नियोजन को इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति के हेतु आवश्यक मोड़ देने का निश्चय किया गया। ऐसे उपाय सोचने लगे जिनसे अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण हो सके। सन् 1947 में दिल्ली कांग्रेस की बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया था—“हमारा उद्देश्य एक ऐसे आर्थिक कलेवर का नव-निर्माण और विकास होना चाहिए जिसमें धन के एक ही दिशा में एकत्र होने की प्रवृत्ति के बिना अधिकतम उत्पादन किया जा सके, जिसमें नागरिक एवं ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में उचित समझौता हो।” सन् 1954 के अजमेर अधिवेशन में स्वर्गीय नेहरू ने कहा था कि वर्तमान भारत की समाजवादी व्यवस्था वस्तुतः गांधीवादी समाज और विकासात्मक व्यवस्था के समन्वय का नया रूप है और देश के आर्थिक पुनर्निर्माण तथा देश में समाजवादी समाज की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि शीघ्रातिशीघ्र आय के असमान वितरण को दूर किया जाए, प्राप्त साधनों का बिदोहन किया जाए, पूँजी को बाहर निकाला जाए, बेरोजगारी की समस्या को हल किया जाए तथा देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास किया जाए। सन् 1954 में ही लोक सभा में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि जन-समुदाय के भौतिक कल्याण से ही देश की उन्नति सम्भव नहीं है, इसके लिए सामाजिक व्यवस्था में संस्थागत (Institutional) परिवर्तन करने होंगे। तत्पश्चात् 22 जनवरी, 1955 को अवाड़ी अधिवेशन में आर्थिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ जिसमें ऐसे समाज की स्थापना पर बल दिया गया जो समाजवादी समाज के निर्माण में सहायक हो। उपर्युक्त प्रस्ताव में समाजवादी समाज के इन भौतिक सिद्धान्तों को ध्यान में रखा गया—

(1) पूर्ण रोजगार, (2) राष्ट्रीय धन का अधिकतम उत्पादन, (3) अधिकतम राष्ट्रीय आय-निर्मिता, (4) सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, (5) शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक और लोकतान्त्रिक तरीकों के प्रयोग, (6) ग्राम पंचायतों तथा समितियों की स्थापना, एवं (7) व्यक्ति की सर्वोच्चता एवं उसकी आवश्यकताओं को अधिकतम प्राथमिकता।

समाजवादी समाज के इन सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए अवाड़ी अधिवेशन में समाज की स्थापना के लिए ये लक्ष्य रखे गए—(1) जन-साधारण के जीवन-स्तर में वृद्धि, (2) उत्पादन-स्तर में वृद्धि, (3) दस वर्ष में पूर्ण रोजगार की व्यवस्था,

(4) राष्ट्रीय बन का समान वितरण, एव (5) ध्रुति तथा समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति आदि। योजना आयोग द्वारा इन सिद्धान्तों का समर्थन किया गया और इस प्रकार की व्यवस्थाएँ की गईं जो समाजवादी समाज की आधारभूत बन सकें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूल आधार समाजवादी समाज का निर्माण रहा गया और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के मुख्य निर्माता महालनोबिस ने निम्नलिखित आठ उद्देश्यों पर विशेष बल दिया—

- (1) सार्वजनिक क्षेत्र के महत्त्व और उनकी सीमा को विस्तृत करना।
- (2) आर्थिक सुरक्षा के लिए आधारभूत उद्योगों का विकास।
- (3) ग्रह उद्योगों एवं हस्तकला वस्तुओं का अधिकतम उत्पादन।
- (4) भूमि सुधारों की गति में तेजी एवं भूमि का समान वितरण।
- (5) छोटे उद्योगों का बड़े उद्योगों से रक्षित करना और उन्हें पूरक बनाना।
- (6) जनता के लिए आवास, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा सेवाओं का विस्तार।
- (7) बेरोजगारी समस्या की दस वर्षों में समाप्ति।
- (8) इस अवधि में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि तथा राष्ट्रीय आय का समान व उचित वितरण।

1973-74 तक नियोजन और समाजवादी

आदर्श को प्राप्ति का मूल्यांकन

- 1) स्पष्ट है कि भारत में नियोजन का आधार समाजवादी समाज का निर्माण रहा और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए नियोजन में विभिन्न कदम उठाए गए। प्रगति भी हुई और राष्ट्रीय आय भी बढ़ी जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है—
आर्थिक प्रगति आंकड़ों से।

	1960-61	1965-66	1973-74
राष्ट्रीय आय			
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन			
वर्तमान मूल्यों पर	13,300 करोड़ रु	20,600 करोड़ रु.	49,300 करोड़ रु
स्थिर मूल्यों पर	13,300 करोड़ रु.	15,100 करोड़ रु.	19,700 करोड़ रु
प्रति व्यक्ति आय			
वर्तमान मूल्यों पर	306 रु.	426 रु.	850 रु.
स्थिर मूल्यों पर	306 रु	311 रु	340 रु.
औद्योगिक उत्पादन का सूचक (1960=1000)	100 रु	154 रु	201 रु
भुगतान सन्तुलन			
विदेशी मुद्रा कोष	304 करोड़ रु.	298 करोड़ रु.	947 करोड़ रु.
विदेश व्यापार			
निर्यात	660 करोड़ रु.	810 करोड़ रु.	2,483 करोड़ रु.
आयात	1,140 करोड़ रु	1,394 करोड़ रु.	2,921 करोड़ रु.

1. भारत सरकार : पंचवर्षीय के दस वर्ष (1966-1975), पृष्ठ 42-53.

लेकिन नियोजन की वास्तविक उपलब्धियों को समाजवादी समाज के दर्पण में देखने पर अधिकांश निराशा ही हाथ लगी। इसने रास्ते में नहीं कि सरकार ने समाजवादी समाज की स्थापना के लिए प्रयत्न किए और योजनाओं को इस दिशा में मोड़ने तथा गति देने के लिए विभिन्न कदम उठाए, लेकिन विभिन्न कारणों से इसमें अनेक अक्षमता न मिल सकी। व्यवहार में समाजवादी तत्त्वों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल पाया और न ही आय तथा सम्पत्ति का कोई उचित वितरण हो सका। चार पंचवर्षीय योजनाओं, तीन एक वर्षीय योजनाओं और पाँचवी योजना के प्रारम्भिक डेढ़ वर्ष के सम्पन्न होने के बाद भी यह देखकर सभी क्षेत्रों में निराशा छाई रही कि आय और धन की असमानताओं में भारी वृद्धि हुई है तथा राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग उद्योगपतियों और पूँजीपतियों को मिला है। यद्यपि निम्न वर्गों के रहन-सहन के स्तर में कुछ सुधार अवश्य हुआ है, लेकिन तुलनात्मक रूप से यह निराशाजनक है और असमानताओं की खाई पहले से बड़ी है। समाजवाद लाने की आशा जगाने वाले अनेक सरकारी संस्थानों में भी पूँजीपतियों का प्रभुत्व छाया हुआ है। देश में न तो समाजवादी मनोवृत्ति ही जाग्रत हुई है और न व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा ही प्राप्त हो सकी है। पूर्ण रोजगार की बात तो दूर रही, बेरोजगारों की पीढ़ी निरन्तर बढ़ती जा रही है जिसका सम्पूर्ण राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। देश की श्रम-शक्ति का सदुपयोग न हो पाने से और बड़ी मात्रा में उठके व्यर्थ पड़े रहने से राष्ट्र को कितनी आर्थिक, सामाजिक और नैतिक हानि होती है इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। सार्वजनिक-क्षेत्र के विकास द्वारा निजी-क्षेत्र पर कुछ रोक अवश्य लगी है, लेकिन अधिक सत्ता के केन्द्रीयकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। क्षेत्रीय असमानताएँ भी बहुत कुछ यथापूर्व बनी हुई हैं और एकाधिकारी शक्तियों में वृद्धि हो रही है।

वस्तुतः, समाजवाद की कल्पना कोरे वागजों पर ही हुई। देश में जिस दर से महँगाई बढ़ी, वस्तुओं के भाव अज्ञाना छूने लगे और साधारण जनता जीवन-निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं में भी जितने कष्ट का अनुभव करने लगी, उससे समाजवादी समाज का निर्माण कौसो दूर दिखाई देता था। मूल्य-वृद्धि का सामना करने के लिए सबसे सरल उपाय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि और तदनुसार घाटे की अर्थव्यवस्था स्मभा जाता रहा है। लेकिन इससे स्वभावतः मुद्रा-प्रसार होना है और मुद्रा-प्रसार से हमें पुनः मूल्य-वृद्धि के स्वर में फँपना पड़ता है। फलस्वरूप हमारे गरीबों के कष्ट और अधिक बढ़ जाते हैं। इसीलिए शहरों में पाए जाने वाला गरीब-अमीर का अन्तर गाँवों में भी कार्की गहरा होता गया। जैसा कि योनेशचन्द्र शर्मा ने 22 अप्रैल, 1973 के यो तना-ग्रंथ में प्रकाशित एक लेख में लिखा—“गाँवों में एक और तो बड़े-बड़े भू-पति हैं, जिनके पास स्वयं अपने नाम पर या रिश्तेदारों के नाम पर दूर-दूर तक फँसी हुई कृषि-भूमि है और दूसरी ओर ऐसे किसान हैं जिनके पास केवल एक या दो बीघा जमीन है। बड़े भू-पतियों में या तो शहर के पूँजीपतियों और पुराने जमींदार हैं अथवा ऐसे राजनीतिक नेता हैं जिन्होंने अपने प्रभाव से बाकी जमीन

अपने पास बटोर ली है। वे भूमि-विकास निश्चिन्त रूप से मूल्य-वृद्धि से कान्ति नान्दिव हृष्ट हैं और बड़ी हुई राष्ट्रीय आय को दोनों हाथों से बटोर रहे हैं। दूनरों और किसान हैं जो इस स्थिति में भी नहीं हैं कि पैदा हुई फसल को कुछ समय तक रोक कर अपने पास रख लें। उन्हें तो तत्काल अपनी फसल को बाजार में ले जाकर बेचना पड़ता है, ताकि अपने लिए आवश्यकता की वस्तुएँ जुटा सकें।”

योजनाओं के श्रौंकों से पता चलता है कि भूमि का वितरण भी उचित रूप से नहीं हुआ। उपर्युक्त लेख के अनुसार “देश भर में जुलाई, 1972 तक लगभग 24 लाख एकड़ भूमि पर सरकार ने कच्चा कृषि, जिसमें लगभग आधा भाग ही वितरित किया जा सका।” यथार्थ रूप में कृषि मजदूरों और पट्टेदारों की संख्या में भी संतोषदायी नहीं आई। ग्रामीण जीवन पर महकारी सिद्धान्त का प्रभाव व्यवहार में निराशाजनक रहा। गाँवों में जो भूमिहीन व्यक्ति हैं, उन्हें रोजगार देने के लिए बहुत कम सोचा गया तथा उसके व्यावहारिक स्वरूप को और भी कम महत्त्व दिया गया। न्यूनतम जीवन-स्तर की कल्पना कागजों ही अंकित रही। डॉ. राव न ठीक ही विचार व्यक्त किया कि “यदि समाजवाद के प्रयत्न पर सरकारी दृष्टि से विचार किया जाए अथवा केवल श्रौंकों की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस दिशा में काफी प्रगति हुई है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जितनी उम्मीद थी उतनी भी आर्थिक उन्नति नहीं हुई है।” देश में समाजवादी मनोवृत्ति एवं प्रवृत्ति का स्पष्ट रूप नहीं देखने को नहीं मिलता और न इस प्रकार की प्रवृत्ति पैदा करने की दिशा में कोई कार्यवाही की जा रही है। इसके विपरीत पूर्वजादी मनोवृत्ति एवं प्रवृत्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और सरकारी नीति तथा कार्यक्रम भी इनका उत्साह भंग करने में सफल नहीं हो पाए हैं।” डॉ. राव का यह विचार निश्चय ही सारपूर्ण था कि “समाजवादी समाज के लिए आयोजन-व्युह रचना और तकनीक में मूल तत्व का अभाव रहा है। मूल तत्व ये हैं कि हम जन-साधारण में आस्था पैदा करने और जन-सहयोग प्राप्त करने में सफल नहीं हो रहे हैं।”

भारत में समाजवादी समाज की दिशा में नियोजन की सफलता का मूल्यरहित देश में व्याप्त ‘गरीबी’ के आधार पर किया जाना चाहिए और इस कसौटी पर नियोजन एकदम फीका सिद्ध हुआ। एन. एच. पिट्टे ने 7 मार्च, 1973 के योजना-पत्र में प्रकाशित अपने एक लेख में ठीक ही लिखा कि “गरीबी के स्तर को मापने का सरल निर्देशांक नहीं हो सकता है कि कुल उपभोक्ता व्ययों का वेंचारा प्रमुख मदों में किया जाए, जैसे अन्न, ईंधन, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन आदि। भारत में इनमें से भोजन पर सर्वाधिक व्यय होता है। अनुमान है कि भारत में उपभोक्ता के कुल व्यय का 70 से 80% तक मात्र भोजन पर व्यय होता है।” प्रो. वाण्डेकर ने भारत में गरीबी का जो विद्वतापूर्ण अध्ययन किया उससे भी यह स्पष्ट है कि पिछले दशक के आर्थिक विकास का अधिकतम लाभ ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में उच्च, मध्यम श्रेणी तथा अमीर वर्ग को ही हुआ और गरीब या इससे कुछ भी लाभान्वित नहीं हो सका, बल्कि उसके उपभोग में गिरावट हुई। इ

अध्ययन का स्पष्ट एवं तार्किक निष्कर्ष यह निकलता है कि सन् 1973-74 तक धाय की असमानता में और वृद्धि होकर अमीर तथा गरीब के बीच की खाई और भी विस्तीर्ण हो गई।

सन् 1974 से मार्च, 1977 तक का मूल्यांकन

आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद दुर्भाग्यवश हम समाजवादी समाज की स्थापना के उद्देश्य में असफल रहे। सम्पन्नता और विपन्नता की खाई निरन्तर चौड़ी होती गई और 'गरीबी हटाओ' के नारे का कुल मिलाकर प्रभाव यह हुआ कि गरीबी तो नहीं हटी हों गरीब अधिकाधिक शोषण के कारण और अधिक 'मिटते गए'। आर्थिक अस्थिरता लाने वाले तत्त्व अधिनायिक प्रबल होते गए, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में नियन्त्रणहीनता से उन्हें प्रोत्साहन मिला। श्रीमती गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लोकसभा और अधिकांश राज्य-विधानसभाओं में अपने प्रचण्ड बहुमत के कारण निरंकुशता के मार्ग पर बढ़ती गई, गरीब जनता के प्रति शासन की सहानुभूति में 'प्रदर्शन' बढ़ता गया और समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य पहले से भी अधिक दूर हो गया। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने विरोधियों और जन-आन्दोलन को कुचल देने के तरीके अपनाए और श्रीमती गांधी ने अपनी 'कुर्सी बचाने' के लिए 26 जून, 1975 को सारे देश पर राष्ट्रीय आपात् की स्थिति लागू कर दी।

आपात्काल में सरकार ने विरोधी पक्ष को लगभग समाप्त कर देने की हर सम्भव कोशिश की। अर्थ-व्यवस्था को सुधारने के नाम पर अनेक ऐसे निरंकुश कदम उठाए गए जिनकी प्रतिक्रिया देश की आम जनता पर बहुत ही प्रतिकूल थी। कांग्रेस सरकार का दावा रहा कि आपात्काल में देश का आर्थिक विकास हुआ, कारखानों में रिकार्ड तोड़ उत्पादन हुआ, मुद्रा-स्फीति पर काबू पा लिया गया, विदेशी मुद्रा का भण्डार भर गया, कीमतों में काफी कुछ कमी हो गई, औद्योगिक शान्ति बनी रही और 'गरीबी हटाओ' के नारे को बड़ी सीमा तक सार्थक बनाया गया। कांग्रेस सरकार ने कहा कि समाजवादी समाज के घोषित लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में वह सन् 1974 के मध्य से ही विशेष रूप से सक्रिय हो गई थी, सन् 1974 के मध्य मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए कुछ कठोर कदम उठाए गए थे (अनिवार्य जमा योजना लागू करना, आदि), जुलाई, 1974 में सभी बैंकों के सबसे बड़े खानों पर रिजर्व बैंक के कठोर निगरानी सम्बन्धी आदेश लागू कर दिए गए थे, आदि। पाँचवी पंचवर्षीय योजना को समाजवादी नदय की दिशा में यथार्थवादी बनाने के लिए ही योजना के लक्ष्य इस प्रकार रखे गए थे—

1. एक ऐसा विकास कार्यक्रम, जिसके द्वारा पिछड़े तथा शोषित समुदायों को अपनी मामर्थ्य में अनुहार पूरा बड़ने का उपयुक्त अवसर मिले और वे भी सबके कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों में हाथ बँटा सकें।
2. एक इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना जिनमें प्रत्येक व्यक्ति नागरिक को उसके योग्यतानुसार पूरा रोजगार प्राप्त हो सके और वह राष्ट्र की प्रगति में सहयोग दे सके।

3 घन उपाजित करने की एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना जिसके द्वारा प्रमीर-गरीब की खाई को कुछ समाप्त किया जा सके।

4 एक ऐसी जीवन धारा का निर्माण जिससे राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समानता अर्थपूर्ण और वास्तविक रूप में रहे।

जिन्तु पाँचवी योजना के लक्ष्य भी 'प्रदर्शनात्मक' ही अधिक सिद्ध हुए, क्योंकि मार्च, 1977 में कांग्रेसी शासन के पतन के समय देश की जो आर्थिक स्थिति थी वह अग्रेजो के जाने के बक्त की आर्थिक स्थिति से भी बदतर थी। कुल मिलाकर, संक्षेप में, स्थिति यह थी कि हम निर्यात घाटे को राजकीय अनुदान से पूरा करते रहे थे, निजी क्षेत्र के कारखानों के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई थी अपितु बहुत से कारखानों का उत्पादन गिर गया था, फरवरी, 1977 में मूल्य-सूचक अंक सितम्बर, 1974 के 330.2 के सर्वोच्च बिन्दु से केवल 5 प्वाइंट ही कम था और बेरोजगारी की संख्या अन्य किसी भी समय के मुकाबले अधिक थी। कठोर उपायों के कारण कीमतों की गिरावट केवल अल्पकालीन थी और मुद्रा-स्थिति पर भी यही बात लागू होती थी। समाजवादी समाज की स्थापना का एक 'दिलचस्प नमूना' यह था कि सरकारी या निजी क्षेत्र में जितने भी कारखाने थे और उनमें जितनी भी पूंजी लगी हुई थी, उतना 95% हिस्सा विदेशी ऋण या सहायता से प्राप्त हुआ था और वित्त मंत्री श्री सी सुब्रह्मण्यम ने 31-12-1976 को स्वयं स्वीकार किया था कि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कुल उद्योगों के उत्पादन का लगभग 40% बीस-बाईस बड़े घराने के कब्जे में है। 18 सितम्बर, 1977 के 'दि इलस्ट्रेटेड वीकली' में, बड़े उद्योग-समूहों के आकार और विकास पर कुछ रोचक किन्तु प्रतिशय महत्त्वपूर्ण आँकड़े प्रकाशित हुए थे जो हमें बताते हैं कि आर्थिक शक्ति का संकेन्द्रण किस प्रकार कुछ अमीर घरानों के हाथों में होता गया और फलस्वरूप देश समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य से कोसों दूर हटता गया। ये आँकड़े पृष्ठ 356-357 पर मुद्रित सारणी अनुसार हैं।

गरीबी हटाने की एक 'बड़ी निशानी' यह रही कि जहाँ सन् 1966 के पूर्व गरीबी से नीचे के स्तर पर जीने वाले मजदूरों की संख्या 40 प्रतिशत थी वहाँ सन् 1975 के आने आते यह 66 प्रतिशत हो गई। दूसरे शब्दों में, श्रीमती गाँधी के कार्यकाल में गरीबों में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अतः हमें किन्तु सुझाव, इसका अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि जहाँ स्वाधीनता के बाद सन् 1947 में भारत पाँच अरब पौण्ड का धनी था (यह पनराशि ब्रिटिश सरकार के पास कर्ज के रूप में थी), वहाँ अब भारत अरबों रुपये की देशी और विदेशी सहायता तथा ऋणों का मोहताज है। एक विकासशील देश को विदेशी सहायता और विदेशी ऋणों का सहारा लेना ही पड़ता है, लेकिन जहाँ तक समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य का सवाल है, भारत की स्थिति कांग्रेसी शासनकाल में निरन्तर बदतर होती गई। इस सम्बन्ध में पुस्तक के भाग एक में एक अध्याय में उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय विरास उपमन्त्री श्री बाबूलाल वर्मा का एक लेख उद्धृत किया गया है।

बड़े उद्योग-समूहों का आकार और विकास
(Size and Growth of Big Business Groups)

उद्योग समूह	(Total Assets Rs. Crores)					
	1951 (हज़ारी करोड़)	1966 (ILPIC रिपोर्ट)	1971 (सर्वेक्षणों का रिपोर्ट)	1975-76 (इकोनॉमिक सर्वेक्षण)	1963 और 1971 के बीच वृद्धि का %	1972 और 1976 के बीच वृद्धि का %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सडा	116	505 (1)	818 (1)	975 (2)	96	42.5
बिरला	153	458 (2)	726 (2)	1,065 (1)	139	46.7
मफलास	13	93 (7)	235 (3)	284 (3)	411	22.9
मार्टिन वर्त	41	153 (3)	173 (4)	—	15	—
सोपट	20	104 (4)	149 (5)	196 (7)	91	40.4
बाबर	16	99 (5)	145 (6)	204 (6)	101	54.7
आई. सी. आई.	—	50 (20)	137 (7)	182 (10)	270	24.3
ए. सी. सी.	22	90 (8)	129 (8)	169 (12)	68	23.3
श्रीराम	12	74 (10)	128 (9)	187 (8)	133	35.6
जे. के. विवायिवा	37	67 (12)	119 (10)	223 (4)	102	63.8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सूक्ष्मल आयतन	—	96 (6)	114 (11)	—	42	—
बालचन्द्र	13	81 (9)	103 (12)	135 (17)	87	356
बासाभाई	—	57 (16)	97 (13)	183 (9)	126	409
फ़िलक	—	51 (13)	—	139 (16)	—	488
मंथनेल बीरी/बिलो	—	57 (15)	97 (14)	—	94	—
फ़िरलोफ़र	2	43 (23)	95 (15)	177 (11)	400	548
बजाज	—	35 (18)	कालस्थ नहीं	143 (15)	—	511
साहू जैन	130	59 (14)	93 (16)	—	37	—
लिपिया	25	56 (17)	90 (17)	217 (5)	92	709
इई क्लवर्स	34	69 (11)	85 (18)	—	42	—
सारातेन एफ़रोबरे	—	—	—	114 (19)	—	1090
गोपनका	—	65 (13)	79 (19)	—	68	—
कान्ठूरभाई सासभाई	13	51 (18)	76 (20)	109 (20)	124	273
मोरो	—	19	—	116 (18)	—	864
टी बी. सुदर्न आम्बर	—	44 (22)	74 (21)	—	236	—
मदिर	1	38 (26)	72 (22)	144 (14)	260	732
दंरी	—	42 (24)	70 (23)	148 (13)	483	332
Total of top 20 Groups	648	2,335	3,688	5,111	102.3	45.3
Total of top 10 Groups	594	1,753	2,759	3,717	102.8	43.3

जो इस बात का अर्थ रॉबेन देता है कि हम समाजवादी समाज की स्थापना की दिशा में कहीं तक आगे बढ़े हैं।

अप्रैल, 1977 से मार्च, 1978 तक का मूल्यांकन

मार्च, 1977 के अन्तिम सप्ताह में स्वतन्त्र भारत के इतिहास में केन्द्र में पहली बार कांग्रेस सत्ताच्युत हुई और श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। नई सरकार ने देश की समूची अर्थ-व्यवस्था और सम्पूर्ण नियोजन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया। यद्यपि एक वर्ष की अवधि नई सरकार के कार्यकाल के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त नहीं कही जा सकती, तथापि इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि नए नेतृत्व ने देश में आशा का एक नया वातावरण पैदा किया है। समाजवादी समाज की स्थापना की दिशा में नई सरकार अधिक जागरूक सिद्ध हो रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में नई सरकार का छोटा-सा कार्यकाल भी प्रशंसनीय रहा है। इस अवधि में किए गए कार्यों में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा योजना का सुरुवात सबसे प्रमुख कार्य है। भारत के इतिहास में यह पहला अवसर है जबकि गांवों में रहने वाले लोगों को उनके घरों पर ही स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचायी जा रही हैं। 'ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा योजना' के अन्तर्गत लगभग सात करोड़ की आबादी के लाभ के लिए 80 हजार गांवों में 777 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अर्धन 2 अक्टूबर, 1977 से सक्रिय कदम उठाए जा चुके हैं। आशा है कि दो या तीन वर्षों के अन्दर भारत में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जो इस योजना से अछूता रह जाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर घातर्ती भयवा अन्तर्वर्त योजना प्रणाली 1 अप्रैल, 1978 से लागू कर दी गई है और प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण इस प्रकार किया गया है जिससे देश में अधिक विषमता की खाई तेंजी से पाटी जा सके। नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जा चुकी है और आशा की जाती है कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को नया बल प्राप्त होगा ताकि अमीर और गरीब के बीच की दूरी कम हो सके। वित्त मंत्री श्री एच. एम. पटेल ने 28 फरवरी, 1978 को लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा—“मेरा उद्देश्य एक ऐसी प्रक्रिया को चालू कर देना है जिससे खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन और रोजगार में बराबर वृद्धि होती चली जाए। पूंजी निवेश में सरकारी व्यय का कार्यक्रम वह प्रमुख साधन है जिसके द्वारा मैं यह उद्देश्य पूरा करना चाहता हूँ। आधारभूत सुविधाओं की निवेश-व्यय में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की जा रही है ताकि आगे विकास के मार्ग में आने वाली रुकावटें दूर हो जाएँ और सामान्य आर्थिक वातावरण में सुधार हो।” वित्त मंत्री महोदय ने यह भी कहा—“मैंने जो राज्यकोपीय नीति अपनाई है उसका उद्देश्य हमारी अर्थ-व्यवस्था में नई विस्तारकार प्रेरक शक्तियों को पैदा करने के लिए खाद्य और विदेशी मुद्रा की अनुकूल परिस्थिति का लाभ उठाना है।”

जनता सरकार रूपी नई दुल्हन के कार्यक्रमों का समुचित मूल्यांकन अर्थ-व्यवस्था के गर्भ में है। समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य की प्रगति के लिए

सरकार को अपनी विधिलता का परित्याग करना होगा और अपनी नीतियों को कठोरतापूर्वक अमली जामा पहिनाना होगा। नीति निर्माण का उद्देश्य तब विफल हो जाता है जब उस नीति का समुचित ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाता। सरकार से अपेक्षित है कि—

1 वित्तासिताओं पर भारी कर लगाया जाए। जब हम आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने और एक न्यायोचित समाज का निर्माण करने के लिए प्रयत्नशील हैं तो यह अनुचित है कि समाज का एक विशेष वर्ग प्रदर्शन उपभोग में व्यस्त रहे। न्याय-सिद्धान्त का तर्काज है कि समाज का जो व्यक्ति जितना अधिक कमाता है वह आनुपातिक रूप से सामाजिक जिम्मेदारियों का भी उतना ही अधिक भार वहन करे और अधिक कर देते समय कोई असन्तोष महसूस न करे।

2 सरकार कटिबद्ध होकर उत्पादन के सभी साधनों भूमि, श्रम, पूँजी, साहस और सगठन को एकजुट करके राष्ट्रीय आय में तीव्र वृद्धि के लिए प्रयत्नशील हो और राष्ट्रीय आय का उचित वितरण कर आय की प्रसमानता कम करने के लिए युद्ध-स्तरीय ठोस कदम उठाए।

3 खाद्यान्न-उत्पादन में तेजी से अधिकाधिक वृद्धि के लिए ठोस और युद्ध-स्तरीय कदम उठाए जाएँ। सिंचाई, खाद, जोन आदि के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएँ। नहरों बाँधों, कुओं आदि का बड़ी सख्या में निर्माण कर मौसम पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति को ठुकराया जाए।

4 औद्योगिक विकास तीव्र गति से हो तथा कुछ समय के लिए पूँजी का निर्यात बन्द करके उससे अपने ही देश में औद्योगिक विकास किया जाए।

5 घाट की अर्थ-व्यवस्था और मुदा-प्रसार की प्रवृत्ति पर प्रकुषण लगाया जाए।

6 काले धन को बाहर निकालने के लिए कठोर वैधानिक कदम उठाए जाएँ।

7. सम्पन्न किसानों की घाय पर ऊँची दर में करारोपण किया जाए और प्राप्त आय में ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार पैदा किए जाएँ।

8 देश के बड़े-बड़े पूँजीपतियों और उद्योगपतियों पर बेरोजगारी टैक्स लगा कर उक्त धन से बेरोजगार व्यक्तियों को समुचित आर्थिक सहायता दी जाए।

9 हड़नालों गादि पर कुछ वर्षों के लिए कठोरतापूर्वक रोक लगाकर देश के उत्पादन को बढ़ाया जाए और श्रम-शक्ति का पूरा-पूरा उपयोग किया जाए। यदि आवश्यक हो तो इनके लिए सविधान में भी संशोधन किया जाए।

10 उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से सरकार नए उत्तरदायित्वों से घिर गई है। सरकार इन उत्तरदायित्वों को कुशलतापूर्वक निभाए और सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यक्षमता पर लोगों को सन्देह न होने दे। आधुनिक प्रबन्ध को प्रभावशाली बनाने के लिए सभी स्तरों पर सार्वजनिक अनुशासन का पूरा ध्यान रखा जाए। यह भली प्रकार समझ लिया जाए कि यदि जन-जीवन में सामन्तशाही विशेषता घर करने लगेगी तो समाजवादी समाज की स्थापना के लिए आवश्यक सामाजिक परिवर्तन के घन्टिक का आधार ही समाप्त हो जाएगा।

11. सरकार लघु योजनाओं और कार्यक्रमों का जाल बिछाए ताकि बेकार पड़ी धन-शक्ति का उपयोग किया जा सके। बेरोजगारी को दूर करने के प्रत्येक सम्भव उपाय किए जाएँ।

12. सामाजिक सेवाओं का तेजी से विस्तार किया जाए पर इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि साधारण जनता और पिछड़े वर्गों को उनका समुचित लाभ मिल सके। वस्तुओं के उत्पादन और उचित वितरण, दोनों पर प्रभावशाली ढंग से ध्यान दिया जाए।

13. बैंक राष्ट्रीयकरण के प्रसंग में जो कमियाँ घर कर गई हैं उनका यथाशीघ्र निराकरण किया जाए। प्रशासनिक व्यय को घटाया जाए। जो 'नए जमींदार और जागीरदार' बने हैं, जो 'नए-नए राजा-महाराजा' बन गए हैं—उनकी आकस्मिक समृद्धि का पूरा सेखा-जोखा लिया जाए और सामाजिक-आर्थिक विषमताओं की खाई कम करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाए जाएँ। उच्च पदाधिकारियों की वेतन-वृद्धि की प्रवृत्ति पर अकुश नगाया जाए और छोटे राज्य कर्मचारियों की वेतन-वृद्धि पर इस रूप में ध्यान दिया जाए कि उससे मूल्य-वृद्धि को प्रोत्साहन न मिले। इस दिशा में सक्रिय रूप से विचार किया जाए कि न्यूनतम वेतन लगभग 250 रुपये हो और अधिकतम वेतन लगभग 2000 रुपये से अधिक न हो। रेलों में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी समाप्त कर दी जाए।

यदि इन सभी और इसी प्रकार के अन्य उपायों पर प्रभावी रूप में क्रमल किया जाए तो इसमें सन्देह नहीं है कि हम अनवरत नियोजन के माध्यम से समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकेंगे।

योजनाओं में विकास, बचत एवं विनियोग दरें-नियोजित तथा वास्तव में प्राप्त

(GROWTH-RATES SAVING [INVESTMENT] RATES—
PLANNED AND ACHIEVED IN THE PLANS)

भारत में चार पंचवर्षीय योजनाएँ और तीन एक वर्षीय योजनाएँ पूर्ण करने के बाद 1 अप्रैल, 1974 से पांचवी पंचवर्षीय योजना लागू की गई जो अवधि से एक वर्ष पूर्व ही 31 मार्च, 1978 को समाप्त कर दी गई है और पहली अप्रैल, 1978 से जनता सरकार ने नई राष्ट्रीय योजना चालू की है। अब तक पूरी की गई योजनाओं में विकास-दर, बचत तथा विनियोग दरों की क्या स्थिति रही है, इसका पर्यवेक्षण करने से पूर्व 'विकास-दर' का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। प्रायः विकास-दर को निम्न प्रकार से फार्मूला द्वारा ज्ञात किया जाता है—

$$\text{विकास-दर} = \frac{\text{बचत}}{\text{पूँजी गुणांक या पूँजी प्रदा-अनुपात}}$$

उदाहरणार्थ, किसी अर्थ-व्यवस्था में पूँजी-प्रदा-अनुपात 4:1 है तथा जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि-दर 2% है और बचत एवं विनियोग दर 8% है। इस स्थिति में उस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय 8/4 = 2% वार्षिक दर से बढ़ेगी। किन्तु जनसंख्या की वृद्धि भी 2% होने के कारण प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं होगी और इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से देश की अर्थ-व्यवस्था स्थिर बनी रहेगी। चूँकि आर्थिक विकास का अर्थ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है, इसीलिए विकास में वृद्धि के लिए बचत एवं विनियोग की दर 8% से अधिक आवश्यक होगी। विकास-दर की उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि भारत की योजनाओं में नियोजित विकास-दर के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम इस देश की बचत एवं विनियोग की स्थिति जानना आवश्यक है। यह देखना जरूरी है कि भारत की योजना में बचत एवं विनियोग दरें किस प्रकार रही हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय नियोजन और अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में विविध स्रोतों के आँकड़ों में प्रायः न्यूनाधिक भिन्नता पायी जाती है। प्रस्तुत अध्याय देश की पंचवर्षीय योजनाओं और विरुगत अर्थशास्त्री प्रो विल्फ्रेड मेलनबॉम (Wilfred Malenbaum) के अध्ययन पर आधारित है। प्रो मेलनबॉम का अध्ययन प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं और चतुर्थ योजना प्रारूप (1966) के सन्दर्भ में है। यद्यपि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रारूप बाद में संशोधित किया गया तथापि अध्ययन के लिए कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता।

प्रथम चार पंचवर्षीय योजनाओं में भारत में नियोजित वचत एवं विनियोग की स्थिति

यदि घरेलू व्ययों को राष्ट्रीय के भाग के रूप में देखें तो 1951-52 में घरेलू वचतें राष्ट्रीय आय का केवल 5.3% थी। यह दर 1955-56 में बढ़कर 7.5% हो गई तथा 1960-61 में इस दर की स्थिति 8.5% थी। 1965-66 में ये वचतें कुल राष्ट्रीय आय का 10.6% थी किन्तु 1968-69 में यह घटकर 8.8% ही रह गई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष 1973-74 में इस दर की परिकल्पना 13.2% की गई।

जहाँ तक विनियोजन का प्रश्न है, 1950-51 में विनियोजन राष्ट्रीय आय का 5.6% था जो बढ़कर 1955-56 में 7.3% हो गया, 1960-61 में 11.7%, 1965-66 में 13% तथा 1968-69 में कम होकर 11.2% हो गया। 1973-74 में यह दर 13.8% अनुमानित की गई थी। वचत व विनियोजन की उपरोक्त दरों को नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किया गया है¹—

वर्ष	वचत राष्ट्रीय आय का (प्रतिशत)	विनियोजन राष्ट्रीय आय का (प्रतिशत)
1950-51	—	5.6
1951-52	5.3	—
1955-56	7.5	7.3
1960-61	8.5	11.7
1965-66	10.6	13.0
1968-69		11.2
1973-74	13.2	13.8 (अनुमानित)

सितम्बर, 1972 की योजना के अंक में भी प्रचलित मूल्य-दर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के प्रतिशत के रूप में वचत और विनियोग की दरें प्रकाशित हुई थी, वे निम्न प्रकार हैं²—

वचत और विनियोग की दरें

प्रचलित मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत

वर्ष	विनियोग	देशी वचत	विदेशी वचत
1960-61	12.0	8.9	3.1
1965-66	13.4	11.1	2.3
1966-67	12.2	9.0	3.2
1967-68	10.6	7.9	2.7
1968-69	9.5	8.4	1.1
1969-70	9.2	8.4	0.8
1970-71	9.6	8.3	1.3

1. पंचवर्षीय योजनाएं
2. योजना (सितम्बर, 1972)

तालिका से स्पष्ट है कि सन् 1960-61 अर्थात् द्वितीय योजना के अन्तिम वर्ष में विनियोग दर 12.0% तक पहुँच चुकी थी, जो 1965-66 अर्थात् तृतीय योजना के अन्तिम वर्ष तक बढ़कर 13.4% हो गई। किन्तु इसके बाद विनियोग दर बचाव बढ़ने के घटती ही चली गई और 1969-70 में यह निम्न स्तर 9.2% तक गिर गई। विनियोग दर में कमी का प्रमुख कारण बचत दर में गिरावट है। सन् 1965-66 में बचत दर अपने चरम स्तर 11.1% तक पहुँच गई। योजना आयोग का अनुमान था कि सन् 1968-69 में विनियोग दर 10.0% तक बढ़ेगी और 1973-74 तक 13.0% तक पहुँच जाएगी।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने भी भारत में बचत की स्थिति का अध्ययन किया है। इस अध्ययन के अनुसार बचत आय-अनुपात सन् 1951-52 में 5.1% और 1955-56 में 9.1% था। सन् 1951-52 से 1958-59 तक देश की औसत-बचत आय-अनुपात 7.2% रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह अनुपात 6.6% और द्वितीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में 7.9% रहा है। इस प्रकार यदि इस दृष्टि से विचार करें तो बचत-अनुपात आशाप्रद है किन्तु सीमान्त बचत आय अनुपात की दृष्टि से विचार करें तो भिन्न स्थिति प्रकट होती है। उदाहरणार्थ सन् 1953-54 से 1955-56 की अवधि में सीमान्त-बचत आय अनुपात (Marginal Saving-Income Ratio) 19.1 था जो सन् 1956-57 से 1958-59 तक की अवधि में घट कर 14.2% रह गया। इस प्रकार कुल बचन में वृद्धि हुई किन्तु बढ़ी हुई आय के अनुपात में बचतों में वृद्धि नहीं हुई है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बचत अनुपात को सन् 1955-56 के 7.3% से बढ़ाकर 11.0% करने का लक्ष्य रखा गया था। यह लक्ष्य कुछ महत्वाकांक्षी था किन्तु जैसा कि प्रो शितायें ने पहले ही कह दिया था कि इस योजनावधि में घरेलू बचत के उक्त लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकी। तृतीय योजना में विनियोजन की राशि को राष्ट्रीय आय 11.0% से बढ़ाकर 14% से 15% करने का लक्ष्य रखा गया था और उसके लिए घरेलू बचत को 8.5% से बढ़ा कर 11.5% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1965-66 में बचन की दर 10.4% रही जो अगले वर्ष अर्थात् 1967-68 में इसमें और कमी आई। योजना आयोग के अनुसार सन् 1967-68 में बचत की दर राष्ट्रीय आय का 8% थी। परन्तु इसमें फिर से वृद्धि होने लगी है। सन् 1968-69 में यह 9% थी।

विनियोग का क्षेत्रीय आवंटन

अर्थ-व्यवस्था के कृषि, उद्योग, संचार आदि सेवा-क्षेत्रों में भारत की विभिन्न योजनाओं में परिकल्पित विनियोग किस प्रकार आवंटित हुआ है, तथा सार्वजनिक क्षेत्र की इस दिशा में सापेक्ष भूमिकाएँ क्या रही हैं, उसका विश्लेषण विख्यात अर्थशास्त्री विल्फ्रेड मालेनबाम (Wilfred Malenbaum) द्वारा कुछ महत्वपूर्ण मासिकीय अंकों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है—

महत्वपूर्ण श्रृंखला—भारत की विकास योजनाएँ

(Important Number—India's Plans for Development, 1951-71)

क्र. सं.	प्रथम योजना (1951-56)	द्वितीय योजना (1956-61)	तृतीय योजना (1961-66)	चतुर्थ योजना (1966-71)
1.0 कुल शुद्ध विनियोग (करोड़ रु.)	3500	6200	10400	21350
1.1 कृषि (सिंचाई सहित)	875	1180	2110	3439
1.2 बड़े उद्योग (शक्ति व खनन सहित)	805	1810	3682	8366
1.3 अन्य छोटे उद्योग	175	270	425	550
1.4 यातायात संचार	775	1360	1726	3660
1.5 अन्य	870	1580	2497	5355
2.0 सार्वजनिक/कुल विनियोग अनुपात	53%	61%	61%	64%
3.0 रोजगार				
3.1 प्रतिरिक्त (मिलियन व्यक्ति)	उपलब्ध नहीं	9.6	14	19
3.2 धम-शक्ति	9	12	17	23

वर्ष	प्रथम योजना (1951-56)	द्वितीय योजना (1961-66)	चतुर्थ योजना प्रारम्भ (1966-71)
40 राष्ट्रीय आय शुद्ध (करोड़ ₹०)			
4 1 नियोजन से पूर्व का वर्ष	8870	14140	15930
4 2 वत योजना वर्ष	10000	18460	23900
4 3 वृद्धि (%)	11.2%	34.0%	50.0%
50 औसत शुद्ध विनियोग (राष्ट्रीय आय का अनुपात)	7.4%	12.8%	21.4%
60 औसत घरेलू बचत (राष्ट्रीय आय का अनुपात)	5.7%	9.8%	15.0%
70 शुद्ध आयात/शुद्ध विनियोग	21.0%	25.0%	32.0%
80 सीमांत पूँजी/प्रवा अनुपात	3.1	2.4	2.7
90 बोक मूल्य स्तर (1952-53=100)			
9 1 वास्तविक औसत	103.4	108.1	205.2 (1966-69) 186.1
9 2 योजनाओं में प्रयुक्त औसत	104.0 (1948-49)	100.1 (1952-53)	127.5 (1960-61)

दी गई सारणी से स्पष्ट है कि योजनाओं में आवश्यक विनियोग की वृद्धि वास्तविक अर्थों में (In real terms) सारणी की पंक्ति 10 में प्रदर्शित कुल विनियोग दर से बहुत कम रही है। तृतीय योजना में द्वितीय योजना की अपेक्षा 70% अधिक विनियोग की आवश्यकता परिकल्पित की गई है, और ड्रॉपट चतुर्थ योजना (1966) में तृतीय योजना से दुगुनी मात्रा में विनियोग के अनुमान लगाए गए हैं। मूल्य-स्तर में विस्तार के समायोजनों के पश्चात् भी इन योजनाओं के लिए निर्धारित विनियोग में 30 से 40% तक की वृद्धि अनुमानित की गई है। महत्वपूर्ण तथ्य वास्तविक तथा नियोजित कुल विनियोग राशि के अन्तर (Gap) पर कीमती का प्रभाव है। सारणी की 9.1 व 9.2 पंक्तियों में दिए गए कीमत-अनुपातों पर आधारित अर्थों को एक उदाहरण के रूप में देखने पर तृतीय योजना में नियोजित 10,400 करोड़ रु. की विनियोग दर की पूर्ति लगभग 11,500 करोड़ रु. के विनियोगों द्वारा ही की जा सकती है।

जहाँ तक विनियोग के क्षेत्रीय आवंटन का प्रश्न है, सारणी की पंक्तियाँ 1.1 से 1.5 विनियोग के क्षेत्रीय आवंटन में एकरूपीय प्रवृत्ति (Consistency) प्रदर्शित करती हैं। कृषि में कुल विनियोग का अनुपात उत्तरोत्तर कम होता गया है जबकि उद्योग में यह अनुपात बढ़ता गया है। तृतीय योजना में अर्थ-व्यवस्था के इन दोनों मूल क्षेत्रों के लिए कुल विनियोग का 55% निर्धारित किया गया; इनमें से उद्योग का अनुपात कृषि की अपेक्षा 75% अधिक रहा। यातायात और संचार के विनियोग में अनुपात द्वितीय योजना को तुलना में तृतीय योजना में 22% से घट कर केवल 17% रह गया। सेवा-क्षेत्र का विनियोग 47% के स्थान पर 41% रह गया किन्तु सरकारी सेवा व वस्तु-वितरण सम्बन्धी सेवाओं के लिए विनियोग के अनुपात में निरन्तर वृद्धि होती गई।

सारणी पंक्ति 1.0-1.5 में दिए गए विनियोग के आँकड़ों में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र सम्मिलित हैं, दोनों क्षेत्रों का अन्तर भारत की विकास नीतियों पर प्रकाश डालता है। पंक्ति 2.0 में सार्वजनिक क्षेत्र के बढ़ते हुए सापेक्ष महत्त्व को देखा जा सकता है। सन् 1951-56 में सार्वजनिक क्षेत्र का जो प्रतिशत 53 था वह घट कर 1966-71 में 64 प्रतिशत हो गया। अर्थात् सारणी में कृषि, उद्योग, सेवा आदि क्षेत्रों में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की सापेक्ष स्थिति को प्रदर्शित किया गया है।

नियोजित विनियोग का विवरण¹

(Planned Investment Allocations)

वर्ष	प्रथम (1951-56) सार्वजनिक निधी योग	द्वितीय (1956-61) सार्वजनिक निधी योग	तृतीय (1961-66) सार्वजनिक निधी योग	चतुर्थ (1966-71) सार्वजनिक निधी योग								
1.0 शुद्ध विनियोग (एररर र)	1850	1650	3500	3800	2400	6200	6300	4100	10400	13600	7750	21350
1.1 ग्राम (निर्धारित सहित)	525	350	875	780	400	1180	1310	800	2110	2539	900	3439
1.2 बड़े उद्योग (सकल व चलन सहित)	380	425	805	1190	620	1810	2532	1100	3632	5966	2400	8366
1.3 अर छोटे उद्योग	25	150	175	120	150	270	150	275	425	230	230	550
1.4 माध्यामक व उपहार	650	125	775	1235	125	1360	1486	250	1736	3010	630	3640
1.5 अन्य	270	600	870	475	1105	1580	822	1675	2497	1865	3509	5505

प्रथम चार पंचवर्षीय योजनाओं में विकास-दर (Growth Rate)

यद्यपि विकास-दर का निर्धारण आर्थिक दृष्टि से सांख्यिकी अंकों पर निर्भर करता है तथापि व्यावहारिक रूप से इस दर का निर्धारण मूलतः एक राजनीतिक निर्णय है, अथवा यह निर्णय देश की जन-धारणा के अनुसार लिया जाता है। किस गति के साथ एक देश के निवासी अपनी प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना चाहते हैं अथवा गरीबी-उन्मूलन की आकांक्षा रखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर उस देश की जन-धारणा अथवा राजनेताओं से सम्बन्धित है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, इसकी प्रत्येक योजना के साथ प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने का प्रश्न जुड़ा रहा है। भारत की प्रत्येक योजना के मूल में यह प्रश्न अन्तर्निहित है कि कितने वर्षों में इस देश को अपनी प्रति व्यक्ति आय का दुगुना करना आवश्यक है। यह प्रश्न आज भी निरन्तर है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 600 रु. से कुछ अधिक है, जबकि अमेरिका की प्रति व्यक्ति 4000 डॉलर पर विचार किया जा सकता है, अर्थात् हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की तुलना में लगभग 1/50वाँ भाग है। इसी पृष्ठभूमि में भारत की योजनाओं में नियोजित तथा वारतव में प्राप्त विकास-दरों का अध्ययन किया जा सकता है। E C A F E साहित्य में प्रति व्यक्ति आय के दुगुना होने सम्बन्धी एक दिसचस्प सारणी प्रस्तुत की गई है, जिसका एक अर्थ निम्न प्रकार है—

विकास-दर	जनसंख्या-वृद्धि-दर	प्रति व्यक्ति विकास-दर	अथवा जिसमें यह दुगुनी होती है
4½%	2½%	2%	35 वर्ष
5½%	2½%	3%	23 वर्ष
3½%	2½%	1%	70 वर्ष

यदि प्रति व्यक्ति आय 3% की दर से बढ़ती है तो इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय आय 5½% की दर से बढ़ रही है। यह वह विकास-दर है जिसकी चतुर्थ योजना में परिकल्पना की गई थी। इस दर के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 23 वर्ष में दुगुनी हो सकती है। विकास की यह दर विशेष महत्वाकांक्षी नहीं है क्योंकि इस दर से भी हम अपनी प्रति व्यक्ति आय को 23 से 25 वर्ष की अवधि में दुगुना

कर सकेंगे। पूर्व-योजनाओं की उपलब्धियों को देखने पर तो इस दर को भी स्थिर बनाए रखना असम्भव प्रतीत होता है क्योंकि प्रथम योजना में प्रति व्यक्ति विकास-दर 1%, द्वितीय में 1.7% और तृतीय में केवल 0.4% रही है। 18-19 वर्ष की दीर्घावधि में भी प्रति व्यक्ति अधिकतम विकास-दर हम केवल 1.7% प्राप्त कर सकें, जिसे भी स्थायी नहीं रखा जा सका। इस स्थिति में जब तक परिवार-नियोजक विरती प्रहार का कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं तब तक 5 से 5.5% विकास-दर को प्राप्त करना और उसे स्थायी बनाए रखना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। यदि हम प्रथम तीन योजनाओं में अधिकतम प्राप्त 1.7% की विकास-दर को भी स्थिर रख पाते हैं तब भी हम 16½ वर्षों में अपनी प्रति व्यक्ति आय को दुगुना कर सकेंगे। इसका यह अर्थ है कि सन् 2016 में हम इस स्थिति को प्राप्त कर पाएँगे। इन प्रांकों को ध्यान में रखते हुए 4% विकास-दर सम्भव व प्राप्ति योग्य प्रतीत होती है तथा 5 या 5.5% विकास-दर का प्राप्त किया जाना उच्च उपलब्धि की श्रेणी में आएगा। विकास-दर के अनुभागों के रूप में कतिपय वृद्धि-सूचक अंकों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जो आगे दिए जा रहे हैं।

वृद्धि-सूचक अंक

सन् 1950-51 से 1970-71 तक भारत की आय वृद्धि दर का अनुमान कई सूचकों से लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आय की दर में 3.6% वृद्धि हुई जबकि कृषि उत्पादन व औद्योगिक उत्पादन में क्रमशः 2.3% और 6.4% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय के रूप में, राष्ट्रीय आय में 1.5% प्रतिवर्ष की दर वृद्धि हुई है, जबकि घनाज के उत्पादन में 1.4% वार्षिक वृद्धि हुई। प्रति हेक्टर घनाज के उत्पादन में 1.9% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई। बचत आय अनुपात 5.7% से बढ़ कर 10.0% अर्थात् लगभग दुगुना हो गया। प्रथम तीन योजनाओं में हुई विकास-दर का संक्षेप में पहले ही विवेचन किया जा चुका है। इन योजनाओं के अनुभवों के आधार पर निर्मित चतुर्थ एवं पंचम पंचवर्षीय योजनाओं में विकास-दरों का विश्लेषण घामे प्रस्तुत किया जा रहा है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की आय वृद्धि-दरें

चौथी योजना में विकास की वार्षिक चक्रवृद्धि दर का लक्ष्य 5.5% से अधिक अर्थात् लगभग 5.6% था जबकि सन् 1969-70 में अर्थ-व्यवस्था की वृद्धि-दर 5.3% व सन् 1970-71 में 4.8% रही। इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था की औसत वार्षिक चक्रवृद्धि-दर योजना में प्रस्तावित लक्ष्य की तुलना में केवल 5% ही रही।

इस में 5% वार्षिक दर निर्धारित की गई थी पर वास्तविक वृद्धि-दर

सन् 1969-70 में 5.1% और 1970-71 में 5.3% रही। इस प्रकार कुल मिलाकर कृषि-क्षेत्र की उपलब्धि लक्ष्यो के अनुरूप रही ।

खनन और विनिर्माण (Mining and Manufacturing) में 7.7% वृद्धि का प्रावधान था लेकिन सन् 1969-70 में 5% और 3.2% की ही वृद्धि हुई । इस प्रकार दोनों वर्षों की औसत वृद्धि-दर 4.7% रही ।

बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन का लक्ष्य 9.3% था किन्तु वार्षिक-वृद्धि-शुद्ध-मूल्य के रूप में सन् 1969-70 में 5.9% और 1970-71 में 3.6% रही । इस प्रकार दो वर्षों की वार्षिक औसत-वृद्धि 4.7% रही ।

विद्युत, गैस और जल आपूर्ति क्षेत्र में 9.5% वृद्धि-दर रही और सन् 1970-71 में 7.9% । इस प्रकार औसत वृद्धि-दर 8.7% रही जो योजना के लक्ष्य 9.3% से कुछ कम थी ।

परिवहन और संचार के क्षेत्र में योजना का 6.4% वार्षिक-वृद्धि का था लेकिन सन् 1969-70 में परिवहन व संचार की वार्षिक-वृद्धि 5.9% रही और सन् 1970-71 में केवल 3.8% रही । इस प्रकार दो वर्षों की औसत वार्षिक-वृद्धि-दर 4.9% रही । कमी मुख्यतः इसलिए हुई कि रेलों में शुद्ध-वृद्धि की दर केवल 0.4% रही ।

बैंकिंग और बीमा के क्षेत्र में वृद्धि योजना के अनुमान से अधिक रही । योजना का लक्ष्य 4.7% वार्षिक-वृद्धि का था लेकिन सन् 1969-70 में वास्तविक वृद्धि 9.2% रही और सन् 1970-71 में 8.6% थी । इस प्रकार दो वर्षों के वृद्धि का औसत 8.9% रहा जो कि योजना के वार्षिक-वृद्धि के लक्ष्य से लगभग दुगुना था । संक्षेप में चौथी योजना में परिवर्तित 5.7% की कुल वृद्धि-दर की तुलना में अर्थ-व्यवस्था में सन् 1969-70 में वृद्धि-दर 5.2% रही । इसके बाद सन् 1970-71 में यह घट कर 4.2% और सन् 1972-73 में 0.6% रह गई । आवश्यकताओं को देखते हुए चौथी योजना की अग्रिम की वृद्धि-दर बहुत कम और अपर्याप्त रही । पाँचवी योजना के प्रावधान में 5.5% की वृद्धि-दर का लक्ष्य रखा गया ।

भारत के विकास की स्थिति के सिंहावलोकन के लिए राष्ट्रीय उत्पादन में वास्तविक वृद्धि तथा उत्पादन के तीन मुख्य क्षेत्रों-कृषि-उद्योग, व्यापार तथा संचार के उत्पादन के अंकड़ों को एक सारणी में प्रस्तुत किया जा रहा है । प्रथम तीन योजनाओं में वृद्धि के निर्धारित लक्ष्य 11.2%, 25% व 34% थे । लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि का प्रतिशत क्रमशः 18, 21 व 13 रहा । प्रथम योजना को छोड़ कर अन्य योजनाओं में प्राप्त वृद्धि-दर से कम रही ।

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन : कुल प्रौर बड़े मूल उत्पादन-क्षेत्र
(Net National Product : Total and Major Originating Sectors)

वर्ष (1)	जनसंख्या (2)	एक एक की राष्ट्रीय आय (3)	योग (4)	सूचनार्थक (4)	योग (5)	सूचनार्थक (5)	योग (6)	सूचनार्थक (6)
1950-51	100	9325	100	100	610	100	2510	100
1951-52	101.7	9400	102	102	640	105	2620	104
1952-53	103.5	9775	105	105	660	108	2715	108
1953-54	105.4	10325	111	114	685	112	2790	111
1954-55	107.4	10625	114	115	735	120	2890	115
1955-56	109.5	11000	118	116	825	135	3020	120
घोषित विकास दर								
प्रथम योजना	(1.7%)	(3.4%)	(3.0%)	(6.2%)	(3.7%)			
1956-57	111.7	11550	124	119	895	147	3190	127
1957-58	114.0	11450	123	115	945	155	3300	131
1958-59	116.4	12300	132	125	970	159	3460	138
1959-60	118.7	12475	134	124	1040	171	3640	145
1960-61	121.5	13294	143	133	1215	199	3870	154

वर्ष	जनसंख्या	एन. एन. सी. राष्ट्रीय आय	रुपि	उद्योग	स्वायत्त ब संचार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रथम विकास-दर					
द्वितीय योजना					
1961-62	124.1	13763	148	1320	4070
1962-63	127.2	14045	151	1463	4280
1963-64	130.3	14845	159	1610	4570
1964-65	133.5	15917	171	1723	4880
1965-66	136.9	15021	161	1777	5130
(2.1%) (3.9%) (2.8%) (8.1%) (5.1%)					
प्रथम विकास-दर					
तृतीय योजना					
1966-67	140.0	15123	162	1794	5265
1967-68	143.5	16583	178	1799	5453
1968-69	147.0	16943	182	1899	5700
(2.2%) (2.2%) (-0.9%) (7.9%) (5.8%)					
प्रथम विकास-दर					
एक वर्षीय योजनाएँ					
1969-70	150.0	17000	185	1950	5900
(2.5%) (4.1%) (5.0%) (2.2%) (3.6%)					

सारणी में जनसंख्या के वृद्धि-सूचकांक और औद्योगिक विकास-दर को प्रदर्शित किया गया है, जो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं तथा एक वर्षीय योजनाओं में क्रमशः 17%, 21%, 22% व 15% रही। निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या भारत की आर्थिक प्रगति में बड़ी बाधक है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का वृद्धि-सूचकांक सारणी के तीसरे खाने में प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रदर्शित आँकड़ों से स्पष्ट है कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय उत्पादन की औसत वृद्धि-दर अधिक रही, किन्तु तीसरी योजना में यह बहुत कम हो गई, किन्तु पुनः एकवर्षीय योजनाओं में 22% से बढ़कर 41% हो गई। यह एक अच्छी स्थिति का संकेत थी। सारणी के शेष खानों में अर्थ-व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों—कृषि, उद्योग तथा व्यापार-संचार आदि की विकास-दरों को दर्शाया गया है। कृषि की विकास-दर तीसरी योजना तक निरन्तर गिरती गई। प्रथम योजना में यह दर जो 30% थी, द्वितीय योजना में 28% रह गई और तीसरी योजना में तो इसका प्रतिशत ऋणात्मक (—0.9%) हो गया, किन्तु एकवर्षीय योजनाओं में यह पुनः बढ़ कर 5% हो गई। दूसरी ओर उद्योग के क्षेत्र में विकास-दर द्वितीय योजना के बाद गिरती गई। द्वितीय योजना में यह दर 81% थी जो घटकर तीसरी योजना में 79% और एकवर्षीय योजनाओं में केवल 22% रह गई। यह चिन्ताजनक स्थिति का संकेत थी जिसमें सुधार के लिए औद्योगिक उत्पादन की दर को बढ़ाना अनावश्यक था। व्यापार व संचार के क्षेत्र में प्रगति का सूचकांक सन्तोषप्रद स्थिति को प्रकट करता है।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में विकास की दर और स्वरूप¹

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप प्रस्तुत करने के साथ-साथ राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इतने ज्यादा उतार-चढ़ाव आए और चहुँमुखी अत्यधिक मूल्य-वृद्धि ने योजना की सम्भावनाओं को इतने सकट में डाल दिया कि उस पर पुनर्विचार आवश्यक हो गया। लगभग तीन वर्ष के अन्तराल के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक हुई और सितम्बर, 1976 में पाँचवीं योजना सशोधित रूप में अन्तिम रूप से स्वीकृत की गई। मार्च, 1977 में ऐतिहासिक सत्ता-परिवर्तन हुआ और जनता पार्टी की सरकार ने सम्पूर्ण नियोजन प्रणाली को बदलने का सकल्प व्यक्त किया। फलस्वरूप पाँचवीं योजना को 31 मार्च 1979 के बजाय 31 मार्च, 1978 को ही समाप्त कर दिया गया और 1 अप्रैल, 1978 से नई राष्ट्रीय योजना (भावर्ती या अनवरत योजना) आरम्भ की। तथापि अध्ययन की दृष्टि से यह नितान्त आवश्यक है कि हम सशोधित पाँचवीं योजना की सभी मुख्य बातों को जान लें। यहाँ हम सशोधित योजना में 'विकास की दर और स्वरूप' की चर्चा करेंगे। योजना आयोग के अनुसार सम्बन्धित विवरण इस प्रकार है—

“पाँचवीं योजनावर्ष के प्रथम वर्ष 1974-75 में सकल आन्तरिक उत्पादन पिछले वर्ष से केवल 0.2 प्रतिशत बढ़ा। सन् 1975-76 में उत्पादन में उल्लेखनीय

सुधार हुआ जिसके परिणामस्वरूप सकल आन्तरिक उत्पादन में 6 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि का अनुमान किया गया। सन् 1976-79 में अर्थ-व्यवस्था का विकास 5.2 प्रतिशत वार्षिक मिश्र दर से होने की सम्भावना है। इस वार्षिक विकास की रूपरेखा से पाँचवी योजना में सकल आन्तरिक उत्पादन में 4.37 प्रतिशत औसत वार्षिक विकास का अनुमान किया गया।

पाँचवी योजना में गरीबी दूर करने व आत्मनिर्भरता के उद्देश्यों की पूर्ति को आयातित उत्पादन वस्तुओं, यथा ईंधन, उर्वरकों और खाद्य के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के सन्दर्भ में देखना होगा। इसलिए कृषि उत्पादन, विशेष रूप से खाद्य पदार्थों, उपलब्ध ऊर्जा ससाधनों का अधिकतम उपयोग और महत्त्वपूर्ण कच्ची सामग्रियों, मजदूरी, माल के उत्पादन तथा कुशलतापूर्वक वितरण की गति को तेज करने की धोर कार्यनीति निर्दिष्ट करनी होगी।”

विकास की क्षेत्रीय दरें

परस्पर अनुपूरक क्षेत्रवार उत्पादन के स्तरों का अनुमान व्यापक आर्थिक नमूने, 66 क्षेत्रवार निवेश-उत्पादन नमूने व खपत उप-नमूने की पद्धति पर किया गया है। सामग्री सन्तुलन के प्रभ्यासों को शृंखला द्वारा वस्तुवार उत्पादन के स्तरों का अनुमान उनके माँग के अतिशेषों की पूर्ति से तैयार किया गया और निवेश-उत्पादन के नमूने द्वारा क्षेत्रीय वृद्धि दरों के साथ उनका सामंजस्य किया गया। विनिष्ट वस्तुओं के लिए सूक्ष्म स्तर पर कुछ स्वतन्त्र अध्ययन उत्पादन स्तरों की प्रतिज्ञा करने के लिए किए गए।

पाँचवी योजना के दृष्टिकोण पर तपनीकी नोट में जैसा दिया गया है, पाँचवी योजना के आधार वर्ष 1973-74 के लिए निवेश-उत्पादन मेट्रिस को सन् 1974-75 के मूल्यों तक अद्यतन किया गया है। ऐसा सन् 1973-74 के लिए वस्तुवार उत्पादन के स्तरों और केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अद्यतन श्वेत पत्र में दिए गए व्यापक आर्थिक समुदायों के अन्तर्भूत बनाने के लिए किया गया। राष्ट्रीय प्रतिद्वन्द्व सर्वेक्षण के 25वें दौर (सन् 1970-71) के आन्तरिक उपभोक्ता व्यय के आँकड़ों और अभी हाल ही के श्वेत पत्र में वस्तुओं और सेवाओं के विभिन्न बड़े समूहों से सम्बन्धित निजी अन्तिम उपभोक्ता व्यय के अनुमानों के आधार पर उपभोक्ता अनुपात मेट्रिस को भी सन् 1974-75 के मूल्यों तक अद्यतन किया गया है। सन् 1978-79 के सनेतों सम्बन्धी उद्देश्य के लिए औद्योगिकी व प्रकृतियुक्त विचारों के आधार पर कुछ निवेश गुणांक की परिकल्पना की गई है।

निर्वात और सरकारी व्यय का अनुमान बहिर्जनित दृष्टि से किया गया है। सार्वजनिक उपभोग का वार्षिक 10 प्रतिशत औसत से बढ़ना माना गया है जबकि निर्वात 8.5 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान किया गया है। अन्तिम वर्ष में सार्वजनिक उपभोग व धायत का अनुमान अन्तर्जनित दृष्टि से किया गया है। पाँचवी योजना के शेष वर्षों के लिए परिकल्पना किए गए परिव्यय इस भविष्य के लिए उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं।

पाँचवी योजना अवधि में सकल आन्तरिक उत्पादन में परिकल्पना की गई वृद्धि दर के अनुसूच विकास की क्षेत्रीय दर पूर्व में उल्लेख किए गए नमूनों की पद्धति के द्वारा पाँचवी योजना के अन्तिम वर्ष 1978-79 के लिए तैयार की गई है। महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए इन संकेतों में अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन सम्भाव्यताओं व क्षमता-उपयोग के आधार पर आयात प्रतिस्थापना की परिकल्पना की गई है। सारणी-1 में सामान्य क्षेत्रों के संदर्भ में और अनुलग्नक-5 में अर्थ-व्यवस्था के 66 क्षेत्रों के लिए विकास का स्वरूप दिया गया है। कृषि सम्बन्धित क्षेत्र में विकास की दर 3.94 प्रतिशत अनुमानित की गई है। खनन क्षेत्रों के उत्पादन की विकास दर जहाँ प्रतिवर्ष 12.58 प्रतिशत अनुमानित की गई है वहाँ कोयला उत्पादन की 9.38 प्रतिशत और कच्चे तेल की 14.68 प्रतिशत विकास दर बढ़ने की सम्भावना है। विनिर्माण क्षेत्र के 6.92 प्रतिशत के दर पर बढ़ने की सम्भावना है। इस क्षेत्र में उर्वरक के 22.26 प्रतिशत, सीमेंट के 7.19 प्रतिशत और लोहा व इस्पात के 11.31 प्रतिशत की दर पर बढ़ने की सम्भावना है।

सन् 1973-74 व 1978-79 में समठनात्मक परिवर्तन के उपाय के माध्यम सकल आन्तरिक उत्पादन की संरचना क्षेत्रों के कुछ बड़े समूहों के लिए सारणी-1 में और 66 क्षेत्रों के लिए अनुलग्नक-5 में भी दिए गए हैं। जैसा कि आशा की जाती है कुल सकल मूल्य में कृषि व सम्बन्धित क्षेत्रों का हिस्सा सन् 1973-74 में 50.8 प्रतिशत से घटकर सन् 1978-79 में 48.15 प्रतिशत तक हो जाने की सम्भावना है और खनन व विनिर्माण के माध्यम माध्यमिक व अन्याय क्षेत्रों का हिस्सा बढ़ जाने की आशा है।

विकास की सांकेतिक क्षेत्रीय दरों की सामग्री संतुलनों की विस्तृत पद्धति के उपयोग द्वारा वास्तविक लक्ष्यों में एतान्तरित किया गया है। निवेश उत्पादन मण्डल सम्बद्ध स्वतन्त्र क्षेत्रों के अन्तर्गत कोयला, कच्चे तेल, लोहे अथवा सीमेंट जैसी मर्दों के लिए लक्ष्य क्षेत्रीय विकास दरों की माफत सीधे निश्चित किए गए हैं। कुछ विशिष्ट लक्ष्यों की प्रतिजाँच स्वतन्त्र रूप से सूक्ष्म स्तर के अध्ययन व परियोजनाओं के पूर्ण करने से सम्बन्धित विस्तृत अध्ययन द्वारा भी की गई है। सारणी-2 में सन् 1978-79 में कुछ महत्त्वपूर्ण मर्दों के अनुमानित वास्तविक उत्पादन प्रस्तुत किए गए हैं। सन् 1978-79 के लिए और अधिक विस्तृत अनुमान अनुलग्नक-6 में प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण मर्दों के अनुमानित वास्तविक उत्पादन में मूलधार की चर्चा नीचे की गई है। बहुत से क्षेत्रों में सन् 1978-79 के उत्पादन दर पाँचवी योजना के प्रारूप में अभिधारित किए गए स्तरों से नीचे हैं। यह दो कारणों से है। बहुत से मामलों में सन् 1973-74 में स्तरों से नीचे वास्तविक रूप से प्राप्त किया गया आधार उत्पादन पाँचवी योजना के प्रारूप में परिवर्तित किया गया है। सन् 1974-75 में उत्पादन की वृद्धि बहुत कम थी। वैसे सन् 1975-76 में महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ। इन प्रकार एकाग्रित लक्ष्य रा निर्धारित करने के लिए आधार स्तर में परिवर्तन करने की दृष्टि से सुधारों की व्यवस्था करनी पड़ी और पाँचवी योजना के पहले वर्ष के अनुभव को ध्यान में रखा गया।

सारणी-1

उत्पादन के कुल मूल्य में वृद्धि की सांकेतिक क्षेत्रीय दर और पाँचवीं योजना के लिए घटक लागत दर बढ़े हुए कुल मूल्य व सन् 1973-74 और 1978-79 में बढ़े हुए कुल मूल्य की क्षेत्रवार संरचना

क्षेत्र	विकास की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत) 1973-74 की तुलना में 1978-79 में उत्पादन का मूल्य	1974-75 की कीमतों पर बढ़े हुए कुल मूल्य की संरचना		
		बड़ा हुआ मूल्य	1973-74	1978-79
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
1. कृषि	3.94	3.34	50.78	48.15
2. खनन व विनिर्माण	7.10	6.54	15.78	17.49
(*) खनन	12.58	11.44	0.99	1.37
(ख) विनिर्माण	6.92	6.17	14.79	16.11
(1) धातु उत्पाद	4.63	3.73	2.13	2.07
(2) वस्त्र उत्पाद	3.45	3.21	3.50	3.31
(3) लकड़ी व कागज के उत्पाद	6.75	4.90	0.58	0.59
(4) चमड़े व रबर के उत्पाद	5.50	2.47	0.16	0.15
(5) रसायन उत्पाद	10.84	10.46	1.84	2.44
(6) कोयला व पेट्रोलियम उत्पाद	7.63	7.90	0.23	0.27
(7) अकार्बक खनिज उत्पाद	7.40	7.33	1.58	1.82
(8) आधारीय धातु	14.12	13.40	1.09	1.65
(9) धातु उत्पाद	5.60	4.64	1.08	1.09
(10) गैर विजली के इंजीनियरी उत्पाद	8.40	7.99	9.61	0.73
(11) विजली इंजीनियरी उत्पाद	7.64	6.42	0.60	0.67
(12) परिवहन उपकरण	3.73	3.12	0.96	0.90
(13) औजार	5.39	4.45	0.03	0.03
(14) विविध उद्योग	6.75	4.42	0.38	0.38
3 विजली	10.12	8.15	0.79	0.94
4. निर्माण	5.90	5.18	4.06	4.21
5. परिवहन	4.79	4.70	3.43	3.48
6. सेवाएँ	4.88	4.80	25.16	25.73
7. कुल		4.37	100.00	100.00

सारणी-2

सन् 1978-79 में वार्षिक उत्पादन स्तरों के संकेत

पद	एकक	1973-74	1978-79
(0)	(1)	(2)	(3)
1. खाद्यान्न	10 लाख टन	104.7	125
2. बोधका	10 लाख टन	79.0	124.0
3. सौह्य अपरक	10 लाख टन	35.7	56.0
4. रपचा तेल	10 लाख टन	7.2	14.18
5. सूती रपडा			
(क) मिल रोज	10 लाख मीटर	4083	4800
(ख) विवेन्द्रित रोज	10 लाख मीटर	3863	4700
6. कागज व पत्ता	हजार टन	776	1050
7. अथवायी कागज	हजार टन	48.7	80.0
8. पैट्रोलियम से बना सामान (जिसमें चिकनाई वाले पदार्थ शामिल हैं)	10 लाख टन	19.7	27.0
9. नवजननीय उर्वरक (एन)	हजार टन	1058	2900
10. फास्फेट उर्वरक (पी ₂ ओ ₅)	हजार टन	319	770
11. सीमेन्ट	10 लाख टन	14.57	20.8
12. लोह इत्याद	10 लाख टन	4.89	8.8
13. एल्यूमिनियम	हजार टन	147.9	310.0
14. ताम्बा	हजार टन	127	37.0
15. पत्ता	हजार टन	20.8	80.0
16. विजली उत्पादन	बी. इन्सू एच	72	116-117
17. रेल में मोरिबिनेटिंग इंजिन	10 लाख टन		260

कृषि के क्षेत्र में विस्तृत आयोजना अभ्यास किए गए। कुल फसल क्षेत्र का विकास ऐसे क्षेत्रों और पहले से सिंचित किए गए क्षेत्रों में वृद्धि व सिंचाई के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में निर्धारित वृद्धि के परस्पर सम्बन्ध पर अनुमानित है। बड़ी और नैकली सिंचाई के हेतु निधिओं के आवंटन के लिए परियोजना स्तर के अभ्यास चल रही परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने और छोटी योजनावधि में आवश्यकताओं के अनुसार नई परियोजनाओं को शुरू करने को सुनिश्चित करने के लिए किए गए। तथा सिंचाई के विस्तार और जिन राज्यों में प्रगति धीमी है उनमें भूमिगत जल निदेशालयों के काम को सुचारु रूप से चलाने के लिए निधियों की व्यवस्था कर दी गई है। अधिक उपज वाले क्षेत्रों में वृद्धि कर और उर्वरक भागों का मावधानी से

अनुमान लगा लिया गया है। निश्चित अथवा अंशित अधिक उपज वाली फसल के मामले में उत्पादन सम्भावनाएँ क्षेत्र में पिछले अनुभव से उपज स्तरों के उपयुक्त किए जाने के आधार पर अनुमानित की गई हैं। उत्पादन के अनुमानों की मापदण्ड के उपयोग द्वारा प्रतिजांच की गई है।

समुद्र में अन्वेषण की वृद्धिगत आशा से सन् 1978-79 में कच्चे तेल का देशीय उत्पादन 141 लाख टन की सम्भावना है जबकि पाँचवी योजना के प्रारूप में 120 लाख टन लक्ष्य निर्धारित किया गया था। पेट्रोलियम उत्पादों की नियंत्रित खपत के होते हुए भी सन् 1978-79 में कच्चे तेल की माँग 290 लाख टन रही गई है जिसके लिए लगभग 150 लाख टन के आयात की आवश्यकता होगी। योजना के प्रारूप में 346 लाख टन के लक्ष्य की तुलना में सन् 1978-79 में पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन 270 लाख टन प्रत्याशित किया गया। तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि के कारण तेल उत्पादों की माँग में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कार्यवाही की गई और पेट्रोलियम उत्पादों की जगह उर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के पूरे उपयोग के लिए सुविचारित कार्यवाही की गई। वैसे अर्थ-व्यवस्था की अनिवार्य आवश्यकताओं अर्थात् नगरीय उर्जा के निर्माण के लिए नेफ्था व ईंधन तेल के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। इसी प्रकार देश की प्रमुख रूप से ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सड़क परिवहन के महत्त्व को देखते हुए हाई स्पीड डीजल आयल की माँग में पर्याप्त वृद्धि की परिकल्पना की गई है। एल. डी ओ के मामले में उपयुक्त रूप से उच्च स्तर की माँग की परिकल्पना कृषि बिनात कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण की गई है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान किया गया है कि पेट्रोलियम उत्पादों की खपत सन् 1978-79 में 285 लाख टन से अधिक नहीं होने का अनुमान किया गया है। इस प्रकार सन् 1978-79 में पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का स्तर लगभग 15 लाख टन होगा।

विद्युत क्षेत्र के माँग के विश्लेषणों पर आधारित कार्यवाही से यह पता चलता है कि सन् 1974-75 में 76.6 बिलियन किलोवाट प्रावस से बढ़कर सन् 1978-79 में कुल 118 बिलियन किलोवाट प्रावस हो जाएगी। ये अनुमान उस वर्ष में उद्योग व अन्य क्षेत्रों से सम्भावित माँग पर आधारित हैं। वर्तमान संकेत यह है कि सन् 1978-79 के अन्त तक लगभग 300 लाख किलोवाट की स्थापित क्षमता हो जाएगी और ऊर्जा की उपलब्धता 116-117 बिलियन किलोवाट घण्टे के बीच होने की सम्भावना है। इससे परियोजना की निर्माणावधि को कम करने व अधिकता वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र में विद्युत के भेजने विद्युत प्रणाली की क्षमता में सुधार (जैसे पारेपल व वितरण सम्बन्धी हानियों में कमी) और विद्युत के लिए माँग में संभावित वृद्धि की पूर्ति के लिए उपलब्ध क्षमता के उपयोग में बड़ोतरी की आवश्यकता प्रतीत होती है।

सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य उसकी माँग के मशोर्षित अनुमानों के आधार पर 1240 लाख टन निश्चित किया गया है। सन् 1974-75 में यह माँग खपत के स्वरूप से प्रवृत्ति और कोयले की खपत करने वाले मुख्य क्षेत्र जैसे, इस्पात

सयत्र, विद्युत सयत्र, रेल मुख्य उद्योग, आन्तरिक क्षेत्र आदि में विकास के लक्ष्यित अनुमान के आधार पर विश्लेषित की गई है।

इस्पात की 77.5 लाख टन की आन्तरिक माँग की तुलना में सन् 1978-79 में उसका उत्पादन 88 लाख टन अनुमानित किया गया है। देश में वही किस्म के इस्पात उत्पादों की खपत के कारण यह सम्भव नहीं होगा कि इस्पात उत्पादों के सभी प्रकार-प्रकारों की माँग को देशीय मिले-खुले उत्पाद से पूरा किया जा सके। इससे कुछ इस्पात उत्पादों के कुछ आकारों के आयात करने की आवश्यकता होगी। ऐसे आयात सन् 1978-79 में 4 लाख टन से और बढ़ जाने की सम्भावना नहीं है।

अलौह धातुओं की माँग के अनुमान विस्तृत सामग्री सन्तुलनों के निर्माण द्वारा प्राप्त किए गए और उनकी निवेश उत्पादन मण्डल द्वारा प्रति जाँच की गई। परियोजना स्तर विश्लेषक द्वारा जाँच किए गए, सम्भावित क्षमता स्तरों पर आपूर्तिवाँ आधारित हैं।

उर्वरक की माँग के संवेतन के लिए, पृथक् रूप से तत्सम्बन्धी विस्तार का प्रयास आवश्यकतापूर्वक किया गया। इसकी आवश्यकता सिंचाई की सुविधाओं पर दिए गए बल और विशेष रूप से नए क्षेत्रों में नए तकनीक के प्रसार के कारण हुई। किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि उर्वरक का उपयोग सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता और साथ ही नए तकनीक के प्रसार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है। इन अन्तरण घटकों और साथ ही कर कोटि की भूमि के अन्तर्गत मात्राओं में वृद्धि को ध्यान में रखा गया है। ऐसा विश्लेषण फसल दर फसल और अनुमानित उर्वरक की कुल आवश्यकताओं के बारे में किया गया। सन् 1978-79 के लिए $N P K$ की 48.0 लाख टन, N की 34 लाख टन, P_2O_5 की 8.70 लाख टन व K_2O की 5.30 लाख टन की पुष्टिकर रूप में ये आवश्यकताएँ होनी हैं। सन्तुलन उत्पादन की रूपरेखा से यह पता चलता है कि सन् 1978-79 तक 19.0 लाख टन नाइट्रोजन का उत्पादन होगा। P_2O_5 का 7,77,000 टन के उत्पादन का अनुमान किया गया है। इस अन्तर का NK 5.00 लाख टन, P_2O_5 के 10 लाख टन और K_2O के 5.30 लाख टन—कुल 11.30 लाख टन के आयात से पूरा किया जाएगा।

पाँचवीं योजना के समाप्ति वर्ष में सीमेंट की आन्तरिक माँग का अनुमान वस्तु सन्तुलन प्रक्रिया से लगाया गया है। ऐसा करते समय अर्थ-व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों जैसे इपि, विद्युत, उद्योग, परिवहन और समाज सेवाओं में कुल स्थायी विनियोजन को ध्यान में रखा गया है। इस प्रकार इसकी माँग का अनुमान 193 लाख टन लगाया गया है। अब यह अनुमान किया गया है कि 15 लाख टन की सीमेंट का निर्यात हो सकेगा। इस मात्रा को शामिल करने के बाद सन् 1978-79 में सीमेंट की कुल माँग 208 लाख टन होने का अनुमान है। इन अनुमानों की 'काल श्रुतता विश्लेषण' विधि द्वारा प्रति जाँच कर ली गई है।

सीमेंट, कागज और गन्ना, चीनी और रबड़ उत्पादन तैयार करने वाली मशीनों के उत्पादन सम्बन्धित वस्तुओं की नवीन क्षमता पर निर्भर है जो सन् 1978-79 तक और छठी योजना के पूर्वकाल में सजित होती। वर्तमान संयंत्रों के माधुनिकीकरण और परिवर्तन के लिए भी व्यवस्था की गई है। कुछ विशेष प्रकार की मशीनों का निर्यात सन् 1978-79 तक होने लगेगा और इस निर्यात सम्भावना के लिए मशीनों के उत्पादन के लक्ष्यों में व्यवस्था की गई है। अन्य मशीनों के उत्पादन लक्ष्यों का निर्धारण करते समय विनियोजन योजनाओं उपयोगकर्ता उद्यमों में वृद्धि, परिवर्तन आवश्यकताओं और निर्यात क्षमता को ध्यान में रखा गया है।

सन् 1978-79 में सगठित कारखाना क्षेत्र में सूती वस्त्रों के उत्पादन का अनुमान 48,000 लाख मीटर लगाया गया जबकि विकेन्द्रित क्षेत्र में 47,000 लाख मीटर उत्पादन होने का अनुमान है। सूती और कृत्रिम तन्तु से बनाए गए कपड़े के अर्थ का अनुमान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग वर्गों द्वारा आय वृद्धि के साथ विभिन्न प्रकार के कपड़े का उपभोग के सम्बन्ध में किए गए अध्ययन द्वारा लगाया गया है। वस्त्र की सम्पूर्ण माँग के अनुमान व्यय लोच और व्यापक आर्थिक सन्तुलन से प्राप्त किए गए प्रति व्यक्ति उपभोग में अनुमानित वृद्धि का प्रयोग करके निकाले गए हैं। पाँचवी योजना की अवधि में और उसके बाद विकेन्द्रित क्षेत्र के अर्थ में वृद्धि होने का अनुमान है जिसका कारण यह है कि हाथकरवा क्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया है और सगठित क्षेत्र की कटाई क्षमता में तेजी से वृद्धि करने के लिए व्यवस्था की गई है। इन सम्भावनाओं के आधार पर सूती कपड़े और कृत्रिम वस्त्र की आन्तरिक माँग का अनुमान लगाया गया है। सूती कपड़े के निर्यात की माँग को भी ध्यान में रखा गया है और इस प्रकार सन् 1978-79 में कुल माँग अनुमानित उत्पादन स्तर के बराबर ही है।

सन् 1978-79 में रेलों द्वारा माल ढुलाई के अनुमानों में रेलों द्वारा कोयले, इस्पात, सयन्त्रों के लिए कच्चे माल और वहाँ से तैयार माल, निर्यात की जाने वाली सीहूँ अयस्क की ढुलाई और खाद्यान्नों, उर्वरकों, पेट्रोलियम तथा अन्य स्नेहक, सीमेंट और रेल सामग्री जैसी कुछ प्रमुख जिनसों की ढुलाई भी शामिल है। रेलों द्वारा इस तरह की जिनसों की ढुलाई की मात्रा के अनुमान पिछली अवधि की प्रवृत्तियों के आधार पर भी निकाले गए हैं। संचालन की स्थिति में सुधार की सम्भावनाओं को देखते हुए यह उम्मीद है कि रेलें इतनी मात्रा में (2600 लाख टन) माल की ढुलाई कर सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पाँचवी योजना के प्रारूप में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था और यह माना गया था कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए (क) पहले से अधिक पूंजी-निवेश, (ख) अधिक कुशलता, (ग) पहले से अधिक बचत, आमदनी की असमानताएँ दूर करने और उपभोग को इस ढंग से घटाने की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे समृद्ध वर्गों पर अधिकारिक बचत करने का भार पड़े। योजना के लक्ष्य का इस ढंग से विफल करना रखा गया था कि मुद्रा स्थिति न होने

पाए। यह मानकर कहा गया था कि कुछ क्षेत्रों जैसे इस्पात, कोयला, लौह धातुएँ, सीमेंट और उर्वरक, उद्योगों में पूँजी बहुत उद्योगों के विकास के लिए तो पूँजी जुटाना अनिवार्य है ही क्योंकि ऐसी वस्तुओं का उत्पादन होता है जो रोजगार देने वाली है और जिनका कृषि में बहुत इस्तेमाल हो रहा है। इसी प्रकार उन क्षेत्रों पर भी अनुप रक्षणा होगा जो न तो आबमों के उपयोग की वस्तुओं में ही आते हैं और न ही जिनसे निर्वात वृद्धि में सहायता मिलती है। मुद्रा स्फीति के बिना विकास करने की नीति के अनुसार दीर्घ अवधि में और अल्पावधि में फल देने वाली परियोजनाओं का सतुलित मेल रखने और रोजगार देने वाले माल तैयार करने के उद्योगों और परमावश्यक मध्यवर्ती वस्तुओं व पूँजीगत सामान बनाने वाले उद्योगों में लगाई जाने वाली पूँजी का भी सन्तुलित और उचित वितरण आवश्यक है।

आर्थिक समीक्षा 1976-77 के अनुसार

सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बचत और पूँजी निवेश

भारत सरकार के प्रकाशन 'आर्थिक समीक्षा' सन् 1976-77 में सकल राष्ट्रीय उत्पादन, बचत और पूँजी निवेश की जो स्थिति बताई गई, वह प्रकार है—

“चौथी आयोजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि की दर केवल 3.5 प्रतिशत थी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि की दर सन् 1974-75 में 0.3% थी और सन् 1975-76 के तुरन्त अनुमानों से 8.5 प्रतिशत की वृद्धि की दर से सकेत मिलते हैं। उपलब्ध निर्देशकों से सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि की दर में सन् 1976-77 में लगभग 2 प्रतिशत की कमी होने का सकेत मिलते हैं। इस प्रकार इन तीन वर्षों में वृद्धि की वार्षिक औसत दर 3.5 प्रतिशत बैठती है।”

‘केन्द्रीय सांख्यिकी सङ्गठन से प्राप्त अन्तिम आँकड़ों से पता चलता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद (बाजार की कीमतों पर) के मुकाबले सकल घरेलू बचतों का अनुपात सन् 1974-75 में 17.5 प्रतिशत था वह अनुपात सन् 1975-76 में बढ़कर 19.4 प्रतिशत हो गया। यह प्रतीत होता है कि यह बढ़ती घरेलू बचतों में वृद्धि होने के कारण हुई क्योंकि सरकारी क्षेत्र की बचतों का घना इन दो वर्षों में लगभग उतना ही बना रहा। बैंकों में जमा रकमों में तेजी से वृद्धि, अल्प बचत सङ्ग्रह, कम्पनियों के लाभ वर सङ्ग्रह में वृद्धि तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य-निष्पादन जैसे सभी निर्देशकों का सम्बन्ध में उपलब्ध तथ्यों तथा आँकड़ों से पता चलता है कि सन् 1976-77 के घरेलू बचतों की दर वही रही जो सन् 1975-76 में थी।”

2) “केन्द्रीय सांख्यिकी सङ्गठन के अनुमानों से भी पता चलता है कि सन् 1974-75 की तुलना में, 1975-76 में पूँजी निवेश ज्यादा हुआ। सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अनुपात के रूप में सकल घरेलू पूँजी सङ्ग्रह जो सन् 1974-75 में 19.1 प्रतिशत था, बढ़कर 1975-76 में 20.8 प्रतिशत हो गया। सीमेंट, इस्पात, मशीनों जैसी निवेश-वस्तुओं के उत्पादन में उपलब्ध होने और प्राथमिक ऋण सन्धियों द्वारा पहले में अधिक वित्तीय सहायता दिए जाने से अनुमान लगाया गया है कि सकल

राष्ट्रीय उत्पाद के अनुपात के रूप में पूंजी-निवेश सन् 1976-77 में भी उतना ही हुआ जितना कि सन् 1975-76 में था।”

वार्षिक समीक्षा 1977-78 के अनुसार

सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बचत और पूंजी-निवेश

“भालू वर्ष (1977-78) में सकल राष्ट्रीय उत्पाद (Gross National Product: GNP) की वृद्धि की दर 5 प्रतिशत रहने की सम्भावना है। यह वर्ष के 1-6 प्रतिशत के स्तर से यह स्थिति ‘सन्तोषजनक सुधार’ की है तथापि सन् 1975-76 की 8.5 प्रतिशत वृद्धि दर से यह काफी कम है। सन् 1977-78 में समाप्त होने वाले चार वर्षों में वृद्धि की वार्षिक औसत दर 3.9 प्रतिशत रही है।

केन्द्रीय सांख्यिकी सचिवालय के अनुमानों से पता चलता है कि सन् 1976-77 में सकल घरेलू पूंजी निर्माण सन् 1975-76 के स्तर पर ही था अर्थात् सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 19.3 प्रतिशत।”

प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाएँ-क्षेत्रीय लक्ष्य, वित्तीय आवंटन तथा उपलब्धियाँ (FIRST THREE FIVE YEAR PLANS-SECTORAL TARGETS, FINANCIAL ALLOCATION AND ACHIEVEMENTS)

योजनाओं के लक्ष्यों को जब सत्यात्मक स्वरूप प्रदान किया जाता है तब उद्देश्य बन जाते हैं। किसी अर्थ-व्यवस्था के कृषि, उद्योग, परिवहन तथा संचार आदि क्षेत्रों में सम्बन्धित विकास-लक्ष्यो (Growth Targets) को क्षेत्रीय लक्ष्य (Sectoral Targets) कहते हैं। इन लक्ष्यों के अन्तर्गत मूलतः क्षेत्रों से सम्बन्धित भौतिक उत्पादन के लक्ष्य, क्षेत्रीय विकास दर, वित्तीय परिव्यय आदि लिए जाते हैं। भारतीय अर्थ-व्यवस्था को आर्थिक नियोजन के अन्दर में कृषि, शक्ति खनिज उद्योग, परिवहन तथा संचार, सामाजिक सेवाएँ आदि क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है।

योजनाओं में वित्तीय आवंटन (Financial Allocation in the Plans)

योजनाओं में विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित निर्धारित विकास-लक्ष्यो तथा इनकी उपरन्धियों के विस्तारण से पूर्व यह उपयुक्त होगा कि इन क्षेत्रों पर आवंटित परिव्यय तथा इस परिव्यय की वित्त-व्यवस्था को जान लिया जाए। इस अन्दर में सर्वप्रथम प्रथम विभिन्न मारगियों द्वारा विनियोग परिव्यय एवं वित्त-व्यवस्था को स्पष्ट करेंगे। प्रथम तीन योजनाओं में विनियोग

मारगी-1 में दिए गए विनियोगों के अंश से सरकारी और निजी क्षेत्र के विस्तार की अपेक्षा स्पष्ट होती है। निरपेक्ष रूप में यह भी बोना ही क्षेत्रों में विनियोग दर में काफी वृद्धि हुई किन्तु दोनों क्षेत्रों का अनुपात प्रथम तीन योजनाओं में क्रमशः लगभग 15:18, 37:31 तथा 71:49 रहा। इन अनुपातों से स्पष्ट है कि उत्तरोत्तर निजी क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र का अधिक विस्तार हुआ। यह स्थिति देश के समाजवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है।

मारगी-1

तीन योजनाओं में सरकारी और निजी क्षेत्र में विनियोग

(करोड़ में)

योजना	सरकारी क्षेत्र का परिव्यय			निजी क्षेत्र में		योग कुल व्यय
	योजना आवंटन	वस्तुविक व्यय	बानू व्यय	विनियोग	विनियोग	
प्रथम पंचवर्षीय योजना	2,356	1,960	400	1,560	1,800	3,760
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	4,900	4,673	941	3,731	3,100	7,772
तृतीय पंचवर्षीय योजना	7,500	8,577	1,448	7,129	4,190	12,767

तीनों योजनाओं के प्रारम्भ

सारणी-2 में योजनाओं के आस्तिक सांजनिक परियोजना (Outlay) को दर्शाया गया है। योजना-परिषद ने राज्य व केन्द्र के भाग को वृत्त-वृत्त रखा गया है तथा कुल परियोजना का विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों पर आवंटन तथा कोष्ठकों में राशि के आवंटन का प्रतिगत दर्शाया गया है—

सारणी-2

प्रथम तीन योजनाओं में सरकारी क्षेत्र का परियोजना

(करोड़ रु. में)

विकास की मर	प्रथम पंचवर्षीय योजना		द्वितीय पंचवर्षीय योजना		तृतीय पंचवर्षीय योजना		
	योग	केन्द्र	राज्य	घात	केन्द्र	राज्य	योग
1 कृषि और सम्बन्ध क्षेत्र	290 (14.8)	53 (9.7)	496 (90.3)	549 (11.7)	117 (10.7)	972 (89.3)	1089 (12.7)
2 तिचाई और बाढ़ नियन्त्रण	434 (22.2)	55 (12.8)	375 (87.2)	430 (9.2)	10 (1.5)	655 (98.5)	665 (7.8)
3 विद्युत्	149 (7.6)	28 (6.2)	424 (93.8)	452 (9.7)	113 (9.0)	1139 (91.0)	1252 (14.6)
4 गांव और लघु उद्योग	42 (2.1)	106 (56.7)	81 (43.3)	187 (4.0)		203 (10.3)	241 (2.8)
5 खनिज और उद्योग	55 (2.8)	898 (95.7)	40 (4.3)	938 (20.1)	1764 (89.7)		1726 (20.1)

विभाग की मद	प्रथम पंचवर्षीय योजना		द्वितीय पंचवर्षीय योजना		तृतीय पंचवर्षीय योजना		
	योग	के.रु.	राज्य	योग	के.रु.	राज्य	योग
6 यातायात और संचार	518 (26.4)	1092 (86.6)	169 (13.4)	1261 (27.0)	1818 (86.1)	294 (13.9)	2112 (24.6)
7 अन्य	472 (24.1)	357 (41.8)	498 (58.2)	855 (18.3)	590 (39.6)	902 (60.4)	1492 (17.4)
जिसमें							
(अ) शिक्षा और वंशानिक प्रयुक्त	149 (7.6)	—	—	273 (5.8)	—	—	660 (7.7)
(ब) स्वास्थ्य	98 (5.0)	—	—	216 (4.6)	—	—	226 (2.6)
(स) परिवार नियोजन							25 (0.3)
योग	1960 (100.0)	2589 (55.4)	2083 (44.6)	4672 (100.0)	4412 (51.4)	4165 (48.6)	8577 (100.0)

* ग्रेप खरिदें। जिस हद तक राज्य के खिसे के कुछ का परिष्कृत 4600 करोड़ रुपये (जो बाद में सञ्चालित कर 4672 करोड़ रुपये कर दिया गया और जिसके लिए केन्द्र और राज्य द्वारा खोला उपलब्ध नहीं है) से है, उस हद तक केन्द्र का परिष्कृत अधिक हो सकता है। के.रु. और राज्य मंत्री (इल्लमों) के नीचे कोल्लक से दिव्य रूप खरीदें सम्बन्ध दोनों में परिष्कृत का प्रतिशत बताते हैं।

Source . India 1973 & 1974.

योजना-परिष्कृत की वित्त-व्यवस्था

विविध प्राथमिक क्षेत्रों के लिए प्राथमिक परिष्कृत के वित्तीय सम्बन्ध सारणी-3 से स्पष्ट है—

सरकारी क्षेत्र में योजना परिषदों को वित्त-व्यवस्था

वर्ष	प्रथम पंचवर्षीय योजना		द्वितीय पंचवर्षीय योजना		तृतीय पंचवर्षीय योजना	
	आरम्भिक अनुमान	वास्तविक	आरम्भिक अनुमान	वास्तविक	आरम्भिक अनुमान	वास्तविक
1. मुख्यतया अपने साधनों से	740 (357)	725 (38.4)	1350 (28.1)	1230 (26.3)	2810 (37.5)	2908 (33.9)
(1) करारान की योजना पूर्व दत्ते पर चाल राज्य से बचत	570	382	350	11	550	419
(2) अतिरिक्त करारान, जिसमें सार्वजनिक उद्यमों की बचत बढ़ाने के उपाय शामिल हैं	—	—	—	—	—	—
(3) रिजर्व बैंक से लाभ	—	255	850	1052	1710	2892
(4) योजना के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए उठाए गए उपायों से हुई आय को छोड़कर सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की बचत	—	—	—	—	—	—
(क) रेल	170	115	150	167	100	62
(ख) अन्य	फ	फ	फ	फ	फ	373

मह	प्रथम पंचवर्षीय योजना		द्वितीय पंचवर्षीय योजना		तृतीय पंचवर्षीय योजना	
	आरम्भिक अनुमान	वास्तविक	आरम्भिक अनुमान	वास्तविक	आरम्भिक अनुमान	वास्तविक
2	808 (391)	1019 (520)	2650 (552)	2393 (512)	2490 (339)	3246 (379)
(1) सामंजसिक ऋण, बजार और जीवन बीमा निगम से सरकारी उद्यमों द्वारा लिए गए ऋणों सहित शुद्ध	115ह	208ह	700ह	756ह	800	823
(2) छोटी बचतें	225	243	500	422	600	565
(3) बाकिरी जमा, सनिचार्ज जमा, इनामी बॉन्ड और स्वयं बॉन्ड	—	—	—	—	—	117
(4) राज्य भविष्यनिधि से	45	92	250	175ह	265	336
(5) इलाहाबाद नगरपालिका निधि (शुद्ध)	—	—	—	40	105	34
(6) विविध पूंजीगत प्राप्ति (शुद्ध)	133	147	—	46	170	238
-(7) ग्राटे का विपणन	290	333	1200	954	550	1133
3 मूल धरेतु राशन (1+2)	1546 (748)	1771 (904)	4000 (833)	3623 (775)	5300 (707)	6154 (718)

मद	प्रथम पंचवर्षीय योजना		द्वितीय पंचवर्षीय योजना		तृतीय पंचवर्षीय योजना	
	आर्थिक अनुमान	शासकिक अनुमान	आर्थिक अनुमान	शासकिक अनुमान	आर्थिक अनुमान	शासकिक अनुमान
4. विदेशी सहायता न	521 (25.2)	189 (96)	800 (16.7)	1049 (22.5)	2200 (29.3)	2423 (28.2)
5. कुल साधन (3+4)	2069 (100.0)	1960 (100.0)	4800 (100.0)	4672 (100.0)	7500 (100.0)	8577 (100.0)

नोट—कोष्ठों में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।

(अ) मद 1 (1) और 1 (4) के अन्तर्गत शामिल। (ब) रेल किराए और भाड़े में वृद्धि से हुई आय को छोड़कर। (ई) रेल किराए और भाड़े में हुई वृद्धि से आय समेत। (फ) मद 1 (1) और (2) (6) के अन्तर्गत शामिल। (ह) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बाजार से ऋण (र) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा पी. एल 480 कोषों का निवेश शामिल है। (क) प्रथम और द्वितीय योजनाओं के प्राकड़े अनिपिबद्ध ऋणों से सम्बद्ध हैं। (ख) तृतीय योजना अर्बिधि और उसके बाद के लिए दर्शाए गए घाटे के बित्त के प्राकड़े सरकार की रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के प्रति ऋणता (दोषाबिधि और लघु प्रबिधि दोनों) में परिवर्तन को दर्शाते हैं। पूर्व योजनाओं के लिए घाटे के बजट की ओर संकेत हैं। प्रथम और द्वितीय योजना अर्बिधियों में घाटे का वित्त क्रमश 260 करोड़ रु. और 1,170 करोड़ रुपये था। (घ) राज्य भविष्य निधियों से भिन्न बिना खर्च किए गए ऋण शामिल हैं। (न) नई विविध-दर के अनुसार।

Source : India 1973 & 1974.

प्रथम योजना का परिचय तथा वित्त-व्यवस्था

सारणी-2 (परिचय 2) के अनुसार प्रथम योजना पर सरकारी क्षेत्र में सन् 1960 करोड़ रु की राशि व्यय की गई। सारणी में दिए गए व्यय के आवंटन से स्पष्ट है कि इस योजना में कृषि को सर्वाधिक महत्त्व मिला, क्योंकि योजना की कुल राशि का 37% भाग कृषि, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर व्यय किया गया। योजना में शक्ति, परिवहन तथा संचार को भी आवश्यक महत्त्व दिया गया, जो इन मद्दों पर व्यय के क्रमशः 7.6% और 26.4% से परिलक्षित होता है। शक्ति तथा परिवहन व संचार को दी गई प्राथमिकता का उद्देश्य भावी विकास के लिए आधार-ढाँचे (Infrastructure) का निर्माण करना था। सभी प्रकार के उद्योगों व खनिजों पर कुल व्यय का केवल 4.9% ही व्यय किया गया। शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा स्वास्थ्य पर कुल राशि का क्रमशः 7.6% व 5% व्यय हुआ। इन मद्दों पर व्यय का यह प्रतिशत यह प्रदर्शित करता है कि नियोजकों का इस योजना में शिक्षा व स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं के विस्तार की ओर भी यथेष्ट ध्यान रहा।

1960 करोड़ रु के व्यय की वित्तीय व्यवस्था के लिए निजी साधनों से 752 करोड़ रु, धरेलू ऋणों से 1010 करोड़ रु तथा विदेशी सहायता से 189 करोड़ रु प्राप्त किए गए। प्रतिशत के रूप में इन मद्दों का कुल राशि में योगदान क्रमशः 38.4%, 52% तथा 9.6% रहा। धरेलू ऋणों की मद में घाटे के वित्त के 333 करोड़ रु भी सम्मिलित हैं। प्रथम योजना के अन्तिम वर्षों में घाटे की वित्त-व्यवस्था का अधिक तेजी से उपयोग किया गया, किन्तु योजना की प्रवृत्ति के दौरान उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने के कारण मूल्य-स्तर योजना की पूर्व अवधि की तुलना में 13% कम रहा तथा भुगतान सन्तुलन की स्थिति भी अनुकूल रही।

द्वितीय योजना का परिचय तथा वित्त-व्यवस्था

द्वितीय योजना के लिए 4,800 करोड़ रु के व्यय का लक्ष्य रखा गया किन्तु वास्तव में कुल व्यय 4,672 करोड़ रु हुआ जिसमें से राज्यों ने 2,589 करोड़ रु तथा केन्द्र ने 2,083 करोड़ रु व्यय किए। 4,800 करोड़ रु की प्रस्तावित राशि का कृषि व सामुदायिक विकास के लिए 11.8%, सिंचाई के लिए 7.9%, शक्ति के लिए 8.9%, बाढ़ नियंत्रण व अन्य परियोजनाओं के लिए 2.2%, उद्योग व खनिज के लिए 18.5%, परिवहन व संचार के लिए 28.9%, सामाजिक सेवाओं के लिए 19.7% तथा शेष 2.1% विविध कार्यों के लिए निर्धारित किया गया। इन मद्दों पर प्रस्तावित राशि की तुलना में जो राशि वास्तव में व्यय हुई, उसे 'परिचय्य सारणी' की वास्तविक सहायता में बताया गया है। प्रस्तावित तथा वास्तविक व्यय प्रतिशतों की तुलना को सारणी-4 में प्रस्तुत किया जा रहा है।

सारणी-4

द्वितीय योजना की मदों पर प्रस्तावित तथा वास्तविक व्यय के प्रतिशत

मद	प्रस्तावित व्यय का प्रतिशत	वास्तविक व्यय का प्रतिशत
1. कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र	11.8	11.7
2. बिजली और वाट-नियन्त्रण	10.1	9.2
3. शक्ति (Power)	8.9	9.7
4. उद्योग व खनिज	18.5	24.1
5. परिवहन व संचार	28.9	27.0
6. सामाजिक सेवाएँ	19.7	10.4
7. अन्य	2.1	7.9
कुल	100.0	100.0

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि उद्योग व खनिज पर प्रस्तावित व्यय से वास्तविक व्यय की राशि अधिक रही तथा सामाजिक सेवाओं पर वास्तविक व्यय की राशि प्रस्तावित व्यय की राशि की तुलना में काफी कम रही। अन्य मदों के प्रतिशत को मिला कर भी सामाजिक सेवाओं के वास्तविक व्यय का प्रतिशत प्रस्तावित व्यय के प्रतिशत से काफी कम रहा है। इस योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता यद्यपि उद्योग व खनिज क्षेत्र को दी गई, किन्तु कुल निरपेक्ष-राशि की दृष्टि से कृषि के लिए प्रथम योजना की तुलना में द्वितीय योजना में काफी बड़ी राशि का प्रावधान रखा गया। इसका अभिप्राय है कि उद्योग व खनिज के क्षेत्र पर अत्यधिक बल दिए जाने पर भी कृषि के महत्त्व को इस योजना में पर्याप्त स्थान मिला।

जहाँ तक योजना के परिव्यय की वित्त-व्यवस्था का प्रश्न है, 4,800 करोड़ रु के प्रस्तावित व्यय के लिए 1,200 करोड़ रु की राशि का घाटे के वित्त के अन्तर्गत प्रावधान रखा गया तथा 400 करोड़ रु के घाटा (Uncovered Deficit) के रूप में घरेलू साधनों में वृद्धि के अतिरिक्त उपायों द्वारा पूति के लिए छोड़ दिया गया। 800 करोड़ रु. विदेशी साधनों से तथा योजना की शेष 2,400 करोड़ रु की राशि को कर, जनता से ऋण, रेल व भविष्य-निधि आदि घरेलू साधनों से प्राप्त करने का प्रावधान किया गया। सरकारी क्षेत्र के 4,800 करोड़ रु. के अतिरिक्त 2,400 करोड़ रु. का वित्तियोग निजी क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया।

तृतीय योजना का परिचय तथा वित्त-व्यवस्था

सारणी—3 के अनुसार तृतीय योजना में सरकारी क्षेत्र के लिए 7,500 करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र के लिए 4,100 करोड़ रुपये के परिव्यय का लक्ष्य रखा गया। 7,500 करोड़ रुपये के सरकारी व्यय का विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए निम्न प्रकार आवंटन किया गया—

सारणी-5

तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित सरकारी व्यय का विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों पर आवंटन

क्षेत्र	प्रस्तावित व्यय (करोड़ रुपये में)	कुल का प्रतिशत
1. कृषि व सामुदायिक विकास	1068	14
2. बड़े व मध्यम सिंचाई के साधन	653	9
3. शक्ति	1012	13
4. ग्रामीण व लघु उद्योग	264	4
5. संगठित उद्योग व घनिष्ठ पदार्थ	1520	20
6. परिवहन व संचार	1486	20
7. सामाजिक सेवाएँ व शिक्षा	1300	17
8. इन्वेस्टमेंट	200	3
	कुल 7500	100

तृतीय पंचवर्षीय योजना के कुल प्रस्तावित व्यय का कृषि, सिंचाई और सामुदायिक विकास के लिए 25 प्रतिशत व्यय निर्धारित किया गया। इन क्षेत्रों को इस योजना में सर्वाधिक महत्त्व दिया गया। इन प्राथमिकता का मूल कारण द्वितीय योजना में कृषिगत उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जाना था। इसीलिए इस योजना में साधारण के उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता विशेष रूप से अनुभव की गई। संगठित उद्योग तथा घनिष्ठ व परिवहन और संचार की मदों को समान प्राथमिकता प्रदान की गई। इन मदों में से प्रत्येक के लिए कुल व्यय का 20 प्रतिशत व्यय निर्धारित किया गया।

योजना की प्रस्तावित 7,500 करोड़ रुपये की राशि की वित्त-व्यवस्था के लिए वानू राजस्व की बचत में 550 करोड़ रुपये, धनिरिक्त ऋणधन से 1,720

करोड़ रुपये, रेलों से 100 करोड़ रुपये, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से 450 करोड़ रुपये, सार्वजनिक ऋण से 800 करोड़ रुपये, छोटी बचतों से 600 करोड़ रुपये, राज्य की भविष्य निधियों से 265 करोड़ रुपये, इस्पात-समानीकरण निधि से 105 करोड़ रुपये, विविध पूँजीगत प्राप्तिगो से 170 करोड़ रुपये, घाटे के वित्त से 550 करोड़ रुपये तथा विदेशी सहायता से 2,200 करोड़ रुपये, प्राप्त करने का प्रावधान रखा गया। इन धनो को सारणी-3 में तृतीय पंचवर्षीय योजना के शीर्षक के अन्तर्गत आर्थिक अनुमान वाले कॉलम में दर्शाया गया है।

उपरोक्त वित्तीय मदों की मुख्य विशेषता 1,710 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कराधान तथा घाटे की वित्त-व्यवस्था की राशि की द्वितीय योजना की तुलना में कम किया जाना है। इसके अतिरिक्त विदेशी सहायता की आवश्यकता को अधिक अनुभव किया गया। इस मद के अन्तर्गत द्वितीय योजना के आर्थिक अनुमान जहाँ 800 करोड़ रुपये के थे वहाँ इस योजना में इस मद से प्राप्त की जाने वाली राशि 2,200 करोड़ रुपये अनुमानित की गई।

उपरोक्त विवेक के अन्तर्गत सरकार अथवा सार्वजनिक व्यवसाय ही विशेषण किया गया है। सार्वजनिक व्यवसाय के अतिरिक्त भारत की प्रथम तीन योजनाओं में निजी क्षेत्र का जो विनियम हुआ है उसे सारणी 13 में प्रदर्शित किया गया है। इन योजनाओं में निजी क्षेत्र का विनियम क्रमशः 1,800 करोड़ रुपये, 3,100 करोड़ रुपये व 4,190 करोड़ रुपये रहा। इस क्रम में यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सन् 1950 के कुल व्यय में 400 करोड़ रुपये चालू व्यय पर खर्चे हुए और इस प्रकार सरकारी क्षेत्र का इस योजना में शुद्ध विनियम 1,560 करोड़ रुपये का हुआ। इसी प्रकार द्वितीय योजना के 4,672 करोड़ रुपये में से चालू व्यय के 941 करोड़ रुपये निकालने पर इस योजना की अपघ्न में सरकारी क्षेत्र का विनियम 3,731 करोड़ रुपये तथा तृतीय योजना में व्यय की वास्तविक राशि 8,577 करोड़ रुपये में से चालू व्यय की 1,448 करोड़ रुपये की राशि निकालने पर इस योजना में सरकारी क्षेत्र का विनियम 7,129 करोड़ रुपये हुआ।

योजनाओं में क्षेत्रीय लक्ष्य (Sectoral Targets in Plans)

प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं के वित्तीय आवंटन के उपरान्त अब हम इन योजनाओं के क्षेत्रीय लक्ष्यों का अध्ययन करेंगे। इन योजनाओं में भारत के आर्थिक विकास की क्या स्थिति रही, विभिन्न प्राथमिक मद्दों के अन्तर्गत क्या उपलब्धियाँ रहीं, उत्पादन के प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया जा सका, प्रादि प्रश्नों से सम्बन्धित तथ्यों को कृपियत तथा औद्योगिक मद्दों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जा रहा है। सर्वप्रथम कृषियत मद्दों के लक्ष्यों तथा इनकी उपलब्धियों को सारणी-6 में दिया जा रहा है।

सारणी-6

घुनी हुई कृषिगत वस्तुओं के उत्पादन-लक्ष्य तथा प्रगति

वर्ष	1950-51		1955-56		1960-61		1965-66	
	वास्तविक	प्रस्तावित लक्ष्य	वास्तव में प्राप्त लक्ष्य	वास्तविक	प्रस्तावित लक्ष्य	वास्तव में प्राप्त लक्ष्य	वास्तव में प्राप्त लक्ष्य	
खाद्यान्न (मि. टन)	54.92	61.60	69.22	82.0	72.29	72.0		
चिनाड़ा (मि. टन)	5.09	7.07	5.63	7.0	10.7	6.3		
गन्ना गूदा (मि. टन)	6.92	6.32	7.29	1.12	13.5	12.0		
कपास (मि. गांठे)	2.62	4.23	4.03	5.3	8.60	4.8		
जूट (मि. गांठे)	3.51	5.39	4.48	4.1	4.48	6.5		

Source (i) Economic Survey, 1969-70, pp. 66-67.

(ii) Paul Streeten op cit. p 302

प्रथम योजनावधि में कृषि-उत्पादन में वृद्धि कृषिगत भूमि के क्षेत्रफल में विस्तार करके की गई। किन्तु द्वितीय योजना-काल में कृषि की उत्पादकता में वृद्धि, जल, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयों, शक्ति आदि कृषिगत साधनों की पूर्ति बढ़ा कर की गई। इन साधनों की पूर्ति के विस्तार को सारणी-7 में प्रदर्शित किया गया है—

सारणी-7

कृषिगत साधन

वर्ष	1950-51	1965-66
खाद (हजार टन नाइट्रोजन)	56	600
चिनाड़ा (मि. टन)	203	1730
विद्युत् नल कूप (घं)	3500	32499
ईंधन तेल (मूल्य करोड़ रु में)	4.5	27.7

Source - Economic Survey, 1969-70, pp 66-67

सारणी-7 से स्पष्ट है कि सन् 1950-51 की तुलना में सन् 1965-66 में कृषिगत साधनों के प्रयोग में वृद्धि हुई है। खाद का उपयोग दस गुना, चिनाड़ा का षाठ गुना बढ़ा। नलकूपों की संख्या में दस गुनी अधिक वृद्धि हुई तथा ईंधन-तेल का उपभोग भी छ गुना अधिक किया जाने लगा।

सारणी-8
कुछ औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन-संख्या

वस्तु	1950-51	1955-56		1965-66	
		प्रस्तावित	वास्तविक	प्रस्तावित	वास्तविक
1 लौहार इस्पात (मि. टन)	1.04	1.4	1.3	4.6	4.51
2 बल्बमिनियम धातु (हजार टन)	4.0	12.0	7.3		62.1
3 कीमल इस्पात (हजारों में) स्टीलवरी	5.5		10.0	85.0	93.1
4 कुल मोटरवाहनों (हजारों में)	16.5		25.3	68.5	70.7
5 मशीनों की मात्रा (मिलियन रु. में)	3.0		7.8	230.0	294.0
6 कीमती तेल मशीनरी (मिलियन रु. में)			1.9	80.0	77.0
7 लोहा-कच्चे (हजारों में)	99.0		513	1700	1574
8 सलथ्यूरिक एसिड (हजार टन)	101				662
9 सीमेन्ट (मि. टन)	2.7	4.8	4.6		10.8
10 नाइट्रोजन उर्वरक (हजार टन में)	9.0			233	232
11 क्लोस्टिक सोडा (हजार टन)	12.0				218
12 कोयला (मि. टन) (सिमानाई सहित)	32.8		38.4		70.3
13 कच्चा मोहा (मि. टन) (गोआ को छोड़कर)	3.0		4.3		18.1
14 परियुक्त पेट्रोल पदार्थ (मिलियन टन)	0.2		3.6		9.4
15 लकड़ विद्युत् (मिलियन कि घटा)	5.3				32.0

Source : (i) Economic Survey, 1969-70, pp. 66-67.

(ii) Paul Streeten : op cit. p. 301

भ्रम-स्वभावस्था के प्रमुख क्षेत्रों के भौतिक संसाधनों को निरूपण रूप में उपरोक्त सारणी-8 में प्रदर्शित किया गया है। संसाधनों की सापेक्ष स्थिति को और अधिक स्पष्ट करने की दृष्टि से विकास संसाधनों को घासिक औद्योगिक विकास-दरों के रूप में सारणी-9 में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह अध्ययन Paul Streeten एवं Michael Lipton का है। इन विकास-दरों के माध्यम से यह सरलता से जाना जा सकता है कि ऊर्जा, शक्ति, सैनिक, उद्योग, यातायात और संचार आदि घासिक क्षेत्रों के विकास की सापेक्ष प्रवृत्ति प्रत्येक योजना अवधि में किस प्रकार की रही है।

बुने हुए लक्ष्य और उपलब्धियाँ-वार्षिक औसत विकास दरें

(Selected Targets and Achievements—Annual Average Growth Rates)

वर्षे (Items)	2	3	4	5	6	7	1955-56 के		1960-61 के		1964-65 के	
							वास्तविक पर 1955-56 के लक्ष्य (Targets Actuals 1955-56)	वास्तविक पर 1960-61 के लक्ष्य (Targets Actuals 1955-56)	वास्तविक पर 1960-61 के लक्ष्य (Targets Actuals 1960-61)	वास्तविक पर 1964-65 के लक्ष्य (Targets Actuals 1964-65)		
1												
1 कृषि												
(i) इविगत उत्पादन												
पासाध	बजन	34	47	41	35	40	20	51				
रपाय	गोडे	77	66	102	05	58	06	80				
राना-गुर	पजल	24	14	54	90	—	24	16				
विपहन	बजन	15	19	63	44	70	44	43				
बुट	गोडे	104	49	55	—	28	99	69				
बाय	बजन		07	19	24	46	32	38				
(ii) इविगत उत्पादक-वारक												
नेटजन चाब हा	बजन	—	138	n.a.	144	n.a.	20	238				
उपयोग												
घास्टे हा सार	बजन	—	131	n.a.	400	n.a.	206	374				
उपयोग												

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. शक्ति									
विद्युत शक्ति का उत्पादन			9.4	8.1	14.9	10.5	17.8	11.3	15.1
			कि. विलीयार्ड						
3. स्टाइल									
रूपा सोहर			5.9	7.5	23.8	20.6	18.7	8.3	23.6
रोयला			5.8	3.5	9.3	7.4	11.7	3.7	8.7
4. उद्योग									
इस्पात			10.6	5.0	27.8	12.1	24.3	16.5	12.1
मशीन क्ल			—	16.7	30.6	54.3	33.8	30.0	31.8
जान्यूनियर			24.6	12.8	31.3	19.9	34.2	31.2	35.2
नेत्रजन काट			57.4	54.0	29.8	4.3	52.0	25.0	43.0
फासंड काट			27.2	5.9	57.4	35.1	49.4	24.0	40.3
समय तथा कावक									
के वृद्धे			11.9	10.4	13.3	13.0	14.9	9.0	10.5
सोवेट			12.2	11.2	23.1	11.3	10.3	5.3	12.4
सुती कपडा			4.8	6.5	0.2	—	2.7	6.1	5.4
धीनी			6.0	10.7	3.9	9.4	3.1	1.8	5.5
सादरिने			39.8	39.0	14.3	15.8	13.8	7.7	6.1
विद्युत रवे			11.6	7.6	15.3	29.8	18.7	4.6	18.4

11
11
11

5. पातायात और संचार

	2	3	4	5	6	7	8	9
(i) रेलें	—	—	27	28	45	n a	47	41
यात्री	—	—	45	73	61	98	56	81
श्रमिका	—	—	46	31	51	30	40	36
(ii) तारक पत्राई	—	—	42	134	123	78	129	135
(iii) डाकघरवाली	—	—	—	—	—	—	—	—
(iv) डाक	—	—	88	64	70	41	59	12
संचार	—	—	106	106	107	87	134	121
टेलीफोन	—	—	—	—	—	—	—	—

6. सामाजिक सेवाएँ

(i) विभाग	2	3	4	5	6	7	8	9
छात्र-संख्या	—	—	56	55	68	89	81	62
प्रशिक्षण	—	—	66	55	33	55	104	115
साक्षरता	—	—	92	79	93	127	121	114
सुख-साध्यपिण्ड, उपकरण	—	—	—	—	—	—	—	—
(ii) स्वास्थ्य	—	—	20	44	83	52	53	46
अस्पताल-संख्या	—	—	30	15	1.2	30	40	81
बिस्तर	—	—	—	—	—	—	—	—
परिचार विद्यार्थी	—	—	n a.	780	620	378	470	358
बनौतिक	—	—	—	—	—	—	—	—

n a.—not available.

Source : Paul Streeten and Michael Lipton (Eds)—The Crisis of Indian Planning, pp 382-83

प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों का मूल्यांकन (An Evaluation of the Achievements of the First Three Five Year Plans)

प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में 18% वृद्धि हुई। वृद्धि का लक्ष्य 11% रखा गया था। द्वितीय योजना में राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि के विरुद्ध वास्तविक वृद्धि केवल 20% हुई। तृतीय योजना में 30% वृद्धि के लक्ष्य के स्थान पर राष्ट्रीय आय में 13.8% वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से प्रथम पंचवर्षीय योजना में 11% वृद्धि हुई, द्वितीय योजना में 18% वृद्धि के लक्ष्य के स्थान पर 11% वृद्धि हुई। सन् 1960-61 के मूल्यांकन पर प्रति व्यक्ति आय सन् 1960-61 में 306.7 रुपये थी। यह बढ़ कर सन् 1964-65 में 333.6 रुपये हो गई किन्तु सन् 1965-66 में पुनः घट कर 307.3 रुपये रह गई। इससे स्पष्ट है कि तृतीय योजना के अन्त में प्रति व्यक्ति आय लगभग वही रही है जो योजना के प्रारम्भ में थी।

सन् 1950-51 से 1964-65 तक राष्ट्रीय आय में 65% वृद्धि हुई तथा प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि दर के हिमाव से लगभग 3.8% की वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति वास्तविक औसत दर लगभग 1.8% रही। इन अंकों की दृष्टि से यह कहना उपयुक्त नहीं है कि प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं की 15 वर्षीय अवधि में भारत में आर्थिक विकास नहीं हुआ। किन्तु यह कहना सही है कि लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि का स्तर कम रहा।

कृषि

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के उत्पादन में 18% वृद्धि हुई। खाद्यान्नों का उत्पादन 54.92 मिलियन टन से बढ़ कर 69.22 मिलियन टन हो गया। द्वितीय योजना के अन्तिम वर्ष 1960-61 में खाद्यान्न का उत्पादन 82.0 मिलियन टन हो गया किन्तु तृतीय योजना में खाद्यान्नों का उत्पादन घट कर केवल 72 मिलियन टन ही रह गया। औसत वार्षिक-दर की दृष्टि से प्रथम पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों के उत्पादन में 3.4% औसत वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य के स्थान पर 4.7% औसत वार्षिक वृद्धि हुई। किन्तु तृतीय योजना में 4.0% औसत वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 2.0% की ही वृद्धि हुई। खाद्यान्नों के उत्पादन की सकलता तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता को प्रकट करते हैं। कुल मिलाकर खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि में वृद्धि हुई। सन् 1951 में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि जो 13.0 औंस थी वह सन् 1965 में बढ़ कर 16.8 औंस प्रति व्यक्ति हो गई।

तिलहन, गन्ना, जूट व कपास के उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि-दर प्रथम योजना में क्रमशः 1.9, 1.4, 4.9 व 6.6% रही। अधिकांश कृषि-उपजों की औसत वार्षिक वृद्धि-दर लक्ष्य से अधिक रही, किन्तु तृतीय योजना में जूट को छोड़ कर लगभग इन सभी कृषि-उपजों की औसत वार्षिक वृद्धि-दर कम हो गई। इस तथ्य को सम्बन्धित सारणी में देखा जा सकता है।

सिंचाई की दृष्टि से प्रथम तीन योजनाओं में बड़ी व मध्यम श्रेणी की सिंचाई के अन्तर्गत 13.8 मिलियन एकड़ क्षेत्र व लघु सिंचाई के अन्तर्गत 31.6 मि एकड़ क्षेत्र की वृद्धि हुई। शक्ति के क्षेत्र में सन् 1950-51 में जो प्रस्थापित क्षमता (Installed Capacity) 23 लाख किलोवाट थी वह 1965-66 में बढ़ कर 102 लाख किलोवाट हो गई। विद्युत क्षमता में इस प्रकार पाँच गुनी वृद्धि हुई।

सक्षेप में, भारत की तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कृषिगत उत्पादन का सूचनांक काफी ऊँचा रहा। सन् 1950-51 में 95.6 (1949-50=100) से सन् 1965-66 में बढ़ कर 169 हो गया। इस तरह वृद्धि का प्रतिगत लगभग 65 रहा।

श्रीधोगिक क्षेत्र

दृषि की तुलना में श्रीधोगिक क्षेत्र की उपलब्धियाँ प्रथम तीन योजनाओं की पन्द्रह वर्षीय अवधि में अधिक हुई। श्रीधोगिक उत्पादन का सूचनांक सन् 1951 में 100 से बढ़ कर सन् 1961 में 194 हो गया। सन् 1955-56 में यह सूचनांक 139 तथा श्रीधोगिक उत्पादन का यह सूचनांक सन् 1956 के 100 से बढ़ कर सन् 1965-66 में 182 हो गया। उपभोग वस्तुओं के उत्पादन का मूल्य सन् 1950-51 में (1960-61 के मूल्यों पर) जो 200 करोड़ रुपये था वह सन् 1965-66 में बढ़ कर 488 करोड़ रुपये हो गया। मध्यवर्ती वस्तुओं का उत्पादन मूल्य 90 करोड़ रुपये से बढ़ कर 620 करोड़ रुपये तथा मशीनी उत्पादन का मूल्य 31 करोड़ रुपये से बढ़ कर 316 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि मशीनी उत्पादन में हुई।

प्रमुख उद्योगों की प्रगति का उल्लेख सारणी 8 व 9 में किया जा चुका है। सारणी के अनुसार आर्थिक नियोजन के प्रथम 15 वर्षों में डीजल इंजन, मशीनी-मोजार, नेत्रजन खाद, पेट्रोल पदार्थों, अल्यूमीनियम आदि के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। अल्यूमीनियम का उत्पादन सन् 1950-51 में केवल 4000 टन था। सन् 1965-66 में बढ़ कर यह 621 हजार टन हो गया। डीजल इंजन सन् 1950-51 में 5.5 हजार टन थे उनका उत्पादन 1965-66 में बढ़ कर 931 हजार हो गया। मशीनी मोजारों का मूल्य सन् 1950-51 में जो केवल 3 मिलियन था वह सन् 1965-66 में बढ़ कर 794 मिलियन हो गया। सीमेन्ट के उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई। सन् 1950-51 में इसका उत्पादन 2.7 मिलियन टन था। सन् 1965-66 में बढ़ कर यह 10.8 मिलियन टन हो गया। नेत्रजन खाद का उत्पादन सन् 1950-51 के 9 हजार टन के मुकाबले सन् 1965-66 में 232 हजार टन हो गया। आर्थिक नियोजन की इस पन्द्रह वर्षीय अवधि में तैयार इस्पात का उत्पादन लगभग चार गुना बढ़ा। डीजल इंजनों की संख्या 17 गुना बढ़ी। मशीनी मोजारों में 98 गुना अर्थिक वृद्धि हुई। नाइट्रोजन खाद का उत्पादन 26 गुना अर्थिक होने लगा। पेट्रोल के बने पदार्थों का उत्पादन 47 गुना अर्थिक हुआ।

शोषित वायु विकसित-दलों की दृष्टि से दृषि की तुलना में श्रीधोगिक वस्तुओं

में वृद्धि की औसत वार्षिक दरें अपेक्षाकृत कहीं अधिक रही हैं। इन वार्षिक दरों को सम्बन्धित सारणी से देखा जा सकता है। मशीनी-यन्त्रों की औसत वार्षिक वृद्धि-दर प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में 16.7% थी। तृतीय योजना के अन्त में यह 38% हो गई। अत्युत्पीनियम की औसत वार्षिक विकास-दर सन् 1955-56 में 12.8% थी। सन् 1965-66 में बढ़ कर यह 21.2% हो गई। इसी प्रकार अन्य औद्योगिक मदों की स्थिति को आँका जा सकता है।

द्वितीय योजना मुख्य रूप से औद्योगीकरण की योजना थी। इस योजना की अवधि में लोहा एवं इस्पात के तीन कारखाने मिलाई (मध्य प्रदेश), रुर्केला (उड़ीसा) और दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में स्थापित किए गए। इस योजना में चित्तूरजन, टाटा, लौह-उद्योग में विस्तार और इंजीनियरिंग उद्योगों का विकास किया गया। लघु उद्योगों के विकास पर 180 करोड़ रुपये व्यय किए गए तथा विभिन्न उद्योगों के विकास के लिए अखिल भारतीय बोर्डों की स्थापना हुई।

सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार

आर्थिक योजनाओं के माध्यम में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का अत्यधिक विस्तार हुआ। अब देश में एक बृहद सार्वजनिक क्षेत्र की स्थिति विद्यमान है। सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सख्या में हुई उत्तरोत्तर वृद्धि को सारणी-10 में निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

सारणी-10
सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की स्थिति

शरणाव में	प्रतिष्ठानों की सख्या	कुल निर्योग (मिलियन रुपये में)
प्रथम योजना	5	290
द्वितीय योजना	21	810
तृतीय योजना	48	9530
चतुर्थ योजना	85	39020

सन् 1971-72 तक सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को कोई लाभ नहीं हुआ अपितु भारी हानि हुई। सन् 1971-72 में विद्युद् हानि की राशि 191.5 मिलियन थी किन्तु सन् 1972-73 में 101 प्रतिष्ठानों में से 67 प्रतिष्ठानों से 1044.6 मिलियन रुपये का विद्युद् लाभ हुआ और 74 प्रतिष्ठानों में 876.6 मिलियन रुपये की हानि हुई। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र का विद्युद् लाभ 177.6 मिलियन रुपये रहा। भारी उद्योग मंत्रालय के सन् 1973-74 के प्रतिवेदन के अनुसार 14 सार्वजनिक प्रतिष्ठानों ने सन् 1973-74 के वर्ष में 4090 मिलियन रुपये के उत्पादन मूल्य का मानदण्ड स्थापित किया। विकास-दर की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र की विकास-दर जहाँ 5.5% रही वहाँ निजी क्षेत्र की विकास-दर सन् 1971-72 में 1% और 1972-73 में 2.5% रही। औद्योगिक उत्पादन में सरकारी क्षेत्र का अंश सन् 1951 में केवल 2% था वह सन् 1970 में बढ़ कर 5% हो गया।

यातायात एवं सवार-क्षेत्र की उपलब्धियाँ

यातायात एवं सवार व्यवस्था का विकास औद्योगीकरण की आधारशिला है। अतः प्रथम योजना में रेल की 380 मील लम्बी नई लाइनें बिछाई गईं और रेल-ट्रेफिक में 24.8% की वृद्धि हुई। 636 मील लम्बी सड़कों का निर्माण हुआ। जहाजरानी की क्षमता 3.9 लाख जी आर टी से बढ़ा कर 4.8 लाख जी आर टी कर दी गई। सन् 1950-51 में रेल इन्जनो का वार्षिक उत्पादन 27 से बढ़ कर सन् 1955-56 में 179 इन्जन हो गया।

द्वितीय योजना में रेली, सड़को और जहाजरानी के विकास के लिए विस्तृत विकास-कार्य किए गए। 8000 मील लम्बी रेलवे लाइनों का सुधार, 1,300 मील लम्बी लाइनों का दोहरीकरण और 500 मील लम्बी लाइनों का विद्युतीकरण किया गया जिससे माल ढोने की क्षमता 11.6 करोड़ टन से बढ़ कर 15.6 मेट्रिक टन हो गई। रेलों के विकास पर 1,044 करोड़ रुपये व्यय हुआ। सड़क-विकास पर 224 करोड़ रुपये व्यय करने से कच्ची व पक्की सड़कों की लम्बाइयाँ क्रमशः, 2,94,000 मील और 1,47,000 मील हो गईं। इस प्रकार कच्ची एवं पक्की सड़को में क्रमशः 37,000 मील और 22,000 मील की वृद्धि हुई। जहाजरानी की क्षमता 4.8 लाख जी आर टी से बढ़ कर 8.6 लाख जी आर टी हो गई।

तृतीय योजना में यातायात एवं सवार के लिए 1,486 करोड़ रुपये (कुल का 20%) निर्धारित किया गया जबकि वास्तविक व्यय 2110.7 करोड़ रुपय हुआ। अधिक व्यय का कारण सैनिक दृष्टि से भौतिक लड़ो एवं कार्यक्रमों में परिवर्तन था। रेलों के माल ढोने की क्षमता 1450 लाख टन से बढ़ा कर 2540 लाख टन करने का (59% वृद्धि) लक्ष्य था, पर योजना के अन्त में यह क्षमता सिर्फ 2050 लाख टन ही थी। सड़को के निर्माण में 292 करोड़ रुपये का व्यय कर 2,70,400 मील लम्बी कच्ची-पक्की सड़के बनाई गईं। जहाजरानी की क्षमता 8.6 लाख टन से बढ़ कर 15.4 लाख टन कर दी गई। इस प्रकार लगभग 7 लाख जी आर टी की वृद्धि हुई।

सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र की उपलब्धियाँ

सामाजिक सेवाओं पर प्रथम योजना में कुल योजना व्यय का 25% भाग व्यय किया गया। प्राथमिक शालाओं की संख्या 2.09 लाख से बढ़ कर 2.8 लाख हो गई। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 30 से बढ़ कर 42 और विद्यालयों की संख्या 2,500 से बढ़ कर 3,500 हो गई। भ्रमणालो की संख्या में 1,400 की वृद्धि हुई और डॉक्टरों की संख्या 59,000 से बढ़ कर 70,000 हो गई।

द्वितीय योजना में शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार एवं विकास से छात्रों की संख्या 3.13 करोड़ से बढ़ कर 4.35 करोड़, चिकित्सालयों की संख्या 10,000 से बढ़ कर 1,26,000, मेडिकल कॉलेजों की संख्या 42 से बढ़ कर 57, परिवार नियंत्रण केंद्रों की संख्या 147 से बढ़ कर 1649 कर दी गई। गृह निर्माण-कार्य पर 250 करोड़ रुपये व्यय किए गए जिससे छात्राग-गृहों की संख्या में 5 लाख की वृद्धि हुई। सिद्धे घरों में 4800 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

तृतीय योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा पर 1300 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान था पर वास्तविक व्यय 1355.5 करोड़ रुपये हुआ जिससे स्कूलों व शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या 4 लाख और 4.5 करोड़ से बढ़ कर 5 लाख तथा 6.8 करोड़ हो गई। अस्पतालों की संख्या में 2000 की वृद्धि हुई। परिवार-नियोजन केन्द्रों की संख्या 1649 से बढ़ कर 11,474 हो गई। मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 30 की वृद्धि हुई जिससे मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या देश में इस योजना के अन्त में 87 हो गई।

वचत व विनियोग

भारत में आर्थिक-नियोजन के प्रथम 15 वर्षों में वचत व विनियोग के क्षेत्र में रही स्थिति को सारणी-11 में प्रदर्शित किया गया है—

सारणी-11

वर्ष	वचत-राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में	विनियोग-राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में
1950-51	5.53	5.44
1955-56	9.26	9.86
1960-61	9.45	12.88
1965-66	10.5	14.00

1965-66 के सूचकांक से स्पष्ट है कि विनियोगों के लगभग 3.5 प्रतिशत भाग के लिए हमें विदेशी साधनों पर निर्भर रहना पड़ा है। घरेलू वचतों में वृद्धि आवश्यक विनियोगों के अनुरूप नहीं हुई।

इस प्रकार आर्थिक नियोजन की प्रथम 15 वर्षों में कृषि, उद्योग, यातायात और संचार, सामाजिक-सेवाएँ आदि क्षेत्रों में उक्त उपलब्धियाँ रही। आर्थिक नियोजन की इस अवधि में देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ और गतिमान हुई है तथा विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों की उपलब्धियाँ उल्लेखनीय रही हैं तथापि योजनाओं के लक्ष्यों और वास्तविक उपलब्धियों में पर्याप्त अन्तर रहने, मुद्रा-स्फीति के कारण मूल्य-स्तर के असामान्य रूप से बढ़ने, बेरोजगारी में निरन्तर वृद्धि, विदेश-विनिमय-संकट और उत्पादन के केन्द्रीकरण से सर्वसाधारण का जीवन-स्तर अभी तक भी बहुत निम्न स्तर पर है। कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था के होते हुए भी खाद्यान्नों के क्षेत्र में आवश्यकता की पूर्ति आयातों से करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में सर्वसाधारण के जीवन-स्तर को उठाने और गरीबी का उन्मूलन करने के लिए हमको योजना के क्रियान्विति पक्ष पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रशासनिक-कुशलता एवं ईमानदारी में वृद्धि करनी होगी। गत वर्षों के योजनावद्ध आर्थिक विकास ने भारत की अर्थव्यवस्था को स्वयं-सुपूर्ण तथा आत्म-निर्भरता की स्थिति की ओर बढ़ाया है, किन्तु आयोजन के फलस्वरूप कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों में हुए रचनात्मक परिवर्तनों का लाभ उठाने के लिए हमको आर्थिक आयोजन के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा।

विनियोग-वृद्धि के उपाय और उत्पादकता-सुधार के उपाय

(MEASURES TO INCREASE INVESTMENT AND
MEASURES TO IMPROVE PRODUCTIVITY)

एक समाजवादी ढाँचे में आर्थिक विकास की ब्यूह-रचना (Strategy) मुख्यतः तीन मान्यताओं पर निर्भर करती है। प्रथम मान्यता है कि अर्थव्यवस्था का विकास विनियोग दर पर निर्भर करता है और विनियोग की आवश्यक दर का निर्धारण राज्य का उत्तरदायित्व है। इस दृष्टि से भारत में विनियोग दो प्रकार से बढ़ाए जा सकते हैं—(1) निजी क्षेत्र के अवितरित लाभों के पुनः विनियोजन द्वारा एवं (2) सार्वजनिक नियोजन के माध्यम से। विनियोग-वृद्धि के लिए पहले उपाय पर बल देते हुए यदि निजी क्षेत्र के लाभों को पुनः निजी क्षेत्र में ही विनियोजित किया जाता है तो पूँजी और वित्तीय शक्ति उत्तरोत्तर निजी क्षेत्र में केन्द्रित होती चली जाएगी। स्पष्ट है कि यह अर्थव्यवस्था के समाजवादी ढाँचे के प्रतिकूल होगा। अतः भारत में विनियोगों के सुधार के लिए और विनियोग-दर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक नियोजन पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र की अपेक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार तथा इसकी लाभदायकता (Profitability) को और अधिक साधन लगाए जाने चाहिए। द्वितीय मान्यता विनियोग के अन्त-उद्योग वितरण (Inter-Industry Allocation of Investment) से सम्बन्धित है। विनियोगों के उचित उपयोग के लिए राज्य का विनियोगों के अन्त-उद्योग वितरण पर नियन्त्रण आवश्यक है। तृतीय मान्यता निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के मध्य विनियोगों की संरचना से सम्बन्धित है। इस मान्यता का आशय दोनों क्षेत्रों के लिए विनियोगों की प्रकृति के निर्धारण से है, अर्थात् मौनता विनियोग किस क्षेत्र के अन्तर्गत किया जाना चाहिए।

योजना-काल में विनियोग-दर

आयोजन से पूर्व भारत में विनियोग सम्बन्धी स्थिति पूर्णतः अनुत्तोषजनक थी। एतः राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए देश को विभिन्न योजनाओं में विनियोग की दर में उत्तरोत्तर वृद्धि आवश्यक समझी गई। आयोजन के फलस्वरूप प्रथम योजना

की अधि में विनियोग-दर की वृद्धि सन्तोपप्रद रही। विनियोग-दर तथा बचत-दर में बहुत कम अन्तर रहा। विनियोग-दर 8% के लगभग तथा बचत-दर 7% के रही। दूसरी योजना में भी विनियोग-दर की दृष्टि से स्थिति आशाजनक रही। यह दर 11 प्रतिशत के लगभग रही जो निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप थी। किन्तु तृतीय योजना में विनियोग व बचत दर में प्रगति अत्यन्तजनक रही। सन् 1965-66 में 14 से 15 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में विनियोग-दर 13.4 प्रतिशत के लगभग रही। आगे की तीन वार्षिक योजनाओं में भी स्थिति उत्तरोत्तर अमन्तोपजनक होती गई। विनियोग-दर निरन्तर गिरती गई। सन् 1966-67 में यह गिर कर 12.2 प्रतिशत, 1967-68 में 19.6 प्रतिशत और 1968-69 में 9.5 प्रतिशत रह गई। विनियोग-दर की इस गिरती हुई स्थिति पर चौथी योजना में विशेष ध्यान दिया गया। कनस्वरूप स्थिति में पुनः सुधार हुआ और विनियोग-दर बढ़ कर सन् 1970-71 में 10.5 प्रतिशत तथा सन् 1971-72 में 11.5 प्रतिशत के लगभग हो गई।

यदि आँकड़ों से हटकर भी देखें तो देश में उत्पादकता और मुद्रा-प्रसार की जो स्थिति है उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रीय उत्पादन अपेक्षित स्तर से बहुत कम है, और इसके लिए विनियोग की असन्तोपजनक स्थिति भी एक सीमा तक उत्तरदायी मानी जा सकती है। अन्तः आशयशक्ता इस बात की है कि एक और विनियोजित पूँजी की उत्पादकता में वृद्धि की जानी चाहिए तथा दूसरी ओर उत्पादन में वृद्धि के लिए विनियोगों की दशा में ऐसे प्रयत्न किए जाने चाहिए जिनसे विनियोगों में वृद्धि हो सके। इनसे पूर्व कि हम विनियोगों में वृद्धि के लिए सम्भावित उपायों पर विचार करें, उन तकनीकियों की जानकारी कर लेना उपयुक्त है जिनके द्वारा देश की योजनाओं के लिए बचतों को विनियोग-क्षेत्रों में आकर्षित करने के प्रयत्न किए गए। योजनाओं के विनियोग-विश्लेषण से स्पष्ट है कि बचतों को प्राप्त करने के लिए निम्न तीन तकनीकियाँ अपनाई गई—

- (1) प्रत्यक्ष हस्तान्तरण विधि (Technique of Direct Transfer)
- (2) अप्रत्यक्ष हस्तान्तरण विधि (Technique of Indirect Transfer)
- (3) अनिवार्य हस्तान्तरण विधि (Technique of Forced Transfer)

प्रत्यक्ष हस्तान्तरण—बचतकर्ताओं से साधनों के सग्रह के लिए पहली विधि जो योजनाओं में प्रयुक्त हुई वह प्रत्यक्ष हस्तान्तरण की विधि थी। इस विधि के अन्तर्गत किए गए प्रयत्नों का मूल उद्देश्य बचतकर्ताओं को वित्तीय सम्पत्तियों के रूप के लिए प्रेरित करना था। राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र, डककर, जमा योजनाएँ, आदि शुरू की गईं। इस विधि के अन्तर्गत विशेष रूप से यह प्रयत्न किया गया कि बचतों का उपयोग उत्पादक-क्षेत्रों (Productive Channels) में हो तथा निजी क्षेत्र की प्रोत्साहनों की बचतें सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवाहित हो।

अप्रत्यक्ष हस्तान्तरण—जनता की बचतों को विनियोजन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दूसरी विधि अप्रत्यक्ष हस्तान्तरण की अपनाई गई। इस विधि के

अन्तर्गत कुछ राजकोपीय तरीको (Fiscal Measures) को प्रयोग में लाया गया। इन तरीको के अन्तर्गत कराधान, अनिवार्य जमा आदि के माध्यम से बचतों को विनियोग के लिए उपलब्ध कराने के प्रयत्न हुए तथा साथ ही जीवन-बीमा भुगतान, प्रोवीडेंट-फंड आदि (Contractual Savings) के परिणाम को बढ़ाने के प्रयत्न किए गए। इन सब प्रयत्नों का मुख्य लक्ष्य उपभोग्य आय (Disposal Income) को कम करके बचतों का सृजन करना तथा इन बचतों को अनिवार्य एवं अर्द्ध-अनिवार्य तरीको के माध्यम से सरकारी क्षेत्र पर पहुँचाना था। द्वितीय योजना में इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया कि, पहला अनिवार्य विन्दु यह है कि क्या निजी बचतें, निजी विनियोगों की आवश्यकता को पूरा करने के उपरान्त, इतनी अधिक हो सकती हैं कि राज्य को सम्भावित आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। बचतों में पर्याप्तता की स्थिति तभी सम्भव है जबकि उपभोग को आवश्यक प्रतिबन्धों में रखा जाए। करो के रूप में या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लाभों के रूप में जितनी कम मात्रा में बचतें प्राप्त होंगी, उतनी ही अधिक आवश्यकता उपभोग को नियन्त्रित रखने की महसूस की जाएगी। परिणामस्वरूप उपभोग पर नियन्त्रण रखने के लिए अन्य तरीके काम में लिए जाएंगे।

अनिवार्य हस्तान्तरण—बचतों को विनियोजन के लिए उपलब्ध कराने की तीव्र विधि अनिवार्य हस्तान्तरण की प्रयोग में ली गई। यदि सरकारी प्रतिभूतियों को सीपी हरिद के द्वारा निजी बचतें सार्वजनिक क्षेत्र के लिए प्राप्त नहीं होती हैं तो बचतों की उपलब्धि के लिए स्वीकृत माना से अधिक माना में निजी क्षेत्र से बैंक नकदी तथा जमाओं को अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं।

विनियोगों में वृद्धि के लिए उपरोक्त सैद्धान्तिक तकनीकियों के अतिरिक्त समय पर सरकार द्वारा तथा रिजर्व बैंक द्वारा राजकोपीय और मौद्रिक तरीके घोषित किए जाते हैं। साव, श्रम, कर आदि नीतियों में संशोधन किए जाते हैं, बैंक-दर को घटाया-बढ़ाया जाता है। अनेक प्रकार के नए कर लगाए जाते हैं और पुरानी कर-व्यवस्था में सुधार किए जाते हैं। बैंक-दर, खुले बाजार की क्रियाएँ, नकद कोष प्रनुपात में परिवर्तन आदि विनियोग तथा बचतों को प्रभावित करने वाली विधियों तथा कर, श्रम एवं व्यय-नीति सम्बन्धी राजकोपीय तरीको से प्रायः सभी परिचित हैं। इन नीतियों के सैद्धान्तिक पहलुओं में आकर हमको यह मान्यता लेते हुए कि विनियोग का वर्तमान स्तर देश की आवश्यकताओं से बहुत कम है, उन उपायों को देखना चाहिए जिनमें भविष्य में विनियोग की दर में देश की आवश्यकताओं के अनुरूप वृद्धि की जा सके।

विनियोग-वृद्धि के उपाय

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्राह में विनियोगों की वृद्धि के लिए साधन-संग्रह के कुछ सुभाह दिए गए थे जो न्यूनानिक हेर-हेर के साथ वर्तमान परिस्थितियों में भी अपना महत्त्व रखते हैं—

1. सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोपिता प्रतिष्ठान और

राजकीय क्षेत्र के अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान लिए जा सकते हैं। नियोजन काल में सार्वजनिक क्षेत्र का योजनाओं में निरन्तर विस्तार किया गया है और लगभग 5 हजार करोड़ से भी अधिक की राशि इस क्षेत्र में विनियोजित की गई है किन्तु इस भारी विनियोजन के यथेष्ट लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र से मिलने वाले लाभ विनियोग-योग्य साधन-संग्रह के लिए सर्वाधिक महत्व रखते हैं। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में नियुक्त कुछ समितियों ने इन उपयुक्तों के लिए निश्चित प्रतिफल दर की सिफारिश की है।

2. जिन क्षेत्रों पर अनिरीक्त साधन जुटाने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जा सकता है, उनमें राजकीय विद्युत् सस्त्वानों का प्रमुख स्थान है। बैंकट रमत समिति की सिफारिशों के अनुसार विद्युत् सस्त्वानों से कम से कम 11% की दर से प्रतिफल मिलना चाहिए। जहाँ यह दर 11% से कम है, वहाँ इसे कम से कम 11% तक बढ़ाया जाना चाहिए। धीरे-धीरे शुल्क में वृद्धि अपेक्षित है तथापि विजली दरों को इस प्रकार मिश्रित करना चाहिए जिससे धार्मिक दृष्टि से अच्छी स्थिति वाले उपभोक्तृओं को अधिक दान चुकाना पड़े।

3. सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में नियुक्त निर्जलमत्पा समिति की यह सिफारिश भी विनियोग-वृद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि सिंचाई की दरें सिंचित फसलों से कृषकों को प्राप्त अनिरीक्त विशुद्ध लाभ के 25-40% पर निश्चित की जानी चाहिए। कृषकों के उस वर्ग के साधन जुटाने के प्रयास बढ़ाने होंगे जिन्हें सिंचाई योजनाओं से प्रत्यक्ष लाभ मिलता है।

4. चतुर्थ योजना में अनिरीक्त साधन व्यवस्था की दृष्टि से इस बात को भी महत्वपूर्ण समझा गया कि सार्वजनिक उपयोग के लिए संचालित उद्योगों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में लगी पूँजी पर होने वाली आय को धीरे-धीरे बढ़ा कर 15% करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

5. साधनों को बढ़ाने तथा साधनों में वृद्धि से विनियोगों का विस्तार करने का एक बड़ा उपाय करारोपण सम्बन्धी राजकोपीय साधन है। कृषि-क्षेत्र अभी तक कर-मुक्त है। यद्यपि इस क्षेत्र में योजना-काल के दौरान अरबों रुपयों का विनियोजन किया गया है और इस क्षेत्र में आय में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। अनेक बड़े किसान समृद्ध पूँजीपति बन गए हैं। अतः बढ़ती हुई आय-विषमताओं को रोकने तथा विनियोगों के लिए आवश्यक धन जुटाने के लिए कृषि-आय पर कर लगाया जाना चाहिए। वस्तुओं पर भी करारोपण की इस रूप में प्रभावशाली व्यवस्था होनी चाहिए अथवा अप्रत्यक्ष करों का ढँचा इस प्रकार का होना चाहिए कि प्रदर्शनकारी उपभोग (Conspicuous Consumption) या विलासी उपभोग (Luxury Consumption) प्रतिबन्धित रहे। विक्री कर की दरों में घायी जाने वाली विभिन्न श्रेणियों में विपणन को दूर किया जाना चाहिए। विक्री-दरों में समानता लाने से भी एक बड़ी राशि प्राप्त की जाना सम्भव है। शहरी सम्पत्ति के मूल्यों में अनाजित वृद्धि (Unearned increase) पर कर लगाया जाना चाहिए तथा आय और धन

पर करो को अधिक प्रभावकारी बनाया जाना चाहिए। मृत्यु-कर तथा पूंजी लाभ करो को शक्ति से त्रिधाशील बनाया जाना चाहिए।

6 करो के सम्बन्ध में करारोपण की अपेक्षा करो की चोरी (Tax evasion) को रोकने के प्रयत्न अधिक आवश्यक हैं।

7. ग्रामीण बचतों से विनियोग के लिए बहुत बड़ी राशि प्राप्त हो सकती है। ग्रामीण बचत को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण ऋण-पत्र निर्गमित किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त ग्रामीण जनता को ग्रामीण उद्योग, सिंचाई कार्यक्रम, ग्राम-विद्युतीकरण, आवास एवं पेय-जल की प्रभावी व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष लाभ पहुँचा कर उनसे समुचित मात्रा में धन-संग्रह किए जाने पर बल दिया जाना चाहिए।

8 काले धन की वृद्धि की रोकथाम करने और काले धन को बाहर निकलवा कर विनियोग के लिए प्रयुक्त करने की नीतियों पर पुनर्विचार आवश्यक है। ऐसा करते हुए इन उपायों पर विशेष बल देना होगा—सकरी की रोकथाम, महत्वपूर्ण वृष्टि जित्नों की सप्लाई पर और अधिक मात्रा में सामाजिक निवेशन, उचित शहरी भूमि सम्बन्धी नीति पर अमल आदि। अनुमान है कि देश में लगभग उसी मात्रा में लोगों के पास काला धन छिपा हुआ है जिस मात्रा में देश में मुद्रा प्रचलन में है। अतः मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों पर पुनर्विचार करके उन्हें इस रूप में प्रभावी बनाया जाना चाहिए कि काले धन में वृद्धि सम्भव न रहे। साथ ही काले धन को बाहर निवालने के लिए बड़े वैधानिक उपायों का माध्यम लिया जाना चाहिए। इससे विनियोगों के लिए एक बड़ी राशि प्राप्त की जा सकती है।

9 वित्त-व्यवस्था में घाटे को इस स्तर तक कम किया जाना चाहिए कि जनता के पास धन वृद्धि होने से वह अर्थ-व्यवस्था की माँगों से अधिक नहीं बढ़े ताकि योजना के लिए धन की व्यवस्था करने में मुद्रा-स्फीति की स्थिति न आए।

10 राज सहायता पर पुनर्विचार किया जाकर इसमें यथासम्भव कमी से भी विनियोग-वृद्धि के लिए भारी राशि प्राप्त की जा सकती है।

11 निर्यात में नेजी से वृद्धि और आयात प्रतिस्थापन की दिशा में कनजो/चिन्तुओं को दूर किया जाना चाहिए।

12 कुछ विदेशी सहायता की राशि जो यथाशीघ्र इस स्तर तक घटाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि केवल ऋणों के भुगतान के लिए धानश्यक राशि ही विदेशी सहायता के रूप में स्वीकार की जाए।

किसी देश के प्राथमिक नियोजन में विनियोग की बधा स्थिति होगी, यह बहुत कुछ उस देश के जीवन-स्तर, उपभोगताओं की पसन्द, जनसंख्या, श्रम-शक्ति, योजना के उद्देश्य आदि पर निर्भर करता है। योजनाओं के लिए विनियोग-वृद्धि की दृष्टि से हमें कई दिशाओं में एक साथ काम करना होगा। लोगों की बचतों का एक बड़ा भाग विकास-कार्यों के लिए संचयी बनना होगा और घरेलू बचत की दर में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी। भारत में घरेलू बचत-दर में वृद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 88% विनियोगों को पूर्ण घरेलू बचतों में ही जानी है। मकान राष्ट्रीय उत्पादन

(GNP) के रूप में सकल घरेलू पूंजी-संग्रह सन् 1974-75, 1975-76 और 1976-77 में क्रमशः 191, 193 एवं 193 या 1 यह नितान्त आवश्यक है कि बचत-उपायों की क्रियान्विति के लिए प्रशासनिक ण्च को अधिकारिक कुशल और सक्षम बनाना होगा। अनुत्पादक व्यय पर नियन्त्रण लगाना होगा तथा उत्पादन की उत्पादकता में वृद्धि करनी होगी। एक छोटे उत्पादकता-वृद्धि के प्रयत्न तथा दूसरी ओर अनुत्पादक व्यय पर नियन्त्रण से ही योजनाओं के लिए आवश्यक विनियोग की पूर्ति सम्भव होगी। यह भी आवश्यक है कि विनियोग की प्रकृति का निर्धारण, व्यक्तिगत न होकर, नियोजित और सामूहिक हो, क्योंकि तभी उक्त विनियोग से अधिकतम उत्पादन सम्भव है। व्यक्तिगत निर्णय से अधिकतम उत्पादन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि—(1) निजी विनियोगी घनने विनियोग से निजी दृष्टिकोण के अनुसार तो सीमान्त उत्पादन अधिकतम कर सकता है पर तनत्र समाज के दृष्टिकोण से वह उसे अधिकतम नहीं कर सकता, (2) निजी विनियोग में लिए गए व्यक्तित्व निर्णय सीमित ज्ञान पर आधारित होते हैं और वृत्तपूर्ण विनियोग के कुशल सारे समाज को सहने षड सकते हैं, (3) पूंजी की अविभाजिता के कारण विनियोग क्रियाओं में होने वाले विशाल परिवर्तन व्यक्तिगत विनियोग के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते।

भारत जैसी विकासशील अर्थ-व्यवस्था में विनियोग के सामान्य नियमों में विशेष महत्वपूर्ण हैं—

1. विनियोग की प्रत्येक इकाई से राष्ट्रीय धाय में अधिकतम योगदान होना चाहिए, अर्थात् विनियोग ऐसा होना चाहिए जिससे अधिकतम उत्पादन सम्भव हो सके।

2. विनियोग इस तरह नियोजित होना चाहिए कि आन्तरिक साधनों का अधिकारिक उपयोग और विदेशी प्रसाधनों का कम से कम उपयोग हो।

3. विनियोग ऐसे क्षेत्रों में होना चाहिए कि सीमित साधनों की प्रति इकाई की विनियोग से अम-शक्ति और दूसरे साधनों में अधिकतम सुधार हो सके।

4. विनियोग द्वारा वेम में उर्जाजित वास्तविक धाय के वितरण में सुधार होना चाहिए और आर्थिक विषमता की षाई अधिकारिक षटनी चाहिए।

5. विनियोग ऐसी प्रायोजनाओं में किया जाना चाहिए जिनसे राष्ट्र की वास्तविक धाय में वृद्धि हो।

6. अम-बाहुल्य अर्थ-व्यवस्था में विनियोग अम-अधान प्रायोजनाओं में किया जाना चाहिए अर्थात् अम का अधिक उपयोग होना चाहिए और पूंजी का कम। दूसरी ओर अम के अभाव की स्थिति में विनियोग पूंजी-प्रधान प्रायोजनाओं में किया जाना चाहिए।

7. विनियोग के लिए प्रायोजनाओं की प्राथमिकता के प्रश्नों पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। प्राथमिकताओं का निर्धारण इस दृष्टिकोण से होना चाहिए कि देश शीघ्रातिशीघ्र आत्म निर्भरता की ओर बढ़ सके।

उत्पादकता-सुधार के उपाय¹ (Measures to Improve Productivity)

भारत में उत्पादकता आन्दोलन का इतिहास लगभग 17 वर्ष पुराना है किन्तु इसका प्रारम्भ अमेरिका में कई दशकों पहले ही चुका था। द्वितीय महायुद्ध के अन्त में उत्पादकता की विचारधारा को पश्चिमी जगत् में व्यापक स्वीकृति मिली। जापान ने अमेरिका में जन्मी उत्पादकता की विचारधारा का पूरा लाभ उठाया। उनसे अपने सभी स्तरों के औद्योगिक कर्मचारियों को अमेरिका भेजा ताकि वे वहाँ के औद्योगिक सयन्त्रों से अनुभव प्राप्त कर सकें तथा अपने देश में सयन्त्रों की कार्य प्रणाली में क्रांति ला सकें। भारत ने भी इनका अनुमरण किया और एक शिष्ट-मण्डल जापान यह ज्ञात करने भेजा कि किस प्रकार उस देश ने अपनी उत्पादकता में शीघ्र वृद्धि की है। शिष्ट-मण्डल के प्रतिवेदन के आधार पर भारत में सन् 1958 में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् (National Productivity Council) = NPC की स्थापना की गई। विख्यात अर्थशास्त्री पी एम लोकनाथन् इसके अध्यक्ष मनोनीत किए गए।

उत्पादकता का अर्थ

भारतीय नियोजन के सन्दर्भ में उत्पादकता-सुधार के उपायों पर आने से पूर्व उत्पादकता का अर्थ समझ लेना उपयुक्त है। उत्पादकता से अर्थमय केवल बड़े हुए उत्पादन से ही नहीं है और न ही श्रमिक की उत्पादकता से सम्बन्धित है। वास्तव में उत्पादकता का अर्थ कम से कम उपकरणों के साथ उत्पादन बढ़ाने की एक विधि के रूप में समझा जाना उपयुक्त है। यह पूँजी के विनियोग, विज्ञानी और ईश्वर की सहायता, वस्तु-मूची, वित्त तथा अन्य साधनों के रूप में मापी जा सकती है।

प्राम्य उत्पादकता, आदा व प्रदा के अनुपात के रूप में परिभाषित की जाती है। उत्पादकता के उच्च स्तर के लिए लागत को कम करने तथा उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन साधनों के कुशल उपयोग (Efficient utilization) पर निर्भर करता है। किन्तु लागत की कमी व उत्पादन की वृद्धि वस्तु की विस्म को गिरा कर की जानी चाहिए। उत्पादकता के अन्तर्गत कम लागत तथा अधिक उत्पादक के अनिश्चित मात की श्रेष्ठ किस्म का भी ध्यान रखा जाना है। उत्पादकता की इस अवधारणा में भी एक कमी रह जाती है। यह यह है कि उत्पादकता की उपरोक्त परिभाषा वितरण पक्ष की व्याख्या नहीं करती है। एक विकसित देश में उत्पादकता-वृद्धि का परीक्षण उन वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के रूप में किया जाना चाहिए, जो सामान्य व्यक्ति के माँग-उत्प्रे के अधिक अनुभूत होती हैं। उत्पादकता के विस्तारण के अन्तर्गत इस प्रकार की वस्तुओं पर सने साधन तथा इन साधनों के कुशलतम उपयोग को लिया जाना

- 1 (a) बीकान, 7 फिब्रवर, 1972—विद्यार्थ के दो दशक (सि. सी. सी. पेट्ट)
- (b) बीकान, फरवरी, 1971—उत्पादकता-विज्ञानिक
- (c) India 1971, India 1974, India 1976.
- (d) बीकान, 13 फरवरी, 1972 (उत्पादकता के विद्यार्थ)

चाहिए। उत्पादकता और उत्पादन दो भिन्न तत्व हैं। इन्हें समान अर्थों में प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए। उत्पादकता तथा उत्पादन में एक महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि उत्पादन शब्द वस्तुओं के उत्पादन की भौतिक मात्रा के लिए प्रयुक्त होता है जबकि उत्पादकता शब्द का प्रयोग साधनों के उपयोग में दिखाई गई कुशलता तथा श्रेष्ठता के लिए किया जाता है।

उत्पादकता का विचार उत्पादन-साधनों तथा आर्थिक विकास के कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों के सन्दर्भ में किया जाता है। उत्पादन के साधन-श्रम का प्रति इकाई उत्पादन-श्रम की उत्पादकता तथा प्रति इकाई पूँजी का उत्पादन पूँजी की उत्पादकता कहलाता है। प्रति एकड़ अथवा प्रति हेक्टेयर कृषि के उत्पादन को कृषि की उत्पादकता कहा जा सकता है। इसी प्रकार प्रति इकाई पूँजी के रूप में अथवा प्रति मानव घण्टे (Man Hour) के रूप में औद्योगिक उत्पादन को प्रायः औद्योगिक उत्पादकता कहते हैं।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिपद् के कार्यकारी निदेशक श्री डी जी आर दासवी ने 'उत्पादकता' की अवधारणा के अर्थ और महत्व को 11 अगस्त, 1977 के अपने एक लेख में इस प्रकार व्यक्त किया है—

“भारत के समान, विकासशील अर्थ-व्यवस्थाओं में सबसे बड़ी बाधा-साधनों का स्वच्छ समुचित उपयोग करने की असमर्थता है। इसी के साथ-साथ विदेशी सहायता पर बहुत अधिक निर्भरता किसी भी राष्ट्र के लिए हितकर नहीं हो सकती। इस सन्दर्भ में उत्पादकता का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि उत्पादकता और आर्थिक उन्नति में सीधा सम्बन्ध है।”

“उत्पादकता का विचार इतना सरल नहीं है जितना यह प्रतीत होता है। इस पर बहुत विचार-विमर्श किया जा चुका है और भिन्न-भिन्न लोगों को यह भिन्न-भिन्न रूपों का नजर आता है। अर्थशास्त्री उत्पादकता के बारे में उन उत्पादन कार्यों के सन्दर्भ में सोचते हैं जो पूँजी और श्रम तथा अन्य साधनों के बीच प्रतिस्थापन के निर्माण की सम्भावनाओं को निर्दिष्ट करते हैं, जबकि उत्पादकता और उत्पादकता का मापने के सम्बन्ध में इंजीनियरों के विचार और तरीके बिल्कुल भिन्न हैं। प्रबन्धक उत्पादकता को आयोजना, संगठन, क्रियान्वयन, समन्वयन, उत्प्रेरण, उत्पादन, विपणन, वित्त-प्रधान, कार्मिक, लेखा, अनुसंधान और विकास के दृष्टिकोण से देखते हैं। संगठित श्रमिक वर्ग उत्पादकता को मानव-घण्टों से समस्त उत्पादन के मूल्य को कार्य के विभाजन के रूप में देखता है।”

“मापने की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि उत्पादकता उत्पादन कार्य में प्रयुक्त साधनों और उनसे भाल तथा सेवाओं के रूप में हुए उत्पादन के बीच का अनुपात है। यद्यपि उत्पादन की मात्रा का पक्ष महत्वपूर्ण है, यदि स्तर को भी बृहत्तर बना दिया जाए, तो इससे उत्पादकता की स्थिति और अच्छी होगी। राज्यों के बढ़ते कल्याणकारी इमान ने उत्पादकता के क्षेत्र को और विस्तृत कर दिया है। वितरण-न्याय को भी उत्पादकता में शामिल कर दिया गया है। इसका तात्पर्य यह

है कि उत्पादकता में वृद्धि का लाभ उत्पादकता से सम्बद्ध सभी लोगों—नियोजकों, श्रमिकों और सामान्य रूप से समाज के सभी वर्गों को मिलना चाहिए।”

“उत्पादकता—द्वितीय विश्व-युद्ध समाप्त होने के बाद वाले वर्षों में प्रकाश में आई। मार्शल योजना के माध्यम से जब सन् 1950 में यूरोपीय उत्पादकता आन्दोलन चलाया गया तो यूरोप निवासियों के मस्तिष्क में यह विचार आया कि रहन-सहन के स्तर को ऊपर उठाने में सर्वतोमुखी उत्पादकता बहुत महत्वपूर्ण तत्व है।”

“जापान में सन् 1953 में एक उत्पादकता परिषद् की स्थापना हुई जिसे बाद में जापान उत्पादकता केन्द्र के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया। कुछ ही वर्षों में उत्पादकता अभियान की सहायता से जापान जिस प्रकार युद्ध-पूर्व उत्पादन के स्तर पर पहुँच गया, उससे एशियाई क्षेत्र के अनेक देशों को राष्ट्रीय उत्पादकता संगठनों की स्थापना पर विचार करने के लिए प्रोत्साहन मिला।”

भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा उत्पादकता वृद्धि के प्रयत्न

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् श्रमिकों, मालिकों और सरकार के प्रतिनिधियों का एक ऐसा स्थापित संगठन है, जिसका उद्देश्य देशभर में उत्पादकता की चेतना उत्पन्न करना और उत्पादकता के जरिए देश की प्रगति के पथ पर ले जाना है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और इसके आठ क्षेत्रीय निदेशालय बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर, कानपुर, दिल्ली, अहमदाबाद और चण्डीगढ़ जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरों में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त 49 स्थानीय उत्पादकता परिषदें भी हैं, जिनके निवृत्त सहयोग से उत्पादकता-कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् की स्थापना सन् 1958 में हुई थी और तब से प्रवृत्त उसका उद्देश्य रहा है कि कैसे उत्पादकता को राष्ट्रीय जीवन का अभिन्न अंग बना दिया जाए, ताकि लोगों के रहन-सहन का स्तर उँचा उठे और देश खुशहाल हो। प्रबन्ध तथा उत्पादकता के क्षेत्रों में गत 16 वर्षों से राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने अपनी सेवाओं को विवशित किया है और उन्हें एक मानक रूप प्रदान किया है। इन क्षेत्रों में परिषद् प्रशिक्षण तथा परामर्श सेवाएँ देती रही है। इसके अलावा इसने नए क्षेत्रों में अपनी उत्पादकता तथा विशिष्ट सेवाओं को विवशित करने का प्रयास किया है। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्नलिखित हैं—

- (1) 'इंजन क्षमता' में दो वर्ष का प्रशिक्षण-कार्यक्रम।
- (2) 'घाचरण विज्ञान' में दो वर्ष का प्रशिक्षण-कार्यक्रम।
- (3) 'वित्तीय प्रबन्ध' में दो वर्ष का प्रशिक्षण-कार्यक्रम।
- (4) (क) नियमित योजना, (ख) उद्देश्यों के अनुसार प्रबन्ध, (ग) सम्भाव्यता अध्ययन, (घ) यातायात उद्योग, (ङ) नागरिक पूर्ति नियम, तथा (च) घस्पतालों में विशिष्ट सेवामें नें विनाश के लिए विशेषज्ञों के हस्तों का गठन।

(5) औद्योगिक स्नेहन, कम्पन तथा ध्वनि, औद्योगिक विद्युत यन्त्र, संयन्त्र, रत्न-रत्नाव उपकरण तथा प्रक्रिया-नियन्त्रण में औद्योगिकी सेटअपों का विकास आदि विषयों में कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन ।

श्री वी के सिंघल, निदेशक, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, भोपाल ने परिषद् की 20वीं स्थापना दिवस के अवसर पर 14 फरवरी, 1977 को अपने एक लेख में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के मुख्य क्रियाकलापों का वर्णन इस प्रकार किया है —

“यह परिषद् राष्ट्र का ध्यान ऊर्जा के संरक्षण, सामग्रियों के संरक्षण और सयंत्र, मशीनरी तथा उपकरण के रूप में विद्यमान सामग्रीगत परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केन्द्रित करके प्राय तथा मूल्यों, राष्ट्रीय वेतन नीति और बोनस को उत्पादकता के साथ जोड़ने से सम्बन्धित जटिल विषयों के बोध का निर्माण करके, उद्योग में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए तथा उनके तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए विशाल पैमाने पर कार्यक्रमों का संगठन करके और उत्पादकता को बरकरार देने वाले नाजुम क्षेत्रों में प्रशिक्षण तथा परामर्श सेवाएँ प्रदान करके अर्थ-व्यवस्था के मूल क्षेत्रों में उत्पादकता के सर्वोत्तम के धार्य में प्रभावी ढंग से योगदान देती रही है ।”

मुख्य क्रियाकलाप— “राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के मुख्य क्रियाकलाप लोहा तथा इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, उर्वरक तथा सीमेन्ट उद्योगों की उत्पादकता प्रवृत्ति अध्ययनों से सम्बन्धित है । औद्योगिकी के मूल क्षेत्र में, विशेषतः ईंधन के दक्षतापूर्ण उपयोग तथा संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने तकनीकी विकास महानिदेशालय, भारतीय तेल निगम तथा राष्ट्रीय विज्ञान एवं औद्योगिकी समिति के सहयोग से भट्टी तेल के उपयोग में मितव्ययता लाने के लिए अनेक अध्ययन किए । पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से सम्बन्धित सारे क्रियाकलापों के समन्वयन के लिए शासन ने पेट्रोलियम संरक्षण कार्यवाही समूह का गठन किया है । जिसमें राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् प्रमुख भूमिका निर्वहण कर रही है ।”

“राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् की सर्वोत्तम एवं कार्यान्वयन परिषद् के 20वें स्थापना दिवस तक 1400 से अधिक उद्योगों को प्रदत्त तथा पर्यवेक्षी विकास, संगठन, विश्लेषण तथा विकास, वित्त विपणन उत्पादन तथा सम्बद्ध क्षेत्र, औद्योगिकी उन्मुखी सेवाएँ तथा कृषि के फसल कटाई पश्चात् किए जाने वाले कार्य जैसे विविध प्रकार के उत्पादकता सम्बन्धी विषयों को लाभ पहुँचा है । लघु उद्योग क्षेत्र के लिए भी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् अपनी सेवाएँ नियमित आधार पर प्रदान कर रही है । कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा हरियाणा में विशेष उत्पादकता कोष्ठ कार्यरत है और कई अन्य राज्यों में नए कोष्ठों के शीघ्र आरम्भ किए जाने की आशा है ।”

ग्रन्थ योजनाएँ— “राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् की ग्रन्थ योजनाएँ पर्यवेक्षी विकास, श्रमिक संगठन के पराधिकारियों तथा श्रमिकों के लिए उत्पादकता कार्यक्रम, व्यावहारिक अनुसंधान परियोजनाओं, पुस्तकालय तथा प्रलेखीकरण से सम्बन्धित हैं । राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के प्रकाशनों में ‘प्रोडक्टिविटी’ नामक एक त्रैमासिक

पत्रिका, जो कि एशियाई क्षेत्र में अपने ढंग की एकमात्र पत्रिका है, 'प्रोडक्टिविटी न्यूज' के नाम एक अंग्रेजी मासिक पत्रिका और 'उत्पादकता' नामक एक हिन्दी मासिक पत्रिका तथा उत्पादकता से सम्बन्धित अन्य सारभूत साहित्य शामिल है।"

"अन्तर्राष्ट्रीय मोर्चे पर राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् एशिया उत्पादकता सगठन (एशियन प्रोडक्टिविटी ओर्गनाइजेशन), भारतीय-जर्मन तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (इण्डो-जर्मन टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम) के प्राधिकारियों तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अधिकरणों से सहयोग से अपने क्रियाकलापों का विस्तार कर रही है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने एशियाई उत्पादकता सगठन को नियंत्रण निरीक्षण तथा मानकीकरण, कृषियुक्त पशुधन तथा पोल्ट्री उत्पादन के विविधीकरण, प्रवन्ध तथा उपसविदा सम्बन्धी सर्वेक्षण में सहायता पहुँचाई है।"

"हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् को 'न्यू फार्मर्स ग्रॉफ़ द्रक ओगनाइजेशन' में, जिसे भारत तथा तजानिया में नार्वे के कार्य-अनुसंधान सस्था की सहायता से संचालित किया जा रहा है, अपनी परियोजनाओं तथा क्षेत्र परामर्श सेवाओं के लिए समन्वयकारी सस्था के रूप में कार्य करने का काम सौंपा है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् को भारत के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई घुटा प्राधिकरण की मार्फत न्यूघाट एयर पोर्ट प्रोजेक्ट, लीबिया के क्रियाकलापों के आयोजन तथा नियंत्रण के सम्बन्ध में एक परियोजना प्रबन्ध पद्धति विकसित करने की परियोजना का काम सौंपा गया था। यह कार्य हाल ही में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ है।"

श्री डी जी आर डालवी, कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने 11 अगस्त, 1977 के अपने लेख में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के कार्यों और उपलब्धियों का लेखा-जोखा इस प्रकार प्रस्तुत किया है—

"पिछले घनेक वर्षों में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने बहुत सराहनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। इस परिषद् के दो प्रमुख कार्य (1) उत्पादकता में प्रशिक्षण और (2) उत्पादकता सम्बन्धी परामर्श हैं। अभी तक इस परिषद् ने लगभग 5,437 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके प्रवन्ध के सभी स्तरों के लगभग 1,00,450 लोगों को प्रशिक्षित किया है। इन्होंने 1,500 से अधिक परामर्श-कार्यों को अपने हाथ में लिया है। जिन सगठनों के लिए इन्होंने यह कार्य किया उन्हें प्राथिक एवं द्वितीय रूप से भारी लाभ हुआ। इसी प्रकार, इस परिषद् द्वारा मलाई जा रही ईपन-सुसतता सेवा से घनेक सगठनों का ईपन की लागत में घटत के रूप में मधेष्ट लाभ हुआ है। इस परिषद् की सेवाओं के लिए बढ़ती हुई माँग इस बात का परिचायक है कि अधिर्माधिक उपजमा के विकास और स्थिरता के लिए उद्योगी अधिकारि अधिक उत्पादकता तकनीकियों के उपयोग में लाभ को स्वीकार करते हैं।"

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के ध्यान देने योग्य कुछ अन्य कार्य इस प्रकार हैं—सन् 1969-70 में प्रारम्भ किए गए विशेष उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से छोटे पैमाने के उद्योगों की परामर्श सेवाएँ प्रदान करना जिसके द्वारा यह परिषद्

तक लगभग 150 इकाइयों को अपनी सेवाएँ प्रदान कर चुकी है, उत्पादकता सम्बन्धी धारणाओं और प्रणालियों के सम्बन्ध में श्रमिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस परिपद में लगभग 650 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके लगभग 13,000 श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया है।

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिपद के प्रयत्नों में देश में, विशेषकर, औद्योगिक क्षेत्र में, उत्पादकता के प्रति जागरूकता पैदा करने में बहुत अधिक योगदान दिया है। फिर भी, उत्पादकता आन्दोलन में सरकार, उद्योग, श्रमिक नेताओं, श्रमिकों, तकनीशियनों और जनसाधारण द्वारा अधिकाधिक भाग लेकर इस आन्दोलन को और भी सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इसका विस्तार अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों जैसे—कृषि, सेवा सगठनों (विद्युत मण्डलों, अस्पतालों, विश्वविद्यालयों आदि) और छोटे पैमाने के उद्योगों तथा ग्रामीण उद्योगों में भी करना आवश्यक है।

यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत उपक्रमों, जनोपयोगी सेवाओं और फार्मों में सभी स्तरों पर विशिष्ट उत्पादकता उपायों को लागू करके राष्ट्रीय योजनाओं को दृढ़ बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार के सगठनों की उत्पादकता का दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए।

उत्पादकता की वृद्धि का प्रारम्भ, उपलब्ध ससाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए संयन्त्र स्तर पर उत्पादकता-तकनीकों का प्रयोग करके किया जा सकता है। प्रबन्धकों द्वारा उपलब्ध किए गए नेतृत्व का स्तर ही बड़ी हुई कुशलता के लिए, प्रबन्धकों और श्रमिकों के समुक्त प्रयास के लिए मानसिक वातावरण तैयार करता है। श्रमिकों के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि उत्पादकता निष्पादन में सुधार करना उनके जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने और रोजगार के अवसर पैदा करने, दोनों दोनों दृष्टिकोणों से हितकर है।

कार्य करने के लिए अच्छी दशा, शिकायतों को दूर करने के लिए उचित माध्यम और उपयुक्त मानविक सम्बन्ध प्रदान करने के अलावा श्रमिकों को तर्कसंगत आर्थिक प्रोत्साहन देना भी अपेक्षित है। अतः उत्पादकता के लाभों को सभी को उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ उपायों की आवश्यकता है। इसी के साथ-साथ, यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि उत्पादकता में वृद्धि के बिना मजदूरी वेतन में वृद्धि अर्थ-व्यवस्था को निष्क्रिय बना देती है और इससे मूल्य-वृद्धि होती है जबकि उत्पादकता में वृद्धि के कारण वेतन-वृद्धि सम्पूर्ण उपलब्धियों में योगदान करती है। अतः श्रमिक सघों को राष्ट्रीय प्रगति के लिए उत्पादकता को एक सशक्त साधन के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उन्हें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के कारखानों में उत्पादकता समझौते पर हस्तक्षर करके औद्योगिक शान्ति और अनुशासन का वातावरण बनाए रखना चाहिए।”

अर्थ-व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिपद उद्योगवार उत्पादकता-मण्डलों की स्थापना का प्रयास

कर रही है। यह उद्योगवार उत्पादकता की प्रकृति के अध्ययन को भी प्रोत्साहित कर रही है। धर्म-व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरा प्रयत्न उत्पादकता की समस्याओं के अध्ययन और उत्पादकता में सुधार की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए विशेष दलों का गठन किया जाना है। कोयला उद्योग, सड़क परिवहन उद्योग, बन्दरगाहों और गोदियों के लिए इस प्रकार के तीन दलों का गठन किया जा चुका है। ये विशेषज्ञ दल का इन उद्योगों में उत्पादकता सेवा प्रदान करने के लिए साधनों से पूरांतया सुसज्जित हैं। उत्पादकता का मूलमंत्र उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के प्रयत्न इस समय तीन क्षेत्रों में केन्द्रित हैं—(1) ऊर्जा का संचय, (2) खनिजों, विशेषकर अलौह धातुओं का संरक्षण, और (3) मशीनों और उपकरणों के रूप में उपलब्ध राष्ट्रीय सम्पत्ति का उचित रख-रखाव।

उत्पादकता-मान्दोलन का प्रभाव एक मल्टीप्लिकन

योजनाबद्ध कार्यक्रमों के पश्चात् अब यह कहा जा सकता है कि विकास के लिए विस्तृत स्तर पर आधारभूत औद्योगिक-ढाँचे का निर्माण किया जा चुका है तथा घनेक प्रकार के नवीन आर्थिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 25,000 करोड़ रु की महत्वाकांक्षी चौथी पंचवर्षीय योजना तथा 50,000 करोड़ रु से अधिक की पंचवर्षीय योजना अर्थ-व्यवस्था के उत्पादक-स्वरूप के ही प्रतिफल हैं। सन् 1968-69 की प्रवर्धि में औद्योगिक उत्पादन में 60% की वृद्धि विनियोग की किसी विशिष्ट वृद्धि के परिणामस्वरूप न होकर उपयुक्त औद्योगिक क्षमता में वृद्धि के कारण ही सम्भव हो सकी थी।

आज हम लोहा, इस्पात, खाद, रसायन, मशीनी-यन्त्र, पैट्रो-रसायन, भारी इन्जीनियरिंग आदि उद्योगों की स्थापना करके देश के आधारभूत औद्योगिक ढाँचे का निर्माण करने में हम समर्थ हो सके हैं। भारत इन वस्तुओं को उन्ही देशों को निर्यात कर रहा है जिनसे वह 20 वर्ष पूर्व आयात करता था। 20 वर्ष पूर्व सूची बस्व, जूट, सीमेंट आदि कुछ एन उद्योगों को छोड़कर अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति विदेशी आयातों से होती थी। शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य आदि से सम्बन्धित सुविधाएँ प्रायः नगण्य थीं। कुछ आवश्यक वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धि इस प्रकार है—

विद्युत्	0 0063 किलोवाट
मशीनी यन्त्र	0 0083 मि. रु.
इस्पात	0 0027 टन
रेल	0 0001 किलोमीटर
फ़ुड तेन	0 0007 टन

भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के प्रयत्नों तथा पंचवर्षीय योजनाओं में किए गए प्रयासों के बावजूद उत्पादकता अभी बहुत कम है। कुछ अपवादों को छोड़कर भारत में निमित्त प्रत्येक वस्तु की लागत अन्तर्राष्ट्रीय लागत की तुलना में बहुत ऊँची है। इसके प्रतिरिक्त हमारी उत्पादन-शक्ति का भी पर्याप्त उपयोग

नहीं किया गया। अतः उत्पादकता वृद्धि के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

कृषि-उत्पादकता बढ़ाने के उपाय

गत कुछ वर्षों से कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि हुई है। कृषि-उत्पादकता एक अच्छे स्तर पर पहुँच गई है। नई कृषि-नीति का पैकेज-कार्यक्रम कृषिगत ढाँचे में उत्पादकता की और सकेत करना है। इस समय लगभग मिलियन से अधिक हैक्टियर भूमि पर उन्नत निम्न के बीजों का प्रयोग होता है। गेहूँ की कुछ किस्मों में 5 से 6 टन प्रति हैक्टियर उत्पादन होने लगा है जबकि इससे पूर्व सिंचित भूमि में भी केवल 2 टन की पैदावार होती थी। उन्नत किस्म के बीजों के कारण अन्य फसलों की पैदावार में भी काफी वृद्धि हुई है। चावल के क्षेत्र में 'Break Through' की स्थिति है। इसलिए यह दावा उचित प्रतीत होता है कि खाद्यान्नों में 20 से 50 मिलियन टन की वार्षिक वृद्धि कृषि उत्पादकता में सुधार के कारण ही सम्भव हुई है।

इस स्थिति से प्रोत्साहित होकर ही योजना आयोग ने कृषि-क्षेत्र में विज्ञान व तकनीकी प्रयोग को चतुर्थ योजना की ब्यूह-रचना (Strategy) में महत्व दिया था। हम उत्तरोत्तर इस तथ्य का अनुभव कर रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता की वृद्धि के लिए सबसे अधिक संवसार प्राप्त है तथा वास्तविक मनुष्यों में वृद्धि के रूप में और राष्ट्रीय बाजारों के विस्तार के रूप में कृषि-उत्पादकता में वृद्धि से आर्थिक विकास के अनेक अप्रत्याक्ष लाभ प्राप्त होते हैं। भारत में कुछ भागों में देखे जाने वाले ट्रैक्टर कृषि उपकरण तथा उच्चतर जीवन-स्तर कृषि के क्षेत्र में नवीन उत्पादकता तकनीकों के प्रयोग के ही परिणाम हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता में कृषि-क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि के लिए नियोजित विनियोग की राशि को बढ़ाना आवश्यक है।

उत्पादन वृद्धि के लिए निम्नलिखित सुझाव हैं—

1. अनुसंधान उत्पादकता-वृद्धि का मूल साधन है। अतः वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देकर तथा उसे व्यवहार में लाकर उत्पादकता में वृद्धि की जानी चाहिए। योजना आयोग ने कृषि-क्षेत्र में विज्ञान व तकनीकी प्रयोग को चौथी और पाँचवीं योजना की ब्यूह-रचना में अत्यधिक महत्व दिया है।

2. कृषि के लिए नियोजित विनियोग (Planned Investment) में अंश को बढ़ाया जाना चाहिए। जब कभी योजनाओं के परिदृश्य में कमी करने आवश्यक समझा गया, योजना परिदृश्य में कटौतियाँ कृषि के भाग को कम करने की गईं तथा कृषि का वास्तविक भाग संशोधित अनुमानों में नियोजित अथवा प्रस्तावित राशि से बहुत कम रहा। विनियोग की अपेक्षाता के कारण कृषि-उत्पादकता में अपेक्षित वृद्धि नहीं की जा सकी। प्रथम तीन योजनाओं में कृषि-विनियोग की रकमति कुछ १६१ अरब की रही।

3 मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए तथा सहकारी खेती को और अधिक प्रभावपूर्ण बनाया जाकर पैमाने, विनियोग और संगठन (Scale, Investment and Organization) के समस्त लाभ कृषि-क्षेत्र में लेने चाहिए।

4 आवश्यक प्रशिक्षण द्वारा कृषि-श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि की जानी चाहिए तथा कृषि के नए उपकरणों और नई तकनीकी प्रयोग के लिए इन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए।

5 कृषि मूल्य नीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। कृषि मूल्यों से अनिश्चिन्ता की स्थिति दूर की जानी चाहिए।

6 कृषि शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। देश के कृषि विश्वविद्यालयों को प्रयोगात्मक ज्ञान के ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए कि जिनसे कृषि के छात्रों को कार्य करने का अवसर मिले तथा वे व्यवहार में लाकर कृषि-उत्पादकता-वृद्धि में योग दे सकें। पाँचवी योजना में 25,500 कृषि स्नातक, 4,200 पशु चिकित्सक और 1,400 कृषि इन्जीनियरों के बनने का अनुमान है। कृषि के लिए प्रशिक्षित इस वर्ग से कृषि-उत्पादकता में वृद्धि की भारी आशा है।

7 रासायनिक खाद का प्रयोग बढ़ाया जाना चाहिए। पाँचवी योजना के आधार वर्ष 1973-74 में रासायनिक खाद की खपत लगभग 19.7 लाख टन थी। योजना के अंत तक यह खपत 52 लाख टन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। आशा की जाती है कि रासायनिक खाद के बढ़ते हुए इस प्रयोग से कृषि-उत्पादकता में आवश्यक वृद्धि सम्भव हो सकेगी। मिट्टी-परीक्षण की पर्याप्त सुविधाएँ बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि मिट्टी के आधार पर ही फसलों के उगाए जाने का नियोजन किया जा सकता है। पाँचवी योजना में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने और उनका उपयोग बढ़ाने के अतिरिक्त 150 स्थायी मिट्टी परीक्षा प्रयोगशालाएँ स्थापित किए जाने का प्रावधान है।

8 छोटे और सीमान्त किसानों (Marginal Farmers) को शामिल किया जाना चाहिए। बाराही खेती बड़े पैमाने पर शुरू की जानी चाहिए। शुष्क खेती के विस्तार की भी बड़ी आवश्यकता है।

9 पाँचवी योजना में कृषि-उत्पादकता बढ़ाने के लिए खेती को रोक्ने तथा शुष्क भूमि के उचित उपयोग और नोहडो, खारी तथा रेतीली भूमि को खेती योग्य बनाने का भी मुद्दा है।

10 विश्वविद्यालयों और ग्रन्थ गोप सस्थानों में किए अनुसन्धानों पर प्रयोग करने में जो कठिनाइयाँ सामने आई हैं, उन्हें दूर करने के प्रयत्न किए जाने चाहिए। इसने लिए विश्वविद्यालयों, अनुसन्धान-सस्थानों और सरकार के बीच समन्वय स्थापित किया जाना आवश्यक है।

11 शुष्क क्षेत्रों में घास, फसलों के पेड़ और वन लगाने पर ध्यान दिया

जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में सौर शक्ति के उपयोग तथा हवा भरे पोलिथिलीन के तन्बुत्रों में खेती करने का पाँचवी योजना में सुभाव दिया गया है। कुछ रेगिस्तानी इलाकों में इस तरह से खेती की भी जा रही है।

12. ऊँचाई वाले इलाकों में भूमि के उचित उपयोग पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उर्वर भूमि क्षरण और भूमि खेती की स्थानीय समस्याओं को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक होगा।

13. कृषि के आधुनिकीकरण के लिए बड़ी मात्रा में Industrial Inputs की आवश्यकता है।

14. कृषि-ऋण व साख सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। कृषि वित्त निगम, सहकारी बैंक एवं राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों आदि वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण देने की सुविधाएँ हैं। इन सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता है।

समय में कृषि-उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि-प्रशासन व संगठन को सुदृढ़ बनाने, प्रामाणिक बीजों की पैदावार बढ़ाने, रासायनिक खाद का अधिक मात्रा में और भली-भाँति प्रयोग करने, सिंचाई करने की उचित व्यवस्था, कटाई के बाद कृषि-उपज रखने की सग्रह-व्यवस्था, बाजार-व्यवस्था आदि की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्रम-उत्पादकता में वृद्धि के उपाय

भारतीय श्रम-उत्पादकता का स्तर विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। अतः श्रम-उत्पादकता बढ़ाने के लिए कुछ उपाय आवश्यक हैं—

1. श्रमिकों का कार्य दशाएँ असन्तोषप्रद हैं। कार्य करने के लिए अच्छी मशीनें और औजार श्रमिकों को नहीं मिलते। कारखानों में श्रमिकों की प्राथमिक आवश्यकताओं का अभाव है। अतः श्रमिकों को अच्छे वेतन, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा आदि की सुविधाएँ मिलनी चाहिए ताकि उनकी कुशलता व उत्पादकता में अपेक्षित वृद्धि हो सके।

2. कार्य-अध्ययन तथा प्रोत्साहन पुरस्कारों (Work Studies and Incentives) द्वारा भी श्रम-उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है।

3. उत्पादकता-वृद्धि के लिए पर्याप्त कार्यशील पूँजी (Working Capital) आवश्यक है।

4. उत्पादकता-वृद्धि में मानव तत्व (Human element) भी एक महत्त्वपूर्ण अंग है। इसलिए संयंत्र के फेल होने (Plant breakdown), दिजली न मिलने, आवश्यक निर्देशों के अभाव के कारण व्यर्थ में खोए जाने वाले कार्य के घण्टों पर सामयिक रोक लगाई जानी चाहिए, साथ ही पदार्थ व यन्त्र सम्बन्धी नियन्त्रण (Scientific material & tool control) और उपयुक्त बर्क-शॉप सुविधाओं की व्यवस्था (Provision for work-shop services) भी श्रम की कुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

5 कच्चे माल तथा आधुनिक मशीनरी के अभाव को दूर किया जाना चाहिए। समय पर कच्चा माल न मिलने के कारण बहुत से मानव घण्टे (Man-hours) बेकार हो जाते हैं।

6. श्रम-उत्पादकता के लिए अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों का होना अत्यावश्यक है। प्रबन्ध पक्ष की ओर से श्रमिकों को अच्छे वेतन, सुविधाएँ तथा कार्य करने की अच्छी अवस्थाएँ प्रदान कर उनकी प्रगति में रुचि रखना है और श्रमिकों की ओर से सत्रिय सहयोग देना है ताकि उद्योग के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। दोनों ओर से अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों के कारण औद्योगिक एकता (Industrial Harmony) विकसित होती है। सामान्यतः इस प्रकार की पृष्ठभूमि में दोनों बगों के हित-माधन की दृष्टि से निम्नलिखित क्षेत्रों को लिया जाना चाहिए—

- (1) अधिक उत्पादन,
- (2) सुरक्षापूर्ण व स्वास्थ्य कार्य-दशाएँ,
- (3) कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण,
- (4) औद्योगिक इकाइयों का उचित विस्तार और स्थायित्व।

इस प्रकार श्रम उत्पादकता में वृद्धि के लिए जहाँ एक ओर श्रमिकों के लिए कार्य की श्रेष्ठ अवस्थाओं और आपश्चय प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था करना आवश्यक है वहाँ दूसरी ओर कार्यशील पूँजी का पर्याप्त प्रावधान तथा उत्पादन के सयत्र की क्षमता का नियमित रूप से कुशलतम उपयोग करना भी अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय-उत्पादित परिषद् ने श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिए प्रबन्ध और निरोक्षण सेवाओं के विकास, कार्य अध्ययन विधि, उत्पादित-सर्वेक्षण आदि की दिशा में किए गए प्रयत्न महत्वपूर्ण हैं।

औद्योगिक उत्पादकता-वृद्धि के उपाय

श्रम-उत्पादकता तथा श्रम-उत्पादकता के अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादकता का विश्लेषण भी आवश्यक है। औद्योगिक उत्पादकता का सामान्य अर्थ उद्योग में लगे साधनों की प्रति इकाई उत्पादकता से लिया जाता है। औद्योगिक उत्पादकता से सम्बन्धित उपायों में मुख्य हैं—'Waste Control'। 'वेस्ट कंट्रोल' की प्रभावशील व्यवस्था द्वारा उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। पहला आवश्यक कदम हर प्रकार 'Waste' को सेखा करके उसके कारण तथा उसके प्रति उत्तरदायित्व का विश्लेषण करना है। यह सिद्धान्त सरल प्रतीत होता है, किन्तु व्यवहार में स्थिति विपरीत देखने को मिलती है। अधिकांश लघु-उद्योग इकाइयों के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती जिसके द्वारा यह अनुमान लगाया जाए कि उनके साधन किस सीमा तक बेकार जाते हैं। साधनों की बरबादी के नियन्त्रण के दो प्रभाव होते हैं। एव ओर यह लगान की कम करता है तथा दूसरी ओर उत्पादन-वृद्धि में सहायक होता है। साधनों की बरबादी के मुख्य रूप हो सकते हैं—(i) व्यर्थ में जाने वाले प्रयत्न (Lost efforts), (ii) गति में रूकावट (Lost motions), (iii) अवधारणाओं की अस्पष्टता (Ambiguity of Concepts), एव (iv) वस्तुओं की अनावश्यक

किस्मे (Undue variety of materials and products)। इन सभी प्रकार की 'Wastes' को स्टैंडर्डइजेशन (Standardisation) से नियंत्रित किया जा सकता है।

'स्टैंडर्डइजेशन तथा उत्पादितता' (Standardisation and Productivity) की दृष्टि से एक औद्योगिक प्रतिष्ठान के कार्यक्रम को तीन बड़ी धेरियों में रखा जा सकता है—प्रबन्ध, इंजीनियरिंग और क्रय (Management, Engineering and Purchase)। प्रबन्ध के अन्तर्गत नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियन्त्रण व प्रशिक्षण सम्बन्धी क्रियाएँ आती हैं। यदि प्रबन्ध-व्यवस्था इन उत्तरदायित्वों को ठीक-से निभाती है तो वह उत्पादितता वृद्धि में सहायक होती है।

इंजीनियरिंग प्रक्रिया के अन्तर्गत उत्पादन से सम्बन्धित डिजाइनिंग, निर्माण-कार्य, किस्म-नियन्त्रण (Quality Control) आदि तकनीकी फलन आते हैं। इन तकनीकी फलनों पर उत्पादितता निर्भर करती है। अतः उत्पादकता-वृद्धि के लिए इंजीनियरिंग पहलुओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

त्रय नीति का भी उत्पादकता पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आधुनिक उत्पादन-तकनीकी अधिकांश कच्चे माल के स्तर पर निर्भर करती है। यदि स्टैंडर्डइजेशन को ध्यान में रखकर कच्चे माल की खरीद की जा सकती है, तो उत्पादन-व्यवस्था में एक अनिश्चितता व असन्तुलन का तत्त्व आ जाता है। सामान्यतः बिना स्टैंडर्ड की वस्तुएँ खरीदने पर उत्पादकता इस प्रकार प्रभावित होती है—

- (1) समय पर ठीक ढंग का सामान न मिलने से काम में दीर्घकालीन प्रयत्न अल्पकालीन फ्लॉपट,
- (ii) किसी काम की बार-बार अस्वीकृति तथा उसे बार-बार करना (Excessive rejection and re-working),
- (iii) दोष-पूर्ण वस्तुओं (Defective Products) के उत्पादन को रोकने के लिए अतिरिक्त निरीक्षण कार्य,
- (iv) उपरोक्त कारणों से ऊपरी लागत में वृद्धि (Increasing Overhead charges for the above)।

भारत अद क्रेता में विक्रेता में बदलता जा रहा है। दिन-प्रतिदिन प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। अतः व्यावसायिक संस्थानों के लिए श्रेष्ठ विपरीत-व्यवस्था करना आवश्यक है। विपरीत में वृद्धि से लागत कम आती है और लागत में कमी से उत्पादकता बढ़ती है।

भारतीय योजना-परिव्यय के आवंटन का मूल्यांकन

(CRITICISMS OF PLAN ALLOCATION IN INDIA)

योजना परिव्यय के आवंटन का प्रश्न मूलतः प्राथमिकताओं (Priorities) का प्रश्न है। प्रायः प्रत्येक देश में साधन सीमित होते हैं, अतः योजनाओं में किस मद (Item) को कम या अधिक महत्त्व दिया जाए प्रश्न ही योजनाओं में प्राथमिकताओं का प्रश्न है। प्राथमिकताओं की समस्या के दो पक्ष हैं—प्रथम, वित्तीय साधनों की उपलब्धि (Resource Availability) और द्वितीय, उपलब्ध वित्तीय साधनों का आवंटन (Resource Allocation)। समस्या के दूसरे पक्ष का विश्लेषण प्रायः देश की क्षेत्रीय आवश्यकताओं (Regional needs), उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी आवश्यकताओं (Production & Distribution needs), प्रौद्योगिक स्थिति (State of Technology), उपभोग तथा विनियोग सम्बन्धी आवश्यकताओं (Consumption and Investment needs) तथा सामाजिक आवश्यकताओं (Social needs) को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इन्हीं के आधार पर योजना में प्राथमिकताएँ निर्धारित की जाती हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएँ (Priorities of First Five Year Plan)

प्रथम योजना में परिव्यय की राशि प्रारम्भ में 2069 करोड़ रुपये प्रस्तावित की गई, सशोधित अनुमानों में यह राशि बढ़ा कर 2378 करोड़ रुपये कर दी गई। योजना पर वास्तविक व्यय 1960 करोड़ रुपये हुआ।

कृषि व सिंचा

कृषि व सिंचाई के लिए प्रथम योजना के प्रादुर्भाव में 823 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए थे, जो कुल प्रस्तावित व्यय का 35% था, किन्तु इस मद पर वास्तविक व्यय 724 करोड़ रुपये हुआ जो प्रस्तावित व्यय से 99 करोड़ रुपये कम था। किन्तु योजना के कुल वास्तविक व्यय (1960 करोड़ रु.) में इस मद का प्रतिशत 37% रहा जो प्रस्तावित प्रतिशत से 2% अधिक था।

इस प्रकार प्रथम योजना में कृषि और सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। यह प्राथमिकता उचित थी तथा योजना की पूर्व-निर्धारित ध्येय-रचना (Strategy) के अनुकूल थी, क्योंकि प्रथम योजना की ध्येय-रचना का मूल लक्ष्य देश में औद्योगीकरण के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि तैयार करना था। कृषि के विकास से ही कच्चे माल की आवश्यक पूर्ति प्राप्त हो सकती थी तथा देश की अतिरिक्त श्रम-शक्ति (Surplus labour force) को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते थे। कृषिगत विनियोग की गर्भावधि (Gestation Period) भी औद्योगिक विनियोग की तुलना में बहुत छोटी होती है। कृषिगत विनियोगों से शीघ्र प्रतिफल मिलने लगते हैं। अतः देश की राष्ट्रीय धन्य में वृद्धि के लिए भी कृषि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता का दिया जाना उचित था तथा अन्य मदों की तुलना में इस मद पर आवंटित राशि का आयोजन योजना के उद्देश्यों के अनुकूल था।

परिवहन और सामाजिक सेवाएँ

परिवहन तथा संचार के लिए इस योजना में 570 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए जो कुल प्रस्तावित व्यय का 24% था। इस मद पर वास्तविक व्यय 518 करोड़ रुपये का हुआ जो कुल वास्तविक व्यय का 26% था। सामाजिक सेवाओं के लिए प्रस्तावित व्यय 532 करोड़ रुपये का रखा गया था लेकिन वास्तविक व्यय 412 करोड़ रुपये हुआ। इस प्रकार प्रथम योजना में परिवहन तथा संचार का द्वितीय तथा सामाजिक सेवाओं का तीसरा स्थान रहा।

परिवहन तथा सामाजिक सेवाओं की प्राथमिकता को सरकारी क्षेत्रों में उचित ठहराया गया। परिवहन तथा संचार को दी गई प्राथमिकता को उचित कहा जा सकता है, क्योंकि आर्थिक विकास में परिवहन तथा संचार की सुविधाओं के विस्तार का बड़ा महत्त्व है। कृषि, उद्योग आदि किसी भी क्षेत्र में प्रगति के लिए कुशल परिवहन तथा संचार सेवाएँ आवश्यक हैं। बाजारों के विस्तार तथा देश के विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ने में और नवीन आर्थिक क्रियाओं के संचालन में इनका महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। किन्तु सामाजिक सेवाओं के लिए निर्धारित व्यय तथा इनको दी गई प्राथमिकता को उचित नहीं कहा जा सकता। यह तो उचित है कि देश के विकास के लिए मानव-तत्त्व की कुशलता को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएँ मिलनी चाहिए। किन्तु भारत जैसे देश में इस मद पर किए जाने वाले व्यय का अधिकांश भाग प्रशासनिक व्यय के रूप में जाता रहा। सामाजिक कल्याण के नाम पर देश में करोड़ों रुपये का अपव्यय हुआ। इस मद में से कटौती कर उद्योग तथा खनिज के विकास परिव्यय की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए थी। विकास की प्रारम्भिक अवस्था में आर्थिक ऊपरी पूंजी (Economic over-heads) का निर्माण सामाजिक ऊपरी पूंजी (Social over-heads) की तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण होता है।

उद्योग तथा खनिज

किया गया था किन्तु वास्तव में केवल 97 करोड़ रुपये ही व्यय हुए। इस मद पर इतना कम राशि का आवंटन अनुचित था।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएँ (Priorities of the Second Five Year Plan)

द्वितीय योजना में 4800 करोड़ रुपये का परिषद् प्रस्तावित किया गया। इस प्रस्तावित राशि के मुकाबले वास्तविक व्यय 4672 करोड़ रुपये का हुआ। यह उद्योग-प्रधान योजना थी। इस योजना में कृषि की प्राथमिकता को कम किया गया तथा प्रथम योजना की तुलना में उद्योग तथा खनिजों के लिए एक बड़ी राशि निर्धारित की गई।

कृषि तथा सिंचाई

कृषि तथा सिंचाई के लिए योजना में 1101 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई थी जो कुल प्रस्तावित व्यय का 23 प्रतिशत थी। इस मद पर वास्तविक व्यय 979 करोड़ रुपये का हुआ जो कुल योजना परिषद् व्यय का 21 प्रतिशत था। प्रथम योजना में इस मद पर व्यय का प्रतिशत जहाँ कुल व्यय का 37 था, वहाँ यह प्रतिशत घट कर इस योजना में केवल 23 रह गया। कृषि के विनियोग को कम करना नियोजकों की अदूरदर्शिता को दर्शाता है। पहली योजना के दौरान खाद्यान्न की अच्छी स्थिति होने का कारण अच्छी वर्षा का होना था, किन्तु नियोजकों ने योजना की सफलता मान कर, द्वितीय योजना में कृषि पर कम ध्यान दिया। कृषि-विनियोगों में कमी का यह परिणाम निकला कि दूसरी योजना में कृषि के लक्ष्य पूर्ण रूप से पराकृत रहे और खाद्यान्नों का उत्पादन गिर गया।

परिवहन तथा संचार

परिवहन तथा संचार के लिए योजना में 1385 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए थे कुल परिषद् व्यय के 29 प्रतिशत थे। इस मद पर वास्तविक व्यय 1261 करोड़ रुपये का हुआ जो कुल वास्तविक व्यय का 27 प्रतिशत था। जहाँ तक व्यय के प्रतिशत का प्रश्न है, पहली योजना की तुलना में इसमें कोई विशेष अन्तर नहीं पाया। पहली योजना में यह प्रतिशत 26 था। किन्तु निरपेक्ष रूप से पहली योजना में जहाँ इस मद पर हुए वास्तविक व्यय की राशि केवल 518 करोड़ रुपये थी, वहाँ इस योजना में यह राशि 1261 करोड़ रुपये ही थी। इस मद के लिए इन बड़ी राशि का पर्याप्त, दूर, योजना, में, परिवहन, व, संचार, के, लिए, यह, उचित, महत्त्व, का, स्पष्ट करता है। इस योजना में परिषद् की दृष्टि से सर्वोच्च प्राथमिकता इसी मद को दी गई। यह प्राथमिकता उचित थी, क्योंकि प्रायिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए परिवहन तथा संचार के कुशल तथा तेज स्तर वाले साधनों के रूप में प्राथमिक ऊपरी पूंजी का होना अत्यावश्यक था।

उद्योग तथा खनिज

द्वितीय योजना में इस मद के लिए 825 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई। वास्तविक व्यय की राशि तो इससे कहीं अधिक (1125 करोड़ रुपये)

थी। कुल प्रस्तावित व्यय में इस मद के प्रस्तावित व्यय का प्रतिशत 19 तथा कुल वास्तविक व्यय में इस मद के वास्तविक व्यय का प्रतिशत 24 रहा। इस प्रकार वास्तविक व्यय का प्रतिशत प्रस्तावित व्यय के प्रतिशत से 5 अधिक रहा। ये आंकड़े इस योजना में उद्योग तथा खनिजों को दिए गए महस्व को प्रकट करते हैं। इस मद को योजना में दूसरा स्थान मिला। उद्योगों के क्षेत्र में भी मूल व भारी उद्योगों जैसे लोहा व इस्पात, मशीन, इंजीनियरी, रासायनिक आदि उद्योगों को विशेष स्थान दिया गया। निर्धारित विनियोगों का अधिकांश भाग इन उद्योगों के लिए प्रस्तावित किया गया। औद्योगीकरण की गति में तीव्रता लाने के लिए इस मद के लिए बड़ी राशि का आवंटन उचित था। पहली योजना में इस मद की उपेक्षा की गई थी जिसके कटु अनुभव का लाभ उठाते हुए इस योजना में इस मद के लिए किया गया वित्तीय आवंटन (Financial Allocation) सर्वथा उचित था।

सरकारी क्षेत्र में किए गए उपरोक्त व्यय के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में संगठित उद्योग और खनिजों पर 575 करोड़ रुपये व्यय किए गए। देश को औद्योगिक दिशा देने के लिए प्राथमिकता का यह परिवर्तन योजना के उद्देश्यों के अनुकूल था।

सामाजिक सेवाएँ तथा विविध

सामाजिक सेवाओं के मद के लिए योजना में 1044 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया गया था। इस मद पर वास्तविक व्यय 855 करोड़ रुपये का हुआ जो कुल वास्तविक योजना-परिव्यय का 18 प्रतिशत था। प्राथमिकताओं की दृष्टि से इस मद का योजना में काफी ऊँचा स्थान रहा। पहली योजना में सामाजिक सेवाओं के व्यय का प्रतिशत जहाँ 21 था, वहाँ इस योजना में इस मद के व्यय का प्रतिशत 18 रहा। पहली योजना की तुलना में व्यय के प्रतिशत में यह गिरावट उचित थी, क्योंकि प्रथम योजना के सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि देश के विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में साधनों का अधिक भाग सामाजिक मदों की अपेक्षा आर्थिक मदों पर अधिक लगाया जाना चाहिए। सामाजिक सेवाओं के व्यय में अनेक प्रकार की 'Leakages' का रहना स्वाभाविक है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएँ (Priorities of the Third Five Year Plan)

तृतीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय 7509 करोड़ रुपये का निर्धारित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में इस योजना के दौरान वास्तविक व्यय 8577 करोड़ रुपये का हुआ।

कृषि और सिंचाई

कृषि और सिंचाई के लिए 1718 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए। कुल प्रस्तावित व्यय का यह 23 प्रतिशत था। इस मद पर वास्तविक व्यय 1753 करोड़ रुपये हुआ जो कुल वास्तविक व्यय का 21 प्रतिशत था। प्रतिशत व्यय की दृष्टि से योजना में इस मद को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। 25 प्रतिशत पर प्रथम परिव्यय व संचार को तथा 23 प्रतिशत पर द्वितीय स्थान उद्योग और खनिज को मिला।

इस योजना में कृषि-क्षेत्र को द्वितीय योजना की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया। कृषि-विकास के लिए 1068 करोड़ रुपये तथा निचाई विकास के लिए 650 करोड़ रुपये का निर्धारण इस स्थिति को स्पष्ट करता है कि इस योजना में समस्त व्यय का एक-चौथाई भाग कृषि-विकास के लिए रखा गया। यह वित्तीय प्रावधान उचित था। देश की बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकता-पूर्ति के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी वृद्धि अपेक्षित थी। कृषि के क्षेत्र में रही द्वितीय योजना की असफलताओं की पूर्ति के लिए भी तृतीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दिया जाना उचित था।

उद्योग और खनिज

द्वितीय योजना की भाँति इस योजना में भी उद्योग और खनिज को प्राथमिकता दी गई। इस मद के लिए 1784 करोड़ रु प्रस्तावित किए गए जो कुल प्रस्तावित व्यय का 24 प्रतिशत था तथा वास्तविक व्यय इस मद पर 1967 करोड़ रु हुआ जो कुल वास्तविक व्यय का 23 प्रतिशत था। द्वितीय योजना में द्रुत औद्योगीकरण (Rapid Industrialisation) के लिए लोहा व इस्पात, खाद, भारी मशीनरी आदि के कारखानों के रूप में ऊपरी आर्थिक पूँजी (Economic overheads) का एक सुदृढ़ आधार निर्मित हो चुका था। अतः इस ऊपरी आर्थिक पूँजी के अपेक्षित उपयोग के लिए यह आवश्यक था कि अधिद से अधिद उद्योग स्थापित किए जाएँ और औद्योगिक आधार को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए नए खनिजों की खोज की जाए तथा पुराने खनिजों का उत्पादन बढ़ाया जाए। इसलिए इस योजना में उद्योग तथा खनिज पर किया गया वित्तीय आवंटन उचित था। इस मद पर बड़ी राशि का प्रावधान हीन आर्थिक विकास और आत्म निर्भरता के लिए आवश्यक था।

परिवहन तथा संचार

परिवहन तथा संचार के लिए 1486 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए, किन्तु वास्तविक व्यय 2112 करोड़ रु का हुआ जो सभी मदों की अपेक्षा अधिक था। किन्तु वास्तविक व्यय ने प्रतिगत की दृष्टि से इस मद का स्थान पट्टा रखा। तीव्र औद्योगीकरण के उद्देश्य की दृष्टि से परिवहन तथा संचार को अधिक महत्व दिया जाना आवश्यक था। अतः इस मद के लिए किया गया वित्तीय आयोजन उचित था।

सामाजिक सेवाएँ

सामाजिक सेवाओं पर योजना में 1493 करोड़ रु व्यय किए गए जबकि प्रस्ताव 1300 करोड़ रु का रखा गया था। इस योजना में सामाजिक सेवाओं को वित्तीय आवंटन की दृष्टि से चौथा स्थान दिया गया। दो योजनाओं के बाद कृषि तथा उद्योग का जो आधारभूत ढाँचा निर्मित हुआ, उसने अनुरूप कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अधिद सत्या में कुशल श्रमिकों, इंजीनियरों एवं कृषि विशेषज्ञों की आवश्यकता थी अतः इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामान्य तथा तकनीकी शिक्षा आदि सामाजिक सेवाओं के लिए निर्धारित 1300 करोड़ रु की राशि उचित ही थी।

विद्युत् शक्ति

तीव्र औद्योगीकरण के लिए विद्युत् शक्ति को भी प्राथमिकता दिया जाना उचित था। इन मदों के लिए प्रथम योजना में 179 करोड़ रु., द्वितीय योजना में 380 करोड़ रु. तथा इस योजना में 1012 करोड़ रु. निर्धारित किए गए। प्रथम योजना की तुलना में इस योजना में देश में बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 6 गुना व्यय वृद्धि का प्रावधान आवश्यक था।

शक्ति-विनियोग के औचित्य का Indian Energy Survey Committee द्वारा परीक्षण किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश के सम्मुख औद्योगिक तथा पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्युत् शक्ति उत्पादन के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता थी।

चतुर्थ योजना में प्राथमिकताएँ (Priorities in the Fourth Five Year Plan)

चतुर्थ योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में 15,902 करोड़ रु. का व्यय प्रस्तावित किया गया। तृतीय योजना की भाँति इसमें उद्योग तथा खनिजों का महत्त्वपूर्ण स्थान रखा गया। कृषि तथा उद्योग को लगभग समान महत्त्व दिया गया। तृतीय योजना की प्रवृत्ति में आर्थिक सकटों के परिणामस्वरूप 'योजना-अवकाश' (Plan-holiday) स्थापित हो गई तथा पंचवर्षीय योजना के स्थान पर तीन वार्षिक योजनाएँ। अतः कृषि और उद्योग पर लगभग समान विनियोग के कार्यक्रम योजना के उद्देश्यों के अनुरूप थे। कृषि तथा सिंचाई के लिए 3815 करोड़ रु. तथा उद्योग और खनन के लिए 3631 करोड़ रु. प्रस्तावित किए गए।

परिवहन तथा संचार को दूसरा स्थान दिया गया। विद्युत् शक्ति के लिए 2448 करोड़ रु. का प्रस्ताव किया गया तथा सामाजिक सेवाओं के लिए 2771 करोड़ रु. प्रस्तावित किए गए। इन मदों पर प्रस्तावित व्यय की उपरोक्त राशियाँ प्राथमिकता के क्रम में अनुरूप थी, किन्तु मूल्य-स्तर की दृष्टि से इन राशियों को देश की आवश्यकताओं के उचित नहीं कहा जा सकता। विशेष रूप से विद्युत् शक्ति के विकास के लिए अधिकतम साधनों की आवश्यकता थी।

पाँचवीं योजना में प्राथमिकताएँ (Priorities in the Fifth Five Year Plan)

सितम्बर, 1976 में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को संशोधित रूप में अन्तिम रूप से स्वीकृत किया। योजना के प्रस्ताव में ही स्पष्ट कर दिया गया कि आत्मनिर्भरता और गरीबी हटाने के उद्देश्य से कृषि, सिंचाई, ऊर्जा आदि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। पाँचवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में 39,303.24 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र में खर्च करने का प्रावधान किया गया। योजना के मूल प्रावधान में जिन विषयों को प्राथमिकता मिली थी, उन्हें अपरिवर्तित रखा गया। कृषि-क्षेत्र को सबसे महत्त्वपूर्ण मानते हुए इसके लिए

के लिए 3,440 18 करोड़ रुपये रखे गए। इस प्रकार कृषि और सिंचाई को मिलाकर 8,083 68 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए। उद्योग एवं खनन के लिए 10,200 60 करोड़ रुपये और बिगली के लिए 7,293 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। योजना-परिषद् स्पष्ट कर दिया गया कि—

‘गरीबी दूर करने और आराम निर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्यों को सामने रखा गया है। यहाँ पर विकास के बृहद् परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जा रहा है, जिससे दीर्घावधि निवेश का चयन करने में सहायता मिलेगी और कार्य नीतियों को स्पष्ट किया जा रहा है जिससे लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायता मिलेगी। ये नीतियाँ इन तीन प्रमुख क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं—कृषि, ऊर्जा तथा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती वस्तुएँ, रोजगार के अतिरिक्त ध्वंसरो की व्यवस्था।’

जनता पार्टी की सरकार और प्राथमिकताओं तथा नीतियों के पुन. निर्धारण की आवश्यकता पर बल : नई योजना के दिशा-निर्देशन

मार्च, 1977 के ऐतिहासिक सत्ता-परिवर्तन के बाद जनता पार्टी की सरकार ने पाँचवी पंचवर्षीय योजना को 31 मार्च, 1979 की जगह एक वर्ष पूर्व ही 31 मार्च, 1978 को समाप्त कर दिया है और 1 अप्रैल, 1978 से नई राष्ट्रीय योजना प्रारम्भ की है। इन सम्बन्ध में, पुनर्गठित योजना आयोग ने, प्राथमिकताओं और नीतियों के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता पर बल देते हुए नई योजना के लिए जो दिशा निर्देशन दिया है वह दूरदर्शितापूर्ण है। भारत सरकार की 26 अक्टूबर, 1977 को प्रेस विज्ञप्ति में इस सम्बन्ध में जो मुख्य बातें बताई गईं, वे इस प्रकार हैं—

नई योजना के लिए दिशा-निर्देशन

“योजना आयोग ने वर्ष 1978-79 के लिए वार्षिक योजना और पहली अप्रैल, 1978 से प्रारम्भ होने वाली नई पंचवर्षीय योजना का स्वरूप तैयार करने के लिए राज्य सरकारों और केन्द्रीय मन्त्रालयों को दिशा निर्देशन जारी किए हैं। योजना आयोग के सचिव ने राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों के नाम जारी एक पत्र में कहा है कि योजना के उद्देश्य बेरोजगारी दूर करने, गरीबी उन्मूलन, आय और सम्पदा की विभिन्नताओं को कम करने के समयबद्ध लक्ष्यों की दृष्टि से पुनर्गठित किए जाने चाहिए।”

प्राथमिक क्षेत्र

“आगामी कुछ वर्षों के दौरान केन्द्रीय और राज्य योजनाओं में पूंजी-निवेश प्राथमिकताओं में पर्याप्त परिवर्तन करना होगा और वार्षिक नीतियाँ नई प्राथमिकताओं के साथ समन्वित बरनी होगी।

यहाँ हुई कृषि उत्पादकता में सुनिश्चित जल आपूर्ति और रोजगार के ध्वंसरो की मुख्य भूमिका के कारण सिंचाई पर पूंजी-निवेश को पहले से बढ़ी

अधिक ऊँची प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सिंचाई और कृषि-उत्पादन (बरसाती क्षेत्रों में सघन कृषि विस्तार आदि सहित) और कृषि विकास के लिए आवश्यक बुनियादी वस्तु अर्थात् विजली में पूँजी-निवेश के लिए पहले से ही पूँजी अलग रखनी होगी।

पत्र में कुटीर और लघु उद्योग तथा ग्रामीण उद्योगों और अपने घन्वो की योजना के विकास के लिए परिचय्य बढ़ाने पर बल दिया गया है। ग्रामीण विकास बुनियादी सुविधाओं पर विशेष बल और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएँ जैसे पीने के पानी की सप्लाई, बुनियादी शिक्षा, औपचारिक प्रौढ शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की अब और अधिक ऊँची प्राथमिकताएँ देनी होंगी।”

नई योजना

“केन्द्रीय और राज्य योजनाओं में इस नीति के अनुसरण में पूँजी-निवेश प्राथमिकताओं को कम से कम समय में पुनर्निर्धारित करने के लिए प्रस्ताव किया गया है कि ऐसा सम्भवा जाए कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च, 1978 को समाप्त हो रही है और पहली अप्रैल, 1978 से पाँच वदों 1978-79 से 1982-83 के लिए एक नई मध्यकालिक योजना शुरू की जा रही है।

इसलिए वर्ष 1978-79 की वार्षिक योजना में नई योजना के पहले वर्ष के लिए पूँजी-निवेश करना होगा। योजना आयोग को आशा है कि नई मध्यकालिक योजना के लिए प्रमाणात्मक ढाँचे का अपना काम 31 दिसम्बर, 1977 तक पूरा हो जाएगा।

राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा योजना की रूपरेखा फरवरी, 1978 में विचार किए जाने की सम्भावना है। आयोग मूल्य मन्त्रियों के साथ अपनी बैठकों में योजना के उद्देश्यों और प्राथमिकताओं, योजना की वर्तमान प्रणाली में सुधार एवं सुधार और सन् 1978-83 की राज्य योजना के सम्भावित आकार पर विचार-विमर्श करेगा।”

पूँजीगत साधनों का विस्तार

“भेजे गए पत्र में कहा गया है कि छोटे वित्त आयोग द्वारा आवंटित स्त्रोत सन् 1978-79 के लिए मान्य होंगे। राज्यों के लिए केन्द्रीय योजना सहायता के आवंटन सम्बन्धी गाइडिल फार्मुला भी लागू रहेगा। योजना और नैर-योजना में विकास परिषय्य का पुनर्बर्गीकरण, जो साधारणतः प्रत्येक पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त में किया जाता है, अब अप्रैल, 1979 से किया जाएगा। इसलिए मातृ वित्त आयोग के विचारणीय विषय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अपने पत्र में योजना आयोग ने केन्द्रीय और राज्य सरकारों से अपील की है कि वे योजना के सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अधिक साधन जुटाने के लिए निश्चयपूर्वक प्रयास करें। योजना आयोग का विचार है कि आभासी योजनाएँ ऐसी स्थिति पैदा न होने दें जो अतीत में आमतौर पर पैदा होती रही है जबकि परिचय्य साधनों की उपलब्धि से अधिक नियोजित किए जाते रहे हैं और परिणामतः असन्तुलन से मुद्रा-

स्फीति के दबाव को बढावा मिला है। सन् 1978-79 की योजना यथार्थ स्वदेशी विदेशी स्रोतों तथा निष्पाद कुल विकास पर आधारित होगी। केन्द्रीय और राज्य सरकारों को सन् 1978-79 में आगामी योजना के लिए स्रोतों का अधिक सुदृढ़ आधार तैयार करने के लिए विशेष प्रयास करना होगा।”

क्षेत्रीय योजनाएँ

“पत्र में राज्यों की परिषद के लिए गैर-योजना पक्ष पर भी उचित धन खर्च करने का अनुरोध किया गया है।

नि सदेह इन परिषदों का राज्यों के गैर-योजना क्षेत्रों में प्रावधान होगा, तथापि योजना आयोग वार्षिक योजना पर विचार करते समय आवश्यक सेवाओं के संचालन और रख-रखाव तथा वर्तमान उत्पादक क्षमता के उपयोग के लिए इन प्रावधानों की समीक्षा करने के बारे में सोच रहा है।

वर्ष 1978-79 के लिए वार्षिक योजना के लिए क्षेत्रवार विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश सुभाए गए हैं—

(क) सिंचाई और विजली की ऐसी परियोजनाएँ जो निर्माण के अग्रिम चरणों में हैं—को कम से कम समय में पूरा किया जाना और चालू किया जाना आवश्यक करने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए हर प्रकार के साधन जुटाए जाने चाहिए।

(ख) कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों तथा ग्रामीण तथा लघु उद्योगों की जारी योजनाओं के लिए पूंजी चालू वर्ष की योजना में निर्धारित दरों पर प्रदान की जानी चाहिए।

(ग) सिंचाई, विजली और कृषि के अतिरिक्त क्षेत्रों में जारी योजनाओं के लिए पूरी पूंजी जुटाई जानी चाहिए यद्यपि वे निर्माण की अग्रिम स्थिति में हैं और उनके आगामी दो या तीन वर्षों में साभ देने लगने की आशा है। इन क्षेत्रों की अन्य योजनाओं पर इस दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए कि नई योजना में उन्हें क्या प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

(घ) पंचवी पंचवर्षीय योजना ग न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर इन योजनाओं से आवादी में लक्षित-समूहों को प्राप्त लाभों की दृष्टि से मनीषा की जानी चाहिए। इन योजनाओं के लिए सन् 1978-79 योजना के प्रावधान सुविचारित योजनाओं और उनके कार्यान्वयन की सन्धि मशीनरी की दृष्टि से सन् 1977-78 के स्तर से पर्याप्त रूप से बढाए जाने चाहिए। भूमिहीन मजदूरों के लिए आवास स्थल, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण, मण्डियों को जाने वाली सड़कों और ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए साधन जुटाने पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए।

(ङ) जहाँ तक नई योजनाओं को शुरू करने का सम्बन्ध है, सिंचाई और विजली क्षेत्रों का प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सन् 1978-79 में शुरू की जाने

वाली प्रस्तावित नई परियोजनाओं के लिए दिसम्बर, 1977 तक विस्तृत व्यवहार्यता जानकारी उपलब्ध की जानी चाहिए। सभी नई योजनाओं में यह बताया जाना चाहिए कि उनसे रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे।

(च) विशेष रूप से सिंचाई, विजली और जल आपूर्ति के क्षेत्रों में नई परियोजनाओं के सर्वेक्षण और जांच के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाना चाहिए।

राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों से योजना आयोग को 20 नवम्बर, 1977 तक योजना प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया।”

नई राष्ट्रीय योजना पर, जो 1 अप्रैल, 1978 से चालू की गई है, आगे एक अध्याय में पृथक् से प्रकाश डाला गया है।



चतुर्थ योजना का मूल्यांकन

(अप्रैल 1969 से मार्च 1974)

(APPRAISAL OF THE FOURTH PLAN)

उद्देश्य (Objectives)

चतुर्थ योजना का लक्ष्य त्विरतापूर्वक विकास की गति को तीव्र करना, कृषि के उत्पादन में उतार-चढ़ाव को कम करना तथा विदेशी सहायता की अनिश्चितता के कारण उसके प्रभाव को घटाना था। इसका उद्देश्य ऐसे कार्यक्रमों द्वारा लोगों के आय-स्तर को ऊँचा करना था जिससे समानता और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन भी मिले। इस योजना में रोजगार और शिक्षा की व्यवस्था द्वारा कमजोर और कम सुविधा प्राप्त वर्गों की दशा को सुधारने पर विशेष ध्यान दिया गया। इस योजना में सम्पत्ति, आय और आर्थिक शक्ति को अपिणाधिक लोगों में प्रसार करने और उन्हें कुछ ही हाथों में एकत्र होने से रोकने के प्रयत्न भी किए गए।

योजना का लक्ष्य शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को, जो सन् 1969-70 में 29,071 करोड़ रु. था, बढ़ाकर सन् 1973-74 में 38,306 करोड़ रु. करने का था। इसका अर्थ था कि सन् 1960-61 के मूल्यों पर सन् 1968-69 के 17,351 करोड़ रु. के उत्पादन को सन् 1973-74 में 22,862 करोड़ रु. कर दिया गया। विकास की प्रस्तावित औसत वार्षिक चक्रवृद्धि दर 5.7 प्रतिशत थी।¹

परिव्यय और निवेश (Outlay and Investment)

प्रारम्भ में चतुर्थ योजना के लिए 24,882 करोड़ रु. का प्रावधान रखा गया था। इसमें सरकारी क्षेत्र के लिए 15,902 करोड़ रु. (इसमें 13,655 करोड़ रु. का निवेश शामिल है) और निजी क्षेत्र में लगाने के लिए 8,980 करोड़ रु. की राशि थी। सन् 1971 में इस योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया गया और सरकारी क्षेत्र के परिव्यय को बढ़ाकर 16,201 करोड़ रु. कर दिया गया।

चतुर्थ योजना में सरकारी क्षेत्र का परिव्यय¹

(करोड़ रु. में)

धरा	केन्द्र	राज्य	योग
1. कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र	1,235 (7.6)	1,508 (9.3)	2,743 (16.9)
2. सिंचाई और बाढ नियन्त्रण	17 (0.1)	1,188 (7.3)	1,205 (7.4)
3. बिजली	510 (3.2)	2,370 (14.6)	2,880 (17.8)
4. प्राथमिक और लघु उद्योग	132 (0.8)	122 (0.7)	254 (1.5)
5. उद्योग और खनिज	2,772 (17.1)	211 (1.4)	2,983 (18.5)
6. यातायात और संचार	2,345 (14.5)	638 (3.9)	2,983 (18.4)
7. अन्य	541 (9.6)	1,612 (9.9)	3,153 (19.5)
जिसमें से			
(अ) शिक्षा और बंशालिक अनुसन्धान	375 (2.3)	529 (3.3)	904 (5.6)
(ब) स्वास्थ्य	151 (0.9)	186 (1.1)	337 (2.0)
(क) परिवार नियोजन	262 (1.6)	—	262 (1.6)
योग .	8,552 (52.9)	7,649 (47.1)	16,201 (100.0)

कोष्टको में दिए गए धाँकड़े सम्बद्ध क्षेत्रों से परिव्यय का प्रतिपात बताते हैं।

शेष धाँकड़े जिस हद तक राज्यों के हिस्से का कुल परिव्यय 4,600 करोड़ रुपये (जो बाद में संशोधित कर 4,672 करोड़ रु. कर दिया गया) जिसके लिए केन्द्र और राज्य-वार व्यय उपलब्ध नहीं है में से है, उस हद तक केन्द्र का परिव्यय प्रतिकूल हो सकता है।

परिव्यय की वित्त-व्यवस्था

(Financing of Plan Outlay)

चतुर्थ योजना में सरकारी क्षेत्र में परिव्यय की वित्त-व्यवस्था प्रमाणुसार रही—

चतुर्थ योजना में सरकारी क्षेत्र में योजना परिव्यय की वित्त-व्यवस्था¹

(करोड़ रु. में)

वर्ग	आरम्भिक अनुमान	अंतिम उपलब्ध अनुमान
1 मुख्यतया अपने साधनों से	7,102 (44 %)	5,475 (33 9)
(1) कराधान की योजना पूर्व दरों पर शालू राजस्व से बचत	1,673	(—) 236
(2) अतिरिक्त कराधान, जिसमें सार्वजनिक उद्यमों की वनड बसाने के उपाय शामिल हैं	3,198	4,280
(3) रिजर्व बैंक के लाभ	202	296
(4) योजना के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए किए गए उपायों से हुई आय को छोड़कर सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की शक्त	2,029	1,135
(क) रेल	265	(—) 165
(ख) अन्य	1,764	1,300
2. मुख्यतया परे लू रिजर्वों के जरिए	6,186 (38 9)	8,598 (53 2)
(1) सार्वजनिक रिजर्व, वाजार और जीवन बीमा निगम से सरकारी उद्यमों द्वारा लिए गए रिजर्वों सहित (शुद्ध)	2,326	3,145
(2) छोटी बचत	769	1,162
(3) वाणिज्यी जमा, अल्पबचत जमा, इलाही बीड और स्वर्ण बीड	(—) 104	(—) 98
(4) राज्य सविषय निधिवाँ	660	874
(5) इन्धन समानीकरण निधि (शुद्ध)	—	—
(6) विविध पूंजीगत प्राप्तिवाँ (शुद्ध)	1,685	1,455
(7) पाटे का वित्त	850	2,060
3 कुल परे लू साधन (1+2)	13,288	14,073 (87 1)
4 विदेशी सहायता	2,614 (16 4)	2,087 (12 9)
5 कुल साधन (3+4)	15,902 (100 0)	16,160 (100 0)

कोष्ठकों में दिए गए अंकड़े कुल के प्रतिशत हैं ।

उपलब्धियाँ (Achievements)

चतुर्थ योजना के अन्तर्गत वृद्धि की दर का लक्ष्य 5.7% वार्षिक था, परन्तु सन् 1969-70 में यह 5.7% रही। सन् 1970-71 में यह घटकर 4.9%, 1971-72 में 1.4%, 1972-73 में (-) 0.9% और 1973-74 में 3.1% रह गई। योजना के प्रत्येक वर्ष में कृषि और उद्योग जैसे मुख्य क्षेत्र में भिन्न प्रकार के रक्ष दिवस दिए।

चौथी योजना में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 12.9 करोड़ टन था। अन्तिम अनुमानों के अनुसार सन् 1973-74 में यह उत्पादन 10.4 करोड़ टन था। उत्पादन कम होने का मुख्य कारण मौसम था। योजना में अपनाई गई नई कृषि नीतियों से गेहूँ के उत्पादन में नई सफलताएँ मिलीं। हालाँकि चावल का उत्पादन सन्तोषजनक था, परन्तु इस क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय तकनीकी सफलता प्राप्त नहीं हुई। दालों और तिलहनो के उत्पादन में वृद्धि की दर योजना में अपेक्षित वृद्धि की दर से कम थी।

जब चौथी पञ्चवर्षीय योजना बनाई गई थी तब वार्षिक स्थिति अच्छी नहीं थी और औद्योगिक क्षेत्र की बहुत क्षमता का उपयोग भी नहीं हो रहा था। इसलिए मौजूदा क्षमता का भली प्रकार प्रयोग इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य था। योजना के वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि की दर अर्धे से 10% से कम थी। योजना के पहले चार वर्षों में यह क्रमशः 7.3, 3.1, 3.3 और 5.3% थी। सन् 1973-74 में केवल नाममात्र की वृद्धि (एक प्रतिशत से भी कम) हुई। कुछ उद्योगों में तो उत्पादन की क्षमता कम थी, परन्तु कई अन्य प्रमुख उद्योगों—जैसे इस्पात और उर्वरक की उत्पादन क्षमता का उपयोग करने में विजली और कच्चे माल की कमी और संचालन की समस्याओं के कारण रूकावट पड़ी।

बायाग्री के वावजूद योजना-काल की उपलब्धियाँ सराहनीय रही और राष्ट्र शक्तिशाली ढंग से आत्मनिर्भर तथा सुखल भ्रम-व्यवस्था की ओर बढ़ा जिसका लेखा-जोखा विभाजित तालिका से स्पष्ट होता है—

वार्षिक प्रगति आँकड़ों में¹

वर्ष	1960-61	1965-66	1973-74
राष्ट्रीय आय			
वृद्ध राष्ट्रीय उत्पादन			
इतना ही मूल्यों पर	13,300 करोड़ रु.	20,600 करोड़ रु.	49,300 करोड़ रु.
विविध मूल्यों पर	13,300 करोड़ रु.	15,100 करोड़ रु.	19,700 करोड़ रु.
प्रति व्यक्ति आय वर्धमान			
मूल्यों पर	306 रु.	426 रु.	860 रु.
विविध मूल्यों पर	306 रु.	311 रु.	340 रु.

1. India 1976, p. 174.

2. भारत सरकार : संरचना के दस वर्ष (1966-1975), पृष्ठ 47-53.

मद	1960-61	1965-66	1973-74
कृषि			
कुल बीया गया क्षेत्र	13 करोड़ 30 लाख हेक्टेयर	13 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर	14 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर
एक से अधिक फसली बाबा क्षेत्र	2 करोड़ हेक्टेयर	1 करोड़	2 करोड़
मृदु मिश्रित क्षेत्र	2 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर	2 करोड़ 70 लाख हेक्टेयर	3 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर
उर्वरकों की खपत	3 लाख 6 हजार टन	7 लाख 28 हजार टन	28 लाख 39 हजार टन
धाद्याप्री का उत्पादन	8 करोड़ 20 लाख टन	7 करोड़ 20 लाख टन	10 करोड़ 36 लाख टन
पशुओं की खपत	33 करोड़ 60 लाख	34 करोड़ 40 लाख	35 करोड़ 50 लाख
सहकारी अमरा			
प्राथमिक कृषि सहकारियाँ			
संख्या	2 लाख	2 लाख	2 लाख
सदस्य संख्या	1 करोड़ 70 लाख	2 करोड़ 61 लाख	3 करोड़ 68 लाख
दिए गए ऋण (अल्पावधि और मध्यावधि)	203 करोड़ रु.	342 करोड़ रु.	315 करोड़ रु.
उद्योग और खनन			
कोयले का उत्पादन	5 करोड़ 60 लाख टन	7 करोड़ टन	8 करोड़ 10 लाख टन
शुद्ध पेट्रोलियम	4 लाख 54 हजार टन	30 लाख 22 हजार टन	71 लाख 98 हजार टन
मोहू व्यवस्था	1 करोड़ 10 लाख टन	1 करोड़ 80 लाख टन	3 करोड़ 40 लाख टन
मत्स्यमोक्षिम	18 हजार टन	62 हजार टन	1 लाख 48 हजार टन
बीनी	26 लाख 99 हजार टन	33 लाख 88 हजार टन	37 लाख 45 हजार टन
बनस्पति	3 लाख 40 हजार टन	4 लाख 1 हजार टन	4 लाख 49 हजार टन
बाय	32 करोड़ कि.ग्रा.	37 करोड़ 30 लाख कि.ग्रा.	46 करोड़ 50 लाख कि.ग्रा.

436 भारत में आर्थिक नियोजन

वर्ग	1960-61	1965-66	1973-74
काफी	54 हजार टन	62 हजार टन	92 हजार टन
सूती कपड़ा	670 करोड़ मीटर	740 करोड़ मीटर	780 करोड़ मीटर
जूते (चमड़े और रबर के)	5 करोड़	6 करोड़	5 करोड़
कागज और गत्ता (पेपर बोर्ड)	40 लाख जोड़े 3 लाख	90 लाख जोड़े 5 लाख	40 लाख जोड़े 6 लाख
टायर (साइकिल, ट्रैक्टर और विमानों के)	50 हजार टन 1 करोड़	58 हजार टन 1 करोड़	51 हजार टन 2 करोड़
ट्यूब (साइकिल, ट्रैक्टर, और विमानों के)	12 लाख 1 करोड़	86 लाख 1 करोड़	21 लाख 1 करोड़
जमोनियम बल्ब	33 लाख 80 हजार टन	87 लाख 84 हजार टन	46 लाख 1 लाख
मुपर फास्फेट	52 हजार टन	1 लाख	21 हजार टन 1 लाख
सावुन	1 लाख	10 हजार टन 1 लाख	20 हजार टन 2 लाख
सीमेंट	45 हजार टन 80 लाख टन	67 हजार टन 1 करोड़	11 हजार टन 1 करोड़
पंपार इस्पात	24 लाख टन	8 लाख टन	47 लाख टन
रीजल इन्जन	55-50 लाख	45 लाख टन	47 लाख टन
यक्ति चालित पम्प	1 लाख, 9,000	1 लाख 1,200	1 लाख 37,700
सिलाई मशीनें	3 लाख 3,000	2 लाख 44 हजार	3 लाख 27 हजार
बरेलू रेफ्रिजरेटर	11 700	4 लाख 30 हजार	3 लाख
बिजली के मीटर	7 लाख 28 हजार	30,600 17 लाख	1 लाख 13,300 29 लाख
बिजली के लैम्प	अथव शक्ति 4 करोड़	अथव शक्ति 7 करोड़	अथव शक्ति 8 हजार
बिजली के पखे	85 लाख 10 लाख	21 लाख 13 लाख	13 करोड़ 32 लाख
रेडियो सेट	59 हजार 2 लाख	58 हजार 6 लाख	23 लाख 20 हजार
साइकिलें	82 हजार 10 लाख	6 हजार 15 लाख	17 लाख 74 हजार
बिजली उत्पादन	71 हजार 1,700 करोड़ केटम्युएच.	74 हजार 3,681 करोड़ केटम्युएच.	25 लाख 77 हजार 7,275 करोड़ केटम्युएच.
औद्योगिक उत्पादन का सूचक (1960=100)	100	154	201

वर्ष	1960-61	1965-66	1973-74
सामान तैयार करने वाले उद्योग			
परीकृत कारखाने	43 हजार	48 हजार	80 हजार
उत्पादन पूंजी	2,700 करोड़ रु.	8,000 करोड़ रु.	14,800 करोड़ रु.
रोजगार में लगे मजदूर	33 लाख	39 लाख	60 लाख
व्यावसायिक शिक्षा पाने वाले व्यक्ति (इंजीनियरिंग)			
स्नातक	7,500	12,900	14,300
स्नातकोत्तर	500	1,000	1,400
चिकित्सा			
स्नातक	4,700	7,300	10,200
स्नातकोत्तर	500	1,100	1,900
कृषि			
स्नातक	2,600	4,900	4,600
स्नातकोत्तर	600	1,200	1,700
पशु चिकित्सा			
स्नातक	813	889	924
स्नातकोत्तर	104	90	244
रेल्वे			
रेलमार्ग की लम्बाई	57 हजार किमी	59 हजार किमी	60 हजार किमी
वाली किलोमीटर	7,800 करोड़	9,700 करोड़	13,600 करोड़
माल भाड़ा			
(टन किलोमीटर)	8,800 करोड़	11,700 करोड़	12,200 करोड़
धातु रोलिंग स्टाक इञ्च	11 हजार	12 हजार	11 हजार
वाली डिब्बे	28 हजार	33 हजार	36 हजार
माल में डिब्बे	3 लाख	3 लाख	3 लाख
	8 हजार	70 हजार	88 हजार
सड़को			
परची	2 लाख	3 लाख	4 लाख
	63 हजार किमी.	43 हजार किमी.	74 हजार किमी
सड़को पर मोटर	6 लाख	10 लाख	20 लाख
गाड़ियों की संख्या	94 हजार	99 हजार	88 हजार
जहाजरानी			
जहाज	172	221	274
सका रजिस्टर्ड टन-भार	8 लाख	15 लाख	30 लाख
	58 हजार	40 हजार	90 हजार
हाक लीर अन्य सेपार्			
हाकधर	77 हजार	97 हजार	1 लाख 17 हजार

438 भारत में आर्थिक नियोजन

मद	1960-61	1965-66	1973-74
घर पर टेलीफोन	12 हजार 4 लाख	13 हजार 8 लाख	17 हजार 16 लाख
समाचार-पत्रों की प्रचार सभ्यता	63 हजार 2 करोड़	58 हजार 2 करोड़	37 हजार 3 करोड़
रेडियो लाइसेंस	10 लाख 20 ..	50 लाख 40 ..	31 लाख 1 करोड़
टेलीविजन लाइसेंस	—	200	40 लाख 1 .. 63 हजार
भुगतान समतुलन			
विदेशी मुद्रा कोष	304 करोड़ रु	298 करोड़ रु	947 करोड़
विदेशी व्यापार			
नियति आयात	660 करोड़ रु. 1,140 करोड़ रु.	810 करोड़ रु. 1,394 करोड़ रु.	2,483 करोड़ रु. 2,921 करोड़ रु.

नोट—1973-74 के आंकड़े स्थायी हैं।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना

(1974-79)

(THE FIFTH FIVE YEAR PLAN, 1974-79)

पाँचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1974 से लागू की गई। इसे 31 मार्च, 1979 को समाप्त होना था, किन्तु जनता पार्टी की सरकार द्वारा इसे अबधि से एक वर्ष पूर्व ही 31 मार्च, 1978 को समाप्त कर दिया गया है। 1 अप्रैल, 1978 से नई राष्ट्रीय योजना चालू की गई। तथापि पाँचवी पंचवर्षीय योजना का विस्तृत अध्ययन नितान्त आवश्यक है क्योंकि इससे हमें हमारी अर्थ-व्यवस्था के विकास की भाँती मिलती है और हमारे अध्ययन का तारतम्य खण्डित नहीं होता।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना यद्यपि 1 अप्रैल, 1974 से लागू कर दी गई, लेकिन विभिन्न कठिनाइयों के कारण योजना के मूल प्राहूप को लम्बे असेँ तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने सितम्बर, 1976 में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को संशोधित रूप में अन्तिम रूप से स्वीकार किया। जिन कारणों से योजना को संशोधित रूप में स्वीकार करना पड़ा, उनका विवेचन परिषद् में 'आर्थिक स्थिति की समीक्षा' शीर्षक के अन्तर्गत किया।

पाँचवी योजना के दृष्टिकोण पर दो 'आर्थिक स्वतन्त्रता का घोषणा-पत्र' कहा गया और दो मुख्य उद्देश्यों पर बल दिया गया—गरीबी का उन्मूलन तथा आत्म निर्भरता। योजना की रीति-नीति में इन बातों पर भी विशेष बल दिया गया— (1) उत्पादन बढ़ाने वाले रोजगार का विस्तार, (2) समाज कल्याण कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाने, (3) गरीब लोगों के लिए उचित भावों पर उपभोग वस्तुएँ मिल सकें, इसके लिए पर्याप्त वसूली और वितरण की प्रणाली, (4) निर्यात की वृद्धि और आयात होने वाली चीजों की समूह देशी चीजों पैदा करने का प्रयत्न, (5) अनिवार्य उपभोग पर कड़ाई से पाबन्दी, (6) कीमतों, वेतनों और आयों का समुचित सन्तुलन, तथा (7) सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय असमानताएँ घटाने के लिए सम्भागव, वित्तीय तथा अन्य उपाय।

पाँचवी योजना के मूल प्राहूप में 53,411 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया जिसमें 37,250 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के लिए और 16,161 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र के लिए थे। किन्तु सितम्बर 1976 में स्वीकृत संशोधित

योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में 39,303.24 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया जो मूल प्रारूप-योजना से लगभग 2,000 करोड़ रुपये अधिक था। अलग-अलग मदों को सौ तो सशोधित योजना में व्यय का आवंटन इस प्रकार रखा गया।

मद	व्यय राशि (करोड़ रु. में)
कृषि तथा इससे सम्बन्धित विषय	4643.50
सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	3440.18
विद्युत	7293.90
उद्योग तथा धन	10200.60
परिवहन तथा संचार	6881.43
शिक्षा	1284.29
समाज तथा सामुदायिक सेवाओं पर	4759.77
पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों पर	450.00
बाय विविध क्षेत्रों पर	333.73

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में जिन विषयों को प्राथमिकता मिली थी, उन्हें अपरिवर्तित रखा गया है।

पाँचवीं योजना की 39303.24 करोड़ रु की राशि में केन्द्र का योगदान 19954.10 करोड़ रु राज्यों का 18265.08 करोड़ रु सशोधित क्षेत्र का 634.06 करोड़ रुपये तथा पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों का 450 करोड़ रुपये का रखा गया।

सशोधित योजना की यह मोटी छपरेखा है। अग्रिम विवरण में योजना के सार-संक्षेप¹ को दिया जा रहा है। इससे हमें सशोधित योजना की सभी मुख्य बातों की संक्षिप्त किन्तु ठोस जानकारी मिल सकेगी।

प्रस्ताव

पाँचवीं योजना पर प्रस्ताव : समाज के सभी वर्गों से अपील

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के मसविदे के अन्तिम रूप पर पूरी तरह विचार करते हुए,

साम-निर्भरता और गरीबी हटाने के उद्देश्यों को पुनः स्वीकार करते हुए; मुद्रा-स्थिति की रोकथाम के लिए किए गए प्रभावी उपायों को देखते हुए;

कृषि, सिंचाई, ऊर्जा आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दो गई प्राथमिकता का समर्थन करते हुए;

नए आर्थिक कार्यक्रमों को बर्धमान करने में राष्ट्र के अनोखे और निष्ठा को जानते हुए;

विशाल मात्रा में किए गए विनियोजनों में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त

1. योजना कमिटी-कार्यवाही, 1978 में प्रकाशित 'सार-संक्षेप' का भी लघु रूप। विस्तार के लिए देखें योजना समिति द्वारा प्रकाशित 'पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79)' अक्टूबर, 1976

करने की सतत् आवश्यकता और सत्तापन जुटाने की महती आवश्यकता को समझते हुए;

राष्ट्रीय विकास परिषद् अपनी सितम्बर, 1976 की इस बैठक में पांचवीं पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करती है; और

समाज के सभी वर्गों के लोगों से योजना में निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के राष्ट्रीय प्रयास में सहयोग प्रदान करने की अपील करती है।

विद्युत् और सिंचाई प्रणालियों पर प्रस्ताव

सिंचाई और विद्युत् प्रणालियों में देश ने काफी पूंजी लगाई है और यह निश्चित है कि आगामी वर्षों में भी इन क्षेत्रों में योजना सहायनों का अधिक भाग लगाना होगा। इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि ये क्षेत्र अब राज्यों के बजट पर भार न रहकर उसमें अपना योगदान करें।

राष्ट्रीय विकास परिषद् यह निश्चित करती है कि सिंचाई प्रणालियाँ अपना संचालन खर्च पूरा करें और सम्भ्रम हो तो इससे कुछ अधिक भी प्राप्त करें और विद्युत् प्रणालियाँ भी अपना खर्च पूरा करें और लगाई गई पूंजी पर यथोचित लाभ भी दें। निम्नलिखित प्रकार से कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए—

(i) विद्युत् और सिंचाई प्रणालियों में पहले से निर्मित क्षमता का अधिक उपयोग किया जाए,

(ii) ऊपरी खर्च और कार्य-संचालन खर्च, पटाकर, लागत घटाएँ, मुकामान और चोरी कम से कम हो और बकाया रकम शी-बसुली में मुधार करें,

(iii) कुशल प्रदग्ध-व्यवस्था से परियोजनाएँ समय पर पूरी करें,

(iv) जहाँ कहीं जरूरी हो, वहाँ दर बढ़ाएँ।

आर्थिक स्थिति की समीक्षा

पंचवर्षीय योजना का मसौदा सन् 1972-73 के मूल्यों के आधार पर और 1973-74 के पूर्वार्द्ध में विद्यमान आर्थिक स्थिति के सन्दर्भ में तैयार किया गया था किन्तु उसके बाद स्थिति में दो बड़े परिवर्तन हुए—मुद्रा-स्फीति का दबाव बढ़ा और सितम्बर, 1974 तक दबाव बढ़ता रहा और अन्तर्राष्ट्रीय तेल सवट के बाद मुग्तान सन्तुलन की स्थिति विपम हो गई।

सितम्बर, 1974 तक मूल्यों का सूचक एक 31.8 प्रतिशत बढ़ गया। इसमें से दो तिहाई मूल्य-वृद्धि खाद्य पदार्थों और औद्योगिक कच्चे माल में हुई। समग्र मूल्य-वृद्धि में मशीनों, परिवहन उपकरणों और तैयार माल के दामों में बढ़ोतरी का योग एक चौथाई से कुछ ही अधिक था। मुद्रा-स्फीति का दबाव पहली बार सन् 1972-73 में भयंकर सूखे की स्थिति के कारण अनुभव किया गया और उसके बाद अनेक आवश्यक वस्तुओं, कच्चे माल और निवेशों की कमी अनुभव की गई। विजली की कमी और आयातित माल के अधिक मूल्यों तथा उनकी पर्याप्त उपलब्धि के कारण सन् 1973-74 में औद्योगिक उत्पादन में शिथिलता आई। मूल्य-स्थिति घन की आपूर्ति में निरन्तर बढ़ोतरी से विपम हो गई। घन की आपूर्ति में वृद्धि का आर्थिक कारण

घाटे की अर्थ-व्यवस्था और आर्थिक कारण वाणिज्यिक क्षेत्र के बैंक ऋण में अत्यधिक बढ़ोत्तरी था। सन् 1973-74 में धन की आपूर्ति में 15.4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई जो 1972-73 में हुई 15.9% की बढ़ोत्तरी के अलावा थी। धन की अतिरिक्त सप्लाई और बिना हिसाब के (करो की चोरी से बचाए गए) धन से वस्तुओं की स्थिति में माँग की बहुलता हो गई। सड़ते बाजों और असामाजिक तत्त्वों की गतिविधियों पर इसका अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लागत और दामों में बढ़ोत्तरी होने से मध्यवर्ती माल जैसे कि इस्पात, कोयला सीमेन्ट अल्पमूल्यनीयन के दाम रक्षात्मक कार्यायों के रूप में बढ़ाने पड़े। चावल और गेहूँ जैसे महत्वपूर्ण पदार्थों के बसूली और विक्रय दामों में भी उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई। इसका न केवल जीवन-निर्वाह व्यवस्था सूचक-प्रकार पर सीधा प्रभाव पड़ा बल्कि इससे मुद्रा-स्थिति की प्रवृत्तियों को भी बल मिला।

मुद्रातान सन्तुलन की स्थिति पर भी काफी दबाव पड़ा। बड़ी मात्रा में साठान और अन्य जीवनोपयोगी वस्तुएँ आयात करनी पड़ी। तेल के मूल्यों में चार गुनी बढ़ोत्तरी और खाद्यान्नों, ज्वरकों, मशीनों एवं उपकरणों, अलौह धातुओं एवं अन्य आयातित वस्तुओं के मूल्यों अर्थात् खाद्यान्नों, ज्वरकों और पेट्रोल, चिकनाई तथा तेल पर होने वाला व्यय सन् 1974-75 में कुल आयात व्यय का 53.2% हो गया जबकि यह व्यय सन् 1973-74 में 42.6% और 1972-73 में 23% ही था। समग्र रूप से इन वस्तुओं के आयात होने वाला खर्च सन् 1972-73 में 431 करोड़ रु. से बढ़कर 1973-74 में 1260 करोड़ रुपये और 1974-75 में 2500 करोड़ रु. हो गया। निरन्तर नियंत्रण का मूल्य भी बढ़ा, लेकिन मुद्रातान सन्तुलन की स्थिति निरन्तर घाटे की बनी रही। सन् 1972-73 का 103.4 करोड़ रुपये का व्यापार अधिशेष 1973-74 में 432 करोड़ रुपये के घाटे में और 1974-75 में 1190 करोड़ रुपये के घाटे में परिवर्तित हो गया। इस प्रवृत्ति का कारण सन् 1973 के बाद व्यापार में तेजी से बनी होना और अधिक मात्रा में माल का मगाना था। इस कारण मुद्रातान सन्तुलन सम्बन्धी घाटा पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष से विशेष तेल सुविधा सहित 485 करोड़ रुपये का ऋण लेना पड़ा। इन घटनाओं तथा कुछ अन्य देशों में विपन्न आर्थिक स्थिति और अस्थिर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-स्थिति के कारण पाँचवीं योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

इससे योजना के वित्तीय तथा भौतिक आकार और मुद्रातान सन्तुलन की स्थिति विकृत हो गई। लागत में वृद्धि, सार्वजनिक उपभोग पर अधिक परिरक्ष्य और गैर-विकास कार्यों के खर्च में बढ़ोत्तरी से योजना के साधनों में कमी हो गई जिसके परिणामस्वरूप कार्यक्रमों में शिथिलता आ गई। निजी क्षेत्र के पूँजी-निवेश पर भी इसका प्रभाव पड़ा। देश और विदेश में इस प्रकार की अस्थिर परिस्थितियों में योजना को अन्तिम रूप देने का काम अधिक स्थिरता आने तक के लिए रोक देना पड़ा।

लेकिन योजना को अन्तिम रूप देने को स्थगित करने का अर्थ यह नहीं था

कि योजना को छुट्टी दे दी गई। इसका अर्थ केवल यह था कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप योजना परिचय की गये तारे से व्यवस्था की जा रही थी। इसका अर्थ यह भी था कि योजना तैयार करते समय अर्थ-व्यवस्था की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। देश में मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए और तेजी से बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के अनुसार व अर्थ-व्यवस्था को ठीक रूप से चलाने के लिए तत्काल कदम उठाने आवश्यक थे। इसके लिए यह आवश्यक हो गया कि मसविदे के उद्देश्यों के अनुरूप प्राथमिकताओं के भीतर प्राथमिकताएँ निश्चित की जाएँ। इसलिए पूँजी लगाने की दृष्टि से खाद्य और ऊर्जा योजना के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गए। इन्हीं तथ्यों के आधार पर एक के बाद दूसरी वार्षिक योजनाएँ तैयार की गईं।

1974-75 की वार्षिक योजना उस समय तैयार की गई जब मुद्रा-स्फीति की दर बहुत अधिक थी। इसलिए यह मुख्य रूप से मुद्रा-स्फीति रोकने के लिए और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार की गई थी। योजना के खर्च की राशि कम रखनी थी। फिर भी इस बात का ध्यान रखा गया कि सिंचाई और उर्वरकों सहित कृषि, ऊर्जा (विजली कोयला और तेल) इस्पात की चालू परियोजनाओं, अलौह पातुओं और कुछ बुनियादी उपभोक्ता माल तैयार करने वाले उद्योगों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जाए। उपभोग न की जा रही क्षमता के पूरे उपयोग पर जोर दिया गया। इसी के साथ ही, सामाजिक सेवाओं पर व्यय कुछ कम किया गया।

वर्ष के दौरान एक विस्तृत नीति तैयार की गई और अनेक उपाय-विधियाँ, मौद्रिक और प्रशासकीय—किए गए। इनमें शामिल थे—अतिरिक्त सापन जुटाना (केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा), उच्च प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के लिए निधियों का आवंटन, धन की सप्लाई पर अकुशल और असामाजिक तत्वों पर सख्ती से प्रहार। अतिरिक्त आय के कुछ अंश का भुगतान रोकना गया, लाभांश देने पर प्रतिबंध लगाया गया और उच्च आय वर्ग के करदाताओं के लिए बचत अनिवार्य कर दी गई। प्रमुख फसलों के वसूली मूल्य नहीं बढ़ने दिए गए। इन उपायों का समग्र परिणाम यह हुआ कि धन की सप्लाई में कमी हुई, मूल्य स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ और आवश्यक वस्तुएँ आसानी से मिलने लगीं। सन् 1974-75 में धन की सप्लाई में 6.9% की बढ़ोत्तरी हुई, जबकि इसके पिछले वर्ष 15.4% हुई थी। थोक भावों का सूचक अंक सितम्बर, 1974 और मार्च, 1975 के बीच 7.1% कम हो गया।

यद्यपि मुद्रा-स्फीति रोक दी गई, फिर भी अर्थ-व्यवस्था को अनेक बाधनों में काम करना पड़ रहा था। सन् 1974-75 में कृषि उत्पादन में 3.1% की कमी हुई किन्तु औद्योगिक उत्पादन में 2.5% की बढ़ोत्तरी हुई। यद्यपि समग्र पूँजी-निवेश की दर (शुद्ध) में 1.2% बढ़ोत्तरी हुई किन्तु शुद्ध घरेलू बचत में केवल 0.3% वृद्धि हुई। भुगतान सन्तुलन की स्थिति में गिरावट आई।

सन् 1974-75 के अन्त तक मूल्यों में कुछ स्थिरता लाने के बाद सन् 1975-76 की वार्षिक योजना में मूल्य स्थिरता की स्थिति में विकास की ओर

ध्यान दिया जा सके। कृषि, सिपाई, बिजली, लौह-पत्थर, तेल और उर्वरकों को प्राथमिकता दी जाती रही; शीघ्र फल देने वाली परियोजनाओं को प्रारंभिक विशेष ध्यान दिया गया। श्रम अनुशासन और जमाखोरो तथा तस्करो के विरुद्ध लड़ाई में अभियान से समुचित सातावरण का निर्माण हुआ। बढ़िया फसल से अर्थ-व्यवस्था को नया बल और बढ़ावा मिला। अनुमान है कि सन् 1975-76 में राष्ट्रीय आय में 6 से 6.5% की बढ़ोत्तरी हुई—कृषि-उत्पादन में 10% की और औद्योगिक-उत्पादन में 5.7% की। सन् 1975-76 में आयात करने से और देश में। करोड़ 30 लाख टन भनाज की बसुली से खाद्यान्न का अच्छा खासा भण्डार (1 करोड़ 70 लाख टन) बनाया जा सके। शोके भावी का सूचक ग्रक जो मार्च, 1975 के अन्त में 307.1 था मार्च, 1976 के अन्त में 283.0 हो गया अर्थात् लगभग 8% की कमी। सन् 1975-76 का वर्ष, अनुमानित 490 करोड़ रु के घाटे के स्थान पर 200 करोड़ रुपये के अतिशेष के साथ समाप्त हुआ। सन् 1975-76 में भी मुगलान सन्तुलन की स्थिति चिन्ता का विषय बनी रही और व्यापार का घाटा 1216 करोड़ रुपये रहा। यह तब हुआ जबकि निर्यात में 18.4% की बढ़ोत्तरी हुई और आयात में केवल 14% की बढ़ोत्तरी हुई थी। तथापि, तस्करो के विरुद्ध कारगर कार्रवाई और विदेशी मुद्रा के गैर-वातूनी लेन-देन को समाप्त करने से विदेशी में रहने वाले भारतीय नागरिकों ने अधिक विदेशी मुद्रा भेजी और शुद्ध विदेशी सहायता में भी बढ़ोत्तरी हुई—इससे मुगलान सन्तुलन पर दबाव नहीं पड़ा, बल्कि पिछले वर्ष के अन्त में विदेशी मुद्रा का जो 969 करोड़ रुपये का सुरक्षित कोष था वह सन् 1975-76 के अन्त में 1885 करोड़ रुपये हो गया।

वर्ष 1975-76 में प्राप्त मूल्यों में स्थिरता और आर्थिक विचारों को ध्यान में रखते हुए सन् 1976-67 के लिए पूर्ण-निवेश का काफी बड़ा कार्यक्रम तैयार किया गया। सन् 1976-77 की वार्षिक योजना में 7,852 करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था है, जो सन् 1975-76 के मूल योजना आवंटन से 31.4% अधिक है। नए आर्थिक कार्यक्रम और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों की और अधिक ध्यान दिया गया। अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों-सिंचाई सहित कृषि, ऊर्जा और मध्यवर्ती वस्तुओं के उद्योगों को दी गई उच्च प्राथमिकता जारी रही। न केवल पाचू स्तरियों पर पूरा ध्यान दिया गया वरन् नाजुक क्षेत्रों में चुनौती आधार पर नई स्कीम शुरू करने की भी योजना में व्यवस्था की गई। अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था के ताम इस नीति से आशा है कि अर्थ-व्यवस्था की विकास दर बढ़ेगी।

इस प्रकार अब तक किए गए प्रयत्नों से मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति रही है और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। आवश्यक कच्चा माल और मध्यवर्ती वस्तुएँ आसानी से उपलब्ध हैं। इस समय देश में पहले से अधिक आर्थिक अनुशासन है और फिर से गतिशीलता आई है। आशा है कि हाल की मूल्य-वृद्धि की प्रभावी उपायों से रोक लिया जाएगा, जो शुरू किए जा चुके हैं। सार्वजनिक एजेंसियों के पास खाद्यान्न का काफी सुरक्षित भण्डार है और विशेष मुद्रा की स्थिति बहुत सन्तोषजनक है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था में भी कुछ सीमा तक स्थायित्व आ गया है। इसलिए योजना आयोग की आय में लम्बी अवधि के लिए विचार करने के वास्ते यह सर्वथा उचित समय है। इस उद्देश्य के साथ आयोग ने पाँचवी पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों के विकास कार्यक्रमों की सावधानी से विस्तृत जाँच की है। इससे पाँचवी पंचवर्षीय योजना की अधिक स्पष्ट तस्वीर सामने आई है, विशेषकर प्राथमिक क्षेत्रों के बारे में।

परिप्रेक्ष्य

गरीबी दूर करने और आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्यों को सामने रखा गया है। यहाँ पर विकास के बृहत् परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जा रहा है, जिससे दीर्घावधि निवेश का चयन करने में सहायता मिलगी और कार्य नीतियों को स्पष्ट किया जा रहा है जिससे लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायता मिलगी। ये नीतियाँ इन तीन प्रमुख क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं—कृषि, ऊर्जा तथा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती वस्तुएँ, रोजगार के अतिरिक्त धनस्रोतों की व्यवस्था।

कृषि-क्षेत्र

यह सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पादन सन् 1960-61 के मूल्यों पर 1961-62 से 1973-74 तक की अवधि में 2.07 प्रतिशत की निरन्तर वार्षिक दर से बढ़ा। अनुमान है कि इसी अवधि में खाद्यान्नों की उपज में 2.72 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ोत्तरी हुई। लगभग 30 प्रतिशत जिलों में जहाँ लगभग इतना ही फसल क्षेत्र होगा और जहाँ अधिक निवेश हुआ, कृषि उपज में 3 प्रतिशत निरन्तर दर से बढ़ोत्तरी हुई। हमारे एक तिहाई जिलों में, जहाँ कुल फसल क्षेत्र को 30.98 प्रतिशत है विकास की दर 1 से लेकर 2.99 प्रतिशत निरन्तर प्रति वर्ष तक होने का अनुमान है।

कृषि-क्षेत्र की दीर्घावधि योजना की कार्य नीति में समस्याग्रस्त क्षेत्रों और समाज के दुर्बल वर्गों की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान देने के साथ-साथ भूमिगत और सतही जल का विस्तृत सर्वेक्षण और उपयोग, कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों का अधिक उपयोग, विस्तार प्रणाली तथा अधिक निवेश की पूर्ति करने के कार्यक्रम शामिल हैं।

अनुमान है कि सन् 1961-62 से 1972-73 की अवधि में सकल फसल क्षेत्र की विकाश दर 0.54 प्रतिशत निरन्तर प्रतिवर्ष रही। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कुल सिंचित क्षेत्रों में एक से अधिक फसलों की लोच के आधार पर सन् 1970-71 से 2000 ई० तक कुल फसल क्षेत्र में वृद्धि की दर 0.66 प्रतिशत निरन्तर प्रतिवर्ष होने का अनुमान लगाया है। सम्पूर्ण देश में सकल फसल क्षेत्र की सकल सिंचित क्षेत्र के साथ लोच 0.20 रहने का अनुमान है। पाँचवी योजना में सकल सिंचित क्षेत्र में 4 प्रतिशत की दर से बढ़ोत्तरी होगी। यह बात निर्विवाद रूप से मानी जा सकती है। बाद की योजना अवधियों में विकास-दर को तेज करना आवश्यक होगा।

परिमित आधार पर यह माना जा सकता है कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में सकल फसल क्षेत्र में 0.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होगी और वाद की अवधि में 0.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होगी।

अनुमान है कि सकल फसल क्षेत्र में सन् 1961-62 से 1972-73 की अवधि में 0.49 प्रतिशत निरन्तर दर से वृद्धि होगी। पाँचवीं योजना के लिए विकास दर 0.6 प्रतिशत प्रति वर्ष रखी गई है। आशा है कि खाद्यान्त फसलों में सूचि, वाद की योजना अवधियों में बनी रहेगी।

खाद्यान्न की माँग

खाद्यान्न की माँग का अनुमान, प्रायः के विकास और वितरण के पूर्वानुमानों पर निर्भर है। सन् 1975-76 तक आय में हुए विकास, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों में आय में 5.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष निरन्तर वृद्धि के लक्ष्य और खाद्यान्न की खरीद तथा प्रति व्यक्ति कुल उपभोग व्यय में वृद्धि के मध्य अनुमानित सम्बन्ध— इसके आधार पर सन् 1978-79 में खाद्यान्न की माँग 1276 90 लाख टन होने का अनुमान है। अभी छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में आय में विकास के जो लक्ष्य रखे गए हैं उनके आधार पर खाद्यान्न की माँग का अनुमान क्रमशः 1509 00 लाख टन और 1782 00 लाख टन बैठता है, बशर्ते कि उपभोक्ता व्यय की तुलना में खाद्यान्न माँग की लोच स्थिर रहे। ये अनुमान, राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा लगाए गए सन् 1985 में खाद्यान्न की अधिकतम आवश्यकता के अनुमानों के अनुरूप हैं। आयोग ने 1500 लाख टन से 1630 लाख टन का अनुमान लगाया है। किन्तु यह भी सम्भव है कि आने वाले समय में खाद्यान्न की माँग में कुछ कमी आए क्योंकि आय में वृद्धि होने पर अधिकाधिक परिवार उच्चतर उपभोक्ता व्यय वर्ग में पहुँचते हैं और तब उनकी खाद्यान्न की माँग घटकर अन्य पदार्थों की माँग बढ़ती है।

खाद्यान्त फसलों

यह कार्यनीति खाद्यान्त फसलों पर भी लागू होती है, अर्थात् सिंचाई क्षेत्र का विस्तार और अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रसार। वर्तमान अनुमानों के अनुसार पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में खाद्यान्त फसलों में 3.94 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि होने का अनुमान है, जो सातवीं योजना की अवधि तक बढ़कर 4.96 प्रतिशत हो जाएगा। पशुपालन, मत्स्य उद्योग और वन उद्योग क्षेत्रों में वृद्धि दर को शामिल कर लेने से पाँचवीं योजना की अवधि में कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 3.94 प्रतिशत तथा छठी और सातवीं योजना की अवधियों में 4.30 प्रतिशत वृद्धि होगी।

उर्वरक

उर्वरक की माँग सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि और नई तकनीक के प्रसार पर निर्भर है। सन् 1978-79 में पोषक तत्वों की माँग 48 लाख टन और 1983-84 में 80 लाख टन होने का अनुमान है।

वन उद्योग

देश के आर्थिक विकास में वन उद्योग को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। सन् 1952 में भारत की राष्ट्रीय वन नीति में कहा गया था कि देश के कुल क्षेत्र के 33 प्रतिशत में वन होने चाहिए जबकि कुल क्षेत्र के 23 प्रतिशत भाग में वन हैं। सन् 1960-61 के मूल्यांकन के आधार पर शुद्ध परेलू उत्पादन में उत्तम प्रदर्शन 1.4 प्रतिशत है।

वन उद्योग क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याएँ मुख्यतः सगठनात्मक हैं। इस बात को देखते हुए कि भविष्य में जमीन की स्थिति विषम होगी, वन लगाने के कार्यक्रम के साथ समन्वय करना होगा।

भूमिगत जल साधनों का सर्वेक्षण

जिन क्षेत्रों का भूबैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जा चुका है, नीचे दी गई सारणी में देखने से पता चलता है कि अभी भी 63 प्रतिशत क्षेत्रों की जाँच नहीं की गई है। यह कमी उत्तर-पूर्व के राज्यों, पूर्वी क्षेत्र (पश्चिम बंगाल को छोड़कर) मध्यवर्ती क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में अधिक है जहाँ देश के अधिक सूखा पड़ने वाले इलाके हैं। उपयुक्त सर्वेक्षण और खोज के अभाव में भूमिगत जल की चरम सम्भाव्यता छोटे तौर पर 3.5 करोड़ हेक्टेयर प्राप्ति जा सकती है।

जल साधनों का व्यवस्थित भूबैज्ञानिक सर्वेक्षण

(1 जनवरी 1975 की स्थिति)

क्षेत्र	सर्वेक्षण क्षेत्र (वर्ग कि. मीटर)	पूरा किया गया सर्वेक्षण (वर्ग कि. मीटर)	क्षेत्र क्षेत्र	
			(वर्ग कि. मीटर)	प्रतिशत
उत्तरी क्षेत्र	271293	170070	101223	37.3
उत्तर पश्चिमी क्षेत्र	140563	97953	42611	30.3
पश्चिमी क्षेत्र	538198	308690	229508	42.6
पूर्वी क्षेत्र	425694	153055	272639	64.0
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	217177	25665	191512	88.2
मध्य क्षेत्र	754416	14245	613171	81.3
दक्षिणी क्षेत्र	636624	201495	435129	68.4
योग	2983965	1098173	1885792	63.2

पाँचवी योजना में देश के भूमिगत जल साधनों के व्यवस्थित मूल्यांकन के लिए वन के आकटन में पर्याप्त वृद्धि की गई है। अधिक जानकारी प्राप्त होने पर छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में और उसके बाद, व्यापक भूमि उपयोग योजना और भूतल तथा भूमिगत जल के उपयोग के लिए समन्वित योजना तैयार करना सम्भव होगा। राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के लिए इस प्रकार की योजना को स्थानीय और क्षेत्रीय विकास योजनाओं के साथ एकीकृत करना आवश्यक है।

ऊर्जा क्षेत्र

अर्थ-व्यवस्था के अ-नवीकरणीय संसाधन आधार को देखते हुए अधिक जोर कोयला, विजली, कूड़ तेल और जहाँ कहीं सम्भव हो आयातित ऊर्जा स्रोत के विकल्प पर दिया गया है। सन् 1973-74 में गैर-कृषि क्षेत्र में जोड़े गए सकल मूल्य में ऊर्जा के इन तीन प्रमुख क्षेत्रों का हिस्सा 3.96 प्रतिशत था। आशा है कि यह हिस्सा पाँचवी योजना के अन्त में 5.00 प्रतिशत और छठी योजना के अन्त में 5.56 प्रतिशत हो जाएगा।

कोयला क्षेत्र के संशोधित उत्पादन अनुमानों के अनुसार सन् 1978-79 में 12 करोड़ 40 लाख टन कोयले का उत्पादन होगा और 1983-84 में 18 करोड़ 50 लाख टन हो जाएगा। आशा है कि इस क्षेत्र में सातवी योजना के दौरान भी 7 से 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की निरन्तर विकास दर बनी रहेगी।

विजली उत्पादन के कार्यक्रम और परिपोषण एवं वितरण में होने वाले नुकसान को कम से कम करके 1978-79 तक 90 अरब किलोवाट घण्टे की विजली की माँग पूरी की जा सकेगी। वर्तमान अनुमानों के अनुसार छठी योजना के अन्त में मोटे तौर पर 138 अरब यूनिट विजली की खपत होगी। आशा है कि सातवी योजना में विजली क्षेत्र में 8.5 से 9.5 प्रतिशत विकास दर बनाए रखेगा।

सन् 1960-1973 की अवधि में तेल शोधक कारखानों के उत्पादों की खपत 8.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की निरन्तर दर से बढ़ी है। उपयुक्त भौतिक उपायों और तेल उत्पादों के अनावश्यक प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाकर सन् 1974-75 में खपत का स्तर 1972 के स्तर पर ले आया गया और अतिरिक्त माँग नियन्त्रित कर दी गई है। आशा है कि सन् 1978-79 में उर्वरक, परिवहन, सिंचाई, उद्योग और घरेलू इंधन जैसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं सहित पेट्रोलियम उत्पादों की कुल आवश्यकता 2.85 करोड़ टन होगी। तेल की खोज और शोधन दोनों क्षेत्रों में साथ-साथ विकास से तब तक 1 करोड़ 41 लाख 80 हजार टन कूड़ तेल का उत्पादन होगा जबकि योजना के मसविदे में 1 करोड़ 20 लाख टन का लक्ष्य था। पाँचवी योजना के दौरान कूड़ तेल क्षेत्र का 14.68 प्रतिशत की दर से विकास होगा। सन् 1983-84 तक उत्पादन का स्तर मोटे तौर पर 2 करोड़ 20 लाख टन होने की सम्भावना है। सन् 1978-79 तक देश में 3 करोड़ 15 लाख टन तेल साफ करने की क्षमता होगी।

अ-नवीकरणीय संसाधन

महत्वपूर्ण मध्यवर्ती वस्तुओं की योजना अ-नवीकरणीय संसाधनों से सम्बद्ध होनी चाहिए क्योंकि पूरे प्रयत्न करने पर भी पुनर्प्राप्ति का अनुपात इकाई से कम ही होता है। भूमि और समुद्र से अ-नवीकरणीय संसाधनों के विकास के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

- (क) प्राकृतिक संसाधनों की विस्तृत वस्तु सूची तैयार करना,
- (ख) न्यूनतम समाजमूलक कीमतों पर बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति,

- (ग) राष्ट्र के अ-नवीकरणीय ससाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, जिसमें बरबादी की दर शून्य हो ।
- (घ) तकनीक, उत्पादन और संरक्षण के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना,
- (च) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को उन सम्भावनाओं का उपयोग जो दीर्घकालिक योजना के अन्य उद्देश्यों के अनुरूप हों ।
- (छ) पुन उपयोग की सम्भावनाओं का लाभ उठाना, और
- (ज) अनुसंधान और विकास कार्य करना ।

श्रौद्योगीकरण की वर्तमान स्थिति में, सकल घरेलू उत्पाद या निर्माण गतिविधियों से खनिज उपभोग की लोच इकाई से अधिक है । यह अनुभव, अन्य देशों में श्रौद्योगीकरण की ऐसी ही स्थिति में प्राप्त हुए अनुभव के अनुरूप है ।

नीचे दी गई सारणी में भूवैज्ञानिक मानचित्रण की स्थिति दिखाई गई है । यद्येष्ट प्रयासों के बाद भी देश में भौगोलिक क्षेत्र के केवल 46.14% भाग का भूवैज्ञानिक मानचित्र 1:50000 के पैमाने पर तैयार किया जा सका है । भू-वैज्ञानिक मानचित्र बनाने के काम को भूमि प्रयोग और अ-नवीकरणीय ससाधनों के उपयोग की योजना के सम्पूर्ण कार्यक्रम में प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

भारत में भूवैज्ञानिक मानचित्रण की स्थिति

(1:63360/50,000)

(1 जनवरी, 1975 की स्थिति)

देश क क्षेत्र	उनका क्षेत्रफल (वर्ग कि मीटर)	मानचित्रित क्षेत्र	
		(वर्ग कि मीटर)	प्रतिशत
पूर्वी क्षेत्र	699837	331631	47.39
उत्तरी क्षेत्र	668504	174435	26.09
पश्चिमी-मध्य क्षेत्र	1292614	640220	49.53
दक्षिणी क्षेत्र	638032	375873	59.91
योग	3298987	1522159	46.14

परिमित श्रेणी के भण्डार, जिनके सम्बन्ध में जानकारी विलुप्त अन्वेषणों से प्राप्त हुई है, भविष्य की दीर्घकालिक ससाधन योजना की अपेक्षाओं से कम है । आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई खनिजों, जैसे कोमाइट, फायनाइट और मैगनीज के ज्ञात भण्डार सन् 2000 तक रिक्त हो जाएँगे । यह गम्भीर प्रश्न है । तौबा और जस्त जैसे ज्ञात भण्डारों का आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से कम से कम दर पर उपयोग किया जाए तब भी ये अगले 15 वर्षों में समाप्त हो जाएँगे । इसलिए यह स्वाभाविक है कि इस स्थिति का असर इन धातुओं की आयात योजना और उपभोग दोनों पर पड़े । लौह अपस्क और बॉक्साइट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के भण्डार आन्तरिक माँग पूरी करने और निर्यात करने के लिए पर्याप्त हैं । चूने के पत्थर के भण्डार भी पर्याप्त मात्रा में हैं ।

महत्वपूर्ण औद्योगिक मध्यवर्ती

इस्पात की माँग के सम्बन्ध में किए गए अध्ययनों से ज्ञात होता है कि सन् 1983-84 तक आन्तरिक जरूरतें पूरी की जा सकती हैं और निर्यात भी किया जा सकता है। मातवी योजना के पूर्वार्द्ध में तैयार इस्पात विक्रेपन आकृति वाले उत्पादों की अपेक्षित मात्रा में उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए नई पूंजी लगाने के सम्बन्ध में निर्णय करने होंगे। योजना प्रारूप में एल्यूमीनियम के उत्पादन का लक्ष्य 4 लाख टन रखा गया था, जिसके अब छोटी योजना की अवधि के अन्त तक पूरा होने की सम्भावना है। सातवी योजना की अवधि में एल्यूमीनियम की माँग में 50 प्रतिशत वृद्धि होने की सम्भावना है।

जनसांख्यिकीय सम्भावनाएँ

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में छोटी योजना की अवधि के अन्त तक जन्म-दर 25 प्रति हजार और जनसंख्या में वृद्धि की दर 1.4 करने का लक्ष्य है। इस नीति के अन्तर्गत कई बुनियादी उपाय करने का सुझाव है। इनमें विवाह की आयु में वृद्धि, स्त्री-शिक्षा, छोटे परिवार के लाभों का व्यापक प्रचार, सन्तानोत्पत्ति सम्बन्धी शरीर-विज्ञान और गर्भ-निरोध पर अनुसंधान कार्य बढ़ाना, व्यक्तियों, समूहों और समुदायों को प्रोत्साहन और राज्यों की अनिर्वाह वन्ध्याकरण कानून बनाने की अनुमति देना भी शामिल है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के लक्ष्य पाँचवी योजना के प्रारूप में दिए गए लक्ष्यों के समान ही हैं जिन्हें छोटी योजना की समाप्ति तक पूरा किया जाना है और सम्भावना यही है कि ये लक्ष्य पूरे हो जाएँगे। सन् 1986-91 में जनसंख्या में वृद्धि की दर 1.1 प्रतिशत होने का अनुमान है। सन् 1988-89 तक कुल जनसंख्या 7254 लाख और 1991 तक 7448 लाख हो जाने की सम्भावना है। सन् 1988-89 में ग्रामीण जनसंख्या 5451 लाख और शहरी जनसंख्या 1803 लाख हो जाने की सम्भावना है।

उत्पादन की सम्भावनाएँ

सन् 1960-61 के मूल्यों के आधार पर सन् 1961-62 से 1973-74 की अवधि में कुल आन्तरिक उत्पादन में 3.40% निरन्तर वार्षिक दर में वृद्धि हुई है (देखिए पृष्ठ 451 पर दी गई सारणी) और पाँचवी योजना के पहले वर्ष (1974-75) में पिछले वर्ष से केवल 0.2% बढ़ोतरी हुई, तथापि सन् 1975-76 में उल्लेखनीय प्रगति हुई और सकल राष्ट्रीय उत्पादन में 6% की बढ़ोतरी हुई। सन् 1976-79 में आशा है कि अपेक्षित रूप में 5.2% की स्थिर दर से वृद्धि होगी।

घटक लागत पर कुल आन्तरिक उत्पादन में वृद्धि की दर
(1961-62 से 1973-74 तक)

क्षेत्र	वृद्धि की दर (प्रतिशत)
कृषि और सम्बन्ध कार्यक्रम	2.07
खनन और उद्योग	4.04
निर्माण (कुल)	4.21
निर्माण (बसंतिय)	4.95
निर्माण (अपबसंतिय)	2.89
निर्माण	4.80
विजली, गैस और वन पूँट	9.90
रेल	3.27
बन्ध परिवहन	5.16
अन्य सेवाएँ	4.35
शेड कुल अतिरिक्त उत्पादन	3.40

वार्षिक विकास-दर की इस रूपरेखा से अनुमान है कि पाँचवी योजना में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में 4.37% की औषत वार्षिक विकास दर से बढ़ोत्तरी होगी।

इस प्रकार अब आने वाले समय में उत्पादन के स्वरूप का सारांश प्रस्तुत किया जा सकता है। पर अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के दबाव, उपभोक्ता व्यय का अक्षेपित स्वरूप और प्राकृतिक सनावन (अ-नवीकरणीय सनावनो सहित) अर्थ-व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों का निर्धारण करने हैं। इसके अतिरिक्त निर्माण के अवसर और विनियोजन तथा जन उपभोग के अक्षेपित स्तर उत्पादन के वार्षिक स्वरूप का निर्धारण करते हैं। पाँचवी पंचवर्षीय योजनावधि में कृषि-क्षेत्र के कुल उत्पादन में 3.94% वार्षिक दर में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है और छठी तथा सातवी योजना में 4% से अधिक का अनुमान लगाया गया है।

पाँचवी पंचवर्षीय योजनावधि में खान क्षेत्र के कुल उत्पादन में 12.58% वार्षिक दर से और विद्युत क्षेत्र में 10.12% की दर से वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। पाँचवी पंचवर्षीय योजनावधि में विनिर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत 6.92% निरन्तर वार्षिक की दर से विकास जारी रहेगा और छठी तथा सातवी योजनावधियों में यह दर 7.23 हो जाने की सम्भावना है। वृद्धि की यह रूपरेखा विकास के लक्ष्य के अनुरूप है, जो पाँचवी योजनावधि में 4.37% है (1976-77 से 1978-79 तक यह लक्ष्य 5.2% है), छठी योजना में 5.65% और सातवी योजना में 6% है।

आने वाले समय में घटक लागत पर कुल आन्तरिक उत्पादन के स्वरूप में परिवर्तन हो जाने की सम्भावना है। कृषि क्षेत्र में अधिक ऊँची विकास दर की सम्भावना है—किन्तु इसका अर्थ सन् 1973-74 में 50.78% से घटकर सन् 1978-79 में 48.15%, सन् 1983-84 में 44.40% और सन् 1988-89 में 40.25% हो जाएगा।

खान और विनिर्माण क्षेत्रों का अंश सन् 1973-74 में 15.78% से बढ़ कर सन् 1978-79 में 17.49%, सन् 1983-84 में 19.01% और सन् 1988-89 में 20.25% हो जाएगा।

निर्यात और आयात

सन् 1960-61 से 1973-74 की अवधि में निर्यात में 7% वार्षिक वृद्धि हुई है। इस अवधि में विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में 12.8% वार्षिक की दर से वृद्धि हुई है और विनिर्मित वस्तुओं का अंश 47.5% से बढ़कर 59.2% हो गया है। इस वृद्धि का मुख्य कारण नव-निर्मित और अपारम्परिक वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि है। इस अवधि में यूरोपीय सभ्यता बाजार के देशों, तैज, उत्पादक तथा निर्यातकर्ता देशों और मध्यजवादी देशों के साथ अधिक व्यापार हुआ। किन्तु विश्व निर्यात में भारत का अंश घट गया क्योंकि जहाँ विश्व व्यापार का मूल्य 12.2% वार्षिक की दर से बढ़ा, भारत के व्यापार में केवल 8% वृद्धि हुई।

सन् 1960-61 के बाद में औद्योगिक मशीनों, कागज, रसायनों, लोहा और इस्पात तथा अनाहूत धातुओं के आयात प्रतिस्थापन में पर्याप्त प्रगति हुई है। देश के कुल (स्वायं) पूंजी निर्माण में आयातित मशीनरी और उपकरण का अंश जो सन् 1960-61 में 43.4% था उसमें एकदम गिरावट आई और सन् 1965-66 में यह अंश 25.3% और सन् 1973-74 में 9.6% रह गया। यह ग्रान्थ-निर्भरता की ओर बढ़ने का घटक है। चौथी योजना की अवधि में कुल आयात के मूल्य में वृद्धि गेई, उर्वरक, अनाहूत धातुओं और पेट्रोल, तेल और विद्युत्-उत्पादों जैसी सामग्रियों के मूल्य बढ़ जाने के कारण हुई थी।

भारत के शोषण सन्तुलन से सम्बन्धित भावी योजना का लक्ष्य प्राप्त-निर्भरता प्राप्त करना है। खाद्य, उर्वरक, पेट्रोलियम तथा अन्य स्नेहक पदार्थों का आयात, योजनाबद्ध विनियोजन करके आयात प्रतिस्थापन द्वारा घटाना होगा। इस्पात, औद्योगिक मशीनों, धातु से बनी वस्तुओं, सिले हुए वस्तुओं, चमड़े की वस्तुओं, सागर से प्राप्त उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स और परिवहन उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्रों में पूंजी और माँग दोनों की लोच का अधिकतम लाभ उठाकर निर्यात की मात्रा बनाए रखनी होगी। लौह अवस्क, अन्नक और वायुमंडल जैसे प्राकृतिक ससाधनों के निर्यात में अधिक मूल्यवान घटकयुक्त उत्पाद पर बल देना होगा और विण्ड निर्माण, एन्युमिना उत्पादन, अन्नक बनाने आदि की क्षमता का विस्तार करना होगा।

प्राथा है कि जो बाजार भौगोलिक स्थिति के कारण भारत के लिए सुव्यव हो सकते हैं उन बाजारों का निर्यात बढ़ाया जाएगा। इन बाजारों को निर्माण, परामर्श और समुक्त उद्यम सम्बन्धी सुविधाओं के निर्यात की सम्भावनाएँ भी उपलब्ध होंगी।

छठी योजना की अवधि में महत्वपूर्ण उपभोग वस्तुओं के आयात में चिह्न विदेशों पर निर्भरता घटाना सम्भव है। जहाँ तक मशीनों, उपकरणों तथा अन्य औद्योगिक वस्तुओं के आयात का सम्बन्ध है, भावी योजना कार्यनीति में यह परिकल्पना की गई है कि चुनीदा आयात प्रतिस्थापन की नीति मायवानीपूर्वक कार्यान्वयन की जाए। अन्तर्राष्ट्रीय संसाधनों की कमी को भी ध्यान में रचना होगा।

रोजगार तथा जीवन-स्तर

इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अचरित उपलब्ध कराने की तत्काल आवश्यकता है। किन्तु इस समस्या के सही स्वरूप को तभी समझा जा सकता है जब यह समझ लिया जाए कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या ग्रामीण क्षेत्र में इसकी व्यापकता का ही परिणाम है। इसके प्रतिरिक्त इस बात का भी पता चलता है कि यह समस्या अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग मात्रा में है।

उपर्युक्त कार्य-नीति और रोजगार-नीति तैयार करने की दृष्टि से, तीस बात आपस में सम्बन्धित हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए—(1) एक ऐसा कार्यक्रम कार्यान्वित करने की आवश्यकता है जिसमें पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों—जैसे सिंचाई, अधिक उपज देने वाली किस्मों से सम्बद्ध विस्तार कार्य आदि का सदुपयोग हो, (2) ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार पैदा करने का कार्य स्थानीय विकास सम्बन्धी कार्य-नीति से जुड़ा होना चाहिए, और (3) पट्टेदारी प्रथा में सुधार कर ग्रामीण काश्तकार वर्ग को सुरक्षित तथा छोटे काश्तकारों की क्षेती को लाभकारी बनाना होगा।

उपर्युक्त कार्य-नीति के निष्पादन से कुछ कार्य-संकेत मिलते हैं—(क) वीज, खाद, महत्वपूर्ण वस्तुओं की उपलब्धता और उनका प्रभावी रूप से उपयोग सुनिश्चित करना—योजना के उत्पादन और विनियोजन पक्ष के अन्तर्गत इस बात का ध्यान रखा गया है। (ख) कृषि के माध्यम से रोजगार की योजना का स्वरूप क्षेत्र विशेष से सम्बन्धित होना चाहिए और इसलिए इस सम्बन्ध में बहुस्तरीय नीति अपनायी होगी। प्रत्येक क्षेत्र की मिट्टी और कृषि-जलवायु को ध्यान में रख कर सिंचाई की सुविधाओं की उपलब्धता के विस्तृत अनुमान तैयार किए जाने चाहिए जो भूतल और भूमिगत दोनों प्रकार के जल स्रोतों से सम्बन्धित हो। सिंचाई-प्राप्त और बाराती दोनों प्रकार के क्षेत्रों में नई किस्मों के विस्तार की सम्भावनाओं का अनुमान सावधानीपूर्वक लगाना होगा और उनके लिए अपेक्षित सगठनात्मक तथा निवेश सम्बन्धी सुविधाएँ सुनिश्चित करनी होंगी। इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस काम में विसर्गितियाँ उत्पन्न न होने पाएँ।

सफल स्थानीय योजना के लिए यह महत्वपूर्ण है कि 20-सूत्री कार्यक्रम में भूमि सुधार के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए और इसे लागू करने के उपाय किए जायें। छोटे किसानों को और बड़ा-बंदारों को सम्पत्ति के अधिकार देने या पट्टेदारी के अन्तर्गत सुरक्षा प्रदान करने और इसके साथ कृषि कार्यक्रमों, विशेषतः लघु किसानों के विकास की एजेंसी और सीमान्तरक किसानों के विकास की एजेंसी के कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पादन में सहायता देने की स्कीम ब्रह्म ही महत्वपूर्ण है। व्यापक क्षेत्रीय नीति के आधार पर बनाई गई कृषि योजना के अन्तर्गत पशुपालन, पारस्परिक वेकार वस्तुओं का और प्रचढ़ा उपयोग जैसी सहायक पतिविधियों द्वारा प्रतिरिक्त रोजगार पैदा करने में काफी मदद मिल सकती है।

राष्ट्रीय प्रतिदशं सर्वे क्षेत्र के परिकल्पों पर आधारित अनुमानों के अनुसार पाँचवी योजनावधि में कृषि क्षेत्र में श्रम-बल की सख्या में वृद्धि लगभग 182.6 लाख से 189.6 लाख तक होगी और छठी योजना में 195.7 लाख से 203.9 लाख तक होगी। भारत की जैसी अर्थ-व्यवस्था है, उसमें श्रम-बल की पूर्ति के अनुमान अस्थिर रहते हैं। ऊपर वर्णित किए गए लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर श्रम-बल की वृद्धि को पाँचवी योजनावधि में काम पर लगाया जा सकता है और छठी योजनावधि में पहले से ही बेरोजगार व्यक्तियों को काम देने के लिए उपयोगी प्रयास किए जा सकते हैं।

पाँचवी योजनावधि में पञ्जीकृत विनिर्माण क्षेत्र में विनिर्माण कार्यों में रोजगार में वृद्धि दर, चौथी योजनावधि की दर से काफी अधिक रहने की सम्भावना है। आने वाले समय में इस वृद्धि की प्रवृत्ति को और तेज करना होगा। यदि खान, खनन, निर्माण, उद्योग, बिजली, रेलवे तथा अन्य परिवहन और सेवाओं के क्षेत्रों में भी लक्ष्य पूरे किए जा सकें तो भी रोजगार के अवसरों में काफी वृद्धि हो सकती है।

अपञ्जीकृत निर्माण क्षेत्र में, जिसके अन्तर्गत घरेलू क्षेत्र आता है, पाँचवी पंचवर्षीय योजना में कुटीर उद्योग क्षेत्र के प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए परिव्यय में काफी वृद्धि की गई है। यह वृद्धि हाथकरघा, नारियल, रेशे, गन्नीचे बुनने और प्रशिक्षण तथा ग्रन्थ क्षेत्रों के योजना कार्यक्रमों के क्षेत्र में विशेष रूप से की गई है। यह सम्भावना है कि घरेलू क्षेत्र की कृषि पर आधारित वस्तुओं की पूर्ति कुछ आसानी से होने लगेगी। इस क्षेत्र से सम्बन्धित कर, ऋण और उत्पादन-सहायता नीतियों का ठीक प्रकार से प्रयोग करना अनिवार्य है ताकि और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। श्रम बहुलता वाले प्रौद्योगिक सुधार करने और उनका प्रसार करने की भी आवश्यकता है।

दीर्घकालीन भावी योजना के अन्तर्गत सुझायी गई रोजगार नीति में इन बातों पर बल है—सरकारी विनियोजन दर बढ़ाना ताकि योजनाओं में निर्धारित किए गए उत्पादन के अनुमानों को पूरा किया जा सके, कृषि योजना नीति को, विशेष रूप से उसके स्थानीय स्वरूप को व्यापक और उन्नत करना, 20-सूची कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि सुधार लक्ष्यों को पूरा करना, छोटे किसानों को उत्पादन में सहायता देना और अन्त में अपञ्जीकृत क्षेत्र में एक उपयुक्त नीति के अन्तर्गत रोजगार के अवसर बढ़ाना। जब एक बार, उपलब्ध श्रम-बल को लाभदायक कार्यकलापों में लगाने की नीति सफल हो जाए तो रोजगार स्थिति के गुणात्मक पक्षों में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

जहाँ तक रहन-सहन का सम्बन्ध है, पाँचवी योजना के प्राक्षेप में बताई गई कार्यनीति का ही प्रयोग करके ऊपर वर्णित रोजगार की सम्भावनाओं के साथ उपभोग के स्तरों का एकीकरण करने की व्यवस्था है। उत्पादन के वस्तु-वार अर्थों में यथोचित सशोधन करके उसका योजना में अनुमानित उत्पादन के स्वरूप से तालमेल बिठाया गया है।

विकास की दर और स्वरूप

पाँचवी योजना अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित विकास दरों (तालिका I) को वस्तु सन्तुलन की विस्तृत प्रणाली अपनाकर उत्पादन के लक्ष्यों में बदना किया है (तालिका II)

तालिका I

उत्पादन के कुल मूल्य में वृद्धि की प्रस्तावित क्षेत्रवार दर और पाँचवी योजना के लिए घटक लागत दर बढ़े हुए कुल मूल्य व सन् 1973-74 और 1978-79 में बढ़ हुए मूल्य की क्षेत्रवार संरचना

क्षेत्र	1973-74 की तुलना में विकास की औसत वार्षिक दर प्रतिशत		1974-75 की कीमतों पर बढ़े हुए कुल मूल्य और संरचना	
	1978-79 में उत्पादन मूल्य	बढ़ा हुआ मूल्य	1973-74	1978-79
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 कृषि	3.94	3.34	50.78	48.15
2 खनन व विनिर्माण	7.10	6.54	15.78	17.49
(क) खनन	12.58	11.44	0.99	1.37
(ख) विनिर्माण	6.92	6.17	14.79	16.11
(1) खाद्य उत्पाद	4.63	3.71	2.13	2.07
(2) वस्त्र उद्योग	3.45	3.21	3.50	3.31
(3) लकड़ी व कागज के उत्पाद	6.75	4.90	0.58	0.59
(4) चमड़े व रबड़ के उत्पाद	5.50	2.47	0.16	0.15
(5) रसायन उत्पाद	10.84	10.46	1.84	2.44
(6) कोयला व पेट्रोलियम उत्पाद	7.63	7.90	0.23	0.27
(7) अकार्बिक खनिज उत्पाद	7.40	7.33	1.58	1.82
(8) आधावैद्य धातु	14.12	13.40	1.09	1.65
(9) धातु उत्पाद	5.60	4.64	1.08	1.09
(10) गैर विजली इन्जीनियरी के उत्पाद	8.40	7.99	0.61	0.73
(11) विजली इन्जीनियरी उत्पाद	7.61	6.42	0.60	0.67
(12) परिवहन उपकरण	3.73	3.12	0.96	0.90
(13) औद्योगिक	5.39	4.45	0.03	0.03
(14) विविध उद्योग	6.75	4.42	0.38	0.38
3 विजली	10.12	8.15	0.79	0.94
4 निर्माण	5.90	5.18	4.06	4.21
5 परिवहन	4.79	4.70	3.43	3.48
6 सेवाएँ	4.88	4.80	25.18	25.74
कुल		4.37	100.00	100.00

तालिका II

1978-79 में वास्तविक उत्पादन स्तर के लक्ष्य

क्र. सं.	वस्तु	इकाई	1973-74	1978-79
1.	आद्यात	लाख टन	1047	1250
2.	शोषला	लाख टन	790	1240
3.	लोह बरस्क	लाख टन	357	560
4.	शुद्ध पेट्रोलियम	लाख टन	72	141.8
5.	सूती कपड़ा - निज क्षेत्र	लाख मीटर	40830	48000
	अव्ययित क्षेत्र	लाख मीटर	38630	47000
6.	बाइन और गत्ता	हजार टन	776	1050
7.	बख्तारी वागज	हजार टन	48.7	80.0
8.	पेट्रोलियम उत्पाद (बिकनाई सहित)	लाख टन	197	270
9.	नाइट्रोजन उर्वरक (N)	हजार टन	1058	2900
10.	फास्फैटिक उर्वरक (P ₂ O ₅)	हजार टन	319	770
11.	सीमेंट	लाख टन	146.7	208.0
12.	साधारण इस्पात	लाख टन	48.9	88.0
13.	अल्पभोचियम	हजार टन	147.9	310.0
14.	ताँबा	हजार टन	12.7	37.0
15.	अस्ता	हजार टन	20.8	80.0
16.	विजली उत्पादन	के. बन्. एच.	72	116-117
17.	रैल यातायात	लाख टन		260

सन् 1978-79 में उत्पादन का स्तर

सन् 1978-79 में कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के अनुमानित वास्तविक उत्पादन की चर्चा नीचे की गई है। बहुत से क्षेत्रों में सन् 1978-79 के उत्पादन लक्ष्य, पाँचवी योजना के प्रारूप में अभिधारित-स्तरों से नीचे हैं। यह दो कारणों से है। बहुत से मामलों में सन् 1973-74 में वास्तविक रूप से प्राप्त किया गया आधार उत्पादन पाँचवी योजना के प्रारूप में परिकल्पित स्तर से नीचे था, सन् 1974-75 में उत्पादन की वृद्धि बहुत कम थी यद्यपि सन् 1975-76 में काफी सुधार हुआ।

ऊर्जा का उत्पादन और खपत—समुद्र में खोज से अधिक तेल मिलने की आशा से सन् 1978-79 में कच्चे तेल का देशीय उत्पादन 141.8 लाख टन होने की सम्भावना है कि जबकि पाँचवी योजना के प्रारूप में 120 लाख टन लक्ष्य निर्धारित किया गया था। पेट्रोलियम उत्पादों की नियंत्रित खपत के बावजूद सन् 1978-79 में कच्चे तेल की माँग 290 लाख टन प्राँकी गई है, जिसके लिए लगभग 150 लाख

टन क्रूड के आयात की आवश्यकता होगी। योजना के प्रारूप में 346 लाख टन के लक्ष्य की तुलना में सन् 1978-79 में पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन 270 लाख टन प्रत्याशित किया गया। तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि के कारण तेल उत्पादों की माँग में वृद्धि की रोकथाम और पेट्रोलियम उत्पादों की जगह ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के पूरे उपयोग के लिए सुविचारित कार्यवाही की गई। फिर भी अर्थ व्यवस्था की अनिवार्य आवश्यकताओं, जैसे कि नग्ननीय उर्वरकों के निर्माण के लिए नेपथा तथा ईंधन तेल की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार, देश की प्रमुख रूप से ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में सड़क परिवहन के महत्त्व को देखते हुए हाई स्पीड डीजल आयल की माँग में काफी वृद्धि की परिकल्पना की गई है। लाइट डीजल आयल के मामले में माँग काफी बढ़ने की परिकल्पना, कृषि विकास कार्यक्रम में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका के कारण की गई है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान किया है कि पेट्रोलियम उत्पादों की खपत सन् 1978-79 में 285 लाख टन से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार सन् 1978-79 में पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का स्तर लगभग 15 लाख टन होगा।

विद्युत क्षेत्र में माँग के विस्फेपणों से यह पता चलता है कि विजली उत्पादन सन् 1974-75 में 76.6 अरब किलोवाट घंटे से बढ़कर सन् 1978-79 में कुल 118 अरब किलोवाट घंटे करना पड़ेगा। यह अनुमान उस वर्ष में उद्योग व ग्रन्थ क्षेत्रों की सम्भावित माँग पर आधारित है। वर्तमान सकेत यह है कि सन् 1978-79 के अन्त तक लगभग 300 लाख किलोवाट क्षमता स्थापित हो जाएगी और ऊर्जा की उपलब्धता 116-117 अरब किलोवाट घंटे के बीच होने की सम्भावना है। इससे ये काम जरूरी हो जाते हैं—परियोजनाओं की निर्माणबधि कम करना, अधिकता वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र में विद्युत भेजना, विद्युत प्रणाली की कार्यक्षमता में सुधार (जैसे पारपण व वितरण सम्बन्धी हानियों में कमी) और विद्युत में सम्भावित वृद्धि की पूर्ति के लिए उपलब्ध क्षमता के उपयोग में बढ़ोतरी।

कोयले के उत्पादन का लक्ष्य उसकी माँग के संशोधित अनुमानों के आधार पर 1240 लाख टन निश्चित किया गया है। यह माँग सन् 1974-75 में खपत के स्वरूप के आधार पर और कोयले की खपत वाले मुख्य क्षेत्रों जैसे, इस्पात सयंत्र, विद्युत सयंत्र, रेल मुख्य उद्योगों, घरेलू क्षेत्र आदि के विकास के संशोधित अनुमान के आधार पर निश्चित की गई है।

इस्पात और अलौह धातुएँ—सन् 1978-79 में इस्पात की 77.5 लाख टन की आन्तरिक माँग होगी जबकि उसका उत्पादन 88 लाख टन होने का अनुमान है। देश में अनेक किस्मों के इस्पात उत्पादों की खपत के कारण यह सम्भव नहीं होगा कि इस्पात उत्पादों के सभी आकार-प्रकारों की माँग देशीय मिले-जुले उत्पादन से पूरी की जा सके। इससे कुछ इस्पात उत्पादों के कुछ प्रकारों के आयात करने की आवश्यकता होगी। ऐसे आयात सन् 1978-79 में 4 लाख टन से अधिक बढ़ने की सम्भावना नहीं है।

अलौह धातुओं की माँग के अनुमान, विस्तृत वस्तु सन्तुलन द्वारा प्राप्त किए गए और इनकी निवेश उत्पादन मॉडल द्वारा जाँच की गई। परियोजना स्तर विश्लेषण द्वारा जाँच किए गए सम्भावित क्षमता स्तरों पर आपूर्तियाँ आधारित हैं।

उर्वरक की माँग—अब तक किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि उर्वरकों का उपयोग सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धि और साथ ही नई तकनीक के प्रसार पर बहुत निर्भर करता है। इन घटकों को और हर किस्म की भूमि के अन्तर्गत उर्वरकों की मात्रा में वृद्धि को ध्यान में रखा गया है। ऐसा विश्लेषण हर तरह की फसल और उर्वरकों की कुल अनुमानित आवश्यकताओं के बारे में किया गया। सन् 1978-79 में पोषक खाद के रूप में NPK की 48.0 लाख टन, N की 34 लाख टन, P_2O_5 की 8.70 लाख टन, K_2O की 5.30 लाख टन की आवश्यकता होगी। संयंत्रों के उत्पादन की रूपरेखा से पता चलता है कि सन् 1978-79 में 29.0 लाख टन नाइट्रोजन का उत्पादन होगा। अनुमान है कि P_2O_5 का उत्पादन 770,000 लाख टन होगा। इस अन्तर को कुल 11.30 लाख टन के आयात से पूरा किया जाएगा। (N -5.00 लाख टन, P_2O_5 1.00 लाख टन, K_2O 5.30 लाख टन)

सीमेंट की माँग—पाँचवी योजना के सम्भावित वर्ष में सीमेंट की आन्तरिक माँग का अनुमान वस्तु सन्तुलन प्रक्रिया से लगाया गया है। ऐसा करते समय अर्थ-व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कृषि, विद्युत, उद्योग, परिवहन और समाज सेवाओं में कुल स्थायी विनियोजन को ध्यान में रखा गया है। इस प्रकार इसकी माँग का अनुमान 193 लाख टन लगाया गया है। अनुमान है कि 15 लाख टन सीमेंट की निर्यात के लिए आवश्यकता होगी। इस मात्रा को शामिल करके सन् 1978-79 में सीमेंट की कुल माँग 208 लाख टन होने का अनुमान है।

सूती कपड़ा—सन् 1978-79 में समूहित कारखाना क्षेत्र में 48,000 लाख मीटर सूती कपड़े का उत्पादन होने का अनुमान है जबकि असंगठित क्षेत्र में 47,000 लाख मीटर उत्पादन होने का अनुमान है। सूती और कृत्रिम रेशे से बनाए गए कपड़ों के अंशों का अनुमान, आय वृद्धि के अनुपात में विभिन्न प्रकार के कपड़ों के उपयोग में अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप का अध्ययन करके लगाया गया है।

पाँचवी योजना की अवधि में और उसके बाद हाथकरघा क्षेत्र को दिए गए महत्त्व और समूहित क्षेत्र में कताई क्षमता में तेजी में वृद्धि के कारण असंगठित क्षेत्र के घंज में काफी वृद्धि होने का अनुमान है।

वित्तीय संसाधन

सार्वजनिक क्षेत्र की योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था

अनुमान है कि सरकारी क्षेत्र में योजना के प्रथम तीन वर्षों में 19396 करोड़ रुपये के संसाधनों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार पाँच वर्षों की अवधि के लिए यह राशि 39303 करोड़ रुपये होगी है। ये अनुमान सन् 1974-75 के लिए विद्यमान

मूल्यों पर धीरे उसके बाद के वर्षों के लिए सन् 1975-76 के मूल्यों के आधार पर लगाए गए हैं। यदि सन् 1974-75 के ससाधनों का 1975-76 के मूल्यों के आधार पर फिर से आकलन किया जाए तो पाँच वर्षों की कुल राशि में थोड़ा सा परिवर्तन होगा।

उपर्युक्त अनुमानों में वस्तु-मूल्यों के लिए रसे गए प्रावधान को श्रीर सरकारी वित्तीय सस्थानों के उन आन्तरिक ससाधनों को सम्मिलित नहीं किया गया है, जिनका वे स्थायी परिणम्पत्तियों में निजी विनियोजन के रूप में उपयोग करते हैं। पाँचवी योजनाकाल में सरकारी क्षेत्र की वस्तु-मूल्यों में लगभग 3,000 करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान है। इसे देखते हुए सरकारी क्षेत्र में कुल विनास परिव्यय राशि लगभग 42,300 करोड़ रुपये हो जाएगी। धन के रूप में, पाँचवी योजना प्रारूप के अनुमान से यह राशि 5050 करोड़ रुपये अधिक होगी। यदि सरकारी वित्तीय सस्थानों द्वारा अपनी निजी स्थायी परिणम्पत्तियों में लगाए जाने वाले आन्तरिक ससाधनों की भी हिसाब में लिया जाए तो यह राशि लगभग 5,150 करोड़ रुपये हो जाएगी। किन्तु योजना प्रारूप का यह अनुमान सन् 1972-73 के मूल्यों के आधार पर लगाया गया था। यदि इसके बाद मूल्यों में जो वृद्धि हुई उसके लिए मुँजाइम रख दी जाए तो वास्तविक समाधन पहले के अनुमान से कम होंगे।

स्थिरता के साथ विकास करने की सर्वोपरि आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, योजना के लिए ऐसे तरीके से धन की व्यवस्था करनी होगी जिससे मुद्रा-स्फीति न हो। इसके लिए आवश्यक है कि कठोर वित्तीय अनुशासन बरता जाए, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के काम में और सुधार किया जाए, अतिरिक्त ससाधन जुटाए जाएँ तथा उपभोग पर, खासकर समाज के सम्पन्न वर्गों द्वारा, नियन्त्रण रखा जाए। धन की कुल माँग के कारण मुद्रा का आवश्यक विस्तार न हो, इसके लिए मुद्रा नीति को वर-नीति के अनुकूल रखना होगा। यह बात स्पष्ट दिखाई देने लगी है कि विनियोजन परिव्ययों के आयोजन के साथ-साथ ऋण का आयोजन भी करना होगा ताकि इसका सोद्देश्य उपयोग हो और इसे उत्पादन बढ़ाने में सम्बद्ध आवश्यकताओं की कठोर सीमाओं के अन्दर रखा जा सके। इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक होगा कि योजना में निर्दिष्ट लक्ष्यों को पूरी तरह प्राप्त किया जाए। ससाधन बढ़ाने और मूल्य स्थिरता बनाए रखने की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार कर उसे मजबूत बनाना होगा। इसके साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं के मूल्य स्थिर रखने और उनमें अल्पकालिक उतार-चढ़ाव समाप्त करने की व्यापक व्यवस्था करनी होगी। पर्याप्त खाद्य भण्डार और विदेशी मुद्रा का सचय होने से इस समय सरकार इस स्थिति में है कि वह मूल्य स्थिति सम्बन्धी प्रतिकूल परिस्थिति का कारण हग से सामना कर सकती है। परन्तु आर्थिक प्रवृत्तियों और विकास के सम्बन्ध में कठोर सतर्कता बरतनी होगी और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते रहना होगा ताकि आवश्यकतानुसार तुरन्त कार्यवाही की जा सके।

योजना के लिए अपेक्षित कुल ससाधनों में से आन्तरिक बजट ससाधनों से

32,115 करोड़ रुपये अथवा 81.7% राशि उपलब्ध होने की आशा है। विदेशी सहायता 5,834 करोड़ रुपये की या योजना परिव्यय के 14.9% की उपलब्ध हो सकती है। परन्तु विनियोजन और मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात मूल्यों में तेजी से वृद्धि होने के कारण, विनियोजन के लिए वास्तविक सहायता का योगदान इस गणना से कम ही होगा। बाकी 3.4% योजना परिव्यय की व्यवस्था घाटे की वित्त-व्यवस्था से की जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र की योजना के लिए वित्तीय-व्यवस्था साथ की तालिका में दी गई है।

अतिरिक्त संसाधन जुटाना

पाँचवी योजना अवधि के पहले तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और उनके उद्यमों ने जो उपाय (इनमें वे उपाय भी शामिल हैं, जिन्हें अभी लागू किया जाना है) अपनाए उनसे योजना अवधि में लगभग 13,000 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा है। यह राशि योजना प्रारूप में निर्दिष्ट 6850 करोड़ रुपये की राशि के दुगुने से कुछ ही कम है। इस वृद्धि में केन्द्र और राज्य दोनों भागीदार हैं।

योजनावधि के शेष दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार और उसके उद्यमों द्वारा 900 करोड़ रुपये (राज्यों के भाग सहित) और जुटाने की परिकल्पना की गई है। इनके अलावा राज्य सरकारें तथा उनके उद्यम 701 करोड़ रुपये के और संसाधन जुटाएँगे। उसमें वह राशि भी शामिल है जो करों व अन्य सरकारी रकमों की अच्छी वमूली से और योग्यतः रखने में बचत करने से प्राप्त होगी।

पाँचवी योजना के वित्तीय संसाधनों का अनुमान (सार्वजनिक क्षेत्र)

(करोड़ रुपये)

	पाँचवी योजना आरूप	पहले तीन वर्षों में 1974 से 1977 तक	आगामी दो वर्षों में 1977 से 1979 तक	संगोचन में पाँचवी योजना 1974-75
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क) वार्षिक बजट संसाधन	33,807	15,208	16,907	32,115
1 1973-74 की कराधान दरों पर राजस्व से देया	7,348	3,338	1,563	4,901
2 1973-74 की किराया, मारा और शुल्क दरों पर सरकारी उद्यमों का सकल अविशेष	5,988	624	225	849
(क) रेलवे	649	(—) 1,005	(—) 813	(—) 1,818
(ख) डाक व तार	842	181	199	380
(ग) अन्य	4,497	1,448	839	2,287
3 सरकार, सरकारी उद्यमों और स्थानीय निकायों द्वारा बाजार से लिया गया ऋण	7,232	3,030	2,849	5,879

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4 छोटी बचत	1,850	1,092	930	2,022
5 राज्य भविष्य निधि	1,280	1,050	937	1,987
6 वित्तीय सहायनों से मापविक रिण (शुद्ध)	895	340*	288*	628*
7 बैंकों से वाणिज्यिक रिण	1185			
8 सार्वजनिक वित्तीय सहायनों के आंतरिक सहायन जिम्मा से स्थायी परिष्कारितियों में निजी विनियोजन करते हैं	90	*	*	*
9 विविध पूंजीगत प्राप्तियों (शुद्ध)	1,089	(—) 556	1,112	555
10 अतिरिक्त सहायन जुटाना	6,850	6,290	8,403	14,693
(क) केन्द्र	4,300	3,773	4,721	8,494
(1) 1974-77 के उपाय	—	3,773	3,821	7,594
(2) 1977-79 के उपाय	—	—	900	900
(ख) राज्य	2,550	2,517	3,682	6,199
(1) 1974-77 के उपाय	—	2,517	2,981	5,498
(2) 1977-79 के उपाय	—	—	701**	701**
11 संचित विदेशी मुद्रा के उपयोग के बदले में आधार	—	—	600	600
(ख) विदेशी सहायता (शुद्ध)				
(क) तेल ऋण तथा विशेष ऋणों के अभाव	2,443	2,526	2 400	5,834
(ख) तेल ऋण और विशेष ऋण		908		
(ग) घाटे की विल-अवस्था	1,000	754	600	1,354
कुल सहायन				
(क, ख व ग का जोड़)	37,250	19,316	19,907	39,303

* पांचवी योजना का प्रारूप तैयार करने के बाद, यह निश्चय किया गया था कि इन सहायनों की राशि योजना वित्त में शामिल न की जाए।

** करो और अन्य सरकारी करो की उपाय अन्तर्गत बमुझी करने और योजनेतर व्यय में कटौती करने से प्राप्त होने वाली कुल राशि शामिल है।

संचित विदेशी मुद्रा के उपयोग के आधार पर ऋण प्राप्त करना

विदेशी मुद्रा की स्थिति काफी सतर्कप्रद है और संचित राशि में वृद्धि हो गई है। इसलिए यह वांछनीय है कि आगामी दो वर्षों में इस संचित राशि से लगभग 600 करोड़ रुपये निकाले जाएं ताकि योजना के लिए अतिरिक्त सहायन जुटाए जा सकें। संचित विदेशी मुद्रा में 600 करोड़ रुपये कम करने के लिए, इन वर्षों में रिजर्व बैंक से 600 करोड़ रुपये के ऋण लेने की व्यवस्था योजना में की गई है। अतिरिक्त आयात की भी सावधानीपूर्वक ऐसी व्यवस्था करनी होगी, जिससे आभारभूत क्षेत्रों में विनियोजन क्षमताएँ बढ़ाने और आवश्यक वस्तुओं के मूल्य स्थिर

करने में सहायता मिले। परन्तु आयात नीति में मुख्य बल आवश्यक सामग्री के मूल्यों को स्थिर करने पर दिया जाना चाहिए। आयातित वस्तुओं के बिक्री मूल्य देशी वस्तुओं के बराबर रखकर देशी उत्पादकों के हितों की रक्षा आसानी से की जा सकती है। इस प्रकार मूल्यों में वनावटी ह्रास नहीं होगा और देश के उत्पादकों भी निरस्तहित नहीं होंगे।

घाटे की वित्त-व्यवस्था

पाँचवी योजना अवधि के प्रारम्भ से ही घाटे की वित्त-व्यवस्था में काफी कमी कर दी गई है। सन् 1974-75 में यह राशि 654 करोड़ रुपये थी, जिसका अधिकांश आयातित अनाज और उर्वरक पर खर्च हुआ। ये दोनों चीजें सचिन विदेशी मुद्रा से धन निकाल कर विदेशों में खरीदी गईं। अतः इसका मुद्रा-प्रसार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बाकी घाटा पिछले वर्षों की अपेक्षा बहुत कम था— सन् 1973-74 में 775 करोड़ रुपये, सन् 1972-73 में 848 करोड़ रुपये और सन् 1971-72 में 710 करोड़ रुपये। इससे मुद्रा-स्फीति करने वाले प्रभावों को नियंत्रित करने में सहायता मिली। सन् 1975-76 में वस्तुतः 206 करोड़ रुपये का अधिशेष रहा। इससे मूल्यों को और स्थिर करने में सहायता मिली। इस वर्ष के बारे में 306 करोड़ रुपये के घाटे के अनुमान लगाए गए हैं। इस आधार पर पाँचवी योजना के पहले तीन वर्षों में घाटे की वित्त-व्यवस्था का जोड़ 754 करोड़ रुपये होता है। आगामी दो वर्षों में 300 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की घाटे की वित्त-व्यवस्था का अनुमान है।

केन्द्रीय सहायता

समस्त पाँचवी योजना में कुल केन्द्रीय सहायता की राशि 6,000 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसमें से पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में उत्तर-पूर्व परिपक्व को 450 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, यह भी उचित ही प्रतीत होगा है कि राज्यों में जो राज्य योजना स्कीम अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण विश्व बैंक की सहायता से चल रही हैं उनके लिए राज्यों को सहायता देने के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि अलग से रख दी जाए। बाकी 5,450 करोड़ रुपये की राशि, गाड़गिल सूत्र के अन्तर्गत अद्यतन आकलन के आधार पर राज्यों को आवंटित करने का प्रस्ताव है।

बचत और विनियोजन

पाँचवी पंचवर्षीय योजना के सशोषित अनुमानों में कुल 63,751 करोड़ रुपये के विनियोजन की व्यवस्था है। वर्ष 1974-75 के अनुमान उसी वर्ष के मूल्यों पर आधारित हैं, जबकि उसके बाद के वर्षों के अनुमान 1975-76 के मूल्यों पर आधारित हैं। इस विनियोजन के लिए आन्तरिक बचत से 58,320 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे और विदेशों से 5,431 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इस प्रकार 91 प्रतिशत विनियोजन आन्तरिक बचत से उपलब्ध होगा, जबकि चौथी योजना में इसका अनुमान 84 प्रतिशत लगाया गया था।

सरकारी और निजी क्षेत्रों में इस विनियोजन का वितरण इस प्रकार है—

सरकारी क्षेत्र	36,703 करोड़ रुपये
निजी क्षेत्र	27,048 करोड़ रुपये
जोड़	<u>63 751 करोड़ रुपये</u>

* वस्तु-मूल्यांकन सम्मिलित है।

आन्तरिक बचत

उत्पादन क्षेत्रों द्वारा आन्तरिक बचत के अनुमानों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

कुल 58,320 करोड़ रुपये की आन्तरिक बचत में से लगभग 27 प्रतिशत राशि का जो 15,994 करोड़ रुपये होनी है, योगदान सार्वजनिक क्षेत्र करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी प्रशासन, विभागीय और अविभागीय प्रतिष्ठान और सार्वजनिक वित्तीय संस्थान आते हैं। बाकी लगभग 73 प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्र करेगा, जिसमें निम्नलिखित उद्यम, सहकारियाँ और धरेलू क्षेत्र आते हैं। आन्तरिक बचत की औसत दर सन् 1973-74 के मूल्यों के अनुसार 1973-74 के कुल राष्ट्रीय उत्पादन के 14.4 प्रतिशत से बढ़कर 1978-79 में 1975-76 के मूल्यों के अनुसार 15.9 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है।

आन्तरिक बचत के क्षेत्र-वार अनुमान इस प्रकार है—

	(करोड़ रुपये)
1 सरकारी क्षेत्र	15,028
(क) केन्द्रीय और राज्य बजट	8,536
(ख) केन्द्रीय और राज्य गैर-विभागीय उद्यम	6,492
2 वित्तीय संस्थान	1,263
(क) भारतीय रिजर्व बैंक	841
(ख) अन्य	422
3 निजी क्षेत्र	42,029
(क) निजी निर्गमित वित्तेतर क्षेत्र	5,373
(ख) सहकारी ऋणोत्तर संस्थान	175
(ग) धरेलू क्षेत्र	36,481
कुल आन्तरिक बचत	58,320

विदेशों से प्राप्ति

शोधन सतुलन के चालू लेखा घाट की पूर्ति के लिए विदेशों से 5,431 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है, जिसका विवरण इस प्रकार है—

प्राप्तियाँ	(करोड़ रुपये)
1. कुल विदेशी सहायता	9,052
2. वाणिज्यिक ऋण देनदारियाँ	
1 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (सफल)	(+) 115
2. ऋण सम्बन्धी अदायगियाँ	(-) 2,465
3 बूसरे देशों की सहायता	(-) 494
4 अन्य	(-) 473
5. संचित धन वृद्धि में परिवर्तन शुद्ध प्राप्तियाँ	(-) 304 5,431

शोधन सन्तुलन

पाँचवी योजना के शोधन सन्तुलन की सम्भावनाएँ नीचे सारणी में दी गई हैं—
शोधन सन्तुलन की सम्भावनाएँ

	पाँचवी योजना के संचयित में सकल्पित	(करोड़ रुपये में) संशोधित सम्भावनाएँ
बालू खाता		
(1) व्यापार		
(i) निर्यात	12,580	21,722
(ii) व्यापार	(-) 14,100	(-) 28,524
(iii) व्यापार सन्तुलन	(-) 1,520	(-) 6,802
(2) सेवाएँ (शुद्ध)	94	(-) 431
(3) बालू हस्तान्तरण (शुद्ध)	326	2,377
(4) विदेश से बालूदानी (शुद्ध)		
(i) ऋण सम्बन्धी अदायगी	(-) 911	(-) 1,180
(ii) ऋण से भिन्न	(-) 220	(-) 257
	(-) 2,231	(-) 5,431
पूँजी खाता		
(1) निजी पूँजी	(-) 86	(-) 210
(2) बैंक पूँजी (शुद्ध)		(+) 45
(3) सरकारी पूँजी (शुद्ध)	(-) 45	(-) 174
(4) ऋण सम्बन्धी अदायगी	(-) 1,646	(-) 2,465
(5) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (शुद्ध)	—	(+) 115
(6) विदेशों की सहायता (शुद्ध)	(-) 300	(-) 494
(7) निर्यात और उसके मूल्य वसूली में अन्तरास	(-) 100	(-) 134
(8) व्यापारिक कर्ज (कुल)	400	
(9) विदेशी सहायता (कुल)	4,008	(+) 9,052
(10) विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि-पड़ान : वृद्धि		(-) 304
	2,231	5,431

निर्यात-आयात

सन् 1974-75 में निर्यात बढ़कर 3,329 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। इस तरह निर्यात में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सन् 1975-76 में निर्यात बढ़कर 3,942 करोड़ रुपये हो गया, यानी 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सन् 1974-75 में कुल आयात 4,519 करोड़ रुपये का हुआ था जबकि सन् 1973-74 में 2,955 करोड़ रुपये का आयात हुआ था। सन् 1975-76 में आयात बढ़कर 5,158 करोड़ रुपये तक पहुँच गया—इस प्रकार पिछले वर्ष की अपेक्षा इसमें 14 प्रतिशत वृद्धि हुई।

निम्न तालिका में योजना के पहले दो वर्षों का आयात-निर्यात तथा योजना अवधि में आयात निर्यात व्यापार की सम्भावनाएँ दिखाई गई हैं—

प्रमुख वस्तुओं का निर्यात और आयात (करोड़ रुपये में)

	1974-75	1975-76	पाँचवी योजना समविदा	समोचित योजना
निर्यात	3 328 8	3,941 6	12 580	21,722
आयात	4 518 8	5 157 8	14 100	28,524

विदेशी मुद्रा कोष

सन् 1974-75 में विदेशी मुद्रा कोष में उतार-चढ़ाव इस प्रकार हुआ—

वर्ष	(करोड़ रुपये में)	
	इस राशि	उतार-चढ़ाव
1973-74	947	
1974-75	969	+ 22
1975-76	1 885	+ 916

सन् 1975-76 में विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि बहुत कुछ इसलिए हुई कि तस्करी और गैर-कानूनी विदेशी मुद्रा व्यापार के विरुद्ध सरकारी कार्यवाही के कारण आधिकारिक माध्यमों द्वारा भारी मात्रा में लोगों ने विदेशी मुद्रा भेजी।

विदेशी सहायता

जैसा कि ऊपर बताया गया, योजनाकाल में धर्म-व्यवस्था को अब कुल मिलाकर 9,052 करोड़ रुपये की विदेशी पूँजी की आवश्यकता है। इसमें यदि 3,645 करोड़ रुपये की ऋण सम्बन्धी सहायता (1,180 करोड़ रुपये व्याज में और 2,465 करोड़ रुपये ऋणों की सहायता) को हिसाब में ले लिया जाए तो उपरोक्त विदेशी पूँजी में से कुल 5,407 करोड़ रुपये का ही उपयोग हो सकेगा। पाँचवी योजना की सम्भावनाओं में कुल 494 करोड़ रुपये की सहायता विदेशी को देने का प्रस्ताव भी है। यदि इस रकम को भी निकाल दें तो केवल 4,913 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा की नाना प्रकार की आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध होंगे।

पाँचवी योजना के प्रस्तावित पूंजी निवेश कार्यक्रम में इन चार मुख्य क्षेत्रों में आयात प्रतिन्यायन पर बल देने की व्यवस्था है—ऊर्जा, धातु, उर्वरक और वृषि। ऊर्जा आयात प्रतिन्यायन के लिए तेज की खोज की जाएगी और देश में उपलब्ध कोयले और पानी-बिजली की क्षमता दोनों का अधिक उपयोग किया जाएगा। इस्पात के क्षेत्र में विचार है कि इस्पात कारखानों की क्षमता का पूरा उपयोग करके और इन कारखानों की उत्पादन क्षमता बढ़ा कर कुछ विशेष प्रकार के इस्पात तक ही आयात को सीमित कर दिया जाए। अलौह धातुओं के मामले में स्थिति ज्यादा अनुकूल होनी जा रही है क्योंकि खानों में और अधिक अलौह धातुएँ निकाली जा रही हैं और इस क्षेत्र में कारखानों की क्षमता का अधिक उपयोग किया जा रहा है। प्राग्ग है कि उर्वरक कारखानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाकर तैयार उर्वरकों का आयात पाँचवी योजना के अन्तिम वर्ष तक काफी घटाया जा सकेगा। देश में ही उर्वरकों के उत्पादन के लिए जरूरी कच्चे मान का प्रबन्ध किया जा चुका है।

अदृश्य

निवेश प्राप्त अदायगी और हस्तान्तर के अलावा अदृश्य लेन-देन का व्यापार इन प्रकार है—

योजना अर्बि में सेवाओं द्वारा शुद्ध सम्भावित प्राप्ति

	प्राप्ति	(करोड़ रुपये में)	
		आयात	शुद्ध प्राप्ति
(1) विदेशी भ्रमण	589	123	466
(2) परित्यक्त	1,097	977	120
(3) वीमा	153	94	59
(4) सरकारी विदेशी अर्बि वही नहीं छानिय किया गया	121	120	1
(5) विविध	315	530	(-) 215
योग	2,275	1,844	431

योजना परिव्यय तथा विकास कार्यक्रम

योजना परिव्यय

पाँचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सरकारी क्षेत्र में 37,250 करोड़ रुपये की परिव्यय की कल्पना की गई थी। अब 39,303 करोड़ रुपये के संशोधित योजना परिव्यय का अनुमान लगाया गया है।

सरकारी क्षेत्र में परिव्यय—37,250 करोड़ रुपये के कुल योजना के प्रथम तीन वर्षों के लिए निर्धारित 19,401 करोड़ रुपये के अनुमान के मुकाबले अगले दो वर्षों के लिए 19,902 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

विकास की मुख्य मंशों के अन्तर्गत संशोधित परिव्यय निम्नलिखित तालिका में देखा—

पाँचवी पंचवर्षीय योजना परिचय (1974-79)

(करोड़ रुपये)

	पाँचवी योजना प्रारूप	संशोधित पाँचवी योजना		
		1974 77	1977-79	1974 79
1. कृषि तथा सम्बन्ध कार्यक्रम	4935 00	2130 19	2513 40	4643 59
2. सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	2181 00	1651 50	1788 68	3440 18
3. विद्युत	6190 00	3513 05	3780 85	7293 90
4. उद्योग तथा खनन	9029 00	5205 35	4995 25	10200 90
5. परिवहन तथा संचार	7115 00	3552 67	3328-76	6881 43
6. शिक्षा	1726 00	587 77	696 52	1284 29
7. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएँ (जिनमें आर्थिक तथा सामाज्य सेवाएँ शामिल हैं, किन्तु शिक्षा शामिल नहीं है)	5074-00	2322 42	24444 35	4766 77
8. पहाड़ों, जनजातों तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र स्कीमों	500 00	177 50	272 50	450 00
9. राजि जिलोंके मंदार वितरण की अभी योजना नहीं है।	—	260 44	66 29	326 73
योग	**37250 00	19400 89	*19886 60	*39287 49

*इसमें 16 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं जिनका मंदार व्यय अभी तैयार नहीं।

**203 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं जो बाद में बढ़ाए गए।

योजना के दोष वर्षों के लिए परिचय निम्नलिखित मुख्य बातों पर आधारित हैं—

1 पाँचवी योजना के प्रारूप में रखी गई योजना प्राथमिकताओं में कोई तबदीलियाँ नहीं की गई हैं।

2 चालू परियोजनाओं/स्कीमों के लिए परिचय, वर्तमान धीरे भविष्य की माँग, पिछली उपलब्धियों, कार्यक्रमों को पूरा करने की वर्तमान समय-सारिखियों तथा लागत में हुई वृद्धि के आधार पर निर्धारित किया गया है।

3 सन् 1981-82 की और कुछ मामलों में सन् 1983-84 की माँग की ध्यान में रखते हुए नए कार्यक्रम शुरू करने की व्यवस्था की गई है, जिनमें ऐसे कार्यक्रम भी शामिल हैं जिनके पूरा होने में काफी समय लगता है।

4 यह देखने का भी प्रयास किया गया है कि पूँजी निवेश न केवल उपयुक्त हो, बल्कि उससे पर्याप्त मात्रा में आमदनी भी हो। कृषि उत्पादन, विद्युत, सिंचाई तथा शिक्षा के क्षेत्रों में राष्ट्रीय लक्ष्यों, राज्यों के प्राकृतिक साधनों तथा राज्यों की तैयारी की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य सुलभए गए हैं।

सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण, विद्युत तथा उद्योग एक खनिजों के लिए परिचय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कृषि, शिक्षा तथा सामाजिक सेवाओं के क्षेत्रों में

यद्यपि पूरी पाँचवी योजना के लिए संशोधित परिव्यय कम है, तथापि योजना के लिए संशोधित परिव्यय अधिक है।

कुल परिव्यय

क्षेत्रों, मन्त्रालयों, राज्यों तथा केन्द्र शामिल क्षेत्रों के अनुसार परिव्यय के विस्तृत विवरण तैयार किए गए हैं। संक्षेप में संशोधित योजना परिव्यय इस प्रकार है—

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना—केन्द्र

(करोड़ रुपये)

मन्त्रालय/विभाग	संशोधित पाँचवी योजना
कृषि	1828.09
परमाणु ऊर्जा	619.03
नागरिक पूर्ति और सड़कनिर्माण	148.93
कोयला	1147.58
वाणिज्य	207.33
संचार	1266.61
बैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद्	81.77
शिक्षा और सांस्कृतिक	405.29
इन्फ्रास्ट्रक्चर	46.37
उर्वरक एवं रसायन	1602.06
विद्युत	131.73
स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन	833.19
भारी उद्योग	365.43
गड़	143.12
औद्योगिक विकास	609.59
सूचना एवं प्रसारण	109.18
निर्वाह	114.63
धन	14.18
खान	550.95
कामिक	0.50
योजना	75.24
पेट्रोलियम	2051.53
विद्युत	557.45
रेल	2202.00
पुनर्वास	102.61
विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी	58.96
जहाजरानी एवं परिवहन	1682.61
समाज कल्याण	63.53
बाह्य वस्तुएँ	128.27
पूर्ति	2.15
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	375.59
निर्माण एवं आवास	241.49
कुल	19954.10

पांचवीं पंचवर्षीय योजना—राज्यक्षेत्र

राज्य	(करोड़ रुपये)
आंध्र प्रदेश	1333 58
असम	473 84
बिहार	1296 0 1/2
गुजरात	1166 62
हरियाणा	601 34
हिमाचल प्रदेश	238 95
जम्मू व कश्मीर	362 54
कर्नाटक	997 67
केरल	568 96
मध्य प्रदेश	1374 71
महाराष्ट्र	2374 61
मणिपुर	92 86
मेघालय	8 53
नागालैंड	83 63
उड़ीसा	585 02
पंजाब	1013 49
राजस्थान	709 24
सिक्किम	39 64
तमिलनाडु	1122 32
त्रिपुरा	64 68
उत्तर प्रदेश	2445 8 1/2
पश्चिमी बंगाल	1246 83
सभी राज्य	<u>18265 80</u>

सशोधित पांचवीं पंचवर्षीय योजना—केंद्र शासित क्षेत्र

	(करोड़ रुपये में)
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	33 72
अरुणाचल प्रदेश	63 30
चण्डीगढ़	39 76
दादरा तथा नगर हवेली	9 41
दिल्ली	316 61
गोवा दमन तथा दीव	85 00
सदाशिव	6 23
मिज़ोरम	46 59
पश्चिमबेरी	34 04
	<u>634 06</u>

20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम

प्रधानमंत्री ने एक जुलाई, 1975 को 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा

की थी। इस कार्यक्रम के विभिन्न भागों का निश्चय कर लिया गया है विशेषकर ऐसे भागों का जिनमें पूंजी निवेश की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली स्कीमों को प्राथमिकता दी गई है। योजना के शेष दो वर्षों सन् 1977-79 के लिए तथा पाँचवी योजना के लिए केन्द्र, राज्यों और केन्द्र सहासित क्षेत्रों के परिव्यय इस प्रकार है—

	(लाख रुपयों में)	
	1977-79	1975-79
केन्द्र	75706	103978
राज्य तथा केन्द्र शासित क्षेत्र	533467	935932
कुल	609173	1039910

कृषि और सिंचाई

मौसम के प्रभाव की विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य की योजना में राशि का प्रावधान कुछ अधिक मात्रा में किया गया है, ताकि देश का कोई भाग मौसम से प्रभावित हो भी जाए तो भी देश के कुल उत्पादन में अधिक कमी न हो। कुल उत्पादन निम्नांकित सारणी के अनुसार होने की सम्भावना है—

मद	1973-75 का स्तर	अनुमानित अधिकतम उत्पादन
खाद्यान्न (दस लाख टन)	104.7	132.9
पीप मुख्य विविध (दस लाख टन)	8.9	12.6
गन्ना (दस लाख टन)	140.8	173.5
कपास (दस लाख गॉर्डे—170 कि. घा. प्रत्येक)	6.3	9.0
पटसन और सन (दस लाख गॉर्डे—180 कि. घा. प्रत्येक)	7.7	7.7
अधिक उपज देने वाली किस्में (दस लाख हेक्टेयर)	25.8	40.0
उर्वरक घपत (दस लाख टन)	2.8	5.0
छोटी सिंचाई (दस लाख हेक्टेयर)	23.1	31.6

कृषि और सम्बद्ध कार्यक्रमों पर सन् 1974-77 के दौरान 2130 करोड़ और योजना के अन्तिम दो वर्षों में 2513 करोड़ कुल 4643 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है, जैसा कि निम्नांकित तालिका में दिया गया है—

कृषि और सम्बद्ध सेवाओं (केन्द्र राज्य तथा केन्द्र शासित क्षेत्र) के परिव्यय

	(लाख रुपये में)
विकास मद	कुल परिव्यय
भूमि सुधार की छोड़ कर कृषि	132215.14
भूमि सुधार	16253.36
छोटी सिंचाई	79232.10
उर्वरक घू-व्यय	22113.54
क्षेत्र विकास	20659.00

घास	12350 55
पशु पालन तथा डेरी विकास	43770 51
मत्स्योद्योग	14999 65
वन	20569 59
वृष्टि वित्त सस्यामों में पूँजी निवेश	51977 00
सामूहिक विकास	12744 97
सहाकारिता	37574 04
जोड़	<u>464359 45</u>

सिंचाई

पाँचवी योजना अवधि में कुल मिलाकर 131 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई करने की क्षमता हो जाने की सम्भावना है। इसमें 58 लाख हेक्टेयर भूमि बड़ी और मध्यम सिंचाई के तथा 73 लाख हेक्टेयर भूमि 'लघु' सिंचाई के अन्तर्गत है। नए वर्षों में कुछ त्रुटियाँ तथा पुराने वर्षों की क्षमता में कमी होने की सम्भावनाओं के कारण अतिरिक्त सिंचाई क्षमता 110 लाख हेक्टेयर से कुछ अधिक होनी चाहिए।

बड़ी तथा मध्यम सिंचाई—पाँचवी योजना के पहले तीन वर्षों में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर लगभग 1,474 करोड़ रुपये खर्च होने की सम्भावना है। प्रत्येक परियोजना में हुई प्रगति, काम पूरा होने की नई समय सारणियों, अतिरिक्त निम्नवर्ण क्षेत्र का विकास तथा लागत में वृद्धि का ध्यान में रखते हुए योजना के शेष दो वर्षों के लिए 1,621 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। नाभाबुन सागर, शारदा सहायक, राजस्थान नहर, मालप्रभा तथा कडाना जंती जिन परियोजनाओं के काम में त्वरित कार्य जा सकती है उनके लिए अधिक परिव्यय की व्यवस्था की गई है। अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रति देनदारियों को भी ध्यान में रखा गया है।

योजना अवधि के दौरान नई परियोजनाएँ हाथ में लेने के लिए 1,013 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। पाँचवी योजना में 58 लाख टन हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने की सम्भावना है।

बिजली

चौथी योजना में बिजली की उत्पादन क्षमता में 4280 मेगावाट की वृद्धि होने से कुल स्थापित क्षमता 18456 मेगावाट हो गई। पाँचवी योजना के प्रथम दो वर्षों में 3542 मेगावाट की वृद्धि की गई तथा सन् 1976-77 में बिजली की उत्पादन क्षमता में 2387 मेगावाट की और वृद्धि होने की सम्भावना है। योजना के पहले तीन वर्षों में विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए लगभग 2145 करोड़ रुपये व्यय होंगे। पाँचवी योजना की अवधि में बिजली की उत्पादन क्षमता में कुल मिलाकर लगभग 12,500 मेगावाट की वृद्धि की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त इस समय साथ में ली गई परियोजनाओं के अन्तर्गत 6,000 मेगावाट की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का काम पाँचवी योजना के अन्त में चल रहा होगा।

विद्युत् से सम्बन्धित पाँचवी योजना को अन्तिम रूप देते समय चालू स्कीमों को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने पर बल दिया गया है। विभिन्न श्रेणियों में सशोधित परिव्यय का सारांश नीचे तालिका में दिया गया है—

पाँचवी योजना में विद्युत् क्षेत्रों में वित्तीय परिचय्य (करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	वर्ग	राज्य	केन्द्रशासित क्षेत्र	केन्द्र	जाड़	पाँचवी योजना प्रारूप
1.	विद्युत् उत्पादन	3722.71	6.52	665.24	4394.47	3323.81
2.	पारिषण तथा वितरण	1897.73	78.78	104.74	2081.25	1634.27
3.	ग्रामीण विद्युतीकरण					
	(क) अनुसूचित जात/प्रायश्चित्त कार्य—					
	कम और राज्य योजना	360.54	10.74	—	371.28	698.24
	(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	314.02	—	—	314.02	400.00
4.	सर्वोद्योग और जन्वियण	74.92	2.72	55.24	132.88	133.68
	जम्मा	6369.92	98.76	825.22	7293.90	6190.00

उद्योग और खनिज

औद्योगिक वृद्धि सन् 1974-75 में 2.5 प्रतिशत रही, जो 1975-76 में घटकर 5.7 प्रतिशत हो गई। उल्लेखनीय बात यह है कि इस्पात, कोयला, सीमेन्ट, शलौह घातुओं तथा विजली-उत्पादन जैसी बुनियादी उद्योगों में उत्पादन महत्त्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। सवारी मोटरकारों, उपभोक्ता टिकाऊ सामग्री तथा कपड़ा जैसे कुछ उद्योगों में उत्पादन में विशेष रूप से गिरावट देखी गई।

इस स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से किए गए कुछ उल्लेखनीय उपाय इस प्रकार हैं— रई कातने, बुनियादी ढांचों तथा औद्योगिक मशीनरी सहित 21 उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। 29 चुनीदा उद्योगों में, मौजूदा कारखानों की अपनी स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग करने की अनुमति दे दी गई है। इन्जीनियरी वस्तुओं का निर्माण बढ़ाने के उद्देश्य से 15 इन्जीनियरी उद्योगों को उत्पादन क्षमता में 5 प्रतिशत तक वार्षिक वृद्धि करने अथवा योजना अवधि में अधिक से अधिक 25 प्रतिशत तक वृद्धि कर लेने की अनुमति प्रदान की गई है। भारत से बाहर वैसे भारतीयों को यहाँ पर कारखाने लगाने तथा अपना धन चुनीदा उद्योगों में लगाने के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ दी गईं। आई. डी. डी. आई. तथा अन्य ऋणदात्री संस्थाओं की पूँजी में भी वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

पाँचवी योजना के प्रारूप में 13,528 करोड़ रुपये की तुलना में सशोधित योजना में परिव्यय 16,660 करोड़ रुपये रखा गया है। इसमें से 9,660 करोड़ रुपये केन्द्र और राज्यों के क्षेत्रों के लिए हैं तथा 7,000 करोड़ रुपये गैर-सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों के लिए है।

केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक और खनिज कार्यक्रमों का परिव्यय सलग्न सारणी में दिया गया है। अनुमान है कि पाँचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास की दर लगभग सान प्रतिशत रहेगी। पाँचवी योजना के पहले दो वर्षों में विकास की यह दर अपेक्षाकृत कम रही अतः शेष तीन वर्षों में इसे नौ-दस प्रतिशत के बीच बनाए रखना होगा।

केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक और खनिज कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं पर परिव्यय
(करोट रुपये)

क्र० सं०	मन्त्रालय/विभाग	साक्षात्त पाँचवी योजना क परिव्यय
1	हस्पताल और खान मन्त्रालय (हस्पताल विभाग)	2237 42
2	हस्पताल और खान मन्त्रालय (खान विभाग)	550 59
3	ऊर्जा मन्त्रालय (शोयदा विभाग)	1147 58
4.	पेट्रोलियम मन्त्रालय	2051.53
	(क) पेट्रोलियम	(1691 28)
	(ख) रसायन	(360 25)
5	उर्वरक तथा रसायन मन्त्रालय	1602 07
	(क) उर्वरक	(1488 16)
	(ख) रसायन	(113 91)
6	उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	380 22
7	उद्योग मन्त्रालय (भारी उद्योग विभाग)	365 43
8	परमाणु ऊर्जा विभाग	184 18
9.	इन्फ्रानिक्स विभाग	46 37
10	जल-बलाघो तथा परिवहन मन्त्रालय	146 58
11.	वाणिज्य मन्त्रालय	143 18
12	सांख्यिक पुंति तथा सहकारिता मन्त्रालय	46 13
13	वित्त मन्त्रालय	131 73
	(क) बैंकिंग	(105 03)
	(ख) राजस्व	(1 79)
	(ग) आर्थिक विकास	(24 91)
	योग	9033 00

ग्राम तथा लघु उद्योग

लघु उद्योग— लघु उद्योगों की संख्या, उत्पादन की मात्रा तथा उनमें उत्पादित होने वाली वस्तुओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि से विस्तार सेवाओं की स्वीमों तथा सत्यागत वित्तीय सहायता में बढोत्तरी का विशेष योगदान रहा है। क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। लघु उद्योग सेवा संस्थान की कुछ शाखाएँ भी खोली गई हैं।

औद्योगिक वस्तियाँ — मार्च, 1974 में कुल 455 औद्योगिक वस्तियाँ थी जिनमें से 347 ग्रामीण अर्द्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 108 ग्रामीण क्षेत्रों में थी।

इन औद्योगिक वस्तियों में चलने वाले 10140 कारखानों में 1.76 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध था।

खादी तथा ग्रामीणोद्योग—सन् 1974-75 में खादी उद्योग में 9.78 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था। सन् 1975-76 में यह संख्या बढ़कर 10 लाख हो गई। इसी प्रकार ग्रामीण उद्योगों में काम करने वाले लोगों की संख्या 9.82 लाख से बढ़कर 11.28 हो गई।

ग्राम तथा लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादन तथा निर्यात के आँकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं—

ग्राम तथा लघु उद्योग
पाँचवी योजना में कुल परिष्कृत 535.03 करोड़ रुपये
उत्पादन तथा निर्यात के लक्ष्य और उपलब्धियाँ

(करोड़ रुपये में)

	पाँचवी योजना प्राथम्य	1974-75 वास्तविक	1975-76 सम्भावित	1976-77 प्रेक्षित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उत्पादन				
1. हाथकरघे और शक्तिचालित कारखे का मुनी कपड़ा (दस लाख मीटर)	4,800	3,800	4,100	4,200
2. बोरी-भासा (दस लाख मीटर) मूल्य (करोड़ रुपये)	—	59.72	61.20	63.00
3. कच्चा रेशम (दस लाख कि. ग्राम.)	4.60	3.00	3.20	3.80
4. ग्रामीणोद्योग* मूल्य (करोड़ रुपये)	—	136.31	155.46	176.11
निर्यात				
5. हाथकरघा कपड़ा तथा उससे तैयार वस्तुएँ (करोड़ रुपये)	**	92.00	97.00	107.00
6. रेशमी कपड़ा तथा रेशम (करोड़ रुपये)	21.00	12.70	17.50	18.50
7. नायिलन घटा वस्तुएँ (सादा 000 टन) मूल्य (करोड़ रुपये)	—	47.00	36.00	40.00
8. हस्तनिर्मित (करोड़ रुपये)	***	220.00	190.40	192.00

* ये आँकड़े उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में हैं, जिन्हें खादी एवं ग्रामीणोद्योग द्वारा सहायता दी जाती है।

** पाँचवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हाथकरघा वस्तुओं से बनी वस्तुओं के सम्बन्ध में पाँच वर्ष की अवधि (1974-79) के लिए 155 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

*** दसवी पाँचवी योजना में हस्तनिर्मित के निर्यात के लिए सन् 1978-79 में 2.0 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है, तथापि इसे बढ़ा कर 250 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया जाएगा।

परिवहन तथा संचार

परिवहन और संचार के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में परिव्यय का क्षेत्रवार ब्योरा नीचे सारणी में दिया गया है—

सारणी : संशोधित पाँचवी योजना

परिव्यय - परिवहन, पर्यटन और संचार—केन्द्रीय क्षेत्र

(करोड़ रुपये)

व्यय	पाँचवी योजना प्रारूप	संशोधित पाँचवी योजना
रेलें	2550 00	2202 00
सड़कें	714 00	445.44
सड़क परिवहन	26 00	58 17
बन्दरगाह	330 00	543 58
जहाजरानी	258.00	450.00
अन्तर्देशीय जल परिवहन	40.00	24 92
प्रकाश स्तम्भ	12.00	13 66
फ़रवक्ता बीराज	32 00	31 55
नागर विमान		
परिवहन	391.00	334 85
पर्यटन	78 00	40.74
संचार	1176 00	1266 61
प्रसारण	120 00	94 38
जोड़	5717.00	5505.90

पर्वतीय तथा जनजातीय क्षेत्र, पिछड़े वर्ग, समाज-कल्याण और पुनर्वास

पहाड़ी क्षेत्र

देश के पहाड़ी क्षेत्रों तथा जनजातीय इलाकों में विकास कार्यों को बढ़ाया जा रहा है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना में अगले दो वर्षों (1977-79) में केन्द्र सरकार द्वारा पहाड़ी इलाकों के विकास के लिए 94 करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था है। योजना के पहले तीन वर्षों (1974-77) में इस कार्य पर 76 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस योजना के अन्तर्गत अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा पश्चिमी घाट के पहाड़ी इलाके आते हैं। योजना के प्रथम तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा 76 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राज्यों द्वारा 68 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की सम्भावना है। पहाड़ी इलाकों के विकास के लिए पाँचवी योजना में केन्द्रीय क्षेत्रों में कुल मिलाकर 170 करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई है।

जन-जाति क्षेत्र

जन-जाति क्षेत्रों के विकास के लिए पाँचवी योजना में कुल 190 करोड़ रु. रखे गए हैं। इसमें से सन् 1974-77 में 65 करोड़ रुपये खर्च होने की आशा है। शेष दो वर्षों (1977-79) के लिए 125 करोड़ रुपये रखे गए हैं। 16 राज्यों तथा 2 केन्द्र शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जन-जातियों के घनी आवासी वाले क्षेत्रों के लिए, जन-जाति उप-योजनाओं के अन्तर्गत जन-जाति ग्राम-व्यवस्था से सम्बन्धित विशेष महत्त्व के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के अनुसूचित विकास के लिए कृषि, विद्युत एवं संचार सम्बन्धी क्षेत्रीय योजनाओं के लिए प्रलग से 90 करोड़ रुपये रखे गए हैं। आशा है कि इससे से पहले तीन वर्षों (1974-77) में 28 करोड़ रुपये ऐसी स्कीमों पर खर्च किए जाएँगे। पाँचवी योजना के शेष दो वर्षों (1977-79) के लिए 62 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

इन कार्यक्रमों के लिए खर्च का विवरण इस प्रकार है—

	(करोड़ रुपये में)		
	अनुमानित वर्ष 1974-77	1977-79 का वर्ष	योजना का कुल व्यय
1. पर्वतीय क्षेत्र	76	94	170
2. जन-जातीय क्षेत्र	65	125	190
3. वल्लभपूर्वी परिषद् की स्कीमों	28	62	90
योग	169	281	450

पिछड़े वर्गों का कल्याण

संशोधित पाँचवी योजना में परिव्यय बड़ाकर केन्द्र के लिए 119 करोड़ रुपये तथा राज्यों के लिए 208 करोड़ रुपये कर दिया गया है। केन्द्रीय योजना में मंदिर के बाद की छात्रवृत्तियों, छात्र-छात्राओं के प्रशिक्षण की स्कीमों तथा लड़कियों के छात्रावासों पर जोर दिया गया है। राज्य योजनाओं में औद्योगिक प्रोत्साहन, आर्थिक सहायता-प्राप्त भावास, विभिन्न कृषि कार्यक्रमों व विद्यालय दिवसों के लिए व्यवस्था की गई है। पिछड़े वर्गों के विकास की विभिन्न भदों के परिव्यय का विवरण निम्नलिखित है—

समाज कल्याण

केन्द्र और राज्यों के लिए संशोधित पाँचवी योजना में क्रमशः 63.53 करोड़ रुपये और 22.60 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। केन्द्रीय क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों, निर्देशित शिशु देख-रेख संघाओं, नौवरी पेना, महिला छात्रावासों, अपंगों को सहायता और राज्य क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों (महिला और शिशु कल्याण कार्यक्रम) और समाज सुरक्षा कार्यक्रम के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है।

पुनर्वास

संशोधित पाँचवी योजना में 67067 परिवारों के भारत में पुनर्वास की

व्यवस्था है। योजना के पहले तीन वर्षों में 47 52 करोड़ रुपये खर्च से 35767 परिवारों को फिर से बसाये जाने का अनुमान है।

अन्य महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाएँ

शिक्षा

सन् 1974-75 में शिक्षा पर योजना और गैर-योजना का कुल सरकारी खर्च 1,450 करोड़ रुपये होने का अनुमान था, जो बढ़कर सन् 1976-77 में लगभग 2,287 करोड़ रुपये हो गया। शिक्षण विकास से सम्बन्धित नगना कार्य पूरे करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए 1 285 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। (देखिए निम्न तालिका)

शिक्षा परिव्यय

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	वर्ग	1974-77 का अनुमानित व्यय	प्रस्तावित 1977-79	सशोधित पाँचवी योजना के कुल व्यय
1.	प्राथमिक शिक्षा	180	230	410
2.	माध्यमिक शिक्षा	111	139	250
3.	विश्वविद्यालय शिक्षा	140	152	292
4.	विशेष शिक्षा	9	9	18
5.	अन्य कार्यक्रम	57	65	112
6.	शोध (सामान्य शिक्षा)	497	595	1,092
7.	तकनीकी शिक्षा	75	81	156
8.	कला और संस्कृति	16	21	37
जोड़ (शिक्षा)		588	697	1,285

स्वास्थ्य परिवार नियोजन और पोषाहार

राज्यो और केन्द्र शासित क्षेत्रों की योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए योजना मसविदे में 543 21 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। पाँचवी योजना के पहले तीन वर्षों में इन कार्यक्रमों पर कुल खर्च 159 92 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। पाँचवी योजना के शेष दो वर्षों के लिए यानी सन् 1977-79 के लिए 185 91 करोड़ रुपये के व्यय की सिफारिश की गई है। सशोधित पाँचवी योजना में स्वास्थ्य पर कुल व्यय 681 करोड़ रुपये होगा।

परिवार कल्याण नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए योजना के मसविदे में 516 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। पाँचवी योजना के पहले तीन वर्षों में इन कार्यक्रमों पर 237 65 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है और सन् 1977-79 की अवधि में 259 71 करोड़ रुपये खर्च करने का विचार है, कुल 497 36 करोड़।

पाँचवी योजना के मसविदे से दी गई कार्यनीति के आधार पर परिवार नियोजन कार्यक्रमों को स्वास्थ्य, मातृ और शिशु कल्याण और पोषाहार सेवाओं के साथ-साथ जोड़ा जाएगा। पोषाहार कार्यक्रम पर पाँचवी योजना का संशोधित व्यय कुल 88.18 करोड़ रुपया बँटता है। सारी निधि निम्न तात्विकार्यों से स्पष्ट होंगी।

पाँचवी योजना में परिवार कल्याण नियोजन कार्यक्रमों पर व्यय
(करोड़ रुपये में)

कार्यक्रम	पाँचवी योजना का मसविदा	संशोधित पाँचवी योजना का व्यय
सेवाएँ और व्यापृति	422.53	419.41
प्रशिक्षण	13.54	12.07
जन-संज्ञा	22.00	13.13
शोध और अनुसंधान	14.33	9.03
विशेष दैक परिवोजना	19.50	24.74
मातृ और शिशु स्वास्थ्य	15.00	8.57
संबन्ध	9.10	9.41
कुल	516.00	497.36*

* इसमें परिवार नियोजन विभाग द्वारा बनाई जागे वाली नई स्कीमों के लिए एक करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है।

पोषाहार कार्यक्रम

(करोड़ रुपये में)

कार्यक्रम	सत्र	पाँचवी पंचवर्षीय योजना का मसविदा	संशोधित पाँचवी योजना का व्यय
सूचकतम आवश्यकता कार्यक्रम	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	330.00	88.18
राष्ट्रीय शोध विभाग की पोषाहार स्कीम	राष्ट्रीय	50.00	14.50
राष्ट्रीय शोध विकास विभाग का व्यावहारिक पोषाहार संबंधी	केन्द्र सम्बन्धित	20.00	12.99
कुल		400.00	115.67

आयोजन का मूल्यांकन : क्या हमारा आयोजन
हमारी आकांक्षाओं को पूरा कर सका ?

पाँचवी पंचवर्षीय योजना को जनता सरकार ने श्रवण से एक वर्ष पूर्व ही 31 मार्च, 1978 को समाप्त कर और 1 अप्रैल, 1978 से सम्पूर्ण नियोजन को नई दिशा और दृष्टि देने हुए नई राष्ट्रीय योजना लागू कर देश की जनता की इस भावना को सम्मत्ता है कि विद्यमान आयोजन जन-आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सका है और

कुछ महत्त्वपूर्ण सफलताओं के बावजूद हमारी पिछली योजनाएँ कुल मिलाकर काफी असन्तोषजनक रही हैं। यह उचित होगा कि हम पिछले नियोजन के मूल्यांकन के रूप में कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों और नई सरकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत करें और एन 1976-77 तथा 1977-78 की अर्थ-व्यवस्था का मूल्यांकन करें।

विभिन्न मत

श्री बी. के. गरसिंहन ने मई, 1977 के अपने एक विशेष लेख में लिखा है—

“यह बात निर्विवाद है कि अगर भारत में सर्वव्यापी गरीबी को विरुद्ध छेड़े गए अभियान में इस शताब्दी के अन्त से पहले विजय प्राप्त करनी है तो देश में 25 वर्षों से लागू आयोजनाओं पर पुनर्विचार करने और नई नीतियों और दृष्टिकोण को अपनाया प्रति आवश्यक है।”

“अविनाशित सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों और सिंचाई और पन-विजली के साधनों के विकास में काफी पूंजी लगाई गई है। परन्तु जन-साधारण की आधारीय आवश्यकताओं को पूरा करने, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और लोगों की आय में व्याप्त बड़े अन्तर को कम करने में ये योजनाएँ असफल रही हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इन योजनाओं में पूंजी लगाने के ढंग और उन्हें लागू करने में की गई गलतियों के कारण ही ये योजनाएँ असफल हुई हैं। अधिक पूंजी वाले और भारी उद्योगों पर बहुत अधिक जोर दिया गया जबकि जन-साधारण के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के संचालन में आने वाली लागत की कोई परवाह नहीं की गई। योजना-दर-योजना पूंजी और उत्पादन का अनुपात घटता ही गया है। इसका तात्पर्य यह है कि अधिक से अधिक पूंजी लगा कर उसके अनुपात में कम से कम उत्पादन हुआ। सरकारी बैंकों से यह स्पष्ट होता है कि उत्पादन और पूंजी का अनुपात जो कि प्रथम योजना अवधि में, 47% था, चौथी योजना तक घटकर 19% तक पहुँच गया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सन् 1951-56 की अवधि में जहाँ 100 रुपये की पूंजी लगाकर 47 रुपये के मूल्य का उत्पादन हुआ वहीं 1969-74 की अवधि में केवल 19 रुपये के मूल्य का उत्पादन हुआ। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मुद्रा-स्फीति एक स्थायी रोग बन चुकी है और अर्थ-व्यवस्था की विकास की दर वार्षिक में बहुत ही चिंताजनक रूप से कम है।”

श्री अमरनाथ अग्रवाल ने भारत सरकार द्वारा प्रकाशित और आकाशवाणी से प्रसारित अपने एक विशेष लेख में यह विचार व्यक्त किया है कि—

“दूसरी योजना के समय से हमने जिस बृहत् रचना अथवा मुक्ति का सङ्घार लिया है— वह है मूल व भारी उद्योगों के विकास पर आधारित तेज गति से देश के औद्योगीकरण की मुक्ति। भारी उद्योगों के विकास पर आधारित तेज गति से औद्योगीकरण की इस मुक्ति को अपनाए 20 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। इस अवधि में देश की प्रगति बहुत धीमी व असन्तोषजनक रही है। निर्धारित लक्ष्य के

हिस्सा से राष्ट्रीय आय बहुत कम बढ़ी और चूँकि जनसंख्या तेजी से बढ़ी, इस कारण प्रति व्यक्ति आय में हुई वृद्धि और भी थोड़ी रही। फलस्वरूप औसत जीवन-स्तर में कोई विशेष सुधार नहीं हो पाया। यही नहीं, बल्कि अनेक अनिवार्य वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धि घट गई और कीमत वृद्धि के नाए से नाए रिफाईड स्थापित होते रहे। इस बीच बेरोजगारी भी बढ़ी और निर्धनता रेखा के नीचे गुजर करने वाले लोगों की संख्या भी। इस प्रकार कुल मिलाकर आयोजन काल से देश की स्थिति काफी असन्तोषजनक रही थी। इस बात को लेकर भारतीय आयोजन की बड़ी आलोचना की गई। आर्थिक कठिनाइयों के बढ़ने के साथ-साथ आलोचनाओं की और बल मिला और आयोजन की ब्यूह रचना में आमूल परिवर्तन लाने की माँग तेजी से रखी जाने लगी और जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में भारतीय आयोजन की नई दिशा देने का प्रस्ताव रखा।”

प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने 25 अप्रैल, 1977 को योजना और कार्यान्वयन पद्धति सम्बन्धी एक घोषणा में अपने भाषण में कहा—

“इस देश के लिए महान् सेवा की बात थी कि जवाहरलाल श्री ने यहाँ योजना की शुरुआत की लेकिन योजना शुरू करने से वह लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ जिसे ध्यान में रखकर उसे अपनाया गया था क्योंकि योजना अच्छी चीज है, पर वह जब रास्ते से भटक जाती है तो भलाई की बजाय हानि अधिक पहुँचाती है।”

“मैं यह नहीं कह सकता कि हमने कोई प्रगति नहीं की है हमने प्रगति की है। जब हम आवाद हुए थे तो इस देश में एक पिल तक नहीं बनाई जाती थी। चर्खों का तकुमा तक भी विदेश से मँगवाना पड़ता था। वह स्थिति अब बदल गई है और हम न केवल इस्पात, अल्यूमीनियम अथवा रेलवे के सभी साज-सामान, चीनी उद्योग की मशीनरी अथवा बिजली की मशीनरी बनाते हैं बल्कि आज हम पूरे स्टील मिल भी बना सके हैं। भारी उद्योग के क्षेत्र में इतनी प्रगति हमें के बादबूढ़ आज उभरते कही अधिक असंतोष है जो कभी स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय था। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में समृद्धि बढ़ी है, सम्पन्न लोगों की प्रगति से तुलना करें तो उनके मुकाबले में अन्य वर्गों में समृद्धि समुचित मात्रा में नहीं हुई है। उनमें कारण असंतोष है क्योंकि उनकी आकांक्षाओं की जो मेरे विचार हैं बहुत अधिक नहीं हैं, पूर्ति नहीं हुई। योजना असंतोष दूर करने वाली परिस्थितियाँ पैदा करने में सफल नहीं हुई है।”

“हमारी योजनाओं के बारे में बड़े-बड़े लोचों के हिस्से से अनुमान लगाया जाता है क्योंकि हमने भारी उद्योगों के बारे में अधिक सोचा। सिंचाई के मामले में भी हमने छोटे और मध्यम दर्जे की सिंचाई की उपेक्षा की। हमें पहले उन पर ध्यान देना चाहिए था।”

“टुपि हमारे लिए बुनियादी जरूरत है। वह हमारे लिए मूल आधार है बल्कि जो कहे कि जब तक कुपि की उन्नति नहीं कर सकते मुझे डर है कि हम चाहे कुछ भी करें इसके बिना सुसहायी और समृद्धि की भावना नहीं आ सकती। हम अभी तक अपनी जरूरतों के लिए पर्याप्त चीजें तैयार करने में सफल नहीं हुए हैं।

यह पिछले 1-2 साल के बारे में नहीं कही जा सकती क्योंकि उन दिनों मौसम भी अच्छा रहा। हमें मौसम की निर्भरता से मुक्त होना होगा और मेरे ख्याल से इसके लिए हमारे पास पर्याप्त क्षमता है। हमारे देश में जमीन ऐसी है जिससे हम जो कुछ आज उपजा रहे हैं उससे तीन गुना पैदा कर सकते हैं बल्कि तीन गुना से भी अधिक हो सकता है। तीन गुना में कम से कम बता रहा हूँ। कल्पना कीजिए कि जो कुछ आज हम उत्पादन कर रहे हैं उसका दूगुना उत्पादन होता तो क्या स्थिति होती। अगर ऐसा होता तो न केवल असतोष मिट जाता बल्कि जिन माघनों के लिए हमें एक जगह से दूसरी जगह भटकना पड़ता है उन माघनों की कमी न रहती। यह तभी हो सकता है जबकि छोटे किसानों को अधिक पैदावार करने के लिए आवश्यक सहायता मिले। हमारे किसानों में से अधिकांश भाग छोटे किसानों का है। 70% रूपक छोटे किसान ही हैं। वे उतना अधिक उत्पादन नहीं कर सकते जितना कि होना चाहिए था। क्योंकि ध्यान बड़ी मशीनों, उर्वरकों और द्रव्य के आधुनिक तरीकों की ओर लक्ष्य दिया गया। आधुनिकतम तरीकों में जो कुछ अच्छा है हम उसे अपना सकते हैं और ऐसा हमें करना चाहिए पर हम अपने जीवन की ऐसी पुनियावी आवश्यकताओं को नहीं भूल सकते।”

“हमने यह भी गलती की कि चादर को देखे बिना पैर पसारें और अपने घाट की प्रथ-व्यवस्था का सहारा लेना पड़ा। कीमतों पर जितना बुरा असर घाटे की प्रथ-व्यवस्था का पड़ना है उतना और किसी बात का नहीं। लोगों की जेबों में ज्यो ज्यो रुपया बढ़ता जाता है, कीमतें भी बढ़ती जाती हैं। यदि मुद्रा प्रसार के साथ साथ आम आदमी के इस्तेमाल की चीजों का उत्पादन भी बराबर बढ़ता है तो उससे उतना दुकान ही होता, लेकिन मुद्रा प्रसार तो बढ़ता जाता है और उत्पादन की दर घटती जाती है, दोनों विपरीत दिशाओं में चलते हैं। यही कारण है कि कीमतों में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती है।”

“योजना को पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया जाता, उससे उत्पादक भंग ही होता है, उत्पादक बढ़ता नहीं है। यदि कोई योजना लक्ष्य से भी अधिक पूरी की जाती है, जब आभारें चढ़ती हैं और इसमें हमें अधिक ताकत मिलती है, लेकिन यदि योजना पड़ पड़ पर बना ली जाए और उसे पूरी तरह कार्यान्वित न किया जाए, तो वह नीचे जाने का एक आम रास्ता बन जाता है। इसके सिवा और कोई नतीजा नहीं होना। कुछ भागलों में हमारे साथ ऐसा हुआ है।”

“अब तक के आयोजन का परिणाम क्या निकला है? लोग अपने गाँवों को छोड़कर शहरों की ओर भागे रहे हैं। नतीजा यह है कि शहरों में गंदी बस्तियों में लोग भरे हुए हैं और ये गंदी बस्तियाँ भी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। अब लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं तो उनमें भीतर अपराध-वृत्ति फैलती है। गंदी बस्तियों में रहने वाला कोई भी आदमी ऐसा बन जाता है, चाहे आप हो या मैं हूँ या कोई और, यदि हम अपना रवैया नहीं बदलते, और यदि हम प्रणाली को नहीं बदलते तो यह सिलसिला जारी रहेगा।”

“हम उसी पुराने ढर्रे के अनुत्तार काम करते रहे हैं जो कि ब्रिटिश राज में अपनाया गया था और जिसमें ग्राम आदमी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, उससे ज्यादा महत्व था सरकार चलाना।”

1976-77 की अर्थ-व्यवस्था का सर्वेक्षण :

असन्तुलित और अनन्तोपजनक स्थिति

वित्त मंत्री श्री एच एम पटेल ने 13 जून, 1977 को संसद् में बजट से पूर्व का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इस सर्वेक्षण में सन् 1976-77 के दौरान भारतीय व्यवस्था की स्थिति के प्रति सावधानीपूर्वक रवैया अपनाया है। सर्वेक्षण के अनुसार सन् 1976-77 के दौरान अर्थ-व्यवस्था की प्रगति असमान रही। इसमें अर्थ-व्यवस्था ने उन अनेक क्षेत्रों की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है जिनकी स्थिति सन् 1975-76 से भी खराब रही।

सकल राष्ट्रीय उत्पादन में दो प्रतिशत से भी कम वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया, जबकि सन् 1975-76 के दौरान यह वृद्धि 8.5 प्रतिशत थी। कृषि उत्पादन में 5 से 6 प्रतिशत की कमी हुई जबकि सन् 1975-76 के दौरान इसमें 15.6% की वृद्धि हुई थी। अनाज की पैदावार घटकर लगभग 11 करोड़ 10 लाख टन हो गई जबकि सन् 1975-76 में यह 12 करोड़ 8 लाख टन थी। खाद्य तेलों के उत्पादन में भारी गिरावट आई। कपास के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई।

इन वृद्धि वस्तुओं के उत्पादन में कमी आने के परिणामस्वरूप कीमतों में 11.6% की वृद्धि हुई। मुद्रा पूंजी में 17.1% की वृद्धि हुई, जिससे मुद्रा-स्फीतिकारी दबाव बढ़ने की सम्भावनाएँ अधिक हो गईं। उद्योगों में निवेश की प्रवृत्ति में सुधार के कोई खास लक्षण दिखाई नहीं दिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोजगार की स्थिति में भी सुधार के कोई आसार नजर नहीं आते।

दूसरी तरफ गन्ने, पटसन और नेस्ता के उत्पादन में वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन 10% बढ़ा जो कि पिछले दस वर्षों से भी अधिक समय के दौरान की एक उल्लेखनीय बात थी। बड़े पैमाने पर अनाज घसूली का कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया गया और वर्ष के अन्त तक 1 करोड़ 80 लाख टन अनाज का भण्डार बनाया गया। सन् 1976-77 के दौरान निर्यात में 23% की वृद्धि हुई। निर्यात में यह वृद्धि भाव के परिमाण और कीमत दोनों दृष्टि से आश्चर्यजनक थी। सन् 1975-76 के विपरीत आयात में 7% की कमी हुई और विदेश व्यापार में 72 करोड़ रु की वृद्धि हुई। सर्वेक्षण के वर्ष के दौरान भारत में विदेशों से प्राप्तियों के आने में वृद्धि हुई। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 303 करोड़ रु का भुगतान किए जाने के बाद भी वर्ष के अन्त में भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार 2,863 करोड़ रु के बराबर था। सर्वेक्षण के अनुसार इन सब बातों से भारतीय अर्थ-व्यवस्था के सामने आ रही समस्याओं के बारे में स्पष्ट ज्ञान हुआ। अर्थ-व्यवस्था के विकास की दर जनता के जीवन स्तर में ठोस सुधार लाने के लिए आवश्यक दर से भी बहुत कम रही, विनाश की दर कम रही

क्योंकि कृषि उत्पादन जो कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन में लगभग आधा होता है, तेजी से नहीं बढ़ा। ऐसा लगा कि हरित क्रांति की विकास लहर समाप्त हो गई है और चावल या मोटे अनाज के उत्पादन में यह लहर दिखाई नहीं दे रही है। दालों और गन्ने को छोड़कर अन्य व्यापारिक फसलों के उत्पादन में एक प्रकार का ठहराव-सा आ गया।

वर्ष 1976-77 को छोड़कर औद्योगिक विकास भी काफी धीमा रहा। माँग का अभाव कम उत्पादन और परिणामस्वरूप अधिक क्षमता का मुख्य कारण प्रतीत हुआ। औद्योगिक निवेशों की स्थिति में ठोस सुधार नहीं आया। दूसरी ओर अलाभकारी होने के कारण कारखाने बन्द होने की घटनाएँ बढ़ती गईं। निर्यात में वृद्धि होने से इन बातों का प्रभाव कुछ सीमा तक कुछ कम हो गया।

सर्वेक्षण में यह सुझाव दिया गया कि कुल मिलाकर विकास की उच्च दर प्राप्त करने के लिए कृषि विकास की दर में काफी वृद्धि होनी चाहिए। यह प्राप्त करने के लिए अधिक निवेश और कार्यान्वयन की बेहतर व्यवस्था का होना आवश्यक है। कृषि में अधिक निवेश का अर्थ मुख्य रूप से सिंचाई में अधिक निवेश करना है। पानी कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस समय कुल खेती वाले क्षेत्रों में से मात्र लगभग 25% सिंचाई की जाती है, इसे देखते हुए सिंचाई को उच्चतम प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। इसके लिए भूमि के ऊपर और नीचे उपलब्ध जल साधनों के उचित उपयोग और जल प्रबन्ध में पर्याप्त सुधार लाने के लिए उपयुक्त योजना बनानी होगी। साथ ही साथ, बेहतर बीज, उर्वरक, कीटनाशी दवाओं, अच्छे किन्म के औजार और ऋण आदि जैसी सामग्रियों के अलावा अनुसंधान कार्यों में भी सुधार लाने के लिए उपाय करने होंगे।

सर्वेक्षण में यह बताया गया कि कृषि का इस प्रकार विकास अधिक औद्योगिक विकास के लिए भी आवश्यक है। महत्वपूर्ण उद्योग कृषि पर आधारित हैं इसलिए कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से उनकी कच्चे माल सम्बन्धी समस्याएँ समाप्त हो जाएँगी। हमारी अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर है, इसलिए कृषि में अधिक समृद्धि का अर्थ होगा उद्योग के लिए बड़ा बाजार और इस प्रकार कृषि के और विस्तार का यह औचित्य प्रदान करता है।

निरन्तर विकास के लिए कीमतों का स्थिर रहना बहुत ही जरूरी है। सन् 1976-77 में जिन कारणों से कीमतें बढ़ी थी वे सन् 1977-78 में भी विद्यमान हैं। इसलिए कीमतों के क्षेत्र में बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। ऋण नीति में न केवल सयम रखने पर जोर दिया जाना चाहिए बल्कि अधिक वित्तीय अनुशासन बरतना चाहिए। आवश्यक निवेश के अधिकांश भाग की व्यवस्था सार्वजनिक रूप से जुटाए साधनों में से की जानी चाहिए, लेकिन इस प्रकार के साधनों के अधिकांश भाग को सार्वजनिक उपभोग में लगाने की अपेक्षा उनकी बचत की जानी चाहिए। साथ ही साथ सूझबूझ वाली कर नीति के माध्यम से अधिक से अधिक साधन जुटाए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। समिति प्रस्तुत कर सुधारों के

बारे में विचार कर रही है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष कर सुधारों के प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिए।

सरकार के पास मौजूद भण्डारों की आवश्यकतानुसार काम में लाया जाना चाहिए और उसी के अनुसार आयात नीति को लचीला रखना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए भण्डारों और विदेशी मुद्रा भण्डार का प्रभावशाली रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। धरेलू उत्पादन सम्भावनाओं और आयात की अग्रिम योजना के बारे में पहले से ही जानकारी मिलना बहुत ही आवश्यक है।

चानू निर्वात कार्य नीति पर प्रमल करने की आवश्यकता साफ है। विदेशी मुद्रा भण्डार के बढ़ने में उत्पन्न अनुकूल स्थिति को ज़ोरदार निर्वात अभियान के माध्यम से बनाए रखा जाना चाहिए, लेकिन इस अभियान से देश में उपयोग की आवश्यक वस्तुएँ प्रभावित नहीं होनी चाहिए। भारत के पास विशिष्ट जानकारी और क्षमता दोनों ही हैं और अब तक प्राप्त अनुभव का पूरा-पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए।

सर्वेक्षण में कहा गया कि बेरोजगारी भारत की सबसे गम्भीर समस्या है। इसे अर्थ-व्यवस्था की विकास दर में वृद्धि लाए बिना नहीं सुलझाया जा सकता। इसके समाधान के लिए लचीली वित्त नीति के माध्यम से निवेश के लिए अधिक साधन जुटाने होंगे और सार्वजनिक उपभोग पर नियन्त्रण के माध्यम से अधिक बचत करनी होंगी। यह उपाय व्यक्तिगत बचतों में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपायों के अलावा हैं। सार्वजनिक बचतों में सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में अधिक उत्पादकता, बेहतर प्रबंध और उच्चतम जीवन नीतियों के माध्यम से क़ासी वृद्धि की जा सकती है।

दूसरी बात यह है कि निवेश को निश्चित रूप से अधिकाधिक रोजगार मूलक बनाना होगा। कृषि, सिंचाई, ग्राम-उद्योगों, लघु उद्योगों में अधिक मात्रा में निवेश करना होगा और उपयुक्त प्रौद्योगिकी की खोज के लिए व्यापक अनुसंधान कार्य करना होगा। हमारे साधन बेकार न जाएँ—इसके लिए हमें निवेशों का अधिक कुशलता से उपयोग करना होगा।

संतोषजनक रूप से यह महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए अनेक आर्थिक सुधार करना आवश्यक है। भूमि सुधारों को प्रभावशाली रूप से लागू करने की आवश्यकता है। यदि उत्पादकता और साधन जुटाने के काम में सुधार लाना है तो योजना-निर्माण और कार्यान्वयन प्रक्रिया में जनता का अधिक से अधिक सहयोग होना चाहिए। ग्रन्त में विस्तार, अनुसंधान, आवश्यक सामान की पूर्ति और विपणन सम्बन्धी संगठनात्मक आधार को मजबूत बनाया जाना आवश्यक है।

1977-78 की अर्थ-व्यवस्था का सर्वेक्षण

मार्च, 1977 में ब्रिसेल के 30 वर्षीय एकदशक शासन की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री श्री बेगई के नेतृत्व में जनता सरकार बनी। नई सरकार ने समूची अर्थ-व्यवस्था के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाया जो पिछले किसी भी समय की अपेक्षा अधिक यथार्थवादी था। सन् 1977-78 का वित्तीय वर्ष काफी संतोषजनक

रहा और वित्त मन्त्री श्री पटेल ने 23 फरवरी, 1978 को ससद् में प्रस्तुत की गई बजट पूर्व की आर्थिक समीक्षा में सन् 1977-78 में भारतीय अर्थ-व्यवस्था की प्रगति पर सतोष व्यक्त किया। यह आर्थिक समीक्षा, भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 13 फरवरी, 1978 के अनुसार इस प्रकार है—

“आर्थिक समीक्षा में आशा व्यक्त की गई कि चालू वर्ष में सकल राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि दर सन् 1976-77 की वृद्धि दर के मुकाबले काफी अधिक रहेगी। वृष्टि के क्षेत्र में भी, गत वर्ष के मुकाबले विशेषकर अनाज की पैदावार के सम्बन्ध में काफी सुधार होने की उम्मीद है। मुद्रा स्फीति के दबाव को नियन्त्रण में रखा गया है और कीमतों का वर्तमान स्तर उससे विचित्र अधिक है, जो इस गणनीय वर्ष के शुरू में था।”

‘मुद्रा प्रति के विस्तार को अनुकुल रखने में इससे भी अधिक सफलता मिली है और ऋण नीति के कारण आवश्यक वस्तुओं की सट्टेबाजी के प्रयोजन से जमाखोरी को रोका गया है और साथ ही अर्थ-व्यवस्था के उत्पादन क्षेत्रों की वास्तविक ऋण सम्बन्धी ज़रूरतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना दिया गया। प्रति व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है।’

“विश्व परिदृश्यों में प्रनिबल स्थिति के बावजूद निर्यात में निरन्तर वृद्धि हो रही है और हमारी विदेशी मुद्रा प्रारभित निधि में इस समय जो राशि जमा है वह 9 महीने के आयात के बराबर है।’

“समीक्षा का समापन करते हुए कहा गया कि अर्थ व्यवस्था की वर्तमान स्थिति कुल मिलाकर ऐसी है कि उसमें पूँजी निवेश बिना किसी जोखिम के काफी बढ़ाया जा सकता है।’

“पर समीक्षा में अर्थ-व्यवस्था का कुछ बातों से सतक भी किया गया, जिनमें प्रति हमें हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना चाहिए। चालू वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में 5-6 प्रतिशत वृद्धि होने की सम्भावना है जबकि सन् 1976-77 में 10% वृद्धि हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि की दर शिथिल हो गई है और सूती बस्त्र जैसे प्रमुख उद्योगों में कठिनाई लगातार अनुभव की जा रही है। अजली की फिर कमी होने लगी है। यह भी लगता है कि औद्योगिक पूँजी निवेश अक्षेत्रानुसार नहीं बढ़ रहा है। यद्यपि वृष्टि की स्थिति सतोषजनक रही है, फिर भी वर्ष-दर-वर्ष होने वाली काफी घट वृद्ध तथा दाल और तिलहन जैसी ज़रूरी जिनों की पैदावार की नीमी गति चिन्ता का विषय है। यद्यपि भूमिगत शेष की मजबूत स्थिति पूर्ववर्ती वर्षों में अनुभव की गई, विकट कठिनाइयों के बाद अत्यन्त उत्साहवर्धक है, पर इससे एक निर्घन देश में एक विरोधाभास की स्थिति पैदा हो रही है जबकि इन साधनों का एक भाग विदेशी मुद्रा विनिमय आरभित निधि के रूप में विदेशों में उधार वाँटा जाए और अपने ही देश में उसका उपयोग न हो। इसी प्रकार मौद्रिक नीति भी निःसंदेह सफल रही है पर इस प्रणाली में नकदी की स्थिति ऐसी थी जिसमें मुद्रा-स्फीति के दबावों का सतरा काफी है और अन्तिम बात यह है कि देश में गरीबी का स्तर और

बारे में विचार कर रही है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष कर सुधारों के प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिए।

सरकार के पास मौजूद भण्डारों की आवश्यकतानुसार काम में लाया जाना चाहिए और उसी के अनुसार धायात नीति को लचीला रखना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए भण्डारों और विदेशी मुद्रा भण्डार का प्रभावशाली रूप से उपभोग किया जाना चाहिए। घरेलू उत्पादन सम्भावनाओं और धायात की अग्रिम योजना के बारे में पहले से ही जानकारी मिलना बहुत ही आवश्यक है।

चानू निर्यात कार्य नीति पर अमल करने की आवश्यकता साफ है। विदेशी मुद्रा भण्डार के बढ़ने में उत्पन्न अनुकूल स्थिति को जोरदार निर्यात अभियान के माध्यम से बनाए रखा जाना चाहिए, लेकिन इस अभियान से देश में उपभोग की आवश्यक वस्तुएँ प्रभावित नहीं होनी चाहिए। भारत के पास विशिष्ट जानकारी और क्षमता दोनों ही हैं और अब तक प्राप्त अनुभव का पूरा-पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए।

सर्वेक्षण में कहा गया कि बेरोजगारी भारत की सबसे गम्भीर समस्या है। इसे अर्थ-व्यवस्था की विकास दर में वृद्धि लाए बिना नहीं मुलभूया जा सकता। इसके समाधान के लिए लचीली वित्त नीति के माध्यम से निवेश के लिए अधिक साधन जुटाने होंगे और सार्वजनिक उपभोग पर नियन्त्रण के माध्यम से अधिक बचत करनी होगी। यह उपाय व्यक्तिगत वचनो में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपायों के अलावा हैं। सार्वजनिक वचनो में सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में अधिक उत्पादकता, बेहतर प्रबन्ध और उपयुक्त कीमत नीतियों के माध्यम से काफ़ी वृद्धि की जा सकती है।

दूसरी बात यह है कि निवेश को निश्चित रूप से अधिकाधिक रोजगार मूलक बनाना होगा। कृषि, सिंचाई, ग्राम-उद्योगों, लघु उद्योगों में अधिक माना में निवेश करना होगा और उपयुक्त प्रौद्योगिकी की खोज के लिए व्यापक अनुसंधान कार्य करना होगा। हमारे साधन बेकार न जाएँ - इसके लिए हमें निवेशों का अधिक कुशलता से उपयोग करना होगा।

संतोषजनक रूप से यह महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए अनेक सांख्यिक सुधार करना आवश्यक है। भूमि सुधारों को प्रभावशाली रूप से लागू करने की आवश्यकता है। यदि उत्पादकता और साधन जुटाने के काम में सुधार लाना है तो योजना-निर्माण और कार्यान्वयन प्रक्रिया में जनता का अधिक से अधिक सहयोग होना चाहिए। अन्त में विस्तार, अनुसंधान, आवश्यक सामान की पूर्ति और विपणन सम्बन्धी संगठनात्मक आधार को मजबूत बनाया जाना आवश्यक है।

1977-78 की अर्थ-व्यवस्था का सर्वेक्षण

मार्च, 1977 में कांग्रेस के 30 वर्षीय एकछत्र शासन की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री श्री देसाई के नेतृत्व में जनता सरकार बनी। नई सरकार ने समूची अर्थ-व्यवस्था के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाया जो पिछले किसी भी समय की अपेक्षा अधिक यथार्थवादी था। सन् 1977-78 का वित्तीय वर्ष काफी संतोषजनक

रहा और वित्त मन्त्री श्री पटेल ने 23 फरवरी, 1978 को ससद् में प्रस्तुत की गई वजट-पूर्व की वार्षिक समीक्षा में सन् 1977-78 में भारतीय अर्थ-व्यवस्था की प्रगति पर सतोष व्यक्त किया। यह वार्षिक समीक्षा, भारत सरकार की प्रेस विज्ञापित दिनांक 13 फरवरी, 1978 के अनुसार इस प्रकार है—

“वार्षिक समीक्षा में आशा व्यक्त की गई कि चालू वर्ष में सकल राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि दर सन् 1976-77 की वृद्धि दर के मुकाबले काफी अधिक रहेगी। कृषि के क्षेत्र में भी, गत वर्ष के मुकाबले विशेषकर अनाज की पैदावार के सम्बन्ध में काफी सुधार होने की उम्मीद है। मुद्रा-स्फीति के दबावों को नियन्त्रण में रखा गया है और कीमतों का वर्तमान स्तर उससे किंचित अधिक है, जो इस राजकोषीय वर्ष के शुरू में था।”

‘मुद्रा पूर्ति के विस्तार को प्रकुश में रखने में इससे भी अधिक मफलता मिली है और ऋण नीति के कारण आवश्यक वस्तुओं की सट्टेवाजी के प्रयोजन से जमाबंदी को रोक रखा गया है और साथ ही अर्थ-व्यवस्था के उत्पादन क्षेत्रों की वास्तविक ऋण सम्बन्धी जरूरतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया गया। पूर्ति व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है।’

‘विश्व मण्डलों में प्रतिस्पर्धा स्थिति के बावजूद निर्यात में निरन्तर वृद्धि हो रही है और हमारी विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में इस समय जो राशि जमा है वह 9 महीने के आयात के बराबर है।

‘समीक्षा का समापन करते हुए कहा गया कि अर्थ-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति कुल मिलाकर ऐसी है कि उसमें पूँजी निवेश बिना किसी जोखिम के काफी बढ़ाया जा सकता है।’

“पर समीक्षा में अर्थ-व्यवस्था का कुछ बातों पर सतर्क भी किया गया, जिनमें प्रति हमें हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना चाहिए। चालू वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में 5-6 प्रतिशत वृद्धि होने की सम्भावना है जबकि सन् 1976-77 में 10% वृद्धि हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि की दर शिथिल हो गई है और सूती वस्त्र जैसे प्रमुख उद्योगों में कठिनाई लगातार अनुभव की जा रही है। बिजली की फिर कमी होने लगी है। यह भी लगता है कि औद्योगिक पूँजी निवेश अपेक्षानुसार नहीं बढ़ रहा है। यद्यपि कृषि की स्थिति सतोषजनक रही है, फिर भी वर्ष दर-वर्ष होने वाली काफी घट बढ़ तथा ढाल और तिनहन जैसी जरूरी बिसों की पैदावार की बीसी गति चिन्ता का विषय है। यद्यपि भुगतान क्षमता की मजबूत स्थिति पूर्ववर्ती वर्षों में अनुभव की गई किन्तु कठिनाइयों के बाद अल्पन्त उल्साहर्षक है, पर इससे एक निर्धन देश में एक विरोधाभास की स्थिति पैदा हो रही है जबकि इन साधनों का एक भाग विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित निधि के रूप में विदेशों में उधार वांट रखा जाए और अपने ही देश में उमका उपयोग न हो। इसी प्रकार मौद्रिक नीति भी निरसदेह सफल रही है पर इस प्रणाली में तकदी की स्थिति ऐसी थी जिसमें मुद्रा-स्फीति के दबावों का खतरा काफी है और अन्तिम बात यह है कि देश में गरीबी का स्तर और

विद्यमान बेरोजगारी काफी बड़े पैमाने पर बनी हुई है। इसलिए समीक्षा में इस बात पर जोर दिया गया है कि अर्थ-व्यवस्था की इन कमजोरियों को दूर करने और स्थिरता तथा विकास के रूप में बढ़िया कार्य निष्पादन प्राप्त करने की तात्कालिक आवश्यकता है।”

सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 5 प्रतिशत की वृद्धि—समीक्षा के अनुसार सन् 1977-78 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर 5% होने का अनुमान लगाया है जबकि सन् 1976-77 में यह केवल 1.6% रही थी। चालू वर्ष में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि का मुख्य श्रेय खरीफ के अच्छे मौसम और चालू रबी मौसम में खेती के क्षेत्र में अधिक उपज आसार को है। अनुमान है कि खरीफ के अनाजों का उत्पादन लगभग 710-730 लाख मीट्रिक टन तक पहुँच जाएगा जबकि सन् 1976-77 में इन अनाजों का उत्पादन 666 लाख मीट्रिक टन हुआ था। देश में रबी की बुआई और मौसम काफी अच्छा रहता है। इसलिए समीक्षा में रबी की भी फसल होने का अनुमान लगाया गया है, अतः उम्मीद है कि अनाज का कुल उत्पादन लगभग 1210 लाख मीट्रिक टन होगा जो कि गत वर्ष के उत्पादन के मुकाबले एक करोड़ मीट्रिक टन ज्यादा होगा।

वाणिज्यिक फसलों की पैदावार भी सन् 1976-77 के मुकाबले अच्छी होने की उम्मीद है। कपास और तिलहनो का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले ज्यादा होगा और गन्ने से गुड़ के रूप में उत्पादन पिछले साल के रिकार्ड उत्पादन से अधिक होने की उम्मीद है। केवल जूट और मेस्ता का उत्पादन चालू वर्ष में पिछले साल के मुकाबले मामूली कम रहेगा। पर समीक्षा में दाल और तिलहन के उत्पादन की गति, इन आवश्यक वस्तुओं की माँग के अनुरूप न होने की दीर्घकालीन प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिलाया गया है और इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया। कपास का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है।

कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी—कृषि क्षेत्र में अच्छी सफलता का बड़ा श्रेय पानी, उर्वरक, कीटनाशक दवाओं और अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों जैसी कृषि के काम आने वाली वस्तुओं के अधिक उपयोग की है। बड़ी, मझौली और छोटी सिंचाई योजनाओं से इस वर्ष में अनुमानित 22.2 लाख हेक्टेयर प्रतिरिक्त भूमि में सिंचाई की व्यवस्था की गई है। यह अकेले एक वर्ष में सबसे अधिक है। उर्वरक का उपयोग 42 लाख मी टन तक बढ़ जाने की उम्मीद है जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 26% ज्यादा होगा। अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत 20 लाख हेक्टेयर प्रतिरिक्त भूमि में खेती की गई है। अधिक वस्तुओं के सम्बन्ध में बसूली और कीमत समर्थन की समुचित नीति का भी पालन किया गया। पर समीक्षा में इस बात पर जोर दिया गया है कि अधिक घट-बढ़ को खत्म करने और कृषि में विकास की लम्बे समय से चली आ रही वृद्धि दर को बनाए रखने की तात्कालिक आवश्यकता है। इसके लिए कृषि में काम आने वाली वस्तुओं की पूर्ति और उपयोग को बढ़ाने के वर्तमान कार्यक्रम पर जोरदार ढंग से अमल करने, खेती के बेहतर तरीकों का अधिक

व्यापक विस्तार कार्यक्रमों के द्वारा प्रसार करने, समन्वित समर्थन नीति अपनाने और खासतौर से अनाज के अलावा अन्य फसलों के सम्बन्ध में अधिक अनुसंधान करने की आवश्यकता होगी।

औद्योगिक उत्पादन कम—समीक्षा में वर्ष 1977-78 में औद्योगिक उत्पादन में अपेक्षाकृत कम वृद्धि पर चिन्ता व्यक्त की गई है। वर्तमान संकेतों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर 5-6 प्रतिशत रहेगी जबकि सन् 1976-77 में 10.4 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई थी। इसका कारण विजली परिवहन उपकरण, लोहा व इस्पात, कोयला व सूती वस्त्र जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वृद्धि की दर मन्द हुआ है। इस तरह की स्थिति के लिए जो बातें जिम्मेदार लगती हैं, वे हैं—(क) विजली की कमी, (ख) विस्तार के लिए क्षमता की कमी, (ग) कुदृष्ट क्षेत्रों में श्रमिक असन्तोष और (घ) कुदृष्ट उद्योगों की माँग में कमी। समीक्षा में इस बात पर जोर दिया गया है कि औद्योगिक उत्पादन में फिर गति लाने का उपाय सावजनिक निवेश में वृद्धि है जिससे वर्तमान अडचनों में से कुदृष्ट दूर हो जाएगी और इसके परिणामस्वरूप माँग खासतौर से पूँजीगत भाल उद्योग की माँग में वृद्धि होगी वृष्टि ग्रामदली बढ़ेगी और अधिक औद्योगिक शान्ति होगी। समीक्षा में औद्योगिक उत्पादन को सहाय्य देने के लिए निर्यात की मूमिका पर भी जोर दिया गया है और अधिक निर्यात संवर्द्धन तथा अधिक उत्पादन की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

रण एक्क—समीक्षा में औद्योगिक एक्को में रण्यता की समस्या की भी चर्चा की गई है और उधार देने वाली संस्थाओं द्वारा दी गई बड़ी वित्तीय सहायता का उल्लेख किया गया है। मजूर की गई वित्तीय सहायता फरवरी, 1977 से जनवरी 1978 तक 132 करोड़ रु की थी। रण्य एक्को का स्वस्थ एक्को के साथ विलय के लिए मार्ग निर्देशन निश्चिन कर दिए गए हैं जिससे कि दोनों के मिलने से जा एक्क बने वह कार्पेरील एक्क ह। समीक्षा में बरते हुए औद्योगिक श्रमिक असन्तोष की भी चर्चा की गई है और औद्योगिक शान्ति की स्थापना के लिए भी सम्बन्धित पक्षा के सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

कीमतों में स्थिरता—अर्थव्यवस्था में कीमतों की स्थिति की समीक्षा बन्ना हए इस संयोग में इस बात पर गन्तोष व्यक्त किया गया है कि इस वर्ष कीमतों में सम्बन्ध में अपेक्षाकृत स्थिरता प्राप्ति कर ली गई है। वर्ष के प्रारम्भ में मुद्रास्फीति का काफी दबाव था क्योंकि सन् 1976-77 में मुद्रा उपलब्धि में 20.0 के विस्तार में कुल मीट्रिक माँग तथा सकल राष्ट्रीय उत्पादन में मामूली वृद्धि से प्रकट कुल पूर्ति में असन्तुलन था। सरकार वनस्पति वपात और मानव निर्मित रेशे जीपी वस्तुओं के उदार आयात के जरिये संवेदनशील वस्तुओं की अधिक घटती पूर्ति व्यवस्था सार्वजनिक वितरण के अन्तर्गत की और कुछ अन्य के निर्यात पर अकुश लगा कर, इन दोनों के बीच बेहतर सन्तुलन प्राप्ति करने में सफल हुई। साथ ही, प्रतिबन्धात्मक मुद्रा और ऋण नीति का पालन किया गया जिससे कि मुद्रा पूर्ति का विस्तार रोजा जा सके। समीक्षा में बरते उत्पादन में वृद्धि के महत्व पर दीर्घकालिक समाधान के

रूप में प्रकाश डाला गया है। यह समाधान बड़ती हुई कीमतों, खासतौर से दाल और खाद्य तेलों जैसी चीजों की बड़ती हुई कीमतों की समस्या का दीर्घकालिक समाधान के रूप में घरेलू उत्पादन में वृद्धि के महत्व को हममें दर्शाया गया है। समीक्षा में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि उत्पादन के बढ़ावा देने तथा सार्वजनिक बितरण की संगठित प्रणाली और उपभोक्ता संरक्षण के लिए भी समुचित समर्थन नीति की आवश्यकता है ताकि कीमतों की स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके।

मुद्रा विस्तार पर नियन्त्रण— सर्वेक्षण में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि चालू वर्ष के दौरान मुद्रा विस्तार अभी तक केवल 8.7 प्रतिशत रहा है जबकि 1976-77 के राजकोपीय वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि 12.4 प्रतिशत थी। इन सभी तीनों बातों मानो बैंकिंग क्षेत्र की नियम विदेशी मुद्रा परिसम्पत्ति, सरकार को दिया गया निजल बैंक ऋण तथा जालिज्यिक क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋण ने चालू वर्ष में मुद्रा विस्तार में लगभग समान अनुपात में योग दिया है फिर भी चालू वर्ष में सरकार की बैंक ऋण में वृद्धि खासतौर से काफी अधिक रही है। दूसरी तरफ अनुसूचित बैंक ऋण में वृद्धि, पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए ऋण विस्तार का केवल 56 प्रतिशत थी। यह आंशिक रूप में खाद्य वसूली के लिए ऋण में माझूनी वृद्धि और रिजर्व बैंक द्वारा सवेदनशील वस्तुओं पर उधार देने के सम्बन्ध में लगाए गए कड़े नियन्त्रण की वजह से था। रिजर्व बैंक ने उनके साधनों के बड़े भ्रण पर रोक लगा कर बैंको द्वारा उधार देने योग्य साधनों को सीमित कर दिया और पुनर्वित्त की सुविधाओं को विवेकहीन बनाकर भी ऐसा किया।

बैंक में जमा राशि— दूसरी ओर बैंकिंग प्रणाली के पास जमा राशि की वृद्धि की दर चालू वित्त वर्ष में कम यानी 19.4 प्रतिशत थी जबकि गत वर्ष 21.2 प्रतिशत थी। विशेषकर सार्वजनिक जमा राशियों की वृद्धि, जो सामान्यतः मुद्रा पूर्ति पर सकोचनशील प्रभाव डालती है, चालू वर्ष के प्रथम दस महीनों में केवल 18.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि सन् 1976-77 में इसी अवधि में यह वृद्धि 25.9% थी। यह कुछ चिन्ताजनक बात है क्योंकि सार्वजनिक जमा राशि वचत का महत्वपूर्ण साधन है।

समीक्षा में इस साल रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई प्रतिबन्धात्मक मौद्रिक नीति की अधिक सफलता का उल्लेख किया गया है किन्तु इसमें यह भी बताया गया है कि मौद्रिक और ऋण विस्तार के सम्बन्ध में लगातार सावधान रहने की जरूरत है। इसका कारण इस प्रणाली में नवदी साधनों की अधिकता है।

उपेक्षित क्षेत्रों को ऋण— बैंको को सलाह दी गई कि वे कृषि, लघु उद्योग, मछक परिवहन आदि जैसे उपेक्षित क्षेत्रों को अधिक ऋण दें। छोटा ऋण लेने वालों को ऋण सुविधाएँ बढ़ाने की दृष्टि से बैंको को यह भी सलाह दी गई कि वे अपनी ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी शाखाओं के माध्यम से ऋण और जमा रकमों के बीच कम से कम 60 प्रतिशत का अनुपात प्राप्त करें।

सर्वेक्षण में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकारों के

बजट में अधिक घाटे से राज्य सरकारों का वित्तीय बोझ काफी बढ़ गया है और बजट का घाटा 84 करोड़ रु की छोटी राशि तक सीमित रखने की उन सामर्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ा है।

प्राकृतिक विपदाओं पर अधिक खर्च, महँगाई भत्ते की प्रतिरिक्त किस्त की अदायगी, अनिवार्य जमा की दूसरी किस्त का मुग्तान, कामगारों को न्यूनतम वोनस की स्वीकृति, बन्दरगाह और गादी कर्मचारियों के वेतनों में सशोधन और खाद्य तथा लवर्बको के लिए राज सहायता में वृद्धि, घाटे को बढ़ाने का मुख्य कारण होगी। अधिक बाजार ऋण, रेलवे की वित्तीय स्थिति में गुधार जैसी कुछ अनुकूल जाने सम्बोधकारी तत्व भी हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक राशि—सन् 1977-78 के योजना परिव्यय में नई सरकार के उद्देश्यों के अनुसार परिवर्तन करके उसमें ग्रामीण क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। कृषि और सम्बद्ध सेवाओं का परिव्यय 41 प्रतिशत बढ़ाया गया। सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण के मद में 50 प्रतिशत की, बिजली विकास में 30 प्रतिशत और ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए 52 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

सन् 1977-78 के केन्द्रीय बजट में जो कुल परिव्यय रखा गया था उसमें से विकास सम्बन्धी खर्च 54.5 प्रतिशत था। किन्तु बजट सम्बन्धी घाटे को 84 करोड़ रु की छोटी राशि पर रखा गया था जबकि सन् 1976-77 (सशोधित अनुमान) में यह घाटा 325 करोड़ रु का था। इसका उद्देश्य बजट पर मुद्रा-स्थिति के प्रभाव को कम से कम करना था। शेष परिव्यय के लिए वित्त-व्यवस्था राजस्वों द्वारा की जानी थी जिसमें अनरिक्त कराधान 44.1 प्रतिशत था। घरेलू पूंजी प्राप्ति का कुल परिव्यय का 29.1 प्रतिशत थी। यह बात ध्यान देने योग्य है कि विदेशी सहायता कुल परिव्यय का केवल 7.7 प्रतिशत थी। सन् 1975-76 में कुल परिव्यय का यह 13.4 प्रतिशत थी। इस प्रकार विदेशी सहायता पर हमारी निर्भरता लगभग आधी हो गई।

यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने साधन जुटाने के काम में समुचित प्रयत्न किए हैं किन्तु राज्य सरकारों के उक्त दिशा में प्रयत्न आमतौर पर निराशाजनक रहें हैं। उन्होंने साधन जुटाने के लिए न केवल पर्याप्त प्रयास नहीं किए बल्कि कर सम्बन्धी कई रियायतें देकर और कई नए दायित्व सम्मालकर उन्होंने साधनों में कटौती ही की। केन्द्र को मजबूर होकर उन्हें अर्थोपाय और अग्रिम योजना सहायता देकर उनकी मदद करनी पड़ी।

भुगतान शेष की स्थिति सुदृढ़—समीक्षा ने उल्लेख किया गया है कि भुगतान शेष की स्थिति चालू वर्ष में भी मजबूत बनी हुई है। सन् 1977-78 में पहले आठ महीनों में अर्थ-व्यवस्था को 72 करोड़ रु का व्यापारिक अधिशेष प्राप्त हुआ है। इस अवधि में निर्यात में 9 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है जबकि सन् 1976-77 की इसी अवधि में यह 3.1 प्रतिशत थी। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में इस वजह से और विदेशों से लगातार प्राप्त होने वाली रकमों के कारण निरन्तर वृद्धि हो रही है और आजकल विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि 4000 करोड़ रु से कुछ ही कम है।

सन् 1976-77 में निर्यात वृद्धि की दर 27 प्रतिशत थी। इसमें से 18% निर्यात के परिमाण में वृद्धि के कारण हुई। जिन वस्तुओं के निर्यात में सास प्रगति

देशों में आरंभ, वे थी—इजीप्टियरी सामान, सूती वपत्रा, जितमें सिले-सिलाए वस्त्र शामिल हैं, वपड़ा और चमड़े का सामान, लोहा और इस्पात, हस्तशिल्प वस्तुएँ, काफी और चाय। चालू वर्ष में जिनमें से अधिकांश वस्तुओं की निर्यात वृद्धि निराशाजनक है क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्था की प्रगति की रफ्तार धीमी रही। उसके अलावा विकसित देशों ने हमारे निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिए हैं और पश्चिम एशिया जिन क्षेत्रों में माँग शिथिल हो गई है। समीक्षा में निर्यात सब्सिडी के प्रयत्नों को, अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

समीक्षा में कहा गया है कि भुगतान घेप में मुधार होने से हमारे लिए काफी बड़े पैमाने पर आयात को उदार बनाना सम्भव हुआ है। साथ तेल, कपास और मानव निर्मित घाणों के काफी मात्रा में आयात करने के अलावा उद्योग की कच्चे माल सम्बन्धी उचित जरूरतों और अधिक उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे मालों को उदारतापूर्वक मँगाने की अनुमति दी गई।

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि—सर्वेक्षण में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि की बढ़ती हुई राशि के प्रति चिन्ता व्यक्त की गई है और इस बात पर जोर दिया गया है कि उनका देश के आन्तरिक आर्थिक विकास के लिए वित्त पोषण करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथ ही इस बात की धोर भी ध्यान दिलाया गया है कि हम इतना चिन्तित भी नहीं होना चाहिए कि हम विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि को यों ही खर्च कर दें। हमारे जैसे देश में घरेलू वृत्ति उत्पादन और आयातित कच्चे माल की कीमतों में काफी घट-बढ़ होने के कारण हमारे आयात विल में बड़ी मात्रा में घट-बढ़ होती रहती है और हमारे पास दूसरी पक्षि की आरक्षित निधि नहीं है। अतः हमें आरक्षित निधि की उमसें काफी बड़ी राशि की जरूरत है जितनी कि हम पहले रखते रहे हैं।

अधिक वृद्धि के लिए पूँजी निवेश—समीक्षा के समापन में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था अधिक विकास प्राप्त करने के लिए अनुकूल स्थिति में है। जरूरत इस बात की है कि सार्वजनिक पूँजी निवेश बढ़ाकर रकबटों दूर की जाएँ, अन्य क्षेत्रों को सश्रिय किया जाए और विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का आगे चलकर अधिक उपयोग हो। हमारे पास लगभग 170 लाख मीट्रिक टन अन्न का भण्डार है और विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि की बृद्धि अच्छी स्थिति है इससे हमारी अर्थव्यवस्था का काम करने की योजना बनाने की और ऐसी कार्यविधि निर्धारित करने की काफी हद तक स्वतन्त्रता है जिसमें कि रोजगार बढ़ाने और गरीबी हटाने पर अधिक ध्यान दिया जा सके। समीक्षा में पूँजी निवेश सम्बन्धी आयोजन और समुचित परियोजनाओं और कार्यक्रमों की कार्यान्विति करने के तन्त्र को सुदृढ़ बनाने के सम्बन्ध में पूरा ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई है। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि लोगों को योजना तैयार करने और उसको कार्यान्वित करने के काम में शामिल किया जाए ताकि विकास सम्बन्धी कार्य में सभी लोगों की शक्ति लगे और सभी लोगों को लाभ पहुँचे।

जनता सरकार द्वारा | अप्रैल 1978 से लागू नयी छठी राष्ट्रीय योजना (1978-83)

(THE NEW SIXTH PLAN (1978-83) INTRODUCED
BY THE JANTA GOVERNMENT)

मार्च 1977 में हुए ऐतिहासिक ससदीय चुनावों के बाद बनी नई सरकार ने एक वर्ष के संक्षिप्त काल में देश के बहुमुखी आर्थिक और सामाजिक विकास को अनेकानेक उपायों से अधिक गतिमान बनाया है। द्रुत विकास के मार्ग में जो भी बाधाएँ थीं और नई सरकार की जो भी समस्याएँ और कानूनी कठिनाइयाँ धराहर में मिली थीं, उन्हें दूर करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कदम उठाए गए। उन कदमों में से कुछ के सुखद परिणाम इसी एक वर्ष में सामने आ गए और कुछ दूरगामी उपायों के सुफलों के लक्षण प्रकट हैं। नई सरकार ने उन बुनियादी मूल्यों, सिद्धान्तों और नीतियों को सम्पुष्ट किया जो स्वतन्त्र भारत के आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति का आधार बन चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में और विशेष रूप से आपात् शासनकाल में लोकतन्त्र की नींव चरमरा गई थी अर्थ-व्यवस्था के लिए बड़ी खतरे पैदा हो गए थे, विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा को भारी ठेस लगी थी और गरीबी और बेरोजगारी की समस्याएँ अपने विकराल रूप में ज्यों की त्यों बनी हुई थीं। नई सरकार के लिए ये भीषण चुनौतियाँ थीं। सब दिशाओं और क्षेत्रों में तत्परता, साहस और दृढ़ निश्चय के साथ कार्रवाई की गई, जिससे जनता का सरकार की निष्ठा के बारे में विश्वास पुनर्स्थापित हुआ। वर्षों के बाद उन्होंने अपनी प्रतिनिधि सरकार से एकात्मकता अनुभव की।

पिछले आयोजन से जन आकांक्षाओं की पूर्ति न होते देख जनता सरकार ने सम्पूर्ण नियोजन प्रणाली पर पुनर्विचार किया है और पाँचवी योजना को 31 मार्च, 1979 की बजाय 31 मार्च, 1978 को भी समाप्त कर 1 अप्रैल, 1978 से नई राष्ट्रीय छठी योजना लागू कर दी है। नई योजना प्रणाली अनवरत या 'घावती' योजना प्रणाली (Rolling Plan) है जिसका परिचयात्मक विवरण पुस्तक के द्वितीय भाग के प्रथम अध्याय में दे दिया गया है।

नई राष्ट्रीय योजना का प्रारूप योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद् के समक्ष मार्च, 1978 में प्रस्तुत कर दिया गया है। भारत सरकार की 20 मार्च, 1978 की प्रेस विज्ञप्ति में इस नई योजना के प्रारूप का सार संक्षेप में दिया गया है। इस सम्पूर्ण सार संक्षेप को हम आगे ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर रहे हैं, पर इसके पूर्व कुछ पंक्तियों में छठी योजना (1978-1983) की परिचयात्मक मोटी रूपरेखा जान लेना उपयुक्त होगा।

छठी योजना (1978-83) के प्रारूप की मोटी रूपरेखा

योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद् की 19 मार्च, 1978 को हुई बैठक में प्रस्तुत सन् 1978-83 के योजना प्रारूप में कुल परिव्यय 1,16,240 करोड़ रु. रखने का प्रस्ताव किया गया है जिसमें से मार्बजनिक् क्षेत्र का परिव्यय 69,380 करोड़ रु होगा। प्रारूप में 4.7 प्रतिशत विकास दर की परिवर्तना की गई है और यह आशा व्यक्त की गई है कि योजनावधि के अन्त तक 5.5 प्रतिशत विकास दर की क्षमता बन जाएगी। पाँचवी योजना के चार वर्षों के दौरान औसत विकास दर 3.9 प्रतिशत रही जबकि योजना लक्ष्य 4.37 प्रतिशत की विकास दर का था। इस योजना में पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने, गरीबों को समाप्त करने और अधिक समानता वाले समाज की रचना करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर मुख्य रूप से जोर दिया जाएगा। इसलिए योजना के प्रारूप में कहा गया है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना में चार क्षेत्रों—कृषि, कुटीर व लघु उद्योग, समन्वित शारीण विकास के लिए क्षेत्रीय आयोजन और न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर देने के लिए कहा गया है। अनाज का उत्पादन बढ़कर 12 करोड़ 10 लाख टन से 14 करोड़ 10 लाख टन, तिलहन का 92 लाख टन से एक करोड़ 12 लाख टन तथा कपास का 64.30 लाख गांठों से बढ़कर 81.50 लाख गांठों होने की आशा है। वार्षिक विकास दर कृषि के लिए 3.98 प्रतिशत, उद्योग व खनिजों के लिए 6.92 प्रतिशत, विजली उत्पादन के लिए 10.80 प्रतिशत, निर्माण के लिए 10.55 प्रतिशत, परिवहन के लिए 6.24 प्रतिशत और अन्य सेवाओं के लिए 6.01 प्रतिशत रखी गई है। योजना के प्रारूप में यह परिवर्तना की गई है कि प्रति व्यक्ति सपत के स्तर में सन् 1978-83 की अवधि में 2.21 प्रतिशत और सन् 1983-88 की अवधि में 3.18 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी। सकल घरेलू उत्पादन के विस्तार के रूप में बचत सन् 1977-78 में 19.8 प्रतिशत से बढ़कर सन् 1982-83 में 23.4 प्रतिशत होने की आशा है। सन् 1982-83 तक निर्यात बढ़कर 7,750 करोड़ रु. मुख्य के बराबर होने की सम्भावना है। योजना प्रारूप में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए धन राशि में भारी वृद्धि की गई और कुल मिलाकर 4,180 करोड़ रु निर्धारित किए गए हैं जबकि पाँचवी योजना में इसके लिए 800 करोड़ रु. रखे गए थे। इस योजना में मूल आवश्यकताओं की पूर्ण सूची के विषयों अर्थात् पेयजल की पूर्ति, बेघर लोगों को घर बनाने के लिए भूमि देना, गाँवों तक सड़क निर्माण, गरीब ग्रामीण बच्चों

को प्राथमिक शिक्षा देना, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करना, ग्रामीण विद्युतीकरण का विस्तार करना, गन्दी बस्तियों के परिवरण का सुधार करना, अल्पव्ययिता के लिए पौष्टिक आहार के अलावा प्रौढ शिक्षा भी शामिल की जाएगी। योजना के प्रारूप में एक ऐसी कार्य नीति का प्रस्ताव रखा गया है जिसके परिणामस्वरूप गरीबी के स्तर से नीचे का जीवन बिता रहे लोगों के प्रतिशत में भारी कमी आएगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकताओं में परिवर्तन करने के लिए पुनर्वितरण उपाय करना आवश्यक है। सबसे पहले परिसम्पत्तियों, विशेषकर कृषि भूमि, शहरी सम्पदा और सम्मिलित सम्पत्ति की मौजूदा वितरण व्यवस्था बदलनी चाहिए। दूसरे सरकारी क्षेत्र के कार्यकलापों को कम आय वाले उद्योगों के हक में इस प्रकार परिवर्तित करना चाहिए ताकि इन्हीं आवश्यक वस्तुओं का वितरण, आधारभूत सुविधाएँ तथा सामाजिक सेवाएँ आसानी से सुलभ हो सकें। तीसरे, उत्पादन पक्ष की ओर छोटे किसानों और लघु उद्यमियों का सहायक ऋण और निवेश वस्तुओं की पूर्ति के लिए हिस्सा बढ़ाया जाना चाहिए तथा उन्हें तकनीकी और विपणन सहायता देने में सुधार किया जाना चाहिए। चौथे, बेरोजगारी कम करने के लिए ऐसी नीतियाँ तैयार की जानी चाहिए कि उनसे असमानताएँ कम हों और अन्त में गाँवों तथा शहरों में गरीब वर्ग के लोगों को संगठित करना होगा। योजना प्रारूप में योजना की सहायता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कराधान के आधार को व्यापक बनाने के लिए विस्तृत सुझाव दिए गए हैं। योजना में प्रत्यक्ष करों से अधिक राजस्व प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है लेकिन यह भी कहा गया है कि ऐसा करते समय विभिन्न सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। योजना पर सफलतापूर्वक अमल करने के लिए इस प्रारूप में परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों पर निगरानी व्यवस्था को सुचारु बनाने तथा जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है उनका पता लगाने के लिए अधिक कारगर समीक्षा करने तथा वित्तीय सहायता और सरकार के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए अधिक कार्यकुशल व्यवस्था के लिए उपाय करने का प्रस्ताव है। कई विशेषज्ञ समितियाँ बनाई जा रही हैं जो—(क) जन-संस्पर्धीय नीतियों तथा उनके कार्यान्वयन, (ख) ऊर्जा नीति, (ग) व्यापक परिवहन आयोजन के बारे में अपनी रिपोर्ट देंगी। योजना बनाने की प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण को वास्तविक बनाने के लिए इस प्रारूप में सुझाव दिया गया है कि राज्यों में योजना बनाने की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए तथा जिला स्तर पर योजना बनाने की स्वतन्त्रता और क्षमता का विकास किया जाए। योजना आयोग द्वारा इन स्तरों पर आदर्श योजना के स्वरूप का सुझाव दिया गया है परन्तु प्रत्येक राज्य को उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनाने की स्वतन्त्रता होगी। सन् 1979-80 की वार्षिक योजना तैयार करते समय 1978-79 में प्रमुख क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। यदि किसी क्षेत्र में कमियाँ पाई गईं तो सन् 1982-83 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयत्न करने के बारे में सकेत दिया जाएगा।

फिर भी यदि योजना तैयार करने के बाद किसी क्षेत्र में माँग के स्रोत में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है या किसी प्रकार की अचानक जानकारी के मिल जाने से पहले के अनुमानों में सशोधन आवश्यक हो गये हैं तो आवश्यक सीमित समापोजन कर दिया जाएगा। संक्षेप में अनवरत योजना का यही रीति विधान है। परन्तु समय की कमी के कारण इस प्रारूप में सन् 1978-83 तक के समय के प्रत्येक वर्ष का परिव्यय और उत्पादन लक्ष्य देना सम्भव नहीं हो सकता है। यह कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा।

छठी योजना (1978-83) के प्रारूप की विस्तृत रूपरेखा

भारत सरकार की 20 मार्च, 1978 की प्रेम विज्ञप्ति में नई छठी योजना की विस्तृत रूपरेखा इस प्रकार दी गई है।

योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद् के समक्ष प्रस्तुत सन् 1978-83 के योजना प्रारूप में कुल परिव्यय 16,240 करोड़ रुपये रखने का प्रस्ताव किया गया है जिसमें से सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय 69,380 करोड़ ₹ होगा। प्रारूप में 4.7% विकास दर की परिकल्पना की गई है और यह धारा व्यक्त की गई है कि योजनावधि के अंत तक 5.5% विकास दर की क्षमता बन जाएगी। पाँचवी योजना के चार वर्षों के दौरान औसत विकास दर 3.9% रही जबकि योजना लक्ष्य 4.37% की विकास दर का था।

नई विकास कार्य-नीति

इस योजना में पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने, गरीबी को समाप्त करने और एक अधिक समानता वाले समाज की रचना करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर बहुत अधिक प्रभति करने पर मुख्य रूप से जोर दिया जाएगा। इसलिए योजना प्रारूप में कहा गया है कि आयोजना के मुख्य लक्ष्यों की व्याख्या अब इस प्रकार की जानी चाहिए जो दस वर्षों की अवधि के भीतर—

- (1) बेरोजगारी और काफी सीमा तक अल्प बेरोजगारी को दूर करना;
- (2) जनसंख्या के सबसे गरीब वर्गों के जीवन-स्तर में उल्लेखनीय सुधार लाना,
- (3) इन आय समूहों के अन्तर्गत आने वाले लोगों को पीने के साफ पानी, प्रौढ शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा, स्वास्थ्य-सेवा, ग्रामीण सड़कें, भूमिहीनों के लिए गाँवों में आवास और शहरों की गरीब बस्तियों के लिए न्यूनतम सेवाओं जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की राज्य द्वारा व्यवस्था करना।

इन प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति निम्नलिखित बातों को करते हुए की जानी चाहिए—

- (4) पिछले समय की अपेक्षा अर्थ-व्यवस्था की उच्च विकास दर प्राप्त करना;

(5) आय व सम्पत्ति की वर्तमान विषमताओं को उल्लेखनीय रूप से कम करने की दिशा में आगे बढ़ना, और

(6) आत्मनिर्भरता की दिशा में देश की सतत प्रगति को सुनिश्चित करना।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना में चार क्षेत्रों—कृषि, कुटीर व लघु उद्योग, सर्वांगीण ग्रामीण विकास के लिए क्षेत्रीय आयोजन और न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर देने के लिए कहा गया है।

योजना का स्वरूप

सन् 1978-83 के लिए योजना का सकल स्वरूप 1,16,240 करोड़ रु का रखा गया है जिसमें से मार्गनिर्माण क्षेत्र का परिव्यय 69,380 करोड़ रु है जो कि कुल योजना परिव्यय का 59.7% है। योजना प्रारूप को ग्रामोन्मुखी बनाया गया है। ग्रामीण और कृषि विकास के लिए जो परिव्यय निर्धारित किया गया है, वह कुल योजना परिव्यय का 43.1% है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए निर्धारित धन राशि पाँचवी योजना में की गई व्यवस्था से दुगुनी है।

अनाज का उत्पादन बढ़कर 12 करोड़ 10 लाख टन से 14 करोड़ 10 लाख टन, तिलहन का 92 लाख टन से 1 करोड़ 12 लाख टन तथा कपास का 64.30 लाख गॉठों से बढ़कर 81.50 लाख गॉठों होने की आशा है।

सन् 1982-83 में प्रमुख वस्तुओं के उत्पादन अनुमान

क्रम सं.	वस्तु	इकाई	1977-78	1982-83
1	घाटाज	10 लाख टन	121.00	140.48 से 144.48
2	गन्ना	10 लाख टन	156.90	188.00
3	कपास	लाख गॉठ (प्रत्येक 170 कि. ग्रा. की)	64.30	81.50 से 92.50
4	तिलहन (प्रमुख)	लाख टन	92.00	112.00 से 115.00
5	कोयला	10 लाख टन	103.20	149.00
6	कच्चा पेट्रोलियम	10 लाख टन	10.77	18.00
7	कपड़ा—मिल क्षेत्र विनिर्मित धातु	10 लाख मीटर	4200.00	4600.00
8	नाइट्रोबनीय उर्वरक (N)	हजार टन	2060.00	4100.00
9	फॉस्फैटिक उर्वरक (PO ₅)	हजार टन	660.00	1125.00
10	कमज और गत्ते	हजार टन	900.00	1250.00
11	सीमेन्ट	10 लाख टन	19.00	29.00 से 30.00
12	मृदु इस्पात	10 लाख टन	7.73	11.80
13	अल्युमीनियम	हजार टन	180.00	300.00
14	नापिन्यिक बाहन	हजार सध्या	40.00	65.00
15	विजली उत्पादन	जी. ऊन्सु. एच.	100.00	107.00

वार्षिक विकास दर कृषि के लिए 3.98%, उद्योग व खनिजों के लिए 6.92%, बिजली उत्पादन के लिए 10.80%, निर्माण के लिए 10.55%, परिवहन के लिए 6.24% और अन्य सेवाओं के लिए 6.01% रखी गई है।

क्षेत्रीय विकास का स्वरूप : 1977-78 से 1982-83 तक

क्र. सं.	क्षेत्र	बढ़ाए गए मूल्य का भाग		विकास दर का प्रतिशत	
		1977-78	1982-83	बढ़ाए गए मूल्य उत्पादन	
1.	कृषि	42.50	38.71	2.76	3.98
2.	शानत और विनिर्माण	18.47	18.70	5.03	6.92
3.	बिजली	1.71	2.14	9.55	10.80
4.	निर्माण कार्य	5.74	7.64	10.09	10.55
5.	परिवहन	4.37	4.96	4.65	6.24
6.	सेवाएँ	26.61	27.79	5.61	6.01

योजना प्रारूप में यह परिकल्पना की गई है कि प्रति व्यक्ति खपत के स्तर में सन् 1978-83 की अवधि में 2.21% और सन् 1983-88 की अवधि में 3.18% की दर से वृद्धि होगी। सकल घरेलू उत्पादन के विस्तार के रूप में वचन सन् 1977-78 में 19.8% से बढ़कर सन् 1982-83 में 23.4% होने की आशा है। सन् 1982-83 तक निर्यात बढ़कर 7,750 करोड़ रु मूल्य के बराबर होने की सम्भावना है।

रोजगार

योजना प्रारूप की कार्य नीति में (क) रोजगार प्रदान, क्षेत्रीय योजना अपनाते, (ख) रोजगार बनाए रखने तथा उसके विस्तार के लिए शिल्प वैज्ञानिक परिवर्तन का नियन्त्रण करने, और (ग) पूर्ण रोजगार के लिए क्षेत्रीय योजना में वृद्धि करने को शामिल किया गया है। निश्चित कृषि के विस्तार और डेरी विकास, वन उद्योग तथा पत्तय-गालन—उद्योग के विस्तृत सम्बद्ध क्षेत्रों से काफी बड़ी सहायता में रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा किए जाएंगे। योजना में (क) आधारभूत और सामाजिक सेवाओं, जैसे सड़क निर्माण, विद्युतीकरण, जल पूर्ति, ग्रामीण स्कूलों और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करके, और (ख) गरीब लोगों की खपत की वस्तुओं में वृद्धि करके भी रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। खपत में वृद्धि होने से ऐसा सामान तैयार करने के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा होंगे, जो श्रम प्रधान तरीकों से तैयार किए जा सकते हैं। निचाई, विद्युत तथा आवास कार्यक्रमों के भी निर्माण सम्बन्धी कार्य में अधिक वृद्धि होगी जिससे साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

चीनी तथा दस्तों जैसे विशेष चुने हुए क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का चयन करने सम्बन्धी अध्ययन कार्य पूरा किया जा चुका है। जहाँ भी उचित होगा

उत्पादन के श्रम प्रधान तरीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन उपायों में आन्तरिक तथा सघु क्षेत्र उत्पादन सम्बन्धी क्षेत्रों का आरक्षण तथा उत्पादन शुल्क विभेदक आरक्षण भी शामिल है। उपरोक्त उपायों के साथ-साथ निवेश और उत्पादन के लक्ष्यों से 4 926 करोड़ श्रम वर्ष के बराबर रोजगार के अवसर दया होंगे। आशा की जाती है कि सन् 1978-83 तक की अवधि में 3 करोड़ व्यक्तियों को काम देने के साथ-साथ पहले से चली आ रही बरोजगारी को भी एक सीमा तक समाप्त किया जा सकेगा।

सशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

योजना प्रारूप में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए धन राशि में भारी वृद्धि की गई है और कुल मिलाकर 4,180 करोड़ रु निर्धारित किए गए हैं जबकि पांचवी योजना में इसके लिए 800 करोड़ रु रखे गए थे। इस योजना में मूल आवश्यकताओं की पूरा सूची के विषयों प्रथात् पेयजल की पूर्ति, बेघर लोगों को घर बनाने के लिए भूमि देना, गांवों तक सड़क निर्माण, गरीब ग्रामीण बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करना, ग्रामीण विद्युतीकरण का विस्तार करना, अल्पव्ययितों के लिए पौष्टिक आहार के अलावा प्रौढ़ शिक्षा भी शामिल की जाएगी। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

(क) प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा—प्राथमिक शिक्षा में करीब 320 लाख बच्चों को शामिल किया जाएगा और इतम 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को शामिल करके इसे 69% से बढ़ाकर 90% किया जाएगा। इन योजना के अन्त तक 15-35 वर्ष की आयु वर्ग के 1000 लाख या इसके लगभग प्रौढ़ निरक्षरों में से 660 लाख प्रौढ़ों को साक्षर बनाने का प्रयत्न किया जाएगा।

(ख) ग्रामीण स्वास्थ्य—यह लक्ष्य है कि प्रत्येक 1000 की आबादी के एक क्षेत्र के लिए एक सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी और एक प्रशिक्षित दाईं यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के अन्त तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों के भवनों के निर्माण के पिछले काम को पूरा किया जाएगा और इसके अलावा प्रत्येक विकास खण्ड में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होगा तथा 38,000 नए उप-केन्द्र होंगे। इसके अतिरिक्त 400 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें 30-30 बिन्तर वाले चिकित्सालयों के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।

(ग) पेय जल—पहले लगाए गए अनुमान के अनुसार करीब एक लाख गांवों में शुद्ध पेयजल की कमी है, इस योजना के अन्त तक यह कमी दूर की जाएगी।

(घ) ग्रामीण सड़कें—जिन गांवों की आबादी 100 से 1500 तक है उनमें से करीब आधे गांवों को सड़कों में आपस में जोड़ दिया जाएगा और शेष आधे गांवों को अगली पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाएगा।

(ङ) ग्रामीण विद्युतीकरण—वर्तमान ग्रामीण विद्युतीकरण प्रणाली को बढ़ाने के अलावा प्रत्येक राज्य और सघ राज्यों के गांवों की समस्या के कम से कम

50% गाँवों को प्रावस्था कार्यक्रम के एक भाग के रूप में सन् 1982-83 तक करीब 40,000 गाँवों का विद्युतीकरण किया जाएगा।

(च) आवास और शहरी विकास—पाँचवी योजना में करीब 70 लाख भूमिहीन गजदूरो को घर बनाने के लिए जगह दी गई थी किन्तु उन्हें विकसित करने या उन पर घर बनाने के लिए कोई सहायता नहीं दी गई। इस योजना में करीब 80 लाख भूमिहीन गजदूरो को एक स्कीम से लाभ होगा जिसमें उन्हें ब्रिक्वित प्लॉट, प्रत्येक 30 घरों के लिए एक पेय जल स्रोत, सफाई और घर बनाने की सामग्री के लिए कुछ सहायता दी जाएगी, इस स्कीम के अन्तर्गत सभी शारीरिक काम फायदा पाने वाला व्यक्ति करेगा। शहरी आवास में गन्दी बस्तियों के अधीन गन्दी बस्तियों में रहने वाले करीब 130 लाख व्यक्तियों को लाभ होगा और जेप करीब 180 लाख व्यक्तियों को अगली योजना में शामिल किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेषकर छोटे शहरों में रहने वालों के आवास के लिए विशेष बल दिया जाएगा। शहरी विकास नीति का मुख्य लक्ष्य छोटे शहरों का विकास करना और बड़े शहरों की घनी आबादी को कम करना है।

(छ) पोषाहार—सम्प-पोषित बच्चों को दोषहर का भोजन देने और माताओं एवं शिशुओं के पूरक पोषाहार कार्यक्रम की स्कीम के अधीन उन विकास क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें अनुसूचित जाति और जन-जाति की आबादी का अधिक अनुपात होगा। पोषण-आहार स्कीम के अधीन 26 लाख बच्चों और दोषहर का भोजन स्कीम के अधीन 40 लाख अनिश्चित बच्चों को फायदा होने का अनुमान है।

मूल्य मुलभ न्याय

योजना प्रारूप में एक ऐसी कार्य नीति का प्रस्ताव रखा गया है जिसके परिणामस्वरूप गरीबी के स्तर से नीचे का जीवन बिता रहे लोगों के प्रतिघात में भारी कमी आएगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकताओं में परिवर्तन करने के लिए पुनर्बिनरस उपाय करना आवश्यक है। सबसे पहले परिसम्पत्तियों, विशेषकर कृषि भूमि, शहरी सम्पदा और सम्मिलित सम्पत्ति की मौजूदा वितरण व्यवस्था बदलनी चाहिए। दूसरे, नरकारी क्षेत्र के कार्यकलापों को, कम माय वाले उपभोक्ताओं के हक में इस प्रकार परिवर्तित करना चाहिए ताकि इन्हे आवश्यक वस्तुओं का वितरण, आचारभूत मुंबिधाएँ तथा सामाजिक सेवाएँ आसानी से सुलभ हो सकें। तीसरे, उत्पादन पक्ष की और छोटे किसानों और लघु उद्यमियों का संस्थागत ऋण और निवेश वस्तुओं की पूर्ति के लिए हिस्सा बढ़ाना चाहिए तथा उन्हें तकनीकी और बिपणन सहायता देने में सुधार किया जाना चाहिए। चौथे, वैरोड्रगारों को कम करने के लिए ऐसी नीतियाँ तैयार की जानी चाहिए कि उनसे अतमान जाएँ कम हों और घन्त में गाँवों तथा शहरों में गरीब वर्ग के लोगों को संघठित करना होगा।

इस प्रकार वित्तीय उपायो के अलावा उत्पादन, वितरण और रोजगार नीति के परिप्रेक्ष्य में तथा सरकार और गैर-सरकारी अभिकरणों के समन्वयपूर्ण प्रयास से एक पुनर्वितरण आधार तैयार किया जाना है। प्रारूप में अनेक पुनर्वितरण नीतियाँ प्रस्तावित की गई हैं जिनमें भूमि सुधारों व काश्तकारी सुधारों को तेजी से लागू करना, शहरी और निगमित सम्पत्ति को युक्तिसंगत बनाना, कमजोर वर्गों का ध्यान रखते हुए वस्तुओं व सेवाओं का और अधिक प्रभावी वितरण करना, बोहरी मूल्य निर्धारण नीति, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए एक मुट्ठ सार्वजनिक वितरण प्रणाली और छोटे उत्पादकों और किसानों को ऋण व अन्य साज-सामान का वितरण शामिल है।

पुनर्वितरण कार्य-नीति के एक भाग के रूप में योजना प्रारूप में पिछड़े वर्गों और पिछड़े इलाकों के विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रावधान शामिल किए गए हैं। क्षेत्रीय योजना उपायों, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और पिछड़े वर्गों, पहाड़ी व जन-जातीय इलाकों के लिए विशेष कार्यक्रमों में इन्हें विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। योजना में आय की विषमताओं को घटाने के लिए एक आय नीति बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

योजना प्रारूप में लगभग प्रत्येक कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक साधनों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा गया है।

योजना के लिए साधन

योजना प्रारूप में योजना को ससाधनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कराधान के आधार को व्यापक बनाने के लिए विस्तृत सुझाव दिए गए हैं। योजना में अप्रत्यक्ष करों से अधिक राजस्व प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है लेकिन यह भी कहा गया है कि ऐसा करते समय विभिन्न सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह सुझाव भी दिया गया है कि राज सहायता में कमी की जानी चाहिए, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की वर्तमान मूल्य निर्धारण नीति की समीक्षा की जानी चाहिए और सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि योगदान की दर 6% से बढ़ा 8 3% कर दी जानी चाहिए, अनिवार्य जमा योजना अगले पाँच साल तक जारी रखी जानी चाहिए और सारे संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य समूह बीमा लागू किया जाना चाहिए।

राज्य क्षेत्र में अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए किए गए प्रस्तावों में कृषि कर या भू-राजस्व के अधिभार और बाजार उप-करों में उत्तरोत्तर वृद्धि करने, सिंचाई और बिजली के टैरिफ की समीक्षा करने को कहा गया है। अन्य सुझाए गए उपायों में ग्रामीण ऋण-पत्रों का विस्तार करना और भूमि व सम्पत्ति मूल्यों के पूंजीगत लाभ के एक भाग को जुटाना है।

12,880 करोड़ रु का कर—राजस्व प्राप्त होगा। सरकार, सांख्यिक उद्यमों व स्थानीय निकायों द्वारा बाजार से ऋण लेने पर 15,986 करोड़ रु प्राप्त होंगे। वित्तीय सन्धानों से 1,296 करोड़ रु के शुद्ध सावधि ऋण लिए जाएँगे। विदेशी मुद्रा के भंडार में से 1,180 करोड़ रु की राशि का उपयोग किया जाएगा। इस सबके बावजूद अपूरित अन्तर 2,226 करोड़ रु का रहेगा।

आर्थिक नीतियाँ

योजना में बताया गया है कि मुख्य उद्देश्य निवेश कार्यक्रम लागू करते समय अर्थ व्यवस्था में कीमतों को स्थिर रखना है। इस उद्देश्य को निम्नलिखित उपायों द्वारा प्राप्त किया जाएगा—(क) वित्तीय और आर्थिक नीतियों के माध्यम से कुल माँग और पूर्ति के बीच उचित सतुलन कायम रखा जाएगा, (ख) सांख्यिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति निरन्तर बढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी, और (ग) कृषि वस्तुओं की कीमतों, सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के विनिर्माण और विभिन्न सेवाओं की कीमतों से निबटने के लिए ऐसी नीतियाँ तैयार की जाएँगी जो अन्तरिक्ष परिस्थितियों का अनुरूप हों।

जहाँ तक कृषि उत्पादों की कीमतों का सम्बन्ध है प्रारूप में कृषि मूल्य आयोग के दृष्टिकोण की सराहना की गई है। कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए यह सुझाव दिया है कि जब तक निवेश मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि न हो तब तक कृषि उत्पादों की कीमतों में वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। प्रारूप में इस बात की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है कि प्रतिदोशी फसलों के मापक मूल्य निर्धारित करने की तरफ अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। विनिर्माण के मामले में यह कहा गया है कि मूल्य निर्धारण ऐसी वस्तुओं तक ही सीमित रखा जाना चाहिए जहाँ मूल्य स्थिर रखने की आवश्यकता पड़ती हो।

मुद्रा नीति

मुद्रा नीति का मुख्य उद्देश्य मूल्यों में होने वाले भारी उतार-चढ़ावों का नियंत्रण में रखना है। यह सुझाव दिया गया है कि वस्तुओं की कुल माँग और सप्लाई के बीच सतुलन बनाया जाना चाहिए और मुद्रा पूर्ति में वृद्धि को निबल घरेलू उत्पादन की वृद्धि से जोड़ा जाना चाहिए। प्रारूप में मुद्रा पूर्ति की वृद्धि की दर को निश्चित करने में सावधानी बरतने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यह आवश्यकता इसलिए है क्योंकि योजना में निवेश का स्वरूप ऐसा बताया गया है कि उससे उन लोगों की आय में वृद्धि होगी, जिनकी बचत करने की क्षमता बहुत कम है।

व्यापार

यद्यपि विश्व व्यापार की प्रवृत्ति कुछ अनिश्चित सी चल रही है और विकसित देश कुछ सीमा तक भारत से कुछ वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं तो भी भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने की सम्भावनाएँ बहुत अच्छी हैं। प्रारूप में इस बात को मान्यता दी गई है कि पश्चिमी एशियाई बाजार का विकास होने के

कारण भारत के व्यापार का विविध स्वरूप ठीक ही है। प्रारूप में भारत द्वारा अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते करने के परिणामस्वरूप व्यापार में वृद्धि होने की सम्भावना भी व्याप्त की गई है। लेकिन यह कहा गया है कि भविष्य में निर्यात वृद्धि के लिए वस्तुओं का चुनाव निर्यात योग्य वस्तु की घरेलू साधन लागत की ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से गतिशील तुलनात्मक लाभों के आधार पर किया जाना चाहिए।

इस प्रारूप की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि योजना अब महायत्ना की राशि पर अधिक निर्भर नहीं रहेगी। कुल योजना परिव्यय में सहायता की राशि कुल परिव्यय का केवल 5% है।

कृषि और ग्राम विकास

इस क्षेत्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। फसल उत्पादन में सिंचाई के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को, सकल फसल वाले क्षेत्र को और फसल गहनता को बढ़ाने तथा निवेश के अधिक प्रयोग को सुनिश्चित करने की नीति रहेगी। इसमें सहायता के रूप में अर्द्धे बीजों के विकास और प्रचार, सुदृढ विस्तार व्यवस्था, ऋण की निश्चित उपलब्धता और विपणन मंडारण और प्रासेसिंग की अधिक अच्छी सुविधा के जरिए अधिक दक्षता वाली उन्नत फसल पद्धतियों की नीति होगी। और काश्नकारी सुधार और चकबन्दी के कार्यक्रम को जो जल के अर्द्धे उपयोग के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता है आग्रहपूर्वक आगे बढ़ाया जाएगा। भूमि के अनुकूलतम उपयोग की नीति अपनाई जाएगी जिसमें एकीकृत जल विभाजन प्रबन्ध की आवश्यकता होगी और इसमें बाढ़ नियंत्रण, जल विकास, भूमि उद्धार और भूमि को नया आकार देना, सीमान्त भूमि के लिए निपिद्ध खेतों तथा वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए वन पशु चारणिक दृष्टिकोण के उपाय शामिल हैं।

कृषि के सम्बद्ध क्षेत्रों—जैसे कि पशुपालन, डेरी, मछली पालन और वन में सुधार के लिए समन्वित प्रयत्न करने का प्रस्ताव है।

सिंचाई

पाँचवी योजना के पहले चार वर्षों में 86 लाख हेक्टेयर क्षमता की सिंचाई सुविधा उपलब्ध की गई थी। इसके मुकाबले इस योजना में सिंचाई क्षमता बढ़ाकर 170 लाख हेक्टेयर करने का प्रस्ताव है। इसमें से छोटी सिंचाई स्कीमों द्वारा 90 लाख (भू-जल से 70 लाख और ग्रोप 20 लाख) एसी सिंचाई योजनाओं से होगा। बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं से 80 लाख हेक्टेयर क्षमता निर्मित होगी। योजना के प्रारूप में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 9,650 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है जबकि पाँचवी योजना में 4,226 करोड़ रुपये का परिव्यय था।

उर्जा

विद्युत— योजना के प्रारूप में कहा गया है कि मद्रास परमाणु बिजली घर पूरा किए जाने और नरौरा में पहली यूनिट स्थापित किए जाने के अतिरिक्त इस

योजना अर्थात् में एक और परमाणु बिजली घर शुरू करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार करीब 18,500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली पैदा करने की क्षमता उपलब्ध होगी जिसमें से 13,000 मेगावाट तापीय बिजली से, 4,550 मेगावाट पन-बिजली से और 925 मेगावाट परमाणु बिजली से होगा। इससे देश में योजना के अन्त तक कुल सरचार्जित क्षमता लगभग 44,500 मेगावाट हो जाएगी। इस योजना के दौरान तीन वृहद् ताप-बिजलीघरों (मुम्बई थर्मल पावर स्टेशन) का कार्य प्रारम्भ होगा। विद्युत् क्षेत्र के लिए इस योजना में 15,750 करोड़ रु का परिव्यय रखा गया है जबकि पाँचवी योजना में 7,016 करोड़ रु का था।

ग्रामीण विद्युतीकरण पर और जोर दिया जाएगा। सन् 1978-83 की अर्थात् में 20 लाख पंपसेटों और एक लाख गाँवों को बिजली दी जाएगी जबकि पिछले चार वर्षों में नौ लाख पंपसेटों और 80 हजार गाँवों को बिजली दी गई।

पेट्रोलियम—तेल की खोज के काम में और तेजी लाने का प्रस्ताव है। बर्माई हार्ड तथा बेसिन संरचना का विकास अगले दो से तीन वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा और इससे प्रतिवर्ष 125 लाख मी टन तेल उत्पादन की क्षमता हा जाएगी। अगले कुछ वर्षों में तेल उत्पादन की नीति में हमारे सीमित साधनों के कारण पर जोर दिया जाएगा। इन प्रकार तट के पास या तट के दूर दोनों ही क्षेत्रों में तेल का उत्पादन तकनीकी रूप से जितना सम्भव है, उससे कम रखना पड़ सकता है।

मथुरा और बोगाईगाँव तेलशोधन कारखानों के चालू होने तथा गुजरात तलशोधन कारखाने के विस्तार से देश में तेलशोधन की कुल क्षमता सन् 1980-81 तक 374.5 लाख टन तेल साफ करने की हो जाएगी। इसका मतलब यह होगा कि पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में कुछ वृद्धि होने से योजना के अन्त तक देश में तेल की साफ करने की क्षमता इतनी हो जाएगी जो आवश्यकता को पूरा करने के लिए काफी होगी।

कोयला—तापीय बिजली उत्पादन, इस्पात तथा अन्य उद्योगों का तेजी से विस्तार होने के कारण आगामी वर्षों में कोयले की माँग बहुत बढ़ेगी। भारत में घटिया कोयले के भंडार तो बहुत हैं परन्तु उपयोग में आने योग्य कोयला कोयला मौजिन है। इसलिए संरक्षण के उपाय व रूप में कम राख वाले कोयला कोयला का काफी मात्रा में आयात करने का प्रस्ताव है। इन तीन क्षेत्रों के लिए कुल परिव्यय निम्नलिखित होगा—

ऊर्जा क्षेत्र के लिए परिव्यय

(रुपयों में)

क्र.सं.	क्षेत्र	पाँचवी योजना 1974-79	योजना 1978-83
1	विद्युत्	7016	15750
2	पेट्रोलियम	1691	2550
3	कोयला	1148	1850
जोड़		9855	20150

सत्रवार परिचय

क्षेत्र	पाँचवीं योजना योजना 1974-79	कुल परिचय का प्रतिशत 1978-83	मोजना 1978-83	कुल परिचय का प्रतिशत	पाँचवीं योजना के मुकाबले 1978-83 में प्रतिशत वृद्धि
इथि और सबद नायकलाप	4302	11.0	8600	12.4	99.5
तिचाई व वाड नियन्त्रण	4226	10.7	9650	13.9	128.3
उद्योग व खनिज (ऊर्जा को छोड़कर)	7362	18.7	10350	14.9	40.6
कर्म, विमान व टेक्नोलॉजी	10291	26.2	20800	30.0	102.1
परिचहन और संचार	6927	17.6	10625	15.3	53.6
समाज सेवाएँ	6224	15.8	9355	13.5	50.1
कुल योग	39322	100.00	69380	100.00	76.4

औद्योगिक नीति

योजना में अपनाई गई औद्योगिक नीति इस प्रकार है—

- (क) वर्तमान क्षमता का भरपूर उपयोग किया जाए। अनेक क्षेत्रों में उपभोक्ता, मजदूर और पूंजीगत साधन के उद्योग इस समय क्षमता से कम काम कर रहे हैं। इनमें इजीनियरी, सूती कपड़ा, चीनी आदि के उद्योग उल्लेखनीय हैं।
- (ख) जिन औद्योगिकों के उपयोग से उत्पादन पूंजी के अनुपात में अधिक हों उनका उपयोग किया जाए। परन्तु इसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि उत्पादन लागत पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस क्षेत्र के विकास को समर्थन प्रदान करने के लिए दुनियाही आधार, ऋण और विभिन्न प्रकार की सहायता दी जाएगी।
- (ग) जिन दुर्लभ ग्राहनों की पूर्ति नहीं की जा सकती, उनको बनाए रखा जाए, जैसे पत्थर का कोयला और अन्य खनिज, क्योंकि इनके हमारे पास बहुत कम भण्डार हैं।
- (घ) विदेशी अथवा पूंजी का उपयोग करें। इसके लिए जिन वस्तुओं को बाहर से मंगाया जाना है उनकी माँग और उपलब्धि में सुनिश्चित अन्तर रखना होगा। सामान्यतया अब सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में पूंजी नियोजन पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में उत्पादन की लागत और किफायती आयात को ध्यान में रखकर करना होगा। परन्तु किसी भी स्थिति में इतना अन्तर न रखा जाए जिससे उस वस्तु का आयात कुछ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को देखते हुए अधिक न हो जाए। इसमें सन्तुलन बनाए रखने के लिए थम साध्य निर्मित सामान जैसे— हाथकरघा, चमड़े का सामान, सिले-सिलाए कपड़े और इजीनियरी के

सामान के निर्यात में वृद्धि करनी होगी, क्योंकि इन वस्तुओं में हम कृत्ती भी देश से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में हैं ।

- (ड) निश्चित नीति, विनियमन और समठनात्मक उपाय अपनाकर निगमित निजी क्षेत्र में आर्थिक शक्ति के सकेन्द्रण को कम करना होगा ।
- (घ) निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ ठीक प्रकार से काम करती रहें इसके लिए उन्हे समय पर धन देने की प्रबन्ध सम्बन्धी व्यवस्था ठीक करने के लिए सरकारी नीति में संशोधन करने की व्यवस्था करनी होगी ।
- (छ) जिस चीज का देश में उत्पादन ही रहा है उन्हे आयातित माल से अधिक प्रतिस्पर्धा न करनी पड़े तथा जहाँ किरायात करनी आवश्यक है वहाँ केवल आर्थिक दृष्टि से उपयोगी आकार की यूनिटे स्थापित की जाएँ, इस प्रकार के अनेक उपाय अपनाकर उत्पादन लागत घटाई जाए ।

ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग

मुनियोजित रूप में रोजगार प्रदान करने वाले मुख्य योगदान के रूप में इस क्षेत्र का बहुत ऊँची प्राथमिकता दी जाएगी । इस काम के लिए विभिन्न मोर्चों पर कार्य होगा जिनमें उद्योगों के लिए आरक्षण तथा उत्पादन-मुक्त में राहत दिया जाना शामिल है । समन्वित विकास को सुनिश्चित करने तथा उद्यमियों को अपने काम के लिए निम्न कार्यालयों से सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है उनकी सहायता करने के उद्देश्य से जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की जाएगी । अनुसंधान और प्रौद्योगिकी को इस क्षेत्र को देने में योजना को काफी बल मिलेगा । जहाँ तक ऋण सुविधा का प्रश्न है मामूली मात्रा में धन देने की योजना का विस्तार करने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है । हाट व्यवस्था के क्षेत्र में सुधार के लिए मुख्यतः विधोलियों का समाप्त करने और सहकारी क्षेत्र के माध्यम से कुटीर उद्योगों की वस्तुओं का लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए विशेष प्रयास किया जाएगा । प्रशिक्षण की व्यवस्था, तकनीकी सहायता और अन्य सुविधाएँ बढ़ाने के उपाय किए जाएँगे । ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिए परिव्यय की राशि पाँचवी योजना में 3878 करोड़ रुपये थी । इसे बढ़ाकर 1410 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा । इस क्षेत्र के उत्पादन संक्षो को भी बढ़ाया जाएगा ।

बड़े और मध्यम उद्योग

सहकारी क्षेत्र के बड़े और मध्यम उद्योगों के लिए पाँचवी योजना में परिव्यय 6852 करोड़ रुपए था । इसे बढ़ाकर 8940 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा ।

इस्पात— इस्पात का उत्पादन 77 लाख टन से बढ़कर 118 लाख टन हो जान की उम्मीद है । योजना के अन्त में एक नए इस्पात संयंत्र पर काम शुरू होने की भी सम्भावना है ।

सीमेट—आशा है कि सीमेट की माँग सन् 1982-83 तक 3 करोड़ 10 लाख टन हो जाएगी । जबकि देश में उत्पादन 3 करोड़ टन का होगा । हाल में घोषित

सीमेंट की लाभकारी कीमत घातु मूल (स्लैब) के उपयोग तथा उन्नत प्रीबोर्डिंगों से सीमेंट के उत्पादन में तेजी से वृद्धि होने की सम्भावना है।

उर्वरक—नाइट्रोजन उर्वरक की माँग सन् 1982-83 में 41 लाख टन तक पहुँच जाने की उम्मीद है जबकि सन् 1977-78 में महू 206 लाख टन थी। नए कारखाने बनाने की शुभ्रता की जाएगी जिनमें छ सरकारी क्षेत्र में रसे जाने की उम्मीद है।

पेट्रो-रसायन—सरकारी क्षेत्र की जिन योजनाओं पर काम चल रहा है उनसे लिए परिच्यय की व्यवस्था करने के अलावा बड़े पैमाने पर ओलीफिन कम्प्लैक्स तथा पोलिएस्टर संयंत्र की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया है।

श्रीमश तथा शोध निर्माण—सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत काम कर रही दो यूनिटो—इण्डियन इंस एण्ड फार्मेसीट्यूकल कम्पनी और हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक तथा पूर्वी अंचल में स्थापित की जाने वाली तीसरी यूनिट द्वारा उत्पादन क्षमता में काफी विस्तार करने में प्रमुख योग दिए जाने की सम्भावना है।

धरत उद्योग—कपड़े के सम्बन्ध में जो अनिश्चित जरूरत होगी उसका अधिकतम भाग हाथकरवा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाकर पूरा किया जाएगा। मिल या पावरलूम क्षेत्र में करघों को बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी यद्यपि उन्हें आधुनिकीकरण करने और पुराने करघों की जगह नए करघे लगाने की अनुमति होगी। यदि हाथकरवा क्षेत्र में अनुमान से अधिक उत्पादन करने में सफलता मिलती है तो तबनुसार अन्य क्षेत्रों के उत्पादन लक्ष्यों में समुचित कटौती की जाएगी।

घनी—चूँचि चीनी उत्पादन की निर्मित अथवा निर्माणाधीन क्षमता पर्याप्त होगी इसलिए चीनी का कोई नया कारखाना नहीं लगाया जाएगा। प्रौद्योगिकी विद्यालयों के बारे में हाल में जो अध्ययन किए गए हैं उनसे यह संकेत मिले है कि भविष्य में विकास सहायरी स्थानों में किया जाएगा क्योंकि ये अधिकतम रोजगार सुलभ करने के माधन हैं। इस आधार पर नीतियाँ निर्धारित की जा रही हैं।

नमाज सेवाएँ

शिक्षा—यगती योजना में निरक्षरता को दूर करने, प्राथमिक शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने और शिक्षा को अधिक रोजगारोन्मुख और समाज के लिए तार्थक बनाने की प्राथमिकता दी जाएगी। माध्यमिक और विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रमों को कम किया जाएगा और व्यावसायिक शिक्षा देने तथा शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने पर धन दिया जाएगा।

स्वास्थ्य—मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों की गरीब जनता के लिए स्वास्थ्य की देखभाल तथा चिकित्सा सेवाएँ सुलभ करना होगा। नए अस्पतालों की स्थापना, वर्तमान अस्पतालों का विस्तार और उनमें रोगी शैयाओं की वृद्धि का काम इस प्रकार सुनियोजित किया जाएगा जिससे सन्तुष्ट क्षेत्रीय विकास हो सके और गतिशीलता तथा सुप्रबन्ध को बनाए रखा जा सके। संचारी रोगों की रोकथाम उन्मूलन व्यासवर करनेरिया पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

परिवार कल्याण—परिवार कल्याण कार्यक्रम को बहुत ऊँची प्राथमिकता दी जाती रहेगी। सभी स्तरों पर स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जन्म-धन्मा स्वास्थ्य और पोषाहार सम्बन्धी सेवाओं को अधिकाधिक एकीकृत करने का प्रयास किया जाएगा।

समाज सेवाओं के लिए परिचय

(करोड़ ₹)

क्र.स.	क्षेत्र	पाँचवी योजना 1974-79	योजना 1978-82
1.	शिक्षा	1285	1955
2.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	1179	2095
3.	आवास, शहरी विकास और निर्माण कार्य	1189	2540
4.	जलपूर्ति	971	1580
5.	समाज कल्याण और पोषाहार	202	305
6.	विद्युत् की आपूर्ति और हरिजन कल्याण	327	545
7.	अवर्गीकृत सहित अन्य (पुनर्वासि, श्रमिक कल्याण आदि)	1071+	335
बोड		6224	9355

+ इस क्षेत्र के परिचयों को 1978-83 की योजना में पुनर्बर्गीकृत किया गया है और अन्य क्षेत्रों के परिचय में सम्मिलित किया गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए 650 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद् शामिल है। योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दो मुख्य उद्देश्य रखे गए हैं—

(क) ग्रामीण विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर ध्यान आकृष्ट करना और

(ख) प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अधिक आत्म-निर्मरता प्राप्त करना।

योजना तथा कार्यान्वयन

योजना पर सकलतापूर्वक अमल करने के लिए इस प्रारूप में परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों पर निगरानी व्यवस्था को सुचारु बनाने तथा जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है उनका पता लगाने के लिए अधिक कारगर समीक्षा करने तथा वित्तीय सहायता और सरकार के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए अधिक कार्यक्रमों के लिए उपाय करने का प्रस्ताव है। कई विशेषज्ञ समितियाँ बनाई जा रही हैं जो—

(क) जन-सौख्यकीय नीतियों तथा उनके कार्यान्वयन,

(ख) ऊर्जा-नीति,

(ग) व्यापक परिवहन आयोजन

के बारे में अपनी रिपोर्ट देंगी। योजना बनाने की प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण को वास्तविक बनाने के लिए इस प्रारूप में सुझाव दिया है कि राज्यों में योजना बनाने की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए तथा जिला स्तर पर योजना बनाने की स्वतन्त्रता क्षमता और विकास किया जाए। योजना आयोग द्वारा इन स्तरों पर आदर्श योजना के स्वरूप का सुझाव दिया गया है परन्तु प्रत्येक राज्य को उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनाने की स्वतन्त्रता होगी।

अनवरत योजना

समग्र निवेश योजना, सरकारी क्षेत्र परिव्यय तथा प्रमुख क्षेत्रों के लिए क्षमता तथा उत्पादन के लक्ष्य 1978-83 की पाँच वर्ष की अवधि के लिए तैयार किए गए हैं। कुछ क्षेत्रों के लिए 1987-88 तक की पाँच वर्ष की आगामी अवधि के लिए प्रत्याशित विकास का संकेत दिया गया है। परन्तु समय की कमी के कारण इस प्रारूप में 1978-83 तक के समय के प्रत्येक वर्ष का परिव्यय और उत्पादन लक्ष्य देना सम्भव नहीं हो सकता है। यह कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। इन बीच जहाँ अभी तक विभिन्न क्षेत्रों के अर्धीन कार्यक्रम तथा परियोजनाएँ तैयार नहीं की गई हैं वहाँ केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के परामर्श से विस्तार से तैयार कर ली जाएंगी। इसके बाद निष्पादक अभिकरण वार्षिक लक्ष्य पूर्ण के बारे में एक कार्यक्रम तैयार करेंगे। इस वर्ष की समाप्ति के पूर्व अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए वर्तमान अवधि के बाद एक अतिरिक्त वर्ष के लिए यानि 1983-84 तक अनुमान तय कर दिए जाएँगे। इन प्रकार सिंचाई तथा विद्युत जैसे क्षेत्रों में निवेश के निर्णय को स्वरूप देने के लिए योजना की अवधि को बढ़ाना आवश्यक है। 1979-80 की वार्षिक योजना तैयार करते समय 1978-79 में प्रमुख क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। यदि किसी क्षेत्र में कमियाँ पाई गई हैं तो 1982-83 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयत्न करने के बारे में संकेत दिया जाएगा। फिर भी यदि योजना तैयार करने के बाद किसी क्षेत्र में माँग के स्रोत में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है या किसी प्रकार की अच्छी जानकारी के मिल जाने से पहले के अनुमानों में संशोधन आवश्यक हो गए हैं तो आवश्यक सीमित समायोजन कर दिया जाएगा। संक्षेप में अनवरत योजना का यही रीति विधान है।

सहभागिता

ग्रामीण जीवन के पुनर्निर्माण से सम्बन्धित किसी भी मौलिक योजना की सफलता के लिए चार बातें आवश्यक हैं—सर्वप्रथम योजना पर ही राष्ट्रीय सहमति होनी आवश्यक है और बाद में भी प्रत्येक राष्ट्रीय योजना में इस प्रकार का सामंजस्य बना रहना चाहिए। इस समय जो नीति तैयार की गई है वह विकास के अगले चरण के लिए उपयुक्त है। योजना आयोग का विश्वास है कि इस प्रारूप में निर्धारित किए गए लक्ष्यों, प्राथमिकताओं और नीतियों को केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें, सभी राजनीतिक दल तथा देश में समस्त शिक्षित वर्ग सामान्य रूप से स्वीकार कर लेगा।

दूसरी बात यह है कि योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार को पूरी शक्ति लगानी होगी तथा आवश्यक साधन जुटाने और लगाने के लिए कृतसंकल्प होना पड़ेगा। तीसरे, समाज को चाहिए कि वह अपने भविष्य के लिए इस बात के वास्ते तत्पर रहे कि वर्तमान उपभोग स्तर को बढ़ाने पर यदि कोई रोक लगती है तो उसे स्वीकार करे।

अन्त में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योजना में इस बात का ग्राह्यता होना चाहिए कि अधिक से अधिक नागरिक उस्ताह के साथ उसमें भाग लें। विशेषकर उन लोगों को आगे लाना होगा जिनके लाभार्थ ग्रामीण रोजगार की नीति को लागू किया जाना है। दीन-हीन लोग योजनाओं और कार्यक्रमों से अपने आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे भले ही उनका उद्देश्य और उपदेश किन्ना ही अच्छा क्यों न हो। योजना को सफल बनाने के लिए उनको संगठित करने में मदद करनी होगी ताकि जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए उस पर वे दावा कर सकें और उसके बदले में वे समाज को अपना अपेक्षित सहयोग दे सकें।

ये लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। आवश्यकता है बिना हतोत्साहित हुए उनकी ओर लगातार बढ़ते रहने के दृढ़ संकल्प की।

वर्ष 1978-79 की वार्षिक योजना (वित्त मन्त्री के बजट भाषण के अनुसार)

भारत सरकार के वित्त मन्त्री श्री एच एम पटेल ने लोकसभा में 28 फरवरी, 1978 को सन् 1978-79 का बजट प्रस्तुत करते हुए अपने भाषण में सन् 1978-79 की वार्षिक योजना के अनुमान प्रस्तुत किए। इस वार्षिक आयोजना की मुख्य बातें, वित्त मन्त्री महोदय के भाषण के अनुसार, इस प्रकार हैं—

1. वर्ष 1978-79 की वार्षिक आयोजना उस समय तैयार की गई जबकि नई 'राष्ट्रीय योजना' को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था। चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ पाँचवी आयोजना समाप्त हो रही है और पहली अप्रैल, 1978 से नई राष्ट्रीय योजना चालू हो जाएगी। आयोजना एक सतत प्रक्रिया है और किसी भी समय अनेकों ऐसी योजनाएँ और कार्यक्रम चालू रहते हैं जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। इसके अलावा, इनमें बहुत सी परियोजनाएँ समाप्ति की ओर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं और इसलिए अगर उनसे समय पर फायदा प्राप्त करने में ता उनके लिए समुचित व्यवस्था करनी पड़ती है। इन्हीं बातों ने सन् 1978-79 की आयोजनागत प्राथमिकताओं का फिर से त्रुम निर्धारण करने की स्वतन्त्रता की सीमित कर दिया है। फिर भी सन् 1978-79 की वार्षिक आयोजना, जिस रूप में यह तैयार हुई है, विकास की वृद्धि-प्रधान और रोजगार-वहल नई नीति को अपनाने के वर्तमान सरकार के वायदे को प्रतिबिम्बित करती है।

2 वर्ष 1978-79 के लिए केन्द्र, राज्यों और सघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक आयोजनाओं का कुल परिव्यय, सन् 1977-78 के 9,960 करोड़ रुपये के मुकाबले, 11,649 करोड़ रुपये का होगा। यह 17 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है। इस परिव्यय

में से कोई 10,465 करोड़ रुपये पहले से बढ़ी या रही योजनाओं पर खर्च होंगे। धेप में से 150 करोड़ रुपये नई विद्युत परियोजनाओं का श्रीगणेश करने के लिए रखे गए हैं और 1,034 करोड़ रुपये अन्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। उपरोक्त राशि का 80 प्रतिशत भाग, यानी 828 करोड़ रुपये कृषि सम्बन्धी और ऐसी अन्य योजनाओं के लिए हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सहायक होंगी।

3. वर्ष 1978-79 के केन्द्रीय बजट में 7,281 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय आयोजना के लिए और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं में सहायता देने के लिए रखी गई है। वर्ष 1977-78 के लिए यह राशि 5,790 करोड़ रुपये की थी।

4. राज्यों की आयोजनाओं में और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं में, पहाड़ियों और आदिम जातीय क्षेत्रों की उप-आयोजनाओं में केन्द्रीय सहायता देने के लिए तथा उत्तर पूर्व परिपद को और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को सहायता देने के लिए 2,761 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। बजट में केन्द्रीय आयोजना के लिए 4,520 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आन्तरिक और धन्य साधनों को मिलाकर, सन् 1978-79 की केन्द्रीय आयोजना, सन् 1977-78 की 4,939 करोड़ रुपये की आयोजना के मुकाबले, 5,664 करोड़ रुपये की होगी। कुल मिलाकर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाएँ, उनके अपने साधनों सहित 5,985 करोड़ रुपये की होगी जबकि सन् 1977-78 में ये आयोजनाएँ 5,021 करोड़ रुपये की थीं।

5. बहुत-से वर्षों में ऐसा पट्टी बार हुआ है जबकि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाएँ कुल मिलाकर केन्द्रीय आयोजना से बढ़ी होती। कुल मिलाकर राज्यों की आयोजनाओं के परिवन्ध में 19 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जब कि संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं में 27 प्रतिशत की वृद्धि होगी। दूसरी ओर, केन्द्रीय आयोजना में 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इनमें कृषि, मिर्चाई, बिजली और ग्रामीण विकास के पक्ष में हमने आयोजना सम्बन्धी प्राथमिकताओं का जो नया क्रम-निर्धारण किया है उसका पता चलता है क्योंकि ये सभी योजनाएँ राज्यों की आयोजनाओं का प्रमुख अंग हैं, और इससे कुछ थोड़ा इस परिवर्तन का भी पता चलता है कि आयोजन के मामले में विनियमन की प्रवृत्ति पहले से ज्यादा है। प्रत्येक राज्य की आयोजना में कृषि, पहले से चल रही बड़ी दरमियानी सिंचाई की परियोजनाओं तथा बिजली परियोजनाओं को प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। इन दो क्षेत्रों की सहायक नई योजनाओं के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

6. कृषि और ग्रामीण विकास पर बल देने की नीति के अनुसार, सन् 1978-79 में कृषि के लिए 1,754 करोड़ रुपये का आयोजना परिवन्ध रखा गया है; इस प्रकार इसमें 490 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। साततौर से

सिंचाई क्षेत्र विकास के परिव्यय को, जो सन् 1977-78 में 49 करोड़ रुपये था, बढ़ाकर सन् 1978-79 के लिए 82 करोड़ रुपये कर दिया गया है और केन्द्रीय आयोजना में छोटे किसानों के विकास अभिकरण (एनेनी) के परिव्यय को 45 करोड़ रुपये से बढ़ाकर सन् 1978-79 के लिए 115 करोड़ रुपये कर दिया गया है। प्रायः सूखा ग्रस्त रहने वाले इलाकों के कार्यक्रम के परिव्यय को, जो सन् 1977-78 में 51 करोड़ रुपये था, बढ़ाकर सन् 1978-79 के लिए 76 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मत्स्य विकास कार्यक्रम के लिए सन् 1978-79 में 20 करोड़ रुपये रखे जा रहे हैं जबकि सन् 1977-78 में उसने लिए केवल 6 करोड़ रुपये रखे गए थे।

7 नई आयोजन-नीति के अनुसार, खण्ड विकास आयोजनाएँ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे रोजगार की व्यवस्था करने के लिए एक बड़ा साधन होगी। इस कार्यक्रम का व्यौरा तैयार किया जा रहा है। इस बीच, इस कार्यक्रम के लिए 20 करोड़ रुपये की सांकेतिक व्यवस्था कर दी गई है। जब इस कार्यक्रम का पूरा व्यौरा मालूम हो जाएगा तब इस राशि को और बढ़ा दिया जाएगा।

8 ग्रामीण विकास की नई नीति के एक अंग के रूप में डेरी विकास के एक विशाल कार्यक्रम - ऑपरेशन प्लव II - को चालू करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम से लोगों का पोषण-स्तर ऊँचा होगा। पहले दौर में इससे लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार मिलगा और इसके सक्षम सहायक घन्टों के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ेगी। इस परियोजना पर लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसके कार्यान्वयन के लिए अभी तैयारी की जा रही है लेकिन इस बीच कार्यक्रम-पूर्व के कुछ आवश्यक तत्वों पर कार्रवाई करने की स्वीकृति दे दी गई है ताकि कार्यक्रम का मुख्य काम समय पर शुरू किया जा सके।

9 इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश का समुद्र-तट बहुत विस्तृत है और मछियारी का काम करने वालों की संख्या भी बहुत बड़ी है, केन्द्रीय आयोजना में मत्स्य-क्षेत्रों के परिव्यय को, जो सन् 1977-78 में 33 करोड़ रुपये था, बढ़ाकर सन् 1978-79 में 61 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस प्रकार परिव्यय बढ़ा दिए जाने से बुनियादी आभारमूल सुविधाएँ तो मजबूत होंगी ही, साथ ही रोजगार में भी वृद्धि होगी और मछुओं की आय भी बढ़ेगी।

10 ग्रामीण आभारमूल ढाँचे के विकास सम्बन्धी व्यापक कार्यक्रम के एक अंग के रूप में, सब तरह के मौसम में काम देने वाली पहुँच रखके बनाने और समस्याग्रस्त गाँवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के काम को तेजी से पूरा करने की जरूरत है। वर्ष 1978-79 में राज्यों की आयोजनाओं में ग्रामीण सड़कों के परिव्यय को, जो चालू वर्ष में 85 करोड़ रुपये था, बढ़ाकर 115 करोड़ रुपये कर दिया गया है। गाँवों में पानी की व्यवस्था करने के लिए सन् 1978-79 में राज्यों की परियोजनाओं में 105 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी जबकि चालू वर्ष में इसके लिए 70

करोड़ रुपये रखे गए थे। इसकी अनुपूर्ति के लिए केन्द्रीय प्रायोजना में भी 60 करोड़ रुपये की एक विशेष व्यवस्था की गई है। इस प्रकार पिछले साल जो यह बचन दिया गया था कि गाँवों में पानी की व्यवस्था और सड़कों के निर्माण के लिए अधिक धन राशि निर्धारित की जाएगी, वह पूरा कर दिया गया है। राज्यों को यह आश्वासन है कि यदि इन कार्यक्रमों को कारगर तरीके से कार्यान्वित किया गया तो केन्द्र इन धनराशियों को और बढ़ाने के लिए भी तैयार रहेगा।

11. ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में लाभदायक रोजगार के प्रवर्धन बढ़ाने की जहूरत है। इसके लिए 1978-79 में कुल 219 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है जबकि सन् 1977-78 में इनके लिए 145 करोड़ रुपये रखे गए थे।

12 अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्यक्रमों को अब विशेष प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि इनके परिव्यय को, जो सन् 1977-78 में 86 करोड़ रुपये था, बढ़ाकर वर्ष 1978-79 में 125 करोड़ रुपये कर दिया गया है। राज्यों की प्रायोजनाओं में आदिम जातियों के विकास के लिए परिव्यय दो, जो सन् 1977-78 में 258 करोड़ रुपये था, बढ़ाकर वर्ष 1978-79 में 343 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, आदिम जातियों से सम्बन्धित उप-प्रायोजनाओं के लिए केन्द्र की ओर से जो विशेष सहायता दी जाती है वह भी बढ़ाकर 1978-79 में 70 करोड़ रुपये की जा रही है जबकि सन् 1977-78 में इसके लिए 55 करोड़ रुपये रखे गए थे।

13 अगले पाँच वर्षों में 170 लाख हैक्टेयर की अनिश्चित सिंचाई की क्षमता बढ़ाने का जो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके लिए पूर्ण निवेश में भारी धृष्टि करनी होगी और आयोजन, निष्पादन तथा पर्यवेक्षण के लिए संगठनात्मक व्यवस्था को नया रूप देने, सुदृढ़ करने और सुचारु बनाने की आवश्यकता होगी। बड़ी और धरमिषानी सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1978-79 में 1,166 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा जबकि सन् 1977-78 में इसके लिए 1,032 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी। छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1978-79 में, सन् 1977-78 के 206 करोड़ रुपये के मुकाबले 235 करोड़ रुपये का आयोजना परिव्यय होगा। ऋषि पुनर्वित और विकास विभाग से ऋण लेकर इस परिव्यय की काफी हद तक अनुपूर्ति की जाएगी। आशा की जाती है कि 1978-79 में, सन् 1977-78 के 22.3 लाख हैक्टेयर के मुकाबले 30 लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता का निर्माण किया जाएगा।

14. पिछले वर्षों में, बिजली के लिए अर्पणार्थ धन-राशि नियम किए जाने और बिजली परियोजनाओं को धीमी गति से कार्यान्वित किए जाने की वजह से इस बुनियादी आधारभूत सुविधा में बराबर कमी महसूस की जाती रही है। यदि हम चाहते हैं कि बिजली की मांग-भार होने वाली कमी की वजह से हमारी विकास की गति अवरुद्ध न हो तो इन दोनों बातों में सुधार करना होगा। इसलिए 1978-79

की आयोजना में बिजली पैदा करने की क्षमता में अत्यधिक वृद्धि करने और पारेषण तथा वितरण व्यवस्था का विकास करने की परिकल्पना की गई है। आगामी वर्ष में कुल मिलाकर लगभग 30,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता का निर्माण करने की योजनाओं को विभिन्न चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा। इसमें लगभग 3,500 मेगावाट बिजली 1978-79 में पैदा की जाने लगेगी जबकि चालू वर्ष में लगभग 2,000 मेगावाट बिजली पैदा किए जाने का अनुमान था और इस तरह देश में बिजली पैदा करने की कुल क्षमता बढ़ कर 29,000 मेगावाट हो जाएगी।

15 केन्द्रीय क्षेत्र में कई परियोजनाओं, जैसे कोरवा उच्च तापीय परियोजना, रामगुडम उच्च तापीय परियोजना, भेवेली स्थित द्वितीय खान कटाव समेत बिजली-घर, बदरपुर तापीय बिजली-घर, तीसरा चरण, दामोदर घाटी निगम के बोकारो तापीय बिजली-घर और पंचेत पहाड़ी के उद्घाटित सग्रहण सयनन (पम्पड स्टोरेज प्लांट) में नया काम शुरू करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। उच्च तापीय बिजली-घरों से सम्बद्ध केन्द्रीय क्षेत्र में तथा राज्यों में 400 के बी की नई पारेषण लाइनों का काम काम में लेने के लिए भी व्यवस्था की गई है। भार प्रेषण केन्द्रों के काम की रफ्तार भी तब की जा रही है। इससे सदन को बिजली पैदा करने के उस कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिल जानी चाहिए जिसे हम हाथ में लेने जा रहे हैं।

16 बिजली के विकास के लिए केन्द्रीय आयोजना में 244 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। बिजली के लिए अधिकांश व्यवस्था राज्यों और सप्त राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं में की गई है जहाँ इसका परिव्यय के लिए कुल 1,953 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। बिजली के क्षेत्र के लिए 1978-79 में 2,217 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि चालू वर्ष में इसके लिए 1,925 करोड़ रुपये की रकम रखी गई थी। ग्रामीण बिद्युतीकरण का महत्त्व को देखते हुए इसके लिए व्यवस्था को बढ़ा कर 297 करोड़ रुपये कर दिया गया है जबकि चालू वर्ष में इस प्रयोजन के लिए 195 करोड़ रुपये रखे गए थे। इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की जाएगी कि इन परियोजनाओं को शीघ्रता तथा कुशलता से कार्यान्वित किया जाए ताकि इतनी भारी मात्रा में लगाई गई पूंजी से अर्थ-व्यवस्था को पूरा-पूरा लाभ पहुंचे।

17 तेल के क्षेत्र के लिए 1978-79 में 630 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है क्योंकि कच्चे तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनने के हमारे प्रयासों में कोई हिलाई नहीं आनी चाहिए। यह दूसरा कदम है जो राष्ट्र ने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठाया है।

18 इस्पात के लिए 1978-79 के बजट में 563 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है, जबकि सन् 1977-78 में 511 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। भित्ताई और बोकारो के विस्तार कार्यक्रमों, राडरकेला के कोल्ड रोलड ग्रेन और एन्टेड प्लांट और मेलम इस्पात एन्वन्स की आवश्यकताएँ पूरी कर दी गई हैं। कुट्टेमुख परियोजना के परिव्यय को, सन् 1977-78 के 142 करोड़ रुपये में बढ़ा कर अगले वर्ष में 213 करोड़ रुपये किया जा रहा है ताकि परियोजना को सुनिश्चित समय पर पूरा किया जा सके।

19. इस तरह की धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है कि यह सरकार परिवार नियोजन के कार्य को कम महत्त्व दे रही है। इस प्रकार की धारणा विलुप्त गलत है। परिवार नियोजन के जोरदार तथा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का हमारा वागदा परका और साफ है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 1978-79 में 393 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है जबकि सन् 1977-78 में इस प्रयोजन के लिए केवल 284 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। अब इस बात की महसूस किया जा रहा है कि परिवार नियोजन के संकुचित पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करने की वजाय, परिवार कल्याण की व्यापक संरचना को अपनाने से परिवार नियोजन की पद्धतियों को ज्यादा अच्छी तरह से स्वीकार किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए भी, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारियों की योजना भी शामिल है, केन्द्रीय आयोजना तथा राज्यों की आयोजना में पर्याप्त मात्रा में धनराशि की व्यवस्था कर दी गई है।

20. यह सरकार इस तथ्य को पूर्ण रूप से मान्यता देती है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था के आधुनिकीकरण में और कृषि तथा उद्योग के विकास में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को मूल्यवान योगदान देना है। सम्मानित सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के परिव्यय को, जो सन् 1977-78 में 179 करोड़ रुपये था, बढ़ाकर 1978-79 में 220 करोड़ रुपये कर दिया गया है, अर्थात् उनमें 23% की वृद्धि की गई है। इसी प्रकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के लिए व्यवस्था को, 1977-78 के 37 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1978-79 में 51 करोड़ रुपये कर दिया गया है। भारतीय उपग्रह परियोजना (इन्सैट-1), जिसके सम्बन्ध में 1978-79 में 23 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह परियोजना इस अर्थ में अद्वितीय है कि इसमें दूर संचार, जड़तु विज्ञान तथा दूरदर्शन की अनेक सुविधाएँ एक साथ रखी गई हैं।

नई योजना : एक समीक्षा

किसी भी योजना का निर्माण एक बात है और उसका क्रियान्वयन दूसरी बात। सैद्धान्तिक और व्यावहारिक पक्ष में जब साम्य स्थापित नहीं हो पाता तो प्राक्-प्रत्यालोचना और दोषारोपण का वातावरण चिन्तन के लयभंग सभी क्षेत्रों को क्षुब्ध कर देता है। काँग्रेस सरकार ने योजनाएँ बनाई और इन बातों से इकार नहीं किया जा सकता कि योजनाएँ अच्छी थी और योजनाओं के लक्ष्य प्रज्ञसनीय थे। लेकिन योजनाओं का कार्यान्वयन समुचित रूप में नहीं हो सका और कार्यान्वयन-मशीनरी (Implementing Machinery) की गड़बड़ के कारण योजनाओं से अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो सके। जनता सरकार ने अपने नए आर्थिक दृष्टिकोण के अनुरूप नई योजना बनाई है लेकिन मूल बात यही है कि योजना का क्रियान्वयन सही ढंग से हो सकेगा या नहीं। यदि 'कयनी' को 'करनी' में उतारा जा सका तो नई राष्ट्रीय योजना के रसभरे फलों का स्वाद जनता चख सकेगी, अन्वयावधि वही 'टाँपटाँप फिस' वाली बात बन जाएगी। नई राष्ट्रीय योजना पूर्वपिशा अधिक अर्थार्थवादी है और जनवर्त

योजना (Rolling Plan) की तकनीक भी अधिक आकर्षक और प्रभावित दिखाई देती है, लेकिन सभी बातें अभी 'कोरी कागजी' हैं, उनका मूल्यांकन भविष्य के गर्भ में है। यदि कार्यान्वयन-मशीनरी योजना को सही रूप में लागू कर सकी तो यह देश के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, क्योंकि अब तक योजनाओं के अपेक्षित लाभ से वंचित रहने के कारण जनसाधारण का जीवन बंद से बदतर ही बना है और आर्थिक विपमता की खाई निरन्तर चौड़ी होती गई है। हमने समाजवाद के जितना अधिक निकट पहुँचने की कोशिश की है, हम समाजवाद से उतने ही दूर हटते हैं, क्योंकि गरीबी तो नहीं मिट रही है पर गरीब जरूर मिटते जा रहे हैं अर्थात् उनकी हालत आज पहले से कहीं अधिक दयनीय है और मुद्रा की क्रय शक्ति इतनी गिर गई है कि जन-सामान्य के लिए जीवन-निर्वाह एक कठिन चुनौती भरी समस्या है। यह सही है कि सदियों पुरानी गरीबी और जड़ता अल्प समय में दूर नहीं की जा सकती, लेकिन यदि आवश्यक राजनीतिक संकल्प बना रहे और आर्थिक अनुशासन का कठोरतापूर्वक पालन किए जाए, तो हम काफी हद तक घोर निर्धनता की खाई को पाट देने की आशा करते हैं। यह नितांत आवश्यक है कि हम ठोस कदमों के आधार पर आगे बढ़ें और आत्म निर्भरता से लक्ष्य को यथाशीघ्र प्राप्त करें।

सन् 1978-79 का नया बजट भी आर्थिक क्षेत्र में एक साहसिक कदम माना गया है। भारत के नए बजट का उद्देश्य एक ऐसी प्रक्रिया को चालू करना है जिससे विनोदकर प्रामाण्य क्षेत्रों में उत्पादन और रोजगार में बराबर वृद्धि होती चली जाए। निवेश में सरकारी व्यय के कार्यक्रम को एक प्रमुख साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। आधारभूत सुविधाओं के निवेश व्यय में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की जा रही है ताकि विकास के मार्ग में आने वाली रुकावटें दूर हो जाएँ। बहुत अधिक मात्रा में अतिरिक्त राशन जुटाना आवश्यक समझा गया है लेकिन साथ ही कृषि और उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहनों और कर-रियायतों की घोषणा भी की गई है। वित्त मंत्री पटेल का कहना है कि इस समय देश की आर्थिक स्थिति एक साहसी कदम उठाने के लिए बहुत ही अनुकूल है और यह बजट उसी विधा में एक साहसी कदम है।

वास्तव में हमारे लिए 'भविष्योन्मुखी आर्थिक योजना' की आवश्यकता है। हम इस बात पर दुःख होना चाहिए कि हम भारत के सुख गौरव को अभी तक नहीं पा सके हैं। कुछ पक्तियों की एक कविता रह-रह कर हमें हमारे गौरव की याद दिलाती है—

“यूनान मिस रोमा सब मिट गए।

जहाँ से,

बाकी मगर अभी है नामोनिशाँ हमारा।

कुछ बात है कि हस्ती भिटती नहीं

हमारी,

सदियों रहा है दुश्मन दौरे-जहाँ हमारा।”

हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारा अतीत का वैभव हम पुनः प्राप्त कर सकेंगे—क्या हम समय रहते, पिछड़ेपन और गरीबी की व्याधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। जनवरी, 1978 की योजना में विद्वान् लेखक वी शंकर ने हमारी पिछली योजनाओं की भूलों की ओर संकेत करते हुए इस बात पर बल दिया है कि हमारे आर्थिक विकास के लिए अगले पच्चीस वर्षों के लिए एक नई दृष्टि, एक नए रविवे, एक नूतन अध्ययन की आवश्यकता है। श्री वी शंकर की दृष्टि में हमारे नए दृष्टिकोण के आधारभूत तत्त्व इस प्रकार होने चाहिए—

1. सरकार को ऐसी आर्थिक नीति तैयार करनी चाहिए जिससे धन अर्जित करने में किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो, उल्टे आय और बचत के लिए प्रोत्साहन हो। साथ ही इस बात पर बल हो कि खर्च उन वस्तुओं पर किया जाए जिनसे देश के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों का भला हो सके।

2. आर्थिक विकास का कार्यक्रम व्यावहारिक होना चाहिए जिसका ध्येय नियत अर्द्धिके भीतर निश्चित लक्ष्य प्राप्त करना हो।

3. शिक्षा प्रणाली का आर्थिक विकास की आवश्यकता के अनुसार ही पुनर्गठन करना चाहिए। शिक्षा विकासोन्मुख होनी चाहिए और विश्वविद्यालय से निकले स्नातक विकास पद्धति के लिए बोझ या बाधा न हों बल्कि उस पद्धति के साथ एकजुट होकर कार्य करें।

4. हमारे विकास में कतिपय मूलभूत बाधाएँ हैं, जैसे मौसम की अनिश्चितता, बाढ़, जमीन का कटाव, क्षारीयता में वृद्धि और पानी का ठहराव, जंगलों का कटाव, जल ससाधनों का अपर्याप्त वैज्ञानिक प्रयोग, अल्प मात्रा में वैज्ञानिक तौर तरीकों का इस्तेमाल, खेतों में रासायनिक खाद का अल्प मात्रा में प्रयोग, पानी का अभाव, सिलसिलेवार पैदावार न करना, फसल का कीड़ों से बचाव तथा परती भूमि। इन सब के बारे में वैज्ञानिक अनुसंधान होना चाहिए।

5. उद्योग और कृषि को सहारा देने के लिए वैज्ञानिक स्कन्ध की बेहतर व्यवस्था हो।

6. लोगों की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने पर अधिक बल दिया जाए। जैसे भोजन, कपड़ा, घरेलू और औद्योगिक बिजली, पानी की सप्लाई, मकान, जल निकासी और संचार व्यवस्था।

7. परिणामों की बलि दिए बिना सामाजिक न्याय को दृष्टि में रखकर उद्योग और कृषि के विकास पर और अधिक बल देना चाहिए। दूसरे शब्दों में, तुरन्त परिणाम प्राप्त करने के लिए औद्योगिक और कृषि सम्बन्धी क्रियाकलाप अधिकतर कर देना चाहिए और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिवर्षों के स्थान पर नियमित का महारा लेना चाहिए।

अगले 25 वर्षों में विकास को इच्छित दिशा देने के लिए हमें ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का पुनर्गठन करना पड़ेगा। इस प्रकार के प्रयास से शहरी विकास में किसी भी प्रकार बाधा नहीं पड़ेगी। कृषि उत्पादन स्वयं औद्योगिक उत्पादन पर

निर्भर होता है। कृषि उत्पादन का सदुपयोग भी औद्योगिक प्रक्रिया द्वारा ही हो सकता है, चाहे वह ग्रामीण उद्योग हो, लघु उद्योग या बड़े पैमाने का उद्योग हो। तिलहन, गन्ना, पटमन, कपास और अनेक खाद्य वस्तुएँ औद्योगिक इकाइयों में पहुँचनी चाहिए ताकि रूपान्तर या उपचार द्वारा वे न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बिकने योग्य बनें।

जितने विकास की आवश्यकता है उसे देखते हुए हमें पूरे राष्ट्रीय प्रयास को इस सीमा तक बढ़ाना चाहिए जिससे प्रत्येक पाँच वर्षों की निश्चित लक्ष्य-प्राप्ति ही न हो, बल्कि पिछनी कमी भी पूरी हो जाए और आगामी वर्षों के लिए भी उत्पादन में बड़ोबरी होनी जाए, अन्यथा सारे योजनाबद्ध प्रयासों के बावजूद हम उन्नति नहीं करेंगे तथा विकास की दौड़ में पिछड़ जाएँगे।

इतिहास बहुत अर्थों से इस विशाल देश के प्रति क्रूर रहा है। प्रकृति ने अपनी नियामक उदारता से प्रदान की है परन्तु यहाँ के लोग इन नियामकों से अधिक लाभान्वित न हो सके तथा गरीबी और पिछड़ेपन की शलदल में फँसे रहे। हमारी योजनाओं का इतिहास विफलताओं का इतिहास है। इस इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। बजाय इसके हम अपनी ही उधेड़-बुन में रहें, हमें अतीत के पर्यालोचन से यह सबक लेना चाहिए कि भविष्य के लिए कुछ ठोस कार्य करना है।

भारत में योजना-निर्माण-प्रक्रिया और क्रियान्वयन की प्रशासकीय मशीनरी

(THE ADMINISTRATIVE MACHINERY FOR
PLAN-FORMULATION PROCESS AND
IMPLEMENTATION IN INDIA)

यदि अर्द्ध-विकासित देश द्रुत आर्थिक विकास करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी आर्थिक योजनाएँ बनाकर क्रियान्वित करनी चाहिए। सोवियत रूस ने भी आर्थिक योजनाओं द्वारा ही आर्थिक प्रगति की है। किन्तु आर्थिक विकास हेतु जहाँ योजनाओं का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है वहाँ इनके विवेकपूर्ण निर्माण और उनके उचित क्रियान्वयन का भी कम महत्त्व नहीं है। अस्तुत योजना की सफलता इसके मुक्तियुक्त निर्माण तथा उसकी क्रियान्विति पर निर्भर करती है। उदाहरणार्थ योजना निर्माण और क्रियान्वयन में अधिकाधिक व्यक्तियों को भागीदार बनाए जाने पर इनकी सफलता का बंध बढ़ जाता है। किन्तु यदि योजना के लक्ष्य और कार्यक्रम सरकार द्वारा केवल ऊपर से जनता पर लादे जाँएँ तो योजना की सफलता सदिग्ध ही जाती है। भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी. आर. गडगिल के अनुसार, "किसी योजना के निर्माण की अवस्था और संरक्षणा इसके क्रियान्वयन में जितना अधिक प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होगा उतना ही अधिक अच्छा हमारा नियोजन होगा।" प्रतः योजना के निर्माण और क्रियान्वयन में अपनाई गई प्रणालियों का भी बहुत महत्त्व है।

भारत में योजना-निर्माण की प्रक्रिया (Planning Formulation-Process in India)

भारत में योजना-निर्माण का कार्य 'भारतीय योजना आयोग' द्वारा किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय योजना में एक और केन्द्र और राज्य सरकारों की योजनाएँ तथा दूसरी और निजी-क्षेत्र की योजनाएँ सम्मिलित होती हैं। भारत में योजना स्वीकार किए जाने से पूर्व निम्नलिखित अवस्थाओं में होकर गुजरती है—

सामान्य दिशा-निर्देश (General Approach)—प्रथम अवस्था में योजना-निर्माण हेतु सामान्य दिशा निर्देश पर विचार किया जाता है। योजना प्रारम्भ

होने के लगभग तीन वर्ष पूर्व से ही योजना आयोग अर्थव्यवस्था की तत्कालीन स्थिति का अध्ययन-विश्लेषण करता है और अवरोध उपस्थित करने वाले आर्थिक, सामाजिक तथा साम्यागत कारणों को दूर करने हेतु सुझाव देता है। यह सुझाव केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल और राष्ट्रीय विकास परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं। ये सत्थाएँ इन सुझावों पर विचार करने योजना आयोग को विकास-दर, मुद्रण नीतियाँ तथा किन उद्देश्यों तथा पहलुओं को अधिक महत्त्व दिया जाए, इस बारे में प्राथमिक निर्देश देती हैं। उक्त बातों पर विचार करते समय नियोजन की दीर्घकालीन आवश्यकताओं पर भी ध्यान रखा जाता है।

विभिन्न अध्ययन और ड्राफ्ट मेमोरेण्डम का निर्माण—योजना निर्माण की द्वितीय अवस्था में विभिन्न प्रकार के अध्ययनों का आयोजन किया जाता है। यह अध्ययन ही योजना के लिए ड्राफ्ट मेमोरेण्डम (Draft Memorandum) का आधार बगते हैं। इन अध्ययनों के लिए अनेक कार्यशील दलों (Working Group) को संगठित किया जाता है। इन कार्यशील दलों में योजना आयोग और केन्द्रीय मन्त्रालय से तकनीकी सलाहकारों और प्रणामक विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक दल को अर्थव्यवस्था के किसी विशेष क्षेत्र के अध्ययन का कार्य सौंपा जाता है। तृतीय योजना में वित्तीय सहायता, कृषि, सिंचाई, शक्ति, टैपन, इस्पात, सामान्य-शिक्षा, तकनीकी-शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसन्धान, स्वास्थ्य और परिवार-नियोजन, आवास, ग्रामीण-नियोजन और विद्युत् जालियों के बन्धानुसार के अध्ययन के लिए ये कार्यशील दल नियुक्त किए गए। ये कार्यशील दल योजना आयोग के प्रस्तावों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं अथवा आवश्यकतानुसार उसमें परिवर्तन या संशोधन कर देते हैं और तदनुसार यह बताते हैं कि उनसे सम्बन्धित क्षेत्र के दीर्घकालीन लक्ष्य क्या हो सकते हैं। ये दल पञ्चवर्षीय योजना के लक्ष्य भी तैयार करते हैं। जिस प्रकार केन्द्र में ये कार्यशील-दल नियुक्त किये जाते हैं, उसी प्रकार राज्यों को भी अध्ययन के लिए ऐसे कार्यशील-दल नियुक्त करने की सलाह दी जाती है। साथ ही मन्त्रालयों, राज्य सरकारों, अनुसन्धान संस्थानों और औद्योगिक उपक्रमों द्वारा भी विभिन्न अध्ययन किए जाते हैं। केन्द्रीय कार्यशील-दलों से इन सब की सूचनाओं का लाभ उठाने की आशा की जाती है। कार्यशील-दलों द्वारा इन अध्ययनों के साथ ही योजना आयोग, योजना निर्माण में नीति और प्राणाली पर सलाह देने हेतु विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञ और कार्यकर्ताओं का पैनल (Panel) नियुक्त किया जाता है। तृतीय योजना निर्माण में योजना आयोग ने अर्थशास्त्रियों, वैज्ञानिकों तथा कृषि, भूमि-सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और सामाजिक-सन्ध्याण सम्बन्धी पैनलों की सेवाओं का उपयोग किया था। इसके अनिश्चित इन अवस्था में योजना-निर्माण में 'राष्ट्रीय नियोजन परिषद्' (National Planning Council) भी सहायता करती है जिनकी स्थापना मार्च, 1965 में की गई थी। यह वैज्ञानिक, इंजीनियरों, तकनीकियों, अर्थ-शास्त्रियों से युक्त एक छोटी सभा है, जिन्हें प्रशासकीय आधार पर नियुक्त किया जाता है।

योजना-आयोग इन सभी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों सम्बन्धी कार्यक्रमों के आधार पर 'सक्षिप्त ड्राफ्ट मेमोरेण्डम' (Draft Memorandum) तैयार करता है। इस मेमोरेण्डम में योजना के प्रकार, नीति, सम्बन्धी मुख्य विषय, अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की अपेक्षा योजना के प्रयत्नों में कम पड़ने वाले सम्भावित क्षेत्रों आदि को भी प्रस्तुत किया जाता है। ड्राफ्ट मेमोरेण्डम में निजी-क्षेत्र के कार्यक्रमों का अधिक ब्योरा नहीं रहता है। योजना-आयोग द्वारा यह ड्राफ्ट मेमोरेण्डम केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है, तत्पश्चात् यह 'राष्ट्रीय विकास परिषद्' (National Development Council) में प्रस्तुत किया जाता है।

ड्राफ्ट प्रारूप का निर्माण—इस अवस्था का सम्बन्ध ड्राफ्ट आउट-लाइन (Draft Outline) के निर्माण से है। राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों तथा परिवर्तनों आदि के आधार पर योजना की ड्राफ्ट आउट-लाइन तैयार की जाती है। ड्राफ्ट मेमोरेण्डम की अपेक्षा यह अधिक व्यापक और बड़ा दस्तावेज (Memorandum) होता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों (Sectors) के लिए विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं का ब्योरा तथा मुख्य नीति-सम्बन्धी विषय, उद्देश्य और उनकी प्राप्ति के तरीके दिए होते हैं। इस दस्तावेज को विभिन्न मन्त्रालयों और राज्य सरकारों के पास समीक्षाएँ भेजा जाता है। इस पर केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में भी विचार किया जाता है। इनके पश्चात् राष्ट्रीय विकास परिषद् इस पर विचार करती है, जिसकी सहमति के पश्चात् योजना की इस ड्राफ्ट आउट-लाइन का जनता एवं विभिन्न संस्थाओं, विश्वविद्यालयों द्वारा विचार-विमर्श एवं समालोचना के लिए प्रकाशित किया जाता है और जनता के सुझाव और विचार आमन्त्रित किए जाते हैं। राज्यों में राज्य-स्तर पर और जिला-स्तर पर तथा राष्ट्रीय-स्तर पर समद के दोनों सदनों द्वारा विचार किया जाता है। समद में पहले इस पर कुछ दिनों तक सामान्य विचार-विमर्श चलता है उसके पश्चात् कई मसदीय समितियों द्वारा अधिक विचारपूर्वक विचार किया जाता है।

राज्य-सरकारों से विचार-विमर्श—इस बीच जबकि योजना के इस प्रारूप पर देश भर में विचार होना रहता है, योजना आयोग विभिन्न राज्यों से उनकी योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत बातलाप करता है। बातों के मुख्य विषय उनके विकास की गतिशील योजनाएँ, वित्तीय समाधान और अतिरिक्त साधनों के जुटाने सम्बन्धी उपाय आदि होते हैं। योजना-आयोग और राज्य-सरकारों का यह परामर्श विनियोजन और राजनीतिज्ञ दोनों स्तरों पर चलता है। अन्तिम निर्णय राज्य के मुख्य मन्त्री के सलाह-मशविरों के पश्चात् ही लिए जाते हैं।

नया मेमोरेण्डम—इस अवस्था की मुख्य बात योजना-आयोग द्वारा योजना के सम्बन्ध में नया मेमोरेण्डम तैयार करना है, जो राज्य-सरकारों के साथ सविस्तार बातलाप, जनता और संगठित संस्थाओं द्वारा की गई समीक्षा तथा विभिन्न पैनल एवं कार्यशील-दलों द्वारा दिए गए विस्तृत सुझावों के आधार पर तैयार किया जाता

है। इस दस्तावेज में योजना की मुख्य विशेषताओं, नीति-सम्बन्धी निर्देश, जिन पर चल दिया जाता है तथा उन विषयों का वर्णन होता है जिन पर योजना के अन्तिम रूप में स्वीकार किए जाने के पूर्व विचार की आवश्यकता है। दस भेगोरेण्डम पर पुनः केन्द्रीय-मन्त्रिमण्डल और राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा विचार किया जाता है।

योजना को अन्तिम रूप दिया जाना—केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल और राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर योजना-आयोग योजना की अन्तिम रिपोर्ट तैयार करता है। यह अन्तिम रिपोर्ट बहुत व्यापक होती है और इसमें योजना के उद्देश्य, नीतियों, कार्यक्रम और परियोजनाओं का विस्तृत वर्णन होता है। यह अन्तिम योजना पुनः केन्द्रीय-मन्त्रिमण्डल और राष्ट्रीय विकास परिषद् के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, जिसकी सहमति के पश्चात् इसे संसद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। दोनों सदनों में कई दिनों के वाद विवाद के पश्चात् दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति मिल जाने के बाद इसे लागू कर दिया जाता है तथा राष्ट्र से इसके क्रियान्वयन और उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपील की जाती है।

योजना निर्माण—भारत में उपरोक्त प्रकार से ऊपर से केन्द्र द्वारा योजना बनाने के साथ-साथ समूहों की निचली इकाइयों की आवश्यकताओं, उनके द्वारा लक्ष्यों के मूल्यांकन तथा मुभावों के अनुसार सरकार इस योजना में परिवर्तन या संशोधन करती है। विभिन्न राज्यों, जिलों और विकास-खण्डों द्वारा योजना के प्रारूप में निर्धारित व्यापक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए योजनाएँ तैयार करने के लिए कहा जाता है। उनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करके अन्तिम योजना में समाश्रयण कर लिया जाता है। योजना आयोग, राज्यों, जिलों और पंचायत समितियों द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं, प्रस्तावों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं की आर्थिक और तकनीकी दृष्टियों से सावधानीपूर्वक जाँच करता है और उनका आधार पर योजना-निर्माण किया जाता है।

समय-समय पर पुनरावलोकन—योजना-निर्माण में काफी समय लगता है और इस बीच तथा योजना की पंचवर्षीय अवधि में भी परिस्थितियों में परिवर्तन हो सकता है। अतः योजना आयोग एक बार पंचवर्षीय योजना बना देने के पश्चात् भी देश और अर्थ-व्यवस्था में समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों पर निगरानी रखता है, तत्सम्बन्धी अध्ययन करता है और आवश्यकतानुसार योजना में परिवर्तन और संशोधन करता रहता है। इसके अतिरिक्त पंचवर्षीय योजना को वार्षिक योजनाओं में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष नवम्बर या दिसम्बर में योजना-आयोग और केन्द्रीय मन्त्रालयों तथा राज्य-सरकारों के बीच गत प्रगति की समीक्षा, संसाधनों की स्थिति, लक्ष्यों के समाश्रयण की तकनीकी सम्भावनाओं और आगामी वर्ष की योजना की आवश्यकताओं पर विचारार्थ परामर्श अवसर रहता है। केन्द्र और राज्य-सरकारों के बजट इन्हीं वार्षिक योजनाओं का ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष फरवरी में बनाए जाते हैं। ये वार्षिक योजनाएँ अथवा भारतीय नियोजन की प्रमुख विशेषता बन गई हैं।

भारत में योजना-निर्माण की तकनीक (Techniques of Plan-formulation in India)

भारत में योजना आयोग द्वारा मध्यम और दीर्घकालीन योजनाओं के निर्माण में निम्नलिखित तकनीकों का प्रयोग किया जाता है—

1. अर्थ-व्यवस्था की स्थिति का सांख्यिकीय विश्लेषण—पर्याप्त और विद्यमान शक्ति के अभाव में कोई नियोजन सफल नहीं हो सकता। सांख्यिकी आधारशिला पर ही नियोजन के प्रासाद का निर्माण होता है। अतः भारत में पंचवर्षीय योजना के निर्माण में सर्वप्रथम अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का सांख्यिकी विश्लेषण किया जाता है। अंकड़ों के आधार पर भूतकालीन प्रवृत्तियों और प्रगति की समीक्षा की जाती है और मुख्य आर्थिक समस्याओं का अनुमान लगाया जाता है। इन सबके लिए देश की अर्थ-व्यवस्था के समस्त क्षेत्रों के बारे में सांख्यिकी एकत्रित किए जाते हैं। यह कार्य भारत में कई सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है और योजना-निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। भारत में सांख्यिकी सम्बन्धी स्थिति सुधारने हेतु विगत वर्षों में बहुत प्रयत्न किए गए हैं। 'केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन' (Central Statistical Organisation) सन् 1948-49 से राष्ट्रीय आय के अंकड़े तैयार करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया और केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अर्थ-व्यवस्था में बचत और विनियोग के अनुमान तैयार किए जाते हैं। रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापक मौद्रिक और वित्तीय सांख्यिकी एकत्रित किए जाते हैं। कृषि और औद्योगिक सांख्यिकी सूचनाओं के सुधार के लिए भी विगत वर्षों में अच्छे प्रयास किए गए हैं। योजना आयोग की 'अनुसन्धान कार्यक्रम समिति' द्वारा भी विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में अध्ययन अनुसन्धान किए जाते हैं तथा यह विकास से सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धानों के लिए विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थाओं को अनुदान भी देती है। योजना आयोग के 'कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन' (Programme Evaluation Organisation) द्वारा भी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अनेक विशिष्ट संस्थाएँ जैसे— 'केन्द्रीय जल और शक्ति आयोग' (Central Water and Power Commission), 'जियोलाॅजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया' (Geological Survey of India), 'ब्यूरो ऑफ माइन्स' (Bureau of Mines), जनगणना विभाग, आइल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन (Oil and Natural Gas Commission), प्राकृतिक साधनों सम्बन्धी समिति (Committee on Natural Resources) आदि ने सम्बन्धित साधनों एवं समस्याओं के बारे में विस्तृत अध्ययन किए हैं और करती रहती हैं। इसके प्रतिरिक्त प्रत्येक मन्त्रालय में सांख्यिकी-कक्ष होते हैं जो अपने विषय पर सभी प्रकार की सूचनाएँ एकत्रित करते हैं। योजना-आयोग इन सभी स्रोतों द्वारा सांख्यिकी सूचनाओं और अध्ययनों के आधार पर अर्थ-व्यवस्था की स्थिति का विश्लेषण करता है और योजना-निर्माण प्रक्रिया में शक्ति बढ़ती है।

2. आर्थिक विकास की सम्भावनाओं का अनुमान लगाना—उपरोक्त अध्ययन

के आधार पर देश की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है। इस पर विचार किया जाता है कि विकास की बाँछनीय दर क्या होनी चाहिए। साथ ही नियोजन की प्रमुख प्राथमिकताएँ तथा नीतियों के बारे में निश्चय किया जाता है। उदाहरणार्थ जनसंख्या और उसकी आयु-संरचना सम्बन्धी भावी अनुमान योजना के दौरान साक्षात्, वस्त्र, निवास आदि की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने में महत्वपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार विकास की बाँछनीय दर के आधार पर योजनाबाधि में बचत और विनियोग की आवश्यकताओं पर निर्णय लिया जाता है। तत्पश्चात् योजना-निर्माण सम्बन्धी इन आवश्यकताओं की योजनाबाधि में उपलब्ध होने वाले वित्तीय साधनों के सन्दर्भ में छानबीन की जाती है। इस प्रकार, वित्तीय साधनों का अनुमान लगाया जाता है। निजी-क्षेत्र के वित्तीय साधनों का अनुमान रिजर्व बैंक के द्वारा और सार्वजनिक क्षेत्र के साधनों का अनुमान योजना-भाग और वित्त-मन्त्रालय द्वारा लगाया जाता है। साथ ही इस बात की सम्भावना पर भी विचार किया जाता है कि योजनाबाधि में केन्द्र और राज्य-सरकारें अतिरिक्त करारोपण द्वारा किन्ती राशि जुटा सकेंगी। भारत जैसे अर्द्ध-विकासित देश में, जहाँ जन-साधारण का जीवन-स्तर बहुत नीचा है, मनमाने ढंग से कर नहीं लगाए जा सकते, अतः इस बात पर सावधानीपूर्वक विचार करना होता है। योजना आयोग विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं और सम्भावित विदेशी सहायता के बारे में भी अनुमान लगाता है। सार्वजनिक उपक्रमों के लाभों से नियोजन की किन्ती वित्त व्यवस्था हो सकेगी तथा किन सीमा तक हीनार्य-प्रबन्धन (Deficit Financing) का लाभपूर्वक आश्रय लिया जा सकता है। हीनार्य-प्रबन्धन को कम से कम रखने का प्रयत्न किया जाना है अथवा मुद्रा प्रसारिक मूल्य-वृद्धि हानि से योजना-निर्माण के प्रयत्न विफल हो जाते हैं। इस प्रकार पहले विनियोग की आवश्यकताओं और उसके पश्चात् वित्तीय साधनों का अनुमान लगाया जाता है। तत्पश्चात् योजना आयोग किसी एक को दृमरे से या दोनों में सन्तुष्ट करके समायोजन करता है। साथ ही, योजना आयोग विभिन्न प्रकार से इस बात की जाँच करता है कि तैयार की जाने वाली योजना में कहीं असंगति तो नहीं है। उदाहरणार्थ, यह देखा जा सकता है कि प्रस्तावित विनियोग उपलब्ध बचतों के अनुरूप है या नहीं, विदेशी विनियोग की आवश्यकता के अनुरूप इसकी उपलब्धि हो सकेगी या नहीं, आधारभूत कच्चे माल की आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन क्षमता क्या है, इस प्रकार, योजना आयोग विभिन्न कारणों की संगति की जाँच करता है ताकि अर्थ-व्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न नहीं होने पाए।

3 आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों का निर्धारण—योजना-निर्माण के लिए प्रमुख आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों के निर्धारण का कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, अतः भारत में योजना निर्माता इन उद्देश्यों के निर्धारण पर भी बहुत ध्यान देते हैं। इन उद्देश्यों के निर्धारण में उपलब्ध समय तथा भौतिक और वित्तीय दोनों प्रकार के साधनों के सन्दर्भ में विचार किया जाता है, विभिन्न उद्देश्यों में परस्पर विरोध होता है उनमें समायोजन किया जाता है। उदाहरणार्थ, अल्पकालीन और

दीर्घकालीन उद्देश्यों तथा कई आर्थिक तथा गैर-आर्थिक उद्देश्य परस्पर विरोधी होते हैं। आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण, ये दो उद्देश्य भी परस्पर विरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। आर्थिक विकास पर अधिक महत्व देने से सामाजिक कल्याण की बचत हो सकती है और सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम अधिक प्रारम्भ करने पर आर्थिक विकास की गति धीमी भी हो सकती है। अतः योजना-निर्माण इन उद्देश्यों में सामंजस्य और समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं।

4. विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य-निर्धारण—इसके पश्चात् विभिन्न क्षेत्रों जैसे—कृषि, उद्योग, विद्युत्, सिंचाई, यातायात, समाज-सेवाओं आदि के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है और यह कार्यशील दलों (Working Groups) द्वारा किया जाता है। इन कार्यशील दलों के सदस्य, विभिन्न मन्त्रालयों और अन्य संगठनों से लिए गए विशेषज्ञ होते हैं। लक्ष्य-निर्धारण करते समय यह कार्यशील दल योजना आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों और पथ प्रदर्शन के अधीन कार्य करते हैं तथा जनमत पर भी ध्यान देते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य-निर्धारण के इस कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् योजना आयोग समस्त अर्थ-व्यवस्था के दृष्टिकोण से इन लक्ष्यों की जाँच करता है और देखता है कि विभिन्न लक्ष्यों में परस्पर असंगति (Inconsistency) तो नहीं है। योजना के लक्ष्यों के निर्धारण की विधि का वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है।

योजना को अन्तिम रूप दिया जाता—अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे—कृषि, उद्योग, विद्युत्, सिंचाई, यातायात, समाज-सेवाओं आदि में विभिन्न-विभिन्न लक्ष्यों के निर्धारण के पश्चात् इन सबको मिलाया जाता है और मूल अनुमानों से तुलना की जाती है। इस अवस्था में उपलब्ध होने वाले पुंजीगत साधनों और विदेशी मुद्रा के सन्दर्भ में इन लक्ष्यों पर विचार किया जाता है तथा साधनों को और अधिक गतिशील बनाने या लक्ष्यों को घटाने-बढ़ाने की गुंजाइश पर विचार किया जाता है। भाष ही, योजना के रोजगार-सम्बन्धी प्रभावों तथा बुनियादी भौतिक पदार्थों, जैसे—लोहा, इस्पात, सीमेंट आदि की आवश्यकताओं पर आवश्यकतापूर्वक विचार किया जाता है। इन सबके प्राधार पर सरकार और योजना आयोग द्वारा योजना की नीति, आकार, क्षेत्र, विनियमों के आवंटन, प्राथमिकताओं के निर्धारण आदि के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाते हैं और योजना को अन्तिम रूप दिया जाता है, जिसे क्रमशः केन्द्रीय-मन्त्रिमण्डल, राष्ट्रीय विकास परिषद् और समूह द्वारा स्वीकृति दिए जाने पर लागू किया जाता है।

चतुर्थ योजना निर्माण तकनीक—चतुर्थ योजना के निर्माण में अपनाई गई तकनीक के अन्वयण से भारतीय नियोजन निर्माण की तकनीक स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है। चतुर्थ योजना पर प्रारम्भिक विचार योजना आयोग के दीर्घकालीन नियोजन संभाग (Perspective Planning Division, P.P.D.) में सन् 1962 में शुरू हुआ। योजना-निर्माण के समय एक महत्वपूर्ण निर्णय इस सम्बन्ध में लेना होता है कि राष्ट्रीय आय का कितना भाग बचाया जाए और कितने का वित्तियोजन

किया जाए ? वचन-दर अधिक बढ़ाने पर जनता को उपभोग करना पड़ता है इस प्रकार, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः इस सम्बन्ध में बहुत सोच-विचार की आवश्यकता होती है। दीर्घकालीन नियोजन सभाग ने योजना-निर्माण की प्रारम्भिक अवस्था में, मुख्य रूप से इसी समस्या पर विचार-विमर्श किया कि योजना में विनियोजन-दर क्या हो ? विनियोजन-दर के निर्धारण हेतु जनता के लिए उपभोग-स्तर का निर्धारण भी आवश्यक है। योजना आयोग के दीर्घकालीन नियोजन सभाग (P P D) ने इस बात का निर्णय किया कि जनसंख्या को न्यूनतम जीवन-स्तर उपलब्ध कराने के लिए सन् 1960-61 के मूल्य-स्तर पर 35 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह आवश्यक होंगे। अतः यह निर्णय लिया गया कि नियोजन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य जनता के जीवन-स्तर को उक्त 35 रुपये के स्तर तक ऊँचा करना है। किन्तु यदि इस उद्देश्य को सन् 1975 तक प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय-आय में 40% या वर्ष 1961-75 में 10% से 20% वार्षिक वृद्धि आवश्यक थी। किन्तु ये लक्ष्य अत्यन्त महत्वाकांक्षी थे। अतः न्यूनतम 35 रुपये के जीवन-स्तर प्रदान करने का लक्ष्य छोड़ना पड़ा। इसके पश्चात् प्रमुख अर्थ शास्त्रियों और राजनीतिज्ञों का एक अन्य अध्ययन दल नियुक्त किया गया, जिसने 5 व्यक्तियों के परिवार के लिए 100 रुपये अर्थात् 20 रुपये प्रति व्यक्ति के न्यूनतम जीवन-स्तर का प्रबन्ध किए जाने की सिफारिश तथा यह लक्ष्य सन् 1975-76 तक अर्थात् सन् 1965-66 से 10 वर्षों में प्राप्त करने थे। इस आधार पर दीर्घकालीन नियोजन सभाग ने चतुर्थ और पाँचवी योजना में राष्ट्रीय आय में 7.5 या 7.7% वृद्धि के लक्ष्य का सुझाव दिया। समग्र राष्ट्रीय आय सम्बन्धी निर्णय लेने के पश्चात् दूसरा कार्य अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में तत्सम्बन्धी निणय लेना और उत्पादन वृद्धि के लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु आवश्यक विनियोगों का विस्तृत अनुमान लगाना था। इसके पश्चात् दीर्घकालीन नियोजन सभाग ने अलग-अलग सूक्ष्म योजनाओं (Micro Plans) को समस्त अर्थ-व्यवस्था के लिए एक पूरासगत योजना में समावेशित करने का कार्य किया। इसके लिए निम्नलिखित तकनीक अपनाई गई—

- (i) सूक्ष्म या व्यष्टि स्तर (Micro-Level) पर सभी प्रकार के भारी अनुमान लगाना,
- (ii) सूक्ष्म या व्यष्टि स्तर पर बड़ी मात्रा में भौतिक मतुलनों का प्रयाम करना।

प्रथम तकनीक के अन्तर्गत कुल घरेलू उत्पादन और व्यय तथा इसमें प्रमुख भागों के सम्बन्ध में गणनाएँ की गईं। चतुर्थ और पाँचवी योजना में विदेशी-सहायता, शुद्ध विनियोग दर, सार्वजनिक उपभोग स्तर और व्यक्तिगत उपभोग के अनुमान लगाए गए। इसके पश्चात् 'समय-समय पर कुल घरेलू माँग की वृहत् वस्तु सरचना' (Broad Commodity Pattern of the Gross Domestic Demand at Various Points of Time) की जात करने के लिए कदम उठाया गया। दीर्घकालीन नियोजन सभाग ने विभिन्न व्यक्तिगत पदार्थों के लिए वस्तुओं की जात किया।

योजना आयोग (Planning Commission)

भारत में योजना-निर्माण सम्बन्धी उत्तरदायित्व योजना आयोग का है, जिसकी स्थापना मार्च, 1950 में की गई थी। योजना आयोग ही हमारे नियोजन तन्त्र का महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय संविधान में योजना आयोग की नियुक्ति की कोई व्यवस्था नहीं है, अतः इसकी स्थापना भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी।

आयोग के प्रमुख कार्य—योजना आयोग की स्थापना के समय ही आयोग के प्रमुख कार्यों का स्पष्ट नक्शा दिया गया था। तदनुसार आयोग के मुख्य कार्य मध्ये में निम्नलिखित हैं—

1 प्रथम महत्वपूर्ण कार्य देश के साधनों का अनुमान लगाना है। योजना आयोग देश के भौतिक, पूँजी-सम्बन्धी और मानवीय साधन का अनुमान लगाता है। वह ऐसे साधनों की वदोत्तरी की सम्भावना का पता लगाता है, जिनका देश में अभाव होता है। साधनों का अनुमान और उनमें अभिवृद्धि का प्रयत्न अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि इसके अभाव में कोई भी नियोजन अयम्भव है।

2 योजना आयोग का दूसरा कार्य है योजना-निर्माण। योजना आयोग देश के साधनों के सर्वाधिक प्रभावशाली और सन्तुलित उपयोग के लिए योजना-निर्माण करता है।

3 योजना आयोग का तीसरा कार्य है—योजना से पूरा किए जाने की अवस्थाओं को परिभाषित करना तथा योजना की प्राथमिकताओं का निर्धारण करना।

4 इसके पश्चात् योजना आयोग इनके आधार पर देश के साधनों का समुचित आवंटन करता है।

5 योजना आयोग का पाँचवाँ कार्य है, योजना-तन्त्र का निर्धारण। आयोग योजना की प्रत्येक अवस्था के सभी पहलुओं में सफल क्रियान्विति के लिए योजना-तन्त्र की प्रकृति को निर्धारित करता है।

6 योजना आयोग समय-समय पर योजना की प्रत्येक अवस्था के त्रिआन्वयन में की गई प्रगति का मूल्यांकन करता है। इस मूल्यांकन के आधार पर वह नीतियाँ और प्रयत्नों में परिवर्तन या समापोजन की सिफारिश करता है।

7 योजना आयोग का सातवाँ कार्य सुभाव और दिशा निर्देश सम्बन्धी है। योजना आयोग आर्थिक विकास की गति अवरुद्ध करने वाले घटकों को बताता है और योजना की सफलता के लिए आवश्यक स्थितियों का निर्धारण करता है। योजना निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु आर्थिक परिस्थितियों, नीतियों, विकास-कार्यक्रमों आदि पर योजना आयोग सरकार को सुझाव देता है। यदि राज्य या केन्द्रीय सरकार किसी समस्या विशेष पर सुझाव माँगे तो आयोग उस समस्या विशेष के समाधान के लिए भी अपने सुझाव देता है।

अपने कार्य के मकल-सम्पादन की दृष्टि से योजना आयोग को कुछ अन्य कार्य भी सौंपे गए हैं, जैसे—

(i) सामग्री, पूँजी और मानवीय साधन का मूल्यांकन, सरक्षण तथा उनमें वृद्धि की सम्भावनाओं आदि को ज्ञात करना। इन सम्बन्ध में योजना आयोग का कर्तव्य है कि वह वित्तीय-साधनों, मूल्य-स्तर, उपभोग प्रतिमात्र आदि का निरन्तर अध्ययन करता रहे।

(ii) साधनों के मनुलित प्रयोग की दिशा में योजना आयोग को इस प्रकार की विधि अपनानी चाहिए जिससे एक ओर तो विकास की अधिकतम दर प्राप्त की जा सके तथा दूसरी ओर सामाजिक न्याय की स्थापना भी हो सके।

(iii) योजना आयोग, योजनाओं की सफलता के लिए, सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन करता रहे।

(iv) योजना आयोग आर्थिक एवं अन्य नीतियों का सामयिक मूल्यांकन करे और यदि नीतियों में किन्हीं परिवर्तनों की आवश्यकता हो तो इनके लिए मन्त्रिमण्डल को सिफारिश करे।

(v) नियोजन की तकनीक का आव्यक्त अध्ययन करते हुए उसमें सुधार का प्रयत्न करे।

(vi) योजना के सफल नियन्त्रण के लिए जन-सहयोग प्राप्त करे ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपना दायित्व महसूस करते हुए योजना के कार्यों में भागीदार बन सके।

संगठन—योजना आयोग की रचना करते समय यह उद्देश्य रखा गया था कि आयोग और मन्त्रि-परिषद् में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध हो। यही कारण है कि आरम्भ से ही आयोग में अन्य सदस्यों के अतिरिक्त मन्त्रि-परिषद् के केबिनेट स्तर के कुछ मन्त्रियों का सदस्यता प्रदान की गई। प्रधान मंत्री आयोग का अध्यक्ष होता है। सितम्बर, 1967 में पुनर्गठन के बाद से प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य पूर्णकालीन (Whole time) रहें हैं और वे सरकार के मंत्री नहीं होते। यद्यपि योजना आयोग के सभी सदस्य एक निकाय (Body) के रूप में कार्य करते हैं तथापि मुविद्या की दृष्टि से प्रत्येक सदस्य को एक या अधिक विषयों का उत्तरदायित्व सौंप दिया जाता है। वित्त मंत्री योजना आयोग के आर्थिक सम्भाग (Economic Division) से निकटतम सम्पर्क रखता है।

यह प्रश्न विवादोत्पन्न है कि मन्त्रियों को योजना आयोग का सदस्य बनाना कहीं तक उचित है। कुछ का मत है कि योजना आयोग का पूर्णतः स्वतन्त्र संगठन होना चाहिए। योजना आयोग का प्रमुख कार्य देश की आर्थिक समस्याओं पर सरकार को परामर्श देना है, अतः यह उचित है कि इसका सदस्य उन्हीं को बनाया जाए जो क्षमति प्राप्त हों। साथ ही सदस्यों को स्वतन्त्र किन्तु संयुक्त रूप से कार्य करने का अधिकार दिया जाए। प्रधान मंत्री व अन्य मन्त्रियों को आयोग का सदस्य बनाना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें आयोग की स्वतन्त्रता कम होती है।¹ लेकिन

1. Also see : Estimate Committee, 1957-59, Twenty First Report (Second Lok Sabha), Planning Commission, p. 21.

इस प्रकार का मत बज्रन नहीं रखता है। वास्तव में मन्त्री जनता के निकट सम्पर्क में रहते हैं और जनता की मन्त्र की अधिक अच्छी तरह पहिचानते हैं, अतः जनता के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं और योजना-मशीनरी से उनका निकट-सम्पर्क होगा चाहिए। वैसे भी अधिक प्रभावशाली मत यही रहा है कि मन्त्रियों का आयोग के साथ निकटतम सम्पर्क होना चाहिए ताकि मन्त्रिमण्डल और आयोग के मध्य ताल-मेल बना रहे। इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए अन्तिम उत्तरदायित्व मन्त्रिमण्डल पर ही होता है। प्रशासन ही वह मन्त्र है, जो योजना को सफल बनाने और क्रियान्वयन की दिशा में सर्वोपरि भूमिका निभाता है। अतः नियोजन आयोग में मन्त्रियों को सदस्यता देना वांछित है। पी टी कृष्णमाचारी के मतानुसार योजना का क्रियान्वयन उरी स्थिति में अच्छा हो सकता है, जब मन्त्रिमण्डल के सदस्य भी आयोग के विचार-दिवेचन और निर्णयों में भाग लें।

प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों और योजना आयोग का पुनर्गठन—
सितम्बर, 1967 में योजना-आयोग का पुनर्गठन किया गया। योजना-आयोग का यह पुनर्गठन प्रशासनिक सुधार आयोग (Administrative Reforms Commission) की सिफारिशों के आधार पर किया गया था, जो निम्नलिखित थी—

(1) आयोग के उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्य केन्द्रीय मन्त्रियों में से नहीं लिए जाने चाहिए।

(ii) योजना आयोग केवल विशेषज्ञों की ही संस्था नहीं होनी चाहिए और इसके सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान और अनुभव होना चाहिए।

(iii) राष्ट्रीय नियोजन परिषद् योजनाओं के निर्माण में बुनियादी निर्देश देती रहे। उसकी और उसके द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियों की नियमित रूप से अधिक बैठकों की जानी चाहिए।

(iv) योजना आयोग को सलाहकार समितियों की नियुक्ति में मितव्ययिता करनी चाहिए और उनकी स्थापना सोच विचार करके की जानी चाहिए। नियुक्ति के समय ही समितियों के कार्यक्षेत्र और कार्य-संचालन विधि निर्धारित कर दी जानी चाहिए। योजना आयोग को अपने कार्य के लिए केन्द्रीय मन्त्रालयों में कार्य कर रही सलाहकार समितियों का अधिकाधिक सहयोग लेना चाहिए।

(v) लोकसभा की सार्वजनिक उपक्रम समिति के समान लोकसभा के सदस्यों की एक अन्य समिति बनाई जानी चाहिए जो योजना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन तथा योजनाओं के मूल्यांकन से सम्बन्धित प्रतिवेदनों पर विचार करे।

(vi) आयोग के लिए सलाहकार विषय-विशेषज्ञ एवं विश्लेषणकर्ता इस प्रकार के तीन पूर्ण स्तरीय होने चाहिए।

(vii) विकास से सम्बन्धित विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण देने हेतु विल्ला में एक प्रशिक्षण-संस्थान स्थापित किया जाना चाहिए।

(viii) उद्योगों के लिए स्थापित विभिन्न विकास परिषदों के साथ एक योजना समूह चलाना रहना चाहिए, जो निजी-क्षेत्र के उद्योगों से योजना-निर्माण में परामर्श एवं सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।

(ix) एक स्टेन्डिंग कमेटी की स्थापना की जानी चाहिए जो केन्द्रीय सरकार के विभिन्न आर्थिक सलाहकार कक्षों में अधिक समन्वय और सम्पर्क का कार्य करे। इसके सदस्य भिन्न-भिन्न मन्त्रालयों तथा योजना आयोग के आर्थिक एवं सांख्यिकीय कक्षों के अध्यक्ष होने चाहिए।

(x) प्रत्येक राज्य में निम्न प्रकार के त्रि-स्तरीय नियोजन तन्त्र स्थापित किए जाने चाहिए—

(a) राज्य योजना परिषद्—यह विशेषज्ञों की सत्था होनी चाहिए। यह परिषद् राज्य में योजना आयोग के समान योजना सम्बन्धी कार्य करे, (b) विभागीय नियोजन सत्थाएँ—ये सम्बन्धित विभाग की भिन्न-भिन्न विकास परियोजनाओं में समन्वय स्थापित करने और उनके निव्यान्वयन की देखभाल करने का कार्य करे, (c) क्षेत्रीय तथा जिला-स्तरीय नियोजन सत्थाएँ—इसके लिए प्रत्येक जिले में एक पूर्णकालीन योजना और विकास अधिकारी तथा एक जिला-योजना समिति होनी चाहिए। समिति में पचायतों और नगरपालिकाओं के प्रतिनिधि एवं कुछ श्वानतायिक विशेषज्ञ भी होने चाहिए।

अप्रैल, 1973 में पुनर्गठन—योजना आयोग की रचना और कार्य-विभाजन में 1 अप्रैल, 1973 को पुनः परिवर्तन किया गया। तदनुसार आयोग के गठन की रूपरेखा इस प्रकार रही—

- (1) प्रधान मन्त्री, पदेन अध्यक्ष।
- (2) एक उपाध्यक्ष (योजना मन्त्री स्वर्गीय दुर्गाप्रसाद धर उस समय उपाध्यक्ष थे)।
- (3) उपाध्यक्ष के अतिरिक्त आयोग के 4 और सदस्य (जिनमें कोई भी मन्त्री शामिल नहीं था, यद्यपि वित्त मन्त्री आयोग की बैठकों में भाग ले सकता था। ये सभी सदस्य पूर्णकालिक थे)।

जुलाई, 1975 में आयोग का गठन—जुलाई, 1975 में आयोग का गठन इस प्रकार था—

1. श्रीमती इन्दिरा गान्धी	प्रधान मन्त्री तथा अध्यक्ष
2. पी. एन. हक्सर	उपाध्यक्ष
3. सी. सुब्रह्मण्यम	वित्त मन्त्री
4. इन्द्रनुमार गुजराल	योजना राज्य मन्त्री
5. एस. चक्रवर्ती	सदस्य
6. बी. शिवरामन	सदस्य

जनता सरकार द्वारा आयोग का पुनर्गठन, 1977—मार्च, 1977 में केन्द्र में कांग्रेस सरकार के पतन और जनता पार्टी सरकार के गठन के बाद देश की सांविधानिक और सांविधानातिरिक्त संस्थाओं को नई दिशा और नया स्वरूप देने की

जो परिवर्तन-प्रक्रिया शुरू हुई उसके फलस्वरूप योजना आयोग का पुनर्गठन किया गया है, उसे गया स्वरूप प्रदान किया गया है। तदनुसार आयोग का वर्तमान संगठनात्मक ढांचा इस प्रकार है—

श्री मोरारजी देसाई	प्रधान मंत्री तथा अध्यक्ष
डॉ जी टी लकड़वाला	उपाध्यक्ष
श्री एच एम पटेल	वित्त मंत्री (सदस्य)
श्री चरणसिंह	गृह मंत्री (सदस्य)
श्री जगजीवनराम	रक्षा मंत्री (सदस्य)
श्री बी जी राजाध्यक्ष	मुख्य परामर्शदाता
श्री राजकृष्ण	सदस्य

प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने कुछ दिन पूर्व कहा था कि अर्थ-व्यवस्था को गुदगुद करने के लिए इसे नहीं बिना देना जरूरी है। योजना आयोग के नए उपाध्यक्ष डॉ जी टी लकड़वाला और उनके सहयोगियों को यह उत्तरदायित्व निभाना होगा। डॉ लकड़वाला इन्वर्सिटी विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के निदेशक रहे हैं और उनकी गिनती देश के चोटी के अर्थशास्त्रियों में होती है जबकि उनके पूर्ववर्ती श्री पी एन हक्सर, मुख्यतया प्रशासक और राजनीतिज्ञ थे। आयोग के नए सदस्यों में श्री बी जी राजाध्यक्ष इस समय योजना आयोग के मुख्य उलाहकार हैं।

वित्त मंत्री के अतिरिक्त, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को पहली बार योजना आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। कुछ समय तक भूतपूर्व रक्षा मंत्री श्री बी के कृष्णमेनन भी योजना आयोग के सदस्य थे, लेकिन रक्षा मंत्री होने से अधिक अपने व्यक्तित्व के कारण। रक्षा मंत्री श्री जगजीवनराम को आयोग का सदस्य का स्पष्ट अर्थ, योजना को रक्षाउन्मुख बनाना नहीं, बल्कि दुर्बल वर्ग के हितों की योजनाओं में प्राथमिकता देना है। योजना के सम्बन्ध में गृह मंत्री श्री चरणसिंह के विचार इस प्रकार के रहे हैं कि योजना आयोग उद्योग और साथ ही कुटीर उद्योग, लघु उद्योग तथा भारी उद्योग के बीच आलोचित प्रतिस्पर्धा रोकने के लिए बानूनी सरभण हो। प्रधान मंत्री होने के नाते श्री मोरारजी देसाई योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। श्री देसाई का इस बात पर बल है कि जब तक हम योजना के बारे में अपना दृष्टिकोण और प्राथमिकताएँ तथा योजना को लागू करने के तरीके नहीं बदलते तब तक विकास की समस्या हल नहीं हो सकेगी। उनका कहना है कि देश के लगभग 70% छोटे किसानों की समस्याओं पर अधिक ध्यान देना होगा। जब तक हम गाँवों में रहने वाले 80% लोगों को अधिक महत्व देकर उनका शहरो में आना नहीं रोकते तब तक देश में व्याप्त असन्तुलित स्थिति ठीक नहीं हो सकेगी।

आयोग में कार्य विभाजन

प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझाव के अनुसार आयोग के कार्यों को तीन मुख्य भागों में बाँटा गया है—योजना-निर्माण कार्य, मूल्यांकन कार्य एवं प्रतिष्ठापन कार्य। भारत सरकार की 10 जून, 1977 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार योजना

आयोग के उपाध्यक्ष और तीन सदस्यों के कार्य-विभाजन का जो फंसला किया गया है वह इस प्रकार है—

योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. डी. टी. लकड़वाला निम्नलिखित कार्य देखेंगे—योजना समन्वय, सामान्य प्रशासन, जिलेय ससाधन, आर्थिक नीति, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास और भारत-जापान समिति, कार्यक्रम प्रशासन, शिक्षा, सामाजिक, आयोजन, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण, आवास, शहरी विकास, जलपूर्ति, योजना, सूचना और जन-सहयोग । योजना आयोग के सदस्य प्रोफेसर राजकृष्ण निम्नलिखित कार्य देखेंगे—सूचना प्रणाली, अक-सकलन और सर्वेक्षण, भावी आयोजन विभाग, सगणक केन्द्र और सामग्री कोष, रोजगार और श्रम, जनशक्ति आयोजन और औद्योगिक स्वीकृति इकाई । योजना आयोग के सदस्य श्री वी. जी. राजाध्यक्ष निम्नलिखित कार्य देखेंगे—अनुश्रवण (मानिटारिंग)परियोजना मूल्यांकन, उद्योग, खनिज और लघु उद्योग, बिजली और ऊर्जा परिवहन और संचार अनुसंधान तथा विकास । योजना आयोग के सदस्य श्री वी शिवरामन ये कार्य देखेंगे—कृषि, सिंचाई और ग्राम विकास दल, ग्रामोद्योग, योजना की कार्यान्विति बहुस्तरीय आयोजन तथा पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्र विकास ।

योजना आयोग के कार्यों के संचालन हेतु आन्तरिक सगठन की दृष्टि से विभिन्न विभाग हैं, जो चार भागों में विभाजित हैं—

1. समन्वय विभाग (Co-ordination Division)—इसके दो उप-विभाग हैं—योजना समन्वय विभाग (Plan Co-ordination Section) तथा कार्यक्रम प्रशासन विभाग (Programme Administrative Division) । जब आयोग की विभिन्न विभागों में सहयोग की आवश्यकता होती है, तो समन्वय विभाग अपनी भूमिका निभाता है । प्रशासन विभाग के कार्य वार्षिक और पंचवर्षीय योजनाओं में समन्वय, अधिकसित क्षेत्रों का पता लगाना, प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता के तरीकों तथा योजना को कुशल प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में परामर्श देना आदि है ।

2. साधारण विभाग (General Division)—योजना से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों के लिए अनेक साधारण विभाग हैं । प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष एक निदेशक होता है । मुख्य साधारण विभाग ये हैं—दीर्घकालीन योजना विभाग, आर्थिक विभाग, श्रम एवं रोजगार विभाग, प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग, सांख्यिकी तथा सर्वेक्षण विभाग, प्रबन्ध एवं प्रशासन विभाग ।

3. विषय विभाग (Subject Division)—आर्थिक गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विषय-विभाग 10 हैं जो अपने विषय से सम्बन्धित योजना के लिए कार्य और शोध करते हैं—कृषि विभाग, भूमि सुधार विभाग, सिंचाई और शक्ति विभाग, ग्राम और लघु उद्योग विभाग, समाज सेवा विभाग, ग्रह-विभाग, यातायात एवं संचार विभाग, उद्योग एवं खनिज पदार्थ विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग ।

4. विशिष्ट विकास कार्यक्रम विभाग (Special Development Programme Division)—कतिपय विशेष कार्यक्रमों के लिए 'विशेष विकास कार्यक्रम विभाग' बनाए गए हैं। ये दो हैं—ग्रामीण कार्य विभाग एवं जन-महकारिता विभाग। योजना आयोग से सम्बद्ध अन्य संस्थाएँ

1. राष्ट्रीय नियोजन परिषद् (National Planning Council)—इस संस्था की स्थापना सरकार द्वारा फरवरी, 1965 में योजना आयोग के सदस्यों की सहायता से की गई। जिसमें सावधानीपूर्वक चुने हुए सीमित संख्या में विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं। 'राष्ट्रीय नियोजन परिषद्' योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्य करता है।

2. कार्यशील दल (Working Groups)—योजना आयोग समय-समय पर 'कार्यशील समूह' नियुक्त करता है, जिनका कार्य अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए योजना-निर्माण में योजना आयोग और विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रालयों में सांगठनिक करना है। इन कार्यशील समूहों के सदस्य योजना आयोग और विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रालयों से लिए गए तकनीकी विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री और प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ उप-समूह (Sub-groups) भी नियुक्त किए जाते हैं।

भारत सरकार की 14 अक्टूबर, 1977 की प्रेत विज्ञप्ति के अनुसार योजना आयोग ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई प्रगति की समीक्षा करने में और अगली योजना में नीति सम्बन्धी मुख्य मुद्दों पर विचार करने तथा सन् 1978-83 के दौरान कृषि और सम्बन्धित क्षेत्रों के लक्ष्य निर्धारित करने की सलाह देने के लिए 21 कार्यकारी दलों का गठन किया है। प्रत्येक कार्यकारी दल में सम्बन्धित विभाग के प्रतिनिधि, योजना आयोग के कृषि और ग्रामीण विकास का एक अधिकारी और जहाँ आवश्यक है वहाँ परिप्रेक्ष्य आयोजना विभाग का एक प्रतिनिधि रखा गया है। कार्यकारी दलों को निर्देश था कि वे अपनी अन्तिम रिपोर्ट नवम्बर, 1977 के मध्य तक और अन्तिम रिपोर्ट जनवरी 1978 के मध्य तक दें। कृषि-क्षेत्र में कार्यकारी दलों से कहा गया है कि वे कमान क्षेत्रों के विकास, लघु सिंचाई योजनाओं, भूमि और जल संरक्षण और भूमि को कृषि योग्य बनाने, पशु उत्पादन, कृषि प्रबन्ध और शिक्षा, पशु पालन, डेयरी, मत्स्य पालन, वनारोपण और कृषि सांख्यिकी का अध्ययन करें। ग्रामीण विकास के लिए कार्यकारी दलों को निर्देश दिया गया है कि वे सम्बन्धित ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सहकारिता और ग्रामीण ऋण, विपणन और नियमित बाजारों की भूमिका तथा महसूल विकास जैसे विषयों का अध्ययन करें। इसके अलावा अन्य कार्यकारी दलों से कहा गया है कि वे बाजार विधायन भण्डारण, कृषि अनुसंधान और शिक्षा, बाढ़ नियन्त्रण तथा सिंचाई जैसे विषयों का अध्ययन करें।

3. परामर्शदात्री संस्थाएँ (Advisory Bodies)—इन्हें Panel or Consultative Bodies भी कहते हैं। ये स्थायी संस्थाएँ होती हैं जो सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों पर सुझाव देती हैं। इनके अतिरिक्त, संसद सदस्यों से परामर्श

लेने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए Consultative Committee of Members of Parliament for Planning Commission तथा Prime Minister's Informal Consultative Committee for Planning बनाई गई है।

4. एसोसिएटेड बॉडीज (Associated Bodies)—इनमें से प्रमुख केन्द्रीय मन्त्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया और केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (Central Statistical Organisation) है। रिजर्व बैंक के आर्थिक विभाग से योजना आयोग निकट-सम्पर्क रखता है तथा उसके द्वारा किए गए अध्ययन योजना आयोग के लिए उपयोगी होते हैं। रिजर्व बैंक के इस विभाग का संचालक योजना आयोग के लिए सर्व-शास्त्रियों के पैनल का सदस्य होता है। आयोग के लिए आवश्यक सांख्यिकी एवं वित्त करने का कार्य केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन करती है।

5. मूल्यांकन समितियाँ (Evaluation Committees)—योजनान्तर्गत प्रारम्भ की गई विभिन्न परियोजनाओं के कार्य-मन्त्रालय के मूल्यांकन हेतु 'मूल्यांकन समितियाँ' नामक विशिष्ट संस्थाओं का निर्माण किया गया है। Committee of Plan Projects इस प्रकार का उदाहरण है।

6. अनुसंधान संस्थाएँ (Research Institutions)—योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में 'अनुसंधान कार्यक्रम समिति' (Research Programme Committee) नामक विशिष्ट संस्था की स्थापना की है, जिसका अध्यक्ष आयोग का उपाध्यक्ष होता है। इसमें देश के स्वाति प्राप्त समाज वैज्ञानिकों को भी सदस्य नियुक्त किया जा रहा है। इसी प्रकार प्राकृतिक साधनों के संरक्षण, विकास और उचित विदोहन आदि के लिए प्राकृतिक ससाधन समिति (Committee of Natural Resources) स्थापित की गई। इनके प्रतिरिक्त, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् (Indian Council of Applied Economic Research), और आर्थिक विकास संस्थान (Institute of Economic Growth) आदि संस्था महत्वपूर्ण आर्थिक-सामाजिक अनुसंधान कार्य करती हैं जिसका उपयोग योजना आयोग करता रहता है।

7. राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council)—राष्ट्रीय विकास परिषद् योजना आयोग की सर्वोच्च नीति-निर्धारक संस्था है। यह योजना आयोग और विभिन्न राज्यों में समन्वय स्थापित करने का भी कार्य करती है इसके मुख्य कार्य हैं—

- (i) समय-समय पर राष्ट्रीय योजना के कार्य-संचालन का पर्यावलोकन करना।
- (ii) राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक नीति-सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना।
- (iii) राष्ट्रीय योजना में निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपाय सुझाना।

- (iv) जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना ।
- (v) प्रशासनिक सेवाओं की कुशलता में वृद्धि करना ।
- (vi) अल्प विकसित समाज के वर्गों और प्रदेशों के पूर्ण विकास के लिए प्रयत्न करना ।
- (vii) सभ्य नागरिकों के समान त्याग के द्वारा राष्ट्रीय विकास के लिए संसाधनों का निर्माण करना ।

योजना आयोग की तरह राष्ट्रीय विकास परिषद् के पीछे भी संविधानिक या कानूनी सत्ता नहीं होती, किन्तु इसकी सिफारिशों का केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा आदर किया जाता है। इस परिषद् में देश के प्रधान मंत्री और योजना आयोग के सदस्य होते हैं। पाँचवी पंचवर्षीय योजना के मूल प्रारूप पर विचार करने के लगभग तीन वर्ष बाद सितम्बर, 1976 में राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक हुई थी जिसमें योजना के संशोधक रूप को अन्तिम रूप से स्वीकार किया गया है। मार्च, 1977 के सत्ता परिवर्तन के बाद जनता सरकार ने एक नई राष्ट्रीय योजना आरम्भ करने का विचार किया और सन् 1978-83 की पंचवर्षीय योजना का प्रारूप योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद् के समक्ष 19 मार्च, 1978 को प्रस्तुत किया गया।

योजना का क्रियान्वयन (Implementation of the Plan)

भारत में योजना आयोग विशुद्ध रूप से परामर्शदात्री सत्ता है। इसका कार्य योजनाओं का निर्माण करना और उनका मूल्यांकन करना है। इसके पास कोई प्रशासनिक शक्ति नहीं है अतः योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकारों का है। योजना निर्माण के पश्चात् केन्द्रीय और राज्य सरकारें अपने विभिन्न मन्त्रालयों और उनके अधीन विभागों द्वारा योजना के लिए निर्धारित कार्यक्रमों और लक्ष्यों की प्राप्ति की कार्यवाही करती हैं। कृषि, सिंचाई, सहकारिता, विद्युत्, शिक्षा स्वास्थ्य आदि के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से राज्य सरकारें क्रियान्वित करती हैं क्योंकि ये राज्य-सूची में आते हैं। अन्य विषयों जैसे—वृहत्-उद्योग, रेलें, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रमुख बन्दरगाह, जहाजरानी, नागरिक उड्डयन, संचार आदि से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर होता है। भारत में क्रियान्वयन प्रक्रिया में 'परियोजनाओं' में से कुछ का केवल केन्द्रीय सरकार क्रियान्वित करती है, कुछ को राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है और कुछ को केन्द्रीय और राज्य सरकारें दोनों मिलकर करती हैं। उदाहरणार्थ, भारत में विशाल नदी घाटी योजनाओं में से कुछ का निर्माण और संचालन पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा, कुछ का केवल राज्य सरकारों द्वारा और कुछ केन्द्र और राज्य सरकारों ने तथा एक से अधिक राज्य सरकारों ने मिलकर किया है। निजी क्षेत्र की योजनाओं का क्रियान्वयन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है, यद्यपि सरकार इस कार्य में निजी-क्षेत्र को प्रावश्यक वित्तीय, तकनीकी तथा अन्य प्रकार की सहायता देती है।

सांख्यिक-क्षेत्र की योजनाओं का क्रियान्वयन सरकार द्वारा किया जाता है। कई अन्य देशों के समान भारत में भी योजनाकरण में विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होनी हैं। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण द्वारा जिला-स्तर पर जिला-परिषदें तथा खण्ड स्तर पर पंचायत समिति हैं, जो खण्ड-स्तर पर योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य करती हैं।

इस प्रकार भारत में योजना का क्रियान्वयन केन्द्रीय और राज्य-सरकारों के विभिन्न मन्त्रालयों और उनके अधीनस्थ विभागों द्वारा किया जाता है। योजना की सफलता इन विभागों के अधिकारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों की कुशलता, कर्तव्यपरायणता तथा ईमानदारी पर निर्भर करती है। योजनाओं की सफलता सामान्यतः जनता के सहयोग पर निर्भर करती है।

प्रगति की समीक्षा—योजना के क्रियान्वयन के लिए उनका निरन्तर निरीक्षण और प्रगति की समीक्षा आवश्यक है ताकि योजना की असफलताओं और उसके क्रियान्वयन के मार्ग में आने वाली बाधाओं का पता लगाया जा सके। भारत में योजना आयोग का योजना-निर्माण के अतिरिक्त एक प्रमुख कार्य "योजना की प्रत्येक अवस्था के क्रियान्वयन द्वारा प्राप्त प्रगति का समय-समय पर व्योरा रखना तथा उसके अनुसार नीति में समायोजन तथा अन्य उपायों के लिए सिफारिशें करना है।" अतः योजना आयोग समय-समय पर अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन और सफलता का पर्यवेक्षण करता है। जब वार्षिक योजना का निर्माण किया जाता है और उसे वार्षिक बजट में सम्मिलित किया जाता है तो आयोग केन्द्र और राज्य सरकारों से गत वर्ष की प्रगति के प्रतिवेदन मांगता है। इसके आधान पर योजना आयोग गत वर्ष की प्रगति-प्रतिवेदन तैयार करता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय-मन्त्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विकास-कार्यक्रमों के व्यक्तितगत सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्टें तैयार की जाती हैं। कार्यक्रम मूल्यांकन समूह तथा योजना की परियोजना समिति योजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करती है। इन अध्ययनों का उद्देश्य परियोजनाओं की विलम्ब पूर्ति अपर्याप्त सफलता, ऊँची लागतों आदि के कारणों की जाँच करना और इन्हें दूर करके उपाय बतलाना होता है। योजना आयोग योजना अवधि के मध्य में ही विभिन्न क्षेत्रों में योजना कार्यक्रमों की पूर्ति के सम्बन्ध में 'Mid Term' प्रतिवेदन भी प्रकाशित करती है जिसमें आगे की कार्यवाही की दिशाओं का भी संकेत होता है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के अन्त में योजना आयोग अवधि की समग्र समीक्षा, विकास सूचकांकी, लक्ष्यों, तथा आर्द्ध-वर्षीय लक्ष्यों और अर्थव्यवस्था के लिए सुझावों सहित प्रकाशित करता है। निजी-क्षेत्र में योजना की प्रगति की समीक्षा और मूल्यांकन के लिए औद्योगिक प्रयत्नों की आवश्यकता है।

भारतीय नियोजन की विशेषताएँ—भारतीय नियोजन की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं—

(1) भारतीय नियोजन जनतान्त्रिक नियोजन है।

- (ii) भारतीय नियोजन सोवियत रूस और चीन की तरह पूर्ण या व्यापक (Comprehensive) नियोजन नहीं है।
- (iii) भारतीय नियोजन का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना है।
- (iv) भारतीय नियोजन केन्द्रित और विकेन्द्रित दोनों प्रकार का है।

भारतीय योजना-निर्माण प्रक्रिया की समीक्षा

1 कई आलोचकों ने योजना आयोग की समानान्तर सरकार (Parallel Government), 'सुपर कैबिनेट' (Super Cabinet) और 'पाँचवाँ पहिया' (The Fifth Wheel of the Coach) कहा है। किन्तु इस प्रकार की आलोचनाएँ अतिरिक्त हैं। भारत में सम्पूर्ण आयोजन इस प्रकार का है कि राष्ट्रीय योजना भी कार्यान्वित होती है और राज्यिक योजनाएँ भी। इस प्रकार, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति भी होती है और प्रांतीय एवं स्थानीय हितों की भी। मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक बनें। यदि इस उद्देश्य की पूर्ति में केन्द्रीकरण को कुछ प्रोत्साहन मिलता है और केन्द्र और राज्य सम्बन्ध एकात्मकता के लक्षणों से प्रभावित होते हैं तो इसमें अशुभ कोई बात नहीं है। इसके अतिरिक्त योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था रहा है, इसके पास प्रशासनिक अधिकार नहीं हैं। योजना आयोग केन्द्र तथा राज्यों के विभिन्न स्तरों पर व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात् ही निर्णय पर पहुँचता है। इस प्रकार राज्य के सम्बन्ध में आयोजन-क्षेत्र में जो कुछ भी कहता है, उसमें राज्यों की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त होती है।

2 कुछ आलोचकों के अनुसार, योजना आयोग एक स्वतन्त्र और परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य नहीं कर पाता। मन्त्रियों को योजना आयोग का सदस्य नियुक्त किया जाता रहा है। इस प्रकार, यह संस्था राजनीति प्रेरित है और यह विशेषज्ञ संस्था नहीं है। योजना आयोग की इस परम्परा का भी प्रतिरोध किया जाता है कि जब कभी किसी मन्त्रान्तर से सम्बन्धित विषय पर आलोचकों का सुझाव है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् और मन्त्रिमण्डल को तो राष्ट्रीय योजना सम्बन्धी प्रमुख रेषाओं और विशिष्ट सौभाग्यों का ही निरूपण करना चाहिए। इसके पश्चात् योजना निर्माण और विस्तृत ध्यान देना, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों का निर्धारण करना, विभिन्न बकल्पिक उपायों से विकास की किसी विशिष्ट पद्धति का अपनाने आदि के काम पूर्णरूप से योजना आयोग पर छोड़ दिए जाने चाहिए, क्योंकि ये तकनीकी मामले हैं। योजना आयोग के सदस्य सुविख्यात तकनीकी विशेषज्ञ होने चाहिए।

मन्त्रियों की सदस्यता न होने सम्बन्धी आयोग का तर्क सैद्धांतिक रूप में अच्छा है और कुछ वर्षों पूर्व प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी सिफारिश की थी कि मन्त्रियों को आयोग का सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन व्यावहारिक स्थितियों का तर्का यह कि आयोग में मन्त्रिमण्डल को स्थान दिया जाए, क्योंकि

नीतियों और निर्यातों के नियन्त्रण का अन्तिम उत्तरदायित्व मन्त्रियों पर होता है। योजना की असफलता के लिए जनता प्रधान मन्त्री और योजना-मन्त्री को ही दोषी ठहराएगी, प्रायोग के विशेषज्ञों को नहीं। मन्त्रियों का जनता से निवृत्त सम्पर्क होता है, वे जनता की आकांक्षाओं से परिचित होते हैं अतः आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के विचारों को अपनी सलाह से अधिक व्यावहारिक और जनानुरूप बना सकते हैं। एक परामर्शदात्री संस्था में परामर्श के स्रोत जिनसे प्रभावशाली होंगे, निसंयुत उतने ही अच्छे हो सकेंगे। हाँ, इस प्रकार के रक्षा कवच अदृश्य होने चाहिए ताकि मन्त्रियों की उपस्थिति से आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों और स्वतन्त्र सदस्यों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका न रहे।

3. यह आलोचना की जाती है कि आयोग का आकार अनावश्यक रूप से काफी बड़ा हो गया है और इसके पदाधिकारियों, कर्मचारियों, विभिन्न समितियों और संस्थाओं में पर्याप्त मितव्ययिता किए जाने की गुंजाइश है। आयोग की कई विभागीय शाखाओं में कार्यों का स्पष्ट वर्गीकरण नहीं है और उनके कार्य एक दूसरे की परिधि में आ जाते हैं। अतः प्रत्येक विभाग में विवेकीकरण किया जाना चाहिए। सम्भागों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और साधारण सम्भागों की कम की जानी चाहिए।

4. अधिकांश राज्य सरकारों को गतिशील बनाने और उनके एकत्रीकरण के मामलों में राष्ट्रीय और दीर्घकालीन दृष्टिकोण से कार्य नहीं करते हैं। अनेक राज्य सरकारों में योजना के समन्वय सम्बन्धी प्राथमिक विचारों का भी अभाव है और योजना आयोग को दूध देने वाली गाय समझते हैं। उनमें से अधिकांश के लिए आयोग ऋण का अन्तिम नहीं प्रथम आश्रयदाता है। अब तक राज्य-सरकारें योजना आयोग से अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रही हैं और स्वयं ने कम प्रयास किए हैं।

यहूँ ऐसे अवसर भी होते हैं जबकि योजना आयोग को राज्यों के मुख्य-मन्त्रियों को, संसदों के आइटन को गतिशील बनाने के सम्बन्ध में अप्रमत्त करना पड़े और ऐसा तभी हो सकता है जबकि आयोग के तत्स्य गैर-राजनीतिक क्षेत्र से लिए गए हों। तृतीय योजना में कृषि पर कर द्वारा साधनों के एकत्रीकरण के बारे में एक भी बात नहीं कही गई, यद्यपि ऐसा करना नितान्त आवश्यक था। यह कहा जाता है कि आयोग ने ऐसा राजनीतिक कारणों से नहीं किया।

5. इसके अतिरिक्त पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में और भी कई कमियाँ हैं। कई आलोचकों के अनुसार सरकारी नीतियों और योजना के उद्देश्यों के बीच पर्याप्त अन्तर रहता है। सरकार द्वारा धरनाई गई नीतियाँ और किए गए उपाय योजना के सामाजिक ग्याप-क्षेत्र को और अधिक व्यापक बनाने की योजना के उद्देश्य के विपरीत पड़ती है। यह भूमि-सुधारों को क्रियान्वित करते, निजी-क्षेत्र में कारपोरेट उपक्रम के विकास और मुद्रा प्रसारिक प्रवृत्तियों के नियन्त्रण आदि से सम्बन्धित समस्याओं को हल करने के सरकारी विधियों के बारे

में अधिक सही है। राज्य-सरकारों ने बहुधा योजना के क्रियान्वयन में निर्धारित प्राथमिकताओं का अनुपालन नहीं किया। बहुधा विशिष्ट परियोजनाओं हेतु राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता का उपयोग निश्चित उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया। योजना के नियान्वयन से एक और कमी यह अनुभव की गई कि योजना व्यय को सम्पूर्ण योजनावधि में समान रूप से वितरित नहीं किया गया। बहुधा योजना के प्रथम दो तीन वर्षों में कार्य धीरे-धीरे चलता और अन्तिम वर्षों में निर्धारित व्यय शीघ्रता से पूरा किया जाता है। इससे सरकारों का ध्यान योजना के भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की अपेक्षा निर्धारित राशि को योजनावधि में व्यय करने पर अधिक केन्द्रित रहता है। परिणामस्वरूप, उतनी ही राशि व्यय करने पर भी अपेक्षाकृत कम लाभ रहता और प्रगति की दर कम रहती है। पंचवर्षीय योजनाओं को एक वर्षीय कार्यक्रमों में विभाजित करके क्रियान्वित करने के निश्चय के भी विशेष उपयोगी परिणाम सामने नहीं आए हैं।

6 भारतीय नियोजन में अब तक भी प्राथमिकताओं के मूल्यांकन के लिए कोई करोटी उदाहरणार्थ लागत-लाभ विश्लेषण (Cost benefit Analysis) आदि का व्यवहार अभी तक नहीं किया गया है। यह आवश्यक है कि इन प्रकार के मापदण्ड का उपयोग किया जाए, अन्यथा प्रत्येक विशेषज्ञ अपने विभाग के लिए कुछ न कुछ प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार भारतीय नियोजन सभी प्रकार की विधाओं में बनाई गई विभिन्न योजनाओं का समूह है। इसका कारण यह है कि हमारे पास परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए कोई उपयुक्त मापदण्ड नहीं है जिससे विभिन्न विकल्पों में से कुछ विकल्पों का चयन किया जा सके। इस प्रकार, हमारे साधनों का अपव्यय होता है। उदाहरणार्थ, सामाजिक कल्याण में बाल अपराध (Juvenile Delinquency), परित्यक्त बच्चे, भिक्षुक, बेरिआएँ, अपंग व्यक्ति, तथा अन्य कई प्रकार के पहलू आते हैं और यदि हम इस सम्बन्ध में अपने देश की अन्य देशों से तुलना करें, तो हमारे विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से यही कहेंगे कि ये सब पहलू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं, किन्तु यदि हमारे साधन सीमित हैं तो हमें इनमें चुनाव करना पड़ेगा। उदाहरणार्थ, हम पहले बाल अपराधियों और परित्यक्त बच्चों पर सारी राशि व्यय कर सकते हैं और भिखारियों और बेरिआओं के लिए अधिक चिन्ता नहीं करें। यद्यपि कुछ वर्गों की इस प्रकार अपेक्षा करना एक कठोर निर्णय है, किन्तु हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। इस प्रकार सभी क्षेत्रों में सब कार्यक्रमों को अपनाने की अपेक्षा कुछ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों में अधिक-अधिक साधन लगाए जाने चाहिए अन्यथा विशेष परिणाम नहीं निकल पाएँगे।

7 हमारे योजना निर्माण की एक कमी यह है कि यद्यपि हमारा देश एक अत्यन्त निर्धन देश है किन्तु वित्त-मन्त्रालय और योजना आयोग के अतिरिक्त नियोजन के सभी स्तरों पर साधनों के उपयोग में समय की आवश्यकता को अनुभव नहीं किया गया है और साधनों का नई जगह अपव्यय किया गया है। हमें इस बात को अनुभव करना चाहिए कि हमारा देश विश्व के निर्धनतम देशों में से एक है, अतः

हमें देश के साधनों का अत्यन्त मितव्ययितापूर्वक कार्य करना चाहिए। साथ ही प्रबन्धारम्भ प्रयत्नो (Management Efforts) में अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। राज्यों की सहायता देने की प्रणाली भी उचित नहीं कही जा सकती। प्रशासनिक सुधार आयोग ने विभिन्न प्रकार के 'अनुरूप अनुदान' (Matching Grants) और सहायता की वर्तमान पद्धति में परिवर्तन का सुझाव दिया है। सोभाग्य से इसे राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में मुख्य मन्त्रियों और केन्द्रीय वित्त-मन्त्रालय ने भी स्वीकार कर लिया है। अब राज्यों को 'प्रमापीकृत योजनाओं' (Standard Schemes) से युक्त योजनाओं को बनाने की आवश्यकता नहीं है। वे अपनी इच्छानुसार योजनाएँ बना सकते हैं। केवल उन्हें योजना आयोग को उनके उद्देश्य बताने, और यह बताने की आवश्यकता है कि वे उन योजनाओं को किस प्रकार क्रियान्वित करेंगे? अब राज्यों को निश्चित रूप से यह बता दिया जाएगा कि उन्हें कितनी सहायता मिलने वाली है? उसके पश्चात् उन्हें अपने प्रयत्नो द्वारा प्राप्त राशि का अनुमान लगाना होगा और उसके अनुरूप वे अपनी योजनाएँ बना सकेंगे। अब राज्यों की योजनाओं का आधार उनके स्वयं के प्रयासों द्वारा साधनों की गतिशील बनाने पर निर्भर करेगा क्योंकि उन्हें केन्द्रीय सहायता का स्पष्ट अनुमान पहले ही प्राप्त हो जाएगा और राज्य 'Inflated Plans' प्रस्तुत नहीं करेंगे।

वास्तव में इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आयोग के गठन और योजनाओं के क्रियान्वयन में अनेक गम्भीर धोप रहे हैं और राष्ट्र को इनकी कीमत चुकानी पड़ी है। काँग्रेस सरकार के पतन के बाद सत्तासुद्ध जनता पार्टी की सरकार ने योजना आयोग को नया स्वरूप दिया है और अनवरत योजना प्रणाली लागू करके सम्पूर्ण नियोजन को नई दिशा और नई गति दी है। प्राथमिकताओं और नीतियों की पुनर्निर्धारण के आवश्यकता को समझा गया है और यह व्यवस्था की गई है कि घातमी कुछ वर्षों में केन्द्रीय और राज्य योजनाओं में पूर्ण निवेश प्राथमिकताओं में पर्याप्त परिवर्तन हो तथा आर्थिक नीतियाँ नई प्राथमिकताओं के साथ समन्वित हो जाएँ। गैर-योजना पक्ष पर भी उचित धन खर्च करने पर बल दिया गया है। प्राथमिकताओं और नीतियों के पुनर्निर्धारण-विषय पर एक पिछले अध्याय में काफी कुछ लिखा जा चुका है। नए कार्यक्रम में समन्वित सामीप्य विकास को नई नीति अपनाई गई है। सन् 1978-83 की छठी योजना में इस बात का ध्यान रखा गया है कि बेरोजगारी और गरीबी पर सीधा प्रहार किया जाए तथा जन-सामान्य की बुनियादी आवश्यकताओं को सुनिश्चित किया जाए। नई योजना को प्रमुख दिशेयताओं में एक गूँथ है कि योजना का लक्ष्य 'रोजगार के अवसरों में पाँच प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि करना है। इससे योजना अवधि में बड़ी हुई श्रम शक्ति को काम दिया जा सकेगा और पहले के बेरोजगारों को भी काफी सीमा तक रोजगार मिल सकेगा। कृषि विकास से, जिसकी लगभग 4 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया है, लगभग आधे रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे। रोजगार के आधे अवसर लघु उद्योग, संगठित क्षेत्र और सेवाओं में पैदा होंगे। राष्ट्रीय विकास

परिषद् की 19-20 मार्च, 1978 की बैठक में अधिकांश राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ने योजना के पुनर्निर्धारण का स्वागत किया।

परिषद् के समापन सूत्र को सम्बोधित करते हुए प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई ने कहा कि अनवरत योजना की विचारधारा से आयोजना प्रणाली मजबूत हुई है और इससे यह भी सुनिश्चिन्त हो गया है कि योजना के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को इस नई विचारधारा के बारे में उन्होंने गन लिखकर यह बताया है कि अनवरत योजना में योजना की जायू करने के साथ-साथ इसमें हुई प्रगति का मूल्यांकन किया जा सकता है और गलतियों को सुधार भी जा सकता है। प्रधान मन्त्री ने कहा कि विकास के प्रश्न को राष्ट्रीय सम्दर्भ में देखा जाना चाहिए और हमें अपने स्थानीय हितों को आवश्यकता से अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिए क्योंकि उसी अवस्था में हम उल्लेखनीय प्रगति कर सकते हैं। हमारे राजनीतिक मतभेद कितने ही क्यों न हों लेकिन हम सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य का हित राष्ट्रीय हित में शामिल है, लेकिन यदि हम केवल राज्य के ही हितों को देखें तो यह ठीक नहीं होगा। श्री देसाई ने कहा कि कुछ राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक उन्नत हो सकते हैं, लेकिन ऐसा केवल तुलनात्मक दृष्टि से ही होता है। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, जिसमें बेरोजगारी न हो या वहाँ गरीब लोग न रहते हों। लेकिन कुछ राज्य ऐतिहासिक या अन्य कुछ कारणों से ही दूसरे राज्यों की अपेक्षा अधिक प्रगति कर पाए हैं। यह हमारा काम है कि हम यह देखें कि सभी राज्यों का विकास हो। राज्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की जनता एक है। इस देश में अतन्त्र विभिन्नताएँ हैं और यह सोचना न्याय सगत नहीं होगा कि सभी लोग एक जैसे होंगे। लेकिन हरेक को सन्तोष होना चाहिए। अधिक विकसित राज्यों का यह प्रयास होना चाहिए कि वे दूसरे राज्यों की मदद करें। विकास के लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। केवल बाहरी मदद काफी नहीं होगी।¹



भारत में गरीबी और असमानता इस हद तक व्याप्त है कि विश्व के आर्थिक रंगमंच पर भारत की भूमिका के महत्त्व की बात करना हास्यास्पद लगता है। आर्थिक अंकड़े, देशवासियों का जीवन-स्तर, आर्थिक विषमताओं की गहरी खाई, गरीबी के मुँह बोलते जिह्व इस बात की स्पष्ट झलक देते हैं कि भारत विश्व का एक अत्यधिक गरीब देश है। भारत में गरीबी की व्यापकता और भयावहता का अनुमान सरकार के 'गरीबी हटाओ' के नारे से भी व्यक्त होता है। देश की पाँचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य ही गरीबी और असमानता पर प्रहार करना तथा देश को आत्म-निर्मरता के स्तर पर पहुँचाना रखा गया था। योजना-प्रारूप में यह निश्चय व्यक्त किया गया था कि अति-भयावह निर्धनता अपदा गरीबी का जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों के जीवन-स्तर को एक न्यूनतम स्तर पर लाया जाएगा। जनता सरकार के नए आयोजन में भी गरीबी और असमानता को हटाना सर्व प्रथम माना गया है।

भारत में गरीबी और विषमता की एक झलक

विश्व-बैंक द्वारा प्रकाशित सूचना के अनुसार, विश्व के लगभग 122 देशों में प्रति व्यक्ति आय के सम्बन्ध में भारत का स्थान 102वाँ है। हमारे देश में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय 825 रु है और विगत दस वर्षों में देश के आर्थिक विकास में मात्र 1.2% प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई है।¹ एक अन्य अध्ययन के अनुसार विश्व में 25 देश ऐसे हैं, जो बहुत ही गरीबी की स्थिति में हैं और इन देशों में भारत का स्थान प्रमुख है। इन गरीब देशों में उद्योगों का राष्ट्रीय आम में अदान 10% से भी कम है तथा 15 साल से बड़ी उम्र की 20% से भी अधिक जनसंख्या अशिक्षित है। संयुक्तराष्ट्र के अनुसार इन देशों के 20% व्यक्तियों को पूरा भोजन नहीं मिलता और 60% लोगों को अर्पीष्टिक भोजन प्राप्त होता है। प्रतिवर्ष 30 लाख टन प्रोटीन

1. डॉ. रामचंद्र राय, निर्देशक भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद् का लेख 'देश के जिन और विकास के मापाम'—साप्ताहिक हिन्दुस्तान 23 दिसम्बर, 1973, पृष्ठ 15.

वाले औद्योगिक राष्ट्र इन देशों में खाद्यान्न भेजते हैं।¹ भारत, जो गरीब देशों में प्रमुख है, विश्व की 15% जनसंख्या का उसके 1/7 क्षेत्रफल में भरण-पोषण कर रहा है, किन्तु राष्ट्रीय उत्पादन की दृष्टि से विश्व के 122 देशों में उसका स्थान 95वाँ तथा एशिया के 40 देशों में 30वाँ है। भारत की 45 करोड़ जनता किसी न किसी रूप में बेरोजगार है। 38 करोड़ 60 लाख व्यक्ति निरक्षर हैं। प्रत्येक भारतीय लगभग 1,314 रु के विदेशी-ऋणभार से दबा हुआ है।² रुपये की क्रय-शक्ति मई, 1974 में, मात्र 33.9 पैसे (आधार 1959 वर्ष) थी।³ देश के लगभग 22 करोड़ व्यक्ति अत्यन्त गरीबीपूर्ण जीवन बिता रहे हैं। देश में आर्थिक विषमता चीका देने वाली है। जहाँ एक ओर गणतन्त्रवादी प्रजातिकारण है और वैभव अडबेतिर्या करता है वहीं दूसरी ओर व्यक्तियों के पास रहने की भोज्य भी नहीं है। वे सड़क पर ही जन्म लेते हैं, सड़क पर ही पलते हैं और सड़क पर ही मर जाते हैं।

(क) दांडेकर एव नीलकण्ठ रथ का अध्ययन

दांडेकर एव रथ ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक 'भारत में गरीबी' में देश की निर्धनता (1960-61 की स्थिति) का चित्र खींचा है और यह चित्र वर्तमान स्थिति में भी बहुत कुछ सही उतरता है। इसके अनुसार, देश की निर्धनता ही देश की गरीबी का प्रमुख कारण है। सार के सभी देशों में भारत अत्यन्त निर्धन देश है। अफ्रीका, दक्षिणी-अमेरिका तथा एशिया के प्रत्येक अतिक्रमण देशों की ओरना भी भारत गरीब है। निर्धनता में भारत की बराबरी केवल दो ही देश—पाकिस्तान और इण्डोनेशिया कर सकते हैं। यदि इस गरीबी को आँकड़ों में स्पष्ट करना हो तो लोपो का जीवन-स्तर देखना होगा। सन् 1960-61 में देश का औसत जीवन-स्तर अर्थात् प्रति व्यक्ति वार्षिक निर्वाह-व्यय लगभग केवल 275 से 280 रुपये तक ही था। अर्थात् प्रतिदिन औसतन 75-76 पैसे में लोग जीवन-यापन करते थे। इस जीवन को ग्रामीण एव शहरी भागों के लिए भिन्न-भिन्न करके बताया हो तो यह कहा जा सकता है कि बेहानी भाग में प्रति व्यक्ति वार्षिक निर्वाह-व्यय लगभग 260 रुपये था, वार्षिक तौर पर देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि शहरी भाग का जीवन-स्तर ग्रामीण भाग के जीवन-स्तर की अपेक्षा लगभग 40% अधिक था। परन्तु जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में ग्रामीण एव शहरी भागों में विद्यमान अन्तर को ध्यान में रखा जाए तो दोनों विभागों का औसत जीवन-स्तर लगभग समान हो जाता है। संक्षेप में सन् 1960-61 में ग्रामीण जनता प्रतिदिन लगभग 75 पैसे में और शहरी जनता लगभग 1 रुपये में जीवन-यापन करती थी।

"समाज में विद्यमान असमानताओं को ध्यान में रखा जाए तो स्पष्ट है कि ग्रामों में अधिक व्यक्ति औसत से नीचे होंगे बल्कि लगभग 2/3 व्यक्ति औसत से नीचे

1. जी. आर. वर्मा—'समाजवादी समाज की स्थापना के लिए गरीबी हटाना आवश्यक' बोलना 22 मार्च 1973, पृष्ठ 21.

2. वही, पृष्ठ 21.

3. केंद्रीय मन्तव्य विभाग की बजट की सूचना—हिन्दुस्तान, 27 जुलाई 1974.

घे। अर्थात् ग्रामीण भाग में दो तिहाई व्यक्तियों का दैनिक खर्च 75 पैसे से भी कम था और शहरी भाग में दो तिहाई लोगों का दैनिक व्यय एक रुपये से भी कम था। इनमें से अनेक व्यक्तियों का दैनिक व्यय इस औसत से बहुत ही कम था। संक्षेप में 40 प्रतिशत ग्रामीण जनता प्रतिदिन 50 पैसे से भी कम खर्च में जीवन-यापन करती थी। इनमें घर का अनाज या अन्य कृषि-उत्पाद, दूध वगैरह का जो प्रयोग घर में किया जाता है उसका बाजार मूल्य शामिल है। शहरी भाग में 50 प्रतिशत जनता प्रतिदिन 75 पैसे से भी कम खर्च में निर्वाह चलाती थी। दोनों भागों के बाजार-मूल्यों के अन्तर को ध्यान में रखा जाए तो ग्रामीण भाग के 60 पैसे और शहरी भाग के 75 पैसे लगभग समान थे।¹

इस गरीबी का जिन लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, उन्हें इन आँकड़ों पर सहसा विश्वास नहीं होगा। स्वर्गीय डॉ. राममनोहर लोहिया ने कुछ वर्ष पूर्व लोकसभा में यह कह कर सनमनी उत्पन्न कर दी थी कि भारतीय ग्रामीण की औसत आय 19 पैसे प्रतिदिन है। जैसा होना चाहिए या सरकारी स्तर पर इसका प्रतिवाद किया गया। परन्तु कुछ समय पश्चात् सरकारी स्तर पर भी यह माना गया कि भारतीय ग्रामीण की औसत आय 37 पैसे प्रतिदिन है, और यह माना जा सकता है कि सरकारी आँकड़ों और वास्तविक आँकड़ों में कितना अन्तर होता है।² दाढ़कर एच रथ की टिप्पणी है कि "अनेक व्यक्तियों को इसका विश्वास ही नहीं होता था और अब भी अनेक लोग इसकी सच्चाई में सन्देह करते हैं। परन्तु देश की गरीबी का यह सच्चा स्वरूप है, इन आँकड़ों में पैसे-दो पैसे का अन्तर पड़ सकता है। प्रतिशत में एक-दो अंकों का अन्तर हो सकता है किन्तु स्थूल रूप में यह आँकड़े तथ्य-प्रदर्शक हैं।"³

"प्रश्न उठता है कि इतने से खर्च में ये लोग कैसे निर्वाह करते हैं? एक दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर बड़ा सरल है। इन लोगों के सामने यह मवाल कभी खड़ा नहीं होता कि पैसे का क्या किया जाए? शरीर की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ही उनका सारा पैसा खर्च हो जाता है। उदाहरणार्थ मन् 1960-61 के मूल्यों को ध्यान में रखा जाए तो ग्रामीण भाग में प्रति व्यक्ति 50 पैसे में निर्वाह करना हो तो 55 से 60 प्रतिशत खर्च केवल गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा आदि खाद्यान्नों पर, 20 से 25 प्रतिशत तेल, नमक, मिर्च, बीनी, गुड़ आदि खाद्य वस्तुओं पर, और 7 से 3 प्रतिशत ईंधन, दीया-बत्ती आदि पर करना पड़ता है अर्थात् कुल निर्वाह व्यय का 35 प्रतिशत भाग केवल जीवित रहने पर ही व्यय होता है। उसमें यह सोचने के लिए अवसर ही नहीं होता कि क्या खरीदा जाए और कौन-सी वस्तु न ली जाए। शेष 15 प्रतिशत में कपड़ा, मादुन, तेल, पान, तम्बाकू, दवा-दारू आदि का खर्च चलाना पड़ता है। उसी में कुछ कमी-बेसी हो सकती है।"³

1. डॉ. रामाश्रय राय : वही, पृष्ठ 13.

2. दाढ़कर एच रथ : वही, पृष्ठ 2.

3. वही, पृष्ठ 3.

दांडेकर एच रथ ने अपने अध्ययन से निष्कर्ष निकाला है कि "1960-61 में उस समय के मूल्यों को ध्यान में रखा जाए तो ग्रामीण भाग में न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए प्रतिदिन 50 पैसे या वार्षिक 180 रु लगते थे और इस हिसाब से सन् 1960-61 में देश की 40 प्रतिशत जनता गरीब थी। इन लोगों को साल भर में दो जून भोजन नहीं मिलता था अर्थात् उनका विश्वास नहीं था। शहरी भाग से जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों को ध्यान में रखा जाए तो वहाँ प्रतिदिन 75 पैसे या वार्षिक 240 रुपये लगते थे। शहरी जनता में से 50 प्रतिशत व्यक्तियों को वे उपलब्ध नहीं थे। संक्षेप में शहरी की इस न्यूनतम परिभाषा के अनुसार भी सन् 1960-61 में अर्थात् स्वाधीनता-प्राप्ति के 10-12 वर्ष बाद और आर्थिक विकास की पंचवर्षीय योजनाओं के पूरा हो जाने के बाद भी देश की 40 प्रतिशत देहाती जनता और 50 प्रतिशत शहरी जनता गरीब थी। इन सभी व्यक्तियों का हिसाब लगाया जाए तो उनकी संख्या 18 करोड़ से अधिक हो जाती है। सन् 1960-61 में देश के लगभग 43 करोड़ लोगों में से 18 करोड़ लोग गरीब थे, अर्थात् भूखे थे।"¹

"शहरी की यह माना देश के सभी भागों में न समान थी और न है। आधारभूततया उत्तरी भारत में अर्थात् पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में शहरी कम है। इस प्रदेश की देहाती जनता में शहरी की मात्रा 20-25% से अधिक नहीं है। इसके विपरीत दक्षिणी भारत में अर्थात् तमिलनाडु, केरल, आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों की देहाती जनता में शहरी की मात्रा 50-60% या उससे भी अधिक है। पूर्वी-भारत में अर्थात् बिहार, उड़ीसा पश्चिमी बंगाल असम आदि राज्यों में भी देहाती जनता में शहरी की मात्रा 40-50% है। देहाती व्यक्तियों में से अधिकतर व्यक्ति राटी की तलाश में शहरों की ओर आते हैं, इसलिए भारत के विभिन्न प्रदेशों में शहरी जनता में शहरी की मात्रा भी उसके अनुसार कम या अधिक है।"

"रोटी की भाषा में यही शहरी जब शहरों में पहुँच जाती है तब उसका स्वरूप घृणित हो जाता है। गन्दी वस्तियों या फुटपाथ पर बैठकर सामने की आलीशान इमारतों की तडक भडक देखते हुए, वहाँ क विलासी-जीवन के सुरु का मुनते हुए, इससे पैदा होने वाली लालसा एवं ईर्ष्या को दबाते हुए या उसका शिकार बन कर यह शहरी बुरे मार्ग पर चलने लगती है।"

"सन् 1960-61 में, अर्थात् योजनायुक्त विकास की दो पंचवर्षीय योजनाओं के पूरे हो जाने के पश्चात् भी देश की 40% देहाती और 50% शहरी जनता इस न्यूनतम जीवन-स्तर की गणना में फँसी हुई थी।"²

सन् 1960-61 की स्थिति का चित्रण करने के उपरान्त दांडेकर और रथ ने आशामी दस वर्षों के आर्थिक विकास पर दृष्टि डाली है और बताया है कि "1960-61

1. वही, पृष्ठ 3

2. वही, पृष्ठ 4

"गरीबी की व्यापकता का यह एक बहुत ही दुःखदायी तथ्य है कि 1960-61 में ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 2.27 करोड़ व्यक्तियों में प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 8 रु से भी कम था अर्थात् 27 पैसे प्रतिदिन से भी कम। यदि हम पाँचवी पंचवर्षीय योजना की हूपरेखा में निर्धारित गरीबी के न्यूनतम उपभोक्ता ध्यम (सन् 1960-61 के मूल्यों के अनुसार 20 रु प्रतिमास और अक्टूबर, 1972 के मूल्यों के अनुसार लगभग 40 रु) को यहाँ लागू करें तो विदित होगा कि सन् 1960-61 में ग्रामीण क्षेत्र के 22.49 करोड़ व्यक्ति अथवा लगभग 63% जनसंख्या उस स्तर से भी नीचे का जीवन-यापन कर रही थी। शहरी क्षेत्र का भी यही हाल था, किन्तु उनकी स्थिति उतनी बदतर नहीं थी। सन् 1960-61 में 8 रु प्रतिमाह तक अर्थात् 27 पैसे प्रतिदिन से भी कम खर्च करने वाले व्यक्तियों की संख्या वहाँ 17 लाख अथवा 2.20 प्रतिशत थी। इसे भी यदि गरीबी की परिभाषा के उसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो विदित होगा कि शहरी क्षेत्र की लगभग 44% जनसंख्या निम्न-स्तर पर अपना गुजारा कर रही थी। उन व्यक्तियों को जो जनसंख्या के इन गरीब वर्गों तथा ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 63% और शहरी क्षेत्र के 44% से अछूते हैं, उन्हें यह अत्यन्त आश्चर्यजनक व कल्पनातीत लगेगा कि ये अत्यधिक गरीब लोग इस स्तर पर किस प्रकार अपना जीवन-यापन कर रहे होंगे। इसीलिए जब कोई व्यक्ति गरीबी के ये अर्थ जनता के सामने उजागर करता है तो कुछ व्यक्ति स्तब्ध रह जाते हैं और अंधकृ दृष्टि से उस पर अपना रोष प्रकट करने हैं तथा कुछ लोग तो इस पर बरबास ही नहीं कर पाते। फिर भी, इस देश में इस प्रकार गरीबी एक भयावह तथ्य है।"¹

(ग) डॉ रामाश्रय राय का आर्थिक विषमता पर अध्ययन

देश में व्याप्त आर्थिक विषमता का बड़ा विद्वतापूर्ण अध्ययन डॉ रामाश्रय राय (निदेशक, भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद्) ने तात्प्राहिक हिन्दुस्तान दिनांक 23 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित अपने लेख 'देश के जिले और विकास के आयाम' में प्रस्तुत किया है। इस अध्ययन के कुछ मुख्य उद्घरण नीचे प्रस्तुत किए जा रहे हैं—

1. समाज के विभिन्न वर्गों, देश की भौगोलिक इकाइयों में सुलग आर्थिक साधनों एवं सुविधाओं के वितरण के ढंग में यह विषमता ठीक प्रकार परिलक्षित होती है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि भारतीय जनता का जीवन-स्तर बहुत ही निम्न है। जहाँ अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय का औसत 6000 डॉलर (लगभग 43,000 रु) है, वहाँ हमारे देश में मात्र 100 डॉलर (लगभग 625 रु) है। ऐसी विषमता की स्थिति में यदि प्राप्य साधनों के वितरण में विषमता हो तो स्थिति कितनी शोचनीय हो जाएगी, इसकी कल्पना मात्र से मिहरन उत्पन्न हो जाएगी।

साधनों के वितरण की विषमता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि सन् 1960-61 के मूल्यों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति

श्रीसत उपभोक्ता व्यय केवल 258.5 रु मात्र था और सन् 1967-68 तक इसमें मात्र 10 रु की वृद्धि हुई जबकि तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा उसके पश्चात् दो वार्षिक-योजनाओं में कुल मिलाकर लगभग 15,000 करोड़ रु देश के विकास पर व्यय किए गए। अर्थात् प्रति व्यक्ति श्रीसतन 300 रु व्यय किए गए। प्रत स्पष्ट है कि विकास का लाभ सम्पन्न वर्ग ने उठाया। इसका एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जिनकी आय की मात्रा जितनी अधिक है उनको विकास-स्वरूप प्राप्त लाभ में से उतना ही अधिक अंश प्राप्त होता है।

2. आर्थिक साधनों एवं सुविधाओं के विकास के साथ-साथ घनहीन एवं घनी वर्ग के अन्तराल में वृद्धि हुई है। ऐसी बात नहीं कि यह विपमता ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित हो। शहरी क्षेत्रों में भी इस अन्तराल में व्यापक वृद्धि हुई है। एक और जहाँ ग्रामीण कोठियों का निर्माण हुआ है, जहाँ एक वर्ग अत्यधिक आधुनिक एवं सम्पन्न नजर आ रहा है वहाँ भूमे पेट या आधा पेट खा कर सोने वालों की संख्या में भी आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है।

3 यदि भौगोलिक इकाइयों के सम्बन्ध में विपमता को लें तो भी बड़े रोचक तथ्य सामने आने हैं। देश के सभी राज्यों में लगभग 350 जिले हैं। इनमें 303 जिलों में किए गए सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि केवल 130 जिले ही ऐसे हैं जिन्हें औद्योगिक एवं विकास की दृष्टि से शीर्षस्थ माना जा सकता है। कुल 134 जिले ऐसे हैं, जिन्हें कृषि-विकास की दृष्टि से उच्चकोटि का माना जा सकता है। औद्योगिक एवं कृषि-क्षेत्र में विकास की दृष्टि से सम्पन्न जिलों की संख्या मात्र 53 है और औद्योगिक दृष्टि से मध्यम किन्तु कृषि-विकास की दृष्टि से उच्चकोटि में रखे जाने वाले जिलों की संख्या केवल 86 है।

प्रत स्पष्ट है कि कृषि-विकास की प्रक्रिया केवल उन्हीं जिलों में चल पाती है, जिनमें औद्योगिक विकास द्वारा कृषि-विकास में सहायक ढाँचे का निर्माण हो चुका है अर्थात् औद्योगिक दृष्टि से विवसित जिलों में ही कृषि-विकास का कार्य होता है। कुछ ऐसे भी जिले हैं जो औद्योगिक दृष्टि से कम विवसित हैं परन्तु कृषि-क्षेत्र में काफी विवसित हैं। लेकिन ऐसे जिले केवल वही हैं, जिनके निकटवर्ती जिलों में औद्योगिक एवं कृषि विकास हो चुका है और वे निकटवर्ती होने का लाभ उठा रहे हैं। जो जिले आरम्भ से ही आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए थे उनमें पिछली दोनो दशकद्वयों में विकास-क्रम या तो आरम्भ ही नहीं किए गए या बहुत कम किए जा सके हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विपमता आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं, भौगोलिक क्षेत्र में भी व्यापक रूप से व्याप्त है।

4 हम एक अन्य तरीके से भी इस विपमता को मान ले कि हम इन 303 जिलों को 6 वर्गों में बाँट लें और प्रत्येक वर्ग का 6 विशेषताओं के आधार पर अध्ययन करें। ये 6 वर्ग हो सकते हैं—औद्योगिक विकास, आयुस्तर, कृषि-विकास, धार्मिक विविधता एवं आर्थिक हीनता, अचल जनसंख्या तथा सामाजिक पिछड़ापन। जो चाहे तो अन्य वर्ग भी हो सकते हैं।

प्रथम वर्ग में 58 जिले हैं जिनमें औद्योगिक विकास नाममात्र को भी नहीं हुआ और कृषि-विकास के नाम पर भी इन 58 में से केवल 18 जिलों ने थोड़ी-बहुत प्रगति की है। आयुस्तरण की दृष्टि से श्रम-कार्य हेतु मानव शक्ति का अभाव है, और जो मानव-शक्ति मुलभ है, वह केवल जिले में ही रोजगार खोजती है। जिले के बाहर जाना उसके स्वभाव के विरुद्ध है। सामाजिक दृष्टि से इन जिलों के निवासी एकलय है।

द्वितीय वर्ग में 54 जिले हैं। जिनमें औद्योगिक विकास तो काफी हुआ है, परन्तु कृषि-विकास के नाम पर थोड़ा-बहुत ही कार्य हो पाया है। मानव-सम्पदा भी कम है। फिर इनमें से 40% जिलों की श्रम-शक्ति कार्य की खोज में अन्यत्र चली जाती है। सामाजिक दृष्टि से पर्याप्त मात्रा में धार्मिक विविधता विद्यमान है और जिलों में समाज के पिछड़े वर्गों की समस्या अधिक है।

तृतीय वर्ग में 68 जिले हैं, जो कृषि-क्षेत्र में काफी विकसित हैं। इनमें से 30 जिले ऐसे हैं, जो औद्योगिक विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। यहाँ श्रम-शक्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। केवल 4 जिलों को छोड़ कर शेष जिलों के श्रमिक अपने जिलों से अन्य कहीं नहीं जाते। सामाजिक दृष्टि से 23 जिलों में धार्मिक विविधता पाई जाती है और 53 जिलों में पिछड़े वर्ग के व्यक्ति अधिक संख्या में हैं।

चतुर्थ वर्ग में 45 जिले हैं। यह औद्योगिक विकास की दृष्टि में उन्नत हैं, परन्तु 18 जिले कृषि-विकास में पिछड़े हुए हैं। 11 जिले ऐसे हैं जहाँ श्रम-शक्ति का प्रभाव है, फिर भी आपसे से अधिक जिलों में श्रमिक कार्य की खोज में इधर-उधर बले जाते हैं। सामाजिक दृष्टि से धार्मिक विविधता बहुत अधिक पाई जाती है और 19 जिलों में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या अधिक है।

पाँचवीं श्रेणी के 45 जिलों में से 11 जिले औद्योगिक विकास की दृष्टि से तथा 5 जिले कृषि-विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इस श्रेणी के अधिकतर जिलों में श्रम-शक्ति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और 13 जिलों के केवल थोड़े से श्रमिक आजीविका की खोज में इधर-उधर जाने हैं। सामाजिक दृष्टि से 42 जिलों में धार्मिक विविधता बहुत अधिक है और 29 जिलों में पिछड़े वर्गों की संख्या काफी है।

षष्ठि वर्ग में 33 जिले आते हैं। इन सभी जिलों ने औद्योगिक दृष्टि से काफी प्रगति की है। कृषि-विकास में भी केवल 2 जिले ही पीछे हैं। श्रम शक्ति भी सभी जिलों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन आर्थिक विकास के बावजूद श्रमिक आजीविका के लिए अन्य क्षेत्रों में जाते रहते हैं। केवल 8 जिलों में धार्मिक विविधता अधिक है और 26 जिलों में पिछड़े वर्गों की संख्या अधिक है।

आर्थिक असमानता यहाँ तक बढ़ गई है कि सरकारी क्षेत्र में इस बात पर पर चिन्ता प्रकट की जाती है कि देश के गिने-चुने हाथों में आर्थिक शक्ति का सकेन्द्रण होता जा रहा है। अत्यन्त प्रल्प-संख्यक वर्ग उत्पादन के यन्त्रों पर एकाधिकार रखे हुए है तथा एकाधिकारी-पूंजी का तीव्र विकास होता जा रहा है। नियोजन का एक मूलभूत उद्देश्य देश में व्याप्त आर्थिक विषमताओं को अधिकधिक कम करके

समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना की ओर आगे बढ़ना है। हमारे देश में एक ओर तो कुछ प्रतिशत लोग वैभव का जीवन बिता रहे हैं तो दूसरी ओर जनता का अधिकांश भाग अभाव की छाया में पल रहा है। न उन्हें भोजन की निश्चिन्तता है और न आवास की। खाने और तन ढकाने की चुविधा भी देश के करोड़ लोगों को दग से उपलब्ध नहीं है। लाखों लोग "फुट-पावों पर पैदा होते हैं, पनपते हैं, मुर्झाते, मर जाते हैं।"¹

(घ) भारतीय व्यापार एवं उद्योग मण्डलों के महासचय द्वारा किया गया अध्ययन

भारतीय व्यापार एवं उद्योग मण्डलों के महासचय ने जो अध्ययन किया तदनुसार आंकड़ों का जाहूँ कुछ भिन्न बैठना है। इस अध्ययन का सारांश 16 अक्टूबर, 1972 के दैनिक हिन्दुस्तान में निम्नानुसार प्रकाशित हुआ था—

देश में दस व्यक्तियों में से धार से अधिक व्यक्ति गरीबी की निर्धारित सामान्य सीमा से भी नीचे हैं। वे प्रतिमास देहात के लिए अपेक्षित राष्ट्रीय न्यूनतम राशि 27 रुपये प्रति मास और शहरी के लिए 40.5 रुपये प्रतिमास से भी कम व्यय करते हैं। सन् 1969 के अन्त में कुल 52 करोड़ 95 लाख की जनसंख्या में 21 करोड़ 83 लाख व्यक्ति अर्थात् 42.6 गरीबी की निर्धारित सीमा से नीचे हैं।

संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश और बिहार में सर्वाधिक गरीब व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 86 लाख व्यक्ति गरीब हैं। देश के गरीबों का 30% इन दोनों राज्यों में रहता है। परन्तु प्रतिजन की दृष्टि से सर्वाधिक गरीब लोग उड़ीसा में हैं। वहाँ 64.7% व्यक्ति गरीबी की निर्धारित सीमा से नीचे हैं। इसके पश्चात् अरुणाचल प्रदेश का स्थान है। वहाँ 57.4 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी की सीमा से नीचे हैं। नागालैण्ड में 52.9% व्यक्ति गरीबी की सीमा से नीचे हैं। दस अन्य राज्यों में गरीबी की सीमा से नीचे वाले व्यक्तियों का प्रतिशत 40 से 50 के बीच है। अन्य राज्यों का प्रतिशत इस प्रकार है—आन्ध्रप्रदेश 42.9, असम 40.6, बिहार 49.4, जम्मू व कश्मीर 44.6, मध्य प्रदेश 44.9, मणिपुर 42.7 मैसूर (कर्नाटक) 41.3, राजस्थान 45.6, उत्तर प्रदेश 44.8 और तमिलनाडु 40.4। राजधानी दिल्ली में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम अर्थात् 12.2% है। गोवा, दमन और दीव का प्रतिशत 14.8 है। प्रति व्यक्ति वार्षिक आय दिल्ली में सर्वाधिक 1,185 रुपये, और गोवा, दमन व दीव में 1,13 रुपये है जबकि सम्पूर्ण देश की औसत प्रति व्यक्ति आय 589 रुपये है। पंजाब व हरियाणा में प्रति व्यक्ति औसत आय क्रमशः 1,002 रुपये और 903 रुपये है जबकि वहाँ गरीबी की सीमा के नीचे अपेक्षाकृत कम लोग अर्थात् 20.8% हैं।

1. श्री. एस. चन्द्रशेखर (संयुक्त मुख्य नगर नियोजक, संयुक्त टाउन एण्ड इन्ड्री प्लानिंग आर्गेनाइजेशन) से वार्ता पर आकाशवाणी सेवा के अंतर्गत—प्रस्तुतकर्ता पुरोध पत्र—साप्ताहिक-हिन्दुस्तान, दिनांक 23 सितम्बर, 1973, पृष्ठ 33.

अन्य राज्यों के आंकड़े इस प्रकार हैं—

राज्य	प्रति व्यक्ति वार्षिक आय (रुपये)	गरीबी की सीमा (प्रतिव्यक्त में)
गुजरात	746	33 1
हिमाचल प्रदेश	725	34.1
केरल	645	37.9
महाराष्ट्र	739	33.5
त्रिपुरा	680	36.0
पश्चिम बंगाल	705	34.9
अण्डमान व निकोबार द्वीप	800	30.5
दादरा व नगर हवेली	792	30.7
चण्डीगढ़	812	29.8
लडाखी द्वीप	746	32.9
पाण्डिचेरी	770	31.8

(ड) भारत में गरीबी और असमानता पर श्री वर्मा का अध्ययन

भारत में गरीबी और असमानता का एक विनिष्ट और सन्तुलित अध्ययन श्री बाबूलाल वर्मा के लेख 'हमारी अर्थ-व्यवस्था' में मिलता है। यह अध्ययन श्री वर्मा ने तब किया था जब फरवरी, 1977 में वे जेल में थे। जनता सरकार बनने पर वे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय विकास उपमन्त्री बने। देश में गरीबी व असमानता पर श्री वर्मा के लेख के मुख्य अंश इस प्रकार हैं—

गरीबी कितनी हठी?—सन् 1966 के पूर्व गरीबी से नीचे के स्तर पर जीने वाले गजदूरो की संख्या 40 प्रतिशत थी, जो सन् 1975 के आते-आते 66 प्रतिशत हो गई। दूसरे शब्दों में, श्रीमती इन्दिरा गांधी के कार्यकाल में 26% की वृद्धि उन लोगों की संख्या में हुई जिगना जीवन स्तर गरीबी की सीमा रेखा से नीचे है और जिन्हें दो जून भरपेट भोजन भी नहीं जुट पाता। गरीबी की सीमा रेखा से नीचे उन्हे रखा जाता है जिनकी प्रति माह आय 15 से 18 रु तक होती है। इसका अर्थ हुआ कि करीब 40 करोड़ लोगों की आय 15 रु प्रतिमास के आसपास है। भारत की बढ़ती गरीबी के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ के महानिदेशक ने लिखा है कि हिन्दुस्तान की 66.9 प्रतिशत जनसंख्या गम्भीर रूप से गरीब है। यह गरीबी बराबर बढ़ती जा रही है। भारत विश्व के 16 गम्भीरतम गरीब देशों में एक है।

कुवैत मॉरिंगस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कॅनाडा आदि में 3 से 5 व्यक्तियों के पीछे 1 मोटरकार है, जबकि भारत में 60 व्यक्तियों के पीछे 1 साइकिल आती है। समान परिस्थितियों वाला चीन सन् 1948 में भारत के बाद स्वाधीन हुआ, आज उसकी आबादी 78 करोड़ है। परन्तु उसकी राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति 270 डॉलर प्रति वर्ष है जबकि भारत की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति 120 डॉलर वार्षिक है। अर्थात्कित तालिकाओं से स्पष्ट है कि भारत विश्व में कहीं सड़ा है—

552 भारत में आर्थिक नियोजन

देश	दालर
1. कुवैत	12,050
2. यूनाइटेड अरब	11,630
3. अमेरिका	6,200
4. ब्रूना	6,040
5. स्विट्जरलैंड	6,010
6. स्वीडन	6,900
7. कनाडा	5,450
8. प. जर्मनी	5,320
9. डनमार्क	5,210
10. पूर्वी जर्मनी	3,000
11. बेल्जियम	2,870
12. पोर्लुगल	2,090
13. फ्रान्स	2,030
14. चीन	260
15. भारत	120

भारत में प्रति व्यक्ति आय : सन् 1973-74

राज्य	रुपये
1. पंजाब	1,385
2. महाराष्ट्र	1,334
3. गुजरात	1,034
4. प. बंगाल	910
5. हिमाचल प्रदेश	902
6. तमिलनाडु	870
7. आन्ध्र प्रदेश	808
8. केरल	785
9. राजस्थान	769
10. मध्य प्रदेश	720
11. जम्मू व कश्मीर	708
12. कर्नाटक	704
13. उत्तर प्रदेश	698
14. मणिपुर	609
15. बिहार	604
16. असम	601

गरीबी की सीमा रेखा से नीचे : सन् 1970

राज्य	जनसंख्या प्रतिशत
1. पंजाब	15.30
2. हिमाचल प्रदेश	12.26
3. गोवा दमन दीव	16.52
4. असम	16.63
5. केरल	51.13

6. आन्ध्र प्रदेश	46 94
7. कर्नाटक	43-55
8. उत्तर प्रदेश	37-43
9. बिहार	46-48
10. प. बंगाल	44 67
11. हरियाणा	24 95
12. तमिलनाडु	59 23
13. उड़ीसा	56 58

(च) भारत में गरीबी की 1974-75 में स्थिति

भारत में व्याप्त गरीबी और असमानता के जो विभिन्न अध्ययन ऊपर प्रस्तुत किए गए हैं, उनके आँकड़ों में थोड़ा-बहुत अन्तर अवश्य है, लेकिन उनमें इस तथ्य की निर्विवाद रूप से पुष्टि होती है कि देश भयावह गरीबी की स्थिति में है। सन् 1960-61 में देश जिस भयानक गरीबी से ग्रस्त था, लगभग उतनी ही भयावह गरीबी से आज भी है। नियोजन का अधिकांश लाभ सम्पन्न वर्ग को मिला है, विपन्न वर्ग को बहुत कम, और लाभ का यह वितरण कुछ इस रूप में दुःख है कि आर्थिक विपन्नता की ज़ाई पूँवपिक्षा अधिक चौड़ी हो गई है। केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व योजना राज्य मन्त्री श्री मोहन धारिया ने 1 अगस्त 1974 को राज्य-सभा में स्वीकार किया था कि भारतीय जनता का 80 भाग (अर्थात् 67 प्रतिशत भाग) गरीबी की सीमा-रेखा से नीचे (Below Poverty line) जीवन व्यतीत कर रहा है—यदि सन् 1960-61 के मूल्यों पर 20 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग को लिया जाए।¹

संयुक्त राष्ट्रसंघ की 3 अगस्त, 1974 की सूचना के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासचिव कुर्त वाल्डहीम ने भारत की गणना विश्व के 28 निर्धनतम देशों में की है। दैनिक हिन्दुस्तान, दिनांक 4 अगस्त, 1974 में यह जानकारी इस प्रकार प्रकाशित हुई थी—

“संयुक्तराष्ट्र महासचिव कुर्त वाल्डहीम ने भारत, पाकिस्तान तथा बंगलादेश का उन 28 देशों की सूची में रखा है जो खाद्य तथा ईंधन की महँगाई से बुरी तरह पीड़ित हैं। डॉ. वाल्डहीम ने बताया कि एक ही आर्थिक घरातल पर स्थित ये देश आर्थिक तकट के परिणामस्वरूप उत्पन्न कठिनाइयों का मुकाबला कर रहे हैं।

“24 देशों की जनता प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन 200 डॉलर से नीचे है तथा चार देशों का 200 से 400 डॉलर के बीच है, सूची संयुक्तराष्ट्र के आधा सहस्रता कार्यक्रम में वानदाताओं के सूचनार्थ प्रदान की गई। आँकड़े सन् 1971 से

1 The Economic Times, Friday, August 2, 1974—“Two-thirds of Indian population was now living below poverty line, taking the monthly per capita private consumption of Rs 20 at 1960-61 prices as the standard”

2. हिन्दुस्तान, 4 अगस्त, 1974, पृष्ठ 4.

है। संयुक्तराष्ट्र महासचिव ने बताया कि यद्यपि प्रत्येक देश की वास्तविक स्थिति भिन्न है लेकिन विश्वास किया जाता है कि वे सभी गम्भीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं तथा कुछ मामलों में नो स्थिति इतनी चिन्ताजनक है कि लोगों को अत्यधिक छीना-भूषटी तथा भुखमरी का सामना करना पड़ता है। 14 देश जिनका प्रति व्यक्ति वार्षिक राष्ट्रीय उत्पादन 200 डॉलर से कम है उनमें केमरून, मध्य अफ्रीका गणतन्त्र, चाँद, इथोपिया, केनिया, लेसोथो, मालागासी गणतन्त्र, माली, मेरिटानिया नाइजर, सिएरालीयोन, सोमालिया, सूडान, तन्जानिया तथा अफर बोल्डा। एशिया में बंगलादेश, भारत, खमेर गणतन्त्र, लाओस, पाकिस्तान, श्रीलंका, उत्तरी यमन तथा बर्मायी यमन।

“चार अतिरिक्त देश जिनका प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 200 से 400 डॉलर तक है, उनमें सेनेगल, एच. साल्वा डोर, गुयाना तथा होन्डुरास है।”

गरीबी का मापदण्ड और भारत में गरीबी

गरीबी एक सापेक्षिक चीज है। वस्तुतः गरीबी का मापदण्ड देश और काल के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। “सन् 1964 में अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए गए एक सरकारी प्रतिवेदन के अनुसार वहाँ के 20 प्रतिशत लोग गरीबी की स्थिति में जीवन-यापन कर रहे थे। यदि गरीबी जाँचने के उसी पैमाने को यहाँ भी लागू किया जाए तो कतिपय व्यक्तियों के अतिरिक्त देश की सम्पूर्ण जनसंख्या गरीब सिद्ध होगी।” विवरण को अधिक स्पष्ट रूप में ले तो अमेरिका जैसे समृद्ध देश में भी गरीबी विद्यमान है। अमेरिकी शासन ने मुख्यतः यह निर्धारित किया है कि यदि किसी परिवार की वार्षिक आय 3,000 डॉलर से कम है तो उसे ‘गरीब’ परिवार माना जाएगा। अमेरिका ‘आर्थिक अवसर’ के सच कार्यालय ने अनुमान लगाया है कि सन् 1967 में अमेरिका में कुल 2 करोड़ 20 लाख व्यक्ति गरीबी की श्रेणी में आते थे। अमेरिका सामाजिक सुरक्षा प्रशासन के अनुसार पाँच व्यक्ति वाले एक गरीब खेतिहर परिवार की न्यूनतम आवश्यक आय 2,750 डॉलर वार्षिक अर्थात् लगभग 21,000 रुपये वार्षिक आँकी गई है। यदि इस आँकड़े को भारत के सन्दर्भ में देखें तो यहाँ के इस आय वाले पाँच सदस्यीय खेतिहर परिवार को देश के सर्वाधिक सम्पन्न परिवारों की श्रेणी में रखा जाएगा अर्थात् अमेरिका में गरीबी की जो सीमा-रेखा है, भारत में वह अमीरी की सीमा-रेखा है।¹ अतः स्पष्ट है कि हमें अपने देश की स्थिति के अनुरूप अपने आँकड़े रखने होंगे, भले ही प्रसिद्ध और फलु लने।

देश में विगत कुछ वर्षों से गरीबी को मापने हेतु उचित आँकड़े खोजने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके आधार पर देश की गरीबी का आँकलन किया जा सके और उसका समाधान ढूँढा जा सके। योजना आयोग ने ‘न्यूनतम मासिक उपभोक्ता-व्यय की आवश्यकताओं’ के आधार पर प्रतिमान को स्वीकार किया है,

1. डॉ. के. एन. राज ‘गरीबी और आयोजन’, योजना, 22 सितम्बर, 1972.
2. एन. एन. सिन्हा : वही, पृष्ठ 19.

और पाँचवी पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में गरीबी की परिभाषा और समस्या निम्न प्रकार से दी गई है—

“उपभोग के निम्नतम स्तर के रूप में गरीबी के स्तर को स्पष्ट करना है। प्रथम योजना दस्तावेज में, सन् 1960-61 के मूल्यों के अनुसार 20 रुपये प्रतिमास निजी-उपभोग को याँछित निम्नतर स्तर माना गया था। वर्तमान (अक्टूबर, 1972) के मूल्यों के अनुसार यह राशि लगभग 40 रुपये होगी। अतः गरीबी के उन्मूलन के लिए यह आवश्यक है कि हमारे असह्य देशवासी, जो इस समय गरीबी के स्तर से भी निम्न जीवन-निर्वाह कर रहे हैं, उन्हें ऊपर दर्शाए गए निम्नतम निजी-उपभोग का स्तर प्राप्त हो सके। समस्या की प्रचण्डता और प्रभावित लोगों की सख्या प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न-भिन्न है। परन्तु प्रत्येक क्षेत्र में गरीबी प्रमुख समस्या है।”

बढ़ती कीमतें और आर्थिक विषमता तथा गरीबी

बढ़ती कीमतें भारत के गरीबों को और भी गरीब बना रही हैं, रात-दिन बेहनत करके वे अपनी आय में जो भी वृद्धि करते हैं उस वृद्धि को मूल्यवृद्धि खा जाती हैं। बढ़ती कीमतें भारत में गरीबी और आर्थिक विषमता की वृद्धि के लिए किन्ती उत्तरदायी है, इसका एक अच्छा सकेत हमें फरवरी 1978 की योजना में प्रकाशित श्री सतीशचन्द्र श्रीवास्तव के एक लेख में मिलता है। श्री श्रीवास्तव ने बढ़ती कीमतों पर अकुञ्ज लगाने के लिए कुछ उपयोगी सुझाव भी प्रस्तुत किए हैं—

भारतीय अर्थ-व्यवस्था का पूरा ढाँचा आज लडखटा उठा है और साथ ही ग्राम मध्यमवर्गीय और निम्नवर्गीय व्यक्तियों में अपना और अपने बच्चों का भरण-पोषण एक समस्या बन कर रह गया है। आम आदमी अपनी निश्चित आय और अपने परिवार के सदस्यों के पेटों के बीच संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। आधिकारिक रूप से न सही परन्तु वास्तविक स्थिति तो यह है कि आदमी का जीना एक गुलामी है जिसे कम से कम निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को रोज मुलभाना पड़ता है। गाँव से शहरों की ओर आने वालों की सख्या बढ़ती जा रही है और शहरों में उन गन्दी बस्तियों की सख्या बढ़ती जा रही है जिनकी भौतिकियों के भीतर लोग कई-कई दिन तक बिना खाए गुजार देते हैं और कभी-कभी समाप्त भी हो जाते हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों ने सब के खान पर वास्तविकता से समझौता करने की कोशिश की है लेकिन बच्चों का पेट भरना कोई सरल कार्य नहीं है। इस स्थिति में जहाँ पारिवारिक बलावर्णन में अभाव का कटु सपीत भर दिया है वहीं सबको पर भित्सारियों और असामाजिक तत्त्वों की वृद्धि भी कर दी है। इन सबके पीछे एक ही मुख्य कारण है और वह है कीमतें—लगातार बढ़ती हुई कीमतें।

भारतीय अर्थ-व्यवस्था में ऐसे कई लम्बे दौर आये हैं जब कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। उदाहरण के लिए यदि भारतीय स्वतन्त्रता के बाद के वर्षों पर विचार करें तो सन् 1947 से 1952 तक, सन् 1959 से 1961 तक, सन् 1964 से 1967 तक,

सन् 1972 से 1975 तक तथा मार्च 1977 से प्रारम्भ हुए वर्तमान काल को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। तीस वर्षों की अवधि में केवल सन् 1962-63, सन् 1968-71 तथा जुलाई 1975 से दिसम्बर 1976 के दौरान कीमतों पर नियन्त्रण रहा है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता-प्राप्ति के तीस वर्षों में से 17 वर्ष भयंकर महंगाई और बढ़ती हुई कीमतों के वर्ष रहे हैं। दुःखद स्थिति यह है कि कीमतें कभी पीछे की ओर नहीं लौटी। ऊपर जिन वर्षों को नियन्त्रित कीमतों के वर्ष बताया गया है उनमें भी कीमतें स्थिर नहीं, कम नहीं हुईं। आपात स्थिति के दौरान मुद्रास्फीति पर लगे हुए अंकुश से यह प्रतीत हो रहा था कि हमने मुद्रास्फीति पर काबू पा लिया है, जो एक भ्रम मात्र था। आपात स्थिति की समाप्ति के साथ ही मुद्रास्फीति ने आँवटोपस की भाँति अपनी बाहे फैला ली और समूची भारतीय अर्थ-व्यवस्था इस जकड़ से पिसनी चली गई। आपातकाल के दौरान आर्थिक कार्यक्रम सम्बन्धी किए गए समस्त प्रयासों में अर्थ-व्यवस्था का रिपेयरिंग मात्र ही सम्भव हो सका।

नवीन सूचकांक (सन् 1970-71 = 100) से मूल्यों में निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति स्पष्ट है। फरवरी 1976 के द्वितीय सप्ताहात में थोक मूल्यों का सूचकांक 182.5 था जो 14 मई को बढ़ कर 186 तक पहुँच गया था। सन् 1976-77 की पहली छमाही में जिन चीजों के कारण महंगाई हुई, उनमें गूड, मूँगफली, कपास एवं मूँगफली का तेल प्रमुख रहे। इनकी कीमतों में क्रमशः 66.6%, 71.6%, 46.4% 60.7% की वृद्धि हुई। यद्यपि पिछले वर्ष की अपेक्षा मूँगफली के उत्पादन में इस वर्ष 20% की वृद्धि हुई है तथापि मूल्य स्तर को खाद्य तेलों की बढ़ती हुई कीमतों ने सबसे अधिक प्रभावित किया है। मूल्यों में इस प्रकार वृद्धि अब आत्म बात हो गई है। प्रश्न यह है कि आखिर इस मूल्य वृद्धि और अभाव के झूल में कौन से तत्व सक्रिय हैं ?

भारतीय अर्थ-व्यवस्था में, कीमतों में वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि यहाँ मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त $P = F(M)$ लागू न होकर मुद्रा का कीमत सिद्धान्त $M = F(P)$ लागू होना है। वस्तुओं की कीमत का निर्धारण उनकी माँग एवं पूर्ति के द्वारा हुआ करता है, परन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि वस्तुओं की माँग और पूर्ति का निर्धारण वस्तुओं की कीमतों पर ही रहता है।

सामान्यतया यह धारणा है कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा स्फीति का एक प्रमुख कारण मुद्रा सभरण में वृद्धि है। इस धारणा की पुष्टि निम्न तालिका-1 से होती है।

तालिका-1—मुद्रा प्रसारण

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	चालू बीन्	बैंक मुद्रा	मुद्रा की पूर्ति	मुद्रा की पूर्ति प्रतिशत में
1970-71	4597	2871	7468	
1971-72	48 2	3316	8138	14 2
1972-73	5444	3969	9413	16 9
1973-74	6336	4512	10848	14 9
1974-75	6378	5178	11557	6 4
1975-76	6735	5948	12682	11 3
दिसम्बर 1976	7399	7060	14459	14 9

तालिका से स्पष्ट है कि सन् 1974-75 में मुद्रा प्रसारण की दर 6.4% थी तथा सन् 1973-74 की तुलना में 8.5% की दर से मुद्रा प्रसारण में गिरावट आई। परिणामस्वरूप मूल्य स्तर में स्थिरता कायम रही, परन्तु मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के कारण, मार्च 1976 के बाद से पुनः मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति स्पष्ट होने लगी।

हमारे देश में मुद्रा प्रसारण में वृद्धि की दर 14% है जबकि विकास दर 3.5% से अधिक नहीं रही है। अतः 10.5% की दर से अतिरिक्त मुद्रा का निर्माण मूल्य-वृद्धि का कारण रहा है। एक विकासशील राष्ट्र में यदि मुद्रा में 10% वृद्धि कर दी जाए तो यह अर्थ-व्यवस्था के लिए उन स्थिति में घातक नहीं होगी जब उत्पादन की वृद्धि 5% हो।

कीमतों के साथ जो पीछे जीवन-मृत्यु की तरह जुड़ी है वह है रुपये की क्रय शक्ति। वर्तमान समय में रुपये की क्रय शक्ति 1949 की तुलना में मात्र 26 पैसे पर रह गई है। इसके साथ ही क्रय-शक्ति का बहुत थोड़ा भाग निम्न आय वाले व्यक्तियों के पास पहुँच पाता है जिसे वे उँचे दामों पर प्राप्त होने वाली उपभोग वस्तुओं पर व्यय करते हैं। उच्च मध्यवर्ग और उच्च वर्गों को अतिरिक्त मुद्रा प्राप्त होने के कारण उनमें प्रदर्शन प्रभाव अधिक होता है और दिखाने आदि की वस्तुओं की माँग बढ़ जाती है। परिणाम नवीन तकनीकों के माध्यम से सीमित साधनों को इन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में लगाया जाता है जबकि उपभोग वस्तुओं का उत्पादन उद्योगों में श्रम धन तकनीक से किया जाता है।

विभिन्न वर्गों की पारिश्रमिक दर में विभिन्नता के कारण वस्तुओं के मूल्यों में काफी अन्तर पाया जाता है। फलस्वरूप निम्न आय के उत्पादक अपने उत्पादनों को सस्ता बेचते हैं और महंगे उत्पादन खरीदते हैं जबकि उच्च आय वाले उत्पादकों के लिए स्थिति उल्टी और अधिक लाभकर होती है। अर्थ-व्यवस्था में जहाँ एक ओर कुछ व्यवसाय घटते हुए मूल्य स्तर के परिणामस्वरूप अपने लाभ की मात्रा बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ व्यवसाय मन्दी के चंगुल में पड़े हैं। इसका मूल कारण भारतीय अर्थ व्यवस्था में स्वचालनता के गुण का अभाव है।

भारतीय अर्थ-व्यवस्था में, जहाँ 60% यहि गरीबी के स्तर से भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तथा रहन-सहन के परम्परागत स्तर पर रहना ही जिनका स्वभाव बन चुका है—उपभोग वस्तुओं की माँग में अत्यधिक वृद्धि की माँग नहीं की जा सकती। अतः अतिरिक्त मुद्रा की माँग का कारण बड़ी हुई कीमते हैं। क्रय-शक्ति के रूप में प्राप्त अतिरिक्त मुद्रा का अविकास उपभोग वस्तुओं पर व्यय हो जाता है तथा विनियोग के लिए बचन नहीं हो पाती। परिणाम यह होता है कि अतिरिक्त क्रय-शक्ति उत्पादन में नहीं परिवर्तित हो पाती।

मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होने का एक कारण मन्दी युग के अर्थशास्त्री कीन्स का मन्दी का सरकारी व्यय में वृद्धि के सुझाव का अन्वयानुकरण रहा हो मात्र विकसित राष्ट्रों के लिए ही उपयुक्त था। भारतीय अर्थ-व्यवस्था के लिए, जहाँ रोजगार बेरोजगारी के अंकड़ों से अस्त है तथा उत्पादन आवश्यकता की तुलना में न्यून है—यह सुझाव अपने में कोई महत्त्व नहीं रखता।

सरकार द्वारा मुद्रा-स्फीति की जड़ से समाप्ति के लिए यह आवश्यक है कि एक नई मुद्रा नीति बनाई जाए। इस समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय उत्पाद तथा मुद्रा-प्रसार में एक वैधानिक अनुदान निश्चित कर दिया जाना चाहिए।

मूल्य वृद्धि के लिए जहाँ एक ओर अन्य अनेक कारण उत्तरदायी हैं, वहीं दूसरी ओर घाटे की वित्त-व्यवस्था की प्रणाली भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पिछली 1961-62 ने भारी मात्रा में घाटे की वित्त-व्यवस्था की नीति को अपनाया था।

काले धन की समानान्तर अर्थ-व्यवस्था का भी मूल्य स्तर की वृद्धि में बहुत बड़ा हाथ है। सन् 1969 से 74 तक देश की आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा था जिसका प्रमुख कारण 400 करोड़ रुपये वार्षिक दर से काले धन में वृद्धि रहा। अतः काले धन की इस समानान्तर अर्थ-व्यवस्था को समाप्त करना आवश्यक है।

बढ़ती कीमतों की इस समस्या को हल करने के लिए अर्थ-व्यवस्था के सम्पूर्ण ढाँचे में परिवर्तन करना होगा तथा उपभोग प्रधान नीति के स्थान पर उत्पादन प्रधान नीति को अपनाया होगा, अन्यथा बढ़ती कीमतें राष्ट्र को जर्जर बनाती जाएँगी। मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए न सिर्फ घाटे की बजट प्रणाली का समाप्त करना होगा, बल्कि सरकारी व्यय में भी कटौती करनी आवश्यक होगी।

गरीबी और असमानता के मापदण्ड

गरीबी और असमानता एक सापेक्ष भाव है, जिसका ठीक-ठीक पता लगाना कठिन होगा है। किन्तु लोगों के बीचकोषाजर्ज से सम्बन्धित त्रियायों का तुलनात्मक अध्ययन करके हम गरीबी और गरीबी के बीच एक सम्भावित सीमा-रेखा खींच सकते हैं। कुछ गरीबी सूचक-स्तर निम्नलिखित हैं¹—

1. जी. आर. वर्मा का लेख—'समाजवादी समाज की स्थापना के लिए गरीबी हटाना आवश्यक'—'योजना', 22 मार्च, 1973, पृष्ठ 21-22.

1. आय-व्यय स्तर—गरीबी सूचक पहला स्तर आय-व्यय पर आधारित होता है। भारत में सर्वाधिक सम्पन्न वे माने जा सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 20,000 रु से अधिक है, किन्तु अमेरिका में इस आय से कम वाले गरीब समझे जाते हैं, अर्थात् अमेरिका में जो गरीबी की सीमा-रेखा है वह हमारे देश में अमीरों की सीमा-रेखा है। डॉडेंकर और रथ के प्रथम के अनुसार सन् 1960-61 में गाँवों में 50 पैसे और शहरों में 85 पैसे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति व्यय था। उस समय ग्रामीण जनसंख्या की 40% और शहरी 50% जनसंख्या गरीबी का कष्टमय जीवन बिता रही थी। सन् 1967-68 के सरकारी आँकड़ों के अनुसार 5% व्यक्ति प्रतिदिन 20 पैसे, 5-10% व्यक्ति प्रतिदिन 27 पैसे और 40-50% व्यक्ति प्रतिदिन 51 पैसे व्यय करते हैं। यदि प्रति व्यक्ति 20 रुपये मासिक खर्च मानें तो 60% ग्रामीण और 40% शहरी जनसंख्या गरीबी की सीमा रेखा से नीचे प्राणगी।

2. उन्नयन और पौष्टिकता का स्तर—एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए सामान्यतः 2,250 कैलोरी खुराक प्रतिदिन आवश्यक मानी गई है, किन्तु रिजर्व बैंक के एक अध्ययन, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 1100 और 1500 कैलोरी खुराक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मानी गई है, के अनुसार 1960-61 में गाँवों में 52% जनसंख्या इसमें कम भोजन पाती थी। सरकारी आँकड़ों के अनुसार वर्तमान में 70% ग्रामीण जनसंख्या खुराक के समबन्ध में गरीबी में पल रही है तथा शहरी जनसंख्या 50 से 60% भाग भोजन और पोषण की कमी में पलता है।

3. भूमि-जोत स्तर—देश की जनसंख्या का 80% या 44 करोड़ व्यक्ति गाँवों में बसते हैं जिनमें 70% कृषि पर निर्भर है। इनमें 5 एकड़ से कम जोत वाले 5 करोड़ 31 लाख या 74% हैं। 2.5 करोड़ एकड़ से कम जोत वाले 4 करोड़ 15 लाख या 58% हैं और 1 करोड़ 58 लाख या 22% बिल्कुल भूमिहीन हैं। इस प्रकार भूमिहीनता से लेकर 5 एकड़ से कम जोत वाले 11 करोड़ से भी अधिक लोग हैं जो अत्यन्त गरीबी की हालत में जीवन बिता रहे हैं।

4. रोजगार-स्तर—सम्पन्न या विकसित देश वे हैं, जहाँ रोजगार-स्तर ऊँचा होता है अथवा उत्पादन के सभी साधनों को उनकी योग्यतानुसार रोजगार प्राप्त होता है, किन्तु भारत में पिछले 30 वर्षों में बेरोजगारी 10 लाख से बढ़कर 45 करोड़ तक पहुँच गई है। इनमें लगभग 23 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं। बेरोजगारी और अर्द्ध बेरोजगार के कारण देश की लगभग 22 करोड़ जनता की आमदनी एक रुपया रोज से भी कम है। विनियोग और रोजगार के अभाव में 70% औद्योगिक क्षमता बेकार पड़ी है। विनियोग अभाव और रोजगार की यदि यही स्थिति रही तो गरीबी हटाओ का स्वप्न 20वीं शताब्दी के अन्त तक भी साकार नहीं हो सकेगा।

भारत में गरीबी और असमानता के कारण

योजना आयोग ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण 1974-79 में गरीबी के दो मुख्य कारण बताते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की है—

“गरीबी के दो मुख्य कारण हैं—(1) अनूँर्ण विकास तथा (2) असमानता। इन दोनों पक्षों में से क्विनी एक को कम मानना या उपेक्षा करना उचित नहीं है। अधिकांश जन-समुदाय दैनिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाता, क्योंकि प्रथम बहुत बड़ी जनसंख्या को देखने हुए कुल राष्ट्रीय आय और इस प्रकार कुल उपभोग बहुत ही कम है। द्वितीय इस आय और उपभोग का वितरण एक समान नहीं है। केवल एक ही दिशा में प्रयत्न करने से इस समस्या पर काबू नहीं पाया जा सकता। यदि असमानता उतनी ही बिकट रही, जितनी कि इस समय है, तो वास्तविक रूप से परिकल्पित विकास दर में इस समस्या का समाधान सम्भव नहीं। इसी प्रकार, विकास-दर में तीव्र वृद्धि किए बिना सम्भावित समनामय नीतियाँ स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं ला सकती। इन व्यापक गरीबी को दूर करने के लिए विकास करना तथा असमानताएँ घटाना आवश्यक है।”

गरीबी और असमानता के उपरोक्त प्रमुख कारणों से सम्बद्ध अन्य सहायक कारण भी हैं। संक्षेप में अन्य कारण निम्नलिखित हैं—

1. यद्यपि पिछले दशक में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन दुगुने से भी अधिक हो गया, किन्तु इसी अवधि में वस्तुओं के मूल्यों में भी दुगुनी वृद्धि हो गई तथा मूल्यों में वृद्धि की गति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से बहुत अधिक है। जनसंख्या में 2-5% प्रतिवर्ष की दर में वृद्धि होना, जबकि प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में अनुकूल रूप में विशेष वृद्धि न हो पाना देश की आर्थिक अवनति और गरीबी के प्रसार का परिवाहक है।

2. नियोजन के फलस्वरूप जो भी आर्थिक विकास हुआ है, उम अल्प-वृद्धि का लाभ सम्पन्न वर्ग को अधिक हुआ है अर्थात् सम्पन्नता में वृद्धि हुई है और विपन्नता पूर्ववत्ता अधिक बढ़ी है।

3. जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए कुल राष्ट्रीय आय और इस प्रकार कुल उपभोग बहुत ही कम है। इसके अनिश्चित आय और उपभोक्ता वितरण एक समान नहीं है। व्यावहारिक रूप में आन्तरिक उत्पादन-दर में वृद्धि के साथ-साथ जनसंख्या की वृद्धि-दर को घटाने के प्रयत्न अधिकांशतः अमफल ही रहे हैं। चतुर्थ योजनावधि में भी अर्थ-व्यवस्था का वास्तविक संचालन उन्ही प्रकार हुआ जिसने आन्तरिक उत्पादन दर काफी घट गई।

4. पिछले पृष्ठों में दिए गए आंकड़े सिद्ध करने हैं कि देश में ग्रामीण और शहरी दोनों ही जनसंख्या के सभी वर्गों में उन्नोत्ता ध्यम में गिरावट हुई है। वास्तव में प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय ही व्यक्तियों का जीवन-स्तर प्रदर्शित करता है। गाँवों और शहरों दोनों में ही गरीब वर्ग बहुत चुने नरह प्रभावित हुआ है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार आय भी असमानता में कमी होने की अपेक्षा वृद्धि हो गई है। दाँडेकर एवं रथ के अनुसार आर्थिक विकास का अधिकतम लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में उच्च मध्यम श्रेणी तथा अमीर वर्ग को ही हुआ है और निर्धन वर्ग को इसमें कुछ भी तो लाभ नहीं हुआ है, बल्कि उनके उपभोग में गिरावट ही हुई है।

5 प्रति व्यक्ति अन्न उपभोग को जीवन निर्वाह का मापदण्ड मान लिया जाए और पौष्टिक स्थिति देखी जाए तो भी 1960-61 की अपेक्षाकृत स्थिति बदतर हुई है। सन् 1960-61 में ग्रामीण क्षेत्र में पौष्टिक न्यूनता ग्रामीण जनसंख्या का 51% थी जो बढ़कर सन् 1967-68 में 70% तक पहुँच गई। इसके पश्चात् भी स्थिति उत्तरोत्तर गिर ही रही है। अतः स्पष्ट है कि देश की गरीब ग्रामीण जनसंख्या घोर अपोषण की स्थिति में जीवन-निर्वाह कर रही है।

6 राष्ट्रीय आय में वृद्धि को बढ़ी हुई जनसंख्या वृद्धि खा गई है या वह देश के बड़े-बड़े पूँजीपतियों, ध्यापारियों और एकाधिकारियों की जेबों में चली गई है। इसके अतिरिक्त, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, महँगाई और रिश्वतखोरी ने जनता की कमर तोड़ डाली है। उत्पादन को तहखानों में छिपाकर काला-बाजारी करने, मूल्य वृद्धि करने और मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति ने विपन्नता को बढ़ाया ही है। इसलिए सहकारियाँ, मुफ्त बाजार और सस्ते मूल्य की दुकानें असफल रही हैं। सम्पत्ति की असमानता और गरीबी का बढ़ाने में हड़तालें, तालाबन्दी, घेराब, धरना आदि की घटनाएँ भी सहायक रही हैं।

7 साधनों का अभाव भी गरीबी और असमानता को बढ़ाने में सहायक रहा है। योजना बनाते समय साधन एकत्र करने के सम्बन्ध में बढा-चढाकर अनुमान लगाए जाते हैं, अनेक प्रशासकीय तथा राजनीतिक बाधाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। परिणामस्वरूप प्रस्तावित कार्यक्रमों का एक भाग कार्यान्वित नहीं हो पाता और जो कार्यक्रम लागू होते भी हैं, उनका वह प्रभाव और परिणाम नहीं हो पाता जो अधिक नियन्त्रित और सतक दृष्टिकोण अपनाते से होता है।

8 पूँजी और भू-स्वामित्व में अन्तर आर्थिक विषमता का एक प्रमुख कारण है। अधिक भूमि और पूँजी वाले को बिना विशेष परिश्रम किए ही लगान, व्याज, लाभ आदि के रूप में आय प्राप्त होती है और उनकी आय भी काफी अच्छी होती है। भारत में जमींदारी-प्रथा के उन्मूलन से पूर्व कृषक-श्रेण में घोर विषम वितरण था। जमींदारी-प्रथा के उन्मूलन के पश्चात् नतीजा और पूँजीपति नए जमींदार और भू-पति बन गए हैं, जिनमें से अधिकांश का काम है रुपये उधार देना, डटकर व्याज लेना और निर्वनों का शोषण करना। औद्योगिक क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि देश के प्रमुख उद्योगों पर कतिपय लोगों का ही एनाधिकार है, जो शक्तिवर्य करोड़ों रुपये का लाभ अर्जित करते हैं।

9 आर्थिक विषमता का द्वितीय प्रमुख कारण उत्तराधिकार है। प्रायः धनिक पुत्र, उसकी सम्पत्ति बिना किसी परिश्रम के उत्तराधिकार में प्राप्त कर लेते हैं और धनी बन जाते हैं। इस प्रकार, उत्तराधिकार के माध्यम से, आय की विषमता फनती फूलती आती है। दूसरी ओर निर्वन बच्चों को न तो समुचित शिक्षा ही मिल पाती है और न ही उनके लिए कमाई के सामकरी उत्पादन क्षेत्र ही मुलभ होते हैं।

10. आर्थिक विषमता का एक बड़ा कारण धनी व्यक्तियों की बचत-क्षमता का अधिक होना है। उनकी आय प्रायः इतनी अधिक होती है कि भरपूर आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् भी उनके पास पर्याप्त धन बचा रहता है। धनिकों की यह बचत आर्थिक विषमता को बढ़ाती ही होती है। यह बचत विभिन्न उत्पाद-क्षेत्रों में पूंजी का रूप धारण करती है तथा किराए, व्याज या लाभ के रूप में आय को और अधिक बढ़ाती है। दूसरी ओर निर्धन शोषण की धरती में मिरते ही रहते हैं, अतः उनकी बचत-क्षमता नगण्य होती है।

11 आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति आर्थिक विषमता का प्रबलतम कारण है। श्रमिकों की सौदा करने की शक्ति कम होने के कारण आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ और पूंजीपति इसी कारण उनकी उनकी सीमान्त-उत्पादकता से कम मजदूरी देकर उनका आर्थिक शोषण करते हैं। फलस्वरूप, पूंजीपतियों का लाभ दिन प्रतिदिन बढ़ता है, जबकि श्रमिकों की स्थिति प्रायः दीन-हीन (विशेषकर अर्द्ध-विकसित समाजों में) बनती रहती है। इस प्रकार आर्थिक असमानता निरन्तर बढ़ती जाती है।

12 17 नवम्बर, 1977 को नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय सभ की भारतीय राष्ट्रीय समिति की 48वीं वार्षिक बैठक के उद्घाटन भाषण में उद्योगमन्त्री जार्ज फर्नन्डीज ने कहा था—“यथास्थितिवादी नीति राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर आर्थिक विषमता को ही बढ़ावा देगी—इससे मुक्ति पाने के लिए दोनों स्तरों पर परिवर्तनों की नीति अपनायी जानी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर गरीबों का शोषण हो रहा है और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीब देशों का इसे रेखांकित करने के लिए। उन्होंने बताया कि कश्मीर में बना जो गलीचा जर्मनी में उन्होंने 60,000 रुपये में विक्रित देखा उसे बनाने वाले 10-12 वर्ष के बालक बालिकाओं को केवल 3 रुपये रोज की दिहाड़ी मिलती है। यह गरीबी, विषमता और शोषण का जीना जागता नमूना है। शोषण को समाप्त करने का आग्रह करते हुए मन्त्री महोदय ने कहा कि श्रमशक्ति का समान्तर वितरण होना चाहिए और विनोदियों की भूमिका समाप्त हो ही जानी चाहिए।”¹

13 भारत में गरीबों का एक मुख्य कारण यह है कि खेत मजदूर सदियों से अन्याय और शोषण के शिकार रहे हैं। रैंगूलेटिंग एक्ट के बत जाने के बाद से जमींदारों ने उनके शोषण का एक अन्तहीन सिलसिला चला दिया था जो भारत की आजादी के 30 वर्ष बाद भी देश के कुछ भागों में चलता रहा है। भारत सरकार द्वारा गठित थम आयोग ने कुछ वर्ष पूर्व यह स्वीकार किया था कि खेत मजदूरों की हालत अर्द्ध गुलामों जैसी है। इन अर्द्धगुलामों को विभिन्न राज्यों ने विभिन्न संवोधनों से सम्बोधित किया जाता है। उड़ीसा का हलिया मुलिया, नाग हरवाइस, इरामिया; पश्चिम बिहार और छोटो नागपुर का कमिया, मध्यप्रदेश का हरबासी, राजस्थान

का सगरी, पंजाब का सेरी और उत्तर प्रदेश का हलवाहा ही भारतीय समाज का अर्द्धदास है। यूरोप और अमेरिका जैसे विकसित देशों की कृषि व्यवस्था में अर्द्धगुलाम या बेगार का कोई स्थान नहीं है। वहाँ के कृषि क्षेत्रों में खेत मजदूर की भी सेवा शर्तें कारखाना मजदूर की तरह होती हैं। ऐसी व्यवस्था में खेती का सम्पूर्ण आधार वैज्ञानिक होता है और धम की सामाजिक शक्तियों का कृषि व्यवस्था में जमाव होता है। महाजनी या सूदखोरी पूँजी की जगह नियोजित वित्त व्यवस्था का स्थान होता है। किन्तु भारत के कृषि क्षेत्र में पूँजी का ही बोलचाल है और फिर महाजनी पूँजी के अतिरिक्त धम का शोषण दोहन हो रहा है।

आजाद भारत में सूदखोर महाजनों को रोकने का कोई कारगर नियम आज तक नहीं बन पाया और जमींदारी उन्मूलन के बाद भी 'बढ़ती मजदूरी—गिरती मजदूरी' की हालत बनी रही। 26 जून, 1975 को राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के बाद कुछ ऐसे कदम उठाये गए कि गाँवों में बन्दुबन्ध मजदूरी और अन्य प्रकार के शोषणों का अन्त हा सके। लेकिन गरीबी मिटने का रास्ता कोई छाटा नहीं है। अब तक देश में जो भीषण गरीबी विद्यमान रही है, उसका एक अनुमान देव के विभिन्न अचलों में खेत मजदूरों की दैनिक मजदूरी की निम्नलिखित तालिका से लग सकेगा—

देश के विभिन्न अचलों में खेत मजदूरों की दैनिक मजदूरी (पैसा में)¹

अचल	1946	1951	1971	1972	1974
पूर्वो उत्तर प्रदेश	25	40	150	200	250
पश्चिमी उत्तर प्रदेश	30	55	225	275	350
पंजाब	30	60	350	425	500
महाराष्ट्र	50	100	425	500	600
मद्रास	35	35	340	400	500
बलरिष्ठा	60	100	445	500	600
दिल्ली	50	100	400	500	600

1. श्रम दिग्गज 8 जून 1975

गरीबी एवं असमानता को दूर अथवा कम करने के उपाय

भारत सरकार देश की गरीबी और अपायक विषमता को दूर करने के लिए चुन सकल्प है। सरकार ने भारतीय गरीबी की तस्वीर का पहचाना है और 'गरीबी हटाओ' का नारा लिया है। भारतीय इतिहास में अपने ढंग का यह पहला और महत्वपूर्ण मकल है और इसी नारे को साकार बनाने के लिए सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है तथा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को इसी रूप में डालने का प्रयत्न किया गया है कि वह गरीबी और असमानता को दूर करने वाली तथा देश का धारम-निर्भरता की सीटियों पर बढ़ाने वाली सिद्ध हो। गरीबी और असमानता को मिटाने अथवा अथासाध्य नगर्ण करने के स्वप्न को साकार बनाने हेतु ही भारत सरकार

ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। राजा महाराजाओं को दिया जाने वाला मुद्राबजा प्रीविलेज बन्द किया है। भूमि की अधिकतम जोत-सीमा तथा शहरी सम्पत्ति-निर्धारण के शान्तिकारी कदमों पर सश्रिय विचार हो रहा है और कुछ दिशाओं में आवश्यक कदम भी उठाए गए हैं। पाँचवी योजना 'शरीबी हटाओ' के उद्देश्य को लेकर चली है। आर्थिक शक्त के केन्द्रीकरण को रोकने हेतु सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं—जैसे औद्योगिक लाइसेंस-नीति में समुचित सशोधन करना, जमाखोरी और कालेबाजारी के विरुद्ध कठोर वैधानिक कदम उठाना, रिजर्व बैंक द्वारा देश के बैंकों को '50 बड़े खातों' पर सनकं दृष्टि रखने के आदेश देना आदि।

शरीबी और असमानता को कम करने की दिशा में निम्नलिखित अपेक्षित कदमों को उठाना आवश्यक है—

1. निजी-सम्पत्ति की सीमा बढोरतापूर्वक निर्धारित कर दी जाए। ऐसे कानून बना दिए जाएँ ताकि भूमि, नकद-जूजी, मकान आदि के रूप में एक सीमा से अधिक सम्पत्ति कोर्इ नहीं रख सके। विपमता का मूल आधार ही निजी-सम्पत्ति का स्वामित्व है, अतः इसकी सीमा-रेखा निर्धारित करना अनिवार्य है।

2. इस प्रकार के वैधानिक उपाय किए जाएँ जिनसे निजी-सम्पत्ति के उत्तराधिकार और सम्पत्ति-अन्तरण की प्रथा समाप्त हो जाए अथवा बाँधित रूप से सीमित हो जाए। यह उपयुक्त है कि उत्तराधिकार में सम्पत्ति प्राप्त करने वालों पर 'शारी उत्तराधिकार कर' लगा दिए जाएँ। धनिकों पर ऊँची दर से मृत्यु-कर लगाया जाए। सम्पत्ति-अन्तरण पर भेंट-कर लगा दिया जाए ताकि किसी भी धनिक द्वारा अपनी सम्पत्ति अन्य के नाम अन्तरित करते समय उसे कुछ अन्न सरकार को देना पड़े।

3. यद्यपि वर्तमान कर-नीति समाजवादी समाज की स्थापना की दिशा में सहयोगी है, तथापि यह अपेक्षित है कि धनिकों पर अधिकाधिक कठोरतापूर्वक आरोही कर लगाए जाएँ। दूसरी ओर निर्धनों को करों में अधिकाधिक छूट दी जाए, लेकिन उद्देश्य तब निष्फल हो जाएगा यदि वसूली ठीक ढंग से न की गई।

4. यद्यपि सरकार एकाधिकारी प्रवृत्ति पर नियन्त्रण के लिए प्रयत्नशील है, तथापि अपेक्षित है कि बिना किसी हिचक के बढोर एकाधिकार विरोधी कानून लागू किया जाए और मूल्य-अन्वियों को रोका जाए। जो कदम उठाए जा चुके हैं उन्हें इस दृष्टि से अधिकाधिक प्रभावी बनाया जाए जिससे धनी व्यक्ति एकाधिकार-गुट का निर्माण न कर सकें। यह उपाय भी विचारणीय है कि सरकार एकाधिकार द्वारा उत्पादित वस्तु का अधिकतम मूल्य निर्धारित करे।

5. विभिन्न साधनों के अधिकतम और न्यूनतम मूल्य-निर्धारण की नीति द्वारा आय की असमानताएँ कम की जा सकती हैं। इस नीति का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से होने पर आय की असमानताओं का कम होना निश्चित है। लेकिन साथ ही, इस नीति से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के प्रति सजग रहना भी आवश्यक है।

6. आय और सम्पत्ति की विपमता को कम करने हेतु अनाजिन आयों पर अत्यधिक उच्च-दर से प्रगतिशील करारोपण आवश्यक है। भूमि के मूल्यों में वृद्धि

अथवा लगान से प्राप्त आय, आकस्मिक व्यावसायिक लाभ, काला बाजारी से प्राप्त आय, एकाधिकारी लाभ, आदि पर अत्यधिक ऊँची दर से कर लगाया जाना चाहिए।

7 सरकार को निजी सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण करके प्राय-विपमता का निराकरण करना चाहिए। लेकिन यह उपाय एक बड़ा उग्र-भ्रष्ट है, जिसे भारत जैसे अर्द्ध विकसित और रूढ़िवादी-समाज के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस बात का भय है कि उग्र उपाय से देश में व्यावसायिक उद्यम की भारी बाधा पहुँचे। भारत की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ निजी-सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण के प्रतिकूल हैं।

8 सामाजिक सुरक्षा-सेवाओं का विस्तार किया जाए। यद्यपि सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है, तथापि कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी रूप में लागू करना प्रयत्नित है बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था, दुर्घटना और मृत्यु—इन सफटों का सर्वाधिक दुष्प्रभाव निर्धन वर्ग पर ही पडता है, अतः इनसे सुरक्षा हेतु सरकार को विस्तृत सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वित करनी चाहिए ताकि निधनों की प्राय में वृद्धि हो सके।

9 यह भी कहा जाता है कि सरकार को निर्धन-वर्ग को कार्य की गारण्टी देनी चाहिए। सरकार को रोजगार-वृद्धि की प्रभावशाली योजना अपनाकर यह निश्चित करना चाहिए कि बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो और यदि वह सम्भव न हो तो न्यूनतम जीवन स्तर निर्वाह करने हेतु उन्हें अनिवार्य आर्थिक सहायता सुलभ हो सके।

10 सरकार कानूनी रूप में अधिक सन्तानोत्पत्ति पर नियन्त्रण लगाए। यह निश्चित कर देना उपयुक्त होगा कि तीन बच्चों से अधिक सन्तान उत्पन्न करना कानूनी अपराध माना जाएगा। परिवार-नियोजन के कार्यक्रम में शिक्षिता विन्दुओं को दूर करने की प्रभावी चेष्टा की जाए।

11 उत्पादन वृद्धि दर और सार्वजनिक निजी-क्षेत्रों की बचत दर असन्तोषजनक है, अतः उसमें वृद्धि करने में हर सम्भव उपाय किए जाएँ और यदि इस दृष्टि से कटु और अश्रिय साधनों का प्रयोग करना पडे, तो उसमें भी हिचक न की जाए।

12 ठोस कार्यक्रमों को लागू किया जाए। विकास की रोजगार-बहुल मदी जैसे खेती, विद्युत, खनिज, भू-संरक्षण, क्षेत्रीय विकास, युव-उद्योग और पशुपालन, वन-उद्योग, मत्स्य उद्योग, गोदाम व्यवस्था, पणन, कृषि आधारित उद्योगों समेत लघु-उद्योग, सड़कें तथा अन्य विशेष कार्यक्रमों पर अधिकाधिक धन दिया जाए। डॉक्टर एवं रथ के अनुसार उन समस्त व्यक्तियों को जो काम करने को तैयार हैं, नत्नाल शुरू हो करने वाले कामों में न्यूनतम मजदूरी देकर लगा दिया जाए जैसे भूमि-विकास, कृषि, वन-वृद्धि, सड़क-निर्माण।

13 नैतिकता और न्याय की माँग करते हुए डॉक्टर एवं रथ ने गरीबी हटाने की दिशा में समाज के समूह वर्गों से त्याग की माँग की है। उनके अनुसार

समाज के समृद्ध वर्गों को जो आज उस न्यूनतम स्तर से कहीं अधिक ऊँचे स्तर पर जीवनयापन कर रहे हैं, जिसका हम आज गरीबों को आश्वासन देना चाहते हैं, इस कार्यक्रम का बोझ उठाना ही पड़ेगा। गाँव और शहर की जनसंख्या के समृद्ध वर्ग में से पहले 5% लोगों के प्रतिदिन के व्यय में 15% की कटौती तथा उराले बाद के (कम समृद्ध) 5% लोगों के प्रतिदिन के व्यय में 7.5% कटौती कर देने से ही काम चल जाएगा। यह बोझ बढ़ा नहीं है, वरन् कि अमीर लोग इन्साफ़ और बुद्धि से काम लें। साथ ही आवश्यक वित्तीय-उपाय भी करने होंगे ताकि उन अमीरों से आवश्यक आर्थिक साधन प्राप्त किए जा सकें।

दाम नीति और गरीबों निवारण (कलकत्ता का 'दाम बाँधो सम्मेलन' जनवरी 1978)

कलकत्ता (शिक्षायतन, लॉर्ड सिन्हा रोड) में 30-31 दिसम्बर, 1977 और 1 जनवरी, 1978 को 'समता' (8 इंडियन मिरर स्ट्रीट) द्वारा एक 'दाम बाँधो सम्मेलन' आयोजित किया गया था। वास्तव में दाम नीति और गरीबी का भी बहुत निकट का सम्बन्ध है। सम्मेलन में सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पारित किए गए और गरीबी के कारणों को दूर करने के लिए जो सुझाव दिए गए, वे निश्चय ही गरीबी की समस्या और उसके निदान पर अच्छा प्रकाश डालते हैं—

“अन्त में सम्मेलन में ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए—राजनीतिक और सामाजिक सत्ता के लम्बे अर्से से बले आ रहे विपण और असमान बँटवारे के परिणामस्वरूप आज हमारे देश में बर्बादी और गैरबराबरी की एक भयानक अर्थ-व्यवस्था पैदा हुई है—आजादी के बाद प्रायः तीस साल बीत चुके हैं, फिर भी यही स्थिति बनी हुई है। इसमें कोई गुणगुणक परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ है, बल्कि सच यह है कि और भी गैरबराबरी तथा गरीबी बढ़ी है।”

ऐसी स्थिति में मौजूदा दामों की प्रणाली के तहत आर्थिक विकास और समतावादी समाज का निर्माण असम्भव है। वास्तव में समतावादी समाज के निर्माण के लिए जब तक उपलब्ध सभी साधनों का नियोजन नहीं होता, तब तक हमारा आर्थिक विकास नहीं हो सकता।

उपभोक्ताओं की दृष्टि से विचार करने पर हमारा समाज तीन श्रेणियों में विभक्त दिखाई पड़ता है—(1) कृषि और उद्योग धन्यो के मालिक और बड़े व्यापारी (2) स्वतन्त्र पेशेवर उच्च मध्यवर्ग के लोग और सशक्त मजदूर (3) छोटे किसान, अत्यन्त गरीब अलाभकार जोत वाले किसान भूमिहीन मजदूर असंगठित शहरी मजदूर

हमारी जनसंख्या में 20-25% लोग इसी वर्ग के हैं और प्रायः ये सभी लोग ग्रामीण हैं। इसके अलावा पहले दो वर्गों के लोगों के आय-व्यय और उपभोक्ता का सारा बोझ भी इन्हीं ही डोना पड़ता है। ये सारे लोग दामों की प्रणाली के बिलकुल बाहर पड़ते हैं। इनकी समस्या का समाधान मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक सत्ता

के समतामूलक बंटवारे के बिना सम्भव नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि इसमें समय लगेगा। लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए हम इन्जारे नहीं कर सकते। समस्या की मूला को समझने हुए हमें तत्काल कार्यवाही करनी होगी।

हमारा पहला कर्तव्य है गरीबी के प्रसार को रोकना यही हमारे दाम बाँधो आन्दोलन की सार्थकता है। जो परिवार थोड़ी बहुत मूल्य वृद्धि के कारण ही भयावह दरिद्रता के शिकार हो जाते हैं उनको बचाने के लिए जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं के दामों को लागत खर्च के आसपास ही बाँधना होगा।

यह सम्मेलन मानता है कि जीवन की आवश्यक वस्तुओं का तथा इनके उत्पादन में सहायक सामग्रियों के उत्पादन तथा सब के वितरण के लिए हम मौजूदा बाजार व्यवस्था पर निर्भर नहीं कर सकते। सरकार इस कार्य को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में ही निभा सकती है।

इनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के उत्पादन की सीमा बाँधनी होगी या अगर जरूरी हो तो इनका उत्पादन ही बिलकुल बंद कर देना होगा और उत्पादित वस्तु का दाम लागत के आधार पर ही निर्धारित करना होगा। ऐसा न करने पर अर्थनीति की अनियंत्रित कमाई का पमा पूरी अर्थ-व्यवस्था को ही विकृत करता रहेगा जो गरीबी निवारण के कार्य में स्पष्ट बाधक होगा।

कृषि उद्योग में उत्पादन वृद्धि का तब देकर या निर्यात के तक के नाम पर कोई ऐसी सुविधा नहीं दी जानी चाहिए जिससे विपमता बढ़े या कायम रहे।

मौजूदा हालत में आय व्यय को सीमित किए बिना और मजदूरों की न्यूनतम आय निर्धारित किए वगैर दामों के बाँधने का काम नहीं हो सकता। हम अपनी आर्थिक योजना का निर्माण इस प्रकार करना चाहिए कि सबसे गरीब तब तक लोगो को काम मिल और किसानों को अपनी उपज से जीवन निर्वाह की पति हो सके जो कि अल्पम गरीब है और इस तरह एक ऐसी स्थिति लानी होगी जिस में किसानों के अपने उत्पादन का बढ़ाकर अनाज व बदले अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं को खरीद सके। इस प्रकार की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के आधार पर हम जीवनोपयोगी वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योग षाधों का विकास करना होगा।

वस्तुतः हमारे देश में जिन कारणों से गरीबी है, उन्हीं कारणों के फलस्वरूप उत्पादन में कमी होती है और दाम बढ़ते हैं और गरीबी का फैलाव होता है।

उपर्युक्त विचारों का साकार करने के लिए ये कार्यक्रम हैं—(1) कारखाना में बनी किसी भी जीवनोपयोगी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत खर्च व इण्डेक्स में लागत खर्च तथा सभी प्रकार के कर मुनाफा और वितरण पर होने वाले व्यय भी शामिल होगा (2) जीवनोपयोगी वस्तुओं का अलावा भी कारखाना में बनी चीजों का दाम सरकारी कर छोड़ कर इण्डेक्स से अधिक नहीं होना चाहिए (3) विभिन्न वस्तुओं का सर्वाधिक दाम को मद्देनजर रखते हुए ही सरकार को दर लगाना चाहिए। सरकार को न बचक पर बल्कि अपने खर्च पर भी सीमा लगानी चाहिए। देश के दारिद्र्य का देखत हुए अनुत्पादक को बाँधना जरूरी ही नहीं अनिवार्य है, (4) लागत खर्च का हिमायत लगाने के लिए नगानार जाँच, निगरानी तथा नियंत्रण रखना होगा,

(5) जमीन का पुनर्वितरण कर के किसानों को बीज सिंचाई, खाद आदि चीजें बिना कर के सरकार के द्वारा मुहैया की जाए, (6) किसान को उसके अनाज और कच्चे माल का ऐसा दाम मिले जो लागत खर्च और जीवन निर्वाह के अनुकूल हो, (7) खेतिहर और औद्योगिक वस्तुओं के दामों में सन्तुलन कायम हो, (8) दो फसलों के बीच किसी भी अनाज का दाम 20% से अधिक न हो, (9) अनाज की स्थिति में लोगों को निम्नतम प्राय को देखते हुए सर्वाधिक प्राय प्रति व्यक्ति 2000 रु. महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस सीमा को बनाए रखने के लिए कुछ खास प्रकार के सब्सिडी पर पाबन्दी लगायी होगी, (10) उपभोग की चीजों के उत्पादन में असंख्य प्रकार के जो भेद हैं, उन्हें घटा कर इतना सीमित कर देना होगा जिससे एक ही चीज के दामों में बहुत अन्तर न हो (11) देश में कम न कम 20 हजार करोड़ रु का काले धन का कारोबार चल रहा है। इसके कारण एक समानान्तर अर्थ-व्यवस्था निर्मित हो गई है। बिना इसे खत्म किए दामों का वृद्धि करना होगा। इसके लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं। किसी भी उपाय से सरकार इस काले धन की व्यवस्था को समाप्त करे।

गरीबी-निवारण और असमानता दूर करने के सरकारी प्रयत्न

देश की पंचवर्षीय योजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य यह रहा है कि भारत की जनता की गरीबी को दूर किया जाए और आर्थिक विषमता को खारिजी किया जाए। इस दिशा में योजनाओं में जो व्यवस्थाएँ की गईं, और योजनाओं की जो उपलब्धियाँ रही, उनका विवेकानुसार अध्ययन में प्रमाणित किया जा चुका है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का सीधा लक्ष्य गरीबी और असमानता पर प्रहार करना तथा जनसंख्या वृद्धि पर कठोर प्रहार करना था। मार्च, 1977 के सत्ता परिवर्तन के बाद जनता सरकार ने समूची अर्थ-व्यवस्था और समग्र नियोजन के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाया है जो पिछले किसी भी समय की अपेक्षा अधिक यथार्थवादी है। सन् 1978-1983 की छठी योजना का जो प्रारूप राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष प्रस्तुत हुआ है उसमें विभिन्न व्यवस्थाएँ इस प्रकार की हैं जिनसे बेरोजगारी और गरीबी के अभिशाप से कुछ मुक्ति मिलने की आशा बलवती हुई है। जनता सरकार का प्रथम लिखी बातों को अमली जामा पहनाने की कटिबद्ध दिशाई देती है, अतः हमें आशा करनी चाहिए कि बीस साल 30 वर्ष में जिन जन-आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सका, उसे जनता शासन लगभग 10 वर्ष की अवधि में पूरी कर लेगा। जैसे नई राष्ट्रीय योजना का वास्तविक मूल्यांकन तो भविष्य के गर्भ में है।

जनता सरकार ने सन् 1978-79 का जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मुख्य लक्ष्य भी 'गरीबी-उन्मूलन' है। अखिल भारतीय ग्वास निर्माता सघ के चौतीसवें वार्षिक सम्मेलन में भाषण देते हुए वित्त मंत्री श्री पटेल ने 14 मार्च को यह स्पष्ट शब्दों में कहा था—“जनता पार्टी की आर्थिक नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य गरीबी दूर करना है।” बजट में इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार इस प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कृत सकल्प है। कृषि और ग्रामीण विकास में अधिक पूंजी-निवेश द्वारा रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना, बुनियादी सुविधाओं

का विकास और ग्रामीण उद्योगों में अधिक पूंजी निवेश, गरीब लोगों का स्तर ऊंचा उठाने के उपाय हैं। गरीबी की समस्या बहुत बड़ी है और पिछले एक वर्ष में मात्र सीमित सफलता ही प्राप्त की जा सकी है, परन्तु बजट के उद्देश्य एवं निर्देश स्पष्ट हैं और फिर निश्चित मार्ग का अनुसरण करने पर ही इस दिशा में अत्यधिक प्रगति की जा सकती है।

मन्त्री महोदय ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत होना कि देश में प्राथमिक उद्देश्य गरीबी दूर करना होना चाहिए। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के बारे में अनुमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परन्तु इस बात पर आम सहमति है कि ऐसे लोगों की सख्या करोड़ों में है। यह निर्धनता या तो बेरोजगारी के कारण है, अथवा उचित रोजगार न मिल पाने के कारण है और यह ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से विद्यमान है। कृषि मजदूर, छोटे और सीमान्त कृषक तथा ग्रामीण उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक इतना कम कमाते हैं कि वे अपनी न्यूनतम जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते। शहर में रहने वाले गरीबों की समस्या भी कम गम्भीर नहीं है क्योंकि उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गाँवों से जीविका की खोज में शहरों में आए होते हैं। अनुमान है कि कुल मिलाकर लगभग 6 करोड़ लोग, जो या तो बेरोजगार हैं अथवा जिन्हें उचित रोजगार प्राप्त नहीं है के लिए तलाश करना है। और यह उन्हीं क्षेत्रों में करना होगा जहाँ वे लोग रहते हैं, क्योंकि बड़ी सख्या में लोगों का स्थानान्तरण कठिन और सामान्यतः अर्वाहनीय स्थितियों में ही होता है।

वित्त मन्त्री ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास में अधिक पूंजीनिवेश द्वारा रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए जा सकते हैं। इसीलिए कृषि और सम्बद्ध सेवाओं, बुनियादी सुविधाओं, सिंचाई और बिजली के लिए पूंजीनिवेश में काफी वृद्धि की जा रही है। ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आम और रोजगार के अवसर बढ सकें।

मन्त्री महोदय ने कहा कि बजट का उद्देश्य अर्थ व्यवस्था का सामान्य पुनर्स्थापन भी है। 11600 करोड़ रुपये के विकास परिव्यय से निःसन्देह दोनों—प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अर्थ व्यवस्था में मान का स्तर बढेगा। इस विशेष रूप से उन उद्योगों, जिन्हें माँग की मन्दी का सामना करना पड रहा है, पर अवश्य लाभदायक प्रभाव पडेगा।

गरीबी और असमानता का निवारण केवल सरकार का ही काम नहीं है, सार समाज का है। गरीबी उन्मूलन की विशालता को ध्यान में रखना आवश्यक है। जब तक कतिपय शर्तों की पूर्ति नहीं की जाती तब तक योजना चाहे कितनी भी अच्छी हो देश अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकता। सबसे बड़ी आवश्यकता दृढ स्वावलम्बन की भावना से कृषि, फँकट्री और कार्यालय में कार्य करने की है। जीवन और कार्यक्षेत्रों के सभी क्षेत्रों में सामाजिक अनुशासन बनाए रखना भी आवश्यक है। इसके लिए बलिदान करना पडेगा विशेषकर उन व्यक्तियों को जो प्रच्छेदी स्थिति में हैं। इन मामलों पर काफी जन-चेतना पैदा हो चुकी है और गरीबी की चुनौती का सामना करने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपना योगदान करना पडेगा। सम्बन्धित बाधाओं को देखते हुए काफी धैर्य से कार्य करना होगा। शताब्दियों पुरानी गरीबी को दूर करना कोई आसान काम नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र को सुनिश्चित कार्यवाही द्वारा, अपने सकल की पूर्ति हेतु सज्ज हो जाना चाहिए।

भारत में बेरोजगारी-समस्या का स्वरूप तथा वैकल्पिक रोजगार नीतियाँ

(THE NATURE OF UNEMPLOYMENT PROBLEM AND
ALTERNATIVE EMPLOYMENT-POLICIES IN INDIA)

भारत एक विकासमान किन्तु अर्द्ध-विकसित देश है जहाँ बेरोजगारी का स्वरूप औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों की अपेक्षा भिन्न है। देश में काफी बड़ी समस्या में श्रमिक प्रौर शिक्षित बेरोजगार हैं अथवा अल्प-रोजगार की स्थिति में हैं। ऐसे श्रमिकों की समस्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो वर्ष के कुछ महीनों में तो कार्यरत होने हैं और शेष महीनों में बेकार रहते हैं। भारत में बेरोजगारी की समस्या इतनी विकराल बन चुकी है कि उससे हमारा सम्पूर्ण अर्थ-तन्त्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। समाजवादी समाज की स्थापना के लिए, लोगों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए, देश की बहुमुखी प्रगति और समृद्धि के लिए बेरोजगारी की समस्या के प्रभावी हल ढूँढना भारत के लिए निरन्तर एक आवश्यक अर्थ और गम्भीर चुनौती है। इस और पूरा-पूरा ध्यान दिया जाना परमावश्यक है तथा समस्या का चिन्ताजनक पहलू यह है कि अब तक किए गए प्रयत्न बेरोजगारी की बढ़ती फौज पर अकुश नहीं लगा सके हैं। कुछ दृष्टियों से सफलता मिली है, पर कुल मिलाकर वह लगभग निष्प्रभावी ही मानी जानी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक योजना के अन्त में बेरोजगारों की कुल संख्या पूर्वापेक्षा अधिक ही मिलती है।

भारत में बेरोजगारी का स्वरूप और किमें (Nature and Types of Unemployment in India)

भारत में बेरोजगारी के कई रूप हैं। इनमें खुली बेरोजगारी, प्रांशिक बेरोजगारी, ग्रामीण अल्प-रोजगारी, शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी, औद्योगिक-क्षेत्र में बेरोजगारी आदि प्रमुख हैं। इन्हें दो मोटे वर्गों में रखा जा सकता है—ग्रामीण बेरोजगारी एवं शहरी बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी के जो विभिन्न रूप उपलब्ध हैं, वे कृषि-प्रधान अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में प्रायः देखने को मिलते हैं।

संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural Unemployment)—भारत में बेरोजगारी का विशेष पहलू यह है, कि यह बेरोजगारी 'संरचनात्मक' (Structural) किस्म की है अर्थात् इसका सम्बन्ध देश के पिछड़े आर्थिक ढाँचे के साथ है। इसीलिए यह बेरोजगारी दीर्घकालिक प्रकृति (Chronic Nature) की है। अर्थात् भारत में श्रमिकों की संख्या की अपेक्षा रोजगार के अवसर अथवा रोजगार मात्रा न केवल बहुत कम है, वरन् यह कमी देश की पिछड़ी प्रथम व्यवस्था से सम्बद्ध भी है। पूँजी-निर्माण दर बहुत नीची होने से रोजगार-मात्रा का कम पाया जाना स्वाभाविक है। इस दीर्घकालिक प्रकृति की बेरोजगारी का हल यही है कि देश का तेजी से आर्थिक विकास किया जाए।

द्विधी या प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment)—भारत में बेरोजगारी के इस रूप से श्रमिकों का बड़ा भाग प्रभावित है। यह बेरोजगारी मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। ऊपर से तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति कार्यरत है किन्तु वास्तव में, वे बेरोजगार होते हैं अर्थात् कार्यरत रहने के बावजूद उनसे उत्पादन में कोई वास्तविक योगदान नहीं मिलता। प्रो. नरसिंहे के मतानुसार अर्द्ध विनसित प्रथम-व्यवस्थाओं में कृषि-क्षेत्र में सलग्न अधिकांश श्रमिक ऐसे होते हैं जिन्हें यदि कृषि-कार्य से हटा लिया जाए तो कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी। आर्थिक दृष्टि में ऐसे श्रमिकों को बेरोजगार ही कहा जाएगा, क्योंकि यह उत्पादन-कार्य में कोई योग नहीं देते अथवा इनका सीमान्त उत्पादन शून्य होना है। चूँकि ऊपर से देखने पर ये श्रमिक काम में लगे होने हैं, इसीलिए इनकी बेरोजगारी को 'प्रच्छन्न बेरोजगारी' कहा जाता है। ऐसी बेरोजगारी के सम्बन्ध में यह कहना बहुत कठिन होता है कि कितने व्यक्ति इस रूप में बेरोजगारी के शिकार हैं।

घटपू-बेरोजगारी (Under-employment)—बेरोजगारी का 'अल्प-बेरोजगारी' स्वरूप भी देश में पाया जाता है। इसके अन्तर्गत वे श्रमिक आने हैं जिन्हें थोड़ा बहुत काम मिलता है और वे थोड़ा बहुत उत्पादन में योगदान भी देते हैं, किन्तु जिन्हें वस्तुतः अपनी क्षमतानुसार कार्य नहीं मिलता अथवा पूरा कार्य नहीं मिलता। ये श्रमिक उत्पादन में अपना कुछ न कुछ योगदान तो करते हैं, लेकिन उनका नहीं कर पाते जितना कि वे वस्तुतः कर सकते हैं। बेरोजगारी का यह रूप भी एक प्रकार से प्रच्छन्न बेरोजगारी का ही एक अंग है।

मौसमी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment)—बेरोजगारी का यह स्वरूप भी मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है। कृषि में सलग्न अधिकांश श्रमिक ऐसे होते हैं, जिन्हें वर्ष के कुछ महीनों में काम उपलब्ध नहीं होता। ये श्रमिक वर्ष के कुछ मौसम में तो पूर्णरूप से कार्य में व्यस्त रहते हैं और कुछ मौसम में बिल्कुल बेरोजगार हो जाते हैं। साथ ही कृषि छोड़कर दूसरे काम की तलाश में बाहर भी नहीं जा पाते।

खुली बेरोजगारी (Open Unemployment)—इसका अभिप्राय ऐसी बेरोजगारी से है जिसमें श्रमिकों को कोई रोजगार नहीं मिलता, वे पूर्णरूप से

बेरोजगार रहते हैं। गाँवों से अनेक व्यक्ति रोजगार की तलाश में शहरों में जाते हैं, लेकिन कार्य न मिल पाने के कारण बेरोजगार पड़े रहते हैं।

चक्रीय बेरोजगारी (Cyclical Unemployment)—बेरोजगारी का यह स्वरूप प्रायः पूँजीवादी उद्योग प्रधान तथा विकसित ग्रह-अवस्थाओं में विशेष रूप से दिखाई देता है। वहाँ माँग में कमी आ जाने से कुछ उद्योग अल्पकाल के लिए बन्द हो जाते हैं और आर्थिक मन्दी की स्थिति पैदा हो जाती है। भारत में भी कुछ वर्षों से औद्योगिक क्षेत्र में मन्दी का बातावरण छा जाने से कुछ उद्योगों में चक्रीय बेरोजगारी प्रकट हुई है। सूती वस्त्र उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग इसके विशेष रूप से शिकार बने हैं। सन् 1975 में देश में विजली के पलों, मोटरकारों, एयर कण्डिशनरो आदि की माँग घट जाने से सम्बन्धित कारखानों में उत्पादन क्षमता का कम प्रयोग होने लगा जिससे श्रमिकों में बेरोजगारी फैलने की स्थितियाँ पैदा हो गईं सरकार ने जागरूकता प्रदर्शित की और सन् 1976-77 के बजट में उत्पादन शुल्कों में कमी करके इन उद्योगों में माँग बढ़ाने का प्रयास किया गया। समय-समय पर भारत में इस प्रकार की चक्रीय बेरोजगारी उत्पन्न होकर पहले से ही विद्यमान बेरोजगारी की संख्या को और बढ़ा देती है।

शिक्षित बेरोजगारी (Educated Unemployment)—शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ इस प्रकार की बेरोजगारी का कुछ वर्षों से अधिक प्रसार होने लगा है। शिक्षित व्यक्तियों या श्रमिकों की कार्य के प्रति प्रत्याज्ञाएँ अलग सी होती हैं और वे विशेष प्रकार के कार्यों के योग्य भी होते हैं। शिक्षित बेरोजगारी में अधिकांश ऐसे हैं जो अल्प-रोजगार की स्थिति में हैं और विशाल संख्या में ऐसे हैं, जो खुली बेरोजगारी की प्रवस्था में हैं। शिक्षित बेरोजगार अधिकतर शहरों में पाए जाते हैं। शिक्षित श्रमीण भी रोजगार की तलाश में प्रायः शहरों में भटकते रहते हैं।

बेरोजगारी की माप

(Measurement of Unemployment)

भारत में बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों को देखते हुए प्रश्न उठता है कि बेरोजगारी की कौनसी किस्म में कितने बेरोजगार हैं अथवा देश में कुल बेरोजगारों की वास्तविक संख्या कितनी है? लेकिन इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है, क्योंकि देश में बेरोजगारी की उचित माप असम्भव सी है। हमारे यहाँ बेरोजगारी कुछ इस प्रकार की है कि अभी तक ठीक ढंग से इसकी माप नहीं की जा सकी है और इस सम्बन्ध में उपस्थित विभिन्न कठिनाइयों को देखते हुए ही सन् 1971 की जनगणना में बेरोजगारों के प्रागमन का कार्य बन्द कर दिया गया है। संविधान सभा की सन् 1970 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी के सम्बन्ध में जो भी अनुमान लगाए गए हैं, वे अविश्वसनीय हैं और समुचित अवधारणाओं तथा विधियों के सहारे नहीं लगाए गए हैं।

भारत में कृषि-क्षेत्र में प्रचलित बेरोजगारी का मापना एक बहुत ही कठिन समस्या है, क्योंकि इस बात का पता लगाना लगभग असम्भव ही है कि कृषि-क्षेत्र में

कितने व्यक्तियों की वस्तुतः आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, देश में कृषि, मौसम पर निर्भर है और काम-काज मौसम के अनुसार चलता है अर्थात् वर्ष के कुछ भाग में अत्यधिक श्रमियों की आवश्यकता है तो कुछ भाग में बहुत कम। अतः जो श्रमिक किसी एक समय में उत्पादन-दृष्टि से बहुत आवश्यक होते हैं, वे किसी दूसरे समय में गैर-जरूरी बन जाते हैं। यह भी एक बड़ी कठिनाई है कि ग्रामीण बेरोजगारी के सम्बन्ध में सही आँकड़ों का अभाव है। शहरी बेरोजगारी के सम्बन्ध में भी आँकड़ों का अभाव है, जो आँकड़े उपलब्ध हैं वे रोजगार कार्यालयों द्वारा तैयार किए गए हैं। इन कार्यालयों में मुख्यतः शहरी लोग ही अपना नाम दर्ज कराते हैं और वह भी प्रायः कम संख्या में। देश में बेरोजगार व्यक्तियों के लिए इन कार्यालयों में नाम दर्ज कराना अनिवार्य नहीं है, अतः विशाल संख्या में लोग अपना नाम इन कार्यालयों में दर्ज नहीं करवाते। एक अध्ययन के अनुसार, भारत में लगभग 25% बेरोजगार ही—और वे भी शहरी—इन कार्यालयों में अपना नाम दर्ज कराते हैं। अधिकांश व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कार्यरत तो होते हैं लेकिन बेरोजगारों की सूची में अपना नाम इसलिए दर्ज करा देने हैं कि उन्हें अधिक अच्छी नौकरी का अवसर मिल सके। संक्षेप में बेरोजगारों की माप सम्बन्धी विषय कठिनाइयों के परिणामस्वरूप ही देश में बेरोजगारों के सम्बन्ध में अधिक अनुमान उपलब्ध नहीं है और जो थोड़े बहुत हैं उनमें भी परस्पर बहुत अन्तर है।

भारत में बेरोजगारी के अनुमान (Estimates of Unemployment in India)

यद्यपि बेरोजगारी के बारे में विश्वस्त अनुमान और आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तथापि इसमें संदेह नहीं कि देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में श्रमिक और शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार हैं। दलितवादा समिति के जो भी विचार रहे हों, लेकिन ये विचार श्रम-बाजार में विद्यमान परिस्थितियों पर आधारित नहीं हैं और इस निष्कर्ष से बहुत कम लोगों की सहमति होगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी-समाधान का उद्देश्य प्राप्त करने में असमर्थ रही है। इसके विपरीत, प्रत्येक उत्तरोत्तर योजना के साथ बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होती गई है। एक अनुमान के अनुसार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या एक करोड़ से अधिक है और इससे भी बड़ी संख्या उन बेरोजगार लोगों की है जिनके नाम कार्यालयों में दर्ज नहीं हैं और जिनके बारे में अधिकृत आँकड़े उपलब्ध नहीं। अनुमान है कि केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही पाँच करोड़ से अधिक लोग बेरोजगारी या अर्द्ध-बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। बेरोजगारी का अर्थ है—काम करने योग्य और नाम करने के इच्छुक लोगों के लिए काम का अभाव। यानी वह व्यक्ति बेरोजगार है जो शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से काम करने की क्षमता तो रखता है परन्तु उसे काम नहीं मिलता अथवा काम से प्रलग होने के लिए बाध्य किया जाता है।

पंचवर्षीय योजनाओं में बेरोजगारी के अनुमान

एक अध्ययन के अनुसार प्रथम योजना के अन्त तक कुल श्रम-शक्ति में से

केवल 2-9% व्यक्ति बेरोजगार थे, तृतीय योजना के अन्त तक बेरोजगारी की मात्रा बढ़कर 4.5% हो गई और मार्च, 1969 तक यह 9.6% के आश्चर्यजनक आँकड़े तक पहुँच गई। चतुर्थ योजना के आरम्भ में ही लगभग 100 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे और यह अनुमान था कि चतुर्थ योजना के दौरान लगभग 230 लाख नए श्रमिक श्रम-आजार में प्रवेश कर जाएँगे। अतः नौकरियाँ प्राप्त करने वालों की संख्या 330 लाख हो जाएगी। नौकरियों की इस माँग के विरुद्ध, 185 से लेकर 190 लाख तक नौकरियाँ कायम की जाएँगी। जिनमें से 140 लाख शैर-कृषि-क्षेत्र में और 43 से 50 लाख कृषि-क्षेत्र में होगी। चतुर्थ योजना के अन्त पर 140 लाख बेरोजगार व्यक्ति शेष रह जाने की सम्भावना व्यक्त की गई।

मार्च, 1978 की योजना में प्रकाशित अपने एक लेख में श्री नारायण ध्यान ने पञ्चवर्षीय योजनाओं में बेरोजगारों की संख्या निम्नानुसार बताई है—

बेरोजगार लोगों की संख्या (लाखों में)

योजना कात	बेरोजगारों का पिछला बकाया	नई श्रम शक्ति प्रवेश	योजनाकाल में कुल बेरोजगार	योजनाकाल में योजना के अन्त में शेष बेरोजगार	योजना के अन्त में शेष बेरोजगार
प्रथम पञ्चवर्षीय योजना	33	90	123	70	53
द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना	53	118	171	100	71
तृतीय पञ्चवर्षीय योजना	71	170	241	145	96
तीन वार्षिक योजनाएँ	96	140	236	110	126
चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना	126	273	399	180	219

भगवती समिति के अनुमान

भगवती समिति की रिपोर्टें मई, 1973 में प्रकाशित, तथ्यों के अनुसार सन् 1971 में देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या लगभग 187 लाख थी। इनमें से 90 लाख तो ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास कोई रोजगार नहीं था और 97 लाख ऐसे थे, जिनके पास 14 घण्टे प्रति सप्ताह का कार्य उपलब्ध था और जिन्हें बेरोजगार ही माना जा सकता था। इनमें से 161 लाख बेरोजगार व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों से थे और 26 लाख शहरी क्षेत्रों से। कुल श्रम-शक्ति के प्रतिशत के रूप में बेरोजगार व्यक्तियों की मात्रा 10.4% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की मात्रा 10.9% और नगरीय क्षेत्रों में 8.1% थी। यह विवरण निम्नलिखित सारणी में स्पष्ट है—

1971 में भारत में बेरोजगार श्रमिक (लाखों में)

भेद	कुल	ग्रामीण	नगरीय
कुल बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या	187	161	26
कुल श्रम-शक्ति	1803.7	1483.7	320
बेरोजगार श्रम-शक्ति के प्रतिशत रूप में	10.4	10.9	8.1

संघिति ने सन् 1971 की जनसंख्या में अल्प-रोजगार प्राप्त लोगों का भी अनुमान लगाया था। यह अनुमान राष्ट्रीय संचयन सर्वेक्षण (NSS) के 19वें दौर में अल्प रोजगारों के प्रतिष्ठानों पर आधारित है। इस अनुमान का संक्षेप इस प्रकार है—

(लाखों में)

सप्ताह में काम के घण्टे	1971 की जनसंख्या में अल्प-रोजगार व्यक्ति			
	पुरुष	स्त्रियाँ	योग	
ग्रामीण (1—14 घण्टे तक)	44 04	40 02	84 06	
नगरीय (1—14 घण्टे तक)	7 08	5 01	12 09	
	योग	52 02	45 03	97 05

जहाँ तक शिक्षित वर्ग में बेरोजगारों की संख्या का सम्बन्ध है, एक अध्ययन के अनुसार सन् 1951 में यह संख्या लगभग 2.4 लाख थी जो सन् 1972 में 32.8 लाख हो गई अर्थात् इसमें 13 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई। सन् 1970-72 के बीच शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में लगभग 14.6 लाख की तीव्र वृद्धि हो गई।

रोजगार कार्यालयों के आँकड़े

वर्ष	पंजीकृत बेरोजगार
1961	18 लाख
1966	26 लाख
1971	51 लाख
अक्टूबर, 1975	93 लाख
दिसम्बर, 1976	98 लाख
मार्च, 1977	102 लाख

रोजगार कार्यालयों के आँकड़ों को कुछ कमियाँ हैं। इनमें सभी बेरोजगार व्यक्ति अपना नाम दर्ज नहीं करा पाते और कुछ व्यक्ति वर्तमान नाम से अर्थात् काम पाने की आशा में भी अपना नाम लिखा देने हैं।

प्रो. राजकृष्ण के अनुमान

प्रो. राजकृष्ण ने अपने अध्ययन में बेरोजगारों के जो अनुमान प्रस्तुत किए हैं उनमें बेरोजगार लोगों के साथ-साथ उन अल्प रोजगार प्राप्त लोगों को भी शामिल किया गया है जो अतिरिक्त काम के लिए उपलब्ध होते हैं। उन्होंने सन् 1971 में बेरोजगारी की संख्या के लिए जो अनुमान प्रस्तुत किए हैं—

प्रथम अनुमान के अनुसार, सन् 1971 में 18.5 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे। इनमें 91 लाख व्यक्ति पूर्णतया बेरोजगार थे और 9.4 लाख व्यक्ति अल्प रोजगार के शिकार थे। उन्हें सप्ताह में 28 घण्टे या और भी कम समय के लिए काम मिल पाता था।

द्वितीय अनुमान के अनुसार सन् 1971 में 29.3 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे जिनमें 91 लाख व्यक्ति पूर्ण बेरोजगारी और 20.2 लाख व्यक्ति गम्भीर रूप से

साधारण अल्प-रोजगारी की स्थिति में थे। साधारण रूप से बेरोजगारी की स्थिति में प्रो. राजवृष्ण ने उन लोगों को माना है जिन्हें सप्ताह में 28 घण्टों से अधिक किन्तु 42 घण्टों से कम काम मिल पाता है। गम्भीर अल्परोजगारी से ग्रस्त लोगों को सप्ताह में 28 घण्टे अथवा और भी कम समय के लिए ही काम मिल पाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के अनुमान

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संघ (I. L. O) के एगिया सम्बन्धी एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सन् 1962 में 9.0 प्रतिशत बेरोजगारी विश्वमान थी, किन्तु सन् 1972 में कुल श्रम-शक्ति के अनुपात के रूप में 11 प्रतिशत व्यक्ति बेरोजगार थे। अतः स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संघ का यह अनुपात भगवती समिति के अनुमान के अनुरूप ही है।

चिन्तामणि देशमुख एवं अन्य अर्थ-शास्त्रियों के अनुमान

भारत में एक भूतपूर्व वित्तमन्त्री चिन्तामणि देशमुख के अनुसार देश में लगभग एक करोड़ 50 लाख व्यक्ति बेकार हैं, जिनमें एक अर्ध-अर्थशास्त्री के अनुसार इस समय लगभग आठ करोड़ व्यक्ति बेरोजगार हैं। इस संख्या में ऐसे लोगों को भी सम्मिलित किया गया है जो अर्ध-बेकार हैं। किन्तु साधारणतया करीब 4 करोड़ 50 लाख व्यक्तियों को बेकारी की सूची में सम्मिलित किया जा सकता है।

एक शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसमें कोई बेरोजगार न हो। देश में बेरोजगारी की जो स्थिति है उसकी अर्थ और उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह हमारी गरीबी का बीजा जागता प्रमाण है। 31 मार्च, 1977 को पञ्जीकृत शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या एक करोड़ दो लाख थी। वास्तव में लोगों को रोजगार प्रदान करने की समस्या काफी वर्षों तक हमारे साथ रहेगी। इसका कारण यह है कि जिन व्यक्तियों को 1990 में तथा 1990 से प्रारम्भ होने वाली दशाब्दी में रोजगार प्रदान करना होगा वे देश में जन्म ले चुके हैं। अतः आगामी दो दशाब्दियों तक काफी कठिनाइयों का सामना करना होगा। गरीबी भारत का दुर्भाग्य है तो देश में फैली बेरोजगारी एक अग्निशाय। विश्व के अन्य राष्ट्रों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट है कि लगभग सभी देश इस समस्या से पीड़ित हैं। अमेरिका जैसे समृद्ध राष्ट्र में भी जनसंख्या का लगभग पचासवाँ भाग अभी भी गरीब है। पर भारत में तो समस्त जनसंख्या का 40 प्रतिशत भाग ही ऐसा है जो निर्धनता रेखा को पार करता है, अन्यथा अधिकांश जनता इस रेखा से नीचे ही जीवन-यापन करने को विवश है।¹

पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान रोजगार-विनियोग अनुपात

रिजर्व बैंक के विनियोग और रोजगार के अनुमान के अनुसार प्रथम योजना के दौरान एक नई नौकरी कायम करने के लिए औसतन 5,854 रुपये का विनियोग

1. योजना 7-21 मर्च 1978 (श्री नारायण ध्यान लाल सेव : बेरोजगारी की समस्या और समाधान), पृष्ठ 22.

करना पड़ा और द्वितीय योजना में एक अतिरिक्त नौकरी कायम करने के लिए 7,031 रुपये का विनियोग करना पड़ा। तृतीय योजना में एक अतिरिक्त नौकरी कायम करने के लिए औसतन 6,939 रुपये का विनियोग हुआ। प्रथम तीन योजनाओं के 15 वर्षों में कुल 315 लाख नई नौकरियाँ कायम की गईं, जिनमें से 225 लाख अर्थात् लगभग 72% गैर-कृषि क्षेत्र में कायम की गईं। प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान रोजगार और विनियोग का यह चित्र निम्नलिखित तारणी से स्पष्ट है।—

पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान रोजगार और विनियोग

सद	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना
1 स्थापित अतिरिक्त रोजगार (लाखों में)			
(क) गैर-कृषि क्षेत्र	55	65	105
(ख) कृषि-क्षेत्र	15	35	40
कृष (क+ख)	70	100	145
2 कुल विनियोग (करोड़ रुपये)	3,300	6,750	11,370
3. 1960-61 के मूल्या पर विनियोग का सूचकांक	82	96	118
4 1960 61 के मूल्या पर विनियोग (करोड़ रुपये)	4 098	7 031	10 062
5 रोजगार विनियोग अनुपात	1 5854	1 7031	1 6939

**भारत में ग्रामीण बेरोजगारी
(Rural Unemployment in India)**

भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के सम्बन्ध में तथ्य न तो स्पष्ट है और न यथाथ ही। ग्रामीण बेरोजगारी के सम्बन्ध में रहस्य धब भी बना हुआ है, परन्तु कई बातें अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं—

(क) परम्परागत अर्थ में इतनी बेरोजगारी नहीं है जितनी कि हम कल्पना करते हैं। सम्भवतः हम ऐसी परिस्थिति में हो, जबकि बेरोजगारी तो कम हो, परन्तु रोजगार में ग्रामिणी का स्तर बहुत निम्न हो।

(ख) परम्परागत बेरोजगारी और शरीरी सम्भवतः इतने घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध न हो, जैसा कि विशुद्ध तार्किक दृष्टि से लगता है—यह एक ऐसी सम्भावना है जिसके सत्य होने की स्थिति में बहुत दूरवासी परिवर्तन हो सकते हैं।

(ग) ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में रोजगार और बेरोजगारी के स्वरूप की तह में जाने और ज्ञान-वीन करने की आवश्यकता अब भी बनी हुई है और हम यह मान कर चलना होगा कि हम इस समस्या को मात्र 'श्रम-शक्ति' की धारणा से, चाहे वह कितनी ही परिष्कृत हो, नहीं सुलझा सकेंगे।

1 रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन, विसम्बर 1969—भारत एवं सु-दरम से उद्धृत, पृ 646

2 योजना—22 भाग, 1973—बेरोजगारी पर ध्यावृत्तिक मासिक अनुसन्धान की राष्ट्रीय परिषद के निदेशक श्री आई. बेंद्र, भट्टी का लेख।

रुोजगार सृजन की योजनारें

ग्रामीण बेरुजगारी के सम्बन्ध में छान-चीन तो जारी है, परन्तु सरकार ने ग्रामीण रोजगार के लिए अनेक योजनारें चालू की हैं, जिनमें से निम्नलिखित अधिक महत्त्वपूर्ण हैं—

1. ग्रामीण रोजगार योजना— यह योजना सन् 1971-72 में एक तीन वर्षीय योजना के रूप में आरम्भ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य श्रम-प्रधान परियोजनाएँ चलाकर देश के प्रत्येक जिले में रोजगार के नए अवसर पैदा करना और स्थानीय विकास योजनारों के माध्यम से टिकाऊ परियम्पत्तियाँ पैदा करना है। योजना आरम्भ करते समय इनका लक्ष्य प्रत्येक जिले में प्रति वर्ष 300 दिनों के लिए कम से कम एक हजार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का था। देश में कुल 355 जिले हैं और इस प्रकार 3,55,000 लोगों को 300 दिनों के लिए अर्थात् 10,65,00,000 जन-दिनों का रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। योजना को पूर्णतया केन्द्रीय क्षेत्र योजना का रूप दिया गया और इसके लिए 50 करोड़ रु. की राशि का प्रावधान रखा गया।

ग्रामीण रोजगार योजना, जो सन् 1971-72 में एक तीन वर्षीय योजना के रूप में आरम्भ की गई, काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई। सन् 1973-74 तक की प्रगति का व्यौरा निम्न सारणी से स्पष्ट है¹—

निधि का आवंटन, व्यय और रोजगार

वर्ष	निधि का आवंटन (लाख रु. में)	बी गई राशि (लाख रु. में)	जिया गया आस्तिक व्यय (लाख रु. में)	पैदा किया गया रोजगार (लाख जन-दिनों में)
1971-72	5,000.00	3,373.43	3,116.58	789.66
1972-73	4,885.00	4,711.395	5,339.57	1322.51
		(बाद में 5,040.745 हो गया)		
1973-74 (30-9-73 तक)	4,745.55	1,595.74	976.13	256.31

ग्रामीण रोजगार की प्रभावशाली योजना से क्षेत्रीय कार्यकर्तारों की ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत बेरुजगार जन-शक्ति का उचित उपयोग करने तथा उन्हें उत्पादक और निर्माणत्मक कार्यों में लगाने की दिशा में सफल अनुभव हुआ है। अजम, मेघालय, तमिलनाडु, केरल, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 40 से अधिक जिलों का पर्यवेक्षण यहीं सिद्ध करता है कि ग्रामीण रोजगार योजना काफी सफल रही है और इसे समाप्त न करके अधिक प्रभावी रूप में आगे भी जारी रखना चाहिए।

1. कुल्लेड—अप्रैल, 1974—'ग्रामीण रोजगार योजना' पर श्री टी. सी. पाण्डे का लेख।

2. छोटे किसानों की विकास एजेन्सी—इस योजना का लक्ष्य थोड़ी सहायता देकर छोटे किसानों को अपने पैरों पर खड़ा होने के योग्य बनाना है। छोटे किसानों के अन्तर्गत वे किसान आते हैं, जिनके पास 2.5 से 3 एकड़ सिंचित (या सिंचाई के योग्य) या 7.5 एकड़ तक असिंचित भूमि है। यह सहायता आदानों या ऋण के रूप में होती है ताकि किसान नए बीजों और खादों का पूरा-पूरा लाभ उठा सकें।¹

3. सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक एजेन्सी—इस योजना के भी वही लक्ष्य हैं, जो छोटे किसानों की विकास एजेन्सी के हैं। अन्तर केवल इतना है कि यह योजना छोटे किसानों की विकास एजेन्सी के अन्तर्गत न आने वाले छोटे किसानों और कृषि-श्रमिकों के लिए है। इसलिए यह छोटे किसानों की विकास एजेन्सी की पूरक है। ग्रामीण कार्यों के माध्यम से कृषि-श्रमिकों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना और छोटे किसानों को उसी प्रकार ऋण, आदान तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, जिस प्रकार वे छोटे किसानों की विकास एजेन्सी के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाती है, इस योजना का लक्ष्य है।

4. सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम—ग्राम्य निर्माण-कार्यक्रम नामक योजना के लिए यह नया नाम है, जो 54 सूखाग्रस्त जिलों तक सीमित है। इस योजना का लक्ष्य 'उत्पादन-प्रधान' ऐसे निर्माण कार्यों को हाथ में लेना है जिनमें श्रम-प्रधान तकनीकों का प्रयोग हो, ताकि सूखे के कारण पैदा होने वाली कमी की भीषणता को कम किया जा सके।

उपरोक्त विभिन्न रोजगार-सृजन-योजनाएँ काफी उपयोगी सिद्ध हुई हैं। व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् के निदेशक श्री आई जेड. भट्टी ने 22 मार्च, 1973 के योजना-अंक में तर्क प्रस्तुत किया है कि यदि हम परम्परागत बेरोजगारी के स्थान पर रोजगार की प्रभावशीलता पर विचार करें तो ग्रामीण बेरोजगारी सम्बन्धी रहस्य काफी मात्रा तक लुप्त हो जाएगा और हम गरीबी की समस्या से भी अधिक अच्छी तरह निपटन में समर्थ होंगे। उपचार की दृष्टि से हम स्वयं उत्पादन के सृजन पर उतना बल नहीं देंगे जितना कि समाधानों के विकास पर। उपरोक्त सरकारी योजनाओं में यद्यपि दोनों ही तत्व हैं, तथापि समाधानों का विकास वस्तुतः इनमें गौण महत्त्व रखता है। श्री भट्टी के अनुसार गाँवों की गरीबी की समस्या का सही दर्शन होने इस बात के लिए प्रेरित करें कि हम समाधानों के विकास और तत्काल ही सत्यापक ढाँचे के विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित करें। इसके लिए नीति-सम्बन्धी कुछ क्रान्तिकारी परिवर्तन करने होंगे।

ग्रामीण बेरोजगारी का दूर करने के उपाय

ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने और ग्रामीण जन शक्ति का समुचित उपयोग करने के लिए सरकारी क्षेत्र में योजनाओं द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के अन्तर्गत

1 योजना . वित्तिक 22 मार्च, 1973—'बेरोजगारी' पर आई जेड. भट्टी (व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् के निदेशक) का लेख, पृष्ठ 6

भवन कृषि-कार्यों में मजदूरों का उपयोग करना, निर्माण-सुविधाओं को बढ़ाना, गाँवों में लघु और ग्राम्य उद्योगों को संगठित करना आदि अनेक कार्य सम्मिलित हैं। सरकार की यह नीति रही है कि जहाँ तक हो सके मानव-श्रम-क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाए तथा आधुनिक मशीनों और यन्त्रों का उपयोग केवल उन्हीं क्षेत्रों में किया जाए जहाँ मानव-श्रम विकास-कार्यक्रमों को पूरा करने में समर्थ न हो। लेकिन इन सब बातों के बावजूद ग्रामीण बेरोजगारी कम होने के स्थान पर ही है। ग्राम आदर्शक है कि पूरी ग्रामीण शक्ति का उचित उपयोग करने के लिए विभाग पैमाने पर कार्य किए जाएँ। इसके लिए कुछ उपयोगी सुझाव निम्नलिखित हैं—

1. ग्राम-पंचायतों के अन्तर्गत जो विभिन्न कार्यक्रम (नालियाँ खुदवाना, तालाब खुदवाना, मड़कें बनाना, छोटे-छोटे पुल बांधना, भवन-निर्माण करना आदि) चल रहे हैं, उन्हें अधिक व्यापक स्तर पर और अधिक प्रभावी रूप में आगे भी जारी रखा जाए।

2. पंचायतों को नीचे गए बाधों के अतिरिक्त स्थायी रूप से चलने वाले अन्य रोजगार-मापक भी गाँवों में प्रारम्भ किए जाने चाहिए तथा इनके लिए सेवा-सहकारी समितियों को उत्तरदायी बनाया जाए। देश का समस्त ग्रामीण-क्षेत्र सेवा-सहकारी समितियों से सम्बद्ध है। उनका उपयोग कृषि-श्रम वितरण के लिए तो किया ही जाता है, किन्तु इनके अतिरिक्त ग्रामीण उद्योगों जैसे पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, मुर्गीपालन, टोकरी बनाना, साबुन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनकर उद्योग, लुहारी, सुनारी, आदि के लिए साख की पूर्ति तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इन ग्रामीण उद्योगों एवं व्यवसायों का व्यापक रूप से विस्तार किया जाए। अधिक से अधिक ग्रामीण जन-शक्ति का स्थायी उपयोग उन्हें इन उद्योगों में लगाकर ही किया जा सकता है। इससे गाँव में रोजगार के साथ ही उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

3. सहकारी समुक्त कृषि सप्लि प्लानिंग या सामूहिक सहकारी कृषि समिति, मछली पालन समिति, सिंचाई समिति, श्रम-निर्माण समिति, औद्योगिक एवं बुनकर समिति आदि की स्थापना अलग से भी गाँवों में करना उपयोगी है। इन समितियों द्वारा गाँवों में रोजगार की व्यवस्था की जा सकती है।

4. गाँवों के 10 से 18 वर्ष तक के बच्चों को इस प्रकार के काम देने चाहिए, जिन्हें वे अपने विद्या-अध्ययन करने के साथ-साथ कर सकें। इससे उन्हें और उनके परिवार को अनिश्चित आय प्राप्त हो सकेगी। पाठशाला भवन की सफाई, उसकी मरम्मत, उसमें फूलों का बाग लगाना, गाँव में मन्दिरों तथा पंचायत-घर आदि के आस-पास बाग बगीचा लगाना, मिट्टी के सिलीने बनाना, काष्ठ की वस्तुएँ एवं सिलीने बनाना, कटाई, झाड़ू, सिंचाई, कटाई, महिला एवं बच्चों के वस्त्र बँक खोलना, पाठशाला में सहकारी उपभोक्ता भण्डार खोलना एवं उसका संचालन करना आदि अनेक कार्य हैं, जो विद्याध्ययन के साथ-साथ किए जा सकते हैं।

5 भूमि के चक्रवन्दी कार्यक्रम को तेजी से अमल में लाया जाए ताकि किसान उसमें कुमा बनावकर डीजल-इजन या त्रिजली की मोटर से सिंचाई कर सकें। सिंचाई की व्यवस्था होने से किसान वर्ष में दो या तीन फसल तैयार करके अपने बेकार समय का पूरा उपयोग कर सकें। साथ ही, एक जगह सारी भूमि इकट्ठी होने से भूमि की देखभाल अच्छी तरह हो सकेगी।

6 सरकार ऋण प्रणाली को सुगम बनाए। सरकार ने कृषि की उन्नति के लिए ऋण व्यवस्था तो की है परन्तु उनकी विधि इतनी पचीस, उलझनपूर्ण और जटिल है कि साधारण कृषक 6 माह तक अर्धक परिश्रम करने के पश्चात् भी ऋण प्राप्त नहीं कर सकता। अतः सरकार को चाहिए कि ऋण स्वीकार करने की विधि को अधिक सरल बनाया जाए। प्रत्येक पचासवें स्तर पर एक ऐसा चयन-कारण कार्यालय बनाया जाए जो निश्चित तिथि पर गाँव में जाए और पटवारी, ग्राम-सचिव तथा सहकारी समितियों से आवश्यक सूचना एकत्रित करके, ऋण उसी स्थान पर स्वीकार करे। किसान को उनकी जमीन सम्बन्धी जानकारी के लिए पास बुक दी जाए, जिसमें ऋण, यदि कोई लिया हो, तो वह भी लिखा जाए।

7 शिल्पी वर्ग जिसमें मुहार, खानी बुनकर, चर्मकार आदि सम्मिलित हैं, बहुत दयनीय अवस्था में है। इन वर्गों के लोगों के अपने अपने बन्द होने जा रहे हैं फलस्वरूप ये लोग शहरों में जाकर नौकरी की तलाश में भटकन करने हैं या गाँवों में रहकर अपना निर्वाह वडी ही दुर्बल स्थिति में करते हैं अतः आवश्यक है कि इन वर्गों के लोगों को उचित ट्रेनिंग देकर उनकी अपनी सहकारी समितियाँ बनाई जाएँ तथा उनके धन्धों का प्राधुनिकीकरण करने में उन्ट धन और आवश्यक साज-सामान की सुविधा दी जाए।

8 जो ग्राम शहरों के पास स्थित हैं, जहाँ आवागमन के साधन सुव्यवस्थित हैं, वहाँ मुर्गी पालन और डेरी उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा गठित भगवती समिति ने भी अपनी निष्कारिण में यह सुझाव दिया था।

शिक्षित बेरोजगारी

(Educated Unemployment)

भारत जैसे अर्ध विकसित किन्तु विकासशील देश में जहाँ 3/4 जनसंख्या अशिक्षित है, सामान्य लिखने-पढ़ने वाले व्यक्ति को भी शिक्षित कहा जा सकता है। लेकिन शिक्षित बेरोजगारी के अन्तर्गत वे ही व्यक्ति माने जाएँगे जिन्होंने कम से कम मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करली हो। भारत में अधिकांश शिक्षित व्यक्ति बेरोजगारी के शिकार हैं किन्हीं रूप से पीड़ित हैं। सरकार के पास इतने साधन नहीं हैं कि वह अल्पकाल में सभी शिक्षितों को अथवा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार या पर्याप्त बेकारी भत्ता आदि दे सके। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार सन् 1972 में लगभग 32.8 लाख शिक्षित बेरोजगार थे। सन् 1970 में लगभग 63 हजार इजीप्टियन बेरोजगार थे। कुछ वर्षों पूर्व प्रकाशित पुस्तक 'भारत में प्रशिक्षितों की बेरोजगारी' में यह बताया गया है कि मार्च, 1970 में 34.5 लाख शिक्षित व्यक्ति रोजगार की तलाश में

में जिनकी संख्या मार्च, 1971 तक 44.4 लाख हो गई अर्थात् 1 वर्ष में 22.2% की वृद्धि हो गई। इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में चेतावनी देते हुए लिखा गया है, "हमारे शिक्षित युवकों में बढ़ती हुई बेरोजगारी हमारे राष्ट्रीय स्थायित्व के लिए खतरा है। उसे रोकने के लिए यदि समयोचित कदम नहीं उठाया गया तो उथल-पुथल का अन्देश है।"¹

शिक्षित बेरोजगारों को दूर करने के उपाय

देश में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार मध्यम विभिन्न तरीकों से प्रयत्नशील है, तथापि निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं—

1. देश में शिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक कि द्रुत औद्योगिक विकास नहीं हो। यद्यपि सरकार औद्योगिक विकास के लिए सचेष्ट है, लेकिन उच्च-स्तर के काराधान की नीति इस मार्ग में एक बड़ी बाधा है। अधिक काराधान से बचत को प्रोत्साहन नहीं मिलता और जब तक बचत नहीं होगी तथा उसका उचित विनियोग नहीं होगा, तब तक रोजगार नहीं बढ़ेगा। अतः आवश्यक है कि काराधान दर को कम करके औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दिया जाए।

2. देश में उत्पादन-क्षमता का हाल ही के वर्षों में ह्रास हुआ है। उत्पादन-क्षमता तो विद्यमान है, लेकिन विभिन्न कारणों से उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता। साथ ही, उसमें उदासीनता की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। अतः इस प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए कि उत्पादन-क्षमता के अनुसार पूरा उत्पादन हो सके ताकि अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। देश में अनेक ऐसे औद्योगिक संस्थान हैं जिनमें पूर्ण उत्पादन नहीं हो रहा है। सार्वजनिक-क्षेत्र इस रोग का सबसे बुरा शिकार है।

3. देश में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास अपेक्षित गति से नहीं हो पा रहा है, जबकि इन उद्योगों की रोजगार-देय-क्षमता काफी अधिक होती है। जापान जैसे देश में लघु उद्योगों में लगभग 70% लोगों को रोजगार मिलता है तो भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ इन उद्योगों के प्रसार की गंजाइश है, बहुत बड़े प्रतिशत में रोजगार के अवसर बताए जा सकते हैं।

4. इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास भारत के लिए नया है। यदि इसका विस्तार किया जाए जो हजारों इंजीनियरों या डिप्लोमा होल्डरों को रोजगार मिल सकता है।

5. तकनीकी विशेषज्ञों के लिए सेवा-क्षेत्र, रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान कर सकता है। वर्तमान में ट्रांजिस्टर्स, टेलीविजन, डीजल-इंजन, वाहन, रैफ्रिजरेटर्स आदि क्षेत्रों में उपयुक्त सेवा एवं सुधार की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। अतः इस सेवा-क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

1. दोसरा, 22 मार्च, 1972 : जी. सी. वायसवास का लेख 'शिक्षित बेरोजगारों की समस्या राष्ट्रीय स्थायित्व के लिए खतरा है?' पृष्ठ 18.

6 रोजगार की दृष्टि से वनो का समुचित प्रयोग नहीं किया जाता है। अन्य राज्यों को चाहिए कि वे भी पश्चिमी बंगाल राज्य के समान वन्यगहन प्रशिक्षण, जंगली जड़ी-बूटी की खोज, पशुपालन एवं विविधा जैसे कार्यों को प्रोत्साहन देकर शिक्षित व्यक्तियों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करें।

7 सरकार सभी शिक्षित लोगों को न तो नौकरी प्रदान कर सकती है और न ही बेरोजगारी का भत्ता दे सकती है। अतः विभिन्न क्षेत्रों के तकनीकी विशेषज्ञों को चाहिए कि वे अपना रोजगार स्वयं खोजें तथा अन्य संस्थाओं से पूंजी तथा कच्चे माल की व्यवस्था करें।

8 19वीं शताब्दी की शिक्षा प्रणाली को मयाकीर्ण बदला जाए, क्योंकि यह नौकरशाही वगैरे पैदा करने वाली है जो वर्तमान स्थिति में निष्क्रिय सिद्ध हो चुकी है। नवीन शिक्षा पद्धति मध्यम की महत्ता प्रतिष्ठित की जानी चाहिए तथा नौकरियों के पीछे दौड़ने वाली शिक्षा को निलंबित दी जानी चाहिए।

9 एक परिवार में जितने कम बच्चे होंगे, उनकी शिक्षा बीका का उतना ही उचित प्रबन्ध हो सकेगा तथा उचित नौकरी मिल सकेगी। जहाँ बच्चे अधिक होंगे, वहाँ शिक्षा अपूर्ण होगी और अल्प शिक्षित लोग शिक्षित बेरोजगारों की संख्या को बढ़ाएंगे। अतः परिवार सीमित होना आवश्यक है।

10 शिक्षित बेरोजगारों द्वारा स्वयं के उद्योग खोलने चालू करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए उन्हें कम व्याज-दर पर ढ़क एवं अन्य संस्थाओं से ऋण दिलाए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार द्वारा उन्हें सुविधाएँ भी दी जानी चाहिए, जैसे शायकर की कुछ छूट, कच्चे माल की सुविधा, लाइसेंस की व्यवस्था आदि।

11 देश में कृषि शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि शिक्षित लोग कृषि-व्यवस्था की धार ग्रहण हो सकें।

12 सरकार द्वारा चालू किए गए कार्यक्रमों की उपलब्धियों से सम्बन्धित पर्याप्त आँकड़े एकत्रित किए जाने चाहिए और उनके आधार पर भविष्य के लिए इस समस्या से सम्बन्धित कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए तथा उन्हें कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

यदि इन विभिन्न उपायों पर प्रभावी रूप में धमल किया जाए और जो उपाय किए जा रहे हैं उन्हें अधिकधिक व्यावहारिक तथा प्रभावशाली बनाया जाए तो शिक्षित बेरोजगारी की समस्या दूर की जा सकती है।

बेरोजगारी के कारण

(Causes of Unemployment)

भारत में फैली व्यापक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

1. जनसंख्या-वृद्धि की तुलना में अल्प आर्थिक विकास—देश में प्रतिवर्ष 2.5% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन द्रुत आर्थिक विकास न हो पाने के

कारण जनसंख्या-वृद्धि के अनुपात में रोजगार की सुविधाओं में वृद्धि नहीं हुई है। परिणामस्वरूप, श्रम-शक्ति के बाहुल्य की समस्या उत्पन्न हो गई। स्वतन्त्रता से पूर्व कई दशाब्दियों तक देश की अर्थ-व्यवस्था के स्थिर रहने, परम्परागत उद्योगों का पतन होने और साथ ही आधुनिक ढंग के विस्तृत पैमाने के उद्योगों के विकसित न हो सकने के कारण देश में बेरोजगारी बढ़ती गई। स्वतन्त्रता के पश्चात् यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के आर्थिक विकास के प्रयत्न किए गए हैं, लेकिन आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी रही है। साथ ही, योजनाओं में रोजगार प्रदान करने के सम्बन्ध में कोई व्यापक एवं प्रगतिशील नीति अपनाई जाने सम्बन्धी कमी भी रही है। फलस्वरूप, देश में बेरोजगारी का निरन्तर विस्तार हुआ है। आयोजित विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत बढ़ रहे रोजगार के अवसर श्रमिक संख्या में हो रही वृद्धि की तुलना में कम हैं, अतः बेरोजगारी कम नहीं हो पाती, वरन् निरन्तर बढ़ती जाती है। जनसंख्या-वृद्धि का एक प्रभाव यह हुआ है उपभोग-व्यय में भारी वृद्धि होने लगी है और पूंजी निवेश के लिए वचत आवश्यकतानुसार उगलबध नहीं हो पा रही है।

2. दोषपूर्ण योजना—रोजगार की दृष्टि से भारतीय आयोजन मुख्यतः दो प्रकार से दोषपूर्ण रहा है। प्रथम, रोजगार नीति से सम्बन्धित है और द्वितीय, परियोजनाओं का चयन। पंचवर्षीय योजनाओं में एक व्यापक, प्रभावी और प्रगतिशील रोजगार नीति का बहुत बड़ी सीमा तक अभाव रहा है। प्रारम्भ में यह विचार प्रबल रहा कि आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप रोजगार में वृद्धि होगी, अतः विकास-नीतियाँ बनाते समय रोजगार के उद्देश्य को लेकर अलग से विचार नहीं किया गया और न ही इस बात के लिए कोई नीति निर्धारित की गई कि योजनावधि में कितने लोगों को रोजगार दिए जाने हैं। रोजगार को योजना के मूल उद्देश्यों में अवश्य सम्मिलित किया गया, लेकिन इसे उच्च प्राथमिकता नहीं दी गई। रोजगार को केवल परिणाम के तौर पर समझने और मापने की नीति रही। केवल योजना-कार्यक्रमों के फलस्वरूप उपलब्ध होने वाले रोजगार के अनुमान लगाए गए। यह सोचकर नहीं चला गया कि योजनाओं के माध्यम से इतनी सरासरी में लोगों को निश्चित रूप से रोजगार दिया जाना है। अब आगे चलकर द्वितीय योजनावधि में लघु उद्योगों पर जोर दिया गया तो रोजगार के अवसर बढ़ने लगे, लेकिन इस योजना के दौरान भी मूलतः रोजगार-उद्देश्य को सामने रखकर इन उद्योगों को महत्त्व नहीं दिया गया। आयोजन की दूसरी गम्भीर त्रुटि परियोजनाओं के चयन सम्बन्धी रही। कुछ विशेष उद्योगों को छोड़कर, जहाँ पूंजी-प्रधान तकनीक का अपनाया जाना अनिवार्य था, अन्य बहुत से उद्योगों के सम्बन्ध में वैकल्पिक उत्पादन-तकनीकों के बीष चयन करने की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। विदेशी तकनीकों पर निर्भरता बनी रही और कम श्रम-प्रधान उत्पादन-विधियों को मान्यता दी जाती रही। चतुर्थ योजना काल से सरकार ने रोजगार नीति में स्पष्ट और प्रभावी परिवर्तन किया। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया और ऐसी योजनाएँ

बालू की गई, जिनकी रोजगार देय क्षमता अधिक हो। रोजगार के लक्ष्य निर्धारित करके निवेश-कार्यक्रम तैयार किए जाने और उन्हे कार्यरूप देने की दिशा में सक्रिय कदम उठाए गए। पाँचवी योजना को मुख्यतः रोजगार सचदक बनाने की चेष्टा की गई है।

3. **दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति**—भारतीय शिक्षा पद्धति, जो मूलतः ब्रिटिश देन है, दफ्तरी 'बाबुओं' को जन्म देती है। यह शिक्षा-पद्धति छात्रों को रचनात्मक कार्यों की ओर नहीं मोड़ती तथा स्वावलम्बी बनने की प्रेरणा भी नहीं देती। यह शिक्षा-पद्धति 'बुर्सा वा मोह' आसक्त करती है, इस प्रकार की भावना पैदा नहीं करती कि सभी प्रकार का श्रम स्वागत योग्य है।

4. **कृषि का पिछड़ापन**—भारत एक कृषि-प्रधान देश है, लेकिन यहाँ की कृषि पिछड़ी हुई है और कृषि-उत्पादन अन्य देशों की अपेक्षाकृत बहुत कम है। कृषि-व्यवसाय में ग्रामीण-क्षेत्रों में लगभग 70% लोग लगे हुए हैं, और दूम्रे अवधायों से प्रायः दूर भागते हैं। इस प्रकार भूमि पर ही लोगों की आराम-निम्नरता बढ़ती जा रही है परन्तु देश में अल्प रोजगार, प्रच्छन्न बेरोजगारी आदि में काफी वृद्धि हो रही है।

बेरोजगारी के उपरोक्त मूलभूत कारणों में ही अन्य सहायक अथवा गौण कारण निहित हैं। अतिवृष्टि अथवा अनावृष्टि, अन्य प्राकृतिक प्रकोप, लोगों में आलसोपन की प्रवृत्ति, संयुक्त परिवार प्रणाली, 'घर से चिपके रहने' की बीमारी, आदि कारण भी बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी हैं।

बेरोजगारी के लिए मुख्यतः समाज जिम्मेदार

एटवोनेट श्री द्वारकादास कावरा ने जून, 1977 की योजना में प्रकाशित अपने एक लेख में यह युक्तिसंगत विचार प्रकट किया है कि देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए यद्यपि शिक्षा और समाज दोनों उत्तरदायी हैं, तथापि समाज विशेष रूप से जिम्मेदार है। श्री कावरा ही के शब्दों में—

"यों तो शिक्षा पर ही समाज का निर्माण आधारित है। पर जब शिक्षा में सदियों तक कोई विशेष परिवर्तन न हो, शिक्षा जीवन से सम्बद्ध न हो, शिक्षा जब एक स्वस्थ समाज की रचना में समर्थ हो, जीने का जोश और काम करने की लागत न दे सके तो शिक्षा बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार नहीं। क्या पढ़ाएँ, कब पढ़ें, क्यों पढ़ाएँ सभी का निर्णय पढ़ने और पढ़ाने वाले के अतिरिक्त कोई और करता है। शिक्षक, शिक्षार्थी एवं अभिभावक की भूमिका इसमें नगण्य है। शिक्षा केवल मात्र 'दूल' बन कर रह गई है, लक्ष्य नहीं। अथ शिक्षा का लक्ष्य पॉलिजिन् जीवन मूल्यों का अभिस्थापन अथवा जीवदर्शन का विकास या चरित्र का निर्माण नहीं, केवल पाठ्यक्रम की पूर्ति एवं प्रमाणपत्र अथवा डिग्री की प्राप्ति तक ही सीमित रह गया है। शिक्षा का स्वरूप स्वतन्त्र नहीं, शिक्षक स्वतन्त्र नहीं, शिक्षा में प्रयोग नहीं, शिक्षक प्रयोगवादी नहीं। ऐसी स्थिति में शिक्षा को बेरोजगारी के लिए वहाँ तक

जिम्मेदार ठहराया जाए ? आज देश में लाखों शिक्षित बेकार हैं। सहज ही विचार आता है कि बेरोजगारी का कारण अशिक्षा ही है। यह आम दलील दी जाती है कि शिक्षा व्यवसायोन्मुखी नहीं है, किसी रोजगार के लिए तैयार नहीं करती है तभी तो बेरोजगारी है। पर जब हजारों इंजीनियर, डॉक्टर, प्रशिक्षित व्यक्ति भी बेकार पड़े हैं तो यह तर्क भी कमजोर पड़ जाता है। अमेरिका जैसे प्रौद्योगिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र में भी बेकारी बढ़ रही है। वहाँ इस समय 75 लाख व्यक्ति बेकार हैं। इस वर्ष पिछले वर्ष से दस लाख व्यक्ति से ज्यादा बेकार हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि न औद्योगिकरण और न शिक्षा ही इस समस्या को हल कर सकते हैं। निष्पक्ष दृष्टि में देखा जाए तो शिक्षा और समाज दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं।”

बेरोजगारी के लिए समाज कैसे जिम्मेदार है—इसके पक्ष में श्री वाबरा ने अपने लेख में निम्नलिखित कारण प्रस्तुत किए हैं—

1. समाज में श्रम मूल्यों के प्रति आस्था की कमी—आज समाज की श्रम मूल्यों में आस्था नहीं है। शारीरिक श्रम से कौन जी नहीं चुराता ? कितने मनुष्य साधन मिलने पर भी पैदल चलते हैं। कहने को तो हम कह देते हैं कि आज की शिक्षा छात्रों को श्रम से दूर ले जाती है पर किसी भी पाठ्यक्रम में ऐसी कोई बात नहीं और न ही कभी कोई शिक्षक श्रम से पलायन की बात कहता है। पर अकर्मण्य एवं प्रमादी समाज के परिवेश में इस प्रदूषण से बचना मुश्किल है और बदनाम हां जाती है बेकारी शिक्षा और शिक्षक। यदि कोई प्रोजेक्ट पान की दुकान लगाता है तो सभी कहने लगते हैं, अरे भाई इतनी पड़ाई फिर क्या भाड़ भोकने के लिए की थी। प्रोजेक्ट को खेत में काम करते देखकर प्रशंसा के स्थान पर आलोचना होती है—देखो आज की शिक्षा, बेकारों को इतना पढ़कर भी काम नहीं मिला। मानो कि खेत पर काम करना तो काम ही नहीं। ये सामाजिक मान्यताएँ हैं। क्या इस वातावरण में सहज ही कोई शिक्षित युवक कोई छोटा स्वतन्त्र कार्य करने का हीमला कर सकता ?

2. समाज का सरकारीमूल होना—माहेश्वरी समाज, अग्रवाल समाज, जैन समाज इत्यादि सभी वर्ग व समुदाय अपने उत्सव, त्योहार व जयन्तियाँ मनाते हैं, बड़े-बड़े मन्दिर बनाते हैं, लाखों रुपये के यज्ञ कराते हैं। पर क्या किसी भी समाज में बेरोजगारी से निपटने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्योंकि हमारी आदत हो गई है कि प्रत्येक सहायता एवं साधन प्राप्ति के लिए सरकार की ओर ताकना। क्या समाज का अपना कोई दायित्व ही नहीं और दुहाई देने है स्वस्थ है। प्रगतिशील व प्रजातन्त्र की, जिस प्रजातन्त्र में जनता चुनावों के तत्काल पश्चात् अपने को निष्क्रिय, श्रीहीन एवं लक्ष्यहीन मान बैठती है। यह कैसा प्रजातन्त्र है ? और अन्ततः सरकार ही हमें जगा रही है कुछ करने को नए समाज के नवनिर्माण की दिशा में बढ़ने को। क्यों नहीं समाज-स्तर पर भी परिवार नियोजन एवं रोजगार नियोजन कार्यक्रमों में सहयोग किया जाए ?

3. वर्तमान पूँजीवादी आर्थिक ढाँचा—भारतीय आर्थिक ढाँचे की यह विशेषता नहीं है कि यहाँ बड़े व्यवसायी एवं उद्योगों के सामने छोटे उद्योग महज ही

नहीं पनप सकते। जापान में बेरोजगारी सबसे कम है, क्योंकि वहाँ घर घर में उद्योग है पर यहाँ तो बड़े के सामने छोटा पनप ही नहीं सकता। इस दिशा में सरकारी सहायना के साथ ही साथ समाज का स्वाभतपूर्व, उत्साहवर्द्धक दृष्टिकोण भी अपेक्षित है। लाठी उद्योग से लाखों पलते हैं पर यह उद्योग केवल सरकारी सहायता एवं सरकारी खरीद पर आश्रित है। कुटीर उद्योगों को प्रपनाने से तथा पोषण देने से ही अधिकांश जनता को रोजगार मिल सकेगा। यन्त्रवाद की धार भावती सामाजिक प्रवृत्ति भी बेरोजगारी के लिए कम जिम्मेदार नहीं है।

4. मनोवैज्ञानिक अवस्था का अभाव समाज अथवा सरकार की ओर से इस प्रकार की बौद्धिक व्यवस्था नहीं है जिनसे कि बेरोजगार व्यक्ति का मनोबल ऊँचा रह सके, उस अन्तरिम राहत मिल सक। उस उत्साहित किए जाने की अपेक्षा उस अपने घर तक में असहायुर्भूत अर्मनीपूर्ण व्यवहार, बरखी एवं तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। जाने कयो अधिकांश व्यक्ति स्वतन्त्र व्यवसाय करना नहीं चाहते। शिक्षित तो प्रायः बाबूगिरी ही पसन्द करते हैं। जितने छात्र सही शिक्षा समाप्त कर निकलते हैं उतनी नौकरियाँ ता कभी नहीं जुटाई जा सकती है और इस प्रकार नौकरियों की कमी तो रहगी ही। इस प्रकार एक मात्र अच्छी बात यही है कि ऐसा जनमानस तैयार किया जाए ऐसी सम्मानजनक पृष्ठभूमि तैयार की जाए जिससे कि लोग नौकरी की ओर ही आकृष्ट न हो।

5. संपुक्त परिवार प्रणाली का पतन—संयुक्त परिवार प्रथा से बड़ा लाभ यह था कि पारिवारिक व्यवसाय में आवश्यकतानुसार परिवार के एक से अधिक व्यक्ति भी काम कर सकते थे और परस्पर सभी का मिलजुल कर निर्वाह हो जाता था। पर अलग-प्रलग होने से प्रत्येक की अपना-अपना व्यवसाय ढूँढना होता है।

बेरोजगारी उपाय और नीति (Unemployment : Measures and Policy)

बेरोजगारी की समस्या के निदान हेतु आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों से विभिन्न सुझाव दिए जाते रहे हैं और सरकार द्वारा भी निरन्तर प्रयत्न किए जाते रहे हैं। ग्रामीण बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी निवारण के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव विचारणीय हैं—

1. अधिकतम आय स्तर पर अधिकतम रोजगार की व्यवस्था करने के लिए जनसंख्या-वृद्धि पर तेजी से और कठोरता से नियन्त्रण लगाना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रमों का व्यापक बनाना और कठोरतापूर्वक लागू करना होगा। यह भी उचित है कि कानूनी रूप से तीन से अधिक सन्तान उत्पन्न करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए।

2. लघु एवं कुटीर उद्योगों व तीव्र विकास के साथ ही मिश्रित कृषि को अपनाया जाए अर्थात् कृषि के साथ साथ पशुपालन और मुर्गीपालन आदि उद्योग भी अपनाए जाएँ।

3. मानवीय श्रम पर अधिकाधिक बल दिया जाए, जहाँ मशीनीकरण से कोई विशेष बचत न होती हो, वहाँ मानवीय श्रम का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए।

4. अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किन्हीं बड़े विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बाद भी यदि बेरोजगार व्यक्ति बचे रहें तो उन्हें एक बड़ी सत्या में काम सित्ता कर उन क्षेत्रों में भेजा जाए, जहाँ ऐसे प्रशिक्षित कारीगरों की कमी हो। इसके लिए प्रशिक्षण एवं मार्ग-दर्शन योजनाएँ प्रारम्भ की जानी चाहिए।¹

5. ग्रामीण औद्योगिकरण एवं विद्युतीकरण का तेजी से प्रसार किया जाए। प्रत्येक क्षेत्र में औद्योगिक विकास का एक-एक केन्द्र कायम किया जाए और इन्हें परिवहन तथा अन्य समुचित सुविधाओं के माध्यम से एक कड़ी के रूप में जोड़ दिया जाए। ऐसे केन्द्र उन शहरों या गाँवों में स्थापित किए जाएँ जो कुशल कारीगरों तथा उद्योगपतियों को खींच सकें और उन्हें बिजली तथा अन्य सुविधाएँ दी जा सकें।

6. शिक्षा-वृद्धि की इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए जिनसे कर्मचारियों की आवश्यकताओं के बदलते हुए ढाँचे से उनका मेल बैठ सके। कुछ चयनित क्षेत्रों में जन-शक्ति सम्बन्धी अध्ययनों का आयोजन और तकनीकी शिक्षा-क्षेत्रों का विस्तार करने की नीति पर तेजी से अमल किया जाए।

7. कृषि-क्षेत्र में वृद्धि की जाए। भारत में लाखों एकड़ जमीन बंजर और बेकार पड़ी है जिसे अल्प प्रयास से ही कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इससे एक ओर तो श्रमिकों को रोजगार मिलेगा तथा दूसरी ओर कृषि-क्षेत्र में वृद्धि होकर कृषि-उत्पादन बढ़ेगा।

8. आयोजन के निवेश-ढाँचे में, रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, मुख्यतः दो प्रकार के परिवर्तन लाना आवश्यक है—(क) उद्योगों का चयन-आधारमूलक ढाँचे पर अब तक काफी निवेश हो चुका है और अब आवश्यकता इस बात की है कि अन्य उद्योगों—विशेष रूप से उपभोक्त-वस्तु-उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। ऐसे उद्योगों की रोजगार देय क्षमता अधिक होती है। इनके अन्तर्गत उत्पादन के अनिर्दिष्ट वस्तुओं के वितरण आदि सेवाओं में भी रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। (ख) तकनीक का चयन-रोजगार-दृष्टि से अम-प्रधान तकनीकों के चयन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इन दोनों प्रकार के परिवर्तनों द्वारा निवेश-ढाँचे को प्रभावित करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार की विकास-नीति को मोड़ दिया जाए। उत्पादन पर बल देने की नीति के साथ ही साथ रोजगार बढ़ाने वाले उद्योगों और तकनीकों को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई जाए।

9. रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए संसाधनों का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाए जाएँ। अल्प रोजगार में लगे लोगों के काम-काज को बढ़ाया जाए ताकि पहले से लगे संसाधनों का अधिक उत्पादक प्रयोग सम्भव बन

1. योजना, दिनांक 22 मार्च, 1973 में अख्यतकाम माहेश्वरी का लेख 'बेरोजगारी की समस्या पर एक विह्वल दृष्टि', पृष्ठ 25.

जाए। कृषि सम्बन्धी उद्योगों का प्रोत्साहन दिया जाए तथा स्व नियोजित व्यक्तियों के लिए अधिक काम-काम की व्यवस्था की जाए ताकि उनकी अल्प रोजगार की स्थिति को दूर किया जा सके।

10 विकेंद्रित उद्योग नीति अपनाई जाए ताकि बड़े-बड़े शहरों की ओर बेरोजगार लोगों का जाना रुके प्रथम कम हो। यह उचित है कि गाँवों और छोटे-छोटे शहरों के ग्राम पास उद्योगों का विकास किया जाए। उद्योगों के विकेंद्रीकरण के फलस्वरूप दो बातें मुख्य रूप से होंगी—प्रथम, श्रमिकों का स्थानान्तरण रहेगा और द्वितीय, ग्राम-रोजगार में लगे उन श्रमिकों की स्थिति सुधरेगी, जो बाहर नहीं जाते।

मार्च 1978 की योजना में श्री नारायण ध्यास ने बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए कुछ उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत किए हैं जो आगे क्रमशः इस प्रकार हैं

11 आवश्यक है कि ग्रामीण योजना में छोटी छोटी परियोजनाओं को प्रारम्भ करने की व्यवस्था हो, ताकि गरीबों के स्तर से नीचे रहने वाले वर्ग को उत्पादक गतिविधियों द्वारा ऊपर उठाया जा सके। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि देश के सभी (लगभग 380) जिलों के अन्तर्गत ब्लॉक स्तर पर निर्माण कार्य तथा उत्पादन क्षेत्र चुन कर उनमें से 40 से 50 प्रतिशत नौकरियाँ स्थानीय बेरोजगारों को भी दी जाएँ। इससे केवल रोजगार ही नहीं बढ़ेगा बल्कि उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी। इस सम्बन्ध में यह भी आवश्यक है कि योजना आयोग एक निपट कारक रिपोर्ट प्रकाशित किया करे जिसमें नौकरियों एवं ऐसे लाभकारी रोजगार धन्यों की सूचना हो जिससे निर्धन बेरोजगार वर्ग अपनी आय बढ़ा सकें।

12 लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक संस्थानों की क्षमता को बढ़ाना होगा। साथ ही उत्पादन के साधनों का बेरोजगार लोगों के हित में पुनर्वितरण किया जाए और ऐसी व्यवस्था भी की जाए कि उपभोक्ता वस्तुएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा संचार एवं बिजली की सुविधाएँ उन लाखों व्यक्तियों को सस्ती तथा सुगम तरीके से प्राप्त हो सकें, जो कि वास्तव में गरीब और बेरोजगार हैं।

13 भारत जैसे अत्यधिक जनसङ्ख्या वाले गरीब और विकासशील देश के लिए यह आवश्यक ही है कि आयोजन न केवल धन के आधार पर हो, बल्कि आदर्श व्यवस्था भी इनके क्रियान्वयन में एक सही भूमिका निभाए। दुर्भाग्य से पिछली योजनाओं में इस ओर कम ध्यान दिया गया। साथ ही हमारे यहाँ यह मानकर आयोजन होता रहा कि भारत एक साधन-सम्पन्न देश बनना चाहता है। क्या वास्तव में भारत गरीब है? नहीं। बल्कि अभी देश में ऐसे प्राकृतिक साधन मौजूद हैं जिससे देश के विकास की तीव्र गति प्राप्त हो सकती है। लेकिन एक आदर्श तथा कुशल धन-व्यवस्था के अभाव में अतुल्य प्राकृतिक सम्पदा उपेक्षित पड़ी है। इसलिए यह भी धनिवार्य हो जाता है कि हमारी ग्रामीण योजना में प्राकृतिक साधनों के उपयोग

को अत्यधिक महत्त्व देते हुए धन शक्ति का एक विस्तृत बजट तैयार करके विकास कार्यक्रम चलाया जाए।

14. अनुमान है कि धन शक्ति यानी काम करने योग्य व्यक्तियों की संख्या सन् 1971 के 18 करोड़ से बढ़कर सन् 1981 में 20.6 करोड़ हो जायेगी, अर्थात् इस दशक में लगभग 8.6 करोड़ की वृद्धि धन शक्ति में होगी। इतनी बड़ी धन शक्ति को रोजगार प्रदान करने के लिए आगामी योजना में मुद्र स्तर पर काम करने की आवश्यकता होगी। योजना-विनियोजन में सर्वाधिक महत्त्व उत्पादक रोजगार की वृद्धि को दिया जाना चाहिए।

15. बेरोजगारी से सम्बन्धित विश्वस्तनीय आँकड़े तथा सूचनाएँ तभी प्राप्त हो सकती है जबकि बेरोजगारों के लिए अपना पजीयन कराना उसी प्रकार अनिवार्य कर दिया जाए, जैसे कि जन्म एवं मृत्यु की सूचना दर्ज करवाना अनिवार्य होता है। परन्तु इसके लिए बेरोजगारी की स्पष्ट परिभाषा देना आवश्यक होगा।

16. भविष्य में शिक्षित बेकारों की संख्या को नियन्त्रित करने के लिए, शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के कार्यक्रम रोजगार उन्मुख होने चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के विकास की गति एवं प्रक्रिया के आधार पर विभिन्न सण्डों के लिए धन शक्ति सम्बन्धी व्यापक अनुमान लगाए जाएँ। उदाहरणार्थ आने वाले दस या पन्द्रह वर्षों में जितने डॉक्टरों, इंजीनियरों या फोरमैनो की आवश्यकता हो सकती है, उसके अनुमान के आधार पर ही शिक्षा तथा प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्रदान करने की योजना बनानी चाहिए, तभी भविष्य में बेकारों की सम्भावना को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही उच्च सैद्धान्तिक शिक्षा केवल प्रतिभावान छात्रों के लिए ही उपलब्ध होनी चाहिए तथा अन्य मध्यम और निम्न श्रेणियों के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इससे युवक-युवतियों में स्वरोजगार की भावना पैदा की जा सकती है। बेरोजगार अपने लिए रोजगार का अवसर स्वयं बना लेंगे बेरोजगारी-उन्मूलन का पथ प्रशस्त होगा।

17. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषि, दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कृषि साधनों की पूर्ति में पर्याप्त वृद्धि करने तथा उन्हे निर्धन एवं सीमान्त कुषकों के हित में वितरित करने की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। कृषि भूमि में सीमांकन का कार्य, शीघ्र-से-शीघ्र पूर्ण किया जाना चाहिए। गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए विकास केन्द्रों का विस्तार करना आवश्यक होगा। विकास केन्द्रों में कृषि-श्रीजारी, सेवाश्रो तथा कृषि उत्पादन एवं पशु उत्पादन के विषय आदि की उचित व्यवस्था करनी होगी।

श्री व्यास ने ठीक ही लिखा है कि गत 27 वर्षों के अनुभव से हमें यह सीख लेना चाहिए कि बढ़ती हुई कीमतों के चक्र, घाटे की वित्त व्यवस्था तथा असामान्य मूल्य-वृद्धि तभी समाप्त की जा सकती है जबकि हम मसाधनों के प्रयोग के लिए अग्रणी योजना में रोजगार प्रणाली को उत्पादन प्रणाली से इस प्रकार जोड़े कि

उसने श्रम-प्रधान तकनीक के उपयोग के साथ-साथ ग्राम जलरत की वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़े। इसके लिए क्षेत्रीय उत्पादकता को महत्त्व प्रदान करने हुए लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रधानता देनी होगी। इनसे ग्राम उपभोग की वस्तुओं की पूर्ति बड़ेगी तथा अधिक उत्पादन से मूल्य-वृद्धि पर रोक लग सकेगी। रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे और साथ ही उपभोग वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति भी हो सकेगी। परिणामतः समस्या का आंशिक समाधान किया जा सकेगा। रोजगार की सम्भावनाओं को ग्रामीण तथा गहरी एवं शिक्षित तथा अशिक्षित लोगों की दृष्टि से नवीन आधार प्रदान करने की आवश्यकता है, वरना इस समस्या से निपट पाना पहले की तरह मुश्किल बना रहेगा। स्वतन्त्रता का कोई अर्थ नहीं यदि देश के प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक न्याय मिलने की आशा न हो। बेरोजगारी और अर्द्ध-बेरोजगारी से घस्त आठ करोड़ लोगों की आशा भरी निगाहें आर्थिक विकास के आगामी कार्यक्रमों पर लगी हुई हैं।

बेरोजगारी के सम्बन्ध में 'भगवती समिति' की सिफारिशें (Recommendations of Bhagwati Committee)

भारत सरकार ने बेरोजगारी के सम्बन्ध में दिसम्बर, 1970 में जो 'भगवती समिति' नियुक्त की थी, उसने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में आगामी दो वर्षों में सभी क्षेत्रों में 49 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की विभिन्न योजनाओं के लिए 20 अरब रुपये की व्यवस्था का सुझाव दिया था। इस विधेयक समिति ने अन्तर्गम रिपोर्ट में जो प्रमुख सिफारिशों की वे बेरोजगारी-निवारण की दिशा में आज भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शक शक्ति हैं। इन प्रमुख सिफारिशों का सारांश मार्च, 1972 के योजना अध्याय में श्री केदारनाथ गुप्त के एक लेख में दिया गया है, जो निम्न है—

1. छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों की दुर्घटनाओं, मुर्गीपालन और मूषर पालन केंद्रों के उत्पादनों के विधायन और हाट व्यवस्था के लिए आवश्यक संगठन बनाए जाने की आवश्यकता पर राज्यों को विचार करना चाहिए।

2. किसानों को सहायता देने वाली संस्थाओं को बटाईदारों और पट्टेदारों को कृषि और अन्य सहायक उद्योगों के लिए अन्य अवधि के और मध्यावधि कर्ज दिलाने में सहायता करनी चाहिए।

3. प्रत्येक जिले के गांवों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने वाले कार्यक्रमों के लिए राशि, उसकी जनसंख्या वहां कृषि विभाग की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रख कर नीति पुनर्निर्धारित की जानी चाहिए।

4. कुछ चुने हुए जिलों में प्रायोगिक परियोजनाएं शुद्ध की जानी चाहिए ताकि उस क्षेत्र का बहुमूल्य विश्वास हो सके।

5. कृषि-सेवा-केंद्रों की स्थापना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत से इन्जीनियरों को काम मिलेगा।

6. लघु निचाई योजनाओं में अनेक लोगों को रोजगार मिल सकता है, अतः अधिकधिक अनिश्चित भूमि योजना के अन्तर्गत नाई जानी चाहिए। मजिनि का

सुभाव था कि आगामी दो वर्षों में एक अरब रुपये की लागत से 5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त-भूमि योजना के अन्तर्गत लाई जाना अपेक्षित है। यह योजना चतुर्थ योजना में निर्धारित कार्यक्रम के अतिरिक्त होनी चाहिए।

7. समिति ने सुभाव दिया कि चतुर्थ योजना में निर्धारित लक्ष्यों से अतिरिक्त 7 हजार और गाँवों में बिजली एवं 3 लाख नल-दूधों को बिजली दी जानी चाहिए।

8. गाँवों में बिजली लगाने के कार्यक्रम को इस प्रकार लागू किया जाना चाहिए ताकि अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों में अधिक विकास हो सके और ये राष्ट्रीय स्तर पर लागू जा सकें।

9. राज्य सरकार सड़क-निर्माण-कार्य के लिए निर्धारित रकम उसी काम में खर्च करे और उस रकम को अन्य मदों में व्यय न करे।

10. अन्तर्देशीय जल-परिवहन योजना से भी अनेक लोगों को रोजगार मिलेगा, अतः सरकार को चाहिए कि वह अन्तर्देशीय जल-परिवहन-समिति की सिफारिशों पर अमल करे।

11. गाँवों में आवास की विकट समस्या को देखते हुए सरकार को तेजी से भवन-निर्माण कार्यक्रम शुरू करना चाहिए।

12. सरकार को गाँवों में मकान बनाने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए तथा प्रचार साधनों के माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना चाहिए।

13. प्रत्येक राज्य में एक ऐसी एजेन्सी होनी चाहिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में वह कार्य करेगी जो कार्य इस समय आवास-मण्डल नगरों में कर रहे हैं। ये कार्य हैं—भूमि का अधिग्रहण और विकास करना तथा आवास योजनाएँ तैयार करके उन्हें क्रियान्वित करना।

14. जीवन बीमा निगम को भी गाँवों में आवास-कार्यक्रमों के लिए सहायता देनी चाहिए।

15. गाँवों में पेयजल सप्लाई करने की चालू योजनाओं को तुरन्त क्रियान्वित करना चाहिए तथा इनको अधिकाधिक क्षेत्रों में लागू करना चाहिए।

16. प्रत्येक राज्य में एक ग्रामीण आवास वित्त-निगम बनाया जाना चाहिए जो सहकारी समितियों, पंचायती-राज-संस्थाओं तथा व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता देगा।

17. प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए एक व्यापक कार्यक्रम जल्दी ही प्रारम्भ करना चाहिए।

18. जन-साक्षरता के लिए जल्दी ही एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाना चाहिए।

19. औद्योगिक-क्षेत्र में व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए कारखानों की वास्तविक उत्पादन-क्षमता को अधिकतम सीमा तक बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है।

20. आर्थिक दृष्टि से असम मिलों के बन्द होने की समस्या से निपटने हेतु सरकार को एक संस्था बनानी चाहिए, जो बन्द हो जाने वाले कारखानों की आर्थिक

स्थिति तथा ग्रन्थ पहलुओं की जाँच करे। इस समस्या को एक ऐसी विधि अपनानी चाहिए, जिसके अन्तर्गत कारखाने के बन्द होने के सम्बन्ध में समय-समय पर सूचना दी जा सके।

21 बैंकों को भी चाहिए कि वे अपना धन्य स्वयं शुरू करने वाले लोगों को वित्तीय सहायता दें। बैंक अधिकारियों को चाहिए कि वे अधिक रोजगार देने वाली योजनाएँ शुरू करें और बैंक की प्रत्येक शाखा के लिए निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें, जो उन्हें पूरा करना होना। अतिरिक्त साधनों का काफी हिस्सा इन योजनाओं के लिए निर्धारित कर देना चाहिए। बड़े हुए कुल साधनों की 25 से 30% राशि इन योजनाओं के लिए निश्चित की जा सकती है।

22 बैंकों को स्वयं धन्य शुरू करने वाले लोगों की वित्तीय सहायता करने में अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि किसी भी श्रेणी के व्यक्ति को अपना धन्य अथवा ध्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए न्यून लेने में कठिनाई न हो।

23 विशेष वित्तीय सहायता का अधिकाधिक लाभ उठाया जा सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि व्याज-दर, धन लौटाने की अवधि आदि ऋण की शर्तों और अधिक उदार बनाई जाएँ। इसके अतिरिक्त ऐसे ऋण लेने वाले की आवश्यकता तथा उनकी मजदूरियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। समिति का विचार है कि सम्बन्धित अधिकारियों को पृथक् व्याज-दरों से सम्बद्ध समिति की सिफारिशें तुरन्त लागू करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए।

24 उद्योगपतियों को विशेष क्षेत्र या उद्योग में कच्चे माल के सम्बन्ध में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनको दूर करने के लिए उद्योगपति अपने सध बना सकते हैं, जो लघु उद्योगों की कच्चे माल, धन, उत्पादित-वस्तुओं की बिक्री आदि समस्याओं का समाधान कर सकते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर मामलों को उपयुक्त अधिकारियों के पास ले जा सकते हैं। सरकार को भी इस तरह के संगठन बनाने की दिशा में प्रोत्साहन देना चाहिए।

25 बेरोजगार व्यक्तियों के लिए आवेदन पत्र निशुल्क होना चाहिए। यात्रा-व्यय देने के सम्बन्ध में भी विशेष परिस्थितियों पर ध्यान रखा जाना चाहिए। केवल उस मामले में जहाँ चुनाव के लिए साक्षात्कार आवश्यक है, बेरोजगार व्यक्तियों को यात्रा व्यय दिया जाना चाहिए, ताकि वे साक्षात्कार के लिए उपस्थिति हो सकें। हूँ यदि चुनाव के सम्बन्ध में सभी श्रायियों के लिए प्रतिशोधिता परीक्षा आवश्यक है, तो सभी उम्मीदवारों को यात्रा-व्यय देना आवश्यक नहीं है।

भगवती समिति की अन्तिम रिपोर्ट, 1973

(Final Report of the Bhagwati Committee, 1973)

भगवती समिति ने 16 मई, 1973 को अपनी अन्तिम रिपोर्ट भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दी जिसमें आंकड़ों के आधार पर सन् 1971 में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 187 लाख घाँकी गई। इनमें से 90 लाख व्यक्ति तो ऐसे थे जिनके पास कोई रोजगार नहीं था और 97 लाख व्यक्ति ऐसे थे जिनके पास 14

घण्टे प्रति सप्ताह का कार्य उपलब्ध था अर्थात् वे बेरोजगार-से ही थे। अन्तिम रिपोर्ट के अन्तर्गत बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए मुख्यतः निम्नलिखित सुझाव दिए गए¹—

1. बेरोजगारों को काम की गारण्टी देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया जाए। जो व्यक्ति रोजगार में संलग्न है उन्हें रोजगार की हानि (Loss of Employment) की स्थिति में बीमा-व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।

2. कार्यधिकार योजना (Right to work Scheme) सम्पूर्ण देश में लागू की जाए।

3. देहातों के विद्युतीकरण, सड़क-निर्माण, ग्रामीण भूकानों और लघु सिंचाई योजनाओं को आगामी दो वर्षों में तेजी से लागू किया जाए। रोजगार कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने में कोई हिचक न की जाए और यदि आवश्यक हो तो विशेष करो तथा चालू करो में वृद्धि का मार्ग अपनाया जाए।

4. काम के घंटों को सप्ताह में 48 से घटा कर 42 किया जाए और फ़ैक्टरियों को सप्ताह में पूरे 7 दिन तक प्रभावी रूप में चालू रखा जाए ताकि रोजगार में वृद्धि हो।

5. रोजगार एवं श्रम-शक्ति-नियोजन पर एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया जाए।

6. विवाह-धाम्य लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष करदी जाए।

भगवती समिति ने अपनी सिफारिशों में लघु सिंचाई और ग्रामों के विद्युतीकरण के कार्यक्रमों को सर्वाधिक महत्व दिया है। समिति का विचार था कि इन कार्यक्रमों और सड़क-निर्माण, ग्रामीण आवास आदि की योजनाओं से ग्रामीण बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार की समस्याओं पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। समिति ने सुझाव दिया कि श्रम-प्रधान उद्योगों के लिए करो में छूट और रियायत की व्यवस्था की जाए तथा बड़े-बड़े नगरों में उद्योगों का विकिरण किया जाए। यह सिफारिश भी की गई कि कृषि-क्षेत्र में श्रम वचाने वाली भारी मशीनों के प्रयोग पर नियन्त्रण लगाया जाए, विशाल पैमाने पर ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों का संचालन किया जाए (जिसका सकेत ऊपर किया जा चुका है), कानूनों द्वारा इन्जीनियरों एवं तकनीकी श्रमिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। समिति का एक महत्वपूर्ण सुझाव यह भी था कि शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में वार्षिक दर से 5 लाख नौकरियों के लिए प्रवर्धन किया जाए। रोजगार एवं राज्य-स्तर पर ऐसे पृथक् विभाग खोले जाएँ, जिनका कार्य केवल रोजगार एवं श्रम शक्ति-नियोजन सम्बन्धी कार्यों की देखभाल हो। जो पिछड़े इलाके हैं उनके लिए पृथक् विकास-मण्डल (प्रादेशिक विकास बोर्ड) बनाए जाएँ। बेरोजगारी पर विभिन्न समितियों और अध्येय में दिए गए अन्य सुझावों पर ध्यान देने तथा उन्हें आवश्यकतानुसार प्रभावी रूप में क्रम में लाने पर ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगारी की समस्या का प्रभावी समाधान सम्भव है।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना और बेरोजगारी (Fifth Five Year Plan & Unemployment)

सन् 1951 के पश्चात् प्रथम बार देश की इस योजना में बेरोजगारी दूर करने पर विशेष बल दिया गया है और विकास के अतिरिक्त अधिक रोजगार उपलब्ध करने के उद्देश्य को एक मूल उद्देश्य माना गया है। पाँचवी योजना में रोजगार के महत्त्व को ठीक परिदृश्य में रखते हुए इस तथ्य की स्पष्टतः स्वीकार किया गया कि बेकार श्रम-शक्ति को समुचित रूप में प्रयोग में लाने पर विकास-क्षेत्र में पर्याप्त मदद मिलेगी। योजना के दृष्टिकोण में रोजगार-विषयक महत्त्वपूर्ण पहलू संक्षेप में अग्रानुसार हैं¹—

1 देश को रोजगार के इच्छुक लोगों की बढ़ती हुई संख्या की भीषण समस्या से निपटने के लिए योजना बनानी होगी। ताकि विकास के मार्ग में यह भयंकर खतरा न बने और इनका देश की प्रगति तथा खुशहाली के सशक्त सहायक के रूप में उपयोग किया जा सके।

2 विकास की गति बढ़ाने तथा असमानताएँ घटाने के लिए उत्पादक रोजगार का विस्तार करना बहुत महत्त्वपूर्ण है। बेकार जन शक्ति बेरोजगार, अपूरण रोजगार कर रहे तथा केवल अस्थायी रोजगार कर रहे लोग, विकास का ऐसे सक्षम साधन है जिनका यदि उचित उपयोग किया जाए तो द्रुत विकास किया जा सकता है। इसके साथ साथ असमानताओं का मुख्य कारण व्यापक बेरोजगारी, अपूरण रोजगार का विस्तार कर उसे उचित आय स्तरों पर सुलभ किया जाए। रोजगार ही एक ऐसा निश्चित तरीका है, जिसके द्वारा गरीबी के स्तर से नीचे जीवन-निवाह करने वाले का स्तर ऊँचा उठाया जा सकता है। आय का पुनर्बँटवारा करने के लिए जो प्रचलित कर-नीतियाँ हैं वे स्पष्ट में इस समस्या पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल सकती।

3 रोजगार नीति इस प्रकार की होनी चाहिए, जिससे वेतन पर मिलने वाला रोजगार तथा अपना धन्य आरम्भ करने वा रोजगार, इन दोनों का विस्तार हो सके और उनकी उत्पादकता बढ़े।

4 उत्पादन प्रणाली को चुन कर ही विशेष विनाश की दर पर रोजगार का विस्तार किया जा सकता है। परन्तु यह प्रणाली श्रम-सहन होगी चाहिए अथवा ऐसी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए, जो कुर्लभ पूँजी या श्रम द्वारा कृषि करने का स्थान ले। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए चतुर्थ योजना में अनेक रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों का सूत्रपात किया गया। इन स्कीमों को पाँचवी योजना में ऐता रूप दिया जाएगा जिससे अधिकाधिक स्थायी उत्पादक परि सम्पत्तियों के निर्माण के साथ-साथ इनमें सुलभ होने वाले रोजगार के अपसरों में कमी न आए।

1 (क) भारत सरकार, योजना आयोग पाचवी योजना के प्रति दृष्टिकोण, 1974-79, पृष्ठ 38

(ख) योजना, दिनांक 22 दिसम्बर, 1973 (पाँचवी योजना मासिक विवेक), पृष्ठ 36

5 निर्माण कार्य में बहुत अधिक मजदूर कार्य करते हैं। अतः रोजगार वृद्धि के दृष्टिकोण से निर्माण को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानना चाहिए। निर्माण कार्यकलाप का विस्तार कुल नियतकालीन पूंजी-निर्माण के विस्तार से सम्बन्धित है।

6 वेतन वाले रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाएगी तथा अपना धन्य शुरू करने के लिए अधिक व्यापक स्तर पर सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। समस्त कृषि-क्षेत्र के विकास पर बल दिया जाएगा और अतिरिक्त स्व-रोजगार की सम्भावनाओं का विकास किया जाएगा। बढ़ती हुई श्रम-शक्ति को कृषि-क्षेत्र में ही रोजगार पर लगाए जाने का प्रयास किया जाएगा।

7 कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए भूमि उत्पादन का बुनियादी आधार है, परन्तु इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः जिन लोगों के पास अत्यल्प भूमि है उन्हें भूमि देने का एक ही तरीका है कि जिनके पास बहुत अधिक भूमि है या जो अन्य काम कर रहे हैं, उनसे भूमि लेकर इन लोगों को दे दी जाए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उच्च प्राथमिकता के आधार पर भूमि-सुधार पर बल दिया गया है। दूसरे, यह निश्चय किया गया है कि जो बेकार भूमि प्राप्त हो उसे भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को देने के काम को प्राथमिकता दी जाए। तीसरे, जिन लोगों को भूमि दी जाए उन्हें भरपुर संगठन, ऋण, निवेश तथा विस्तार की सुविधाएँ प्रदान की जाएँ ताकि ये कृषि-कर्म सफलतापूर्वक कर सकें।

8 योजना में बड़ी, मझोली और छोटी सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, अनुसन्धान और विस्तार, फसल की कटाई के वाद के काम तथा नई प्रौद्योगिकी को समर्थन प्रदान करने और उसका विस्तार करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पशुपालन, दुग्ध-उद्योग और मछलीपालन जैसे जिन कामों के लिए भूमि होनी आवश्यक नहीं है, को बढ़ावा देने पर बल दिया जाएगा। आशा है कि कृषि-क्षेत्र में रोजगार को प्रोत्साहन देने को ध्यान में रखते हुए अनाप-शनाप यन्त्रीकरण नहीं किया जाएगा। केवल इस प्रकार यन्त्रीकरण की प्रोत्साहित किया जाएगा, जो केवल श्रम को बचत करने की अपेक्षा भूमि के प्रति एक समस्त उत्पादन में वृद्धि करेगा।

9 कृषि-विशेष कार्यक्रम, जैसे—लघु कृषक-विकास अभिकरण और नाममात्र कृषि-श्रमिक-परियोजनाएँ, ग्रामीण रोजगार की त्वरित स्कीम और सुलाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम चतुर्थ योजना में आरम्भ किए गए। कुल मिलाकर, इन कार्यक्रमों को पृथक्-पृथक् तैयार किया गया तथा इनका संचालन भी स्थिति के अनुसार छिन्न-पट्टा रहा। पाँचवी योजना में, न केवल इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी लानी होगी बल्कि विशिष्ट सरचनात्मक सुधार भी करने होंगे। इन कार्यक्रमों से प्राप्त अनुभव यह बताता है कि यदि अनाप-शनाप यन्त्रीकरण है, तो सामान्यतया विकास कार्यक्रम और विशेष रूप से विशेष कार्यक्रमों को एक साथ मिलाना होगा। इन क्षेत्रीय लघु और सीमान्त कृषक तथा कृषि-श्रमिकों की अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक होगा कि समेकित-क्षेत्र विकास की दिशा में प्रयत्न किया जाए।

10. कृषि-क्षेत्रों में, शारीरिक श्रम करने वालों को रोजगार की गारन्टी देने की दिशा में छोटा-सा प्रयास किया गया है।

11 ग्रामीणों और लघु उद्योग, सड़क परिवहन, फुटकर व्यापार व सेवा व्यवसाय जैसे प्रत्येक क्षेत्र हैं जिनमें अरना घन्टा आरम्भ करने की सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। अतः जनसंख्या के महत्त्वपूर्ण अंश अर्थात् शहरी जनसंख्या, शिक्षित व तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित, ग्रामीण कारीगर और ग्रामीण क्षेत्र में अन्य भूमिहीन तत्त्व ऐसे हैं जिनके लिए पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करने के लिए उपर्युक्त क्षेत्रों में रोजगार का विस्तार करना होगा।

12 अर्थ व्यवस्था में यदि रोजगार के साधन तथा अन्य क्षेत्रों के मध्य वेदगा विकास होता रहा, तो इससे रोजगार बढ़ने की अपेक्षा रोजगार कम होगा। अतः रोजगार और अर्थ क्षेत्रीय सन्तुलन में तालमेल होना चाहिए। सुविचारित रोजगार-उन्मुक्त योजना के रोजगार-साधन तथा पूर्वी-साधन क्षेत्रों के मध्य ठीक प्रकार का तालमेल अपेक्षित है।

13 रोजगार वृद्धि की सामान्य नीतियों को विशिष्ट कार्यक्रमों के साथ जोड़कर उनका तालमेल विठाना होगा ताकि शिक्षित बेरोजगारों को उत्पादन कार्य पर लगाया जा सके। इस प्रयोग के लिए कुशलता प्राप्त तथा अन्य सामान्य वर्गों में अन्तर करना होगा।

14 द्रुत औद्योगिक विकास करने और उत्पादक अनुसन्धान तथा विकास कार्यक्रमों को कारगर ढंग से आगे बढ़ाने से वैज्ञानिकों, इंजीनियरों—और—तकनीकियों को पूर्ण रोजगार दिया जा सकेगा। यदि परिकल्पित औद्योगिक विकास की दर और प्रणाली सही जनरती है और अनुसन्धान और विकास के कार्यक्रमों के अनुसन्धान विस्तार करते हैं तो इंजीनियरों, तकनीकियों—और—भुयोग्य वैज्ञानिकों को रोजगार देने की समस्या नहीं रहेगी। प्राकृतिक साधनों के सर्वेक्षण के लिए जो कार्यक्रम बनाया जा रहा है उससे भी रोजगार के अवसर सुलभ होने की सम्भावना है।

15 सार्वजनिक सेवाएँ, प्रशासनिक सेवाएँ तथा समाज सेवाएँ शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार देने के मुख्य क्षेत्र हैं। पाँचवी योजना के दौरान समाज सेवाओं में तीव्र विस्तार करने का विचार है। परन्तु इस पर कि इस अवधि के दौरान रोजगार के इच्छुक शिक्षित लोगों की संख्या इससे काफी अधिक होगी। यह मानना अव्यावहारिक होगा कि रोजगार की स्थिति में केवल सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार से कोई सुधार किया जा सकता है, क्योंकि अर्थ व्यवस्था के सामग्री तथा सेवा क्षेत्रों में भी समुचित सन्तुलन बनाए रखना जरूरी है। अतः विशेष प्रशिक्षण द्वारा कुशलता प्रदान कर तथा अन्य नीति सम्बन्धी परिवर्तन कर, इन्हें समान बनाने वाले क्षेत्रों में काम देना होगा।

16 दीर्घकालीन सम्भावनाओं के अनुसार, नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों की समस्या का निदान केवल माँग पक्ष से विचार कर नहीं किया जा सकता। जहाँ तक कुशल कर्मचारियों का सम्बन्ध है, प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों में प्रवेश की सहायता पत्र रही है, ताकि समस्या को सुलभ किया जा सके। जहाँ तक आम

सोचों का सम्बन्ध है, इस शारे में और भी तीव्रता से कार्यवाही करनी होगी ताकि समस्या पर काबू पाया जा सके। विश्वविद्यालय की शिक्षा को इस प्रकार विनिर्दिष्ट करना होगा जिससे उतनी ही संख्या में शिक्षा प्राप्त कर लोग विश्वविद्यालय से निकलें, जितने लोगों को रोजगार पर लगाया जा सके। इसके लिए न केवल विश्वविद्यालय शिक्षा पर रोक लगानी होगी बल्कि मान्यमिक शिक्षा को अधिक विविधता प्रदान कर उसे व्यावसायिक बनाना होगा ताकि उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं में प्रवेश की भीड़ भाड़ को घटाया जा सके। इसके अतिरिक्त वे सभी नियमित उपाय अन्वयायपूर्ण हैं जो समान शिक्षा अवसर सुलभ करने से इन्कार करते हैं। समतल गतिशीलता प्रदान करने में शिक्षा, शक्तिशाली तत्त्व के रूप में कार्य कर सकती है। वर्तमान शिक्षा इस सम्बन्ध में कारगर न होने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि ठोस निर्णय लेकर उचित रीति-नीतियाँ अपनाई जाएँ।

सितम्बर 1976 में, लगभग तीन वर्ष बाद, राष्ट्रीय विकास परिषद की पुनः बैठक हुई और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना सशोधित रूप में अन्तिम रूप से स्वीकार की गई। इस सशोधित योजना में पाँचवीं योजना के दौरान रोजगार की सम्भावनाओं और जीवन स्तर के बारे में जो कहा गया वह इस प्रकार है—

“योजना बनाने वालों और नीति-निर्माताओं के सामने रोजगार की समस्या एक गम्भीर चिन्तन का विषय है। अर्थ-व्यवस्था के स्वरूप से सम्बन्धित विशेषताओं को देखते हुए इस समस्या का आकार कुछ इस प्रकार का है कि उसमें से कुछ विचार और आँकड़ों से सम्बन्धित कठिनाइयाँ उभर कर सामने आती हैं। बेरोजगारी के अनुमानों से संबंधित विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया था कि इन सम्बन्धों में एक बहुमुखी नीति अपनाई जानी चाहिए। राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन ने 27वें दौर में समिति की सिफारिशों के अनुसार आँकड़े एकत्र किए हैं। अब तक प्रथम दो उप-दौरों के परिणाम प्राप्त हुए हैं। तीसरे अवधि के प्रबन्ध के माध्यम से वर्तमान गतिविधि के स्तर के स्वरूप को समझकर तथा बेरोजगारी की दर की व्यवस्था करके ग्रामीण क्षेत्रों में इस समस्या के गुरुत्वात्मक स्तर पर विचार करना सम्भव है। आँकड़ों से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करने की तत्काल आवश्यकता है। किन्तु इस समस्या के सही स्वरूप को तभी समझा जा सकता है जब यह समझ लिया जाए कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या ग्रामीण क्षेत्र में इसकी व्यापकता का ही परिणाम है। इनके अतिरिक्त इस बात का भी पता चलता है कि यह समस्या अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग मात्रा में है।”

“चौथी योजनावधि में सृजित क्षेत्र के अन्तर्गत रोजगार में लगभग 3% वार्षिक दर से वृद्धि होने का अनुमान है। वैचारिक कठिनाइयाँ निहित होने पर भी अन्तर-जनगणना की तुलनाओं और राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन के विभिन्न दौरों के परिणामों से यह संकेत मिलता है कि घरेलू, विनिर्माण क्षेत्र में, जिसमें कुटीर उद्योग को भी शामिल किया गया है, रोजगार की मात्रा अपेक्षित परिमाण में नहीं

घटी है। जिरा अवधि में कृषि उत्पादन में वृद्धि की दर कम रही थी (1961-62 से 1973-74 तक), उस अवधि में 1960-61 के आधार पर प्रमुख घरेलू विनिर्माण उद्योगों के कुल मूल्य में वृद्धि की दर भी कम रही थी, अर्थात् खाद्य, पेय व तम्बाकू के पदार्थ में (1.83% प्रति निश्चित वर्ष), सूती वस्त्रों की सिलाई और चमड़े के जुते चप्पल में (2.09 प्रतिवर्ष), चमड़ा और चमड़े की बनी वस्तुएँ (-1.62%) जैसे यह कमी रसायन और इंजीनियरी क्षेत्र में ऊंची वृद्धि की दर से (3 से 6% के बीच) के कारण पूरी हो गई थी।

"एक उपयुक्त नीति तैयार करने के लिए यह जरूरी है कि उन घटकों का पता लगाया जाए जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का क्षेत्रीय आधार पर प्रभावित करते हैं। योजना आयोग ने रा प्र स के क्षेत्र का उपयोग करते हुए कुछ अध्ययन किए हैं। उत्पादन के प्रति एक रूपों में अन्य घटकों जैसे प्रति हैक्टर उत्पादन, प्रति हैक्टर उदरक का प्रयोग टैंक्टरों का प्रयोग, सिंचाई विनिर्माण, स्तर और जोत के आकारों में असमानता के स्तर की तुलना में रोजगार के अंश के सम्बन्ध में अनुसन्धान किया गए हैं। उत्पादक के प्रति रुपये और प्रति हैक्टर भूमि पर रोजगार का अंश सिंचाई में होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर है, जैसे प्रति हैक्टर भूमि में लगाए गए पम्प सॉटों की संख्या। इसी प्रकार पाँच एकड़ (2 हैक्टर) के या इससे कम आकार के जोतों के साथ रोजगार की दर जुड़ी हुई है। विकसित वाणिज्यिक कृषि क्षेत्रों तथा शेष क्षेत्रों में इस सम्बन्ध पर अलग-अलग अधिक विचार किया गया। इसमें प्राप्त हुए परिणाम लगभग वे ही थे जो पूरे देश के सम्बन्ध में प्राप्त हुए थे। इसके अलावा यह भी ज्ञात हुआ कि प्रति हैक्टर उर्वरकों का प्रयोग, नई कृषि तकनीकों का विस्तार भी वाणिज्यिक क्षेत्रों में रोजगार से निश्चित रूप से जुड़ा हुआ था।"

उपयुक्त कार्यनीति और रोजगार नीति तैयार करने की दृष्टि से तीन बातें ध्यान में सम्बन्धित हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। पहली बात में इस बात पर जोर दिया गया है कि एक ऐसा कार्यक्रम कार्यान्वित करने की आवश्यकता है जिसमें सिंचाई अधिक उपज देने वाली हिस्सों के सम्बन्ध में कृषि विस्तार कार्य आदि जैसे योजना में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कार्यनीति को अमल में लाया जाए। दूसरी बात इस सम्बन्ध में है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का कार्य स्थानीय विकास के सम्बन्धित कार्यनीति से जुड़ा होना चाहिए और तीसरी व अन्तिम और सबसे महत्वपूर्ण बात पट्टेदारी प्रथा में सुधार के उपायों से ग्रामीण कृषि कार्य में सुरक्षा तथा छोट कृषि कारी की उपज को लाभकारी बनाने से सम्बन्धित है।

उपयुक्त रीति विधान के निष्पादन से कई परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। पहला तो यह है कि इसका अर्थ होगा महत्वपूर्ण निवेश उल-घटा सुनिश्चित करना और उसका प्रभावी रूप से उपयोग करना योजना के उत्पादन और विनिर्माण पक्ष के अन्तर्गत इस बात का ध्यान रखा गया है। दूसरा यह है कि कृषि के माध्यम से रोजगार की योजना का स्वरूप क्षेत्र विशेष से सम्बन्धित होगा चाहिए और

इसलिए इस सम्बन्ध में बहुस्तरीय नीति अपनायी होगी। प्रत्येक क्षेत्र की मिट्टी और कृषि-जलवायु को ध्यान में रखकर विचारों की सुविधाओं की उपलब्धता के विस्तृत अनुमान तैयार किए जाने चाहिएँ जो भूतल और भूमिगत दोनों प्रकार के जलस्रोतों से सम्बन्धित हों। पिछले अनुभव, क्षेत्र विशिष्ट में विशिष्ट फसल उगाने की प्रवृत्ति और योजना में स्पष्ट की गई माँग की रूपरेखा को देखते हुए प्रत्येक उप-क्षेत्र की सफल पयास प्रणाली को निर्धारित करना होगा। मिचर्राई के अन्तर्गत क्षेत्रों तथा निश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों और यथा सम्भव शुष्क क्षेत्रों में नई विस्में के विस्तार की सम्भावनाओं के व्यावहारिक अनुमान लगाने होंगे। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र की उत्पादन-क्षमता का अनुमान सावधानीपूर्वक लगाना होगा और उसके लिए अपेक्षित सगठनात्मक और निवेश सम्बन्धी सुविधाएँ सुनिश्चित करनी होंगी। इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस काम में वित्तगनियाँ उत्पन्न न होने पाएँ। निस्सन्देह यह एक कठिन कार्य है। इन प्रयासों से प्राप्त होने वाले युक्तियुक्त आश्वासन के बगैर कोई गम्भीर और उपयोगी रोजगार योजना नहीं बना जा सकती।

अध्ययनों द्वारा क्षेत्रीय योजना के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है। इनमें यह ज्ञात होता है कि कुछ ससाधनों की अलोच, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक बन्ध रही है, स्थानीय स्तर पर उतनी ही कठोर नहीं रह पाती जिसके फलस्वरूप, यदि जनसहयोग और स्थानीय ज्ञान का उपयोग किया जा सके और आयोजन में पहल करने की भावना हो तो उपलब्ध भौतिक और जन-ससाधनों में वृद्धि हो सकती और उनका अधिक कुशलता से उपयोग किया जा सकता है। इस मदके लिए राज तथा स्थानीय स्तर पर योजना तन्त्र को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। यह इतना महत्त्वपूर्ण कार्य है कि राष्ट्रीय आयोजन के साथ सुसंगत तालमेल स्थापित किया जाना चाहिए।

सफल स्थानीय योजना के लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि 20 सूची कार्यक्रम : भूमि सुधार के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए और इसे लागू करने के लिए उपाय किए जाएँ। छोटे-छोटे किसानों को और बैंक/इदारों को सम्पत्ति के अधिकार देने में पट्टेदारी के अन्तर्गत सुरक्षा प्रदान करने और इसके साथ ही कृषि कार्यक्रम विशेषतः लकड़ी और नाक भू-अ कार्यक्रम के माध्यम से उत्पादन : सहायता देने की स्कीम बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। व्यापक क्षेत्रीय नीति के आधार पर बनाई गई कृषि योजना के अन्तर्गत पशुपालन, पारस्परिक बेकार वस्तुओं आदि और सहायक गतिविधियों के द्वारा अतिरिक्त रोजगार सृजित करने में काफी मदद मिल सकती है।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में श्रम की पूर्ति के अनुमानों के अनुसार पाँचवें योजनावर्ष में कृषि क्षेत्र बल की संख्या में 162 लाख और छठी योजना 189 लाख वृद्धि होगी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 27वें दौर द्वारा अनुमानित श्रम बल की दर में 5 से 14 वर्ष के बच्चों को शामिल कर लिए जाने पर भी

सर्वेक्षण के लिए उपयोग में लाए गए विविध परिवर्तन के कारण यह दर बढ़ जाएगी। फिर भी रा. प्र. स. के परिकल्पनों पर आधारित अनुमानों के अनुसार पाँचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में श्रम बल की समस्या में वृद्धि लगभग 182.6 लाख से 189.6 लाख तक होगी और छठी योजना में 195.7 लाख से 203.9 लाख तक होगी। जैसी भारत की अर्थ व्यवस्था है, ऐसी अर्थ-व्यवस्था में श्रम बल की पूर्ति के अनुमान अस्वीकार रहते हैं। ऊपर वर्णित किए गए लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर श्रम बल की वृद्धि को पाँचवीं योजनावधि में काम पर लगाना जा सकता है और छठी योजनावधि में पहले से ही बेरोजगार व्यक्तियों को काम देने के लिए उपयोगी प्रयास किए जा सकते हैं।

पञ्जीकृत विनिर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत रोजगार और उत्पादन के परस्पर सम्बन्धों पर 20 औद्योगिक समूहों में अन्वेषण किया गया था। इस विश्लेषण में क्षमता के उपयोग के परिवर्तनों का भी ध्यान रखा गया है। भावी योजना में प्रमुख बल सरकारी विनियोजन और सम्पूर्ण विनियोजन पर दिया गया है और यह लक्ष्य पूरा हो जाने पर पाँचवीं योजनावधि में पञ्जीकृत विनिर्माण क्षेत्र में विनिर्माण कार्यों में रोजगार में वृद्धि दर चौथी योजनावधि की दर से काफी अधिक रहने की सम्भावना है। आने वाले समय में इन वृद्धि की प्रगति को और तेज करना होगा। यदि खान, खनन, निर्माण उद्योग, विजली, रेलवे तथा अन्य परिवहन और अन्य सेवाओं के क्षेत्रों में भी लक्ष्य पूरे किए जा सकें तो रोजगार की सुविधाओं में काफी वृद्धि हो सकती है।

अपञ्जीकृत क्षेत्र में, जिसके अन्तर्गत घरेलू क्षेत्र आता है, पिछले दशक की रोजगार की प्रवृत्तियों को पलट देने की आवश्यकता है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में कुटीर उद्योग क्षेत्र के प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए परिश्रम में काफी वृद्धि की गई है। यह वृद्धि हाथ करपा, नारियल रेशे, मलीये बुनने और प्रशिक्षण तथा अन्य क्षेत्रों के योजना कार्यक्रमों के क्षेत्र में विशेष रूप से की गई है। यह सम्भावना है कि घरेलू क्षेत्र की कृषि पर आधारित पूर्ति पर ज्यादा कठोर नियन्त्रण नहीं रहेगा। इस क्षेत्र से सम्बन्धित कर, ऋण और उदरगहन सहायता नीतियों का ठीक प्रकार से प्रयोग करना अनिवार्य है ताकि और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। श्रम बहुलता वाले प्रौद्योगिक सुधार करने और उनका प्रसार करने की भी आवश्यकता है। पाँचवीं योजना के प्रारूप में बतलाई गई रूपरेखा के अनुसार पाँचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में कृषि से इतर क्षेत्र में श्रम बल की समस्या में 85 लाख और छठी योजना में 91 लाख की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। भावी योजना में बतलाए गए उत्पादन लक्ष्यों का पूरा करना नितान्त आवश्यक है, तभी कृषि से इतर क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकेंगे। भावी योजना के उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने और ऊपर स्पष्ट की गई नीतियों, विशेषतः अपञ्जीकृत क्षेत्र से सम्बन्धित नीतियों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने से पाँचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में कृषि से इतर क्षेत्र के अन्तर्गत श्रम बल में हुई वृद्धि की पाँचवीं योजनावधि में

उत्पादक कार्यों में लगाया जा सकता है और उसके बाद पहले से चली आ रही बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए छठी योजना में गम्भीरतापूर्वक प्रयास करने होंगे।

दीर्घकालीन भावी योजना के अन्तर्गत मुम्बई गई रोजगार नीति में सरकारी विनियोजन दर बढ़ाने पर बल दिया गया है ताकि योजनाओं में निर्धारित किए गए उत्पादन के अनुमानों को पूरा किया जा सके, हृषि योजना नीति को विशेष रूप से उसके स्थानीय स्वरूप को व्यापक और उन्नत किया जा सके, 20-सूत्री कार्यक्रम में दिए हुए भूमि सुधार लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। छोटे-छोटे किसानों को उत्पादन में सहायता दी जा सके और अन्न में, अपजडीकृत क्षेत्र में एक उपयुक्त नीति के अन्तर्गत रोजगार के अवसर फिर से नज्दिक किए जा सकें। जब एक बार, उपलब्ध भूमि को लाभदायक कार्यक्षमताओं में लगाने की नीति सफल हो जाएगी तो उसके बाद रोजगार की स्थिति की सुलभता से सम्बन्धित पहलू में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

जहाँ तक रहन-सहन का सम्बन्ध है, पाँचवी योजना के प्राक्षेप में बताया गए रीति विधान का प्रयोग उपर वर्णित रोजगार को सम्भावनाओं के साथ उपयोग के स्तरों का एकीकरण करने के लिए किया गया है। उत्पादन के वस्तुसूचक अंश में यथोचित संशोधन कर दिए गए हैं और उसे भावी योजना में अनुमानित उत्पादन के आकार में मिला दिया गया है।

जनता सरकार की नई राष्ट्रीय योजना (1978-83)

में बेरोजगारी से युद्ध

मार्च, 1977 में काँग्रेस शासन का पराभव हो गया और जनता पार्टी सत्ताह्व हई। जनता सरकार ने समुच्चय अर्थ-व्यवस्था के प्रति एक नया और अधिक मध्यावधि दृष्टिकोण अपनाया और पाँचवी पंचवर्षीय योजना को समय से एक वर्ष पूर्व ही 31 मार्च, 1978 को समाप्त कर 1 अप्रैल, 1978 से नई छठी राष्ट्रीय योजना लागू कर दी और योजना प्रणाली को 'अनवरत अथवा आवर्ती योजना प्रणाली' (Rolling Plan System) का रूप दिया गया। राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी ने 20 फरवरी, 1978 को समक्ष अपने अभिभाषण में कहा—

“इस सरकार को विरामत में ऐसी अर्थ-व्यवस्था मिली जिसमें घोर गरीबी और बेरोजगारी थी, साथ ही से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ अधिकतर लोगों की पिछले 30 सालों में हुए विकास का लाभ नहीं मिला था। इन सम्बन्ध में ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा को दूर करने के लिए तथा गरीबी और बेरोजगारी की पुनर्स्थापना को सुलभाने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रक्रिया को सही दिशा देने का निर्णय किया है। इसीलिए, पाँचवी पंचवर्षीय योजना को इस साल समाप्त कर अप्रैल, 1978 से एक नई पंचवर्षीय योजना शुरू की जा रही है। इस योजना में विकास के लक्ष्य निर्धारण सम्बन्धी सरकार की नई विचारधारा का समावेश होगा। बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर अल्प रोजगारी को कम से कम समय में दूर करना,

इसी अवधि में निम्नतम आय वाले वर्ग के लोगों के लिए अधिक से अधिक मात्रा में आवश्यक वस्तुएँ और सेवाएँ उपलब्ध कराना, आय और सम्पत्ति की असमानता में महत्वपूर्ण कमी करना और तकनीकी आत्म-निर्भरता में लगातार प्रगति करना इस योजना के प्रमुख उद्देश्य होंगे। इसलिए अगली पंचवर्षीय योजना में कृषि और उससे सम्बन्धित गतिविधियों, कुटीर और लघु उद्योगों, सिंचाई और विजली, प्रौढ़ शिक्षा, सभी के लिए दुनियादी शिक्षा, गाँव में पानी और सबको की व्यवस्था करने पर खास तौर से जोर दिया जाएगा। अर्थ-व्यवस्था के लिए आवश्यक आधारभूत सामग्री जैसे तेल, कोयला, धातुएँ, ज्वरक सीमट आदि के उत्पादन पर भी बल दिया जाएगा।”

“सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है जिसमें कुटीर और लघु उद्योगों के विकास को पूरे देश में अच्छी तरह फैलाने पर जोर दिया गया है। इससे रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि करने के हमारे लक्ष्य में प्राप्त करने में सहायता भी मिलेगी। इस नीति के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र और वृहद् उद्योग, स्वदेशी और विदेशी तकनीक, विदेशी निवेश, कामगारों की भागीदारी और उससे सम्बन्धित मामले भी आते हैं, और इससे इस दिशा में किसी भी प्रकार की अनिश्चितता को दूर करने में और फिर से पूँजी निवेश करने में काफी सहायता मिलेगी।”

प्रो एल के मुलाहकर ने भारत सरकार की विज्ञापन लेखमाला में अपने एक लेख 'बेरोजगारी की समस्या का निराकरण' दिनांक 20 अगस्त, 1977 में लिखा है कि सरकार की ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत देश के सभी काम करने वाले लोगों के लिए रोजगार देने का कार्य विभिन्न चरणों में आगामी दस वर्षों में पूरा किया जाएगा। श्री मुलाहकर ने आगे लिखा है— “इस बात पर आम सहमति है कि हर प्रकार के राजनीतिक विवादों से ऊपर उठकर एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत बेरोजगारी की समस्या को खत्म करना है। अनेक लोगों की यह माँग है कि लोगों के रोजगार के अधिकार को संविधानिक रूप दिया जाए। इस बात पर सभी सहमत हो कि बेरोजगारी की समस्या से आज जो भयानक स्थिति बन रही है वह कभी भी विस्फोटक रूप ले सकती है। भारत की सबसे बड़ी सम्पदा उसके सीस करोड़ लोगों की कार्य शक्ति है। इस जन शक्ति का भरपूर उपयोग की दिशा में एक सुभाव यह है कि रोजगार के लिए पाँच अरब रुपये की व्यवस्था अलग से की जाए। रोजगार योजनाओं पर चलने वाली वृहत् से एक बात साफ भलवती है कि बेरोजगारों को भत्ता देने की नीति व्यावहारिक रूप से लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि एक तो इससे सरकारी बोझ पर चालीस अरब रुपये का व्यय भार बढ़ेगा और दूसरे लोगों में काम न करने की प्रवृत्ति ही बढ़ेगी।” श्री मुलाहकर ने आगे यह भी लिखा है कि “दुनियाँ के विकसित देशों के अनुभवों से पता चलता है कि केवल आर्थिक विकास की दर में वृद्धि मात्र से बेरोजगारी को समाप्त नहीं किया जा सकता। यह महसूस किया जा रहा है कि देश की बेरोजगारी की समस्या का समाधान अर्थ-व्यवस्था में

बुनियादी संरचनात्मक परिवर्तन लाने की सरकार की राजनीतिक इच्छा पर निर्भर करता है। पिछले तीन वर्षों तक देश में पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था को अग्रनाथा गया और इससे बेरोजगारी में लगातार वृद्धि हुई। श्री मुलाहकर का कहना है कि "भारत ने विज्ञान और टेक्नोलोजी के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है और देश में बड़ी संख्या में तकनीकी व्यक्ति उपलब्ध हैं। देश में आधुनिक तरीकों से आर्थिक विकास के लिए समुचित अवस्थापना भी निर्मित हो चुकी है। सरकारी रोजगार योजनाएँ इसी परिप्रेक्ष्य में तैयार की जानी चाहिए। देश का वर्तमान वैज्ञानिक आधार इतना व्यापक और सफल है कि यह कृषि और उद्योगों के मिले-जुले आर्थिक समाज के निर्माण के लिए तैयार किए जाने वाले विविध विकास कार्यों को वहन कर सकता है और उन्हें समुचित गति दे सकता है। देश के सभी लोगों के लिए 'रोजी-रोटी' की व्यवस्था करने के लिए यही सर्वोत्तम मार्ग है।

12 अप्रैल, 1978 को लोकसभा में प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने बताया कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक शिक्षित बेरोजगारों की संख्या काफी कम हो जाएगी और संगठित क्षेत्र में 19.5 लाख अतिरिक्त लोगों को काम मिल सकेगा।

भारत के संगठित क्षेत्र में रोजगार (1975-76) (Employment in the Organised Sector)

इस सम्बन्ध में भारत सरकार के प्रकाशन 'आर्थिक समीक्षा-1976-77' का विवरण इस प्रकार है—

"सन् 1975-76 में संगठित रोजगार के अवसरों में 5.20 लाख अथवा 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र में 4.7 लाख रोजगार के अवसर बड़ जाने के कारण हुई। इससे यह पता चलता है कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार, गैर-सरकारी (निजी) क्षेत्र में 0.6 प्रतिशत के मुकाबले 3.6% बढ़ा। परन्तु समय-समय पर कुछ गैर-सरकारी औद्योगिक एकाई की सरकारी क्षेत्र में ले लिए जाने की वजह से तुलना करने पर गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि कम मालूम होती है। सन् 1975-76 में इन सभी बड़े उद्योगों (शोक और खुदरा व्यापार तथा वित्त पोषण और बीमा आदि समूहों को छोड़कर) में रोजगार में वृद्धि हुई। सेवाओं के क्षेत्र में, जहाँ कुल रोजगार का लगभग 2/5 भाग उपलब्ध है, रोजगार में 3.0 प्रतिशत वृद्धि हुई। इसी तरह विनिर्माण उद्योग समूह में रोजगार में काफी वृद्धि (2.9 प्रतिशत) हुई। इस प्रकार सेवाओं तथा विनिर्माण दोनों उद्योग समूहों में समुक्त रूप से अन्त में कुल रोजगार का लगभग 6.4 प्रतिशत भाग उपलब्ध है, सन् 1975-76 में संगठित क्षेत्र में रोजगार में हुई वृद्धि में 7.2 प्रतिशत अंश तक योगदान किया गया। जहाँ तक भवन आदि के निर्माण में रोजगार देने का सम्बन्ध है, कुल मिलाकर स्थिति यह रही है कि इस क्षेत्र में रोजगार बहुत मामूली सा बढ़ा, क्योंकि सन् 1975 में दम प्रकार का निर्माण कार्य कम हुआ। लेकिन वर्ष

के अन्त में सरकारी क्षेत्र के भवन आदि के निर्माण से सम्बन्धित कार्यकलापों के बारे में सरकार द्वारा कई प्रकार की छूट दिए जाने के कारण कुल मिलाकर सन् 1975-76 में इस क्षेत्र में 37,000 और ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार मिला। जहाँ तक गैर-सरकारी क्षेत्र में भवन आदि के निर्माण कार्य से रोजगार मिलने का सम्बन्ध है, मार्च, 1975 के इस क्षेत्र में रोजगार कम होने लगा था पर बाद में सितम्बर, 1975 और मार्च, 1976 के बीच इस क्षेत्र में भी 7,000 और अधिक लोगों को रोजगार मिला।

दिसम्बर, 1976 के अन्त में, देश के रोजगार कार्यालयों की पत्रियों में नौकरी के लिए नाम लिखवाने वालों की संख्या लगभग 97.7 लाख थी जबकि इससे पिछले वर्ष के दिसम्बर के अन्त में इनकी संख्या लगभग 93.3 लाख थी। इसका मतलब यह है कि इस अवधि के दौरान नौकरी के लिए नाम लिखवाने वालों की संख्या में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सन् 1975 में नौकरी के लिए नाम लिखवाने वालों की संख्या में जो 10.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी उसके मुकाबले आलोच्य वर्ष के दर आधे से भी नाम हैं क्योंकि सन् 1976 में इससे पहले वर्ष के मुकाबले 24.0 प्रतिशत अधिक खाली पदों को अधिशूचित किया गया था और 23.0 प्रतिशत ज्यादा नौकरियाँ दी गई थी। शिक्षित बेरोजगारों की कुल संख्या भी 48.05 लाख से बढ़कर 51.05 लाख हो गई। परन्तु शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में हुई यह वृद्धि सन् 1975 में हुई 6.58 लाख की वृद्धि की तुलना में बहुत कम थी। रोजगार के अवसरों में औद्योगिक उत्पादन बढ़ जाने के कारण वृद्धि हुई है। इससे 'अन्य क्षेत्र' का विस्तार भी हो सकता था। तब भी नौकरी तलाश करने वाले जिन लोगों का नाम रजिस्ट्रारों में दर्ज है उससे भारी चिन्ता के अलावा और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यह बात स्वीकार करनी होगी कि कुल मिलाकर बेरोजगारी की समस्या पर इस वृद्धि का जो प्रभाव पड़ा है वह बहुत मामूली है।

वास्तव में रोजगार कार्यालयों के जरिये जितने अधिक पद भरे गए हैं उनको देखने से यह पता चलता है कि सन् 1972 और 1973 में अर्थात् अर्थव्यवस्था के कुछ छोटे-छोटे औद्योगिक क्षेत्र में मन्दी की स्थिति दिलाई देने से पहले भी जितने खाली पद भरे गए थे लगभग उतने ही खाली पद आलाच्य वर्ष में भरे गए। इसके अलावा इन औद्योगिक क्षेत्रों से न यह पता चलता है कि देहातो में बेकारी कितनी है और कम रोजगारी कितनी है। जो भी संकेत उपलब्ध है उनमें यही गता वचता है कि समस्या गम्भीर है और वह हर साल भयावह होती जा रही है। इसलिए न केवल नए लोगों को रोजगार देने के लिए बल्कि पहले के बेकारों को रोजगार देने के लिए यदि रोजगार के अवसर बढ़ना है तो इस दिशा में काफ़ी बुद्धि करने की आवश्यकता है। साम तीर पर पंचवर्षीय आयोजनाओं को जिनमें रोजगार की अवसर विकास प्रक्रिया का गौण अंग समझा जाता रहा, तथा रुक देना होगा और उनमें रोजगार को विकास का एक अभिन्न अंग मान कर उसे प्रमुख स्थान देना होगा।

राष्ट्रीय रोजगार सेवा

(National Employment Service : N.E.S.)

राष्ट्रीय रोजगार सेवा 1945 में शुरू की गई थी। इसके अन्तर्गत प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा चलाए जाने वाले अनेक रोजगार कार्यालय खोले गए हैं। ये रोजगार कार्यालय रोजगार की तलाश में सभी प्रकार के व्यक्तियों की गहायता करते हैं, विशेषकर शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों, अनुसूचित जातियों और जन-जातियों, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तथा व्यावसायिक और प्रबन्धक पदों के उम्मीदवारों की। रोजगार सेवा अन्य कार्य भी करती है जैसे रोजगार सम्बन्धी सूचनाएँ एकत्र और प्रचारित करना तथा रोजगार और घन्घो-सम्बन्धी अनुसंधान के क्षेत्र में सर्वेक्षण और अध्ययन करना। ये अनुसंधान तथा अध्ययन ऐसे आधारभूत आँकड़े उपलब्ध कराते हैं, जो जन-शक्ति के कुछ पहलुओं पर नीति-निर्धारण में सहायक होते हैं।

रोजगार कार्यालय अधिनियम 1959 (रिक्त स्थान सम्बन्धी अनिवार्य ज्ञापन) के अन्तर्गत 25 वा 25 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले मालिकों के लिए रोजगार कार्यालयों को अपने यहाँ के रिक्त स्थानों के बारे में कुछ अपवाद के साथ ज्ञापित करना और समय-समय पर इस बारे में सूचना देते रहना आवश्यक है।

31 दिसम्बर, 1974 को देश में 535 रोजगार कार्यालय (जिनमें 54 विश्वविद्यालय रोजगार तथा मार्ग दर्शन ब्यूरो भी शामिल हैं) थे।¹ निम्नलिखित सारणी में रोजगार कार्यालयों की गतिविधियों से सम्बन्धित आँकड़े दिए गए हैं—

रोजगार कार्यालय तथा श्रमिकों

रोजगार कार्यालयों की संख्या	पंजीकृत संख्या	रोजगार		रोजगार		
		पाने वाले श्रमिकों की संख्या	वास्तु रजिस्टर में अभ्यर्थियों की संख्या	नापार्थियों का नाम उठाने वाले मालिकों का मासिक औसत	ज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या	
1956	143	16,69,985	1,89,855	7,58,503	5,346	2,96,618
1961	325	32,30,314	4,04,707	18,32,703	10,397	7,08,379
1966	396	38,71,162	5,07,342	26,22,460	12,908	8,52,467
1971	437	51,29,857	5,06,973	50,99,919	12,910	8,13,603
1972	453	58,26,916	5,07,111	68,96,238	13,154	8,58,812
1973	465	61,45,445	5,18,834	82,17,649	13,366	8,71,398
1974	481	51,76,274	3,96,898	84,32,869	12,175	6,72,537

नवम्बर, 1956 से रोजगार कार्यालयों पर दैनिक प्रशासनिक नियन्त्रण का कार्य राज्य सरकारों को सौंपा गया है। अप्रैल, 1969 से राज्य-सरकारों को जनशक्ति और रोजगार योजनाओं से सम्बद्ध विस्तीर्ण नियन्त्रण भी दे दिया गया। केन्द्रीय सरकार का कार्य क्षेत्र अखिल भारतीय स्तर पर नीति-निर्धारण, कार्य-विधि और मानकों के समन्वय तथा विभिन्न कार्यक्रमों के विकास तक सीमित है।

229 रोजगार कार्यालयों तथा सारे विश्वविद्यालय रोजगार सूचना तथा मार्ग-दर्शन ब्यूरो में युवक युवतियों (ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें काम का कोई अनुभव नहीं है) और प्रौढ व्यक्तियों (जिन्हें खास खास काम का ही अनुभव है) को काम-धन्ये से सम्बद्ध मार्ग दर्शन और रोजगार सम्बन्धी परामर्श दिया जाता है।

शिक्षित युवक-युवतियों को लाभदायक रोजगार दिलाने की दिशा में प्रवृत्त करने के लिए रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के कार्य-मार्गदर्शन और आजीविका परामर्श कार्यक्रमों को विस्तृत और व्यवस्थित किया गया है। रोजगार सेवा अनुसन्धान और प्रशिक्षण के केन्द्रीय संस्थान में एक आजीविका अध्ययन केन्द्र स्थापित किया गया है जो युवक-युवतियों तथा अन्य मार्गदर्शन चाहने वालों को व्यवसाय सम्बन्धी साहित्य देता है।

1977 में बेरोजगारों की संख्या में 11.6 प्रतिशत वृद्धि¹

देश में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या में 1977 में 11.40 लाख या 11.6 प्रतिशत बेरोजगारों की वृद्धि हुई। रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक की 1977-78 की रिपोर्ट में बताया गया कि रोजगार कार्यालयों के रजिस्ट्रों के अनुसार बेरोजगारों की संख्या 1976 में 97.84 लाख से 19.6 प्रतिशत बढ़कर 1977 में 109.24 लाख हो गई। रिपोर्ट के अनुसार रोजगार कार्यालयों द्वारा 1977 में कम बेरोजगारों, 4.62 लाख की नौकरियाँ दिलाई जा सकी जबकि पूर्व वर्ष में 4.97 लाख बेरोजगारों को काम दिलाया गया था।

महिला बेरोजगारों की संख्या 1977 में बढ़कर 14.10 लाख हो गई जो 1976 में 12.31 लाख थी। 1977 में पूर्व वर्ष की तुलना में कम महिलाओं को रोजगार दिलाया जा सका। 58,049 महिलाओं की तुलना में 1977 में 52,026 महिलाओं को रोजगार दिलाया जा सका।

सर्गठित क्षेत्र में मार्च, 1977 में कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 207.15 लाख हो गई जो 31 मार्च, 1976 को 202.07 लाख थी।

सांस्कृतिक क्षेत्र के उद्यमों में 1975-76 में 133.63 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ था जबकि 1976 में यह संख्या बढ़कर 138.49 लाख हो गई।

रोजगार दिलाने वाली सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है और उनमें विविधता लाई जा रही है जिससे अंग, भ्रनसूचित जाति, भ्रनुसूचित जन जाति, भ्रतपूर्व सैनिकों तथा कुछ अन्य वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार दिलाया जा सके।

राजस्थान में आर्थिक-नियोजन का संक्षिप्त सर्वेक्षण

(A BRIEF SURVEY OF ECONOMIC-
PLANNING IN RAJASTHAN)

मुम्बई नगर जयपुर राजधानी वाला राजस्थान भारत सघ के उन्नत राज्यों की श्रेणी में आने के लिए योजना-बद्ध आर्थिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,214 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या सन् 1971 की जनगणना के आधार पर 2,57,65,806 है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ ही सन् 1951 में राजस्थान राज्य में भी आर्थिक नियोजन का सूत्रपात हुआ। राजस्थान राज्य अब तक चार पंचवर्षीय योजनाएँ और तीन वार्षिक योजनाएँ पूरी कर चुका है। 1 अप्रैल, 1974 से राज्य में पाँचवी पंचवर्षीय योजना लागू हो चुकी है। सन् 1974-75 से जो एकवर्षीय योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं, वे राज्य की पाँचवी योजना के अंग रूप में हैं।

राजस्थान में आर्थिक नियोजन के सर्वेक्षण को निम्न शीर्षको में विभाजित किया जा सकता है—

- (1) राजस्थान की प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाएँ,
- (2) राजस्थान की तीन वार्षिक योजनाएँ,
- (3) राजस्थान की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना,
- (4) राजस्थान की पाँचवी पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजनाएँ (1974-75, 1975-76, 1976-77)
- (5) राजस्थान में सम्पूर्ण योजना-काल में आर्थिक प्रगति।

राजस्थान में प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाएँ

राजस्थान की तीनों पंचवर्षीय योजनाओं की प्रस्तावित और वास्तविक व्यय राशि इस प्रकार रही—

योजना	प्रस्तावित व्यय-राशि (करोड़ रुपये में)	वास्तविक व्यय-राशि (करोड़ रुपये में)
1. प्रथम योजना	64.50	54.14
2. द्वितीय योजना	105.27	102.74
3. तृतीय योजना	236.00	212.63

पूर्वोक्त सारणी से स्पष्ट है कि योजना-व्यय की राशि उत्तरोत्तर बढ़ती गई। प्रथम योजना में सार्वजनिक-क्षेत्र में व्यय की राशि लगभग 54 करोड़ रुपये से बढ़कर द्वितीय योजना में लगभग 103 करोड़ रुपये और तृतीय योजना में लगभग 213 करोड़ रुपये हो गई।

तीनों योजनाओं में सार्वजनिक-व्यय की स्थिति

राजस्थान की प्रथम तीनों योजनाओं में विकास के विभिन्न शीर्षकों पर सार्वजनिक व्यय की स्थिति (सकृपा और प्रतिशत दोनों में) निम्न सारणी से स्पष्ट है—

विकास के शीर्षक	(करोड़ रुपये में)					
	प्रथम योजना		द्वितीय योजना		तृतीय योजना	
	रुपये (वास्तविक)	कुल व्यय से %	रुपये (वास्तविक)	कुल व्यय से %	रुपये (वास्तविक)	कुल व्यय से %
1	2	3	4	5	6	7
1 कृषि एवं सामुदायिक विकास	6.99	12.90	25.45	24.77	40.65	19.11
2 सिंचाई	30.24	55.86	23.10	22.57	76.23	35.85
3 शक्ति	1.24	2.27	15.15	14.74	39.64	18.64
4 उद्योग तथा खनिज	0.46	0.85	3.38	3.29	3.31	1.50
5 सड़कें	5.55	10.25	10.17	9.90	9.75	4.59
6 सामाजिक सेवाएँ	9.12	16.84	24.31	23.67	42.03	19.77
7 विविध	0.55	1.01	1.09	1.06	1.02	0.48
योग	54.14	100.00	102.74	100.00	212.63	100.00

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि राजस्थान की आर्थिक योजनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई एवं शक्ति को दी गई है। प्रथम योजना में कुल व्यय का लगभग 58% द्वितीय योजना में लगभग 37% और तृतीय योजना में कुल व्यय का लगभग 54% सिंचाई एवं शक्ति पर व्यय किया गया है। प्रथम योजना में द्वितीय प्राथमिकता सामाजिक सेवाओं को रही, जिस पर कुल वास्तविक व्यय का लगभग 17% खर्च किया गया। द्वितीय योजना में इन मदों पर लगभग 24% व्यय हुआ और इस दृष्टि से यह व्यय कृषि एवं सामुदायिक विकास में किए गए व्यय (लगभग 25%) के समान रह गया। तृतीय योजना में भी सामाजिक सेवाओं और कृषि एवं सामुदायिक विनाम पर लगभग बराबर व्यय किया गया। सामाजिक सेवाओं पर 20% से कुछ कम तथा कृषि एवं सामुदायिक विकास पर 19% से कुछ अधिक व्यय किया गया। सार्वजनिक व्यय के इन आवंटन में स्पष्ट है कि राजस्थान अपनी तीनों योजनाओं में

में एक ओर तो सिंचाई एवं विद्युत-विकास का पूरा प्रयत्न किया और दूसरी ओर वह जन-कल्याण के लिए सामाजिक सेवाओं के विस्तार को भी ऊंची प्राथमिकता देता रहा। परिवहन में प्रथम दोनो योजनाओं में सड़कों के विकास पर काफी बल दिया गया और तृतीय योजना में भी कुल-व्यय का 6% से कुछ कम इस कार्यक्रम पर व्यय किया गया।

प्रथम तीनों योजनाओं में आर्थिक प्रगति

राजस्थान की तीनों पन्चवर्षीय योजनाओं में अर्थात् नियोजन के 15 वर्षों में (सन् 1951-66) हुई कुल उपलब्धियों का सामूहिक सिंहावलोकन करना अध्ययन की दृष्टि से विशेष उपयुक्त होगा। इन तीनों योजनाओं में सिंचाई एवं शक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और उनके बाद प्राथमिकता में सामाजिक सेवाओं, कृषि कार्यक्रमों, सहकारिता एवं सामुदायिक विकास, यातायात एवं संचार तथा उद्योग और खनिज का क्रमशः द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम स्थान आता है।

इन प्राथमिकताओं पर आर्थिक विकास व्यय से अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का विकास निम्न तथ्यों से स्पष्ट है—

राज्य की आय एवं प्रति व्यक्ति आय—राजस्थान राज्य की सन् 1954-55 में कुल आय (सन् 1961 के मूल्यों के आधार पर) 400 करोड़ रुपये थी। वह प्रथम योजना की समाप्ति पर 456 करोड़ रु द्वितीय योजना की समाप्ति पर 636 करोड़ रु और तृतीय योजना के अन्त में बढ़कर 841.8 करोड़ रु हो गई। प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 260 रु, 323 रु और 381 रु हो गई। सन् 1966-67 में राज्य की कुल आय 1,015 करोड़ तथा प्रति व्यक्ति आय 449 रु हो गई।

कृषि-विकास—कृषि-विकास को भी इन तीनों योजनाओं में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया। भूमि-अवस्था में आन्तिकारी एवं प्रगतिशील सुधारों के परिणामस्वरूप जमींदारी तथा जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। छोटे-छोटे और बित्तरे खेतों की समस्या के लिए कानून तथा 18.81 लाख हेक्टेयर भूमि की चकवन्दी का कार्य पूरा किया गया।

कृषि उत्पात्ति में वृद्धि के लिए सुधरे बीज, रासायनिक खाद तथा वैज्ञानिक कृषि को प्रोत्साहन मिला। राज्य में 50 बीज-विकास-फार्म स्थापित किए गए और 30.29 लाख हेक्टेयर में सुधरे बीजों का प्रयोग होने लगा। नए औजारों और यन्त्रीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि-मन्त्रालय की स्थापना और रूस की सहायता से सन् 1956 में सूरतगढ़ में कृषि-फार्म, जेतसार में कृषि-फार्म का दूसरे प्रयास योजनाओं की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ रही।

कृषि के लिए प्रशिक्षित अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय, जोधनेर में कृषि-महाविद्यालय का विस्तार, बीकानेर में पशु-चिकित्सालय प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना आदि कृषि-विकास की दिशा में लाभदायक कदम रहे।

पशु-धन के विकास के लिए 17 केन्द्रीय ग्रामखण्ड स्थापित किए गए। जहाँ राजस्थान के निर्माण के समय पशु-धन के रोगों की रोकथाम के लिए राज्य में 57 औषधालय, 88 चिकित्सालय और 2 चल चिकित्सालय थे, वहाँ उनकी संख्या तृतीय योजना के अन्त में क्रमशः 204, 129 और 24 हो गई।

सारांशतः राजस्थान के आर्थिक नियोजन के 15 वर्षों में राजस्थान में खाद्यान्न की उत्पादन-क्षमता लगभग दुगुनी, तिलहन की तिगुनी, कपास की दुगुनी हो गई। राजस्थान में जहाँ सामान्य समय में भी 50 हजार से एक लाख टन खाद्यान्न का अभाव रहता था, वहाँ अब आत्मनिर्भर होकर अन्य राज्यों को निर्यात करने की क्षमता हो गई। पशु-रोग-निवारण, विकास तथा बीजों के सुधार की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की गई।

सिंचाई एव शक्ति—राज्य के आर्थिक नियोजन में सिंचाई साधनों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। तीनों योजनाओं के कुल वास्तविक व्यय 369.58 करोड़ रुपये में से 129.66 करोड़ रु केवल सिंचाई पर व्यय किया गया। फलस्वरूप, सिंचाई-क्षेत्र 11.74 लाख हेक्टेयर (1950-51) से बढ़ कर तृतीय योजना के अन्त तक 20.80 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया।

शक्ति के साधनों पर कुल व्यय की गई राशि 56.62 करोड़ रु के बराबर थी। सन् 1950-51 में बिजुत-उत्पादन-क्षमता 7.48 मेगावाट थी, जो 1967-68 में बढ़कर 163 मेगावाट हो गई। 1950 में केवल 23 बिजली-घर थे जो 1967-68 में 70 हो गए। प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग भी 1965-66 तक 3.06 किलोवाट से बढ़कर 15.37 किलोवाट हो गया।

सहकारिता एव सामुदायिक विकास—राजस्थान में जनता के सर्वांगीण विकास धार जनसहयोग वृद्धि के लिए 2 अक्टूबर, 1962 को सामुदायिक-विकास-कार्य प्रारम्भ हुआ। अब राज्य की समस्त ग्रामीण जनसंख्या सामुदायिक विकास की परिधि में आ गई। राज्य में 1965-66 तक 232 विकास-खण्डों की स्थापना हो चुकी थी। इनमें 83 प्रथम चरण खण्ड, 95 द्वितीय चरण खण्ड और 66 उत्तर द्वितीय चरण विकास-खण्ड थे।

विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत योजनाओं की समाप्ति पर 26 जिला परिषदें, 232 पंचायत समितियाँ और 7,382 ग्राम-पंचायतें काम कर रही थी।

सहकारिता का क्षेत्र भी बहुत बढ़ा है। जहाँ सन् 1950-51 में राज्य में महकारी समितियों की संख्या 3,590 थी और सदस्य संख्या 1.45 लाख थी, वहाँ 1965-66 में संख्या 21,571 तथा सदस्य संख्या 14.33 लाख हो गई है। तृतीय योजना के अन्त तक 33% ग्राम्य परिवार सहकारिता प्रान्दोलन के अन्तर्गत लाभ जा चुके थे जबकि सन् 1950-51 में यह 1.5% ही था।

प्रशिक्षण के लिए जयपुर में सहकारिता प्रशिक्षण स्कूल तथा कोटा, इंदूरपुर व जयपुर में प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किए गए।

सामाजिक सेवाएँ—तीनों पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सामाजिक सेवा

क्षेत्र पर 75.46 करोड़ रु. व्यय किए गए अर्थात् कुल व्यय का 20.42% भाग शिक्षा, चिकित्सा व श्रम कल्याण आदि पर व्यय किया गया। फलस्वरूप, शिक्षण-संस्थाओं की संख्या 6,029 (वर्ष 1950-51) से बढ़ कर 32,826 (वर्ष 1965-66) हो गई। इसी प्रकार, चिकित्सालयों व डिस्पेन्सरियों की संख्या भी 366 से बढ़कर 535 हो गई। जल-पूर्ति की योजनाएँ भी 72 ग्रामीण और शहरी केन्द्रों में पूरी की गई। इसके अतिरिक्त, राज्य में 3 विश्वविद्यालय, 5 मेडिकल कॉलेज, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज और 4 कृषि-कॉलेज भी स्थापित हुए। लगभग 10 स्थानों पर पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र कार्य करने लगे और 5 ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र भी कार्यरत हुए।

योजनाकाल में गृह-निर्माण के कार्यों में काफी प्रगति की गई। अल्प-माय-गृह-निर्माण-योजना के अन्तर्गत 7,162 गृह-निर्माण किए गए। औद्योगिक गृह-योजना के अन्तर्गत 3,974 मकान बनाए गए।

पिछड़े वर्ग की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या का लगभग 1/4 भाग है। एकीकरण के समय इनकी स्थिति आर्थिक और सामाजिक, दोनों दृष्टियों से बहुत पिछड़ी हुई थी। इनकी स्थिति सुधारने के लिए छात्रवृत्तियाँ, गृह-निर्माण, आवास व्यवस्था और अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। तृतीय योजना के प्रारंभ में इन क्षेत्र के अन्तर्गत 1 रिमांड होम, एक प्रमाणित-शाला, 1 आण्टर बेयर होम, 1 बृद्ध एवं दुर्बलों के लिए एच 3 रेस्क्यू होम काम कर रहे थे। इसके अतिरिक्त 19 परिवीक्षा अधिकारी भी परिवीक्षा सेवाएँ कर रहे थे।

परिवहन एवं संचार—राज्य के बहुमुखी विकास के लिए मंडक-निर्माण पर ध्यान देना बहुत आवश्यक था, क्योंकि राज्य के पुनर्गठन के समय प्रति 100 वर्ग मील पर 5.35 मील लम्बी मंडकें थी। सन् 1951 में कुल मिलाकर सड़कों की लम्बाई 18,300 किलोमीटर थी, वह तृतीय योजना की समाप्ति पर बढ़कर 30,586 कि.मी. हो गई। प्रथम, द्वितीय और तृतीय योजनाओं में क्रमशः 5.5 करोड़ रु., 10.2 करोड़ रु. और 9.7 करोड़ रु. व्यय से प्रत्येक योजना के अन्त में सड़कों की कुल लम्बाई सन् 1955-56 में 22,511 किलोमीटर, सन् 1960-61 में 25,693 किलोमीटर और तृतीय योजना के अन्त में सन् 1965-66 में 30,586 किलोमीटर हो गई, अर्थात् तीन योजनाओं में 25.4 करोड़ रु. के विकास व्यय से सड़कों की कुल लम्बाई में 12,000 किलोमीटर से अधिक वृद्धि हुई। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 9 किलोमीटर लम्बी सड़कें हो गईं। इस प्रकार लगभग कुछ तर्सीन मुख्यानों को छोड़कर सभी तहसील मुख्यालयों को जिला मुख्यालयों में जोड़ दिया गया।

केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत रेल परिवहन में फराहपुर-बुरू उदयपुर-हिन्मदनगर और गंगानगर-हिन्मदन कोट रेल लाइनें बनाई गईं।

उद्योग—तीसरी योजनाओं की अवधि में उद्योग एवं खनन पर 7.15 करोड़ रु. व्यय किए गए। योजना के दौरान कई औद्योगिक नगरों, जैसे—कोटा, गंगानगर, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर, डीडवाना, खेतड़ी आदि का विकास हुआ।

रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों की संख्या जहाँ प्रथम योजना के अन्त में 368 थी वहाँ द्वितीय योजना के अन्त में 856 और तृतीय योजना के अन्त में 1564 हो गई। राज्य में औद्योगिक इकाइयों की कुल संख्या नियोजन अवधि में लगभग 76% बढ़ी।

रोजगार—प्रत्येक योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से अपनी मानव-शक्ति का पूर्ण उपयोग करने का होता है। राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाओं में भी इस उद्देश्य की ओर उचित ध्यान देने की चेष्टा की गई है। द्वितीय योजना में 377 लाख व्यक्तियों की और तृतीय योजना में 650 लाख व्यक्तियों को प्रतिरिक्त रोजगार प्रदान किया गया।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजस्थान ने विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद भी आर्थिक नियोजन के 15 वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की। नियोजन काल में की गई सर्वांगीण प्रगति के आधार पर ही राजस्थान क्रमशः तजी से आर्थिक व सामाजिक समृद्धि के मार्ग पर बढ़ रहा है। यह आशा है कि निकट भविष्य में राजस्थान औद्योगिक एवं सामाजिक दृष्टि से विकसित होकर देश के अन्य उन्नत राज्यों की श्रेणी में आ खड़ा होगा।

राजस्थान की तीन वार्षिक योजनाएँ (1966-69)

तृतीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के उपरान्त, विकट राष्ट्रीय संकटों और भारत-पाक संधि के कारण वतुर्द पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1966 से लागू नहीं की जा सकी, किन्तु नियोजन का क्रम न टूटने देने के लिए, सन् 1966-69 की अवधि में तीन वार्षिक योजनाएँ कार्यान्वित की गईं। तीनों वार्षिक योजनाओं में कुल व्यय लगभग 137 करोड़ रुपये हुआ। पहले की भाँति सिंचाई एवं शक्ति को प्राथमिकता दी गई और कुल व्यय का लगभग 61% इस मद पर खर्च हुआ। सामाजिक सेवाओं पर लगभग 15.5% व्यय हुआ और इस प्रकार प्राथमिकता की दृष्टि से इस मद का द्वितीय स्थान है। कृषि-कार्य पर कुल व्यय का लगभग 15% व्यय हुआ। परिवहन, संचार आदि पर लगभग 3% व्यय किया गया। इन वार्षिक योजनाओं में कृषि, सिंचाई व शक्ति को पहले से दी जाने वाली प्राथमिकता में और भी वृद्धि कर दी गई, जबकि सामाजिक सेवाओं पर किया गया प्रतिशत व्यय द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं की अपेक्षा कम रहा। वास्तव में साधनों के अभाव में वार्षिक योजनाओं की प्राथमिकताओं में कुछ परिवर्तन करना स्वाभाविक था।

विभिन्न कठिनाइयों से बावजूद वार्षिक योजनाओं में कुछ क्षेत्रों में प्रगति जारी रही। सन् 1968-69 के अन्त में विद्युत-उत्पादन 174 मेगावाट तक जा पहुँचा। खाद्यान्नों के उत्पादन में प्रथम वार्षिक योजना में स्थिति आगानुद्भूत नहीं रही, द्वितीय वार्षिक योजनाओं में खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 66 लाख टन हुआ, किन्तु तृतीय वार्षिक योजनाओं में खाद्यान्नों का उत्पादन प्रथम वार्षिक योजना के लगभग 43.5 लाख टन से भी घटकर केवल 35.5 लाख टन पर आ गया। सामाजिक सेवा क्षेत्र में प्रगति हुई, परिवार-नियोजन कार्यक्रम बड़ा और ग्रामीण तथा शहरी अल-यूनि कार्यक्रम भी मन्तोपजनक रूप में आगे बढ़े।

राजस्थान की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74)¹

राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की श्रवण 1 अप्रैल, 1969 से प्रारम्भ हो गई, लेकिन कुछ कारणों से इसे अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। योजना आयोग ने पाँचवें वित्त-आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए देश के विभिन्न राज्यों की योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन किया और 21 मार्च, 1970 को राजस्थान राज्य की संशोधित पंचवर्षीय योजना का प्राकार 302 करोड़ रुपये निर्धारित किया जबकि राज्य-सरकार ने 316 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तुत की थी। पर योजना-समाप्ति पर वास्तविक आँकड़े कुछ और भी बदल गए। राजस्थान बजट अध्वयन 1978-79 के अनुसार चौथी योजना में विभागवार अन्तिम उद्भव्य (Outlay) और व्यय (Expenditure) इस प्रकार रहा—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74)

(करोड़ रुपये में)

विभाग	उद्भव्य (Outlay)	व्यय (Expenditure)
1. कृषि एवं सम्बन्धित सेवाएँ	25.10	22.55
2. सड़कपरिता	8.20	8.12
3. विद्युत एवं शक्ति	178.83	186.95
4. उद्योग तथा खनन	7.95	8.55
5. यातायात एवं संचार	9.78	10.00
6. सामाजिक सेवाएँ	73.38	71.65
7. विविध	2.97	0.97
योग	306.21	308.79

स्रोत राजस्थान वाय व्यवह मन्वयत 1978-79, पृष्ठ 33.

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि चतुर्थ योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई एवं शक्ति को दी गई और दूसरे स्थान पर सामाजिक सेवाएँ रही। कृषिगत कार्यक्रम का स्थान इनके बाद रहा और इन पर कुल व्यय का लगभग 7.3% व्यय करने की व्यवस्था की गई। चतुर्थ योजना समाप्त होने के पश्चात् जब इसके व्यय और उपलब्धियों का अन्तिम मूल्यांकन किया गया तो योजना के प्रारम्भिक प्रस्तावित व्यय तथा वास्तविक व्यय में कोई विशेष अन्तर नहीं था।

1. चतुर्थ योजना का यह विवरण मुख्य रूप से चार स्रोतों पर आधारित है—(क) पाँचवी योजना का श्रावण को जुलाई, 1973 में राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया, (ख) वित्त मन्त्री राजस्थान का बजट प्रावण 1973-74, (ग) वित्त मन्त्री का बजट प्रावण 1974-75, तथा (घ) राजस्थान बजट अध्वयन 1978-79.

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आर्थिक प्रगति

राज्य की आय-वृद्धि—चतुर्थ योजना में किए गए विभिन्न प्रयत्नों से राज्य की आय में वृद्धि हुई। 1971-72 के मूल्यों के अनुसार योजना समाप्ति के समय प्रति व्यक्ति आय 600 रुपये अनुमानित की गई। 1971 एवं 1974 के बीच राज्य की जनसंख्या में 8.51 प्रतिशत तक की दर से वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है।

कृषिगत कार्यक्रम—चतुर्थ योजना के दौरान कृषिगत कार्यक्रमों को धामे बढ़ाया गया। अधिक अन्नत किस्मों के बीजों, रासायनिक उर्वरकों और लघु सिंचाई के माध्यम से कृषि-कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। 1971-72 के अन्त में अधिक उपज वाली फसलों की किस्मों का क्षेत्रफल 8 लाख हेक्टेयर था जो 1972-73 के अन्त तक लगभग 12.34 लाख हेक्टेयर तक और 1973-74 में लगभग 13.20 लाख हेक्टेयर पहुँच गया। उर्वरकों का वितरण 1971-72 में 2.89 लाख टन था जो 1972-73 में लगभग 3.18 लाख टन तक पहुँच गया। कृषि-विनियोजन से 1972-73 तक की समाप्ति तक 5.75 लाख टन खाद्यान्नों, 0.36 लाख टन तिलहन एवं 90 लाख टन कपास की अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता बढ़ने की आशा थी। 1973-74 में 71 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान था जबकि चौथी योजना के प्रारम्भ में उत्पादन क्षमता या आधार-स्तर 63 लाख टन था। चतुर्थ योजनावधि में दुग्ध उत्पादन भी 22.70 लाख टन से बढ़कर 23.70 लाख टन तक हो गया। पौध संरक्षण की व्यवस्थाओं एवं गतिविधियों को विस्तृत किया गया। भूमि समतलन सम्बन्धी कार्य भी हाथ में लिए गए। 1968-69 की तुलना में महकरी साल में दुग्ध से भी अधिक वृद्धि हो गई।

सिंचाई एवं बिजली—चतुर्थ योजनावधि की समाप्ति तक 7 प्रथम सिंचाई योजनाएँ अर्थात् पारवनी, मेवा, मोरेल, बेडव (बडगाँव) बेडव (बल्लभनगर), घोराई एवं खारी फीडर लगभग पूरी हो गई। इसके अतिरिक्त 30 अन्य लघु सिंचाई योजनाओं पर भी कार्य प्रारम्भ हो गया। निम्नित क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई। 1968-69 में जो सिंचित क्षेत्र 21.18 लाख हेक्टेयर था, वह 1973-74 में बढ़कर लगभग 25.67 लाख हेक्टेयर हो गया। राजस्थान नहर क्षेत्र में बड़ी तेजी से प्रगति हुई और योजना की समाप्ति तक दस नहर परियोजना पर कुल व्यय लगभग 104 करोड़ रुपये का हुआ। 1968-69 में इसकी सिंचाई-क्षमता केवल 1.64 लाख हेक्टेयर थी जो योजना की समाप्ति तक बढ़कर लगभग 2.80 लाख हेक्टेयर हो गई।

शक्ति अर्थात् विद्युत् उत्पादन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जवाहर-मागर परियोजना एवं राणाप्रताप सागर शक्ति विद्युत् शक्ति प्लांट की पूर्ण एक का काम पूरा हो गया। मत्त स्थायी विद्युत्-उत्पादन जो 1968-69 में 174 मेगावाट था, बढ़कर 1973-74 में 400 मेगावाट तक हो गया। योजनावधि में प्रति व्यक्ति के पीछे लंबे होने वाली बिजली के आवंटन 26 किलोवाट प्रति व्यक्ति

निश्चयता है कि ईश्वर ने विश्व को धनी और गरीब दो भागों में विभाजित किया है, एक गरीब देश इसलिए गरीब है क्योंकि इसके प्राकृतिक साधन कम हैं और उसे अधिक स्थिरता के उसी निम्न स्तर पर रहना है किन्तु अब यह नहीं माना जाता है कि इन निर्धन देशों के प्राकृतिक साधन भी कम हैं और यही इनकी निर्धनता का मुख्य कारण है। इसके अनिश्चित 'निर्धनता' केवल देश की प्रति व्यक्ति निम्न आय को ही इंगित करती है, अर्द्ध-विकसित देश की अन्य विशेषताओं को नहीं। इसीलिए 'निर्धन' एवं 'पिछड़े हुए' शब्दों का प्रयोग अलोकप्रिय हो गया है। इसी प्रकार 'Undeveloped' शब्द भी अर्द्ध-विकसित देश का समानार्थक माना जाता है, किन्तु दोनों में भी यह स्पष्ट अन्तर किया जाता है कि अविकसित देश वह होता है जिसमें विकास की सम्भावनाएँ नहीं होती। इसके विपरीत अर्द्ध-विकसित देश वह होता है जिसमें विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ हो। अण्टार्क्टिक, आर्कटिक और सहारा के प्रदेश अविकसित कहला सकते हैं क्योंकि वर्तमान तकनीकी ज्ञान एवं अन्य कारणों से इन प्रदेशों के विकास की सम्भावनाएँ सीमित हैं किन्तु भारत, पाकिस्तान, कोलम्बिया, युगांडा आदि अर्द्ध-विकसित देश कहलाएँगे क्योंकि इन देशों में विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं। इसी प्रकार अविकसित शब्द स्थैतिक स्थिति का धोतक है। वस्तुतः किसी देश के बारे में यह पारणा बना लेना कठिन है कि उम्र देश में निरपेक्ष रूप में साधनों की स्वल्पता है क्योंकि साधनों की उपयोगिता तकनीकी ज्ञान के स्तर, माँग की दशाएँ और नई खोजों पर निर्भर करती है। वस्तुतः इन देशों में प्राकृतिक साधन, तकनीकी ज्ञान और उपकरण के इन साधनों पर उपयोग नहीं किए जाने के कारण अधिकांश में अविकसित दशा में होने हैं पर इनके विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ होती हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ की एक विशेष राय के अनुसार, 'सब देश चाहें उनके प्राकृतिक साधन कम ही हों, ज्ञान में अपने इन साधनों से अधिक धन्य उपयोग के द्वारा अपनी आय को बढ़ी मात्रा में बढ़ा सकने की स्थिति में है।'

अब 'अविकसित' शब्द के स्थान पर अर्द्ध-विकसित' शब्द का उपयोग किया जाने लगा है। ये अर्द्ध-विकसित देश आश्चर्य आर्थिक विकास का प्रयत्न कर रहे हैं जिनके परिणामस्वरूप इन्हें 'विकासशील' (Developing) देश भी कहने हैं, किन्तु सामान्यतया इन सब शब्दों को लगभग समान अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है।

अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था की विशेषताएँ या लक्षण (Characteristics of Under-developed Economies)

अर्द्ध-विकसित विश्व विभिन्न प्रकार के देशों का समूह है। इन देशों की अर्थ-व्यवस्था के लिए अनेक प्रकार के अन्तर प्राप्त होते हैं। किन्तु इनका सब होने भी इन अर्द्ध-विकसित देशों में एक आधारभूत समानता पायी जाती है। यद्यपि किसी एक देश को प्रतिनिधि अर्द्ध-विकसित देश की उदाहरण देना कठिन है, किन्तु फिर भी कुछ ऐसे सामान्य लक्षणों को बताना सम्भव है जो कई अर्द्ध-विकसित देशों में सामान्यतः पाए जाते हैं। यद्यपि ये सामान्य लक्षण सब अर्द्ध-विकसित देशों में समान अर्थों में नहीं पाए जाते और न केवल ये ही अर्द्ध-विकसित देशों के लक्षण होते हैं, किन्तु ये

तक राज्य में कुल सड़कों की लम्बाई लगभग 33,880 किलोमीटर हो जाने की आशा थी।

सामाजिक सेवा—चतुर्थ योजना-काल में सामाजिक सेवाओं और सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि हुई। राज्य में 2,100 से अधिक प्राथमिक शालाएँ, 3,000 मिडिल स्कूल, 290 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा 7 नए कॉलेज खोले गए। सन् 1968-69 में ग्राम जल-प्रदाय योजना 225 ग्रामों में चालू थी, किन्तु सन् 1973-74 में उनकी संख्या बढ़कर 1,427 हो गई। राजस्थान आवासन बोर्ड के तत्वावधान में गृह-निर्माण कार्य में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। सन् 1974 के अन्त तक 2,655 भवनों का निर्माण-कार्य पूरा हो जाने की आशा वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में व्यक्त की।

रोजगार—बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में भी काफी प्रयत्न किए गए। योजनावधि में लगभग 8 लाख लोगों को रोजगार की सुविधाएँ प्रदान की गईं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एवं शिक्षित युवकों के लिए रोजगार प्रदान करने वाले अनेक कार्यक्रमों को हाथ में लिया गया, जिनमें से अधिकांश कायम भारत सरकार की सहायता से प्रारम्भ हुए। सन् 1973-74 में भारत सरकार द्वारा आवंटित 276 करोड़ रुपये की राशि से एक 'हाप-ए-मिलियन जॉब्स प्रोग्राम' प्रारम्भ किया गया जिसके अन्तर्गत 20 हजार शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकेगा।

प्रति स्पष्ट है कि चतुर्थ योजनावधि में राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हुई। तथापि योजना-काल के अन्तिम दो वर्षों से राज्य को एक नाजुक आर्थिक स्थिति के दौर से गुजरना पड़ा, क्योंकि देश की समूची अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा-स्फीति का दबाव बढ़ गया। जबरदस्त मूल्यों के कारण अन्न-उत्पादन की और विद्युत्-उत्पादन में कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन की भारी आघात पहुँचने, विश्व में तेल मूल्यों में प्रतापारण वृद्धि होने तथा अन्य सक्तों के कारण देश की समूची अर्थ-व्यवस्था पर भारी दबाव व असर पड़ना रहा।

राजस्थान की पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ एवं 1974-75 की वार्षिक योजना

राजस्थान सरकार के नियोजन विभाग द्वारा जुलाई, 1972 में राज्य की पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण-पत्र प्रकाशित किया गया। इस दृष्टिकोण-पत्र में पाँचवीं योजना में धपनाई जाने वाली आधारभूत नीतियों, विनियोग की मात्रा, विकास-दर आदि के सम्बन्ध में कतिपय प्रस्ताव रखे गए। विकास-दर 7% वार्षिक प्रस्तावित की गई। सांख्यिक क्षेत्र में व्यय के लिए 775 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए जिनमें से 600 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त की जानी थी। दृष्टिकोण पत्र में सिंचाई व शक्ति को सर्वाधिक महत्त्व देते हुए कुल प्रस्तावित राशि 775 करोड़ रुपये का 60% निविदा किया गया। वृद्धि-कार्यक्रमों के लिए 13%, उद्योग एवं खनन के लिए 45% तथा सामाजिक सेवाओं के लिए 15%

व्यय नियत किया गया। दृष्टिकोण-पत्र में आर्थिक विपमताओं को दूर करने के मन्दन्व में कोई ठोस सुझाव नहीं दिए गए और वितीय साधनों के अभाव की समस्या पर भी समुचित ध्यान नहीं दिया गया।

जुलाई, 1973 में राज्य सरकार द्वारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप (Draft) तैयार किया जाकर योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दृष्टिकोण-पत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय के लिए 775 करोड़ रुपये का प्रावधान था, किन्तु प्रारूप में योजना का आकार 635 करोड़ रुपये ही रखा गया। राजस्थान राज्य के आय-व्यय का अध्ययन सन् 1976-77 के अनुसार पाँचवीं योजना का कुल परिव्यय (Outlay) 691.47 करोड़ रुपये रखा गया पर चूँकि केन्द्रीय जनता सरकार ने पाँचवीं योजना को एक वर्ष पूर्व ही 31 मार्च, 1978 को समाप्त कर 1 अप्रैल, 1978 से नई छठी राष्ट्रीय योजना (1978-83) लागू कर दी अतः राजस्थान की पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का परिव्यय (Outlay) राजस्थान बजट अध्ययन सन् 1978-79 के अनुसार 529.59 करोड़ रुपये रहा।

पाँचवीं योजना (1974-79) पिछली योजनाओं की तुलना में अधिक व्यावहारिक और देश में समाजवादी ढाँचे के समाज की स्थापना के लक्ष्य के अधिक अनुकूल थी।

पाँचवीं योजना के उद्देश्य और मूल नीति

प्रमुख रूप से पाँचवीं योजना के उद्देश्य इस प्रकार थे—

- (1) आर्थिक विपमता कम से कम रहे।
- (2) प्रत्येक को जीवन-यापन का साधन मिले।
- (3) सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा हो।
- (4) क्षेत्रीय असमानता में कमी हो।
- (5) मानव-संसाधनों का विकास हो।

पाँचवीं योजना का स्वरूप

राजस्थान की पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में योजना का आकार 635 करोड़ रुपये रखा गया जो राज्य के सन् 1976-77 के आय-व्यय के अध्ययन के अनुसार 691.57 करोड़ रुपये रहा और सन् 1978-79 के बजट अध्ययन के अनुसार 529.51 करोड़ रुपये ही रह गया। क्योंकि 1 अप्रैल, 1978 से नई योजना लागू कर दी गई। राज्य के बजट अध्ययन 1976-77 में कृषि एवं सम्बन्धित सेवाओं पर 73.92 करोड़ रुपये, महानगरीय पर 8.30 करोड़ रुपये, सिंचाई एवं शक्ति पर 327.47 करोड़ रुपये, उद्योग तथा मिनर पर 27.99 करोड़ रुपये, यातायात एवं संचार पर 57.77 करोड़ रुपये, सामाजिक सेवाओं पर 189.27 करोड़ रुपये और अन्य पर 6.75 करोड़ रुपये का उद्घ्यय दर्शाया गया था। राजस्थान राज्य आय-व्यय अध्ययन 1978-79 में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (जिसकी अवधि 1974-78 ही कर दी गई है) के परिव्यय अथवा उद्घ्यय (Outlay) तथा 1977-78 के परिव्यय एवं सम्भावित व्यय की राशियाँ इस प्रकार दिखाई गई हैं—

पंचम पंचवर्षीय योजना

(करोड़ रुपये में)

विभाग	उद्ध्य (1974-78)	उद्ध्य	सम्भावित व्यय
कृषि एवं संबंधित सेवाएँ	50 83	20 43	21 45
सहकारिता	5 17	1 73	1 83
विद्युत एवं शक्ति	313 60	119 05	120 91
उद्योग तथा खनन	16 53	4 31	5 63
वातावरण एवं संचार	32 41	12 64	14 59
सामाजिक सेवाएँ	101 52	27 68	32 38
विविध	2 45	0 63	0 77
योग	529 51	186 47	197 56

जनता पार्टी की सरकार की वार्षिक योजना 1978-79

(Annual Plan 1978-79 of the Janta Government)

राज्य में जनता पार्टी की सरकार ने सन् 1978-79 की जो वार्षिक योजना (छठी पंचवर्षीय योजना के अग्र के रूप में) बनाई है वह पिछली योजनाओं की तुलना में काफी यथार्थवादी है और कई दृष्टियों से नवीनता लिए है। राज्य के वित्त मंत्री मास्टर आदित्येन्द्र ने अपने बजट भाषण में इस योजना की जो विस्तृत रूपरेखा खींची, उसका सारांश आगे प्रस्तुत किया जा रहा है—

वर्ष 1978-79 की वार्षिक योजना का आकार 235 करोड़ रुपये से भी अधिक का रहा गया है। इस प्रकार यह योजना पिछली सरकार द्वारा बनाई हुई शून्य वर्ष की योजना से 40.46% तथा सशोधित अनुमानों की तुलना में 18.61% बढ़ी होगी। इसके प्रतिरिक्त 'वार्य हेतु अनाज' योजना के अन्तर्गत 1978-79 की योजना में 10 करोड़ रुपये तक की वृद्धि और की जा सकेगी। योजना व्यय का एतवार संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है—

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	वार्षिक योजना		वार्षिक योजना व्यय 1978-79	प्रतिशत वृद्धि	
	व्यय 1977-78	सशोधित योजना व्यय 1977-78		मूल योजना पर	सशोधित योजना पर
1 कृषि एवं संबंधित सेवाएँ	18 45	21 35	25 86	40 16	21 12
2 सहकारिता	1 78	2 00	2 11	18 54	5 50
3 विद्युत एवं विद्युत विकास	105 85	121 05	139 35	31 65	15 12
4 उद्योग एवं खनिज	4 31	5 57	8 19	90 02	47 04
5 परिवहन एवं संचार	5 87	15 36	18 04	82 78	17 45
6 सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएँ	27 11	22 55	41 05	51 42	26 11
7 अन्य	0 63	1 06	1 37	117 46	29 74
योग	168 00	198 94	235 97	40 46	18 61

1 वित्त मंत्री द्वारा घोषण, 6 मार्च, 1978 को दिए गए बजट (1978-79) भाषण से

की तुलना में 1978-79 में इस योजना के लिए 2 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(iv) लघु सिंचाई योजनाएँ—1978-79 में लघु सिंचाई योजनाओं पर कुल 14 43 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है जिसमें सांस्थानिक वित्तीय सहायता भी सम्मिलित है।

(v) कृषि मण्डियाँ—कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम द्वारा प्रदत्त 6 46 करोड़ रुपये की सहायता से सन् 1977-78 में 17 कृषि मण्डियों का निर्माण कार्य चलाया गया। 1978-79 में 11 नई मण्डियों के लिए निगम से 6 78 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त होने की आशा है।

(vi) लघु एवं सीमान्त कृषक विकास—लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिकों की सहायतायें स्थापित अभिकरणों में मिलने वाले लाभ को सन् 1977-78 में राज्य के समस्त जिलों में उपलब्ध करा दिया गया। 1978-79 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 7 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे एक लाख 23 हजार व्यक्ति लाभान्वित होंगे।

(vii) सिंचित क्षेत्रों का सघन विकास—राजस्थान नहर और चम्बल क्षेत्र में सघन कृषि विकास कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से चल रहे हैं। इनमें नहरों, सड़कों बनाने, वनरोपण तथा डिगिटो आदि के निर्माण के लिए क्रमशः लगभग 1 करोड़ तथा 6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इनके अतिरिक्त सन् 1977-78 के वित्तीय वर्ष में कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की सहायता से दो और परियोजनाएँ—उत्तर-पश्चिम भाखरा तथा गंग नहर प्रारम्भ की गईं जिन पर कुल व्यय लगभग 12 करोड़ रुपये होगा।

राजस्थान नहर परियोजना सिंचित क्षेत्र के लिए 1978-79 में 7 30 करोड़ रुपये की सहायता से 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में भूमि-विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाने का प्रस्ताव है।

(viii) पशुधन—पशु चिकित्सा के साधनों का विस्तार करने के उद्देश्य से 1978-79 में जयपुर, अजमेर, जोधपुर तथा उदयपुर में चार पोली-क्लीनिकम स्थापने का प्रस्ताव है, जिनके लिए 8 43 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इन पोली क्लीनिकस से एक ही स्थान पर पशुओं के लिए उत्तम उपचार एवं सभी मूलभूत आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध हो सकेंगी। 1978-79 में एक मूला रोग निग्रहण यूनिट भी 7 10 लाख रुपये की लागत से स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत जोधपुर, बाडमेर, जसलमेर, सीकर व बीकानेर में पाँच उप-निग्रहण दल होंगे।

(ix) दुग्ध उत्पादन—राज्य में दुग्ध उत्पादन कार्यक्रमों का विस्तार उत्साहजनक रहा है। सन् 1978-79 में जोधपुर तथा बीकानेर की डेयरियों की क्षमता को 1 लाख लीटर में बढ़ाकर 1 5 लाख लीटर करने का प्रस्ताव है। पोरुण, पाली

बानोतरा, घेठनासिटी, लूणकरणसर, सरदारपुर और मालपुरा स्थित चिलिंग सेण्टरो का विस्तार कार्य सन् 1977-78 में लगभग पूर्ण हो गया। सन् 1978-79 में भुंभुनूँ चिलिंग केन्द्र का कार्य भी पूर्ण हो जाने की आशा है। अजमेर डेयरी की क्षमता को 25 हजार लीटर से बढ़ाकर 1 लाख लीटर प्रतिदिन करने का कार्य भी प्रगति पर है। दो नई डेयरियाँ—अलवर और जयपुर में स्थापित की जा रही हैं। इनकी क्षमता क्रमशः 1 लाख व 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन होगी। इस योजना को सवाईमाधोपुर, टोक एव सीकर जिलों में भी लागू किए जाने का प्रस्ताव है। सन् 1978-79 में बाड़मेर, फलीदी, राजगढ़, ब्यावर, विजयनगर, दौसा, कोटपतली, तिजारा, नदवाई, हिन्डीन एव बाँरावाडा में भी नए चिलिंग केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। परिणामतः सन् 1977-78 में दुग्ध उत्पादन का दैनिक औसत जो 3 लाख लीटर है, वह सन् 1978-79 में बढ़कर 4 लाख लीटर हो जाएगा, तथा इस कार्यक्रम से लाभान्वित परिवारों की संख्या 80,000 से बढ़कर 1 लाख हो जाएगी। सन् 1978-79 में इन योजनाओं पर कुल 11.29 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

(x) वन विकास—सरकार ने अबरकोटि के वनों के पुनरुद्धार एव पुनरोपण का व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिया है। इसके प्रतिरिक्त ग्राम्य वनों के कार्यक्रम भी केन्द्रीय सहायता से अधिक व्यापक रूप से चालू किए जा रहे हैं। सन् 1978-79 में सूखा सम्भावित क्षेत्रों में वन विकास लगभग 1 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी तथा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में 1.91 करोड़ रुपये व्यय किए जाने का अनुमान है। मरु विकास योजना के अन्तर्गत भी वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए समुचित प्रावधान रखा गया है। सन् 1978-79 में वन विकास योजनाओं पर 12 करोड़ रुपये से भी अधिक की राशि व्यय किए जाने का अनुमान है।

सहकारिता

सहकारिता वर्ष 1977-78 में 75 करोड़ रुपये के अल्पकालीन, 7 करोड़ रुपये के मध्यकालीन एव 15 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया था। इनकी तुलना में सन् 1978-79 में 95 करोड़ रुपये के अल्पकालीन व 5 करोड़ रुपये के मध्यकालीन तथा 20 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण दिए जाने की सम्भावना है।

सहकारिता वर्ष 1977-78 में राज्य के 68% परिवारों को सहकारिता के अन्तर्गत लाए जाने का प्रयास किया गया तथा इस हेतु सदस्यता अभियान भी चालू किया गया। सन् 1978-79 में राज्य के शत-प्रतिशत गाँवों को सहकारिता कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए जाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

सन् 1977-78 में 62 ग्रामीण गोदाम व 13 मण्डी स्तर के गोदाम बनाए जाने का कार्य चला। सन् 1978-79 में 200 ग्रामीण गोदाम व 10 मण्डी स्तर के गोदाम बनाए जाने के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान किया गया है। सन् 1977-78 में 50 जनता दुकानें खोली गईं व सन् 1978-79 में 15 बड़ी व 50 छोटी जनता दुकानें और खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

गृह निर्माण हेतु राजस्थान राज्य सहकारी गृह-निर्माण फाइनेम सोसाइटी के माध्यम से कमजोर वर्गों के तथा अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के सदस्यों द्वारा गठित गृह-निर्माण सहकारी समितियों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसके लिए सन् 1977-78 में रखे गए 150 करोड़ रुपये की वृद्धि कर सन् 1978-79 में 250 करोड़ रुपये की ऋण राशि उपलब्ध कराए जाने का अनुमान है।

जल एवं विद्युत् विकास

सन् 1978-79 की योजना में जल एवं विद्युत् विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सिंचाई एवं वाढ नियन्त्रण के लिए सन् 1977-78 में 64.47 करोड़ रुपये के परिचय को बढ़ाकर सन् 1978-79 में 69.08 करोड़ रुपये कर दिया गया है। आशा है कि सन् 1978-79 में डीया, भाडोल व लसाडिया की मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ पूर्ण हो जाएँगी। सन् 1977-78 में राजस्थान नहर के लिए 2 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता को शामिल करते हुए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया तथा सन् 1978-79 में भी इतना ही व्यय करने का प्रस्ताव है।

अब तक सिंचाई साधनों की जो क्षमता सृजित हो चुकी है उसका अधिकतम उपयोग करने की दृष्टि में वर्तमान नहर प्रणालियों के नवीनीकरण के लिए सन् 1978-79 में पहली बार प्रयत्न किए जाएँगे। इस प्रयोजनार्थ सन् 1978-79 के बजट में लगभग 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सिंचाई सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य के लिए भी 49 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

विद्युत् के लिए सन् 1977-78 के 53.25 करोड़ रुपये के प्रावधान को बढ़ाकर सन् 1978-79 में 70 करोड़ रुपये कर दिया गया है। राज्य में विद्युत् वितरण हेतु लाइनों का जाल विद्यमान सब-ट्रान्समिशन एवं वितरण प्रणाली को अग्रिम सक्षम करने व ट्रान्समीशन लाइनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए सन् 1977-78 में 6 करोड़ रुपये में मुनाबले सन् 1978-79 में 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। शीघ्र विद्युतीकरण पर लगभग 14.80 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है जिसमें 1800 नई जमिनों तथा 25000 नए कुओं का विद्युतीकरण किए जाने का अनुमान है।

उद्योग एवं खनिज

सन् 1978-79 में इन मदों के अन्तर्गत कुल ₹ 19 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जिसमें से 3.12 करोड़ रुपये राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम से माध्यम में व्यय किए जाएँगे। औद्योगीकरण की दृष्टि से पिछड़े हुए 16 जिलों में उद्योगों की प्रोत्साहित करने के लिए सन् 1978-79 में 15.50 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। शिक्षा पैगोब्रानों की माँग मनी देने के लिए भी 20 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। राजस्थान वित्त निगम न उद्योगों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाएँ है। सन् 1977-78 में निगम द्वारा स्वीकृत

कुल 5.40 करोड़ रुपये के ऋणों में से 4.74 करोड़ रुपये के ऋण 283 लघु उद्योग इकाइयों को स्वीकृत हुए, सन् 1978-79 में निर्यात ने 9 करोड़ रुपये के ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

सरकार खादी उद्योग के विकास को सर्वाधिक महत्त्व देती है। सन् 1977-78 में ऊनी खादी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। सन् 1976-77 में 4.74 करोड़ रुपये की ऊनी खादी का उत्पादन हुआ था। सन् 1977-78 में यह उत्पादन लगभग 7 करोड़ रुपये का हो जाने का अनुमान था। सन् 1978-79 में 9.25 करोड़ रुपये के मूल्य की ऊनी खादी के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएँ

(i) शिक्षा—1977-78 तक सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो कदम उठाए उनके फलस्वरूप वर्ष के अन्त तक 500 या उससे अधिक की आबादी वाले लगभग सभी गाँवों में प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो गई है, किन्तु 300 या उससे अधिक की आबादी वाले सभी गाँवों में प्रारम्भिक शिक्षा सुविधा के राष्ट्रीय लक्ष्य के स्तर से राज्य अभी भी कानी दूर है। प्रारम्भिक शिक्षा जैसे बुनियादी एवं महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर के मध्य वर्तमान अन्तराल को यथाशीघ्र कम करने की दिशा में प्रयास करने की दृष्टि से सन् 1978-79 में 845 नई प्राथमिक शालाएँ एवं 100 नई उच्च प्राथमिक शालाएँ खोलने का प्रस्ताव है। प्रवेश सख्या में वृद्धि तथा घाटा जाने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए 3 लाख रुपये आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे 12,000 बालक लाभान्वित होंगे। शीघ्र शिक्षा एवं अनौपचारिक प्रशकालीन शिक्षा कार्यक्रम के लिए सन् 1978-79 में 41 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है।

(ii) चिकित्सा—चिकित्सा के क्षेत्र में भी सरकार की नीति ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की है। सन् 1977-78 से काफ़ी सफलता से उपकेन्द्र, एड पोस्ट व डिस्पेंसरियाँ खोली गई तथा कतिपय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का रेफरल अस्पताल के रूप में कर्पोरेशन भी किया गया। सन् 1978-79 की योजना में 296 उपकेन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। इसके फलस्वरूप प्रति दस हजार व्यक्तियों पर एक उपकेन्द्र खोलने का पाँचवी योजना का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। प्रगते वर्ष पाँच और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को रेफरल अस्पतालों के रूप में क्रमोन्नत किया जाएगा तथा आदिवासी क्षेत्रों में 4 उपकेन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा।

राज्य सरकार मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित पैटर्न के मापदर पर शिक्षकों के पद सृजित करने का प्रयास कर रही है और इस प्रयोजनार्थ 1978-79 में राज्य के विभिन्न चिकित्सा कॉलेजों में विभिन्न विषयों के लिए 92 पद सृजित किए जाएँगे। चिकित्सा शिक्षा को ग्रामोन्मुख बनाने के लिए बालू विज्ञानिक विषयों में मेडिकल कॉलेज, जयपुर द्वारा 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चुना गया है

तथा 1978-79 में यह सुविधा अन्य अनेक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

(iii) पेय जल की व्यवस्था—राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान जल समस्या की गंभीरता को समझकर केन्द्र सरकार के 1977-78 में 250 करोड़ रुपये सहायता के रूप में दिए तथा 1978-79 में भी इससे दुगुनी धनराशि प्राप्त होने की सम्भावना है। सन् 1978-79 में 350 ग्रामों में जल प्रदाय योजना पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है जिससे करीब साठे तीन लाख ग्रामीणों के लिए पेय जल की व्यवस्था हो जाएगी। शहरी जल प्रदाय योजनाओं के पुनर्गठन के लिए भी आवश्यक प्रावधान रखा गया है। सन् 1978-79 के बजट में पेय जल व्यवस्था के लिए 1345 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से 9 करोड़ रुपये ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं पर व्यय होंगे। वातावरण प्रदूषण व कच्ची बस्तियों की समस्याओं के समाधान हेतु भी सन् 1978-79 में 8797 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

(iv) समाज कल्याण—समाज कल्याण कार्यक्रमों एवं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों व पिछड़े वर्गों के कल्याण कार्यक्रमों के लिए सन् 1978-79 की योजना में 8635 लाख रुपये की राशि व्यय किए जाने का अनुमान है।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ तथा सांस्थानिक वित्तीय विनियोजन

राज्य योजनाओं के अतिरिक्त जिनके लिए 23597 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, अनेक केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ भी हैं, जिनके लिए ऋण अथवा अनुदान के रूप में सामान्यतया शत-प्रतिशत सहायता केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इन योजनाओं के लिए सन् 1977-78 में 4059 करोड़ रुपये तथा सन् 1978-79 में 4155 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। राज्य योजना तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अतिरिक्त विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋणों से भी राज्य में चल रही योजनाओं में विनियोजन हो रहा है। सन् 1977-78 में 18359 करोड़ रुपये के इस प्रकार के विनियोजन की तुलना में सन् 1978-79 में लगभग 190 करोड़ रुपये के विनियोजन की आशा है।

विकास व्यय

केवल योजनागत प्रावधानों के आधार पर ही विकास पर होने वाले व्यय का सम्पूर्ण स्वरूप सामन नहीं आता है क्योंकि विकास के लगभग हर मद में पिछड़ी योजनाओं पर किया हुआ व्यय, योजना भिन्न व्यय बन जाता है और भविष्य की योजनाएँ इन्हीं सम्मिश्रित प्रावधानों के कंधों पर भारी बढती हैं। विकासोन्मुख शासन विकास व्यय में वृद्धि करता है और विकास भिन्न व्यय के प्रतिफल को कम करता है। यही प्रगतिशील शासन की एक सुपरिचित कसौटी है। सन् 1977-78 एवं 1978-79 में सम्भावित विकास व्यय तथा विकास भिन्न व्यय की तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है—

(करोड़ रुपये में)

	परिवर्धित बजट प्रावधान 1977-78	सशोधित अनुमान 1977-78	बजट प्रावधान 1978-79
(क) विकास व्यय			
(i) सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएँ	201.70	204.13	214.66
(ii) आर्थिक सेवाएँ	249.26	268.81	293.18
योग-क	450.96	472.94	507.84
(ख) विकास भिन्न व्यय			
(i) सामान्य सेवाएँ			
(अ) व्याज भुगतान	61.55	58.14	67.00
(ब) अन्य व्यय	92.58	97.10	103.85
	154.13	155.24	170.85
(ii) ऋणों का भुगतान	44.73	48.74	46.38
योग-ख	198.86	203.98	217.23
कुल योग	649.82	676.92	725.07

ग्राम विकास

सन् 1978-79 के बजट अनुमानों में ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों पर अपेक्षाकृत अधिक प्रावधान किया गया है। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

(करोड़ रुपये में)

	चालू वर्ष परिवर्धित अनुमान	अगले वर्ष के अनुमान
1. ग्रामीण सड़कें	9.04	10.10
2. ग्रामीण विद्युतीकरण	12.25	14.80
3. ग्रामीण पेय जल व्यवस्था आदि	12.83	11.62
4. ग्रामीण शिक्षा	56.43	59.51
5. ग्रामीण स्वास्थ्य	3.75	4.45
6. अल्पोदय	0.25	2.00
7. ग्रामीण आर्थिक एवं कृषि विकास	185.70	215.09
योग	280.25	317.57

उपरोक्त अनुमानों के अतिरिक्त 1978-79 में ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए 5 करोड़ रुपये, ग्रामीण सड़कों के लिए 2.5 करोड़ रुपये तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजनाओं के लिए 2 करोड़ रुपये और मिलने का अनुमान है। तदनुसार सन् 1978-79 में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कुल प्रावधान 327.07 करोड़ रुपये हो जाएगा। इस प्रकार कुल विकास व्यय का 64.40 प्रतिशत ग्रामीण विकास पर खर्च किया जाएगा।

रोजगार

इस वर्ष वित्त मन्त्री ने सन् 1978-79 के अपने बजट भाषण में यह आशा प्रकट की कि विकास के विभिन्न मद्दों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय के फलस्वरूप लगभग 3 लाख 40 हजार व्यक्तियों को नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त लघु और सीमान्त कृषकों की योजनाबद्ध सहायता द्वारा तथा अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत कुल मिलाकर लगभग 3 लाख व्यक्तियों को आर्थिक स्वावलम्बन प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

शिक्षित बेरोजगारों के लिए भी पर्याप्त सख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। विभिन्न तकनीकी स्नातकों के लिए 7 16 डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 514, कृषि स्नातकों के लिए 480, पशु चिकित्सकों के लिए 85 डॉक्टरों के लिए 120, कला विषयों में स्नातकों के लिए 1,565, मेट्रिकुलेट्स के लिए 6,540 और आई टी आई शिक्षा प्राप्त लोगों के लिए 3,000 के लगभग स्थान मिलने की सम्भावनाएँ हैं। इससे अतिरिक्त शिक्षित बेरोजगारों के लिए 'मारजिन मनी' देन की योजना के अन्तर्गत भी अनेक व्यक्ति लाभ उठाकर अपनी जीविका का साधन जुटा सकेंगे।

त्रिकेन्द्रीकरण

पिछली सरकारें पंचायतों को केवल 25 पैसे प्रति व्यक्ति के आधार पर अनुदान देती थी। सन् 1978-79 में इसे बढ़ाकर ढाई रुपया प्रति व्यक्ति कर दिया गया है। इस प्रकार अब इन सस्याओं को 53 लाख रुपये प्रति वर्ष के स्थान पर लगभग 5 करोड़ 30 लाख रुपये प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। आशा है कि पंचायत सस्याएँ इतनी ही राशि अपने प्रयत्नों से भी जुटाएँगी। इस प्रकार लगभग नौ-दस करोड़ रुपया प्रति वर्ष पंचायतों के द्वारा ग्राम विकास कार्यक्रमों में व्यय किया जा सकेगा।

अन्त्योदय

यह सर्वविदित है कि योजनाओं के आकार के विस्तार मात्र से निर्बन्धता का निवारण अपन आप नहीं हो जाता क्योंकि जैसा कि पिछले वर्षों का अनुभव रहा है कि इन पर किए गए व्यय का अधिकांश लाभ अप्रशासित मजूद लोगों तक ही सीमित रहता रहा है। इसी प्रकार सभी ग्राम भी सारी योजनाओं से एकसार लाभान्वित नहीं होते। समाज के प्रदेश की न्यूनतम इराइयाँ अर्थात् गरिब व ग्राम योजनाओं के क्रियान्वयन की पचीदा कीषियों में बहुधा घट्ट रह जाते हैं। इस स्थिति में सुधार करने के लिए राज्य सरकार (जनता पार्टी की) ने एक नया प्रयोग 'अन्त्योदय' योजना प्रारम्भ कर प्रत्येक ग्राम के निर्धनतम पाँच व्यक्तियों को प्रचलित विभिन्न विकास योजनाओं की धाराओं से जाहजर स्वावलम्बी बनाने का मकल्प किया था।

सन् 1977-78 में इस योजना के अन्तर्गत 31,196 ग्रामों में ग्राम सभाओं का भी सहायता से 1 लाख 54 हजार गरिब परिवारों को छाँटा जा चुका है व उन्हें स्वावलम्बी बनाने का कार्यक्रम प्रगति पर है। इस योजना के क्रियान्वयन के

प्रथम 5 महीनों में फरवरी, 1978 के अन्त तक लगभग 45,000 व्यक्तियों के लिए कुछ न कुछ जीविकोपार्जन के साधन जुटा दिए गए हैं।

राज्य सरकार का यह प्रयत्न होगा कि अब तक चयन किए हुए सारे लोगों को निर्वाह करने लायक रोजगार सन् 1978-79 में अवश्य उपलब्ध करवा दिए जाएँ। सन् 1978-79 में इस कार्यक्रम के विस्तार के अनुरूप वित्तीय प्रावधान भी 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये रखा गया है।

समग्र ग्रामोदय

पूरे ग्राम के विकास के लिए एक सहस्रलप्ट और व्यापक योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने की अब तक कोई पद्धति नहीं रही है। अतः अनेक ग्राम विकास योजनाओं की धाराओं से अपेक्षाकृत अछूते ही रह रहे हैं।

अतः सन् 1978-79 में ग्रामों के विकास को भी पिछड़े हुए व्यक्तियों और वर्गों के विकास की तरह तत्परता, एकाग्रता व उत्तरदायित्व के साथ सम्पादित करने के ध्येय से 'समग्र ग्रामोदय योजना' प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। जिसके अन्तर्गत उपलब्ध साधनों के आधार पर प्रत्येक ग्राम के विकास की एक बहुमुखी विस्तृत योजना बनाई जाएगी। इस योजना का लक्ष्य निर्धारित अवधि में इन ग्रामों में बेरोजगारी को समाप्त करना, ग्राम के सभी निर्धन व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना तथा ग्राम की प्रति व्यक्ति औसत आय में निश्चिन् वृद्धि करना होगा।

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ऐसे 4 ग्रामों को जिनकी जनसंख्या 500 से ऊपर हो, सर्वांगीण विकास और उन्नति के कार्यक्रम चलाने के लिए चुना जाएगा। समग्र ग्रामोदय योजना को सम्पादित करने के लिए इसे प्रचलित विभिन्न योजनाओं की धाराओं से जोड़ना होगा। यदि वर्तमान वित्तीय प्रावधान इसके लिए अपर्याप्त रहे तो आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि सुलभ कराई जाएगी। आशा है कि सन् 1978-79 में 104 ग्रामों की समग्र विकास योजनाएँ तैयार होकर क्रियान्वित होने लगेंगी।

राजस्थान राज्य की आर्थिक समीक्षा (1977-78)

राज्य सरकार की 1978-79 की वार्षिक योजना की रूपरेखा पर हम प्रकाश डाल चुके हैं। राज्य के आर्थिक विकास के सन्दर्भ में यह उपयुक्त होगा कि हम राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित सन् 1977-78 की आर्थिक समीक्षा के मुख्य पहलुओं का अवलोकन करें—

सन् 1977-78 में जलवायु की प्रतिबुल स्थिति एवं बाढ़ ने खरीफ फसल को कुप्रभावित किया, आपात्कालीन स्थिति हटाने से श्रमिक अशान्ति रही तथा मूल्यों में वृद्धि होने की प्रवृत्ति इन्फ्लेशन हुई, किन्तु इन बाधाओं से घिरे रहने पर भी बेरोजगारी समस्या के समाधान, आवश्यक वस्तु व सेवाओं की निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराने तथा निर्धन व्यक्तियों की आय बढ़ाने हेतु विभिन्न योजनाएँ

चालू की गई। इस वर्ष शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन में स्थिर (1960-61) कीमतों पर 4.05% की वृद्धि अनुमानित हुई। यद्यपि भारी वर्षा व बाढ़ के कारण राज्य के कई जिलों में खरीफ फसल नष्ट हो गई थी लेकिन रबी फसल का उत्पादन सन् 1976-77 की अपेक्षा अच्छा होने की सम्भावना है एवं तिलहन, कपास व गन्ने के उत्पादन में और अधिक वृद्धि होने की आशा है। कुल मिलाकर वर्ष 1977-78 में कृषि उत्पादन का मूल्य सन् 1976-77 से अधिक होगा। ऐसा अनुमान है कि खाद्यान्नों का उत्पादन वर्ष 1977-78 में 71.41 लाख मेट्रिक टन होगा जिसमें 16.52 लाख मेट्रिक टन दालें भी सम्मिलित हैं। आलोच्य वर्ष में मुख्यतः दालों के उत्पादन में कमी हुई है। खनिज उत्पादन में भी गिरावट की प्रवृत्ति रही किन्तु श्रमिक अभाव, जो माह अप्रैल, 1977 में सर्वाधिक थी, के उपरान्त भी विनिर्माण अनुभाग (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों सहित) ने पिछले वर्ष की तुलना से इस वर्ष 6% की वृद्धि अर्जित हुई। यद्यपि श्रमिक स्थिति अनुपस्थित माहों में धीरे-धीरे सुधरती गई।

सन् 1977 में थोक एवं खुदरा भावों में गत वर्ष की अपेक्षा सामान्यतः वृद्धि हुई, परन्तु इसमें दो विशेषताएँ परिलक्षित हुईं— (अ) मार्च, 1977 के पश्चात् गत वर्ष के सर्वाधिक त्रैमास्य की तुलना में इस वर्ष प्रतिशत वृद्धि कम रही तथा (ब) आलोच्य वर्ष में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति दृष्टिगत हुई। राज्य सरकार ने पूर्ति की वितरण प्रणाली द्वारा चालू रखा। आलोच्य वर्ष में 90 हजार मेट्रिक टन गेहूँ व 20 हजार मेट्रिक टन मोटा अनाज उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा वितरित करवाया गया। केन्द्र सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि को बढ़ाने व उचित मूल्यों पर आसानी से आवश्यक वस्तुएँ जनता को उपलब्ध कराने हेतु कई उपाय किए जिनमें गेहूँ, चावल व धान पर स अन्तर्राष्ट्रीय रोक को हटाना, खेती रहित शक्कर की मात्रा को बढ़ाना व तेलों का आयात इत्यादि करना मुख्य है।

क्षेत्रीय विकास जैसे नहर अधिकृत क्षेत्र (राजस्थान नहर अधिकृत क्षेत्र एवं घाबल नहर अधिकृत क्षेत्र) आदिवासी क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र तथा सूखा सम्भावित क्षेत्र के विकास को अधिक महत्त्व दिया गया। इन प्रयत्नों के साथ-साथ अन्य कार्यक्रमों जैसे दुग्ध विकास कार्यक्रम, शीमान्त कृषक एवं सेलिहूर श्रमिक कार्यक्रम लघु कृषक विकास अधिकरण तथा लघु सिंचाई योजनाओं ने आभीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने तथा निर्यातों के प्राय स्तर बढ़ाने हेतु बड़े पैमाने पर सहायता की है।

लघु कृषक विकास अधिकरण तथा शीमान्त कृषक एवं सेलिहूर मजदूरों के कार्यक्रम सन् 1976-77 तक केवल 5 जिलों में ही चलाए जा रहे थे, परन्तु वर्ष 1977-78 में लघु कृषक विकास अधिकरण जैसे सुविधाओं को राज्य के सभी 26 जिलों में बढ़ा दिया गया है। सहकारी अनुभाग ने समूल योजना की भांति दुग्ध विकास वृहत् कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1977-78 के अन्त तक दुग्ध उत्पादन के लगभग चार लाख लीटर तक बढ़ने की आशा है।

630 भारत में आर्थिक नियोजन

अर्थ-व्यवस्था में हुई प्रगति को प्रतिबिम्बित करने हेतु कुछ सूचकांक निम्न तालिका में प्रस्तुत किए गए हैं—

वर्ष	एक वर्ष से वृद्धि या कमी (प्रतिशत में)				
	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78
1. राज्य आय					
(अ) प्रचलित कीमतों पर	38.40	8.39	11.89	1.17	—
(ब) स्थिर(1960-61)कीमतों पर	15.62	(-) 7.43	17.03	3.15	4.05
2. प्रति व्यक्ति आय					
(अ) प्रचलित कीमतों पर	34.68	5.64	8.98	(-) 1.45	—
(ब) स्थिर(1960-61)कीमतों पर	12.54	(-) 9.74	14.03	0.63	1.25
3. कृषि उत्पादन सूचकांक	28.85	(-) 8.82	17.18	4.98	—
4. खाद्यान्न उत्पादन	30.29	(-) 25.93	55.40	(-) 3.29	(-) 4.54
5. विद्युत उत्पादन एवं बच	23.00	8.54	(-) 12.08	32.90	+ 15.47
6. धौंस भाव सूचकांक	24.07	34.73	(-) 1.94	(-) 14.08	14.34
7. उपभोक्ता भाव सूचकांक					
(i) जनपुर	19.23	19.44	1.56	(-) 5.52	11.04
(ii) बजमेर	18.45	29.10	—	(-) 6.67	12.58

एक कलेण्डर वर्ष से सम्बन्धित है। अनुमानित प्रावधानिक

कृषि उत्पादन

बाढ़ और प्रतिकूल जलवायु ने समस्त खरीफ मौसम की फसलों के उत्पादन को प्रभावित किया। इस वर्ष साद्य फसलों का अनुमानित उत्पादन 25.81 लाख मेट्रिक टन और खरीफ तिलहन का उत्पादन 2.14 लाख मेट्रिक टन होने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष खरीफ खाद्यान्नों तथा तिलहनो का उत्पादन क्रमशः 33.50 लाख मेट्रिक टन तथा 2.50 लाख मेट्रिक टन था। संशोधित अनुमानों के द्वारा भी यह इंगित होता है कि रबी खाद्यान्नों का सम्भावित उत्पादन 45.60 लाख मेट्रिक टन तथा रबी तिलहनो का 2.50 लाख मेट्रिक टन होगा। इस प्रकार वर्ष 1977-78 में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 71.41 लाख मेट्रिक टन तिलहनो का 4.64 लाख मेट्रिक टन, गन्ने का 20.00 लाख मेट्रिक टन तथा कपास का 4.11 लाख गॉठें (प्रत्येक गॉठ 170 कि ग्राम) होने का अनुमान है।

कृषि उत्पादन के सूचकांक (आधार सन् 1967-68 से 1969-70=100) की प्रवृत्ति सुधार की ओर उन्मुख है। यह सन् 1976 में समाप्त हुए त्रिवर्षीय अवधि के सूचकांक 159 से बढ़कर सन् 1977 में समाप्त हुए त्रिवर्षीय अवधि में 166 हो गया। इसी प्रकार की प्रवृत्ति खाद्यान्नों तथा अखाद्यान्नों दोनों के उत्पादन के सूचकांकों में देखी गई। कृषि उत्पादन सूचकांक विभिन्न वर्षों के लिए निम्न तालिका में दिए गए हैं— (आधार : सन् 1967-68 से 1969-70=100)

उत्पादन के सूचकांक

वर्ष	धातु	अधातु	समस्त फायली के
1965-68	98	111	103
1966-69	96	89	95
1967-70	100	100	100
1968 71	115	145	121
1969 72	132	185	141
1970 73	135	221	151
1971-74	120	239	144
1972 75	113	280	146
1973 76	127	323	159
1974-77	135	325	166

औद्योगिक उत्पादन

राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक नीति को उदार बनाए रखते हुए उद्योगपतियों को नए उद्योग लगाने हेतु एवं पुराने उद्योगों के विस्तार कार्यक्रम को बनाए रखते हुए औद्योगिक विकास हेतु विशेष सुविधाएँ एवं प्रोत्साहन देने का कार्य इस वर्ष 1977-78 में भी चालू रखा गया। सन् 1977-78 में राज्य सरकार द्वारा वृहत् औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने हेतु 77 आवेदन पत्र सिफारिश के साथ भारत सरकार को प्रार्थना पत्र जारी करने के लिए भेजे गए। 15 विभिन्न निर्माणियों को प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किए गए जैसे राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम जयपुर को लो डेन्सिटी पोलिथिनीन साइड बिड्यु फिल्मस एवं इण्डस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, हिन्दुस्तान जिंक लि को रोल्ड जिंक शीट्स प्लेट्स एण्ड बेलोटेस तथा 5 दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियाँ जो क्रमशः बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर एवं अलवर में स्थित हैं, को मक्खन, घी, स्किम्ड मिल्क पाउडर, दूधो के लिए दुग्ध आहार एवं बेसिन, जे के सिन्थेटिक, नई दिल्ली को कोटा में डी. एम. टी. मीन स्थोलीन, नेशनल एमर प्रोडक्ट्स, नई दिल्ली को अलवर में लाइट मीडियम स्ट्रक्चरलस फ्लीप स्टील सेवगन आदि हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड, बम्बई को कोटा में पोर्टलैंड सीमेण्ट, अलकोवेक्स मेटल प्रा लि., जोधपुर को कोपर एण्ड कोपर फ्लीग्जसेमिस, वास टयूब्स आदि, जे. के स्टील एण्ड इण्डस्ट्रीज लि, कलकत्ता को राजस्थान में स्टील टायर वॉर्ड्स एवं साइकिल्स टायर व मोटो टायर बनाने हेतु कोटा टायर, जे के सिन्थेटिक, जयपुर को कोटा में पोलिस्टर स्टेपिल फाइबर तथा मुनील साइनेम लि नई दिल्ली को अलवर में, मोसिन व गेलेटिंग के उत्पादन हेतु प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किए गए। भारत सरकार द्वारा 17 नई निर्माणियों को उद्योग स्थापित करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिए। ये निर्माणियाँ मृती घागा, सिन्थेटिक फाइबर, रसायन, कीटनाशक दवाएँ, सीमेन्ट, मशीनरी तथा इन्जीनियरिंग सामान के उत्पादन से सम्बन्धित हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों (अलवर, जोधपुर, भीनवाड़ा, उदयपुर, नागौर व चुरू) में नई निर्माणों को नए उद्योग स्थापित करने के लिए 15% केन्द्रीय अनुदान योजना के अन्तर्गत विशेष रूप से चुना गया है। आलोच्य वर्ष में, राज्य सरकार ने इस योजना को राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़े अन्य 10 जिलों जालौर, पाली, वाँसवाड़ा, भुँभुनूँ, जैसलमेर, वाड़मेर, डूंगरपुर, टोंक, भालावाड और सिरोंही में भी लागू किया है। इसके अन्तर्गत राजस्थान में (31-12-77 तक) 4 63 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में 650 इकाइयों को स्वीकृत किए जा चुके हैं। यह अनुदान भूमि, भवन, मशीनरी के रूप में लगाई गई स्थायी पूंजी पर दिया जाता है। राजस्थान वित्त निगम द्वारा इन पिछड़े जिलों में ऋण स्वीकृति की न्यूनतम सीमा 10,000 रुपये से घटाकर 5,000 रुपये कर दी है।

ग्रामीण उद्योग परियोजना भारत सरकार द्वारा राज्य के पाँच औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़े जिलों नागौर, भालावाड़, चुरू, टोंक और वाँसवाड़ा में चालू की गई हैं। इस पाँचों जिलों का सर्वेक्षण हो चुका है। ग्रामीण औद्योगिक विकास हेतु इन जिलों में निम्नलिखित रियायतें स्वीकृत की गई हैं—

- 1 आनान शर्तों पर ऋण।
- 2 मुघरे हुए औजारों एवं यन्त्रों हेतु अनुदान।
- 3 कच्चे व तैयार माल के परीक्षण हेतु अनुदान।
- 4 महकारी समितियों द्वारा चलाई जाने वाली इकाइयों की व्यवस्था हेतु अनुदान।
- 5 इम्प्लाण्ट प्रशिक्षण हेतु अनुदान।

राज्य के पाँच चयनित जिलों (जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और उदयपुर) में उद्योग विभाग द्वारा स्वयं सेवी सस्यानों के माध्यम से घरेलू उद्योग योजना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत सन् 1974-75 से दिसम्बर, 1977 तक मध्यम एवं अल्प आय वर्ग के 2188 व्यक्तियों (विशेषकर असहाय महिलाओं तथा कमजोर वर्ग के व्यक्तियों) को विभिन्न घरेलू औद्योगिक व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 769 घरेलू उद्योगों के रूप में कार्य कर रहे हैं। सन् 1977-78 में 1204 व्यक्तियों को जो कपड़ों की मिलाई, होजरी, गलीचा बुनाई, गोटा आरी तारी, लकड़ी के खिलौने आदि घरेलू उद्योगों में लगे हैं उनको प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में 482 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उद्योग विभाग द्वारा लघु उद्योगों को ऋण देने के लिए 15,000 रुपये प्रति इकाई तक का ऋण जिला स्तर पर जिला ऋण समिति के माध्यम से स्वीकृत किया जाता है एवं 25,000 रुपये तक प्रति इकाई ऋण विभागीय मुख्यालय से स्वीकृत किया जाता है। आलोच्य वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत 1-00 लाख रुपये के ऋण

देने का प्रावधान था जिसमें से 84 हजार रुपये के ऋण 16 लघु इकाइयों को दिनम्बर, 1977 तक स्वीकृत किए जा चुके हैं।

इस वर्ष राज्य सरकार ने उद्योग लगाने वाले शिक्षित बेरोजगारों को मार्जिन-मनी ऋण देने हेतु एक योजना लागू की है। इस योजना के अन्तर्गत नए लघु उद्योग लगाने हेतु इच्छुक शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को स्थायी पूंजी के लिए 15% तक एवं कार्यशील पूंजी के लिए 10% तक मार्जिन-मनी-ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस ऋण पर व्याज 4% की दर से लिया जाएगा। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए आलोच्य वर्ष में 50 00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया।

भारतीय मानक सस्थान का एक कार्यालय जयपुर में स्थापित किया गया है जा मानकीकरण को सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा।

राजस्थान वित्त निगम द्वारा सन् 1977 में 516 इकाइयों को 510 38 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए जबकि गत वर्ष 282 इकाइयों को 429 22 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए थे।

सन् 1977-78 में राज्य के औद्योगिक उत्पादन में मिश्रित प्रवृत्ति पाई गई। औद्योगिक उत्पादन के अन्तर्गत अधिकतम वृद्धि सत्प्रचुरिक एलिट्रिक के उत्पादन में हुई जो गत वर्ष की तुलना में 184% अधिक है। आसोच्य वर्ष में जिन अन्य मवों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है वे हैं बेडमियम किनिस्ट्र प्रोडक्ट्स (131.86%), सिंगिल सुपर फास्फेट (112.33%), जिंक स्लेट (99.45%), तमक (68.17%), पी वी सी कम्पाउण्ड (37.14%), सभी प्रकार की स्पिड्स (34.75%), सीमेन्ट (24.10%), बेजीटविल घी (22.37%), सोपरस्टोन पाउडर (14.85%), पी वी सी रेजिन (9.34%), केलशियम कारबाइड (7.70%), चीनी (2.89%), यूरिया (2.75%), नाइलीन घागा (0.73%) तथा सूनी बरतन (0.16%) तथापि वित्त की कमी के कारण विद्युत मीटर्स के उत्पादन में काफी गिरावट (64.77%) हुई। इसी प्रकार मादको इन्सुलेटिंग ईटों के उत्पादन में भी भ्रसाधारण गिरावट (53.51%) खानों के क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा एवं कच्चे माल की कमी के कारण हुई। इसके अलावा सोडियम सल्फेट (43.83%), समस्त प्रकार के रेलवे वेगन्स (36.68%), लेपित एवं पुनर्लेपित पत्थर (31.23%), पानी के मीटर्स (17.92%), सूनी घागा (14.68%), रेडियेटर्स (13.15%), रेयन टाइप फाइबरस (12.58%) के उत्पादन में प्रतिबंधित किया गया। कास्टिक सोडा एवं बाल विद्युत के उत्पादन में 2 से 7% तक की कमी हुई। कच्चे माल, ईंधन एवं विद्युत की कमी, यान्त्रिक विभंग एवं थर्मिक हड्डानों के कारण औद्योगिक उत्पादन में कमी हुई।

बुद्ध मुख्य वस्तुओं के उत्पादन में समस्त राज्य को प्रतिबंधित निर्माशियों की मार्गिक सूचना, जो उत्पादन की प्रवृत्ति दर्शानी है, के आधार पर निम्न तालिका में दिए गए हैं—

सं.	वस्तु	वर्ष		सन् 1977 में उत्पादन में वृद्धि या ह्रास 1976 की तुलना में	
		1976	1977		
1	चीनी	हजार मी. टन	34 20	35-19	(+) 2.89
2	स्थिपट (समस्त प्रकार की)	हजार मी. टन	3156-92	4254-01	(+) 34.75
3	वनस्पति घी	हजार मी. टन	14-44	17 67	(+) 22.37
4	नमक	हजार मी. टन	226-37	380 68	(+) 68 17
5	बस्त्र उद्योग				
	(क) सूती बस्त्र	लाख मीटर	68 ⁰ 01	690-09	(+) 0 16
	(ख) सूती छाया	हजार मी. टन	380-66	331-41	(-) 14-68
6	उर्वरक				
	(क) यूरिया	हजार मी. टन	260 46	267 63	(+) 2 75
	(ख) सिंगल सुपर फास्फेट	हजार मी. टन	20 35	43-21	(+) 112-33
7	सोप	हजार मी. टन	1677 52	2081-75	(+) 24-10
8	साइकल इन्ड्यूस्ट्रिय प्रोडक्ट्स	हजार सय्या	1497	696	(-) 53-51
9	त्रिक स्लेन्म	हजार मी. टन	12-73	25-29	(+) 99 45
10	केरमियम फिनिश प्रोडक्ट्स	हजार मी. टन	14-25	33-04	(+) 131-86
11	रेलवे के डिब्बे (समस्त प्रकार)	सय्या	1592	1000	(-) 36 68
12	बाल विद्यारिण	लाख सय्या	75-85	73-85	(-) 2 68
13	पानी के मीटर	हजार सय्या	9 54	7-83	(-) 17-92
14	रेडियेटर्स	हजार मीटर	8-67	7 53	(-) 13-15
15	वेपित एव पुनवेपित पत्थर	हजार मीटर	213 00	146-48	(-) 31-23
16	विद्युत् मीटर	हजार सय्या	219 35	77-28	(-) 64-77
17	कृषि मशीनें				
	(क) नावलोन छाया	हजार मी. टन	4-10	4-13	(+) 0-73
	(ख) रैयन क्लिप छाया	हजार मी. टन	4 16	4-03	(-) 12 58
18	रसायन				
	(क) कार्बिक सोडा	हजार मी. टन	31 88	29-96	(-) 6 02
	(ख) कैल्शियम कार्बाइड	हजार मी. टन	20 39	21 96	(+) 7-70
	(ग) पी. वी. सी. कम्पाउण्ड	हजार मी. टन	3-50	4 80	(+) 37-14
	(द) पी. वी. सी. रेशिन	हजार मी. टन	14 45	15-80	(+) 9-34
	(ध) गंधक का तेजाब	हजार मी. टन	12-77	36-32	(+) 184 42
	(च) सोडियम सल्फेट	हजार मी. टन	2-93	1-47	(-) 49-83
19	सोप स्टोन वाउचर	हजार मी. टन	16-50	18-95	(+) 14 85

खनिज उत्पादन

वर्ष 1977 में खनिज उत्पादन की मिश्रित प्रवृत्ति पाई गई। अधिकांश धातुिक खनिजों में कच्चा सामान, रन आफ माईन और सांद्र शीशा, सांद्र जस्ता और चांदी के उत्पादन में वृद्धि दिखाई दी, केवल कच्चे लोहे के उत्पादन में

8.57% की कमी आई गई। वर्ष 1976 की अपेक्षा वर्ष 1977 में अघात्विक खनिजों के अन्तर्गत केलसाइट, चीनी गिट्टी, डोसोमाईट, फायरक्ले, पत्था, क्रूने का पत्थर, मेगनेसाइट, पाइरोफिल्लाइट, सीलिकासैण्ड, स्लेटस्टोन, लेसेनाइट और बालक्ले का उत्पादन अधिक रहा, लेकिन श्रेष्ठ अघात्विक खनिजों के उत्पादन में गिरावट आई।

वर्ष 1977 में कुल विनय मूल्य 4145.13 लाख रुपये रहा जो वर्ष 1976 के विनय मूल्य 4230.69 लाख रुपये की तुलना में कम रहा। दैनिक मजदूरी की औसत संख्या वर्ष 1976 में 24049 से घट कर सन् 1977 में 21937 रह गई। मुद्राया चालू वर्ष में दैनिक मजदूरी की औसत संख्या में कमी ऐसबेस्टस सोप स्टोन, लाइम स्टोन व कैलासाइट आदि खनिज में हुई। इस कमी का कारण इस वर्ष भारी वर्षा का लम्बे समय तक होते रहना था।

विद्युत्

वर्ष 1977-78 में अनुमानित 2494 मि किलोवाट विद्युत् का उत्पादन हुआ एवं अनुमानित 1270.4 मि किलोवाट विद्युत् का क्रय राजस्थान राज्य एवं बाहर के राज्यों से किया गया। 3944.0 मि किलोवाट लक्ष्य के स्थान पर 3764.4 मि किलोवाट विद्युत् का उत्पादन एवं क्रय किया गया। वर्णित वर्ष में 281.4 मि किलोवाट विद्युत् का अधिक उत्पादन हुआ जबकि पिछले वर्ष (1976-77) में उक्त उत्पादन 2212.6 मि किलोवाट का हुआ था। पिछले वर्ष की तुलना में 223 मि किलोवाट विद्युत् का क्रय भी अधिक था। राजस्थान का अधिकांश विद्युत् उत्पादन हायड्रो प्लांट से होता है। जिसमें वर्ष 1977-78 में 1824 मि किलोवाट (73.14%) विद्युत् उत्पादन हुआ जबकि सन् 1976-77 में 1513.9 मि किलोवाट था। साधारणतया विद्युत् उत्पादन एवं क्रय का अनुपात 2:1 है।

सर्वाधिक वर्ष में 2700.4 मि किलोवाट विद्युत् का उपभोग किया गया जिसका 61.30% औद्योगिक शक्ति में, 18.09% सिंचाई एवं कृषि जलदाय में, 6.26% घरेलू कार्य में, 5.45% सार्वजनिक जलदाय एवं गटर कार्य पर, 4.66% वाणिज्यिक कार्य में तथा अन्य सार्वजनिक बिजली वितरण एवं विनय अनुमति-पत्र हेतु उपभोग किया गया।

गत वर्ष औद्योगिक क्षेत्र में 58.63% विद्युत् का उपभोग किया गया जबकि कुल विद्युत् उपभोग 2084.3 मि किलोवाट था। कुल विद्युत् उपभोग 29.56% बढ़ गया एवं वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भी औद्योगिक शक्ति लाभान्वित हुई। विद्युत् क्षति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। जहाँ वर्ष 1976-77 में यह 24.57% था वहीं सर्वाधिक वर्ष में 24.20% रहा।

रोजगार नियोजन

वर्ष 1977-78 के विनियोजन के अनुसार अनुमान है कि राज्य में 3.86 लाख व्यक्तियों को नियमित रूप से रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा जबकि

श्रम शक्ति में अनुमानित वृद्धि केवल 2.75 लाख की होगी। इस प्रकार किसी सीमा तक बकाया बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकेगा।

नियोजन कार्यालयों की सुविधाओं का लाभ इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा अधिक प्राप्त किया गया। इस वर्ष में सन् 1976 की तुलना में पजीकरण में 8.35% की वृद्धि हुई जबकि वर्ष 1976 में वर्ष 1975 की तुलना में केवल 2.61% की वृद्धि हुई थी। नियोजन कार्यालय के अतिरिक्त जनशक्ति विभाग द्वारा रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक बेरोजगार डिप्लोमा प्राप्त एव इंजीनियरिंग स्नातको का पंजीयन किया जाता है जो इनकी नियुक्तियों की विभिन्न सरकारी, अर्द्ध-सरकारी एवं स्वशासित संस्थाओं के कार्यालयों में व्यवस्था करती हैं। वर्ष 1977 में गत वर्ष की तुलना में नियुक्तियों में 7.06% की कमी रही जो कि आंशिक रूप से अधिसूचित रिक्तियों की 19.64% की कमी के कारण रही। नियोजन कार्यालयों में जीवित पत्रिका पर प्रार्थियों की संख्या इस वर्ष के अन्त तक गत वर्ष की तुलना में 4.27% घटिक रही।

बचत

विभिन्न बचत योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1976-77 में ढाक घर बचत बैंक योजना एव ढाकघर सामयिक योजना के द्वारा 86% की शुद्ध प्राप्ति हुई। वर्ष 1975-76 में शुद्ध बिक्री 1359.71 लाख रुपये की अपेक्षा सन् 1976-77 में 1710.98 लाख रुपये हुई। वर्ष 1975-76 की तुलना में वर्ष 1976-77 में शुद्ध विक्रय में 25.8% की वृद्धि हुई।

सहकारिता

राज्य में सहकारिता आन्दोलन के अन्तर्गत ग्रामीण आर्थिक विकास में निरन्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1977-78 में सहकारिता आन्दोलन की गुरात्मक एव सख्यात्मक दृष्टि से अधिक सुदृढ करने हेतु प्रयास किए गए। गत वर्ष 1976-77 के 60% के विरुद्ध 68% ग्रामीण कृषि परिवार सहकारिता के अन्तर्गत आने की सम्भावना है। अब तक 98% गाँव सहकारिता में सम्मिलित किए जा चुके हैं जबकि वर्ष 1978-79 तक सभी गाँवों को सहकारिता आन्दोलन में सम्मिलित करने का लक्ष्य है।

यातायात एवं संचार

वर्ष 1977-78 के अन्त तक राज्य में कुल सड़कों की लम्बाई 39296 किलोमीटर होगी जबकि वर्ष 1976-77 के अन्त तक यह 38883 किलोमीटर थी। मुख्य रूप से सड़कों की लम्बाई में वृद्धि ग्रामीण सड़कों में हुई।

वर्ष 1976 में 186758 वाहन सड़कों पर थे जो बढ़कर वर्ष 1977 में (अगस्त, 1977 तक) में 202658 हो गए। वर्ष 1977-78 के अन्त तक करीब 35% बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा।

मूल्य नीति

आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि में सुधार लाने एव मूल्यों को नियंत्रण रखने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए। इनमें से कुछ निम्न हैं—

1. गेहूँ, धान एवं चावल के अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन पर ते रोक हटाई गई।

2. अप्रैल, 1977 से नोन-लेवी चीनी का बॉटन मात्रा में पर्याप्त वृद्धि की गई। परिणामस्वरूप केवल चीनी की उपलब्धि में ही सुधार नहीं हुआ बल्कि इसके मूल्यों में भी गिरावट आई तथा इसका प्रभाव गुड़ के मूल्यों पर भी पड़ा।

3. अप्रैल, 1977 एवं उसके पश्चात् भीमेट के निर्यात पर रोक लगा दी गई।

4. जुलाई-दिसम्बर, 1977 की त्रैमासिक अवधि में वनस्पति उद्योग में आयोजित व्याज तेज का उपयोग 75% से बढ़ाकर 90% कर दिया गया ताकि देशी तेलों के स्रोतों के उपयोग करने हेतु उपलब्धि की स्थिति में सुधार हो सके।

5. सरसों के तेल की कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार ने इसका अधिकतम खुदरा मूल्य 10 रुपये प्रति किलो निर्धारित करने हेतु एक अध्यादेश निर्गमित किया।

6. आवश्यक वस्तु अधिनियम की प्रतिक्रिया प्रभावशाली तरीके से लागू करने के लिए कदम उठाए गए।

इन उपायों द्वारा राज्य में न केवल आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि में सुधार हुआ बल्कि कीमतों पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ा।

वितरण प्रणाली

राजस्थान में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या दिसम्बर, 1977 में 8995 थी, जबकि जुलाई, 1977 में इनकी संख्या 8934 थी। दिसम्बर, 1977 में उचित मूल्य की दुकानों में सहकारी दुकानों की संख्या 3901 थी, जबकि जुलाई, 1977 में यह संख्या केवल 3840 थी। इन उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से 90 हजार टन गेहूँ तथा 20 हजार टन मोटा अनाज वितरित किया गया।

क्षेत्रीय विकास

राज्य सरकार ने विश्व बैंक से 'कमाण्ड एरिया डवलपमेंट' क्षेत्र में दो योजनाओं—सिचाई व वृद्धि के सघन विकास के लिए स्वीकृति प्राप्त कर ली है। राजस्थान नहर परियोजना के लिए कुल 139 20 करोड़ रुपये व चम्बल योजना के लिए 73 20 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता थी जिसमें से 66 40 करोड़ रु राजस्थान नहर के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी व चम्बल के लिए 41 60 करोड़ रुपये विश्व बैंक से प्राप्त होंगे।

इस परियोजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्रीय सरकार से भी धन प्राप्त होना है। इस योजना के कार्यान्वयन को समन्वित करने हेतु राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर कमाण्ड एरिया व जल उपयोग विभाग एवं क्षेत्रीय स्तर पर उच्च स्तरीय क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की स्थापना राजस्थान नहर परियोजना के लिए क्षेत्रीय विकास प्रायुक्त, बीकानेर में एक चम्बल के लिए कोटा में स्थापित किए। इन दो योजनाओं के अतिरिक्त दो और योजनाएँ—नायं वेस्ट भास्करा व गग केनान भी, ए. धार डी सी की सहायता से राज्य में चल रही हैं। सन् 1978-79 के लिए 4.10 करोड़ रुपये राज्य की धोर से एवं 3 72 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार के भाग को मिलाने पर कुल 7 82 करोड़ रुपये का प्रावधान इस हेतु रखा गया है।

इन बजट प्रावधानों और ए. आर. डी. सी. द्वारा दिए विशेष ध्यान के प्रतिरिक्त सन् 1978-79 में वित्तीय सस्थानों की राशि 9.89 करोड़ रुपये की होगी जबकि यह राशि सन् 1977-78 में 5 करोड़ रुपये की थी। 1.17 करोड़ रुपये का प्रावधान उत्तर-पश्चिमी भाखर एवं गंग नहर क्षेत्र में पानी के धोरों को पक्का करवाने हेतु रखा गया है।

लघु कृषक विकास एजेंसी, सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक-लघु कृषक विकास एजेंसी, सीमान्त कृषक एवं कृषक श्रमिक की योजनाएँ विशेष रूप से ग्रामीण जन समुदाय की धल्प बेरोजगारी और आर्थिक दशा को सुधारने में बहुत सहायक रही हैं। ये योजनाएँ प्रारम्भ में सन् 1976-77 तक 5 जिलों में शुरू की गई थी, वे हैं झलवर, भरतपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा। लेकिन सन् 1977-78 में ये योजनाएँ समस्त 26 जिलों में शुरू कर दी गई—6 जिले केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत चलने वाली लघु कृषक विकास एजेंसी और सीमान्त कृषक एवं श्रमिक कार्यक्रम में सम्मिलित किए गए।

राज्य योजना में दिसम्बर, 1977 से लघु एवं सीमान्त कृषक एजेंसी जिन जिलों में स्थापित की गई वे हैं श्रीरंगानगर, भुँभुनूँ सीकर, जयपुर, टोंक, सवाई-माधोपुर, बूँदी, कोटा, भाखावाड़ एवं सिरोंही। अनरोक्त जिलों में सहायता राशि के रूप में दिए गए 30 लाख रुपये लघु कृषक विकास एजेंसी योजना में कृषि, लघु सिंचाई, पशु पालन एवं सहकारी समितियों पर सन् 1977-78 में खर्च किए जाएंगे।

सूखा सम्भावित सहायता कार्यक्रम (डी. पी. ए. पी.)—सूखा सम्भावित सहायता कार्यक्रम में पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, बीकानेर, चूरु, बाँसवाड़ा, हूंगरपुर एवं साय में जोधपुर और नागौर (विश्व बैंक सहायता कार्यक्रम) और छ. तहसीलों में जिनमें उदयपुर जिले की खेरवाड़ा, भीम, देवगढ़, अजमेर जिले की ब्यावर एवं भुँभुनूँ जिले की चिडावा एवं भुँभुनूँ इस योजना में सम्मिलित किए गए हैं। इस योजना को वस्तुयं पंचवर्षीय योजना के अन्त में शुरू किया गया था। सन् 1974-75 के बाद साल दर साल आवंटन राशि बढ़ती गई। सन् 1978-79 के लिए 12 00 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया, साथ ही 4 00 करोड़ रुपये राज्य का अग्रदान रखा गया। इसके प्रतिरिक्त सन् 1976-77 एवं सन् 1977-78 के 2 52 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से 100% सहायता के रूप में दो मध्यम सिंचाई योजनाओं सेई डिवीजन एवं मोम काग्यार के लिए प्राप्त होंगे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य योजनाएँ ट्यूबवैल के निर्माण द्वारा भूमि जल विकास, मंड विकास, पशु एवं दुग्ध विकास है। ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएँ बाड़मेर, चूरु एवं बीकानेर जिलों में कार्य कर रही हैं। सन् 1978-79 में दुग्ध भागों में निर्माण का कार्यक्रम भी रखा गया है।

औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में श्री जार्ज फर्नांडिस का वक्तव्य (25 दिसम्बर, 1977)¹

उद्योग मन्त्री श्री जार्ज फर्नांडिस ने आज ससद् में औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में निम्नलिखित वक्तव्य दिया—

प्रस्तावना

वियत 20 वर्षों से उद्योग के क्षेत्र में सरकारी नीति औद्योगिक नीति सकल, 1956 में शासित हो रही है। यद्यपि उस सकल्प की कुछ बातें औद्योगिक विकास के वांछनीय स्वरूप के सम्बन्ध में तो आज भी मान्य हैं, किन्तु औद्योगिक क्षेत्र में इन्हीं नीतियों का जो वास्तविक परिणाम निकला वह आशा के अनुरूप था या प्रोत्साहित उद्देश्यों के अनुरूप नहीं रहा है। वियत 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में लगभग 1.5% वार्षिक वृद्धि हुई है जो एक विपन्नशील अर्थ व्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्पष्ट ही अपर्याप्त है। बेरोजगारी बढ़ गई है, गाँवों और शहरों के बीच असमानताएँ बढ़ी हैं तथा वास्तविक निवेश दर में रूकावट उत्पन्न हो गई है। वियत दस वर्षों में औद्योगिक उत्पादन के सम्बन्ध में औसतन 3 या 4% से अधिक की वार्षिक वृद्धि नहीं हुई है। औद्योगिक क्षेत्र में सकटप्रस्तता फैली है जिसे कुछ प्रमुख उद्योगों पर ही बुरा असर पड़ा है। औद्योगिक लागत तथा मूल्यों का स्वल्प विशुद्ध खलित हुआ है तथा उद्योगों की बड़े-बड़े शहरों से हटाकर उन्हें फैलाने की गति बहुत ही धीमी रही है।

2. अतः अतीतकाल में हुई विशुद्ध खलताओं को दूर करने की दिशा में नई औद्योगिक नीति को एक मोड़ देना है ताकि लोगों की आर्थिक विकास की स्वाभाविक आवश्यकताओं को एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्दर पूरा किया जा सके।

3. अर्थ-व्यवस्था में कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के बीच अधिक परस्पर सम्बन्धों पर अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं है। हमारा अधिकारिण औद्योगिक उत्पादन कृषि की सामग्री पर आधारित है। इसी प्रकार प्राधुनिक तकनीक को अनुकूलित करने तथा हमारा अपनी परिस्थितियों के अनुरूप कृषि प्रणालियों को

¹ आज सरकार में दिनांक 23 दिसम्बर, 1977.

अपनाकर कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निवेश औद्योगिक क्षेत्र से ही मिलते हैं। विद्युत शक्ति के प्रजनन और पारप्रेण (ट्रांसमिशन) को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमारे हाल के अनुभव यह बताते हैं कि पर्याप्त विद्युत शक्ति का न मिलना कृषि तथा उद्योग के विकास में एक बड़ी भारी बाधा बन गई है। इसी प्रकार हमारी सिंचाई की परियोजनाओं का निसर्ग करने के लिए आवश्यक सीमेंट तथा इस्पात, हल चलाने व जमीन तैयार करने के उपकरण, ऊंची किस्म के बीजों का परिष्करण करने के उपकरण, उर्वरक, कीटनाशी पदार्थ, तेल, बिजली जैसे सभी औद्योगिक उत्पाद हमारे कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अत्यधिक जरूरी हैं। गांवों में कृषि तथा अन्य सम्बन्धित वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि का आधार लेकर समृद्धि तथा आय का जो स्वरूप बनेगा उससे खपत की वस्तुओं का उत्पादन करने की आधारभूत माँग की बात सामने आती है। अतएव कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र की इसी अन्तर-क्रिया की प्रणाली से गाँवों के उन बहुसंख्यक लोगों को जो कृषि के क्षेत्र में खपाए नहीं जा सकते हैं, रोजगार दिया जा सकता है।

4 आज खाद्यान्न तथा सचित विदेशी मुद्रा के रूप में हमारे पास पर्याप्त परिसम्पत्तियाँ हैं, परन्तु और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के काम करने के उत्सुक लोग, बहुत बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा प्राप्त वैज्ञानिक, इंजीनियर तथा तकनीशियन जो आज के विश्व के कार्यकुशल लोगों का तीसरा बड़ा दल है, हमारी सबसे अधिक बहुमूल्य परिसम्पत्तियाँ हैं। अब हमारे सामने बड़े-बड़े संकट हैं और भारी चुनौतियाँ हैं किन्तु इनका लाभ कायरतापूर्ण तथा बेमन से बनाई गई नीतियों के माध्यम से नहीं उठाया जा सकता। हमारे राष्ट्रीय जीवन के अनेक क्षेत्रों में एक तथा दृष्टिकोण अपनाए की आवश्यकता है। इस नए दृष्टिकोण का अंतर न केवल हमारे विपुल साधनों तथा सम्पन्नता में ही प्रतिबिम्बित होना चाहिए अपितु हमारे बहुसंख्यक लोगों के जीवन की रहन-सहन की स्थितियों में सुधार करने के लिए भी इन साधनों तथा सम्पन्न स्थिति का उपयोग विशेष रूप से दिलाई देना चाहिए। इसके पश्चात् योजना तथा परियोजनाओं और स्कीमों के कार्यान्वयन में सब मनुष्य की नई औद्योगिक नीति केन्द्र बिन्दु प्रदान करेगी।

लघु उद्योग

5. औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में अभी तक मुख्य रूप से बड़े उद्योगों पर ही बल दिया जाता रहा है, कुटीर उद्योग की पूर्णतः उपेक्षा की गई है और लघु उद्योगों को नगण्य स्थान दिया जाता रहा है। मौजूदा सरकार की नीति इस प्रकार की धारणा को बदल देने की है।

6. अतएव नई औद्योगिक नीति की प्रमुख भूमिका सभी ओर फैले हुए कुटीर तथा लघु उद्योगों का ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे-छोटे नगरों में प्रभावशील संवर्द्धन करना होगा। सरकार की यह नीति है कि जिस वस्तु का उत्पादन लघु तथा कुटीर उद्योगों में किया जा सकता है, वह किया ही जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए उन वस्तुओं का पता लगाने के लिए जिन्हें लघु उद्योग क्षेत्र में स्थापित किया

प्रथम उनका विस्तार किया जा सकता है, औद्योगिक उत्पादों का विशद विश्लेषण किया गया है। केवल लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ही आरक्षित किए जाने वाले उद्योगों की सूची में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है जिसमें अब पहले की लगभग 180 वस्तुओं की अपेक्षा 500 से अधिक वस्तुएँ शामिल की जाएँगी। यह सूची भी सप्ताह पर रखी जाती है। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस क्षेत्र में किया गया उत्पादन किफायती तथा स्वीकार्य कोटि का होता है। लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची की निरन्तर समीक्षा की जाती रहेगी ताकि अर्थ-व्यवस्था के लिए आवश्यक क्षमता उत्पन्न करने में देरी न हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लघु उद्योगों के लिए किया गया आरक्षण कुशलतापूर्वक कार्य करता है नए उत्पादों के रूप में उसका निरन्तर विस्तार होता जाता है तथा लघु क्षेत्र में निर्माण की जा रही नई प्रक्रियाओं का पता लगाया जाता है, आरक्षित उद्योगों की समीक्षा प्रतिवर्ष की जाएगी।

बहुत छोटा उद्योग

7 लघु उद्योग क्षेत्र की विद्यमान परिभाषा तो बनी रहेगी लघु क्षेत्र के अन्तर्गत बहुत छोटे क्षेत्र तथा, जिनमें मशीनों और उपकरणों पर किया गया विनियोजन एक लाख रु तक है और जो सन् 1971 की गणना के आंकड़ों के अनुसार 50,000 से कम जनसंख्या वाले नगरों और गाँवों में स्थापित किए गए हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता रहेगा। लघु क्षेत्र के बहुत छोटे एककोषीय ही कुटीर तथा घरेलू उद्योगों के लिए सीमान्त धन की व्यवस्था करने की योजनाएँ भी बनाई जाएँगी।

कुटीर उद्योगों के लिए विधान

8 लघु क्षेत्र के लिए आरक्षण तो रहा है, कुटीर तथा घरेलू उद्योग क्षेत्र के लिए कोई विशेष संरक्षण नहीं दिया जाता रहा है। सरकार कुटीर तथा घरेलू उद्योगों के हितों को संरक्षण देने हेतु विशेष विधान बनाने पर विचार करेगी जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे औद्योगिक विकास में इन गतिविधियों को जो बहुसंख्यक लोगों के लिए स्वयं रोजगार में लगने की व्यवस्था करती है गंभीरता मान्यता मिल जाती है।

समर्थनात्मक अनुपाय

9 पहले ऐसी योजनाओं, अभियानों तथा समझौतों की वृद्धि करने की प्रवृत्ति रही है, जिनसे औद्योगिक क्षेत्र के लघु तथा ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहन तथा सहायता मिलने की अपेक्षा वह और भी धम में पड़ जाता करता था। अब लघु क्षेत्र एवं कुटीर विकास केन्द्रों को बड़े शहरों व राज्य की राजधानियों से हटाकर जिलों के मुख्यालयों में ले जाने का विचार किया गया है। लघु तथा ग्रामीणों की सभी आवश्यकताओं के बारे में कार्यवाही करने के लिए प्रत्येक जिले में एक प्रतिनिधि होगा। इसे जिला उद्योग केन्द्र कहा जाएगा। केवल एक ही जिला उद्योग केन्द्र से लघु तथा ग्रामीण उद्योगों के लिए अपेक्षित सभी सेवाएँ तथा

लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग विस्तृत योजनाएँ तैयार करेगा। जूते तथा साबुन के उत्पादन के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए जाएंगे ताकि देश में इन वस्तुओं के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होती रहे और कुल उत्पादन में इनका अंश बढ़ाया जा सके। आयोग के कार्यक्रम के अन्तर्गत इस समय आने वाली मरों की सूची का काफी विस्तार किया जाएगा तथा आयोग के संगठन में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सुधार किया जाएगा ताकि इसे सौंचा गया कार्य अधिक प्रभावशाली ढंग से पूरा किया जा सके।

13 ग्रामोद्योग विकास कार्यक्रम में खादी संवर्धन का महत्वपूर्ण स्थान है। सूती रेशी के साथ पोलिएस्टर रेशी की बतलाई और बुनाई करके खादी के क्षेत्र में एक नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। अब तक किए गए प्रारम्भिक कार्य से पोलिएस्टर खादी के लिए एक विस्तृत बाजार विकसित होने तथा उत्पादकता में सुधार होने और खादी बुनकरों और बतलाई करने वाली स्त्रियों में वृद्धि होने की आशा बँधी है। 'नई खादी' में कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर कार्यान्वित करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। सरकार खादी कार्यक्रम के संवर्धन के लिए आवश्यक अधिकतम वित्तीय और विपणन सहायता देने के लिए बचनबद्ध है।

14 खादी के साथ-साथ जन साधारण की वस्त्र सम्बन्धी आवश्यकता हयकरषा क्षेत्र के विकास द्वारा तेजी से पूरी की जा सकती है जो कि वस्त्र-निर्माण के लगे बहुत अधिक लोगों की आजीविका प्रदान करता है। सरकार संगठित मिल तथा विद्युत करषा क्षेत्र में बुनने की क्षमता में किमी प्रकार के विस्तार की अनुमति नहीं देगी। हयकरषा क्षेत्र के लिए घागे की पर्याप्त सप्लाई प्रदान करने के लिए सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि संगठित क्षेत्र में घागे लपटने के कार्य के लिए हयकरषा क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए। यदि कोई कमी होनी है तो सरकार बुनाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जान का सुनिश्चय करेगी। इसके अलावा हयकरषा उत्पादों के लिए तैंगार बाजार के लिए इस बात का सुनिश्चय किया जाएगा कि संगठित मिल क्षेत्र और हयकरषा क्षेत्र में अनुचित प्रतियोगिता न होने पाए। कुछ वस्त्रों का उत्पादन हयकरषा क्षेत्र के लिए पहले से ही धारित है। फिर भी यह धारणा अधिक प्रभावशाली नहीं रहा है। सरकार विद्यमान धारणा को लागू करेगी तथा अन्य मरों को भी इसके अन्तर्गत ले आएगी।
नम्रपगुक्त प्रायोगिक।

15 हमारी सामाजिक आर्थिक स्थितियों के अनुरूप विकास तथा तकनीक का लागू करने की तरफ अभी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इनके पश्चात् यह नीति का एक अभिन्न अंग होगा तथा सरकार यह सुनिश्चिन करेगी कि इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाए। लघु तथा शारीक उद्योगों में लगे कर्मचारियों की उत्पादकता और अर्जन क्षमता में सुधार करने के लिए उपयुक्त षोः तथा साधारण रिश्तों की मशीनें और उपकरणों का विकास तथा ज्यादा प्रयोग करने हेतु प्रभाव

और समन्वित व्यवस्था सुनिश्चित करने का विशेष प्रयत्न किया जाएगा। इसके अलावा सरकार उत्पादन की इस प्रकार की तकनीकों को सर्वांगीण ग्रामीण विकास के कार्यक्रम के साथ समन्वय करने का प्रयास भी करेगी।

बड़े उद्योगों की भूमिका

16. भारत में छोटे और ग्रामीण उद्योगों के अलावा बड़े उद्योगों की भी एक स्पष्ट भूमिका है। फिर भी, सरकार जटिल प्रकार की कुशलताओं के मात्र प्रदर्शन के लिए अथवा बड़े उद्योगों को असंगत विदेशी प्रौद्योगिकी के स्मारकों के रूप में स्थापित करने के पक्ष में नहीं है। बड़े उद्योगों की भूमिका उद्यु और ग्रामोद्योगों के व्यापक प्रसार और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करके जनता की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कार्यक्रमों के साथ जुड़ी होगी। लघु तथा ग्रामोद्योगों को दूर-दूर तक फैला कर तथा कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाकर बड़े उद्योग जनता की बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी करने के कार्यक्रम में हाथ बँटा सकते हैं। सामान्य रूप से बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए ये क्षेत्र होंगे—(क) आधारभूत उद्योग जो अवस्थापना सम्बन्धी तथा छोटे और ग्रामोद्योगों जैसे—इस्पात, अलौह धातुएँ, सीमेंट, तेल शोधन कारखानों जैसे उद्योगों का विकास करने के लिए जरूरी हैं, (ख) बुनियादी उद्योगों के साथ लघु उद्योगों की मशीनों की आवश्यकता पूरी करने के लिए पूंजीगत वस्तु उद्योग, (ग) उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की आवश्यकता होती है तथा जो कृषि और लघु स्तर के औद्योगिक विकास जैसे खाद, कीटाणुनाशक दवाइयों तथा पेट्रो-रसायन आदि से सम्बन्धित हैं, तथा (घ) लघु क्षेत्र के लिए आर्थिक मदद की सूची से बाहर रखे गए अन्य उद्योग और जिन्हें अर्थ-व्यवस्था का विकास करने के लिए जरूरी समझा जाता है, जैसे मशीनी औजार, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन उद्योग।

बड़े औद्योगिक गृह

17. पिछले अनुभव से पता चलता है कि सरकार की नीतियों को बड़े औद्योगिक गृहों के अनुपात से अधिक वृद्धि पर नियंत्रण रखने में सफलता नहीं मिली है। मौजूदा उद्यमों की कुछ सीमा तक वृद्धि होना अपरिहार्य है तथा इन उद्यमों का निरन्तर लाभ पर चलते रहना भी आवश्यक है। बड़े औद्योगिक गृहों का विकास उनके द्वारा उत्पन्न आन्तरिक साधनों के अनुपात से अधिक रहा है और यह वृद्धि मुख्य रूप से बैंकों तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से उधार ली गई निधियों पर आधारित है। इस प्रक्रिया को अवश्य बदला जाना चाहिए।

18. ग्रन्थि में बड़े औद्योगिक गृहों का विस्तार निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जाएगा—

(क) विद्यमान उपक्रमों का विस्तार तथा नए उपक्रमों की स्थापना एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जाता रहेगा। प्रभावशाली उपक्रमों के उपबन्धों सहित इस अधिनियम के उपबन्धों पर कारगर दृष्टि से अमल किया जाएगा।

(ख) जो उद्योग इस समय क्षमता की स्वतः वृद्धि करने के योग्य हैं उनके अलावा विद्यमान उपक्रमों द्वारा नई वस्तुओं का उत्पादन करने तथा बड़े ग्रहों द्वारा नए उपक्रमों की स्थापना करने के लिए सरकार के विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

(ग) बड़े औद्योगिक ग्रहों की अपनी गई या विस्तार सम्बन्धी परियोजनाओं की वित्त-व्यवस्था करने के लिए करने यहाँ उदात्त किए गए साधनों पर निर्भर रहना होगा। कुछ उद्योगों जैसे—उर्वरक, कागज, सीमेंट, जहाजरानी तथा पेट्रो रसायन जैसे उद्योगों के मामले में जो पूंजी प्रधान है, उपयुक्त ऋण इक्विटी के लिए अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि ऋण एवं इक्विटी में अनुपात कम पूंजी-प्रधान वाले उद्योगों अथवा कम सूक्ष्म उद्योगों के बीच इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि बड़े ग्रहों द्वारा उत्पन्न किए गए साधनों का अधिवाधिक उपाय हो सके।

19 अपनी लाइसेंसिंग नीति में सरकार बड़े औद्योगिक ग्रहों के कार्यक्षमताओं की, देश के सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप लाने के लिए विनियमित करेगी। जहाँ बड़े एकक हैं भले ही वे बड़े औद्योगिक ग्रहों से सम्बन्धित हों या नहीं यदि वे पहले से ही छोटे पैमाने के क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं के बनाने में लगे हैं तो उनकी क्षमता में कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर इन उपक्रमों को इन वस्तुओं के लिए कुल क्षमता में अक्षदान लगातार कम किया जाएगा जबकि लघु व कुटीर क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। बड़े उद्योगों, विशेष रूप से बड़े औद्योगिक ग्रहों से सम्बन्धित एक्को के लिए लाइसेंस देने में सरकार इन एक्को द्वारा इन वस्तुओं के कुल घरेलू उत्पादन के विद्यमान अंश की ओर पूरा ध्यान देगी। सरकार की यह सुनिश्चित करने की नीति होगी कि किसी भी एकक अथवा व्यापारी वर्ग का बाजार में प्रभुत्व अथवा एकाधिकार न होने पाए। बड़े औद्योगिक ग्रहों के वर्तमान औद्योगिक कार्यक्षमताओं की जाँच पड़ताल की जाएगी ताकि निर्माण सम्बन्धी आन्तरिक सम्बन्धों से उत्पन्न अनुचित तरीकों को रोका जा सके।

20 समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का सुनिश्चय करने के लिए बड़े उद्योगों की स्थापना तथा उन्हें चलाने के लिए महत्वपूर्ण समर्थन देन वाले वित्तीय संस्थानों से ऐसे उपक्रमों के कार्यक्षमताओं की देखभाल करने में और अधिक कारगर भूमिका निभाने की आशा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रदूषण को अधिवाचिन उद्यमपरत्व बनाया जाता है तथा वह राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का अनुरूप होता है।

21 भारत में सरकारी क्षेत्र काफी समय से कार्य करता रहा है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन के साधनों का सामाविकाकरण करने के अनिश्चित सरकारी क्षेत्र बड़े औद्योगिक ग्रहों की वृद्धि करने तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के बीच सतुलनकारी शक्ति रहा है। अनेक क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र को बढ़ती हुई भूमिका निभानी होगी। इस क्षेत्र में न केवल बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण वस्तुओं का ही उत्पादन किया जाएगा अपितु इसका उपयोग जन-साधारण के लिए आवश्यक वस्तुओं का सभरण बनाए रखने के लिए एक स्थायी शक्ति के रूप में भी कारगर ढंग से किया जाएगा।

विविध प्रकार के सहायक उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने का दायित्व भी सरकारी क्षेत्र का होगा और अलग-अलग एकाई के कार्य-निष्पादन का निश्चय लघु, छोटे और ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों के संवर्धन में उनकी भूमिका के सदम में किया जाएगा। सरकारी क्षेत्र से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह लघु और ग्रामीण उद्योग क्षेत्रों के समर्थन कार्यक्रमों के लिए प्रौद्योगिकी और प्रबन्ध-व्यवस्था की अपनी विशेषज्ञता प्रदान करके विकेन्द्रित उत्पादन की वृद्धि करने में योगदान करें। सरकार की यह भी कोशिश होगी कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को लाभ पर चलाया जाए और उनका कुशल संचालन किया जाए ताकि इन उद्योगों में किए गए निवेश से समाज को पर्याप्त लाभ मिलता सुनिश्चित किया जा सके। सरकार सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धकों का एक व्यावसायिक संवर्धन को उच्च प्राथमिकता देती है, उन्हें आवश्यक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी और इस प्रकार के उपक्रमों को दक्ष और गतिशील प्रबन्ध-व्यवस्था प्रदान करने का दायित्व उनका होगा।

देशी और विदेशी प्रौद्योगिकी

22. देश में वैज्ञानिक संस्थानों का सुविकसित ढाँचा है। भविष्य में भारतीय उद्योगों का विकास जहाँ तक सम्भव हो सके देशी प्रौद्योगिकी पर निर्भर होना चाहिए। यद्यपि देशी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए व्यापक क्षेत्र प्रदान किया जाएगा फिर भी यह आवश्यक है कि भारतीय प्रौद्योगिकी का विकास उच्च और कुशल उत्पादन के उद्देश्यों के अनुरूप हो और यह अपने आप में समाज के लिए तत्काल जरूरी वस्तुओं का उत्पादन करने में विलम्ब का कारण न बन। हमारी विशाल जनता के जीवन-स्तर के सुधार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का योगदान होना चाहिए।

23 प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार जटिल और उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में, जिनमें भारतीय कुशल और प्रौद्योगिकी का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, देश में प्रौद्योगिकी के निरन्तर अपनाए जाने की आवश्यकता समझती है। ऐसे क्षेत्रों में सरकार उपलब्ध सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी को सीधे खरीद लेने की प्राथमिकता देगी और तब देश की आवश्यकता के अनुरूप ऐसी प्रौद्योगिकी को अनुकूलित करेगी। जिन भारतीय कम्पनियों को विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात करने की अनुमति दी जाती है उनके लिए यह आवश्यक होगा कि उपयुक्त मामलों में वे पर्याप्त अनुसंधान एवं विकास सुविधाएँ स्थापित करें ताकि आयातित प्रौद्योगिकी को ठीक प्रकार से अनुकूलित किया जा सके तथा उसे आत्मसात् किया जा सके। सरकार विदेशी विनियोजन बोर्ड के सचिवालय में विदेशी सहयोग की एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री की भी स्थापना करेगी ताकि इन प्रयत्नों को जारी रखा जा सके।

विदेशी विनियोजन

24. सरकार भारतीय औद्योगिक विकास में विदेशी निवेश और विदेशी कम्पनियों की सहभागिता सम्बन्धी नीति को भी स्पष्ट करना चाहेगी। जहाँ तक विद्यमान विदेशी कम्पनियों का सम्बन्ध है विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के प्रावधानों को

सखी से लागू किया जाएगा। इस प्रतिनियम के अधीन विदेशी इन्विटी के कम करने की प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने के बाद 40% से अधिक प्रत्यक्ष अन्यत्रवासी निवेश न रखने वाली कम्पनियों को विशेष रूप से अधिसूचित मामलों को छोड़कर भारतीय कम्पनियों के समान समझा जाएगा और उनका भावी विस्तार उन्हीं सिद्धान्तों से विनियमित होगा जो भारतीय कम्पनियों पर लागू है।

25 भारत के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी का अधिग्रहण करने की केवल उन्हीं शर्तों पर अनुमति दी जाएगी जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रहित में निश्चित की गई हैं। जिन लक्ष्यों में विदेशी प्रौद्योगिकीय जानकारी की आवश्यकता नहीं है विद्यमान महयोग करारों का पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और ऐसे क्षेत्रों में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों को विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के ढाँचे के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्राथमिकताप्रा के अनुरूप अपने रूप और कार्यन्वयन में संशोधन करना होगा। उच्च मूल्य का मार्गदर्शन करने के लिए सरकार उन उद्योगों की एक सूची जारी करेगी जिनमें विदेशी प्रौद्योगिकी पूरा रूप से विकसित हो जाने के कारण विदेशी सहयोग वित्तीय प्रभवा तकनीकी सहयोग आवश्यक नहीं है।

26 सभी स्वीकृत विदेशी निवेशों के लिए लाभों, रायन्टियों, लाभांशों तथा पूँजी के स्वदेश प्रत्यावर्तन, प्रेषण की पूर्ण स्वतन्त्रता सभी पर लागू नियमों और विनियमों के अन्तर्गत होगी। विद्यमानुसार, स्वामित्व में बहूलाभाज और प्रभावी नियंत्रण भारतीय हाथ में होना चाहिए हालाँकि उच्च निर्यातपरक और प्रभवा जटिल प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में सरकार श्रमव्यवस्था भी कर सकती है। शत-प्रतिशत निर्यात वाले मामलों में सरकार पूरा विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनी पर भी विचार कर सकती है।

विदेशों में संयुक्त उपक्रम

27 भारतीय उद्यमियों द्वारा अनेक विकासमान देशों में स्थानीय सहयोगियों की सहायता से कई संयुक्त उपक्रम स्थापित किए गए हैं। देश के औद्योगिक विकास की विद्यमान स्थिति में, भारत से पर्याप्त पूँजी निर्यात न तो सम्भव होगा और न उचित ही। परन्तु भारतीय उद्यमकर्त्ताओं का विदेशों में संयुक्त उपक्रमों में योगदान मुख्य रूप से सपथ और उपकरणों ड्राइंग तथा तकनीकी जानकारी एवं प्रबन्ध विनियोजन के रूप में किया जा सकेगा। जिन मामलों में इसका अभाव कुछ नकद विनियोजन आवश्यक समझा जाएगा, सरकार इस उद्देश्य के लिए ऐसे विनियोजनों पर निर्धारित न्यूनतम सीमा तक सुरावगुरु के आधार पर विचार करने को तैयार होगी।

आधान उदात्तीकरण

28 देश की औद्योगिक और आर्थिक नीति का सर्वोच्च उद्देश्य आत्मनिर्भरता की प्राप्ति बना रहना चाहिए। हाल में अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में घटी घटनाओं से यह प्रकट हुआ है कि विदेशी भ्रष्टाचार और परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के समाधान की मुख्य शक्ति देश को स्वयं बर्दाश्त करना पड़ना है। परन्तु हमारी

औद्योगिक नीति एवं औद्योगिक आधार तैयार करने के उद्देश्य के अनुरूप पर्याप्त विविधता वाली तथा अधिक सुदृढ़ होनी चाहिए, ताकि वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और सहायता सन्बन्धी दूटनीति में अडिगि बनी रह सके। एक सुदृढ़ और बिकिधीकृत औद्योगिक वस्तुओं के आयातकर्ता, निर्यातकर्ता दोनों ही रूपों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग नहीं लेना चाहिए अथवा लेने की आवश्यकता नहीं है। यह हमें करते रहना होगा। वास्तव में हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति में जो अनुकूल परिवर्तन हुए हैं तथा औद्योगिक क्षेत्र में जो प्रगति हमने की है उससे हमें प्रशुल्को के माध्यम से प्राप्त सरक्षण को बनाए रखते हुए अब आयात के कोटो से और मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्धों से चयनात्मक आधार पर युक्त होने में समर्थ होना चाहिए। किन्तु मात्रा सम्बन्धी आयात नियन्त्रण में ढील हमारी समग्र योजना प्राथमिकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। ऐसी छूट उन क्षेत्रों में होगी जहाँ विद्यमान मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की भावी विकास में सहायता करने की बजाय हानि कर रहे हैं। उदाहरणस्वरूप महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनावश्यक बिलम्ब करके अथवा जहाँ देशी उद्योग इस प्रकार के प्रतिबन्धों का लाभ लागत और मूल्य में अनुचित वृद्धि करके उठा रहे हैं। भारतीय उद्योग को निःसन्देह अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति और प्रौद्योगिकी में सुधार करने के लिए सभी सहायता प्रदान की जाएगी। आज अनेक भारतीय कम्पनियाँ अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने की सफल स्थिति में हैं और अब उन्हें कोटा द्वारा सरक्षण प्राप्त करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।

उत्पादों का निर्यात

29. उत्पादों का निर्यात हमारे निर्यात व्यापार का एक प्रमुख और विकासशील तत्त्व है। सरकार निर्यातपरक उत्पादों की क्षमता ऐसे क्षेत्रों में स्थापित करने के प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी जिनमें अप्रत्यक्ष कराधान के ढाँचे में राहत देने के लिए सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क प्रभारों और इसी प्रकार की अन्य लेवी की व्यवस्था करने के बाद ऐसा द्विनियोजन अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा के योग्य हो। पूर्णतः निर्यातपरक गतिविधियों के प्रकरण में सरकार उन निवेशों पर सीमा शुल्क/उत्पादन शुल्क में राहत देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए भी तैयार होगी बशर्ते कि निर्यात उत्पादों के शुद्ध मूल्य में पर्याप्त वृद्धि हो रही हो तथा साथ ही ऐसे उत्पादन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के और अधिक अवसर बढ़ने की सम्भावना हो।

अनिवार्य निर्यात

30. परियोजनाओं द्वारा अपेक्षित कच्चे माल और पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए भुगतान भावी निर्यात के माध्यम से करना सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर नई प्रौद्योगिकी क्षमता स्थापित करने के लिए स्वीकृति देते समय अनेक मामलों में अनिवार्य निर्यात दायित्व लगाए गए हैं। मात्र परियोजना की विदेशी मुद्रा राशि को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य निर्यात दायित्व पर अब जोर नहीं डाला जाएगा। साथ ही, भविष्य में 5 वर्ष की सीमित अवधि के लिए

निर्यात वचनबद्धता को औद्योगिक लाइसेंस नीति में ढील देने के लिए पहले जैसा महत्त्व नहीं दिया जाएगा। फिर भी, जिन मामलों में विशेष रूप से निर्यात को ध्यान में रखकर औद्योगिक नीति में ढील दी गई है, उनमें अनिवार्य निर्यात दायित्व पर्याप्त लम्बी अवधि तक लगे रहेंगे। विगत समय में जहाँ निर्यात दायित्व लगाए गए थे इस बात को सुनिश्चित करने की ओर कि वचनबद्धता को वस्तुतः पूरा किया जाता है अथवा नहीं, बराबर ध्यान नहीं दिया जाता था। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि अनिवार्य निर्यात दायित्वों को वस्तुतः पूरा किया जाता है पर्यवेक्षण और निगरानी करने वाले तन्त्र को सुदृढ़ बनाने का विचार है।

उद्योगों का स्थापना स्थल

31 सरकार देश में सन्तुलित क्षेत्रीय विकास को बहुत अधिक महत्त्व देती है ताकि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के बीच विकास स्तर की असमानताओं को प्रगामी रूप से कम किया जा सके। सरकार ने इस तथ्य को काफी चिन्तापूर्वक देखा है कि हमारे देश में स्वाधीनता प्राप्ति के बाद अधिकतर औद्योगिक विकास महानगरीय क्षेत्रों और बड़े शहरों में आस-पास ही सीमित रहा है। इसके फलस्वरूप लोगों की विशेष करके बड़े शहरों में काम करने वाले वर्ग के रहन-सहन की स्थिति में तथा स्लमों और वातावरण प्रदूषण आदि की उपस्थिति स्थिति में तत्ती से गिरावट आई है। सरकार ने निश्चय किया है कि सन् 1971 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक ही आबादी वाले बड़े महानगरों की कुछ निश्चित सीमाओं और 5 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए और अधिक लाइसेंस जारी नहीं किए जाने चाहिए। राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थानों से भी इन क्षेत्रों में उन नए उद्योगों की जिन्हें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होनी स्थापित करने में समर्थन देने का प्रयत्न किया जाएगा। भारत सरकार अपनी आबादी वाले महानगरों में स्वीकृत पिछड़े क्षेत्रों में अपना उद्योग स्थानान्तरित करने के दृष्टिकोण विद्यमान बड़े उद्योगों को सहायता देने पर भी विचार करेगी।

मूल्य निर्धारण नीति

32 एक सुदृढ़ मूल्य नीति का उद्देश्य मूल्यों में उचित अथवा तब स्थिरता रखना और दृष्टि तथा औद्योगिक उत्पादों के बीच उचित समता बनाए रखना होता है। औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों का विनियमन इस प्रकार करने की प्रवृत्ति रही है कि विकास की जल्दता वाले उत्पादों के मूल्य इस ढंग से निर्धारित किए जाते रहें हैं कि सम्पूर्ण वर्ष की आवश्यकता पूरी करने वाली वस्तुओं के निर्माण की अपेक्षा जल्दता वाली वस्तुओं का उत्पादन कम प्राकर्षक हो गया। यह सुनिश्चय करना सरकार की नीति होगी कि जिन प्रकरणों में मूल्य नियन्त्रण होगा नियन्त्रित मूल्य में निवेशकर्ता को पर्याप्त लाभ प्राप्त हो सके। यह भी प्रावधान है कि जो उद्योग अपनी क्षमता का कारी प्रमाण उपयोग कर रहे हैं तथा औद्योगिकीय दृष्टि से प्राप्त्य प्रतिमानों के अनुसार हैं, उन्हें पर्याप्त लाभ बमाने की अनुमति होगी, ताकि वे अशुभारियों को समुचित लाभ दे सकें और प्राधुनिकरण और वृद्धि के लिए पुनर्निर्माण हेतु राशि

अर्जित कर सकें। उसके साथ ही सरकार उन उद्योगों को काफी लाभ कमाने की अनुमति नहीं देगी जो अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं अथवा जो एक-एक अधिकारी परिवेश में काम कर रहे हैं।

कर्मचारियों की सहभागिता

33 किसी देश का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एकमात्र स्रोत उसकी जनता की कुशलता और परिश्रम है। हमारे भारतवर्ष में परिश्रम का सम्भरण पर्याप्त है जो शीघ्र ही नवीन प्रवीणता प्राप्त करने में सक्षम है तथा तकनीकी और प्रबन्धकीय कार्मिकों का भण्डार है। इन स्रोतों का ऐसे परिवेश में प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है जिसमें कारीगरों तथा प्रबन्धकों में उपक्रम के काम में अपनेपन की भावना हो। व्यापार पर परिवारों का नियन्त्रण विशेष रूप से बड़े पैमाने के उद्योगों में एक कालदोष है, सरकार की यह नीति रहेगी कि वह प्रबन्ध में व्यावसायिकता पर जोर देगी। साथ ही सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के कारीगर अपने एक-एक को कुशलतापूर्वक चलाने में पूर्ण दम लगा दें। इस भावना का उनमें निर्माण करने के लिए साधन और उपाय ढूँढने होंगे। सरदार औद्योगिक ठाकों की अंशपूर्जी (इक्विटी) में सहभागिता और वंशशाला स्तर से बोर्ड स्तर तक कारीगरों का निर्णय करने में सहबद्ध होना उद्योग में कारीगरों की सार्थक सहभागिता के लिए एक आवश्यक परिवेश का निर्माण कर सकेगा।

उद्योगों में सकट

34 हाल के वर्षों में उद्योगों में औद्योगिक क्षेत्र में बड़े और छोटे दोनों प्रकार के एक-एक में सकटग्रस्तता की घटनाओं की बढ़ती हुई प्रवृत्ति नजर आई है जो उद्दिग्न करने वाली है। कुछ प्रकरणों में जैसे सूती और जूट वस्त्र या चीनी उद्योग में तो उद्योग का बहुलाभांश सकटग्रस्त हुआ है, परिष्कामन सरकार को रोजगार की स्थिति मुट्ठ बनाए रखने के लिए बहुत से ऐसे एक-एक को अपने हाथ में लेना पड़ा है। सरकार इस प्रकार के विद्यमान रोजगारों की सुरक्षा की आवश्यकता की अपेक्षा नहीं कर सकती है साथ ही ऐसे रोजगारों के बनाए रखने के व्यय को भी नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है। अनेक प्रकरणों में तो जनता के रुपये की बड़ी राशि सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए गए सकटग्रस्त एक-एक में लगानी पड़ी है फिर भी उनमें हानि होती रही है जिसकी पूति सरकारी राजकोष से करनी पड़ती है।

35 भविष्य में सरकार एक-एक की चयनात्मक आधार पर तथा उन्हें पुन जीवित करने के लिए आवश्यक कदमों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही अपने हाथ में लेगी। एक-एक को पुन स्थापित करने तथा उनका पुन निर्माण करने के लिए सप्रभावी कदम शीघ्र उठाना तथा ऐसे एक-एक का निरन्तर आधार पर व्यावसायिक प्रबन्ध निश्चित करना भी सरकार की नीति रहेगी। यदि उद्योग की संकटग्रस्तता में बचने की लागत उस हालत में बड़ी ही मुकर हो जाती है। इस हेतु सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के सहयोग से औद्योगिक एक-एक की प्रारम्भिक सकटग्रस्तता का पता लगाने के लिए प्रबन्ध किए हैं, जिससे कि प्रबन्धकीय या वित्तीय अथवा

नकनीची कमजोरी के पता चलते ही सुधार के उपाय किए जा सकें। सरकार ऐसे ग्रन्थुपायो पर भी विचार कर रही है जिसके द्वारा ऐसे प्रबन्धको या मालिको को जो किसी एकक को सकटयस्त बनाने के लिए जिम्मेदार हैं ग्रन्थ एकको में ऐसी भूमिका ग्रदा करने से रोका जा सके।

प्रक्रिया का सुप्रवाही बनाना

36 सरकार के प्रयत्न रहेगे कि वह औद्योगिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया में आने वाली असुविधाएँ जो औद्योगिक विकास की बाधाएँ हैं उन्हें हटाएगी। क्योंकि इस कार्य में देरी होने का देश को बहुत मूल्य चुकाना पडता है। हमारा देश जो स्वयं अपने काय में लगने को कटिबद्ध हो रहा है देरी सहन नहीं कर सकता है। जल्दी का रास्ता ही हमारा नारा है, प्रशासकीय प्रबन्ध को सुधारने का प्रत्यक्ष उपाय किया जाएगा तब मात्र गतिवान और सु-परिचित स्वीकृति प्रक्रिया ही न हो बल्कि आशय पत्र और औद्योगिक लाइसेंसो के परिणाम उत्पादन के रूप में सामने आएँ। औद्योगिक लाइसेंसोकरण तथा आयात निर्यात की प्रक्रिया और नीति को सुप्रवाही तथा सरल बनाने के लिए सरकार न एक उच्चस्तरीय समिति की स्थापना की है जो अपना प्रतिवेदन शीघ्र ही प्रस्तुत करेगी।

निष्कर्ष

37 औद्योगिक विकास एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए प्रभावी पारस्परिक वायवाहियों और समाज के सभी वर्गों के सहयोग की आवश्यकता पडती है। यदि नई औद्योगिक नीति में, औद्योगिक वृद्धि की गति को बढ़ाना, रोजगार के स्तर, उत्पादकता और औद्योगिक कारीगरो की प्राय में तीव्र वृद्धि के उद्देश्यों को प्राप्त करना है और लघु और शो-इन्डस्ट्री का निस्तृत विनयाच करना है तो औद्योगिक कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों, प्रबन्धको, उद्यमियों, वित्तीय संस्थानों और सहायता योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों का स्वेच्छापूर्ण सहयोग आवश्यक है। प्रयत्न मुख्यतया प्रबन्धका और औद्योगिक कर्मचारियों की ओर से किए जाने हैं वे प्रवीणता और कुशलता की दृष्टि से किसी से कम नहीं हैं। सरकार इन सभी वर्गों से गम्भीरतापूर्वक निवेदन करना चाहती है कि वे समर्पण की भावना से एकजुट हाकर इस राष्ट्रीय हित के कार्य में लग जाएँ। अपनी प्रवीणता और अपने प्रयत्नों में ही हम अपने देश की बहुतरुणक समस्याओं का समाधान कर सकत हैं।

38 1977 का वर्ष गतिहासिक परिवर्तन का वर्ष रहा है। राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में जनता की आशा आकांक्षाएँ महान हैं। देश की औद्योगिक नीति को जो नवीन दिशा प्रदान की गई है इससे आशा की जाती है कि एक ऐसे निष्पक्ष और समान समाज का निर्माण करने में मदद करेगी जिसमें औद्योगिक विकास के लाभ समस्त जनता को प्राप्त हो सकें।

नई आर्थिक नीति किसके हित में?¹

जनता पार्टी की आर्थिक नीति क्या है, इसकी दशा क्या है और वह किन वर्गों पर आधारित है, किन नए वर्गों को संगठित करके जनता पार्टी अपना राजनीतिक आधार बनाना चाहती है। ये सब महत्वपूर्ण सवाल हैं, लेकिन इनका निष्पत्त्यात्मक उत्तर देना कठिन है, क्योंकि जनता पार्टी की स्वयं की रूपरेखा अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। यह कहना अस्वाभाव्य नहीं होगा कि उसका जन्म नकारात्मक उद्देश्यों को लेकर हुआ। जन्म समय से उसका उद्देश्य था कि अधिनायकवादी रुझान वाले शासन और राजनीति को समाप्त करना। अधिनायकत्व विरोध को एक सकारात्मक और व्यापक आर्थिक दर्शन का रूप जनता पार्टी अभी नहीं दे पायी है।

आपातकाल की विकृतियों के कारण जो समस्याएँ पैदा हुईं उन्होंने सभी वर्गों का प्रभावित किया था। लगभग सभी वर्ग कांग्रेस से हट हो गए थे। इस पृष्ठभूमि में जनता पार्टी का जन्म हुआ, उसकी सरकार भी बन गई, लेकिन आर्थिक नीति निरूपित होने में पूरे 8 महीने लग गए। नवम्बर में या उसके बाद जो आर्थिक नीति सम्बन्धी बयान प्रकाश में आए हैं वे परस्पर विरोधी विचारधाराओं के सामंजस्य के रूप में या समझौतावादी बक्तव्य के रूप में देखे जा सकते हैं।

आर्थिक नीति के दो पहलू होते हैं। एक तो ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिन्हें तात्कालिक रूप से लागू करना आवश्यक होता है क्योंकि कुछ समस्याएँ तात्कालिक होती हैं। उदाहरण के लिए महँगाई कैसे कम करें, उत्पादन किन प्रकार बढ़ाया जाए कि देश आत्मनिर्भर बने और जहरत की चीजें बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो और अजित घास का वितरण किस तरह हो। 30 वर्ष के अनुभव से यह स्पष्ट हो गया है कि कुछ चीजें हर पार्टी करना चाहेगी, चाहे वह वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो या मध्यमार्गी हो, तात्कालिक समस्याओं से निपटने के लिए कुछ काम उसे करने ही होंगे और वे लगभग एक जैसे होंगे। उन्हें हम राष्ट्रीय नीति या नीतियाँ कह सकते हैं जिन्हे सारे राष्ट्र का समर्थन प्राप्त होना चाहिए।

कुछ समस्याएँ दीर्घकालिक होती हैं, जैसे, विकास की दिशा क्या हो, समाज का ढाँचा पूंजीवाद की दिशा में होगा या समाजवादी। हमारा समाज मुख्यतः औद्योगिक समाज होगा या खेती प्रधान ही बना रहेगा। हम अपनी अर्थरचना को नगरोन्मुख बनाना चाहते हैं या ग्रामोन्मुख ही रखना चाहते हैं, बड़े और छोटे उद्योगों में कैसे मजदूरी होगी, खेती किस तरह की होगी, फार्मों का आकार क्या होगा, और

1 डॉ. सुरपचन्द्र जोशी, आर्थिक विकास सत्यान, दिल्ली (द्वितीय, नवम्बर, 1978)।

कैसी शौचोगिकी अपनाई जाएगी? इन प्रश्नों पर प्रायः मतभेद होता है। जनता पार्टी में भी तरह-तरह के रुझान मौजूद हैं। एक वर्ग पुरानी कांग्रेस की नीतियों से भिन्न नहीं है। भिन्नता केवल नीतियों के कार्यान्वयन में है। जो लोग जनसभ में थे, उनकी सोची हुई आर्थिक नीति अधिक स्पष्ट नहीं रही है—अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि उनका समाजवादी विचारधारा से भेद नहीं है। जयप्रकाश नारायण से प्रेरित गांधीवादी समाजवादी लोग भी जनता पार्टी में हैं जो पश्चिम के औद्योगिक समाज की धारणा के पोषक नहीं हैं और जो एक समय क्रान्ति के आकांक्षी और समर्थक हैं। लेकिन समय क्रान्ति के सिद्धान्त को भी ठोस आर्थिक दर्शन की दिशा अभी जयप्रकाश जी और उनके समर्थक नहीं दे पाए हैं। इनके अलावा जनता पार्टी में एक वर्ग समाजवादियों का भी है जो समाजवाद के सिद्धान्तों को भारतीय परिस्थितियों में लागू करने के इच्छुक तो हैं, लेकिन उनके प्रयासों में भी ठोस रूप नहीं लिया है। इन सब विचारधाराओं में जनता पार्टी के भीतर सगन्ध की कोशिश तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन अभी एकरसता पैदा नहीं हुई है। इन अन्तर्विरोधों का समाधान कैसे होगा, यह भविष्य ही बताएगा।

आर्थिक नीति को ऐतिहासिक सदर्भ में देखने की भी आवश्यकता है। इसके लिए जनता पार्टी किन राजनीतिक, सामाजिक सदर्भों में पैदा हुई है, इसका विश्लेषण भी जरूरी है। पिछले आम चुनाव के बाद एक नए युग का, यानी जनता युग का उदय हुआ है। मैं इस युग को और जनता पार्टी को पूर्ण रूप से एक नहीं मानता। यह एक भी है और अलग-अलग भी है और इन दोनों में विरोध भी है। जनता युग के नए उभार के साथ जो आकांक्षाएँ, प्रेरणाएँ और सम्भावना जुड़ी हुई हैं उनमें और जनता पार्टी के ढाँचे में एक जबरदस्त अन्तर्विरोध भी है। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा और अथशास्त्र की कुछ धारणाओं को कसौटी पर विकासशील देशों की सरकारों के चरित्र का अध्ययन करना होगा। दूसरे विश्वयुद्ध में उपनिवेशवाद का अन्त के साथ तीसरी दुनियाँ के देशों में जो शासनतन्त्र सत्ता में आए उनमें विविधता रही है। चीन, वियतनाम और क्यूबा जैसे देशों में पूर्णरूपेण क्रान्तिकारी सरकारें स्थापित हुईं। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देशों में दक्षिणपंथी सरकारें आईं। भारत में जो सरकार बनी उसे दरम्यानी शासन व्यवस्था (इंटरमीडिएट रेजीम) कहा जा सकता है। भारत में जो सरकार बनी उसकी शक्ति का स्रोत एक ही वर्ग नहीं था—न वह शुद्ध उच्चवर्ग से शक्ति प्राप्त करती थी और न अकेले निम्नवर्ग से। कहा जा सकता है कि वह मध्यवर्ग की और दरम्यानी प्रवृत्तियों की सरकार थी। अन्त दरम्यानी कांग्रेस ने चुने हुए क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण किया और निजी क्षेत्रों को भी बड़ने का मौका दिया। उसने मिश्रित अर्थ-व्यवस्था, ससदीय योजनाएँ, मुक्त समाज, व्यापारिक राज्य पर घास्था व्यवस्था की और बीच का रास्ता अपनाया। उसने कहा कि पुराने तबकों, बड़े व्यापारियों और जमींदारों को खत्म नहीं करेंगे और उनकी पूरी सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। अन्त मध्यवर्गों भूमि सुधार कार्यक्रम अपनाया गया। अन्य क्षेत्रों में भी एक सतुलन बनाने की कोशिश की गई। श्री नेहरू और श्रीमती गांधी की सरकारें ऐसी ही थीं।

उनका सक्क यह था कि वे न तो ऊपरी वर्गों को पूरी तरह सन्तुष्ट कर पाईं और न नीचे वाले वर्गों को ही। सम्पन्न वर्ग नाराज था कि उसके स्वार्थों पर चोट होती है, लेकिन नीचे वाले वर्ग भी परेशान थे कि जितना सुधार वे करना चाहते थे, वह भी नहीं हो पाया। उदाहरणतः भूमि सुधारों से बहुत कम जमीन का बंटवारा हुआ। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भूमि सुधार एक मायने में कामयाब ही नहीं हुए। भूमि सुधार की घोषणा से जमींदार और किसानों के बीच परम्परागत भाईचारे पर आधारित सम्बन्ध (जमींदार गरीबों को अपनी प्रजा समझ कर थोड़ा बहुत सरक्षण देते थे और बदले में काश्तकार उनकी सेवा टहल करते थे) टूट गए। इस तरह पुरानी सुरक्षा चली गई, लेकिन नई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हुई—न तो गरीब किसान और खेतिहर मजदूर को जमीन मिली और न ही नई सुरक्षा व्यवस्था बनी। पुराने कर्ज माफ करने और बधुआ मजदूरों की मुक्ति सम्बन्धी कानून और घोषणाओं में भी कर्ज देने और लेने वालों के बीच तनाव तो पैदा हो गया लेकिन जरूरतमंदों को न तो नए कर्ज मिले और न नया रोजगार हो। दूसरी तरफ जमींदार और साहूकार इसलिए नाराज हो गए कि उनकी पुरानी शोषण व्यवस्था पर चोट हो रही थी। उन्हें डर हो गया कि कांग्रेस सरकार उनकी हस्ती ही मिटा देना चाहती है। वे भयंकर रूप में कांग्रेस-विरोधी हो गए। इसी तरह जब कांग्रेस ने कहा कि वह निजी व्यापार अपने हाथ में ले लेगी या खुद मूल्यों का निर्धारण करेगी, तो व्यापारी वर्ग भी नाराज हो गया। उसने बदला लेने के लिए बार-बार कृत्रिम अभाव की स्थिति पैदा करने की कोशिश की। शहरी उपभोक्ता और गरीब किसान इसलिए दुखी और नाराज थे कि बाजिब दाम पर चीजें गुलब होने की कोई व्यवस्था नहीं हुई। संक्षेप में कांग्रेस की नीतियों और परिस्थितियों ने मिलकर ऐसे परिणाम उत्पन्न किए कि ऊपर और नीचे के तत्त्वों में कांग्रेस का समर्थन घटने लगा। आंदोलनों की और चेंबेर्टा के डीलपन और राजनीतिक मनोबल के अभाव ने वह परिस्थिति पैदा की जिसे अंग्रेजी में बैकलैश कहते हैं, यानी लहर का पीछे पलटना। मेरी अपराध से आपात्कालीन स्थिति की घोषणा इसी पृष्ठभूमि में हुई, क्योंकि देश में लोकतन्त्रीय ढांचा सभी वर्गों के धोरणसन्तोष के कारण चरमराने लग चुका था। कांग्रेस का शासन डगमगा रहा था। इसी परिस्थिति में अपने डगमगाते शासन की स्थिरता के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी के गुट ने आपात्स्थिति की घोषणा की।

यह ममभना गलत होगा कि आपात्स्थिति के कारण ही देश में राजनीति सक्क पैदा हुआ। वह तो आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप पहले ही आ चुका था। आपात्स्थिति ने उसे विस्फोटक रूप दे दिया।

आपात् स्थिति के प्रति विरोध ने जिन राजनीतिक तत्त्वों और प्रवृत्तियों जन्म दिया वे एक साथ ही अग्रगामी हैं और प्रतिगामी भी। इस धारा में वे लोग हैं जो आर्थिक विकास और पुरानी अर्थरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया को त्वरित करना चाहते हैं। जैसे जयप्रकाश जी का नेतृत्व स्वीकार करने वाले तत्त्व या पुराने समाजवादी और वामपंथी नेहरूवादी कांग्रेसी, लेकिन उसमें ऐसे व्यक्ति और तत्त्व

भी मौजूद है जो उन सुधारों को भी स्वीकार नहीं करते जिन्हें कांग्रेस ने अपने प्रस्तावों में जगह दी थी, भले ही उन्हें कार्यरूप में परिणत न किया हो। जनता पार्टी की अर्थनीति इन दो परस्पर विरोधी तत्वों और प्रवृत्तियों के तनाव से मुक्त नहीं है। दूसरे शब्दों में, जो कहिए कि जिन भावनाओं, आकांक्षाओं और प्रेरणाओं से संचालित होकर जनता ने पिछले चुनाव में कांग्रेस को पराजित करके जनता पार्टी को सत्तारूढ़ किया है वे एक ऐसे राजनीतिक सन्तुलन को जन्म देने में सफल नहीं हुईं जिनमें उनकी पूर्ति हो सके। इस दृष्टि से जनता पार्टी को एक सक्रमणात्मक (ट्रांजिशनल) सन्तुलन मानना ही ठीक होगा—एक स्थिर और गत्यात्मक सन्तुलन नहीं, जो विकास और परिवर्तन को आगे बढ़ा सकता है।

चूंकि विशाल मेहनतकश जनता की विद्रोही और समाज परिवर्तन की आकांक्षा और प्रेरणा के कारण जनता पार्टी सत्ता में आई है, इसलिए उसे जनता का समर्थन बनाए रखने के लिए एक ऐसा अग्रगामी कार्यक्रम उपस्थित करना ही होगा जो कांग्रेस के अधकचरे कार्यक्रम से कहीं आगे हो। एक ओर यह तर्काजा है तो दूसरी ओर भूमि सुधार विरोधी स्वतन्त्र पार्टी तथा ग्रन्थ गुटों के लोग भी जनता पार्टी में जमा हो गए हैं। जनता पार्टी अग्रगामी और प्रतिगामी तत्वों तथा प्रेरणाओं को एक साथ कैसे निभा पाएगी। यह पार्टी के नेतृत्व की सबसे बड़ी चुनौती है। एक ही पार्टी में भूमिहीन मजदूर, गरीब किसान, अमीर किसान और जमींदारों के प्रतिनिधि किस प्रकार एक सयुक्त कार्यक्रम स्वीकार कर पाएंगे। यह वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है। जनता पार्टी की आर्थिक नीति के वक्तव्य में इसी समस्या से जूझने की कोशिश की है।

देश की अधिकांश जनता गांवों में रहती है और यह जरूरी है कि जनता पार्टी गांवों की जनता का समर्थन प्राप्त किए रहे। जनता पार्टी के नेताओं ने इसका रास्ता यह निकाला है कि गांवों के अन्तर्गत सयों और अन्तर्विरोधों को, जिनसे टकराव और विघटन पैदा होता है, अभी न छुड़ा जाए, बल्कि ऐसे प्रश्नों को उठाया जाए कि जिन पर गांवों की अधिकांश जनता एकमत हा सके। इसलिए जनता पार्टी ने शहरो और गांवों के अन्तर्विरोध को प्रमुखता दी है और ग्रामीण जनता के असन्तोष को स्थानीय शासकों के विरुद्ध मोड़ा है। इसमें सन्देह नहीं कि विदेशी शासकों और कांग्रेस की नीतियों के कारण भारत में शहर और गांवों के बीच की खाई अधिवाधिक चौड़ी होती रही है। गांवों के गरीब और अमीर में जो अन्तर है उसने मुकाबले गांवों और शहरों के अमीरों के बीच बहुत अधिक अन्तर है। इसलिए देश के घने भागों में गांवों की जनता के असन्तोष को किसी हद तक शहरों के विरोध में मोड़ा जा सकता है। गांवों के घनी वर्ग स्थानीय जनता के असन्तोष को यह तर्करा दूसरी दिशा दे सकती है कि देश की खुपटाली या अधिकतर हिस्सा शहरों के निवासियों और विशेषकर शहर के धनिकों की सुख सुविधा और भोगवितास में मगल दिया जाना है। गांवों की न सिर्फ उपेक्षा की जाती है बल्कि जी-तोड़ मेहनत करके पाए जाने अपनी धामदानी छोड़ी बहुत जो बढ़ाने की कोशिश

करते हैं उसे भी शहर के लोग देश के विकास के नाम पर करो आदि के द्वारा हड़प लेना चाहते हैं। वह ग्रामीण जनता से यह भी कह सकते हैं कि शहर वाले हम गाँव वालों को आपस में भी लड़ाना चाहते हैं, जिससे कि हम में एकता न रहे। हमें लड़ाकर सदियों से हमारा शोषण किया जा सकता है। गाँवों में पीने के लिए कीटाणुरहित स्वच्छ पानी की भी कमी है लेकिन ऐशोघाराम के सभी साधन शहरों में उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए बिजली, साफ पानी, मोटर कार, हवाई जहाज, होटल, नए मकान, टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर आदि सभी चीजें तो वहाँ हैं। धनी किसान यह भी कहते हैं कि शहरों के मामूली प्रोफेसर और वकील को थोड़ा सा काम करके जो तनख्वाह या उजरत मिलती है उसका एक चौथाई हिस्सा भी किसान और उसके बेटों को दिन रात, ब्रूप, बरसात, जाड़े में जी-तोड़ मेहनत करने पर भी नहीं मिलता। संक्षेप में ग्राम और नगर का अन्तर्विरोध इतना दुनियादी और अवलम्ब है कि इसे उभार कर जनता पार्टी चाहे तो कुछ समय तक गाँवों के अन्तर्विरोधों को दबाने और भूमि मुधार जैसे कार्यक्रमों को टालने में कई जगह अवश्य सफल हो सकती है।

इस सन्दर्भ में जनता पार्टी के अन्दर जो अग्रगामी तत्त्व हैं उन्हें 'ग्राम नगर अन्तर्विरोध' के प्रश्न को गरीब ग्रामीणों के सांस्थानिक परिवर्तन से जोड़ने में राजनीतिक दक्षता और संगठन शक्ति का परिचय देना पड़ेगा।

ग्राम नगर अन्तर्विरोध की विचारधारा और राजनीति के दोनों ही पहलू हैं—अग्रगामी भी और प्रतिगामी भी। अगर गाँवों के विकास को प्राथमिकता मिले तो यह देश के हित में होगा, लेकिन देखना यह है कि गाँवों के विकास के नाम पर गाँवों के भीतर सुख सुविधा का प्रसार सभी वर्गों के लिए होता है या केवल ऊपरी या मध्य वर्ग के लिए। यदि 'ग्राम को प्राथमिकता दो' का नारा गाँवों की मेहनतकश जनता की दुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता तो गाँवों के केवल मुट्ठी भर लोगों का ही फायदा होगा, इसलिए ग्राम और नगर के अन्तर्विरोध का नारा इन्दिरा गाँधी के 'गरीबी हटाओ' नारे के मुकाबले अधिक चतुराई से भरा हुआ नारा है क्योंकि यह भी अमीर-गरीब के मवाल का तीक्ष्ण कुन्द कर देता।

'ग्रामों को प्राथमिकता दो' के साथ 'खेती का प्राथमिकता दो' का भी नारा जुड़ा हुआ है। इस नारे में भी बड़ी चतुराई है। यह नारा विकास के प्रश्न को वर्गहीन या वर्गनिरपेक्ष रूप में प्रस्तुत करता है। प्राथमिकता छोटे किसानों को दो, या बड़े किसानों का, काश्तकार का, या भूमिधर को, भूमिहीन को दो हाँ भूमिहीनों के मालिकों का, ये सभी सवाल 'खेती को प्राथमिकता दो' के कुहासे में ढक जाते हैं। खेती के विकास के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल हो? वह ट्रैक्टर और ट्र्यूबवेल का ही रूप ले, जिसे बड़े भूमिधर और किसान ही उपयोग में ला सकते हैं, या ऐसी सिंचाई व्यवस्था हो तथा ऐसे औजारों का निर्माण हो जिनका इस्तेमाल गरीब किसान भी कर सके, ये प्रश्न वर्गनिरपेक्ष योजना से नहीं सुलभते। इन्हें तो साफ तौर पर और स्पष्ट रूप से शोषित वर्गों के हित में उठाना ही पड़ेगा।

जैसा कि जनता पार्टी कहती है, यह सही है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए, लेकिन विकेन्द्रीकरण वग्निरपेक्ष रूप ले सकता है जिससे वर्तमान निहित स्वार्थों का ही लाभ हो या ऐसा रूप ले सकता है जिससे मेहनतकशों का फायदा हो। विकेन्द्रीकरण को आर्थिक परिवर्तन के साथ जोड़ा न गया हो तो विकेन्द्रीकरण निहित स्वार्थों का ही साधन बनेगा।

यह जनता पार्टी की आर्थिक नीति की खूबी है कि उसने उसे ऐसा वग्निरपेक्ष रूप देने की कोशिश की है जिससे वह सभी वर्गों में यह आशा (या भ्रान्ति) पैदा कर सके कि वह उन्हीं के विशेष हित में है। यह जनता पार्टी के अग्रगामी तत्वों का नर्तक्य होगा कि वे वग्निरपेक्षता के इस कुहासे को भेदकर आर्थिक नीतियों को कमजोर वर्गों के हित से जोड़े।

जनता पार्टी ने एक दूसरा नया मोड़ जो अर्थनीति को दिया है वह है खेती के मुकाबले औद्योगीकरण में बंधी। दूधे उद्योगों के मुकाबले छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों के विकास की बवालत की गई है। यह गारा भी एक साथ अग्रगामी भी हो सकता है और प्रतिगामी भी। एशियाई देशों में जहाँ विपुल जन-शक्ति का अभी उपयोग नहीं हो रहा है वहाँ अल्पधुन्ध मशीन का उपयोग जनता की गरीबी को बढ़ाएगा। इसलिए जरूरी है कि भारत की परिस्थितियों के अनुरूप जन-शक्ति के इस्तेमान की दृष्टि से औद्योगीकरण की एक नई दिशा दी जाए। जनता पार्टी के कुछ तत्वों का यह रुझान अवश्य विचारणीय है, लेकिन हमका यह मतलब नहीं कि भारत को खेतिहर देश ही बने रहना चाहिए। इस रुझान को यदि अपनाया गया तो भारत के लाखों शिक्षित स्नातकों की सरकारी नौकरी के अलावा न तो कोई और रोजगार मिलेगा और न तेजो से बढ़ती आवादी से उत्पन्न विकट समस्याओं का कारण खेती का ही विकास हो पाएगा। आधुनिक अर्थ-विज्ञान बताता है कि खेती का ही और आधुनिकीकरण दोनों का चोली दामन का सम्बन्ध है। प्रगतिद्वि अर्थशास्त्री आस्कर लॉरे ने यहाँ तक कहा है कि "मेरी परिभाषा के अनुसार औद्योगिक रूप से विकसित देश वही है जहाँ खेती का पूर्ण रूप से विकास हुआ हो।"

शिक्षा की मिसाल लीजिए गाँवों में शिक्षा की बंधी है। इसे दूर करने के लिए एक व्यापक प्रगतिशील और निरक्षरता निवारण आन्दोलन शुरू किया जा सकता है, जिससे अधिनाश जनता प्रगतिशील के अग्रगण्य से ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़े। लेकिन अगर शिक्षा प्रसार के नाम पर उच्च शिक्षा के ही सम्भाल गाँवों में भी खोले गए तो वे प्रगतिशील के सागर में कुछ चमकते हुए टापुओं की तरह नजर आएँगे।

जनता पार्टी की अर्थनीति में औद्योगीकरण की दिशा का स्पष्ट संकेत नहीं है। जिन व्यक्ति का जैसा रुझान हो वह इस उद्योग नीति की उमी रणों में व्याख्या कर सकता है। अग्रगामी विचारों के लोग यदि उसे औद्योगीकरण की नई दिशा समझेंगे तो प्रतिगामी विचारों के लोग औद्योगीकरण की रणार को अग्रगण्य करने का प्रयास करते हैं। "जाकी रहीं, भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।"

उद्योग नीति वक्तव्य एक ओर जब यह कहता है कि आर्थिक विकास की दर 7 प्रतिशत सालाना होगी तब औद्योगीकरण के बारे में आशा पैदा होनी है लेकिन दूसरी ओर देश के अन्दर वित्तीय साधनों के संग्रह को उचित महत्व न देकर यह वक्तव्य इस आशा को ठोस आधार से वंचित कर देता है।

जनता पार्टी ने छोटे उद्योगों की बात बड़े जोर से उठाई है। लेकिन उन कारणों पर तनिक ध्यान नहीं दिया है जिनकी वजह से उनके विकास के लिए कांग्रेस द्वारा किए गए प्रयत्न नाकामयाब साबित हुए थे। उसने यह भी नहीं माना है कि बहुत से उद्यम जो छोटे उद्योगों के रूप में पजीकृत हुए हैं बड़े उद्योग समूहों की ही शाखाएँ मात्र हैं। जैसे जूतों के अनेक कारखाने, साथ ही कई बार रोजगार के अवसर बढ़ाने के नाम पर गैर आर्थिक उद्योगों की स्थापना होती है। जैसे चीन में घर-घर में लोहा चलाने की भट्टियाँ बनाई गईं, जिन्हें बाद में तोड़ देना पड़ा।

जिन्हीं भी आर्थिक व्यवस्था के संचालन के लिए ऐसे तत्वों की आवश्यकता है जो नैतिक रूप से स्वस्थ और 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' मन्त्र से वास्तव में जुड़े हों। कांग्रेस शासन के विरुद्ध असन्तोष के मुख्य कारणों में अर्थ-सत्ता के केन्द्रीकरण से पैदा हुआ भ्रष्टाचार और नैतिक पतन था। नौकरशाही और राजनीतिक पार्टियों के भ्रष्ट तत्वों के अनाचार के विरुद्ध जनता के सुनगते असन्तोष को जयप्रकाश और नेताओं के सिंहनाद ने एक नई दिशा दी। भ्रष्टाचार निवारण की इस व्यापक भावना का प्रकाशन भी जनता युग में हुआ है और इसके कारण जनता पार्टी को व्यापक जन-समर्थन भी मिला है। जिन नए उपायों को अपनाकर जनता पार्टी एक नैतिक पुनर्जागरण की ओर बढ़ेगी जो आर्थिक विकास की एक अनिवार्य शर्त है, यह अभी स्पष्ट नहीं है। इस समस्या का यह पहलू सम्पत्ति और असम्पत्तता के विकेन्द्रीकरण से जुड़ा है तो दूसरा पहलू केवल भौतिक प्रोत्साहनों से हट कर नैतिक प्रोत्साहनों (इन सेंटिब्ल्स) से जुड़ा है, यह प्रश्न पाश्चात्य समाज के 'कनज्यूमरिज्म' यानी उपयोग की संस्कृति के स्थान पर नई सांस्कृतिक मान्यताओं के सृजन से भी जुड़ा है। जनता पार्टी के कुछ नेता तो इस प्रश्न को उठाने हैं, लेकिन क्या जनता पार्टी इसमें जाग्रदृक् है ?

पिछड़े हुए देशों में आर्थिक विकास के प्रश्न राजनीतिक ताकतों के लिए जबरजस्त चुनौती प्रस्तुत करने हैं। लोकतन्त्रीय ढाँचे के अन्दर यह चुनौती और भी गम्भीर हो जाती है। आर्थिक विकास सभी वर्गों पर बोझ डालता है। लेकिन लोकतन्त्रीय व्यवस्था सभी वर्गों को खुश करने के सिद्धान्त पर चलती है। इस दृष्टि से राजनीतिक दल के अल्पकालिक हितों और देश के विकास के दीर्घकालिक हितों में टकराव पैदा हो जाता है। कांग्रेस पार्टी इसी टकराव के कारण आर्थिक विकास को गति देने में असफल रही या आंशिक रूप से ही सफल रही। क्या जनता पार्टी जो लोकतन्त्रीय उफान की ही देन है, आर्थिक विकास की कठिन चुनौतियों से जूझ जाएगी ?

Appendix—3

जनसंख्या 1971 लक्ष्य एक दृष्टि से¹

भारत की जनसंख्या	कुल	54 80 करोड़
	पुरुष	28 40 करोड़
	स्त्रियाँ	26 40 करोड़
दशवार्षिक वृद्धि (1961-71)	24 80 %	
जन-घनत्व ²	178 प्रति वर्ग कि. मी.	
स्त्री-पुरुष अनुपात	930 स्त्रियाँ प्रति 1000 पुरुष	
साक्षरता दर (0-4 आयु वर्ग मिलाकर)	व्यक्ति	29 45 %
	पुरुष	39 45 %
	स्त्रियाँ	18 70 %
कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात	19 91 प्रतिशत	
कुल जनसंख्या में कामगारों का प्रतिशत (केवल मुख्य घग्घा)	व्यक्ति	32 92
	पुरुष	52 50
	स्त्रियाँ	11 85
कामगारों के वर्ग	कुल कामगारों का प्रतिशत	
(1) कार्तकार	कुल	43 34
	पुरुष	38 20
	स्त्रियाँ	5 14
(2) नृपि मजदूर	कुल	26 33
	पुरुष	17 57
	स्त्रियाँ	8 76

1 India 1975, pp 16-17

2 घग्घा जम्मू और कश्मीर के बाहर छोड़कर निराना गया है क्योंकि वृद्ध विराम रेखा के उत्तर पार के बाँधने अनन्य नहीं है।

(3) पशुधन, वन, मत्स्य पालन, शिकार और बागान, फ न उद्यान तथा मम्बद्ध धन्वे	कुल	2.38	
	पुरुष	1.95	
	स्त्रियाँ	0.43	
(4) खनन और खदान	कुल	0.51	
	पुरुष	0.44	
	स्त्रियाँ	0.07	
(5) उत्पादन, उपयोगीकरण सेवाएँ (सर्विसिंग) और मरम्मत (क) घरेलू उद्योग	कुल	3.52	
	पुरुष	2.78	
	स्त्रियाँ	0.74	
	(ख) गैर घरेलू उद्योग	कुल	5.94
		पुरुष	5.46
		स्त्रियाँ	0.48
(6) निर्माण	कुल	1.23	
	पुरुष	1.12	
	स्त्रियाँ	0.11	
(7) व्यापार और वाणिज्य	कुल	5.57	
	पुरुष	5.26	
	स्त्रियाँ	0.31	
(8) परिवहन, भण्डारण और संचार	कुल	2.44	
	पुरुष	2.36	
	स्त्रियाँ	0.08	
(9) अन्य कामगार	कुल	8.74	
	पुरुष	7.50	
	स्त्रियाँ	1.24	

Appendix 4

विभिन्न क्षेत्रों पर प्रति व्यक्ति व्यय (1977-78)

(रुपये में)

राज्य	सामान्य सेवाएँ	सामाजिक सेवाएँ	आविक सेवाएँ	पूर्वीगत लागत	योग
आन्ध्र प्रदेश	40.94	59.00	41.75	42.38	184.07
बihar	36.29	39.84	32.26	53.97	162.36
बिहार	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
गुजरात	48.64	64.93	38.94	37.32	189.83
हरियाणा	52.90	55.77	83.98	51.57	244.22
दिल्ली प्रदेश	63.61	91.07	77.16	56.86	288.70
झारखण्ड एवं कोयला	115.15	93.07	159.73	143.57	511.52
कर्नाटक	48.30	64.82	51.39	31.01	195.52
केरल	49.43	88.01	34.15	26.27	197.86
मध्य प्रदेश	28.69	50.10	37.12	27.30	153.21
महाराष्ट्र	82.72	67.28	55.68	29.26	234.94
मणिपुर	354.40	285.80	336.40	233.00	1210.60
उड़ीसा	43.04	50.98	41.76	25.39	161.17
पंजाब	47.94	77.53	67.00	26.10	218.62
राजस्थान	44.51	56.31	38.01	25.87	164.70
तमिलनाडु	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
उत्तर प्रदेश	33.78	34.11	28.12	25.06	121.07
पश्चिमी बंगाल	40.64	52.87	32.33	17.94	143.78

Source : Rajasthan Budget Study, 1978-79.

(क) सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा निवल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात् राष्ट्रीय आय
(Gross National Product and Net National Product i.e. National Income)

वर्ष	सकल राष्ट्रीय उत्पाद (करीर रुपये)		निवल राष्ट्रीय उत्पाद (करीर रुपये)		मूल भातक निवल राष्ट्रीय उत्पाद (करीर रुपये)		निवल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रथम अंक		शुद्धि अर्थात् निवल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रथम अंक	
	भारत के रुपये	भारत के रुपये	भारत के रुपये	भारत के रुपये	भारत के रुपये	भारत के रुपये	भारत के रुपये	भारत के रुपये	भारत के रुपये	भारत के रुपये
1970-71	36654	36654	34412	34412	636	636	100 0	100 0	100 0	100 0
1971-72	39194	37202	36728	34871	663	629	106.7	101.3	104.2	98.9
1972-73	43159	36788	40391	34323	714	606	117.4	99.7	112.3	95.3
1973-74	53704	38701	50498	36183	874	626	146.7	105.1	137.4	98.4
1974-75	63203	38889	59417	36455	1007	618	172.7	105.9	158.3	97.3
1975-76	64996	42200	60596	39026	1008	659	176.1	115.2	158.5	103.6
1976-77	69047	42887	64279	40164	1049	655	185.8	116.7	164.9	103.0

(ख) वार्षिक विकास दर
(Annual Growth Rates)

वर्ष	सकल राष्ट्रीय उत्पाद (करोड़ रुपये)		निव्वत राष्ट्रीय उत्पाद (करोड़ रुपये)		प्रति व्यक्ति निव्वत राष्ट्रीय उत्पाद (करोड़ रुपये)	
	सौबूदा कीमतों के आधार पर	1970-71 की कीमतों के आधार पर	सौबूदा कीमतों के आधार पर	1970-71 की कीमतों के आधार पर	सौबूदा कीमतों के आधार पर	1970-71 की कीमतों के आधार पर
1	2	3	4	5	6	7
1971-72	6.9	1.5	6.7	1.5	4.2	1.1
1972-73	10.1	(—) 1.1	10.0	(—) 1.6	7.7	(—) 3.7
1973-74	24.4	5.2	25.0	5.4	22.4	3.3
1974-75	17.7	0.5	17.7	0.8	15.2	(—) 1.3
1975-76	2.8	8.5	2.0	8.7	0.1	6.6
1976-77*	6.2	1.6	6.1	1.4	4.1	(—) 0.6

* तुल्य अनुमान

Source : Economic Survey, 1977-78

घरेलू बचत एवं घरेलू पूँजी निर्माण (Domestic Saving & Domestic Capital Formation)

वर्ष	वाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिगत		वाजार मूल्य पर निवल घरेलू उत्पाद का प्रतिगत	
	सकल घरेलू बचत	सकल घरेलू पूँजी निर्माण	निवल घरेलू बचत	निवल घरेलू पूँजी निर्माण
	2	3	4	5
1960 61	13.7	16.9	9.3	12.7
1961 62	13.1	15.3	8.4	10.3
1962 63	14.5	17.1	9.6	12.3
1963-64	14.4	16.6	9.8	12.1
1964 65	13.6	16.2	9.2	12.0
1965 66	15.7	18.2	11.2	13.8
1966 67	16.3	19.7	11.8	15.4
1967 68	13.9	16.5	9.6	12.3
1968 69	14.1	15.4	9.5	10.8
1969 70	16.4	17.1	11.8	12.5
1970 71*	17.0	17.9	12.1	13.1
1971 72*	17.2	18.3	12.2	13.4
1972 73*	16.9	17.5	11.8	12.5
1973 74*	17.5	18.2	12.8	13.5
1974-75*	18.1	19.0	13.4	14.4
1975-76*	19.7	19.6	14.6	14.4
1976 77**	21.1	19.2	15.9	13.9

* सकोषित

** तुल्य अनुमान

Source: Economic Survey 1977-78

सरकारी क्षेत्र में रोजगार
(Employment in the Public Sector)

	मार्च 1961	मार्च 1971	मार्च 1975	मार्च 1976	मार्च 1977 (Provi- sional)
1	2	3	4	5	6
क-सरकारी संत के वर्ग के अनुसार					
1. केन्द्रीय सरकार	20-90	27-71	29-88	30-47	30-78
2. राज्य सरकार	30-14	41-52	47-48	49-39	51-00
3. झट्ट-सरकारी	7-73	19-29	31-92	33-92	36-55
4. स्थानीय निकाय	11-73	18-78	19-49	19-85	19-85
योग	70-50	107-31	128-63	133-63	138-19
ख-औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार					
संश्लिप्त औद्योगिक	1-80	2-76	3-40	4-01	4-74
घ-कृषि, निकाय आदि					
1. खनन और उत्खनन	1-29	1-82	6-94	7-19	7-49
2. और 3 विनिर्माण	3-69	8-06	10-19	11-13	12-22
4. विजली, गैस, जल आदि	2-24	4-35	5-07	5-36	5-54
मचन आदि निर्माण	6-03	8-80	9-56	9-92	10-10
6. धोक तथा सुदरा व्यापार	0-94	3-28	0-53	0-56	0-77
7. परिवहन, सपहन और सवार	17-24	22-17	23-63	24-18	24-65
8. वित्त-अवस्था, बीमा,			4-92	4-90	5-30
जमीन-त्रायशद आदि	—	—			
9. सामुदायिक, सामाजिक और					
वैयक्तिक सेवार्	37-27	56-07	64-44	66-39	67-39
योग	70-50	107-31	128-68	133-63	138-19

Source : Economic Survey, 1977-78.

गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार
(*Employment in the Private Sector*)

उद्योग-प्रभाग समूह	मात्र 1961	मात्र 1971	मात्र 1975	मात्र 1976	मात्र 1977
1	2	3	4	5	6
(ग) कृषि, शिकार आदि	6 70	7 98	8 18	8 27	8 37
1. खनन और उत्खनन	5 50	4 04	1 23	1 32	1 30
2. और 3 विनिर्माण	20 20	39 55	41 08	41 58	41 57
3. बिजली, गैस और जल आदि	0 40	0 46	0 39	0 35	0 35
4. भवन आदि निर्माण	2 40	1 39	1 27	0 94	0 82
5. पीक तथा खुदरा व्यापार आदि	1 60	3 04	3 09	2 87	2 73
6. परिवहन, संप्रदाय और संचार	0 80	0 96	0 79	0 74	0 71
7. वित्त-व्यवस्था, बीमा तथा खमीन-जापदाद आदि	—	—	1 68	1 83	1 86
8. सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएँ	2 80	10 00	10 32	10 55	10 82
योग	50 40	67 42	68 04	68 44	68 54

Source : Economic Survey, 1977-78.

कुल विदेशी सहायता
(Overall External Assistance)

दिण (Loans)	अनुदान (Grants)	बोर्ड	पी.एल. 480/665 बादि सहायता		कुल बोर्ड	
			रूपे मे चुकाई जाने वाली	परिवर्तनीय मूद्रा में चुकाई जाने वाली		
1	2	3	4	5	6	7
(क) दी गई विदेशी सहायता						
सौसरी आयोजना के						
अन्त तक	3808.8	392.0	4200.8	1510.8	—	5711.6
1966-67	1034.1	79.7	1113.8	392.7	—	1506.5
1967-68	398.5	16.8	415.3	235.9	67.6	718.8
1968-69	753.1	68.4	821.5	71.6	53.7	946.8
1969-70	421.8	26.0	447.8	73.6	112.9	634.3
1970-71	705.4	56.5	761.9	—	—	761.9
1971-72	774.5	36.0	810.5	22.5	96.2	929.2
1972-73	639.6	36.6	676.2	—	—	676.2
1973-74	1129.5	41.2	1170.6	—	—	1170.6
1974-75	1481.4	189.8	1671.2	—	—	1671.2
1975-76	2192.8	440.7	2633.5	—	20.0	2653.5
1976-77	806.7	386.1	1192.8	—	93.6	1286.4
योग	14146.1	1769.7	15915.9	2307.1	444.0	18667.0

(ख) उपयोग की गई विदेशी

सहायता सौसरी

आयोजना के अन्त तक	2768.7	336.9	3105.6	1403.2	—	4508.8
1966-67	674.7	97.4	771.7	359.6	—	1131.4
1967-68	793.2	60.7	853.9	310.9	30.8	1195.6
1968-69	679.8	65.1	745.0	84.5	73.1	902.6
1969-70	660.7	26.1	686.8	107.5	62.0	856.3
1970-71	658.9	43.5	702.4	37.7	51.3	791.4

1	2	3	4	5	6	7
1971-72	671.7	50.5	722.2	8.8	103.1	834.1
1972-73	649.9	12.0	661.9	—	4.3	666.2
1973-74	1015.0	20.7	1035.7	—	—	1035.7
1974-75	1220.4	93.9	1314.3	—	—	1314.3
1975-76	1464.9	283.3	1748.2	—	92.3	1840.5
1976-77	1285.3	245.8	1531.1	—	67.8	1598.9
योग	12543.2	1335.7	13878.9	2312.2	484.7	16675.8

Source: Economic Survey 1977-78

टिप्पणियाँ

- 1-विदेशी मुद्रा को खपने में बढ़तने की विविध दरें बीसरी आयोजना के अन्त तक अवसूच्यन पूर्व विनिमय की दर (1 डॉलर=4.7619 रुपये) और उसके बाद 1970-71 तक अवसूच्यन के बाद की विनिमय दर (1 डॉलर=7.50 रुपये के) अनुसार है। प्राप्त सहायता और उसमें से उपयोग की गई सहायता के आंकड़ों के सम्बन्ध में 1971-72 के लिए गई, 1971 से पूर्व की विविध दरें अपनाई गई हैं। 1972-73 के लिए रुपये के आंकड़ें केन्द्रीय दरों के आधार पर दिखाए गए हैं जो दिसम्बर, 1971 से मुद्रा के पुनर्सूच्यन के बाद प्रचलित थीं। 1973-74 के लिए उपयोग की गई रिण सहायता की रकम को रुपयों में परिवर्तित करने के लिए भारत विनाही आंकड़ों के सम्बन्ध में रिण सहायता देने वाले देश की मुद्रा और रुपये के बीच की विनिमय दर के विनाही औसत को आधार बनाया गया है। उपयोग की गई सहायता के 1974-75 के और उसके बाद के आंकड़ों को वर्तमान दर के आधार पर निकाला गया है जो कि रिण सहायता देने वाले देशों की मुद्रा और रुपये के बीच की मासिक औसत विनिमय दर है। जहाँ तक की गई सहायता का सम्बन्ध है, उसकी रुपये में आंकड़ों के लिए 1973-74 और उसके बाद के वर्षों के सम्बन्ध में सहायता देने वाले देश की मुद्रा के साथ रुपये की लागू वार्षिक विनिमय दर को आधार माना गया है।
- 2-रिण सम्बन्धी रकमों में, बायस किए गए, पूरे कर दिए गए और रद्द किए गए रिण की रकम शामिल नहीं हैं। फी एल 480 के मास में व्यक्तिगत करारों की रकम शामिल नहीं हैं।
- 3-उपयोग की गई सहायता के आंकड़ा में समस्त रिण शामिल हैं जो स्वीकृत सहायता के आंकड़ों में पूरी तरह से नहीं दिखाए गए हैं।
- 4-सम्भव है, पुर्नार्जन के कारण इन मदों का जोड़ दिए गए जोड़ से कम हो जाए।

1977-78 में विदेशी सहायता

(करोड़ रुपये में)

क्र. स्वीकृत सहायता सं. देश/वस्त्र		अग्रिम—दिसम्बर 1977 तक किए गए सहायता करार		
		परियोजना, भिन्न सहायता क्रममें रिण-राहत शामिल है	परियोजना सहायता	बोर्ड
1	2	3	4	5
1.	ऑस्ट्रिया	2.4	—	2.4
2.	कनाडा	44.2	0.7	44.9
3.	पश्चिम जर्मनी	40.2	97.7	137.9
4.	जपान	68.0	30.6	98.0
5.	चीन	68.0	—	68.0
6.	स्वीडन	46.3	—	46.3
7.	ब्रिटेन	4.6	—	4.6
8.	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक	—	214.7	214.7
9.	आई डी. ए.	—	547.4	547.4
10.	सोवियत रूस	—	250.0 ¹	250.0 ¹
11.	सऊदी अरबिया फंड	—	100.3	100.3
12.	ओ.पी.ई.सी. विशेष फंड	—	—	—
13.	यूरोपीय आर्थिक समुदाय	10.7	—	10.7
योग		284.4	991.4 ²	1275.8 ²
सहायता का स्वरूप				भुगतान ³
बोर्ड विनियम				1585
(i) परियोजना भिन्न सहायता				710
(ii) परियोजना सहायता				875

टिप्पणी : स्वीकृत सहायता के अतिरिक्त भारत के रुपये तथा सहायता देने वाले देशों की अलग-अलग मुद्रा के बीच की नो महीने की औसत विनिमय दर के आधार पर निकाले गए हैं। रिण-संप्रयोग के अंकड़े संसम्बन्धी तारीखों को रुपये और सहायता देने वाले देश की मुद्रा के बीच प्रचलित वास्तविक दैनिक विनिमय दरों पर आधारित है।

1 विनियम क्रम सं. 1

2 इसमें 250 मिलियन रुबल की रूसी परियोजना सहायता शामिल नहीं है।

3 1977-78 के लिए अनुमान।

विदेशी ऋण और व्याज आदि का भुगतान

(करोड़ रुपये)

वर्ष	रिण परिशोधन	व्याज का भुगतान	कुल रिण परिशोधन
1	2	3	4
पहली आवोजना	10 5	13 3	23 8
दूसरी आवोजना	55 2	64 2	119 4
तीसरी आवोजना	305 6	237 0	542 5
1966-67	159 7	114 8	274 8
1967-68	210 7	122 3	333 0
1968-69	236 2	138 8	375 0
1969-70	268 5	144 0	412 5
1970-71	289 5	160 5	450 0
1971-72	299 3	180 0	479 3
1972-73	327 0	180 4	507 4
1973-74	399 9	195 9	595 8
1974-75	411 0	215 0	626 0
1975-76	462 7	223 6	686 3
1976-77	502 6	258 1	760 7



विमुद्रीकरण और काले धन का साम्राज्य

16 जनवारी की रात को जनता सरकार की विफारिश पर एक से दस हजार रुपये तक बड़े नोटों के विमुद्रीकरण का अध्यादेश प्रकट हो चँकाने वाला था। एक तो इसलिए कि आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में उसकी नीतियाँ क्रियान्वयन या ठोस प्रभाव के मामले में प्रभावोत्पादक नहीं साबित हो रही थीं किन्तु इस घोषणा मात्र से काले धन पर हलकी ही सही, लेकिन गहरी चोट पड़नी निश्चित थी। चँकाने का दूसरा कारण यह ही था कि अप्रत्याशित रूप से केवल बड़े नोटों का चलन बन्द करने का फैसला ही किया गया, 100 रुपये के नोटों का नहीं। विमुद्रीकरण और अवमूल्यन जैसे फैसले पहले से बताकर नहीं किए जाते, इसलिए 'अप्रत्याशित' होना उमका स्वाभाविक गुण होता है। 100 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण प्रचुर पूर्वं तैयारी और व्यय (या अव्यय) की अपेक्षा करता है, जिसका साहस इंदिरा गाँधी की सरकार ने जनता और विशेषज्ञों की माँग पर भी नहीं किया। इसलिए जब भूतपूर्व वित्तमन्त्री चव्हाण ने घोषणा की अनुसंधान करते हुए कहा कि 100 रुपये के नोटों का भी विमुद्रीकरण होना चाहिए था, तो आश्चर्य ही हुआ।

घोषणा में साफ कहा गया था कि यह सोचने के कारण कि बड़े नोटों के कारण 'राष्ट्रीय अर्थरचना के लिए हानिकार लेन-देन में सञ्चलित होती है' और इस मासूम वाक्य से यह ध्वनि निकल रही थी कि इस अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य सारे काले धन को नष्ट करना ही नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत-सा काला धन स्वयं आभूषण और अचल सम्पत्ति की शकल अखिलियार कर चुका है, लेकिन आंशिक रूप से काले धन पर और सटोरियेपन पर असर अवश्य पड़ेगा। जैसा कि बाद में कुछ दबे ढके बयानों से स्पष्ट हुआ। सरकार को आधिकारिक सूत्रों से आभास मिला था कि कुछ राजनीतिज्ञों के पास बड़े नोटों की शकल में प्रचुर धनराशि जमा है जिसका उपयोग ग्रामामी विधान सभा चुनावों में किया जाएगा। यदि ऐसा हो तो जाहिर है कि यह धन भी उस विपुल भण्डार का एक हिस्सा ही है जो नम्बर दो या खाते के बाहर का है। यह नहीं कहा जा सकता कि अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य काले धन के धनी राजनीतिज्ञों को आर्थिक रूप से अपग करने का ही था, क्योंकि घोषणा के तीन चार दिन बाद यह स्पष्ट हुआ कि विमुद्रीकरण का भावों पर भी स्पष्ट असर पड़ा—सरसो, मूंगफली के तेल और अनाजों के भाव, जो अच्छी फसल की खबरो के बावजूद मजबूती पकड़े हुए थे, टूट गए। स्पष्टतः काले धन के लेन-देन में क्कावट का असर भावों में परिलक्षित हुआ।

कुछ राजनीतिक हलकों में खासी खामोश सनसनी फैली होगी। सबसे बड़ा प्रकट कारण यह है कि बड़े नोटों के प्रसार का सीधा सम्बन्ध पिछली सरकार के उन निर्णयों से था जिसने इन नोटों का परिचलन बढ़ाने का फैसला किया। फैसला क्यों किया गया? या इसके बारे में अटकलें कितनी सही हैं? यह कहना मुश्किल है, लेकिन प्रचलन सम्बन्धी कुछ तथ्य काफी मजेदार हैं।

10 हजार रु के नोटों का अधिकतर लेन-देन बैंकों के बीच में होता है, ऐसा अनेक बैंक अधिकारियों का कहना है। मार्च, 1975 में 10,000 रु के नोट प्रचलन में थे उनका कुल मूल्य 22 करोड़ रु था। मार्च, 1976 में उनका मोल घटकर केवल 12.6 करोड़ रुपये रह गया, लेकिन आश्चर्य की बात है कि आपात्काल के अन्तिम वर्ष में यह 24 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। इस पर कौन रोशनी फेंक सकता है?

आपात्काल की घोषणा से पूर्व मार्च, 1975 में 35 करोड़ रु के नोट एक-एक हजार चांसे थे, लेकिन उसके बाद उनकी संख्या तजी से बढ़ती चली गई। मार्च, 1976 में उनका मोल 88 करोड़ रु और मार्च, 1977 में उनका मोल 1 अरब 5 करोड़ रुपये हो गया। दो वर्षों में तीन गुनी वृद्धि के कारण या रहस्य केवल रिजर्व बैंक के गवर्नर, तत्कालीन बैंकिंग विभाग के मन्त्री या तत्कालीन प्रधान मन्त्री ही बता सकते हैं। 5000 रु के नोटों की संख्या में विशेष घट बढ़ नहीं हुई, मार्च, 1977 में केवल 19 करोड़ रुपये के नोट प्रचलन में थे।

जुलाई, 1977 में 167 करोड़ रुपये के बड़े नोट प्रचलन में थे। बैंकों के पास 19 जनवरी तक केवल 16-17 करोड़ रुपये के बड़े नोट थे—जैसा कि व्यवसाय के निर्देश के अनुसार उन्होंने रिजर्व बैंक को सूचित किया है जाहिर है कि कोई 150 करोड़ रुपये से भी कुछ ज्यादा के बड़े नोट जनता के पास थे।

स्रोत दिनमान जनवरी-फरवरी, 1978

ग्रामीण विकास में सहकारी समितियों की भूमिका¹

—सुरजीतासह बरनाला, केन्द्रीय कृषि एवं सिंचाई मन्त्री

भारत जैसे देश में जहाँ आयोजना का मुख्य उद्देश्य तेजी से आर्थिक विकास हो तो उसमें सम्पत्ति और आय के बीच समानता में कमी, अक्सर की समानता, गरीबी उन्मूलन तथा देश में अधिकतम लोगों की जीवन स्तर को बेहतर बनाने जैसी कुछ बातों पर अधिक से अधिक ध्यान देना होगा। सतुलित आर्थिक विकास का उद्देश्य समतावादी समाज की स्थापना होना चाहिए जिसका विकास सामाजिक न्याय पर आधारित हो।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सहकारी ढंग के संगठन तुरन्त सहायता पहुँचा सकते हैं। लगभग न्यायसंगत आर्थिक गतिविधियाँ एक सहकारी संस्थान के ढंग पर संगठित की जा सकती हैं। विकेन्द्रीकृत आर्थिक इकाइयों के संगठन के लिए भी सहकारी ढाँचा सुविधाजनक है और साथ-साथ प्रत्येक सदस्य भी उचित स्तर पर उत्पादन करने के लिए अपने-अपने साधनों को सहकारी समितियों के माध्यम से एक स्थान पर इकट्ठा कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ उत्पादन इकाइयाँ स्वाभाविक रूप से छोटी, अधिक और बिलरी हुई हैं, वहाँ तब तक और सार्थक रूप से कोई आर्थिक कार्यक्रम नहीं चलाया जा सकता जब तक कि सिद्धान्त और आपसी मदद की भावना के आधार पर व्यक्तिगत प्रयास न किए जाएँ। इस प्रकार सहकारी प्रणाली में संस्थागत ढाँचे की व्यवस्था है तथा इससे समाज के कमजोर वर्गों और छोटे उत्पादकों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने में सहायता मिलती है ताकि वे आर्थिक विकास के लाभ के भागीदार बन सकें।

इसलिए सहकारी ढंग के संगठन में आम आदमी के लिए स्वतन्त्रता और अक्सर का लाभ तो है ही, साथ ही व्यापक प्रदन्ध और संगठन का भी लाभ उसे मिलता है। ऐच्छिक प्रयास, जन-सहयोग, सामाजिक नियन्त्रण, स्थानीय लोगों के उत्साह और साधनों का लाभ उठाने और इन सबसे ऊपर विभिन्न आर्थिक माँगों का संस्थाकरण, विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की माँग और पूर्ति को प्रतिबिम्बित करने जैसे कई अन्य कारणों से भी सहकारिता के आदर्शों से आयोजकों और सरकार के योजना उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है।

सहकारिताओं के विरुद्ध समय-समय पर की जाने वाली शिकायतों, उनके कार्यों के बारे में तथा जनता की आशाओं के अनुकूल काम करने में तथाकथित असफलता के विरोध में उठाई जाने वाली आवाजों के बावजूद कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, आवास, आवश्यक वस्तुओं के सार्वजनिक वितरण जैसे अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों तथा चीनी, रूई और हाथकरघा वस्त्रों जैसे उद्योगों के लिए सहकारी समितियों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी।

यदि ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों की समस्याओं के व्यापक रूप को देखा जाए तो स्थिति की अनिवार्यता का आसानी से पता लग सकता है। देहाती इलाकों में कमजोर वर्गों की परिभाषा के अन्तर्गत भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की संख्या 4 करोड़ 75 लाख थी जबकि खेत जोतने वाले 7 करोड़ 82 लाख व्यक्ति थे। 80% खेतिहर के पास दो हेक्टेयर से भी कम जमीन है। आंकड़े इस प्रकार हैं—

आकार वर्ग	वर्गी योग (लाख जोतों)	कुल जोतों का प्रतिशत	कुल छत (लाख हेक्टेयर)	प्रतिशत क्षेत्र
1	2	3	4	5
सोमान (एक हेक्टेयर से कम)	35.7	51	14.5	9
समु (1 से 2 हेक्टेयर तक)	13.4	19	19.3	12
कुल योग	70.5	100	162.1	100

समस्या यह है कि 70% खेतिहर परिवारों के पास केवल 21% भूमि है तथा इससे सम्बन्धित अनेक लोगों के होने के कारण यह समस्या और भी विकट हो गई है। हमें अल्पतः प्रयास इस हानि उठाने वाले वर्ग को लाभ पहुँचाने के लिए करने होंगे।

इन कमजोर वर्गों की उपेक्षा करने वाली कोई भी योजना केवल थोड़े से लोगों को खुशहाली दे सकेगी। यदि विवास के लाभ ग्रामीण समुदाय के अधिकांश वर्गों को मुहैया न किए जाने का सिद्धांत जारी रहा और खुशहाली उभर लगे तो ही सीमित रही तो इसके परिणामस्वरूप उत्तम सामाजिक, आर्थिक तथाकथित तनाव से न केवल ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के व्यवस्थित और शान्तिपूर्ण परिवर्तन में बाधा पड़ सकती है बल्कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के राष्ट्रीय प्रयास पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि को ध्यान में रखकर देहाती इलाकों में व्यापक बेरोजगारी और आय के गलत वितरण प्रणाली की समस्या पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। तथापि कमजोर वर्गों के लोगों का जीवन बेहतर बनाने की सभी योजनाओं को गतिविध प्रशासनात्मक व्यवस्था तथा लालों ग्रामीणों को सशक्ति करने वाली ग्रामीण संस्थाओं के अभाव की कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। वास्तव में ये लोग बिना भी निर्णय लेने में अपना योगदान तथा अपनी राय सभी प्रकट कर सकते हैं जब वे अपना एक संगठन बना लें जिससे न केवल उनके आर्थिक हितों की रक्षा होगी

बल्कि तेजी से बदलते हुए ढाँचे में उत्पादक और उपभोक्ता के नाते वे अपनी जरूरतों को बता सकेंगे। सहकारिता समयानुकूल समाधान है।

इस पृष्ठभूमि में अब हमें मौजूदा ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर विचार करना चाहिए। इनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण लघु कृषक विकास करने वाली एजेंसी कार्यक्रम, सूखाग्रस्त कार्यक्रम और कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। इस समय लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम के लिए 160, सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए 54 और 61 परियोजनाएँ रुमान क्षेत्र के विकास के लिए चालू हैं। इनके अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्रों में विशेष परियोजनाएँ भी शुरू की गई हैं। इस समय सरकार एक समन्वित ग्रामीण विकास योजना शुरू करना चाहती है जिसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के सभी पहलुओं का विस्तृत विकास है; जिसमें लघु और सीमान्त किसान, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, ग्रामीण कारीगर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित कमजोर वर्गों के व्यक्ति शामिल हों। यह जान लेना चाहिए कि इन सभी कार्यक्रमों में कृषि विकास का प्रमुख स्थान है। ऐसा इसलिए है कि अधिकांश ग्रामीणों की कृषि और सम्बन्धित कार्यों पर लम्बे समय तक निर्भर रहना पड़ेगा।

इन भी कार्यक्रमों में अन्य बातों के अलावा बुनियादी सुविधाओं के विकास पर अधिक बल दिया गया है जिससे आगम और पूर्ति के लिए वितरण प्रणाली की व्यवस्था होगी और साथ-साथ उत्पाद के लिए उचित लाभ मिल सकेगा। इस दिशा में सहकारी संस्थाओं को महत्त्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। वास्तव में लघु कृषक विकास एजेंसी परियोजनाओं में विकास के लिए अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ ऋण सुविधाओं का भी समुचित प्रयोग किया जाता है और अधिकतर यह कर्जा सहकारी ऋण संस्थाओं में मिलता है। इसी प्रकार विपणन, अनाज तैयार करने और भण्डारण के मामले में भी सहकारिता की भूमिका कम नहीं है। काफी हद तक इन कार्यक्रमों की सफलता इन संस्थानों के बीच समन्वय तथा इनके विकास प्रक्रिया में लगी अन्य एजेंसियों के सहयोग से काम करने पर निर्भर करती है।

हमारी सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारी ऐसी समन्वित सहकारी ग्रामीण सेवाएँ काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। परन्तु मौजूदा ढाँचे में सहकारी सेवाओं को व्यापक बनाने भर से ही काम नहीं चलेगा। ग्रामीण समुदाय की कुल जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि में सारी प्रणाली का पूरी तरह से पुनर्गठन करना होगा जिसका भुकाव कमजोर वर्गों को अधिक लाभ पहुँचाने की ओर हो। इस प्रणाली को विशेषकर सूखाग्रस्त और आदिवासी क्षेत्रों जैसी दैवी आरदा के शिकार इलाकों के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है। ऐसे इलाकों में सहकारी ढाँचा कमजोर है क्योंकि संस्था केवल क्षेत्रीय अर्थ-व्यवस्था की स्थिति की द्योतक है। इन क्षेत्रों में सहकारिताओं का काम वास्तव में चुनौती भर है।

सहकारी आन्दोलन के विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियों को कम करके बनाने की मेरी मशा नहीं है। अल्प अवधि और मध्यम अवधि के सहकारी ऋण जो सन् 1951 में 23 करोड़ रु थे सन् 1976-77 में बढ़कर 989 करोड़ रु हो गए। इसी

प्रकार लम्बी अवधि के सहकारी ऋण भी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में 6 करोड़ रु. के पाँचपी योजना में बढकर 780 करोड़ रु. तक पहुँच गए। कृषि विपणन, घनाज तैयार करने, भण्डारण और वितरण के क्षेत्र में भी सहकारी समितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तथापि हमें इस समय यह देखना है कि विकास के कार्य और समाज के कमजोर वर्गों की मदद के उद्देश्य में ये सगठन कहाँ तक सफल हुए हैं। यदि ऋण के पहलू को देखा जाए तो गत पाँच वर्षों के दौरान दिए गए कुल कर्जों का लगभग एक-तिहाई ऋण ही समाज के कमजोर वर्गों को मिल पाया है। यह स्थिति तब है जबकि इस अवधि के दौरान कमजोर वर्गों के लिए बहुत सी छूट दी गई। छोटे किसानों की सेवा के लिए विशेष रूप से स्थापित की गई किसान सेवा समिति को मिलाकर बहुत से सगठनात्मक परिवर्तन किए गए हैं। सहकारियों की सदस्यता की सार्वभौमिकता से सम्बन्धित बहुत से राज्यों ने हाल ही में कानून बनाए हैं और इस दिशा में दूतरा कदम है।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रमों की सफलता के लिए सहकारी सगठनों में अपेक्षित कुल सहायता का जल्दी ही अनुमान लगाना होगा। राष्ट्रीय कृषि आयोग जैसे निकायों द्वारा लगाए गए कुछ अनुमान पहले ही उपलब्ध हैं। इस प्रकार के संकेत हैं कि सहकारिताओं के समस्त बहुत महान् काम हैं। फिर भी हम यह आशा कर सकते हैं कि उनके लिए निर्धारित लक्ष्य पहले की तरह ही प्राप्त कर लिए जाएँगे। लक्ष्यों को वास्तव में प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास की समस्याओं के प्रति समन्वित दृष्टिकोण रखना होगा। मजदूरों में यह कहा जा सकता है कि इस दृष्टिकोण का अर्थ ऋण, कृषि के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति, ससाधन, विपणन विस्तार सेवाएँ, कम कीमत, कम प्रोत्साहन जैसे विभिन्न कार्यों को एक साथ करना होगा। उपयुक्त प्रौद्योगिकी और पर्याप्त प्रशिक्षण कुशलता भी इस कार्य के लिए महत्वपूर्ण होगी। इन विभिन्न समस्याओं के लिए काफी मजबूत संस्थाओं की आवश्यकता होगी। अतीतक की इस दिशा में मामूली सी ही शुरुआत की गई है।

एक पहलू और भी है जिसका उल्लेख मैं करना चाहता हूँ, वह यह है कि मर्यादाएँ बदलती हुई स्थितियों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार अपने आप को नतीजा ढाल पाती। इनमें से बहुत सी संस्थाएँ कठोर रबंधा अपना लेती हैं जिससे मौजूदा बुनियादी सुविधाएँ किसी भी विकास कार्यक्रम के लिए अनुकूल नहीं बन पाती। यह कहा जाता है कि संस्थागत ढाँचे में धीरे धीरे परिवर्तन होने चाहिए खानकर उस समय जबकि वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और जानकारी में तीव्र प्रगति हो रही हो। जब तक संस्थाएँ आधुनिकीकरण की माँग और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की जहरतों को पूरा करने के लिए ढाली गई जिम्मेदारी को निभाने के लायक नहीं बनेंगी तब तक किसी भी बढिया कार्यक्रम की शुरुआत सट्टाई में पड़ सकती है। यह एक सतारा है जिसके प्रति हमें सचेत रहना है।

प्रश्न-कोश

(QUESTION BANK)

खण्ड-1. आर्थिक विकास के सिद्धान्त

अध्याय 1

- 1 आर्थिक विकास की परिभाषा कीजिए। आर्थिक विकास की प्रकृति एवं उसके मापदण्ड के बारे में बतलाए।
Define economic growth. Mention the nature and measurement of economic growth.
- 2 “आर्थिक विकास के तीन पहलू हैं—समग्र राष्ट्र के कुल और प्रति व्यक्ति उत्पादन में निरन्तर वृद्धि; सरचनात्मक-विकास प्रक्रिया के दौरान अर्थव्यवस्था में जो विचरण (अथवा परिवर्तन) आते हैं; अन्तर-राष्ट्रीय देश में बढ़ती हुई सरचना के साथ ही साथ, इसके, और जेप विश्व के बीच आर्थिक प्रवाहों का अनुभूतिक प्रतिरूप बनाना।” उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। (1972)
“Economic growth has three aspects—the aggregative : sustained increase in a nation’s total and per capita product; the structural : the shifts that occur in any economy during the growth process, the international : the changing domestic structure is supplemented by a sequential pattern of economic flows between it and the rest of the world” Elaborate with the help of illustrations.
- 3 आर्थिक विकास के तत्त्वों की और उनके तुलनात्मक महत्त्व की विवेचना करो। आय आधारित विकास की दर किस प्रकार मापोगे ? (1973)
Discuss the factors that are responsible for economic growth and their relative importance. How would you measure the rate of growth.
- 4 आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति में भेद कीजिए। आर्थिक विकास की माप-हेतु आय-समकों का प्रयोग किस सीमा तक किया जा सकता है ?
Distinguish between economic growth economic development and economic progress. How far Income Data may be used to measure economic growth ?
- 5 “हम आर्थिक विकास की परिभाषा एक प्रक्रिया के रूप में करण जिसमें कि किसी देश के प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविक आय दीर्घकालीन अवधि में बढ़ती है।” (मेयर) स्पष्ट कीजिए। (1975, 76)

"We shall define economic development as the PROCESS whereby the REAL PER CAPITA INCOME of a country increases over a long period of time" (Meier) Elucidate

- 6 "आर्थिक विकास में आर्थिक कारकों से गैर-आर्थिक कारक ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।" व्याख्या कीजिए। (1976)

"Non-economic factors are more important than economic factors in economic development." Comment

- 7 आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं? क्या केवल आधुनिक तकनीक ही आर्थिक विकास के लिए एकमात्र शर्त है? (1976)

What do you understand by economic growth? Is modern technology a sufficient condition for economic growth?

अध्याय 2

- 1 'वर्द्ध-विकसित अर्थ व्यवस्था के मुख्य लक्षण लिखिए। एक वर्द्ध-विकसित और एक विकसित राष्ट्र के जायोजन में क्या भिन्नताएँ होती हैं? (1975)

Critically examine the characteristic features of an undeveloped economy. How economic planning in an under-developed country differs from that of a developed country?

- 2 आपको राय में भारत जैसे अल्प-विकसित देश के आर्थिक विकास में कौनसी मुख्य बाधा है पूँजी की कमी, तकनीकी परिवर्तन और अभिनवीकरण प्रक्रिया की धीमी दर अथवा उपयुक्त संस्थागत और सामाजिक ढाँचे का अभाव? उदाहरण दीजिए। (1972)

What would you consider the main barrier to economic development of a less developed country such as India paucity of capital, slow rate of technological change and innovation or absence of an appropriate institutional and social structure? Give illustrations

- 3 अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएँ हैं? एसी अर्थव्यवस्था में आद्यारभूत समस्याएँ क्या होती हैं? इनको विवेचना भारत के संदर्भ में करो। (1973)

What are the main characteristics of an under-developed economy? What are the basic problems to planning in such an economy? Discuss them with reference to India

- 4 "अल्पविकसित देशों से सम्बन्धित आँकड़ों एवं वर्णनात्मक जानकारी का अध्ययन करने से प्रकट होता है कि राष्ट्रीय निधनता एवं देश की अर्थव्यवस्था के अन्य लक्षणों में अत्यन्त ही सहसम्बन्ध है।" (हिगिंस) ये अन्य लक्षण क्या हैं? (1974)

"Examination of statistics and descriptive information pertaining to under developed countries reveals that there is indeed a correlation between national poverty and other features of the country's economic and social organization" (Higgins) What are these other features?

- 5 विकसित, अविकसित तथा वर्द्ध-विकसित देशों में उसके आर्थिक विकास की दशाशा में क्या अन्तर पाया जाता है? प्रदेश का उपयुक्त उदाहरण देते हुए समझाइए।

Describe low states of economic development in developed, undeveloped and under-developed countries differ from one another, giving suitable examples of each

- 6 अल्प-विकसित देशों की समस्याओं की परीक्षा कीजिए।

Examine the problems of under-developed countries

- 7 "आर्थिक प्रगति की वास्तविक आधारभूत समस्याएँ गैर-आर्थिक हैं।" विवेचना कीजिए।
 "The really fundamental problems of economic development are non-economic" Comment
- 8 अर्द्ध-विकसित देशों के आर्थिक विकास में साहस (उद्यम) के स्थान की समझाइए। (1977)
 Explain the role of entrepreneurship in economic development of under-developed countries.

अध्याय 3

- 1 विकास के अन्तर्गत सरचनात्मक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? उत्पादन के संगठन में परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए।
 What do you understand by 'structural changes under development'? Explain changes in the composition of production
- 2 विकास के अन्तर्गत सरचनात्मक परिवर्तन की समझाने हुए उपभोग में परिवर्तन की व्याख्या कीजिए।
 Explain 'Structural changes under development' and show how do you understand by the changes in consumption
- 3 राजगार, निवेश और व्यापार के संगठन में विकास के दौरान सरचनात्मक परिवर्तन की विवेचना कीजिए।
 Discuss the structural changes in the composition of employment, investment and trade
- 4 'आधुनिक युग में, मुख्य सरचनात्मक परिवर्तनों का लक्ष्य कृषि मशौ के स्थान पर औद्योगिक मशौ का उत्पादन (औद्योगीकरण की प्रक्रिया), ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण (शहरीकरण की प्रक्रिया), लोगों की सापेक्ष आर्थिक स्थिति में परिवर्तन (रोजगार की स्थिति तथा आय-स्तर आदि के द्वारा) और भाँग के अनुरूप वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण रहा है।' क्या आप कुजनेट्स से सहमत हैं?
 "In modern times the main structural changes have been in the movement from agricultural towards non-agricultural production (the process of industrialization), in the distribution of population between the countryside and the cities (the process of urbanization), in the shifting relative economic position of groups within the nation (by employment status, level of income per capita, etc.), and in the distribution of goods and services by use" Do you agree with Simon Kuznets?
- 5 आर्थिक विकास की प्रक्रिया में समस्त उत्पादन, रोजगार एवं उपभोग के ढाँचे में और उद्योगों के ढाँचे में सरचनात्मक परिवर्तनों के बारे में कुजनेट्स ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं? व्याख्या कीजिए। (1976)
 What are 'Kuznets' findings on changes in the structure of aggregate production, employment and consumption and in the structure of industries in the course of economic growth? Explain
- 6 आर्थिक विकास की प्रक्रिया में क्या सरचनात्मक परिवर्तन होते हैं? रोजगार और उपभोग के स्तरों में समझाइए। (1977)
 What structural changes take place in the process of economic development? Explain with reference to employment and consumption.
- 7 आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अगिर्कों की औद्योगिक संरचना व राष्ट्रीय उत्पादन में होने वाले परिवर्तनों के सम्बन्ध में कुजनेट्स के क्या विचार हैं? (1974)

What are Kuznet's findings on changes in industrial structure of labour force and national production course of economic growth ?

8 "साधुनिक आर्थिक विकास सारभूत रूप से औद्योगिक व्यवस्था को लागू करना अर्थात् आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के बढ़ने हुए प्रयोग पर आधारित उत्पादन की एक व्यवस्था को लागू करना है, किन्तु इसका अर्थ सरचनात्मक परिवर्तनों में ही है ।" (शाइमन कुजनेट्स) विवेचना कीजिए ।

"Indeed, modern economic growth is, in substance, an application of the industrial system, is a system of production based on increasing use of modern scientific knowledge. But this also means structural change....." (Simon Kuznets) Discuss

9 "किसी भी युग में आर्थिक वृद्धि सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का मात्र विषय नहीं है, अतिसु कतिपय सरचनात्मक परिवर्तनों का विषय भी है ।" (शाइमन कुजनेट्स) विवेचना कीजिए ।

• Growth during any era is a matter not only of change in the economy as a whole, but also of structural shifts " (Simon Kuznets) Discuss

10 आर्थिक विकास की प्रक्रिया में होने वाले सरचनात्मक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए और उन्हें समझाइए ।

State and explain the structural shifts observed in the process of economic development

1 "एक अन्विकसित अर्थव्यवस्था की तर्जनीय विकास दर उसके कृषि के विकास पर मूलतः निर्भर करती है । जब तक कृषि अथवा खनिज उत्पादन में आकस्मिक उन्नति की आशा न हो तब तक विकास दर में 5 प्रतिशत की वृद्धि की धारणा करना अवास्तविक है ।" इस कथन का अर्थ बताते हुए अध्ययन कीजिए । (1976)

"The over-all growth rate of an underdeveloped economy depends primarily on the rate of growth of agriculture... Unless a break through is expected in agriculture or mining, it is unrealistic to assume a growth rate of 5%." Explain and examine the statement

प्रश्नावली 4

1 किसी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले घटकों की विवेचना कीजिए ।

Examine the factors which influence the economic development of a country

2 आर्थिक विकास में गैर-आर्थिक घटकों के महत्त्व की समीक्षा कीजिए ।

Discuss the importance of non-economic factors in economic development

3 आर्थिक विकास के कारकों की सापेक्षिक देन की विवेचना कीजिए ।

Discuss the relative contribution of the factors of economic growth

4 कब एक अर्थ-व्यवस्था आत्म-संपूर्ण की अवस्था को पहुँचती है ? एक अखिलेश्वर राष्ट्र में इस अवस्था को पहुँचाने के मार्ग में क्या कठिनाइयाँ आती हैं ?

When does an economy reach the stage of take-off ? What, in your view, are the obstacles for an under-development country to reach it ?

5 रोस्टोव के आर्थिक विकास की अवस्थाओं के सिद्धान्त का विश्लेषण कीजिए तथा इसकी सीमाएँ बताइए ।

Elucidate Rostow's Theory of economic growth and pointout its limitations

- 6 स्वचालित विकास क्या है ? इसकी सीमाएँ क्या हैं ?
What is self sustained growth ? What are its problems ?
- 7 आर्थिक वृद्धि की परिभाषा दीजिए। रोस्टोव के अनुसार आर्थिक वृद्धि के विभिन्न काल क्या हैं ?
Define 'economic growth' What are according to Rostow the different stages of economic growth ?
- 8 आर्थिक विकास की पूर्व आवश्यकताएँ क्या हैं ? आर्थिक विकास के अध्ययन में आधुनिक समय में विषय महत्त्व क्यों प्राप्त किए हैं ?
What are the pre requisites of economic growth ? Why has the study of economic growth assumed special importance in modern times ?
- 9 "आर्थिक विकास कोई जादू नहीं है, वह एक निश्चित गणिन पर आधारित होना चाहिए।" भारतीय अनुभव के आधार पर टिप्पणी कीजिए।
"Economic development is not a miracle It is based on a definite arithmetic". Comment in the light of Indian experience
- 10 विकास-दर के विभिन्न तत्वों के योगदान पर डेनिसन के विश्लेषण का विवरण दीजिए।
Examine Denison's estimates of the contribution of different factors to the growth rate
- 11 डेनिसन द्वारा विभिन्न तत्वों के विकास में योगदान के अनुमानों पर आपत्ति उनके अनुमान प्राप्त करने की विधि के कारण उठाई गई है। व्याख्या कीजिए। (1976)
Denison's estimates about the role of different factors in the process of growth have been questioned because of the methodology used by him Explain
- 12 विकासशील देशों में शिक्षा के महत्त्व पर कोई शक नहीं परन्तु वास्तविक समस्याएँ हैं। किस प्रकार की शिक्षा उचित है और उसके लिए कितने साधनों की आवश्यकता है ? इन सन्दर्भों में आर्थिक विश्लेषण का क्या योगदान है ?
The importance of education in the developing countries cannot be doubted but the real issues are about the types of education required and the quantity of resources that should go into them What is the contribution of economic analysis towards these issues ?
- 13 (क) पूँजी और (ख) शिक्षा के विकास में योगदान के डेनिसन द्वारा क्या निष्कर्ष निकाले गए हैं ? आपके विचार में विकासशील अर्थ-व्यवस्था में शिक्षा की क्या भूमिका होनी है ? (1976)
What are Denison's findings about the role of (a) capital and (b) education in the process of growth ? What in your view is the role of education in the developing economies ?

अध्याय 5

- 1 आर्थिक विकास का विश्लेषण कीजिए और महत्त्वपूर्ण मॉडलों को बताइए।
Analyse economic growth and point out important growth models
- 2 आर्थिक विकास के 'लेविस मॉडल' को परीक्षा कीजिए।
Examine 'Lewis Model' of economic growth
- 3 लेविस के असीमित श्रम-पूर्ति के वृद्धि-सिद्धान्त को विवेचना कीजिए। बताइए कि अल्प-विकसित देशों में असीमित श्रम पूर्ति के द्वारा पूँजी-निर्माण सम्भव भी है और लाभदायक भी
Discuss Lewis theory of growth with unlimited labour supply Do you agree that Capital formation with unlimited supplies of labour is possible and projectable in under-developed countries ?

- 4 "हेरार्ड-डोमर मॉडल स्वयं में विश्लेषण का एक अधूरा और काम-बलाऊ साधन है और इससे बहुत अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए।" (मु. चक्रवर्ती) अल्पविकसित देशों के। एकीति सम्बन्धी तरकों की दृष्टि से हेरार्ड-डोमर मॉडल की सगुता एवं सीमाओं को समझाइए।

या

असीमित धन-पूर्ति की परिस्थिति में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को निरूपित कीजिए।

(1974, 75, 76)

"Harrod-Domar Model is a very rough tool in itself and not too much should be expected from it" (S Chakravarty) Explain the relevance and limitations of Harrod-Domar model in relation to its policy implications for under-developed countries.

OR

Outline the process of economic development under conditions of unlimited labour supply

- 5 अल्प-विकसित देशों की आर्थिक विकास की समस्या के लिए हेरार्ड डोमर विश्लेषण के महत्त्व को विवेचन कीजिए।
Discuss the significance of Harrod-Domar analysis for the problem of economic development of under developed countries
- 6 महालनोबिस के नियोजित विकास के मॉडल की व्याख्या कीजिए। महालनोबिस के आर्थिक वृद्धि के संकल्प मॉडल का मुख्य दोष क्या है?
Explain the Mahalanobis Model of planned development. What are the important flaws in the operational model of economic growth by Mahalanobis?
- 7 उस सैद्धांतिक ढाँचे को पूरी तरह समझाइए और उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए जो कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार था।
Explain fully and evaluate critically the theoretical framework which formed basis of India's Second Five year Plan
- 8 हेरार्ड-डोमर मॉडल का विवरण दीजिए। विकास की समस्याओं के विश्लेषण में इस मॉडल की उपयोगिता बतलाइए। (1976)
Describe the Harrod-Domar model of growth. What is its usefulness in the analysis of the problem of development
- 9 लेविस मॉडल में विकास की प्रक्रिया के मुख्य लक्षण क्या हैं? 'मोड़-बिंदु' (turning point) क्या आता है? (1976)
What are the main features of the development process in the Lewis model? When does the turning point occur?
- 10 महालनोबिस के दो-क्षेत्र मॉडल के मुख्य पहलुओं को समझाइए। यह डोमर के मॉडल से किन ढंगों में भिन्न है? (1977)
Explain the salient features of the two-sector model of Mahalanobis. In what respects does it differ from the Domar model
- 11 लेविस के मॉडल के दो ढंग हैं। प्रथम यह प्रस्तावना है कि सीमान्त बचत बतल लाभ में अत्यधिक अपेक्षा अधिक होती है। दूसरी प्रस्तावना यह है कि राष्ट्रीय आय में सामान्य रूप से बढ़ावा है क्योंकि निर्यात-अधक से अल्प-अधिक के फलस्वरूप वास्तविक मजदूरी बढ़ाए बिना धन की अधिक आपूर्ति प्राप्त की जा सकती है।" क्या ये प्रस्तावनाएँ तर्क एवं तथ्यों के आधार पर सही हैं? क्यों? (1976)

"Lewis's stool has two legs. The first is the proposition that marginal propensity to save is higher out of profits than out of other incomes. The second is the proposition that the profit share in national income can swell because the existence of surplus labour in the subsistence sector makes it possible to obtain successive supplies of labour without raising real wages." Are these propositions logically and empirically true? Why?

- 12 महालनोबिस मॉडल में पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण में विनियोग के अनुपात (AK) की भूमिका वैसे ही है जैसी कि हैरॉड-डोमर मॉडल में बचत की सीमान्त दर (a) की व्याख्या कीजिए। (1976)

The role of the proportion of investment going into the capital goods sector (AK) in the Mahalanobis model is similar to the role of the marginal rate of savings (a) in the Harrod-Domar model. Explain.

- 13 आर्थिक विकास के हैरॉड-डोमर मॉडल की व्याख्या कीजिए। क्या अर्द्ध-विकसित देशों के लिए इसका कोई महत्त्व है? (1976)

Explain clearly Harrod-Domar model of economic growth. Has it any relevance for under-developed countries?

अध्याय 6-9

- 1 'आर्थिक विकास के लिए नियोजन' पर आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए।

Write a critical essay on 'Planning for Economic Development'.

- 2 एक नियोजन अर्थ-व्यवस्था के पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्कों की आलोचनात्मक परीक्षा कीजिए।

Critically examine the arguments advanced for and against a planned economy.

- 3 नियोजित अर्थ-व्यवस्था मुक्त अर्थ-व्यवस्था से श्रेष्ठतर क्यों मानी जाती है? विवेचना कीजिए।

Why is 'planned economy' considered superior to 'Free enterprise-economy'? Discuss fully.

- ✓ 4 एक अर्द्धविकसित देश के संदर्भ में विकास के लिए नियोजन में कीमत-संयंत्र के स्थान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (1977)

Critically appraise the place of market mechanism in planning for growth with special reference to an underdeveloped country.

- 5 गरीब देश की विकास सम्भावनाएँ किन तत्वों से निर्धारित की जाती हैं? यह कहना वही तक उचित है कि विकास में भौतिक बाधाएँ, वित्तीय बाधाओं से प्रमुख होती हैं। (1976)

What factors need to be taken into account in determining the growth possibilities of a poor country? How far is it correct to say that physical constraints are more important than financial constraints?

- ✓ 6 बचत-दर को प्रभावित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए।

Discuss the factors, affecting the saving rate.

- 7 सम्पूर्ण विकास दर को प्रभावित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए।

Discuss the factors affecting the over-all growth rate.

- 8 "विकास-योजना केवल एक हद तक अर्थशास्त्रीय कला है, एक महत्त्वपूर्ण हद तक यह राजनैतिक सपत्नीता का प्रयोग है।" (लुइस) व्याख्या कीजिए। (1974)

"Development planning is only in part an economic art; to an important extent it is also an exercise in political compromise." (Lewis) Elucidate.

- 9 किसी विकास-योजना में वृद्धि दर किस प्रकार निर्धारित की जाती है ? वृद्धि दर को परिमित करने वाले तत्व कौन-कौन से हैं ? पूर्ण तरह समझाइए । (1974)
How is the rate of growth determined in a development-plan ? What are the constraints on the rate of growth ? Explain fully.
- 10 साधनों की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं ? गतिशीलता को निर्धारित करने वाले कारकों को विवेचना कीजिए ।
What do you understand by 'Resource Mobilisation'
- 11 मानवीय पूँजी निर्माण से आप क्या समझते हैं ? आप इस मत से कहीं तक सहमत हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्था में भौतिक पूँजी निर्माण की अपेक्षा मानवीय पूँजी निर्माण का महत्व अधिक है ? (1976)
What do you understand by human capital formation ? To what extent do you agree with the view that human capital formation is more important than material capital formation ?
- 12 एक घरेलू बचत की दर एक नियोजित अर्थव्यवस्था में कैसे ज्ञान की जाती है ? एक अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्था में बचत को बढ़ाने के तरीके सुझाइए । (1976)
What factors determine the rate of domestic savings in a developing economy ? Suggest methods to increase the savings rate in a developing economy
- 13 'बचत बढ़ाने के प्रयत्नों में एक बड़ा प्रयत्न सार्वजनिक बचत की दर बढ़ाने का होना चाहिए ।' (चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन) इस मत को पुष्टि करने वाले तर्क समझाइए और बताइए कि यह कार्यनीति कहीं तक सफल रही है । (1976)
"A major thrust of savings efforts must be towards raising the rate of public savings." (Mid-Term Appraisal of the Fourth Plan) Explain the arguments which substantiate this view and state how far this strategy has been successful
- 14 विनाश हेतु वित्तीय साधन जुटाने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाइए । (1976)
Suggest suitable measures for mobilisation of financial resources for development
- 15 द्विती देश की बचत दर एवं सम्पूर्ण विकास दर को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए । (1976)
Discuss the factors affecting the saving rate and the overall growth rate of a country
- 16 उपभोक्ता और मध्यवर्ती (Intermediate) वस्तुओं की माँग का प्रलेप आप कैसे करेंगे ? (1976)
How would you project the demand for consumption and intermediate goods ?
- 17 'वस्तु सन्तुलन', 'औद्योगिक सन्तुलन' तथा 'वित्तीय सन्तुलन' से आप क्या समझते हैं ? योजना की समरूपता (Consistency) के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण हैं ? (1976)
What do you understand by 'commodity balance', 'industrial balance' and 'financial balance' ? Why are they important for Consistency of the Plan ?
- 18 आया-प्रदा विश्लेषण (Input-Output analysis) की तकनीक कुशल आर्थिक नियोजन के लिए कहीं तक उपयुक्त है ? क्या भारत में इस तकनीक के प्रयोग में कोई ब्यावहारिक बाधाएँ हैं ?

Discuss how far the technique of 'input-output' analysis is suitable for efficient economic planning. Are there any practical difficulties in applying this technique in India ?

- 19 'नियोजित अर्थव्यवस्था उपलब्ध साधनों की पूर्णतम गतिशीलता एवं समुचित आवंटन और अधिकतम परिणामों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है।' विवेचना कीजिए। (1976)
 'Planned economy is necessary for the fullest mobilisation of available resources and their proper allocation to secure optimum results' Discuss.
- 20 आन्तरिक साधनों और बाह्य साधनों के विभिन्न रूपों को आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
 Critically examine the various forms of internal resources and external resources
- ✓ 21 'योजना के लिए वित्तीय साधनों की गतिशीलता' पर निबंध लिखिए।
 Write an essay on 'Mobilisation of Financial Resources'.
- 22 उपभोक्ता वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए मांग के अनुमान से आप क्या समझते हैं ? स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए।
 What do you understand by the demand projections for consumption goods and intermediate goods ? Explain fully
- ✓ 23 मांग के अनुमानों से आदा प्रदा गुणों की उपयोग को समझाइए।
 Explain the use of the input-output co-efficients.
- 24 बताइए कि आदा प्रदा विश्लेषण की तकनीक कुशल आर्थिक नियोजन के लिए यहाँ तक प्रयोज्य है ? क्या भारत में इस तकनीक के प्रयोग में कोई व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं ?
 Discuss how far the technique of input output analysis is adoptable for efficient economic planning Are there any practical difficulties in applying this technique in India ?

अध्याय 10-16

- 1 विभिन्न क्षेत्रों के समतुलित उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करने की विधि समझाइए। असंतुलित विकास के पक्ष में क्या तर्क हैं ? (1973)
 Explain the method of determining balanced growth targets for different sectors What are the arguments for unbalanced growth ?
- 2 विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन लक्ष्य कैसे निर्धारित किए जाते हैं ? (1977)
 How are the targets of sectoral outputs determined ?
- 3 आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विनियोग के अन्तर-क्षेत्रीय आवंटन के महत्त्व का विश्लेषण कीजिए। इस सम्बन्ध में बचत की सर्वोत्तम दर की धारणा की विवेचना कीजिए।
 Analyse the significance of inter-sector allocation of investment for promoting economic growth. Discuss in this connection the concept of the 'Optimum' rate of savings.
- 4 आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विनियोग के अन्तर-क्षेत्रीय (Inter-Sectoral) आवंटन की नीतियों की विवेचना कीजिए। (1976)
 Discuss the criteria for inter-sectoral allocation of investment for promoting economic growth
- 5 वे कौन से सिद्धान्त हैं जिनके अनुरूप विनियोग करने योग्य ऋणों को एक नियोजित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण करना चाहिए ?
 What are the principles in accordance with which investible funds should be distributed among the various sectors of a planned economy ?

6 एक योजना बनाते समय कुन विनियोग का क्षेत्रीय आवंटन आप कैसे निश्चित करेंगे ?

(1973, 76)

How would you determine the sectoral allocation of investment in making a plan ?

7 किसी योजना में विनियोग की प्राथमिकताओं और तरीके का निश्चय करने में विनयानों का ध्यान रखा जाना चाहिए ? क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारतीय योजना निर्माताओं ने भारी और पूँजीगत उद्योगों शक्ति तथा वातायत को बहुत अधिक ऊँची प्राथमिकता दी है तथा सामाजिक सेवाओं को बहुत कम प्राथमिकता दी है ?

What considerations should be kept in view in deciding the priorities and pattern of investment in a plan ? Do you think that Indian planners have given too much high priority to heavy and capital goods industries, power and transport and too low priority to social services ?

8 अड विकसित देशों के आर्थिक विकास की योजनाओं में प्राथमिकता के निर्धारण के मानदण्ड की विवेचना कीजिए ।

Discuss the criteria for determination of priorities in plans for the economic development of developed countries

9 "वस्तु सन्तुलन", एव "वित्तीय सन्तुलन" योजनाओं को समरूप (Consistent) बनाने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।" व्याख्या कीजिए ।

(1976)

'Commodity balance' and 'financial balance' are very important for making a plan consistent " Discuss

10 भारत जैसी नियोजित विकासशील अर्थव्यवस्था में 'मूल्य नीति' एव वस्तु नियन्त्रण' की प्रकृति एव उसके परिणामों का विश्लेषण कीजिए ।

(1976)

Discuss the nature and consequences of 'price policy' and 'commodity controls' in a planned developing economy like India

11 परियोजना मूल्यांकन के विभिन्न मानदण्डों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए ।

(1976)

Discuss critically the various criteria for evaluation of projects

12 इस बात की जाँच कैसे की जा सकती है कि प्रस्तावित वृद्धि दर के लिए आवश्यक धन उपलब्ध है या नहीं ?

How can one check whether the required funds are available to finance the postulated rate of growth ?

13 किसी योजना को बनाते समय आप विभिन्न क्षेत्रों में विनियोग के आवंटन का निर्धारण कैसे करेंगे ?

How would you determine the sectoral allocation of investment in making a plan ?

14 "राजनीतिक दृष्टि से कर लगाने के स्थान पर मुद्रास्फीति आरम्भ करना आसान हो सकता है लेकिन मुद्रास्फीति का नियन्त्रण करने उसकी उपाययना अधिक से अधिक करने और उसकी हानियाँ कम से कम करने के लिए आवश्यक उपाय निर्धारित और लागू करना करों में वृद्धि से अधिक आसान नहीं है ।" (बुद्ध) समझाइए ।

(1976)

'It may be easier politically to start an inflation than to tax but the measures which control inflation maximize its usefulness and minimize its disadvantage are no easier to adopt or administer than would be an increase in taxation " Explain

- 15 "अनेक कारणों से लाभ कई बार किसी प्रयोजना के सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान को मापने का ठीक पैमाना नहीं हो सकता। ...लेकिन लाभ को इस स्थिति से विस्थापित करना हो तो निर्णय के लिए कोई अन्य आधार उसके स्थान पर स्थापित करना होगा।" (लिटल और मिरलेस) यह अन्य आधार क्या है? इसकी मुख्य विशेषताएँ समझाइए।

(1976)

"There are many reasons why profits may not be a very good measure of a project contribution to social ends.....But if profits are to be dethroned, some other guide to decision making must be put in their place" (Little and Mirrlees). What is the other guide? Explain its salient features

- 16 एक अर्द्ध-विकसित देश के आर्थिक विकास में 'विनियोग चुनावों और व्यूह-रचनाओं' पर एक निबन्ध लिखिए।

Write an essay on 'Investment Choices and Strategies' in the economic developments of an under developed country

- 17 'उत्पादन लक्ष्यों के निर्धारण' पर आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए।

Write a critical essay on 'Determination of out-put Targets'.

- 18 'विनियोग विकल्प की आवश्यकता' की व्याख्या कीजिए। अर्द्ध-विकसित देशों की विनियोजन सम्बन्धी विशिष्ट समस्याएँ क्या हैं?

Explain 'Need for Investment Choice' What are special investment problems in under-developed countries?

- 19 'विनियोग मानदण्ड' और उसकी व्यावहारिक उपयोगिता की विवेचना कीजिए।

Discuss 'Investment Criterion' and its practical utility.

- 20 बाजार-समर्थ के अभाव में एक समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में विभिन्न उद्योगों के बीच साधनों के आवंटन का निर्धारण किस प्रकार होता है? क्या इस मामले में समतुलनकारी दशाएँ उन दशाओं से आधारभूत रूप में भिन्न होती हैं जो एक प्रतिस्पर्धी पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में पायी जाती हैं?

How is the allocation of resources between different uses determined in a socialist economy in the absence of a market mechanism? Are the equilibrium conditions in this case basically different from those in a competitive capitalist economy?

- 21 अर्द्ध विकसित देशों में आर्थिक विकास को वित्तीय प्रबन्ध देने वाले विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। क्या आप एक नियोजित अर्थ-व्यवस्था में हीनाय प्रबन्धन को अनिवार्य मानते हैं?

Describe the various methods of financing development in under-developed countries Do you consider deficit financing in a planned economy

- 22 ऐसा बर्णोकर है कि अनेक अर्द्ध-विकसित देशों के मूल्य-स्तर में अत्यधिक वृद्धि की छिपे स्रोतों को सम्बृद्ध रूप से वित्तीय बनाने में असफल रही है? पूर्ति-लोच में सुधार के लिए राज्य द्वारा क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

How is it that even a tremendous rise in the price level of many under-developed countries has failed to mobilize adequately the hidden resources? What steps can be taken by the state to improve the supply elasticity?

- 23 किसी देश को किन आधारों पर अपने दुर्लभ साधनों का विभिन्न उद्योगों में वितरण करना चाहिए?

On what basis should a country distribute its scarce resources among different industries?

4 भारत में लोक सेक्टर की क्या मुख्य समस्या है ? इनके दृष्टिकोण से दृष्टिकोण बनाने के उपाय सुझाइए ।
 What are the basic problems of the public sector in India ? Suggest measures for improving its profitability

25 एक दृष्टिकोण यह है कि नियंत्रित मूल्य व्यवस्था कीमतों को नीचा रखने तथा अधिक लाभों को रोकने के अपने दोनों मुख्य उद्देश्यों में अधिकतम स्वयं-व्ययन रहती है। क्या हाल ही का भारतीय अनुभव इसे सिद्ध करता है ?

There is a point of view that a controlled price system is largely self-defeating in two of its principal objectives keeping costs low and preventing excess profits. Does recent Indian experience bear this out ?

26 छिपकी लिखिए—

(क) बढ़ते हुए मूल्यों के दुष्प्रभाव ।

(ख) तृतीय योजना की मूल्य नीति ।

Write a note on —

(a) Implications of Rising Prices

(b) Price Policy for the Third Plan

27 'मूल्य केवल साधनों का आवंटन ही नहीं करते, आय के वितरण का निर्धारण भी करते हैं।' क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? इस कथन के प्रकाश में उस दृष्टि मूल्य नीति का पुन-मूल्यांकन कीजिए जो देश में हाल ही के वर्षों में अपनाई गई है ।

'Price not only allocate resources, they also determine the distribution of incomes.' Do you agree ? In the light of this statement review the Agricultural price policy pursued in the country in recent years

28 एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था में मूल्य नीति के निम्नलिखित लक्षणों को बताइए ।

Mention the salient features of price policy in a developing economy

29 एक नियोजित विकासशील अर्थ-व्यवस्था में मूल्य नीति के विभिन्न मुख्य सिद्धान्तों की लिखिए ।
 Write the various principles of price policy in a planned developing economy

30 'मैक्रो-अर्थ-व्यवस्था और मॅक्रो-अर्थ-व्यवस्था से क्या अन्तर है ? एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था में मूल्य नीति में 'मैक्रो-अर्थ-व्यवस्था और मॅक्रो-अर्थ-व्यवस्था' के अर्थ को स्पष्ट कीजिए ।

What is meant by micro and macro studies ? Mention clearly the micro and macro aspects in price policy in a developing economy

31 मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में मूल्य नीति के सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए ।

Discuss the principles of price policy in a mixed economy

32 'मूल्य-नीति और वस्तु-नियंत्रण' पर एक निबंध लिखिए ।

Write an essay on 'Price Policy and Commodity Control'

33 विदेशी विनिमय की महत्ता और आवश्यकता की विवेचना कीजिए ।

Discuss importance and necessity of foreign exchange

34 भारतीय नियोजन में विदेशी विनिमय के आवंटन की परीक्षा कीजिए ।

Examine allocation of Foreign exchange in Indian planning

35 'व्यय-समन्वय' का अर्थ क्या है ? इसका अर्थ से समझाइए कि आप किसी योजना का वित्तीय मामलों की दृष्टि से परीक्षा कैसे करेंगे ।

Explain with the help of suitable illustrations how you will test a plan for financial consistency (1974)

36 'समग्र लाभ-हानि विश्लेषण' को सामाजिक लाभ-हानि विश्लेषण में बदलने के लिए कौन से सुधार आवश्यक हैं ?

What modifications must be made to turn gross profitability analysis into a social cost-benefit analysis? (1974)

Miscellaneous

- 1 "आर्थिक विकास बहुत हद तक मानवीय गुणों, सामाजिक प्रवृत्तियों, राजनीतिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक संयोगों से सम्बन्ध रखता है।" विवेचना कीजिए।
 "Economic development has much to do with human endowments, social attitudes, political conditions and historical incidents." Discuss.
- 2 "यदि बचना चाहे, तो कोई राष्ट्र इतना दरिद्र नहीं होता कि अपनी राष्ट्रीय आय का 12 प्रतिशत न बचा सके, दरिद्रता ने राष्ट्रों को युद्धों का मूलपात करने से अथवा दूसरी तरह अपनी सम्पत्ति लुटाने से कभी नहीं रोका है।" व्याख्या कीजिए।
 "No nation is so poor that it could not save 12% of its national income if it wanted to; poverty has never prevented nations from launching upon wars or from wasting their substances in other ways." Discuss
- 3 प्रदर्शनकारी प्रभाव से आय क्या समझते हैं? यह अल्प-विकसित देशों में पूँजी-निर्माण पर कैसे बुरा प्रभाव डालता है?
 What do you mean by the demonstration effect? How it affects adversely capital formation in under-developed countries?
- 4 इस बात की जाँच कैसे की जा सकती है कि प्रस्तावित वृद्धि-दर के लिए आवश्यक धन उपलब्ध है या नहीं? (1975)
 How can one check whether the required funds are available to finance the postulated rate of growth?
- 5 "राजनीतिक दृष्टि से कर लगाने के स्थान पर मुद्रा-स्फीति आरम्भ करना आसान हो सकता है लेकिन मुद्रा-स्फीति का नियंत्रण करने, उसकी उपादेयता अधिक से अधिक करने और उसकी हानियाँ कम से कम करने के लिए आवश्यक उपाय निर्धारित और लागू करना करने में वृद्धि से अधिक आसान नहीं है।" (गुडस) समझाइए। (1975)
 "It may be easier politically to start an inflation than to tax but the measures which control inflation, maximize its usefulness and minimize its advantages are no easier to adopt or administer than would be an increase in taxation" (Lewis) Explain
- 6 लीबन्स्टीन के 'काष्ठा-न्यूनतम प्रयत्न' सिद्धान्त की विवेचना कीजिए। 'प्रबल प्रयास' सिद्धान्त और इस सिद्धान्त में क्या अन्तर है?
 Discuss Liebenstein's 'Critical Minimum Thesis'. What is the difference between this theory and the 'Big Push' theory.
- 7 आर्थिक विकास के सिद्धान्त पर हर्षमैन के दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए।
 Discuss Hirschman's approach to the theory of development.
- 8 'सन्तुलित विकास' पर नर्स और लेविस के विचारों के विशेष सन्दर्भ में प्रकाश डालिए।
 Elucidate the concept of 'Balanced Growth' with special reference to Nurkse and Lewis
- 9 आर्थिक विकास के सिद्धान्त पर मिल के दृष्टिकोण की समीक्षा कीजिए।
 Examine Myint's approach to the theory of development.
- 10 निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए—
 (अ) निर्धनता का दुष्चक्र।
 (ब) सन्तुलित विकास।
 (स) श्रम-महत्त्व बनाम पूँजी-महत्त्व तकनीकें।
 (द) भारत में मानवीय शक्ति का नियोजन।
 Write notes on the following :—
 (a) Vicious Circle of Poverty.
 (b) Balanced Growth
 (c) Labour-intensive v/s Capital-intensive Techniques.
 (d) Man Power Planning in India.

11 निम्नलिखित में से किन्हीं तीन का विवेचन कीजिए—

- (क) प्राथमिकताओं का निर्धारण ।
- (ख) आंतरिक लगत (return) दर ।
- (ग) योजनाओं में विदेशी मुद्रा का आवंटन ।
- (घ) उपभोक्ता वस्तु की माँग का प्रक्षेप ।

(1977)

Discuss any three of the following —

- (a) Fixing of priorities
- (b) Internal rate of return
- (c) Allocation of foreign exchange in plans
- (d) Projection of demand for consumption goods

12 टिप्पणियाँ लिखिए—

- (अ) आय की असमानताएँ और बचत ।
- (ब) बचत की इष्टतम दर ।
- (स) जबरन बचत और आर्थिक विकास ।

(1976)

Write short notes on any two —

- (a) Inequalities of income and savings
- (b) Optimum rate of savings
- (c) Forced savings and economic development

13 यदि प्रत्याशित सर्वाधिक दर और नैसर्गिक सर्वाधिक दर बराबर हैं तो सब कुछ ठीक है किन्तु यदि दरें भिन्न भिन्न हों तो क्या होगा ?

(1976)

If the warranted rate of growth and the natural rate of growth ($n+m$) equal each other people live happily ever after but what if rates differ

14 विकास की प्रक्रिया में निम्न में से किन्हीं तीन का बनावट से हो रहे परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए—

- (क) उत्पादन, (ख) उपभोग (ग) रोजगार (घ) वित्तियोग, (ङ) व्यापार ।

(1976)

Analyse the changes taking place in the composition of three of the following in the process of development —

- (a) Production (b) Consumption (c) Employment (d) Investment (e) Trade

15 किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखिए—

(1976)

- (क) आर्थिक विकास में कृषि का महत्त्व ।
- (ख) विकासशील अर्थ व्यवस्था में आर्थिक नियोजन की उपयोगिता ।
- (ग) विकास के लिए विदेशी साधन ।
- (घ) महालनोबिस का 4 क्षेत्रीय मॉडल ।

Write notes on any two —

- (a) The role of agriculture in economic development
- (b) Usefulness of economic planning in developing economies
- (c) Foreign resources for development
- (d) Mahalanobis 4-sector mode

16 मुख्य सर्वाधिकारक निम्नलिखित कहे जा सकते हैं—

(1976)

- (अ) उत्पादन फलन पर गति ।
- (ब) उत्पादन फलन का स्थानान्तरण ।

Major growth factors can be identified as —

- (a) Movement along the production function
- (b) Shifts in the production function

Explain fully

खण्ड-2. भारत में आर्थिक नियोजन

अध्याय 1 से 9

- 1 स्वतन्त्रता से पूर्व भारत में आर्थिक नियोजन के विचार की मुख्य प्रवृत्तियों का सक्षेप में पुनः निरीक्षण कीजिए।
Briefly review the main trends of thought on economic planning in India before Independence.
- 2 भारत में आर्थिक नियोजन के विकास को बतलाइए।
Trace the evolution of economic planning in India.
- 3 जनता सरकार ने जो 'अनवरत योजना' अपनाई है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं ?
What do you know about 'The Rolling Plan' introduced by the Janata Government.
- 4 भारत की द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों तथा उपलब्धियों को तुलना कीजिए और उनमें अंतर कीजिए। (1969)
Compare and contrast the objectives and the achievements of India's Second and Third Five Year Plans
- 5 तृतीय योजनावधि में भारतीय अर्थ-व्यवस्था की धीमी प्रगति के कारणों पर प्रकाश डालिए। (1968)
Account for the slow growth of India's economy during the Third Plan Period.
- 6 प्रथम तीन योजनाओं के उद्देश्यों, लक्ष्यों, वित्तीय स्रोतों और दोषों तथा उपलब्धियों को बतलाइए।
Point out the objectives, targets, resources and defects and achievements of the First Three Plans
- 7 भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों और कठिनाइयों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (1967, 69)
Examine critically the achievements and difficulties of India's Third Five Year Plan
- 8 चतुर्थ योजना पिछली योजनाओं से किन अर्थों में भिन्न थी ? इस योजना की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
In what way the Fourth Plan was different from previous plans? Critically examine the Fourth Plan
- 9 भारत में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना-काल में वित्त साधनों की व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए। ऐसे कौन से वित्त साधन स्रोत हैं जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है ? (1973)
Make an appraisal of resources mobilisation during the Fourth Five Year Plan in India. What are the main sources of additional development funds which have not been utilised so far ?
- 10 चतुर्थ योजना के उद्देश्य, लक्ष्य एवं वित्तीय साधनों की सक्षेप में आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।
Critically examine the objectives, targets and resources of the Fourth Five Year Plan.

- 11 तृतीय व चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं में विनियोग के आवंटन पर संक्षेप में मत व्यक्त कीजिए ।
(1975)
Comment briefly on the allocation of investment funds in the Third and Fourth Five Year Plans
- 12 निम्नलिखित में से किसी दो पर टिप्पणियाँ लिखिए—
(i) विनियोग प्राथमिकताएँ, (ii) दोहरी आर्थिक व्यवस्था,
(iii) बड़े घके का सिद्धान्त, (iv) बैकवार्श' प्रभाव ।
Write short notes on any two of the following —
(i) Investment Priorities, (ii) Economic Dualism,
(iii) The Big Push (iv) Backwash Effect
- 13 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में सर्वांगीण विकास की दर को बढ़ाने एवं सेक्टर क पारस्परिक असंतुलन को मिटाने के लिए क्या-क्या सुझाव दिए गए थे ? (1976)
What measures were initiated in the Fourth Five Year Plan of India to push up the over-all rate of growth and to correct intersectoral imbalance?
- 14 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य और पूंजी लगाव के ढर का संक्षेप में वर्णन कीजिए ।
Briefly explain the targets and capital outlay of the Fourth Five Year Plan
- 15 चार पंचवर्षीय योजनाओं में क्षेत्रीय आवंटन का सिद्धान्तलोकन कीजिए । इससे आर्थिक विकास के गतिप्रदान में किस सीमा तक मदद मिली है ? (1974)
Review the sectoral allocation in the Four Five Year Plans How far has it been helpful in accelerating the pace of economic development ?
- 16 बचत बढ़ाने के प्रयत्नों में एक बड़ा प्रयत्न सार्वजनिक बचत की दर बढ़ाने का होना चाहिए । (चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मध्यमकाल मूल्यांकन) ; इस मत को पृष्टि करने वाले तक समझाइए और यह बताइए कि यह कामनीति कहाँ तक सफल रही है । (1975)
"A major thrust of savings efforts must be towards raising the rate of public savings (Mid term Appraisal of the Fourth Plan) Explain the arguments which substantiate this view and state how far this strategy has been successful
- 17 प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं में 'विकास बचत एवं विनियोग दरें—नियोजित तथा वास्तव में प्राप्त' की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए ।
Critically examine the growth rates and saving (investment) rates planned and achieved in the first three Five Year Plans
- 18 प्रथम तीन योजनाओं में वित्तीय आवंटन की परीक्षा कीजिए ।
Critically examine the financial allocation in the first three Five Year Plans
- 19 प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं में क्षेत्रीय लक्ष्यों की विवेचना कीजिए ।
Discuss the sectoral targets in the first three Five Year Plans
- 20 प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं को उपलब्धियों की विवेचना कीजिए ।
Discuss the achievements of the first three plans
- 21 "निष्कर्ष पर विशेष अंतर डाल सकने में योजना की असफलता का एक कारण अपर्याप्त वृद्धि दर रही है ।" (एप्रोच टू फिचर प्लान) क्या आप सहमत हैं? योजना की पिछली दो दशाब्दियों के निष्कर्ष पर परदे प्रभाव की विवेचना कीजिए और इस मामले में असफलता के कारण बताइए । (1974)

"One reason for the failure of planning to make a major dent on poverty has been the inadequate rate of growth." (Approach to the Fifth Plan) Do you agree? Discuss the impact that the last two decades of planning has had on the poverty in India and give reasons for our failure on this front.

- 22 भारतीय योजनाओं में विनियोग-वृद्धि के उपाय बताइए।
Suggest measures to increase investment in Indian plans
- 23 भारतीय नियोजन के स्तर में उत्पादकता-सुधार के उपाय बताइए।
Suggest measures to improve productivity with reference to Indian Planning
- 24 "भारत के पछ दो दशकों में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियाँ" विषय पर एक आलोचनात्मक निवन्ध लिखिए।
Write a critical essay on 'Economic Planning in India during the last two Decades'
- 25 'पाँचवीं पंचवर्षीय योजना' के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। क्या आप इन योजना की पूर्ववर्ती योजनाओं की तुलना में अधिक अच्छा और व्यावहारिक समझते हैं?
Discuss the main features of the Fifth Five Year Plan Do you regard it more effective and practical in comparison to the previous plans?
- 26 चौथी पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति से कहां तक सफलता प्राप्त हुई है? पूर्णता विवेचना कीजिए। (1976)
What measure of success has been achieved in realising the major objectives and targets of the Fourth Five Year Plan? Discuss fully
- 27 भारतीय योजनाओं में वित्तीय साधनों के आवंटन की आलोचनात्मक परीक्षा कीजिए। (1977)
Critically examine the allocation of financial resources in Indian plans.
- 28 भारत में योजना की सफलताएँ एवं असफलताएँ बताइए। (1976)
Point out the achievements and failures of Planning in India.
- 29 भारत में योजना नियोजन के प्रशासनिक ढांचे का वर्णन कीजिए। (1976)
Describe the administrative machinery for Plan formulation in India
- 30 "सम्भावित अथवा असम्भावित कठिनाइयों के बावजूद प्रदेश क्षेत्र में, विशेषकर उद्योगों में, प्राण प्रयत्न से हमारी विकास व्यूह-रचना को सही सिद्ध किया है और इसने अपनी अर्थ-प्रवस्था को सक्रियता एवं मजबूती प्रदान की है।" क्या आप इन कथन से सहमत हैं? तर्क दीजिए। (1977)
"Despite expected or unexpected difficulties, progress achieved in very sector especially industries, has proved the correctness of our strategy. And this has activated and strengthened our economy" Do you agree with this statement? Give arguments
- 31 भारत के स्तर में निम्नलिखित विशेष-कमोडिटियों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए—
(क) सामाजिक सीमान्त उत्पादकता कसौटी,
(ख) सीमान्त प्रति व्यक्ति पुननिवेश कसौटी,
(ग) पुननिवेश-अतिरिक्त की कसौटी। (1977)
Critically examine the following investment criteria with special reference to India :—
(a) The social marginal productivity criterion,
(b) The marginal per capita re-investment criterion,
(c) The re-investible surplus criterion.

- 32 एक पंचवर्षीय योजना में उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करने की रीतियों को समझाइए। (1977)
 Explain the method or methods of fixing output targets in a five year plan
- 33 सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रश्नों (Concepts) का विश्लेषण कीजिए—
 (क) छाया कीमतें (ख) बाह्य प्रभाव, (ग) सामाजिक बट्टा दर,
 (घ) परियोजना की आयु, (ङ) जोखिम।
 Discuss the following concepts in relation to the social cost benefit analysis
 (a) Shadow prices (b) external effects, (c) social discount rate,
 (d) life of the project, (e) risk.
- 34 भारत में योजना निर्माण एवं मूल्यांकन के प्रशासनिक तन्त्र का वर्णन कीजिए। इसके कार्य का मूल्यांकन कीजिए।
 Describe the administrative machinery for plan formulation and evaluation in India Evaluate its performance
- 35 “बिनावृत्त के साधन समूचे देश में बराबर वितरित नहीं किए जाने चाहिए।” क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने विचार व्यक्त कीजिए। (1977)
 “Development funds should not be spread evenly all over the country”
 Do you agree with this view? Give your own comments
- 36 आर्थिक नियोजन में आदा-प्रदा सारणी के निर्माण एवं उपयोग के लिए कौन-सी सूचनाएं आवश्यक हैं? क्या ये भारत में उपलब्ध हैं? भारत की किसी पंचवर्षीय योजना से उदाहरण दीजिए। (1976)
 What information is essential for preparing and using input-output tables for economic planning? Is it available in India? Give illustrations from any Five Year Plan of India
- 37 भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार नीति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। (1976)
 Give a critical account of employment policy in India under the different Five Year Plans
- 38 जनता सरकार की छठी राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना (1978-83) की मोटी रूपरेखा बताइए।
 Draw major outlines of the Sixth National Five Year Plan (1978-83) of introduced by the Janta Government.
- 39 वृत्त 1978-79 की वार्षिक योजना की मोटी रूपरेखा बताइए।
 Draw major outlines of the Annual Plan for 1978-79
- 40 योजना आयोग के बदलत गठन, स्वरूप और भूमिका पर प्रकाश डालिए।
 Explain the changing composition, nature and role of the Planning Commission
- 41 भारतीय नियोजन जिस रूपरेखा पर आधारित है उसकी व्याख्या कीजिए तथा नियोजनतन्त्र की तकनीक में जो परिवर्तन हुए हैं उनकी व्याख्या कीजिए।
 Explain the plan frame underlying plans in India and trace the developments in the techniques of plan formulation that have been introduced recently
- 42 भारतीय नियोजन आयोग को ‘सुपर केबिनेट’ कहा गया है। क्या यह आलोचना सही है? नियोजन आयोग और केबिनेट के मध्य आदर्श सम्बन्ध क्या होना चाहिए?

India's Planning Commission has been described as a Super Cabinet. Is this criticism correct? What would be the ideal relationship between the Planning Commission and the Cabinet?

- 43 सक्षेप में उभ तरिके का उल्लेख कीजिए जिसके अनुसार केन्द्र में भारतीय योजना का निर्माण होता है। क्या आप राज्यों के लिए पृथक नियोजन-आयोगों की स्थापना का समर्थन करेंगे? Indicate briefly the manner in which the Indian plan at the centre is formulated. Would you advocate establishment of separate Planning Commissions for the states
- 44 भारतीय योजना तन्त्र में क्या दोष है? इन दोषों को दूर करने हेतु सुझाव दीजिए। What are the defects of Indian Planning Machinery? Give suggestions for the removal of these defects
- 45 केन्द्रीय तथा प्रादेशिक प्रशासन के (अ) योजना बनाने तथा (ब) उन्हें कार्यान्वित करने के सापेक्ष कार्य बताइए। वर्तमान व्यवस्था में आप किन सुधारों का सुझाव देंगे? Discuss the relative roles of the Union and State Government in the formulation and implementation of plans in India. What improvements would you suggest in the existing relationship

अध्याय 10 एवं 11

- 1 भारत में गरीबी की समस्या का स्फूर्तिकन कीजिए। (1975, 76)
Delineate the problem of poverty in India
- 2 भारत में गरीबी एवं असमानता के लिए हरित क्रांति के निहितार्थों पर विचार कीजिए। (1975, 76)
Discuss the implications 'Green Revolution' for poverty and inequality in India
- 3 भारत में गरीबी एवं असमानता की समस्या का विश्लेषण कीजिए। इन पर भारतीय योजनाओं की ब्यूट-रचना एवं नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा है? (1976 77)
Analyse the problem of poverty and inequality in India. What has been the impact of the strategy and policies of the Five Year Plans on these?
- 4 भारत में बेरोजगारी समस्या के स्वरूप को व्याख्या कीजिए। भारत सरकार द्वारा हाल में अपनाई गई विभिन्न रोजगार नीतियों का परीक्षण कीजिए। (1976)
Discuss the nature of unemployment problem in India. Examine the various employment policies which have been adopted by the Government of India recently
- 5 भारत में गरीबी के मुख्य कारण क्या हैं? इस स्थिति को सुधारने के लिए, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन, क्या उपाय किए जा सकते हैं? (1976)
What are the main causes of poverty in India? What steps, short-term and long-term, can be taken to improve the situation
- 6 भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार नीति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। (1976)
Critically examine the employment policy under Five Year Plans in India
- 7 क्या भारत में विकास दर को अधिकतम करने और रोजगार को अधिकतम करने के उद्देश्यों में अन्तर्विरोध है? कारण बताइए। समस्या से निवृत्ति के लिए आप किन रोजगार नीतियों का सुझाव देंगे?

Is there a contradiction between the goal of maximising growth rate and maximising employment in India? Give reasons. What employment policies would you suggest to tackle the problem?

- 8 चौथी योजना में अधिकाधिक रोजगार-अवसर पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। इस दिशा में कौन से कदम उठाए गए और उनमें कहीं तक सफलता प्राप्त हुई। (1972)
The Fourth Plan has laid emphasis on the need for generating more and more employment opportunities. What steps have so far been taken and with what success to achieve this orientation?
- 9 रोजगार के क्षेत्र में पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों का आकलन कीजिए। (1974)
Assess the achievements of Five Year Plans in respects of employment
- 10 भारत में बेरोजगारी की समस्या की प्रकृति पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। आप रोजगार नीतियों के सन्दर्भ में क्या सुझाव देंगे।
Write a critical essay on the nature of unemployment problem in India. What would you like to suggest regarding the employment policies?

अध्याय 12

- 1 राजस्थान में औद्योगिकरण की प्रगति का वर्णन कीजिए। इसकी गति बढ़ाने के सुझाव दीजिए।
Discuss the progress of industrialisation in Rajasthan. Suggest measures for its acceleration
- 2 राजस्थान की अर्थ व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की विवेचना कीजिए। क्या आप राजस्थान के सन्तुलित विकास के लिए उपाय सुझाएंगे?
Discuss different aspects of Rajasthan's Economy. What measures would you suggest for her balanced development
- 3 राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों की विवेचना करो। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के विकास में इन्होंने क्या योगदान दिया है?
Discuss the achievements of Rajasthan's Five Year Plans. What has been the contribution of the public sector industries to the development of the state?
- 4 "राजस्थान की आर्थिक विकास योजनाओं में औद्योगिक विकास की तर्पणा उपेक्षा की गई है।" क्या आप इस आरोप को ठीक मानते हैं? अपने उत्तर के कारण बताइए।
"Industrial development has been grossly neglected in the development plans for Rajasthan." Would you agree with this charge? Give reasons for your answer
- 5 "राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाएँ अधिकतर आर्थिक उपरि ढाँचा बनाने में लगी रही हैं।" आप इस पर बल देने को कहीं तक उपयुक्त मानते हैं?
"Rajasthan's Five Year Plans have been largely concerned with the creation of economic overheads." How far do you think that this emphasis was justified
- 6 राजस्थान में योजना की दो दशकियों की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। (1974)
Discuss the achievements of the two decades of planning in Rajasthan
- 7 राजस्थान की तृतीय एवं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (1974)

Give a critical appraisal of the priorities in Rajasthan's Third and Fourth Five Year Plans.

- 8 राजस्थान की तीसरी व चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के क्षेत्रीय आवंटन का समानोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (1975, 76)

Critically evaluate the sectoral allocation in the Third and Fourth Five Year Plans of Rajasthan

- 9 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान राजस्थान में कृषि सुधार के प्रयत्नों का वर्णन कीजिए। (1975, 76)

Describe the efforts for agricultural improvement made in Rajasthan during the Five Year Plans

- 10 राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था की मुख्य समस्याएँ क्या हैं? उनको हल करने के प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए।

What are the main problems of the development of Rajasthan's economy? Evaluate the attempts to solve them.

- 11 हमारी योजनाएँ योजनाएँ नहीं हैं, वे तो इच्छित खर्च के कार्यक्रम मात्र हैं।" राजस्थान में योजना के आधार पर इन कथन की परीक्षा करो। (1976)

"Our plans are no plans, they are merely programmes of desired expenditure." Examine the statement in the light of planning in Rajasthan.

- 12 राजस्थान में आर्थिक नियोजन की सफलताओं एवं असफलताओं की व्याख्या कीजिए। (1976)

Discuss the achievements and failures of economic planning in Rajasthan.

- 13 योजनाओं के दौरान, राजस्थान सरकार द्वारा, औद्योगिक विकास के लिए जो प्रयत्न किए गए उनका वर्णन कीजिए एवं आलोचक तत्त्वक मूल्यांकन कीजिए। (1976)

Describe and critically evaluate the efforts made by Government of Rajasthan for Industrial development during the plans.

- 14 25 वर्षों के आर्थिक आयोजन के बावजूद राजस्थान देश के सबसे कम विकसित राज्यों में से क्यों है? योजनाओं की नीतियों को इस संदर्भ में समीक्षा कीजिए। (1977)

Why is Rajasthan one of the 'least developed States' of India despite 24 years of planning? Appraise the policies of the Five Year Plans in this context.

Miscellaneous

- 1 निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर टिप्पणियाँ लिखिए—

(क) विदेशी मुद्रा के आवंटन की कठोरता।

(ख) भारत की योजनाओं में बचत-दरें।

(ग) भारत में बेरोजगारी एवं गरीबी में सम्बन्ध।

(घ) भारत में वस्तु-निदानय सम्बन्धी हानि की नीति।

(ङ) आयात-निर्देय विश्लेषण की सीमाएँ।

(1977)

Write short notes on any three of the following —

(a) Criteria for allocating foreign exchange.

(b) Saving rates in Indian plans

(c) Relation between unemployment and poverty in India

(d) Recent policy regarding commodity controls in India.

(e) Limitations of input-output analysis.

2 निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—

- (क) विदेशी विनिमय आवण्टन ।
- (ख) राजस्थान की पाँचवी पञ्चवर्षीय योजना ।
- (ग) भारत में उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपाय ।

(1976)

Write short notes on any two of the following .—

- (a) Foreign exchange allocation.
- (b) Fifth Five Year Plan of Rajasthan.
- (c) Measures to improve productivity in India

3 (क) भारत में उत्पादकता बढ़ाने,

(ख) बचत और विनियोग बढ़ाने, और

(ग) कीमतों के स्थिरीकरण,

के लिए हाल ही में उठाए गए कदमों की आलोचनात्मक परीक्षा कीजिए ।

(1977)

Critically examine the recent steps to—

- (a) Raise productivity,
- (b) Increase savings and investment, and
- (c) Stabilize prices in India.

4 निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—

(क) भारत में उत्पादकता बढ़ाने के लिए हाल में किए गए उपाय,

(ख) माँग प्रक्षेप की विधियाँ,

(ग) रोजगार की क्राँश एव 'अप्रेन्टिस' योजनाएँ,

(घ) 'बचत की इष्टतम दर' की धारणा ।

Write short notes on any three of the following :—

- (a) Recent measures to improve productivity in India
- (b) Techniques of demand projection
- (c) 'Crash' and 'Apprenticeship' programmes for employment
- (d) Concept of 'optimum rate of saving'

5 'विकास कोष सक्षम देश में बराबर वितरित नहीं किए जाने चाहिए, सर्वाधिक विकास की सम्भावनाओं वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए (लेविस)''। इस कथन की आलोचनात्मक परीक्षा कीजिए ।

(1976)

"Development funds should not be spread evenly all over the country, areas with the greatest potential should have priority" (Lewis). Critically examine the above statement

6 अपने जिला मुख्यालय पर एक दुग्ध-देयरी की स्थापना के बारे में प्रोजेक्ट का मूल्यांकन कैसे करेंगे ?

(1976)

How would you evaluate the project on establishment of a modern Dairy at your district headquarters

7 किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखो—

(क) निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के मध्य वितरण की कठोरियाँ,

(ख) छाया-कीमतें ।

(ग) आर्थिक विकास में भूम्य नीति ।

(1976)

Write short notes on any two —

- (a) Criteria of allocation between private and public sectors
- (b) Shadow prices.
- (c) Price policy in Economic Development.

Appendix 16

(क) छठी योजना (1978-83) में प्रमुख वस्तुओं के उत्पादन अनुमान

क्रम संख्या	वर्ग	इकाई	1977-78	1982-83
1.	खाद्यान्न	10 लाख टन	121.00	140 48 से 144 48
2.	पन्ना	10 लाख टन	156 90	188.00
3.	कपास	लाख गांठें (प्रत्येक 170 कि.घा.की)	64.30	81.50 से 92 50
4.	दिलहन (शुद्ध)	लाख टन	92.00	112.00 से 115 00
5.	कोयला	10 लाख टन	103.20	149 00
6.	कच्चा पेट्रोलियम	10 लाख टन	10 77	18 00
7.	कपड़ा मिल क्षेत्र	10 लाख मीटर	4200 00	4600 00
	विकेंद्रित क्षेत्र	10 लाख मीटर	5400 00	7600 00
8.	नाइट्रोजनीय उर्वरक (एन)	हजार टन	2060 00	4100 00
9.	फास्फैटिक उर्वरक (पी. ओ.)	हजार टन	660.00	1125.00
10.	कामज और गते	हजार टन	900 00	1250.00
11.	सोपेट	10 लाख टन	19.00	29 00 से 30 00
12.	मृदु इस्पात	10 लाख टन	7.73	11 80
13.	वैद्युत्मीनियम	हजार टन	180 00	300 00
14.	वाणिज्यिक वाहन	हजार संख्या	40 00	65 00
15.	विजली उत्पादन	बी टक्क्यू.एच.	100 00	167 00

(ख) क्षेत्रीय विकास का स्वरूप 1977-78 से 1982-83

क्रम संख्या	क्षेत्र	बढ़ाए गए मूल्य का भाग		विकास दर का प्रतिशत	
		1977-78	1982-73	बढ़ाए गए मूल्य उत्पादन	
1.	कृषि	42.50	38.71	2.76	3.98
2.	खनन और विनिर्माण	18.47	18.76	5.03	6.92
3.	विजली	1.71	2.14	9.55	10.80
4.	निर्माण कार्य	5.74	7.64	10.09	10.55
5.	परिवहन	4.97	4.96	4.65	6.24
6.	सेवाएँ	26.61	27.79	5.61	6.01

(ग) 1978-83 की पंचवर्षीय योजना के लिए संसाधन

क्र. सं.	संसाधन	(करोड़ रुपये)
1.	सरकारी क्षेत्र से बचत	27,444
2.	वित्तीय संस्थानों से बचत	1,973
3.	पैर-सरकारी निर्गमित क्षेत्र से बचत	9,074
4.	आन्तरिक बचत	62,354
5.	कुल आन्तरिक बचत	100,855
6.	निम्नलिखित से कुल प्राप्ति—	
	(क) विदेशी सहायता	3,955
	(ख) विदेशी मुद्रा ऋण से धन निकाल कर	1,180
7.	प्राप्त विकास परिष्करण के लिए बजट व्यवस्था	10,250
परिवार के श्रम द्वारा निर्मित सम्पत्तियों को छोड़ कर		योग
		116,240

(घ) सरकारी क्षेत्र परिव्यय

सरकारी क्षेत्र में 69,380 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। इसके लिए वित्तीय व्यवस्था निम्नलिखित ढंग से की जाएगी—

क्र. सं.	परिव्यय	(करोड़ रुपये)
1.	1977-78 की कराधान की दरों पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों के संसाधन	12,889
2.	1977-78 के किराए और भाडों की दरों पर सरकारी प्रतिष्ठानों का अग्रदान	10,296
3.	व्यतिरिक्त संसाधनों को जुटाना	13,000
4.	सरकार, सरकारी प्रतिष्ठानों आदि द्वारा धाकार से लिया गया ऋण (सकल)	15,986
5.	छोटी बचत	3,150
6.	राज्य भविष्य निधि	2,953
7.	वित्तीय संस्थाओं के सावधिक ऋण (सकल)	1,296
8.	विविध पूंजीगत ऋण (सकल)	450
9.	विदेशी सहायता (सकल)	5,954
10.	जमा विदेशी मुद्रा का उपयोग	1,180
	योग	67,154
11.	व्युत्पन्न अन्तर (भाटे की अर्थ-व्यवस्था)	2,226
केवल सकल भुगतान : मद एक में व्याज शामिल है।		कुल योग
		69,380

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की एक तस्वीर

पिछले पच्चीस वर्षों में राष्ट्र को सन्तुलित आर्थिक प्रगति और जनसामान्य के बीच चीजों के न्यायोचित वितरण के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में भारी पूंजी लगायी गई है।

हमारे घोषित सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों के सन्दर्भ में इस पूंजी निवेश की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है—यह ऐसी चीज है जो प्रारम्भ में कुछ त्याग चाहती है—ऐसा त्याग जिसके बदले में, बाद में लाभ होने वाला हो। किसी पूंजी निवेश की 'कीमत' और उसके लाभ हमें समय के विभिन्न चरणों में ही ज्ञात हो पाते हैं, इसीलिए समय के सन्दर्भ में भी इनका मूल्य हमें अंकना पड़ता है।

सार्वजनिक क्षेत्र का कोई उद्योग सामाजिक स्तर पर लाभदायक है या नहीं, यह आँचने के लिए यही देखा जाता रहा है कि वह कुल समाज के काम का है या नहीं, और यह कि वह किसी क्षेत्र के विकास की गति को कितनी अच्छी तरह तीव्र करता है। इसलिए किसी योजना की सामाजिक उपादेयता की जाँच के लिए एक और जहाँ यह जरूरी होता है कि हम उससे होने वाले आर्थिक लाभ के पक्ष को देखें, वहीं उसकी अप्रत्यक्ष लागत और लाभ को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। वहरहाल इस मिलसिले में कुछ दूसरे दृष्टिकोण भी हैं जो जोर देकर यह कहते हैं कि सामान्यतः विकास में सहायक होने के अलावा किसी सरकारी उद्योग के लिए यह भी जरूरी है कि वह समय के एक दौर में होने वाले आर्थिक और व्यावसायिक लाभों को और भी पूरा ध्यान दें। लेकिन सार्वजनिक संस्थानों की समिति ने सार्वजनिक संस्थानों की भूमिका और उपलब्धियों पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सार्वजनिक संस्थानों के काम को जाँचते हुए केवल आर्थिक लाभ या हानि को प्रमुख आधार नहीं बनाना चाहिए बल्कि सार्वजनिक राजस्व में उसके योगदान को भी अपेक्षित जगह दी जानी चाहिए।

अतीत में हुई इस तरह की बहसों पिछले कुछ वर्षों में नहीं सुनाई पड़ती रही तो इसीलिए कि बहुतेरे सार्वजनिक संस्थाओं की कार्यक्षमता में (और उनके नतीजों) में काफी वृद्धि हुई है। फिर भी यह आलोचना तो होती है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की कार्यक्षमता में हुई वृद्धि, उनमें निवेशित पूंजी के हिसाब से पर्याप्त लाभ नहीं दे सकी। इस तरह की शिकायतें इतना सवेत तो करनी ही हैं कि सार्वजनिक संस्थानों के काम के तटस्थ मूल्यांकन के लिए और बेहतर मापदण्ड बनाए जाने की जरूरत है। केन्द्रीय सरकार के 145 औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थानों में 1976-77 वर्ष में हुए काम का विश्लेषण करने पर हर इकाई की स्थिति का अलग से, और सबकी स्थिति का सामूहिक रूप से भी साफ पता चलना है। यहाँ दी गई सामग्री से पिछले तीन वर्षों में सार्वजनिक संस्थानों की सामान्यतः जो आर्थिक तस्वीर रही है वह उभरती है।

1976-77 में 145 सस्थानों का पूंजी निवेश (चुक्ता पूंजी और लम्बी अवधि के ऋण) रु 11,097 करोड़ था. पिछले वर्ष पूंजी निवेश (1974-75 में 129 सस्थान और रु 3836 करोड़) में रु 2,124 करोड़ की वृद्धि हुई थी। पूंजी निवेश में प्रति वर्ष हुई वृद्धि इस प्रकार है—1975-76 के बाद 1976-77 में यह वृद्धि 23.67 प्रतिशत रही जबकि 1975-76 और 1974-75 में यह क्रमशः 24.8 प्रतिशत और 16 प्रतिशत रही थी।

इन सस्थानों में से 135 कार्यरत सस्थानों की, टैक्स गणना के पूर्व कुल आय 1975-76 में 476.17 करोड़ रु थी और 1974-75 में 165.64 करोड़ रु थी। टैक्स अदायगी के बाद 135 कार्यरत सस्थानों की कुल आय 1976-77 में 239.59 करोड़ रु, 1975-76 में 129.11 करोड़ रु और 1974-75 में 183.55 करोड़ रु थी। मगर निवेशित पूंजी के आधार पर उपलब्ध लाभ की दर जाँची जाए तो इस प्रकार होगी—31 मार्च, 1977 तक लगाई गई पूंजी 10,861 करोड़ रु और मूल्य ह्रास और राजस्व के खर्चों को बाद देकर कल आय थी 1053.57 करोड़ रु, जिसका मतलब है कि उपलब्ध लाभ दर 9.70 प्रतिशत रही। लेकिन चुक्ता पूंजी पर सँकड़ों की दर से कर के बाद वास्तविक लाभ 4.6 प्रतिशत रहा। 1975-76 में यह लाभ था 2.9 प्रतिशत और 1974-75 में चुक्ता पूंजी पर लाभ के अर्जन की दर थी 4.9 प्रतिशत (देखें तालिका 1)।

तालिका—1. सार्वजनिक सस्थानों के पाँच वर्षों की तस्वीर

	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77
1. पूंजी निवेश करोड़ रु में	5571	6237	7261	8973	11097
2. धातुगत करोड़ रु. में	5299	6777	10217	11688	14542
3. कुल लाभ (ध्याज और करों से पहले) करोड़ रु. में	245	273	559	668	1054
4. वास्तविक लाभ (करों से पहले)	83	149	312	306	476
5. वास्तविक लाभ (करों के बाद)	18	64	184	129	240
6. अंतरिम साधनों से (करोड़ रु.)	260	387	580	526	719
7. पूंजी (प्रतिशत) केवल	5.1	5.2	8.4	7.6	9.7
8. चुक्ता पूंजी केवल (प्रतिशत)	0.6	1.9	4.9	2.9	4.6
9. रोजगार (न. 1 लाख)	9.32	13.14	14.08	15.05	15.75
10. कर्मचारियों पर खर्च					
(ए) वेतन मंत्रपुरी (करोड़ रु.)	541	749	1060	1352	1408
(बी) सामाजिक सुविधाओं और आवास पर (करोड़ रु.)	41	53	73	89	95
	582	802	1133	1441	1503

बिक्री से हुए व्यवसाय में 24.4 प्रतिशत की वृद्धि 1975-76 में हुई (14,542 रु.)। दरअसल 145 संस्थानों द्वारा किए गए व्यवसाय में चुकता पूंजी पर यह सैकड़वार 1976-77 में 139.9 थी, जबकि 1975-76 में 132.4 प्रतिशत। उत्पादन उद्योगों के समूह में उनकी क्षमता के उपयोग में प्रशंसनीय प्रगति देखने को मिली। 1976-77 में 76 संस्थानों ने क्षमता का 75 प्रतिशत अधिक उपयोग किया, इससे पहले के वर्ष में यह 69 प्रतिशत था। 1976-77 में 34 इकाइयों में कार्यक्षमता का उपयोग 50 से 75 प्रतिशत के बीच था। इससे पहले के वर्ष में यही उपयोग 28 प्रतिशत था। केवल 17 इकाइयाँ 1976-77 में 50 प्रतिशत से कम का उपयोग कर रही थी। इससे पहले के वर्ष में यह प्रतिशत 15 था।

स्टील, कोयला, यातायात के उपकरणों, पेट्रोलियम और रसायनों के उत्पादन संस्थानों ने अपनी कार्यक्षमता का अधिकतम उपयोग किया।

संस्थानों के विभिन्न समूहों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 1976-77 में 15.75 लाख थी जबकि 1975-76 में यह संख्या 15.05 लाख थी। रोजगार के इन आँकड़ों में नेशनल टेक्स्टाइल कॉर्पोरेशन और उसके सहयोगी संस्थानों के कर्मचारियों की संख्या शामिल नहीं है जो 2 लाख है।

1976-77 और 1975-76 में नौकरियों में हुई वृद्धि क्रमशः 4.65 प्रतिशत और 5.1 प्रतिशत थी। 1975-76 में वेतन, मजदूरी और बोनस समेत दूसरी अन्य सुविधाओं के अन्तर्गत वितरित राशि 1351.79 करोड़ रु. थी जो कि 1976-77 में बढ़कर 1407.51 करोड़ रु. हो गई। इस तरह अपने पहले के वर्ष से यह वृद्धि 4.12 प्रतिशत रही।

चौथी योजना की अवधि में 1973-74 की समाप्ति पर लाभान्श, ब्याज, आयकर और उत्पादन शुल्क के रूप में राजस्व में संस्थानों का योगदान 3120 करोड़ रु. था। राजस्व में इनका योगदान 1974-75, 1975-76, 1976-77 में क्रमशः 1130 करोड़ रु., 1368 करोड़ रु. और 1597 करोड़ रु. था। 1976-77 में 145 संस्थानों की निर्यात क्षमता में भी काफी बढ़ोत्तरी हुई। 1976-77 में माल के निर्यात से 2248.08 करोड़ रु. की विदेशी मुद्रा की आय हुई जबकि 1975-76 में यह आय 1535.83 करोड़ रु. और 1974-75 में 1113.48 करोड़ रु. थी।

लाभ की दृष्टि से, करों से पूर्व जो पाँच संस्थान सबसे ऊपर रहे, वे हैं— इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन (106.41 करोड़ रु.), हिन्दुस्तान स्टील (79.41 करोड़ रु.), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स (59.62 करोड़ रु.), एम. एम. टी. सी (49.05 करोड़ रु.) और ओ. एन. जी. सी (38.02 करोड़ रु.)।

पूँजी निवेश की दृष्टि से ये पाँच संस्थान सबसे ऊपर हैं—

बोकारो स्टील	(1341 करोड़ रु.)
हिन्दुस्तान स्टील	(1209 करोड़ रु.)
फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन	(1110 करोड़ रु.)
शिपिंग कॉर्पोरेशन	(503 करोड़ रु.)
फूड कॉर्पोरेशन	(429 करोड़ रु.)

तालिका 1976-77 में व्यवसाय की दृष्टि से सबसे ऊपर रहे 10 सस्थान

सस्थान का नाम	कुल बिजो (करोड़ रुपये में)	जोड़ का प्रतिशत
1 इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन	2670 54	18 4
2 भूट कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि	2175 05	15 0
3 हिन्दुस्तान स्टील लि	1076 90	7 4
4 स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन	1037 94	7 1
5 एम एम टी सी लि	843 49	5 8
6 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि	522 09	3 6
7 हिन्दुस्तान बँटोकेयम कॉर्पोरेशन	511 35	3 5
8 भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	470 19	3 2
9 एयर इण्डिया	272 27	1 9
10 सिविल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया	258 75	1
इन सस्थानों का जोड़	9838 57	67 7
सभी सस्थानों का जोड़	1,4542 23	100

कुल मिलाकर 135 कार्यरत सस्थानों (20 बन रहे सस्थानों, 7 इम्पोर्टेस कंपनियों और कंपनी एक्ट 1965 की धारा 25 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड तीन सस्थानों और नेशनल टैक्सटाइल कॉर्पोरेशन और सहयोगी सस्थानों के असावा) ने करो के पूर्व 476 17 करोड़ रु का वास्तविक लाभ अर्जित किया। 92 सस्थानों ने करो से पहले 602 19 करोड़ रु का घाटा दिखाया। फलस्वरूप सभी कार्यरत सस्थानों का अर्जित लाभ 1976-77 में 476 17 करोड़ रु रहा जबकि 1975-76 में यह 305 65 करोड़ रु था।

लाभ अर्जित करने के मामले में पहले वर्ष की तुलना में हिन्दुस्तान स्टील, इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, एम एम टी सी ने वृद्धि दिखायी।

कार्यरत सार्वजनिक सस्थानों की एव समीक्षा यहाँ बताती है कि इनके कामों में गुणात्मक परिवर्तन के और कार्यक्षमता को अधिकतम करने के शुभ चिह्न दीख पड़ रहे हैं।

ग्रन्थ-कोश (BOOK-BANK)

खण्ड-1

1. *Agarwala & Singh (Eds)* : Economics of Under-development
2. *Adelman* : Theories of Economic Growth & Development
3. *Bright Singh, D* : Economics of Development
4. *Bauer, P. T and Yamey, B. S* : The Economics of Under-Developed Countries.
5. *Baljeet Singh and V B Singh* : Social and Economic Change
6. *Bonne, Alfred* : Studies in Economic Development
7. *Baran, Paul* : The Political Economy of Growth
8. *Baumol* : Economic Dynamics
9. *Chakrawarti, S* : Logic of Investment Planning
10. *Coale and Hoover* : Population and Economic Development in Low Income Countries
11. *Domar, Evsey* : Essays in the Theory of Economic Growth
12. *Das, Nabagopal* : The Public Sector in India.
13. *Durbin, E F M* : Problems of Economic Planning
14. *Edward, F. Demson* : Sources of Post War Growth in Nine Western Countries.
15. Five Year Plans
16. Five Year Plans of Rajasthan
17. *Gupta, K. R.* : Economics of Development.
18. *Ghosh, Alak* : New Horizons in Planning
19. *Higgins, B* : Economic Development
20. *Hirschman, A O.* : The Strategy of Economic Development
21. *Harrod, R F* : Towards Dynamic Economics
22. *Hoselitz, B F* : Theories of Stages of Economic Growth
23. *Hoselitz, Berl, F* : Sociological Aspects of Economic Growth.
24. *Hanson, A. H* : Public Enterprise and Economic Development.
25. *Heyek, F A.* : Collectivist Economic Planning.
26. *Hussian, I. Z* : Economic Factors in Economic Growth.
27. *Henderson, P. D* : Investment Criteria for Public Enterprises in Public Enterprises edited by R. Turvey.
28. *Jacob Viner* : Economics of Development.
29. *Kaldor, N.* : Essays of Economic Stability and Growth.
30. *Kalecki* : Theory of Economic Dynamics.

- | | | |
|----|--|---|
| 31 | Kindleberger C P | Economic Development |
| 32 | Leibenstein Harvey | Economic Backwardness and Economic Growth |
| 33 | Lewis W A | The Theory of Economic Growth |
| 34 | Le 15 W A | Development Planning |
| 35 | Lester W A | The Theory of Economic Growth |
| 36 | Little and Mirrless | Social Cost Benefit Analysis |
| 37 | Mishan E J | Cost Benefit Analysis |
| 38 | Meier G M and
Raldwin R E | Economic Development |
| 39 | Me r G | Leading Issues in Development Economics |
| 40 | Myrdal Gunnar | Economic Theory and Under developed Regions |
| 41 | Mehta J K | Economics of Growth |
| 42 | Meade J E A | A Neo classical Theory of Economic Growth |
| 43 | Marx Black (Ed J) | The Social Theories of Talcott Parsons |
| 44 | Nag D S | Problems of Under developed Economy |
| 45 | Nurkse Ragnar | Some Problems of Capital Formation in Under developed Countries. |
| 46 | Naer s Paper | Price Policy and Economic Growth |
| 47 | Publication U N | Measures for the Economic Development of Under-developed Country |
| 48 | Publ cat on U N | Development Decade |
| 49 | Publ cat on U N | D terminants and Consequences of Population Trends |
| 50 | Rostow W W | The Process of Economic Growth |
| 51 | Robusson | (i) Exercises in Economic Analysis
(ii) The Accumulation of Capital
(iii) An Essay on Marxian Economics |
| 52 | Reddaway | The Development of the Indian Economy |
| 53 | Singh V B | Theories of Economic Development |
| 54 | Stanely Bober | The Economics of Cycles and Growth |
| 55 | Simon Kuznets | Economic Growth and Income Inequality |
| 56 | Sterner G A | Government's Role in Economic Life |
| 57 | Seth M L | Theory and Practice of Economic Planning |
| 58 | Sen, A K | The Choice of Techniques |
| 59 | Singh V B | Essays in Indian Political Economy |
| 60 | Simon Kuznets | Six Lectures on Economic Growth |
| 61 | Simon Kuznets | Modern Economic Growth |
| 62 | Tinbergen J | The Design of Development |
| 63 | Ursulla Kicks | Learning about Economic Development |
| 64 | U N Statistical Year Book | |
| 65 | U N Economic Survey of Asia and Far East | |
| 66 | S K R S Rao | Essays in Economic Development |
| 67 | World Economic Survey | |
| 68 | Hill umson H F and
Buttrick J A | Economic Development Principles & Patterns |
| 69 | अधिक समीक्षा | |
| 70 | योजना | |
| 71 | भारत 1976, 77 (Eng) | |

खण्ड-2

1. *Bhagwati, Jagdish & Desai, Padma* : Indian Planning for Industrialisation.
2. *Bhattacharya K N.* : Indian Plans.
3. *Bhattacharya, K. N* . India's Fourth Plan, Test in Growthmanship
4. *Brij Kishore and Singh, B P.* : Indian Economy through the Plans
5. *Chatterji, Amiya* The Central Financing of State Plans in the Indian Federation
6. *Gadgil, D R.* : Planning and Economic Policy in India.
7. Indian Planning Commission : Basic Statistics Relating to Indian Economy 1950-51 to 1968-69.
8. Indian Planning Commission : Five Year Plans.
9. Indian Planning Commission : Fourth Plan : Mid-term Appraisal.
10. Indian Planning Commission Draft Fifth Five Year Plan, 1974-79.
11. *Iyenger, S. K* : Fifteen Years of Democratic Planning
12. India 1975, 1976, 1977.
13. *Mehta, Asoka* : Economic Planning in India.
14. *Maleubaulm* : The Crisis of Indian Planning.
15. *Paranjape, H K* : Re-organised Planning Commission.
16. Planning Depts. Govt. of Rajasthan : Five Year Plans (Rajasthan).
17. Planning Depts. Govt. of Rajasthan : Draft-Fifth Five Year Plan, 1974-79.
18. *Venkatasubbiah, Hiranyappa* : Anatomy of Indian Planning.
19. The Economic Times.
20. The Illustrated Weekly.
21. Press Releases of the Govt. of India.
22. Economic Survey, 1976 to 78.
23. योजना
24. राजस्थान विवरण
25. हिन्दुस्तान
26. साप्ताहिक हिन्दुस्तान
27. राजस्थान वाय-व्ययक अध्ययन, 1976-77 to 78-79
28. भारत सरकार योजना मन्त्रालय रिपोर्ट, 1975-76 to 78-79.

